उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड १५४

बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

से

बृहस्पतिवार, २५ अगस्त, १९५५ तक

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, भारत।

१९५६

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।

वार्षिक चन्दा; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय सूची

बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मंत्रि–परिषद

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत् मन्त्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मन्त्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान-सभा-सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मन्त्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, माल तथा परिवहन मन्त्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, निर्माण मन्त्री।

आचार्य जुगल किशोर, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, श्रम तथा समाज-कल्याण मन्त्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल०बी०, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता उपमन्त्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, वन उपमन्त्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमन्त्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, पुलिस उपमन्त्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान-सभा-सदस्य, कारावास उपमन्त्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, माल उपमन्त्री।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (बिस), पी० एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य शिक्षा उपमंत्री।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान सभा-सदस्य, स्वशासन उपमंत्री।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, निर्माण उपमंत्री।

सभा-सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य।

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य।

२—श्री बनारसी दास, विधान-सभा-सदस्य।

कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य।

सूचना मंत्री के सभा-सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान-सभा-सदस्य।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान-परिषद्-सदस्य।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ़ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवध शरण वर्मा, श्री	..	फ़तेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पू
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक़, श्री	..	फिरोजाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उदय भान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२२—उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२३—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
२४—उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
२५—उम्मेद सिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२६—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	..	एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२७—एजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२८—ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर)—बदायूं
२९—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
३०—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३१—कमल सिंह, श्री	..	सैदपुर
३२—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहमदी (पूर्व)
३३—करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३४—करनसिंह, श्री	..	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३५—कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३६—कल्याण राय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)
३७—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३८—कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९—कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
४०—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	कादीपुर
४१—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४२—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४३—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४४—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४५—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण—पूर्व)
४६—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४७—कृष्णशरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४८—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४९—केवलसिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
५०—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५१—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५२—केशव पाण्डेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर—पूर्व)
५३—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५४—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५५—खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५६—खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
५७—खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५८—गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
५९—गंगाधर मैठाणी, श्री	..	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
६०—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६१—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६२—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६३—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	विधूना (पूर्व)
६४—गज्जूराम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर)
६५—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)।
६६—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६७—गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण—पश्चिम)
६८—गिरजा रमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६९—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
७०—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण—पश्चिम)
७१—गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७२—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७३—गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७४—गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७५—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७६—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अलमोड़ा (दक्षिण)
७७—गौरी राम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७८—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
७९—घासीराम जाटव, श्री	..	विधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)।

क्रम०-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८०---चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई--जालौन (दक्षिण)
८१---चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२---चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८३---चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)--चमोली (पूर्व)
८४---चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८५---चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८६---चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८७---चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
८८---चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)--कन्नौज (दक्षिण)
८९---चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली--गुन्नौर (पूर्व)
९०---छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)--हरदोई (उत्तर--पश्चिम)
९१---छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९२---जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९३---जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)--सम्भल (पश्चिम)
९४---जगदीश सरन, श्री	..	बरेली नगरपालिका
९५---जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९६---जगन प्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९७---जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन--लखीमपुर (उत्तर)
९८---जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९९---जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१००---जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर--पूर्व)--बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१---जगपति सिंह, श्री	..	मऊ--करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२---जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३---जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)--हसनगंज
१०४---जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)--सहारनपुर (उत्तर)
१०५---जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०६---जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	..	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७---जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)--चायल (दक्षिण)
१०८---जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९---जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११०---जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा--कुलपहाड़--चरखारी
१११---ज्वालाप्रसाद सिनहा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११२---झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११३---टीकाराम, श्री	..	संडीला--बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४---डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११५---डालचन्द, श्री	..	माट--सादाबाद (पश्चिम)
११६---ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११७---तिरमलसिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११८---तुलाराम, श्री	..	औरैया--भरथना (दक्षिण)
११९---तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर--पश्चिम)
१२०---तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२१---तेज बहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२२—तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२३—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२४—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
१२५—दर्शनराम, श्री	..	मऊ—करवी—बबेरू (पूर्व)
१२६—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२७—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२८—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१२९—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३०—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३१—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३२—सुन्दरदास, श्री दीवान	..	कैसरगंज (उत्तर)
१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्तिराम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३९—देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थूसिंह, श्री	..	आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री	..	आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	..	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६०—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६१—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६२—परमानन्द सिनहा, श्री	..	सोरांव (दक्षिण)
१६३—परमेश्वरी दयाल, श्री	..	कोराकट—जौनपुर (दक्षिण)
१६४—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराज (उत्तर)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६५—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६६—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)–फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६७—पुत्तूलाल, श्री	..	एतमादपुर–आगरा (पूर्व)
१६८—पुद्दन राम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६९—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७१—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)–जलालाबाद (पूर्व)
१७२—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर–पश्चिम)
१७३—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७४—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७५—फजलुल हक, श्री	..	रामपुर नगर
१७६—फतेहसिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७७—फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द
१७८—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१७९—बनारसी दास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८०—बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
१८२—बलवीर सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८३—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८४—बलवन्त सिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)–जानसठ (उत्तर)
१८५—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८६—बसन्तलाल, श्री	..	कालपी–जालौन (उत्तर)
१८७—बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८८—बाबू नन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१८९—बाबू राम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९०—बाबू लाल कुसुमेश, श्री	..	राम सनेही घाट
१९१—बाबू लाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९२—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९३—विशम्बर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९४—बेचन राम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९५—बेचन राम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९६—बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९७—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९८—बैजू राम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
१९९—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००—भगवती दीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०१—भगवती प्रसाद दूबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०२—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)
२०४—भगवान दीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण
२०५—भगवान सहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०६—भीमसेन, श्री	..	खुरजा

क्रम-सं० सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२०७—भुवर जी, श्री	.. फूलपुर (पूर्व)- हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०८—भूपाल सिंह खाती, श्री	.. अल्मोड़ा (उत्तर)
२०९—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	.. बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२१०—भोला सिंह यादव, श्री	.. गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२११—मकसूद आलम खां, श्री	.. पीलीभीत (पश्चिम)
२१२—मंगला प्रसाद, श्री	.. मेजा-करछना (दक्षिण)
२१३—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	.. फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१४—मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	.. बांसी (उत्तर)
२१५—मदन गोपाल वैद्य, श्री	.. फैजाबाद (पूर्व)
२१६—मदन मोहन उपाध्याय, श्री	.. रानीखेत (उत्तर)
२१७—मन्नी लाल गुरु देव, श्री	.. महोबा-कुल पहाड़-चरखारी
२१८—मलखान सिंह, श्री	.. कोइल (मध्य)
२१९—महमूद अली खां, श्री	.. सुमर-टांडा बिलासपुर
२२०—महमूद अली खां, श्री	.. सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)
२२१—महाजन, श्री सी० बी०	.. आगरा नगर (पश्चिम)
२२२—महादेव प्रसाद, श्री	.. गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२३—महाराज सिंह, श्री	.. शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२४—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	.. हंडिया (दक्षिण)
२२५—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	.. मोहनलालगंज
२२६—महावीर सिंह, श्री	.. हाटा (उत्तर)-देवरिया
२२७—महीलाल, श्री	.. बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	.. रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजी लाल, श्री	.. करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	.. बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा .. (उत्तर)।
२३१—मुजफ्फर हसन, श्री	.. चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	.. पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नू लाल, श्री	.. बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	.. बिल्हौर-अकबरपुर
२३५—मुश्ताक अली खां, श्री	.. सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	.. डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	.. बिजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुसमद, श्री	.. बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	.. नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४०—मुहम्मद तकी हादी, श्री	.. अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	.. बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	.. टांडा
२४३—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	.. देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४४—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	.. सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	.. मछली शहर (दक्षिण
२४६—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	.. उतरौला (मध्य)

क्रम-सं० सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	.. नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	.. डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहन लाल, श्री	.. सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहन लाल गौतम, श्री	.. खैर—कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहन सिंह, श्री	.. बुलन्द शहर (उत्तर-पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	.. अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री	.. बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	.. गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)।
२५५—यशोदा देवी, श्रीमती	.. बांस गांव (दक्षिण—पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	.. मेजा -करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराजसिंह, श्री	.. तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुवीर सिंह, श्री	.. बागपत (दक्षिण)
२५९—रणंजय सिंह, श्री	.. अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री	.. नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	महरौनी
२६२— रमेश चन्द्र शर्मा, श्री	.. मड़ियाहूं (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	.. किराउली
२६४—राघवेन्द्र प्रतापसिंह, राजा	.. उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५—राज किशोर राव, श्री	.. बहराइच (पूर्व)
२६६—राज कुमार शर्मा, श्री	.. चुनार (उत्तर)
२६७—राज नारायण, श्री	.. बनारस (दक्षिण)
२६८—राजनारायण सिंह, श्री	.. चुनार (दक्षिण)
२६९—राजवंशी, श्री	.. पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)।
२७०—राजाराम, श्री	.. अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७१—राजाराम किसान, श्री	.. प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर)
२७२—राजाराम मिश्र, श्री	.. फैजाबाद (पश्चिम)
२७३—राजाराम शर्मा, श्री	.. खलीलाबाद (उत्तर)
२७४—राजेन्द्रदत्त, श्री	.. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७५—राजेश्वर सिंह, श्री	.. बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	.. बिलग्राम (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री	.. बलिया (पूर्व)
२७८—रामअधार तिवारी, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री	.. पुरवा (मध्य)
२८०—राम अनन्त पांडेय, श्री	.. बलिया (मध्य)
२८१—राम अवध सिंह, श्री	.. फरेंदा (उत्तर)
२८२—राम किंकर, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२८३—राम कुमार शास्त्री, श्री	.. बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री	.. मिर्जापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री	.. जलालाबाद (पश्चिम)
२८६—रामचन्द्र विकल, श्री	.. सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरनलाल गंगवार, श्री	.. बरेली (पश्चिम)

क्रम-सं० सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२८८—रामजीलाल सहायक, श्री	.. मवाना
२८९—रामजी सहाय, श्री	.. देवरिया (दक्षिण-पश्चिम) हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९०—राम दास आर्य, श्री	.. बुढ़ाना (पूर्व) - जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री	.. अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—राम दुलारे मिश्र, श्री	.. अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—राम नरेश शुक्ल, श्री	.. कुण्डा (दक्षिण)
२९४—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	.. अकबरपुर (पूर्व)
२९५—राम प्रसाद, श्री	.. रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री	.. खैर—कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	.. लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री	.. महाराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री	.. सुल्तानपुर (पूर्व) – अमेठी (पूर्व)
३००—राम भजन, श्री	.. मोहमदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री	.. बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०२—रामरतन प्रसाद, श्री	.. रसरा (पूर्व) —बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री	.. पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री	.. चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री	.. डुमरियागंज (उत्तर—पश्चिम)
३०६—रामलाल, श्री	.. बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामवचन यादव, श्री	.. फूलपुर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	.. रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	.. लखनमऊ (मध्य)
३१०—रामसनेही भारतीय, श्री	.. बबेरी (पश्चिम)
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	.. गरोधामोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पांडेय, श्री	.. घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	.. खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—राम सुभग वर्मा, श्री	.. पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	.. टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	.. दुधी—राबर्टसगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	.. भोगनीपुर (पश्चिम) —डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	.. कुण्डा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	.. महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—राम हरख यादव, श्री	.. बीकापर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	.. छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	.. महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—रामेश्वर लाल, श्री	.. देवरिया (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	.. नैनीताल (दक्षिण)
३२५—लक्ष्मण राव कदम, श्री	.. मऊ-मोठ (दक्षिण) —झांसी (पश्चिम) .. ललितपुर (उत्तर)
३२६—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	.. संडीला—बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२७—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. माट—सादाबाद (पश्चिम)
३२८—लक्ष्मी शंकर यादव, श्री	.. शाहगंज (पूर्व)
३२९—लताफत हुसैन, श्री	.. हसनपुर (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३३०—	लालबहादुर सिंह, श्री	.. केराकट—जौनपुर (दक्षिण)
३३१—	लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	.. बनारस (उत्तर)
३३२—	लीलाधर अष्ठाना, श्री	.. उन्नाव (दक्षिण)
३३३—	लुत्फअली खां, श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)
३३४—	लेखराज सिंह, श्री	.. सम्भल (पूर्व)
३३५—	वंशनारायण सिंह, श्री	.. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३६—	वंशीदास धनगर, श्री	.. करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व)
३३७—	वंशीधर मिश्र, श्री	.. लखीमपुर (दक्षिण)
३३८—	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	.. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३९—	वसी नकवी, श्री	.. महाराज गंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३४०—	वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	.. कानपुर नगर (मध्य—पश्चिम)
३४१—	विचित्र नारायण शर्मा, श्री	.. गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४२—	विजय शंकर प्रसाद, श्री	.. मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४३—	विद्यावती राठौर, श्रीमती	.. एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)।
३४४—	विश्राम राय, श्री	.. सगरी (पूर्व)
३४५—	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	.. गाजीपर (पश्चिम)
३४६—	विष्णु दयाल वर्मा, श्री	.. जसराना
३४७—	विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	.. मवाना
३४८—	वीरसेन, श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)
३४९—	वीरेन्द्रपति यादव, श्री	.. मैनपरी (दक्षिण)
३५०—	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	.. कैराना (दक्षिण)
३५१—	वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री	.. नानपारा (पूर्व)
३५२—	वीरेन्द्रशाह, राजा	.. कालपी-जालौन (उत्तर)
३५३—	व्रज भूषण मिश्र, श्री	.. दूधी राबर्ट्सगंज
३५४—	व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	.. बिल्हौर-अकबरपुर
३५५—	व्रजवासीलाल, श्री	.. बीकापुर (मध्य)
३५६—	व्रजविहारी मिश्र, श्री	.. फूलपुर (उत्तर)
३५७—	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	.. घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५८—	शंकर लाल, श्री	.. कादीपर (मध्य)
३५९—	शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	.. बाह
३६०—	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	.. चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६१—	शिवकुमार मिश्र, श्री	.. तिलहर (उत्तर)
३६२—	शिव कुमार शर्मा, श्री	.. बिजनौर (दक्षिण)-धामपर पश्चिम)।
३६३—	शिवदान सिंह, श्री	.. इगलास
३६४—	शिवनाथ काटजू, श्री	.. फूलपुर (मध्य)
३६५—	शिवनारायण, श्री	.. हरैया (पूर्व)-बस्त
३६६—	शिवपूजनराय, श्री	.. मुहम्मदबाद (उ
३६७—	शिवप्रसाद, श्री	.. हाटा (मध्य)
३६८—	शिवमंगल सिंह, श्री	.. बांसडीह (पश्चिम
३६९—	शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	.. डुमरिया गंज (पश्चि
३७०—	शिवराजवली सिंह, श्री	.. खजुहा (पूर्व)-फतेहपु

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली —गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७४—शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिववचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरन लाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७८—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगन चन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम) —सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद —बाराबंकी (उत्तर—पश्चिम)
३८१—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८३—श्री चन्द, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८६—श्री निवास, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८७—श्रीनिवास पंडित, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
३८८—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८९—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती	.	कासगंज (पूर्व) —अलीगंज (उत्तर)
३९०—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३९१—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९२—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९३—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरैया —भरथना (दक्षिण)
३९४—सत्य सिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९५—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९६—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर (एटा) (उत्तर)
३९८—सालिग्राम जायसवाल, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
३९९—सावत्री देवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
४००—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य) —कायमगंज (पूर्व)
४०१—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४०२—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण—पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०३—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण पश्चिम)
४०४—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू —मंझनपुर
४०५—सुन्दरलाल, श्री	..	आंवला (पूर्व) —फरीदपुर
४०६—सुरजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०७—सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर —मौदहा (उत्तर)
४०८—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४०९—सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४१०—सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४११—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४१२—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज

क्रम-सं० सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४१३—हबीबुर्ररहमान अंसारी, श्री	.. सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१४—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	.. मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१५—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	.. शाहजहांपुर (मध्य)
४१६—हमीद खां, श्री	.. कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१७—हरखयाल सिंह, श्री	.. बागपत (पूर्व)
४१८—हरगोविन्द पन्त, श्री	.. रानीखेत (दक्षिण)
४१९—हरगोविन्द सिंह, श्री	.. जौनपुर (पूर्व)
४२०—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	.. हाथरस
४२१—हरदेव सिंह, श्री	.. देवबन्द
४२२—हरसहाय गुप्त, श्री	.. बिलारी
४२३—हरिप्रसाद, श्री	.. बिसलपुर (मध्य)
४२४—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	.. सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२५—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	.. लखनऊ (मध्य)
४२६—हरिसिंह, श्री	.. हापुड़ (उत्तर)
४२७—हुकुमसिंह, श्री	.. कैसरगंज (दक्षिण)
४२८—हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	.. करछना (उत्तर)—चैल (दक्षिण)
४२९—होतीलाल दास, श्री	.. एटा (दक्षिण)
४३०—(रिक्त)	.. बिलग्राम (पश्चिम)
४३१—(रिक्त)	.. तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)

उतर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव विधान मंडल

श्री मिट्ठनलाल, एच० जे० एस०।

सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल०, एस-सी०।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० कॉम, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण, श्री
कामतारयद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह, नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डालाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहान उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रणंजयसिंह श्री
रतनलाल जैन
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह राजा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली, खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री

सुरजराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री जगदीश शरण ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

कमायूं में रेशम के कारखाने खोलने की योजना

*१--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कुमायूं पर्वतीय प्रदेश में रेशम के कारखाने खोलने की योजना कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)--जी नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार आबोहवा, पहाड़ की समुद्र की सतह, ऊंचाई आदि का काश्मीर के साथ मुकाबला करते हुये कुमायूं के पर्वतों में भी इस योजना को कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास--हल्द्वानी, लालकुआं, किछा और रुद्रपुर में जांच कराई गई और उससे मालूम हुआ कि वहां पेड़ों की पत्तियां ऐसी नहीं है कि जिन पर रेशम को पाला जा सके। इसके अतिरिक्त वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है कि आया वहां शहतूत के पेड़ लगाये जा सकते है जिससे वहां पर इस उद्योग को विकसित करने का प्रयत्न किया जा सके।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार कुमायूं के हायर लैटीट्यूट के पहाड़ों में शहतूत के पेड़ों को लगाने के बारे में वन विभाग से पूछेगी ? आपने बताया है कि तराई भावर में ही जांच कराई गई है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जहां तक इस उद्योग का संबंध है सरकार प्रयत्नशील है कि जहां-जहां भी यह उद्योग चलाया जा सकता है, चलाया जाय और इसके लिये वह प्रयत्न कर रही है और इसमें पहाड़ों का क्षेत्र भी शामिल है। वहां भी सरकार इस उद्योग को चलाने का प्रयत्न करेगी।

*२-३—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४-५—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[१८ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १८-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्लानिंग विभाग, जिला झांसी के कर्मचारियों में हरिजन

*६—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग, जिला झांसी में कुल कितने क्लर्क तथा चपरासी हैं और उसमें कितने हरिजन हैं ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूल सिंह)—प्लानिंग विभाग जिला झांसी में कुल ४७ क्लर्क तथा ९८ चपरासी हैं । क्लर्कों में कोई हरिजन नहीं है, चपरासियों में २२ चपरासी हरिजन हैं ।

श्री गज्जू राम—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ४७ चपरासी हैं उनमें हरिजन एक भी नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह जो उत्तर आपको मिला है उसके विरुद्ध आप प्रश्न पूछ रहे हैं । उत्तर में यह नहीं कहा गया कि चपरासियों में हरिजन नहीं हैं ।

श्री गज्जू राम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४७ क्लर्कों में हरिजन न होने का क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह—बहुत से क्लर्क तो पहले से ही इस विभाग में थे, तब भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब जो जगहें खाली हों उन पर हरिजनों को रखा जाय ।

गृह उद्योगों में क्वालिटी मार्किंग स्कीम

*७—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन गृह उद्योगों में क्वालिटी मार्किंग स्कीम चालू है ?

श्री बनारसी दास—प्रदेश में निम्नलिखित उद्योगों में यह योजना लागू की जा चुकी है:—

१—आगरा के जूते

२—अलीगढ़ के ताले

३—फर्रुखाबाद के छपे वस्त्र

४—बनारस के रेशमी वस्त्र

५—मेरठ की कैंचियां

६—मिर्जापुर के कालीन

७—मेरठ की खेल-कूद की वस्तुयें

८—हस्तकर्घा वस्त्र

इसके अतिरिक्त रुड़की के ड्राइंग तथा सर्वे के औजारों, कानपुर के चर्म निर्मित सामान तथा आगरा की दरियों में भी यह योजना लागू किये जाने के लिये आज्ञा दी जा चुकी है। इस संबंध में आवश्यक प्रबन्ध किया जा चुका है और बांछित कर्मचारियों की नियुक्ति होने के उपरान्त यह योजना इन उद्योगों में भी लागू कर दी जायगी ।

*८—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि वे कौन से उद्योग गृह उद्योगों के लिये स्वरक्षित रखेंगे और कौन से उद्योग मशीनों के उत्पादन के लिये खोले जायेंगे ? क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई जा रही है ?

श्री बनारसी दास--(अ) इस प्रकार का कोई विभाजन सरकार ने नहीं किया है।

(ब) जी नहीं

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस योजना में प्रत्येक वर्ष कितना रुपया व्यय किया जाता है ?

श्री बनारसी दास--यह तो बजट के अन्दर दिया गया है।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो उन्होंने तालिका दी है उसमें कुल कितना उत्पादन है और कितने पर यह योजना लागू की गई है, यानी क्वालिटी मार्किंग कितनी होती है और कुल उत्पादन कितना होता है ?

श्री बनारसी दास--उसके लिये तो सूचना जब माननीय सदस्य चाहेंगे बाद में दी जा सकती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिर्जापुर के कालीनों पर जो क्वालिटी मार्किंग की योजना लागू की गई है वह ठीक-ठीक अमल में नहीं आ रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, अभी कालीन के ऊपर मिर्जापुर के क्वालिटी मार्किंग की योजना पूरी तरह कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी है, क्योंकि बड़े-बड़े उत्पादक इसमें अभी सम्मिलित नहीं हुए हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है कि अच्छी तरह से लागू हो जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने जो बड़े उत्पादक थे उनको आमंत्रित किया था और उन्हें इस योजना में शामिल होने के लिये सलाह दी है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि किन-किन गृह-उद्योगों को प्राथमिकता दी जायगी। क्या ताले और चाकू का जो बिजनेस है उसको प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि क्वालिटी मार्किंग के विषय में बताया गया है कि ताले और कैंची के ऊपर भी क्वालिटी मार्किंग की स्कीम लागू कर दी गई है।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या मंत्री जी को यह विदित है कि यह योजना बहुत कम अंश में कार्यान्वित हो रही है और यदि हां, तो वह इस योजना को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी यह योजना प्रत्येक उद्योग में, प्रत्येक स्थान पर लागू नहीं की जा सकी है, लेकिन उत्तरोत्तर यह योजना प्रसारित की जा रही है और इसमें भी जो उत्पादक हैं वे अब सम्मिलित होते जा रहे हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि वह इस योजना को समस्त गृह-उद्योगों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार का प्रयत्न तो इसी ओर है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि क्वालिटी मार्किंग के बारे में मिर्जापुर जिले के और बनारस जिले के कालीन के जितने व्यवसायी हैं करीब-करीब ९९ फीसदी इसका विरोध कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--९९ फीसदी तो कालीन के उत्पादक इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन माननीय प्रश्नकर्ता अवश्य इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)-- क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस क्वालिटी मार्किंग स्कीम में एक ही किस्म की चीज में दो या तीन ग्रेड के दाम पर क्वालिटी मार्किंग की जाने की व्यवस्था की गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरा ख्याल है कि अभी जो चीज चालू है उसमें दो-तीन ग्रेड की चीजों के ऊपर क्वालिटी मार्किंग की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन वस्तुओं के ऊपर क्वालिटी मार्किंग योजना लागू है उनकी बिक्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिन-जिन चीजों के ऊपर क्वालिटी मार्किंग स्कीम लागू की गई है उनकी बिक्री बढ़ी है और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और जहां तक चीजों का विषय है वह तो अभी उत्तर में बता दी गई हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्वालिटी मार्किंग आप्शनल है या मैंडेटरी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी जो उत्पादक हैं उनके लिये यह चीज आप्शनल रखी गई है। कोई अभी जबरिया यह स्कीम चालू नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव-- क्या माननीय मंत्री जी क्वालिटी मार्किंग की जगह ग्रेडेशन स्कीम को चलाने पर विचार करेंगे?

श्री बनारसी दास--अभी तो क्वालिटी मार्किंग की योजना ही चल रही है और क्वालिटी मार्किंग के अन्दर एक प्रकार का ग्रेडेशन भी होता है।

मिर्जापुर जिले के देहात में चिकित्सालय खोलने का विचार

*९--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)-- क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के देहाती क्षेत्रों में इस वर्ष कितने आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सालय खुलने की योजना है?

श्री बनारसी दास--मिर्जापुर जिले के देहाती क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। परन्तु अभी संख्या निश्चित नहीं की गई है। सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की इस समय कोई योजना नहीं है।

श्री रामस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह संख्या कब तक निश्चित हो जायगी?

श्री बनारसी दास--इस वर्ष के बजट में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार उसका फैसला कहां-कहां पर और किस प्रकार के चिकित्सालय खोले जायंगे शीघ्र ही होने वाला है।

जौनपुर जिले में ताड़-गुड़ योजना

*१०---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में ताड़ से गुड़ बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने दिनों में वह लागू हो जायेगी?

श्री बनारसी दास---जौनपुर जिले में ताड़ व गुड़ योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विचाराधीन है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में ताड़ और खजूर के पेड़ों का सर्वे कराया गया है?

श्री बनारसी दास---यह सर्वे प्रान्त के सभी जगहों का कराया गया है और यह मालूम है कि प्रदेश में ताड़ के पेड़ संख्या में कितने हैं और कहां-कहां उनसे चीनी और गुड़ बनाने के लिए उद्योग को चलाया जा सकता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय जौनपुर जिले की बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए इस योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शरीक करने का विचार कर रहे हैं?

श्री बनारसी दास---प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो अन्तिम साल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहां-जहां इस बात की सम्भावना है कि यह उद्योग चल सके वहां इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा और जौनपुर का प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---ताड़ से गुड़ बनाने की योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में इस समय चालू है यह बताने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री बनारसी दास---उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बिजनौर, और मेरठ के जिलों में।

जौनपुर जिले में इत्र तथा सुगन्धित पदार्थों के व्यवसाय का विकास

*११---श्री रमेचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शहर के पास चमेली, बेला फूल की तरक्की कराके सरकार तेल के व्यवसाय तथा फूल पैदा करने वाले किसानों की सहायता करने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास---जौनपुर जिले में इत्र तथा सुगन्धित पदार्थ बनाने की योजना के विकास का प्रश्न दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार के विचाराधीन है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के अन्य जिलों में गुलाब, बेला तथा चमेली के तेल तथा इत्र के व्यवसाय को सहायता करने का सरकार विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास---जी हां।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर तहसील के बहुत से किसानों के यहां चमेली के फूल की खेती बाढ़ में नष्ट हो चुकी है, उनको फिर से बढ़ाने का सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास--- इस उद्योग को संगठित करने और इस प्रकार के फलदार दरख्तों की खेती के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं। उनके स्वीकार होने पर आशा है कि जौनपुर के अन्दर इसका लाभ होगा और इस प्रकार की खेती का विकास किया जायगा।

*१२---श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---[२४ अगस्त, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१४---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---[६ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मादक वस्तुओं की दुकानें तथा उनसे सरकारी आय

*१५---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अलग-अलग कुल कितनी गांजा, चरस, भांग और शराब की दुकानें हैं और उनसे सन् १९५३-५४ में सरकार को अलग-अलग कुल कितने रुपये की आमदनी हुई?

मादक कर-मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---इस प्रदेश में गांजे और भांग की १,१९६, देशी शराब की १,४६२ दूकानें हैं। चरस की कोई दूकान नहीं है। सन् १९५३-५४ में गांजे और भांग से ४०,८४,०२४, देशी शराब से ३,२३,३६,२७० रुपये की आमदनी हुई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार सन् १९५४-५५ के आंकड़े और दे सकती है?

श्री गिरधारी लाल---किस चीज के आंकड़े? आमदनी के या दूकानों के?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---दूकानों और आमदनी दोनों के।

श्री गिरधारी लाल---सन् १९५४ में देशी शराब की १,४४२ दूकानें थीं और गांजे और भांग की १,१९२ दूकानें थीं। अफीम की दूकानों की संख्या ६४१ थी। जहां तक आमदनी का ताल्लुक है, सन् १९५५ की आमदनी अभी सरकार के पास नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शराब से होने वाली आमदनी को कब तक समाप्त कर देने का सरकार का इरादा है, जो आमदनी कि गांजे और भांग से होती है उसको भी?

श्री अध्यक्ष---यह आय बड़ी नीति का सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग ७५ फीसदी गांजे की दूकानों पर नकली गांजा बिकता है और सरकारी नहीं बिकता, जिससे आमदनी गिरी है?

श्री गिरधारी लाल---ज्ञात है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किया अब तक?

श्री गिरधारी लाल---इस वर्ष इस बात का फैसला कर दिया गया है कि अगले वर्ष से गांजे को मुकम्मिल तौर पर प्रान्त में बन्द कर दिया जायगा और फिर जितना भी नाजायज़ गांजा होगा उस पर उचित रूप से देख-भाल कर के उसको बन्द किया जायगा।

विलीन चरखारी तहसील के ग्रामों में औषधालयों की आवश्यकता

*१६---श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि विलीन हुई चरखारी तहसील के ग्रामों में कोई औषधालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के ग्रामों में कोई औषधालय खोलने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास---इस तहसील के ग्रामों में निम्निलिखित स्थानों पर औषधालय हैं :---

खरेला	..	. आयुर्वेदिक सरकारी
रेवाई	..	.. ,, ,,
पनवारी	..	.. ,, जिला बोर्ड

सरकार इस वर्ष २० आयुर्वेदिक और ३१ एलोपैथिक चिकित्सालय खोल रही है। नये औषधालय व चिकित्सालय खोलते समय इस तहसील का भी ख्याल रक्खा जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---यह प्रश्न जो था वह चरखारी स्टेट जो विलीन हुआ है उसके बारे में था और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है खरेला के बारे में जो मौदहा तहसील में है। क्या कोई अस्पताल विलीन हुई चरखारी स्टेट के अन्दर खोलने का विचार है?

श्री बनारसी दास---चरखारी हेड क्वार्टर में एक तो एलोपैथिक अस्पताल है और इसके अलावा इस तहसील के अन्दर बम्हौरी कलां में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*१७---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद (नैनी) में शीशे के बर्तन बनाने के कारखाने

*१८---श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद (नैनी) में चीनी तथा शीशे के बर्तन बनाने के कितने कारखाने हैं?

श्री बनारसी दास---नैनी, जिला इलाहाबाद में शीशे के बर्तन बनाने के ६ कारखाने हैं। चीनी के बर्तन बनाने वाला कोई कारखाना नैनी में नहीं है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू---क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि इन कारखानों को चलाने के लिए सरकार की ओर से क्या सहायता दी जाती है?

श्री बनारसी दास---सरकार से तो इन उद्योगों के सम्बन्ध में अभी तक कोई सहायता कारखानेदारों की तरफ से मांगी नहीं गयी है।

नोट---तारांकित प्रश्न १६ श्री जोरावर वर्मा ने पूछा।

नैनी शुगर मिल का बन्द होना

*१९--श्री कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नैनी शुगर मिल बहुत वर्षों से बन्द है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--यह सही है कि नैनी शुगर मिल कई वर्षों से बन्द है। इसका कारण यह है कि मिल मालिकों के आपस के झगड़े बहुत समय से चल रहे हैं और अब तक उनका निपटारा सम्भव नहीं हो सका है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू--क्या सरकार नैनी शुगर मिल को सरकारी अधिकार में लेकर सरकार की ओर से चलाने पर विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मिल कब से बन्द है?

श्री बनारसीदास--यह सब से पहले सन् १९३३ में बन्द हुई थी, उसके बाद सन् १९४१ में एक साल के लिये चली, फिर उसके बाद एक साल चली और अब तो यह कई वर्षों से बन्द है और उसकी मशीन आदि भी बहुत ज्यादा खराब हो गयी हैं और इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा विवरण भी नहीं मालूम है।

*२०--श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू--[२९ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाजीपुर का जनाना अस्पताल

*२१--श्री भोला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने जनाना अस्पताल हैं? यदि नहीं हैं, तो क्या सरकार खोलने का विचार कर रही है?

श्री बनारसीदास--गाजीपुर जिले में एक जनाना अस्पताल है, जो गाजीपुर शहर में स्थित है।

श्री भोला सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें कितने मरीजों की दवा रोज की जाती है?

श्री बनारसीदास--इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो जिले से मंगाई जा सकती है।

राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना पर विचार

*२२--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार राज्य में राज्य स्पोर्ट्स कौंसिल की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी?

श्री फूल सिंह--जी हां। राज्य स्पोर्ट्स कौंसिल की स्थापना शीघ्र हो जावेगी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 'शीघ्र' से उनका क्या तात्पर्य है और वह कब तक इस्टैब्लिश हो जायगी?

श्री फूल सिंह--कौंसिल बन चुकी है, नियम भी बन चुके हैं। जब नोटीफाई हो जायंगे तो कौंसिल बनेगी।

पी० एम० एस० (प्रथम) में पी० एम० एस० (द्वितीय) के डाक्टरों के लिये सुरक्षण

*२३--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि P. M. S. (प्रथम) का चुनाव करते समय P. M. S. (द्वितीय) के डाक्टरों के लिये जो M. B. B. S. हैं, कुछ जगहें निर्धारित व सुरक्षित की जाती हैं या नहीं? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और यह प्रथा कितने वर्षों से लागू है?

श्री बनारसीदास--जी हां। ५० प्रतिशत। यह प्रथा सन् १९५१ से लागू है।

*२४--श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)--क्या सरकार P. M. S. (द्वितीय) के डाक्टरों का P. M. S. (प्रथम) में चुनाव करते समय केवल उनकी लम्बी नौकरी की ही ओर विशेष ध्यान देती है या साथ में उनकी विशेष योग्यताओं तथा अच्छी गोपनीय रिपोर्टें (Confidential report) की ओर भी ध्यान देती है?

श्री बनारसीदास--सरकार सभी बातों की ओर ध्यान देती है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव की विधि क्या है और किस प्रकार चुनाव होता है?

श्री बनारसीदास--सब से पहले संचालक एक सूची तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें से विभाग के डायरेक्टर, एडीशनल डायरेक्टर और विभाग के सचिव चुनाव करते हैं और बाद में वही सूची जिन का सेलेक्शन होता है स्वीकृति के लिए भेज दी जाती है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं वह किन के लिए हैं?

श्री बनारसीदास--यह तो उत्तर हो चुका है कि वे पी० एम० एस० (द्वितीय) के लोगों के लिए हैं।

*२५--श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--[१८ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६-२७--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--[५ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

तरौली, जिला मथुरा में चिकित्सालय खोलने पर विचार

*२८--श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री मथुरा जिले की छाता तहसील के तरौली गांव में चिकित्सा के अभाव को दूर करने के लिये जल्दी ही कोई चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। उपयुक्त भवन नहीं मिल रहा है। उसके मिलने पर शीघ्र खोला जा सकता है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल का प्रश्न

*२९--श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि मिर्जापुर स्थित चुर्क की सीमेंट फैक्टरी में १५ मार्च से २९ मार्च, १९५५ के अन्दर कोई हड़ताल हुई थी? अगर हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--जी नहीं, इस जमाने में कोई हड़ताल नहीं हुई।

नोट--तारांकित प्रश्न २३-२४ श्री तेज प्रताप सिंह ने पूछे।

गन्ने की अधिकता से नयी चीनी मिलों की आवश्यकता

*३०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि राज्य की कौन सी चीनी मिल गन्ना न मिलने के कारण बन्द हो चुकी और जो मिलें चल रही हैं वह अपने क्षेत्र का गन्ना कब तक समाप्त कर के बन्द हो जायेंगी ?

श्री बनारसीदास—ऐसी कोई मिल नहीं है जो कि गन्ना न मिलने के कारण समय से पहले बन्द हुई हो। अब तो सब मिलें बन्द हो चुकी हैं, पर सभी अपने-अपने क्षेत्र का सारा गन्ना पेरने के बाद ही समय-समय पर बन्द हुई हैं। एक सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक मिल के बन्द होने की तारीख दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६० पर)

*३१—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि इस वर्ष १९५१-५२ के सीजन की तरह कुछ पूरब तथा अधिकांश पश्चिम की चीनी मिलों के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक गन्ना खड़ा है जिसके समाप्त करने में पूरा मई का महीना भी लग जाने की संभावना है ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि पश्चिम की कुछ मिलों के क्षेत्रों में गत सीजन १९५४-५५ में गन्ना आवश्यकता से अधिक था और संलग्न सूची से ज्ञात होगा कि ये मिलें जून के महीने में भी काफी दिन तक चलकर बन्द हुई हैं। पूरब की मिलें तो मई के पहले सप्ताह तक सब बन्द हो चुकी थीं।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मिलें पश्चिम में पहली मई के बाद चली हैं उनको गन्ने के दाम कुछ कम देने के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है ?

श्री बनारसीदास—इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश जारी किये हैं कि पहली मई के बाद में जो कीमत दी जायगी वह रिकवरी की बेसिस पर होगी।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार कितना गन्ना कम कीमत पर मिल वालों ने खरीदा है ?

श्री बनारसीदास—अभी इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि गन्ना की बढ़ोत्तरी को देखते हुये वह इस प्रांत में और मिलें खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, प्रदेशीय सरकार ने कुछ निर्णय किये हैं और वे यह हैं कि अभी प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां गन्ना अधिक पैदा होता है कुछ और मिलें प्राइवेट सेक्टर में भी लगायी जायं और कोआपरेटिव ढंग से भी लगायी जायं।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार बिजनौर जिले में गन्ने की बढ़ोत्तरी को देखते हुये चांदपुर में कोई मिल खोलने के लिये विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी चांदपुर में मिल खोलने का सवाल तो सरकार के सामने उपस्थित नहीं हुआ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में औरिहार के पास कोई मिल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री **चन्द्रभानु गुप्त**——अभी प्रदेशीय सरकार ने एक स्पेशल आफिसर की नियुक्ति की है और उसके द्वारा इन तमाम बातों का व्योरा इकट्ठा करने का काम आरम्भ किया गया है। वह स्पेशल आफिसर सारे उन क्षेत्रों की जांच कर आया है जहां गन्ना अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और जहां मिलें लगाई जा सकती हैं। जब ये सब आंकड़े इकट्ठे हो जायेंगे तब सरकार यह निर्णय करेगी कि कहां-कहां प्राइवेट सेक्टर की तहत में और कहां कोआपरेटिव सोसाइटी की तहत में वह मिलें लगाने की व्यवस्था पर विचार करे।

श्री **बेचनराम गुप्त**——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले में औरैया स्थान पर गन्ने की मिल के बनाने की कोई योजना है ?

श्री **चन्द्रभानु गुप्त**——मैंने जो उत्तर दिया है वह सिर्फ बनारस और औरैया के लिये ही नहीं बल्कि प्रदेश में जहां-जहां गन्ने की उत्पत्ति अधिक है उन सब स्थानों पर सरकार योजना बनायेगी और मिल की स्थापना के संबंध में विचार करेगी।

श्री **हरिसिंह** (जिला मेरठ)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ौद में कोई चीनी मिल लगाई जा रही है, यहां, हां तो किस के द्वारा ?

श्री **चन्द्रभानु गुप्त**——बड़ौद में तो एक उद्योगपति जो दो मिलें रामपुर में चला रहे हैं, वह अपनी मिल ले जाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री **रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के खोले जाने की जांच कब से की जा रही है और कब समाप्त होगी ?

श्री **चन्द्रभानु गुप्त**——यों तो चीनी मिलों के खोलने का प्रश्न केंद्रीय सरकार से संबंधित है और वही लाइसेंस इत्यादि देती है और सारे प्रश्नों पर वही विचार करती है। परन्तु प्रदेशीय सरकार ने इन पिछले महीनों में जहां-जहां गन्ने की उत्पत्ति अधिक रही है और पेरने के सिलसिले में सरकार को दिक्कत रही है उनके ऊपर सरकार विचार करके शीघ्र ही दो कोआपरेटिव मिल्स किच्छा और तराई एरिया में लगाने का निर्णय किया है।

कपड़े की कमी को हैण्डलूम द्वारा पूरी करने का विचार

*३२——श्री **रामसुन्दर पांडेय**——क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रदेश के किन-किन जिलों में निकट भविष्य में सूती मिलें खोलने की सिफारिश करने जा रहे हैं ?

श्री **बनारसी दास**——फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री **रामसुन्दर पांडेय**——क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूती मिलों से कपड़े की उत्पत्ति होती है उससे क्या प्रदेश की जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है ?

श्री **बनारसीदास**——जी नहीं, कमी रहती है।

श्री **रामसुन्दर पांडेय**——ऐसी अवस्था में क्या सरकार इस संबंध में किसी योजना पर विचार करेगी ?

श्री **बनारसीदास**——नये कारखाने और कायम करना नहीं चाहते हैं बल्कि हैंडलूम के द्वारा कपड़े की उत्पत्ति को बढ़ाना चाहते हैं जिससे प्रदेश की जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी।

जिला बलिया के रतनपुर विकास क्षेत्र में चर्मकार्य का प्रसार

*३३--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि रतनपुर विकास क्षेत्र जिला बलिया में मृत पशुओं का चर्म निपुणरूपेण निकालने के हेतु एक प्रवीण कर्मचारी रखा गया है ?

श्री फूलसिंह--इस सामुदायिक विकास में ३ मास्टर फलेयर और ३ कामदार रख गये हैं।

*३४--श्री गंगाप्रसादसिंह--यदि हां, तो १९५४ में कितने मृत पशुओं के चर्म को निकाला गया है और कितने चर्मकारों को इसके संबंध में शिक्षा दी गई है और कहां-कहां ?

श्री फूलसिंह--१९५४ में १०२ मृत पशुओं के चर्म परिशिक्षिक के संबंध में प्रदर्शन हेतु निकाले गये थे। इस सिलसिले में कुल ९८ व्यक्तियों को उन्हीं के ग्रामों में शिक्षा दी गई ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो चमड़ा मास्टर फले-अर्स रतनपुरा विकास क्षेत्र के शिक्षार्थियों द्वारा निकाला जाता है उसने पकवाने तथा टैनिंग का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री फूलसिंह--फलेअर्स की स्कीम टैनिंग से अलग है। गांवों में जिस तरह से चमड़ा पकाया जाता है वही होता है।

श्री हरिसिंह--चमड़ा निकालने की शिक्षा देने वाले व्यक्ति कौन थे और उन्होंने कहां काम सीखा था ?

श्री फूलसिंह--यह तो ब्योरा मेरे पास नहीं है, लेकिन यह कह सकता हूं कि वह चमड़े का काम जानते थे और बख्शी के तालाब पर उन्होंने ट्रेनिंग पाई होगी ।

*३५-३७--श्री बिशनारायण (जिला बस्ती)--[२६ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५९-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर जिले में हाथ नलों के लिये नियोजन विभाग द्वारा प्रदत्त धन

*३८--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में पानी पीने वाले हाथ के पम्प लगाने के हेतु प्लानिंग विभाग द्वारा कितना रुपया दिया गया ?

श्री फूलसिंह--नियोजन विभाग द्वारा मार्च ३१, १९५५ तक १३,४१३ रुपया ८ आना दिया गया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नलकूप लगाये गये हैं वह किस साइज के हैं और किस रेट से खरीदे गये हैं ?

श्री फूलसिंह--यह काम जिला प्लानिंग कमेटी की मारफत होता है जिसके माननीय सदस्य मेम्बर हैं ?

*३९--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मद से किस-किस गांव में पम्प लगे ?

श्री फूलसिंह--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१--६४ पर)

*४०--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त धनराशि कब दी गई और उसमें से फरवरी, १९५५ तक कितना व्यय हुआ ?

श्री फूलसिंह--व्यय करने का आदेश जुलाई १९५४ में दिया गया और फरवरी तक २,३०३ रुपया व्यय हुआ।

आजमगढ़ जिले में तत्स्थानीय सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति

*४१--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि आजमगढ़ जिले में कितने सब-रजिस्ट्रार उसी जिले के निवासी होते हुये भी काम कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--इस समय आजमगढ़ जिले में कोई भी ऐसा सब-रजिस्ट्रार काम नहीं कर रहा है जो कि उसी जिले का निवासी भी हो।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि जब यह सवाल पूछा गया उस समय कोई आदमी आजमगढ़ जिले का उस पर काम कर रहा था ?

श्री गिरधारीलाल--इससे पहले वहां एक आदमी सब-रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रहा था।

*४२--श्री विश्राम राय--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि रजिस्ट्रेशन विभाग में सब-रजिस्ट्रार के मातहत उससे संबंधित व्यक्ति आजमगढ़ जिले में कार्य कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

आजमगढ़ जिले में बाहर के चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क की नियुक्ति

*४३--श्री विश्राम राय--क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में कोई बाहर से चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। आजमगढ़ जिले के स्थायी चीफ रजिस्ट्रेशन लिपिक को अर्धसामयिक (part-time) सब-रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किये जाने के कारण एक योग्य और अनुभवी रजिस्ट्रेशन लिपिक को बाहर से स्थानान्तरित करके चीफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर अल्प समय के लिये नियुक्त किया गया है, क्योंकि इस प्रबन्ध के लिये कोई उचित लिपिक आजमगढ़ जिले में प्राप्त नहीं था।

कसिया, जिला देवरिया में कम्बल बुनाई का औद्योगिक शिक्षालय तथा शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति

*४४--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर (कसिया) देवरिया में कम्बल से संबंधित कताई-बुनाई का कार्य चल रहा है जिसमें शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो कितने शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--कसिया, जिला देवरिया में कम्बल बुनाई का औद्योगिक शिक्षालय चल रहा है और इस समय १६ शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

यहां पर कम्बल से संबंधित कताई का कोई कार्य नहीं चल रहा है।

*४५--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार कम्बल शिक्षा शिविर के शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति देती हैं, यदि हां, तो कितनी ?

श्री बनारसीदास--जी हां। १६ शिक्षार्थियों में से ५ को १५ रु० मासिक के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जा रही है।

श्री रामसुभग वर्मा—श्रीमन्, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि इसमें यह पूछा गया था कि कताई-बुनाई का काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि दूसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि कम्बल से संबंधित कताई का काम नहीं चल रहा है और इसके दूसरे पैराग्राफ ४५ के जवाब में यह बताया गया है कि ५ शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जाती है। तो इन दोनों सवालों में मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सा सही है ?

श्री बनारसीदास—मुझे तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं लगता है। उत्तर में साफ लिखा है कि बुनाई का उद्योग चल रहा है और उसके नीचे पैरा में लिखा है कि कताई का कार्य नहीं हो रहा है। ४५ के उत्तर में बताया गया है कि १६ शिक्षार्थियों में से ५ को १५ रुपया मासिक छात्रवृत्ति मिल रही है। इसमें विरोध का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—कौन सा काम करने वालों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री बनारसीदास—बुनने वालों को।

श्री रामसुन्दर पांडेय—१६ छात्रों में से केवल ५ को ही छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का बजट में कोई प्राविजन नहीं है कि सभी को मिले। यह रखा गया है कि कम से कम ५ को और अधिक से अधिक ५० प्रतिशत को और खासतौर से कारीगर लोगों के लड़कों को जिनका पुश्तैनी काम होता है उनको छात्रवृत्ति दी जाय। सबको देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या ५ में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिली है ?

श्री बनारसीदास—ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि किसी को ५ में से न मिली हो।

प्रान्त में मलेरिया इन्स्पेक्टरों के स्थायी तथा अस्थायी पद

*४६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कितने मलेरिया इन्सपेक्टर हैं ? उनमें से कितने पोस्ट स्थायी हैं और कितनी अस्थायी ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—इस प्रांत में इस समय ७५ मलेरिया इन्सपेक्टर के स्थान हैं। इनमें से एक स्थान स्थायी और ७४ स्थान अस्थायी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अस्थायी इंस्पेक्टरों को कब तक स्थायी करने का सरकार का विचार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मलेरिया निरोधक योजना ही अस्थायी है, इसलिये इंस्पेक्टर भी अस्थायी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—फिर जो स्थायी हैं उनको स्थायी क्यों बनाया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१९५२ से पहले हमारे प्रदेश में जो मलेरिया निरोधक यूनिट था वह एक ललितपुर में और दूसरा नगीना में था। उनके इंस्पेक्टरों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने छांटा था लेकिन उनमें से ४ ऐसे थे जो कालोनाइजेशन स्कीम में काम करते थे। कालोनाइजेशन ने उनको इस विभाग को नहीं दिया इसलिये एक ही इंस्पेक्टर की जगह स्थायी हैडक्वार्टर में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मलेरिया योजना को स्थायी करने का सरकार का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं।

*४७-४८--श्री राजनारायण (जिला बनारस)--[९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

भदौरा, जिला आज़मगढ़ में अस्पताल की आवश्यकता

*४९--श्री व्रजबिहारी मिश्र--क्या सरकार के पास आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम भदौरा में एक अस्पताल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री बनारसीदास--जी हां ।

*५०--श्री व्रजबिहारी मिश्र--क्या सरकार का विचार उक्त स्थान पर अस्पताल खोलने का है ?

श्री बनारसीदास--जिला परामर्शदात्री समिति की स्वीकृत आ जाने पर इस प्रश्न पर विचार होगा ।

श्री व्रजबिहारी मिश्र --क्या सरकार को मालूम है कि भदौरा के आस-पास ७-८ मील तक कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, माननीय सदस्य का सुझाव आया है कि वहां एक अस्पताल कायम किया जाय ।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या जिले की परामर्शदात्री समिति ने भदौरा में अस्पताल खोलने की सिफारिश की है ?

श्री बनारसीदास--अभी तक कोई सिफारिश सरकार के पास नहीं आई है ।

पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा के गोदाम में विदेशों से मंगाया हुआ अन्न

*५१--श्री तेजप्रतापसिंह--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से मंगाये गये अन्न की कितनी मात्रा अपने प्रदेश के किन-किन गोदामों में अब भी पड़ी हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--३१ जुलाई, १९५५ ई० को विदेशों से मंगाया गया अन्न केवल पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा के गोदाम में था, जिसकी मात्रा ५,९४८ मन थी ।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिथौरागढ़ में जो अन्न है वह किस काम के योग्य है और किस काम में लाया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिलाधीश अल्मोड़ा ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था कि बरसात के दिनों में जिला अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ का जो हिस्सा है उसमें अन्न की कमी हो जाती है । इसलिये उसकी आवश्यकता है । जिलाधीश का यह प्रस्ताव इस्केअरसिटी विभाग के विचाराधीन है । उन्होंने प्रस्ताव यह भेजा था कि सितम्बर तक के लिये वह गल्ला रोका जाय ।

श्री तेजप्रतापसिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि वह गल्ला किस काम के योग्य है ? वह खराब तो नहीं हो गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह जो गल्ला वहां रक्खा गया है वह वहां के लोगों को देने के लिये रक्खा गया है । वह खाने के योग्य है ?

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब वहां गल्ला बेकार पड़ा हुआ है तो उसको बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजा दिया जाता ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—पहाड़ों से पूर्वी जिलों में भेजने में हजारों रुपया खर्च हो जायगा और वह बहुत महंगा हो जायगा इसलिये वहां से गल्ला भेजने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से जो अन्न हमारे देश में आया है उसमें से कितना खराब हो गया और उससे कितनी हानि हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक हानि का प्रश्न है, हानि काफी हुई है । इस समय उसके आंकड़े तो नहीं बताये जा सकते, लेकिन यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो अवश्य बता दिये जायेंगे ।

जिला अस्पताल, फैजाबाद की सलाहकार समिति की बैठकें

*५२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फैजाबाद की सलाहकार समिति की १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितनी बैठकें हुईं ?

श्री बनारसीदास—सन् १९५२-५३ में दो तथा १९५३-५४ में एक बैठक हुई । १९५४-५५ में कोई बैठक नहीं हुई ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी संबंधित अधिकारियों से यह दरियाफ्त करने की कृपा करेंगे इस सलाहकार समिति की इतनी कम बैठकें क्यों हुईं ?

श्री बनारसीदास—सिविल सर्जन की रिपोर्ट तो यह थी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी । लेकिन उनको यह आदेश भेज दिये गये हैं कि कम से कम ३ महीने में एक बैठक अवश्य होनी चाहिये ।

जगदीशपुर शुगर मिल, कठकुइयां द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान

*५३—श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि जगदीशपुर शुगर मिल कठकुइयां की चीनी जिलाधीश देवरिया के जप्त करने के कारण मजदूरों की मजदूरी तथा किसानों की गन्ने की कीमत समय से नहीं मिल रही है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं ।

सबसीडाइज्ड डिस्पेन्सरी के मेडिकल अफसरों की वेतन-वृद्धि का प्रश्न

*५४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सबसीडाइज्ड डिस्पेन्सरी के मेडिकल अफसरों का वेतन बढ़ाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से है ?

श्री बनारसीदास—लगभग तीन वर्षों से ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये एक सेलेक्शन किया गया है । निर्णय शीघ्र हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी मेडिकल आफीसरों और इन मेडिकल आफीसरों के वेतनक्रम में क्यों इतना अन्तर है ?

श्री बनारसीदास—इस सम्बन्ध में विभाग की तरफ से यह प्रश्न रक्खा गया था, लेकिन स्वशासन विभाग के इस प्रस्ताव के अनुसार जिला बोर्डों ने इस भार को वहन करने

में असमर्थता प्रकट की। लेकिन पहाड़ों के लिये डाक्टर नहीं मिलते हैं इसलिये फिर इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। उनकी तनख्वाहों में अलबत्ता अन्तर है। उसमें वृद्धि किये जाने के लिये विचार किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सबसीडाइज्ड डिस्पेंसरीज सरकार के अधिकार में हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के ?

श्री बनारसीदास--जिला बोर्ड्स के अधिकार में हैं। सरकार उनको कंट्रीब्यूशन देती है।

सामूदायिक विकास योजना द्वारा अस्पतालों को सहायता

*५५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास योजना द्वारा जिन अस्पतालों को सहायता मिलती रही है, क्या इस योजना के समाप्त हो जाने पर भी वह सहायता मिलती रहेगी ?

श्री बनारसीदास--जी हां।

जागीर जगम्मनपुर से प्राप्त इमारतों की मरम्मत

*५६--**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)--क्या यह सही है कि जो तीन पक्की इमारतें जागीर जगम्मनपुर, जिला जालौन से राज्य सरकार को मिलीं उनकी मरम्मत आज तक नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री बनारसीदास--तीन इमारतों में से केवल चिकित्सालय की इमारत इस विभाग के पास है। इसकी मरम्मत शीघ्र हो जायगी। शेष दो भवन जिला बोर्ड के प्रबन्ध में हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनकी मरम्मत क्यों नहीं की गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास--डाक्टर की तरफ से कोई मांग नहीं की गई कि मरम्मत के लिये रुपया चाहिये।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकारी अस्पतालों की जो इमारतें हैं उनकी मरम्मत किसकी सिफारिश से की जाती है ?

श्री बनारसीदास--इसके लिये वैसे मौजूदा बजट के अन्दर प्राविजन किया गया है, जहां-जहां आवश्यकता होती है और वहां से माँग की जाती है तो उसी के अनुसार रुपया स्वीकार किया जाता है और आवश्यकतानुसार मरम्मत करायी जाती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जैसा अभी बतलाया गया कि जगम्मनपुर रियासत की नम्बर ३ की इमारत ऐसी है जिसकी मरम्मत की जरूरत है, तो क्या सरकार दो और इमारतों को लेने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--इसका कोई प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि तीन इमारतें सरकार के पास हैं जिनमें से केवल एक स्वास्थ्य विभाग के पास है। दो इमारतें वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास हैं। एक के अन्दर जूनियर हाई स्कूल चल रहा है और एक के अन्दर प्राइमरी स्कूल चल रहा है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो इमारतें ली गई हैं उनके लिये सरकार को दाम देना पड़ा है अथवा वे मुफ्त में मिली हैं ?

श्री बनारसीदास--नहीं ! वे दानस्वरूप दी गयी हैं।

अतारांकित प्रश्न

सेल्फ हल्प योजना के अन्तर्गत हमीरपुर की सड़कों के निर्माण में सरकारी सहायता

१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेल्फ हेल्प योजना' (Self-help Scheme) के अनुसार जिला हमीरपुर की किन-किन सड़कों को सरकार बनाने में मदद दे रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में पूरी सूचना जिला नियोजन अधिकारी हमीरपुर से अभी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५ पर)

बाढ़ तथा कानपुर की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति व गोआकाण्ड के सम्बन्ध में विवादार्थ कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री राजनारायण तथा श्री उमाशंकर जी का है बाढ़ के सम्बन्ध में, उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के लिए । यह विषय ऐसा है जो कि कार्य सूची में दिया हुआ है। जो प्रश्न आज विचार के लिये सामने आने वाला है यह उसको एन्टीसिपेट करता है। इसलिये मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं देता क्योंकि यह एन्टीसिपेट करता है।

दूसरा कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री राजवंशी राय का है, यह कानपुर के मजदूरों के सम्बन्ध में जो हड़ताल हुई और उससे जो परिणाम उत्पन्न हुये उस परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह कामरोको प्रस्ताव आया है। हड़ताल समाप्त हो चुकी है और अभी उसके परिणामों पर कोई छानबीन या फैसला नहीं हुआ है, जब तक कि कोई फैसला इस विषय पर न हो कि किस तरह से क्या हो तब तक मैं समझता हूं कि कोई अरजेन्सी इस प्रकार विवाद की नहीं है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता।

तीसरा श्री झारखंडे राय का कामरोको प्रस्ताव है। वह गोआ में जो सत्याग्रह चल रहा है और उसमें जो अत्याचार शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों के प्रति हो रहा है उस सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। वैसे इस सत्याग्रह का इस सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है और न उसकी जिम्मेदारी है, इसलिये कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं बन सकता और मुझे यह भी सूचना मिली है माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से कि यह गम्भीर विषय होने के कारण और यहां की जनता में अधिक उत्तेजना होने के कारण वे कुछ बयान और स्पष्टीकरण भी देंगे। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ और जिनकी वहां मृत्यु हुई है उनके सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव लाने का उनका विचार है, इसलिए ऐसी अवस्था में मैं इस विषय को भी विवाद के लिए उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं।

इसी सम्बन्ध में श्री राजनारायण जी का भी प्रस्ताव है, उसके लिए भी वही निर्णय लागू है, यही मेरा निश्चय है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मेरा प्रस्ताव था, एडजर्नमेंट मोशन नहीं था।

श्री अध्यक्ष--वह प्रस्ताव जो है, उसका अलग नियम असरकारी प्रस्ताव के सम्बन्ध में बना हुआ है।

श्री राजनारायण--अगर वह मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव से मेल खाये तो वह मेरा प्रस्ताव कृपा करके देख लें।

श्री चन्द्रभानुशरण सिंह तथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी के निधन पर शोकोद्गार

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस पिछले सत्र की समाप्ति के बाद दो ऐसी घटनायें हुई हैं जिनके कारण कि मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों को दुख होगा। हमारे प्रदेश के २ ऐसे कर्मठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिनका कि इस सदन से ही काफी सम्बन्ध था।

एक तो श्री चन्द्रभानुशरणसिंह। वे गोंडा से इस सदन के सदस्य थे। अपने विद्यार्थी जीवन काल से ही वे सार्वजनिक प्रश्नों में दिलचस्पी लेते थे। और सन् १९३५ से तो खासतौर से वे सक्रिय कामों में लगे। दो-दो बार वे जेल भी जा चुके थे और सन् १९४२ के आन्दोलन के सिलसिले में तो उनको चार वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। जब सन् १९४६ में कांग्रेस गवर्नमेंट स्थापित हुई तब वे जेल से छोड़े गये। इस जेल की अवधि में ही उनके एकलौते जवान बेटे की मृत्यु हो गई। फिर भी जेल से आने के बाद वे सार्वजनिक सेवा से विरत नहीं हुये। जेल में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ा उनकी आंतों में क्षय का आघात हुआ। वे काफी दिनों तक बीमार रहे और यहीं लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में ३ अप्रैल को उनका देहान्त हो गया। इस समय उनकी आयु ४८ वर्ष की थी।

दूसरे कार्यकर्त्ता श्री सत्य प्रेमी जी थे। यों तो रहने वाले शाहजहांपुर के थे परन्तु सार्वजनिक कामों के सिलसिले में वे कई जिलों में काम कर चुके हैं और इधर कई वर्षों से उन्होंने बाराबंकी जिले को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। कई बार जेल जा चुके हैं। पिछली मरतबा इस सदन के सदस्य थे और अब आजकल विधान परिषद् के सदस्य रहे। उनकी उम्र ५२ वर्ष की थी और जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई उससे हमारा शोक कुछ और बढ़ जाता है। उनकी लड़की का विवाह था। घर पर बारात आयी हुई थी। बारात की कुछ रस्में समाप्त हो चुकीं थी और कुछ बाकी थीं कि एकाएक उनके हृदय की धड़कन बन्द हो गयी और उनका देहान्त हो गया।

बहरहाल इन दोनों सज्जनों के देहान्त से न केवल उनके जिलों को बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम इतना ही कर सकते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनको सद्गति प्रदान करे और आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि हम लोगों का जो शोक है वह उनके दुखित परिवारों तक आप कृपा करके पहुंचा दें।

(श्री राजनारायण तथा श्री गेंदासिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—यह शोक का प्रस्ताव है जो नेता सदन ने सदन के सामने रखा है। मैं इसके पेश्तर कि और लोगों को मौका दूं यह सूचना दे देना चाहता हूं कि मेरे पास अभी आध घंटा पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक पत्र आया है जिसमें कि १८ सदस्यों के दस्तखत हैं जिसमें लिखा है कि उन्होंने अपने नये नेता को चुन लिया है। और पुराने नेता नहीं रहे। उसके विरोध में श्री राजनारायण जी ने पहले ही मेरे पास एक पत्र भेजा था कि यह अवैधानिक कार्यवाही हुई। मैंने यह उचित नहीं समझा कि जिस वक्त हम लोग शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं उसी वक्त मैं कोई एकदम से फैसला दूं। इसलिये शोक प्रस्ताव जो उपस्थित हैं उन पर मैं श्री राजनारायण जी को भाषण करने का मौका दूंगा और श्री गेंदासिंह जी को भी जिनके लिये कहा जाता है कि वे प्रजा सोशलिस्ट दल के नये नेता चुने गये हैं, मौका दूंगा और इसके बाद बीच में जब रेसिस होगा उस वक्त में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला इस विषय पर दूंगा। इसलिये मैं प्रथा के अनुसार अब इन दोनों व्यक्तियों को नेता की हैसियत से नहीं बल्कि सदन के प्रतिष्ठित सदस्यों के नाते बोलने का मौका दे दूंगा।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, श्री चन्द्रभानुशरण सिंह और श्री सत्यप्रेमी जिनका कार्य क्षेत्र गोंडा और बाराबंकी रहा है उनके निधन से जो अपार क्षति हुई है उससे हम सब लोगों को हार्दिक दुख है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन दो प्रमुख व्यक्तियों के निधन से केवल उनके काम करने के जिलों को ही नहीं, केवल प्रांत को ही नहीं बल्कि सारे देश को क्षति हुई है और हम भी अपनी भावनाओं को उनकी भावनाओं में मिलाते हुये अपने और अपने साथियों की समवेदना और सहानुभूति उनके कुटुम्ब और परिवार के साथ भेजना चाहते हैं और हम अपनी और अपने साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रभानुशरण सिंह और सत्यप्रेमी जी इन दोनों व्यक्तियों की याद करके बहुत कष्ट होता है और जिस वक्त हम यह समझते हैं कि वे हमारे बीच में नहीं हैं तो हमको उनकी कमी बहुत खटकती है। जो लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लेकर देश को आजाद कराने में अपनी कुरबानी करने निकले और जिन्होंने शक्ति और व्यक्तित्व प्राप्त किया कुछ ऐसे स्कूल और मदरसे में तालीम मिल चुकी है कि जो स्कूल व मदरसे इस समय भारतवर्ष में नहीं हैं। ऐसे लोगों के निधन पर स्वभाविक तौर पर जिस तरह से कष्ट हो सकता है एक समाजसेवी को उसी तरह से हमको या हमारे दल के लोगों को उससे हार्दिक दुख होता है। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि उनके परिवार को हमारी और हमारे दल की तरफ से आप समवेदना सूचित कर दें।

*श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो शोक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं भी उसके साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं अपने दल की ओर से। वास्तव में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने कम समय में हमारे दो साथी, दो कार्यकर्त्ता इस देश से उठ गये। श्री चन्द्रभानु शरण सिंह जी और श्री सत्यप्रेमी जी के संबंध में अभी माननीय नेता सदन ने और प्रजा समाजवादी दल की ओर से जो कुछ कहा गया है उसी का समर्थन करते हुये मुझे भी कहना है कि वैसे तो साधारण वियोग ही बहुत खटकता है लेकिन जब अपना कोई साथी और देश का एक ऐसा सेवक संसार से उठ जाता है तो बड़ी चिन्ता होती है कि पुराने कार्यकर्त्ता जो थे उनके एवज में वैसे कार्यकर्त्ता उनके स्थान पर मिल सकेंगे या नहीं। सत्यप्रेमी जी जैसा कि उनका नाम सत्यप्रेमी था समाज सुधार पर उनकी एक पुस्तक थी उसको मैंने पढ़ा था और उसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे और ऐसे विचारशील लोगों का अभाव बड़ा दुखद है। इसलिये मैं इन दोनों महानुभावों के संबंध में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसके विषय में कुछ बोलना चाहता हूं।

चन्द्रभानुशरण जी का और मेरा परिचय १९३६ से था, जब कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसके नेता सरकार भगतसिंह और आजाद थे, उसके पुनःसंगठन में हम लोग लगे हुये थे। उसके वे एक प्रमुख कार्यकर्त्ता और नेता की शक्ल में काम कर रहे थे। उनके इकलौते पुत्र को, जिस का जिक्र अभी मुख्य मंत्री जी ने किया, उसको बचपन में हम लोग प्यार से 'मजबूत' कहा करते थे। उनकी एकमात्र वही संतान थी। इतना होते हुये भी वे आजादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहने के लिये सचेष्ट रहे। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भी जब देवली कैम्प से लौट कर हम लोग आये थे, तब भी मुझे उनके साथ डेढ़ साल तक रहने का मौका मिला था। जेल के संकटों से कभी भी वह पीछे नहीं रहे। जेलखाने में बन्द रहने के कारण, खासकर लम्बे अर्से तक जहां तक मेरा खयाल है पांच वर्ष तक वे जेल के अन्दर बन्द रहे थे, तनहाई की हालत में कोठरी में बन्द रहने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था और उसके नतीजे से थोड़ी ही उम्र में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह मरे अन्यथा उनका स्वास्थ्य उस समय, मुझे याद है, बहुत रोबस्ट तरीके का था और हम सब लोगों में वे स्वस्थ और तगड़े माने जाते थे। लेकिन लम्बे जेलखाने की अवधि ने उनके स्वास्थ्य को चौपट कर दिया।

चन्द्रभानुशरण जी हमारे व्यक्तिगत मित्र थे और उनकी मृत्यु से आजादी के एक पुराने सिपाही के नाते ही हमें दुख नहीं है बल्कि एक व्यतिगत साथी और मित्र के नाते भी मुझे उन के निधन से दुख है।

जहांतक सत्यप्रेमी जी का सम्बध है, मेरा उनका व्यक्तिगत परिचय नहीं था। लेकिन मेरे परमप्रिय साथी रामानन्द जी जो कि १९४२ के आन्दोलन में काफी अरसे तक फरारी का जीवन व्यतीत कर के रह चुके हैं उन के जरिये से मुझे उन के गुणों और वीरता के विषय में खासकर १९४२ के आन्दोलन के सम्बन्ध में काफी जानकारी प्राप्त हुई।

इन दोनों पुराने नेताओं के निधन से हमारे प्रान्त की हानि हुई है और हम इतना ही कह सकते हैं कि जिन उद्देशों को लेकर वे जीवन भर काम करते रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिये हम सब लोग सचेष्ट रहें। यही उनकी सच्ची यादगार होगी। यही उनके प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति फिर एक बार अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करता हुआ बैठता हूं।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा--

"बिन अवसर जो अथौ दिनेसू,
कहु जग केहि नहि होय कलेसू।"

इस प्रकार के व्यक्ति जो कि देश के कल्याण में हाथ बटाते रहे हों, यदि उनकी असामयिक मृत्यु हो जाय तो शोक होना स्वाभाविक ही है।

हमारे शोक प्रस्ताव में दो महानुभाओं के निधन का उल्लेख है। माननीय चन्द्रभानु शरण सिंह जी और माननीय पंडित हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी एम०, एल०, सी०। ये दोनों महानुभाव देश के महान व्यक्तियों में से थे। पं० हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी को मैं बीस वर्ष से जानता हूं और मुझे २० साल से बराबर उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनका जन्म शाहजहांनपुर में सम्वत् ६२, बैसाख शुक्लाष्टमी को हुआ था। १९२१ से वे राजनीति में आये और १९२९ से लेकर १९३८ तक वह बाराबंकी जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री और निर्वाचित सदस्य रहे। उनकी जो सेवायें हैं वे बाराबंकी के निवासी कभी भी नहीं भूल सकते। साथ ही साथ उनकी यह विषेशता थी कि जैसा उनका नाम था सत्यप्रेमी जी वैसे ही वे सत्य-निष्ठ थे। सत्यनिष्ठ होने के नाते से बाराबंकी जिले के निवासियों के वह एक प्रकार से प्राण थे। उनकी मृत्यु ऐसे समय पर हुई जब कि उनकी लड़की की शादी का शिष्टाचार हो गया था। हम लोग शिष्टाचार से जब लौटे तत्काल यह सूचना मिली कि पंडितजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। मैंने फौरन डाक्टर को बुलाया, इंजक्शन दिया गया लेकिन वह १५ मिनट के बाद ही इस संसार से चले गये। उनका परिवार है, धर्मपत्नी है, एक लड़का है २०-२५ वर्ष का, २ लड़कियां हैं और तीन पोतियां हैं, एक पोता है, मैं अधिक न कहकर आप से निवेदन करूंगा कि मेरी ओर से और सदन के सदस्यों की ओर से उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट की जाय और भगवान से प्रार्थना की जाय कि उन्हें वह सद्गति दे कि जो किसी वीर को ऐसे काम करने के बाद मिलती है और उनके परिवार को सांत्वना प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष—श्री चन्द्रभानुशरण सिंह तथा श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी के स्वर्गवास पर जो नेता सदन ने शोक प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया और जो भावनायें सब सदस्यों की ओर से व्यक्त की गई हैं, उन से मैं भी अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री चन्द्रभानुशरण सिंह जी से मेरा थोड़ा सा परिचय रहा है लेकिन मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानता रहा हूं। उनका संबंध पहले क्रांतिकारी दल से और तत्पश्चात कांग्रेस से रहा है और उसमें उन्होंने जो बलिदान, त्याग और देशप्रेम का आदर्श हमारे सामने रखा है उसको सदैव मैं सराहता रहा हूं। वह एक बहुत ही त्यागी कार्यकर्त्ता रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन के अन्त तक अपने को देश कार्य में ही अर्पित कर दिया। जेलखाने में ही वह ऐसी भयंकर बीमारी से आहत हुये कि जिससे अन्त में उनका अन्त हुआ। हम सबको उनकी असामयिक मृत्यु पर दुख है और होना स्वाभाविक ही है।

श्री हरिप्रसाद सत्यप्रेमी जी से मेरा विशेष परिचय रहा है और बाराबंकी कई दफा आने जाने पर मैं देखता था कि उनके प्रति कितनी श्रद्धा वहां के कार्यकर्त्ताओं की थी। वहां अगर किसी व्यक्ति के शब्द का वजन था, अगर किसी की बात सच्ची मानी जाती थी तो वह सत्यप्रेमी जी ही थे। जब वाकयात पर मतभेद हो तो सब लोग कहा करते थे कि उनसे पूछ लेना चाहिये वह कहें तो बात सही है। इतनी सत्यप्रियता उनमें रही कि कभी भी किसी भी विषय पर उन्होंने असत्य भाषण नहीं दिया। कोई विषय अगर उनके सामने आता तो वह निष्पक्षता से उसका निर्णय किया करते थे। ऐसे देशभक्त जो चरित्रवान भी हों और जिन्होंने अपना जीवन देश के लिये अर्पित किया हो उनके लिये इस सदन के हर सदस्य को जो दुख हुआ है वह स्वाभाविक ही है और मैं जो शोक और इस सदन में जो विचार प्रकट किये गये हैं उन्हें उनके कुटुम्बियों के पास इस सदन की ओर से और स्वयं अपनी ओर से समवेदना के साथ भेज दूंगा।

अब उनकी आत्मा के प्रति शांति-प्रार्थना करने के लिये २ मिनट के लिये कृपा करके आप सब खड़े हो जायं।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

गोआ हत्याकांड के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के उस हिस्से में जो इस वक्त दुर्भाग्य से पुर्तगाल के अधीन है कुछ दिनों से जो बातें हो रही हैं उनसे हम सब परिचित हैं, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध केन्द्र और केन्द्रीय सरकार से है। इसलिये यह तो शायद उचित न होगा कि हम उस राजनीतिक प्रश्न पर यहां विस्तार से वाद-विवाद करें।

दूसरी बात यह है कि हम सबों के हृदय में दुख है और क्रोध भी है और मैं नहीं चाहता कि हममें से किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाय जिसकी बाबत यह कहा जा सके कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय बातों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा। फिर भी इतना तो निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि गोआ, डामन और डिउ भारत के अंग हैं और अविभाज्य अंग हैं।

(करतलध्वनि)

वहां के निवासी भारतीय हैं और भारत में मिलना चाहते हैं और किसी भी वर्ग का किसी भी दल का कोई भी भारतीय नहीं है जो कि इस बात को बर्दाश्त कर सके कि भारत का कोई छोटे से छोटा टुकड़ा भी किसी भी विदेशी सरकार के अधीन रहे।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज से कुछ दिन पहले उन जगहों का प्रश्न था जो फ्रांस के शासन में थीं। फ्रांस ने बुद्धिमानी से काम लिया और फ्रांस और भारत के बीच का मसला शान्ति के साथ तय हो गया लेकिन पुर्तगाल उस प्रकार की बुद्धिमानी दिखलाने को तैयार नहीं है। पुर्तगाल की ताकत और अपनी ताकत को हम भी जानते हैं। यदि इस मसले को तलवार से तय करना होता तो हम यह भी जानते हैं कि आज पुर्तगाल का शासन उन जगहों में नहीं दीखपड़ता। लेकिन इस देश ने उस रास्ते को स्वीकार नहीं किया। हमको बहरहाल इस बात का विश्वास है कि भारत सरकार उन सब उचित उपायों से काम लेगी जिनसे कि यह मसला शीघ्र ही तय हो जाय। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो भी कदम इस दिशा में भारत सरकार उठायेगी उसमें इस प्रदेश के लोगों का पूरा-पूरा साथ होगा और यदि उसके लिये किसी प्रकार के त्याग की, किसी प्रकार के बलिदान की आवश्यकता होगी तो यहां के लोग पूरे तौर से उसके लिये तैयार होंगे।

राजनीतिक प्रश्नों पर बहस न करते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है। १५ अगस्त को इन क्षेत्रों में जो कांड हुए उनसे हम सब क्षुब्ध हैं।

जब मैं कहता हूं 'हम सब' तो मेरा तात्पर्य केवल उन लोगों से नहीं है जो कि इस सदन के भीतर हैं बल्कि इस प्रदेश की उस सवा छः करोड़ जनता से है जिसकी आवाज हम लोगों के द्वारा सुन पड़ती है। हमारे सत्याग्रहियों ने गोआ और दूसरे स्थानों में डामन और ड्यू में प्रवेश करने का यत्न किया। वह निःशस्त्र थे। उनके सामने पुर्तगाली फौज और पुर्तगाली पुलिस खड़ी थी। गोली चली, मशीनगनों से काम लिया गया। कितने आदमी मरे, ठीक ठीक नहीं मालूम, २६, ३०, ३१ इतनी संख्या तक आयी है, सम्भव है संख्या कुछ और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाय। जो लोग मरे हैं उनमें कम से कम एक व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी थे। जो नाम आये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है। कुछ लोग गोलियों के शिकार हुए लेकिन अभी हमको इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि गोली बन्दूक के अलावा और जो लाठी से प्रहार हुए, पुलिस के बैटन, छोटे छोटे डंडों से प्रहार हुए, उससे कितने लोगों के हाथ पांव टूटे, इसका कोई अन्दाज नहीं, मालूम नहीं कब इन सब बातों का पता लगे। यह सब बर्बर आचरण इन निहत्थे सत्याग्रहियों के ऊपर हुआ। इसकी जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी है। हम इतना ही इस समय कह सकते हैं कि इन शहीदों के पवित्र खून में वह अभिमानी साम्राज्यशाही खुद ही डूब जायगी जिसने इनके साथ ऐसा बेहूदा बर्ताव किया। इन लोगों के लिए, इन वीर पुरुषों के लिए हमारे हृदय में आदर है। इन्होंने जो काम किया है वह ऐसा है जिसका समर्थन हम सब लोगों के हृदय करते हैं।

अब इस समय तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि परमात्मा से प्रार्थना करें कि इन लोगों को वह वीरगति प्रदान करे जो कि वीरों को प्राप्त होती रहती है। साथ ही इसके मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे अपने शोक को प्रगट करने का मौका दें जिस तरीके पर कि इस सदन में प्रायः लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है और उसके साथ मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि उन लोगों की स्मृति में आध घंटे के लिए सदन का काम भी स्थगित कर दिया जाय।

***श्री राजनारायण** (जिला बनारस)--श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री ने गोआ के सम्बन्ध में जिन भावों को व्यक्त किया, हमारे भी वही भाव हैं। सदन के सम्मानित सदस्य और आप इसे अच्छी प्रकार जानते होंगे कि जब हमने हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत के खत्म करने का फैसला किया था और जब १९४२ में महात्मा गान्धी के नेतृत्व में क्विट इंडिया रिजोल्युशन पास हुआ था तो उस समय भारत के जो अविच्छिन्न अंग हैं, वहां के रहने वाली जनता के दिल में भी प्रसन्नता की लहरें उठी थीं और उनके दिल में भी वह भाव आये थे कि हिन्दुस्तान आजाद होगा, अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा होगा, तो ये जो छोटी-छोटी विदेशी हुकूमतें हैं उनका भी खात्मा होगा, और हम भी भारत के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

साथ पूर्ण आजादी की अनुभूति करेंगे। श्रीमन, आपको यह भी मालूम होगा कि १८ जुलाई सन् १९४६ को डा० राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोआ के निवासियों ने एक जनक्रान्ति का सूत्रपात किया था और जिसमें डा० राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस समय पूज्य बापू के जो उद्गार थे वह आज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गए हैं। उसी समय डा० राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी हुई थी गोआ के जनआन्दोलन का नेतृत्व करते समय गोआ को भारत में मिलाने के लिए। गोआ भारत का एक अविच्छिन्न अंग है, गोआ पर पुर्तगीज का शासन नहीं रह सकता, इन भावों को लेकर जब वहां आन्दोलन चला था और डा० लोहिया की गिरफ्तारी हुई थी तो महात्मा गान्धी ने बड़े बुलन्द शब्दों में यह कहा था कि डा०राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी जो गोआ में हुई है वह केवल डा०राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी नहीं है बल्कि भारत की प्रत्येक स्वतंत्र आत्मा की गिरफ्तारी है। यहां तक महात्मा गांधी ने कहा था श्रीमन्, कि डा० राममनोहर लोहिया कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी सारे भारतवर्ष को चुनौती है और अगर पं० नेहरू की सरकार कुछ नहीं करती तो मैं अकेला भी कदम उठाने के लिये तैयार हूं। श्रीमन्, गोआ में १८ जून एक नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी वहां उस दिन जनक्रांति का आह्वान हुआ, जन-क्रांति प्रस्फुटित हुई और तीव्र गति से चले, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में रहने वाली जनता की गोआ को स्वतंत्र करके भारत के अविच्छिन्न अंग के रूप में देखने वाले लोगों के साथ सहानुभूति हुई और भारत से भी बहुत से सत्याग्रही जाने के लिये तैयार हुये। श्रीमन्, मुझे आपको यह भी बताने में हर्ष हो रहा है जबकि हमारे एक साथी एन० जी० गोरे गोआ जाने के लिये तैयार हुये तो उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था कि हम गोआ में जा रहे हैं, जो कुछ उसका परिणाम होगा वह देखा जायगा। हम समझते हैं कि हमारे जाने के बाद भारत की स्वतंत्र आत्मा किसी भी मानी में पीछे नहीं रहेगी और वह अपने को अग्रसर करने के लिये प्रयत्नशील रहेगी। ठीक है, जिस तरह से उन पर मार पड़ी, जिस तरीके से उनको घसीटा गया, यह सारी घटना हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों को मालूम है।

मैं उस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि गोआ, डामन और ड्यू में जिस तरह से पुर्तगीज लोग वहां पर निरंकुश होकर सारी मान्यताओं को तिलांजलि देकर निर्दयता और बर्बरता के साथ निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली वर्षा कर रहे हैं, लाठी वर्षा कर रहे हैं और अन्य दूसरे हथियारों की वर्षा कर रहे हैं, तो मौखिक रूप में सहानुभूति शब्दों में नहीं रखनी चाहिये। मैं श्रीमन्, आपके सामने निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि गोआ का प्रश्न अब एक मानवता का प्रश्न बन गया है। राजनीतिक दायरे में जो उसका घेरा होता है, उसी में नहीं रह गया है। जब हम देखते हैं कि निहत्थे सत्याग्रहियों पर जो कि एक आदर्श को लेकर सत्याग्रह करते हैं। उसमें कोई षड़यंत्र नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो उन पर अगर कोई भी शासन निर्दयता के साथ गोली वर्षा करता है, चाहे वह शासन दुनिया के किसी हिस्से में हो, उसका विरोध करना हमारा कर्त्तव्य है। हमने पूज्य बापू के चरणों में राजनीति सीखी है कि चाहे कहीं की और दुनिया के किसी कोने की हुकूमत हो और यदि वह बर्बरता के साथ निहत्थे लोगों पर गोली चलाती है तो उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करनी चाहिये। मगर हमें इस बात का अवश्य दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े दबे भावों और शब्दों में राजनीतिक विषय की चर्चा न करने की बात कही है, हम उनकी कठिनाइयों और दिक्कतों को जानते हैं, मगर उनको जानते हुये हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं और कहना चाहते हैं कि क्या स्वतंत्र भारत की आत्मा जिसने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर लंडन में फेंका है, वह जब अपने भाइयों पर गोली वर्षा देखती है तो क्या स्वतंत्र भारत की आत्मा नहीं चिंघाड़ती और उनके साथ आगे आने के लिये तैयार नहीं रहती? जब हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुये थे तो हम बौद्धिक रूप से परतंत्र नहीं थे। लेकिन जब हम राजनीतिक तौर से स्वतंत्र हुये तो बौद्धिक रूप में परतंत्र होते चले जा रहे हैं? और श्रीमन्, बौद्धिक परतंत्रता, मैं दावे से कहना चाहता हूं कि किसी

भी राजनीतिक परतंत्रता से कई लाख गुनी ज्यादा मजबूत होती है। अगर बौद्धिक दृष्टिकोण से भारत की आत्मा गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है तो वह अपनी स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है। मैं चाहता हूं कि उत्तर भारत का यह सदन देश से और देश की सरकार से बुलन्द शब्दों में कहे कि वह तेजी के साथ सक्रिय कदम उठाये और जो विदेशी शासक है उसकी हिम्मत न बढ़ाये कि आज के बाद एक भी गोली वर्षा करके हमारे बहादुर साथियों को मृत्यु के घाट उतारे। यह सत्य है कि वे वीर गति को, अमर गति को प्राप्त हो रहे हैं और उनके आदर्शों और कदमों पर चलकर हमारे देश के कितने ही नौजवान श्रद्धा के पात्र प्रस्तुत होंगे और हमने देखा भी है, न मालूम कितने शहीदों की चिताओं पर बराबर मेले लगते रहते हैं, लगा करेंगे। यह बात तो सत्य है, वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, हम उनको अपनी श्रद्धाञ्जलि भेजते हैं और जितने सत्याग्रही भाग ले रहे हैं और जो भाग लेने वाले हैं, उनके प्रति प्रतिष्ठा और आदर प्रकट करते हैं और इस गम्भीर प्रश्न पर हमारे सदन के सम्मानित सदस्य अच्छे तरीके से विचार करें और हम तो यह चाहेंगे और मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से यहां पर कोई ऐसा प्रस्ताव आता जो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से एक स्वतंत्र और ऐसी कमेटी का निर्माण कराता और जनता की ओर से एक ऐसी आवाज़ बुलन्द कराता और उत्तर भारत की सरकार जो ६१ करोड़ का बजट लेकर चल रही है वह भी कहती कि गोआ में जो भी जन क्रान्ति हो रही है, जो भी सत्याग्रही उस पवित्र लक्ष्य को लेकर वहां गये उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिये सक्रिय रूप में हम ये ये काम करेंगे, ये ये कदम उठायेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस सदन के सम्मानित सदस्य जब यहां से निकलें तो इस पर विचार करें और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आध घंटे की कोई परिपाटी की बात कही है मगर ऐसे प्रश्नों पर गम्भीरता के साथ विचार करने के लिये अगर दिन भर तक के लिये हाउस स्थगित कर दिया गया होता तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती, आध घंटे की क्या बात है। ज़रा उनसे पूछा जाय जिनके घरों में समाचार पत्र आते हैं कि तुम्हारा फलां सत्याग्रही गया था उसका निधन हो गया है। आज देश के कोने-कोने से पूछा जाय कि देश के कोने-कोने की जनता क्या कहती है। जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि क्या हमारा वैदेशिक सम्बन्ध है, क्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है जो आज हमारे मजबूत हाथों को पकड़ना चाहती है। आज देश की जनता इन बातों को नहीं समझ पा रही है .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रस्ताव पर ही सीमित रहें।

श्री राजनारायण--जी बिल्कुल। जनता तो आज देख रही है, गोत्रा की भी जनता अपने देश की भी जनता की ६ वर्ष भारत को स्वतंत्र हुये हो गये तो क्यों गोत्रा परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ है, क्यों आज पुर्तगाली सरकार हमारे निहत्थे सत्याग्रहियों पर बर्बरतापूर्वक गोली चला रही है और क्यों नहीं केंद्र की सरकार, क्यों नहीं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार क्योंकि अब यह केवल केन्द्र की सरकार का विषय नहीं माना जा सकता जब कि उत्तर प्रदेश के सत्याग्रही उसमें भाग ले रहे हैं, इस विषय में कोई सक्रिय कदम उठा रही है? मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यह एक मानवता का सवाल है, बनारस के, मिर्जापुर के, इटावा के लोग उसमें भाग ले रहे हैं और हमारे सत्याग्रहियों के ऊपर बर्बरता के साथ गोलियों की वर्षा हो रही है तो इस सवाल को क्या हम मानें कि बड़ी भारी राजनैतिक पेचीदगी है, आखिर यह सवाल बनारस का भी है, इलाहाबाद का भी है, हर जन का यह सवाल है, जब मानवता का स्रोत सूख रहा हो, जब जिन्दगी का चिराग बुझ रहा हो उस समय हमारे सामने राजनीतिक पेचीदगी, विदेशी समस्या आदि आदि बातें कहकर वस्तुस्थिति पर पर्दा नहीं डालना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह हमारी कमजोरी है, हमारी नपुंसकता है कि हम केवल शब्दों में प्रस्ताव पास करते हैं और सक्रिय रूप में वहां जाने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से गोत्रा में विदेशी और बर्बर हुकूमत को खत्म करने के लिये जो भी क़दम उठाया जायगा उसका हम स्वागत करेंगे और जितनी ही जल्दी इस समस्या को हल करने की कोशिश की जायगी उतनी ही जल्दी वह सुलझेगी और जितनी ही देर

[श्री राजनारायण]

इसके सुलझाने में की जायगी उतनी ही वहां की परिस्थिति गम्भीर होती जायगी, हमारे न मालूम कितने नौनिहाल, न मालूम कितने हीरे, हमसे छिन जायंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश का एक भी हीरा, हमारे देश का एक भी लाल आज न लुटे और जब हमारे देश का हीरा लुटता है, हमारे देश का लाल लुटता है, एक एक करके ३०-३०, ४०-४०, ५०-५० लाल लुटते हैं तो इसके लिये हम कलंकित हैं। भारत की सरकार कलंकित है, उत्तर प्रदेश की सरकार कलंकित है। इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं आप से फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार बिलकुल निष्क्रिय तरीके से काम कर रही है और जो उचित कदम उसे उठाना चाहिये उसे नहीं उठा रही है। यह आज का सवाल नहीं है, यह सन् १९४६ का चला हुआ सवाल है। १९४६ में जब बापू ने जनता की आवाज बुलन्द की थी तो उसको हम क्यों नहीं पकड़ते, उसकी कद्र क्यों नहीं करते और उसको मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट क्यों नहीं करते। अगर हम इसको मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट करेंगे तो मैं यह कहना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यदि वह ऐसे समय में अन्तर्राष्ट्रीय पोथी खोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी ने जो भाव व्यक्त किये हैं वह कुछ और थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह साहस के साथ आगे बढ़ें और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये और किसी पवित्र लक्ष्य को हासिल करने के लिये यदि उनको मुख्य मंत्री का पद छोड़ना पड़े तो वह उसको छोड़ कर आगे बढ़ें। श्रीमन्, किसी भी परिस्थिति में..........

श्री अध्यक्ष--कृपया शोक प्रस्ताव की सीमा के अन्दर ही रहिये।

श्री राजनारायण--इसलिये मैंने जो प्रस्ताव लिखित रखा था उसमें हमारी यह भावना सक्रिय रूप में थी। उन्होंने जिन भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया है वह अधूरी रह जाती है। हम चाहते हैं कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी सत्याग्रह को लीड करें और हम लोग उनके साथ हैं मगर अब मौखिक सहानुभूति न दिखाकर सक्रिय रूप से गोआ, डामन ड्यू से विदेशी शासन को खत्म करने के लिये हमें अग्रसर होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो वीर, बहादुर, त्यागी तथा बलिदानी आज सत्याग्रह के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, उनके लिये अपनी सहानुभूति, सराहना और आदर प्रकट करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शोक प्रस्ताव जिस समय उपस्थित होता है तो इस बात की अपेक्षा की जाती है कि विशेष प्रकार का गम्भीर वातावरण रखा जाय। यदि उसके ऊपर विचार करने में [राजनी]तिक प्रश्न लाया जाय और किसी तरीके पर भारतीय सरकार की नीति पर आक्षेप [क]ा मौका और जवाब दिया जाय तो सारी गम्भीरता नष्ट हो जायगी। मैं चाहता [हूं कि] इस बात का ध्यान रखा जाय कि हमारे सामने देश के उन बहादुरों के सम्बन्ध में [शोक प्र]कट करने का प्रस्ताव है इसलिये इसको राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाय।

*__श्री गेंदासिंह__ (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य जो कुछ भी उन्होंने गोआ के सम्बन्ध में दिया, मैं उससे बिलकुल सहमत हूं और यह बड़े विषाद और विस्मय की बात है कि भारतवर्ष जो सारे संसार में शांति-दूत होने का दावा कर सकता है और उसे इस तरह की ख्याति प्राप्त हो रही है, उसकी भूमि पर इस तरह की जंगली हरकत हो, यह जंगली हरकत जिन लोगों के जरिये हो रही है, मैं समझता हूं कि भारतीय सरकार की शक्ति के मुकाबले में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। वह कुछ इस तरह की बात सोचते हैं कि भारतीय सरकार से ऐसी कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीज़ करायें जो सारे संसार में भारतीय सरकार को या हिन्दुस्तान को बदनाम करने का उनको मौका मिल सके।

मैं समझता हूं कि भारतीय सरकार इस पर गम्भीरता से सोचेगी। हम भी गम्भीरता-पूर्वक सोचते हैं। यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और हम इसको उतनी ही गम्भीरता देना चाहते हैं। हम गोआ में अपने उन शहीदों के प्रति जो कल या आज भी शहीद हो रहे हैं, उनकी स्मृति से, उनकी याद से हम घबराते हैं। हम समझते हैं कि आज जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के जाकर के अपनी जान की बाज़ी लगाते हैं और उनके भीतर कैसी आग है। तो इन बातों को समझते हुये और पुर्तगाल की सरकार की सारी हरकतों को देखते हुये हमारे मन में भी कभी कभी बड़ा क्रोध आता है। हम सभी सोचते हैं कि वहां की सरकार की तरफ से इस तरह की बेजा हरकतें हों और उन हरकतों को इस कदर हम बरदाश्त करते रहें यह बहुत बुरी बात है। लेकिन क्रोध और आवेश के साथ हमको फिर विवेक से भी काम लेना पड़ता है। हमारी पुरानी परम्परा और आज की भी घोषित नीति हमको बाध्य करती है कि हम ऐसे ही तरीके अख्तियार करें कि जो हमारी पुरानी परम्परा है और जो हमारी घोषित नीति है उससे हम विचलित न हो जायं।

इस अवसर पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश का भारत-वर्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पुर्तगाल की सरकार की जंगली हरकतों को देखकर हमको कुछ परेशानी होती है। आखिर उन जंगली हरकतों का क्या इलाज हो इस बात पर हमें जरूर सोचना चाहिये। हमारे निहत्थे भाई, जिनके ऊपर हाथ भी नहीं लगाना चाहिये और जिनको मन से भी गाली नहीं देना चाहिये उनके ऊपर गोली चलती है और मशीनगन चलती है। हमारे देश में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके प्रति एक आदर की भावना सब के मन में रहती है। कम से कम उनके प्रति हाथ न उठाने की परम्परा हमारे भारतवर्ष में रही है। सुभद्रा सागर जैसी वीर महिला के ऊपर जब कि वह केवल झंडा लेकर उस टेरेटरी में चल रही थीं उस महिला के ऊपर भी उनको गोली और मशीन गन चलाने से लज्जा नहीं आयी, बल्कि वह इस बात से शरमाते भी नहीं हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में हमें बड़ी परेशानी होती है कि आखिर उनकी इन जंगली हरकतों का इलाज क्या करें। हमको यह जरूर याद पड़ता है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था। जिस समय पोलैण्ड की लड़ाई चल रही थी तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम इस समस्या को अहिंसा का कदम उठाकर भी हल कर सकते हैं। लेकिन सन् १९४२ में आस्ट्रेलिया के कुछ सिपाहियों ने बम्बई में महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना शुरू किया था तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मेयर को चाहिये कि वह इसका इलाज करने में हिंसा न समझे। उनको कोई हाथ से पकड़ ले या उनको अपने काबू में कर ले तो इसमें क्या क्या बात आ सकती है। उस को तब महात्मा गांधी जी ने हिंसा बतलाया था। इस अवसर पर मैं कुछ ज्यादा न कह कर जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया पेचीदगी नहीं बढ़ाना चाहता हूं किन्तु इस विशेष प्रश्न पर इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि आखिर इन जंगली हरकतों का, इस प्रकार की बर्बरता का क्या उपाय करें। मैं इस समय कुछ भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं और न इस समय मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात है कि जिसके ऊपर मैं यहां पर कोई राय दूं और जिस पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी साथियों की तरफ से उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं। न मालूम कितने आदमी किस जगह भेजे जाते हैं या उनकी लाश भेजी जाती है यह नहीं कहा जा सकता है। अखबारों में कुछ थोड़ी संख्या देखने में आती है उन सभी के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है और हम जरूर आप से यह भी आग्रह करेंगे कि उन सभी लोगों के परिवार के प्रति, हालांकि हम भी अपने को उनके परिवार का ही मानते हैं, हमारी समवेदना है, और उनके परिवार के लोगों तक हमारी समवेदना पहुंचाई जाय। उन लोगों ने जिस वीरता का परिचय दिया है वह सराह-नीय है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है। वह किसी एक दल का कार्य नहीं

[श्री गेंदासिंह]

है। भारतवर्ष के सब लोगों ने एक स्वर से उसमें साथ दिया है। हम इतना ही कहेंगे कि गोआ को पुर्तगाल के हाथ में कुछ दिनों के बाद देखा नहीं जा सकता। हमारा विश्वास है कि गोआ अधिक दिनों तक उनके हाथ में नहीं रह सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपने वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से, अध्यक्ष महोदय, आग्रह करता हूं कि आप हमारी तरफ से उनके परिवार को सूचित करें।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत ही शोक का विषय है कि आज हम भारतवासियों को गाजर और मूली की भांति कतरा जा रहा है। इस अवसर पर अपने अधिकारियों की रक्षा के लिये जो वीर लोग गोआ में गये हैं और वीरगति को प्राप्त हुये हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि तो बारम्बार सबकी ओर से अर्पित होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। हम सभी दुखित हैं यह कोई साधारण बात नहीं है कि एक छोटा सा राष्ट्र जिसके शासन को छीनने के लिये नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को मांगने के लिये यह कहने के लिये कि वहां के निवासियों को शासन का अधिकार दिया जाय, हमारे वीर लोगों को वे इस प्रकार भूनें। हमारे देश के लोगों को चने की भांति वे लोग पुर्तगाल वाले भून रहे हैं। पुर्तगाल वाले ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो इस छोटे से पुर्तगाल का नाश करके रहेगी। इस समय हम सबको बहुत संयम से काम लेना है लेकिन मैं तो इस बात के लिये चिन्तित हूं कि धीरे धीरे सारे भारत वर्ष में जो इस बारे में आग लग रही है उसका परिणाम क्या होगा। चीन में आप को मालूम होगा कि एक पादरी की हत्या के बारे में कितनी भयानक परिस्थिति वहां उत्पन्न हो गई थी। सन् १९१९ की बात है कि इंगलैन्ड विश्व महायुद्ध से थका हुआ था लेकिन जिस समय अफ़गानिस्तान में एक अंग्रेज महिला को अपमानित किया गया उस समय तमाम इंगलैन्ड अफगानिस्तान से बदला लेने के लिये तैयार हो गया था। इसी प्रकार गोआ वाले हमारी बहनों, बेटियों और माताओं के साथ यदि अत्याचार करेंगे तो उस "पिद्दी न पिद्दी के शोरबे" राष्ट्र के लिये यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसका उदाहरण संसार में कदाचित् ही दूसरा मिलेगा कि जितना अन्याय गोआ वाले हमारे निहत्थे भाई लोगों के साथ कर रहे हैं। निःशस्त्र सत्याग्रहियों पर एकदम से गोली चलाई गई। जिस प्रकार से शिकार करने वाले पशु-पक्षियों का शिकार करते हैं उसी तरह गोआ में मानव-जाति पर प्रहार हो रहा है। इस शोक के समय में मैं तो यही कहूंगा कि हमको बारम्बार यह सोचते हुये कि हमारे निहत्थे भाइयों ने देश के लिये जो उत्तम उदाहरण पेश किया है और इस प्रकार से उन्होंने गोआ निवासियों का साथ दिया है, वे भी हमारे भाई हैं। यह तो देश के नेता भी मानते हैं कि गोआ भी भारत का एक अंग ही है, वह भारत से अलग नहीं है। प्राचीन समय में अंग्रेजों और फ्रान्सीसी आदि ने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करके अपना अधिकार जमाया था लेकिन अब समय आ गया है कि वह सब स्वतंत्र हों और गोआ को भी हमारे अधिकार में ही दिया जाय, जालेकिन जब इस अधिकार की मांग की जाती है तो गोलियां चलायी जाती हैं डण्डे चलाये जाते हैं। इस अत्याचार के लिये जितनी भी निन्दा की जाय वह कम ही है। ऐसे समय में मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यह बड़े भारी शोक का अवसर है और इससे हमारे देश की तमाम जनता क्षुब्ध है और दुखित है, ऐसे समय में उन्होंने जो प्रस्ताव रक्खा है कि यह सदन आधे घंटे के लिये स्थगित किया जाय, इतना ही नहीं मैं तो चाहता हूं कि हमें तो इतना हार्दिक दुख है कि उसके लिये सारे दिन के लिये सदन को स्थगित किया जाय। यह अत्याचार इतना जघन्य है कि उसके प्रतिकार के लिये हृदय में बड़ा आवेश है, फिर भी मैं चाहता हूं कि संयम से काम लिया जाय और हमारे नेताओं का जो आदेश हो उसका पालन करने के लिये तैयार रहें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता

हूं कि जो लोग वीरगति को प्राप्त हुये हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले और जिस कार्य के लिये उन्होंने अपना बलिदान किया है वह सफल हो।

श्री अध्यक्ष—गोश्रा के सत्याग्रह के सम्बन्ध में और वहां के सत्याग्रहियों के बलिदान के सम्बन्ध में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखे हैं, उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। यह प्रश्न राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, मानवता की दृष्टि से भी परखा जा सकता है और जो व्यवहार आजकल के युग में साधारण मनुष्य करते हैं, उस कसौटी पर भी कसा जा सकता है। किसी भी दृष्टि से हम देखें तो निहत्थे व्यक्तियों पर आजकल के युग में गोली चला देना और इस तरह के अत्याचार करना, मनुष्यता के विपरीत और बर्बरता ही कहा जायेगा। यह राक्षसी प्रवृत्ति का ही प्रदर्शन है।

जहां तक पुर्तगालियों का संबंध है, मैं उनके पिछले इतिहास की तरफ अवश्य इशारा कर देना चाहता हूं क्योंकि मेरा भी दिल भरा हुआ है, क्रोध भी है, दुःख भी बहुत है, लेकिन अनुशासित हूं। मैं केवल इशारा करने के लिये ही इतिहास बता रहा हूं। गोश्रा, यह प्रथम उन स्थानों में से है जो विदेशियों के हाथ लगे और पुर्तगाल प्रथम योरोपियन शक्तियों में से है जो इस देश में आई, लेकिन उसके पैर इस देश में अधिक जमने न पाये और उसका कारण अत्याचार ही है। उस जमाने से ही इन लोगों की यह वृत्ति रही है। लोगों पर अत्याचार करके, धर्म परिवर्तन कराना, धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना, कुएं में गोमांस डाल कर कह देना कि लोगों ने उसे खा पी लिया है इसलिये वे क्रिश्चियन हो गये। इस प्रकार धर्म प्रचार उन्होंने किया था। यद्यपि ईसामसीह का नाम अहिंसा के उस पुजारी का नाम, उस अवतारी पुरुष का नाम वे लेते थे लेकिन कृत्य यही रहे। यही कारण था कि उनके पास केवल गोश्रा, डामन और ड्यू तीन ही स्थान बाकी रहे और इस देश में उनको कोई चौथा स्थान नहीं प्राप्त हो सका। तो इस इतिहास को देखते हुये हम उनसे विशेष आशा नहीं कर सकते। फ्रांस ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र जो है उसमें जनतांत्रिक शासन पद्धति का कुछ अंश होने के कारण वह मान गया, अंग्रेज भी इस देश को छोड़ कर चले गये, लेकिन जहां अभी सामन्तशाही है और जहां किसी स्थान को एक प्राइवेट प्रापर्टी की तरह से देखा जाता है वह वहां की जनता को भी, वहां क्या आशा हो सकती है। यह तो हमें मालूम है जैसा उनका प्रण है कि वे उसको अपनी जायदाद समझते हैं जो उन्हें बख्शीश में मिली है या दान में मिली है उससे वे अन्त तक चिपटे रहेंगे। तो हमारा भी यही प्रण है कि शान्तिमय ढंग से जैसे हमने स्वराज्य लिया उसी तरह से इसको भी आजाद कर लेंगे और शांति का संदेश जो हमारे देश का बाना है उसे हम दुनियां को देंगे। हमारे नेता दुनियां भर में उसका प्रचार कर रहे हैं, शांति से विश्वशांति के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं, शान्तिमय तरीके से काम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे अवसर पर हमको बहुत अनुशासित रहने की आवश्यकता है। क्रोध है, आवेश है, बहुत दुःख है तो क्या हम अपने ही नेता के ऊपर आक्षेप करें? इस दौरान में उस नेता ने हमारे देश को ऊंचा उठाया है, शान्ति के सबक को दुनिया को देकर तथा दूसरे प्रकार से और उससे हमने लाभ उठाया है। अब अगर उतावलेपन में आकर हम उसको कह दें कि तुम अपने सिद्धांत को छोड़ दो, तो यह हमारे लिये कहां तक उचित होगा। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहता हूं, मैं तो उस मानवता की दृष्टि से कहता हूं कि शांति का वातावरण दुनिया में हमने जो फैलाया है उसे कायम रखना हमारा कर्त्तव्य है और उसके ऊपर ही अटल रह कर हमें काम करना है। इस दृष्टि से दुनिया हमें देखती है और उसी कसौटी पर हम कसे जा रहे हैं। आज तो बहुत से लोग शांति की बात को सामने रखते हैं और वे शांतिमय सत्याग्रह को कमजोरों का चीज समझते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारे हाथ में हथियार नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी तो हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवा इसके कि सत्याग्रह करते, अब शस्त्र हैं तो उसका उपयोग करें। लेकिन गांधी जी सन्देश दिया करते थे और कहते थे कि मजबूत और शक्तिशाली के लिये

[श्री अध्यक्ष]

ही सत्याग्रह और अहिंसा श्रेष्ठ है कमजोरों के लिये अहिंसा नहीं है। वे सच्चे अहिंसक की कसौटी यह समझते थे कि जो शक्ति के होते हुये भी हिंसा न करें। इस कसौटी पर हम परमात्मा के सामने कम से कम जरूर परीक्षा के लिये खड़े हैं, हमें सिद्ध करना है कि हम सच्चे अहिंसक हैं, कोई बनावटी नहीं हैं। यह बात भी हमारे नेता के हृदय में आती है और बार बार उन्होंने इस ओर इशारा भी किया है कि यदि शस्त्र का उपयोग करेंगे तो दुनिया हमारे लिये यह बात कहेगी कि हमने अहिंसा को छोड़ दिया है। मैं लाचारी वश अहिंसा को अपनाने की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि अपनी शक्ति में हमको पूरा विश्वास है और इसी कारण शक्ति होने पर भी अहिंसा पर अटल हम रह सकते हैं या नहीं इसकी हमारी परीक्षा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमने अंग्रेजी राज्य के मुकाबले में सत्याग्रह किया और यह किसी को मालूम नहीं था कि इस तरह से स्वराज्य मिल जायगा, बहुत से लोग उतावले होकर उस समय में भी हिंसा की तरफ दौड़ पड़े उस प्रकार उतावलेपन की अब आवश्यकता नहीं है। आज हमारा देश पहले से बहुत शक्तिशाली है और इसीलिये मेरा पूर्ण विश्वास है कि अहिंसा हमको अवश्य सफलता दिलावेगी। इसलिये हमको शांति से रहना आवश्यक है क्योंकि हम कसौटी पर कसे जा रहे हैं, आज हमारी परीक्षा है और हमारे सत्याग्रहियों की परीक्षा है। अगर हम गलत तौर से हिंसात्मक ढंग से गोआ में प्रवेश करें तो उनके बलिदानों की कोई वकत नहीं होगी जो कि वे बलिदान दे रहे हैं। अपने विरोधी के प्रति क्रोध न करे, द्वेष न रखे और और कुरबानी करता रहे, यही एक सच्चे सत्याग्रही का अर्थ है। इसी प्रकार वे सत्याग्रह कर रहे हैं।

तो उसी भाव से हम उनकी सराहना करें मैं भी आप के साथ उनको बधाई भेज दूंगा कि वह गोलियों के सामने शांत रहें, कितने ही बर्बरता के रूप से स्त्रियों पर अत्याचार हुए, यहां तक कि वहां से रेलवे के टनल से पास होते हुये लोगों पर गोलियां चलाई गईं लेकिन एक भी उदाहरण हिंसा का, प्रतिकार का उनके कार्य में नहीं मिलता। इसलिये हम उनको हृदय से बधाई दें, यह सदन दे, यह उचित ही है और जिन सत्याग्रहियों का वहां बलिदान हो गया और स्वर्गवासी हुये वह सदा हमारे देश के अमर शहीद रहेंगे, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके कुटुम्बियों तक अपनी भावनाओं को भेजना उचित समझते हैं। जो प्रस्ताव नेता सदन ने प्रस्तुत किया है उसके साथ संबंधित होते हुए, मैं उस प्रस्ताव को जहां पर भेजना आवश्यक है वहां भेज दूंगा, जिस से कि वह उनके कुटुम्बियों के पास पहुंच सके और जो विचार इस सम्बंध में प्रकट किये गए हैं और जो कदम हमारी केन्द्रीय सरकार इस विषय में उठाएगी उस के साथ हमारा प्रदेश भी रहेगा। यह भी भावना मैं केन्द्रीय सरकार के पास भेज दूंगा कि उनके हर कदम कदम में चाहे सख्त से सख्त हो चाहे मुलायम हो, हर कदम में हम उनके साथ होंगे। यह भी भावना हमारी ओर से वहां जायेगी। इसके पश्चात मैं यह प्रर्थना करूंगा कि उन सत्याग्रहियों की मृत्यु पर उनकी आत्मा की शांति के लिये २ मिनट के लिये खड़े होकर सदन अपनी भावना को प्रकट करे और श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(इस के उपरांत सब सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—अभी जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि इस सदन के एक आदरणीय सदस्य माननीय जगन्नाथ सिंह, जो बलिया से आते हैं गोआ में इस प्रदेश की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं। टाइम्स आफ इंडिया में छपा है कि वह वहां घायल हो गये हैं मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों की राय होगी कि सरकार उन की कुशल के बारे में सदन को जानकारी कराये। इसलिये अगर सरकार को जानकारी हो तो सदन को सूचना दी जाय, क्योंकि हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में अभी हमें कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ सूचना हमें मिलेगी वह सदन के सामने रख दी जायेगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, यह जो शोक उद्गार किये गये हैं और यह जो प्रस्ताव है उस में इतना और जोड़ दिया जाय कि यह सदन भगवान से प्रार्थना करता है कि पुर्तगालियों को सदबुद्धि प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष---जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया कि शहीद सत्याग्रहियों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिये हम आधा घंटे के लिये सदन को स्थगित करें तो आधा घंटे के लिये सदन अब स्थगित होता है और एक घंटा बीच में रेसेस का वक्त होगा इस लिये २ बजकर ३५ मिनट पर हम फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण के स्थान पर श्री गेंदासिंह के नेता विरोधी दल चुने जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। सबेरे मैंने यह कहा था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने मेरे पास अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा और जो प्रस्ताव उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से पेश किया वह यह है कि उनके यहां चुनाव हुआ और चुनाव होकर श्री गेंदासिंह उनकी पार्टी के नेता चुने गये, उपनेता श्री मदनमोहन उपाध्याय, मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी, प्रधान सचेतक श्री जगन्नाथ मल्ल और सहायक सचेतक श्री रामसुभग वर्मा। इसके ऊपर १८ सदस्यों के दस्तखत हैं। उनकी पार्टी २६ सदस्यों की थी, २६ में से १८ के दस्तखत थे। उस के बाद ४ सदस्यों के और दस्तखत हुये। जो बाद में आये। चार सदस्यों ने लिखा है कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उससे वे सहमत हैं। इस तरह २२ सदस्यों के २६ में से दस्तखत हैं। इस पर श्री राजनारायण जी ने मुझ से यह कहा था कि "मैं कुछ कहना चाहता हूं इस विषय के सम्बंध में क्यों कि वह बैठक अवैधानिक हुई थी जिसमें यह निर्णय हुआ। तो इस लिये मैं कुछ कहना चाहता हूं।" इस पर मैंने उन्हें मौका दिया और आज दोपहर को वह मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे प्रस्ताव की वैधानिकता के बारे में बातें कीं। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मेरा आप की पार्टी के नियमों और उपनियमों से कोई सम्बंध नहीं। यदि किसी पार्टी के सदस्य किसी को नेता मानते हैं और उस पार्टी का बहुमत उसको नेता मानता है तो वह नेता है और नहीं मानते हैं तो चाहे वैधानिक ढंग से हो या गैर वैधानिक ढंग से वह नेता नहीं होगा। बहुमत में सदस्य जिसको नेता मानते हैं उसको मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि किसी सदस्य को मैं अविश्वास की निगाह से देख नहीं सकता अगर यह वह कहते कि उनके दस्तखत नहीं हैं तो बात दूसरी होती लेकिन दस्तखत तो वह कहते हैं कि सब के थे। अगर कोई गलत फहमी हो तो बाद में दुरुस्त की जा सकती है। उसके पश्चात उन्होंने मुझे एक लिखित पत्र और भेजा। उसमें उन्होंने यह लिखा कि आज तक असेम्बली में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विरोधी पार्टी के रूप में काम कर रही थी। अब उस पार्टी में पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों तथा कार्यक्रम को लेकर फूट पैदा हो गई है और कुछ लोग पार्टी के विधान, नियम तथा जनतान्त्रिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य कर देश में स्वस्थ सोशलिस्ट आन्दोलन की प्रगति में बाधा खड़ी कर रहे हैं। इस लिये सचेत सोशलिस्टों ने जिनमें वे स्वयं हैं अब असेम्बली में सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर स्वस्थ विरोधी पार्टी के रूप में काम करने का फैसला किया है। यह राजनारायण जी ने लिखा है और इसमें श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के भी दस्तखत हैं और वे आशा करते हैं कि जितने पार्टी के सदस्य पहले थे

[श्री अध्यक्ष]

उनमें से सब उनकी इस नयी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इससे यह बात स्पष्ट है कि फिलहाल उनके साथ आज के रोज तो केवल २ सदस्य सोशलिस्ट पार्टी की हैसियत से हैं और २२ सदस्य जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं वे बहुत से विरोधी पार्टी के दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में मैंने उनसे यह स्पष्ट कह दिया कि जो प्रथा चली आई है और इंगलैंड की भी प्रथा रही है कि बहुमत में जो विरोधी पार्टी होगी वही मुख्य अपोजिशन पार्टी होगी और उसका लीडर लीडर आफ अपोजिशन होता है। तो जब तक कोई नयी प्रथा नहीं जारी की जाती तब तक उसी नियम का पालन करना मुझे आवश्यक होगा। और उस हिसाब से २२ सदस्यों ने जिनको नेता माना है, श्री गेंदासिंह जी को, मैं उन्हीं को नेता विरोधीदल का मानूंगा। इस फैसले को मैंने उनको बता दिया था और मैं सदन को भी बता देना चाहता हूं। वही २२ सदस्यों की जो पार्टी होगी वही बहुमत विरोधी पार्टी होगी और उस के नेता वही होंगे और उसके पदाधिकारी वही होंगे जो आज चुने गये हैं जब तक राजनारायण जी कोई दूसरी बात सिद्ध न करें और अपनी पार्टी बहुमत में नहीं बना लेते, तब तक यह बात कायम रहेगी।

इस लिये श्री गेंदासिंह जी अब विरोधी दल के नेता का स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, जरा एक मिनट। जरा हमको स्वागत करने का वक्त दे दें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसी कोई प्रथा तो है नहीं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १९ फरवरी, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ६ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ फरवरी, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज़ (कंटिन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटिन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ फरवरी, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २३ मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २३ मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम बन गया।

१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ मार्च, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० मार्च, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ मार्च, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १५ अप्रैल, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम बन गया।

यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ फरवरी, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३ मई, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ मार्च, १९५५, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० मार्च, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ५ जून, १९५५ को प्राप्त हो गया और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

विधान सभा की सदस्यता से श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र के त्यागपत्र की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं दो एक सूचनायें देना चाहता हूं। श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र जी एम०एल० ए० का भी एक पत्र यहां है, जिन्होंने १ मई से इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया है, उन्होंने लिखा है "I resign from the membership of the Legislative Assembly, which please accept and oblige."

तो इसका अब कोई सवाल नहीं उठता। अब वह इस सदन के सदस्य नहीं रहे।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--सदन की पिछली बैठक के समाप्त होने के उपरान्त सदन के कुछ माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी आदि की सूचनायें मुझे प्राप्त हुयी थीं। इनकी सूचनायें माननीय सदस्यों को पत्र द्वारा पहले ही दी जा चुकी हैं। उनका विवरण पुनः मैं सदन को देता हूं।

१--गत दिसम्बर माह में श्री बी० डी० दुबे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फतेहपुर, जिला बाराबंकी से यह सूचना प्राप्त हुयी थी कि विधान सभा के सदस्य श्री अवधशरण वर्मा उपनाम लल्ला जी पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने और चीनी मिल को गन्ना देने से रोकने के आरोपों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोनों अपराधों के लिये एक-एक महीने का सादा कारावास का दंड दिया गया जो साथ चलेंगे। अपील के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर श्री अवधशरण वर्मा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ३० मार्च, १९५५ को जिलाधीश, बाराबंकी से इस सम्बन्ध में यह सूचना प्राप्त हुयी कि श्री अवधशरण वर्मा की अपील खारिज हो गयी परन्तु जो दंड उद्घोषित किया गया था उसको घटा कर प्रत्येक अपराध के लिये २५ रुपया जुर्माना अथवा जुर्माना न देने की दशा में प्रत्येक अपराध के लिये एक एक मास का साधारण कारावास का दंड दिया गया है।

२--अप्रैल माह, १९५५ में श्री ए० पी० जैन, सिटी मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर से यह सूचना प्राप्त हुयी थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ६४ के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्होंने भारतीय दंड विधान की धारा ४४७ के अधीन फौजदारी अनधिकार प्रवेश (criminal trespass) के लिये तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन दी गयी आज्ञा की अवहेलना के लिये विधान सभा के सदस्य श्री राजनारायण को २५ अप्रैल, १९५५ की रात्रि के ८ बजे गिरफ्तार किया और उन्हें गोरखपुर जिला जेल में रखा गया।

इसके बाद मैं समझता हूं कि वह छूटकर आ गये हैं और सदन के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हैं।

३--जिलाधीश देवरिया से यह सूचना २६ अप्रैल, १९५५ को प्राप्त हुयी थी कि श्री गेंदासिंह, एम०एल०ए० तथा अन्य के मामले में २१ अप्रैल को अपील की अनुज्ञा दी गयी।

४--२८ जून, १९५५ को जिलाधीश, बनारस से यह सूचना प्राप्त हुयी कि भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत श्री राजनारायण, एम०एल०ए०, मोतीकोट निवासी, थाना मिर्जामुराद, जिला बनारस की गिरफ्तारी का ५०० रुपया का एक जमानती वारण्ट अतिरिक्त जिलाधीश (जुडीशियल), फतेहपुर से प्राप्त हुआ था जो एस०एस०पी०, बनारस द्वारा निष्पन्न किया गया और श्री राजनारायण को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--यह क्या मामला है?

श्री अध्यक्ष--बनारस से सूचना प्राप्त हुयी है।

श्री राजनारायण--इस समय मेरे पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, इसका मुझे भी पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--यह फतेहपुर का है।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--श्रीमन्, मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार यातायात विभाग की विज्ञप्तियां संख्या १२-टी० (एम)/३०-४४२६-टी/५४,

*छापे नहीं गये।

दिनांक १७ मार्च, १९५५; संख्या ७९९-टी०(एम)/३०-४४३५ टी०-/५४, दिनांक १३ अप्रैल, १९५५; संख्या १३१८-टी०(एम)/३०/४४०५-टी/ ५४, दिनांक २२ मई, १९५५ तथा संख्या ७२९-टी०(एम) / ३०/४४१०-टी०।५४, दिनांक ११ मई, १९५५ को, जिनसे यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, को आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, आपसे निवेदन करूंगा कि इन नियमों के सम्बन्ध में अगर आप उचित समझें तो विवाद के लिये कोई समय निर्धारित करने की कृपा करें। मुझे आशा है कि आप इसकी स्वीकृति दे देंगे और साथ ही यह भी कहूंगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की स्टैंडिंग कमेटी बनाने का सुझाव आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। अगर आप उसे अपनी स्वीकृति देने की अविलम्ब कृपा करेंगे तो इस सम्बन्ध में जितने नियम वगैरह हैं, इन पर गवर्नमेंट अधिकार का अधिक्रमण करती है या नहीं, ऐसे जितने नियम हैं उन पर बार-बार विवाद होने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में मेरे पास प्रस्ताव आ चुका है सर्वसम्मति से। तो मैंने आज इस पर निर्णय देने का विचार नहीं किया था। मैंने सोचा था कि एक दो रोज बाद लूंगा उस प्रश्न को। माननीय परिवहन मंत्री, आप इसके लिये समय देना उचित समझते हैं?

श्री चरणसिंह--मुझे बड़ी खुशी है अगर माननीय नेता सदन कुछ समय निश्चित कर लें।

संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय कर-नियम, १९४९ में कृत संशोधन*

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट की धारा ४४(३) के अनुसार माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३९५/१-स-४८२-सी/ ५४, दिनांक ३ जनवरी, १९५५, जिससे संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर नियम, १९४९ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६६-६७ पर)

यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--श्रीमन्, मैं यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६८-६९ पर)

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०-७२ पर)

---

* छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

मान उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७३ पर)

कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि १६ से लेकर २७ तक जो आइटम्स हैं एजन्डा के ये कल ले लिये जायेंगे और आज बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर, इस विषय पर वक्तव्य हो कर इस पर विचार होगा क्योंकि उसके लिये समय काफी होना चाहिये और यह इच्छा मैंने शुरू में भी प्रकट की थी और मैंने कहा भी था कि इसके ऊपर विचार होने वाला है और इसके ऊपर यहां वक्तव्य आज शाम तक होगा और विचार होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मुझे कहना है कि बाढ़ पर तो कल भी विवाद चलेगा न? क्योंकि यह विषय बहुत ही गम्भीर है, हमारे पास तीन जगह से पत्र आ चुके हैं और अगर किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना हो वह भी कह सके जिसके अनुसार ही हम काम करें और यदि आप ऐसा सोचते हों कि बाढ़ पर विवाद आज ही समाप्त हो जायगा तब तो बड़ा अन्याय होगा। इस पर तो आज, कल, परसों, तीन दिन तक पूरा विवाद होना चाहिये क्योंकि काफी समय लगेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह आवश्यकता तो समझता था कि इस बाढ़ वाले विषय पर कुछ समय अधिक दिया जाय और कुछ समय अधिक विचार करें और यदि इसे आज शाम तक खत्म करने का इरादा हो तो इसमें लोगों के विचार जानने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिये कल का मौका दे दिया जाय, जिससे माननीय सदस्यों की राय बाढ़ के सम्बन्ध में जान सकें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि बाढ़ के सम्बन्ध पर विवाद आज शाम तक नहीं हो सकता और मैं भी आशा करता हूं कि आज जो कुछ काम हो जाय वह हो जाय बाकी आप कल कृपा करके इस विवाद को जारी रखने के लिये मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है, आज विवाद शुरू हो जायगा और विवाद समाप्त हो जाने के बाद बाकी काम को कल लिया जायगा।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार

मान मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, यह मेरा एक दुखद कर्त्तव्य है कि हमारे सूबे के एक बहुत बड़े हिस्से में जो एक सार्वजनिक विपत्ति आयी है और जिसकी मोटी सी रूपरेखा प्रायः इस सूबे के सब बाशिन्दों पर जाहिर है, उसका कुछ वर्णन करूं और गवर्नमेंट की तरफ से जितना लोगों के कष्ट दूर करने का और उनके आंसू पोंछने का उपाय किया गया है उसका भी कुछ जिक्र करूं। श्रीमन्, पिछले कुछ सालों से बाढ़ हमारे सूबे में करीब-करीब एक सालाना विपत्ति का रूप धारण करती जा रही है। सन् ४७ में बाढ़ आयी, सन् ४८ में बहुत बड़ी बाढ़ आयी (सूबे के पूर्वी हिस्से में भी और पश्चिमी हिस्से में भी।) फिर सन् ५० में भी बहुत बड़ी बाढ़ आयी, सन् ५३ में काफी बड़ी बाढ़ आयी और सन् ५४ में भी आयी और इस साल की बाढ़ की तो अभी सबको ताजी याद है। तो बाढ़ अब एक ऐसी विपत्ति हो गयी जिससे लड़ने के लिये एक असाधारण तरीके से हमको तैयारी करनी होगी। यों बाढ़ जहां एक बड़ी विपत्ति है वहां उसका एक सुखद पहलू भी है। बाढ़ हमेशा से हमारे सूबे में आती रही है। भूगर्भवेत्ताओं का तो कहना ही यह है कि हिमालय पहाड़ से जो

नदियां निकलती हैं, वह नदियां उन पहाड़ों से जो मिट्टी ढोकर लाती हैं, उसके कणों के जरिये ही इंडोगैंगेटिक प्लेन अर्थात् यह सारा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल मैदान बना है, बाढ़ हमेशा से आती रही है। बाढ़ का सुखद पहलू जिसका मैंने जिक्र किया वह यह है कि आमतौर पर सर्वदा नहीं, जहां बाढ़ आती है और अच्छी सिल्ट अच्छी मिट्टी छोड़ जाती है, उस जमीन पर अगली फसल आमतौर पर जो फसल होती है उससे बेहतर, उससे ज्यादा मिकदार में होती है। इस तजुर्बे ने बहुत से किसानों को इस मानसिक स्थिति का बना दिया है कि वह बाढ़ की आशा रखते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी बहुत बाढ़ आये। श्रीमन्, बाढ़ का असल कारण तो एक ही कहा जा सकता है और वह यह कि थोड़े वक्त में ज्यादा बरसात का एक जगह हो जाना। एक इलाके विशेष में, एक देश विशेष में ज्यादा पानी बहुत थोड़े समय में पड़ जाना या यह भी हो सकता है कि बहुत जमाने तक किसी इलाके विशेष में बराबर पानी पड़ता रहे तो धरती तल बिलकुल सेचुरेट हो जाय, बिलकुल पानी भर जाय और पानी को सोखने की गुंजाइश उस भूमि में बिलकुल न रहे। तो थोड़ा पानी भी अगर काफी अरसे तक पड़ता रहे, उसको जज्ब करने की कूव्वत जमीन में नहीं रहती और वह उसको बहाती है और उससे बाढ़ आती है। लेकिन जैसा आम लोगों को मालूम ही है, या कमसे कम जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम है और हमने जो फ्लड कंट्रोल कमेटी कायम की थी उसकी टैक्निकल सब कमेटी की रिपोर्ट से भी जाहिर होता था कि बाढ़ आने के तीन चार कंट्रिब्यूटरी काजेज हैं। असली कारण एक है, लेकिन उस कारण में सहायता पहुंचाने वाले या स्थिति को खराब करने वाले ४ उपकारण और हैं। एक तो यह कि वनस्पति का अधिक कट जाना, दरख्तों का अधिक कट जाना। श्रीमन्, जब वर्षा होती है तो वनस्पति की जड़ के जरिये और दरख्तों की जड़ के जरिये ही पानी जमीन में समाता है। अगर वनस्पति न हो, झाड़—झंखाड़ और घास वगैरह न हो, जंगलात और बाग-बगीचे न हों, या कम हो जायं, तो थोड़ा पानी भी पड़ेगा तो जमीन में समाने के बजाय बढ़ेगा। दूसरा कारण बाढ़ का यह है कि किसान खेती करने में गलती करें, अर्थात् ढाल के खिलाफ खेती करने और हल चलाने के बजाय ढाल के समानान्तर हल जोतें, तो जो पानी पड़ेगा वह ढाल की तरफ जायगा और नदी नालों की तरफ दौड़ेगा और मिट्टी को भी काटेगा, इस वजह से भी बाढ़ में सहायता पहुंचती है। तीसरा कारण यह है कि जब इस तरह की पहाड़ से या आस—पास के इलाकों से पानी के जरिये लायी हुयी मिट्टी नदियों के भंडार में अधिक इकट्ठी हो जाय और नदी का जल उथला हो जाय तो यह भी एक कारण बाढ़ के आने का है। चौथा कारण श्रीमन् यह है कि मनुष्य के द्वारा बनी हुयी बाधायें पानी के बहने के रास्ते में बाधक हो जायं। बरसात हमेशा होती रहे और पानी हमेशा ढाल की तरफ को जाता रहे। मनुष्य उसके रास्ते में बाधक न हो तो बाढ़ के आने का सवाल पैदा न हो या बहुत कम आशंका रह जाय। लेकिन मनुष्य मकान बनाता है, रास्ते बनाता है, सड़क बनाता है, रेलवे बनाता है, नहरें बनाने की आवश्यकता हो जाती है, बंधियां बनाता है और अपने जीवन के लिये जो जरूरी काम हैं वह करता है। खेत की मेंड़ें ऊंची करता है। अगर इन सब कामों के करने के वक्त पानी के ढाल का ध्यान न रक्खा जाय तो पानी के बहने में बाधा उपस्थित हो जाती है और जितनी जल्दी पानी को गुजरना चाहिये उतनी जल्दी नहीं गुजर पाता। कुछ देर उसके रुकने और बहने में हो जाती है। इस प्रकार बाढ़ की, बल्कि उससे भी खतरनाक वाटर लागिंग की स्थिति बहुत जल्द पैदा हो जाती है।

श्रीमन्, एक सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो मुमकिन है कि नहर और रेलवे और सड़क आदि इस तरह की बनायी जा सकें, जिससे बिलकुल पानी के बहन में रुकावट न हो लेकिन ऐसा करना पूर्णरूप से संभव नहीं होता है। जब ये रेल, नदी, सड़क, मकान, रास्ते वगैरह या और रुकावटें जो इनसान पैदा करता है उस वक्त यह खयाल रखना कि असाधारण रूप से बाढ़ आ जायगी तब क्या स्थिति होगी, गवर्नमेंट के किसी अफसरान के लिये सम्भव नहीं होता है। साधारण स्थिति का मुकाबिला करने के लिये आदमी प्लान करता है। श्रीमन्,

[श्री चरणसिंह]

ये चार सहायक कारण बाढ़ के हैं। इस गवर्नमेंट के चार्ज लेने के बाद जब सन् ४८ में एक बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी और उस कमेटी ने अपनी तीन उपसमितियां मुकर्रर की थीं। रिलीफ उप-समिति, सर्वे उपसमिति और टेक्निकल उपसमिति। रिलीफ उपसमिति की रिपोर्ट सन् १९४९ में आयी और करीब-करीब उसकी सब सिफारिशों पर अमल किया गया। उसी की सिफारिशों के नतीजे के तौर पर जिले-जिले और तहसील-तहसील में फ्लड रिलीफ कमेटीज कायम की गयीं और बहुत सी कार्यवाही उनकी सिफारिशों के नतीजे के तौर पर की गयी। लेकिन उसकी तफसील में इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है देर भी होगी। दूसरी उपसमिति जिसका नाम सर्वे सब-कमेटी था उसकी रिपोर्ट सन् ५० में आयी लेकिन उसकी रिपोर्ट पर अलाहिदा से या टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट से स्वतंत्र रूप में कोई कार्यवाही करना मुमकिन नहीं था लिहाजा टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार किया गया। वह रिपोर्ट अगस्त, १९५३ में आयी और फौरन उसके चार महीने बाद ही, दिसम्बर, १९५३ में पूरी कमेटी की एक मीटिंग हुयी और उसने कुछ फैसले किये। उन फैसलों का जिक्र मैं गालिबन पिछले साल कर चुका हूं लेकिन फिर भी संक्षेप में उन फैसलों का जिक्र करना मैं समझता हूं मुनासिब होगा। एक सब से बड़ा फैसला यह था कि ड्रेनेज और सर्वे डिवीजन पूर्वी जिलों के लिये कायम किया जाय, जिसका काम यह है कि जमीन की सतह का सर्वे करे, उसकी ऊंचाई-निचाई यानी लेवेल का पता लगाये और आंकड़े इकट्ठे करे कि किस तरह की बाढ़ अब तक आती रही है और किस इलाके को कितना नुकसान पहुंचता है। कहां तक पानी बढ़ता है, कितने दिन रुकता है, वगैरह वगैरह। तीसरी बात यह कि जिन नतीजों पर पहुंचे उनके फलस्वरूप बाढ़ को रोकने के लिये नहीं बल्कि उसकी शिद्दत को कम करने के लिये कार्यवाही करें, यानी बांध बांधें, अगर जरूरत हो स्टोरेज करें, बड़ी-बड़ी झील बनायें, गांवों की सतह ऊपर उठायें, वगैरह वगैरह। दूसरी सिफारिश यह की गयी कि हर साल तीन महीने के लिये एक सेंट्रल आफिस लखनऊ में खोला जाय जोकि सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बाढ़ वगैरह आयें उसकी इन्फार्मेशन इकट्ठा करे और जहां जरूरत हो इलाके के नीचे के अफसरान को इत्तला करे। श्रीमन्, इस काम को जितना मुझ जैसे ले मैन (Lay man) आसान समझते थे दरअसल वह उतना आसान साबित नहीं हुआ। उसमें कुछ टेक्निकल बाधायें हमारे इंजीनियर्स के सामने उपस्थित हुयीं। मालूमात जिनकी बिना पर इस तरह का सेंट्रल आफिस काम कर सकता था इतनी नाकाफी पहले से हमारे पास मौजूद थीं कि कोई सेंट्रल आफिस फिलहाल आज ही एकदम खोल देना सर्वथा बेकार था। तो ऐसे कारणों से, जो हमारे आफिसरान की शक्ति के बिलकुल बाहर थे, हम इस सिफारिश पर अभी अमल नहीं कर सके। लेकिन उम्मीद की जाती है कि एक दो साल के अंदर यह हमारी मजबूरी दूर हो जायगी।

श्रीमन्, चौथी सिफारिश यह की गयी थी कि जिन इलाकों में दरख्त ज्यादा कट गये हैं और जो दरिया का कैचमेंट एरिया कहलाता है यानी जहां पर चारों तरफ का पानी दरिया में आता है, उनमें दरख्त लगाये जायं। वहां पर दरख्त लगाने के लिये एक डिवीजन पिछले साल जुलाई सन् १९५४ ई० में कायम किया गया। इस डिवीजन ने अब तक ३,५०० एकड़ के करीब सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और बहराइच इत्यादि जगहों पर एफोरेस्टेशन का काम किया, जिसमें चार लाख के करीब यानी ३,९२,००० रुपया खर्च हो चुका है। अभी बजट में ७,०२,००० रुपया इसी काम के लिये विधान सभा ने मंजूर किया है।

श्रीमन्, सर्वे डिवीजन के बारे में मैं एक बात भूल गया। जहां यह फैसला किया गया कि यह डिवीजन कायम किया जाय और एक डिवीजन बस्ती में कायम किया गया और जिसके तीन उप-डिवीजन हैं। एक शायद गोरखपुर में है, एक फैजाबाद और शायद एक बनारस में है। माननीय सिंचाई मंत्री जी यदि इस बहस में हिस्सा लेंगे तो वह इस पर तफसील से रोशनी डाल सकेंगे। इस डिवीजन ने सारे ५०० गांवों की सतह को ऊंचा किया और ३८ लाख

रुपया इन गांवों की सतह को ऊंचा करने में और बांध बांधने में, जैसे बड़ी गंडक पर चितौनी बांध इत्यादि कामों में खर्च किया गया। अब तीन करोड़ रुपया इस साल इसी काम के लिये लेजिस्लेचर की तरफ से मंजूर हो चुका है।

श्रीमन्, इसके अलावा एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड भी कायम कर दिया गया है। मुख्य मंत्री जी उसके प्रधान हैं। सिंचाई मंत्री और मैं भी इसके मेम्बर हैं और कुछ विशेषज्ञ मुख्तलिफ महकमों के जैसे जंगलात, सिंचाई, खेती और माल के इसके मेम्बर्स हैं। इसकी मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं जिनमें जो काम चल रहा होता है उसकी प्रोग्रेस के सम्बन्ध में जिक्र होता है और आगे के लिये स्कीम्स बोर्ड के सामने आती रहती हैं।

श्रीमन्, चौथी सिफारिश यह की गयी थी कि भूमि संरक्षण का काम किया जाय, अर्थात् जो फोल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं जिनके कारण भूमि का कटाव हो रहा है, उसका कुछ इलाज हो सके। श्रीमन्, भूमि के कटाव को रोककर भूमि की रक्षा करना जरूरी है और मैं समझता हूं कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा और एक्सटेंशन का काम किसान लोग समझते जायेंगे, गवर्नमेंट के आफिसर्स से एक्सटेंशन के काम का बोझ कम होता जायगा। कृषि मुहकमे का जहां तक संबंध है स्वयल कंजरवेशन का काम हो रहा है। किसी देश की दौलत उसकी भूमि होती है। हमारे यहां की भूमि बहुत कटती जा रही है इसलिये विधान मंडल ने स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट मंजूर किया। स्वायल कंजरवेशन फार्म्स गवर्नमेंट की तरफ से तीन चल रहे हैं और इसके काम को चलाने के लिये कुछ आफिसरान को ट्रेनिंग देने का विचार कृषि महकमे में जेरेगौर है और बहुत जल्दी ही उस पर अमल होने वाला है। उसके लिये खास किस्म के काम जानने वाले टैक्नीकली क्वालीफाइड परसोनेल की जरूरत होगी, ऐसे इंजीनियरों की जरूरत होगी जो खेती का काम जानते हों, इंजीनियरिंग का काम जानते हों और अफोरस्टेशन का काम भी जानते हों। इस प्रकार की तीन तरह से ट्रेनिंग देना किसी एक व्यक्ति को आसान नहीं है इसके लिये इन्तजाम किया जा रहा है और तब यह स्वायल कंजरवेशन का काम कुछ जिलों में शुरू किया जायगा। हमको उम्मीद यह करना चाहिये कि जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है या बुन्देलखंड के इलाके में जहां पर भूमि का कटाव बहुत तेजी के साथ हो रहा है वहां पर यह काम शुरू किया जायगा। तब हम स्वायल कंजरवेशन के लिये किसानों की दिलचस्पी पैदा करेंगे तो बाढ़ से जो नुक्सान होता है और बाढ़ में जो तेजी होती है उसमें बहुत कमी आ जायगी।

श्रीमन्, एक सिफारिश यह भी की गयी थी कि तालाब या पोखर जो कछार और खादर के इलाके में गांवों के अन्दर मौजूद हैं उनको गहरा किया जाय ताकि जब बाढ़ नदी में आ जाय तो उसके जरिये से उन तालों में उस पानी को रोक कर कम किया जा सके। श्रीमन्, श्रमदान के जरिये से प्लानिंग डिपार्टमेंट इस तरह के काम इस सूबे में कर रहा है। जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आयी है उससे मालूम होता है कि इस काम में संतोषजनक प्रगति हुयी है।

श्रीमन्, एक सिफारिश लेखपालों के लिये यह की गयी थी कि वह इस बात की रिपोर्ट दें कि किस जगह पर, कौन से गांव तक, कौन से खेत तक हर साल बाढ़ आती है इस तरह की हिदायत जारी कर दी गयी है और इस सिलसिले में मालूम हुआ है कि अच्छा काम हो रहा है।

श्रीमन्, जहां तक किश्तियों का ताल्लुक है बाढ़ के समय में किश्तियों की जरूरत होती है। किश्तियों के संबंध में एक फैसला उस कमेटी ने यह किया था कि गवर्नमेंट कुछ किश्तियां हर जिले में जरूर दे दे, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के लिये यह नामुमकिन था कि जितनी किश्तियों की बाढ़ के समय जरूरत होती है उतनी वह दे और फिर यदि उनकी कीमत भी दे दी जाय तो उनका रखरखाव भी बहुत मुश्किल है। आमतौर पर एक किश्ती के बनाने में ८०० रुपया लगता है। यह योजना बनाई गई है कि उसके लिये आधा रुपया सरकार दे और आधा रुपया गांव पंचायत दे और उस किश्ती की मालिक गांव पंचायत हो जाय। उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी

[श्री चरणसिंह]

गांव पंचायत पर ही होगी। हर जिले में जहां पर नदी गुजरती है और जहां पर बाढ़ आती है तो वहां पर प्राइवेट किश्तियां भी होती हैं। यह किश्तियां उस समय रिक्वीजिशन कर ली जाती हैं। इस तरह से ८८ नाव की योजना महकमे ने बनायी जिसमें आधा रुपया गवर्नमेंट का था और आधा रुपया गांव पंचायतों का। ४३ हजार रुपया इस साल के बजट में इस काम के लिये मौजूद है। इस सिलसिले में हमको जितनी आशा थी कि गांव पंचायतों की तरह से हाथ बटाया जायगा वह नहीं हो सका। उसमें कुछ कायदे कानून की भी दिक्कत रही और फिर उसको दूर करने में देर हुयी। श्रीमन्, इन्हीं किश्तियों के सिलसिले में एक सिफारिश यह थी कि जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है उन जिलों के लिये दस मोटर बोट्स मुहैया की जायं। ७ छोटी और ३ बड़ी। वह मोटर बोट्स चीफ इंजीनियर को हुक्म दिया था उन्होंने बनवा दी है। लेकिन उनके लिये इंजिन बावजूद बहुत कोशिश के और बावजूद बेल-नोन फर्म से कंटैक्ट करने के सारे देश में मुहैया नहीं हो सके। उनके लिये इंजिन बाहर से मंगाना होगा जिसके लिये कोशिश की जा रही है। उनके इम्पोर्ट लाइसेंस में समय लगता है, इसलिये वे इंजिन अभी तक बाहर से मुहइया नहीं हो सके हैं। इसलिये मोटर बोटों के सिलसिले में सिफारिश पर अभी तक अमल नहीं हो सका।

अब मैं माननीय मेम्बरान का ध्यान दो अधिनियमों की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् ४८ में एक्वीजीशन आफ प्रापर्टी ऐन्ड फ्लड रिलीफ ऐक्ट और सन् ५१ में यू० पी० फ्लड एमरजेंसी पावर्स (इवैकुएशन ऐन्ड रिक्वीजीशन) ऐक्ट बने थे। इनके मातहत अफसरान को यह अधिकार दिया गया था कि वे बल्ली, किश्तियां, खाने-पीने का सामान, रहने के लिये मकान (धार्मिक स्थानों को छोड़कर) वगैरह का प्रबन्ध कर सकें। इन चीजों को हस्तगत कर सकें। ये बातें मैंने इसलिये बताई कि लोगों को बैकग्राउन्ड मालूम हो सके। इस साल हमने मई में ही १७ तारीख को, यह आदेश दे दिये कि फ्लड के बारे में मीटिंग्स की जावें। हमें मालूम हुआ है कि फ्लड कोष उन्होंने पहले से निश्चित कर लिये। वहां उन्होंने गुड़, चना, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, दवाइयां और अगर मुमकिन हो सका तो जानवरों के लिये चारे का भी इन्तजाम किया। उनको बहुत साफ शब्दों में बता दिया गया था कि गवर्नमेंट के सामने लोगों के ऊपर जो विपत्ति बहुधा आती रहती है उसे दूर करने के लिये खर्चे का कोई विचार नहीं है। पिछले साल तक १४ जिलों को, जिनको ५ हजार रुपया अक्सर दिया जाता था और २ जिले और मिलाकर १,६०,००० रुपया दिया गया ताकि वह फौरन इन्तजाम कर सकें। यह भी कह दिया गया था कि जब भी जरूरत हो तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है बल्कि तार या वायरलेस के जरिये जितना रुपया मांगेंगे वह मिलेगा। पिछले वर्ष से माननीय मुख्य मंत्री एक योजना पर विचार कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों में ऐसे स्थान बनाये जा सकें जहां कि ऐसी विपत्ति के समय लोग जमा हो सकें। जून के महीने में माननीय मुख्य मंत्री ने १,९५,००० रुपया इस गरज के लिये दिया। इस साल मानसून कुछ कब्लअजवक्त शुरू हुआ। यों तो कई सालों से जुलाई में बारिश शुरू होती है मगर आम तौर पर २०, २१ जून को होती है और वह ठीक रहती है। वह न तो देर है और न सबेर है। लेकिन इस वर्ष जून के पहले सप्ताह में ही बारिश शुरू हो गई और वह कुछ थोड़े ब्रेक के साथ बराबर १५, १६ जुलाई तक होती रही। श्रीमन्, १६ जुलाई से २२ जुलाई तक ६-७ रोज में इतनी जोर की बारिश हुई मानो आसमान फूट पड़ा हो। मैं आपकी इजाजत से सदन का वक्त इस बात के लिये जरूर लूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको आंकड़ों से सिद्ध कर सकूं। वह आंकड़े १ जून से २३ जुलाई तक सन् ५४ और इस साल सन् ५५ के हैं। वह इस प्रकार है :—

नाम-स्थान		सन् ५४ की वर्षा इंचों में	सन् ५५ की वर्षा इंचों में
फैजाबाद	..	९.२५	५०.०४
जौनपुर	..	१०.७	३७.९

नाम-स्थान		५४ की वर्षा इंचों में	सन् ५५ की वर्षा इंचों में
सुलतानपुर	..	८	४१.६७
बस्ती	..	६.२५	४४.५
गोंडा	..	६.५	४०.५
प्रतापगढ़	..	८.३	३७.७
बहराइच	..	१४ लगभग	३७.२५
इलाहाबाद	..	८.५ से कम	३१ के लगभग
आजमगढ़	..	६	२८.५
बनारस	..	७ से कम	२८
रायबरेली	..	१४ से कम	२८ के लगभग
बाराबंकी	..	१३	५२
गोरखपुर	..	६.४	३३
देवरिया	..	१३.२५	२१.२५
बलिया	..	११ से कम	१६ से कुछ कम

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जो नदियों का इंग्रेडियेंट है वह बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि जहां से नदी निकलती है वहां सी लेविल से एक हजार फुट ऊंचा हो और लखनऊ में ५०० फीट तथा देवरिया में २५० ही रह जाय। बल्कि एक जिले से दूसरे जिले में केवल १०—२० फुट का ही फर्क है। इसलिये पानी धीमी चाल से चलता है। इस साल एक और विशेषता हुई जिसकी ओर विशेषरूप से मैं माननीय मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिन नदियों में बाढ़ आना चाहिये, या जिनको नदियां कहते हैं, उनमें बाढ़ नहीं आयी। यों हर साल बाढ़ आती है राप्ती, घाघरा और गंडक में भी। जितना पानी इन नदियों में आया उतना ही आता तो शायद इस फ्लड डिबेट की आवश्यकता ही न होती। लेकिन इस साल जिस चीज ने हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया वह लोकल रेन फाल और वाटरलागिंग है, और वह उन क्षेत्रों में जहां नदियां नहीं हैं बल्कि जैसा कि तुलसी दास जी ने कहा है "क्षुद्र नदी भर चलि उतराई, जस थोरेहु धन खल बौराई"। यानी जो छोटे-छोटे नाले हैं उनमें जल्दी नशा आ जाता है, उनमें उफान जल्दी आ जाता है। क्योंकि उनकी जो नेचुरल कैपेसिटी होती है, वह बहुत कम होती है। वहां पानी एक साथ पड़ा और थोड़े समय में ही चौगुना पांच गुना बढ़ गया तो जो स्थिति हुई इसके अलावा और कोई स्थिति हो ही नहीं सकती थी चाहे मई जून के महीने में गवर्नमेंट की तरफ से कितनी भी तैयारी होती। मैं ऐसा दावा तो नहीं करता कि लोगों का कष्ट मिटाना शायद बिलकुल असंभव होता, क्योंकि पता नहीं आजकल मनुष्य के पास दूसरे मुल्कों में कितनी शक्ति है, कितनी साइंटिफिक शक्ति है और वहां के किसान कितने समझदार हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के पास चाहे कितने भी साधन होते चाहे हम कितनी ही तैयारी करते लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी, जितना मुमकिन हो सकता था वह किया गया, जैसा कि सब दोस्तों को जाहिर है।

सन् १८७१ में इस इलाके में एक बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी। सन् १८७१ के जो बुड्ढे बचे हैं, एक दो आदमी तो बचे ही होंगे, उन्होंने अपने मां बाप से यह जरूर सुना होगा कि सन् १८७१ में इस तरह की बाढ़ आयी थी। उस बाढ़ में जो फ्लड मार्क था, इस बाढ़ ने निश्चित तौर पर उस फ्लड मार्क को नीचे कर दिया है, छोटा साबित कर दिया है, लज्जित कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस साल जो पानी आया है उसकी वजह से हजारों गांव बरबाद हुये हैं। लाखों एकड़ भूमि की फसलें नष्ट हो गयी हैं, लाखों व्यक्तियों के जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ा है। फसलों के अलावा जो लोगों के मकान गिरे हैं उनमें लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। श्रीमन्, अब तक की जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास आयी हैं, जिनको हर जिले से हमारे अफसरों ने भेजा है, अलग-अलग टोटल में आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं।

[श्री चरणसिंह]

गांव जिन पर असर पड़ा है, सन् ५०,५३, ५४ और ५५ में उनके आंकड़े मैं आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं। ताकि आप मालूमात हासिल कर सकें कि कितना नुकसान हुआ है। सन् ५० में ७ हजार, सन् ५३ में १४ हजार, सन् ५४ में ८ हजार और ५५ में २२ हजार गांवों पर असर पड़ा है। टोटल एरिया जिसपर इसका असर पड़ा है २५,६०,००० एकड़ सन् ५० में २२ लाख ४० हजार एकड़ सन् ५३ में, ३२ लाख एकड़ सन् ५४ में और ६० लाख एकड़ सन् ५५ में है। अभी कुछ दिन हुए, मुश्किल से १० रोज हुये होंगे, कुछ जिलों से मेरे पास जो सूचना आई थी उसकी बिना पर मैंने कहा था कि ४० लाख एकड़ खेतों पर इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन बाद में जो इत्तिला आयी है वह ६० लाख एकड़ की है बाद में जो गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बहराइच और गोंडा आदि से लेटेस्ट इनफारमेशन आयी हैं उसकी बिना पर ६० लाख एकड़ खेतों पर इसका असर हुआ है। श्रीमन्, आबादी जिस पर बाढ़ का असर हुआ है सन् ५० में २० लाख, सन् ५३ में २८ लाख, सन् ५४ में ३४ लाख और सन् ५५ में ८० लाख है। मकान जो गिरे वह सन् ५० में २५ हजार, सन् ५३ में ८० हजार, सन् ५४ में १९ हजार और इस वर्ष साढ़े ३ लाख। जो जानें जाया हुईं वह सन् ५० में १२८, सन् ५३ में २३, सन् ५४ में २७ और सन् ५५ में ६६। मवेशी जो जाया हुये वह सन् ५० में २,२०९, ५३ में ३४१, ५४ में १,५५३ और सन् ५५ में २०९८। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ष की बाढ़ का प्रोपोरेशन और नुकसान की सीमा क्या है। श्रीमन्, इस वर्ष बारिश २२ जुलाई तक बहुत तेजी से हुई और २३ व २४ को भी अच्छी खासी हुई और उस के बाद भी थोड़ी बहुत जारी रही लेकिन ५,६ व ७ अगस्त को राप्ती, घाघरा और गंडक के कैचमेंट एरिया में बहुत तेज बारिश हुई। लेकिन अब इस वक्त परमात्मा की कृपा से सब जिलों में हालत बहुत तेजी के साथ सुधर रही है और नदियाँ नीचे जा रही हैं।

इस संबंध में सरकार ने जो काम किया है वह बहुत संक्षेप में आपकी इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूं। उस वक्त हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ जरूरी कामों से दिल्ली गये हुये थे और उस वक्त तक ऐसी स्थिति होने का किसी को इल्म नहीं था लेकिन जैसे ही उनको मालूम हुआ और वह दिल्ली से लौटे वैसे ही अगले दिन उन्होंने बाढ़ के जिलों का ३ दिन तक बराबर दौरा किया और जहां मुमकिन हो सकता था वहां उन्होंने हवाई जहाज से उतर कर, अफसरों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को बुला कर उनकी हिम्मत बढ़ाई और सब लोगों से पूछा कि क्या करना है और क्या कोशिश आगे की जा सकती है। जहां हो सकता था उन्होंने उसी वक्त फौरी इंतजाम किया और वहीं मौके पर उन्होंने फौरी अहकाम जारी किये। श्रीमन्, मुसीबत जैसी लोगों पर आई उसका पूर्णरूप से निवारण करना या उसको टालना, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मनुष्य की शक्ति के बाहर था और कम से कम हमारी सरकार की शक्ति के बाहर जरूर था। लेकिन मुसीबत में लोगों के पास जा कर अगर जिन लोगों के सुपुर्द खिदमत का काम दिया जाय, कुछ थोड़ी भी मदद पहुंच जाय तो मुसीबत का बोझ बहुत हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे दो और सहयोगी, माननीय रसद मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जो अपने जरूरी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं वह दोनों भी जितना समय भी अपने जरूरी काम से निकाल सके निकाल कर वहां गये। हमारे प्रधान मंत्री जी और जनता के प्रिय नेता श्री जवाहरलाल जी ने भी २ दिन हमें दिये और इन सब बातों से हमारा ढाड़स बंधा और सामान से, रुपये से और भौतिक पदार्थों से जहां तक मदद हो सकती थी वह सब की गई। ११,२६,५०० रु० की ग्रेचुटीज रिलीफ दी गई। यह रकम रोजाना इस्तेमाल की फौरी जरूरतों के लिये दी गई और साथ ही गरीब आदमियों को मकान बनाने के लिये सब्सीडी के तौर पर। श्रीमन्, यह भी मैं अर्ज कर दूं कि यह रकम बिना कलेक्टरों के मांगे हुये ही दी गई। हमने उनसे कहा है कि आप अपने डिमांड्स दें लेकिन जब तक उनकी डिमांड्स आयें, हमने अपनी तरफ से २ लाख २० हजार रुपये गरीब आदमियों के मकान बनाने के लिये सबसीडी के तौर पर दिये।

श्रीमन्, नार्मल तकावी जो आम तौर पर उन जिलों को दी जाती है और जो मई में दी जा चुकी थी, उसके बाद भी २२ लाख ७२ हजार रुपये की और तकावी दी गई। डिस्ट्रेस्ड तकावी, ११ लाख रुपये, मकान बनाने के लिये कर्जा ८५ हजार रुपये अभी तक दिये गये हैं। लेकिन अभी तक कलेक्टरों ने अपने मुतालिबे नहीं भेजे हैं। किसी एक ने भेजा है उनको ८५ हजार रुपये दे दिये गये। टेस्ट वर्क्स के लिये अफसरान को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे अजला में वे स्कीम्स को तैयार रखें कि अगर जरूरत पड़ जाये कि कहां कहां टेस्ट वर्क्स का काम जारी होगा, यह हमने मांगा हुआ है। साथ ही हिदायत है कि टेस्टवर्क्स के तौर पर ऐसे काम शुरू किये जायं जो मुस्तकिल तौर से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हों जैसे मकान बनाना, पुख्ता सड़कें बनाना और पुल वगैरा और जो पंचसाला योजना में शामिल हैं। यह हमने बहुत तफसील से मांगा हुआ है लेकिन वह अभी तक नहीं आये हैं। एक दो जिलों से आये हैं तो हमने ढाई लाख रुपया दे दिया है। भूसे के लिये १ लाख ८५ हजार रुपये हम मंजूर कर चुके हैं। भूसे का भाव ५ रुपये ६ रुपये का है और मालूम हुआ है कि गालिबन बनारस में ७ रुपये तक है और जौनपुर में भी लेकिन गवर्नमेंट ने तय किया है कि २ रुपये १४ आने फी मन के हिसाब से भूसा दिया जायगा और जितना ट्रांस्पोर्ट इत्यादि का खर्चा है, भूसा आम तौर पर पश्चिमी जिलों से आयेगा और इसमें काफी खर्चा होगा, यह सब गवर्नमेंट बरदाश्त करेगी। चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रेस रिलीफ फंड से १ लाख ९५ हजार रुपये दिये जा चुके हैं। इस तरह से टोटल ५४ लाख ३३ हजार रुपया बैठता है। इसके अलावा प्रधान मंत्री ने साढ़े ७७ हजार रुपया इलाहाबाद, बस्ती और सात-आठ मुख्तलिफ अजला के लिये कहीं १० हजार कहीं पांच हजार और कहीं ढाई हजार रुपये भेजा है। इसके अलावा फेमिन्स रिलीफ पीपुल्स ट्रस्ट और दूसरे स्टैटुटरी बाडीज ने रुपया भेजा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की इस बाडी के पास बहुत थोड़ा सा रुपया होता है और उसमें से उन्होंने २० हजार रुपया दिया है। चीफ मिनिस्टर ने उस १ लाख ९५ हजार के अलावा ३४ हजार रुपया अपने फंड से रिलीफ वर्क के लिये अफसरान को और जहां तक मुझे याद पड़ता है। ऐसी गैरसरकारी एजेंसियों को, जिनकी बाबत उनको यकीन हो गया कि अच्छा काम कर रही हैं दिया है। श्रीमन्, चारे की बाबत मैं जिक्र कर चुका हूं। इस सिलसिले में रेलवे वैगंस के लिये हमने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वैगन्स एलाट करने में प्रायरिटी दी जाय।

अब रही गल्ले की बात। लोग जब अपने घरों को व गांवों को छोड़ कर भागे तो जो बहुत जरूरी सामान था, जैसे कागज-पत्र, रुपया पैसा वगैरा, लेकर भागे। लेकिन जो गल्ला था, हमारा ख़याल है, वह बहुत बड़ी मिकदार में वहीं पड़ा रह गया और नष्ट हो गया। तो गल्ले की बड़ी भारी समस्या थी और है और उसको दूर करने के लिये गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती थी वह उसने किया। अब सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास अपने सूबे में गवर्नमेंट की तरफ से गल्ला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से गल्ला हमारे यहां जमा था जो उनके कहने के और उनके नियमों के मुताबिक हमारी एजेंसीज के जरिये से खरीदा गया था। गवर्नमेंट हिन्द से माननीय रसद मन्त्री ने बातें कीं और अब हमने यह तै किया कि सवा तीन सेर फी रुपया गेहूं और फी रुपया साढ़े ५ सेर ज्वार, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को तक्सीम की जाय और इसमें जितना ज्यादा रुपया गवर्नमेंट को देना होगा और हैंडलिंग व ट्रान्सपोर्ट चार्जेज में जितना नुकसान होगा वह सब गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। श्रीमन्, इस साल यहां फसल अच्छी खासी थी। इन इलाकों में बाढ़ के आने से पहले गल्ले के भाव ऊंचे नहीं थे लेकिन बाढ़ आने से शरह ऊंची हो गई। जिस भाव से गेहूं और ज्वार गवर्नमेंट हिन्द की तरफ से तक्सीम किया जा रहा है, बाजार का भाव उससे कहीं ऊंचा है। तो इससे लोगों को रिलीफ पहुंची है। इसी सिलसिले में श्रीमन्, मिल्क पाउडर बच्चों और कमजोर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। जहां तक बीमारी से लड़ने का सवाल है, श्रीमन्, इस गवर्नमेंट के लिये जितना मुमकिन था वह इस सिलसिले में किया जा रहा है। मसलन जिले के शेष इलाकों से जितने कम्पाउंडर्स और डाक्टर्स मुमकिन हो सकते थे उनको वहां से हटा कर बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेज दिया गया है। दूसरे अजला से भी मेडिकल पर्सनल भेजा गया और अस्तपालों में मरीजों के लिये बेड्स बढ़ाने के हुक्म जारी हो चुके हैं और

[श्री चरणसिंह]
उम्मीद है कि उस पर अमल हो रहा होगा। कम से कम कोई शिकायत नहीं आई। श्रीमन्, सबसे बड़ा डर कालरा का रहता है। मास इनआकुलेशन बड़े पैमाने पर सामूहिक तरीके से लगवाया जा रहा है। इसके अलावा यू० पी० रेडक्रास की तरफ से कपड़ा, कम्बल, बिस्तर और मिल्क पाउडर इन इलाकों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। मनुष्यों की तरह पशुओं में भी महामारी आती है। १६ जुलाई को एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत जारी हो चुकी है और जितना अवेलेबिल स्टाफ महकमे के पास था और आसपास के अजला का स्टाफ भी इस काम में जुटा दिया गया। जहां तक मकान बनाने के सामान की जरूरत है महकमा जंगलात को यह अहकाम जारी किये गये हैं कि बांस, बल्ली, भूसा और सूखी घास यह जितना भी उनके पास है जल्दी से जल्दी मुहय्या किया जाय और प्राविन्शियल आयरन एंड स्टील कंट्रोलर को टिन शीट्स सप्लाई करने के लिये हुक्म जारी हो चुका है।

श्रीमन्, जब लोग मुसीबत में थे और अपने बच्चों की हिफाजत भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे तो इसकी जरूरत थी कि बाहर से आदमियों की मदद भी उनको भेजी जाय। ५० आदमी लखनऊ से फैजाबाद भेजे गये, जो मकानात गिरे पड़े थे उनकी सफाई वगैरह करने के लिये। एक पी० ए० सी० कम्पनी आजमगढ़ भेजी गई। बनारस से कोई सीधा रास्ता उनके जाने का नहीं था। जिस रास्ते से भी मुमकिन था उनको जल्दी से वहां पहुंचने के लिये कहा गया। फौज की तरफ से ए० सी० सी० जिसमें २५० से ३०० आदमी होते हैं उसकी तीन यूनिट्स एक आजमगढ़, एक जौनपुर और एक फैजाबाद मकानों की सफाई के लिये, लोगों की इमदाद के लिये भेजी गई। जहां तक गवर्नमेंट के मतालबों का ताल्लुक है तकावी वगैरह की वसूलयाबी रोक दी गई है। लेकिन जहां तक मालगुजारी का ताल्लुक है, हमने कलेक्टरों से यह कहा है कि अगर वह कहीं जरूरी समझते हैं तो वह गवर्नमेंट का एप्रूवल लेकर मालगुजारी की वसूलयाबी रोक सकते हैं। वैसे, जो गम्भीर परिस्थिति आयी हुई थी गवर्नमेंट का सारा स्टाफ, यहां तक कि चकबन्दी का स्टाफ तक, लोगों की इमदाद करने में लगा हुआ था, तो वसूलयाबी का कोई सवाल ही नहीं। इसके अलावा जो फ्लड ससेप्टिबिल एरियाज है, जहां पर आमतौर पर फ्लड आते हैं, वहां मालगुजारी वसूल करने के लिए दो साल से हमने यह हिदायत की हुई है कि जहां तक हो सके जून या १५ जुलाई तक वसूल करने की कोशिश की जाय। आमतौर पर खुशदेहन्द लोग मई और जून में मालगुजारी बेबाक कर देते हैं लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाती है तो वह सितम्बर तक वसूल होती है। फसल जो मार्च और अप्रैल में उठेगी अगर वह अगस्त तक जाती है और उस वक्त अगर कोई आदमी मालगुजारी रोकता है तो ठीक है, एक इंसानियत का तकाजा होता है कि उस पर मुसीबत आयी है लिहाजा जो गवर्नमेंट का मतलबा है वह इस वक्त मुल्तवी हो जाय। मेरा भी यही खयाल होता है, मेरे मित्रों में बहुतों का यही खयाल होता है, सभी का होता है। लेकिन यह उन किसानों के हित में नहीं बैठता क्योंकि यह फसल बरबाद हुई, इसकी तो मालगुजारी माफ होगी ही, लेकिन खरीफ की जो पिछली मालगुजारी नादेहंद या बददेहंद आदमी ने नहीं दी है अगर वह मुल्तवी होती है तो अगली रबी की फसल पर पिछली फसल की मालजगुजारी का बोझ पड़ता है। इसलिये मैं इसे उनके इंटरेस्ट में ठीक नहीं समझता। इस तरह की मालगुजारी बची होगी तो बहुत कम लेकिन फिर भी, क्योंकि कलेक्टरों ने लिख दिया है इसलिए मुल्तवी कर दी गयी है। लेकिन मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से एक दम और मतालबों की बाबत आर्डर्स कर दिये हैं मालगुजारी की बाबत नहीं किया। बल्कि जिलाधीशों के डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया गया है।

फौज से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो इमदाद मिली है, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि उनकी सराहना कर सकूं उनसे जितना हो सका उन्होंने हमको इमदाद दी मसलन मोटर बोट्स, बढ़ी स्टीम पावर बोट और २५ नम्बर की एच० बी० फ्लैट बाटम बोट हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इलाहाबाद से आजमगढ़ भिजवाई। तीन मोटर बोट अभी कल-परसों बस्ती भेजने का इन्तजाम किया गया है। वहां के कलेक्टर ने मांगी थी। २५ हजार आदमियों के ठहरने के लिए फौज ने हमको

टेंट्स दिये। तीन हजार के लिये जौनपुर, दस हजार के लिए आजमगढ़, आठ हजार के लिए फैजाबाद और चार हजार के लिए बलिया में। २५ हजार आदमियों के लिए इस तरह से कानपुर से उन्होंने टेंट्स भेजवाये। आजमगढ़ में कुछ अरसे के लिए हमारे कम्युनिकेशंस बिलकुल कट आफ हो गये थे। एक वायरलेस सेट आर्मी ने इलाहाबाद से आजमगढ़ भेजवाया और एक वायरलेस सेट यहां भेजवाया, जिससे उनका भेजा हुआ मेसेज हमारे अफसरान यहां रिसीव कर सकें। श्रीमन्, जनशक्ति की जो इमदाद उन्होंने की उसका मैं जिक्र कर चुका। उसका दोहराना बेकार है। कपड़े का भी जो उनके यहां सरप्लस है वह फैजाबाद और दूसरे जिलों को भेजने का इंतजाम किया जा रहा है और बहुत हद तक किया जा चुका है। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य इस बात में मुझसे सहमत होंगे कि हम आर्मी अथारिटीज का शुक्रिया तहेदिल से अदा करें और अब जहां तक रेलवे की बात है उन्होंने भी हमारी इमदाद करने में कुछ उठा नहीं रखा। उन्होने बनारस से बलिया को ४,००० आदमियों के ठहरने के लिये टीन शीट्स का एक वैगन भेजा। जब वहां घाघरा बहुत बढ़ गई, तो बलिया के डी० एम० ने रेलवे अथारिटीज को लिखा कि लोगों को ठहराने के लिये वैगन्स भिजवाइये। लेकिन बनारस में वह इतने ज्यादा थे नहीं। वहां की रेलवे अथारिटीज के पास टीन शीट्स थे। हमने कहा हम उनसे ही काम चलायेंगे और वह उन्होंने भेजे। जौनपुर में लोगों को शेल्टर देने के लिये रेलवे ने बहुत रेडी असिस्टेंस दी। इसके अलावा रेलवे वैगन्स के लिये जिस वक्त और जब हमने कहा वह फौरन उन की तरफ से मुहैय्या करने की कोशिश की गई और कोई बहाना नहीं किया गया।

जहां तक रिहैबिलिटेशन का संबंध है, जैसा कि मैं पहले थोड़ा सा अर्ज कर चुका हूं कि जरूरत है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, उनके पास क्रय शक्ति हो, इसके वास्ते टेस्ट वर्क चालू किये गये और अगर यह चीज सेकिन्ड फाइव इयर प्लान की स्कीम के साथ ऐडजस्ट की जा सके तो अच्छा है। ऐसी स्कीम हमने उनसे मांगी है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, उनकी योजना अभी आई नहीं और अभी कोई जल्दी भी नहीं है क्योंकि जब तक जमीन सूख न जाय तब तक टेस्ट वर्क का शुरू करना हर जगह मुमकिन नहीं है। किसान यह कोशिश कर रहा है कि वह अपनी कोई न कोई फसल बो ले। मसलन जड़हन, इसके लिये उनको नर्सरी की जरूरत है, पौद की जरूरत है। हम दूसरे जिलों से पौद भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान खुद जानता है कि कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और किसी भी गवर्नमेंट के लिये उसकी मुसीबत को मिटा देना मुमकिन नहीं। लिहाजा वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और येनकेन प्रकारेण जितनी जल्दी से कुछ बोकर अपनी हालत सुधार लें, इसकी कोशिश कर रहा है। हमारी जो कोशिश है वह हो ही रही है।

श्रीमन्, १९५३ की सितम्बर में हमने महकमा माल की तरफ से यह आदेश जारी कराये थे कि जिन लोगों के मकान गिर गये हैं या जिनकी जमीन कट जाती है, उनको जहां तक मुमकिन हो मकान बनाने और खेती करने के लिये जमीन दी जाय। अगर अपने गांव समाज की जमीन उनके पास नहीं है तो पड़ोस के गांव समाज के लिये आर्डर्स हैं। अगर वहां किसी भी गांव समाज के पास जमीन नहीं है तो गवर्नमेंट ने जो जमींदारी एबालिशन के बाद साढ़े ३८ लाख एकड़ जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट को दी थी उसमें से इन किसानों को खेती और मकान बनाने के लिये जमीन दी जाय।

श्रीमन्, जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस साल जो हमारे प्रदेश में मुसीबत आई है, उसमें जो एग्रेवेशन हुआ, उससे जो शिद्दत, तेजी या धार आई उसका कारण था मैन-मेड क्रियेशन। ईरिगेशन डिपार्टमेंट का पहले से ही इस तरफ ध्यान था। यह बात ऐसी नहीं है कि जो हमारे विशेषज्ञों को न मालूम हो। लेकिन अब वे इसकी तरफ और विशेष ध्यान देने जा रहे हैं और इस तरह के आर्डर्स उनको जारी कर दिये गये हैं। इसी तरीके से पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियर को लिखा गया है कि वे इसी वक्त सर्वे करें कि कहां बाढ़ से पानी रुका है, कहां किसानों ने अपने गांवों को बचाने के लिये सड़कों को काटा है। इस वक्त वह भी अपना सर्वे कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से भी इस तरह का सर्वे कराने की दख्वास्त की है। माननीय रेल

[श्री चरणसिंह]

व यातायात मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री के साथ तशरीफ़ लाये थे । माननीय मुख्य मंत्री ने उनसे मौखिक रूप से दरख्वास्त की है और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इस तरह के अहकाम जारी कर दिये। अब उनके अफ़सरान की तरफ से रेलवे लाइन्स का सर्वे हो रहा है कि कहां कलवर्ट्स, वाटर गेट्स या ब्रिजेज़ को चौड़ा किया जा सकता है । यही नहीं कि अहकाम जारी कर दिये, बल्कि मौके पर आज काम हो रहा है ।

श्रीमन्, पिछले साल साढ़े पांच सौ गांव का लेविल ऊंचा किया जा चुका है । कन्ट्रोल बोर्ड ने हमारे विशेषज्ञों ने अपने अनुमान और पुराने तजुर्बे की बिना पर यह मशविरा किया था गवर्नमेंट ने उसको मन्जूर किया। उनका यह मशविरा और साढ़े पांच सौ गांव की विलेज साइट के लेविल का ऊंचा उठाना इतना कामयाब हुआ कि अब चारों तरफ से इसका मतालबा है कि और गांवों के भी लेविल को इसी तरह उंचा किया जाय । अब इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में तीन हजार गांवों के लेविल को अगले जाड़ों से ऊंचा करने का प्रस्ताव जेरे गौर है ।

श्रीमन्, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया सन् १९४८ से बराबर मुसीबत हमारे प्रदेश पर आयी' विषेशकर पूर्वी इलाके में । हमारे लोगों की क्रय-शक्ति बहुत हद तक कम हो चुकी है । मुसीबत की भी एक हद होती है, ठिकाना होता है और आदमी में भी उसके बर्दाश्त करने की हद होती है। पिछले इन तीन सालों में यह जो फ़्लड ससेप्टिबिल या फ़्लड अफ़क्टेड एरियाज़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दो करोड़ रुपये की तकावी दी गई । सन् १९४८, १९४९, १९५० और १९५१ में कितनी तकावी दी गई वे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं । लेकिन सन् १९५२, १९५३ और १९५४ में लगभग दो करोड़ की तकावी दी गई । मतालबे भी पुराने इतने पड़े हुए हैं । वे काफ़ी वसूल भी हुए हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है ज्यादातर वसूल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन मतालबों में से कुछ हिस्सा, विशेषकर उन इलाकों में जो कि बराबर बाढ़ ग्रस्त होते रहे हैं, वसूल नहीं हो पाया है । श्रीमन्, मुझे आपके जरिये सदन को बताने में यह खुशी होती है कि जिन गांवों के अन्दर सन् १९५३ और १९५४, दोनों साल बराबर, यह दैवी या नेचुरल केलेमिटी आयी हैं, ओले पड़े हैं या बाढ़ आयी है, या सूखा पड़ा है वहां के निवासियों को सन् १९४८ से लेकर सन् १९५४ तक कानून नं० १२ सन् १८८३ के मातहत जो तकावी तथा गांव बनाने, बैल, बीज व खाद खरीदने आदि के लिये शार्ट टर्म लोन्स और उसी तरह की छोटी-मोटी तकावी दी गई है, वह सरकार ने माफ कर दी है । श्रीमन्, इसकी रकम ३० लाख रुपये के लगभग बैठती है । तो यह ३० लाख रुपये माफ किये गये । इसके अलावा श्रीमन्, मकान बनाने के लिए ख्वाह किसान हों या गैरकिसान हों, क्योंकि अब की बार तो आजमगढ़ में और जौनपुर में खास तौर से शहर के बाशिन्दों को भी मकान की तरफ से बहुत नुकसान हुआ है, ३० लाख रुपये का कर्जा देने का विचार है । इस कर्ज पर कोई सूद न लेने का निश्चय गवर्नमेंट ने किया है । साथ ही साथ इस वर्ष जो शार्ट टर्म तकावी दी जाएगी उसका अनुमान अभी १ लाख २० हजार रुपया बैठता है । श्रीमन्, गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि वह भी इंटरेस्ट फ्री होगी और कोई सूद उस पर नहीं लिया जायगा। यह इंटरेस्ट का जो मतालबा बैठ रहा है श्रीमन्, जो कि पुराने रूल्स के मुताबिक आता है, वह २० लाख रुपये के करीब बैठता है । २० लाख से कुछ ज्यादा ही बैठता है । तो ३० लाख की माफी वह और २० लाख की यह सूद की माफी कहो या जो कुछ कहो, इस तरह यह ५० लाख रुपये की राहत हमारे गरीब जनवर्ग को होगी । श्रीमान्, मुहकमे उद्योग की तरफ से पिछले वर्ष २ लाख ३२ हजार रुपये खर्च किया गया था । कोइ ७५ स्पिनिंग सेंटर्स कायम करने के लिये और इस वर्ष भी लगभग २ लाख रुपये इन फ्लड अफेक्टेड जिलों में करीब ६० सेंटर्स कायम करने के लिये बजट में मौजूद हैं । लेकिन कुछ लोगों को और राहत मिल जाय इस दृष्टि से मुहकमे इंडस्ट्रीज की तरफ से २ लाख ४३ हजार रुपये और खर्च करने का निश्चय किया गया है जिसमें १४ हजार चरखे तकसीम करने के लिए, जिनकी कीमत ८ रुपया फी चरखा के करीब पड़ती है। १ लाख १२ हजार रुपया, और फी हुंडी २ आने की सब्सिडी देने के लिए १ लाख ३१ हजार रुपये के करीब निश्चय किया गया है । यह २ लाख ४३ हजार रुपये गरीब औरतों को कुछ रोजगार मिल सके,

इस ख्याल से देने का गवर्नमेंट की तरफ से निश्चय किया गया है। श्रीमान, इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल्स और हायर सेकेंड्री स्टेज तक के स्कूल वाक़य हैं उनसे दिसम्बर तक जितनी फीस इन बच्चों की होगी, वह सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या अगर प्राइवेट स्कूल हैं तो उनके मैनेजमेंट को देगी।

श्रीमन् मुहकमे माल की तरफ से एक निश्चय और किया गया है जिसका अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। इधर के जो मध्यवर्त्ती लोग हैं उनका ५० रुपये तक का मुआवजा तो नक़द दिया ही जा रहा है और बहुत कुछ दिया भी जा चुका है लेकिन बड़ी रकम जो उनको दस्तावेज की शकल में ही दी जानी है और बहुत लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके दस्तावेजात उनको मिल जांय। बहुत लोगों की कोशिश होती है लेकिन सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। तो हमने यह निश्चय किया कि आगे तीन महीने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से जो बांड्स जारी होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो बांड्स तैयार करने की उनसे दरख्वास्त की जायगी, वह केवल फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के इंटरमिडियरीज़ के लिए ही होगी और दूसरे जिलों के लोगों की तीन महीने के बाद बांड्स तकसीम किये जायंगे ताकि बांड्स उनके पास हो जायं और वह उससे अपनी इच्छा को पूरी करना चाहें तो करें। श्रीमन्, अकबरपुर से लेकर टांडा तक रेलवे लाइन किसी जमाने में कायम थी और पिछली लड़ाई के जमाने में हटा दी गयी थी। उस रेलवे को दोबारा बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से दरख्वास्त की है। अगर उन्होंने मंजूर कर लिया, जैसा कि हमको आशा है कि मंजूर कर लेंगे, अगर्चे उनकी मौजूदा स्कीम के अन्दर वह लाइन नहीं आ रही और उनकी कुछ मजबूरियां हैं। उससे हजारों आदमियों को रोज़गार मिलेगा और इस इलाके को सहूलियतें हो जायंगी।

श्रीमन्, गोरखपुर और आजमगढ़ में कुछ बांध, जो कि पुराने थे, टूटे और उसके सिलसिले में दो रायें हैं। कुछ लोगों का उसके सिलसिले में कुछ कहना है और दूसरों की कुछ राय और हो सकती है। वह एक टेक्निकल बात, एक विशेषज्ञों के जानने की बात है। मैं समझता हूं कि बहुत से साहबान को मालूम हो चुका होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन हुए, अब से ४-५ दिन पहले यह निश्चय कर लिया था कि एक एक्सपर्ट्स कमेटी बिठलाई जाय जोकि इस बात की तहक़ीक़ात करे। वह कमेटी मुकर्रर हो चुकी है जिसके चेयरमैन हमारे पी० डब्ल्यू० डी० के सेक्रेटरी श्री गोविन्द नारायण, जो कि एक बहुत योग्य व्यक्ति हैं, होंगे उसके अलावा श्रीमन्, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूं, ३,००० गांवों का लेविल ऊंचा करने की बात ज़ेर तजवीज़ है और गालिबन मंज़ूर हो जायगी।

अब यह श्रीमन्, मैंने मुख्तसरन गवर्नमेंट की तरफ से जो किया गया है वह बताने की कोशिश की। लेकिन इस सारे काले चित्र में श्रीमान्, दो तीन सफ़ेद चमकने वाली धारियां है, या लाइन्स है, जिन पर हममें से प्रत्येक आदमी गर्व कर सकता है। श्रीमान्, २५ तारीख की बात है, प्रेस से संबंधित कुछ मेरे मित्र मेरे कमरे में बैठे थे। वह मुझको कुछ सुझाव दे रहे थे कुछ बातें जानने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि इस वर्ष मुझको उतनी चिन्ता इस बाढ़ के सिलसिले में नहीं है जितनी कि हुआ करती थी, बावजूद इसके कि नुक्सान कहीं ज्यादा २५ जुलाई तक होने की आशंका है। २५ तारीख तक ये खबरें हमारे पास आयीं तो मैंने गौर किया और मैंने एनेलाइज किया कि आखिर मेरा यह विचार क्यों बना हुआ है? यह चिन्ता क्यों नहीं हो रही है? तो श्रीमन्, उसका कारण यह है कि चिन्ता आदमी को तब होती है जबकि वह कुछ कर सकता हो और अपनी गफलत के कारण न कर पाया हो। उसकी गफलत के कारण दबी आत्मा को एक खेद, पश्चात्ताप और नदामत महसूस होती है। लेकिन श्रीमन्, मुझे दरअसल यह कहने में खुशी होगी कि राज्य कर्मचारियों ने आम तौर पर जिनमें से बहुत से तो बिल्कुल नौजवान अफसरान हैं, इस लगन के साथ काम किया, इस ईमानदारी के साथ काम किया, इस मेहनत के साथ काम किया कि जिस पर सूबे और आप सब लोग, जिनको कि सूबे की खिदमत करने का मौका मिला है, अपना सर ऊंचा करके चल सकते हैं। वह लोग जिन

[श्री चरणसिंह]

से कि मुझको यह आशंका थी कि कुछ न कुछ छिद्रान्वेषण करेंगे, मैंने उनके बयानों को भी देखा। सबने मुक्त कंठ से अफसरान की तारीफ की। बार असोसिएशन के रेजोल्युशंस और दो चार इधर के खत, मेरे माननीय सदस्यों के पत्र, सब से एक ही ध्वनि निकलती थी कि यथासम्भव और यथाशीघ्र जितना हो सकता था वह राज्य कर्मचारियों ने इस विपत्ति में किया।

श्रीमन्, मैं समझता हूं मैं हकबजानिब हूंगा अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ़ से और इस विधान सभा के मेम्बरान की तरफ़ से इन जन-सेवकों को मुबारकबाद दूं। दूसरी बात जिस पर हम सब को खुशी होनी चाहिये वह यह कि राज-कर्मचारी और दूसरे जन-सेवक, राज कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेन्ट हुये और जो लोग गवर्नमेंट के अनुशासन में इस तरह बंधे नहीं हैं वे भी पब्लिक सर्वेंट्स हुये, तो आफ़िशली जो पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं वे और जो नान-आफ़िशल पब्लिक सर्वेन्ट्स कहलाते हैं वे, इस वर्ष उन्होंने कन्धे से कन्धा मिला कर काम किया है और दोनों में होड़ लगी रही है इस बात की कौन अधिक सेवा करता है। यह बात जहां अपने आप ही एक खुशी का मुकाम है वहां इस बात की भी शहादत है कि राज्य-कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है वरना गैर-सरकारी जन-सेवक शायद इस तरह से उनसे कन्धे से कन्धा मिला कर काम न कर सकते। तो जहां तक नान-आफ़िशलस का तालुक है, कांग्रेस-मैनों की जिम्मेदारी तो है ही लोगों की सेवा की। क्योंकि उनका बहुत बड़ा आर्गनाइजेशन है, हर तरफ उनका जाल बिछा हुआ है। लेकिन मैं उनको मुबारकबाद का इतना मुस्तहक़ नहीं समझता हूं जितना कि कांग्रेस के अलावा और दूसरे दलों के जो लोग हैं, उनको जिन्होंने हमारा इस काम में हाथ बंटाया। श्रीमान्, और भी जो परोपकारी लोग हैं, जिनके पास परमात्मा ने पैसा दिया है उनमें से भी कुछ कानपुर के लोग और यही नहीं कि इसी प्रदेश के बल्कि बाहर के भी, बम्बई तक से लोगों ने आफ़र किया कि हम सेवा करने के लिये तैयार हैं, गवर्नमेंट जो चाहे हमसे सेवा ले। तो जहां तक जन-शक्ति का ताल्लुक था हम उनकी जरूरत महसूस नहीं करते थे, हमने उनको तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह कि जो इतनी बड़ी आपत्ति हमारे प्रदेश पर टूटी उसका मुकाबिला करने के लिये लोग कटि-बद्ध थे। श्रीमन्, यह हर्गिज मैटर नहीं करता कि विपत्ति कितनी बड़ी थी। रुपये के टर्म्स में कितना नुकसान हुआ, ठीक आन्दाज नहीं, लेकिन वैसे एक मोटे से अन्दाज से ४० और ५० करोड़ के बीच में बैठता है। लेकिन श्रीमान्, ये ४०, ५० या ८० और १०० करोड़ भी मैटर नहीं करते। मैटर यह करता है कि लोग इस मुसीबत का किस स्पिरिट से मुकाबिला करने को तैयार हैं। जब आदमी कमर कस कर तैयार हो जाता है तो यह ८० और १०० करोड़ की पूर्ति की तो दो साल में हमारा किसान कर सकता है। सवाल यह है कि मुसीबत देख कर एक आदमी पराजय की भावना लेकर लेट जाता है और विपत्ति का मुकाबिला नहीं करता या कमर कस कर उसका मुकाबिला करने के लिये खड़ा हो जाता है। दोनों में बड़ा अन्तर है। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारे लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ, हर प्रकार के जन-सेवकों ने बड़ी तत्परता के साथ इस विपत्ति का मुकाबिला किया। तो यह तो हमारा कर्तव्य हुआ कि हमने इस प्रकार की विपत्ति का मुकाबिला किया और यह हमारा प्रिवेलेज भी था जिस पीढ़ी के सामने देश गुलाम था उसी पीढ़ी ने उसको आजादी मिलते हुये भी देखा। तो श्रीमान्, जो हमारी समस्यायें हैं वे हमें हल करनी हैं, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं इसको प्रिवेलेज मानता हूं आने वाली पीढ़ी के मुकाबिले में कि तीन पीढ़ियों के बाद, ५० साल बाद देश की समस्यायें हल हो चुकी होंगी लेकिन हमको उन विपत्तियों और समस्याओं को हल करने का मौका मिला। श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे खुशी होती है कि हम परीक्षा में सफल निकले और उत्तीर्ण हुये।

श्रीमन्, बावजूद इसके कि जो सम्भव था वह किया फिर भी हो सकता है कि कुछ मुकामों पर और कुछ मौकों पर अफसरान की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से उतना नहीं हो सका है जितना कि वह कर सकते थे या जितनी कि आप आशा करते थे। तो श्रीमन्, माननीय मित्रों की तरफ से जो भी सजेशन्स हों मैं उनका बड़ी खुशी से स्वागत करूंगा और सजेशन्स और तजवीजों

का स्वागत ही नहीं करूंगा बल्कि जो आलोचनायें होंगी उनका भी बड़ी खुशी से स्वागत करूंगा ताकि आगे के लिये इस गवर्नमेंट को ऐसी विपत्ति का मुकाबला करने में और अधिक सफलता प्राप्त हो।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही ध्यान से माननीय राजस्व मंत्री जी का बयान सुना। मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और आप से भी कि जैसी कि परम्परा पार्लियामेंट में है कि किसी माननीय मंत्री को यदि कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य देना होता है तो उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को पहले से मिल जाती है। अगर इस तरह की चीज पहले से हम लोगों को मिल जाया करें तो ज्यादा वक्त बच जाया करे। इस वक्त हमने कई बातें ऐसी सुनी हैं, जिनसे मैं स्वयं कन्फयूज हूं। कोई कार्य तुरन्त कायम करना इतने गम्भीर मसले पर सम्भव नहीं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य चाहें तो दो मिनट के लिये स्थगित करके इसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के सामने रखवा दूं, वह अभी मेरे पास आई है।

["उत्तर प्रदेश की बाढ़ स्थिति" की प्रतिलिपि सदन में वितरित की गई।]

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, जो यह रिपोर्ट अभी हमको मिली है वह सदन के उठने से आधा घंटे पहले ही मिली है। अगर इसके ऊपर आज विचार न करके कल विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम उसके ऊपर विचार कर लेंगे वरना इसके मिलने और न मिलने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल के भाषण में ही समय समाप्त हो जायगा। वह तो स्टडी करके ही आये होंगे।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है कि मुझको पहले ही पहल कई लाख आदमियों की तकलीफ को सुनाने का मौका मिला। माननीय राजस्व मंत्री ने बहुत विस्तार के साथ बातें बतायी हैं और उतने विस्तार से उनका उत्तर देना, कई बातें ऐसी हैं जिनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें समय अधिक लगेगा।

मैं सबसे पहले राजस्व मंत्री जी की खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि जो कारण उन्होंने बाढ़ के बताये हैं वे कारण ऐसे उन्होंने बताये हैं कि जिनके लिये वह खुद जिम्मेदार हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह बाढ़ आदमी की लायी हुयी है और इसमें सरकार का दोष है। सरकार को कोई खुशी इससे नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपत्ति आये और वह सरकार का एक साधारण कार्य न होकर असाधारण कार्य हो जाय और उस पर सरकार अपना इतना धन व्यय करे और अपने कर्मचारियों की ताकत उसमें लगाये और उसकी सारी शक्ति उसमें लगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कारण बताये हैं कि सन् १९४६ के बाद से बाढ़ का आना करीब-करीब प्रति वर्ष जारी है, उसके लिये जो कारण उन्होंने बताये हैं वह ऐसे हैं जैसे कि पेड़ों का काटा जाना और नदियों का मिट्टी से भरना। यह मैं मानता हूं कि असाधारण वर्षा हुई, लेकिन जो दूसरे कारण उन्होंने बताये कि पेड़ों का कटना, कुछ किसानों का दोष बताया है कि उन्होंने खेतों को गलत तरीके से जोतना शुरू किया और वह इस प्रकार से गलत जोतने लगे कि जिसमें नदी में ज्यादा खेतों से मिट्टी आने लगी और इससे जो नदियों की धारा जो पहले थी वह भर गयी और वह छिछली होने के बाद पानी जो आया तो वह ऊपर ज्यादा फैल गया इस वजह से बाढ़ आ जाती है। इन सभी कारणों की यदि जड़ में जायं तो मैं कह सकता हूं कि स्वयं राजस्व मंत्री जी दोषी हैं इस पर वह जरा विचार करें। मैं उनको दोषी करार नहीं देता हूं

[श्री गेंदा सिंह]
लेकिन जो कारण उन्होंने बताये हैं और सन् ४६ के बाद की रिपोर्ट का जो जिक्र किया, मैं मानता हूं कि उसमें बहुत पुरानी बातों का जिक्र है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि पेड़ों का कटना जो तेजी से शुरू हुआ वह माननीय राजस्व मंत्री के हाथ में ताकत आने के बाद ही तो शुरू हुआ। मैं नहीं कहता कि किसानों की आदत उन्होंने बिगाड़ी। उस कमेटी का जिसका जिक्र उन्होंने किया एक मेम्बर मैं भी था और मैं यदि आखिरी दिन ही उसका सदस्य न हुआ होता तो उनसे कहता कि ऐसा मत लिखो कि किसानों के खेत जोतने से नदियां भरती जा रही हैं। इस वर्ष असाधारण वर्षा हुई है और जैसा मंत्री जी ने बताया जहां ८ या ९ इंच वर्षा होती थी वहां ४०, ५० और ३७ इंच तक वर्षा हुई है। इस प्रकार २० इंच से ऊपर ही पानी बरसा है और उस पानी को निकलने की जगह चाहिये, परन्तु उसके लिये प्रबन्ध नहीं है इसलिये बाढ़ आयी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले ८, १० वर्षों में पेड़ व जंगल बहुत कट गये और चरागाह कट गये और इसलिये बाढ़ आई। जहां तक नदियों के सिल्ट होने की बात है वह सही है लेकिन इसका दोष केवल किसानों के ऊपर ही डालना ठीक नहीं है। पहाड़ों में जो जंगल काटे जा रहे हैं और धूल और पत्थर नीचे आते हैं उनसे भी नदियों का रास्ता रुकता है और पानी फैलता है। उन्होंने कहा कि जिन नदियों से वे बाढ़ की आशा करते थे उनमें बाढ़ न आकर दूसरी नदियों में आई। मैं चाहूंगा कि यहां वह अपने को दुरुस्त कर लें यह गलत है। अगर फैजाबाद या बहराइच में घाघरा डेंजर लेबिल से ऊपर आ जाती है तो जैसा उन्होंने कहा है ज्यों-ज्यों नदियां नीचे की ओर जाती हैं त्यों-त्यों खतरा बढ़ता जाता है कोई वजह नहीं है कि बस्ती में वह डेंजर लेबिल से नीचे जायंगी। फैजाबाद में १ इंच डेंजर लेबिल के ऊपर जाता है तो बस्ती में २ इंच और ३ इंच और गोरखपुर में उससे ज्यादा जा सकता है और उसके आगे उतना ही अधिक होता जायगा। तो फिर जिन लोगों ने मंत्री जी को यह रिपोर्ट दी है वह उन्हें समझावें।

मैं कहता हूं कि घाघरा, राप्ती, सरजू, बड़ी गंडक और छोटी गण्डक, सई और गोमती ने सब ने लखनऊ के पूरब ही नुकसान पहुंचाया है। लखनऊ के पश्चिम पानी का अभाव है लेकिन पूरब में इस कदर पानी बरसा है कि नदियां अपनी धारा के अन्दर न रह सकीं और यहां तक बर्बादी हुई कि किनारे के गांवों के अलावा उन्होंने दूसरे देहातों को भी बहुत हानि पहुंचाई। हम जब तक कि इस बाढ़ की पूरी तस्वीर को न समझ लेंगे तब तक शायद सहायता करने में भी असमर्थ ही रहेंगे। इसलिये सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस तस्वीर का सम्बन्ध है हमें बहुत सतर्क होकर इस को तैयार कराना चाहिये। फैजाबाद, गोरखपुर और बनारस डिवीजन में करीब ४७ हजार गांव हैं, अगर मैं गलती पर होऊं तो माननीय राजस्व मंत्री जी मुझे दुरुस्त कर दें।

श्री चरण सिंह--आपका यह खयाल बिल्कुल गलत है।

श्री गेंदा सिंह--मैं समझता हूं कि वे जल्द ही दुरुस्त कर दें तो अच्छा है लेकिन उस वक्त तक मैं ४७ हजार लेकर ही चलता हूं।

श्री चरण सिंह--गोरखपुर डिवीजन में १५ हजार से ज्यादा गांव नहीं हैं और फैजाबाद एक छोटा जिला है।

श्री गेंदा सिंह--फैजाबाद डिवीजन में संभवतः १४,१६३ गांव हैं, बनारस डिवीजन में १३,९८८ तथा गोरखपुर डिवीजन में १९,४९१ गांव हैं। यह मैं जो मंथली बुलेटिन यू० पी० सरकार का निकलता है उससे पढ़ रहा हूं। अब इन डिवीजनों के २२ हजार गांव बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आते हैं। अब मैं इसको भी फिर से दुरुस्त करने

के लिए कहूंगा जैसा कि कहा गया है कि केवल ६० लाख एकड़ तथा ८० लाख आदमी ही बाढ़ से इफेक्टेड हुए हैं। इन तीनों डिवीजनों की आबादी २ करोड़ ४० लाख हैं और गांवों की तादाद बाढ़ग्रस्तों की २२ हजार है। यह करीब-करीब आधे गांव होते हैं। उसके हिसाब से आबादी भी करीब आधी ही बाढ़-ग्रस्त होनी चाहिये। तो इस हिसाब से एक करोड़ से ज्यादा आदमी बाढ़ग्रस्त हुए। मेरा इससे मतलब यह कभी नहीं कि मैं इन आंकड़ों के चक्कर में पड़ूं। इसके द्वारा मैं सिर्फ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि जिलों से जो रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज भी होती हैं जो ग़लत होती है। यद्यपि सरकारी अधिकारियों की ईमानदारी और काम के बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की और मैंने भी जो बाहर देखा उससे प्रभावित हुआ और उसको देखकर मेरे मन में उनकी प्रशंसा करने की बात आती है। लेकिन माननीय मंत्री जी जो कुछ कहते हैं वह ठीक ही है क्योंकि उनको उनसे काम लेना है मुझे भी अच्छी बात को अच्छी कहने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आंख मूंद कर ऐसा कह देना एक ग़लत बात होगी। क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ढिलाई भी इस विषय में की है। केवल ढिलाई ही नहीं की बल्कि जरूरत से ज्यादा ऐसा कार्य किया है, जिसके द्वारा सरकार को वस्तुस्थिति से दूर रखने का प्रयत्न किया है। अगर वे जानना चाहेंगे तो मैं उनको बता दूंगा। मैं किसी भी भले आदमी की प्रशंसा करने से डरता नहीं हूं लेकिन ऐसे लोगों को भी बताने की कोशिश करूंगा जिन्होंने सरकार के सामने ग़लत बात को रक्खा है। उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि एक आफिसर ने यह लिखा है कि ९४ गांवों में बाढ़ आयी। यह उसने आंख मूंद कर लिखा है। तो उसने आंख मूंद कर इसलिये लिख दिया कि ९४ गांव किसी नदी की हमेशा बाढ़ से डूब जाया करते हैं। लेकिन उसके बाद जब रकबा लिखने की जरूरत मालूम हुई तो एक एक गांव में जहां ५ या ६ हजार एकड़ खेत होते हैं वहां ९४ गांवों के लिये उस अफसर ने सिर्फ ५ हजार एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा, लिखा। और सच बात यह थी कि ९४ गांव जो डूबे हुए थे उनकी ४०-५० हजार एकड़ जमीन की फसल बरबाद हो गयी। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नोटिस में यह बात लायी गयी तो कुछ परेशानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी हुई और फिर उन्होंने उनको समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिये परेशानी तो यह मालूम हुई कि जब पहली मर्तबा प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में लिखा दिया कि ५ हजार एकड़ जमीन की फसल बरबाद हुई तो फिर ज्यादा अब किस तरह से लिखूं। अभी इस तरह का झगड़ा चल रहा है, पता नहीं क्या हो। तो इस तरह की रिपोर्ट जब आती है तो सही तस्वीर बाढ़ की हमारे सामने नहीं आ पाती।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से आंका और उन्होंने बहुत सही कहा है कि अबकी मर्तबा सिर्फ नदियों के किनारे के गांवों को ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि वाटर लागिंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जहां पहले पानी नहीं टिकता था वहां भी पानी के रुकने से फसलों को बहुत नुकसान हुआ। तो अब ऐसी हालत में मैं सबसे पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे सामने वाटर लागिंग की तस्वीर भी होनी चाहिए। सिर्फ नदियों की तरफ ही ध्यान न रखकर उन गांवों की तरफ भी ध्यान रख कर अपने नक्शे को बनावें। जहां पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां भी अबकी मर्तबा बाढ़ आयी और उससे नुकसान पहुंचा। यदि ऐसा न हुआ तो इस तरह से सही तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पावेगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो मुझे यह कहनी थी और इसके बाद मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां सरकार ने प्रबन्ध किया है और बहुत से नायब तहसीलदारों को भेजा है कि वे जाकर अन्दाजा लगावें लेकिन जो अन्दाजा लगाने वाले हैं, वे जो प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार के पास भेज चुके हैं, उसके बाद उनके सामने ऐसी कठिनाई होती है कि फिर दूसरी रिपोर्ट देने में वे समझते हैं कि हम झूठे साबित हो जायेंगे और इसके लिये उनको दफ्तर से कुछ डांट भी पड़ती है। तो खुल्लमखुल्ला

[श्री गेंदासिंह]

उनको इस बात को कह देना चाहिये कि अगर प्रारम्भिक रिपोर्ट उन्होंने गलत भेज दी है तो वे फिर सही रिपोर्ट भेज दें, इससे उनकी कोई बदनामी नहीं होगी और न सजा ही दी जायगी। अगर इस तरह का आश्वासन सरकार उनको दे दे तो सरकार के सामने सही रिपोर्ट आ सकती है। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सही हालात जानने के लिये यह बात आवश्यक है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि बाढ़ कुछ अच्छी चीज भी है लेकिन राजस्व मंत्री जी की सलाह से नाप-जोख कर तो बाढ़ कभी आयेगी नहीं।

श्री चरण सिंह--कहीं-कहीं नुकसान हुआ है, जैसे देवरिया में बाढ़ आने से बहुत से चूहे मर गये जिससे लोगों को तकलीफ है। (हंसी)

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बाढ़ अच्छी साबित हो सकती है जब कि वह अन्त में फसल कटने के बाद खाद के रूप में काम देने के लिये आवे। पहले फसल कटने के बाद आम तौर पर कुआर में बाढ़ आती थी। जब खरीफ की फसल कट जाती है तो रबी की फसल के लिये बाढ़ खाद का काम दे जाती है और वह एक तरह से उसके लिये आशीर्वाद के रूप में होता है। लेकिन यदि पानी अधिक दिन तक जमा रहता है या एक दो बालिस्त फसल रहती है और तब बाढ़ का पानी आता है तो हमको बाढ़ के पानी के सिर होकर नावों पर घूमना पड़ता है और आठ-दस रोज की फसल के लिये वह बाढ़ आशीर्वाद के रूप में नहीं आती, बल्कि वह उनको नष्ट करने के लिये आती है और फिर वह नाप-जोख न तो मंत्री जी के वश की है और न सरकार के या हमारे। हमारे प्रधान मंत्री जी, पंडित जी ने यहां कहा था कि कुदरत की तरफ से बदइन्तजामी हो गई, तो वह बदइन्तजामी तो हो गई, उसका इलाज न मेरे पास है और न मंत्री जी के पास है और हमें उस बदइन्तजामी को मान लेना चाहिए। और इस विज्ञान के युग में जितनी बड़ी यह समस्या है उसका उतना ही बड़ा इलाज भी होना चाहिये। इतनी बड़ी समस्या पहले कभी हमारे सामने नहीं आई थी, बाढ़ पिछले साल भी आई थी और त्योर ससाल भी आई और उसके पहले भी, लेकिन इस वर्ष वह इतनी बड़ी आयी कि पहले कभी नहीं आयी थी। अगर यह समस्या आयी और बकौल मंत्री जी के उसमें २२ हजार गांव अफेक्टेड हुए। हमारे प्रदेश में १ लाख ११ हजार गांव हैं और उनमें से २२ हजार गांव इस मुसीबत में पड़ गए इसलिए हमें इसका प्रबन्ध उसी पैमाने पर करना है। मैं उसकी कोई आलोचना या चुटकी नहीं लेना चाहता कि सरकार ने चिराग जलाने का तेल, दियासलाई चना या नमक बांटने में क्या खर्च किया, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार ने जो कुछ भी खर्च किया है वह जरूरत को देखते हुए केवल नमक के बराबर भी नहीं है। मैं कहता हूं कि इस सदन में सबसे अधिक चतुर आदमी हैं हिसाब लगाने में तो वह माननीय माल मंत्री हैं और वह ज्यादा हिसाब लगा सकते हैं। एक-एक आदमी पर कितना-कितना रुपया दिया गया और कितने आदमी इसमें लाभान्वित हुये। मैंने देखा जरूर वहां जाकर और जो मैंने देखा वह मैं उनकी खिदमत में जरूर कह दूंगा और मैं तो वहां डर गया। जब मैं कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गया तो मुझसे वहां के सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वहां के लिए चना, नमक बांटने के लिए तुम भी रखवा लो, मैंने कहा कि भाई मुझे चना, नमक वगैरह न दो और मुझे उन लोगों की हालत जान लेने दो और मुसीबत वाले लोगों से भेंट करने दो। वहां जहां सरकार का ध्यान गया था और कुछ गांवों का लेविल ऊंचा कराया गया था वहां मैं पहुंचा वहां कम से कम इतना जरूर था कि गांव के लोग कुछ ऊंची सूखी जमीन पर खड़े थे और उनको इतना सन्तोष जरूर था कि वह पानी के भीतर सूखी जमीन पर हैं। यह काम अच्छा हुआ लेकिन मैं वहां पहुंचा तो गांव भर के लोग मुझसे चना मांगने लगे, वह बहुत परेशान थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं चना तो दे नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मुझे वहां उनकी दशा देखकर

बड़ी दया आई। सैकड़ों आदमियों ने मुझसे आकर कहा कि उनके घर में खाने को नहीं है। वह वह जगह थी जहां लगातार ७ साल से बाढ़ आती है और उन बाढ़ के मारे गांवों में से वह एक गांव था। पहले साल में रबी की फसल कुछ हो गयी थी वह भी खरीफ की फसल पैदा करने में खर्च हो गयी, पहले उनकी मजदूरी लग जाती थी और वह मुसीबत में मजदूरी करके पेट पाल लेते थे और जिनके पास खेती नहीं थी वह दूसरों के, जिनके पास खेती थी उनके खेतों में मजदूरी कर लेते थे और जिनके घरों में थोड़ा बहुत नाज होता था, जो लोग कर्ज देते थे वही कर्ज लेने वाले अब बन गये हैं। न किसी की मजदूरी लगती है, नाव तक उनके पास नहीं जिससे वह दूसरी जगह ही जाकर मजदूरी कर सकें। इतनी नावें आएं भी कहां से कि हजारों आदमी वहां से रोज जाकर सूखी जमीन पर मजदूरी कर सकें। कर्जा कहीं से मिल नहीं सकता और इस तरह से आठ, पांच या दो दिन में अगर ४ छटांक या २ छटांक चना मिल भी जाय इससे उनकी गुजर का बन्दोबस्त नहीं होता और न मानता हूं कि इस प्रकार से किसी का गुजर या बन्दोबस्त कराया जा सकता है।

यह समस्या ऐसी नहीं है कि सरकार लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बांटकर और लोगों को सहायता देकर सारी मुसीबत को हटा सके। ऐसा मैं जरूर सोचता हूं कि जहां पर ऐसी अवस्था हो, इस मुसीबत को क्यों न रफा हमेशा के लिये कर दिया जाय। यही उपाय हमें सोचना चाहिये और इस बात को भी कहूंगा कि हमारी सरकार इस मुसीबत को रफा कर सकती है। यह मैं नहीं मानता कि वह बाढ़ रोक सकती है या पानी के बरसने को कंट्रोल कर सकती है लेकिन सरकार का काम यह है कि वह कम से कम जो मुसीबत आती है उसका इलाज करे और मेरा विश्वास है कि इस वैज्ञानिक युग में इसका इलाज ढूंढ़ा जा सकता है। आज के वैज्ञानिक युग में कोई भी काम असम्भव नहीं है। हमारे सामने कुछ आदर्श हैं। मैं अमरीका का आदर्श अपनी सरकार के सामने रखने का साहस नहीं कर सकता, इसलिये कि उनके यहां तो बिलियन डालर्स के खर्चे की बात होती है। यह सुनकर हमारी हिम्मत टूट जाती है कि हम हिन्दुस्तान में शायद वैसी बात न कर पायेंगे, हालांकि एक दो वर्षों में उन्होंने भी नहीं किया बहुत वक्त लगा और उस पर भी हमें विचार करना चाहिये। बहरहाल कोसी प्रोजेक्ट वगैरह की जो बात है बिहार में १ अरब ३७ करोड़ रुपये खर्च करके बाढ़ को रोकने का प्रयत्न हो रहा है और उसका बन्दोबस्त किया जा रहा है। उस तरह की चीज की जरूरत है लेकिन चीन के आदर्श बाढ़ वाले काम को मैं अच्छा समझता हूं।

श्री चरण सिंह--जी हां, चीन का।

श्री गेंदा सिंह--राजस्व मंत्री जी चीन का नाम सुनते ही नाराज होने लगते हैं लेकिन हम नहीं कहते हैं कि कुंवर सेन साहब जो हमारे हिन्दुस्तान के वैज्ञानिक हैं, जो चीन भारतवर्ष से भेजे गये थे और उन्होंने जो आ करके अपना मत दिया था उस मत से मैं भी प्रभावित हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को उससे सबक लेना चाहिये। सरकार को ऐसे-ऐसे काम भी उठाने चाहिये कि जिससे बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को रोजी मिल सके, लेकिन सिर्फ रोजी देने के लिये ही ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिये, जो अवैज्ञानिक हों और वह कहीं पानी के रास्ते को रोक दें और कहीं किसी फसल को बरबाद कर देने का जरिया बन जायं, यह बात नहीं होनी चाहिये। उसके लिये बहुत ही योजना के साथ हमें चलना है। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं हमें उन्हीं पर आश्रित रहना पड़ेगा। जो इंजीनियर्स, जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये लोग जब इस वक्त बाढ़ आई हुई है अभी बाढ़ का कुछ नक्शा देख सकते हैं क्योंकि पानी का चिह्न आज भी दिखाई देता है वह गांवों में जायें और वहां जाकर देखें कि यह पानी कैसे निकाला जा सकता है। पानी इस वक्त अपने आप अपना रास्ता निकाले हुये है और अगर उसको वैज्ञानिक लोग देख पायेंगे तो उनको कुछ बनावटी काम आगे नहीं करना पड़ेगा और जिन बनावटी कामों के करने से कहीं-कहीं कुछ नुकसान भी हुआ है। राजस्व मंत्री जी को

[श्री गेंदा सिंह]

ध्यान होगा कि आजमगढ़ की एक शिकायत है। मैं वहां गया था और मैंने देखा था कि एक सड़क ऊंची की गई। बहुत जरूरी था कि वह उसको ऊंचा करें। ऊंचा न हो तो फिर शहर से रेलवे स्टेशन का सम्बन्ध बरसात में टूट जाता है। पानी ऊपर से बहने लगता है। अच्छा काम था लेकिन सड़क बनने के पहले सोचना चाहिये था कि टोंस का पानी कितने क्यूजेक्स आता है, वह कैसे निकलेगा यह ध्यान में रखने की बात थी। छोटा सा पुल बादशाही जमाने का बना हुआ है उससे कुछ पानी निकलता था और शेष ऊपर से पानी निकलता था। वहां के मुकामी विशेषज्ञों ने लिखा कि वहां पर १६० फुट का पुल बना दिया जाय तो काम चल जायगा। लेकिन यहां से आदेश हो गया कि नहीं ६० फुट का पुल बने तो काम चल जायगा। अब ६० फुट का पुल बना और उसका नतीजा यह हुआ कि उस पुल का पता नहीं कि कहां है और सड़क ऊंची हो गयी तो उसका नतीजा यह हुआ कि पानी नहीं निकल सका। मैं नहीं मानता कि टोंस में बाढ़ सिर्फ इस वजह से आयी हो लेकिन कम से कम इतना जरूर हुआ कि आजमगढ़ शहर मेरे ख्याल से डूबने से बच जाता अगर पानी निकलने का रास्ता टोंस का होता तो बांध नहीं टूटता। वह इसलिये कि यह सड़क जो इतनी ऊंची कर दी गई पानी को रास्ता निकलने का न मिलने के कारण रुक गया और उस पानी ने ऊपर तक रुक कर आजमगढ़ के बांध को धक्का मारा। लाल डिग्गी पर बांध टूट गया और टूट कर आजमगढ़ शहर को खतरे में डाल दिया। आजमगढ़ को तीन तरफ से टोंस नदी घेरे हुए है। बांध के बल पर आजमगढ़ बसा हुआ है। बांध टूट गया और १५, २० मिनट के अन्दर सैकड़ों-हजारों घर बरबाद हो गये।

मेरा कहना यह है कि इस वक्त हमारे विशेषज्ञ लोग जो हैं वे वहीं होते तो बहुत अच्छा होता। मैंने पहले भी आजमगढ़ से आते-आते तुरन्त एक स्टेटमेंट दिया था। माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करता लेकिन जल्दी में था और तुरन्त चला गया और मैंने बयान दे दिया। बयान उन्होंने पढ़ा ही होगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि माननीय राजस्व मंत्री ने बयान नहीं पढ़ा। क्या बतलाऊं उस जमाने में जब बाढ़ आई हुई है उस समय विशेषज्ञ लोगों का कोई काम बंगले में है नहीं। इस वक्त असली काम उनका वहां है, फील्ड में है। जो काम उन्होंने ८, ९ महीने तक किया है उसका क्या परिणाम हो रहा है, उससे क्या लाभ और हानि हो रही है अगर ये चीज वह देख लें तो आगे के लिये ठीक-ठीक प्रोग्राम बना सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि कुछ ऐसे भी काम होने चाहिये जिसमें लोगों को रोजी मिले। उस सिलसिले में मैंने यह कहा कि कि कुछ काम ऐसे हैं जिनमें पहले प्लानिंग होनी चाहिये। यह नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बंधी बना रहा है तो अलग बन्धी बना रहा है। उसका फ्लड डिवीजन से कोई वास्ता नहीं है। अगर पी० डब्लू० डी० की सड़क बनती है तो उसको ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ड्रेनेज डिपार्टमेंट से कोई वास्ता नहीं है। ड्रेनेज डिपार्टमेंट मिट्टी निकाल कर अगर नहर बना रहा है, नाली चौड़ी कर रहा है तो उसको परवाह नहीं कि अगर पानी रुकेगा तो कहां जायगा। ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं ये सब अपना-अपना काम करते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जब ये सारी चीजें बन रही हैं तो निर्माण का काम नहीं रुक सकता, निर्माण का कार्य होगा। लेकिन जो कुदरती पानी का बहाव है उसे आप रोकेंगे तो उसके लिये हमें सोचना चाहिये कि कैसे हम उस पानी को निकाल सकें और जब तक उस पानी को निकालने का बन्दोबस्त नहीं कर सकेंगे और हर अगले साल बांध बनायेंगे, नहरें बनायेंगे तो नतीजा यह होगा कि पानी बरसने पर हर साल थोड़ा पानी आयेगा, बाढ़ आयेगी। तो ऐसा कोई कोआर्डीनेटेड प्लान होना चाहिये जिसके मुताबिक कम से कम वाटर लागिंग न हो।

मैं छोटे-छोटे कामों की ही ओर सरकार का ध्यान दिला रहा हूं। बड़े काम केवल स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। अगर स्टेट

गवर्नमेंट अपना सारा रुपया केवल बाढ़ के कामों में खर्च करने लगे तो अध्यक्ष महोदय, बड़ी शिकायत मेरी भी होगी और माननीय राजस्व मंत्री पर भी बड़ा जोर पड़ेगा। आखिर उधर जो सूखा पड़ता है, ५० परसेंट खेत ऐसे हैं जिनको सिंचाई के लिये पानी चाहिये उनको जब पानी नहीं मिलेगा तो वे परेशान हो जायेंगे कि सारा का सारा रुपया उधर खिंच जाता है। श्री रामचन्द्र विकल कैसे बैठे रहेंगे। बुलन्दशहर का किसान मानेगा नहीं। सारा पैसा तो उधर वालों ने ले लिया फिर इधर क्या हो यह उसका सवाल होगा। इसमें आपस में बहुत झगड़ा होगा और मन में यह झगड़ा होता है, मुंह से वे कहें या न कहें।

श्री अध्यक्ष--अभी आप जारी रखेंगे?

श्री गेंदा सिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की सूची तथा उनके १९५४-५५ सीज़न में बन्द होने की तारीखें।

क्रम-संख्या	नाम	बन्द होने की तारीख़	क्रम-संख्या	नाम	बन्द होने की तारीख़
१	लक्ष्मीगंज	२-३-५५	३४	तुलसीपुर	२६-४-५५
२	घुघली	८-३-५५	३५	परताबपुर	२६-४-५५
३	कठकुइया	१३-३-५५	३६	हरगांव	२८-४-५५
४	रामकोला (पी)	१७-३-५५	३७	जरवल रोड	३-५-५५
५	सिसवा बाजार	१८-३-५५	३८	सरदार नगर	४-५-५५
६	पडरौना	१८-३-५५	३९	बिलारी	६-५-५५
७	छितौनी	१८-३-५५	४०	गोला	११-५-५५
८	रामकोला (के)	२१-३-५५	४१	बुलन्द (रामपुर)	११-५-५५
९	फरेंदा	२२-३-५५	४२	अमरोहा	१२-५-५५
१०	खलीलाबाद	२७-३-५५	४३	बुलन्दशहर	१४-५-५५
११	शाहगंज	२९-३-५५	४४	बहेरी	१७-५-५५
१२	कैप्टेनगंज	३१-३-५५	४५	रजा (रामपुर)	२०-५-५५
१३	खड्डा	१-४-५५	४६	बेगमाबाद	२२-५-५५
१४	नवाबगंज	१-४-५५	४७	पीलीभीत	२६-५-५५
१५	बलरामपुर	३-४-५५	४८	सिवहारा	२६-५-५५
१६	शिवराही	४-४-५५	४९	महौली	२६-५-५५
१७	देवरिया	८-४-५५	५०	काशीपुर	२६-५-५५
१८	बिसवां	८-४-५५	५१	इकबालपुर	२८-५-५५
१९	बभनान	९-४-५५	५२	खतौली	२८-५-५५
२०	मसौधा	१०-४-५५	५३	मन्सूरपुर	३०-५-५५
२१	हरदोई	१२-४-५५	५४	मोहिउद्दीनपुर	३१-५-५५
२२	बैतालपुर	१३-४-५५	५५	जसवन्त	३१-५-५५
२३	ऐरा	१४-४-५५	५६	सिम्भौली	१-६-५५
२४	गौरी बाजार	१४-४-५५	५७	दोईवाला	५-६-५५
२५	वाल्टर गंज	१६-४-५५	५८	सहारनपुर	२९-५-५५
२६	नेवली	१९-४-५५	५९	मवाना	९-६-५५
२७	पिपराइच	१९-४-५५	६०	दौराला	८-६-५५
२८	बुढ़वल	२०-४-५५	६१	सखोती टांडा	८-६-५५
२९	बाराबंकी	२१-४-५५	६२	रोहाना कलां	१०-६-५५
३०	बस्ती	२१-४-५५	६३	धामपुर	९-६-५५
३१	मुंडेरवा	२५-४-५५	६४	बिजनौर	१०-६-५५
३२	बरेली	२६-४-५५	६५	शामली	१९-६-५५
३३	रोजा	२६-४-५५	६६	लक्सर	१९-६-५५
			६७	देवबन्द	२३-६-५५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

गोरखपुर जिले के उन ग्रामों की सूची जहां नियोजन विभाग द्वारा हाथ-नल लगे हैं।

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		हाथ-नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	विवरण
				रु०	
१	इकोना बुजुर्ग	..	१	१००	
२	ककरही ..	..	१	१००	
३	पकड़ी	..	१	१००	
४	परसा ..	..	१	१००	
५	एकोना बुजुर्ग	..	१	१००	
६	एकोना बुजुर्ग	..	१	२५	
७	फुल मनहा	..	१	७५	
८	जंगल अगही	..	१	७५	
९	छितौना बुजुर्ग		१	७४	
१०	माधोपुर	..	१	१००	
११	बरगदवा	..	१	१००	
१२	सिउधारा	..	१	७४	
१३	बेठोलिया	..	४	१७०	
१४	मिश्रोलिया	..	२	८०	
१५	बरही	..	१	६०	
१६	रामपुरवा	..	१	९२	
१७	छितोना	..	१	९२	
१८	दुबौली	..	१	७५	
१९	भेलोड़ा	..	१	१००	
२०	बिशुनपुर	..	१	१००	
२१	धनोड़ा ..	..	१	१००	
२२	छितोना	..	१	१००	
२३	दुबौली	..	१	१००	
२४	उचेर	..	१	१००	
२५	अमारा	..	१	१००	
२६	टाड़ा	..	१	१००	
२७	नीबी दुबे	..	१	१००	
२८	नेवाईच	..	१	१००	
२९	अन्टीपार	..	१	१००	
३०	पैसा ..	..	१	१००	
३१	ढकवा ..	..	१	१००	
३२	भैंसा बाजार	..	१	१००	
३३	उरवा बाजार	..	१	१००	
३४	बढ़या ..	..	१	१००	

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		हाथ-नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	विवरण
				रु०	
३५	कटहरी	..	१	१००	
३६	कोड़ीराम	..	१	७५	
३७	भरोहिया	..	१	१००	
३८	बांसडीह	..	१	१००	
३९	बड़ीबन्दुआरी	..	१	१००	
४०	हरनही	..	१	१००	
४१	गोपालपुर	..	१	१००	
४२	रुद्रपुर ..	..	१	१००	
४३	रामपुर	..	१	१००	
४४	भलाव	..	१	१००	
४५	कनईल	..	१	१००	
४६	मलाव ..		१	१००	
४७	ढेंकही	..	१	७५	
४८	बिशुनपुर	..	१	७५	
४९	नरायनपुर	..	१	७५	
५०	फरसाडांड़	..	१	९०	
५१	अखुआपार	..	१	९०	
५२	अखुआपार	..	१	९०	
५३	फसाडांड़	..	१	७५	
५४	अमटोरा	..	१	९०	
५५	परमेश्वरपुर	..	१	९५	
५६	फरवहनी	..	१	१००	
५७	सरहरी ..	..	२	१००	
५८	सिहोरवा	..	१	१००	
५९	फुलवरिया		१	१००	
६०	बढ़या ..	..	१	१००	
६१	गौरा	..	१	१००	
६२	जंगल कोड़िया	..	१	१००	
६३	भीटी ..	..	१	१००	
६४	ताज डीह	..	१	१००	
६५	ठाकुरपुर	..	१	१००	
६६	सेखपुर ..	..	१	१००	
६७	मीरपुर ..	..	१	१००	
६८	बांस डीह	..	१	१००	
६९	तुकोलिया	..	१	१००	
७०	एकोना	..	१	१००	
७१	बेलघाट	..	१	१००	
७२	सुरिया	..	१	१००	
७३	बेलही	..	१	१००	
७४	जगन्नाथपुर	..	१	१००	

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		हाथ-नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	बिवरण
				रु०	
७५	कोहदावल	..	१	१००	
७६	लक्ष्मीपुर	..	१	१००	
७७	पैसा शुमाली	..	१	१००	
७८	जगन्नाथपुर	..	१	१००	
७९	बेलही	..	१	१००	
८०	मदरी ..	..	१	१००	
८१	बेलही ..	..	१	१००	
८२	जगन्नाथपुर	..	१	१००	
८३	आनन्द नगर	..	१	७३	रु० ८ आ०
८४	छताई ..	..	१	१००	
८५	माल्हनपार	..	१	१००	
८६	रुद्रपुर ..	..	१	१००	
८७	बेलछाट ..	..	१	१००	
८८	भरोली	..	१	१००	
८९	रानीपुर	..	१	१००	
९०	इमिलिया	..	१	९०	
९१	रानापार	..	१	९०	
९२	छबीला	..	१	८०	
९३	खड़ईन	..	१	८८	
९४	ब्रह्मपुर	..	१	८८	
९५	राधेपट्टी	..	१	९०	
९६	ब्रह्मपुर	..	१	९०	
९७	ब्रह्मपुर	..	१	९०	
९८	सघना	..	१	८०	
९९	बिशुनपुर	..	१	९०	
१००	लुहई	..	१	१००	
१०१	मोतीराम अड्डा	..	१	९०	
१०२	गोविन्दपुर	..	१	९०	
१०३	लक्ष्मीपुर	..	१	७५	
१०४	बिशुनपुर	..	१	९०	
१०५	मझगांवा	..	१	९०	
१०६	कोडरी ..	..	१	९१	
१०७	गोसाईंपुर	..	१	१००	
१०८	सहदोडाड़	..	१	१००	
१०९	शितलापुर	..	६	४२०	
११०	शितलापुर	..	२	१४०	
१११	जगरनाथपुर	..	१	१००	
११२	उरवा बाजार	..	१	१००	
११३	अहिरोली	..	१	७५	
११४	भरवटिया	..	१	१००	

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		हाथ नल की संख्या	रुपया जो दिया गया	विवरण
				रु०	
११५	दिउटहा	..	१	१००	
११६	खजुरी ..	..	१	१००	
११७	गिरधारीपुर	..	१	१००	
११८	उचेर	..	१	१००	
११९	बिस्टौली	..	१	७०	
१२०	बिस्टौली	..	१	७०	
१२१	लक्ष्मीपुर	.	१	७५	
१२२	बरवलमाफी	..	१	१००	
१२३	मउदा	..	१	१००	
१२४	कुरी ..	..	१	१००	
१२५	मिश्रौलिया	..	१	९०	
१२६	फसाडाड़	..	१	९०	
१२७	रायगंज	..	१	१००	
१२८	जनकपुर	..	१	७५	
१२९	रामनगर	..	१	७९	
१३०	मछलीगांव	..	१	८१ रु० ८ आ०	
१३१	बरगदवा	..	१	७७ रु० ८ आ०	
१३२	गोपालपुर	..	१	९०	
१३३	लक्ष्मीपुर	..	१	७५	
१३४	बहरामपुर	..	१	१०२	
१३५	भकसा	..	१	१००	
१३६	भकसा	..	१	११०	
१३७	भकसा	..	१	१०६	
१३८	भकसा	..	१	११०	
१३९	भकसा	..	१	११०	
		योग ..	१४९	१३,४१३ रु० ८ आ०	

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

१—छानी केथी सड़क
२—छानी सुरोली सड़क
३—सुमेरपुर सहुरापुर सड़क
४—बेरी मोली सड़क कुरारा होकर
५—पतारा कुस्मारा सड़क
६—विदोखर सड़क
७—धुधेरपुर सड़क
८—हंगोटहा सड़क
९—मोदहा सिसोलर सड़क
१०—गहरौली विवार सड़क
११—रीवन सड़क
१२—अरतरा सड़क
१३—मुस्करा मोदहा सड़क
१४—छिरका सड़क
१५—जैतपुर महोबा सड़क
१६—श्री नगर ग्राम मार्ग
१७—कुल पहाड़
१८—पनवाड़ी सड़क
१९—अलीपुरा मकवरई सड़क
२०—मुस्करा ग्राम मार्ग
२१—अछोरा से बेन्दो सड़क
२२—बेन्दो से मोखर सड़क
२३—अछोरा से टीकर सड़क
२४—इस्लामपुर से नहर तक सड़क
२५—इस्लामपुर से जरिया सड़क
२६—इस्लामपुर से बरेडा खालसा सड़क
२७—हरदुआ से बरेडा खालसा सड़क
२८—हरदुआ से बंथोली सड़क
२९—बांधुर कढ़री सड़क

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश ५, १९५५)

यू० पी० ऐक्ट ३, १९५१, उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ के उपबन्धों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा संशोधित उक्त ऐक्ट के उपबन्धों में निर्बाध संक्रमण की व्यवस्था करने का अध्यादेश।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा संशोधित किया गया है, और निर्बाध संक्रमण (smooth transition) को सुकर बनाने के निमित्त यह आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी के ऐसे निर्वाचित अधिकारियों और प्राधिकारियों के कार्यकाल (term) को नियमित किया जाय जो उक्त संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर पदासीन (holding office) रहे हों, अथवा संगठित हों;

राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें उपर्युक्त रूप में तुरन्त व्यवस्था करना आवश्यक है;

और उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है;

अतएव, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बना कर प्रचारित करते हैं:--

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१--(१) यह अध्यादेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५ की धारा ४० का संशोधन।

२--इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उक्त धारा को सदैव निम्नलिखित रूप में विधायित (enacted) समझा जायगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध।

४०--मूल अधिनियम, परिनियमों (statutes) तथा अध्यादेशों (ordinances) में किसी बात के होते हुये भी यूनिवर्सिटी के प्रत्येक ऐसे निर्वाचित अधिकारी का कार्यकाल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर पदासीन रहा हो अथवा पदासीन समझा जाय, खंड (ख) अथवा धारा ४१ के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, पदासीन रहेगा जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तद्नुरूप अधिकारी (corresponding officer) नियुक्त न हो जायं;

(ख) ऐसे प्रत्येक अधिकारी का तथा उक्त दिनांक पर संगठित यूनिवर्सिटी के प्रत्येक अधिकारी (authority) का कार्यकाल संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तद्नुसार अधिकारी अथवा प्राधिकारी (authority) के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित होने पर समाप्त हो जायगा (shall determine)।"

३—इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ अथवा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन अधिनियम, १९५४ के अधीन कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जो उक्त अधिनियमों के अधीन यथोचित रूप से कृत अथवा अकृत होती यदि पश्चाद्वर्ती अधिनियम (latter Act) की धारा ४० उस रूप में होती जैसी कि इस अध्यादेश द्वारा व्यवस्थित की गयी है, वैध तथा यथोचित रूप से कृत अथवा अकृत होगी और समझी जायगी। वैधीकरण यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१। उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५।

कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी,

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

(उ० प्र० अध्यादेश संख्या ६, १९५५)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का

अध्यादेश

श्री राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त तुरन्त संशोधित करना आवश्यक है ;

और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है ;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर श्री राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बना कर प्रचारित करते हैं :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

धारा ६-एच का संशोधन।

२--यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की (जिसे यहां पर आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा 6-H में शब्द "apply to an election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे गये समझे जायं।

धारा ६-आई का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा 6-I की उपधारा (२) में शब्द "election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव रक्खे गये समझे जायं।

धारा ३९ का संशोधन। वैधीकरण

४--मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में खंड (*f*) (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखि नये खंड (*f*-1) से (*f*-6) तक सदैव रखे गये समझे जायं :

"(*f*-1) the conduct of election to the office of Chairman,
(*f*-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of the Chairman,
(*f*-3) the removal of disqualicfications for election to the office of Chairman,
(*f*-4) the electoral offences and corrupt practices relating to election to the office of chairman,
(*f*-5) bye-election to the office of Chairman, and
(*f*-6) generally on all matters relating to conduct of elections to the office of Chairman."

वैधीकरण (Validation)।

५—संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि—

(१) चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों (alteration, additions or modification) को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा।

(२) कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जिसमें मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्मित कोई नियम अथवा नियम का संशोधन भी सम्मिलित है, जो वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के अधीन कृत अथवा अकृत अथवा निर्मित हुआ होता अथवा हुई होती, यदि मूल अधिनियम की धारा (6-*H*, 6-*I*) तथा 39 (2) वैसी होती जैसी इस अध्यादेश द्वारा व्यवस्थित की गयी है, तदन्तर्गत वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से किया गया अथवा बनाया गया समझा जायगा;

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अभिदिष्ट नियमों में उल्लिखित अधिकारों के अधीन, प्रतीत होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अध्यादेश के आरम्भ से पूर्व चेयरमैन के निर्वाचन पर प्रश्न उठाने वाले किसी भी निर्वाचन याचिका (election petition) पर प्रत्येक निर्णय अथवा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या होती यदि इस अध्यादेश की धारा २,३ तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण (presentation) तथा विचार अथवा निर्णय अथवा आज्ञा के प्रख्यापन (pronouncement) के अवसर पर प्रचलित हो गयी होती (come into operation) तथा ऐसे निर्णय अथवा आज्ञा के अनुसार की गई कोई बात विधिपूर्ण दिये गये अथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय अथवा ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पूर्व ही रद्द (set aside) न कर दिया गया हो अथवा न कर दी गयी हो।

कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९५५)

खाद्यान्नों के भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का

अध्यादेश

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के लिये भवनों की कमी के कारण यह आवश्यक है कि खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के लिये भवनों के अधिग्रहण, तथा ऐसे अधिग्रहण के फलस्वरूप देय प्रतिकर अवधारित करने के लिये अधिकारों की व्यवस्था की जाय ;

और राज्य विधान मंडल का सत्र इस समय नहीं हो रहा है ;

तथा राज्यपाल को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसमें यह आवश्यक है कि तत्काल ही ऐसे अधिकारों की व्यवस्था की जाय ;

और राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं ;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं--

संक्षिप्त शीर्षनाम बिस्तार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अध्यादेश में-

(क) "न्यायालय" का तात्पर्य अधिक्षेत्र (jurisdiction) रखने वाले मुंसिफ या सिविल जज के न्यायालय से है ;

(ख) "स्वामी" के अन्तर्गत भोग बंधकी (mortgagee in possession) भी हैं ;

(ग) "भांडारिक आवास" (storage accommodation) का तात्पर्य भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त किसी भवन से है और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है ;

(घ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अध्यादेश के अधीन कलेक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति कर के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी (authority) भी है।

३--(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा दे कर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय : अधिग्रहण का अधिकार।

फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिकृत नहीं किया जायगा।

(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।

४--अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी (occupie) अविलम्बप्राप्य (readily traceable) न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (in dispute) हो, तो सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा की जायगी। तामील।

५--यदि कलेक्टर ने धारा ३ के अधीन कोई भांडारिक आवास अधिगृहीत कर लिया हो तो वह ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (deal with) करेगा जो उसे खाद्यान्नों को भंडार में रखने के निमित्त आवश्यक प्रतीत हो। भंडारिक आवास के प्रयोग का अधिकार।

६--कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा नहीं। प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार।

७--कलेक्टर अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक आवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर जो एक मुश्त धनराशि अथवा मासिक अथवा नियतकालिक भुगतानों के रूप में हो, जो अपने और अपने स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय, देगा। अनुबन्ध (agreement) द्वारा प्रतिकर।

८--(१) यदि धारा ७ में निर्दिष्ट अनुबन्ध (agreement) न हो सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा। न्यायालय का अभिदेश (reference)।

(२) अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, ध्यान रखेगा।

९--समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (enactment) में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ८ के अधीन न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) न हो सकेगा। न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण न हो सकेगा।

१०--(१) जब कोई भांडारिक आवास छोड़ा (release) जाना हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वह अधिगृहीत किया गया था। यदि भांडारिक आवास अधिग्रहण के दिनांक पर बन्धक (subject to mortgage) था तथा उसके पश्चात् वह बन्धक से मुक्त (redeemed) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति, जिसे वह अधिगृहीत किया गया अधिग्रहण से अभिमुक्ति।

था, मर गया है, तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे उसका कब्जा दिया जाय। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा, जो उसकी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा स्थापित करने में बाधक न होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अदा कर देने पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर ऐसे आवास के सम्बन्ध में समस्त दावों के दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

(३) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अभिकर्ता (agent) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक आवास अधिग्रहण से छोड़ दिया गया है।

(४) जब उपधारा (३) में अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार चिपका दिया गया हो, तो नोटिस में निर्दिष्ट भांडारिक आवास नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के अधीन न रह जायगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था तथा राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये भांडारिक आवास के संबंध में कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे।

दंड।

११—यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर को किसी भांडारिक आवास का कब्जा नहीं देता, अथवा इस अध्यादेश के अधीन उस पर कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमें बाधा डालता है, तो वह ऐसी अवधि के लिये जो एक मास तक हो सकती है, कारावास के दंड का अथवा अर्थ दंड का, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों का भागी होगा।

उन उपबंधों का प्रभाव जो अन्य विधायनों से असंगत हों।

१२—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन अथवा ऐसे विलेख (instrument) **में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो** (having the force of law) **किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अध्यादेश के उपबन्ध प्रभावकर होंगे** (shall have effect)।

इस अध्यादेश के अधीन किये गये कार्यों के सम्बंध में व्यक्तियों की सुरक्षा।

१३—किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अध्यादेश के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

किसी न्यायालय में आज्ञाओं पर आक्षेप न किया जा सकना।

१४—उस दशा को छोड़ कर, जिसकी इस अध्यादेश में व्यवस्था की गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अध्यादेश द्वारा अथवा उसके अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला कर दी गयी हो, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

नियम बनाने का अधिकार।

१५—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १९५५)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के उपबन्धों को संशोधित करने का

अध्यादेश

राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जो उन्हें कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को तुरन्त संशोधित करने के लिये बाधित करती हैं।

और इस समय राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है;

अतएव, संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

२--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"२७--(१) चकबन्दी योजना के प्रवर्तन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र चकबन्दी संचालक (Director of Consolidation) प्रत्येक ऐसे गांव के लिये, जो चकबन्दी कार्यों के अन्तर्गत आता हो, गांव का एक नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख तैयार करायेगा और उक्त अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कार तथा परिवर्तनों के अधीन जो विहित किये जायं, अनुसरण किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में सभी प्रविष्टियां (entries) अंतिम एवं निश्चायक होंगी।

(३) लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन पहले रक्खे जाने वाले अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर अब उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख रक्खेगा।"

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--४९ एल० ए०--१९५५--७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चितरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्र पालसिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

रायबरेली जिले के राजामऊ गांव में मई दिवस के अवसर पर झगड़ा तथा गिरफ्तारियां

*१--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को सूचना है कि रायबरेली जिला के राजामऊ गांव में गत १ मई को जिला कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जब मई दिवस मनाया जा रहा था तो उसे स्थानीय पुलिस ने कुछ और लोगों की सहायता से भंग कर दिया? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं ।

*२--**श्री झारखंडे राय**--क्या यह सच है कि उस स्थान पर उस सभा में गिरफ्तारियां भी की गयीं ? अगर हां, तो कितने लोगों की और किस दफा में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । १३ व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । जिनमें ७ कांग्रेस जन और ६ कम्युनिस्ट थे ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह गिरफ्तारियां क्यों की गयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस जगह कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां के एक बहुत ही लोकप्रिय और वृद्ध नेता के विरुद्ध एक नोटिस निकाली जिससे कि वहां के लोगों में बहुत क्षोभ था । इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि उसी गांव में मे डे मनाया जाय । पुलिस वहां मौजूद थी । पब्लिक में बहुत नाराजगी थी । दोनों तरफ से नारेबाजी हुयी । उसके बाद झगड़ा फसाद हुआ इसलिये गिरफ्तारियां हुयीं ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितने कांग्रेस जनों को सजा हुयी और कितने कम्युनिस्टों को सजा दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सजा की नौबत यों नहीं आयी कि दोनों पार्टियों की ओर से दरख्वास्त आ गयी कि हमने आपस में मेल कर लिया है । लिहाजा मुकदमा उठा लिया जाय । और शांति की दृष्टि से अधिकारियों ने मुकदमा उठा लिया ।

श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, नौगढ़ में कैदियों द्वारा किये गये कार्य का विवरण

*३--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नौगढ़, श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, में कुल कितने कैदियों ने कितने दिनों तक काम किया और उनकी निगरानी आदि का खर्च मिला कर उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--नौगढ़ शिविर में औसतन कुल १,७९६ कैदियों ने लगभग १४ मास तक काम किया और उनकी निगरानी आदि पर कुल ८,०८,८८४ रुपया व्यय हुआ।

*४--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार का श्री सम्पूर्णानन्द शिविर को कहीं और स्थापित करने का इरादा है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री मुजफ्फर हसन--श्री सम्पूर्णानन्द शिविर नौगढ़ से हटा कर पीलीभीत जिले में शाहगढ़ के निकट एक स्थान पर पहले ही स्थापित कर दिया गया है। वहां पर कैदी एक नहर खोदने के काम पर लगाये गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार इन कैदियों के बारे में जो नौगढ़ में और जेल से मुक्त हो गये हैं उनकी देख-रेख रखती है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जरा इसको आप साफ कर दें कि देख-रेख का क्या मतलब है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, जो कैदी जेल से छूट करके इन शिविरों में रखे गये थे वह इस वक्त कहां हैं, क्या कर रहे हैं, पुनः उन्होंने अपराध किया है या नहीं, सरकार इसकी कोई निगरानी करती है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--शिविर के लिये ऐसा कोई अलग इंतजाम तो नहीं है। लेकिन प्रोबेशन सर्विस है हमारे कुछ जिलों में, जो उस सर्विस के अन्दर हैं उनकी देख-रेख होती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--नौगढ़ शिविर में जो कैदी इस तरह १४ मास तक काम करते रहे, छूटते समय उनको कितना रुपया दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--उन्होंने कोई ६ लाख ६३ हजार ८ सौ १८ रुपया मजदूरी कमायी जिसमें से जो रकम उनके खाने कपड़े पर सर्फ हुयी वह काट करके बाकी उनको दे दी गयी।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--यह जो निगरानी हुयी उसमें एक कैदी पर एक दिन में क्या औसत पड़ा ?

श्री मुजफ्फर हसन--अब इस पर तो बड़ा हिसाब लगाने की बात हो गयी। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि कोई २५ हजार कैदी १४ महीने वहां काम करते रहे। आप हिसाब लगा लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतला सकती है कि इस परीक्षण का कैदियों के भविष्य पर क्या असर पड़ा ?

श्री मुजफ्फर हसन--बहुत अच्छा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक कैदी को प्रति दिन कितनी मजदूरी दी जाती थी और उन के खाने में प्रति दिन कितना खर्च होता था ?

श्री मुजफ्फर हसन--औसत आमदनी नौगढ़ कैम्प में १३ आना ११ पाई रही।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन कैदियों ने इस समय में क्या-क्या काम किया और कुल उसकी कीमत कितनी हुई ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो दैनिक मजदूरी कैदियों को दी जाती थी वह इसी प्रकार का काम करने वाले अन्य आदमियों से कम दी जाती थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन कैदियों को शिविर में काम करने के उपलक्ष में कोई रेमिशन मिला था ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। शिविर में काम करने पर एक दिन के काम पर एक दिन का रेमिशन दिया जाता था।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—शाहगढ़ में जो नहर है उसमें कितने दिन काम हुआ और कितने दिन और काम होगा और कितने रुपये का काम हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसका व्योरा तो नहीं है इसलिये कि इस सवाल से वह संबंधित नहीं है।

बिक्री-कर के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता

*५—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार बिक्री-कर के नियमों में कोई ऐसा संशोधन करने का इरादा रखती है कि जिससे बिक्री-कर को खरीदारों से लेने के नियम में परिवर्तन हो ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी सेल्स टैक्स की रकम खरीदारों से लेते हैं और जो बिल देते हैं उसमें वह दर्ज करते हैं ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर प्रदेशीय बिक्री कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३ के मुताबिक बिक्री कर देने की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी व्यापारी पर है और उस दशा में जबकि व्यापारी स्वयं को उक्त ऐक्ट की धारा ८ के अधीन रजिस्टर्ड करा लेता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सेल्स टैक्स ले या अपने पास से दे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी सेल्स टैक्स को कैशमेमो में दर्ज नहीं करते और इस तरह वह सरकार को धोखा देते हैं ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की कोई सूचना यहां नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस मसले पर विचार करेगी कि व्यापारी ग्राहक से सीधा टैक्स न ले, कैश मेमो में दर्ज न करे और जो बिक्री हो उस पर जैसे सरकार टैक्स वसूल करती है, करती रहे ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

सरकारी कर्मचारियों के बहुविवाह पर प्रतिबन्ध

*६—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकारी नौकरी करने वालों के लिये विवाह सम्बन्ध करने पर कोई पाबन्दी लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? और उसे लगाने का कारण क्या है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६ श्री राम सुभग वर्मा ने पूछा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । गवर्नमेंट सर्वेन्टस कान्डक्ट रूल्स के नये नियम २७ के अनुसार, जिसकी एक प्रति प्रस्तुत है, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित हो सरकार की पूर्व आज्ञा बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता, चाहे उसके निजी कानून के अन्तर्गत दूसरा विवाह करना जायज क्यों न हो ।

इस प्रतिबन्ध का स्पष्ट उद्देश्य बहुविवाह को रोकना है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४ पर ।)

मुर्तजानगर, जिला उन्नाव में गुन्डों के आतंक तथा पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र के विषय में परिप्रश्न

*७---श्री झारखंडे राय---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी सेवा में जिला किसान सभा, उन्नाव की ओर से मुर्तजानगर में कुछ गुण्डों के आतंक तथा पुलिस के रवैये के खिलाफ एक प्रार्थना-पत्र गत २० दिसम्बर, १९५४ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय उपमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सिलसिले में कोई शिष्ट मंडल उनसे मिला था और इस तरह की शिकायत उसने उनसे की थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस सिलसिले में कोई शिष्ट मंडल नहीं मिला ।

देवरिया में एक ही जुडीशियल अफसर द्वारा सेशन के मुकदमों की सुनवाई के विरुद्ध शिकायत

*८---श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि देवरिया के सभी जुडीशियल अफसरों को सेशन केसों की सुनवाई नहीं करने दी जा रही है और केवल एक जुडीशियल अफसर को तीन तहसीलों के सेशन केसों की सुनवाई करने का प्रबन्ध किया गया है जिनको शासन के भी अनेक कार्य सौंपे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

बलिया जिले के उमाव थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*९---श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गत २९ दिसम्बर, सन् १९५४ को तिरनई ग्राम (जिला बलिया) से उमाव थाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती आवेदन-पत्र उनको दिया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२६ दिसम्बर सन् १९५४ का एक ऐसा प्रार्थना-पत्र आया था ।

*१०---श्री मान्धातासिंह (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस पर आवश्यक जांच की गयी तो पता चला कि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आवेदक के पति की ओर से मुकदमा चलाया जा चुका है । मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कोई अन्य कार्यवाही सम्भव न थी ।

जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा-समितियां तथा उनको बन्दूक के लाइसेंस

*११--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितनी ग्राम रक्षा-समितियां बनायी जा चुकी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--२९४६ ।

*१२--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम रक्षा-समितियों को अपनी रक्षा करने के लिये बंदूकें दी जाने वाली हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। हां, इन समितियों के कुछ उत्साही सदस्यों को बन्दूक के लाइसेंस अवश्य दिये जाते हैं ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनको लाइसेंस दिये जाते हैं उनकी योग्यता क्या रखी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ग्राम रक्षा-समितियों में जो लोग उत्साह से कार्य करते हैं और कभी डकैतों या चोरों का मुकाबला करने में सफल होते हैं और पुलिस की सहायता करते हैं उनको यह लाइसेंस दिये जाते हैं यदि उनके खिलाफ और कोई किसी किस्म की शिकायत न हो तो।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम रक्षा-समितियों के सदस्यों को जो लाइसेंस दिये जाते हैं उसमें ग्राम रक्षा-समिति के अध्यक्ष की भी राय ली जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उनको लाइसेंस देते समय ग्राम रक्षा-समिति के अध्यक्ष या गांव के मुखिया या प्रधान वगैरह की ही साधारण तौर से सिफारिशों पर लाइसेंस दिये जाते हैं।

प्रादेशिक सचिवालय में सरकारी अफसरों की अवधि

*१३--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी ने सरकार को यह सिफारिश की थी कि प्रादेशिक सचिवालय में कोई अफसर पांच वर्ष से अधिक न रखा जाय और सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां और यथासम्भव इसी के अनुसार काम हो रहा है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कुल कितने ऐसे अफसर हैं जो इस सिफारिश के अनुसार अभी तक दूसरी जगह सेक्रेटेरियट से नहीं भेजे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ठीक संख्या तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे बहुत ही कम अफसर रह गये हैं ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो अफसर ५ वर्ष से अधिक सेक्रेटेरियट में हैं उनको सेक्रेटेरियट में रखने की क्या वजह है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसलिए कि वे कुछ ऐसी जगहों पर हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि इस वक्त उनको वहां से हटाना मुनासिब नहीं है।

देवरिया जिले में चोरियां तथा बलवे

*१४—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में सन् १९५४ में कितनी चोरियां और बलवे हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—५९९ चोरियां तथा ७३ बलवे ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई शिकायत आयी है देवरिया जिले से कि चोरियों की संख्या कम है और बहुत सी चोरियां ऐसी हुई हैं जिनकी रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज हुयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आयी और सदस्य महोदय ने जो अनुपूरक प्रश्न किया है उससे तो चोरियों की तादाद और बढ़नी चाहिये न कि घटनी चाहिये ।

सचिवालय में हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के विषय में परिप्रश्न

*१५—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या आजकल सेक्रेटेरियट में कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई है जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना कारबार सिर्फ अंग्रेजी में करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसे कर्मचारी नहीं होंगे । लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता कि ऐसे लोगों की भर्ती हुयी है । और है में और भर्ती हुयी है में थोड़ा फर्क है ।

विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को हिन्दी में सूचना भेजने का आदेश

*१६—श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज से जो सूचना भेजी जाती है वह अंग्रेजी में होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान के कर्मचारियों को आज्ञा देगी कि आइन्दा हिन्दी में सूचना दिया करें ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज से विधायकों के पास अंग्रेजी में सूचना भेजी जाती थी इसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं थी । इस बात की सूचना मिलने पर एक्सचेन्ज के कर्मचारियों को आदेश दे दिया गया है कि आइन्दा सूचना हिन्दी में भेजी जाय ।

श्री सीताराम शुक्ल—दारुलशफा के टेलीफोन आपरेटर जो पर्ची भेजते हैं क्या वह अंग्रेजी में साइक्लोस्टाइल की गयी है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं । जब से प्रश्न आया है और जब से यह सरकार की नोटिस में सूचना आयी है यह छपने के लिये हिन्दी में दे दी गयी है ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या वहां जो रजिस्टर कायम है वह अंग्रेजी में लिखा जाता है, आज भी अंग्रेजी में वहां वह रजिस्टर लिखा जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—अब इसको तो देखना पड़ेगा, नोटिस की आवश्यकता है ।

सचिवालय के अस्थायी स्टेनोग्राफरों को हिन्दी शार्टहैन्ड का ज्ञान

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय के सभी टेम्पोरेरी स्टेनोग्राफर हिन्दी शार्टहैण्ड जानते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे ये हिन्दी शार्टहैण्ड सीख जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। अस्थायी नियुक्ति के समय सरकार हिन्दी तथा अंग्रेजी शार्टहैण्ड जानने वाले स्टेनोग्राफर को प्राथमिकता देती है और जो स्टेनोग्राफर स्थायी नियुक्ति के लिये चुने जाते हैं उन्हें उस समय तक मुस्तकिल नहीं किया जाता जब तक कि वे हिन्दी शार्ट-हैण्ड की परीक्षा पास न कर लें। हिन्दी शार्टहैण्ड न जानने वाले स्टेनोग्राफरों को काल वेतन-क्रम में कार्यक्षमता अर्गल (efficiency bar) पार करने नहीं दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी शार्टहैन्ड जानने वालों की परीक्षा किसके द्वारा करायी जाती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक नहीं कह सकता कौन अधिकारी है। कोई अधिकारी होगा ज़रूर। मैं दरियाफ्त करूं तो बता सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी नियुक्ति के पश्चात् कितने दिनों के बाद स्थायी होते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सब नियम पूछ रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दूंगा। जो आपने प्रश्न किया था उसी से सम्बन्ध रखते हुए आप प्रश्न पूछें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि हिन्दी जानने वाले स्टेनोग्राफर जो अस्थायी पद पर नियुक्त किये जाते हैं उन्हें स्थायी नियुक्त न करके बाहर के और स्टेनोग्राफर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो लोग कि हमारे यहां दफ्तर में पहले से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि स्थायी होने में ज़रूर उनको प्राथमिकता मिलती होगी।

हेविट इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग स्कूलों को आर्थिक सहायता तथा उनमें छात्रों की भर्ती

*१८—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में लखनऊ के हेविट इंजीनियरिंग स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल को कितनी आर्थिक सहायता दी गयी और अगले वित्तीय वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता देने का विचार है?

श्री धर्मसिंह—सन् १९५३-५४ में लखनऊ के हेविट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूलों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। सन् १९५४-५५ में हर एक को २५,००० रु० की सहायता दी गयी। सन् १९५५-५६ में सहायता देने के लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही थी। उनका जवाब हाल ही में आया है उस पर विचार किया जा रहा है।

*१९—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सत्य है कि सरकार उक्त दोनों स्कूलों को अपने संचालन में लेने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं मालूम होती।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार के पास कुछ ऐसी शिकायतें आयी हैं कि जो सरकार ने इन स्कूलों को आर्थिक सहायता दी थी उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया गया है? यदि हां, तो वह क्या हैं?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आयी हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से जो आर्थिक सहायता मांगी गयी है वह किन विशेष कारणों से मांगी गयी है?

श्री धर्मसिंह--क्योंकि भारत सरकार टेक्निकल एजूकेशन का प्रबन्ध करती है, इस आधार पर मांगी गयी है और वहां रुपये की आवश्यकता थी, इस वास्ते मांगी गयी है ।

श्री मोहनलाल गौतम--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि इन स्कूलों में जो लड़के भर्ती किये जाते हैं वह कम नम्बर वाले भर्ती किये जाते हैं और ज्यादा नम्बर वाले नहीं किये जाते हैं बावजूद सरकार की हिदायतों के ?

श्री धर्मसिंह--जी, इस तरह की कोई भी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों स्कूलों में सरकार का क्या हाथ है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि बतलाया गया, उसने ग्रांट-इन-एड दी है और जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से सहायता आने को है सन् ५५-५६ के लिये उसमें कुछ शेयर करने को है और जो कुछ कार्यवाही थोड़ी बहुत होती है उसमें सरकार हिस्सा लेती है ।

श्री मोहनलाल गौतम--क्या सरकार पिछले दो सालों में जो स्टूडेन्ट्स भर्ती हुए हैं और जो नहीं हुए हैं उन सब के नम्बर मंगवा कर देखने की कोशिश करेगी कि जिनको ज्यादा मिले वह नहीं लिये गये और कम वाले भर्ती हो गये ?

श्री धर्मसिंह--वह तो अवश्य मंगाकर देखा जायगा कि ऐसी क्या बात थी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यार्थियों के इन दोनों स्कूलों में भर्ती होने में सरकार का भी कोई हाथ रहता है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जी नहीं, सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं रहता ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन दोनों स्कूलों में सेकेंड डिवीजनर्स रह गये हैं और थर्ड डिवीजनर्स लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है और उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों का स्टैण्डर्ड रुड़की इंजीनियरिंग कालिज के ओवरसियर के स्टैण्डर्ड के बराबर है या कम है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह इससे मालूम होता है कि रुड़की में ही उनका इम्तहान होता है । एक ही पेपर्स होते हैं, वही एक्जामिनर्स होते हैं । कुछ लड़के यहां के पास होते हैं, कुछ वहां के होते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार ने जो विभागीय कमेटी इन स्कूलों के सुचारु संचालन के सम्बन्ध में बनायी थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त तो सरकार ने इस किस्म की कोई कमेटी नहीं बनायी । कई वर्ष हुए जब बनाई थी और उसकी रिपोर्ट भी मुद्दत हुए आ चुकी थी ।

श्री भगवान सहाय--क्या सरकार की नजर में यह बात आयी है कि इन स्कूलों में से एक स्कूल में पांच पांच सौ रुपये लिये गये और उसके बाद एडमीशन किया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह बात मेरे कान में अभी पड़ी है । आज तक मुझसे इस किस्म की शिकायत किसी ने की नहीं है ।

श्री मोहनलाल गौतम—क्या गवर्नमेंट इस बात को देखेगी कि गवर्नमेंट की हिदायतें जो स्कूल डिफाई कर रहे हैं कि नम्बरवार स्टूडेन्ट्स को लिया जाय, जिनके ज्यादा नम्बर हैं उनको लिया जाय और कम वाले न लिये जायं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जो बातें मैंने सुनीं, मैं जनाब के जरिये से सबको इत्तला देता हूं कि इस क़िस्म की जितनी शिकायतें हों वह मुझको अगर बतलायी जायं तो मैं उनमें से एक-एक को देख कर तहकीकात करूंगा और इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि वह कहां तक सही हैं और कहां तक गलत हैं । इसके अलावा गवर्नमेंट का उन स्कूलों पर कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय इसके कि अब इस साल से उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया की कुछ एड मिल गयी है और एक हमारे स्कूल में उनके इम्तहान होते हैं । तो हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तुम्हारा इम्तहान नहीं होगा और गवर्नमेंट आफ इंडिया से कह सकते हैं कि उनकी एड बन्द कर दे । वह इस बात पर जांचा जायगा कि जो बात उनके खिलाफ साबित होगी वह किस दर्जे की है । जिस दर्जे की समझी जायगी उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहनलाल गौतम—जो पहले मैंने सवाल किया था कि क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह देखेगी कि पिछले दो साल में जो भर्ती हुये हैं उन सबके नम्बर मंगाये जायं, क्योंकि जिनको कम मिले हैं वे ले लिये गये हैं और जिनको ज्यादा मिले हैं वे रह गये हैं तो .....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप स्टेटमेंट सा दे रहे हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम—जी स्टेटमेंट नहीं । तो क्या गवर्नमेंट इस बात को करेगी कि पिछले दो साल में जो भर्ती हुये हैं उन सब स्टूडेन्ट्स के नम्बर मंगा लिये जायं और यह देखे कि उसकी हिदायतें अमल में आयीं या नहीं और अगर नहीं आयीं तो डिसएफिलियेट कर दे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । बात यह है कि जो जवाब अभी दिया गया है वह कवर कर लेता है आपके प्रश्न को। उत्तर यह था कि यदि आप राइटिंग में देंगे तो इन्क्वायरी होगी । उसके बाद यह उठता नहीं है । आप प्रश्न सीधा करें ।

श्री मोहनलाल गौतम—जब सवाल यहां हो रहे हैं यही सबूत है कि इस तरह की शिकायतें आयीं । अब लिखकर देने को अगर आप जरूरी समझें तो दे दिया जाय, लेकिन हम खुद सवाल कर रहे हैं जिम्मेदार सदन में तो इसलिये यह ....

श्री अध्यक्ष—आप तो विवाद शुरू कर देते हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसलिये गवर्नमेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जाय कि वह एड देते वक्त....

श्री अध्यक्ष—मैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, मैं जिम्मेदारी डालने वाला कौन हूं ?

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को भी कुछ विद्यार्थियों को नामिनेट करने का अधिकार है इन स्कूलों में ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, कोई अधिकार कतअन नहीं है । न सरकार ने किसी को नामिनेट किया है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेलेक्शन करते समय इन स्कूलों से निकले हुए विद्यार्थियों की बनिस्बत रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के निकले हुए विद्यार्थियों को तरजीह दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेरे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं है कि जिसमें उसको छोड़ कर दूसरे को इसलिये ले लिया गया हो कि वह रुड़की का है। बाकी यह कि चुनाव कमेटी के सामने जब वे पेश होते हैं तो वे खुद देखकर तय करते हैं कि किसको लें और किसको न लें ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन स्कूलों को पूर्णरूप से वह अपने हाथ में ले, इसमें क्या कठिनाई है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ये स्कूल तो प्राइवेट हैं, इनके हाथ में लेने के कोई माने नहीं हैं। अगर सरकार को इस पर खर्च करना हो तो अपने पास से वैसे ही स्कूल और जगह कायम कर सकती है ।

मथाई टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशें

*२०--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथाई टैक्सेशन इन्क्वायरी (Mathai Taxation Enquiry Commission) की रिपोर्ट के अनुसार वे इस प्रदेश में कर सम्बन्धी क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

रायबरेली शहर में चोरियां तथा पुलिस की कार्यवाही

*२१--**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून सन् १९५४ से १५ मार्च, १९५५ तक रायबरेली शहर में कितनी चोरियां हुयीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--५१ ।

*२२--**श्री गुप्तारसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समय में होने वाली चोरियों में (प्रत्येक में) कितने-कितने का सामान व नकद चोरी गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह सूचना बहुत लम्बी है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देख सकते हैं ।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ९ महीने के अन्दर जो ५१ चोरियां वहां हुयीं उनमें कितनी चोरियां ऐसी हैं जिनमें पुलिस ने चालान किया और सजा दिला सकी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इनमें से १२ का चालान किया गया और ६ को सजा हुयी ।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय तक जो १२ मामलों में चालान हुआ उसके अलावा जो चोरियां बाकी रह गयी हैं इनके लिये पुलिस ने क्या प्रयत्न किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जो सम्भव हो सकता था उनका पता लगाने की कोशिश की गयी और जिनका पता नहीं लग सका उनका चालान नहीं हो सका ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि इतने अल्पकाल में इतनी चोरियां क्यों हुयीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसलिये कि रायबरेली जिले में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो चोरी करने के अभ्यस्त हैं ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो चोर पकड़े गये उनके यहां से कुछ माल बरामद हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, बहुत से मामलों में माल भी बरामद हुआ है ।

आजमगढ़ जेल में कैदियों को पढ़ाने की व्यवस्था

*२३--**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल आजमगढ़ में कैदियों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आजमगढ़ जिला जेल में कैदियों की शिक्षा के लिये एक अध्यापक नियुक्त है । इनके अतिरिक्त एक शिक्षित कैदी भी बंदियों को पढ़ाने-लिखाने में अध्यापक की सहायता करता है । कैदियों को लिखने के लिये तख्ती, स्लेट व लेखन-सामग्री और पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाती हैं ।

बहराइच जिले के थाना फखरपुर के भवन का निर्माण

*२४--**श्री सियाराम चौधरी** (जिला बहराइच)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना फखरपुर, जिला बहराइच के निर्माण के लिये कुछ रुपया स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, इस थाने की नयी इमारत बनाने के लिये गत आर्थिक वर्ष में सरकार ने बजट में ७,५०० रु० की स्वीकृति दी थी और इस वर्ष के बजट में पुनः ३७,५०० रु० की रकम रक्खी गयी है ।

*२५--**श्री सियाराम चौधरी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त थाना के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस थाने की नयी इमारत के प्लान और एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं । जब यह प्लान और एस्टीमेट सरकार द्वारा मंजूर हो जावेंगे, नयी इमारत का निर्माण-कार्य आरम्भ होगा ।

श्री सियाराम चौधरी--क्या यह सही है कि गत वर्ष इस थाने की इमारत के लिये ९०,००० रुपया मंजूर किया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, यह सही है लेकिन ९०,००० रुपया किसी भी इमारत के लिये मंजूर होता है, लेकिन जब बनना शुरू होता है तो उस वर्ष में जितना रुपया खर्च होना सम्भव होता है उतना ही रुपया दिया जाता है और पूरी इमारत पर जितना खर्च होता है वह उतना ही होता है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या मेहरबानी फरमाकर मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि जो रकम रखी गयी थी उसमें से कितनी खर्च हो गयी और कितनी बाकी रही ?

श्री जगन प्रसाद रावत--साढ़े सात हजार रुपया उस साल प्लान और एस्टीमेट में खर्च हुआ और ३७,५०० रुपया इस वर्ष प्लान और एस्टीमेट के अनुसार दिया जायगा और जो रुपया बच रहेगा उसको अगले वर्ष में या इसी साल अगर काम हो गया तो वह रुपया भी दे देंगे ।

*२६--**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)--[२९ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या २३ श्री श्री नाथराम ने पूछा ।

जिला बदायूं के भुडेली ग्राम निवासी श्री हुक्म शंकर हत्याकांड के सम्बन्ध में पुलिस की कार्यवाही

*२७--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं के कप्तान पुलिस को श्री हुक्मशंकर, निवासी-ग्राम भुडेली, थाना दातागंज जो एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनको जान से मारने के षडयंत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं ।

*२८--श्री शिवराजसिंह यादव--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में जिला पुलिस ने क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिरोजाबाद की एलेक्ट्रिक पावर उपभोक्ता एसोसियेशन का कुछ दिक्कतों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*२९--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या वित्त मंत्री को एलेक्ट्रिक पावर उपभोक्ता एसोसियेशन, फिरोजाबाद (आगरा) की तरफ से एलेक्ट्रिक पावर कन्ज्यूमर्स की कुछ दिक्कतों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र या हैंड बिल प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में कौन-कौन सी दिक्कतें बतायी गई हैं और सरकार की तरफ से उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री धर्मसिंह--(क) जी हां, और एसोसियेशन को उत्तर भेजा जा चुका है ।

(ख) निम्नलिखित दिक्कतें एसोसियेशन ने सरकार के सामने रक्खी थीं और उनके बारे में जो स्थिति है वह भी नीचे दी जाती है:--

(१) हाइडिल विभाग द्वारा लगाया गया सरचार्ज	अभी नहीं हटाया जा सकता ।
(२) वार कास्ट सरचार्ज	यह वार कास्ट सरचार्ज पहली जुलाई, सन् १९५५ से हटा लिया गया है ।
(३) ज्यादा यूनिट खर्च करने पर जो कमीशन मिलता है उस पर ड्यूटी	यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) ऐक्ट, १९५२ के अनुसार ड्यूटी कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले रिबेट घटाने के पहले ही लगती है और रिबेट की वजह से ड्यूटी में कमी नहीं की जा सकती ।
(४) बिजली के इस्तेमाल पर ड्यूटी	घरेलू उद्योगों के बिजली के इस्तेमाल पर ड्यूटी कम की जा सकती है या नहीं, इस पर सरकार विचार कर रही है ।
(५) बिजली के उपभोग पर प्रतिबन्ध	आवश्यक आज्ञायें सुपरिण्टेण्डिङ्ग इंजीनियर, रुड़की को भेज दी गयी हैं और एसोसियेशन को उनसे पत्र-व्यवहार करने को कह दिया गया है ।

आजमगढ़ जिला जेल में कैदियों द्वारा दस्तकारी के काम

*३०--श्री व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, आजमगढ़ में कौन-कौन से दस्तकारी के काम कैदियों से कराये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आजमगढ़ जिला जेल में कैदियों से दरी, कपड़ा, नेवाड़, मूंज, बान और चटाई बनाने का काम कराया जाता है।

विधायक निवासों के लिए फरनीचर

*३१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ ई० से सन् १९५४ ई० तक विधायक निवासों के लिये जो फरनीचर मोल लिया गया है उसका कुल मूल्य क्या है ? क्या इसके पहले भी कोई फरनीचर था ? यदि हां, तो उसका क्या मूल्य है ?

श्री धर्मसिंह--लखनऊ में ३ विधायक निवास हैं। विधायक निवास नं० १ तथा २ हाल ही में बने हैं। उनके लिये फरनीचर सन् १९४९ से खरीदना शुरू हुआ। विधायक निवास नम्बर ३ पुराना है जो कि ओल्ड कौंसिलर्स रेजिडेन्स कहलाता था। इसमें बहुत पहले का खरीदा हुआ फरनीचर है और इधर हाल में इसके लिये कोई फरनीचर नहीं खरीदा गया है।

विधायक निवास नं० १ व २ के लिये जो फरनीचर सन् १९५२-१९५४ में खरीदा गया था उसकी कीमत १,१९,८०० रु० ११ आना है। जो फरनीचर पहले खरीदा गया था, यानी सन् १९४९-१९५२ में उसकी कुल कीमत ५५,०३१ रु० १४ आना थी।

*३२--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पलंग, मेज, स्टूल, कुर्सियां (साधारण और फ्रोगचेयर अलग-अलग), ड्रेसिंग टेबिल्स आदि का अलग-अलग क्या मूल्य है ? क्या सरकार फरनीचर की पूर्ण सूची मूल्य और संख्या सहित मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*३३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त फरनीचर किस-किस कम्पनी से लिया गया है।

श्री धर्मसिंह--आवश्यक सूचना मेज पर रक्खे हुये नकशे में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४५-१४६ पर।)

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह फरनीचर खरीदा गया था उस समय फरनीचर सप्लाई करने वालों से टेंडर मांगे गये थे ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, मांगे गये थे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन जिन लोगों ने टेंडर दिया उसमें सब से कम और सबसे ज्यादा किस किस का टेंडर था ?

श्री धर्मसिंह--जिन लोगों ने टेंडर दिया था वह तो माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है। किसने कम दिया था इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो फरनीचर सन् १९४९ से सन् १९५२ तक खरीदा गया और फिर उसके बाद सन् १९५२ से १९५४ तक खरीदा गया तो जो पहले खरीदा गया था उस फरनीचर की कीमत कम होते हुये भी बाद में यह फरनीचर बोबिन कम्पनी से अधिक कीमत पर क्यों खरीदा गया ?

श्री धर्मसिंह--इस तरह की कोई सूचना नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य बतलाते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--श्रीमन्, यह इस लिस्ट के देखने से मालूम होता है कि पहले तो फरनीचर कम कीमत पर लिया गया और बाद को बोबिन कम्पनी से ज्यादा कीमत पर फरनीचर लिया गया तो बाद को यह माल बोबिन कम्पनी से अधिक कीमत पर क्यों खरीदा गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उस जमाने में किसी सरकार की फैक्टरी के अन्दर फरनीचर नहीं बनता था जब बरेली में सरकार की फैक्टरी में फरनीचर बनना शुरू हुआ तब वहां से खरीदा जाने लगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकारी फैक्टरी से फरनीचर खरीदे जाने का सरकारी आदेश अब भी कायम है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने किसी आर्डर का जिकर नहीं किया। वह तो मेरे नजदीक अक्ल की बात थी कि जब सरकारी फैक्टरी में फरनीचर बनता है और वह सरकार की कम्पनी है तो उससे हमको फरनीचर लेना चाहिये और मैं भी समझता हूं कि वह फरनीचर उससे अच्छा भी था।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या यह सही है कि सरकारी बोबिन फैक्टरी ने अपने यहां से फरनीचर सप्लाई न करके मारकेट से फरनीचर खरीदकर अपने नाम से सप्लाई किया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझको यह मालूम है। यह बिलकुल गलत है। मैं बहुत दफा वहां पर गया हूं और मैंने देखा है। मैंने भी यह बात सुनी थी, हमने इसकी जांच की थी और मेरे नजदीक यह बिलकुल गलत है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में जो बोबिन फैक्टरी चलती थी वह अब बन्द हो गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बोबिन फैक्टरी का सब्जैक्ट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस सवाल से उसका कोई ताल्लुक मालूम नहीं पड़ता। मैं चेयर से यह दरख्वास्त करने जा रहा हूं कि वह उनसे पूछ लिया जाय कि उसका किस तरीके से इस फरनीचर से संबंध है?

श्री अध्यक्ष--आपने बोबिन फैक्टरी का जिक्र किया था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने उसका जिक्र नहीं किया बल्कि जवाब दिया था। फरनीचर की खरीद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि सरकारी फैक्टरी बन गयी थी, इसलिये उससे फरनीचर लिया गया तो क्या वह फैक्टरी अब बन्द हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष--वे कहते हैं कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिये इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बोबिन दूसरी चीज है और उसमें यह काम अलहदा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या उस फैक्टरी से अब दारुलशफा के लिये फरनीचर मंगाया जाय तो मिल सकता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इतनी नालेज तो होना मुश्किल है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपको दिला दिया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकारी यह आदेश थे कि कीमत अधिक होने पर भी बोबिन फैक्टरी से ही फरनीचर खरीदा जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आदेश किसके होते। गवर्नमेंट ही खरीदने वाली थी और गवर्नमेंट ही आदेश देने वाली थी।

*३४-३६---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)---[२५ अगस्त, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

फिरोजाबाद में चूड़ी के व्यापारियों की हड़ताल

*३७---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या वित्त मंत्री को विदित है कि फिरोजाबाद में मार्च, १९५५ में तीन दिन तक आम हड़ताल रही? यदि हां, तो उसका क्या कारण था और उस कारण को दूर करने के लिये क्या उपाय किया गया है?

श्री धर्मसिंह---फिरोजाबाद के कांच की चूड़ी के व्यापारियों ने मार्च, १९५५ में तीन दिन हड़ताल की थी। उनकी मांग थी कि कांच की चूड़ियों को बिक्री कर से बिलकुल मुक्त कर दिया जाय या यदि यह संभव न हो तो उनकी बिक्री पर एक स्थानीय बिक्री कर (सिंगल प्वाइण्ट टैक्स) लगाया जाय। सरकार उसकी मांग पर विचार कर रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस बात की जांच की है कि फिरोजाबाद से चूड़ियां बाहर जाती हैं तो उन पर कितने प्वाइण्ट टैक्स लगाया जाता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब के जरिये से यह बता देना चाहता हूं कि पेश्तर के जवाब में यह बता दिया गया था कि गवर्नमेंट इस मामले पर विचार कर रही है। उसमें यह बात भी है कि जो टैक्स इस वक्त लगता है वह कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है, उसमें किसी तरमीम की जरूरत है या नहीं, यह प्वाइण्ट भी इसी के अन्दर आता है।

आगरा जिले के मलपुरा थाने में चोरी, डकैती और फौजदारी की रिपोर्टें

*३८---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि गत वर्ष आगरा जिले के मलपुरा थाने में चोरी, डकैती और फौजदारी की कितनी रिपोर्टें हुईं और उनमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत---मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४७ पर।)

श्री देवकीनन्दन विभव---माननीय मंत्री जी ने जो तालिका मेरे पास भेजी है उसमें चोरी की ४४ घटनायें हैं, उनमें से केवल ८ में सजायें हुई हैं और ३० में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसका क्या कारण है?

श्री जगनप्रसाद रावत---इन तीस चोरियों के सिलसिले में न कोई सुराग मिला और न कोई शहादत ही मिली।

मऊ पावर हाउस से बूढ़नपुर तथा अतरौलिया के नलकूपों को बिजली देने का विचार

*३९---**श्री व्रजविहारी मिश्र** (अनुपस्थित)---क्या सरकार आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील में ग्राम बूढ़नपुर तथा अतरौलिया में जो ट्यूबवेल बनकर तैयार हो गये हैं उन तक मऊ पावर हाउस से बिजली पहुंचाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ३९ श्री श्रीनाथराम ने पूछा।

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में बिजली की आवश्यकता

*४०--श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ पावर हाउस से गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के दक्षिणी और पश्चिमी भाग को बिजली देने का आयोजन किया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्म सिंह--(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भाग को कहां से बिजली देने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह--अभी तो यह प्रश्न ही विचाराधीन है कि कहां से देंगे, अभी तो बिजली है ही नहीं कहां से दी जा सकती है।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के दक्षिणी किनारे के ठीक उत्तर थोड़ी ही दूर पर मऊ से बिजली सप्लाई होती है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको बाद में बतलाया जा सकता है।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि गवर्नमेंट १०० टाउन एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, इस वक्त इस तरह का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*४१--श्री कमलासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर टाउन एरिया को कब तक बिजली देने की सरकारी योजना है ?

श्री धर्मसिंह--इस समय ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है।

*४२--श्री कमलासिंह--क्या सरकार बलिया की तरह गाजीपुर में भी अपने हाथ में बिजली का काम लेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

गोरखपुर जिले में रजिस्टर्ड सहकारी समितियां

*४३--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५४ में कुल कितनी सहकारी समितियां बनीं जो रजिस्टर हुईं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--गोरखपुर जिले में सन् १९५४ में कुल ४८६ सहकारी समितियां रजिस्टर की गईं।

कुशीनगर में बिजली लगाने की योजना

*४४--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर (कसिया) को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान समझ कर वह वहां बिजली लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। आशा की जाती है कि मार्च, १९५६ तक वहां बिजली लग जायगी।

आजमगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में गिरफ्तारियां तथा भ्रष्टाचार विरोधी समिति की बैठकें

*४५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में अक्तूबर, ५४ से लेकर मार्च, ५५ तक कितने राजकीय कर्मचारी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आजमगढ़ जिले में अक्तूबर सन् ५४ से मार्च सन् १९५५ तक पांच सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किये गये।

*४६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ भ्रष्टाचार निवारक समिति की बैठक जनवरी, ५४ से अक्तूबर सन् ५४ तक कितनी बार हुई है एवं अक्तूबर, ५४ से मार्च, ५५ तक कितनी बार हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जनवरी से अक्टूबर स , १९५४ तक आजमगढ़ भ्रष्टाचार विरोधी समिति की ६ बैठकें हुईं तथा अक्तूबर सन् १९५४ से मार्च सन् १९५५ तक ५ बैठकें हुईं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५ सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हैं उनमें कितनों को सजा हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक उनमें से तीन पर मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है सेशन जजी में और स्पेशल जज के यहां। एक के ऊपर मुकदमा दायर होने वाला है और एक के मुकदमे की अभी तफतीश हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ५ व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये हैं ये किन-किन पदों पर काम कर रहे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनमें से तीन लेखपाल थे, एक पुलिस आफिस में एकाउण्टेण्ट थे और एक सब-इन्सपेक्टर थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार समिति का अध्यक्ष गैर-सरकारी हो, इस तरह का आदेश जिलाधीशों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह का आदेश देने का क्या कारण था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह प्रश्न जो अभी पूछा गया है उसका मुख्य प्रश्न से क्या संबंध है लेकिन इस किस्म की चर्चा कई बार इस सदन में आयी था और जो हमारी स्टैण्डिङ्ग कमेटी है उसकी भी ऐसी राय थी, तो इस वजह से इस सदन की राय का आदर करके इस तरह का आदेश दिया गया है।

गोरखपुर के कलेक्टरी मालखाने से बन्दूक आदि शस्त्रों की नीलामी के संबंध में परिप्रश्न

*४७---**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के कलेक्टरी मालखाने से सन् १९५३ और १९५४ में कितनी दो नली कारतूसी बन्दूकें, राइफलें, पिस्टल और रिवाल्वर नीलाम किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५३ और १९५४ में कोई शस्त्र गोरखपुर मालखाने से नीलाम नहीं हुये।

नैनी जेल से श्री खयाली राम, एम०एल० ए० द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें

*४८--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर सन् १९५४ में श्री खयालीराम जी, एम० एल० ए० ने अपने नैनी जेल के बन्दीगृह में रहने के काल में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सरकार के पास भेजी थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--श्री खयाली राम जी, एम० एल० ए० की भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत जेल से सरकार के पास नहीं आई ।

*४९--**श्री महीलाल**--क्या मंत्री महोदय ने उक्त शिकायतों की जांच कराने के उपरान्त भ्रष्टाचार निवारणार्थ कुछ उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या हिदायतें की गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न को एक शिकायत का रूप समझकर जांच की विशेष व्यवस्था करायेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--सवाल से तो कोई तहकीकात नहीं हो सकती, खयाली राम जी से कहा गया कि वह अपनी शिकायतें फिर से भेज दें, उन्होंने नहीं भेजीं तो तहकीकात किस पर हो ?

आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के पृथक् किए गए कर्मचारियों की अन्य पावर हाउसों में नियुक्ति

*५०--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के कितने कर्मचारियों को अलग करने की सूचना दे दी गई है ?

श्री धर्मसिंह--आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के केवल १० नान-गजटेड कर्मचारियों को अलग करने की सूचना दे दी गयी थी ।

*५१--**श्री उमाशंकर**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के कर्मचारियों में, जिन्हें अलग करने का निर्णय किया गया है, उसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नौकरी सात वर्ष से अधिक है और वे अब किसी नये विभाग में नौकरी करने की उम्र नहीं रखते ?

श्री धर्मसिंह--उपरोक्त दस कर्मचारियों में से केवल चार व्यक्तियों की नौकरी सात वर्ष से अधिक हैं । इस श्रेणी के टेक्निकल कर्मचारियों के लिये उम्र का बंधन विशेष-रूप से लागू नहीं होता ।

*५२--**श्री उमाशंकर**--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि हाइडेल पावर हाउस, आजमगढ़ के कितने कर्मचारी काम से रिक्त किये जायेंगे, उनको किसी काम में लगाने का उनका विचार है ?

श्री धर्मसिंह--दस में से ९ कर्मचारियों को दूसरे पावर हाउसों पर काम में लगाया जा चुका है । एक जो शेष है उसे भी काम में लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वह ९ कर्मचारी जिन पदों से हटाये गये थे वही दूसरे पावर हाउसेज में उन्हीं पदों पर नियुक्त किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, उन्हीं पदों पर नियुक्त किये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह दस व्यक्ति क्यों हटाये गये थे ?

श्री धर्मसिंह--क्योंकि आजमगढ़ में पावर हाउस बन्द किया गया था और मऊ में खोलने की व्यवस्था थी, इसलिये मऊ में नियुक्तियां की गईं ?

मुखिया के नामांकन प्रथा की समाप्ति

*५३--**श्री महीलाल**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार निकट भविष्य में ही मुखिया के नामांकन की प्रथा को समाप्त करने जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस प्रथा को सरकार समाप्त कर चुकी है ।

जिला कार्यालयों में सरकारी आदेश हिन्दी में ही भेजने का सुझाव

*५४--**श्री गुरुप्रसाद पांडेय** (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के अन्तर्गत जिलों के कार्यालयों में जो सरकारी आदेश भेजे जाते हैं वे अंग्रेजी में क्यों भेजे जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय आदेश हिन्दी में भी भेजे जाते हैं किन्तु अधिक संख्या में नहीं । हिन्दी में पूर्णरूप से पत्र-व्यवहार करने का प्रयत्न हो रहा है ।

*५५--**श्री गुरुप्रसाद पांडेय**--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिलों में जो भी राज्य के अधीन संस्थायें हैं उन संस्थाओं की कमेटियों के एजेंडे अंग्रेजी में सदस्यों के पास भेजे जाते हैं और मीटिंग की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि कुछ जिलों में कमेटियों के एजेंडे हिन्दी में भेजे जाते हैं और उनकी कार्यवाही भी हिन्दी में होती है । इस विषय में सरकार ने अभी हाल ही में आदेश निकाले हैं जिनके अनुसार इन कमेटियों के कार्यक्रम और बैठकों की कार्यवाही अब हिन्दी में ही हुआ करेगी ।

श्री गुरुप्रसाद पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिलों को हिन्दी में कार्य करने का आदेश दिया गया है, उन जिलों में फतेहपुर आता है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तक तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है, इसलिये यह आदेश वहां भी जरूर गये हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हर एक जिलाधीश और एस० पी० के बंगलों पर जो आफिस हैं उनमें हिन्दी टाइपराइटर हैं या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं जानता सबके यहां हैं या नहीं, लेकिन बगैर पहले से सूचना के इसका जवाब देना असम्भव है ।

मिर्जापुर के अदलहाट थाने के अन्तर्गत डकैती, चोरियां तथा बलवे,

*५६--**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के अदलहाट थाने के अन्तर्गत सन् ५४ से मार्च ३१, सन् ५५ तक कितनी डकैती, चोरियां, बलवे तथा हत्यायें हुईं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--१ डकैती, ५७ चोरियां, ५ बलवे और ५ हत्यायें हुईं ।

*५७--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या यह सही है कि उक्त डकैतियों का प्रधान कारण इस क्षेत्र में यातायात का अभाव है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--एक कारण यह भी हो सकता है ।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार शासन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को पुलिस स्टेशन से संबद्ध करने के लिये यातायात के साधन पर विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--माननीय सदस्य के सुझाव पर अवश्य विचार किया जायगा।

*५८--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या सरकार को पता है कि अभी पहली मार्च को अदलहाट थाने के किसी ग्राम में डाकुओं और ग्राम-रक्षक-दल में संघर्ष के फलस्वरूप बल्लम से आहत डाकू का दल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उससे कई डाके और डाकू दल का गुप्त रहस्योद्घाटन हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां।

आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के विरुद्ध निराधार शिकायती पत्र

*५९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के कर्मचारियों का प्रार्थना-पत्र एवं हाउस से संबंधित कोई शिकायती पत्र आया है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगें व शिकायतें की गई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मसिंह--कर्मचारियों की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। सिर्फ एक आदमी ने, जो अब नौकरी में नहीं है, कुछ अफसरों के खिलाफ शिकायती पत्र भेजा था। प्रार्थी ने अपनी तरक्की तथा बकाया वेतन दिलाये जाने की मांग भी की थी। जांच करने पर सब बातें निराधार साबित हुईं।

कुमाऊं फारेस्ट कमेटी में कुमाऊं के समस्त विधान सभा सदस्यों को लेने की मांग

*६०--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास मांगें आयी हैं कि कुमाऊं फारेस्ट कमेटी में कुमाऊं से आने वाले सभी विधान सभा के सदस्यों को स्थान दिया जाये ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा में लाउड स्पीकरों तथा पंखों की व्यवस्था

*६१--**श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के लाउड स्पीकर से साफ आवाज न आने के कारण सदस्यों को जो असुविधा होती है उसे ध्यान में रखते हुये संसद में जिस प्रकार की लाउड स्पीकर की व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था वह इस सदन में भी करायेगी ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने निश्चय कर दिया है कि संसद वाला प्रबन्ध यहां भी हो और उसके करने वालों से मामला हो रहा है।

*६२--**श्री जगन्नाथ मल्ल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा में जो पंखे सिकड़ियों से लटकाये गये हैं उन सिकड़ियों की मजबूती की जांच होती है ? यदि हां, तो कितने अरसे पर ?

श्री धर्मसिंह--विधान सभा में छत के पंखे लोहे की रस्सी से लटकाये गये हैं। पीतल की जंजीर लोहे के तार को छिपाने के लिये लगी हुई है। लोहे की रस्सी पंखे के वजन के मुकाबिले में बहुत मजबूत है। उनकी जांच प्रति वर्ष की जाती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न संख्या ६१ के बारे में जो जवाब दिया गया है कि उसके करने वालों से मामला हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसका मतलब यह है कि जो उस किस्म का सिस्टम यहां बना सकते हैं, हर एक तो उसके बनाने वाले नहीं हैं, जो हैं दिल्ली में हैं और वह बाहरवालों की कम्पनियां हैं उनसे मामला हो रहा है कि वह क्या करेंगे, कब तक बनाकर दे देंगे और कितना लेंगे वगैरह वगैरह।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संसद वाली व्यवस्था कायम करने में सरकार का कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री धर्मसिंह—कोई ५० हजार से ६० हजार तक का अनुमान है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—मैं समझता हूं कि शायद ६, ७ महीने तो लग ही जायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन तारों की जांच आखिरी दफा कब कराई गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है इस वक्त आप मंगाना चाहें तो मंगाकर तारीख दे दूंगा।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में बरनो थाने के भवन का निर्माण

१—**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस के थानों के निर्माण के लिये साल १९५५–५६ में जो धन दिया गया है उसमें थाना बरनो (गाजीपुर) का नम्बर है कि नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, पुलिस की नई इमारतों में जो इस साल मंजूर हुई हैं, बिरनो जिला गाजीपुर का थाना भी शामिल है।

२–३—**श्री कृष्णशरण आर्य**—[२५ अगस्त, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

थानेदारी के साक्षात्कार में निर्वाचित अभ्यर्थी

४—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष थानेदारी के साक्षात् कार में कितने अभ्यर्थी बुलाये गये और उनमें कितने निर्वाचित किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५५ में थानेदारी के साक्षात्कार में ४७८ अभ्यर्थी बुलाये गये थे और उसमें से ८२ निर्वाचित किये गये।

१७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३३–३४ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन *

श्री अध्यक्ष—माननीय धर्मसिंह, आपने पिछले दिन एक प्रश्न का उत्तर जो दिया था जो आप सही नहीं समझते हैं अगर आप उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं।

श्री धर्मसिंह—१७ मार्च, सन् १९५५ के प्रश्न संख्या ३३–३४ से संबंधित श्री देवकीनन्दन विभव के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जिसमें यह पूछा गया था कि जूते के व्यवसाय पर सिंगिल प्वाइण्ट सेल्स टैक्स लगता है या मल्टीपिल प्वाइण्ट, मैंने यह कहा था कि सिंगिल

---

*संदर्भ के लिये १७ मार्च, १९५५ की कार्यवाही का पृष्ठ ३१८ देखिये।

[श्री धर्मसिंह]

प्वाइण्ट टैक्स लगता है, लेकिन यह उत्तर ठीक नहीं था। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जूते के व्यवसाय पर मल्टीपिल टैक्स लगा हुआ है।

पूर्वी जिलों में गलत इंदराजों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राम सुभग वर्मा ने भेजा है और वह पूर्वी जिलों में गलत इन्दराजों के सम्बन्ध में है। मैं इसको बहुत अनिश्चित और गोल सा समझता हूं। इससे स्पष्ट कोई मतलब निकलता नहीं है, इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश किया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह निवेदन करना था--शायद माननीय माल मंत्री यहां हैं--उन्हें मैंने एक पत्र भी लिखा था कि पूर्वी जिलों में इन्दराज के बहुत से केसेज चल रहे हैं मगर आपने काम रोको प्रस्ताव अनियमित कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं मैं उनसे कहूंगा कि इतनी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस पर एक दिन जरूर तय कर दें जिससे उस पर विवाद हो सके।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। एक विषय बहुत महत्व का चल रहा है, उस बीच में किसी दूसरी चीज का आ जाना ठीक नहीं है। दूसरा समय होता तो मैं थोड़ा समय इस विषय की चर्चा में खर्च होने की अनुमति दे देता।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--माननीय गेंदा सिंह जी अपना भाषण जारी रक्खें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये अगर अकेले स्टेट गवर्नमेंट पर यह सारा बोझ डाला जाय तो यह उसके लिये संभव नहीं है कि वह बर्दाश्त कर सके। इसमें दो बातें हैं। एक तो यह बात है कि बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये जितने धन की आवश्यकता है वह सारा धन स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर एक सूबे के खास हिस्से के लिये वह अपने सारे काम को रोक कर अपने बजट में काफी गुंजाइश करे तो फिर इस हालत में यह बात पैदा हो सकती है कि जो दूसरा हिस्सा और कामों में सफर करेगा उसे शिकायत होगी और इससे बीच में मनोमालिन्य बढ़ने का डर है। मैं समझता हूं कि उस हिस्से की उतनी सहायता नहीं हो पाती है जितनी कि दूसरी तरफ शिकायत होती है। साथ ही कहीं भी किसी देश में ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता है कि इस तरह के बड़े काम या इस तरह के नेचुरल केलेमिटीज से बचने के लिये ऐसी सरकार के किसी एक यूनिट पर सारा बोझ छोड़ा गया हो। अमेरिका में भी बाढ़ नियंत्रण के लिये जो चेष्टा की गई उसमें सिर्फ उसकी स्टेट गवर्नमेंट पर वह बोझ नहीं छोड़ा गया, बल्कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने उसमें से ज्यादा बोझ बर्दाश्त किया। तो ऐसी हालत में मैं यह जरूरी समझता हूं कि हमको भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को पूरी तरह से रख कर, अपनी योजनाओं को रख कर उससे धन लेने की कोशिश करनी चाहिये मैं यह मानता हूं कि अबकी मरतबा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे हमारे मंत्री गण भी इस मामले में सचेष्ट रहे, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ध्यान हमारी तरफ जितना आकर्षित होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी खामी इसमें हम मानते हैं। वह खामी यह है कि पिछले कई वर्षों में जो मुसीबत हमारे सूबे की रही है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने नहीं रक्खी गयी जब यह चर्चा की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने तस्वीर को रखने में संकोच न करना चाहिये तो उस वक्त हमारी सरकार को यह बात अपनी मर्यादा के विरुद्ध मालूम हुई। और उसका परिणाम आज यह है कि अबकी मर्तबा स्टेट

गवर्नमेंट ने जितने व्यय का अनुमान पंचवर्षीय योजना के लिये किया था उस अनुमान को शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना। मैं फिर भी विधान सभा के माननीय सदस्यों से और माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात के लिये आग्रह करूंगा कि मैं नहीं जानता कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से राजी कर सकते हैं—लेकिन राजी करने के लिये चेष्टा जारी रखनी चाहिये और जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोसी प्रोजेक्ट के लिये संभवतः १ अरब ३७ करोड़ रुपया लिया था उसी प्रकार हमें घाघरा, बड़ी गंडक, सरजू, राप्ती और मैं गोमती को भी उसी श्रेणी की नदियों में मानता हूं —इन नदियों को कंट्रोल करने के लिये कुछ ऐसी योजनायें जैसे दामोदर घाटी योजना, कोसी प्रोजेक्ट योजना या भाखरा नांगल योजना की तरह कोई योजना यहां के लिये बनाई जाय जिससे कि कोई बड़ा काम हो सके। उससे बहुत से इलाकों को पानी दिया जा सके और साथ ही साथ पावर की भी उत्पत्ति हो सके, जिससे छोटे-छोटे गृह उद्योग उन्नति कर सकें। अकेले यू० पी० गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि इन बड़ी-बड़ी नदियों को वह कंट्रोल कर सके।

उसमें थोड़ी दिक्कत सीमा की भी पड़ेगी। ये नदियां ऐसी भी हैं जो यू० पी० और बिहार दोनों से जाती हैं। इन नदियों को कंट्रोल करने के लिये आवश्यक होगा कि दोनों सरकारों से और कहीं-कहीं से तीन सरकारों से विचार विनिमय करना पड़ेगा। कहीं-कहीं नैपाल सरकार से भी विचार विनिमय करना पड़ेगा। वह स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है कि वह इस काम को पूरा कर सके। इसलिये केन्द्र को पूरी तरह इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिये।

यह तो लम्बी अवधि की चीजें हैं। इस पर मैंने निवेदन किया। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को किसी तरह से केन्द्रीय सरकार को राजी करने की चेष्टा करनी चाहिए कि वह इस पर कोई ऐसी योजना बनाये जिससे नदियों से हमें मुक्ति मिल सके और यह नदियां श्राप न हो कर आशीर्वाद सिद्ध हो सकें। परन्तु यह भी ध्यान में रहे कि थोड़े दिनों के लिये भी बहुत कुछ करना पड़ेगा और वह थोड़े दिनों के काम के लिये मैं संक्षेप में कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि जहां पर बाढ़ के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जल्दी पैदा हो जाने वाली फसल का कोई बन्दोबस्त किया जाना चाहिये जो कि अगस्त में पानी आने से पहले कट सके। यदि गर्मी के महीने में पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाय, जो किया जा सकता है, चाहे ट्यूबवेल लगायें जायं। चाहे पम्पिंग सेट लगाये जायं, लेकिन यह हो सकता है कि गर्मियों में पानी पहुंचाया जाय और जो फसल उस बीच में सूखती रहती है वह सूखे नहीं और शुरू बरसात में पक कर तैयार हो जाय। कई वर्षों के अनुभव से हम देख रहे हैं। पानी पहले बरसना शुरू हो गया है। बाढ़ पहले आती है। अगर पहले फसल काट लेने की तैयारी करें और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय तो शायद हम इससे फायदा उठा सकते हैं।

बाढ़ के क्षेत्रों में पीने के पानी के लिये भी बड़ी दिक्कत होती है। अगर हर गांव में जा कर देखें तो कुएं डूब जाते हैं। उनको बाढ़ का ही पानी पीना पड़ता है और वह बीमारी का घर होता है। इस लिए वहां पानी पीने के लिये भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। जो पुराने कुएं हैं उनकी जगत ऊंची की जाय, या पम्पिंग नल लगायें जायं। गांव के लोग भी कुछ मदद कर सकते हैं। सरकार भी कुछ मदद करे। तभी वह काम चल सकता है। पीने के पानी के ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए।

इस समय जो तात्कालिक सहायता की आवश्यकता है उसमें यह भी है कि लाखों आदमियों को रोजी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस लिए होनी चाहिए कि वह कहीं जा कर इस वक्त काम नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर बाहर भेजे जा सकें लोग तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व मंत्री जी को शिकायत रहती है कि गेंदा सिंह जी की

[श्री पेंदा सिंह]

जिद्द है कि घर पर ही रोजी मिले। इसमें मुझे कोई जिद्द नहीं है चाहे मेरठ जाना पड़े या झांसी जाना पड़े। जरा मलेरियल प्लेस में न भेजें। अगर वहां भेजेंगे तो वहां भी जाकर बीमार पड़ेंगे। मेरठ तो कोई मलैरियल प्लेस नहीं है। मेरठ तो स्वर्ग है। अगर वहां लोग जांय तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि हम उनको राजी करेंगे कि बाहर जा कर काम कर सकें।

दूसरी बात यह है कि इतने ही से काम नहीं चलेगा लोकल भी काम करना पड़ेगा जिसमें लाखों आदमियों को अपना पेट भरने का प्रबन्ध हो सके। वह चार, पांच, छः, महीने के लिए बन्दोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे कामों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए। उन स्थानों पर लोकोपयोगी काम कराये जायं जिनकी आवश्यकता है। लेकिन योजना के साथ करायें, कई स्थानों पर लाख, पचास हजार या कुछ लाख आदमियों को जो रोजी देने का सवाल है उस का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अगर उनको रोजी नहीं मिलती है तो इससे ला एंड आर्डर में भी गड़बड़ी पड़ती है चाहे कागज में वह लिखा जाय या न लिखा जाय।

इन कामों के सिलसिले में मैं गांवों को ऊंचा करने को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता हूं। इस ओर मैं एक आध बात की ओर जरूर संकेत कर देना चाहता हूं। ठेकेदारी की प्रथा न रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस धन में से बीच वाले लोगों के पास भी चला जाता है। बीच वाले लोग कहते हुए मुझे खुशी नहीं होती। लेकिन कटु सत्य कहना पड़ेगा। उससे हमारे ठेकेदार भाई और कुछ सरकारी कर्मचारी, जिनको इंजीनियर कहा जाय, ओवरसियर कहा जाय, उस पैसे को ले लेने में हाथ बटाते हैं। अगर इस पैसे को बचाया जा सके और उसको वह काम करने वालों की मदद करने में खर्च किया जा सके, जो पैसा सरकार के पास से निकला है उसका पूरा-पूरा ठीक उपयोग किया जा सके तो अच्छा है। इसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता, बहुत से भाई कहने वाले हैं और वे कहेंगे, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस ठेकेदारी प्रथा का अन्त किया जाना चाहिये और गांव के लोंगो की सहायता की जानी चाहिए कि वे खुद ही इस काम में हाथ बटावें।

इसके अलावा गाँव बसाने के लिये एक नक्शा होना चाहिये। ऐसा न हो कि गांव के अन्दर से ही मिट्टी काटी जाने लगे। सरकार कुछ योजना बनावे जिसके अनुसार गांव बसाये जायं। जब हम इतना रुपया खर्च करने जा रहे हैं तो उसका पूरा नक्शा ठीक तरह का हमारे सामने होना चाहिये। अगर मिट्टी निकालने की जरूरत है तो जरूर निकाली जाय, लेकिन उसकी सही तस्वीर हो तो अच्छा है।

सार्वजनिक इमारतों के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि स्कूलों की इमारतें बहुत बरबाद हो गई हैं। उनको बनवाने का बोझ सरकार को उठाना चाहिये गांवों को बड़ी सड़कों से जोड़ने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये, ताकि पानी आने के वक्त भी गांव के लोग नाव की व्यवस्था के झगड़े में न पड़ें अगर दूर जाना पड़े अपनी रोजी कमाने के लिये तो आसानी से दूर जा सकें और अपनी रोजी कमा सकें। इसलिये सड़कों का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिये।

मकान बनाने का काम बड़े पैमाने पर हो सकता है जो होना चाहिये। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे सामने राजस्व मंत्री जी ने जो साढ़े तीन लाख मकानों की क्षति की बात कही है, मैं उनसे कहूंगा कि यह बात गलत है। लोग आम तौर पर झोपड़ी का मकान बनाते हैं जिसकी दीवारें भी फूस की होती हैं और ऊपर भी फूस होता है उनकी शायद इसमें गिनती नहीं है। जिन मकानों में नीचे मिट्टी की दीवारें थीं शायद उनकी ही गिनती इसमें की गई है। तो मैं यह जरूर कहूंगा कि उन झोपड़ियों की गिनती भी इसमें होनी चाहिये। और उनके भी बनाने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये और सही अनुमान लगाना चाहिये।

मैं इसमें कोई खास सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन इसके लिये कोई एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिये कि जो यह सोचे कि वहां किस तरह के मकान बनने चाहिये, जो कि बाढ़ को रिसिस्ट कर (सुरक्षित रह) सकें और आग से भी ताकि आगे भी लोगों की कुछ मुसीबत दूर हो। अगर मकान बनाने के काम में हमने लोगों को लगाया तो लाखों आदमियों को उससे रोजी मिल सकती है और यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजी दिलाने वाला काम है। इस में बहुत गंभीरतापूर्वक हम को सोच करके एक अच्छी रकम खर्च करनी चाहिये।

जमीन के बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि जो सरकार ने आदेश जारी किये हैं, उनमें गांव समाज को कहा है कि उसकी जमीन पर लोगों को खेती करने के लिये तथा मकान बनाने के लिये सुविधा दी जाय। गांव समाज को जो जमीन दी गई है वह ऐसी नहीं है कि यह काम उससे चल सके। मैं इस मामले में यह भी कहूंगा, जो मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं जमीन बटवारे की बात कहता हूं कि जो ऊंची जगहें हैं भले ही वहां पर लोगों को बड़े फार्म हों और उनसे अच्छी खेती होती हो, लेकिन उसे गांव बसाने और लोगों को खेती के लिये जमीन देने के लिये नामिनल मुआवजे पर एक्वायर (प्राप्त) कर लेना चाहिये। इसमें जिद नहीं होनी चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि गांव समाज की जमीन से ही हम यह काम चलायेंगे।

मैं फीस माफी की तरफ ध्यान दिलाऊंगा और यह चाहूंगा कि पिछले वर्ष की गलती इस वर्ष न हो। यह बात तो सही है कि कि फीस माफी के आदेश जाते हैं, लेकिन उन पर काम नहीं हो पाता। फीस माफी के आदेश ऐसे होने चाहिये कि गवर्नमेंट यह साफ कहे कि संस्थाओं को जो फाइनेंशियल लास (हानि) होगा उसको गवर्नमेंट रिइम्बर्स करेगी। अगर ऐसा होगा तो संस्थायें जरूर फीस माफ करेंगी और इसके बाद भी जो ऐसा न करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। और उनको दंड दिया जाना चाहिये कि जब सरकार रुपया देना चाहती है तो जिनको लाभ मिलना चाहिये उन्हें क्यों नहीं दिया जाता।

एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूं। पिछले साल सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट १ करोड़ रुपया तक फीस माफी में खर्च कर देगी तो हम ५० प्रतिशत अपनी सहायता दे देंगे। और अगर १ करोड़ रुपये से ऊपर खर्च करेगी तो हम ७५ प्रतिशत मदद देंगे। परन्तु इसमें हमारी सरकार बहुत पीछे रह गई। मुझको मालूम नहीं क्या किया और उस आदेश का पालन भी नहीं हो सका। तो अबकी मर्तबा भी कुछ ऐसी गलती न हो। फीस माफी के मामले में उदारता पूर्वक बर्ताव होना चाहिये। मालगुजारी के सिलसिले में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी का भी केवल मालगुजारी की वसूली के रोक देने से काम नहीं चलेगा और जो राजस्व मंत्री जी ने कल कहा था कि माल गुजारी जो इस वक्त लोगों के ऊपर बाकी है वह जो फसल डूब गई है उसकी तो बाकी नहीं है वह तो पिछली फसल की है। सवाल तो इस वक्त अदा करने की ताकत का है। अगर इस वक्त अदा करने में दिक्कत हो रही है तो मैं समझता हूं कि उसको जरूर मुल्तवी करना चाहिये और अगर अदा करने की ताकत उनमें हो जाय तो वसूली फिर की जाय। लेकिन इस वक्त तो जरूर मुल्तवी कर दी जानी चाहिये, बाद में विचार हो कि उसे माफ कर दिना जाना चाहिये।

अब भी पंचायत करों की वसूली का जो जोर है उससे भारी दिक्कत लोगों को हो रही है। तीन-तीन वर्षों की लोगों पर बकाया वसूली की जा रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये और उनको भी मुल्तवी किया जाना चाहिये और जो बन्धन हो रहे हैं कि जिस पर बकाया रहेगा वह चुनाव के लिये नहीं खड़ा हो सकता, वह खत्म होने चाहिये।

दवा का प्रबन्ध पशुओं और मनुष्यों के लिये जरूर होना चाहिये। बड़ी खुशी की बात है कि इस बाढ़ में आदमियों की मौत कम हुई है, पशुओं की भी कम हुई है। और मैं माननीय

[श्री गेंदा सिंह]
राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि २ हजार की जो फीगर उनके पास है वह गलत है। कभी तो ऐसी फीगर आयी थी ४ ही पशु मरे हैं तो अगर वह फिर भीतर जायेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि २ हजार के बजाय १० हजार पशु मरे हैं। तो इसका भी अन्दाजा रखने की कोशिश हो कि कितनी क्षति हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तो उससे मालूम होता है कि यह फीगर गलत है।

मैं यातायात के सिलसिले में जरूर कहूंगा और कुछ समाचार भेजने के सम्बन्ध में मैंने अनुभव किया कि अबकी मरतबा टेलीफोन वगैरह जो हैं उनको जिले के अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिया और जहां चाहते थे वहीं हम खबर भेज पाते थे दूसरी जगह नहीं भेज पाते थे। तो आगे से यह प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि समाचार वगैरह के सिलसिले में फिर किसी को रुकावट न पड़े। मुझे आजमगढ़ में इस तरह की शिकायत मिली थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन की यह हालत थी और उनको टेलीफोन के बाबू लोगों से झगड़ा करने की नौबत आयी थी। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि समाचार हमारे ठीक तरह से आ जा सकें।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्टेट लेविल कमेटी बनाने का विचार रखा था तो यह विचार मालूम नहीं क्यों रुक गया। मैं समझता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी बना देना चाहिये और वह कमेटी फिर पूरे सूबे की और पूरे क्षेत्र को सामने रख कर वह सारा काम करे तो उससे बड़ी मदद मिलेगी। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेविल कमेटी से काम नहीं चलता है। मैंने सुना था कि हमारे सिंचाई मंत्री जी उसके चेयरमैन होंगे मैं उनके परिश्रम का कायल हूं। हम उस परिश्रम का फायदा उठाना चाहते हैं। तो वह कमेटी जल्दी बन जाय और इसी बरसात में तो उससे अगले वर्ष काफी लाभ होगा और सारे जिलों को उसके गाइडेन्स (पथ-प्रदर्शन) से लाभ पहुंच सकेगा।

एक बात मैं कहूं कि सरकारी कर्मचारियों को माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट आर्डर इस तरह के होने चाहिये कि उनके मन में यह भावना न आवे कि अगर हम कांग्रेस दल को ही प्रसन्न रखेंगे और उनकी तरफ से कुछ खुशामद की बात करेंगे तो उससे उनका ओहदा बढ़ेगा। मैं यह जरूर सोचता हूं कि कहीं-कहीं ऐसी शिकायत मिली कि उन्होंने किसी दूसरे दल का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की और उपेक्षा की गोरखपुर से भी एक शिकायत मिली कि वहां पर खास तौर से कुछ लोगों की उपेक्षा की गई। और उनकी सहायता भी लेने की चेष्टा नहीं की गई। यह ऐसा वक्त होता है कि ऐसे वक्त पर सब लोगों की सहायता लेने की चेष्टा होनी चाहिये, अगर वह न भी चाहें तब भी चेष्टा होनी चाहिये, तब फिर अगर चाहते हों और तब भी न ली जाय तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी संकुचित मनोवृत्ति की बात है और इससे उस काम में दिक्कत पड़ती है, यह मनोवृत्ति दूर होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह मनोवृत्ति कुछ पुरानी है और उस जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी बात होती थी, अब इस मनोवृत्ति को मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करता हूं अगले बार छः महीनों के भीतर दूर करने की वह कोशिश करेंगे, आशा भी करता हूं कि वह दूर कर सकेंगे।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां यह संकट है, बाढ़ है, वहां मैं यह भी समझता हूं कि संकट का उपाय करने से और संकट को बचाने में अगर ठीक ढंग से हम लोगों ने काम किया तो यह उन इलाकों के लिये आशीर्वाद हो सकता है, बशर्ते कि हम ठीक ढंग से काम कर ले गये और उनको बचाने की पूरी योजना हमने तैयार कर ली। जहां-जहां भी विपत्ति आती है, उस विपत्ति से बचाने में आदमी को जांफिशानी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो इस मेहनत से, इस जांफिशानी से आदमी कुछ बनता है। मुसीबत तो आयी हमारे ऊपर, लेकिन इस मुसीबत में अगर हमको राह

बताने वाले, हमारी मदद करने वाले, ठीक ढंग से आयें तो मैं समझता हूं कि इससे हमको लाभ होगा। इस सिलसिले में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे जो इंजीनियर साहबान हैं, मैं बड़ी ऊंची भावना उनके बारे में रखता हूं, कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जिनको कि मैं अपने से ज्यादा ईमानदार समझता हूं, लेकिन इनमें ऐसे लोग भी हैं, जो इस बाढ़ से बचाने वाले काम में भी कुछ परसेंटेज लेते हैं। मैं निश्चित मत हूं कि कहीं भी ऐसी शिकायत मिले तो उनके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिये। अगर रूल्स में कुछ बदलने की जरूरत पड़े तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उसमें तब्दीली की जाय, लेकिन इस काम में कहीं से भी किसी इंजीनियर की कोई शिकायत मिले तो फिर उनको तो कम से कम नौकरी में रखने की बात नहीं सोचनी चाहिये। और मेरी राय में अगर इस तरह की चेष्टा हुई तो फिर यह काम बहुत आगे बढ़ेगा और उन इंजीनियरों की मदद से हमारा बड़ा लाभ होगा। मैं कुछ ऐसे इंजीनियर्स से भी सरकार को सलाह लेने का आग्रह करूंगा, जो कि रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं और कुछ पब्लिक सर्विस की भावना से कहीं-कहीं वे ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनसे हमको लाभ हो सकता है। मैं सिर्फ रिटायर्ड लोगों से ही सलाह लेने की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी परसेंटेज नहीं लिया होगा। तो उनको भी इस काम में लेना चाहिये। जनता का सहयोग लेना इस योजना में बहुत आवश्यक है। अगर जनता का सहयोग हम न ले पायें तो केवल सरकार ही सब कुछ कर सकेगी, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। चीन का मैंने कल इसीलिये उदाहरण दिया था कि वहां जहां एक तरफ सरकार ने काम किया तो दूसरी तरफ जनता ने फिर इस काम को अपना समझा। हां, यह बात जरूर हुई कि खाने भर को जनता को मिला। यह नहीं हुआ कि खाने के बगैर बाढ़ से बचाने का काम वे करें। तो यह साधारण तौर से हमको समझ लेना चाहिये कि उनके खाने का इन्तजाम हमको करना है और फिर लाखों आदमियों को लगाना चाहिये चाहे वे कहीं काम करें, बांध बनायें या नाले बनायें या चाहे दूसरे कार्य करें, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जनता का उत्साह उसमें होना चाहिये एक जन आन्दोलन के तौर पर कार्य होना चाहिये। यह तभी हो सकता है कि जब इसमें से हम खाने वालों को हटा सकें। अगर यह नहीं होता तो जनता का उत्साह इसमें नहीं बढ़ सकता।

मुझे बड़ा दुख होता है एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने में मैं चाहता नहीं था कि इस बात को कहूं भी, लेकिन मुझे एक सम्मानित पत्र में एक न्यूज पढ़ने को मिली जौनपुर के बारे में, यह ब्लिट्ज अखबार है। मैं यह नहीं कहता कि इस समाचार में कितनी सच्चाई है, मैं उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं सोचता हूं कि यह ब्लिट्ज अखबार लाखों आदमियों की निगाह से गुजरा होगा और अगर इस तरह के समाचार का खंडन सरकार नहीं करती है तो बड़ी बदनामी की बात है। इसमें यह लिखा हुआ है कि:–

"A young pretty girl of 16 years of age said that attempts were made to outrage her modesty by certain officers of the district. With tears in her eyes, she said that it is better to die in the swelling waters of Gomti, rather than to live in danger of losing honour."

मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि इसकी सफाई हो जाय।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—क्या यह बाढ़ से वास्ता रखता है?

श्री गेंदासिंह—जी हां, बाढ़ से संबंधित है। कहीं पर लोग इवैकुएट किये जा रहे थे, इसीलिये इसका जिक्र किया, वरना मैं इसका जिक्र नहीं करता।

श्री चरणसिंह—क्या यह अखबार देवरिया से निकलता है ?

श्री गेंदासिंह—यह "ब्लिट्ज" अखबार है। मैं आपकी सेवा में भेज देता हूं और मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार नहीं हूं कि इसमें कहां तक सच्चाई है। लेकिन यह लाखों आदमियों की निगाह से गुजरा होगा और अगर सरकार की निगाह से न गुजरा हो तो देखकर अपनी सफाई दे दें ताकि इस पर फिर गलतफहमी न रह

[श्री गेंदा सिंह]

जाय। आखिर में मैं उन लाखों आदमियों को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने मालूम नहीं कितने वर्षों से इस मुसीबत को सहते हुये बाढ़ में, सूखा में और तरह-तरह की स्केयरसिटी में, अकाल में उन्होंने अपने को कायम रखा है। वह है गांव की किसान जनता और खेती में काम करने वाले लोग। उनके बरदाश्त करने की ताकत की सभी सराहना करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि केवल उनके बरदाश्त करने की ताकत की सराहना का समय अब नहीं रहा, इसका विचार करते हुये कि वह राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक ऐसा कदम उठावे जिस से हर साल वे लोग इस मुसीबत में न पड़ें और सरकार को भी असाधारण काम में पड़ना न पड़े। उसके बजाय सरकार जनता के कल्याण का कार्य करे। मैं समझता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पर खोजबीन और जांच होनी चाहिये और ऐसे काम शुरू किये जाने चाहिये ताकि जिनसे हम अपने सूबे को इस मुसीबत से बचा सकें।

इतना कहकर के मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार से फिर एक बार इस बात के लिये यत्न करेगी और अपने पार्लियामेंट के मेम्बरों से भी हम आग्रह करेंगे और हमारी विधान सभा आग्रह करे कि वह कम से कम केन्द्र की सरकार का ध्यान आकर्षित करें कि जिस तरह से उन्होंने दामोदर वैली, या भाखरा नंगल या कोसी प्रोजेक्ट जैसा काम हाथ में लिया वैसे ही इन बड़ी नदियों को नियंत्रित करने का कार्य यू० पी० में भी शुरू करे।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री महोदय की प्रशंसा करने में कभी मुझे हिचक नहीं रही और मैं सदैव उनको इसका पात्र समझता हूं। श्रीमन्, बाढ़ के कारणों पर जो कुछ ध्यान उन्होंने दिलाया है उसको हमने पिछले साल भी सुना और इस समय सुनने का भी मौका मिला। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, इस मात्रा में अन्न नहीं है कि इन फ्लड्स को रोकने के लिये समुचित प्रबन्ध किया जा सके। परन्तु साथ ही साथ मुझे यह भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि कोई सरकार किसी भी देश की हो, कहीं भी हो इस दुनिया के पर्दे में, वह यह बर्दास्त नहीं कर सकती है कि प्रतिवर्ष ४०-५० करोड़ रुपये की क्षति होती रहे। मान्यवर, यही नहीं बल्कि आइन्दा चलकर यह देखा जायगा कि आपने पहली पंच वर्षीय योजना में जो कुछ भी उन्नति की थी वह अगर इसी तरह से मुतवातिर बाढ़ से पूर्वी जिले परेशान और पीड़ित होते रहे तो सम्भवतः आपका किया कराया जो है वह शीघ्र ही नष्ट हो जायगा। मान्यवर, पूर्वी जिलों की एकोनामिक बैकबोन बराबर टूटती जारही है, यह हो सकता है कि किसी एक साल उनको क्षति पहुंचे और उससे वे पनप सकें, लेकिन मुतवातिर पिछले तीन वर्षों से जो मुसीबतें उनको झेलनी पड़ रही हैं उनको देखते हुये मुझे यह सहसा कहना पड़ता है कि इसके लिये सरकार को कुछ समुचित प्रबन्ध करना होगा चाहे आप केंद्र से सहायता लें चाहें दूसरी जगह से लें पर किसी भी हालत से इस विपत्ति को रोकना होगा और जब तक आप इसको रोकते नहीं तब तक प्रथम पंच वर्षीय योजना का बहुत कुछ अंश सफलीभूत नहीं हो सकता है। इस वाद-विवाद के महत्व को मैं भली भांति समझ रहा हूं और यही नहीं बल्कि ज्वर से पीड़ित होते हुये भी आज मैंने यह दुस्साहस किया कि सदन में अपने विचार प्रकट करूं। मुझे यह कहने में लज्जा नहीं कि अपोजीशन का यह अभिप्राय नहीं होता कि हम केवल गालियां ही दें। मैं यह स्वीकार करता हूं कि आपके बहुत से कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है लेकिन साथ ही साथ माननीय माल मंत्री को यह भ्रम भी नहीं होना चाहिये कि हर जगह वैसा ही काम हुआ जैसा कि वे चाहते हैं। हमारे फैजाबाद जिले में माननीय माल मंत्री को यह मालूम होना चाहिये और संभवतः मुख्य मंत्री को भी यह मालूम है, कि जब इस विधान सभा के एक सदस्य एस० डी० एम० के पास सहायता के लिये गये तो उनका यह कहना था कि जितने अधिकार मेरे पास हैं मैं आपके खिलाफ उनका प्रयोग करूंगा। मान्यवर, किसी कर्मचारी के लिये विधान सभा के सदस्यों के लिये यह कहना कहां तक उचित है यह मैं इस सदन के लिये छोड़ देता हूं। वह माननीय सदस्य विरोधी दल के नहीं हैं, वह आपके दल के हैं और एक पुराने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकर्त्ता है और जिन पर मैं समझता हूं कि इस सदन में सब की श्रद्धा है। आज आप दरियाफ्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर यही रवैया रहा तो किसी भी सदस्य के लिये उनसे सहयोग करके ऐसी आपत्ति और विपत्ति में कोई हाथ बटाना मैं सदा के लिये असंभव समझता हूं। मेरा मतलब जयराम जी से है। इसके बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ यह ठीक है कि जिलाधीश महोदय ने अथक परिश्रम किया, फैजाबाद में और जो कुछ किया सराहनीय किया लेकिन सिर्फ एक महोदय की वजह से मुझे आज इस सदन में यह शिकायत करनी पड़ी। जो मुझे सबसे पहले इस वक्त शिकायत है वह माल मंत्री से है और संभवतः वे यह कहेंगे कि अवधेशप्रताप को तो हमेशा शिकायत रहती है अतः इसके लिए उनको कोई चिन्ता नहीं है।

श्री चरणसिंह--मोहब्बत न सही अदावत ही सही, ताल्लुक तो बना रहेगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मान्यवर, फिकराबन्दी का जो असर हुआ वह मुझे आज तक जाहिर है। हमारे माननीय माल मंत्री महोदय ने फैजाबाद में एक मर्तबा भी दर्शन देने का कष्ट सहन नहीं किया। यह ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी गये और त्रिपाठी जी भी तशरीफ ले गये और उन्होंने लोगों में साहस का संचार किया और सब तरह से मदद दी और यही नहीं उनके वहां जाने का एक बहुत ही सुन्दर प्रभाव हुआ और हर तरह की सहायता के लिये हमें उम्मीद दी गई। हमारे माननीय माल मंत्री जी जिनका यह विभाग है और जिनके पोर्टफोलियो में यह है वह कहां थे मुझे मालूम है और मैं समझता हूं कि माल मंत्री जी पीछे रहने वाले नहीं हैं। वे अपनी जिम्मेदारी भली-भांति समझते हैं, लेकिन इसमें क्या रहस्य है, क्या कारण है,और क्या कहानी है, यह मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूं। अगर वे इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो सदन में शांति हो सकेगी नहीं तो यह एक बहुत ही भयानक वस्तु की सूचक प्रतीत हो रही है।

मान्यवर, मैं दुर्भाग्यवश उस जिले से आता हूं जहां पर इस समय बाढ़ के कारण सबसे अधिक क्षति पहुंची है। मान्यवर, मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि यह कोई मनगढ़न्त फीगर्स नहीं हैं, लेकिन ये वे फीगर्स हैं जो जिलाधीश महोदय द्वारा प्रमाणित की गई हैं कि हमारे जिले में जहां पर लगभग तीन हजार मौजे हैं उनमें से १९८८ मौजों में बाढ़ का प्रभाव रहा। २०० मौजे तो श्रीमन्, एक दम से बिल्कुल साफ हो चुके हैं। आज जहां इस बाढ़ के आने से पहले एक चहल-पहल थी, जहां पर इंसान दिखाई पड़ते थे और टूटी-फूटी झोपड़ियां दिखाई पड़ती थीं वहां आज बरबादी की निशानी बाकी रह गई है और वहां पर आज दो मिनट रुकना भी असंभव है, वहां दुर्गन्ध है और मन को बड़ी ग्लानि होती है और हृदय इतना कम्पित और दुखित होता है कि वहां एक मिनट के लिये भी रुकना असंभव है, श्रीमन्, वहां कोई ठहर नहीं सकता।

श्रीमन्, २०० मौजों का एक दम नष्ट हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। जिस जिले में ३००० मौजे हों और वहां के १९८८ मौजों में बाढ़ का असर हो यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। श्रीमन्, २२,००० घर इस जिले में एक दम से नष्ट-भ्रष्ट हो चुके हैं और ५५,००० घर ऐसे हैं जिन्हें काफी धक्का पहुंचा है और १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और ५९३ मवेशी इस बाढ़ के कारण खत्म हुये और इस जिले का औसत रेनफाल ४२ इंच होता था वहां आज ५ अगस्त तक ७० इंच पानी बरस चुका है।

श्रीमन्, जहाँ तक वह फसल जो कि खरीफ में जैसे अरहर, कोदों, ज्वार, मक्का, ईख और धान वगैरह ऐसे हैं जिसके लिये मैं समझता हूं और मैं ही नहीं समझता, बल्कि जिलाधीश का भी कहना है कि १६ आने नुकसान है, दो-तिहाई फैजाबाद जिला इस बाढ़ से पीड़ित हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से इस ओर अधिक ध्यान देने के लिये प्रार्थना करूंगा जिससे भविष्य में चलकर यह उन्हीं का कार्य होगा कि वह कुछ कर सकें। यह हो सकता कि वह बाहर न निकलें

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

लेकिन बगैर उनको प्रसन्न किये हुये यह संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश के उन जिलों को जहां पर कि बाढ़ आयी है वहां के निवासियों को कोई राहत या सुविधा पहुंच सके ।

मान्यवर, यही नहीं, अब मैं सरकार का ध्यान इस बात के लिये आर्कषित करना चाहता हूं कि वह इस बात को थोड़ी देर के लिये सोचें कि हमको उन लोगों को दो प्रकार से सहायता देना है। एक सहायता तो वह है जो कि तात्कालिक सहायता है और दूसरे यह है कि भविष्य में चलकर किस तरह से उनको पुनर्वास की सहायता देना है । मान्यवर, माननीय मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि लोग अपना गल्ला अपने मकानों से हटाने में असमर्थ रहे । जो मौजे एकदम से मुतवातिर बरसात के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो चुके हैं वहां पर एक घर भी बाकी नहीं है। तो उन गांवों के निवासियों के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार उनको फ्री राशन दे और उस फ्री राशन को उस समय बंद किया जा सकता है जब कि उनके लिये टैस्ट वर्क दिया जाय। यह मैं मानता हूं कि सरकार के लिये यह कठिनाई है कि बरसात के दिनों में कोई अधिक कार्य नहीं हो सकता है, परन्तु जो कुछ भी संभव हो उसको शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिये, क्योंकि मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार बहुत दिनों तक मुफ्त राशन नहीं दे सकती और साथ ही साथ अगर उनको मुफ्त नहीं देती है तो वे किसी प्रकार से जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि उनके लिये दूसरा सहारा नहीं है। दूसरा कोई मार्ग उनकी जीविकोपार्जन का नहीं है । उनकी फस्ल नष्ट हो चुकी है यह कल माननीय मंत्री जी ने भी कहा था । लेट रैंडी माननीय मंत्री जी ने पश्चिमी जिलों से मंगाने के लिये कहा था किन्तु वह वहां से भी मिल नहीं पायेगी । उसकी वजह यह है कि उनके पास जो कुछ है वह अभी पानी में है और उनकी आशा यह है कि वह लग सकेगी, लेकिन जितनी मांग है उसको उतनी मात्रा में सप्लाई नहीं किया जा सकता है ।

मान्यवर, इसमें भूसे के लिये जो यह १८५ हजार रुपया दिया हुआ है इसके विषय में मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका क्या अभिप्राय है । इसको मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया हूं । मैं आपके द्वारा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि यह भूसा किस प्रकार से तकावी पर दिया जायगा । यह मैं मान सकता हूं कि यह काफी सस्ता है, लेकिन सवाल यह है कि जब उनके अन्दर परचेजिंग पावर नहीं है तो वह इस भाव पर भी कैसे ले सकते हैं । परचेजिंग पावर भी तो उनमें होनी चाहिये । अगर सरकार इसके लिये कुछ तकावी या सब्सिडी दे तब ही, मैं समझता हूं, काम कुछ चल सकता है । अगर हमारे मवेशी नष्ट हुये और इस योग्य नहीं रहे कि वे काम में लाये जा सकें तो मैं समझता हूं कि हमारी एग्रीकल्चरल इकानामी को वह धक्का लगेगा जिसको सुधारना न कृषि मंत्री जी के लिये और न माल मंत्री जी के लिये संभव होगा । पाकिस्तान बनने के बाद हमारे लोगों पर तबाही जो आयी वह हम सब लोगों को भलीभांति मालूम ही है । इसी तरह इसे हमारे लोगों के पास इस बाढ़ के कारण तन ढकने को कपड़ा नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं और मवेशी वगैर चारे के हैं। आज कोई जगह ऐसी बाक़ी नहीं रह गई है जहां वे लोग अपना मुंह छिपा सकें। सरकार के कार्य में जो सुस्ती है वह दूर हो होनी चाहिये। फैजाबाद जिले में ८,००० लोगों के लिये टैंट भेजे जा रहे हैं । कितने खेमे हैं । यह जाहिर नहीं है । पहले लेखपाल या पटवारी अपने घरों में बैठकर, वगैर मौके पर गये हुये, नक्शे भर कर तहसीलों में भेजा करते थे, वही धांधली आज भी है । ८,००० के लिये खेमे भेजने से मसला हल नहीं हो सकता। हमारी फौजें हैं उनकी और रेलवे के लोगों की सराहना करने में माननीय मंत्री जी के साथ हूं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है । परन्तु मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह खेमे जो वह भेज रही है वे काफी नहीं हैं । अभी बरसात का अन्त नहीं है । अभी वह युवावस्था में है और जब तक बरसात समाप्त न हो तब तक वहां के लोगों को नमूनिया, ब्रांकाइटिस इत्यादि से बचाना है । आज एक नागरिक की जान की रक्षा के लिये सरकार को जो कुछ भी करना पड़े वह करना चाहिये। माननीय कमलापति जी फैजाबाद गये । उनके

आगमन से हमें धैर्य मिला और हम प्रफुल्लित और प्रसन्न हुये। उस आपत्ति काल में हमारे अन्दर साहस आया कि वह हमारी मुसीबतों को समझने के लिये वहां गये। उन्होंने हमारी मुसीबतों को समझने की कोशिश की। उन्होंने, अगर मैं उनको गलत नहीं समझा, यह आश्वासन दिया था कि मौजों की सतह उठाने के लिये काम शीघ्र से शीघ्र किया जायगा, लेकिन हमने देखा कि अभी तक कोई काम प्रारम्भ नहीं किया गया है और कल माननीय मंत्री जी के भाषण से मुझे यह झलका कि वह यह काम बरसात के बाद ही शुरू करने वाले हैं। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी का विचार जानना चाहूंगा।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सदन को बताना चाहता हूं कि यह काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, दिक्कत केवल यह है कि मिट्टी मिलनी चाहिये। पानी भरा हुआ है। बरसात समाप्त होने की राह नहीं देखी जायगी। मौका मिलते ही कार्य शुरू हो जायगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—प्रत्युत्तर तो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही डिप्लोमेटिक है, लेकिन अब बहुत सी जगह पानी सूख गया है और अगर अभी वह कार्य शुरू कर दें तो बहुत लाभ पहुंच सकता है। अन्नदाता माननीय मंत्री जी ही हैं। लिहाजा उन्हें अप्रसन्न करना हमारे लिये सर्वथा अनुचित है। मैंने यह समझा कि माननीय मंत्री महोदय २ लाख २० हजार रुपया निधन लोगों के मकान बनाने के लिये ग्रांट के रूप में दे रहे हैं। जब साढ़े तीन लाख घर गिरे हों, बरबाद हो चुके हों तो उस रुपये से कितनी थोड़ी सहायता पहुंचेगी यह आप सोच सकते हैं। यह रुपया बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जब पानी बरसता है तो वह कोई लाइन आफ डिमार्केशन नहीं खींचता है कि गरीबों के घरों पर ही बरसे और दूसरों के घरों पर न बरसे। मालूम नहीं उन्होंने झारखण्डे राय जी की तरह क्या लाइन आफ डिमार्केशन खींची है। मालूम नहीं सोसायटी में अपर मिडिल या मिडिल या निर्धन के क्या मानी उन्होंने रखे हैं। मेरी राय में यह क्लासीफिकेशन करना अमीर-गरीब का सोसायटी में अनुचित है। मुसीबत सब के ऊपर पड़ी है। मैं जानता हूं कि बहुत से ऊंचे घराने ऐसे थे, और माननीय सिंचाई मंत्री को भी यह अहसास हुआ होगा, जो बाढ़ से बरबाद हो गये और इमदाद चाहते थे। मगर वे लज्जा के कारण फ्लड कोष से कुछ लेने के लिये नहीं जा सके। उन्होंने वहां जाना पसन्द नहीं किया। उनका गल्ला बरबाद हो चुका था, उनको खाना नहीं मिला। रिश्तेदारों से या और जिन जरियों से उनको रुपया मिल सका उन्होंने लिया है और अपना काम चलाया है। ऐसी परिस्थिति में अगर इसमें कोई जमींदारी अबालीशन का टिन्ज उन्हें दिखाई दे तो यह तो कोई उचित प्रतीत नहीं होता। अगर इसका माल मंत्री जी को कोई फोबिया हो गया है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिये। इसमें सरकार को जो भी कोई बाढ़ से पीड़ित हुआ है, उन सब को एक सा समझना चाहिये, क्योंकि भगवान् ने इन्द्रदेव ने कोई भी क्लासीफिकेशन नहीं किया है।

अब माननीय माल मंत्री महोदय ने एक रकम १ करोड़ २० लाख की और दूसरी रकम ३० लाख की घर बनवाने के लिये दी है और बगैर किसी इण्टरेस्ट के तकावी देने के लिये सदन को यह न भूल जाना चाहिये कि यह जो लोन दिया जा रहा है वह शार्ट टर्म लोन है, लांग टर्म लोन नहीं है। आप जो कुछ दे रहे हैं उसका देना भी लोगों के लिये कठिन प्रतीत होता है। अगर आपको देना ही है तो आप लांग टर्म लोन करके दीजिये। आप उसको सब्सीडी करके दीजिये। इस विषय में बनिया का हिसाब लगाना ठीक नहीं है। इससे आप यह न समझें कि आप सूद छोड़ रहे हैं तो आप महान् दया का काम कर रहे हैं। आपके लिये सूद लेना महापाप है, सरकार तो उन्हीं व्यक्तियों की है।

एक सदस्य—सूद ले कौन रहा है?

श्री अवधेशप्रतापसिंह--इन सब बातों पर विचार करके सरकार को चाहिये कि लोन अगर वह दे तो काफी मात्रा में दे और लांग टर्म वाला दे। अगर आप तकावी देते हैं तो इन्टरेस्ट फ़्री होनी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि स्टेट के पास अधिक रुपया नहीं है, अगर ऐसा है तो इसके लिये सेंटर को रुपया देना चाहिये। अगर ऐसा रुपया सेंटर नहीं देता है तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह भी अपने कर्तव्य से च्युत होता है।

इसके अतिरिक्त आज वह मौका आया है जब कि आप थोड़ा सा रुपया खर्च करके इस बुराई से लाभ उठा सकते हैं। आज यह बात आपको भी अखरती है कि हमारे यहां विलेज मोर्डालग का अभाव है। लेकिन डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप उनके घरों को तुड़वा दें या उनसे कहें कि ये दूसरे स्थानों पर चले जायं, क्योंकि जहां आदमी का घर होता है उससे उसको कुछ अटैचमेंट हो जाता है। इस प्रकार दूसरी जगह पर लोगों को बसाना कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में जिन गांवों की आप सतह ऊंची कर रहे हैं या जिन्हें ऊंची जगह बसा रहे हैं उसमें आप इस बात का अवश्य ध्यान रक्खें। आप जो भी सेंकिड ईयर प्लान बना रहे हैं वह सब तो ठीक है और उसमें जो रुपया खर्च करना चाहते हैं वह ठीक है। लेकिन यह सब तभी मुनासिब होता है जब कि आदमी को बेसिक नैसेसिटीज़ प्राप्त हों, जीवन के सब आवश्यक पदार्थ उसको प्राप्त हों। उसी समय यह सब अच्छा प्रतीत होता है लेकिन जब तन ढकने को वस्त्र न हो रहने के लिये घर न हो उस समय सड़कों और बिजली के पंखों का प्रबन्ध करने से न तो शान्ति ही मिल सकती है और न शारीरिक लाभ ही पहुंच सकता है। श्रीमन् यह ऐसी चीज़ नहीं है कि हम केवल ३८ लाख रुपया देकर सफल हो सकते हों। इस समय भी आप जो ३ करोड़ रुपया दे रहे हैं इसके कुछ माने नहीं हैं। जब सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि उसकी क्षति ५० करोड़ के लगभग है ऐसी दशा में ३ करोड़ रुपना देना क्या माने रखता है। मैं समझता हूं कि हमारे माल मंत्री को कुछ असन्तोष हो रहा है कुछ क्रोध उनको आ रहा है, लेकिन यह सब होते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वे हमें गैग नहीं कर सकते। श्रीमन्, एक चीज़ जो मैं समझ नहीं पाया उसकी थोड़ी सी सफाई जरूर चाहता हूं। श्रीमन्, कुछ स्कूलों के लिये जो फीसें माफ की गयी हैं उसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, चाहे वे शिक्षा मंत्री हों, या माल मंत्री हों कि जो एडेड स्कूल्स हैं उनके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इंस्टीटयूशंस हैं उनके लिये तो सुगमता दी गई है, जो सरकारी इंस्टीटयूशंस हैं उनके लिये भी सुविधायें दी गयी हैं, लेकिन जो एडेड इंस्टीटयूशंस हैं, बाढ़ क्षेत्र के इलाके में पड़ते हैं उनको क्या सुविधायें दी गयी हैं यह मैं जानना चाहता हूं। मान्यवर, फैजाबाद में सई, टोंस ये बहुत छोटी-छोटी नदियां हैं, घाघरा में कभी ऐसी बाढ़ नहीं आयी। सन् ३१ में एक मर्तबा बाढ़ आयी थी, फिर सन् ५३ में आयी और फिर सन् ५५ में आयी। जहां तक मेरी सूचना है सन् १८७१ में कोई ऐसी बाढ़ फैजाबाद में नहीं आयी। श्रीमन् मुझे यह कहना है कि फैजाबाद में पी० डब्ल्यू० डी०, की सड़कें कट गयी हैं और १७ मील के अन्दर कम से कम ३१ ब्रीचेज थीं, लेकिन मैं समझता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा १५ दिन तक इस काबिल भी नहीं की गयीं कि उस पर बस सर्विस कण्टीन्यू की जाय। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय जब फैजाबाद गये थे तो वह केवल मेरी ही शिकायत नहीं थी बल्कि उनके दल के एम० एल० एज० भी यह शिकायत करते रहे और मैं समझता हूं कि आज तक भी पी० डब्ल्यू० डी० जग नहीं पाया है।

एक सदस्य--मर गया है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--अगर मर गया होता तो भी कल्याण होता। श्रीमन्, फ़ैजाबाद को रेलवे लाइन की वजह से बहुत बड़ी क्षति पहुंची। ऊंचो जगह सतह होने के

वजह से जो दूसरी तरफ के गांव थे तो वे बचे रहे लेकिन जब पानी लो नहीं हो पाया तो दूसरे जो मौजे थे वे बह गये और अगर रेलवे क्लवर्ट्स के लिये शीघ्र से शीघ्र प्रबन्ध नहीं करती या पी० डब्ल्यू० डी०, क्लवर्टस के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करती और इसी तरह से रास्ते और सड़कें कटती रहीं तो मैं समझता हूं कि हर साल कोई न कोई मुसीबत इसी तरह की सदैव आती रहेगी और रेलवे की पटरियां तथा पी० डब्ल्यू० डी०, की सड़कें सदैव कटती जायंगी।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, एक बात मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं और आपके जरिये से अपने माननीय मित्र को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे जरा समय कम लेवें। यों तो उनको पूरा अधिकार है कि जितना समय चाहें लेवें, लेकिन इस तरह से फिर आज शाम तक डिबेट नहीं खत्म हो सकेगा, क्योंकि १५ जिले एफेक्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर सदन चाहता है तो मैं हर सदस्य के भाषण के लिये समय नियत कर दूं आपके (श्री अवधेशप्रतापसिंह के) भाषण के बाद समय निश्चित करना उचित होगा।

(आवाजें--ठीक है।)

तो मैं आपका (श्री अवधेशप्रतापसिंह का) भाषण समाप्त होते ही समय नियत कर दूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--श्रीमन् कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमन्, मैं आपको हर तरह से प्रसन्न रखूंगा। मान्यवर, फैजाबाद जिले में जो टांडा अकबरपुर रेलवे लाइन थी और जिसको द्वितीय महायुद्ध में हटा दिया गया था और जिसको निकाल कर फ्रन्ट पर भेज दिया गया था तब से वहां के लोगों को बहुत कठिनाई हो गई है और कोई लाभ नहीं पहुंच पाया है। जैसा कि कहा जाता है कि सेण्टर को इस विषय में लिख रहे हैं, लिखना ही काफी नहीं है, अगर उसी लाइन को खुलवा देते हैं तो वह वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा दान होगा। उससे केवल यही नहीं होगा कि लोगों की जीविका चलेगी बल्कि भविष्य में टांडा की और अकबरपुर की उन्नति होगी। जिनमें से एक म्युनिसिपैलिटी है और एक टाउन एरिया है वह दोनों ही के लिए लाभदायक होगा और इस समय की तात्कालिक मुसीबत भी दूर हो जायगी। एक और चीज आई जिसके बारे में पता नहीं मंत्री महोदय क्या समझते हैं, वह ऐसा समझते हैं कि मुल्तवी करना किसान के लिए हानिकारक है, मैं इससे सहमत हूं और इसे स्वीकार करता हूं कि किसान को छूट देना सबसे ज्यादा हानिकारक है। लेकिन फैजाबाद जिले में और बाढ़ ग्रस्त दूसरे जिलों में अगर काफी छूट नहीं दी गई तो मैं समझता हूं कि उन जिलों के निवासियों के साथ घोर अन्याय और अत्याचार होगा। अगर लेखपाल महोदय ने कहीं क्षति ८ आने से ७ आना कुछ पाई भी कर दी तो झट मंत्री महोदय कर देंगे कि वह रेमिशन नहीं पा सकते और वह कहेंगे कि रूल्स के मातहत उनको छूट नहीं मिल सकती है। ससपेंशन तो उनकी डिसक्रिशनरी पावर की चीज है और इस तरह से बहुत से लोग छूट पाने से वंचित रह जायंगे। कलेक्टर लोग भी पहले माननीय मंत्री जी का और गवर्नमेंट का रुख देखते हैं और तत्पश्चात् वह आगे बढ़ते हैं कि कितनी छूट हमें देना है। अगर आप छूट दें तो कम से कम वह इतनी तो हो कि वे लोग अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर पहुंच सकें। यह फसल तो गई, मैं समझता हूं कि आगे जो रबी की फसल आयेगी उसके लिये भी मवेशियों की ऐसी दुर्दशा है कि वह किसी काम नहीं आ सकते, उनमें बीमारियां फैल रही हैं। श्रीमन्, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री रह चुके हैं आप जानते होंगे कि बीकापुर एक तहसील है, वहां पूरी तहसील में बाढ़ है और जिसकी आबादी ३ लाख के ऊपर है उसमें सिर्फ ७ आदमी पब्लिक

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

हेल्थ के हैं। हमारे मंत्री महोदय फैजाबाद में हेल्थ विभाग की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, मैं उनको बता दूं और वह नोट कर लें कि बीकापुर में महज ७ आदमी हैं जो स्वास्थ्य की देखभाल के लिये जिम्मेदार हैं। एक तहसील में ७ आदमी। श्रीमन्, यह कैसे पूरा हो सकता है और कितना काम कर सकते हैं यह श्रीमन् आप ही विचार कर लीजिये। सिर्फ इनाकुलेशन ही लगाना हो या पोटेशियम परमैगनेट या ब्लीचिंग पाउडर ही कुयें में डालना हो तो वह नहीं कर सकते। अगर इस स्टाफ को ऐडिक्वेट कहा जा सकता है और अगर हिन्दुस्तान में हेल्थ का यही पैमाना है तो मैं समझता हूं कि इसके बहुत अच्छे दिन नहीं हैं। श्रीमन्, एक फ्लड के मामले को तो ऐक्चुअली वार फुटिंग पर ही लेना चाहिये था कि जिस तरीके से हो सके लोगों के दुखदर्द को दूर किये जाय। मैं अन्त में उनसे इतना कहना चाहूंगा और उसके लिये क्षमा भी मांगना चाहूंगा, मैं यह समझता हूं कि सरकार सब कुछ हमारे लिये नहीं कर सकती, लेकिन हम नहीं भूले हैं कि हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और इसलिये हम कुछ मांग भी कर सकते हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको पूरा करें। जहां तक पब्लिक कोआपरेशन का सम्बन्ध है वह बहुत सराहनीय रहा है। इन बाढ़ क्षेत्र के निवासियों ने जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया है वह सराहनीय ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लिये आदर्श है। इन शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि आगे जो भाषण देंगे उसके किये किसी को भी १० मिनट से अधिक समय नहीं दिया जावेगा, साधारण तौर पर ७ मिनट का समय ही काफी होगा।

***श्री राजनारायण** (जिला बनारस)——श्रीमन्, मैं अपने बारे में आपसे बताऊं कि मैंने इधर काफी फ्लड एरियाज का सब जगह निरीक्षण किया है। मैं चाहता हूं कि फुल फैक्ट्स हाउस के सामने आ जावें। इसीलिये मैंने काम रोको प्रस्ताव भी कल दिया था तो आपने कहा था कि इस पर विवाद होने वाला है। तो अगर फुल फैक्ट्स भी उसके बारे में सदन के सामने न आवें तो उससे लाभ क्या होगा। जितनी सरकार की खामियां हैं, सरकारी कर्मचारियों की खामियां हैं, कितना जनता का सहयोग है अगर यह सब बातें दब जाता हैं तो मैं समझता हूं कि यह इस बाढ़ की समस्या पर वाद-विवाद नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष——मैंने तो कहा कि किसी को १० मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायगा। मामूली तौर पर ७ मिनट रहेगा। अगर दो तीन मिनट बढ़ जायं तो वह ऐसी अवस्था में होगा जब कि कोई सदस्य पूरे वाकयात दे रहे हों तो दो तीन मिनट उनके लिये समय बढ़ जायगा।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री देवकीनन्दन शुक्ल** (जिला देवरिया)——उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इसलिये यह कहना असंगत नहीं होगा कि इस सदन में कुछ लोगों को रोज या हफ्ते में कई बार या महीने में कई बार बोलने की इजाजत मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको साल में भी एक बार नहीं मिलता। दुर्भाग्यवश मैं उनमें से एक हूं। इसलिये मैं आपका अधिक आभारी हूं। श्रीमान्, इस साल की बाढ़ की एक विशेषता है कि बाढ़ इस साल दो तीन हफ्ते पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ गई यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते में बाढ़ का पूरा प्रकोप उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में हुआ और वह बाढ़ आज तक कुछ पानी के कम व बेश चढ़ाव व उतार के साथ कुछ न कुछ है। अभी भी घाघरा में बरहज मुकाम पर परसों ५ बजे शाम तक १८ फीट पानी था जब कि खतरे का बिन्दु १९ फीट है। इस वर्ष की बाढ़ की विशेषता और भयंकरता इस अर्थ में अधिक है कि बाढ़ खेतों के बोने के थोड़े दिन बाद ही आई। अब तक बाढ़ कुछ न कुछ जारी है। देवरिया जिले में जिसका क्षेत्रफल करीब २,००० वर्गमील है ५०० वर्गमील जलमग्न है यानी करीब ३ लाख एकड़ भूमि जलमग्न है। कुल रकबा देवरिया जिले का करीब १३ लाख एकड़ के है, जिसमें से ३ लाख एकड़ भूमि में जंगल, परती, आबादी और नदी इत्यादि हैं। यानी साढ़े १० लाख एकड़ भूमि हल के नीचे है। उस साढ़े १० लाख एकड़ भूमि में करीब पौने तीन लाख एकड़ भूमि जलमग्न है। कितनी भयंकर क्षति उन किसानों को हुई जिन किसानों का सर्वस्व जलमग्न हो गया है। सरकारी आंकड़ों से कुछ दिन पहले जिलाधीश ने ६७० गांवों के जलमग्न होने के आंकड़े दिये थे, लेकिन उनके इन आंकड़ों के देने के बाद गंडक की बाढ़ और भी बढ़ गई और जब डेढ़ सौ गांव जलमग्न थे तब उन्होंने ६७० गांवों के आँकड़े दिये थे। सात सौ गांवों से अधिक देवरिया जिले में जलमग्न हैं। हमारा खयाल है कि उन गांवों की आबादी देवरिया जिले में करीब तीन हजार है। तीन हजार गांवों में सात सौ गांव जलमग्न है। बीस सौ मील रक्बे में पांच सौ मील जलमग्न है। १३ सौ एकड़ भूमि में करीब तीन सौ एकड़ भूमि जलमग्न है। और यह तीन हफ्ते से ज्यादा होता चला जा रहा है। और वर्षों में जो बाढ़ आती थी तो एक हफ्ता, दस रोज रह कर चली जाती थी, तो ईख की फसल कम से कम बच जाती थी। इस वर्ष की बाढ़ की भयंकरता यह है कि जो सरकारी आंकड़े माल मंत्री महोदय ने दिये कि सात लाख एकड़ भूमि जलमग्न है। इसकी क्षति का अन्दाजा मेरे खयाल से एक अरब या सवा अरब से अधिक क्षति इस प्रदेश के पूर्वी जिलों में हुई है। यदि हम एक एकड़ में दो सौ रुपये की क्षति लगायें तो इस तरह से भी एक अरब बीस करोड़ की क्षति का अन्दाजा आता है। माननीय माल मंत्री ने करीब साढ़े तीन लाख घरों के नष्ट होने का आंकड़ा दिया है। यह अन्दाजा लगाना कुछ ठीक न होगा कि एक घर की कीमत क्या पड़ेगी। लेकिन यदि हम औसत दो सौ या तीन सौ रुपया लगा ले तो भी सात आठ करोड़ रुपया उन घरों का दाम हो जाता है। इस तरह से इस वर्ष की बाढ़ से जो क्षति हुई वह बड़ी ही भयंकर है। एक बात इस सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ या सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी तत्परता के साथ बाढ़ पीड़ितों की दुर्दिन में जाकर उनके दुखों की पूछ-ताछ की। इससे उनको बड़ी सांत्वना और राहत मिली। लेकिन एक बात की तरफ विशेष रूप से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देवरिया जिले में ६७० या ७०० गांवों में जो नावों का प्रबन्ध होता है उस पर काफी सर्फा पड़ता है। और घाघरा में या घाघरा की भयंकर बाढ़ में नावें टिक नहीं सकतीं। पारसाल माननीय डाक्टर सीताराम जब गये थे तो मोटर-बोट से वे सफर कर रहे थे। वे और उनकी पार्टी डूबते-डूबते बची। इस वर्ष जब मैं उनको घाघरा के पास ले गया तो उन्होंने उस डर से घाघरा में नाव या मोटर बोट में बैठने से इनकार किया और उनका इनकार करना बिल्कुल सही है। घाघरा में इतना भयंकर वेग हो जाता है कि नाव के मान का नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां अधिक हार्स पावर की दो-दो या तीन-तीन मोटर बोटें हर जिले में दी जानी चाहिए।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से आज मुझे इस सदन के नये सेशन में पहला अवसर बोलने का मिला। हमारे पूर्वी जिलों में ऐसा प्रकोप हुआ है कि मैं कह सकता हूं कि कर्मों का फल है। यह सरकार क्या कर सकती है, या कोई लाल टोपी वाला क्या कर सकता है।

[श्री शिवनारायण]

मैं आज बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री कृपाशंकर जी जब कलवारी रोड पर जा रहे थे हाथी पर, तो उनका हाथी फंस गया और फिर १२ मील उनको पैदल जाना पड़ा। हमारी सड़कें जगह-जगह कटी हुई हैं। पी० डब्ल्यू० डी० से हम बराबर प्रार्थना करते रहे लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। बांसी रोड के पास अगर सड़क न काटी गई होती तो सारा गांव बह गया होता। हमारे जिले में १४ नदियां बहती हैं। नौगढ़ तहसील में अगर आप नजर उठा कर देखिये तो मालूम होगा कि बांसी का क्षेत्र सारा ही जलमग्न है। जिस दिन हमारे मुख्य मंत्री जो गोरखपुर गये थे, मगहर से लेकर गोरखपुर तक जल ही जल दिखाई देता था। जब हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरु गये थे तो मालूम होता था कि समुद्र यहां आ गया हुआ है। हमारे यहां बस्ती में सारी सड़कें बन्द हैं। मैं पी० डब्ल्यू० डी०, का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरैया रोड पर जब माननीय सिंचाई मंत्री गये थे तो उन्होंने देखा कि बस आगे जा नहीं सकती। मैं उस विभाग के इंजीनियरों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कान खोल कर सुन लें। मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। १९३५ में जब जवाहर लाल जी वहां गये थे तो उन्होंने कहा था कि कैसे निकम्मे इंजीनियर लोग हैं जो कि हमें बाढ़ से बचा नहीं सकते। आज हमें आजाद हुए इतना समय हो गया लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारे इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं। मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, उससे कोई शिकवा नहीं है। मैं जानता हूं कि उसने हमारी मदद की है, हमें चना दिया है, हमें मुसीबत से उबारने की पूरी कोशिश की है। हम उसके आभारी हैं। सरकार ने तीन मोटर बोट भेजी, लेकिन लेट भेजीं। उनको जुलाई के पहले जाना चाहिये था क्योंकि उनके लिये बजट में रुपया मंजूर था, लेकिन वह गईं जब वहां बाढ़ आ गई है। मुख्य मंत्री जी ने बड़े ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुना और वह पूरी तरह हमारी मुसीबत में शरीक हैं, लेकिन जो रुपया दिया गया है वह अभी भी बहुत कम है। मैं कहना चाहता हूं कि और रुपया दिया जाय क्योंकि ऐसी बारिश हुई है जिसकी संभावना नहीं थी। वहां पर सात दिन तक कांटीनुअस पानी बरसने की वजह से एक-एक दाना हमारा गल गया है। आज हमारे पास धान नहीं है। जब हमारे इरीगेशन मिनिस्टर साहब गये थे तो वहां सड़कों पर ब्राह्मण, ठाकुर, छोटे, बड़े, सभी इकट्ठे थे और सभी चना लेने के लिये तैयार थे। यह विपत्ति है, मुसीबत है, शिकायत नहीं है। मांगा जा रहा है सरकार से और यह सरकार वाकई मदद कर रही है। हम अहसान फरामोश नहीं हैं। यह गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है लेकिन इसके साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी कलवारी की जो सड़क है वह कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जाती है और कभी पी० डब्ल्यू० डी० के पास। तो इसको फुटबाल न बनाया जाय। इस सड़क पर ही हिन्दुस्तान और पाकिस्तान क्यों बना हुआ है, किसी एक को मिल जाय और वह इसको सुधार दे। उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे नेसेसरी काम है वह यह है कि इंजीनियरों को सरकार आदेश दे और उनको बताये कि कहां-कहां क्या-क्या काम करना है। छोटे-छोटे पुल बना कर पानी की निकासी की जाय। मुंडरवा रेलवे स्टेशन पर ६३ नम्बर का पुल है जहां सारा पानी रुक कर ज्वार की सारी फसलों को तबाह कर देता है। अगर इसको कुछ और बढ़ा दिया जाय तो बहुत सुन्दर काम वहां हो सकता है।

इसके अलावा भूसे की कमी हमारे यहां है। पूर्वी जिलों में भूसा नहीं है। दवाइयों की भी बहुत बड़ी कमी है। यहां हमारे उपमंत्री बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि वहां आप दवाइयां भेजिये। एक वैद्य जी हमारे यहां हैं उन्होंने कहा है कि हम गांव-गांव में जाकर मेडेसिन बांटेंगे। सरकार सहयोग करे, हम लोग सरकार के साथ सहयोग करने के लिये तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं और इस काम में पीछे नहीं हैं। पंडूर घाट अभी मौजूद है। वह एक छोटा सा बाजार है। वहां पर युधिष्ठिर ने कहा था "The time has come when we should resign from the diadem of Hastinapur" (समय आ गया है कि हमें हस्तिनापुर के राज्याधिकार को त्याग देना चाहिए) यह एक ऐतिहासिक स्थान है और कटता जाता है तो मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां जिस दिन हम पहुंचे हैं।

उस दिन हमारे साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और अन्य लोग भी थे क्या कम्युनिस्ट क्या समाजवादी पार्टी के, सभी थे, राममिलन सिंह हमारे साथ थे। सबों ने कहा कि लाइये चना हम गरीबों को बांटेंगे। श्री गेंदा सिंह जी ने कहा था कि सरकार ने हमको इग्नोर किया, गलत कहते हैं। हर राज्य में कहीं छोटे, बड़े, बेइमान, ईमानदार हैं, यह बात नहीं है कि कहीं कोई घपला ही न हो, ईमान जिसका बिगड़ता है उसको सरकार क्या चेक करेगी, कहां तक रोकेगी। अभी गेंदासिंह जी ने ब्लिट्ज का कुछ अंश पेश किया, और कोई अखबार ही नहीं मिला उनको। और फैजाबाद के मेम्बर जो बोले थे मैं उनसे कहूंगा कि सरकार तकावी दे कर उनके मकान बनवाने में मदद देगी।

"कर बहियां बल आपनी, तजो पराई आस।"

मैं सरकार का एहसानमन्द हूं कि गांवों को ऊंचा करने से हमारे गांव बच गये और मैं यह विश्वाश दिलाता हूं कि यदि हमारे जिले के और गांवों में अगले साल यह स्कीम शुरू की गई तो गांव वाले उसके साथ सहयोग करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकट जिसके ऊपर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं इसका श्रीगणेश पहले इलाहाबाद की फूलपुर तहसील से हुआ और फिर हंडिया और सोरांव तहसील से बढ़ते हुए वह आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया गोरखपुर और फैजाबाद पहुंचा। जहां तक प्रयाग का सम्बन्ध है श्रीमान् मैं वहीं की चर्चा करूंगा और वही बातें करीब-करीब और जिलों पर भी लागू होती हैं। इलाहाबाद जिले में जो नुक्सान हुआ उसका सूक्ष्म ब्योरा यह है। कुल मिलाकर ६८ हजार ६५६ एकड़ खरीफ की काश्त पानी में चली गई और उसका नुकसान हुआ। ६४२ गांव इस नुकसान से पीड़ित हुए। २ लाख ७६ हजार ६०० आदमी इस संकट में पड़ गये। ३ हजार ७७६ मकान गिरे। ३ आदमी मरे और ३८ मवेशियों का भी नुकसान पहुंचा। ९८ मील कच्ची सड़क और एक बन्ध पानी से टूटा। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संकट आया है यह पूर्णतः बाढ़ से नहीं है, नदियों में प्रायः बाढ़ आती है। उस प्रकार से अब की बाढ़ नहीं आयी। कहीं दो सौ मील ऊपर पानी बरसा तो नदियां बढ़ती हैं। बाढ़ गंगा में आती है, सरजू में आती है, यमुना में आती है, इन नदियों में अब तक किसी प्रकार की बाढ़ नहीं आयी। यह दैवी घटना अधिक पानी से उत्पन्न हुई। इतनी जब बारिश होगी तब स्वाभाविक है कि जमीन जलमग्न हो जायगी। मेरा अनुमान है कि यह पानी शायद १,२ दिन में बह जाता है, लेकिन ८,१० और १२ दिन तक पानी जमा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण उन रास्तों और नदियों का बन्द होना है जिनसे पानी निकलता था। मसलन फूलपुर क्षेत्र में मैलहन झील पानी से भर गई। इस झील में सर्दी गर्मी मे ६०,७० एकड़ के घेरे में ही पानी रहता है लेकिन, अब उसका विस्तार लगभग १० मील लम्बा और ३ और ४ मील चौड़ा हो गया है। मैलहन झील से ही वरुणा नदी निकलती है। वरुणा को काशी वाले अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब पानी कम हुआ तो वरुणा के पुल के नीचे की हालत देखने से ताज्जुब होता है कि उसका विस्तार अधिक नहीं है फिर उसके दो तिहाई हिस्से में काश्त हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो पानी निकलने के नाले और रास्ते थे उनमें चाहे ग्रो मोर फूड कैम्पेन के कारण या और जो जमीन के अन्दर काश्त बढ़ी उसके कारण इतनी काश्त शुरू हो गई जिससे कि जमींन का लेविल ऊंचा हो गया और पानी बहने में रुकावटें पैदा हो गई हैं। मैंने यह भी देखा है कि जो रेल के कल्वर्टस हैं, उनके मुंह तक में आपको खेती मिलेगी जिसके द्वारा कि पानी का बहाव रुक गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस कारण को दूर करने की चेष्टा की जाय यह सबसे मुख्य चीज है। लेकिन जो इस वक्त कष्ट सामने आया है उसको दूर करने के लिये सरकार ने जो बातें कीं, वे सब प्रकार से उचित थीं और इलाहाबाद जिले में मैं निवेदन करूंगा कि इन्तजाम काफी माकूल रहा और कर्मचारियों के द्वारा अच्छी तरह से काम हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो बिना जमीन के मजदूर हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनकी शोचनीय हालत की तरफ ध्यान दिया जाए। वह जो काम करते थे धन्धा करते थे, खेतों में पानी भर जाने

[श्री शिवनाथ काटजू]

के कारण आज उनका धन्धा खत्म हो गया है । उसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं हैं। हमारी तहसील में ही दो बड़ी सड़कों के बनाने की योजना है एक फूलपुर से लेकर सोरांव तक और दूसरी फूलपुर से मलहन-मुबारकपुर । मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सड़कों के बनाने के कार्य में यदि पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से या और किसी प्रकार से बाधा हो तो सरकार को देखना चाहिए कि उन बाधाओं का शीघ्र ही निवारण किया जाय । दूसरे श्रीमन्, मैं विशेष रूप से एक बात निवेदन करूंगा कि लोगों को जहां मुफ्त गल्ला दिया गया, माननीय गेंदासिंह जी इस समय यहां नहीं हैं, उसमें भी उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने, ऐसे कष्ट के समय में भी वहां जाकर राजनीतिक प्रचार करना शुरू किया। जाहिर है कि यह कार्ड उन्हीं को दिये गये थे जिनके पास खाने पीने को नहीं था। लेकिन उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों ने वहां जाकर यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस वाले उन्हीं को कार्ड दिलवा रहे हैं जो उनके मित्र हैं और वहां की पात्र जनता को कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं। मैं यह अच्छी तरह से जानता था और मेरा शुरू में सुझाव भी यही था इस प्रकार के कार्डों का वितरण किसी राजनीतिक दल द्वारा न हो बल्कि सरकार की तरफ से हो और हुआ भी वही। जाहिर है कि कार्ड उन्हीं को दिये गये जो दरिद्र थे। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ निवेदन करूंगा कि इसमें भी मेरे कुछ मित्र राजनीतिक प्रचार का मौका समझ कर चूके नहीं। दूसरे मैं निवेदन करूंगा कि आस्टरिटी प्राविजन स्कीम की कहीं-कहीं बहुत जरूरत है और खास कर के फूलपुर तहसील के मैलहन के चारों तरफ के क्षेत्र में और सिकन्दरा परगने में जहां बहुत काफी हिस्सा बिल्कुल पानी में चला गया था। वहां पर अगर आस्टरिटी प्राविजन स्कीम लागू कर दी जाय जिसके द्वारा लोगों को कम खर्च में चीजें मिल सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। अब समय नहीं है, दो चार बातें और कहना चाहता था, लेकिन लाल रोशनी हो गई है, इसलिए इसी पर समाप्त करता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ की जो समस्या उत्पन्न हुई है और जो वहां पर भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर भी है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह सरकार अगर समुचित कदम उठाती तो यह बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति का सामना कर सकती थी। मैं यह भी निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा क्रिमिनल नेग्लिजेंस आफ ड्यूटीज (अक्षम्य कर्त्तव्य अवहेलनाएं) हुई हैं जिनसे कि कुछ जिले और कुछ शहर बाढ़-ग्रस्त हुए हैं। श्रीमन्, मैं आजमगढ़ का वाकया आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। आजमगढ़ में जब नदी में पानी बढ़ना शुरु हुआ तो वहां पर कोलघाट, हरैया, लखराम, खोजापुर के निवासी २२ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाकर कहने लगे कि सड़क जो चार फुट ऊंची कर दी गई है वह सड़क काट दी जाय, वरना शहर के पास के हमारे गांव डूब रहे हैं और हमारे घर डूब जायेंगे, और हमारा घर गिर जायगा। श्रीमन्, आपको मालूम होना चाहिये कि सन् १९५३ में आजमगढ़ में जो बाढ़ आई थी मैं उस समय किसान सत्याग्रह के सम्बन्ध में आजमगढ़ में मौजूद था। वहां पर सड़क भी पानी में डूब गई थी। इस साल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ४-५ फिट व ३ फिट सड़क ऊंची कर दी। मैं गरमी के महीने में वहां गया हुआ था। जब मैंने इस चीज को देखा तो मैंने उस समय यह कहा था कि वहां से पानी के निकास का क्या रास्ता दिया जा रहा है जब कि सड़क इतनी ऊंची कर दी गई है। अगर इस सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठायी जाय तो उसकी निश्चित रूप से यह राय होगी कि यह जो ४-५ फिट, ३ फिट सड़क ऊंची की गयी है और पानी के निकास का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया और इस प्रकार पुराने बांध पर प्रेशर डाला गया। यह चीज सभी को मालूम है और इस सदन के लोग बता सकते हैं कि अंग्रेजी राज्य में जो उस बांध के दूसरी ओर खाई थी उसका लेविल ऊंचा कर दिया जाता था ताकि उधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर दबाव में रहे। इससे बांध की हिफाजत होती थी। इसके अतिरिक्त सात वर्ष से लगातार उस बांध की तनिक भी परवाह नहीं की गयी। कैसे वहां पर पशुओं का आना जाना हुआ, घास

का काटना हुआ, उस घास का लगाना भी बन्द कर दिया गया। फिर यह कहना कि सरकार उसके लिये जिम्मेदार नहीं है, मैं समझता हूं कि यह सच्ची बात नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहनी चाहिये और यह जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस वहां के कर्मचारियों द्वारा हुई मैं समझता हूं कि उनको और स्वयं मंत्री जी को अगर वह अच्छी तरीके से देखें, तो स्वतः उनको इस्तीफा दे देना चाहिये, क्योंकि विभागीय कर्मचारियों ने आजमगढ़ शहर को डुबो दिया। २६ तारीख को मैं आजमगढ़ में उपस्थित था। जो चावल वहां मिशन स्कूल में बांटा गया उसका नमूना मेरे पास मौजूद है और उसको माल मंत्री और मुख्य मंत्री देखें। जिन सरकारी कर्मचारियों के नेतृत्व में यह चावल बांटा गया उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। इस चावल के खाने से परेशानी पैदा होती है। उनके खाने से पेट में हैजे की बीमारी पैदा हो सकती है, नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। क्या इस सब की जिम्मेदारी इस सरकार के कर्मचारियों पर नहीं है और स्वयं सरकार पर नहीं है? श्रीमन्, कुछ लोग सरकार की तरफ के तो कहते ही हैं मगर जब विरोधी पार्टी के सदस्य भी उसी धारा में बहने लगते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है मैं समझता हूं कि यह पूर्वी-पश्चिमी जिले का सवाल नहीं है। यहां पूर्वी जिले में आफत आई हुई है। मानवता इस समय खतरे में पड़ी हुई है। तो यह कहना कि अगर पश्चिमी जिलों द्वारा दिया गया रुपया अगर पूर्वी जिलों को उठा कर दे दिया जायगा तो उससे पश्चिमी जिले के लोगों को ग्रज होगा और वह लोग ग्रज करेंगे। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत है। और इस विभीषिका में पश्चिमी जिलों का समुचित रुपया भी दिया जाय तो कोई ग्रज नहीं करेगा। यह सब बातें सरकारी बेंच की ओर से कही जांय तो ठीक है, मगर विरोधी पार्टी के सदस्य अगर स्तुति के रूप में यह कहा करें तो अशोभनीय है। जौनपुर के लिए श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं। वहां १८७१ में जो बाढ़ आई थी उतनी बाढ़ इस साल नहीं आई और ५ फिट के करीब १८७१ के मुकाबले में लेविल इस साल कम रह गया। जौनपुर में एक बुढ़िया थी जो १८७१ के बाढ़ को देखे हुए थी, हमारे माननीय मित्र जो एक अखबार के सम्पादक हैं, श्री कृष्णदास जी, उनकी माता हैं। उन्होंने मुझे १८७१ की बाढ़ की कविता सुनाई और उसकी आखिरी लाइन इस प्रकार की है कि "चढ़ गया था अठारह हाथपुलन पर पानी, अंग्रेज हुए हैरान अक्ल घबरानी।" तो १८७१ में भी जितनी हिफाजत की बात थी अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में, उतनी भी नहीं की गयी, जो कि अपने को जनता की हुकूमत कहती है, जोकि जनतंत्रिक प्रणाली पर चलने वाली हुकूमत अपने को कहती है। वह किस मुंह से कह सकती है कि इस सरकार ने क्या सुविधा और सहायता उतनी दी जितनी कि वह अपनी शक्ति भर दे सकती थी। मैं माल मंत्री जी की सेवा में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ३,५०,००० मकान माननीय माल मंत्री जी के आंकड़े के मुताबिक इस बाढ़ से ग्रस्त हैं और उन्होंने २,३०,००० रुपया दिया। प्रति मकान पीछे करीब बारह आना पड़ता है। श्रीमान्, मुझे अभी काफी कहना है, थोड़ा समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं ८ मिनट माननीय सदस्य को दे चुका हूं, दो मिनट और दूंगा।

श्री राजनारायण—अच्छा, जो अगर यह हिसाब लगायें तो १२ आने फी मकान पड़ता है १२ आने फी मकान की सहायता दे रहे हैं ६१ करोड़ के बजट में। मैं पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ में वह नया बांध बंधा क्यों। वहां के इंजीनियर का नाम श्रीमन् हमारे पास है। उसका नाम अगर चाहें तो मुख्य मंत्री जी को भी बताऊंगा और माल मंत्री जी को भी बतलाऊंगा। जब मैं नाव पर आ रहा था तो वह इंजीनियर जिनका नाम रामअधार सिंह था मिल गये। उनका कहना था कि मई और जून के महीने में जो बांध बांधा जायगा वह निश्चित रूप में पानी के पहले धक्के में गिर जायगा क्योंकि मई और जून के महीने में मिट्टी सूख जाती है उसकी लसी सूख जाती है, भुरभुरी रहती है, वह पानी के धक्के को नहीं संभाल सकती है। हमने उससे कहा कि फिर तुमने यह बांध क्यों बांधा? उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से कहा था लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि बांध बांधते चलो "People should know that the Government is doing something." (जनता यह जान पावे कि सरकार कुछ कर रही है) उसके ये शब्द

[श्री राजनारायण]

थे। मैं आपसे कहना चाहता कि उन्होंने चार वर्ष तक योजना बनाई। माननीय माल मंत्री जी ने कहा है कि उनकी रिपोर्ट ४९ में भी आयी कुछ, ५० में भी आयी कुछ, ५३ में भी आयी। लगातार ७ वर्षों से बाढ़ से हिफाजत करने की योजना यह सरकार बना रही है। दहीपुर का नाला जो कि जौनपुर से ३ मील पश्चिम चल कर २ मील पूर्व से मिलता था उसमें पानी का चढ़ाव होता था। उस नाले के लिये क्या इस सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया? उस नाले से क्यों नहीं हिफाजत की गई? उस नाले को नहीं खोदा गया। ११ फीट नदी के फ्लड का लेविल ऊंचा हो गया है जिसको कोई भी देख सकता है। सरकार के कर्मचारी क्या करते थे सालों तक? जहां तक इतनी लापरवाही हो, जहां उदासीनता हो फिर उस उदासीनता कर्त्तव्य भाव को रखते हुये अगर कोई सरकार चाहे कि बांध बनाकर बाढ़ से हिफाजत की जाय तो वह नहीं कर सकती है। यह सरकार के निकम्मेपन से साबित हुआ है। जब मैं कहता हूं कि यह सरकार भी दोषी है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की पीड़ित मानवता को दुख पहुंचाने में तो मैं महात्मा गांधी को अपने पक्ष में कोट करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा है मुझे अफसोस है कि महात्मा गांधी जी की इस वाणी को जब पिछले साल बाढ़ पर बादविवाद हुआ था तभी मैंने दुहराया था मगर सरकार के लोग उसी चीज़ को बार-बार दुहराते हैं, महात्मा जी ने कहा है कि यह कह देना कि नेचुरल क्लामिटी है और इससे मानवता की हिफाजत नहीं की जा सकती ठीक नहीं है। बाढ़ से हिफाजत की जा सकती है। रोग से हिफाजत की जा सकती है अगर किसी को रोग हो। वह भी तो नेचुरल क्लामिटी है, उसकी दवाई होती है। माल मंत्री जी ने कहा कि केवल ८८ नावें बन पायीं क्योंकि सरकार ने यह कह दिया था कि जो गांव सभा नाव बनाने की आधी कीमत देंगी वहीं सरकार नाव बनवायेगी। कहां गांव सभा के पास रुपया है? क्या माननीय माल मंत्री जी इन जिलों में नावों की व्यवस्था करने के लिये ४,६,१० लाख रुपये नहीं दे सकते थे? ८८ नावें बनवाने में सरकार ने कितना खर्च किया। बिल्कुल नगण्य है।

मैं माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बनारस के जिले में हमारे सामने मालगुजारी काटी जाती है, पिछली तकावी का बकाया काटा जाता है तब नयी तकावी दी जाती है। और जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हमने इसकी शिकायत की तो हमें रूल्स कोट किये जाते हैं कि तकावी के कानून में लिखा हुआ है कि अगर पिछली तकावी का किसी के पास बकाया हो तो गवर्नमेंट उसे नयी तकावी नहीं दे सकती। एक तरफ इतनी आफ़त हो कि लोग हमौत से खेल रहे हों, रहने के लिये घर न रह गये हों और तकावी देने में सरकारी लोग कहें कि पिछली तकावी दे दो, पिछला लगान दे दो, सरकार को इन कामों की ओर निगाह डालनी चाहिये ताकि आइन्दा ऐसे गलत काम न हों,

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कि पुराने माननीय नेता विरोधी दल के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। असल बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि किसी राष्ट्र में, किसी देश में कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जिन पर देश के प्रत्येक नागरिक एक मत होते हैं और मेरी छोटी सी राय में उपाध्यक्ष महोदय, यह दुखद घटना बाढ़ की एक ऐसा संकट है जिसको दूर करने में इस प्रांत के सभी नागरिकों को एकमत होना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आदमियों की एक आदत पड़ गयी है कि वह अपने एक रास्ते से बातें करें और एक ही रास्ते पर चलें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच हो सकता है कि जिस प्रकार से आलोचनायें करना या सुझाव देना चाहें वह रास्ता ठीक हो या न हो, लेकिन वह तो उसी एक रास्ते पर चले जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय; यह बाढ़ का संकट इस प्रांत में एक अजीब तरीके से आया है। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत बड़ी-बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जिले के छोटे-छोटे नाले या छोटी-छोटी नदियों में जिन से कभी यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि उनसे बाढ़ आ सकती है, उन्होंने इतनी आफत मचायी कि इसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण के लिये कहता हूं कि हमारे जिले में सई नदी से बाढ़ आया करती थी। लेकिन हमारे यहां पट्टी तहसील जिला प्रतापगढ़ में परैया नाम का एक छोटा सा नाला है जिसके संबंध में कभी यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसमें बाढ़ आ सकती है। उसी ने सारी तहसील को डुबो दिया। उसने वह जोर मारा कि परैया नदी पर जो पी० डब्लू० डी० का मजबूत पुल है और वह ऐसा नहीं है जिसके लिये किसी इंजीनियर ने कहा हो कि वह जल्दी में बनाया गया है जैसा कि राजनारायण जी से किसी इंजीनियर ने कहा था। अगर कोई इंजीनियर ऐसी बात मुझसे अपनी प्राइवेट टाक में कहता भी और चाहे वह सत्य भी होती तो भी मैं उसको मुनासिब नहीं समझता कि उसका जिक्र सदन में करता।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजनारायण जी की सेवा में यह निवेदन कर रहा था कि परैया नदी से जो पुल बह गया प्रतापगढ़ जिले में वह कोई ऐसा पुल नहीं था जिसके बारे में किसी इंजीनियर ने कहा हो कि वह जल्दी में बनाया गया और यदि कोई मुझसे अपनी प्राइवेट टाक में ऐसी बात कहता और वह सत्य भी होती तो भी मैं उसको सदन के सम्मुख न रखता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाले ने गजब ढा दिया। उसके अलावा हमारे जिले में वाटर लौगिंग बहुत हुआ। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र में कुंडा तहसील में यह समस्या रही है कि एक तरफ से पक्की सड़क निकाली गई, दूसरी तरफ से नहर निकली और तीसरी तरफ से और नहर निकली तो इन तीनों के निकल जाने से बीच के गांव डूब जाते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि यह समय उचित है कि वह इंजीनियरों को आदेश दें कि वे वहां जाकर देखें कि पानी का निकास क्या हो सकता है। इस समय गांव के लोग बतला सकते हैं, यों तो हमेशा गांव वाले बतलाया ही करते हैं, लेकिन इस समय काफी असलियत का पता लग सकता है कि कहां सड़क कट जाती है और जिन सड़कों को और नहरों को काटकर निकाला गया है वहां कोई प्रबन्ध होना आवश्यक है।

मेरा ऐसा खयाल है कि पिरवा के पास परियावां गांव न डूबता अगर नहर के निकास का प्रबन्ध हो गया होता। हमने सुझाव दिया था लेकिन हमारे दुर्भाग्य से वह नहीं हो पाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि जिन स्थानों में ऐसी बातें हैं और उनके लिये जो पंचवर्षीय योजना के अन्दर बातें हैं और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर उन बातों का प्रबन्ध करने की बात कही जा रही है उनमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिये। हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित परगना है जिसमे जाने के लिये कोई साधन नहीं हैं वहां पर सड़क के चारों ओर पानी भर जाता है। जठवारा से लाल गोपालगंज के बीच जो सड़क है वह तमाम पानी मे डूबी हुई थी। तो बड़ी कठिनाई से सरकारी अफसर और गैर सरकारी लोग जो सेवा करने वाले लोग थे वह सब घुटने-घुटने पानी मे चलकर ३,४ और १० मील तक पानी के अन्दर चले और उन्होंने गांवों के अन्दर जाकर सहायता का कार्य किया है। यह बात सच है कि जितनी सहायता गांव वालों के लिये आवश्यक है उतनी उनकी सहायता नहीं की जा सकी, लेकिन यह भी अपनी जगह पर सच है कि गांव वालों को जो भी सहायता पहुंचायी गयी है उससे उनको बड़ा सहारा हुआ और उससे उनका बड़ा साहस हुआ। साहस इस बात के लिये हुआ कि उनकी सरकार के लोगों ने और गैर सरकारी संस्था के लोगों ने उनके दुख में जाकर हाथ बटाया। हमारे जिले का तो माननीय मुख्य मंत्री ने सबसे प्रथम दौरा किया। उनका बड़ा अच्छा प्रभाव हमारे जिले पर पड़ा। जो राज्य कर्मचारी हैं और जनसेवक हैं उन सबने मिलकर इस बात को समझा और यह आश्वासन चारों तरफ दिया गया कि जो भी सहायता की जा सकती है वह अवश्य की जायगी।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

मैं अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक स्थान के लिये इसी समय कोई निश्चित योजना बनानी चाहिये। आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों से और इस प्रांत के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि यह समय नहीं हैं कि इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाय। माननीय गेंदासिंह जी ने यदि सत्य कहा है तो वह सत्य ही हमेशा रहेगा और जो उन्होंने नुक्स जाहिर किये हैं वे उनको मुबारिक रहें। बस इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उन गांवों को देखने का मौका मिला है जो टोंस, घाघरा और लकड़ा नाला से पीडित हुये हैं और साथ ही साथ उन सरहदी जिलों को भी देखने का मौका मिला, जो बलिया से सटे हुये गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया के इलाके हैं। वहां के लोगों की स्थिति को देखा और यहां आने पर उन जिलों के लोगों से जो हमारे साथी हैं और जिनसे पहले बात नहीं हुई उनसे भी वहां की बाढ़ की स्थिति के बारे में जानने का प्रयत्न किया है और यह जानना चाहा है कि हमारी सरकार ने उनकी कितनी मदद की और वहां के लोगों का नैतिक स्तर किस प्रकार का रहा है। इन तमाम बातों को जानने पर मुझे यह प्रसन्नता है कि लोगों ने मुझे बतलाया कि सरकार जितनी भी सहायता दे सकती थी उसने उतनी सहायता दी। वहां के जिलाधीशों ने बड़ी तत्परता के साथ वहां की स्थिति को प्रदेश की सरकार को बताया और प्रदेशीय सरकार ने भी तदनुसार जो भी सहायता हो सकती थी वह उनको दी और वहां के लोगों का जो नैतिक स्तर था उसके बारे में लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। मैंने अपने जिले में टोंस, घाघरा और लकड़ा नाला के किनारे के गांवों को देखा और मैंने देखा कि गांव के गांव पानी से चारों तरफ से घिरे हुये हैं। प्रकृति अपनी क्रूरता का प्रचंड रूप धारण किये हुये थी। लोग अपने गांवों से दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे। जब मैं उस दृश्य को सोचता हूं तो दिल में बड़ी परेशानी पैदा होती है। हमारे यहां बाढ १९ तारीख से शुरू हुई और १९ तारीख से लेकर अभी तक वहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। सैकड़ों गावों में बाढ़ का प्रकोप है और हजारों व्यक्ति बाढ़ की लपेट से बुरी हालत में हैं। मैंने यह देखा कि २४ तारीख से पहले तो हमारे जिले में नाव का प्रबन्ध नहीं था। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को अपनी नाव से मदद दे रहे थे। २५ तारीख को सरकारी नावें आईं। सरकारी और गांव की नावों द्वारा बच्चों को बूढ़ों को और जानवरों को ऐसे स्थान पर ले जाया गया, जो पानी से ऊंचे थे। कोई भी ऐसा स्थान आसानी से नहीं मिल पाया जहां उन्हें कुछ दिनों तक रखा जासके। हम लोगों ने थोड़ी सी जगहों को ढूढा और वहां उनको टिकाने की कोशिश की, लेकिन वह अपर्याप्त रही। लोग परेशान थे। जिलाधीश महोदय ३० और ३१ तारीख को आये और वहां की स्थित को देखा। शायद सरकार के पास इसके पूर्व बाढ़ की सही सूचना नहीं आई। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब लीडर समाचार पत्र के सम्वाददाता ने अपने अखबार में बाढ़ की भयंकरता की खबर दी तब जिलाधीश महोदय बाढ़ के इलाके में आये। वहां का दौरा किया और सहायता दी।

हमारे यहां चारे की बहुत कमी है। कहा जाता है कि रियायत से भूसा २ रुपये १४ आने मन दिया जायगा। हमारे जिले में ५३ व ५४ दोनों में बाढ़ आई और किसानों ने ५४ में दोनों वर्षों के सरकारी मतालबात को अदा किया। अब किसान कैसे इस भाव में भूसा खरीद सकता है? इसलिये मैं चाहता हूं कि यह भूसा तकावी के रूप में और बिना ब्याज दिया जाय। बाढ़ हर साल आती है और लोग परेशान होते हैं। इसलिये कुछ ऐसे स्थान बनाये जावें जहां जमकर लोग बच सकें। सन् ५३ में हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने बाढ़ क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफ करने का हुकुम फरमाया था, लेकिन इस बात से केवल सरकारी स्कूलों के या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही फायदा उठा सके और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के बच्चों को कुछ फायदा नहीं मिला। जो रुपया हमारी सरकार ने उनको इस मद में

दिया था उसका उचित रूप से उपयोग नहीं हुआ। इसलिये यह आदेश यहां से जाना चाहिये कि इस रुपये का ठीक ढंग से उपयोग हो।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपकी इजाजत से विरोधी पक्ष के नेता माननीय गेंदासिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। हमको पहले भी इस बात का विश्वास था और आज और कल जो उनके भाषण हुये उनको सुनने के बाद हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि अब हमको विरोधी पक्ष की ओर से उस प्रकार की रचनात्मक आलोचना प्राप्त होगी जो कि किसी भी लोकतन्त्रात्मक शासन में केवल विरोधी पक्ष से ही प्राप्त हो सकती है। गेंदासिंह जी ने जो बातें कहीं और आलोचना की, उसमें उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनमें बहुत काफी वजन है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट निश्चय ही उनके ऊपर विचार करेगी और यथासंभव उनके संबंध में कार्यवाही करने का प्रयत्न करेगी। मैं सोच रहा था कि आज से कुछ दिन पहले जो माननीय सदस्य उनकी गद्दी को सुशोभित कर रहे थे या उस गद्दी से जो माननीय सदस्य शोभा प्राप्त कर रहे थे, उनका जो अभी भाषण हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करूं या न करूं। अन्त में मैंने सोचा कि एकाध बात में उसका जिक्र करना ही चाहिये। कुछ लोग स्वाभावतः मैसोजिनिस्ट होते हैं। यह उनका दुर्भाग्य होता है कि उनको कहीं भी दुनिया में अच्छाई देखने को नहीं मिलती। माननीय राजनारायण जी उन लोगों में हैं जिनको किसी ऐसे कार्य में भी, किसी ऐसी जगह, जिससे कांग्रेस का या किसी कांग्रेस जन का या इस गवर्नमेंट का संबंध हो, कोई भलाई देखने को नहीं मिलती। यह उनका दुर्भाग्य है और भलाई बुराई की तो यह बात है कि अभी जो लोग थे जो कल तक भले थे आज वे बुरे हो गये और बुराइयों के दायरे में आगये। मुझे बहुत तो आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने यह देखा कि माननीय गेंदासिंह भी खुशामदियों की लिस्ट में गिन लिये गये हैं। उन्होंने और बातों के साथ-साथ मेरे पास दोचार दाने चावल के भेजे जिनकी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की थी। यह हो सकता है कि ये दाने उस चावल का नमूना हो जो उस क्षेत्र में बांटा गया हो। चावल जरूर बुरा है और मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं थी। जो भी देखेगा वह कह देगा कि बुरा चावल है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है। श्री राजनारायण जी को केवल आलोचना करनी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके जिम्मे यह काम था कि जो लोग मुसीबत में हैं उनकी सहायता करें। जब भारी विपत्ति यकायक सामने आजाती है तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, जो कि साधारण तौर से नहीं होतीं। जिस समय यह प्रश्न हो कि बहुत से आदमी पानी में घिरे हुये हों और भूखे हों, उनको कुछ तात्कालिक सहायता पहुंचानी है, तो हो सकता है कि कुछ बुरा भी स्टाक जो मिला हो वह पहुंचाया गया हो। आसपास से जौनपुर, आजमगढ़, बनारस में न जाने कहां कहां से अनाज भिजवाने की बात हुई। हो सकता है कि कुछ अच्छा और कुछ खराब सामान रहा हो। लेकिन राजनारायण जी को कहीं अच्छा अन्न देखने को मिला ही नहीं, खराब ही अन्न उनको देखने को मिला।

श्री राजनारायण--आपको क्या मालूम आप तो हवाई जहाज से उड़े थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हां, मैं हवा में उड़ा और कुछ जगह जमीन पर भी उतरा था। जहां तक बाढ़ की बात है, लोगों के आंसू पोंछने की जो कुछ कोशिश हो सकती थी और आगे भी करने की जरूरत है उन बातों की तो विस्तार के साथ चर्चा माननीय चरणसिंह जी ने की। उन बातों को मेरे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो सुझाव यहां दिये गये हैं उनके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो दो एक चीजें हमारे सुनने में या देखने में आई उनकी मैं थोड़े में चर्चा करना चाहता हूं। मुझे कुछ देर पहले यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि और लोग तो गये लेकिन चरणसिंह जी बाढ़ के क्षेत्र में क्यों नहीं गये। जिन सज्जनों ने यह शिकायत की उनको एक बात खयाल में रखनी चाहिये थी कि जो स्थानीय काम होते हैं वे होते ही रहते हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वे जारी रहते हैं। उसके साथ ही साथ १५,१६ जिलों में यकायक इतनी बाढ़ आ गयी वहां कहीं नावों की जरूरत थी तो कहीं खाने के सामान की, कहीं कपड़ों की, तो कहीं रहने के सामान की, ऐसे वक्त में इस बात की सख्त जरूरत थी कि एक आदमी पांव तोड़ कर लखनऊ में ही बैठ रहता। जगह-जगह से लोगों की रिपोर्टस् आ रही थी, जिलाधीशों की रिपोर्टस् आ रही थीं, उनके बारे में यहां बैठ कर फैसला देता। दूसरे बाहर जाने आने में १–२–४ घंटे लगते भी हैं, वहां लोगों से मिलना भी पड़ता है, काम करने में कुछ समय जाता ही है जो लोग बाहर जाते हैं उनकी रिपोर्टस् भी यहां आती है, लोगों के जीवन को बचाने की रिपोर्टस् आती हैं तो ऐसे सब कामों को देखने के लिये यहां एक शख्स को रहने की सख्त आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि बजाय इसके कि वह भी बाहर जाते और जाने-आने और लोगों से बातचीत करने में अपना समय लगाते उनका यहां रहना अधिक आवश्यक था।

यह बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य ने अभी प्रकृति के ऊपर इतनी विजय नहीं पायी है कि वह प्रकृति को इस किस्म के काम करने से रोक सके। इससे पहले मुंगेर में भी मैंने एक ऐसा ही तमाशा देखा था ; वहां भूकंप आया हुआ था। वहां मुझे डेढ़ माह रहने का मौका मिला। ऐसा ज्ञात होता था कि वहां कोई महायुद्ध हुआ हो, भयंकर बमों की वर्षा की गयी हो। उसी प्रकार की हालत आज हमारे यहां के कुछ जिलों में दिखायी देती है। इसके समझने में बुद्धि कुंठित हो जाती है कि क्या कभी मनुष्य प्रकृति के इस तांडव को रोक भी सकेगा, परन्तु जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इस विज्ञान के युग में जितना संभव हो सके, जितनी क्षति को कम किया जा सके, उतना कार्य करना चाहिये। उसके लिये बांध आदि का निर्माण करना चाहिये। दुर्भाग्य से विज्ञान के द्वारा जो भी काम हो सकते हैं उनके लिये हमारे देश में बहुत कम साधन हैं, रुपये पैसे की भी कमी है, तथा उन लोगों की कमी है जिनकी इन कामों के लिये आवश्यकता होती है। एक पंच-वर्षीय योजना समाप्त हो गयी है और दूसरी चालू होने वाली हैं, उनमें माननीय सदस्य देखेंगे कि हमारा एक-एक पैसा लग जायगा और फिर भी बहुत से कामों में जितना पैसा हम लगाना चाहेंगे नहीं लग पायेगा। इसी प्रकार की न जाने कितनी पंच-वर्षीय योजनायें आयेंगी। पैसे की कमी के अतिरिक्त जैसा कि मैंने अभी कहा हमारे यहां ट्रेंड परसोनल की बहुत बड़ी कमी है। अगर आज कहीं कोई जगह खाली होती है जो आपको एम० ए०, बी० ए०, तो बहुत मिल जायेंगे लेकिन अगर हम ओवर सियर्स को ढूंढना चाहें तो वे हमको नहीं मिलेंगे। हमारे म्युनिसिपल बोर्डस में, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स में ओवरसियर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं मिल पाते। लोग इंटरव्यू तक में आने का कष्ट नहीं करते। सुबह के प्रश्नों में दो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन्स का जिक्र था। उनमें हम दोष दूर करना चाहते थे। इस इंस्टीट्यूशन में दुगनी सीट्स कर दी गयी हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता हमें है उसमें फिर भी कमी ही रहेगी। इसके लिये हाथरस में हम एक इंजीनियरिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा हम एक ऐसा केडर भी तैयार करने की सोच रहे हैं जो ओवर-सियर से कम का हो। ऐसे केडर भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर तैयार करने के लिये स्कूल खोले जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन ओवरसियर्स और इंजीनियर्स की कमी के कारण ही रोड्स आदि बनाने वाले मजबूर हो जाते हैं। फिर भी जहां तक हो सकेगा कोशिश की जायगी और जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा बांध वगैरह और प्रदेशों की भांति यहां भी बनाने का प्रयत्न किया जायगा।

इस वर्ष एक बात और हुई कि अब तक का हमारा जो अनुभव था वह उल्टा पड़ गया। जिसकी पहले कोई आशंका नहीं थी, जिन नदियों का नाम उन जिलों के बाहर शायद ही किसी ने सुना हो, ऐसी कुआनों आदि नदियां और नाले उबल पड़े। लेकिन जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं जैसे घाघरा, राप्ती, गंडक, इन नदियों के लिये फ्लड प्रोटेक्शन के लिये जो रुपया मंजूर हो चुका है और जिसके सम्बन्ध में काम शुरू हो चुका है वह मैं बतला देना चाहता हूं। घाघरा के लिये एक करोड़ ९० लाख, राप्ती के लिये ९० लाख, गंडक के लिये ५५ लाख

और जो दूसरी छोटी-छोटी नदियां हैं जिनका यमुना क्षेत्र से सम्बन्ध है उनके लिये ३५ लाख और गंगा के लिये ८० लाख, इस तरह से ४५० लाख रुपया फ्लड प्रोटेक्शन के लिये मंजूर हो गया है और इस वक्त तक ६६ लाख रुपये का काम हो चुका है। आशा है कि अगले दो तीन वर्षों में या अधिक से अधिक ५ वर्षों में निश्चित रूप से इन नदियों पर प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा है वह खत्म हो जायगा और आशा की जाती है कि इन नदियों से आने वाली बाढ़ का जहां तक सम्बन्ध है उसको हम सम्भाल लेंगे। जहां पर अन्दाजा हो सकता था, जहां पर आशंका हो सकती थी कि बाढ़ आने का खतरा है वहां पर उसके लिये प्रबन्ध किया गया था। अब कोई चाहे तो इसको नेगलिजेंस कह सकता है या जो भी चाहे नेगलिजेंस कह ले, क्रीमिनल नेगलिजेंस कह ले, उसको कहने के लिये कोई रुकावट नहीं है। इन छोटी-छोटी नदियों से इस किस्म की आशा नहीं की जाती थी कि वे इस तरह से उबल पड़ेंगी। बहरहाल , यह चीज सामने आयी और आगे भी हम इस का प्रबन्ध करेंगे।

एक चर्चा यहां यह हुआ कि जो अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स हैं वे लोग जा कर देखें कि इस वक्त वहां की क्या हालत है और किस तरह से वहां काम किया जा सकता है, जिससे आगे इस तरह की चीज न हो सके। कल ही चरणसिंह जी ने बतलाया था कि यह चीज हमारे सामने है और इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनको भी हमने लिखा है और उन्होंने अपनी तरफ से इंजीनियर नियुक्त कर दिया है। हमारे पी० डब्ल्यू० डी०, के चीफ इंजीनियर श्री विष्ट हैं और श्री मित्रा जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हैं, इन तीनों के जिम्मे यह काम निश्चित कर दिया गया है कि वे इन क्षेत्रों में जा कर देखें कि कहां पर कितना नुक्सान हुआ है, कहां पर सड़कों की वजह से गड़बड़ी हुई है, कहां पर नहरों की वजह से गड़बड़ी हुई है, और कहां पर रेलवे लाइन की वजह से गड़बड़ी हुई है। ये तीनों आदमी बाढ़ वाले हिस्सों में जायेंगे और जो खराबी होगी उसकी रिपोर्ट देंगे।

एक और चीज का चर्चा यहां किया गया। हो सकता है कि श्री राजनारायण जी इंजीनियर हों, लेकिन मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी यह जानने की चीज है कि जो बांध वगैरह टूटे उनके न टूटने के लिये क्या करना चाहिये था और कहां पर किस आदमी के नेगलिजेंस से या किसी आदमी की गलती से बांध वगैरह टूट गये और बाढ़ आयी इसके लिये कई रोज पहले हमने एक कमेटी नियुक्ति कर दी है, जिसके सभापति श्री गोविन्द नारायण हैं तथा उसके एक सदस्य रुड़की युनिवर्सिटी के वायस-चांसलर तथा एक श्री विष्ट हैं। ये एक्सपर्ट्स हैं जो उस कमेटी के अन्दर हैं, ताकि वे जाकर देखें कि जो छोटी-छोटी खराबियां हैं जिनकी वजह से बहुत से गांवों के अन्दर बांध टूट गये और उनको टूटने से रोका जा सके और गांवों को इस तरह से बसाया जाय ताकि उनके ऊपर बाढ़ का कोई असर न हो सके। उनका काम यह भी देखना होगा कि किसी आदमी की गलती से तो बांध नहीं टूट गये। जो गोरखपुर तथा आजमगढ़ के बांध टूटे हैं। उसके लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी गयी है, इसलिये मैंने जिक्र कर दिया। मैं समझता हूं कि मनुष्य का कर्त्तव्य प्रयत्न करना है और उसके लिये जहां तक भी हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं।

इस मामले में यह खुशी की बात है, सन्तोष की बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया अपनी तरफ से जहां तक मैं समझता हूं, कोई कसर उठा नहीं रखेगी। वहां के जो वित्त मंत्री श्री देशमुख हैं उन्होंने लिखा है और प्लानिंग विभाग के मंत्री जो श्री नन्दा हैं वे खुद यहां आये थे और कुछ क्षेत्रों में हवाई जहाज से वे गये भी थे उनसे मेरी बातचीत हुई, तथा खाद्य विभाग के मंत्री श्री अजितप्रसाद जैन हैं उन सब लोगों से मेरी बात चीत हुई और उन सबों ने यह आश्वासन दिलाया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हर तरह से जो कुछ भी होगा मदद करेगी। इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे सूचना है कि लगभग २५ करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमको फ्लड प्रोटेक्शन के लिये मिल जायगा। एक चर्चा यह भी थी कि लोगों को तत्काल काम

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दिया जाय। उसके लिये यह सोचा गया है कि जो काम पंच-वर्षीय योजना के लिये होने वाले हैं उनमें से जो काम इस वक्त लिये जा सकते हों उनके ऊपर काम शुरू कर दिया जाय। जिन गांवों की जमीन ऊंची करनी हो, उनको ऊंचा उठाने का काम शुरू कर दिया जाय। जो काम पहले अनप्लांड तरीके से होता अब प्लांड तरीके से होगा। उसके लिये प्लान तैयार हो जायगा। जब तक गांवों को बनाने का काम हाथ में लिया जायगा तब तक प्लान भी बन जायेंगे और जब हमको फिर से गांवों को उठाना जरूरी है तो उनको एक खूबसूरती के साथ और तरीके से उठावें ताकि वहां भी स्कूल, सड़कें वगैरह सब कायदे से बन सकें। इसलिये हम प्लान के साथ इन तमाम बातों का खयाल रख कर ही उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं और जो रिलीफ वर्क्स या टेस्ट वर्क्स वहां खुलेंगे उनमें तो गांव के लोगों को दूर भी जाना पड़ेगा, लेकिन इस काम में तो लोग खुद अपने घर के घर में ही काम पा जावेंगे और घर के पास ही में उन को काम मिल सकेगा और उस से उनको मजदूरी भी मिलेगी। साथ ही उनमें यह भावना भी होगी कि यह अपना काम है और उनको उससे अपने गांवों की उन्नति की आशा होगी और इससे वह ज्यादा उत्साह और लगन से काम कर सकेंगे। जहां तक जल्द हो सकता है और जैसे भी वहां से पानी हटेगा वैसे फौरन हमारा वहां काम शुरू करने का विचार है।

लड़कों की फीस के बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने और दूसरे सदस्यों ने भी जिक्र किया। इस सम्बन्ध में हमारा विचार जो है और जिसका जिक्र माननीय चरणसिंह जी ने किया कि फीस के बारे में जो आदेश हैं और जो आज्ञा है उस पर अमल किया जाय, ताकि जिनके लाभ के लिये वह आदेश हैं उनको उस से फायदा पहुंचे। यह सवाल केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों या हायर सेकेण्डरी स्कूलों का ही नहीं है, बल्कि यह सवाल पूर्वी जिलों की युनिवर्सिटी के लड़कों की भी दिक्कतों का है। उधर के अधिकतर लड़के बनारस युनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वहां के वाइस-चांसलर ने मुझे लिखा था कि आप उस तरफ के लड़कों की दिक्कतों को देखते हुये तत्काल हमें कुछ रुपया भेज दें। हमने उनको ७,५०० रुपया भेज दिया है और साथ ही हमने उनको लिख भी दिया है कि अगर और रुपये की जरूरत हो तो वे लिखें। माननीय सदस्य देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर्स फंड में से भी कुछ रुपया दिया गया है। बनारस के लिये आप देखेंगे कि १०,५०० रुपया दिया गया है। कुछ माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा कि बनारस को इतना रुपया दिया गया है, लेकिन वास्तव में बनारस जिले को केवल १,००० रुपया ही दिया गया है। इसके साथ ही उन जिलों के कुछ लड़के लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। यहां के वाइस-चांसलर को भी यहां से लिख दिया गया है कि उन लड़कों से फीस या जो कुछ भी लिया जाता है वह उनसे न लिया जाय, स्वयं दे दे वह दूसरी बात है, लेकिन जो न दे सकता हो उससे न ली जाय। इस तरह से जो फीस वगैरह नहीं दे सकते हैं उनके लिये लखनऊ युनिवर्सिटी में भी फीस वगैरह का इंतजाम होगा।

एक सदस्य--इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये भी कुछ कर दीजिये, वहां भी उन जिलों के लड़के पढ़ते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये भी अभी मुझसे किसी ने नहीं कहा है। अगर वहां के वाइस चांसलर हमें लिखेंगे तो वहां के लिये भी कुछ न कुछ जरूर किया जा सकता है, वह न भी लिखें तो भी वहां के लिये भी निश्चय ही है, वहां के लिये भी सहायता होगी।

माननीय गेंदा सिंह जी ने और किसी और मित्र ने भी जिक्र किया कि उन जिलों में पंचायत राज टैक्स बहुत कड़ाई के साथ वसूल होता है। मेरी इस सम्बन्ध में माननीय अली-जहीर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया है कि वह आदेश भेज रहे हैं कि पंचायत राज टैक्स की वसूली रोक दी जाय।

श्री राजनारायण—लगान के बारे में भी तो कहिए, वह भी रोकिए।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसके बारे में भी जो तरीका ठीक होगा वह बरता जायगा। माननीय गेंदासिंह जी ने एक और बात का भी जिक्र किया था, प्रादेशिक रिलीफ कमेटी के बारे में। और उस सम्बन्ध में उन्होंने श्री कमलापति जी का भी जिक्र किया था। इस मामले में उनको कुछ थोड़ी सी गलतफहमी शायद हो गई, उस को मैं साफ कर दूं। जहां तक फ्लड की बात है, या रिलीफ पहुंचाने की बात है वह रेवेन्यू विभाग करता है। अब प्रादेशिक तरीके पर स्टेट में कोई ऐसी कमेटी होना जरूरी है और जैसा कि मैंने एक कमेटी का जिक्र किया था हम जल्द ही एक कमेटी नियुक्त करने जा रहे हैं। कभी-कभी कोई सहायता ऐसी होती है जो सरकारी सहायता से अलग होती है और उसकी जरूरत होती है। उदाहरण के लिये इस फ्लड में तो आदमी कम मरे हैं, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी दूसरे नुक्सान हुए, लोगों के घर बह गये, बहुत सी विधवायें हैं, बच्चे हैं। उनके घर बार का इन्तजाम करना है, उनकी फीस माफ करना है, इस तरह की कई सहायता ऐसी हो सकती हैं जो सहायता के अन्दर सीधे तौर से नहीं आ सकतीं। तो इस तरह के कामों के लिये एक कमेटी मुकर्रर करने का हमारा खयाल है और उसके अध्यक्ष माननीय कमलापति जी होंगे। फ्लड के अलावा कुछ और भी दिक्कतें होती हैं। हमने देखा कि और सालों की अपेक्षा कई जगह आग लगी। और कई जगह सहायता भेजनी पड़ी। आग के जो शिकार हो जाते हैं उनमें से कुछ लोगों को मदद की जरूरत है। यही नहीं कि तात्कालिक आगे भी जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे कामों के लिये एक कमेटी नियुक्त करने का विचार है और जल्दी ही नियुक्त होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा चरणसिंह जी ने जिक्र किया था कि आपत्ति है, खराबियां भी हैं, लेकिन उनमें एक स्वर्णिम रेखा दिखाई पड़ी है और वह है सहयोग जो इस साल दिखाई पड़ा है। हो सकता है कि कहीं कहीं पर किसी आदमी की तरफ से असहयोग हुआ हो। चाहे वह सरकारी नौकर हो, चाहे पब्लिक में काम करने वाला हो, लेकिन जो सहयोग दोनों तरफ से दीख पड़ा वह वाकई बड़ा आशाजनक है और अगर ऐसा सहयोग बराबर दीख पड़ा तो हमारी बहुत सी मुसीबतें हल हो सकती हैं।

आज एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि हमारे सदन के एक सदस्य के साथ किसी एस० डी० एम० ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं जानता हूं जिनकी तरफ उनका इशारा था। उनका इशारा श्री जयराम वर्मा की तरफ था। उनसे किसी एस० डी० एम० की बातचीत हुई, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता। उस की जांच होगी और जैसा होगा लेकिन एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने अपने भाषण में उस बात का जिक्र किया उनको शिकायत भले ही हो, लेकिन ऐसी हालत में भी मैं तारीफ एक बात की करता हूं कि श्री जयराम वर्मा ने चाहे जो कुछ भी हुआ हो काम करना बन्द नहीं किया और खूबसूरती के साथ आज भी काम करते आये हैं। और अगर हमारे अन्दर भी वही भाव रहे और सहयोग की सूरत ऐसी दिखाई पड़े तो इससे बड़ी-बड़ी मुसीबतें भी हल हो सकती हैं। एक मिसाल मैं रखता हूं जिसको सुनकर शायद सब लोगों को बड़ी खुशी होगी। श्री भगवतीदीन तिवारी हैं जौनपुर के एम० एल० ए०। जब मैं जौनपुर गया था, तो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह भी सब लोग थे तो जिक्र हुआ कि एक गांव था और ६ सौ आदमी उसमें रहते थे और वह गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। पानी इतना जोरों का था कि मोटरबोट तक पानी से हट आती थी। मल्लाहों को काफी मोटी रकमें दी जाती थीं, लेकिन कोई तैयार नहीं होता था। तिवारी जी ने कहा कि पानी बढ़ रहा है लोगों की जानें चली जायंगी तो मैं अकेले जाऊंगा और अकेले ही हिम्मत कर के आगे बढ़ गये और बाद में उनकी हिम्मत को देख कर और लोग भी आये। यह तो एक मिसाल हमारे सामने है और भी कई मिसालें होंगी जहां पर लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी जान पर खेल कर लोगों की जानें बचाई हैं। यह ऐसी चीज है जहां आशा मिलती है, ढाढस मिलता है, हिम्मत आती है कि यह मुसीबत क्या इससे बड़ी बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं कौन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जानता हूं, लेकिन इससे हम इस मुसीबत को और इससे बड़ी मुसीबतें भी हों उन सबको अपनी हिम्मत के बल पर जीत ले जायेंगे और जिस शान के साथ हम अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं हम सब मिल-जुल कर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि एकाध जगह ऐसी बात हुई हो, किसी दल के कोई ऐसे आदमी रहे हों, जिन्होंने कुछ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की हो और राजनीतिक दलबन्दी की कोशिश की हो और अगर ऐसा है तो वह अफसोस की बात है और यह उस आदमी की गलती की बात है, लेकिन जो मुख्य-मुख्य पार्टियां हैं मसलन, जौनपुर और जहां तक उसकी प्रजा समाजवादी पार्टी के लोग हैं सरकारी अहलकारों से और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सब ने एक साथ मिलकर काम किया, सबने एक दूसरे से सहयोग किया। उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। जौनपुर में किसी पार्टी के लोगों ने पी० एस० पी०, के लोगों ने नहीं किसी और पार्टी के लोगों ने जहां पर काम लगा हुआ था वहां लोगों से कहा कि तुम को चना दिया जाता है, तुमको इस वक्त पूड़ी, तरकारी मिलनी चाहिये थी और इस तरह से उनको दूसरी तरफ हटाने की कोशिश की। ठीक है जो फायदा उससे उनका हुआ हो लेकिन तारीफ इस बात की रही, कि भिन्न-भिन्न पार्टियों के लोगों के सब के सामने एक आदर्श था कि हमारे प्रदेश पर मुसीबत आयी हुई है और इस मुसीबत का सबको मिल कर सामना करना है और अगर यह भाव रहा तो हमारा प्रदेश इस मुसीबत को पार कर जायगा और आगे भी हम अपने प्रदेश को निश्चय ही उस स्थान पर पहुंचायेंगे जहां पर उस को हम अपनी महत्ता से पहुंचाना चाहते हैं।

***श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के विषय में मुझे अपने जिले बस्ती और गोरखपुर में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे जिले में आजमगढ़ शहर को बचाने के लिये एक नये बांध का निर्माण किया गया था, जिसकी लागत के विषय में मुझे ठीक ज्ञात नहीं है लेकिन वह बांध बाढ़ के पहले ही धक्के में खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि माननीय मालमंत्री जी इस बात को नोट करें और सरकार की ओर से जो कमेटी है लाल डिग्गी और मलौनी बांध के टूटने के कारणों की जांच करने के लिये बनाई गई है। उसकी जांच के क्षेत्र में इस बांध के टूटने के कारणों की जांच करने की बात भी स्वीकार कर ली जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में उस बांध का भी नाम खास तौर से दिया हुआ है।

श्री झारखंडे राय--जहां तक मुझे मालूम हुआ है उस कमेटी की जांच अधिकार में लाल डिग्गी बांध और गोरखपुर जिले का मलौनी बांध दो ही हैं, लेकिन आजमगढ़ शहर को खास कर कचहरी भाग को बचाने के लिए जो नया बांध बनाया गया था, जो बाढ़ के एक ही धक्के में टूट गया, उसकी जांच भी इसमें शामिल कर ली जाय और इस बात को देखा जाय कि इस बांध को इतना पतला क्यों बनाया गया और जो लोग इसके लिये जिम्मेदार पाये जायं उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाय, चाहे वह कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी भ्रष्टाचार जो बांध के सिलसिले में होता है उस में केवल ठेकेदार और ओवरसियर ही शामिल नहीं होते, बल्कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी सांठ-गांठ अक्सर पाई जाती है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस बांध की जांच उस में शामिल कर के इसकी पूरी छान-बीन की जाय कि यह बांध क्यों टूटा। लाल डिग्गी बांध के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि यह बांध जो टूटा उस के विषय में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब १९५३ में बाढ़ आई थी और वह बांध ध्वस्त हुआ था उस समय जिलाधीश ने जनता के सहयोग से शहर को डूबने से बचा लिया था, लेकिन उस के बाद से उस बांध की कोई मरम्मत नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, लाल डिग्गी बांध जब रात में ध्वस्त हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो इंजीनियर महोदय ने वहां इकट्ठा जनता को एलान करके बतलाया कि अब मिनटों में बांध टूटने वाला है, शहर डूब जायगा तुम लोग भाग जाओ। पूरी जनता को नर्वस किया। उस समय कांग्रेस जन, कैम्युनिस्ट, प्रजासोशलिस्ट, जनसंघ और हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने और जनता के लोगों ने मिल जुल कर बांध को रात भर में बचा लिया और रात में बांध नहीं टूटा और अगर रात में बांध टूट गया होता तो सैकड़ों आदमियों के मरने का समाचार हमें और आप लोगों को सुनने को मिलता। उस समय में खुद सौभाग्य से उन लोगों में था, जिन्होंने १३ घंटे नानस्टाप फिजिकल लेबर किया। सर पर डलिया और पीठ पर मिट्टी का बोरा ढोया। उस समय बिना किसी लिहाज के कौन किस दल का है, किस संस्था का है सब एक भाव से काम कर रहे थे कि शहर को बचाना है, लेकिन मैं कहूंगा कि उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोगों के हाथ पैर फूल गये थे। फ्लड डिवीजन के केवल दो इंजीनियर एक तो बाग्ची साहब और दूसरे एक सरदार साहब को छोड़ कर वहां कोई नहीं था, किसी का पता नहीं था। जो जैसा करता है उस की वैसी तारीफ भी करनी चाहिये। बाग्ची साहब ने हम लोगों के साथ घुटने घुटने पानी में स्वयं काम किया, यह नहीं कि केवल कराया ही। मैं कहूंगा कि लाल डिग्गी बांध की मरम्मत नहीं की गयी थी। सड़क को जो नीचा किया गया था उससे जो पानी का बहाव रुका था उससे पानी उलट कर बांध पर धक्का मार रहा था जिसके कारण लाल डिग्गी बांध टूटा। तो मैं राज नारायण जी की उन भावनाओं की कद्र करता हूं कि सड़क टूटने पर वहां की जनता के लोगों ने जिलाधीश पर बार बार जोर दिया कि सड़क काट दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय माल मंत्री जी को इस बात का पता होगा कि आजमगढ़ जिले में जिन सड़कों को नीचा किया गया खास कर मऊ और कोपा के बीच में, आजमगढ़ शहर में बड़े पुल और रोडवेज स्टेशन के बीच में, उसके कारण तमसा की बाढ़ का इतना भयानक रूप हुआ। २८ तारीख को मैंने खुद जिलाधीश महोदय को बारह बजे के करीब फोन किया कि जब सारा शहर डूब गया, लाल डिग्गी बांध टूट गया और आप इसको नहीं बचा सके केवल इसलिए कि सड़क न काटी जाय। उस समय भी कहा गया था कि सड़क के काट देने से, जहां सड़क कटेगी वहीं पर नुकसान होगा, बाकी सड़क भी शायद बच जाय। लेकिन इस लालच में कि सड़क बनी रहे, नतीजा यह हुआ कि सारी सड़क भी बह गयी और नया पुल भी टूट गया। बड़ा पुल जो ४१५ वर्ष का था वह भी काफी खतरे में पड़ गया। उसी तरह से हमने बतलाया कि एक नमूना हमारे सामने पेश है। ऐसी हालत में कृपा करके मऊ कोपा के बीच जो सड़क है उसको कटवा दें, क्योंकि गांव वाले बराबर जोर दे रहे थे कि हम लोग मर जायेंगे। सड़क काटी जाय। उस सड़क पर पूरे ६ मील के बीच में एक मामूली सी पुरानी पुलिया थी फिर भी वह काटी नहीं गयी। नतीजा क्या हुआ? मऊ का पुराना ऐतिहासिक पुल टूट गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी जांच पड़ताल की जाय। हो सकता है कि चाहे वह एरर आफ जजमेंट ही हो। हम यह नहीं कहते कि कोई अधिकारी चाहता है कि बाढ़ आ जाय और लोग मर जायं। अगर ऐसा कोई कहता है तो गलत है। चाहे वह एरर आफ जजमेंट ही हो लेकिन इसकी जांच की जाय। ऐसे मौके पर जब कि पूरा जनमत कह रहा था कि सड़कें काटी जायं, सड़कें क्यों नहीं काटी गयीं? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मिनट और देने की कृपा कीजिये।

एक बात और ध्यान में रखने की है। हमारे जिले में और अन्य जिलों में भी पुलों की संख्या बहुत कम है और पुलों की चौड़ाई भी बहुत कम है। मुझे याद है। श्री ब्रजबिहारी मिश्र जो कि हमारे जिले से इस सदन में निर्वाचित हैं, उन्होंने सदन में कई बार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि आजमगढ़ जिले को बचाने के लिए जरूरी है कि पुलों की चौड़ाई बढ़ाई जाय, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे शहर में जब नया पुल बन रहा था उसकी चौड़ाई जो जिले से तामीरी विभाग ने लिख कर मांग की थी उससे करीब-करीब आधी मंजूर हो कर गयी। मैं चाहता हूं

[श्री झारखण्डे राय]

कि इसकी भी जांच की जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के शब्दों की कद्र करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सार्वजनिक विपत्ति के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हों, चाहे वह बड़े से बड़ा हो उस पर सख्त कार्यवाही करें। तभी जनता का विश्वास प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। बाढ़ क्षेत्र के अलावा भी ऐसे स्थान हैं जहां कम नुकसान नहीं हुआ है। जहां पर बड़े-बड़े ताल थे, उनके पानी के निकास का पूरा मौका नहीं मिला, या नदियों ने उन तालों को भर दिया। उनसे भी हानि हुई है। मैं चाहता हूं कि जो सुविधाएं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में छात्रों या किसानों को माफी के सिलसिले में दी जा रही हैं, अन्य लोगों को भी दी जा रही हैं, उसी तरीके की सुविधाएं उनको भी दी जायं जो कि तालों के बढ़ने से या बड़े बड़े जलाशयों के बढ़ने से पीड़ित हैं। इन शब्दों के साथ मैं बैठ रहा हूं।

श्री भगवतीदीन तिवारी (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दैवी प्रकोप जो हमारे जिले और पूर्वी जिलों पर हुआ है, उसमें थोड़ी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें जो तजुर्बे मुझे हुए मैं उनको माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं माननीय माल मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा और उनके जो बयान हुए हैं उनका स्वागत करूंगा कि जो उन्होंने मदद जनता को की है वह सराहनीय है। बधाई इसलिये भी दूंगा कि इतने दिनों में वह सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्ति को बदल सकने में सफल हुए हैं। इस दैवी प्रकोप के जमाने में सरकारी अफसरों ने जिस सेवा के भाव से काम किया है और जिस ढंग से उन्होंने जनता की सेवा की है उससे पता चलता है कि जो उनकी हुकूमत करने की मनोवृत्ति थी, वह बिल्कुल बदल गई है और यह मालूम हुआ कि वाकई वह जनता के सेवक हैं और उसी ढंग से उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इसलिये मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उसने उनकी मनोवृत्ति को बदल दिया है और वह इस काम में पूरी तरह से सफल हुई है।

मेरे अपने जिले की हालत जो थी वह ऐसी थी कि वहां पांच तो बड़ी नदियां बहती हैं और इसके साथ-साथ करीब १० छोटी नदियां हैं? इनके अलावा नाले, ताल, तलैया, पोखर आदि हैं। उस जमाने में घनघोर वृष्टि हो रही थी और मैं तो घनघोर वृष्टि क्या कहूं, मैं तो कहूंगा कि बादल सीधे-सीधे जमीन पर उतर आये थे। जो आंकड़े माननीय माल मंत्री ने कल दिये हैं कि यहां-यहां इतने-इतने इंच पानी गिरा, मैं तो कहूंगा कि कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा पानी गिरा है, क्योंकि संपूर्ण जिले की नाप तो की नहीं गई थी। कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा पानी गिरा है। मैं तो घूमता रहा और मैं समझता हूं कि २ दिन से लेकर १५ दिन तक हमारा पूरा जिला पानी के अन्दर रहा, क्योंकि यह १५, २० नदियां, ताल तलैया, पोखर सब इस तरह से वृष्टि के कारण उमड़ आये थे कि यह नहीं कहा जा सकता था कि कोई जमीन का हिस्सा खाली रह गया हो, क्योंकि पानी लगातार बरस रहा था और उसके निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ ऊंची आबादी की जो जमीन थी, उसको छोड़ कर सब तरफ पानी ही पानी नजर आता था। मैं तो कहूंगा कि प्रलय की छोटी सी झांकी हमारे जिले में आ गई थी और अगर ७ रोज तक यह पानी और बरसता तो पूरी प्रलय ही हमारे जिले में आ जाती।

एक तजुर्बा तो हुआ कि इस दैवी प्रकोप के मुकाबिले में मानव शक्ति बहुत छोटी और नगण्य है। बावजूद इसके कि सरकारी कर्मचारियों ने और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने बिना किसी दल के भेद भाव के, अथक परिश्रम के साथ जनता की

सेवा की, जो काम हुआ, वह मुसीबत को टालने के लिये कम था। शहरों में तो सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा हर पार्टी के लोग मौजूद रहे लेकिन गांवों में बहुत कम लोग पहुंच पाये। गांवों में पूरी तरह से मदद नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी जो गांव नदी के किनारे बसे थे उनके जानवरों, सामान और बच्चों को पीछे के गांव वालों ने बचाया। वे लाठी लेकर निकल पड़े और उन्होंने डूबने वालों को बचाया और उन लोगों को अपने यहां शरण दी। तो इस तरह से हरएक आदमी मदद कर रहा था। यह एक तजुर्बा हुआ कि किस तरह से दैवी प्रकोप से हर आदमी लड़ना जानता है और किस तरह से उससे लड़कर बचा जा सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि बावजूद इन सब तकलीफों के हमारे जिले में बाढ़ से एक भी आदमी नहीं मरा। जानवर तो जरूर कुछ मरे हैं और साथ ही साथ सामान भी कुछ बह गया, लेकिन आदमी बाढ़ से नहीं मरे। घर गिरने से जरूर कुछ मरे हैं, एक तो मैंने देखा भी बाद को, लेकिन वह बाढ़ की वजह से नहीं मरा। पानी बरसने की वजह से घर गिर पड़ा और उसमें २ आदमी, १ जानवर और एक कुत्ता मर गया। तो इस तरह से लोगों ने बचाया और मुसीबत में वह एक दूसरे के काम आये।

सरकारी आंकड़े जो माल मंत्री जी ने दिये हैं वह तो समूची बाढ़ के हैं, लेकिन हमारे जिले के बारे में जो आंकड़े हैं वह मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम हैं और नुकसान उससे ज्यादा जरूर है। क्योंकि समूचा जिला जलमग्न था, हमारा ख्याल है कि सरकारी जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उसमें २०५ गांव पूर्णतः बह गये, ३३६ को दो बटे तीन नुकसान हुआ, कुल १८५० गांवों की क्षति हुई है और ९ लाख ५१ हजार ८६७ पूरे रकबे की ६ लाख ५० हजार जमीन पानी में डूब गई थी। लेकिन यह सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह आंकड़े तो केवल उस जगह के हैं जो दरिया के किनारे के थे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो गांव ताल या नालों या तालाबों के किनारे या बारिस के कारण जिन गांवों को क्षति हुई है यह इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। उस तरह से अगर कुल जोड़ा जाय तो मैं कहूंगा कि ३० हजार मकानों के गिरने के आंकड़े दिये गये हैं, पर ५० हजार मकान से कम हमारे जिले में नहीं गिरे होंगे। क्योंकि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कच्चे मकान न हों और ज्यादातर कच्चे मकान हैं उसमें कम से कम एक बटे तीन मकान जो कच्चे हैं ऐसा नहीं है कि जो न गिरे हों। लेकिन अगर ३० हजार भी माना जाय तो १०० से लेकर ५ हजार, १० हजार की लागत के गांवों में कच्चे मकान रहे हैं। औसत अगर जोड़ा जाय तो मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि करोड़ों रुपयों की तो मकानों की ही क्षति होगी और जो प्लान ५ वर्ष का आने वाला है जितना उस पर रुपया खर्च होने वाला होगा उतने से भी पूर्ति नहीं हो सकती। फसल तो हमारे जिले की सम्पूर्ण नष्ट हो गई। कुछ तो सफेद रूप में दीख पड़ती है जो बाढ़ का भाग था और कुछ लाल क्योंकि पानी जो बरसा लगातार तो पूरी की पूरी फसल लाल हो करके सूख गई। तो समूचे जिले में इस वक्त फसल नहीं है और मकान बाढ़ के एरिया में और बाहर के एरिया में दोनों में गिरे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो मदद आप देना चाहते हैं वह लांग टर्म कर्ज की आप दें। हमारा जो शहर है उसे करीब करीब माननीय मुख्य मंत्री जी देख चुके हैं और लोगों ने भी देखा होगा कि जहां १०, १२ फुट पानी बह रहा था और इतना नुकसान हुआ है चारों तरफ से कि उसका कोई ठिकाना नहीं है तो वहां भी आपके पास रुपया तो रिकन्स्ट्रक्शन करें, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लांग टर्म का रीकन्स्ट्रक्शन का कर्जा दिया जाता है वह शहर और देहात दोनों के लिये लागू कर दें, क्योंकि देहात...

श्री चरणसिंह—सब जगहों के लिये है।

श्री भगवतीदीन तिवारी--बड़ी खुशी की बात है। इसी सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके यहां का कोयला मिलता है तो वह आप केवल कोआपरेटिव के बिल्न को देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बाढ़ से जो क्षति हुई है उसके लिये अगर इंडिविजुअल भी अपना भट्टा लगा करके ईंट पकाना चाहें तो उनको भी दिया जाय।

स्कूल हमारे यहां के काफी गिर गये हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप उनको भी सहायता दें कि वे रीकन्स्ट्रक्ट हो सकें। प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सबके सब गिरे हैं और मैं यह भी कहूंगा कि आप जब कि बाढ़ पीड़ित एरिया जो थे और पिछले तीन, चार साल से जो सूखा से पीड़ित थे जैसे मड़ियाहूं तहसील थी, शाहगंज का भी हिस्सा है, तो इन तहसीलों में जो आपने तकावी का कर्जा माफ किया है तो सूखा को भी उसमें शामिल करें।

श्री चरणसिंह--शामिल है उसमें।

श्री भगवतीदीन तिवारी--ठीक है। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

†**श्री पद्मनाथसिंह** (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५३ की बाढ़ से अभी आजमगढ़ संभला भी नहीं था कि सन् १९५५ की भयावनी बाढ़ ने उसे इस तरह बर्बाद किया है जिसे पूरी सरकार पूर्ण रूप से जानती है। जो कुछ जितना भी वहां का वर्णन था उससे ज्यादा यहां पर पहुंच चुका है और इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने इस विपत्ति के समय जिस उदारता और जिस तत्परता से सहायता पहुंचायी है वह सराहनीय है। न केवल सरकारी कर्मचारियों ने बलिक दोनों ने मिल कर इस तत्काल विपत्ति का ऐसा मुकाबला किया है कि जिसे देख कर एक बार साहस से इससे भी बड़ी विपत्ति का मुकाबला करने का बल आ गया है। आजमगढ़ में टोंस नदी बीच से पार करती है और इसने इस तरह बरबाद किया है आगजमगढ़ को कि जितनी सड़कें हैं, सड़कों पर जितने पुल हैं, वे सब के सब पुल बह चुके हैं, टूट चुके हैं। टोंस नदी पर कुल मिला कर पांच पुल हैं। उनमें से एक तो बिल्कुल बह गया है मउ में और शेष चार भी टूट कर ध्वस्त हो चुके हैं। जो नहीं टूटे हैं वहां दोनों तरफ सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं। आजमगढ़ और मऊ जो दो प्रमुख नगर हैं उनमें प्रवेश करना असम्भव सा है। नावों से या किसी तरह बड़ी मुश्किल से कीचड़ में से होकर पहुंचा जा सकता है। बड़ी भायावह स्थिति है। लोगों के दस-दस, बीस-बीस हजार तक की कीमत के मकान गिर गए हैं। एक छोटी सी नदी है मझुई उसने तो मकानों का इस तरह से सत्यानाश किया है कि जहां पहले सुन्दर मकान दिखाई पड़ते थे वहां अब सब उजाड़ पड़ा है और एक भी मकान नहीं रह गया है। इन बातों की चर्चा करने में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता वह इसलिए कि सरकार के मंत्री महोदय और दूसरे कर्मचारी इसको देख चुके हैं और जान चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि बढ़ी उदारता और तत्परता से सहायता भी पहुंच चुकी है। आजमगढ़ में २८ इंच पानी बरसा और फैजाबाद में ५० इंच बरसा। कुल ७८ इंच पानी का बोझा आजमगढ़ पर पड़ा। इसलिए यह कहना कि बांध होते तो आजमगढ़ को नुकसान न पहुंचता, गलत बात है। हां यह जरूर है कि १९५३ में लालडिग्गी का बांध जब टूटने लगा था तो सन् ५३ के बाद मौलिक रूप से उसे बनाना चाहिए था, यह एक विशेष रूप से गलती हुई है, जिसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। और यह गलती भी क्यों हो गई मालूम नहीं, लेकिन खैर, गलती हो गई। तो ७८ इंच पानी का बोझ, चाहे बांध होते या न होते, बर्दाश्त करना मुश्किल था।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सरकार का ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं और वह यह कि प्रदेश के पूर्वी भाग प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे के शिकार हुआ करते हैं। कभी बाढ़ आयी और बाढ़ के बाद ही सूखा आ गया। या बाढ़ नहीं आयी तो सूखा ही सूखा आ गया। फिर शिकायत आती है, यह सरकार भी शिकायत करती है और हम भी शिकायत करते हैं। हम पूर्वी भाग के रहने वाले भी शर्माते हैं कि अपनी विपत्ति को हर साल सरकार के सामने, दुनिया के सामने कहना पड़ता है, हमें भी लज्जा आती है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि यदि सरकार पूर्वी भाग की रक्षा करना चाहती है, यदि सरकार इस विपत्ति को बचाना चाहती है और करोड़ों रुपये जो कर्ज के रूप में, दान के रूप में तकाबी के रूप में, तात्कालिक रिलीफ के रूप में, खर्च करने पड़ते हैं, उन्हें बचाना चाहती है। तो इस प्रश्न को मौलिक रूप से हल करना होगा। मेरी प्रार्थना है कि पूर्वी भाग में जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, नीची और ऊंची भूमि है, बांध हैं, रेलवे लाइन हैं, जितनी सड़कें हैं और उन पर जितने पुल हैं................

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उनका पूर्ण रूप से सर्वेक्षण होना चाहिए। एक व्यापक सर्वेक्षण करने के पश्चात् और उसका परिणाम अध्ययन कर लेने के पश्चात् उसका निवारण होना चाहिए। आजमगढ़ जिले की सड़कों पर जितने पुल हैं सब टूटे हैं। लेकिन रेलवे लाइन पर का एक भी पुल नहीं टूटा है। उसका कारण यह है कि रेलवे लाइन के पुल इतने लम्बे चौड़े हैं कि उनके नीचे से पानी आसानी से निकल जाता है। इस सर्वेक्षण के कार्य में रुपया बहुत खर्च होगा इसमें सन्देह नहीं है और यह कार्य भी बड़ा विशाल और मुश्किल है, लेकिन यदि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये जो सरकार खर्च करती है, तात्कालिक रिलीफ के लिए, उसे बचाने का सरकार इरादा रखती है और पूर्वी भाग को भी एक सुख की जिन्दगी देना चाहती है और बदनामी और लज्जा से वहां के निवासियों को बचाना चाहती है तो यह कार्य जरूर ऐसा है कि जिसे आज नहीं तो कल या कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा और यह करना अनिवार्य सा है। प्रदेश के हित के दृष्टिकोण से भी इसे करना ही चाहिये। मेरी दो प्रार्थनाएं हैं, पहली प्रार्थना यह है कि टोंस नदी फैजाबाद जिले से निकलती है और आजमगढ़ को पार करती हुई बलिया में मिलती है। टोंस नदी अकबरपुर में, फैजाबाद जिले में एक ऐसे स्थान पर आती है कि वहां पर यदि बांध बांध दिया जाय तो उससे फैजाबाद जिले की जो बरबादी होती है प्रतिवर्ष वह गालिबन बन्द हो जाय और उसके बाद टोंस एक अच्छी कैनाल का रूप धारण कर ले। दूसरी प्रार्थना मेरी यह है कि टोंस नदी इतनी टेढ़ी है, इतनी अधिक तेजी से वह बहती है कि केवल आजमगढ़ जिले में अहरौला से मऊ तक वह १८० मील हो जाती है जब कि उस क्षेत्र की कुल लम्बाई केवल ८० मील होती है। यह टेढ़ी होने के कारण होता है। अकबरपुर में बांध बांधने के पश्चात् अगर इस नदी को सीधा किया जा सके तो इससे जिले का बड़ा हित होगा। सन् ५३, ५४ और इस साल भी, हर साल उसमें बाढ़ आती है और हर साल हजारों घरों को बरबाद और नष्ट करके जाती है। एक और प्रार्थना यह है कि अगर पूर्वी प्रदेश को बचाना है तो जिस तरह से बिहार में कोसी पर कार्य हुआ है उसी तरह से घाघरा पर हमारे यहां होना चाहिये। हर साल गोमती और टोंस में तो बाढ़ आती है, अगर घाघरा को ट्रेन नहीं किया गया तो पूर्वी भाग का बचना असम्भव सा है। यह संयोग की बात है कि घाघरा में बाढ़ नहीं आई। अगर आई तो इससे कहीं ज्यादा क्षति होती है और प्रतिवर्ष होती जाती है। इस लिए मेरा निवदन विशेष रूप से माल मंत्री और मुख्य मंत्री से है कि यह कोसी जरूरत मे ज्यादा नुकसान बिहार में पहुंचाती है तो हमारे इस प्रदेश में भी घाघरा बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। हम फिर दोहराते हैं कि आजमगढ़ और पूर्वी प्रदेश में जो क्षति हुई है वह अवर्णनीय है, लेकिन जो सहायता दी गयी है वह बड़ी उदारता से पहुंचाई

[श्री पद्मनाथ सिंह]

गयी है और उससे जनता में अजीब सा उत्साह और साहस, शक्ति और बल पैदा किया है और उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को मौलिक रूप से सुलझाना आवश्यक है। उसमें चाहे जितना रुपया लगे, समय लगे और शक्ति लगे, इसको मौलिक रूप से हल करना अनिवार्य सा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—यह सब की राय है कि यह मामला बहुत बड़ा है। अगर कल लंच टाइम तक कम से कम इसके लिए समय बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री चरणसिंह—जी हां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो कल सवा बजे तक यह चलेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह दलील मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि प्रकृति पर मानव कब्जा नहीं कर सकता है। कल हमें बड़ी हार्दिक तकलीफ हुई कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि बाढ़ जहां आती है वहां की भूमि को सिंचित करके चली जाती है और वह वहां के रहने वालों के लिए सुखदाई हुआ करती है। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरा सा मेरठ और आजमगढ़-बस्ती की अदला बदली कर लेते और हम लोग जो बाढ़ पीड़ित हैं वह जावें मेरठ, अलीगढ़ और बुलन्दशहर में, तब पता चले कि राजस्व मंत्री जी को कि तकलीफ है या आराम। मेरा ख़याल है कि राजस्व मंत्री उदार हृदय के हैं, वह मेरे इस थोड़े से सुझाव को स्वीकार करने का ऐलान सदन में करेंगे।

सन् १९५३–५४ और १९५४–५५ में जो अनुदान नावों के निर्माण में दिया गया था उससे केवल ८८ नावें बनीं और राजस्व मंत्री जी ने कहा कि गांव पंचायतों ने सहयोग नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी तकलीफ होती है और मैं तो उसी देहात और गांव का रहने वाला हूं जहां चारों तरफ से नदी का पानी घिरा रहता है। बाढ़ में मेरे गांव में गांव पंचायत के पास सरकार की तरफ से एक नाव गयी। जब मैंने सुना कि नाव आयी है, नाव के पास गया उसे नापा, जोखा और वहां एक गांव के लोगों की भी नाव थी जो कि वहीं के लोहार ने बनाई थी वह भी वहां मौजूद थी। उसने उसको नापा और यह फैसला किया कि यह अधिक से अधिक डेढ़ सौ रुपये की हो सकती है जिसको कि सरकार ने खरीद कर ६०० रुपये में भेजा है और जो नाव उसने बनायी है उसके लिए उसने कहा कि तीन, साढ़े तीन सौ रुपये मुझको दे दें तो मैं दे सकता हूं। मैं अदब के साथ कह सकता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग होता था उसी तरीके से इस विभाग में भी हो रहा है, कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी।

मेरा सुझाव है राजस्व मंत्री के लिये (राजस्व मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, दूसरे काम में लगे हुये हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जरा सा इधर भी ध्यान दिलायें) कि प्रत्येक गांव पंचायतों को ४०० रु० दिये जायंगे और इतना ही रुपया वे भी दिलावें। अगर ४०० रु० प्रत्येक गांव पंचायत के प्रेसीडेंट को दे दिये जाते तो मेरा ख्याल है कि ४०० रुपये से कम ही में एक नाव तैयार हो जाती जिसे ६०० रुपये खर्च करके सरकार की ओर से प्रदान किया गया है जिसमें एक पशु भी नहीं जा सकता। बाढ़ के जमाने में हमने कहा कि एक पशु भी चढ़ाओ तो मल्लाह ने कहा कि पशु एक भी इसमें नहीं जा सकता है केवल १५–१६ आदमी जा सकते हैं।

इसके अलावा माननीय माल मंत्री जी ने एलान किया और ऐक्ट भी है सन् ५१ का कि लोगों को ऊपर बसाने के लिये जमीन दी जाय लेकिन मैं नहीं भूल सकता, मैं तो एक बाढ़ पीड़ित

जिले का रहने वाला हूं। माननीय मंत्री जी के ऊपर तमाम प्रदेश का बोझ है, पर बरोहा, मोलनापुर, मूसा डोही आदि के बारे में हर साल बजट के दौरान में कहा, हर साल चिट्ठी लिखी कि यह जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घर जमीन कट गये हैं, उनको ऊपर बसने के लिये जमीन दी जाय। लेकिन आज तक जमीन उनको नहीं दी गयी और वहां के जो परगना हाकिम हैं वह नहीं चाहते कि लोगों को ऊपर बसने के लिये जमीन मिले। फिर उन्होंने कहा कि सन् ५३ में आर्डर दिया गया कि अगर गांव समाज की जमीन ऐसे लोगों के लिये न मिले तो सरकारी जंगल में बसाये जायं, जोतने की भी जमीन दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के कितने निवासियों को खेती के लिये जमीन दी गयी और कितनों को बसने के लिये जमीन दी गयी। आजमगढ़ की मुझे पूरी जानकारी है, कि एक भी गांव को ऊपर नहीं बसाया गया। परगना हाकिम घोसी सरकार के लाड़ले हैं, उनकी शिकायत की जाती है तो सरकार मानती नहीं है बल्कि पुरस्कृत करती है अर्थात् जिसकी हम शिकायत करेंगे उसको माननीय मंत्री जी या सरकार का कोई आदमी मानने को तैयार नहीं होता है। हां, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जिससे शायद कुछ परिवर्तन हो उस नीति में, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उस घोसी परगने का हाकिम काम नहीं करता। आजमगढ़ में १७ जुलाई से पानी बढ़ने लगा। मैं वहां पर १७ से २० तक था, घाघरा की बाढ़ देख कर मैंने २० तारीख को तार दिया कि आजमगढ़ में बाढ़ आ गयी है आप इन्तजाम कीजिये, लेकिन २० से २८ तक सरकार की ओर कोई इन्तजाम नहीं हुआ जब तक कि वहां के कलेक्टर की या और किसी की सूचना सरकार के पास नहीं आयी, मैं कैसे मान लूं कि सरकार सहयोग चाहती है जनप्रतिनिधियों का जब कि २० तारीख को तार दिया और उसके बावजूद भी कोई तैयारी नहीं की गई जिसका नतीजा यह हुआ कि न मालूम कितना नुकसान हो गया, सैकड़ों पशु बह गये। फसलें तो नहीं बचायी जा सकी थीं लेकिन और नुकसान रोका जा सकता था।

कहा जाता है कि मालगुजारी वसूली की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दे दी गयी है। हमें तकलीफ होती है कि जहां लगातार सन् ४९ से बाढ़ आयी हो और हर साल मालगुजारी में छूट होती हो, तकावी दी जाती हो, मुफ्त सहायता दी जाती हो, वहां की मालगुजारी की वसूली कलेक्टर के ऊपर छोड़ दी जाय तो मेरा यह ख्याल है कि कलेक्टर बदनाम नहीं होगा, वह सरकार की निगाहों में ऊंचा बनना चाहेगा, नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वह ऊंचा पद चाहता है, वह नहीं चाहता कि किसान लोग मालगुजारी अदा न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं ११ तारीख को तुर्तीपार में नायब तहसीलदार से मिला, मैंने कहा कि यहां घूमते हो उन्होंने जवाब दिया कि मालगुजारी वसूल करने तथा बाढ़ में सहायता करने के लिये। पुनः पूछा कि कोई आदेश स्थगित करने के लिये नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं और फिर 'पंचायत कर' न वसूल करने की घोषणा तो माननीय मुख्य मंत्री ने की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स को स्थगित करने की या उसको खत्म करने को घोषणा इस सदन में नहीं की गयी। मैं इसके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि उसकी भी घोषणा होनी चाहिये। मऊ के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि दिसम्बर, १९५४ में एक मऊ पश्चिमी कछार सम्मेलन हुआ था जिसमें हमें भी जाने का अवसर मिला था उसमें हजारों जनता जमा थी और सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था कि मऊ कोपागंज सड़क जो ऊंची की जा रही है उसके कारण पानी बहने पर रोक लगेगी। इस लिये मऊ और भुजौटी के पुल को चौड़ा किया जाना चाहिये। लेकिन प्रस्ताव पास होने के १०/११ महीने बाद भी आपकी प्लानिंग कमेटी तथा सार्वजनिक कल्याण विभाग ने कोई खयाल नहीं किया। (लाल रोशनी को देख कर)

मुझे दो मिनट समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अब आपका समय खत्म हो गया है।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, कल राजस्व मंत्री जी ने पूर्वी जिलों के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को सहायता के निमित्त विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत

[श्री शिवमंगल सिंह]

किया है वह निस्संदेह सराहनीय है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जबकि हमारा वर्षों का अनुभव है कि हमारे पूर्वी क्षेत्र प्रायः हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमें कोई ऐसी बड़ी योजना बनानी है, जिसका कि सदन में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि घाघरा, गडंक, गोमती वगैरह को कंट्रोल करने की योजना बनायी जाय। हमें प्रसन्नता है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने आज भाषण दिया है उससे हमें आशा होती है कि हमारी यह योजना शीघ्र ही पूरी की जायगी।

मैं आज विशेष तौर से बलिया जिले के बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बलिया जिला गंगा और घाघरा के बीच में स्थित है और प्रायः हर वर्ष यह जिला बाढ़ का शिकार बनता है, इस साल गंगा में तो नहीं लेकिन घाघरा ने इस वर्ष भी हमारे जिले को माफ नहीं किया है और घाघरा और टोंस नदी से जो बाढ़ आयी है उससे हमारे जिले को काफी क्षति पहुंची है। यह तो कहा जा सकता है कि बड़ी नदियों से काफी क्षति होती है लेकिन मैं मुख्यतः सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी बांसडीह तहसील में एक नाला बहेरा है और इसी प्रकार रसड़ा में एक नाला लकड़ा है और कुछ बड़े बड़े ऐसे नाले हैं जो बाढ़ के अवसर पर नदियों से मिल जाते हैं और वह वही दृश्य उपस्थित करते हैं, चाहे वह फसल का नुकसान हो या चाहे लोगों की जान की बरबादी हो, जो बड़ी नदियां कर सकती हैं। ऐसी सूरत में यह आवश्यक हो जाता है कि जहां हम और योजनाओं के बारे में सोचते हैं वहां जो छोटी छोटी योजनायें हैं इन पर भी सोचें क्योंकि यह काफी नुकशान पहुंचाती हैं। इस लिये इनका भी कोई न कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये और जहां तक मुझे आशा है और जो हमारा बांध तुर्तीपार, सुमेरनपुर में बंध रहा है उससे जो नालों से नुकसान होता है वह कम हो जायगा लेकिन फिर भी उनके पानी के निकलने का प्रबन्ध करना पड़ेगा और कहीं-कहीं पर यह भी समस्या है और जब मैंने दौरा किया था तो अपने साथ इंजीनियर को भी ले गया था और उनसे बातें कीं कि अपने यहां एक समस्या ऐसी है कि जहां यह नाले घाघरा में मिलते हैं वहां हमारा क्षेत्र नदी से बहुत नीचा पड़ता है। और हमारे लिये यह समस्या अवश्य है कि हम सोचें कि किस प्रकार से इस तमाम पानी को निकला जाय क्योंकि घाघरा का लेविल उस क्षेत्र की सतह के बराबर होदेने के कारण पानी के निकालने की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वह क्षेत्र नीचा पड़ जाय तो हमारे लिये कठिनाई की बात होती है। फिर भी हमको इसके बारे में कुछ न कुछ सोचने की जरुरत है या दूसरे मार्ग से ताल में ले जाकर किसी तरह से इस पानी को मिलाया जाय, नहीं तो मेरा विचार है कि यह नदी सदा से कष्ट देती आयी है उसी प्रकार से उसका प्रभाव चलता रहेगा। जिन लोगों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है उन सबका यह विश्वास रहा है कि कछार का हिस्सा जो भी घाघरा का है उसमें पानी फैल जाता है और वह तब नाले से मिल जाता है और इन दोनों के बीच में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। तो मैं विशेष रुप से इस बारे में अपने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें कि बहेरा और लकड़ा जो नाले हैं इनके उस तमाम पानी को निकालने का कोई न कोई प्रबन्ध उचित रीति से किया जाय।

दूसरी चीज मैं अपने जिले की यह बतलाना चाहता हूं कि उस वर्ष घाघरा नदी ने कटाव का रुप धारण किया है। हमारे राजस्व मंत्री जी और सरकार को यह सूचना मिली होगी कि हेमन्तपुर गांव घाघरा नदी ने बिलकुल साफ कर दिया है। उसका कोई वहां पर पता नहीं है और जिस तेजी के साथ आज सुरेमनपुर के पास कटाव जारी है और जिसके पास ही थोड़ी दूर पर रेलवे स्टेशन स्थित है भगवान न करे कि ऐसा हो लेकिन अगर सुरेमनपुर में इसी प्रकार कटाव होता रहा तो वह स्टेशन को भी धक्का देगा तो शायद बलिया जिले का बहुत बड़ा भाग भी समूचा नष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त बलिया का पच्छिमी भाग इन्द्रपुर

ग्राम के पास इस साल गंगा की वजह से कट गया है । वही रोदन की स्थिति वहां पर भी है जो कि सुरेमनपुर के पास है । हमको संदेह है कि अगर इसी प्रकार से कटाव होता रहा तो इससे भयावह स्थिति उपस्थित हो सकती है। यदि इसका कोई फौरन उपाय नहीं सोचा गया तो जो नयी धारा बनाकर बलिया को बचाया गया है तो वही धारा फिर बलिया शहर के लिये खतरा पैदा कर सकती है । जो स्थिति हमारे जिले की पैदा हो रही है उसकी तरफ मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे उस पर विचार करें और उसको रोकने के लिये कोई न कोई उचित प्रबन्ध करने की कृपा करें ।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है जो कुछ भी सहायता सरकार की ओर से की जा रही है वह पर्याप्त है इसमें हमको जरा भी सन्देह नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो चीजों के बारे कहना चाहता हूं और यह तात्कालिक समस्या बाढ़ के वक्त में गांवों में आवागमन और फौडर के प्रश्न की है, क्योंकि हमने देखा है और हमारे जिले में अक्सर बाढ़ आया करती है । वहां के लिये गोरखपुर से घास मंगायी जाती है । मैं नहीं जानता हूं कि उस घास को जानवर खाते हैं । जो घास बलिया जिले में आती है वह बेकार ही पड़ी रहती है । उसको डिब्बों में भर कर स्टेशन पर रख दिया जाता है कि लोग वहां से ले लें लेकिन उसको कोई मवेशी नहीं खाता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसके बजाय उनके लिये भूसे का काफी मात्रा में प्रबन्ध किया जाय और वह भूसा कम दाम पर ही नहीं, बल्कि तकावी के रुप में दिया जायतो यह अधिक उचित होगा। क्योंकि उन लोगों में उसको खरीदने की शक्ति कम होती हैं और हर किसान उसको खरीद नहीं सकता है ।

श्री वसी नक़वी (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको आज मौका दिया कि मैं भी अपने जिले की नुमाइन्दगी कर सकूं। श्रीमन्, यह बात अखबारों में आ चुकी है कि रायबरेली जिले के पांच परगने इस बाढ़ की वजह से पीड़ित हैं । मैंने माननीय मंत्री जी का बयान जो उन्होंने कल इस सदन में दिया उसको बहुत गौर से सुना । मुझे यह जान कर दुख हुआ कि इस समय २२ हजार गांव, ८० लाख जनता और ६० लाख एकड़ जमीन इस बाढ़ के असर में आये हैं । मुझे यह जान कर खुशी हुई कि हमारी सरकार ने इस बात का इरादा किया है कि कुछ भी हो इन पीड़ितों का दुख अवश्य दूर किया जाय और उसके लिये रुपये का कोई कंसीडरेशन नहीं है । यह तमाम दुख और दर्द दूर होने की जरुरत है । मुझे यह मालूम करके खुशी हुई कि तीन करोड़ रुपया गवर्नमेंट इस वक्त इसके लिये खर्च करने जा रही है । लेकिन श्रीमन्, मुझे यह जान कर दुख हुआ कि ५४ लाख रुपया इस वक्त तक खर्च हो चुका है, लेकिन हमारे जिले के हिस्से में सिर्फ एक लाख रुपया आया है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रायबरेली के ५ परगनों की साढ़े तीन लाख जनता इस बाढ़ से पीड़ित है । जो यह एक लाख रुपये की तकावी दी गयी है वह वहां के लिये बहुत कम है । इस एक लाख रुपये में से बीस-बीस रुपया वहां लोगों को तकावी में दिया जा रहा है । इसके लिये वहां की जनता यह कह रही है कि वह बहुत कम है ।

दूसरी बात इस तकावी में यह है कि यह जंजीर वाली तकावी है । १०-१०, १२-१२ आदमी मिल कर इस तकावी को लें और जब इसके वसूल करने का वक्त आयेगा तो एक ही आदमी से वसूल की जा सकती है । तो मेरा यह सुझाव है कि इस १०-१०, २०-२० रुपये की तकावी देने से कोई फायदा नहीं है । लिहाजा अगर मदद उनको दी जाती है तो उसको बढ़ा कर दिया जाय । दूसरे यह जो जंजीर वाली तकावी है इससे लोगों को बड़ा संकोच महसूस होता है । यह ठीक नहीं है कि उनसे तकावी का ज्यादा रुपया वसूल किया जाय, मेरा सुझाव यह है कि तकावी इस तरीके से तकसीम की जाय जिसमें कुछ रद्दोबदल हो कर लोगों को आसानी हो । दूसरी बात जानकर मुझे खुशी हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस कदर सहायता दी जा सकती है उसका ऐलान हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है और मैं उस ऐलान का स्वागत करता हूं । लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले में सिवाय

[श्री वसी नक़वी]

१ लाख तकावी की रकम के और १० हजार की दूसरी रकम के किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंचा है। जो जायस का टाउन एरिया है उसकी आबादी १८ हजार है, जिसमें १२–१४ सौ मकान गिर गये हैं, वह एक मिट्टी का ढेर है। मुझे यह कहने में बहुत दुख मालूम होता है कि वहां पर अभी तक मलवा पड़ा हुआ है। मैं मंत्रीजी की इस बात से सहमत हूं कि मिलिटरी अथारिटी आदि बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरी तहसील में अभी कोई मदद नहीं पहुंची, है अभी तक मलवा पड़ा हुआ है। डर है कि कहीं ड्रेनेज सिस्टम के बिगड़ जाने से बीमारी न फैल जाय और उनमें और भी बहुत से लोगों की जान जाती नजर आये।

श्रीमन्, मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस रूप से सरकार मदद कर रही है वह बहुत ही सहराहनीय है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस मर्तबा जिले की अथारिटीज ने बड़ी कोशिश के साथ पीड़ितों की मदद की। उनकी यह कोशिश बिला शुबहा सराहनीय हैं और इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उनकी जहनियत बदल गयी है, उसमें एक परिवर्तन और इन्कलाब हो गया है, उनके काम करने में। क्योंकि मैंने देखा कि जिलाधीश महोदय ४–४–, ६–६ मील पैदल गये हैं। मैंने यह भी देखा कि एस० डी० एम० महोदय ने कमर-कमर पानी में देहातियों की तरह जा कर २२–२२ गांव देखे हैं। मैं इस काम के लिये उनको (माननीय मंत्री जी को) बधाई देता हूं और माल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने रंग बदला है। उनमें जनता के दुख और दर्द को जानने की मति पैदा हुई है और वे हमारे साथ-साथ देश की रक्षा और भलाई करना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस समय जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट फिर से अपनी पालिसी पर विचार करे और मकान बनाने के लिये कम से कम ५००–१,००० रु० कर्जा या तकावी दे बजाय इसके कि १०–१० रुपया तकावी दे। क्योंकि उससे जनता को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। जब कि लोगों की मदद के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है तो एक ऐसी स्कीम बनायी जाय जिससे लोग यह महसूस करें कि उनकी ठोस मदद गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे और इस तरह के जो सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने जिले की स्थिति पर प्रकाश डालने का अवसर दिया। यह बाढ़ जो कि पूर्वी जिलों में आयी, उसमें सुल्तानपुर जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान चौरी है उसमें भी बहुत ज्यादा नुकशान हुआ है। गोमती में जितना पानी इस बार आया, १८७१ की बाढ़ में भी उतना पानी नहीं आया था इसके अलावा उन स्थानों में जहां नदी घूम कर बहती थी, उसका बहाव सीधा हो गया और उसके बीच का सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया और इस बीच में जो गांव आये वे सब अब दीख भी नहीं पड़ते और अब यह भी समझ में नहीं आता कि यहां पर गांव थे। इस प्रकार से सुल्तानपुर जिले में सिर्फ गोमती नदी में ही नहीं बाढ़ आयी, बल्कि छोटे-छोटे नाले जिनमें कांधू नाला, पीली नदी, मधुई नाला, इन सभी नालों ने भयंकर रूप धारण कर लिया और वे नाले जिनका कोई वास्ता नहीं था, जिनका कोई जिक्र कभी नहीं था वे भी गांव के गांव बहा ले गये और ऐसे-ऐसे घर जिनमें हजारों मन अन्न भरे हुए थे वे घर भचभचाकर बैठ गये। ऐसी न तो वहां कभी बाढ़ आयी थी और न वे इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिये तैयार थे। इसके साथ सींगो, मसियावां ताल इस तरह के हैं जिनके अन्दर बाढ़ आयी, जिससे जामों का दक्षिणी भाग तथा अमेठी का पश्चिमी भाग बिल्कुल जलमग्न हो गया। जामों में अभी भी नदी की तरह से पानी लहरा रहा है और उस पानी की वजह से उन गांवों के आदमियों को बड़ा कष्ट है। खासकर वहां की जो स्त्रियां हैं, उनको बड़ा कष्ट है क्योंकि उनको अपनी जरूरियात से भी फारिग होने के लिये पानी में ही जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार की ओर से जो भी सहायता का कार्य

किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे जिले में खास कर मुसाफिरखाना, कादीपुर और चौरी-इसौली परगना में एक अच्छी बात यह थी कि वहां चकबन्दी का स्टाफ मौजूद था और उन सब लोगों से उस काम को लिया गया। लेकिन परगना जामों का जो हिस्सा बाकी रहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १३ तारीख तक मैं दौरा करता रहा, लेकिन उस वक्त तक वहां कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा था। वहां न तो किसी को एक पैसा ग्रेच्यूटी रिलीफ भेजा गया और न किसी और प्रकार की सहायता दी जा सकी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कन्धे से कन्धा मिला कर दिल खोल कर काम किया। वहां बाढ़ का पानी इस तरह से भरा हुआ था, जिससे लोगों का वहां पहुंचना भी असम्भव था। जहां पर मैं न पहुंचने की बात कहता हूं वहां पर यह नहीं कि सरकारी अधिकारी की ही सिर्फ गलती थी बल्कि सब से बड़ा कारण यह है कि चारों तरफ से रास्ता कट गया है, जिससे वहां कोई मोटर भी नहीं जा सकती है। रायबरेली जाने वाली सड़क, लखनऊ जाने वाली सड़क, इसके अलावा जायस से जगदीशपुर आने वाली सड़क, ये तीनों सड़कें कई स्थानों पर कट गयीं हैं जिससे न तो वहां कोई मोटर जा सकती है, न जीप जा सकती है और न और कोई सवारी ही जा सकती है। सिवा पैदल जाने के वहां और कोई मार्ग नहीं है। मैं समझता हूं कि पैदल चलकर भी ऐसे स्थान पर पहुंचना बहुत असम्भव था। पानी भरा हुआ था, घर गिर रहे थे। वहां हमने एक घर के अन्दर एक औरत को देखा जो आग जला कर अपने तीन बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसके मकान के ऊपर एक दूसरा मकान गिरा और उसकी वजह से नीचे आग, उसके ऊपर औरत और उसके तीन बच्चे थे और उसकी दीवार उस औरत के ऊपर गिरी। उसमें से निकाला गया तो औरत तो मर गयी थी लेकिन बच्चे भी मरणासन्न थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास जो खाने को था सब बह गया है, बहुत से जानवर भी बह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकारी सहायता मिलती है उसके लिये मैं सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं और जिस प्रकार से लोगों ने साहस के साथ काम किया है उसके लिये मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ वहां कुछ ऐसी बातें भी हमें देखने को मिली हैं, जिनका जिक्र कर देना चाहता हूं। मुसाफिरखाना के पश्चिमी हिस्से में २० हजार मकान गिरे हैं और इसके अलावा सदर, कादीपुर में २५ हजार मकान गिरे हैं और उसके आस-पास के और भी बहुत से मकान नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं। कुछ इलाका ऐसा है कि जिसमें पानी के भर जाने के कारण जो खरीफ की फसल बोई गई थी वह सब नष्ट हो गई और लेट पेडी या जड़हन जिसको कहते हैं वह नहीं बोया जा सका। वहां पर जहां जड़हन धान बोया जा सकता था वहां सिर और छाती के बराबर पानी भरा है और उसका नतीजा यह है कि यह फसल खरीफ की तो गई ही वहां चैती फसल भी नहीं हो सकती। वह बेचारे दोनों रबी और खरीफ की फसलों से गये। वैसे तो नदी की बाढ़ के इलाके में मिट्टी ऐसी हो जाती है कि जिसमें रबी अच्छी होती है, लेकिन इस इलाके में वह भी सुविधा नहीं हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन इलाकों में जहां दोनों फसलें नहीं हो सकतीं, उस इलाके के स्कूलों में जून तक की फीस माफ करने की कृपा करें, क्योंकि वहां चैती में भी कुछ पैदा हो सकने की आशा नहीं है। इसके अलावा ऐसे काम जिनसे लोगों को रोजी मिल सके फौरन वहां शुरू करने चाहिए। सौभाग्य से आम घाट का पुल जिसका एस्टीमेट ७ लाख रुपए का है, उस पर अगर जल्द काम शुरू कर दिया जाय तो उससे ऐसे समय में लोगों को रोजी मिल सकती है।

इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी बातें भी सुनी हैं कि छूट के सिलसिले में कुछ ऐसी बात हो रही है कि जहां पर लेट पेडी या जड़हन नहीं बोया गया था, वहां वह फसल नुकसान में नहीं दिखलाई जा रही है। कुछ कानूनी पेचीदगी हैं और अड़चनें हैं कि जिस तरह खातेवार नुकसान दिखाया जाता है कि ८ आने का नुकसान है तब तो छूट

[श्री गुरुप्रसाद सिंह]

मिलती है और अगर उससे कम नुकसान होता है तो वह छूट नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि यह तरीका छूट देने का बहुत पुराना हो गया है, हमें इन रूढ़ियों को बदलने की जरूरत है और हमें उन पुराने नियमों को संशोधन करके दुरुस्त करना चाहिए ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। इसमें शक नहीं कि हमारे यहां जो गल्ला बांटा गया है उसकी बहुत जरूरत थी लेकिन अब धीरे-धीरे जहां जहां पानी घट रहा है और जैसे जैसे लोगों के पास जो संचित गल्ला था वह खत्म हो रहा है उनकी विपत्ति और बढ़ रही है और मेरे खयाल से आगे वह धीरे धीरे और बढ़ेगी। इसलिए ऐसा गल्ला जो सड़ गया है, या जो सस्ते दामों पर मिल सकता है या किसी और कारण से खरीद लिया गया है उसको देने के बजाय अगर आगे उनको नकद रुपया और वस्त्र दिए जायं तो ज्यादा सहायता का लाभ उनको मिलेगा। अन्त में सरकार ने जो सहायता की है और आगे करने जा रही है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो सुविधायें बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए आवश्यकीय होंगी वे सब सरकार की ओर से उनको अवश्य दी जायंगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की दुखद कहानी केवल इसी वर्ष में इस सदन को नहीं सुना रहा हूं। सन् ३७ से लगातार जो कम व बेश विपत्ति और संकट पूर्वी जिलों में बाढ़ के कारण आता रहा है उसको मैं समय समय पर विस्तारपूर्वक इस सदन के माननीय सदस्यों को सुनाता रहा हूं। सौभाग्य से हमारे माननीय माल मंत्री जी जो आज मंत्री पद पर हैं और इसके पहले वह इसी विभाग के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे। बाढ़ के कारण जो क्लेश और विपत्ति पूर्वी जिलों के लोगों पर आती रही है उससे वह पहले से ही भली भांति परिचित हैं। इस वर्ष जो असाधारण ढंग से बाढ़ आई, उससे लोगों के कष्ट को देखते हुए हमें देखना है कि जो कदम सहायता के लिये सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने उठाये हैं उससे लोगों को फायदा हुआ है या नहीं। मैंने सारे व्याख्यानों को जो माननीय सदस्यों ने यहां दिये हैं बड़े गौर से सुना और साथ ही साथ माननीय माल मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य विस्तारपूर्वक दिया है उसको भी सुना है।

मान्यवर! माल मंत्री जी से बराबर हम लोगों की याचना रही और उनसे विनम्रतापूर्वक हम यह प्रार्थना करते रहे हैं कि केवल मुट्ठी भर चने से बाढ़ पीड़ितों का कल्याण होने वाला नहीं है और न एक मिट्टी के तेल की बोतल से ही विपत्ति दूर होने वाली है। उन बाढ़ पीड़ितों के बीच में जब बाढ़ नहीं आई होती है हम प्रतिनिधि उनके घरों पर आते जाते हैं तो वे हमारा नाना प्रकार से सम्मान और आदर करते हैं। आज यदि हम उनके बीच में साधारण समय में नहीं विपत्ति काल में केवल मुट्ठीभर चना लेकर पहुंचते हैं तो यह हमारे लिये और उनके लिये बड़ी ही विडम्बना है। यों तो कहने के लिये बड़ा धैर्य होता है, साहस मिलता है लेकिन हम केवल धैर्य के सहारे ही उनके क्लेश को दूर नहीं कर सकते। वास्तव में मुट्ठी पर चने से कुछ सहारा अवश्य मिल सकता है उनको जिनके पास खाने को कतई नहीं है लेकिन उससे उनके अस्थिपंजर को बचाने के लिये भी सोचा विचारा और उपाय ढूंढ़ा जा सकता है। लाखों रुपया खर्च करके जो हमने बाढ़ के समय तजुर्बा हासिल किया है उससे क्या फायदा उठा सकते हैं। हमने माल मंत्री जी से यह प्रार्थना की थी कि बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये और उनके मवेशियों की बचत के वास्ते कोई प्रबन्ध होना चाहिये। हमने उनसे याचना की थी अधिक नावों के लिये। मंत्री जी फरमाते हैं कि केवल ८८ नावें सारे प्रान्त में इस वर्ष बनाई गई और यह भी बतलाया है कि मई मास में ही आदेश सारे सूबे के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को भेजे गये थे कि वे सतर्क हो जायं बहुत

सम्भव है कि बाढ़ आ जाय। तो इतनी तैयारी के बाद केवल ८८ नावें बनीं यह सिवाय उदासीनता के और क्या कहा जा सकता है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वहां दस नदियां बहती हैं। डुमरियागंज, उसका नौगढ़ और बांसी को पार करती हुयी गोरखपुर में पहुंचते पहुंचते नदियां समुन्दर का रूप धारण कर लेती हैं। ट्रांस राप्ती एरिया में होकर बाढ़ के कारण जीविका निर्वाह के लिये बाढ़पीड़ित भाग-भाग कर नैपाल की तराई तक जाते हैं। बाढ़ क्षेत्र के मजदूर ट्रांस प्लांटेशन के लिये जड़हन की बैठौनी अपनी जीविका निर्वाह करने के लिये नैपाल तराई में गये। मजदूरी कमा कर बाढ़ पीड़ित आने भी लगे हैं। अब बाढ़ घट रही है। महोदय! बांसी के पास जहां राप्ती नदी बहती है आज कल भयावह शक्ल उसकी हो गई है। बाढ़ के कारण उसको देख कर जो साधारण आदमी होगा वह घबड़ा जायगा। दुर्भाग्यवश ककरही घाट पर सिर्फ एक नाव है और दिन दिन भर ठहरे रहने पर वहां के मवेशी और राही को उतार रहे हैं। वह राही नहीं जो एक जिले से दूसरे जिले को जा रहे हैं बल्कि जो एक टैरीटरी से दूसरी टैरीटरी यानी नैपाल को भागना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिनके सुपुर्द यह काम था कि वहां के बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये उनको सतर्क हो जाना। है वे खामोश थे। उनमें से कोई नैनीताल में हवा खाने के लिये चले गये होंगे तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि आपकी गश्ती चिट्ठी के बावजूद भी उन्होंने कोई माकूल तैयारी नहीं की है। मैं तो खुद १० तारीख को नौगढ़ से ककरही घाट के पार तहसील नवगढ़ के नायब तहसीलदार के साथ ट्रक को लेकर पहुंचा और सारी रात मूसलाधार पानी में घूमता फिरता रहा। माल पहुंचाने के लिये मेरे साथ में १०, १५ कांग्रेस के साथी भी थे, कुर्कअमीन चपरासी वग़ैरह भी थे हमें सारी रात चट्टान पर बितानी पड़ी और उस मूसलाधार पानी में ठिठुर ठिठुर कर वक्त काटा गया। मैं कह सकता हूं कि ककरही घाट पर कम से कम ४ पांच नावें वहां होनी चाहिये थीं वहां एक नाव थी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नाव की संख्या फौरन बढ़ाई जावे जिससे रक्षा का कार्य सुगम हो सके।

अध्यक्ष महोदय! मैंने २३-७-५५ को माननीय माल मंत्री की खिदमत में एक पत्र लिखा था और उसमें इस बात का उल्लेख किया कि चाहे कुछ खाने पीने को कम मिले या ज्यादा लेकिन नाव की व्यवस्था तो अधिक होनी चाहिये कि जान बचा सकें। जान बचने पर चाहे मेहनत मजदूरी करें या इधर उधर जाकर भिक्षावृत्ति करें दिन कट सकता है। एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री की भी सेवा में ४ अगस्त, १९५५ को विस्तारपूर्वक लिख कर भेजा था। अब तीन नावें बस्ती जिले में जा रही हैं। स्टीम बोट है या मोटर बोट। संयोग से मिलीटरी से उधार लेकर और वह भी उस वक्त जब कि दरियाओं में कम पानी है। उस समय उनको नहीं पहुंचाया गया जब कि दरिया बाढ़ से मौज में थी, एक दूसरे की खैरियत का समाचार किसी को नहीं मिल पा रहा था, कौन मर रहा है और कौन जिन्दा है। खैरियत का समाचार प्राप्त करना कठिन हो रहा था। इतनी सतर्कता का यह परिणाम होता है। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि आपका (मंत्री जी का) अभिप्राय, और नियत दुरुस्त है, क्योंकि आप भी दिलचस्पी लेते हैं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये और आप चाहते हैं कि जो भी बाढ़ पीड़ित हों उनका कल्याण हो लेकिन आपके कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस ओर आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिये। बाढ़ का रिएक्शन (प्रतिक्रिया) तो अब होगा। बीमारियां बढ़ेंगी, खाना, पीना, तकावी इत्यादि-इत्यादि जितनी चीजें हैं उन सब को आपको देना और प्रबन्ध करके देखना होगा। समय से चीजें पहुंचे लेकिन अगर कुसमय पहुंचा तो क्या लाभ। लाखों रुपया हमने दिलवाया लेकिन जब सिफारिश करते हैं तो ५ रुपये भी साधारण मजदूर को या बाढ़ पीड़ित को अपने जिले में नहीं दिला पाते। वहां जो नौकरशाही का ढंग है वह ठीक नहीं है। मैं सराहना करता हूं कि

[श्री रामकुमार शास्त्री]
आप तो सतर्क हैं, तत्पर हैं और आप वहां हर भांति से कल्याण करना चाहते हैं लेकिन आपके अफसर किस ढंग से काम करते हैं इस ओर भी आपका ध्यान शीघ्र जाना चाहिये। मुझे अपवाद के रूप में मालूम हुआ है कि कहीं फैजाबाद में बड़ा सहयोग हुआ है या कहीं और हुआ है? लेकिन मेरे यहां यह दिक्कत जरूर रही कि ५०० रुपये का सामान मैं लेकर गया जहां ढाई लाख की आबादी थी पीड़ितों की। जिस अनुपात से रुपया आप दे रहे हैं उससे कोई बहुत कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि आपके अधिकारी जो सतर्क नहीं हैं उन्हें खूब सतर्क करने की जरूरत है। सूबे भर में आपके अधिकारीं वर्ग का बाढ़ सम्बन्धी काम अब शुरू होगा। अब रिएक्शन होगा बाढ़ का। एक तरफ आपने यह ऐलान कर रक्खा है कि पंचायतों का अक्टूबर में चुनाव होगा। अक्टूबर तक सिलसिला बाढ़ का कायम रहेगा बल्कि जनवरी तक यह सिलसिला रहेगा। बाढ़ पीड़ितों का जिनका अरबों रुपया नुकसान हुआ है, जिनका हम कल्याण करना चाहते हैं, पुनरुद्धार करना चाहते हैं चुनाव में पड़ जाने से भाव बदल जायगा। अफसरान चुनाव में कैसे काम करेंगे जब बाढ़ कार्य से फुरसत न होगी। मैं चाहता हूं कि हमें ऐलान करके आगे आने वाले पंचायतों के चुनाव को स्थगित कर देना चाहिये और ठीक तरह से व्यवस्था बाढ़ पीड़ितों की मदद के सिलसिले में करनी चाहिये।

*श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता की और उसके लिये कोशिश की यह मुझे स्वीकार है मगर यह कि वह सहायता पर्याप्त मात्रा में थी और लोगों की तकलीफें दूर हुई या नहीं हुई यह दूसरी बात है। वर्षा असाधारण थी, जैसा कि पानी इस साल बरसा वैसा शायद पचासियों वर्ष से नहीं बरसा। तो यह जरूर है कि सरकार की ऐसी सहायता होनी चाहिये जिससे लोगों की तकलीफें दूर होतीं। मुझे शिकायत इस बात की है कि जो सहायता दी भी गई वह जहां जानी चाहिये थी वहां नहीं पहुंची और जहां नहीं जरूरत थी वहां पहुंच गई। हमारी बलरामपुर तहसील में चना दियासलाई बांटी गयी। लेकिन जहां जरूरत नहीं थी, खास बलरामपुर टाउन में और बरलरामपुर के पास तो चने और दियासलाइयाँ बाँटी गयीं। लेकिन राप्ती के उस पार १५ मील तक जहां पानी भरा हुआ था वहां कोई साहब नहीं पहुंचे। मैं शिकायत नहीं करता। हमारे यहां जिलाधीश बहुत ही काबिल आदमी हैं। एस० डी० ओ० की भी शिकायत नहीं करता। मगर यह जरूर कहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि यह दरियाफ्त कर लें कि राप्ती के उस पार पन्द्रह सोलह मील तक पिपरा तक जहां पानी था और बिल्कुल जलमग्न था वहां कोई सहायता क्यों नहीं अफसरों के द्वारा पहुंचायी गयी। हम लोग पहुंच गये नावों के जरिये से, लेकिन जिनके पास सरकारी सुविधाएं थीं, उनके द्वारा सहायता क्यों नहीं पहुंचायी गयी? आमतौर पर बलरामपुर तक अधिकारीगण रेलवे या जीप से गये, और इधर करनैलगंज की तरफ, मनकापुर साइड में रेलवेलाइन है वहां गये। लेकिन हमें शिकायत है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिये कि वहां क्या परिस्थिति है नहीं गये। दूसरे जिलों से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बातें भेजी हैं, उनको कहने की भी मैं अनुमति चाहता हूं। राजननारायण जी ने चावल का नमूना पेश किया। हमारे पास भी हमारे एक कार्यकर्ता माननीय नाना देशमुख जी ने आटा भेजा है। अगर इजाजत हो तो भेज दूं।

एक शिकायत और है। जो आबादी ऊंची की जा रही है उसका एक नमूना अगर माननीय मंत्री महोदय खुद देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। रिपोर्ट यह है कि जहां आबादी ऊंची की गयी है वहां गांव तो नीचा है उसके ऊपर मिट्टी उठा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गयी है। दस बारह फीट पानी गांव के अन्दर भरा हुआ है। बाहर अगर निकलें तो पानी ही पानी है और पानी बढ़ जाने की वजह से मकानात गिर रहे हैं। अगर इस तरह से आबादी ऊंची की जायगी तो हमारी समझ में भगवान ही रक्षा करें आबादी कैसे ऊंची की जा सकती है उसके लिये भी हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है और वह यहां तक तैयार हैं कि अगर उनको मौका दिया जाय तो अपने श्रम से जिलाधीश के निरीक्षण में वह नमूना दिखा देंगे कि आबादी किस तरह से ऊंची की जा सकती है। देवरिया जिले में जो भी आबादी ऊंची की गयी है उससे उनकी मुसीबतें और बढ़ गयी हैं। आबादी ऊंची करने का सुझाव परमानेंट है। इसलिये मैंने माननीय मंत्री महोदय से अर्ज किया। वह इस पर गौर फरमा लें। और देख लें कि किस तरह से आबादी ऊंची करने में फायदा है। और नुकसान है मगर इस परिस्थिति में इस समय जो बाढ़ आयी, इस वक्त जो काम किया गया उससे बजाय फायदे के नुकसान ही रहा।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)--मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं अपने माल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में जबकि सारी जनता बाढ़ की वजह से त्राहि त्राहि कर रही थी बहुत बड़ी सहायता दी। उस सहायता में उन्होंने रुपये की कोई परवाह नहीं की। दिल खोल कर सहायता दी जहां तक सरकारी अधिकारियों का प्रश्न रहा मैं अपने गोरखपुर जिले की ओर से कह सकता हूं कि उन्होंने भी उसमें दिल खोल कर के मदद की। सार्वजनिक कार्यकर्ता एक तरफ रहे। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने जो तत्परता दिखायी, हमने इसके पहले कभी नहीं देखी थी।

महोदय, यों तो बाढ़ गोरखपुर की एक प्रमुख समस्या है, लेकिन पिछले दो सालों से से जिस रूप में यह बाढ़ आ रही है उसको देखते हुये यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसका अन्त कैसे होगा। नारायणी जो कि कभी इतना प्रकोप हमारे जिले में नहीं दिखलाती रही, वह आज गोरखपुर के उत्तरी हिस्से को जहां महाराजगंज की तहसील है मटियामेट करती चली जा रही है। उस तहसील का सारा हिस्सा उसने बालू से पाट दिया है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन सब में वह अपना पानी फेंकती चली जा रही हैं जिससे कि वह सारी जगह तबाही करती चली जा रही है। गोरखपुर जिला ८ नदियों से घिरा हुआ है और यह नदियां बरसात के दिनों में भयंकर रूप धारण कर लेती हैं जिससे कि वहां की सारी फसल ही नहीं बरबाद होती बल्कि वहां के रहने वालों के सारे मकान भी गिर जाते हैं। यह एक प्रमुख समस्या है। हालांकि नारायणी के किनारे पर सरकार ने बांध बंधवाना शुरू किया था लेकिन थोड़ा सा बांध बाकी रह जाने के कारण जो उससे पानी निकल आया है उससे हमारी तहसील को काफी क्षति पहुंची है।

महोदय, जिले के मलौनी बांध की चर्चा भी यहां हुई। उसके बारे में बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि जिले के अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से और गैर जिम्मेदारी की वजह से यह बांध टूटा है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है जिले के अधिकारियों ने कोई त्रुटि नहीं की। जहां तक पानी की सतह पहुंची थी उसके नीचे से बांध कटता जा रहा था और जहां से कि किसी को अंदेशा भी नहीं हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि वह एक दम बरबाद हो गया और उसके कटने से रामगढ़ ताल के आस पास सब पानी फैल गया और वहां की सारी आबादी पानी में डूब गई। नतीजा यह हुआ कि गोरखपुर शहर में घरों घरों में पानी घुस गया और शहर के बहुत से पूर्वी भाग में भी पानी पहुंचा। महोदय, इसी प्रकार मवेशियों की भी काफी क्षति हुई है और कुछ आदमी बह कर भी मर गये हैं। आप यह देखेंगे कि हमारे यहां जो नारायणी नहर निकाली गई है उसमें पुलों का प्रबन्ध न होने के कारण या रास्तों का प्रबन्ध न होने के कारण कई जगह पर रास्ते दो दो, तीन तीन, मील तक बन्द हो गये और कई जगह पर तो ऐसा हुआ कि कितने ही मवेशी बह गये और एक स्थान पर ऐसा सुना गया कि दो आदमी बह कर मर गये। तो ऐसी

[श्री शुकदेव प्रसाद]

सूरत में यह रास्ता बन जाना बहुत आवश्यक है और मेरा ख्याल है कि उस के लिये सरकार को जल्द कोई कदम उठाना चाहिये।

महोदय, लगान की छूट तो हर साल उस बाढ़ के एरिया में मिलती ही है लेकिन मैं इस महराजगंज तहसील की बात बतलाता हूं कि उसका बहुत सा हिस्सा ऐसा है कि जहां गांवमें लगान की छूट तो मिली लेकिन अमीन जा कर उस छूट को भी वसूल कर लाये। नतीजा यह है कि उसका फल जो गांव वालों को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया और वह उससे महरूम रहे। इसके अलावा उन एरियाज में जहां बाढ़ आई है और जहां की फसल बरबाद हो गई है वहां पर लोगों को एग्रीकल्चरल इंकम टैक्स की छूट भी मिलनी चाहिये और इस तरह की लगान की जो छूट होती है उसकी मुनादी तहसीलदार के जरिये या और किसी के जरिये से करा देनी चाहिये गांव में और लोगों को बतलाना चाहिये कि इतनी इतनी छूट हुई है ताकि लोग पहले से ही सतर्क रहें और जो अमीन जाये वह उन से ज्यादा वसूली न कर सके।

अध्यक्ष महोदय, नाव की समस्या जहां तक है हमारी तहसील में काफी बाढ़ आई और बड़ी गंडक के किनारे भी काफी बाढ़ आई लेकिन जब नाव का प्रबन्ध किया जाता है तो उनके वहां तक पहुंचने की भी कोई आशा नहीं रहती। शहर गोरखपुर दक्खिन तरफ बसा हुआ है जिससे उत्तर तक नाव जाना बहुत कठिन हो जाता है। मेरा सुझाव यह है कि नाव का प्रबन्ध जहां तक हो सके पहले से ही होना चाहिये क्योंकि वह बाढ़ग्रस्त एरिया तो है ही, उसमें नाव का प्रबन्ध पहले से ही रहे तो अच्छा है ताकि मौके पर जिस समय भी बाढ़ आये वह उससे सहायता ले सकें।

गांव वाले बिल्कुल दो-दो, तीन-२ रोज तक घिरे रहे। ऐसी कठिनाई में बड़ी कठिनाई से नाव पहुंचती है। इसी संबंध में मुझे यह कहना है कि नावें जो हैं कहीं-कहीं पर वह ४ सौ रुपया लेकर के दी गई हैं। मेरा ख्याल यह है कि बाढ़ के गांवों में सरकार को अपनी ओर से नावों का प्रबन्ध करना चाहिये उनसे रुपया ले करके या थोड़ी अपनी मदद दे करके। नावों का प्रबन्ध होना मुश्किल हो गया। जो गांव रुपया इकट्ठा कर पा रहे हैं वह तो नावों का फायदा उठा रहे हैं लेकिन जहां से रुपया नहीं दिया जा रहा है वहां नावों का फायदा नहीं पहुंच रहा है।

इसके अलावा चारे की समस्या है। जो जिला बाढ़ ग्रस्त है उस जिले के लिये मई, जून में प्रबन्ध कर लेना चाहिये और सेंटर बना लेने चाहिये। वहां चारा इकट्ठा कर लिया जाय। तीन तीन चार चार रोज तक मवेशी मरते रहे हैं, वहां चारे का प्रबन्ध नहीं हो पाता है। जब सेंटर रहेंगे तो नावों के जरिये से वह चारा बाढ़ ग्रस्त गांवों में पहुंचाया जा सकता है और मवेशियों की रक्षा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खाद्यान्न की भी व्यवस्था है और खाद्यान्न की जो वस्तुयें उनको दी जाती हैं। हमारे यहां अक्सर ऐसा भी हुआ कि वह बड़ी खराब किस्म की रही हैं। हालांकि जिलाधिकारियों ने जिसको जिम्मेदार पाया है उसके खिलाफ कार्यवाही भी की है। लेकिन इस तरह की चीज अच्छी नहीं होती। इसके अलावा बहुत से मवेशी बाढ़ एरिया में ऐसे होते हैं जो चारे के बिना छूटे रहते हैं, बूढ़े बैल छोड़ देते हैं, भैंसे छोड़ देते हैं वह जा करके सब के खेतों को चरते हैं। ऐसी सूरत में उनसे भी बचाने की व्यवस्था करनी चाहिये और जगह जगह गोशाला वगैरा खोल देनी चाहिये ताकि ऐसे मवेशी बाढ़ग्रस्त जगहों में ऐसी जगह पहुंचा दिये जायं और उनकी रक्षा हो सके।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने जो बाढ़क्षेत्र के लिये विवाद चल रहा है उसमें मैं भी थोड़ा सा जौनपुर का जिक्र आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सरकार को तो मैं इसलिये धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी जल्दी हमारे जिले में उसने सहायता पहुंचायी और की उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं और जौनपुर जिले की पांचों तहसीलों में चाहे कोई गांव रहा हो, इस तरह से बाढ़ ने परेशान किया है कि शायद अगर मैं सही बतलाऊं तो सूबे का कोई क्षेत्र इतना डूबा नहीं होगा जितना जौनपुर। मैं आपको बतलाऊं कि हमारी एक मड़ियाहूं तहसील में बरना, बसुई, सई, अर्सीघुड़सार, गड़ई नम्बर १ और गड़ई नम्बर २ उनमें ४ जुलाई से बाढ़ शुरू हुई। ११ जुलाई के अन्दर जौनपुर से मिर्जापुर जाने वाली रोड पर यातायात १२ जुलाई तक बन्द रहा और १३, १४, १५ के बाद १६, १७ की रात २२ घंटे के अन्दर १५ इंच पानी बरसा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सई नदी में बाढ़ आ जाने से १७, १८ तारीख तक मड़ियाहूं तहसील का सारा क्षेत्र, चाहे कोई गांव हो, चाहे ताल के किनारे रहा हो, या नदी के किनारे या नाले के किनारे नदियों की धारा ने मिलकर ५ दिन तक तहसील को नुक्सान पहुंचाया कोई यातायात नहीं रह गया। इलाहाबाद से एक लाइन जौनपुर जाती है सात दिन तक लगातार पांच सौ आदमी अपने बच्चों को लेकर, पशुओं को लेकर रेल के किनारे रहे, न उनके यहां बैठने का कोई स्थान था, उनकी दुर्दशा देखकर जो यात्री रेल से आते थे वे सरकारी कर्मचारियों के बीच या जहां कहीं पहुंचते थे, उनसे कहते थे कि मढ़ियाहूं तहसील की हालत और जौनपुर जिले की जो हालत है, जो दुर्दशा है उसको देखकर सब को तकलीफ हो रही है।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
APPOINTMENT (B) DEPARTMENT

No. 304/II-B—118-1954

Dated January 31, 1955

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 oi the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following amendment in the Government Servants' Conduct Rules applicable to members of the services under his rule-Making control :

AMENDMENT

After rule 26, *add* the following as a new rule 27 :

"*Bigamous marriages*—No government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him."

By order,

A. N. JHA,
Chief Secretary.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२–३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१ पर)

नक्शा "अ" (फर्नीचर जो कि सन् १९४९ और १९५२ के दर्मियान में खरीदा गया)

१—अग्रवाल टिम्बर स्टोर्स, बरेली		
१—चारपाइयां	२०० दर ४९ रु० की प्रत्येक	९,८०० रु०
२—बिना हत्थे की कुर्सियां	२०० दर ८ रु० १४ आ० की प्रत्येक	१,७७५ रु०
३—श्रृंगार मेज की कुर्सियां	२०० दर ८ रु० १४ आ० की प्रत्येक	१,७७५ रु०
४—बेड साइड लौकर्स	२०० दर १९ रु० की प्रत्येक	३,८०० रु०
२—वज़ीर अली एन्ड सन्स, बरेली		
१—आराम कुर्सियां	२०० दर १६ रु० ७ आ० की प्रत्येक	३,२८७ रु० ८ आ०
२—पेग रेल्स	४०० दर ३ रु० ६ आ० की प्रत्येक	१,३५० रु०
३—रुहेलखंड वुड वर्क्स, बरेली		
१—लिखने की मेजें	९६ दर ३५ रु० की प्रत्येक	३,२६४ रु०
२—श्रृंगार मेजें	६० दर ४४ रु० की प्रत्येक	२,६४० रु०
३—आलमारी	१०३ दर ४५ रु० की प्रत्येक	४,६३५ रु०
४—गोयल एन्ड को०, लखनऊ		
१—औकेजनल मेजे	४९ दर ९ रु० की प्रत्येक	४४१ रु०
२—बाथ ग्रिड्स	७ दर ७ रु० की प्रत्येक	४९ रु०
५—मौडेल जेल्स, लखनऊ		
१—दरियां	२०० दर ७ रु० २ आ० प्रति वर्ग गज	२२,२१५ रु० ६ आ०
		५५,०३१ रु० १४ आ०

फर्नीचर जो कि सन् १९५२ से ५४ के दर्मियान में खरीदा गया

१—इंडियन बौबिन कं०, बरेली		
१—चारपाइयां	३०० दर २६ रु० की प्रत्येक	७,८०० रु०
२—टी टेबिल्स	४०० दर १२ रु० की प्रत्येक	४,८०० रु०
३—बाथ ग्रिड्स	२५० दर ८ रु० की प्रत्येक	२,००० रु०
४—बिना हत्थे की कुर्सियां	५०० दर १३ रु० १२ आ० की प्रत्येक	६,८७५ रु०

५—लिखने की मेज	३५० दर ५३ रु० ८ आ० की प्रत्येक	१,८७२५ रु०
६—श्रृंगार मेजें	१७५ दर ७२ रु० १२ आ० की प्रत्येक	१,२७३१ रु० ४ आ०
७—आराम कुर्सियां	२५० दर २९ रु० ८ आ० की प्रत्येक	७,३७५ रु०
८—आलमारियां	१६२ दर १६२ रु० की प्रत्येक	२८,३५० रु०
९—विजिटिंग कार्ड बोर्ड	१ दर ५५ रु० का प्रत्येक	५५, रु०
१०—नोटिस बोर्ड	१ दर ३० रु० का प्रत्येक	३०, रु०
११—की बोर्ड	१ दर ३५ रु० का प्रत्येक	३५, रु०
१२—नेम बोर्ड	१ दर ८ रु० का प्रत्येक	८, रु०
१३—सड़क बताने वाला बोर्ड	१ दर ६ रु० का प्रत्येक	६, रु०
१४—पेगरेल्स	५०० दर ५ रु० १० आ० की प्रत्येक	२,८१२ रु० ८ आ०
२—सेंट्रल जेल, नैनी		
१—निवाड़	३५ मन १ सेर दर ४ रु० १३ आ० प्रति सेर	६,७४२ रु० ५ आ०
३—मौडेल जेल, लखनऊ		
१—दरियां	१४० दर ७ रु० ४ आ० ३ पा० प्रति वर्ग गज	२१,४५५ रु० १० आ०
		१,१९८०० रु० ११ आ०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३ पर)

थाना मालपुरा जिला आगरा में सन् १९५४ में हुई चोरी, डकैती और फौजदारी की घटनाओं की सूची।

संख्या	घटना	दर्ज की गई	जांच की गई	चालान किया गया	सजा हुई	छूट गये	अदालत में चल रहे हैं	जांच जारी है	पता नहीं लगा और उनमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।
१	चोरी	४४	४४	१४	८	६	..	..	३०
२	डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..
३	फौजदारी	८	८	४	२	..	२	३	१

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५३ एल० ए०—१९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथकौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहिम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफतहुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

हमीरपुर जिले में हरिजन छात्रों से महंगाई भत्ते की वसूली

१—श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीर पुर की शिक्षण संस्थायें (Higher Secondary Schools and Colleges) हरिजन छात्रों से महंगाई (D. A.) वसूल करती हैं? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां, हरिजन छात्रों का महंगाई भत्ते से मुक्त करने का नियम नहीं है।

छात्रवृत्ति के लिये हरिजन विद्यार्थियों को रेवेन्यू अफसर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता

२—श्री जोरावर वर्मा**—क्या यह सत्य है कि इस वर्ष जो फार्म छात्र-वृत्ति के लिये हरिजन कल्याण विभाग से मिले हैं उनमें पिता अथवा संरक्षक की आय के बारे में रेवेन्यू अफसर का सार्टिफिकेट लगाने का आदेश है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—जी हां, किन्तु कक्षा १२ तक के विद्यार्थियों पर यह आदेश लागू नहीं होता। केवल इसके ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऐसा सर्टीफिकेट देना आवश्यक है ताकि उनकी आर्थिक दशा की प्रमाणित जांच हो सके। भारत सरकार को भी छात्रवृत्ति के लिये विद्यार्थी तहसीलदार का सर्टिफिकेट लेते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि अन्य शुल्कों की भांति महंगाई भत्ते से भी हरिजन छात्रों को मुक्त कर दिया जाय?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--इस पर तो अभी कोई विचार नहीं किया गया है और मैं समझता हूं कि शायद यह ठीक भी नहीं होगा।

जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

**३-श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में गोमती और सई नदी की भीषण बाढ़ से फसल और मकानों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है? यदि हां, तो सरकार ने बाढ़-ग्रस्तों की सहायता के लिये क्या किया है?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हां। गोमती और सई की भीषण बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिये सरकार ने निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की है:--

अहेतुक सहायता	१ लाख रु०
डिस्ट्रेस तकावी	१ लाख रु०
मकान बनाने के लिये सहायता	२५,००० रु०
जानवरों के चारे के लिये	१५,००० रु०

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने का प्रबन्ध किया गया। रहने के लिये तम्बू, रेल गाड़ी के डिब्बों का प्रबन्ध किया गया। लोगों को दवा आदि बांटी गयी तथा पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध किया जा रहा है और उनमें रोग न फैले इसके लिये प्रतिरोधक उपाय इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बाढ़ से जो गांव के गांव मकान गिर गये हैं। और बिल्कुल बाढ़ की चपेट के ही अन्दर हैं उन गांवों को ऊंची भूमि पर बसाने की भी कोई व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, कर रही है। यह तो कल ही भवन में बता दिया गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके लिए भूमिहस्तगत करने का कोई आदेश यहां से भेजा गया है जिलाधीश के पास?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आदेश जारी हो चुके हैं। वह जमीन ग्राम समाजों की जमीन से ले ली जाय। वहां से न मिल सके तो फारेस्ट डिपार्टमेंट से ले ली जाय और उसका बयान भी हाउस में हो चुका है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जिन गांवों में गांव समाजों की जमीन नहीं है तो उन गांवों में क्या वैसी जमीनें जो कि और लोगों के कब्जे में हैं उन्हें लेकर उन्हें बसाने का कोई विचार सरकार का है या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पावर तो है ही। उसमें जरूरत होगी तो ऐसी जमीन अक्वायर की जा सकती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह जो तकावी का एक लाख रुपया है क्या यह बिला सूद दिया जायगा या सूद पर दिया जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो कह दिया गया कि बिला सूद का दिया जायगा।

श्री बाबू नन्दन--(जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ एरिया के अतिरिक्त भीषण वर्षा से जो मकान गिर गये हैं उनको भी बनाने के लिए सरकार का कोई सहायता देने का विचार है?

श्री चतुर्भुज शर्मा——अभी तक तो केवल यह सोचा गया है कि बाढ़ के अन्दर जो वाटर लागिंग में जो मकान आ चुके हैं उनके लिये सहायता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

बाराबंकी जिले में अति वृष्टि-ग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माणार्थ सहायता

**४——श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में इस वर्ष अति वृष्टि से कितने मकानों को ऐसी क्षति पहुंची कि वे धराशायी हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——बाराबंकी जिले में इस वर्ष अति वृष्टि आदि से कुल लगभग ५८,४३० मकान पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में गिरे हैं।

**५——श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन क्षति-ग्रस्त व्यक्तियों को जो कृषक नहीं है किस प्रकार की सहायता दी गई है और प्रति व्यक्ति कितने रुपयों तक दी गई है।

श्री चतुर्भुज शर्मा——बाराबंकी जिले में मकान बनाने के लिये २०,००० रु० अहेतुक सहायता के रूप में स्वीकृत किया गया है। यह सहायता गरीब कृषकों और अकृषकों दोनों को मिल सकती है तथा प्रति व्यक्ति को २५ रुपये तक मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त अकृषकों के लिये ऋण की भी व्यवस्था की जा रही है, यद्यपि इसके लिये अभी रुपया स्वीकृत नहीं हुआ है। अकृषकों को ऋण २५० रुपये तक मिल सकेगा।

**६——श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (अनुपस्थित)——क्या सरकार तकावी अथवा ऋण की ब्याज दर को कम करने जा रही है। यदि हां, तो अब कितना प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में तकावी और ऋण इस वर्ष बिना ब्याज दिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

हमीरपुर जिले के नार्मल ट्रेनिंग स्कूल चारखारी में परिगणित जाति के विद्यार्थी

*१——श्री जोरावर वर्मा——क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नार्मल ट्रेनिंग स्कूल चरखारी (जिला हमीरपुर) में कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं और उनमें परिगणित जातियों की क्या संख्या है ?

डाक्टर सीताराम——७३ छात्राध्यापक ट्रेनिंग पा रहे हैं जिनमें ५ परिगणित जाति के हैं।

श्री जोरावर वर्मा——क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि ७६ छात्रों में से कम से कम १२ हरिजन होने चाहिये तो क्या कारण है कि ५ ही छात्र लिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह——यह आंकड़े सन् १९५४ के हैं और वह आदेश कि १८ फीसदी की उनकी भर्ती की जाय उसके बाद का है।

नोट——अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४–६ श्री जगन्नाथ बख्श दास ने पूछे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या भविष्य में माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखेंगे कि ट्रेनिंग कालेजों में हरिजन छात्र उनके रिजर्वेशन के अनुसार लिये जायं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां, इसके लिये आदेश जा चुके हैं।

*२-३--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--[९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आचार्य जुगलकिशोर समिति की रिपोर्ट की मांग

*४--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपा करके गोरखपुर में बनने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में माननीय आचार्य जुगलकिशोर समिति की सिफारिशों की एक कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

*५--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार बतायेगी कि इन सिफारिशों पर उसने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम--रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्न ४ के उत्तर के अनुसार जब रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध ही नहीं हैं तो प्रश्न पांच में किस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--उसी रिपोर्ट पर।

श्री अध्यक्ष--आपने टेबिल पर रखने के लिये कहा था तो इतनी प्रतियां नहीं हैं, कुछ प्रतियां होंगी, यह उनका मतलब है।

श्री जोरावर वर्मा--जो प्रश्नकर्ता हैं उन्हीं की मेज पर प्रतिलिपियां रखी जाती हैं मेरा मतलब केवल इतना है।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने आपके प्रश्न का मतलब यह लगाया, अब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस रिपोर्ट पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--बहुत शीघ्र।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो बन रहा है उसमें सरकार ने अबतक कुल कितना रुपया दिया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--खैर, इस प्रश्न से तो उसका कोई सम्बन्ध नहीं था लेकिन सूचनार्थ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक करीब सात-आठ लाख† रुपया दिया होगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधेयक जो सदन में आनेवाला था वह कब तक आ जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--प्रयत्न तो यही हो रहा है कि जल्दी ही आ जाय।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

---

†१६ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में शिक्षा मंत्री की प्रार्थना के अनुसार संशोधित।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं यह बहुत लम्बा हो जायगा।

महावीर जूट मिल्स सहजनवां की हड़ताल

*६--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महाबीर जूट मिल्स, सहजनवां में १,२०० मजदूरों ने गत १६ अप्रैल, १९५४ से हड़ताल की थी?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--जी हां।

*७--**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)--अगर हां, तो क्या सरकार मजदूरों की मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी?

आचार्य जुगलकिशोर--एक प्रति मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२१-२२२ पर)

*८--**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि हड़ताल के विषय में उसकी ओर से क्या कार्यवाही की गयी है?

आचार्य जुगलकिशोर--हड़ताल के मामले में पूर्ण रूप से जांच की गयी और यह भरसक प्रयत्न किया गया कि मजदूर अपनी मांगों की पूर्ति वैधानिक रीति से संराधन समिति में भेज कर करावें और हड़ताल समाप्त कर दें। अन्त में ११ जुलाई, १९५४ को मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप मजदूरों ने १३ जुलाई से हड़ताल समाप्त कर दी।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि मजदूरों ने हड़ताल नहीं की थी बल्कि मिल-मालिकों ने तालाबंदी की थी?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी जो तालिका अभी पेश की गयी है मांगों को उसमें मुख्य-मुख्य मांगों को सदन के सामने बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--यह काफी लम्बी लिस्ट है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल ललितपुर से आजमगढ़ जिले की अध्यापिका का स्थानान्तरण

*९--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, ललितपुर, जिला झांसी में कितनी अध्यापिकाएं हैं?

डाक्टर सीताराम--१७।

*१०--**श्री राम सुन्दर पांडेय**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का इस प्रकार का कोई आदेश है कि पति और पत्नी यदि सरकारी नौकर हैं, तो उन्हें सन्निकट रखा जाय?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये सत्तरह अध्यापिकायें जो इस पाठशाला में हैं, क्या इन में से कोई आजमगढ़ की भी अध्यापिका है?

नोट--तारांकित प्रश्न ६-८ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

डाक्टर सीताराम--राजकीय स्कूलों में तो ट्रांसफर किये ही जाते हैं। हो सकता है कि वहां आजमगढ़ की भी कोई अध्यापिका हो ?

अल्मोड़ा जिले के तरमोली ग्राम वासियों को पानी की सुविधा-हेतु सहायता

*११--**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा जिले में पट्टी रीठागढ़ के तरमोली ग्रामवासियों ने कुछ समय पूर्व अपने ग्राम के पीने के पानी की कठिनाई के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा था और उस सम्बन्ध में कुछ जांच भी करायी गयी थी ?

डाक्टर सीताराम--तरमोली ग्राम वासियों का पीने के पानी की कठिनाई के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र जुलाई, १९५४ में प्राप्त हुआ तथा जांच भी करायी गयी।

*१२--**श्री गोवर्धन तिवारी**--यदि हां, तो उन ग्रामवासियों को उसके लिये क्या सहायता प्रदान की गई है ?

डाक्टर सीताराम--नियोजन विभाग द्वारा ३०० रु० का अनुदान प्रदान किया गया है।

श्री गोवर्धन तिवारी--जांच करने के बाद क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि अल्मोड़ा में पानी का बहुत बड़ा कष्ट है ?

डाक्टर सीताराम--तभी तो रुपया दिया गया है ।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या वहां पानी पहुंचाने की कोई योजना बनी थी ? अगर बनी थी तो उसका एस्टीमेट कितना था ?

डाक्टर सीताराम--योजना बनी थी और उसका एस्टीमेट ६०० रुपया था।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि पानी का एस्टीमेट ६,००० से ज्यादा था और उसमें तीन सौ ही रुपया दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--अभी मैंने बतलाया है कि एस्टीमेट ६०० रुपया था और प्लानिंग कमेटी ने सिर्फ ३०० रुपया दिया।

नैनीताल के कालेजों को सहायता

*१३--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग ने नैनीताल के शेरउड, सैन्टजोजफ, रामजी एवं बिड़ला कालेजों को पिछले ३ वर्षों में क्या-क्या अनुदान दिये ?

डाक्टर सीताराम--

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
१--शेरउड कालेज	२८,७२३	९,३३५	३५,२६५
२--सेंट जोजफ कालेज	१८,८४९	१९,८६८	१९,४६४
३--बिड़ला विद्या मंदिर	--	१२,०००	१२,०००

नैनीताल में कोई रामजी कालेज नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन यूरोपीय प्रणाली पर चलने वाले कालेजों को ग्रांट देने के सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित नीति है ? अगर हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--हां, जो निश्चित नीति है उसी के अनुसार ये ग्रांट दी जाती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में बतलायेंगे कि यह नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं। नीति का सवाल बड़ा होता है। कोई बात खास आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो बिड़ला विद्यामंदिर को ग्रांट दी जाती है, क्या वह भी उसी नीति पर आधारित है, जिसके आधार पर शेरउड और सेंटजोजफ कालेजों को दी जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी नहीं। वह यूरोपियन स्कूल नहीं है, इसलिये उस नीति को उसके साथ नहीं बरता जाता।

बुलन्दशहर जिले में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

*१४--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् ५२-५३ व ५३-५४ में बुलन्दशहर जिले में कितना-कितना धन छात्रवृत्तियों में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--सन् १९५२-५३ में ६,४७५ रु० और सन् १९५३-५४ में ७,३०२ रु० दिया गया था। इसमें छात्र-वृत्तियों के साथ जो अनावर्तीय सहायता दी जाती है वह भी सम्मिलित है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अनावर्ती सहायता का आशय क्या है और वह इस रकम में जो १९५२-५३ और १९५३-५४ में बतायी गयी है कितनी है ?

डाक्टर सीताराम--अनावर्ती सहायता के माने हैं किताबों वगैरह के लिये जो दी जाती है। इस समय उसके आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो धनराशि बतलायी गयी है इसमें पिछड़ी और हरिजन जाति दोनों का वजीफा शामिल है या पिछड़ी जातियों का अलाहिदा है ?

डाक्टर सीताराम--सिर्फ पिछड़ी हुई जातियों का ही है।

राज्य में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१५--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ ई० में पिछड़ी जाति के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कुल कितने रुपये में सहायता दी गयी और उसकी जिलेवार संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम--१९५३-५४ में पिछड़े वर्ग के छात्रों में ६,७३,२३३ रुपये की छात्रवृत्तियां बांटी गयी थीं। उनकी संख्या जिलेवार संलग्न सूची में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२३ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने कोई कमेटी ऐसी बनाई है जो छात्र-वृत्तियों का निर्णय करे जो बी० ए० से ऊपर के विद्यार्थियों को दी जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम--जहां तक पिछड़ी हुई जातियों का सम्बन्ध है ऐसी कोई कमेटी हरिजन सहायक विभाग में नहीं है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो धन छात्रवृत्तियों के लिये दिया जाता है वह यहां से जिलेवार तकसीम करके दिया जाता है या किस रूप में वह जिलेवार बांटा जाता है ?

डाक्टर सीताराम—कक्षा ६ से लेकर १२ तक जिसकी संख्या माननीय सदस्य को दी गयी है वह निर्धारित कर के दी जाती है, लेकिन जहां तक बी० ए० और एम० ए० का प्रश्न है वह जिलेवार संख्या नहीं होती है, बल्कि यूनिवर्सिटी और कालेजेज वगैरह जहां जितने होते हैं उनकी संख्या को देखकर के वज़ीफ़ा दिया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार जहां से बी० ए० के ऊपर के विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है उसके सम्बन्ध में यहां कोई कमेटी बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी या कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—इस समय कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फ़रमा कर बतलायेंगे कि मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज में जो बेहना (नद्दाफ़) बिरादरी भी लिखी हुई है आज तक उस के तालिबइल्मों को भी कोई पैसा इस वज़ीफ़े से दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई सूचना तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीय मंत्री मेहरबानी फ़रमा कर बतायेंगे कि इसी गुजरे हुये साल के अन्दर यह शिकायत उनको दी गयी कि आज तक इस बिरादरी के किसी बच्चे को एक पैसा नहीं दिया गया और मिनिस्टर साहब ने उस पर ग़ौर किया तो क्या फ़ैसला फरमाया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मेरे पास एक पत्र आया था लेकिन तब वज़ीफ़े का वितरण हो चुका था। इस साल अभी वज़ीफ़े का वितरण नहीं हुआ है लिहाजा उस पर ख़याल किया जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस जाति के एक नुमाइन्दे को जिस वक्त फंड तकसीम हो बुला लिया जाय। इत्तिला हासिल करने के लिये इस पर भी कोई फैसला फरमाया मिनिस्टर साहब ने ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो बड़ा असम्भव-सा मालूम होता है कि हर एक जाति के लोगों को बुला लिया जाय। जैसा कि मैंने कहा इस बात का खयाल तो किया जायगा कि जितने बैकवर्ड क्लासेज हैं उनमें सुचारु रूप से छात्रवृत्तियों का वितरण हो, लेकिन यह असम्भव-सा मालूम होता है कि सब जाति के लोगों को उसमें बुलाया जाय।

कबाल टाउन्स में भीख मांगने वालों की संख्या

*१६—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार के पास कोई ऐसा रिकार्ड है जिससे भीख मांगने वालों की संख्या का ज्ञान हो सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। उत्तर प्रदेश आरफनेजेज ऐंड विडोज होम्स कमेटी ने सन् १९५०–५१ में प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकाओं के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। इसके अतिरिक्त सन् १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट वाल्यूम २, पार्ट १–बी, पृष्ठ २५८–६१ में भी ऐसी सूचना है।

*१७—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि KABAL Towns में भीख मांगने वालों की क्या संख्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--उक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार कबाल शहरों में भीख मांगने वालों की संख्या इस प्रकार है:--

कानपुर	१,६२२
आगरा (फिरोजाबाद तथा फतेहपुर सीकरी के सहित)	१,१३५
बनारस	२७६
इलाहाबाद	१२,४६३
लखनऊ	२,८००

*१८--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार Kabal टाउन्स में Beggars' Homes बनाकर भीख मांगने वाले वर्ग का अन्त करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--इलाहाबाद तथा लखनऊ में ऐसी संस्थाएँ हैं, लेकिन शेष तीन शहरों में नहीं हैं। वहां भी ऐसी संस्थाएं खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, हरद्वार, मथुरा आदि तीर्थ स्थानों में भी ऐसी संस्थायें खोलने का विचार किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी कृपया इन बेगर्स होम के ऊपर प्रकाश डालेंगे जो कि कबाल टाउन्स लखनऊ, इलाहाबाद वगैरा में खोले जा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं और विस्तार से नहीं कह सकता हूं और माननीय सदस्य मेरे पास आ जायेंगे तो मैं उनको इस रिपोर्ट की कापी दे दूंगा जिस के अनुसार यह खोले जा रहे हैं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि शहरों में कबाल टाउन्स के अलावा अन्य स्थानों में भी यह कोशिश की जा रही है और ऐसे होम्स खोले जा रहे हैं जहां पर अपंगु भिक्षुओं को आश्रय दिया जाय और उनकी देख-भाल की जाय और खाने वगैरह का प्रबन्ध किया जाय तथा उनसे कोई काम लिया जा सकता हो तो वह लेने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बावजूद इसके कि लखनऊ और इलाहाबाद वगैरा में बेगर्स होम्स हैं फिर भी क्या कारण है कि शहरों में ऐसे भिखारी हैं जिनको सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिल रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसमें दिक्कत यह है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर वह गिरफ्तार करके या जबर्दस्ती उनको यहां लाया जा सके। जो स्वेच्छा से आ जाते हैं उनको ही रख सकते हैं। जब ऐसा कानून बन जायगा तो उनको भी लिया जा सकेगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी सरकार के पास ग्रामों में भीख मांगने वालों के आंकड़े भी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस समय मेरे पास इनके आंकड़े तो नहीं हैं सम्भव है सेंसस रिपोर्ट में हो। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो बतला दिया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस में जो भिखमंगों की संख्या बतलाई गई है उसको फिर से बतला देंगे कि सही संख्या क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मेरे पास तो २६७ लिखा है और यह आंकड़े उस रिपोर्ट के हैं जिनका मैंने जिक्र किया है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां पर बेगर्स होम्स हैं, वहां बेगर्स होम्स में जाने के लिये खुशी से तैयार होते हैं या नहीं, अगर नहीं होते हैं तो उसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर——मैंने बतलाया कि कारण यही है कि कोई कानून न होने के कारण उनको हम मजबूर नहीं कर सकते हैं। उनके लिये कोशिश की जाती है और उनके लिए वह जगहें खुली हुई हैं, तब भी कुछ संख्या में वह वहां पर जाते ही हैं।

श्री मोहनलाल गौतम——मैं फिर अपने उसी प्रश्न को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि उसका उत्तर नहीं मिला। कायदे और कानून से तो हमको अधिकार नहीं है, लेकिन जहां पर बैगर्स होम्स हैं और खुशी से बैगर्स को उसमें ले जाने की कोशिश की जाती है तो वह जाने के लिये तैयार होते हैं या नहीं, अगर वह तैयार नहीं होते हैं तो उसका क्या कारण है?

आचार्य जुगलकिशोर——वह भीख मांगना ज्यादा पसन्द करते हैं बजाय किसी होम में जाने के।

श्री शिवनारायण——क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा कानून लाने का विचार करेगी जिससे प्रान्त में भीख मांगना खत्म हो जाय?

आचार्य जुगलकिशोर——जी हां, ऐसा कानून लाने का विचार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय जो बैगर्स होम्स स्थापित हैं उनमें भरती हुये भिखारियों की वर्तमान संख्या क्या है?

आचार्य जुगलकिशोर——उसकी संख्या तो इस समय मेरे पास नहीं है। अगर नोटिस दिया जाय तो मैं बतला सकता हूं।

राजनीतिक-पीड़ित छात्र शुल्क के घाटे की पूर्ति के लिए हमीरपुर जिला बोर्ड का प्रार्थना-पत्र

*१६——**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)——क्या राज्य सरकार का कोई ऐसा जी० ओ० है, जिसके अनुसार जिला बोर्डों को यह हिदायत दी गयी है कि वे राजनीतिक पीड़ित के आश्रित छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दें और इस प्रकार बोर्डों की आमदनी में जो कमी होगी उसका २/३ भाग सरकार पूरा करेगी और शेष बोर्ड स्वयं बरदाश्त करे?

डाक्टर सीताराम——जी नहीं, राजाज्ञा इस प्रकार है कि राजनीतिक पीड़ितों के समस्त आश्रितों को पूर्ण एवं अर्ध शुल्क की छूट देने की विशेष सुविधा प्रदान की जाय तथा इस मद की क्षतिपूर्ति शिक्षा विभाग द्वारा की जायगी।

*२०——**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**——यदि यह सही है, तो क्या सरकार को पता है कि हमीरपुर जिला बोर्ड को राजनीतिक-पीड़ित छात्र शुल्क के घाटे की पूर्ति के लिये अब तक कोई रकम नहीं दी गई है?

डाक्टर सीताराम——मामला विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किये थे यदि उनको आप पढ़ें तो स्पष्ट हो जायगा कि उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष——आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी——क्या सरकार इन छात्रवृत्तियों की पूर्ति करने में प्रतिशत का हिसाब रखती है? यदि हां, तो कितना?

श्री हरगोविन्द सिंह——जितनी भी फीस होती है वह सब उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——मेरा मंशा इस प्रश्न से यह था कि उत्तर में दिया गया है कि इस मद की छात्रवृत्तियां शिक्षा विभाग से सम्पूर्ण दी जाती हैं या बटे में?

श्री अध्यक्ष—सम्पूर्ण तो कहा है उन्होंने।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हमीरपुर का पूर्त्ति के लिये सरकार को कोई अनुरोध पत्र मिला है? यदि हां, तो कब?

डाक्टर सीतराम—जी हां, एक प्रार्थना-पत्र मिला और उस पर विचार हो रहा है।

वाल्मीकि नवयुवकों को उद्योग-धंधों में सहायतार्थ सरकारी आदेश

*२१—**श्री भगवानदीन वाल्मीकि** (जिला फतेहपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ और कानपुर जिले को इस वर्ष कितने रुपयों की सहायता अलग-अलग हरिजन नवयुवकों को उद्योग-धंधों के लिये दी गई और सहायता प्राप्त करने वालों में वाल्मीकियों की क्या संख्या है?

डाक्टर सीताराम—हरिजन नवयुवकों को उद्योग-धंधों के लिये सन् १९५४-५५ में निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई:—

	रु०
१—इलाहाबाद	४,२००
२—बनारस	३,६००
३—आगरा	११,२५०
४—लखनऊ	४,३५०
५—कानपुर	३,०५०

अनुदान पाने वालों में से वाल्मीकियों तथा अन्य मेहतरों की संख्या ८ है।

*२२—**श्री भगवानदीन वाल्मीकि**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश जिला हरिजन समितियों अथवा सूबे की सरकारी समिति को दिया गया था कि १९५४-५५ की उक्त सम्बन्ध की धनराशि में से अनुदान देते समय वाल्मीकियों का विशेष ध्यान रक्खा जाय? यदि हां, तो इस आदेश का कहां तक पालन किया गया?

डाक्टर सीताराम—जी हां। आदेश का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है।

श्री शिवनारायण—आगरा, लखनऊ और कानपुर के बीच में इतना अन्तर क्यों रखा गया है कि किसी को ११ हजार और किसी को ३ हजार ही दिया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जहां से जितने आवेदन-पत्र आते हैं उन पर विचार करके दिया जाता है। जिलेवार कोई संख्या निर्धारित नहीं है।

श्री शिव नारायण—प्रत्येक व्यक्ति को क्या रेशियो से रुपया दिया जाता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—भिन्न-भिन्न कार्यों की उपयोगिता समझकर और उसकी आवश्यकता समझकर अनुदान दिया जाता है।

*२३-२४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

मुसहरा जाति के विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए मांग

*२५—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुसहरा जाति के लोग हरिजनों की लिस्ट से अलग आदिवासियों की लिस्ट में बढ़ाये गये हैं।

डाक्टर सीताराम--इस प्रदेश में आदिवासियों की कोई लिस्ट नहीं बनायी गयी है। अतः मुसहरा जाति का ऐसी लिस्ट में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*२६--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**--यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासियों की तरह मुसहरों के सुधार और तरक्की के लिये किसी तरह की व्यवस्था करने वाली है?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता।

*२७--**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**--यदि हां, तो कब से और किन-किन जिलों में?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--जौनपुर, बनारस और इलाहाबाद में जहां मुसहरा जाति के लोग अधिक रहते हैं उनके किस हरिजन लिस्ट में या किस सहायता प्राप्त लिस्ट में नामदर्ज करने की कोशिश हो रही है?

डाक्टर सीताराम--बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन के सामने यह प्रश्न है और उनकी रिपोर्ट आने पर ही विचार हो सकेगा।

श्री बाबूनन्दन--क्या अभी तक मुसहरा जाति को शिक्षा इत्यादि में सरकार की ओर से कोई सहायता दी जाती है?

श्री हरगोविन्दसिंह--हां, इस बात की कोशिश की जाती है कि उन्हें वही सुविधायें दी जावें, जो हरिजनों को प्राप्त हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को मालूम है कि जब शैड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तो उसमें मुसहरों के छात्रों के प्रार्थना-पत्रों पर नहीं विचार किया जाता है, क्योंकि वे शेड्यूल्ड कास्ट में दर्ज नहीं हैं, हालांकि उनकी अवस्था उनसे भी गयी गुजरी है?

डाक्टर सीताराम--मुसहरा जाति के आवेदन-पत्रों पर इसलिये विचार नहीं किया जाता है कि प्रेसीडेंट ने जो ६३ जातियों की सूची रखी है उसमें उनका नाम नहीं है और बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट आने पर कुछ तय होगा कि उनको वे सुविधायें दी जावें या नहीं?

*२८-२९--**श्री तुलाराम** (जिला इटावा)--[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बेकारी दूर करने के लिए भारत सरकार से मांगी गई धनराशि

*३०--**श्री गेंदासिंह**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने बेकारी दूर करने के लिये, कुछ योजनाओं पर खर्च करने के लिये केंद्रीय सरकार से कर्ज या सहायता के रूप में धन मांगा है? यदि हां, तो वह योजनायें क्या हैं, उन पर पृथक्-पृथक् कितने रुपये की मांग की गयी है?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। योजनाओं की सूची मेज पर रख दी गयी है जिसमें प्रत्येक योजना के अन्तर्गत मांगी गयी धनराशि के आंकड़े दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२४-२२५ पर)

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कुल रकम जो दिखायी गयी है उसमें कितनी खर्च के रूप में और कितनी सहायता के रूप में मांगी गयी है?

आचार्य जुगलकिशोर--नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसम से कितनी रकम अब तक केन्द्रीय सरकार से मिल चुकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैं ठीक तौर से नहीं कह सकता । यह सभी मिल गयी है या प्राप्त होने की स्वीकृति मिल चुकी है ।

*३१-३२--**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)--[१६ सितम्बर, १६५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले में हिंडन व जमुना के खादर में पेय जल का अभाव

*३३--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में हिंडन व जमुना के खादर में जनता को पानी पीने की कठिनाई है ? यदि हां, तो सरकार खादर के गांवों में पानी की सुविधा देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--कोई विशेष कठिनाई नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र विकल--यह जांच उन्होंने किस विभाग द्वारा करायी है जो यहां पश की गयी है ?

डाक्टर सीताराम--डी० पी० ओ० के द्वारा ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार इस प्रश्न को शिकायत के रूप में समझ कर पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां ५ कुएं बन रहे हैं, जिनमें २ तो तैयार हो गये हैं, २ बन रहे हैं और एक का प्रश्न विचाराधीन है ।

पाठशालाओं में कृषि विषय खोलने के लिये फैजाबाद जिले में मुख्य मंत्री कोष में एकत्रित धन का व्यय

*३४--**श्री राजाराम मिश्र** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वर्ष पाठशालाओं में कृषि का विषय खोलने के लिये आयोजित मुख्य मंत्री कोष में फैजाबाद जिले में कुल कितना धन जमा हुआ तथा उसमें से कितना व्यय हो चुका और किन कार्यों में ?

	रु०	आ०	पा०
श्री हरगोविन्द सिंह--कुल धन जमा	.०,३२३	१२	३
कुल व्यय	८,३६७	४	३
व्यय का विस्तृत विवरण निम्नांकित है--			
१--कृषि औजार	२,६३२	२	६
२--भूमि सुधार व्यय	१,१०७	६	६
३--सिंचाई	२,४१०	१३	६
४--बीज एवं पौधे	१,४०६	१	६
५--मिश्रित व्यय	८१०	८	६
कुल योग	८,३६७	४	३

"श्रम हितकारी" चल-चित्र पर व्यय

*३५--**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम हितकारी केन्द्रों पर जो चल-चित्र तैयार हैं उनमें लागत कितनी लगी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--श्रम हितकारी केन्द्रों पर केवल एक चल-चित्र 'श्रम हितकारी' का निर्माण किया गया है। उसके निर्माण में १०,४८८ रु० व्यय हुआ है।

श्री रामहेत सिंह--वह चल-चित्र जो बनाया गया वह अब तक कहां-कहां और किन-किन श्रम हितकारी केन्द्रों में दिखाया गया है?

आचार्य जुगलकिशोर--इसकी सूचना चाहिये।

हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान

*३६--**श्री चुन्नी लाल सगर** (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में जिला बदायूं में कितने हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता दी गयी?

डाक्टर सीताराम--जिला बदायूं में सन् १९५३-५४ में केवल दो हरिजनों की दरख्वास्तें आयीं जिनमें से एक उपर्युक्त हरिजन को ३०० रु० का अनुदान कुटीर उद्योग हेतु प्रदान किया गया तथा सन् १९५४-५५ में आठ हरिजनों को कुल २,४०० रु० का अनुदान दिया गया।

श्री चुन्नीलाल सगर--प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि ५३-५४ में ३०० रुपया एक को दिया गया और ५४-५५ में २,४०० रुपया ८ में वितरित किया गया, तो इस रुपये में से कितना रुपया वितरित हो चुका है और अगर नहीं हुआ तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह--ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन आशा की जाती है कि रुपया वितरित हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा, तो होता होगा।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति को एक पैसा भी नहीं मिला है और क्या सरकार इस रुपये को शीघ्र वितरित कराने पर विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह--मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि इस समय इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर नहीं हुआ होगा तो जल्द ही हो जायगा।

*३७-३८--**श्री चुन्नीलाल सगर**--[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बनारस व मिर्जापुर जिलों में बियार जाति के लोगों को सहायता की आवश्यकता

*३९--**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर की चुनार तहसील के पूर्वी भाग में और बनारस जिला की चन्दौली तथा चकिया तहसील में अधिक संख्या में बियार जाति बसती है?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*४०--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या यह सही है कि इन जातियों को अछूतों सी सुविधायें सरकार द्वारा नहीं दी जातीं?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*४१--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या सरकार इनकी शिक्षा गृह निर्माण आदि के लिये आर्थिक सहायता करने पर विचार करेगी?

डाक्टर सीताराम--यदि वियार जाति पिछड़े वर्ग कमीशन भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति घोषित कर दी जायगी तो इस जाति को पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध हो जायंगी ।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वियार जाति इस वक्त किस वर्ग में शुमार की जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जैसा उत्तर में कहा गया है, अभी उसका वर्गीकरण नहीं हुआ है, लेकिन पिछड़ी हुयी जातियों में तो वह पहले से ही शुमार की जाती है ।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या यह सही है कि पिछड़े वर्ग की सहायता भी उसको प्राप्त नहीं हुयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--पिछड़ी जातियों में उसे सहायता दी जाती है । अगर उसका कोई आवेदन-पत्र आया होगा तो जरूर ही उस पर विचार किया गया होगा और अगर आयन्दा भी कोई आवेदन-पत्र आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

बस्ती, मुंडेरवा तथा खलीलाबाद चीनी मिलों के मजदूरों को सुविधायें

*४२--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलग-अलग बस्ती, मुन्डेरवा तथा खलीलाबाद चीनी मिलों में मजदूरों के लिये अब तक कितने-कितने क्वार्टर बनवाये गये हैं और मजदूरों को कौन-कौन सी सुविधायें दी गयी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--चीनी मिल मजदूर आवास योजना के अन्तर्गत बस्ती, मुन्डेरवा तथा खलीलाबाद मिलों में क्रमशः १५,११ व ७ क्वार्टर बनाने हैं । बस्ती तथा मुन्डेरवा में कुल क्वार्टर बनकर तैयार हो गये हैं । खलीलाबाद में इन क्वार्टरों के निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है, परन्तु वे अभी पूर्णरूप से तैयार नहीं हुये हैं । प्रश्न का दूसरा खंड अस्पष्ट है, अतः कोई उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जितने मजदूर मिलों में काम करते हैं क्या ये क्वार्टर्स उनके लिये पर्याप्त हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--चीनी मिलों में जो मज़दूर काम करते हैं उनके लिये ये क्वार्टर्स बनाये गये हैं ।

श्री राजाराम शर्मा--दूसरे खंड में आपने सुविधायें बतायी हैं उसमें यह साफ नहीं है कि उनको पढ़ाई-लिखाई, दवादारू और बोनस की क्या सुविधायें हैं ?

श्री अध्यक्ष--आप साफ़-साफ प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री राजाराम शर्मा--जो मजदूर मिलों में काम करते हैं उनको पढ़ने-लिखने, दवा-दारू और बोनस की क्या सुविधायें हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस प्रश्न से मालूम होता था कि उनको बिजली आदि की क्या सुविधायें हैं तो उनको बिजली, पानी और ड्रेनेज आदि की सुविधायें दी गयी हैं । जितनी अन्य सुविधायें हैं वह वेलफेयर सेन्टर्स द्वारा दी जाती हैं ।

आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर जिलों में सहायता प्राप्त स्कूल तथा पुस्तकालय

*४३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ देवरिया और जौनपुर जिले में हरिजन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त कितने कितने स्कूल और पुस्तकालय हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र क में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२६ पर)

*४४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर की इन संस्थाओं को वित्तीय वर्ष १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र ख में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २२७ पर)

*४५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की कुछ संस्थाओं की सहायता कुछ कम कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। हरिजन कन्या पाठशाला ऊहरौली, हरिजन पाठशाला, भुजही तथा हरिजन पाठशाला, बड़ी करौली, चार पाठशालाओं को चल वित्तीय वर्ष में गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अनुदान कम मिला है। कन्या पाठशालाओं के अनुदान में कमी का कारण यह है कि वहां छात्राओं की संख्या कम हो जाने के कारण एक-एक दाई की जगह कम कर दी है। हरिजन पाठशाला भुजही में गत वर्ष एक अध्यापक को कुछ वेतन अधिक दे दिया गया था। जो इस साल घटा दिया गया है। हरिजन पाठशाला करौली में एक नया अध्यापक आया है जिसको वेतन कम देना पड़ता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विवरण-पत्र की संख्या 'क' के अनुसार जो आजमगढ़ में २४, देवरिया में ५७ और जौनपुर में ६ पाठशालाएं स्थापित हैं, वे आबादी के लिहाज से स्थापित हैं या किसी और कारण से ?

डाक्टर सीताराम--यह सब इसलिये अधिक देवरिया में और वहां पर दिखलाया गया है कि जब यह डिपार्टमेंट एजूकेशन डिपार्डमेंट के अन्दर में था तो सन् ५२ से पहले वहां पर संस्थाएं ज्यादा थीं। अतः उनकी संख्या अगर अनुपात से देखी जाय तो आजमगढ़ में देवरिया या जौनपुर के मुकाबले में कम संस्थायें नहीं हैं।

बी० ए० तथा एम० ए० कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*४६--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या यह सच है कि ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सभी हरिजन छात्रों को सरकार अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देती है ?

डाक्टर सीताराम--उन छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते हैं। दूसरे बजट में एक निश्चित धनराशि छात्रवृत्तियों के लिये रहती है। इस तरह छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित रहती है।

*४७--श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन करने वाले कितने छात्रों ने वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेजे और कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं।

डाक्टर सीताराम--४५० आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और ४३५ हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

श्री पुत्तूलाल--क्या यह सच है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के लिये जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको अनिवार्य रूप से वजीफा देने के लिये एक सरकारी आदेश भी हो चुका है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां। पालिसी तो यही है कि जितने डिजर्विंग स्टुडेंट्स हों उन सबको छात्रवृत्ति दी जाय।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिन ४३५ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रान्त से स्वीकृत हुई उनमें से अधिकतर छात्रों को केन्द्रीय सरकार ने भी छात्रवृत्ति दी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--किसी को दो छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं। यदि उनको केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति मिल जाती है तो यहां की छात्रवृत्ति बन्द हो जाती है और अगर यहां पर मिल जाती है तो केन्द्रीय सरकार वाली बन्द हो जाती है।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जो छात्रवृत्तियां खाली बच जाती हैं उनके बचे हुये रुपये को किस प्रकार से खर्च किया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--वह हरिजनों के कार्य में ही खर्च होता है, चूंकि उसी बजट का वह एक अंग होता है।

धर्मादे की रकम का व्यय

*४८--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रही है कि व्यापारियों द्वारा धर्मादे की जो रकम एकत्रित होती है उसका उचित उपयोग हो ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह प्रश्न समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को मालूम है कि आज से लगभग ५ वर्ष पहले इस सदन में एक असाधारण बिल धर्मादा बिल के नाम से प्रस्तुत किया गया था और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द धर्मादा के सम्बन्ध में कानून इस सदन द्वारा बनाया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--सम्भव है ऐसा बिल पहले पेश किया गया हो या ऐसी बात कही गयी हो, लेकिन मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और न कोई बिल ही इस तरह का इस वक्त तैयार है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस किस्म की बात मैंने कही थी और धर्मादे के सम्बन्ध में काफी विचार हुआ, लेकिन इस प्रश्न पर जितना ही विचार करते हैं वह उतना ही टेढ़ा मालूम होता है, इसलिये चूंकि धर्मादा किसी कानून के अनुसार वसूल नहीं किया जाता। वह व्यापारी लोग वसूल करते हैं और यह सही है कि वह अपनी तरफ से मनमानी तरीके से खर्च करते हैं और खयाल ऐसा है कि यदि कोई रोक-थाम उसमें की जाय तो वह उसको वसूल करना बन्द कर देंगे और इस वक्त जो कुछ धर्मादे से धार्मिक संस्थाओं या शिक्षा संस्थाओं को मिलता है वह भी बन्द हो जायगा, इसलिये कानून के द्वारा कोई चीज करना संभव नहीं है। इसलिये धर्मादे के विषय में अभी तक कोई कानून नहीं लाया जा सका है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन यह प्रश्न कब से आया और कब तक रहेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--जब से समाज कल्याण विभाग खुला है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद भी इस सवाल को विचाराधीन रखा जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कठिनाइयां बतायी हैं, उनको कैसे दूर किया जाय इस पर विचार किया जायगा।

आजमगढ़ जिले की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थायें

*४९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में लड़कियों के ऐसे कौन-कौन विद्यालय हैं जिन्हें राजकीय सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम--(१) श्री अग्रसेन आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़।

(२) मदरसा निसवां कन्या जूनियर हाई स्कूल, पहाड़पुर, आजमगढ़।

*५०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन से हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिन्हें मान्यता तो प्राप्त है पर राजकीय सहायता नहीं मिलती ?

डाक्टर सीताराम--एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२८ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों कन्या पाठशालाओं को अलग-अलग वार्षिक सहायता कितनी मिलती है ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि इन तीनों हायर सेकेन्डरी स्कूल्स, सी० बी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, तिरवा, आजमगढ़, श्री शंकर जी हायर सेकेन्डरी स्कूल, पुष्पनगर, आजमगढ़ और बृजपाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, तिरहन, आजमगढ़ को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसके लिये सूचना चाहिये, लेकिन इस सूची में उनका नाम है इससे ज्ञात होता है कि उनको अब नहीं मिलती।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सूची में जो स्कूल और हैं, पटेल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरौलिया और गांधी गुरुकुल हायर सेकेन्डरी स्कूल, भंवरनाथ, आजमगढ़ उनको सन् १९५२ में ही मान्यता प्राप्त हो गई थी और उस के बाद बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली उनको एड दी जा रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि सन् ५२ वालों को सहायता नहीं दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--सहायता तो जो लिस्ट पर आ जाते हैं उनको दी जाती है और जो नहीं आते उनको नहीं दी जाती, इसका मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसको मान्यता मिल जाय उसको पहले एड मिल जाय ऐसी बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एडेड लिस्ट पर आने की कौन विधि है और किस तरह से स्कूल उसमें रखे जाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--कुछ संस्थाएं बोर्ड ने रखी हैं वह पूरी की जाती हैं, कुछ शिक्षा विभाग द्वारा उन मान्यता प्राप्त स्कूलों की सिफारिश होती है कि उनको ग्रान्ट-इन-एड लिस्ट पर रखा जाय, उसी के अनुसार लिस्ट तैयार होती है।

अतारांकित प्रश्न

हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले सुपरवाइजरों एवं आर्गनाइजरों के कार्य का बटवारा

१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने दिनांक १ मई, १९५२ को किसी आदेश द्वारा इस विभाग में काम करने वाले सुपरवाइजरों एवं आर्गनाइजरों के कामों का बटवारा किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां।

२--श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २२९-२३२पर)

वेश्याओं को नगर के बाहर रखने का सुझाव

३--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--यह सच है कि सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि वेश्यायें एक ही जगह पर शहर के बाहर रक्खी जायं ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

बस्ती जिले में मोमिन अन्सार लड़कों को छात्रवृत्ति

४--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में मोमिन अन्सारों के लड़कों को कितने रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सन् १९५३-५४ में ६४८ रु० और सन् १९५४-५५ म १,६८० रु०।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने श्री सम्पूर्णानन्द जी की सरकार पर, जो उनकी कृषि नीति है, जो उनकी औद्योगिक नीति है............

श्री अध्यक्ष--आप तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं.............

श्री राजनारायण--मैं उतना ही कह रहा हूं। हमने तो उनकी कृषि, औद्योगिक, सामान्य प्रशासन, बाढ़ की रोकथाम आदि की जो अपूर्ण नीति रही है उनकी तमाम नीतियों के विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप ने क्या......

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं सोचता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार करने के पहले कम से कम हम लोगों को आप यह अवसर देंगे कि हम इस तरह के अहम प्रस्ताव पर आपस में भी विचार विनिमय कर लें। तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इस प्रस्ताव पर मत मांगें तो फिर हमें अवसर जरूर मिलना चाहिये कि हम इस पर विचार करें। मुमकिन है कि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय। तो फिर पास हो जाने के बाद कौन-सी सरकार बने, किस तरह से उसका काम चले, इन सारी बातों पर कम से कम हम विचार कर लें। इतना अवसर आप हमें दें।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण के उठने पर) आप कृपा कर के बैठ जायं। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

नियमावली में यह दिया हुआ है कि प्रश्नोत्तर होने के पश्चात् अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव लाना चाहे तो उसकी सूचना दे और मुझसे अनुमति ले। यह अनुमति के लिये मेरे पास आया है। लेकिन यह बिलकुल ग्यारह बजे के करीब चार पांच मिनट पहले--दो मिनट पहले हमारे सचिव के पास नोटिस आयी है, और लम्बी नोटिस है। मुझे निश्चय करना है कि मैं कोई अनुमति दूं या न दूं क्योंकि नियम १४६ में "विद दि कंसेंट आफ़ दि स्पीकर" दिया हुआ है, जब मैं अनुमति दे दूं तब यह पेश किया जा सकता है। अवैध है या वैध है, इस विषय में मैं अभी तत्काल कोई निर्णय नहीं कर सकता हूं। इस लिये मैं इस विषय को सदन की बैठक का जो दूसरा रोज होगा उस रोज लूंगा।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार-(क्रमागत)

†श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा जौनपुर जिले की हालत कल सदन के सामने पेश की थी। जौनपुर में हर तहसील में जैसा कि मैंने आप से कहा हमारे यहां एक तहसील किराकत है, जहां सई और गोमती नदियों का संगम है। वहां ६ मील के घेरे के अन्दर करीब-करीब डेढ़ दो सौ गांव पड़ते हैं और हर गांव की हालत यह थी कि सौ में पचास मकान नदी के क्षेत्र में गिर हुए पड़े हैं। दूसरी तहसीलों में, मछलीशहर के पूरे क्षेत्र में सई के प्रकोप से हर गांव की हालत बड़ी खराब है। सई नदी में गांव डूब गये हैं। मछलीशहर के दक्षिणी क्षेत्र में जहां पर बादशाहपुर का एक ताल है, उसके करीब दो ढाई सौ गांवों की हालत बहुत खराब है। जिले में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी हालत शोचनीय न हो। हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री जी जिस दिन पहुंचे, उनकी ताकत और उनके भाषण से जिले की जनता ने यह आशा कर ली कि अब जौनपुर की जनता का उद्धार हो जायगा और हुआ भी और हो रहा है। इसके लिये कोई अपनी अलग राय नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं माल मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जितने प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, उनमें ८५ फीसदी या तो धराशायी हैं या उनकी छत बिलकुल टूट फूट गयी है। हायर सेकेन्डरी स्कूल जो किसी तहसील में हैं उनका आधा हिस्सा या दो चार कमरे उस जमीन के अन्दर दिखायी दे रहे हैं, जहां न बैठने का स्थान है न छात्रों के रहने का कोई ठिकाना रह गया है। मड़ियाहूं और किराकत तहसीलों में, मार्च के महीने में तीन सौ गांवों में ओला पड़ा और रबी की सारी फसल बरबाद हुई थी। वहां की जनता एक तरफ तो बाढ़ से और दूसरी तरफ ५ साल का सूखा और तीसरी तरफ ओला से अत्यन्त ग्रसित हो जाने के कारण क्रय-शक्ति और विक्रय-शक्ति से बिलकुल विहीन है। मैं माल मंत्री महोदय से अपील करता हूं और इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि जौनपुर जिले के प्रत्येक गांव के साथ यदि पूर्णरूप से सहानुभूति न हुई तो हमारी हालत बहुत खराब हो जायगी। वहां की जनता सरकार की तरफ उनकी सहायता को देख कर हर क्षण ध्यान लगाये बैठी है कि किसी तरह से हमारी सहायता हो। शहरों में सहायता पहुंच रही है, तहसीलों के किनारे जो गांव हैं उनमें भी सहायता के रूप में सरकार की तरफ से गल्ला बांटा जा रहा है लेकिन जहां २५ हजार रुपया अनाथों को मकान बनवाने के लिये दिया गया है वह बहुत नाकाफी है। जौनपुर जिले में कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जहां हरिजनों के मकान न गिर गये हों। आधे हरिजन तो ऐसे हैं जिनके मकान, चाहे वह जहां भी हों, गिर गये हैं। गोमती, सई और बरूना नदी के किनारे के सब मकान गिर गये हैं। तकावी का रुपया वहां दिया

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है लेकिन वहां गरीबों और हरिजनों को अधिक रुपया बिला किसी सूद के और कर्ज के मुफ्त में देना चाहिये।

चारे की वहां इतनी कमी है कि यदि १०० वैगन भूसा वहां भेजा जाय तो शायद पशुओं का किसी तरह निर्वाह हो सके। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कच्ची सड़कें हैं जिन पर किसी व्यक्ति के लिये सवारी लेकर जाना एक बड़ी दिक्कत की बात है। मैं माल मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वहां टेस्ट वर्क इस तरह का चालू करें कि कच्ची सड़कों पर यातायात चालू हो सके और उससे लोगों का जीवन निर्वाह हो। इसके अलावा मैं माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे जिले के बाढ़-पीड़ित किसानों का लगान मुल्तवी न करें बल्कि माफ कर दें नहीं तो वहां के किसानों की हालत बड़ी चिन्ताजनक हो जायगी।

†श्री अध्यक्ष--अब मैं ५ मिनट भाषण के लिये दूंगा।

श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)--अध्यक्ष महोदय, पानी और सैलाब के मुताल्लिक हम लोग बहुत अंधेरे में हैं। जब तक हमारी यह रहनुमाई न हो कि पानी कब बरसेगा। कितना बरसेगा और कहां बरसेगा तब तक खेती-बारी का काम और घर वगैरह का काम ठीक नहीं हो सकता है। सेंटर में यह सब जानने के लिये एक महकमा है। पंडित जवाहर लाल जी जब सुल्तानपुर आये थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो एक महकमा कायम किया है कि जो हमें बतला सके कि पानी कब, कहां और कितना बरसेगा। उन्होंने कहा कि इस महकमे ने जितना बतलाया वह सब गलत हुआ। तो ज्योतिषियों की बात गलत हुयी, इस मुहकमे की बात गलत हुयी और हम जनता को यह कह कर अपना दामन छुड़ा नहीं सकते कि खुदा को यही मंजूर है, परमेश्वर यही चाहता है। तो जब तक हम इस अंधेरे से बाहर न आयें और यह जान न सकें कि पानी कब बरसेगा, कहां बरसेगा और कितना बरसेगा तब तक हम अच्छी तरह खेती-बारी नहीं कर सकते और न सही घर द्वार बना सकते हैं। आज जो बारिश हो रही है उसका मुकाबिला हमारे गांव किसी तरह नहीं कर सकते और जो हमारी खेती-बारी का सिलसिला है उसमें हमें अगर ऐसा ही रहा तो तब्दीली करनी होगी इसलिये कि जैसे सोवा है या काकुन है यह बहुत थोड़ा पानी चाहती है। हमारे लिये सबसे जरूरी चीज यह है कि हम इसका पता लगायें कि पानी कहां बरसेगा और कितना बरसेगा और जब तक हम यह नहीं कर सकते तब तक हम अपना रहन-सहन और खेती-बारी ठीक तरह से नहीं कर सकते।

कुछ लोग यह कहते हैं कि अमरीका और रूस ने जो समुद्र में ऐटम का तजुर्बा किया है उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है। अगर यह सही है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर यह सदा के लिये होने वाला है तो उसके लिये हमको सचेत हो जाना चाहिये और अपने लिये आगाही लेनी चाहिये। तो इस वक्त जो घर गिरे हैं वे घर ऐसे थे कि जिनमें आदमी से ज्यादा कीड़े और बिच्छू रहा करते थे। तो इन घरों को अगर आप तकावी के जरिये से बनाना चाहते हैं तो वे आदमियों के रहने के लायक नहीं थे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तीन सीजन होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात और बरसात का ही सीजन वह है जो हमारे लिये मौसम बहार लाता है। लेकिन जब देहात में पानी बरसता है तो उन लोगों को इस बहार का कोई लुत्फ नहीं। आप गौर कीजिये कि वे घर गिर गये हैं और तकावी देकर आप वैसे ही घर बनायेंगे तो हर साल ऐसा ही होगा। पहले तो यह होना चाहिये कि कोई बस्ती नशेब में न बने, दूसरे यह कि कोई मकान कच्चा न बने, हर मकान पुख्ता बने इसलिये कि गरीबों को भी दुनियां में रहकर आशाइस और आराम का हक है और आप कहते भी हैं कि हम गरीबों का रहन-सहन ऊंचा करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिये जितने भी मकान वगैरह हैं उनकी प्लानिंग कीजिये और हर जगह पर पक्के मकान बनाइए ताकि उन मकानों में जो कीड़े और बिच्छू रहा करते थे और आदमी से ज्यादा इनकी आबादी होती है, वह मिटे। इससे फायदा होगा। एक तो यह कि हम प्रकृति

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नाजिम अली]

का मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे, दूसरे यह कि हम लोग अपनी मदद आप करना सीखेंगे। तो मुझे यह कहना था कि तीन कारण हैं एक तो यह कि हमको यह पता लगाना है कि पानी कब बरसे और कितना बरसे उस हिसाब से घर होने चाहियें, पुख्ता होने चाहिये, नशेब में मकान न बनें और जो मकान वगैरह हैं वे पुख्ता होने चाहियें, प्लानिंग होनी चाहिये और नक्शे से बनने चाहिये।

श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार के माल मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी को जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में उन्होंने सहायता की घोषणा की है उसके लिये बधाई देते हुए बनारस जिले का चित्र भी सदन के सामने रख देना जरूरी समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, बनारस जिला यों जैसे हमारे पड़ोसी जौनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों की बाढ़ का चित्र अखबारों में आया और जिन लोगों ने अपनी आंखों से उसे देखा उस रूप में। बनारस की नदियों का वैसे चित्र नहीं रहा। लेकिन इतना बता देना जरूरी समझता हूं कि बनारस से जौनपुर को बर्बाद करती हुयी गोमती नदी ने अपनी सहायक नदी सई के साथ बनारस में प्रवेश किया और उसकी शाखा नाद नदी का जहां तक फैलाव था उसका पानी फैल करके गांव में फैल गया। ऐसे ही बरना नदी की सहायक नदियां मोरवा और झोखा इन दोनों नदियों ने अपने पानी को इतना बाहर कर दिया कि उससे गांव की तमाम फसल और गांव के बहुत से मकानात को हानि पहुंची। चन्दौली तहसील में चन्द्रप्रभा और गड़ई नदियों ने एक उग्र रूप धारण करके उस हिस्से को भी बर्बाद किया, हालांकि गंगा नदी में बाढ़ का कोई असर नहीं रहा। लेकिन फिर भी बनारस जिले की जो स्थिति है उसका कुछ सरकार के सम्मुख वर्णन करते हुये बतला देना जरूरी समझता हूं कि बनारस जिले को पक्की सड़कों और रेलवे लाइनों के जरिये से उनमें कई बांध बने हुये हैं जिन बांधों से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह बांध जिस जमाने में बने हैं उस जमाने में वर्षा का अन्दाजा करके पुल और पुलियां बनी हैं। मैंने खुद एस०डी०ओ०, तहसीलदार और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और नहर विभाग के अधिकारियों के साथ कई क्षेत्रों का दौरा किया और वहां नाप करके पानी देखा गया कि जिस तरफ पानी का बहाव था उधर पानी तीन फुट नीचा और दूसरी तरफ तीन फुट ऊंचा रहा और उसका कारण यह था कि पानी के निकास के रास्ते ठीक नहीं हैं। यही कारण था कि बनारस जिले की इंच-इंच भूमि पानी से भर गयी थी। कोई भी फसल नहीं बची। मैंने एक छोटे से गांव में जाकर वहां सर्वे किया और सर्वे करने पर मालूम हुआ कि उस गांव का रकबा ७०० एकड़ का था, और आबादी ७००, लेकिन वहां केवल मक्के की फसल का दो हजार मन का नुकसान हुआ है जिसमें उनके लिये बीज का भी ठिकाना नहीं रहा। ऐसी ही हालत जिले भर की फसल की हुयी है। चारे के लिये त्राहि-त्राहि मची हुयी है और खाने के लिये भी क्योंकि, जो इधर सावां और मक्का होता जिससे कि लोगों की गुजर होती, उसमें एक छटांक भी होने की आशा नहीं है। सब किसान परेशान हैं और परेशान है सारे जिले की जनता। यह परेशानी दूर करने की आवश्यकता है। हालांकि चाहे बाढ़ आये न आये, लेकिन अधिक पानी बरसने से इतना नुकसान हो जाया करता है कि जितने ताल-तलैया वहां हैं सब बिलकुल पानी में डूब जाते हैं। केवल भदोही में दस ताल हैं और चन्दौली में रायल ताल और बनारस तहसील में मछहा और सेहदा ताल है इन तालों में इतना पानी भर गया कि वह सारे गांव में फैल गया और वह गांव डूब गये, उनकी फसलें बर्बाद हो गयीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जितनी दयनीय दशा नदी के किनारे के गांवों की रही वैसे ही शोचनीय दशा इन गांवों की भी हो गयी है। मैं यह मानता हूं कि नदियों के किनारे के गांवों के मकानात गिर गये और उनमें चीजों का नुकसान हुआ, लेकिन फसलों का नुकसान बनारस जिले के गांवों का उन गांवों से कम नहीं हुआ है।

†श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने दिनों के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया है,

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे थोड़ा सा ही कहना है, समय भी कम है। माननीय मंत्रीजी ने पहले दिन कहा था कि बाढ़के लिये किसान इच्छुक रहता है और चाहता है कि बाढ़ आये। मेरठ का किसान भले ही इच्छुक रहता हो और चाहता हो कि बाढ़ आये, लेकिन देवरिया का किसान कभी नहीं चाहता कि बाढ़ आये। चूंकि मेरठ बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर पानी की कमी है इसलिये वह चाहता होगा कि बाढ़ आ जाय लेकिन बदकिस्मती से हम देवरिया के रहने वाले कभी भी बाढ़ नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ थोड़े से मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव थोड़े पैसे से पूरे हो सकते हैं। एक तो कसली नाले पर जो पुल है उसमें फाटक लगा दिया जाय तो ५०० एकड़ जमीन बच सकती है। पिंडी में जो पुल बना हुआ है उसमें भी फाटक लगा दिया जाय तो उससे भी हजारों एकड़ जमीन बच सकती है। चुरिया और मायापुर के बीच में जो ताल है वह करीब २,००० एकड़ का ताल है, उसमें अगर फाटकदार पुल बनाया जाय तो २,००० एकड़ जमीन की खेती बच सकती है। उसी तरह से गढ़वा में फाटक लगवा दिया जाय तो उससे भी बहुत काफी भूमि बाढ़ से बचायी जा सकती है। परासी चकलाल में एक फाटक लगा दिया जाय तो आपकी कम से कम २,५०० एकड़ जमीन बाढ़ से बच सकती है। रावतपार घाट से लेकर चुरिया तक जो छोटी गंडक चली गयी है उसमें बांध ऊंचा कर दिया जाय तो १०,००० एकड़ जमीन बच सकती है। इस तरह से हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। साथ ही साथ नदौलीखी, चुरिया और भागलपुर गांव जो कट रहे हैं, उनके लिये जैसे बलिया को बचाने के लिये ठोकर बनाये गये हैं वैसे ही ठोकर बना दिये जायं तो यह हजारों की तादाद में जो लोग बाढ़ से ग्रस्त होते हैं और जो गांव के गांव कटते चले जा रहे हैं इन गांवों की रक्षा हो सकती है। सरकार जब कुछ सहायता करती है तो भिखमंगों की तरह से थोड़ा-सा चना, गुड़ और दियासलाई या नमक बांटा जाता है। यह हम नहीं चाहते। हमारे यहां आबादी बहुत घनी है। वहां १ वर्गमील में ११०० आदमी बसते हैं। हम चाहते हैं कि हम को काम दिया जाय। वहां के लोग काम चाहते हैं। वह आसाम के चाय के बगीचों में काम कर सकते हैं, कोलियरी में काम कर सकते हैं, दुनियां के कोने कोने में जाकर काम कर सकते हैं, यह सरकार जहां भी चाहे उनको काम दे, यह नहीं कि एक दिन के लिये काम दिया और १० दिन के लिये हटा दिया जाय। हमारे यहां टेस्ट वर्क्स पारसाल और और साल भी हुए। अगर इस साल भी काम देते हैं तो अब भी हजारों नहीं कई हजार की तादाद में लोग काम करने के लिये तैयार हैं। आजकल के जमाने में आठ आने, छः आने, पांच आने कोई बड़ी भारी मजदूरी नहीं है लेकिन फिर भी हर साल लोग काम करने के लिये आते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है और यह भी कहना है कि पूर्व के किसान कभी भी बाढ़ के इच्छुक नहीं हैं, पश्चिम के किसान भले ही इच्छुक हों कि बाढ़ आये।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में कल से जो यहां पर लोगों के विचार प्रकट हो रहे हैं और विशेष कर माननीय मंत्री जी के, उनको मैंने बड़े गौर से सुना। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जो भाषण है उसे भी मैंने पढ़ा। उसमें दो तीन सुझाव देना है, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो आपने कहा कि विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी फीस ५ महीने तक की, यानी दिसम्बर तक माफ कर दी जाय, तो मेरा कहना है कि मार्च तक माफ कर दी जाय। क्योंकि मार्च के पहले फसल नहीं आती, इसलिये किसानों के बच्चों के लिये ५ महीने के बजाय ८ महीने के कर दिया जाय और मार्च के महीने में जो करना हो मंत्री जी कर दें।

दूसरी बात राशन वगैरा के सम्बन्ध में है। कहा गया है कि सवा तीन सेर का गेहूं और साढ़े पांच सेर का बाजरा उन क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, दिया जायेगा। तो सवा तीन सेर का तो भाव है ही गेहूं का तो पहला काम यह है कि उनको खरीदने की ताकत दी जाय और दूसरा यह है कि जैसे पिछले सालों में बाढ़ आयी, क्राइसिस आये तो वहां कुछ अधिक दर पर गल्ला दिया गया, वैसा ही अब भी किया जाय।

[श्री रामेश्वर लाल]

मुझे दुख यह सुनकर हुआ कि बाढ़ आने से हर साल लोगों को बड़ा लाभ होता है। पार-साल भी मंत्री जी ने कहा था कि बाढ़ से बड़ा लाभ होता है, चूहे मर जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह उपदेश इस अवसर पर, जबकि हम तबाह और बरबाद हैं, अच्छा नहीं मालूम होता और जब यह बात सम्मानित मंत्री द्वारा सुनता हूं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बाढ़ से हमारे पूर्वी यू० पी० में लाभ नहीं होता, बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि उधर कुछ नदियां ऐसी हैं कि उनके द्वारा जब बाढ़ का पानी आता है तो खेतों में रेत आ जाता है, वे नदियां रेत देती हैं। जिन खेतों में वह रेत पड़ जाती है वहां खेत की पैदावार कम होने लगती है और वह खेत ऊसर हो जाता है। कल देवरिया के सम्मानित वयोवृद्ध नेता बहुत कुछ बता गये हैं। उन्होंने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। यह निवेदन करना चाहूंगा कि भाषण में बतलाया गया कि तीन हजार गांवों में से ७०० गांवों को क्षति पहुंची। लेकिन साढ़े तीन हजार गांव हमारे जिले में हैं और उसमें से १२०० गांव प्रभावित हैं। इसके साथ ही साथ तीन लाख नहीं बल्कि पांच लाख एकड़ जमीन बरबाद हो गयी और दो लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो ज्यादा पानी के कारण मक्का, कोदों और अरहर की फसल गंवाये पड़ी है।

दो नदियों के नाम हमारे साथियों ने लिये, बड़ी गंडक और घाघरा लेकिन बड़ी गंडक से एक नदी देवरिया हो कर घाघरा में जाती है जोकि छोटी गंडक है, उसको हम छोटी नारायणी भी कहने लगे हैं। उसने बड़ा उपद्रव किया है। वैज्ञानिकों की राय है कि नारायणी की टेंडेंसी है कि वह छोटी गंडक से देवरिया के बीच में होकर घाघरा में जाय। अगर बड़ी गंडक ने रुख बदल कर छोटी गंडक का रास्ता लिया तो देवरिया तबाह हो जायगा। तो मेरा सुझाव है कि छोटी गंडक को ७-८ जगह बांध दिया जाय, या उसके मुहाने पर ही बांध दिया जाय जैसाकि जब श्री कमलापति जी देवरिया गये थे तो उनको बतलाया गया था कि सरकार यह काम अविलम्ब करे।

इसके अतिरिक्त छोटी गंडक से निकल कर बहुत से ऐसे छोटे-छोटे नाले हैं जो कई सौ गांवों को बरबाद करते हैं। उन पर पुल बनाकर रास्ते में जो ये गांव, मधुवापुर, बेलवनिया, बैकुन्ठपुर, मुंडेरा, भिखनपुरा पड़ते हैं, उन पर उन्हें रोक दिया जाय।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो गांवों को जमीन बट रही है तो बहुत से गांवों को जमीन मिलना मुश्किल है। उन गांव समाजों को यह अधिकार दिया जाय कि वह अपना गांव बसाने के लिये जमीन अलाट कर सकें, जैसा कि म्युनिसिपैलिटी में होता है।

†**श्री जगन्नाथ बख्श दास** (जिला बाराबंकी)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की बाढ़ का जिक्र इस सदन में दो दिन से हो रहा है उस प्रकार की बाढ़ की समस्या हमारे जिले में नहीं है बल्कि अतिवृष्टि के कारण जो क्षति हुयी है जिसका कि बाराबंकी जिला वासियों को इससे पहले अनुभव नहीं था उस क्षति के कारण करीब ८० फीसदी मकान गिर गये हैं। और ऐसी क्षति के बारे में फारसी में एक शेर है "मर्गे अंबोह जश्ने दारद।" उसमें कोई विशेष दुःख इस प्रकार का मनुष्य अनुभव नहीं करता कि केवल एक व्यक्ति की क्षति हुयी है लेकिन दुःख इस बात का है कि उस क्षति को दूर करने के लिये जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हम को है वह हमें जल्दी नहीं मिल रही है। मुसीबत का सामना जब हर एक आदमी को करना पड़ता है तो मुसीबत जश्न हो जाती है, लेकिन अगर उस मुसीबत को दूर करने के लिये सरकारी या गैरसरकारी सहायता हमको नहीं मिलती है उस समय हमारा क्लेश बहुत बढ़ जाता है। हमको इस समय सहायता की आवश्यकता है। वह सहायता किस प्रकार की हो, जैसा कि कल गेंदा सिंह जी ने कहा था कि इतनी सहायता केवल सरकार द्वारा प्राप्त हो यह सम्भव नहीं है। बाराबंकी की सब जनता दुखी है। करीब ८० फीसदी मकान गिर गये हैं। उनसे इस समय

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहायता की आशा करना कठिन है। यह सरकार के सामने बहुत गम्भीर प्रश्न है जो शायद बाराबंकी जिले तक ही सीमित रह गया है। मकान गिरने का मुख्य कारण वाटर लागिंग है मकान बने, सड़कें बनीं, नई रेलवे लाइन निकली, उस समय कोई विचार नहीं किया गया कि पानी कहां से निकलेगा। नतीजा यह हुआ कि आसपास के तमाम गांव जलमग्न हो गये और आपको आश्चर्य होगा कि जिन कुओं में २५ फीट पर पानी था उनमें अब हाथ से पानी भरते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कच्चे मकानों की नीवें बिल्कुल दहल गयीं और ऊपर से वर्षा के कारण तुरन्त धराशायी हो गये। इसके साथ ही साथ जानवरों का चारा बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गया। मनुष्यों के खाने के लिये तो अनाज नष्ट हो ही गया लेकिन जानवरों का चारा भी बर्बाद हो गया इस ओर भी हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं।

हमारे एक साथी ने अभी जौनपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों का जिक्र किया। हमारे यहां भी यही हालत है। कुछ पक्के स्कूल तो शायद बचे हैं लेकिन ८० फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाई करीब-करीब बन्द सी है। और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां स्कूल लग सके। अड़ोस-पड़ोस रेफ्यूजीज की तरह आदमी रह रहे हैं। जो स्कूल बाकी बचे हैं उनके अन्दर भी गांव वाले आबाद हैं, उनको बाहर नहीं किया जा सकता। शिक्षा को काफी क्षति हो रही है। उनकी मरम्मत का सवाल तो उठता नहीं है, उनका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा।

अन्त में तकावी की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो रकम बतायी गयी है वह बहुत नाकाफी है। इसमें न कोई मकान बन सकता है और न कोई इसको लेना पसन्द करेगा। केवल ५० या ढाई सौ की रकम में शायद एक छप्पर रख दिया जाय।तो ऐसी हालत में अगर तकावी की रकम बढ़ा कर ५०० रुपये और बिला सूद नहीं की जाती तो कोई रेलीफ मिलता नहीं है। इसमें यह हो सकता है कि लोग रकम लेकर दूसरे कामों में लगायें लेकिन इससे कम में काम भी नहीं चल सकता। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह तकावी की रकम को बढ़ावे और बिला सूद के करे।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात से कि माननीय मंत्री ने जो आश्वासन परसों दिया था कि उन जिलों को जिनमें बाढ़ से विशेष क्षति हुई है कई प्रकार की सहायता दी जावेगी। माननीय मंत्री महोदय को मैं आप के द्वारा अपने जिले की परिस्थिति से कुछ जानकारी कराना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं। मेरे जिले में २३ नदियां बहती हैं जिनमें दो बड़ी-बड़ी हैं घाघरा और टोंस, जिले में टोंस नदी बीचोंबीच से बहती है जो जिले में करीब १५० मील की यात्रा करती है। पुल पर तहसील के कसवा अहरोला से प्रारम्भ होकर जसीहपुर तक जो घोसी तहसील का एक गांव है यह नदी टोंस जाती है। इसका उद्गम स्थान फैजाबाद जिले में है जहां हमारे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि वहां भी बहुत नुक्सान हुआ। उस तरफ इन दिनों में गत वर्ष जहां ६ इंच पानी बरसता था वहां इस साल ५० इंच पानी बरसा। इसी प्रकार से हमारे जिले में गत वर्ष जिन नदियों में ६ इंच पानी बरसता था वहां इस साल २८ इंच से ज्यादा पानी बरसा है। इस का नतीजा यह हुआ है कि सारी की सारी नदियों में एक दम से बाढ़ आ गई। छोटी-छोटी नदियों में भी जिनके बारे में महात्मा तुलसी दास जी ने कहा है "क्षुद्र नदी भरि चलि इतराई जस थोड़े धन खल बौरई"। वही हालत इस वर्ष हो गई।

हमारे यहां बड़े-बड़े ताल हैं उन सब में भी वाटर लोगिंग की वजह से बाढ़ आ गई है। हमारे जिले में यदि कोई जाय और देखे तो मालूम होगा कि वहां क्या दशा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई हिस्सा नहीं जो इस समय कष्ट में न हो। इस जिले की अपार क्षति हुई है। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही दिखाई देगा कि गांव के गांव ध्वस्त हो गये हैं। टोंस नदी के एरिया में जितने

[श्री व्रजविहारी मिश्र]
गांव आते हैं वहां के सारे के सारे मकान ध्वस्त हो गये हैं। हरिजनों की विशेष क्षति हुई है। उनके एक-एक गांव में चौंतीस-चौंतीस, छत्तीस छत्तीस घर रहे हैं और वह सब के सब गिर गये हैं। १६५३ की बाढ़ में जो मकान गिर गये थे और जो ५४ में बने वह फिर ५५ की बाढ़ में गिर गये हैं। इससे उनकी तबाही का ठिकाना नहीं है। मैं आप के द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो क्षति हुई है उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हमारी जितनी सड़कें हैं, स्कूल हैं, पुल हैं, वह कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया है। उनकी दशा हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी देखा होगा। अभी कल माननीय पंत जी भी आये थे उन्होंने भी देखा है कि मऊ में टोंस नदी पर जो पुल रहा है वह समाप्त हो गया है बह गया है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे जिले की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो आज बोलने का अवसर दिया गया है उस के लिये मैं आप का बहुत ही आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो ५५ लाख रुपया बाढ़ पीडितों के लिये दिया है उस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में इस बाढ़ के मौके पर नाव की बहुत भारी कमी थी। इतनी कमी थी कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल था बल्कि नावों की कमी के कारण दूसरे जिले से नाव मंगानी पड़ी और देवरिया जिले से ५ नाव मंगाई गईं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम गोरखपुर जिले के लिये २५०/३०० नावें बनवा दी जायं।

अध्यक्ष महोदय, गांवों की कटाई का जो कार्य शुरू किया गया है उस से गांव वाले खुश हैं क्योंकि जब गांव में बाढ़ आ जाती थी तो लोगों के घरों में पानी घुस जाया करता था। लेकिन गांवों को ऊंचा करने की वजह से गांवों में पानी नहीं रहा। लेकिन कहीं-कहीं बाढ़ वालों ने गड़बड़ी कर दी है और मिट्टी को इतना ऊंचा पाट दिया है कि गांव वालों के घर नीचे चले गये हैं और पानी के घुस जाने से बहुत से घर बरबाद हो गये हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं वह जुलाई वगैरह में भी ऊंचे किये गये हैं और इस में बाढ़ डिपार्टमेंट वालों में और ठेकेदारों में काफी धांधली हुई है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब गांव पाटे जांय तो जून के महीने में ही उस काम को खत्म कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिले में मेरे क्षेत्र के अन्दर ७५ वर्ष से बहुत पुराना बांध जो एक अंग्रेज जमीदार ने अपने इलाके को बचाने के लिये बनाया था कोयला डाम वह अब एक साल से टूट गया है। उस डाम का नाम कोयला डाम था जो करीब ३, ४ मील के घेरे में था। उस बांध के लिये मैंने पारसाल प्लानिंग डिपार्टमेंट और जिले के अधिकारियों से इस बात की सिफारिश की कि यह बांध बना दिया जाय नहीं तो पचासों गांव इस बांध से बरबाद हो जायंगे लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। बारबार आश्वासन दिया गया कि इस साल बांध बना दिया जायगा और वहां इंजीनियर भी गये उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जायगा लेकिन वह आज तक नहीं बन सका और उस से बहुत हानि इस इलाके की हो रही है।

उस के बाद एक दूसरा डाम जिनका नाम बन्दैया डैम है और जो फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के हाथ में है उसकी भी पिछले साल मरम्मत की गई। वह भी टूट गया। उस में भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। गोरखपुर जिले की एक तिहाई जमीन इस वक्त भी पानी में डूबी हुई है। वहां पर करीब २२।। लाख आदमी बसते हैं उसमें से ५।। लाख आदमी बाढ़ ग्रस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले गोरखपुर में १३ नदियां बहती हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं। राप्ती, घोंघी, कूडा, बुढ़ी राप्ती, घाघरा, छोटी गंडक, बड़ी गंडक, प्यास, महान, तरैनी, कुवानों, गंगरी, आमी यह १३ नदियां बहती हैं।

मने पार साल भी सरकार को एक सुझाव दिया था और सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत अगर एक बांध बांध दिया जाय तो उस बांध के बंधने से वहां किसानों की फसल बाढ़ से बच सकती है लेकिन बार-बार कहने पर भी मेरे क्षेत्र के अन्दर आज तक वह बांध नहीं बनाया गया है। बार-बार वहां पर इंजीनियर भी गये और पिछले साल मैं कृपा शंकर जी सभासचिव को भी वहां पर ले गया था कि वे स्वयं उस को देखें और उन्होंने उसको देखा था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वहां बांध बनाने की कोशिश की जायगी। लेकिन आज तक बांध वहां नहीं बना। मेरे क्षेत्र के किसानों को उस बांध के न बनने की वजह से बहुत दुख है और उनकी हानि होती है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्रों की तरफ से जो परसों से तकरीर हुई है उनको मैं बहुत गौर से सुनता रहा हूं। जो कुछ बातें कही गयी हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद मैंने अपने आशय को परसों बतलाया उस को अच्छी प्रकार से नहीं समझा सका, इसलिये मेम्बरान को कहनी पड़ीं। अगर मैं अपने मतलब को अच्छी तरह से उसी रोज जाहिर कर सका होता तो शायद कुछ दोस्तों को तकलीफ न करनी होती। मसलन् माननीय गेंदा सिंह जी ने, जिनका मैंने उस रोज भी स्वागत किया था और आज भी स्वागत करता हूं बहैसियत विरोधी दल के नेता के एक बात कही। वह यह कि माल मंत्री ने यह कहा है कि किसानों की गलती की वजह से बाढ़ आती है। माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से इस तरह का आक्षेप लगाना मैं कुछ बहुत उचित नहीं समझता। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि बाढ़ का एक मात्र कारण, जिसका मनुष्य के पास आज तक कोई इलाज नहीं है, वर्षा का अधिक होना है और कब कितनी वर्षा होगी इसका भी केवल अनुमान ही लगाया जाता है इसका ज्ञान अभी तक मनुष्य को नहीं है। उस दिन ३-४ उप-कारण या सहायक कारण मैंने बयान किये थे और कहा था कि किसानों का ग़लत तरीके से खेती करना भी बाढ़ के आने में सहायक होता है। इस समय तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन इसका जिक्र पहले भी आ चुका है। मुख्तसर तौर पर मैं उन बातों को दुहरा देना चाहता हूं। तीन चार गलतियां हैं जो अक्सर किसान करता है और उनकी वजह से बाढ़ आने में सहायता मिलती है। (१) ढलाव के समानान्तर खेती करना। इससे पानी को रुकावट नहीं होती और पानी तेजी से बहता है। जमीन के अन्दर नहीं समाता और सारा नदियों के अन्दर चला जाता है। दूसरा कारण है कि जहां पर नदियों का पानी होता है उससे ठीक दो गज के फासले से ही खेती करना, जब कि इतने नजदीक खेती नहीं होनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि बरसात के दिनों में खेतों का खाली रखना। चौमासे में करीब ८० लाख एकड़ के जमीन खाली पड़ी रहती है। इससे होता यह है कि उस जमीन में पानी थमता नहीं है और उस को काट कर नदियों में बहा ले जाता है और पानी भी उस जमीन में नहीं समाता है। डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर की ओर से इस बात का करीब डेढ़ साल तक प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने भी कई जगह अपनी स्पीचेज में कहा और अब भी कहता हूं कि किसानों को चौमासे के दिनों में खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिये। अगर किसान ऐसा करेंगे तो इससे उनका भी लाभ होगा और जमीन का कटाव भी रुक जायगा। कुछ इस प्रकार के भी खाद हैं जिसमें बजाय बहने के पानी ज्यादा जज्ब होगा। कुछ इस प्रकार की क्राप्स भी हैं जिसके रोटेशन में करने से वे ज्यादा पानी सोखती हैं बनिस्बत दूसरी फसलों के। जब सोइल कंज़रवेशन (Soil Conservation) बिल पर विचार हो रहा था उस वक्त इसका तफसील के साथ जिक्र किया गया था। उस तफसील में जो आज मैं जाना नहीं चाहता। इन बातों को देखते हुए इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि ऐसी बात कह कर माननीय गेंदा सिंह जी ने मेरे साथ अन्याय किया।

दूसरी बात यह कही गयी कि मैंने यह कहा कि बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आयी। श्रीमन्, मेरी तकरीर की ओरीजिनल कापी अभी असेम्बली के आफिस में होगी। मैंने अभी उसको देखा नहीं है, और न उसमें संशोधन किया है, वैसे कभी करता भी नहीं हूं। उसमें

[श्री चरणसिंह]

देखा जा सकता है कि मैंने क्या कहा था और क्या मैंने यह कहा था कि बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आयी जिस पर मेरे दोस्तों ने मुझे उलाहना दिया। मैंने यह कहा था कि बड़ी नदियों में बाढ़ आयी लेकिन इतनी बाढ़ आई जो कि विशेष चिन्ता का विषय नहीं थी। जितनी बाढ़ बड़ी नदियों में आयी अगर उतनी ही बाढ़ आती तो कोई असाधारण नुकसान न होता और उससे ऐसी चिन्ता भी न होती कि दो दिन का समय उस पर बहस के लिये दिया जाता। मैं जानना चाहूंगा कि मेरे उस बयान में क्या था? बेशक घाघरा और राप्ती में बाढ़ आयी, छोटी गंडक में बाढ़ आयी लेकिन बड़ी गंडक में बाढ़ नहीं आयी। गंगा, जमुना और रामगंगा में बाढ़ नहीं आयी। जो दो बड़ी नदियों में बाढ़ आयी और जितनी आयी उससे बड़ी चिन्ता का विषय न होता। बस्ती में राप्ती से बाढ़ आयी लेकिन जितना नुक्सान बस्ती में लोकल रेनफाल से हुआ उतना राप्ती की बाढ़ से नहीं हुआ।

श्री गेंदासिंह--(जिला देवरिया) पिछली साल से ज्यादा बाढ़ बड़ी गंडक में आयी।

श्री चरणसिंह--आयी होगी। पिछले साल चितौनी बांध के बन जाने से उसमें बाढ़ की कमी रही।

दूसरी बात यह कही गई कि चना गुड़ देने से इमदाद नहीं होगी। जिस तरह की इमदाद का वह जिक्र करते हैं बेशक नहीं होगी, वह परमानेंट रिलीफ नहीं है लेकिन यहां किसी पर जब मुसीबत हो, उस का गल्ला बह गया हो बरबाद हो गया हो और उनके पास खाने को न हो तो, श्रीमन्, चना और गुड़ से उस आदमी का तन और आत्मा एक जगह इकट्ठा रह सकती है। केवल यही मंशा इसका होता है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, चूंकि वक्त बहुत कम रहेगा, इसलिये मैं बहुत जल्दी-जल्दी कहना चाहता हूं।

एक बात माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने यह कही कि माल मंत्री रेमिशन आफ लैंड रेवेन्यू को किसानों के लिये मुजिर समझते हैं। मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने लफ्ज रेमिशन कहा। मैंने यह कहा था कि अगर फसल ज्यादा बरबाद होगी तो रेमिशन होगा। क्योंकि अभी तो लगान व मालगुजारी की वसूलयाबी का सवाल ही नहीं उठता। हां, पिछली फसल का जिनके ऊपर बकाया है जब कि इस को सभी मानते हैं कि पिछले साल फसल अच्छी रही सन् १३६२ फसली में और जिसे मई, जून, जुलाई, तक बेबाक हो जाना चाहिये था, अगर वह नहीं दी गयी होगी तो उस की वसूलयाबी बन्द नहीं होगी। लेकिन मुकामी परिस्थिति को देख कर कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर है कि अगर वह चाहे तो हमारे ऐप्रूवल से उसे बन्द कर दे। मालगुजारी व लगान के लिये यह कहना कि उस को मुल्तवी कर दिया जाय, या माफी दे दी जाय, यह चीज इतनी आसान नहीं है और यह कोई बहुत जनहित में नहीं है। श्रीमन्, ऐसे मौके पर बड़ी अनईविन पोजीशन हो जाती है और यह एक ऐसी स्थिति होती है जब कि बड़ी आसानी से यह इल्जाम लगाया जाता है कि जैसे मैं पाषाण हृदय हूं, संगदिल हूं और लोगों की तकलीफों के लिये गरीबों की तकलीफों के लिये मेरे दिल में नरमी नहीं है। ऐसे तो मैं दावा तो नहीं करता लेकिन किसी भी माननीय मित्र के दिल में गरीबों और किसानों की तकलीफों के लिये जितनी गरमी या नरमी हो सकती है मेरे दिल में भी उस के लिये किसी से कम गरमी या नरमी नहीं है। यह मुसीबत है और मुसीबत का मुकाबला करना होगा। रोने से मुकाबला करने से कोई लाभ नहीं होगा और चारों तरफ हाय-हाय करने से कि यह माफ हो जाय वह माफ हो जाय इससे कुछ नहीं होगा। उस के दूसरे भी पहलू हैं कि आखिर कहां से रुपया आवे, यह भी सोचना है। लोग मुसीबत में रहे हैं सदियों से, हम नहीं चाहते हैं कि आगे भी लोग मुसीबत में रहें लेकिन इकट्ठा एक दम से सभी सुधार भी नहीं हो सकता। उसमें देर लगेगी, बहुत देर लगेगी और उस के लिये कमर कसना होगा। जो डिक्टेटोरियल मुल्क हैं जैसे रूस ने १/५ धन एक दम से लेकर कृषि की तरक्की के लिये अपने यहां लगा दिया और इससे उनकी जो

तरक्की हुई है वह हमारे सामने है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहां जनतांत्रिक प्रणाली है। हम यह नहीं कहते कि किसानों की तरक्की के लिये कुछ न किया जाय लेकिन फिर भी इस सिलसिले में जो भी काम होगा उसके लिये पैसा चाहिये और उसके लिये जो पैसा होगा वह इन कंगालों की जेब से ही आयेगा।

एक बात श्री राजनारायण जी ने कही कि साहब एक एक्सपर्ट्स कमेटी बिठा दी जाय जो इस बात की जांच करे कि बांध क्यों टूटे। श्रीमन्, एक्सपर्ट्स कमेटी के सम्बन्ध में चार रोज हुए गवर्नमेंट की तरफ से एलान हो चुका है। परसों भी मैंने फिर इसका ज़िक्र किया लेकिन उसका फिर उन्होंने ज़िक्र किया। जो कुछ उन्होंने कहा उससे मुझे कोई निराशा नहीं है, मैं तो आशा ही करता था कि वे कुछ न कुछ बात कहें। क्योंकि वह इससे जाहिर होता है जो श्री उमाशंकर जी ने अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पेश करते हुये कहा था। उसके शब्द ये हैं--"यह सदन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भयंकर बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" श्रीमन्, बहुत मुनासिब अल्फाज़ हैं, ये होने चाहिये और इससे बेहतर अल्फाज़ नहीं हो सकते। लेकिन श्री राज नारायण जी ने जो उस रोज अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उस को भी मैं आप की इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। "प्रान्त में करीब २० जिलों में बाढ़ से भयंकर परिस्थिति उपस्थित है और उस परिस्थिति का सामना करने में सरकार की जो उदासीनता है उस पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।" खैर, फिर भी आप ने मेहरबानी की कि केवल उदासीनता ही कहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से उदासीनता नहीं की गयी बल्कि जो सुझाव दिये गये थे उनके बारे में एलान पहले ही हो चुका है। यही नहीं मैंने यह भी कहा था कि ऐक्सपर्ट कमेटी के बैठाने के अलावा साथ ही पी० डब्ल्यू० डी०, इर्रीगेशन और रेलवे की तरफ से सर्वे कराने के अहकाम जारी हुए हैं और मौके पर बड़े बड़े अफसरान सर्वे कर भी रहे हैं और मुझे मालूम हुआ है कि जो सड़कें कट गयी थीं या पानी निकालने के लिये काटी गयी थीं उनका इस्तेमाल फिर जारी हो गया है और वह खुल गयी हैं और पी० डब्लू० डी० की तरफ से स्पेशल स्टाफ डिप्यूट हो गया है और अहकाम जारी कर दिये गये हैं कि जितनी जगह सड़कें कट गयी हैं बाढ़ से कटी हैं या किसानों ने काटी है उन सब जगह कलवर्ट बना दिये जायं, इस तरह के आर्डर्स जारी हो चुके हैं।

एक बात यह कही गयी कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मिलना चाहिये। यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूं लेकिन वह धीरे-धीरे मिलेगा। एक नहीं, लाखों आदमी बेरोजगार हो गये हैं बेघर बार हैं लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि अभी बरसात चल रही है और टेस्ट वर्क वगैरह चालू नहीं किये जा सकते। इसके अलावा एक दम से तो कोई काम शुरू नहीं हो सकता, हर चीज के आर्गेनाइजेशन में समय लगता है। इसलिये इस विषय में कोई उदासीनता नहीं है। रेमिशन आफ फीस का भी एलान हो चुका है और ९ अगस्त को यह आर्डर हो चुका है कि--

"The Governor has been pleased to order that such students whose guardians are really very poor and cannot afford to pay their school fees, should be exempted from payment of fees in all secondary and district board schools in the aforesaid districts for the period from August to December, 55."

मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या किया जाय? इन तमाम जिलों के जो प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल हैं या सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उनमें गरीबों के लड़कों की अगस्त से दिसम्बर तक फीस माफ कर दी गयी है और इस तरह के आर्डर जारी कर दिये गये हैं।

कुछ लोगों ने कहा कि यह जो २ लाख २० हजार रुपया मकानों के लिये अनुदान के तौर पर मंजूर किया गया है वह बहुत कम है, यह तो हम खुद तसलीम करते हैं वह बहुत कम है। साढ़े तीन लाख मकान या तो धराशायी हुए या उन को नुकसान पहुंचा। हमारे एक दोस्त

[श्री चरणसिंह]

ने १२ आना फी मकान का हिसाब बताया, वह ठीक भी है, मैं समझता हूं कि वह हिसाब हम भी लगा सकते थे, वह १२ आना से भी कम आता है। लेकिन मैंने जैसा कि अर्ज किया कि यह रुपया तो हमने बिना कलेक्टरों के कहे ही दिया है और २५ हजार फी जिला फिलहाल दिया है और जैसे-जैसे मांग आयेगी और भी दिया जायगा। दूसरी बात यह है कि सितम्बर सन् ५३ में एक आर्डर जारी हुआ था कि बहिया में यह सबसीडी दी जायगी और जैसा कि मेरे सहयोगी श्री चतुभुज शर्मा ने बताया कि जिस को भी अनुदान दिया जायगा वह २५ रुपये तक होगा और उस हद तक दिया जा सकता है केवल ११ आना ही नहीं। अनुदान की मद गरीब आदमियों के लिये है जो कच्ची दीवार खुद बना सकते हैं। उनके लिये नहीं है जो मजदूर रख कर बनवाते और उन को छप्पर बल्ली वगैरा के लिये २५ रुपया काफी हैं। साढ़े ३ लाख में से सब ही को वह नहीं दी जायगी और न सब उस के मुस्तहक हो सकते हैं और न वह सब को देना है जैसा कि मैंने कहा कि हम कलक्टरों की तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी रिटैन मांग आये और उन से टेलीफोन पर भी कहा है कि वह जल्द अपनी मांग असेस कर के भेजें। ५,१० या २० लाख तो गवनमेंट एक दम से नहीं दे सकती थी, सदन ही इतने धन की इजाजत नहीं देता, इतना रुपया हमारे पास नहीं है लेकिन जहां तक सम्भव होगा उतने के लिये हम कोशिश करेंगे और यह २ लाख २० हजार बिना मांगें ही दिया गया है, यह बढ़कर चौगुना पचगुना भी हो सकता है और कम या अधिक भी हो सकता है।

एक बात यह कही गयी कि नावों की बहुत कमी रही, मैं भी मानता हूं कि कमी रही लेकिन अब की बार इतनी बाढ़ आयी कि अगर ५,००० नावें भी होतीं तो इसके लिये नाकाफी होती। मामूली बाढ़ों में बाढ़ नहीं, तो पांच हजार नावें गवर्नमेंट की तरफ से इस आशंका से कि न मालूम फिर ८०,८५ वर्षों के बाद बाढ़ वैसी आ जाय गांवों में रख दी जायें तो क्या होगा दो चार वर्ष में लोग उनका कोयला बनाकर हुक्का पी जायं, कौन मेनटेन करेगा और कहां रखी जायंगी। एक दोस्त जैसा तसलीम कर रहे थे कि अगर मुसीबत के वक्त नावें नजदीक भी हों तो भी नहीं पहुंचायी जा सकतीं। नाव के लायक पानी जब भर जायगा तब नावें उठेंगी और इसीलिये नावों के लिये वही पुरानी पालिसी और सही पालिसी है वह कि नावें किरायें पर ली जायं और इसलिये सन् १९४८ में तय यह किया गया था कि रिक्वीजीशन कर ली जायं यानी कानून के बल पर नावें मुहइया कर ली जायं। आज भी इसी तरह से रिक्वीजीशन्ड नावों पर भरोसा करना होगा। फिर भी १० मोटर बोट्स देने का हमने निश्चय किया था लेकिन वह इसलिये नहीं देसके क्योंकि ऐसा करना हमारी शक्ति के बाहर था वह मैंने अर्ज कर दिया था

अब यह कहा गया कि तकावी विदाउट इंटरेस्ट दी जाय। अभी जगन्नाथ सिंह जी कह रहे थे कि तकावी विदाउट इंटेरेस्ट दी जाय। मेरा कसूर है कि मैं आपको समझा नहीं सका कि तकावी विदाउट इंटरेस्ट दी जायगी।

फिर एक बात और कही गयी कि लोगों को जमीनें दी जायं मकान बनाने के लिये और जोतने के लिये। कहां है वह जमीन। जितनी जमीन हो सकती है गांवों में गांव समाज की, गवर्नमेंट की और प्राइवेट आदमियों की ऐक्वायर की जा सकती है सारा एरिया कितना है। लेकिन अभी एक सज्जन जो देवरिया से बोले हैं, कहां है देवरिया में जमीन बसाने के लिये, कौनसी जमीन है। हमें तकलीफ होती है जब किसान जो खेती करते हैं उनकी जमीन लेने में मकान बनाने के लिये। तो इतने साधन सीमित हैं, इतनी इस प्रदेश की गरीबी है और इतनी बड़ी विपत्ति है तो श्रीमन् जो बात कही जाय उसको पहले तोल तो लेना चाहिये कि कितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं या नहीं। एक आजमगढ़ के साहब ने कहा कि मालमंत्री ने कहा कि बाढ़ से फायदा भी होता है। मैंने कहा बाज मुकाम पर, बाजवक्त बाढ़ से फायदा भी होता है। हमेशा, हर जगह, हरसाल और हर गांव में फायदा नहीं होता। मेरी तकरीर मौजद है और मैंने जो कहा था उस पर इस समय भी इनसिस्ट करता हूं। इस सिलसिले में

जो नुक्ताचीनी मेरी जहालत की मेरी नाकाबिलियत की बयान की जाती है उसके लिये मुझे कोई अफसोस नहीं है। चार साहबों ने मेरे जिले को याद किया है, तीन साहब देवरिया के और एक साहब आजमगढ़ के हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने होशियारी के साथ, जैसी उनसे आशा करनी चाहिये, और तीन साहबों ने साफ-साफ कि माननीय मंत्री जी जो नतीजा निकालते हैं उससे यह मालूम होता है कि किसानों की तकलीफ का अहसास नहीं है क्योंकि बदकिस्मती से मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां अकसर बाढ़ नहीं आती।

श्री गेंदासिंह—मैं बिलकुल इन्कार करता हूं। मैंने यह बात नहीं कही है।

श्री चरणसिंह—मैं इसका अधिक जवाब नहीं देना चाहता लेकिन जब अभी हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां आये थे उनका भाषण किसी अखबार में देख लीजिये यहां प्रेस के दोस्त बैठे हुये हैं, उन्होंने यह कहा था कि जाहिर है कि बाढ़ से कभी-कभी फायदा भी होता है। तो श्रीमन्, वह इत्तिफाक से इलाहाबाद से आते हैं जहां बाढ़ आ जाती है।

श्रीमन्, एक बात गेंदा सिंह जी ने यह कही कि जल्द से पक जानेवाली फसल मई-अप्रैल में बोयी जाया करे और पानी का इंतजाम हो जाया करे। अब पानी का जो कुछ इंतजाम हो सकता है वह सब पर जाहिर है। तीस-चालिस लाख एकड़ रकबे पर हो चुका है। और ३६ लाख एकड़ के लिये अगले वर्ष में इंतजाम है। लेकिन आसान काम नहीं है। फिर जहां बाढ़ आ गयी तो यह ट्यूबवेल को बन्द करके बैठ जायेंगे और कहीं नहर खुल गयी तो कहेंगे कि नहर बन्द करो। मैं यह जरूर चाहता हूं कि फास्ट ग्रोइंग क्राप्स गर्मी के जमाने में बोई जायं। यह मुझे तसलीम है। अगर कोई फसल गेंदा सिंह जी या विशेषज्ञ बतला सकें जो मई-जून में पक जाय, अगर बिना पानी के पक जाया करे तो बहुत अच्छा है, तो मैं उनका मशकूर हूंगा। पानी का मुहइया करना ही फैक्टर है तो जितने पानी का इंतजाम गवर्नमेंट ने किया है उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। कुछ कुवों की बात की गयी। पानी पीने के जो कुवें हैं उनकी जगत को ऊंचा किया जाय ताकि बाढ़ का पानी उनके अन्दर न जा सके इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मैं नहीं ढूंढ पाता। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई दूसरा रास्ता मुझे बतलाया जा सके।

तीसरी बात कही गयी कि ठेकेदारी में बड़ी खराबी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पुल व सड़क वगैरह बनायी जाती हैं ये ठेके पर न बनवाई जा कर गांवों वालों को दे दी जायं। कहने के लिये श्रीमन् बात बड़ी अच्छी लगती है। लुभावनी मालूम होती है लेकिन नाकाबिले अमल है। टेस्ट वर्क्स का जहां तक सम्बन्ध है उसे तो गांव वाले खुद ही करते हैं, ठेकेदारों का सवाल नहीं उठता। लेकिन जहां पुख्ता पुर व सड़क बनाने का सवाल है गांव के मजदूर वे काम कर सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जा सकती। ठेकेदार या गवर्नमेंट सीधे अमानी पर काम करायेगी।

एक बात कही गयी कि मई-जून में चारा इकट्ठा कर लिया जाया करे। श्रीमन्, मुझे उनका सुझाव बहुत पसन्द आया फ्लड रिलीफ कमेटीज, जो जिलों के अन्दर मुकर्रर हैं उनको मुझे हिदायतें हैं कि अगर जरूरत समझी जाय तो फाडर इकट्ठा कर सकती हैं लेकिन एक कठिनाई जरूर है। हमारे पुराने आफिसर्स, कलेक्टर्स का तजुर्बा है कि जब-जब भूसा भरा गया हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट और फ्रेट चार्जेज माफ, लेकिन भूसा नहीं खरीदा गया। फिर हमने कहा आधी कीमत माफ लेकिन आधी कीमत पर भी नहीं खरीदा गया और फिर पूरी कीमत माफ करनी पड़ी माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी मेरी इस बात की ताईद करेंगे। पहले १८७१ में बाढ़ आयी और फिर वैसी बाढ़ १९५५ में आयी और अब २०३४ में जाकर उसका हिसाब बैठता है। भूसा जमा तो कर लिया जाय लेकिन फिर बेचने का सवाल उठता है। कहने के लिये सुझाव तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा काबिले अमल नहीं है। लेकिन इस मामले में कुछ तथ्य अवश्य है। और मैं इस मामले में संबंधित राज्य कर्मचारियों से सलाह मशिवरा करूंगा।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि फ्री राशन दिया जाया करे। जो लोग गरीब नहीं हैं भले आदमी हैं उनको दिया जाया करे। उसका कोई प्रबंध नहीं है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का यह सुझाव था। मैं मानता हूं कि सुझाव बहुत अच्छा था....

श्री अवधेशप्रताप सिंह (ज़िला फ़ैज़ाबाद)—मैंने दूसरे लहजे में कहा था।

श्री चरणसिंह—अल्फ़ाज़ तो यही थे लहजा दूसरा हो सकता है भले आदमी ने कहा होगा शायद ज़मींदार कहा था। कहा गया कि ग्रेट्युटी रिलीफ दी जा सकती है। अंग्रेजी का एक पैरा है। अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं ताकि माननीय मेम्बरों की जानकारी में कुछ इजाफ़ा हो सके :—

"The following classes of persons shall be eligible for gratuitous village relief, provided that they have no relatives able, and by the custom of the country bound to support them :

(*a*) idiots and lunatics ;

इनके लिये आपने कहा नहीं।

(*b*) cripples ;
(*c*) blind persons ;
(*d*) all persons who, from age or physical infirmity, are incapable of earning their living ;
(*e*) all persons whose attendance on the sick or on infant children in own homes is absolutely necessary ;
(*f*) women of respectable birth, who are debarred by national custom from appearing in public and are unable to provide themselves with sufficient food :
(*g*) men of respectable birth who are unable to earn a livelihood and are in danger of starvation."

तो यह ग्रेटुटस रिलीफ हर आदमी की ज़रूरत को देख कर दी जा सकती है। फ्री राशंस भी इसमें दिये जा सकते हैं। अगर माननीय मित्र किसी खास इलाके को बतायें तो अहकाम जारी कर दिये जायेंगे।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि फ्लड्स अंडर एस्टीमेट किये गये। हो सकता है। लेकिन मैं इस सिलसिले में दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो यह कि जिन माननीय मित्रों ने इस सिलसिले में विचार जाहिर किये हैं, मैं बा-अदब यह अर्ज करना चाहता हूं बहुत डर के साथ, कि चाहे उन्होंने कितना ही काम किया हो, उनमें से सब को पूरे जिले का उतना नकशा नहीं मालूम हो सकता जितना डिस्ट्रिक्ट आफिसर को। एक तो आदमी कहां-कहां जा सकता है अगर किसी ने २४ घंटे भी काम किया होगा तो २५ गांवों से बाहर नहीं निकल सका होगा। काम इतना ज्यादा था कि २५ गांवों में ही सारा समय लग जाता। इसलिये अगर २५ गांवों की तबाही को देखकर सारे जिले पर घटा दें तो गलत नतीजा निकल सकता है। श्रीमन्, कितने एस्टीमेट्स गलत हैं वह इस बात से साबित हो जायगा कि एक आध मित्र जिन्हें जिले से मालूम हो गया या यहां से मालूम हो गया उनका तो यह अनुमान है कि अंडर एस्टीमेट है। लेकिन जिन मित्रों को यह मालूम नहीं था कि कितने आंकड़े जिले से आये, उन्होंने यहां जो आंकड़े बतलाये वह अंडर एस्टीमेट हैं बनिस्बत कलेक्टर के आंकड़ों के। मसलन देवनन्दन जी शुक्ल, मैंने उनसे कल कहा भी था। उन्होंने अपने ख्याल से पूरा सही करके साढ़े छः सात सौ गांव बतलाये, इसके आगे वह नहीं बढ़ सके। शायद एक आध दफा साढ़े सात सौ कह गये। मैंने जो अपनी बही निकाली तो उसमें ७६१ गांव लिखे थे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कुछ अंडर एस्टीमेट हों। लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ेगा। पचास करोड़ के बजाय, ५४, ५५, ५७ करोड़ हो जायगा। इतनी बात जरूर है कि जो माननीय देवनन्दन शुक्ल जी ने दो सौ रुपया फी एकड़ के हिसाब से अरबों का हिसाब लगा दिया था वह गलत है। दो सौ रुपये की आमदनी का औसत केवल ईख में बैठेगा। सारे सूबे में दो सौ रुपये फी एकड़ की आमदनी खरीफ में होती नहीं। लिहाजा उन्होंने अरबों का हिसाब लगाया वह नहीं है। लेकिन श्रीमन फिर भी नुकसान इतना है, पचास करोड़ ५५ करोड़ सही, यह हमारे गरीब लोगों के लिये असह्य है।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी अफसरों ने काम आमतौर पर अच्छा किया। मुझे यह जानकर खुशी हुयी कि मेरे मित्रों को यह अहसास हुआ कि आमतौर पर राजकर्मचारियों ने अच्छा काम किया। दो चार जगह उनको शिकायत भी है। तो श्रीमन्, हजारों कर्मचारी हर जिले में लगे हुये थे। तो मेरा यह दावा नहीं है कि कोई राजकर्मचारी गलती नहीं करता, कोई शिथिलता नहीं करता, कोई काहिली नहीं करता, कोई आलस्य नहीं करता या राजकर्मचारी होते ही देवता हो जाता है। जैसे और इंसान गलती करते हैं उसी तरह वह भी कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन सारा सवाल यह था कि मजमूई तौर पर उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे गवर्नमेंट को शिकायत नहीं है, आपको भी शिकायत नहीं है। इस पर मुझे खुशी है। जहां तक लेखपालों के सम्बन्ध में कहा गया कि कुछ लेखपालों ने घर में बैठ कर नकशे बना लिये। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने यह कहा। अगर वह मेरे पास उनके नाम लिख कर भेज देंगे तो जरूर मुनासिब कार्यवाही की जायगी। एस०डी०ओज० के बारे में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, वह गवर्नमेंट को पहले से मालूम है। अगर वह बात सही हुयी, क्योंकि तहकीकात करना जरूरी होता है बिना तहकीकात किये हुए सजा नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट उस पर मुनासिब तदारुक देने में नहीं हिचकिचायेगी।

स्कूल की इमारतों की बाबत कहा गया कि वह मिस्मार हो गयीं। ठीक है गिर गयीं। उसके लिये अभी कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से वैसे अहकाम जारी नहीं हुये लेकिन श्रीमन् सोचने की बात यह है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से जहां तक स्कूलों की बिल्डिंग का सवाल है क्या १०,०००,२०,००० या ५०,००० रुपया देना उससे पता नहीं कितना बोझ बढ़ जाय, मुमकिन है? क्या ऐसा वायदा करना मुमकिन है? जैसे सहारनपुर में बच्चों ने एक स्कूल अपने हाथ से बना लिया, एक पुलिस स्टेशन पुलिस कान्स्टेबिल्स ने इलाहाबाद में अपने हाथों से बना लिया और तमाम इमारतें गांव वालों ने अपने हाथ से बनायी और इस सिलसिले में गांव वालों ने और दूसरों ने श्रमदान किया, उस तरह से अगर काम हो तो गवर्नमेंट जरूर कुछ विचार करेगी, लेकिन इस सिलसिले में हम कुछ वायदा नहीं करते।

श्रीमन्, अब मुझे आपकी इजाजत से अगर कुछ मिनट और मिल जायं तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--समय बढ़ जायगा, कोई कठिनाई की बात नहीं।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, अब मुझे अंत में ३,४, बातें कहनी शेष हैं। एक तो यह कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक बात कही थी उस सिलसिले में कुछ गलत फहमी हो गयी। वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २५ करोड़ रुपये के सिलसिले में यह फरमाया था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमने कहा है और उम्मीद हमको पूरी है कि वह रुपया मिल जायगा। लेकिन उनकी तरफ से एक्चुअल कमिटमेंट नहीं हुआ। यह बात जरा सी साफ होने से रह गयी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि "वायदा कर लिया या उनका प्रामिस है" बल्कि यह कि हमको उम्मीद है कि मिल जायगा। हमने दरख्वास्त ऐसी की है।

दूसरी बात श्रीमन्, आपकी इजाजत से यह अर्ज करनी है कि सुलतानपुर के एक पार्टिकुलर पाकेट में राज कर्मचारी नहीं पहुंच सके। माननीय गुरप्रसाद सिंह जी ने यह स्वीकार किया कि पहुंचना मुमकिन नहीं था। गोंडा में राप्ती के पास अहलकार नहीं पहुंच सके। बीकापुर में केवल ७ ही मेडिकल पर्सनल है, इससे अधिक नहीं। रायबरेली में किसी टाउन एरिया में डेब्रिस पड़ा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुयी। मुमकिन है कि इसी तरह की एक दो और खास बात कही गयी हों। यह तीन चार बातें मैंने नोट कर ली हैं। लेकिन मैं आपकी इजाजत से अपने दोस्तों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने-अपने जिलों में अपने-अपने हल्कों की बाबत जो उनको शिकायत हो, राजकर्मचारियों की बाबत, उनकी कोताही की बाबत या लोगों की तकलीफ मिटाने के सिलसिले में तो इन सब की वह अगर जल्द से जल्द मेरे पास तहरीर देने की कृपा करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। लेकिन इमदाद मांगने के सिलसिले में जो

[श्री चरणसिंह]

सुझाव हों उनक के लिये मैं यह कहता हूं कि वह जरा धीरे-धीरे हों, एक दम से तेजी के साथ नहीं। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि वह पूरे हों जायं।

दूसरी बात माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कही कि हम गवर्नमेंट से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, दरख्वास्त तो कर ही सकते हैं। श्रीमन्, वह ऐसी बात क्यों कहते हैं ? इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं कि लोग मुसीबतजदा हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनकी मुसीबत दूर हो। इसमें दरख्वास्त और प्रार्थना का कोई सवाल नहीं है, यह हर एक का अधिकार है और हम सब लोगों का प्रिंसिपल है। जो भी सुझाव लोग दे सकते हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट या डिमांड मानने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं उसको आपका हक और प्रिविलेज समझता हूं। तो यह स्पिरट नहीं होनी चाहिये कि हम इसके लिये गवर्नमेंट से भिक्षा मांगने जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो एक नुमाइन्दा है, एक संगठन मात्र है। उसके लिये कभी भी इस बात को इस तरह से अपोज करना कि यह आपकी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, मुमकिन है कि टर्न डाउन हो जाय, हरगिज हरगिज ठीक नहीं।

श्रीमन्, एक बात मुझे अर्ज करना है अपने एक दो मित्रों से वह है कि पंचायत एलेक्शन की बाबत जब कि अफसरान इस तरीके से इस काम में लगे हुये हैं लोगों को मुसीबत से निकालने में और इसमें कि किस स्कीम से उनको फायदा पहुंचाया जाय। कितना नुकसान हुआ उनको इसका एसेसमेंट करने में और लोगों को रिलीफ वगैरह तक्सीम करने में। और जो प्रोग्राम पंचायत एलेक्शंस की बाबत जिलों में गया था जिसमें कोई गुंजाइश यह नहीं थी कि २,४ दिन खाली पड़ा हो। तो वह प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकेगा। अक्टूबर के शुरू में इलेक्शंस नहीं कर सकते इसलिये इलेक्शंस मुल्तवी हो जायं। गवर्नमेंट को कर देने चाहिये। श्रीमन् इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि इलेक्शन अब बजाय अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने के दिसम्बर के पहले हफ्ते में होंगे ताकि उस वक्त तक आप लोगों को फुर्सत मिल जाय और अफसरान को भी जो जरूरी काम उनके ऊपर पड़ गया है उससे पलक मारने का दम मिल जाय। हिल्स में उन्हीं डेट्स में होगा क्योंकि पहाड़ों पर तो यह सवाल उठता नहीं है।

श्रीमन्, अब माननीय गेंदा सिंह जी ने चीन की बात कही। श्रीमन्, कुछ दोस्तों की तकरीर उनकी राय में मुकम्मिल नहीं होगी और उनकी तबियत तब तक नहीं भरती है जब तक कि किसी विदेश का जिक्र न कर लें। क्योंकि विदेश का जिक्र करने में समझते हैं कि हमने गवर्नमेंट को एक ऐसी चोट की है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। श्रीमन्, ऐसा नहीं चीन ने बड़ा काम किया, चीन हमारा मित्र है इसलिये कड़वी बात उसके मुताल्लिक कहना वैसे भी गैर-जरूरी था और और बिल्कुल प्रोप्रायटी के खिलाफ और हर तरह से औचित्य के विरुद्ध। जो भी सिस्टम उनको मंजूर हो, उनको मुबारक हो। लेकिन यह कहना कि चीन ने यह मामला हल कर लिया और यह गवर्नमेंट नहीं कर पाती, श्रीमन्, इससे मेरा वायलेंट रीएक्शन होता है। श्रीमन्, इस कारण कि जो हमने तरीका अपनी जिन्दगी का तय किया जो पंचायत राज का सिस्टम हमने अपनाया उसके मातहत दुनिया में आज तक किसी गवर्नमेंट ने अपने लोगों की इतने थोड़े अर्से में सेवा नहीं की है जितनी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो डे इन ऐंडमडे आउट

हार्प करना तकलीफ देता है। बेशक उन्होंने अपनी बाढ़ की समस्या को
है और बहुत कुछ सफल भी हुये होंगे। लेकिन श्रीमन् ऐसा नहीं कि स्वर्ग
। और मेरे पास सन् १६५४ की ७ सितम्बर के पायनियर की कटिंग
ई न कोई मित्र जिक्र करेंगे। श्रीमन्, आपकी इजाजत हो

ember 6 :

en restored in some parts of China's vast flood areas."

यी थी बाढ़ ग्रस्त चीन में अब फिर चलनी शुरू हो गयी।

"An announcement by Peking Radio yesterday gave details of services which have been restored and is an indication that China's worst floods for 100 years are subsiding.

The swollen Yangtse and Yellow rivers burst through emergency dykes over two months ago flooding 2,500,000 acres; eighty million people were homeless."

तो मतलब यह कि डाइक्स और बांध जो बनाये गये थे, जितना इनका शो था, और मैं नहीं कहता कि नाजायज तरीके से शो था, बाढ़ के समय वे भी टूट गये।

सन् १९५५ की जो खबरे हैं- एक तो यह कि—

"May 12, 1955 ; Four days of rain have broken the year-long draught in South China where famine conditions were reported by the newspaper southern daily in Canton."

आगे क्या कहता है —

"The newspaper said that peasants were forced to sell their children, clothes, cattle and farming implements during the famine."

यह एक अखबार है जो चीन में निकलता है और आप जानते हैं कि वहां गवर्नमेंट की खिलाफ मर्जी के निकालना जरा कारे दारद है। वह कहता है कि सूखा पड़ा तो बच्चे और कपड़े और पशु बेचने पड़े, अपने हल बेचने पड़े। श्रीमन्, परमात्मा की दया से नेहरू के राज्य में सन् १९४७ से ऐसा समय नहीं आया। तो यहां पर भी करार का कर लिया जाया करे कि इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया।

एक और है १६ जुलाई १९५५ के नेशनल हेरल्ड का—

"Hongkong, July 15,—China has ordered the mobilisation of civilians to help fight the rising waters of the Yellow River , the nation's 'river of sorrow'. Peking Radio reported today.

The call-up order—the second in a fortnight—was issued as the level of the river rose sharply at Lanchow, in north-east province of Kansu. Flooding in the Yangtse valley last summer left several million people homeless."

तो मतलब यह है श्रीमन्, कि यह जो प्रकृति है वह इस बात को नहीं देखती है कि यहां कौन गवर्नमेंट है और क्या नहीं है। मनुष्य अपनी कोशिश करता है, फिर भी काबू से बाहर बात हो जाती है।

दो तीन मिनट बाकी हैं। बस आखिर में एक बात गेंदा सिंह जी से कहनी है। वह यह कि जब जिक्र कर रहे थे कि अखबार में ऐसा छपा है तो मैं समझा कि देवरिया से अखबार निकला होगा। मैंने यह पूछा कि भी उनसे। मैं नहीं समझता कि कोई भला आदमी "ब्लिट्ज" की खबर ले कर कुछ कहे और मच लें गेंदा सिंह!! बड़ी प्रसन्नता के साथ यहां उनका स्वागत हुआ और मैं भी उसमें शामिल होता हूं। कारने यह है कि विरोधीदल के नेता की जिम्मेदारी है। इंगलैण्ड में जैसे हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहलाती है, वैसे ही हिज मैजेस्टीज अपोजीशन कहलाता है।

श्रीमदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उसे यहां कुछ मिलता ही नहीं है।

श्री चरणसिंह—तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही आल्टरनेटिव नेता, होता है। तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। फिर एक बात और समझा करें कि मेरे चन्द दोस्त बैठे हैं जो माननीय गेंदा सिंह जी के मुंह से निकली हुई बात का एक-एक लफ्ज नोट करते हैं अगर वह धीमे बात भी कहें तो उसमें थोड़ा सा प्वाइंट बढ़ा देते हैं ताकि उसकी पब्लिसिटी हो और बिलकुल मुनासिब तरीके से हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मतलब

[श्री चरणसिंह]

यह है कि जो बात वह कहते हैं उस की पब्लिसिटी खूब होती है इसलिये कि उस की हर बात का वजन बहुत होता है। होना चाहिये, "फार गुड और फ़ार ईविल, अच्छा के लिये या बुराई के लिये। तो मैंने तभी रेवेन्यू सेक्रेटरी को आर्डर दिया कि "

"Please contact District Magistrate of Jaunpur at once."

रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास से जो नोट वहां से लिख कर आया है, वह यह है—

"Revenue Minister.—It was with difficulty that I could get through to Jaunpur. I have just spoken to Collector about this matter. He tells me that this is entirely a false report. According to him his Magistrates on duty visit the evacuee camp daily and that no such complaint has ever been made to any of the Magistrates on duty, or to the S. P. or to the District Magistrate. He further tells me that no such rumour either has been heard in the town."

उन्होंने मुझे बतलाया कि बिलकुल झूठी कहानी है। उनके मातहत उनके मैजिस्ट्रेट एवाकुई कैम्प, जहां कि ये मुसीबतजदा भाई ठहरे हुये हैं, वहां जाते हैं और कभी कोई शिकायत आज तक किसी भी मैजिस्ट्रेट से जो कि इस तरह से जाते हैं, या एस० पी० से या मुझसे नहीं की गई।

कलेक्टर ने यह भी रेवेन्यू सेक्रेटरी को बताया कि यही नहीं कि यह चीज हमारी नोटिस में नहीं आयी है या किसी ने नहीं बतलाई, बल्कि शहर में भी इस तरह की अफवाह नहीं सुनी।

श्रीमन्, अब मैं सिर्फ यह कहूंगा कि हो सकता है कि कलेक्टर ने ९९९ आउट आफ वन थाउजेंड चांसेज लिए हों। हो सकता है कि हजार में से एक बात रही हो। श्रीमन्, और ऐसा पाया गया तो उनको तहरीरी आर्डर भेज रहे हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि ऐसे दुराचरण के सम्बन्ध में जितनी सख्त से सख्त सजा गवर्नमेंट के लिये मुमकिन है वह देगी। लेकिन मैं फिर आप की इजाजत से आखिरी यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी इस अखबार को पढ़ना छोड़ दें और इसमें लिखी हुई जो बात हो उस का जब तक अपनी जाती तहकीकात न कर लें, खुदा के वास्ते इस हाउस में उस का बयान न करें। यह न उनके लिये अच्छा है, न गवर्नमेंट के लिये अच्छा है।

अन्त में अब मैं गवर्नमेंट की तरफ से अपने माननीय मित्रों को, जिन्होंने वहां काम किया और जिन्होंने इस रेस्ट्रेंट के साथ तकरीरें इस हाउस में कीं, और अपने जन-सेवकों को, पब्लिक सर्वेंट्स को, जिन्होंने काम इस हिम्मत और दिलेरी के साथ किया और अपना निजी काम समझ कर किया और जनता को भी जिसने फार्टीट्यूड और हिम्मत के साथ काम किया बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि यदि फिर ऐसी विपत्ति आये तो उनको ऐसा बल दे कि वह उस स्थिति का इसी तरह मुकबला कर सकें।

(इस समय १ बज कर २७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर्गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्य निर्वाचित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया है :—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समयः—२९-८-५५ को सायंकाल ४ बजे तक, नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ३०-८-५५ को ३ बजे अपराह्न तक, नाम वापस लेने की तिथि तथा समय, २ सितम्बर को सायंकाल ४ बजे तक। यदि आवश्यकता हुई तो निर्वाचन की तिथि तथा स्थान की सूचना बाद में दी जायगी।

यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, को जो विधान सभा की २१ जनवरी, १९५० की बैठक में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा मांगी जा रही है वह तो पहले ही वापस लिया जा चुका है। आप को याद होगा कि यह विधेयक दो बार सदन के सामने प्रस्तुत हो चुका है और पहली बार सन् १९५० में यह सेलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ था और दूसरी बार सन् ५२ में, दूसरी बार वह वापस आया और फिर नया विधेयक लाकर सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और बार-बार आश्वासन दिलाया गया कि सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग दिसम्बर में, जनवरी में और फरवरी में की जायगी और अब फिर वह वापस लिया जा रहा है, हमें नहीं मालूम कि यह कौन सा बिल वापस लिया जा रहा है।

इस समय यह किसी कमेटी के सामने नहीं है, यह सन् ५० वाला विधेयक नहीं है और यह वही है जो सन् ५३ में प्रस्तुत किया गया था।

श्री चतुर्भुज शर्मा-उपाध्यक्ष महोदय, इसी एजेंडा में जो नीचे दिया हुआ है वह विधेयक आने को है और इसको इस लिये लाया गया क्योंकि इसमें और तरमीमें जरूरी समझी गईं। माननीय तिवारी जी ने जिसका रिफरेन्स दिया यह वह बिल नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, महज एक फारमल कार्यवाही है, मैं समझता हूं कि सदन इसको इजाजत देगा क्योंकि संशोधन ऐसे नहीं हैं, जो सेलेक्ट कमेटी में हो सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिसको आप वापस लेने की अनुज्ञा मांग रहे हैं वह तो वापस लिया जा चुका है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह वापस नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त से) आप कुछ और कहना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि वापस लेने का कारण क्या है, संशोधन तो सेलेक्ट कमेटी में भी हो सकते हैं क्योंकि पुराने बिल में केवल संशोधन ही करने हैं तो वह उसी में हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन ऐसे नहीं हैं जो सेलेक्ट कमेटी में हो सकते हों यह उन्होंने कहा है, आप ने सुना होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आप बिल के उद्देश्य को ही बदल रहे हों तो बात दूसरी है और अगर केवल संशोधन करना है तो कुछ जरूरत नहीं थी।

श्री चतुर्भुज शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उद्देश्य बदलने की बात नहीं है और एक फार्मल सी चीज है, इसमें वह बेकार उलझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, को जो विधान सभा की २१ जनवरी, १९५०, की बैठक में पुरः स्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कांटिन्युएंस आफ पावर्स) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कांटिन्युएंस आफ पावर्स) विधेयक, १९५५ जो विधान परिषद् की १९ जनवरी, १९५५ की बैठक में पारित हुआ था, और जो २८ फरवरी, १९५५, को सदन की मेज पर रखा गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो विधान परिषद् की बैठक में बिल पारित हो चुका है और एक बार पुरःस्थापित हो चुका है तो उस को वापस लेने के क्या विशेष कारण उपस्थित हो गये।

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को वापस लेने की सम्मति केन्द्रीय सरकार से मिली है। २५-१-५५ को केन्द्रीय सरकार का कानून, एसेंशियल सप्लाईज ऐक्ट की अवधि समाप्त हो चुकी और उस के बाद उस के सामने कुछ वैधानिक कठिनाइयां ऐसी थीं कि वह खाद्यान्नों का फिर से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिये प्रादेशिक सरकार को केन्द्रीय सरकार से सलाह मिली कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है और प्रादेशिक सरकार ने एक अध्यादेश निकाला और उसी को कानून का स्वरूप देने के लिये १९-२-५५ को यह बिल कौंसिल में पेश हुआ और २८-२-५५ को सदन की मेज पर रखा गया। अब केंद्रीय सरकार ने अपने संविधान के तीसरे नियम में परिवर्तन कर लिया है, जिसके द्वारा वह आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिया है कि हम जिस कानून को बनाने जा रहे हैं उस को वापस ले लें। इसलिये यह बिल केन्द्रीय सरकार की सलाह से वापस हो रहा है। और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं ही कानून बना रही है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कांटिन्युएंस आफ पावर्स) विधेयक, १९५५, जो विधान परिषद की १९ फरवरी, १९५५, की बैठक में पारित हुआ था, और जो २८ फरवरी, १९५५ को सदन की मेज पर रखा गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५, पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २३३--२३४ पर)

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश, संशोधन) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २३५-२३६ पर)

उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबंध (प्रशासन) विधेयक, १९५५

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५, पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २३७-२५२ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २५३-२५६ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २५७-२५९ पर)

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५, पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २६०-२८९ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि इस विधेयक पर पुरःस्थापन होने के कितने दिन बाद माननीय मंत्री जी इसको वापस लेने की अनुज्ञा चाहेंगे। (हंसी)

यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २९०-३०३ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३०४-३०५ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मुझे इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह जानना था कि यह बिक्री-कर संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में कौन-कौन संशोधन हों यह प्रश्न एक कमेटी के विचाराधीन है। जो कि सेल्स टैक्स कमेटी यू० पी० सरकार ने बनायी है उस की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। तो अगर यह विधेयक सब संशोधनों के सामने रख कर लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का क्या विचार है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वक्त से पहले की बात है। उस की कापियां तो रखी जा चुकी थीं, उस को पढ़ा हो मेरे दोस्त ने तो उन्हें मालूम होगा कि यह कोई ऐसा संशोधन नहीं है कि जिसके लिये किसी बात का इन्तजार किया जाय। इसमें तो सिर्फ इतनी बात रखी हुयी है। यह कानून की रू से सेल्स टैक्स से मुस्तसना कर देने का तो अख्तियार है लेकिन उसमें कमी वगैरह करने का अख्तियार नहीं है। तो वह अख्तियार लेने के लिये जरा सा इसके अन्दर लफ्ज रखा गया है। बाकी जब कभी बड़ा बिल बनेगा, वह तब्दीली होगी। अभी कुछ ताल्लुक नहीं है उससे।

*उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के विधेयक, १९५४, पर विचार प्रारम्भ होगा।

खण्ड २

परिभाषायें। २--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर--

(क) "प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा ३ के अधीन इस प्रकार स्थापित किया गया हो;

(ख) "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कृत्य करने के लिये अधिकृत करें;

(ग) "हानिप्रद तृनादि" (noxious weeds) का तात्पर्य किसी भी तृणादि (weeds) से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे;

(घ) "अध्यासी" (occupier) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे समय विशेष पर किसी स्थल, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो;

(ङ) "परजीवी" (Parasite) का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे या पशु से है जो पूर्णतः अथवा अंशतः किसी कृषिक, फस्ल पौधे, वृक्ष, झाड़ी अथवा औषधि (herb) पर जीवित रहता हो और जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे,

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

(च) "नाशक कीट" (pest) का तात्पर्य किसी ऐसे कीट अथवा मेरुहीन (Invertebrate) जीव से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे ;

(छ) "पौधे" के अन्तर्गत सभी उद्यान सम्बन्धी तथा कृषिक फस्लें, वृक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (herbs) है तथा इसके अन्तर्गत इनके बीज, फल, पत्ते, छाल क़लम (cuttings) अथवा भाग भी हैं ;

(ज) "पौधों के रोग" का तात्पर्य किसी गोमज (fungoid), शाकाणीय (bacterial), विषाणवीय (virus), पारजैविक (parasitical) अथवा अन्य रोग से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन पौधों का रोग प्रख्यापित करे,

(झ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है, तथा

(ञ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पहली पंक्ति को निम्न रूप से रख दिया जाय--

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट' के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर भी होगा अथवा।"

उपाध्यक्ष महोदय, असल में मेरा यह संशोधन रखने का तात्पर्य यह है कि यह जो इस विधेयक का खंड २ है उसका उपखंड (२) इस प्रकार है उसको मैं बदलना चाहता हूं :--

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिससे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कृत्य करने के लिये अधिकृत करे।" अब मेरा कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस काम के लिये उपयुक्त साबित नहीं हो सकता है। असल में उसकी जो जानकारी होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, किसी फसल के बारे में या किसी रोग की तो इस तरह की जो चीज मालूम होती है वह ज्यादातर उनको होती है जो खेती बारी से संबंध रखते हैं। उन लोगों को वह बात मालूम होती है। इस लिये बजाय इसके कि अकेले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर यह बात छोड़ दी जाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की डेफीनीशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफीसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर, दोनों को रख दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर न जाने दुनियां के कितने मामलों का बोझा रहता है तो आखिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वह इस विधेयक के जरिये जब यह ऐक्ट बन जायगा तो वह खुद काम न करके बल्कि ऐसा लगता है कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर से ही काम लेगा। इसलिये बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पावर डेलीगेट करे अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की डेफीनीशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर इन दोनों को रख दिया जाय तो व्यर्थ का कागजी काम नहीं बढ़ेगा। तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने यह बात आती है कि जब वह किसी को पावर्स डेलीगेट करता है तो समय और पैसे का चाहे वह दो पैसे के टिकट का ही खर्चा हो, दोनों का खर्चा होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर इस काम को समझते हैं कि रोगों से बचाने के लिये फसल के लिये कुछ काम करना है। इसलिये इसमें अगर यह चीज हो जाय तो अच्छा है। मेरा मतलब यही है और इसी मतलब से मैंने यह संशोधन रखा भी है और मैं समझता हूं कि सरकार को इसको स्वीकर करने में कठिनाई नहीं होगी और इसे स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा है।

†कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी होती अगर मैं गेंदा सिंह जी के संशोधन को कबूल कर सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि काम में बड़ी उलझन हो जाती है। अव्वल तो हमेशा से यह विधान सभा का रुख रहा है कि जब कोई वाइड पावर दी जाती हैं तो वह ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को ही दी जाती है ताकि वह तमाम बातों को सोच समझकर काम करें इसी बुनियाद पर यह पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गयी हैं। रहा यह कि इत्तिला कैसे मिलेगी तो जाहिर है कि जिनका सम्बन्ध खेती से होगा उनसे ही मिलेगी और अगर उसके पास वक्त नहीं होगा तो वह उन्हीं अधिकारी को पावर दे देगा। इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर को निकाला नहीं जा रहा है और जब हम अधिकार देने जा रहे हैं तो ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को पावर दी जानी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस असल शक्ल में डेफिनीशन है उसी शक्ल में रहनी चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन मुनासिब इसलिये है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अपनी पावर्स डेलीगेट करता है तो ऐस०डी०एम० तहसीलदार या नायब तहसीलदार को ही करता है। पहला कारण तो यह है कि यह लोग इसके रोगों के विशेषज्ञ नहीं हैं। आम तौर पर सरकार जो बीच-बीच में काम लेती है वह ज्यादातर माल विभाग से ही लेती है। नतीजा यह होता है जैसा कि बाढ़ के सम्बन्ध में कहा गया है कि झूंठी रिपोर्ट आजाती है जिनसे गलतफहमी होती है। इस विधेयक की स्कीम बहुत ज्यादा वाइड पावर्स हैं जैसे किसी की फसल में या घर में घुस जाना और रिपोर्ट देना जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है कि वह खुद करे और सरकार बाध्य कर सकती है और सरकार खुद कर सकती है और उसका खर्चा उससे रेवेन्यू की तरह से वसूल हो सकता है। ऐसी सूरत में इन दो अधिकारियों के नाम रह जाते हैं जो समझता हूं कि समाज सेवा क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। इसी फैसले से उनका सम्बन्ध है। श्री गेंदा सिंह जी का भी तात्पर्य यही है कि अगर वह किसी दूसरे को अधिकार देना चाहे तो वह न दे। इन शब्दों को वह यहां पर जोड़ देना चाहते हैं। इसके अलावा और भी अधिकारी हो सकता है जो इस विशेष काम को करनेवाला हो। प्लानिंग अफसर या तहसीलदार भी इसके अलावा आ सकते हैं। ऐसी सूरत में कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई हिदायत दी जाय और उसके लिये कानून में कोई समावेश कर दिया जाय ताकि आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस पर चला करते हैं उस रास्ते को न मानकर जो अन्य जिले में विशेषज्ञ हों और काफी जानकारी इस विषय की रखते हों उनके जरिये इस काम को कराया जाय और माल विभाग के जरिये से इस काम को न कराया जाय।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई ऐसा संशोधन नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ा उलट फेर हो जाय। जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर भी रहें क्योंकि यह विधेयक कीट नाशक विधेयक है। इसका ऐग्रीकल्चर अफसर से सम्बन्ध है, इसका खेतीबारी से सम्बन्ध है, और प्लानिंग अफसर से जितना सम्बन्ध है उतना सम्बन्ध दूसरे से नहीं है। आज के युग में इस सरकार के द्वारा जो-जो प्रदत्त अधिकार हैं। गांवों में प्लानिंग का जितना काम है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट का जो काम है, और जितना भी उत्थान का काम आज गांवों के अन्दर हो रहा है उस सब का सम्बन्ध आज प्लानिंग से है। तो यह मान लेना कि जिलाधीश के अन्दर उनको भी माना जाय और प्लानिंग अफसर और ऐग्रीकल्चर अफसर को भी माना जाय यह उचित नहीं है। गेंदा सिंह जी के संशोधन में इसी बात को साफ कर दिया गया है और जिलाधीश को मनमानी करने का अवसर नहीं रहता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे एक बड़ी भारी खामी दूर हो जायगी जिससे जो विरोधी दल के लोगों को शिकायत करने

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अक्सर मौका रहता है वह दूर हो जायगा। किसी जिले में प्लानिंग अफसर या ऐग्रीकल्चर अफसर के साथ जिलाधीश के सम्बन्ध बुरे रहते हैं और सम्बन्ध में बुरे होने के कारण आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत सी पावर जो जिलाधीश डेलिगेट करते हैं वह जिससे अच्छे संबंध रहते हैं उनको ही डेलिगेट करते हैं। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि प्लानिंग अफसर और एग्रीकल्चर अफसर को अगर जिलाधीश के अन्तर्गत कर दिया जाय जैसा कि गेंदासिह जी का प्रस्ताव है तो यह बहुत मनासिब होगा। सरकार अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो इससे जिलाधीश का भार भी सरकार हल्का करती है। मुझे आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं जिसको न हमारे भाई गेंदासिह जी ने समझा है, न त्रिपाठी जी ने और न रामेश्वरलाल जी ने समझा है। अगर यह तरमीम मान ली जाती है तो यह खंड (ख) इस तरह से हो जायगा "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर अफसर भी होगा अथवा वह अधिकारी भी होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिये अधिकृत करें।" इसके माने यह हो जायंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्लानिंग अफसर, एग्रीकल्चर अफसर इन तीनों को यह अधिकार होगा कि वह तीनों किसी को इस काम के लिये अधिकार दे सकते हैं। प्लानिंग अफसर भी नामजद होगा। उधर एग्रीकल्चर अफसर भी नामजद करेगा और जिलाधीश को भी यह नामजदगी का अधिकार रहता है। तो ऐसी हालत में हमारी यह कानूनी कठिनाई है। इसलिये मेरे लिये यह दिक्कत है। फिर हमारे दोस्त ने यह भी फरमाया कि खर्चा तो उतना ही रहता है। अगर यह "अथवा" रख दिया जाय। मगर मेरी तो गुजारिश यह है कि हमारे दोस्त ने खर्चे को मिटाने की कोशिश जरा भी नहीं की ऐसी सूरत में खर्चा भी उतना ही होगा और तीन अधिकारी भी होंगे जिनको नामजद करने का अधिकार होगा। यह इसमें डेलीकेसी है इस वजह से मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता नहीं तो किसी से मुझे ज्यादा मुहब्बत थोड़े ही है। हमको तो यही खुशी हुयी कि माननीय गेंदा सिंह जी को डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर से उल्फत तो है प्लानिंग आफिसर से उल्फत तो है। लेकिन इस कानूनी अड़चन की वजह से मैं मजबूर हूं।

श्री गेंदासिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो मैं यह समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी मेरी बात को मानेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने जो डेलीकेसी बतायी है उसके सिलसिले में मैं अगर कुछ दरख्वास्त कर दूं तो शायद वे विचार कर लें। मैंने यही समझ कर अमेंडमेंट रक्खा था कि उससे उनको कोई दिक्कत न हो। किसी को अपने पावर्स के डेलीगेट करने में दूसरे आदमी को काम करने में कोई दिक्कत न हो इसलिये "अथवा" के आगे के अधिकार हमने रहने दिये। मैं इसके द्वारा यह समझता हूं और यह समझने की बात भी है कि यदि हम तीन आफिसरों को यह काम सुपुर्द कर देंगे तो वह बहैसियत ऐग्रीकल्चर आफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर वे लोग काम कर सकते हैं। ऐसा भी वक्त आ जाता है जब टिड्डी जैसे कीड़े चल पड़ें और उस वक्त एक ही वक्त में इन तीनों को तीन स्थानों पर काम करने की जरूरत हो। ऐसी हालत में अगर उनको यह पावर्स किसी और शख्स को डेलीगेट करना हो वे ऐसा कर सकते हैं। जब टिड्डी चलती है तो तीनों एक ही जगह काम नहीं कर सकते। तीनों तीन इलाकों में काम कर सकते हैं। अगर उनको इस बात की जरूरत पड़ी कि टिड्डी से बचने के लिये दूसरे आफिसरों को अपनी पावर्स डेलीगेट करें और इस प्रकार से वे दूसरों से भी काम ले सकते हैं। मैंने खास तौर से टिड्डी की तरफ ध्यान दिलाया है क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि केवल एक ही इलाके में टिड्डी आये। अगर पश्चिम की तरफ से टिड्डी चल पड़ी तो प्लानिंग आफिसर एक जगह डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर दूसरी जगह और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तीसरी जगह हो सकता है। ऐसी हालत में आवश्यकता के समय तीनों आदमी ही अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर्स डेलीगेट करने की बाट जोहते रहें और उधर टिड्डी अपना काम करके चली जाय। ऐसा

[श्री गेंदासिंह]

ही समझ कर मैंने इसको रक्खा था। मैं समझता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी इसको इस ख्याल से स्वीकार करने की कृपा करेंगे। वैसे हमको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर से कोई खास मुहब्बत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी आदमी से मुहब्बत करना नहीं चाहते है लेकिन हम आदमी से मुहब्बत करते हैं और उसके काम से मुहब्बत करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर कोई सेवा का कार्य करता है तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं हो सकती और अगर कोई दूसरा आफिसर मुहब्बत वाला क्यों न हो अगर वह काम बिगाड़ता है तो हम कब तक मुहब्बत करते रहेंगे। हमें किसी खास आफीसर के लिये कोई मुहब्बत नहीं है। हम ऐसी जरूरत समझते हैं कि उन लोगों का गांव की फसलों और कीड़ों से ज्यादा सम्बन्ध होता है। वे कीड़ों को पहचानते भी हैं। कई कीड़े ऐसे भी हो सकते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहचानता भी न हो। कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जिन कीड़ों से नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि फायदा पहुंचता है। इसलिये ऐसे कीड़े होते हैं तो यह हो ही नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बेचारा जो भले ही आई० सी० एस० हो और उसे बड़ा ऊंचा दर्जा हासिल हो लेकिन खेती बारी के बारे में जितना ज्ञान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर को होगा या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर को होगा उतना कलेक्टर को नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी फील्ड दूसरी है, उसका क्षेत्र दूसरा है। अगर कोई कलेक्टर बहुत मेहनती आदमी हो और वह जानकारी रखता है तो वह बड़ी बधाई का पात्र है लेकिन हर कलेक्टर के बारे में ऐसी बात नहीं सोची जा सकती है। इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है जिससे सरकार के कामों में सुविधा मिलेगी। अगर इस सुविधा से लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं कृषक हैं, तो उनको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जब लाभ उठाने का मौका हो तो उससे लाभ उठाना चाहिये। यों जैसी उनकी मर्जी हो।

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय कृषि मंत्री जी इसका कुछ जवाब देंगे ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां, चूंकि टिड्डी ऐक्ट का हवाला दिया है इसलिये मैं केवल वह दफा पढ़ देना चाहता हूं।

"District Magistrate includes any officer authorized by the District Magistrate to perform the functions of a District Magistrate under this Act."

अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर होते हैं और कोई अड़चन नहीं होती। इस संशोधन को मान लेने से तीन आदमी हो जायेंगे जो सारे जिले का इंतजाम करेंगे। जो धारा तीन प्रस्तुत है उसके अनुसार अगर किसी लोकल एरिया में अगर इस तरह की किसी बीमारी की सम्भावना हो तो उसको घोषित कर दिया जायगा, गजट में नोटीफाइड कर दिया जायगा। दफा ४ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिये गये हैं जिस पर वह अमल करे। लेकिन जब तीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो जायेंगे तो उसी पार्टिक्यूलर एरिया के लिये अगर यह संशोधन मंजूर कर लिया जाता है तो इससे तीन-तीन तरह के आर्डर वे देने लगेंगे और यह एक बड़ी असमंजस्य की बात पैदा हो जायगी अगर सारे जिले का इंतजाम करना हो तो यह ठीक है कि तीन चार या ६ आदमी जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपना पावर डेलीगेट कर दे उनसे काम ले और इसके लिये उसको अख्तियार दिया गया है। लिहाजा इस संशोधन को मान लेने से बड़ी गड़बड़ी हो जायगी और इसमें बड़ी दिक्कत होगी वरना इसको मानने में हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पहिली पंक्ति को निम्न रूप से रख दिया जाय--

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर भी होगा अथवा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की दूसरी पंक्ति में "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के स्थान में "राज्य सरकार" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी संशोधन इस सम्बन्ध में मेरा होगा या जो प्रस्तुत संशोधन है उसमें टिड्डी अधिनियम का हवाला आ जायगा। उस अधिनियम में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परिभाषा है ठीक वैसी ही इस वर्तमान विधेयक में है लेकिन मैंने जो यह संशोधन रखा है कि जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह अधिकार होगा तो उसकी जगह पर कोई और अधिकृत हो तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं न निर्धारित करे बल्कि राज्य सरकार जिसको उसकी जगह पर निर्धारित करना चाहे करे। उस अधिनियम में भी एक नजीर सदन ने पहले पास किया था लेकिन उसको ही नजीर मानकर आगे सदन कोई विचार करे तब तो कोई और संशोधन उपस्थित करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सदन हर वक्त हर मसले पर विचार कर सकता है और अपनी राय को तब्दील भी कर सकता है। यह कोई जरूरी बात नहीं है कि उस अधिनियम में जो कुछ भी एक बार निश्चय किया गया है वह सारी की सारी बातें ज्यों की त्यों इस विधेयक में भी रख दी जायं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस विषय की चर्चा भी आयी है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसमें तीन अधिकार दिये गये हैं। पहला तो प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का, दूसरे यह कि अगर कोई प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है और अगर किसी को आज्ञा दी जाय और वह उसका पालन न करे और सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार से काम कर लें तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां होगी और तीसरी यह कि अगर कोई सहायता नहीं करता है या आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उस पर ५० रुपये तक की पिनाल्टी करने का भी अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। तो जब इतने विस्तृत अधिकार हैं कि वह स्वयं अपील सुनने वाला है, उसी को प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार हो और जहांतक घोषित करने की बात है वह तो कोई एक्सपर्ट नामजद करे वह उसको घोषित कर देगा उसमें कोई विशेष एतराज की बात नहीं है लेकिन....।

श्री हुकुमसिंह--मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, अपने मित्र की इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि उसकी धारा ३ के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट उसको घोषित करेगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--खैर तो वह बात न सही लेकिन अपील सुनने का अधिकार उसको है, ५० रुपये तक पिनाल्टी करने का अधिकार उसको है और यह अधिकार सिवाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिये। अगर उसने कहीं किसी इंस्पेक्टर को यह अधिकार दे दिया या सुपरवाइजर को यह अधिकार दे दिया तो कितना दुरुपयोग हो सकता है। राज्य सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेदार है। राज्य सरकार जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार देती है तो सोच समझ कर देगी। इस कानून से सारे सूबे के किसानों का ताल्लुक है तो उसमें इस तरह के अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सोच समझ कर देना चाहिये कि वह उन अधिकारों को जो जनता के हित के लिये उसके पास रखे गये है ऐसे लोगों को अधिकृत कर दें कि जो उस अधिकार का दुरुपयोग करें और करते भी हैं और इस बात की शिकायत मिली भी है छोटे अधिकारियों के द्वारा जैसे म्युनिसिपैलिटी में या टाउन एरियाज में ऐडल्टरेशन की जिस तरह की शिकायतें मिली हैं तो इसमें भी हो सकता कि इसी तरह से दुरुपयोग हो। और अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार इतने बड़े हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार होना चाहिये कि वह राज्य सरकार को लिखकर भेज दे और राज्य सरकार देख लेगी कि वह किसको अधिकृत करता है और राज्य सरकार चाहे तो उसको अधिकृत कर दे। यह राज्य सरकार की जानकारी में भी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने अधिकारों को किसी को अधिकृत करने की पावर नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को मान लेने से किसी का कोई नुकसान नहीं है और विधेयक में त्रुटि भी दूर हो जाती है।

श्री हुकुमसिंह--हमारे मित्र द्वारका प्रसाद जी ने एक लम्बी तकरीर अपनी तरमीम की ताईद में की मैंने उसे समझने की भी कोशिश की लेकिन जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक

[श्री हुकुम सिंह]

है उनकी स्पीच का बहुत बड़ा हिस्सा इस तरमीम के नजदीक तक नहीं आया। उनको इस बात का एतराज है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसी को पावर डेलीगेट करे इस अधिनियम को बरतने के लिये लेकिन उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार रहे क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कोई तरमीम दी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कतई नाम निकाल दिया जाय। उसके खुद बरतने के बारे में उनको कोई एतराज नहीं है केवल डेलीगेट करने के बारे में एतराज है। मेरे मित्र ने मेरी जबान बन्द कर दी कि कोई नजीर इसकी ताईद में न पेश की जाय। नजीर इसी सदन की है और ठीक है और वह कानून जो प्रयोग में आया उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आयी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस अख्तियार को इस तरह से नहीं बरता जिसके बारे में कोई शिकायत हो। न जनता को शिकायत हुयी न आज तक मौर्य जी ने कोई शिकायत की। ऐसी सूरत में यह कानून है। उसका दुरुपयोग नहीं किया गया, अख्तियारात उन्हें दिये गये, उन्हें ठीक तौर से बरता गया और जनहित में बरता। फिर इस मौके पर उनकी आनेस्टी पर किसी किस्म का शक करना कहां तक उचित और मुनासिब है। ये तो ऐसा काम है जो फौरी होना चाहिये। जैसे कालरे की बीमारी में जरा भी देर हुयी तो काम तमाम हो जाता है। जाहिर है जब तक लिखा पढ़ी होगी और फिर वहां से गवर्नमेंट में वह आये और यहां भी नोटिंग हो तब तक काम तमाम हो जायगा। तो इस तरह से यह तरमीम इस कानून में रुकावट डालने वाली होगी। हां कोई शिकायत पहले से होती और फौरी कानून को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दुरुपयोग किया होता तब तो मैं जरा भी ताम्मुल नहीं करता, फौरन अपने मित्र की बात मान लेता। लेकिन कोई शिकायत न होने पर ऐसा कानून बनाना जिससे बजाय सहूलियत होने के अड़चन हो जब तक अख्तियारात दिये जायं तब तक फसलों का काम तमाम हो जाय फिर देरी भी हो इससे क्या फायदा। इसी तरमीम के सिलसिले में ५० रु० जुर्माने की बात भी कह दी, अपील की भी बात कह दी। इसके बारे में क्या जवाब दूं। उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जब वह प्राविजन आयेगा तब जवाब दूंगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप मानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में आप इतना विश्वास और कीजिये कि वह अच्छे ही अफसरों को डेलीगेट करेगा। इंस्पेक्टर्स तक को अख्तियारात दिये गये हैं लेकिन इसमें तो इंस्पेक्टर को रक्खा भी नहीं गया बल्कि ऐसा आफिसर जिसको अधिकृत करे जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा डिप्टी को डेलीगेट हो सकता है। वह भी अपनी पावर को दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसी सूरत में मैं कहता हूं कि इस तरमीम से बजाय फायदे के जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह जाता रहता है। अगर वक्त पर काम न हुआ तो तमाम फसलें नष्ट हो जायंगी। किसी कानून का यह मंशा हर्गिज नहीं हो सकता कि नुकसान हो, यह जनता के हित के लिये कानून बनाया गया है, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं बनाया गया है। अगर गलतफहमी है तो गलत है। तो ऐसी सूरत में अपने दोस्त से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि फिर सोच लें कि इसमें दिक्कत होगी, अड़चन और तवालत होगी। इस वजह से मैं इस को स्वीकार करने से मजबूर हूं।

*श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो यह पेश किया कि कलेक्टर को अधिकार दिया जाय कि वह अधिकारी नियुक्त करे, मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं। इसलिये कि कलेक्टर अपने अधिकार से, अपने अधिकार के अन्दर किसी हाकिम परगना या तहसीलदार या कानूनगो या ऐसे अधिकारी को किसी को मुकर्रर करता है किसी भी काम के लिये तो वह जैसा काम करते हैं वह मंत्री जी को मालूम है। अगर राज्य सरकार किसी को मुकर्रर करती है तो वह अधिकारी जायगा, तो निष्पक्ष होकर काम करेगा। जैसा कि मैं आपके सामने उदाहरणस्वरूप बतला दूं। थोड़े दिन पहले स्पेशल पड़ताल में राज्य सरकार की तरफ से यह था कि जो पड़ताल लेखपाल करेगा उसकी देखरेख के लिये अधिकारी रहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उस पड़ताल में लेखपाल गया। उसमें यह था कि गांवों में वह जायगा तो जा कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोपहर तक वह पड़ताल करेगा उसके बाद बैठ कर दोनों खाते पुराने और नये का मिलान करेगा और शाम को ग्रामाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठ कर खाते खाते को पढ़ कर सुनायेगा और उसको गलत या सही देखने के लिये कानूनगो जायगा, तहसीलदार जायगा, हाकिम परगना जायगा, कलेक्टर जायगा, लेकिन कलेक्टर हमको यकीन है किसी जगह पर नहीं गया, न तहसीलदार गया, न कानूनगो गया। लेखपाल ने अपने घर या किसी एक जगह पर बैठ कर सारी पड़ताल की तो वह स्पेशल पड़ताल में सारा गलत का गलत ही रह गया। ठीक उसी तरह से माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कलेक्टर किसी आदमी को जो अधिकार देता है, तो हमें यह शक है कि वह अपने अधिकार को उचित प्रकार से प्रयोग में नहीं लायेगा। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय मौर्यजी ने रखा है कि सरकार अपनी तरफ से अधिकार देगी, इन बातों को देखते हुए माननीय मौर्य जी का संशोधन बहुत सुन्दर है और मंत्री जी को उसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, समझाने का काम मेरा है। माननीय कृषि मंत्री की समझ में नहीं आया। मेरे उनके जाती ताल्लुकात ऐसे हैं कि मैं उनकी बातों को एकदम कैसे कह दूं कि नहीं मानता। इसलिए मुझे तो वापस लेना ही है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब प्रभाव क्षेत्र राज्य सरकार घोषित करेगी तो प्रभाव क्षेत्र के घोषित करने में जो पहला कदम है वह राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है तो कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रभाव क्षेत्र भी घोषित करने का अधिकार दे दें तो और जल्दी हो सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंनेकहा कि स्वीकार नहीं है तो मैं भी उनकी बात की कद्र करता हूं। और इसे वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति २ में "जल या भूगृहादि" के स्थान पर "या जल" रख दिया जाय। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि भूगृहादि निकास दिया जाय। आगे धारा ६ में भी भूगृहादि है। लेकिन यह कीट आदि के सम्बन्ध में भूगृहादि में प्रवेश जो अधिकारी चाहे कर सके, उसको देख लिया जाना चाहिये। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जब कोई अदालत की आज्ञा हो तो वहां सनराइज और सनसेट के पहले कोई न जाय। अगर कोई औरतें हैं जो परदा करती हैं तो उनको बाकायदा अलग हो जाने के लिये मौका दिया जाय। घर के अन्दर प्रवेश करने के लिये जितने भी वकील साहबान हैं, सब जानते हैं कि खासतौर पर हिदायत की गयी है और इस बात की व्यवस्था की गयी है कि मनमाने ढंग पर प्रवेश न किया जाय। यह बात आज तक के कानून में हमेशा देखी गयी है। लेकिन इसमें बीज आदि को देखने के लिये मकान के अन्दर कोई अधिकारी जा सकता है, निरीक्षण कर सकता है और उसके लिये कोई मौका भी नहीं देता, यह नामुनासिब बात है और मैं समझता हूं कि घर के अन्दर जाने की बात होनी भी नहीं चाहिये। फसलें खेत में होती हैं। बीज में अगर रोग होगा तो जब बाहर आयेगा तभी फैलेगा तो अगर इसकी व्यवस्था घर के बाहर ही रहे और खेत, जल वगैरह में ही उनके अधिकारी रहते और घरों के अन्दर जाने का अधिकार उनको न होता तो अच्छा था। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह शब्द "भूगृहादि" निकाल दिया जाय और बाकी स्थल, जल आदि में वह प्रवेश कर सकें। मैं समझता हूं कि इस बात को देखते हुए माननीय मंत्री जी इसको गौर करेंगे कि इसको रखने से उनका कोई लाभ नहीं है और इसको निकाल देने से विधेयक में कोई त्रुटि नहीं आती है और ऐसा कोई डर भी नहीं है कि अगर घर के अन्दर रोग है बीज में तो वह बाहर निकल कर फैल जायगा। वह तो जब चाहे डिस्ट्राय किया जा सकता है, इसको घर के अन्दर घुस करके बरबाद किये जाने की खास आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिये चाहता हूं कि यह निकाल दिया जाय।

***श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मौर्य जी ने संशोधन पेश किया है उसको वह खुद नहीं समझे हैं। वह कहते हैं कि यह बड़ा गलत होगा कि जब चाहे किसी के घर के अन्दर अधिकारी घुस जायं। यह अधिकार कहीं भी नहीं है। पहले वह क्षेत्र राज्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री]

सरकार द्वारा घोषित किया जायगा, उस के बाद ही अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा। अगर यह निकाल देते हैं तो प्रिमिसेज के अन्दर कंपाउन्ड भी आते हैं और कंपाउन्ड में खेती होती है। उन कंपाउन्ड्स में हो सकता है कि यह रोग हो और वहां से दूसरी जगहों में फैल जाय और बिला वजह सबका नुकसान हो जाय। इसलिये इसकी जरूरत है और इसको रखा गया है। वह जगह तो निश्चित समय के लिये घोषित की जायगी कि इतने समय के लिये यहां यह कार्यवाही हो सकती है। मान लीजिये कि जिस वक्त फसल खड़ी हुई है उस समय रोग फैला और उसके चार महीने बाद ही बोआई का समय आया। तो अगर वही बीज फिर बो दिया जायगा तो उसको फिर जाया करना पड़ेगा। इसलिये इसको रखना ज्यादा अच्छा रहता है और अगर इसको निकाल दिया जाय तो बीमारी का खतरा बढ़ जायगा। यह बहुत जरूरी है और इसको रहना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मतलब नहीं था कि प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित होगा और हमेशा ही कोई घुसता ही रहेगा। मेरा मतलब यह था कि घोषित करने पर बिला किसी प्रतिबन्ध के घुस सकता है। उस के लिये यह नहीं रखा गया है कि घुसने में क्या क्या शर्तें रखी जायंगी। क्या क्या देखभाल होगी, यह बातें नहीं रखी गयी हैं जैसा कि और कानूनों में है। बहरहाल अगर वह समझते हैं कि भूगृहादि के अन्दर घुस घुस कर जाने का अधिकार देने से देश के कीटों का नाश हो जायगा और किसान के जितने ये पौधे हैं सब कीटरहित हो जायंगे अगर घरों के अन्दर घुसने का अधिकार दे दिया जायगा, तो मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जितनी जल्दी वह इसे कर के दिखा सकें, दिखा दें तो अच्छा है।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब भी कुछ गलतफहमी है हमारे दोस्त को। उसमें आक्युपायर के जो लफ्ज हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, वह लफ्ज आक्युपायर यह इस्तेमाल हुआ है धारा ४ में है। उसके माने यह हैं आक्युपायर के कि अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे समय विशेष पर किसी स्थल, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो। उसके बाद धारा ४ में दिया है--धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उस के पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा--

(क) आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि, नाशक कीट पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे।

इसके माने यह हैं...........

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--धारा ५ में........

श्री हुकुमसिंह--जिसे हम चाहते हैं उसे हम कोट कर रहे हैं, जिसे आप चाहें उसे आप कोट करियेगा।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आक्युपायर में अगर भूगृहादि निकाल दिया जाय तो प्रेमिसेज का आक्युपायर उसमें नहीं आ सकता। फर्ज कीजिये किसी का दस बीघे का कम्पाउन्ड है, उसमें उसने गन्ना भी बोया है, और और भी ऐसी चीजें बोयी हैं जिसमें यह सब रोग लगता है। तो उसको हम किसी तरह से रोक ही नहीं सकेंगे। उनको हम कोई डाइरेक्शन दे ही नहीं सकते। तो जब हम कोई डाइरेक्शन दे ही नहीं सकते तो हम दुनिया भर का तो इन्तजाम करें, लेकिन उनके कम्पाउन्ड में जो भूमि है उसका क्या इन्तजाम

होगा। इस वजह से प्रेमिसेज के आक्युपायर का रहना नितान्त आवश्यक है। मौर्य जी के मकान में कम्पाउन्ड नहीं है तो हम उनको थोड़े ही पकड़ेंगे। लेकिन जिसके मकान में है उसे जरूर पकड़ेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जरूरत इस बात की है कि प्रेमिसेज का लफ्ज रखा जाय। यह संशोधन जो दिया गया है यह ऐसा है कि इसके निकल जाने से कुछ लोग जिनसे हानि पहुंचने का अन्देशा हो सकता है, वह लोग इसकी गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे जिससे इसका अभिप्राय ही खत्म हो जायगा। इसलिये इसको रखना आवश्यक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह वापस लेना है, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति २ में शब्द "पशु" के स्थान पर शब्द "जीव" रख दिया जाय। (ङ) खंड इस प्रकार से है, "परजीवी", पैरासाइट, का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे या पशु से है जो पूर्णतः अथवा अंशतः किसी कृषिक फस्ल, पौधे, वृक्ष, झाड़ी अथवा औषधि पर जीवित रहता हो और जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो "पशु" शब्द रखा गया है, मैं समझता हूं कि अगर यहां "जीव" शब्द रख दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि आपको याद ही होगा कि जिस समय जनरल डिस्कशन चल रहा था उस समय कुछ लोगों ने इस बात का प्रस्ताव दिया था कि इसमें पशु भी आ जाना चाहिये और खास तौर से वह गाय या पालतू जानवर जो कि शहरों में या आस-पास रहते हैं और आस-पास के गांव का नुक्सान करते हैं। अब इसमें जंगली जानवर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके हेडिंग को देखें तो इस में यह है, "उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक" इसमें पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं है कि जो पशु होंगे उनके लिये क्या व्यवस्था करेगी। तो मेरी राय में यह जो शब्द "जीव" है, इसमें ये सब आ जाते हैं। कीट-पतंगे भी आ जाते हैं। पशु से जो माननीय मंत्री जी तात्पर्य निकालना चाहते हैं वह ठीक निकलता नहीं, कीट-पतंगे उसमें नहीं आते। 'जीव' शब्द बहुत व्यापक है। इसलिये यह शब्द उपयुक्त है, इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--मुझे इसमें जरा भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक खतरा है। "जीव" रखने में इन्सान भी आ जायंगे।

श्री जोरावर वर्मा--अगर वह खेती को नुकसान करता है तो वह भी ठीक है।

श्री हुकुमसिंह--अगर इन्सान पर लागू करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम मान लेंगे। लेकिन अगर "पशु" की जगह "पक्षी" कर दिया जाय तो मैं समझता हूं वह ठीक हो, क्योंकि "जीव" एक ज्यादा व्यापक शब्द है, उसमें इनसान भी आ जायगा।

एक सदस्य--वेजीटेबिल भी आ जायगा।

श्री हुकुमसिंह--तो इस दिक्कत को देखते हुये क्या आप प्रेस करेंगे अपनी तरमीम को?

श्री जोरावर वर्मा--"जीव" शब्द मेरी राय में तो अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह उन्हीं के लिये है जो किसानी खेती के लिये नुक्सान पहुंचाते हैं। मनुष्य अगर फस्ल में नुक्सान करता है, किसी प्रकार से उसको नष्ट करता है तो यह उचित ही है कि उस के खिलाफ भी वही कार्रवाई करनी चाहिये जो जीव-जन्तु के खिलाफ है। यदि "पक्षी" रख दिया जाय तो जो नाशक कीट और पतंगे हैं उनके लिये यह शब्द उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये मैं तो इसी बात पर जोर दूंगा कि इसी शब्द को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य तो बिलकुल सत्य है कि नाशक कीट अथवा रोग पास के खेत में न पनप सकें। इसका यह उद्देश्य नहीं है कि जानवर फस्ल में छोड़ दिये जायं तो उन्हें मरवा दिया जाय या कोई पक्षी, कौंवा इत्यादि नुक्सान करते हैं तो उन्हें मारना शुरू किया जाय, या जैसा कि कहा गया है कि आदमी भी "जीव" में आता है, वह अगर पहुंच जाय तो उसे भी खत्म किया जाय। इससे उद्देश्य खत्म हो जाता है, चाहे 'जीव' शब्द रखा जाय या 'पक्षी'। उद्देश्य यह है कि रोग नाश करने के लिये, जो ऐसे कीटाणु हैं उन्हें रोकने के लिये यह रखा गया है। इसलिये यह संशोधन मानने के काबिल नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब माननीय मंत्री जी अपने ढंग से किसी भी तर्क को प्रस्तुत करने में सफलता अनुभव करते हैं। पिछले संशोधन में जो माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा, आपका तर्क सुनकर दंग रह गया। आप कहते हैं कि "जीव" रख दिया जायगा तो आदमी भी आ जायंगे और सारे कानून मारने पीटने वाला उन पर भी लागू हो जायगा। इसलिये उसको रखने में घबराते हैं। यह उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक कृषि रोगों को खत्म करने के लिये कीटों को खत्म करने के लिये है। "जीव" के मतलब कीट तो आता है, पर ऐसा कीट जो कृषि में रोग पैदा करता है। आदमी कृषि का रोग नहीं है। किसी तरह से माननीय मंत्री जी अगर यह साबित कर दें कि आदमी भी किसी फस्ल का रोग होता है तो मैं मानने को तैयार हूं। रोग वह नहीं है। तो कृषि के रोग और कीटों को नाश करने के लिये इसमें है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है कि 'पशु' के स्थान पर 'जीव' रख दिया जाय वह ज्यादा उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हुकुमसिंह--इसके मंजूर करने में मुझे दिक्कत मालूम होती है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति २ में शब्द "पशु" के स्थान पर शब्द "जीव" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ में शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "कामा" रख दिया जाय और शब्द "मेरुहीन (Invertebrate) के बाद शब्द "मेरुयुक्त (vertebrate)" बढ़ा दिये जायं।

कीट दोनों किस्म के हो सकते हैं इसलिये यह संशोधन रखा गया है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह संशोधन मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ में शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "कामा" रख दिया जाय और शब्द "मेरुहीन" Invertebrate " के बाद शब्द "मुरुयुक्त vertebrate बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालबहादुर सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (छ) की पंक्ति ३ में शब्द "पत्ते" के बाद "तना, जड़ें" बढ़ा दिये जायं।

इससे परिभाषा कांप्रिहेन्सिव हो जाती है इसलिये रखा है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह भी चूंकि उसके माने को साफ करता है इसलिये इसको भी मंजूर किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (छ) की पंक्ति ३ में शब्द 'पत्ते' के बाद 'तना, जड़ें' बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखंड (ट) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(ट) 'आवश्यक' सूची का तात्पर्य एक ऐसी सूची से है जो सरकार द्वारा बनाई गई है और जिसमें कृषि को हानि पहुंचाने वाले रोग, परजीवी, नाशक कीट, तृणादि का पूरा विवरण हो।"

मैं इसकी आवश्यकता इसलिये समझता हूं कि अभी तक हमारे देश के किसानों को इस बात का भी पता नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हमारी खेती को नुक्सान करती हैं। हमारे देश में बन्दर को हनुमान की सन्तान मान कर उसे भी मारने का रिवाज नहीं। बड़ैला सुअर को भी बाराह औतार समझ कर उसे भी हमारे किसान नहीं दूर करते। नील गाय को गऊ माता समझ कर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जहां किसान ऐसी बहुत सी चीजों को जो खेती को नुक्सान करती हैं उन्हें धार्मिक दृष्टि ले कर दूर करने की भी कोशिश नहीं करते वहां मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से एक ऐसी सूची बनायी जाय जिसमें इसका विवरण हो कि कौन जानवर हमारी खेती को नुक्सान करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर एक ऐसी सूची इसमें जोड़ दी जाय तो अति उत्तम होगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसमें सूची का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिये उसकी डेफनीशन देने की जरूरत ही नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामजी लाल सहायक ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस तरह से परिभाषा का शब्द बढ़ाया गया है उसी प्रकार से ऐसे शब्द सूची की परिभाषा उपखंड (ट) करके बढ़ाया जा सकते हैं। जैसे कि श्री राम जी लाल सहायक ने बतलाया कि सचमुच में पशु या कुछ पक्षी या जीव जन्तु हो सकते हैं जो कृषि को नुक्सान पहुंचाते हैं लेकिन हमारे यहां के लोगों की धार्मिक भावना ऐसी है जो जीवमात्र को अपनी बराबरी का दर्जा देने तक में नहीं हिचकते हैं। वह कहते हैं कि "अहिंसा परमोधर्मः" लिहाजा वह इन जीवों के नाश करने का साहस ही नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह सही है कि इस प्रकार कोई सूची बन जायगी तो दूसरे किस्म के जो रोग पैदा होंगे और नये किस्म के जीव जन्तु भी पैदा हो सकते हैं जो खेती को नुक्सान करें। इस समय जो कृषि को नुक्सान पहुंचाने वाले रोग, परजीवी, नाशक कीट, तृणादि हैं उनकी एक सूची मैं समझता हूं कि अवश्य बन जानी चाहिये, जिससे जो देहात के कृषक हैं वह कम से कम यह समझ जायं कि उनके नाश करने में या उनके मारने में हमारी किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती है इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं जो आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन को देखकर जितना आश्चर्य नहीं हुआ था उससे अधिक श्री जोरावर वर्मा का भाषण सुनकर हुआ। उन्होंने यह कहा कि इसमें एक संशोधन लाकर एक आवश्यक सूची का संशोधन उपस्थित कर दिया जाय तब यह लागू हो सकता है इसका अर्थ तो हम समझ सकते हैं लेकिन वह संशोधन कहां है आवश्यक सूची बनाई जाय पहले यह संशोधन रखा जाय तब यह संशोधन लाया जा सकता है और क्योंकि वह संशोधन नहीं है इसलिये

[श्री व्रजबिहारी मिश्र]

उनका सुझाव सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गया। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आवश्यक सूची की परिभाषा न दी जाय तब तक इस सम्बन्ध में कोई बात कहना गलत होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि गवर्नमेंट के बिल में कोई लिमिट नहीं है यानी हम कोई लिमिट नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे लायक दोस्त कहते हैं कि लिमिट कर दी जाय। इस समय तो गवर्नमेंट फ्री है कि चाहे जिस पशु को मार सकते हैं। यदि अभी सूची बना देंगे तो कुछ दिनों बाद नये पशु पैदा होने पर हमें फिर से नई सूची बनानी होगी और फिर से विधेयक लाना होगा और इससे हाउस का लास होगा। यह बिल जिस रूप में गवर्नमेंट ने पेश किया है उसी रूप में रहे तो अति सुन्दर रहेगा और आशा करता हूं कि हमारे दोस्त प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री रामजीलाल सहायक--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापन।

३--जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों को लिये हानिप्रद है और ऐसे रोग, परजीवी नाशक कीट अथवा तृणादि का उन्मूलन अथवा उसके आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम के निरोध का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस क्षेत्र को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय प्रभावित क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है और इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में--

(क) किसी रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा तृणादि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पौधा का रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा हानिप्रद तृणादि प्रख्यापित कर सकती है,

(ख) किसी भी पौधे, भूमि, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने अथवा हटाने को मना कर सकती है अथवा रोक सकती है।

(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (Preventive or remedial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पुनरागम (Introduction Spread and reappearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये आवश्यक समझे, तथा

(घ) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसे पौधे के लगाने अथवा उगाने को मना कर सकती है जो इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में अन्य फस्लों के लिये सम्भवतः हानिकारक हो।

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति के शब्द "को" और शब्द "यह" के बीच में शब्द "कृषि विशेषज्ञों की सलाह से" बढ़ा दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह खंड ३ इस प्रकार से है कि "जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद हैं और ऐसे रोग, परजीवी नाशक कीट अथवा तृणादि पौधों का उन्मूलन अथवा उसके आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम के निरोध का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस क्षेत्र को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय प्रभावित क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है। "जहां पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ......" उसके स्थान पर राज्य सरकर को कृषि विशेषज्ञों की सलाह से यह प्रतीत हो कि ऐसा मेरा रख देने का विचार है। मैं तो यह समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये। बिना किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सरकार ऐसा प्रख्यापित करेगी मैं ऐसा नहीं समझता हूं। अगर सरकार का यह इरादा हो कि बगैर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के वह प्रख्यापित कर दे कि फलां चीज हानिप्रद है और फलां चीज लाभप्रद है तो इससे बड़ा अहित होने का डर है। तो मुझे कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इतनी सीधी सी बात है जिसमें कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मालूम यह होता है कि किसी भ्रम से यह बात रह गयी है। मैं समझता हूं कि इतना रख देने से अच्छा रहेगा और कृषि विशेषज्ञों की राय तो सरकार लेगी ही परन्तु वह बात इस ऐक्ट में भी रहे तो अच्छा है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री गेंदा सिंह जी ने उपस्थित किया है मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है उनके भाषण से भी यह मालूम होता है कि वह स्वयं यह समझते हैं कि राज्य सरकार जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह से काम करेगी। ऐसी बात तो है नहीं कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से कोई काम करती है। राज्य सरकार को तो जब इतमीनान हो जायगा तभी ऐसी बात वह कर सकती है। तो जो चीज बिलकुल प्रत्यक्ष है उसके लिये यह फिकरा जोड़ना फिजूल चीज होगी। इसलिये इसमें यह रिडेंडेंट होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सुझाव के अच्छे होते हुये इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है वह इसलिये कि माननीय गेंदा सिंह जी यह समझते हैं कि यह सरकार जो कुछ भी काम करती है वह बिना विशेषज्ञों की सलाह से करती है। जहां तक मैं समझता हूं जिस विषय का जो भी काम करती है वह उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह लेकर काम करती है। इसलिये यह तो इसमें निहित ही है कि सरकार जो भी काम करेगी वह उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह लेकर भी काम करेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब खंड २ में (क) और (ख) हमने पास कर दिये तो इस संशोधन की जरूरत नहीं है। विरोधी पक्ष के ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर से हम अर्ज कर देना चाहते हैं कि कम से कम वह तैयार होकर आवें। बिना विशेषज्ञों की सलाह के राज्य सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं चलती है। हर डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ मौजूद हैं और उनकी सलाह से काम होता है। इसलिये मैं गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री रामेश्वर लाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। राज्य सरकार कभी-कभी ऐसी गलती करने पर आमादा हो जाया करती है जैसी कि पिछले दिनों देखने को मिली है। राज्य सरकार को अधिकार है कि अपने प्रान्त में मिलों के साथ ज्यादतियां होती क्षेत्रों को मिलावे और निर्धारित करे। इसमें राज्य सरकार की ओर से बहुत गन्ना उत्पादक हैं। सरकार ने जनता की इच्छा के विरुद्ध मिलों के साथ उनके सम्बन्ध किये

[श्री रामेश्वर लाल]

हैं। ए० सी० डी० ओज़ या डिप्टी जो वहां काम करते हैं उन्हीं की सलाह को मानकर यहां से राज्य सरकार आदेश देती है और जनता की इच्छा का हनन होता है। इसलिये जरूरी है कि कृषि विशेषज्ञों को रखा जाय। यह कोई भी माननीय सदस्य नहीं मानेगा कि सरकार से गलती होती ही नहीं है। हमारे मंत्रियों के लिये यह मान लेना कि वह कृषि के महा पंडित हैं ठीक नहीं है। वह कृषि के महापंडित की राय पर चलने वाले हैं। तो माननीय गेंदा सिंह जी ने तो इस संशोधन से माननीय मंत्री जी का कार्य हल्का किया है।

माननीय जोरावर जी की बात मेरी समझ में नहीं आयी। अभी तक वह विरोधी रहे लेकिन आज हो सकता है कि कुछ उपाधि वितरण की लालसा हो या लालच उनको दे दिया गया हो। वह अभी पशु की जगह जीव के लिये लड़ रहे थे उनको कृषि विशेषज्ञों के नाम पर क्यों आपत्ति है? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हठवादिता से काम न लेकर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि न मैं महापंडित हूं और न महाब्राह्मण हूं। मैं कृषि मंत्री हूं और जनता का सेवक हूं। मेरे मित्र रामेश्वर लाल जी ने तो जोरावर वर्मा जी पर भी आरोप किया। मगर चूंकि यथार्थ में यह तरमीम बिलकुल गैरजरूरी है इसलिये हर समझदार आदमी इसका विरोध करेगा। यह विधेयक है एग्रीकल्चर विभाग की ओर से और आपके कृषि मंत्री उसके मुताबिक काम करेंगे जब आप इसे कानून बना देंगे। उनके मातहत कृषि विभाग के सारे अफसरान होते हैं जो कृषि में विशेषज्ञ कहे जाते हैं। मेरे पास डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं आवेगी। वह जायगी चौधरी चरणसिंह जी के पास। मेरे पास एन्टीमालोजिस्ट की और डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर की जो खेती से सम्बन्ध रखते हैं उनकी रिपोर्ट आवेगी। राज्य सरकार अगर उनकी रिपोर्टों से मुतमइयन होगी तो धारा ३ के अनुसार आदेश जारी करेगी। लिहाजा ऐसी सूरत में जब कृषि विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर अमल करना है तो ये शब्द इसमें बढ़ाना उचित नहीं है। कानून में हर शब्द कांटे पर तौल कर रखा जाता है। अगर एक शब्द भी फाजिल हो तो उसमें बहुत गलती होने की गुंजाइश रह जाती है। ऐसी सूरत में बेकार किताब को मोटा बनाने से कोई लाभ नहीं है। मैं रामेश्वरलाल जी को बता देना चाहता हूं कि बिना मेरे इशारे या सलाह मश्विरे के जोरावर जी ने विरोध किया है। मैं उनको यकीन दिला देना चाहता हूं कि मैं बिना विशेषज्ञों की सलाह के कोई काम न करूंगा और अपनी कामनसेंस के साथ व उनकी सलाह से काम करूंगा। कृषि के पंडित और महापंडित होने का फख्र रामेश्वर लाल जी को हासिल है और एक दफा उन्होंने अपनी विद्वता की यहां बात भी कही थी। मैं तो खेतिहर हूं। मैं मक्षिका स्थाने मक्षिका करने वाला नहीं हूं। इसलिये मैं गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही यह निवेदन किया था कि सरकार अगर कोई इस प्रकार का प्रख्यापन करेगी तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करेगी और इसलिये मैंने यह सोचा था कि इस खंड में यह स्पष्ट रहे तो फिर कोई शुबहे की गुन्जाइश नहीं रहेगी। इस विधेयक में सबसे अधिक अगर किसी अधिकारी का नाम आया है तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आया है। मुझे शक जरूर होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रधान पार्ट प्ले करने वाला इस विधेयक में बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यदि कृषि अधिकारी भी होता और कृषि के बारे में भी जानता तो मैं भी समझता कि वह कृषि के बारे में भी जानता है और कृषि के कार्य को जानने के बाद, ऐसा दर्जा पास करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति न होती कि उसको अधिकार दे दिया जाय और फिर उसमें कोई आपत्ति होने की संभावना भी नहीं थी लेकिन जब मैंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परिभाषा में जोड़ना चाहा तो उसको मान

नहीं जिनका कि प्रत्यक्ष खेती-बारी से संबंध होता है, इसलिये मुझे यह आवश्यकता पड़ी कि यह शब्द रखूं कि सरकार कृषि विशेषज्ञों की सलाह से प्रख्यापन करे।

मैं शुरू में समझता था कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा और इस संशोधन पर किसी खास बहस की आवश्यकता भी न होगी, लेकिन यह संशोधन झगड़े में पड़ गया और सबसे अधिक झगड़े की बात यूं हो गयी कि हमारे दोस्त जोरावर वर्मा ने उसका विरोध कर दिया। मैं माननीय जोरावर वर्मा के विरोध की वकत करता हूं। अगर मैं उनको नहीं समझा पाया तो मैं यह जरूर समझता हूं कि उसमें मेरी अपनी खामी जरूर है और मैं कोशिश करूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी को अपनी बात समझा पाऊं। लेकिन जब उन्होंने भी हमारे संशोधन का विरोध किया है तो मैं सोचता हूं कि इसको किसी दूसरी तरह से ही इस बात को सोचूं और अगर मेरे दोस्त मुखातिब हों तो कृषि मंत्री जी ने भी इसके बारे में हमें आश्वासन दिया है कि वह जो कुछ भी कार्य इस बारे में करेंगे वह कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही करेंगे। इन दो बातों पर विचार करके, कृषि मंत्री जी बुरा न मानें मैं कुछ जिद भी करता अपने संशोधन को मनवाने की, लेकिन क्योंकि मैं जोरावर वर्मा जी को नहीं समझा पाया हूं इसलिये इसको वापस लेता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कार्य करेंगे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "स्थानीय" निकाल दिया जाय और पंक्ति २ में "रोग हानिप्रद है" के स्थान पर "पौधों का रोग, नाशककीट, परजीवी अथवा हानिप्रद तृणादि का प्रभाव है" रख दिया जा-

यह संशोधन केवल शाब्दिक है। इससे आशय और स्पष्ट हो जाता है और शब्द "हानिप्रद" दो बार आया है वह भी नहीं रह जाता है और उसका आश- जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि—

"जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र — में कोई रोग नाशक, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानि— रोग नाशक कीट, परजीवी अथवा हानिप्रद तृणादि का प्रभाव कहना यह है कि अगर वह क्षेत्र प्रभावित है तो सरकार उस लेकिन उसमें लिखा है कि अगर हानिप्रद है तो प्रभावित घो सकती है। तो "क" के अन्दर तो प्रख्यापित कर सकती है है तो उस क्षेत्र को वह प्रभावित घोषित कर दे और जब वह कि कौन-कौन से रोग और कीट वगैरह हैं जो हानिप्रद हैं, नाशक कीट वगैरह का प्रभाव है तब उसे प्रभावित क्षेत्र यह प्रश्न स्थानीय हो और हानिप्रद हो तो उस क्षेत्र को समझता हूं कि मेरे संशोधन को मान लेने से कोई कानून स्पष्ट हो जाता है कि वह क्षेत्र जहां इसका प्रभाव हो उसे और "स्थानीय" को निकाल दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां ताल्लुक है यानी "स्थानीय" शब्द को निकाल दिया जाय व भाग का सम्बन्ध है जैसा कि हमारे मित्र ने कहा है कि नहीं करता। शाब्दिक नहीं है बल्कि यह सब्स्टेंस चेंज कर ऐसी सूरत में मैं उसे मंजूर करने में असमर्थ हूं। जो मौजू आज्ञा से उसकी दो तीन लाइनें पढ़ दूं। "जब राज्य सरका क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथा तृणादि पौधों तरमीम को मंजूर करते हैं तो हानिप्रद महज तृणादि के परजीवी उसकी सीमा के अन्दर नहीं आता है और इसका

[श्री हुकुमसिंह]
सूरत में हम इसको शाब्दिक तरमीम नहीं मानते । मैं समझता हूं कि यह उसके मतलब को खब्त कर देता है । जो मौजूदा शक्ल है वह बिलकुल ठीक है और उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा इस हिस्से का मैं विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में जो बिल है उसमें ट्रांसलेशन हिन्दी में डिजीज शब्द के लिये तो रोग है, पेस्ट के लिये नाशक कीट है, पैरासाइट के लिये परजीवी है, विधेयक में पहले 'परजीवी' किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी दी जा चुकी है क्या यह ठीक है ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां "परजीवी" को डिफाइन किया है क्लाज २ में ।

श्री अध्यक्ष---'तृणादि" से क्या तात्पर्य है ?

श्री हुकुमसिंह---तृणादि से तात्पर्य पौधों से तो नहीं होगा । आपको झांसी का तजुर्बा है । वहां कांस जैसे होती है वह तृणादि में आयेगी, पौधों में नहीं आयेगी ।

श्री अध्यक्ष---मैं यह समझता हूं कि यह इस तरह से होना चाहिये कि "जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि जो किन्हीं पौधों के लिये हानिकारक है ।"

श्री हुकुमसिंह---"जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि जो पौधों के लिये हानिप्रद हैं" यह तात्पर्य इसका है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मैंने जिस तरह रक्खा है उसका अर्थ यह होगा कि केवल तृणादि का प्रभाव रहेगा बाकी सब व्यर्थ हो जायगा, यह बात तो हिन्दी की लैन्गुएज से नहीं निकलती है । जब "रोग, नाशक कीट, परजीवी" रक्खा जाता है तो सबका प्रभाव आ जाता है केवल तृणादि का प्रभाव रहता है यह बात नहीं है । लेकिन चूंकि "स्थानीय" को स्वीकार कर रहे हैं और बाकी को नहीं इसलिये मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं, उससे कोई खास बात नहीं होती । वैसे भाषा में कोई चेंज नहीं होता स्थानीय वाला रहने दिया जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन का दूसरा भाग वापस लिया गया)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "स्थानीय" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में "पौधा" के स्थान पर "पौधों" कर दिया जाय । यह परिभाषा में "पौधों" तो दिया हुआ है इसलिये "पौधा का रोग" न रखकर "पौधों के रोग" रख दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में "पौधा" के स्थान पर "पौधों" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लालबहादुर सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "पौधे" के बाद शब्द "तथा उसके भाग जैसे कि बीज, फल, पत्ते, तथा जड़, छाल या कलम (Cuttings) "बढ़ा दिये जायं। जिस तरह से पौधों के हटाने की व्यवस्था है वैसे ही इन वस्तुओं के हटाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। ये भी रोगयुक्त हो सकते हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस संशोधन से इस सेक्शन का मतलब साफ हो जाता है लिहाजा इसको भी मंजूर करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका विरोध है। इसलिये विरोध है कि मंत्री जी ने शायद परिभाषा को देखा नहीं, पौधे की परिभाषा को। इसलिये एकायक मंजूर करने की बात कह दी। इसमें लिखा हुआ है 'पौधे' के अन्तर्गत सभी उद्यान सम्बन्धी तथा कृषिक "फस्लें, वृक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (herbs) हैं तथा इसके अन्तर्गत इनके बीज, फल, पत्ते, छाल, कलम (Cuttings) अथवा भाग भी हैं।" माननीय सदस्य ने एक शब्द और जोड़ दिया वह भी आ गया है। इसलिये इन शब्दों के जोड़ देने से विधेयक सुन्दर नहीं बनता है। मालूम होता है कि मंत्री जी ने आंख मूंद कर इसको देखा है।

श्री लालबहादुर सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वारका प्रसाद मौर्य जी के भाषण से मालूम हो जाता है कि यह अनावश्यक है इसलिये मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "भूमि" निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो (ख) है वह इस प्रकार है:--

"किसी भी पौधे भूमि, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने या हटाने को मना कर सकती है अथवा रोक सकती है।" यह सरकार के सम्बन्ध में है कि वह ऐसा करने से रोक सकती है, तो किसी के पौधे, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने या हटाने से रोक सकती है, लेकिन भूमि को कैसे रोक सकती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष--भूमि को एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी कैसे जा सकता है, यह भी एक प्रश्न है।

श्री गेंदासिंह--मैं समझता हूं कि इस पर कुछ न करके सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं मुमकिन है कि शब्दों की गलती हो गयी हो, तो फिर माननीय कृषि मंत्री जी इसे समझ कर विचार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी का जो है वह यह है:--

"prohibit or restrict movement or removal of any plant, earth, Soil or, man-nner from one place to another.

उसका तर्जुमा भूमि रखा गया है। इसके मानी में यह समझता हूं कि ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है--स्वायल से मतलब यह है कि जोतीगोड़ी जमीन भ:, खेतों की मिट्टी लायी जाय, उसे स्वायल कहते हैं। जैसे उसके करीब कोई परती जमीन हो और उसमें कांस जैसी कोई चीज लगी हो, जिसे हानिकारक घोषित कर दिया गया हो तो उसको काट-काट करके ले जा कर खंद के बनाते हैं उसके साथ उसकी जड़ें चली जाती हैं। वह मिट्टी जा कर उसमें जो जड़ें रहती हैं वह पनप जाती हैं तो वहां भी कांस का इजाफ हो जाता है यह बात यहां मालूम होती है, इस वजह से यह बात रखी गयी है। जो तृण ऐसा हानिप्रद घोषित कर दिया जिस जमीन पर हो उस जगह की जमीन खोद करके न ले जाय दूसरी जगह यह बात रखी गयी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय विरोधी दल के नेता ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय कृषि मंत्री जी बजाय इसके कि अपनी गलती को मान लेते और भूमि शब्द को यहां से हटा देते वह हमें उलटा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी को तो हटा लीजिये लेकिन भूमि को कैसे हटाइये। अगर बहराइच को उठाकर गोंडा ले जा रहे हैं तब तो दूसरी बात है। भूमि हट नहीं सकती तो उसको हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--"अर्थ" और "स्वायल" का जो डिफरेंस है वह बतला दीजिये ? "अर्थ" का हिन्दी में शब्द ले आइये काम चल जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--बिल तो हमारे सामने अध्यक्ष महोदय हिन्दी में है और जनता इसी को समझेगी। मैं तो यह कहता हूं कि अगर भूमि शब्द हटाने से सरकार का कुछ बिगड़ता हो तो न हटाया जाय, कुछ खामी रह जाती हो या वकीलों को कुछ बहस करने का मौका मिलता हो तो इसको रखा जा सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो भूमि हट नहीं सकती है इसलिये भूमि को हटाने की बात नहीं रहनी चाहिये।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में चाहे जो शब्द हो, हिन्दी में मिट्टी शब्द दोनों की ही पूर्ति कर देता है। तो भूमि शब्द हटा देना चाहिये क्योंकि यह अनावश्यक मालूम होता है।

श्री हुकुमसिंह--मंजूर है जब सब की राय है तो। मैं हिन्दी का पंडित तो हूं नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "भूमि" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल--अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "भूमि" के बाद शब्द "बीज" रख दिया जाय।

अब माननीय मंत्री जी ने "भूमि" शब्द निकाल दिया है। उसके बाद अब अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो उचित होगा इसलिये कि "पौधे" और बीज में फर्क है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि बीज में कभी-कभी कीटाणु लग जाते हैं और जब वह दूसरी जगह जाकर लगाये जाते हैं या रखे जाते हैं तब दूसरे पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैं निवेदन करूं कि रबी की फसल में एक प्रकार का हरदी का रोग लग जाता है और अगर वह बीज दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वह दूसरे पौधों को भी खराब कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि पौधे और बीज दोनों को रख दिया जाय तो तात्पर्य स्पष्ट हो जायगा।

श्री हुकुमसिंह--"बीज" शब्द बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वह जो पौधों की परिभाषा है उसमें पौधे, बीज सब आ जाते हैं। जब पौधा शब्द इस्तेमाल होगा तो सब चीजें आ जायंगी इसलिये उसकी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--यह पौधे की परिभाषा में है।

श्री रामेश्वरलाल--मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा" रख दिये जायें और अन्त के शब्द "तथा" के पहले शब्द "समझे" के स्थान पर शब्द "समझा जाय" रख दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायगा :—

"(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (preventive or remedial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा किसी हानिप्रद तृणादि परजीवी, नाशक, कीट, पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पुनरागम (introduction, spread and reappearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये आवश्यक समझा जाय, तथा"

जहां पर "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" है वहां मैं यह चाहता हूं कि "डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा" हो जाय। "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" भी उसमें रहेगा लेकिन यह तीन अफसर जिनका खेती से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है उनके संयुक्त निर्णय से जो कुछ तय हो उसके बाद कोई कार्यवाही हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैं समझता हूं कि अभी भी बगैर उनकी सलाह के शायद कुछ करेगा नहीं और न करना चाहिये, लेकिन इन अधिकारियों को भी इस ऐक्ट में ले आने से और उनका नाम दे देने से उन पर भी पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और इस तरह से वह हमारे सामने लेजिस्लेचर के सामने पूरी तरह पर जिम्मेदार रहेंगे। तो इस तरह से गलतियां कुछ कम होने की संभावना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उचित सलाह न मिल सकी और उचित सलाह न मिलने के कारण गलती हो जाय, तो वैसी हालत के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेना, मैं समझता हूं कि ठीक होगा। ऐसा करने से हम उस गलती से बच जायंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दलील देने की जरूरत नहीं है और न समझाने की जरूरत है। इतना कह कर मैं सोचता हूं कि माननीय कृषि मंत्री अपने विचार प्रकट करें, अगर वह स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे दूसरों का वक्त खराब करने और उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के मंजूर होने के बाद इस उपधारा की शकल यूं होगी :—

"(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (preventive or remedial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा किसी हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पुनरागम (introduction, spread and reappearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये आवश्यक समझा जाय, तथा"

तो इसमें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पिक्चर से निकल जाता है बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर अगर यह शब्द होंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो निकल गया इस तस्वीर से और इन लोगों को हमने कहीं अपनी धारा २ में डिफाइन नहीं किया है, न एग्रीकल्चर आफिसर को डिफाइन किया है, न प्लानिंग आफिसर का डेफिनीशन दिया है और नहीं केन कमिश्नर का डेफिनीशन दिया है तो ऐसी सूरत में ऐसे दो तीन आफिसर्स का नाम रख देना जिनको हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जिसको हमने रखा है परिभाषा में उसका यहां अन्त हो जाता है, तो यह हमारे लिये बड़ी गड़बड़ है और हम इसे मंजूर नहीं कर सकते।

***श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, यह संशोधन जो इस वक्त सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है, विवश होकर, बाध्य होकर, मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। मान्यवर, यह हो सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

सदस्य यह कहना आरम्भ करें जैसे कि एक माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि जोरावर वर्मा को कि सम्भवतः किसी उपाधि के लिए लालायित होकर उन्होंने उनका विरोध किया है, यदि वह इस लांछन को मेरे ऊपर लगाना चाहें तो मैं पहले ही उनको बता देना चाहूंगा कि यह लांछन उनके घर में ही उनके कल के नेता जो पुराने थे वह स्वयं लगाते हैं। डाक्टर राममनोहर लोहिया स्वयं यह कहते हैं कि ये लोग स्वयं भागना चाहते हैं उस तरफ। तो पहले अपना दामन तो साफ रखें फिर दूसरों से कहें।

श्री अध्यक्ष--यह आप किस संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, यह जरूर गलती थी मेरी लेकिन इस वजह से कि इन लोगों को कहीं फिर इस गलती को करने का मौका न मिले, इसलिये इनको सुधारना चाहता हूं ताकि आइन्दा वह ऐसा न कहें।

तो मान्यवर, यह मैं न समझा कि डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर अगर रखा जाता तो उसके लिए तो एक तर्क था, उसके लिए कुछ कहा भी जा सकता था कि वह यह समझ सकते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग है, विशेषज्ञ हैं, वह कुछ बता सकते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर जो हैं वह पराया है, एक डिप्टी कलेक्टर या सम्भवतः कोई जिले ऐसे हों कि जहां पर कि कोई आई० ए० एस० ग्रेड का व्यक्ति हो, तो उसको क्या जानकारी हो सकती है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह आज जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को वह कब से विशेषज्ञ मानने लगे। जहां तक केन अफसर का ताल्लुक है इसमें भी हो सकता है कि वह केन के मुताल्लिक कुछ कह सकें लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर से कुछ कम नहीं जानता। ऐसी परिस्थिति में मैं यह समझता हूं कि केवल डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर को रखना चाहिये तो मैं उनके संशोधन के समर्थन में खड़ा होता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर इन दोनों को उसमें रखना और उसमें उनका संयुक्त रहना उसके माने यह हुए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो उसमें निकल ही जाता है। तो उनकी जहां तक स्पिरिट है, मैंने कहा नहीं, उस हद तक कोई बुराई नहीं। लेकिन इट इज नाट वेरी हैपिली वर्डेड। अच्छी तरह से उसकी ड्राफ्टिंग नहीं है। उनका भी मंशा उस अमेंडमेंट से पूरा नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में वह इसको वापस लें और आइन्दा यह ख्याल रखें कि जब कोई अमेंडमेंट आवे तो अगर वह उनकी मंशा को पूरा करता हो तब तो वह इस सदन में आना चाहिए नहीं तो मैं समझता हूं कि बिला वजह न उनका मतलब हल होता है और हमारे कृषि मंत्री जी को भी कहने का मौका मिलता है और उसके बाद वह फिकरेबन्दी भी करेंगे कुछ देर के बाद, और यह भी कहना शुरू करेंगे कि उनका वक्त खराब होता है।

श्री हुकुमसिंह--एक दिक्कत यह भी है मैं अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि हर जिले में केन आफिसर है भी नहीं। जहां गन्ना नहीं बोया जाता है वहां केन आफिसर नहीं है। तो इसमें अगर यह रख दिया जायगा तो कहां से हम लायेंगे केन आफिसर कि परामर्श करें। यह भी एक दिक्कत की बात है और एक ऐसी माकूल बात है जिससे इन्कार नहीं कर सकते हमारे मित्र गेंदा सिंह जी, तो इस दिक्कत को देखते हुए तो वापस कर लीजिये।

श्री गेंदासिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को वापस लेने के लिए नहीं तैयार हूं और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से इसके लिये माफी चाहूंगा। मैं क्या करूं, माननीय अवधेश प्रताप जी के लहजे और उनकी अदाओं से मैं बहुत प्रभावित होता हूं, लेकिन मजबूरी है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--खैर कोई कद्रदान तो है।

श्री गेंदासिंह--मैं उनके विरोध के बावजूद भी इस संशोधन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कठिनाई बताई कि हर डिस्ट्रिक्ट में केन आफिसर नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कैसे यह लाजमी होगा कि डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर जब होगा तभी बोर्ड बन पायेगा। अगर वजूद में ही वहां नहीं है तो यह सवाल ही नहीं उठता है वहां के लिए। जितने लोग बाकी रहेंगे उनका बोर्ड बनेगा।

श्री हुकुमसिंह--यह कायदा नहीं है।

श्री गेंदासिंह--आपनहीं समझते तो ठीक है। मैं तो समझता हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अकेले इस काम को सुपुर्द करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सरकार समझती है कि वह सर्वसम्पन्न है, सारे गुणों का मजमूआ है। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दुनिया की कोई अक्ल उससे बाकी रह नहीं गयी है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, अवधेश प्रतापजी ने फरमाया था कि मामूली एस० डी० ओ० हुआ करता है। उसको डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर कहें तो बात मेरी समझ में आ जाय, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर तो एक दो साल, एक साल या ६ महीने की ट्रेनिंग प्राप्त अफसर होता है और खास तौर से जब हमारा सूबा ऐग्रीकल्चरिस्ट है तो हर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर अगर खेती बाड़ी नहीं जानता है तो....

श्री हुकुमसिंह--मैं आपकी इत्तला के लिये बता दूं कि प्लानिंग आफिसर खेती-बाड़ी नहीं जानता, इसलिए, यह रखा गया है डिस्ट्रिक्ट ऐग्रिकल्चर आफिसर उसके मातहत कर दिया जाय सलाह मशविरा देने के लिए। तो मातहत और अफसर दोनों मिल कर बोर्ड बनाएं यह कहां तक जायज़ है?

श्री गेंदासिंह--यह बात मुझे पहले पहल मालूम हुई और यह ज्ञान कराने के लिये मैं मशकूर हूं माननीय कृषि मंत्री जी का कि प्लानिंग अफसर खेती-बाड़ी के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता और अगर वह यह स्वीकार करते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि ऐसा कोई प्लानिंग आफिसर सूबे में नहीं रहना चाहिये जो खेती न जानता हो।

श्री हुकुम सिंह-- अगर बिल आये तो बतलाइयेगा।

श्री गेंदा सिंह--जिले में सारा काम १६ आने में १५ आने खेती-बाड़ी का है। वह क्या प्लानिंग आफिसर होगा जो खेती-बाड़ी न जानता हो। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा कोई बिल आवे तो मैं उनका ध्यान उस तरफ दिलाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा और मेरा आज भी विश्वास है और माननीय कृषि मंत्री जी भी इस बात की जानकारी करने की कोशिश करें कि हर प्लानिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ज्यादा खेती बाड़ी जानता है और खेती बाड़ी के सम्बन्ध में उससे ज्यादा योग्यता रखता है।

(इस समय ४ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री मलखान सिंह पीठासीन हुए।)

श्री हुकुम सिंह--ही इज़ नाट एन एक्सपर्ट।

श्री गेंदा सिंह--मैं तो एक्सपर्ट नहीं कहता हूं। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से वह काम करे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन अफसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर रखे जायं। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी की इस उक्ति से सहमत नहीं हो पा रहा हूं और मैं फिर उनसे कहता हूं कि, जिद कैसे कहूं ज़रा हमारे बड़े हैं, इसलिए जिद नहीं कहूंगा। लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि उन्हें

[श्री गेंदासिंह]

कुछ शब्दों से बड़ी मुहब्बत हो गयी है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लफ्ज से बड़ी मुहब्बत हो गयी है।

श्री हुकुमसिंह--सब अपने हैं।

श्री गेंदासिंह--मैं कहां कहता हूं कि बिराने हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफ़िसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, डिस्ट्रिक्ट केन अफसर को क्यों बिराना समझ रहे हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपना समझ रहे हैं उसी तरह से उनको भी अपना समझ कर इस काम में उनकी भी सलाह ले लीजिये, उनकी सलाह से कोई काम होगा तो कम क्षति होने की गुंजायश है। माननीय अवधेश प्रताप जी ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर का मैं प्रस्ताव करता तो वह राजी हो जाते। फैजाबाद में तो वे तीनों अफसर हैं जो मैंने रखे हैं, लेकिन यह कानून केवल फैजाबाद के लिए तो बन नहीं रहा है, यह तो सारे सूबे के लाभ के लिये बन रहा है। मैं समझता हूं कि इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए सरकार को और हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर ले। लेकिन अगर यह तय हो गया हो कि नहीं, हमारा यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन अगर सरकार मान ले तो अच्छा है। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि माननीय मंत्री जी वैसे तो शायद अभी महसूस कर रहे हों कि मेरा संशोधन ठीक है और अगर अभी नहीं तो जरा देर बाद करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--अब कुछ नहीं कहना है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा" रख दिये जायं और अन्त के शब्द "तथा" के पहले शब्द "समझे" के स्थान पर शब्द "समझा जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नागेश्वर द्विवेदी--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (घ) की पंक्ति ३ में से शब्द "सम्भवतः" निकाल दिया जाय।

श्रीमान्, यह जो "सम्भवतः" शब्द इसमें रखा गया है इससे सम्भावना के ही आधार पर किसी भी पौधे या फस्ल के नष्ट करने की आज्ञा दी जा सकती है और इस तरह से अनायास ही किसान दूसरे लोग परेशान किये जा सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह शब्द हटा दिया जाय जिससे यह हो जायगा कि निश्चित रूप से जिसके सम्बन्ध में यह निर्णय किया जायगा कि वह हानिकारक है उसी के सम्बन्ध में यह कार्यवाही की जायगी। मैं चाहता हूं कि यह संशोधन मंजूर किया जाय।

श्री हुकुमसिंह--दुनिया में यह चीज बड़ी मुश्किल है और खास कर मर्जों के मामले में कि निश्चित रूप से कोई कह दे कि यह फलां शख्स को नुकसान करेगा।

श्री गेंदासिंह--अपने को आप मानते हैं या नहीं।

श्री हुकुमसिंह--उसका इम्तहान ले सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि "सम्भवतः" इस वजह से रखा गया है कि अगर कहीं जरा भी लाइकलीहुड हो तो इस दफा का प्रयोग किया जा सकता है। छोटे-बड़े सभी मर जाते हैं, बड़े-बड़े डाक्टर

हैरान हो जाते हैं। हमेशा "सम्भवत:" का ही आधार लेकर दवाई प्रेसक्राइब की जाती है। लिहाजा अगर यह दफा निकाल दी जाय तो सारा मतलब ही खफ्त हो जायगा। कल को रिट दाखिल हो जाय या कम्पेंसेशन का दावा हो जाय तो लेने के देने पड़ जायंगे। इसलिये यह सम्भवत: का लफ्ज रखा जाय। अंग्रेजी में "Likely to injurious" लफ्ज है। यह उसी का हिन्दी तर्जुमा है, इसलिये यह बहुत जरूरी है। अगर यह मंजूर कर लिया जाय तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वर लाल--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (घ) की पंक्ति ३ में शब्द "हानिकारक" के बाद शब्द "होता रहा हो, या प्रत्यक्ष हानिकारक हो"। बढ़ा दिये जायं।

अभी माननीय मंत्री जी ने सम्भवत: पर जोर दिया कि सम्भवत: अनुमान पर आधारित है और सम्भवत: के सम्बन्ध में जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया वह मैंने सुना। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कोई पौदा या बीज नुकसान पहुंचा देगा। पहले जो किसी पंडित की बात कही उस पर आप नाराज हो गये। निश्चित रूप से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि उन बीमारियों से ग्रसित पौदे को लगाते हैं तो उससे जो बीज या फसल पैदा होगी वह निश्चित रूप से खराब होगी। जैसे कि रेड राट की एक बीमारी होती है जो गन्ने के किसी खेत में लगने के बाद यह जरूरी है कि उस खेत में बीमारी फैलेगी। सम्भवत: अनुमान पर आधारित है "होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो।" यह हो जायगा तो अनुमान और अनुभव दोनों इसमें आ जाते हैं। साथ-साथ इस क्लाज में संभवत: रखने से अनुमान आ जाता है जिससे मंत्री जी को बचने की काफी गुंजायश है। होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो तो इसमें अनुभव आ जाता है। मैंने अनुमान और अनुभव दोनों को संयुक्त कर दिया है। इसीलिये मैंने इसको रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--अधिष्ठाता महोदय, इस तरमीम के माने यह हैं कि अगर यह मंजूर कर ली जाय तो इसकी शक्ल यों होगी कि "सम्भवत: हानिकारक होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो।" जब प्रत्यक्ष है तो सम्भवत: कैसे होता रहा हो। सदन ने सम्भवत: शब्द को मंजूर किया और होता रहा हो के माने तो यह हैं कि साल दो साल वह मर्ज हो चुका हो और बराबर होता आया हो तो उसकी गुंजायश नहीं रहती है और प्रत्यक्ष रूप से हो गया है तब भी गुंजायश नहीं है। शायद हानि का मतलब समझ में नहीं आता है जो शक्ल इसके मंजूर करने से हो जायगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका तात्पर्य यह होगा कि जब मरीज मर जाय तब दवा की जाय। अगर हम देखें कि किसी एक इलाके में जहां पहले ऐसी विपत्ति नहीं आई, ऐसा कोई रोग नहीं लगा हो और ऐसे कोई हानिप्रद कीट पैदा नहीं हुये और पहले-पहल उनकी सम्भावना हो तो इस तरमीम के मंजूर हो जाने के बाद, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले एक फसल इन्तजार करें और सारा गन्ना सड़ जाने दें या सारे गेहूं में गिर्री लग जाय और तबाह और बरबाद हो जाय। तब हमको हक होगा कि हम कुछ करें तो. इसके मायने यह हैं कि अगर कोई ऐसा कानून हो जो आदमी की दवादारू से सम्बन्ध रखता है जब तक हम उस आदमी को देख न लें कि इससे २, ४ आदमी मर जायं तब हम उसके लिये हाथ उठावें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा और इस तरह के कानून से कोई फायदा नहीं होगा। उस इलाके में इस प्रकार होता रहा

[श्री हुकुमसिंह]

है या नहीं तो इस बात को देखने से लाभ नहीं होगा। अगर फौरी कोई बात पैदा हो जाय तो उसी के लिये यह कानून बनाया गया है। हम इन्तजाम करें और हम देखें कि हजारों लाखों का नुकसान हो जाय तो हम कार्यवाही करें तो इस प्रकार के कानून से क्या फायदा? इसलिये बजाय सहूलियत के यह तरमीम और ज्यादा अड़चन पैदा करेगी। जो शब्द रखे गये हैं वह तो शब्दावली को और भी खराब कर देते हैं और उससे और भी शब्दावली खराब होगी। होता रहा भी हो, सम्भव भी हो और प्रत्यक्ष भी हो तो यह बात किसी की समझ में नहीं आ सकती है। जिस तरमीम से शक्ल सूरत खराब होती हो उसको भला कौन मंजूर कर सकता है। लिहाजा मैं रामेश्वरलाल जी से कहना चाहता हूं कि जब तक कोई माकूल तरमीम न हो तब तक मेरे लिये उसको मानने में दिक्कत है। यह माकूल तरमीम नहीं है और अगर कोई मुझे समझा दें तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त तो यह किसी तरह से उचित नहीं मालूम होती है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल--अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी की ओर से सन् १९५४ में और आज सन् ५५ में जो यहां उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक रखा गया है उसमें मेरा यह संशोधन रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इसके पहले माननीय मंत्री जी के पास ऐसे कीटों और पौधों और अन्य नाशक चीजों के संबंध में इस जानकारी के अलावा और अधिक विशेष जानकारी उनको होती और इस बात को कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश होती तो शायद उनको इस विधेयक के लाने की यहां पर आवश्यकता नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था और मेरा यह विश्वास है कि अपने प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कीट और पौधे पाये गये हैं जिनके बारे में हमारी सरकार को हमारे मंत्री जी को जानकारी नहीं होगी। श्रीमान्, एक पौधा होता है जो गन्ने की फसल को बहुत हानि पहुंचाता है उसको हमारी तरफ अगिया कहते हैं। वह अक्सर गन्ने की फसल में पैदा हो जाता है। उस फसल में चाहे कितना भी पानी बरसे लेकिन वह गन्ने को जला कर खत्म कर देता है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इतने विशेषज्ञ नहीं हैं जितने कि देहात के अनुभवी बूढ़े जानकारी रखते हैं। उन लोगों की जानकारी इन पौधों के सम्बन्ध में ज्यादा होती है जो कि खेतों को बरबाद करते हैं। इसलिये सम्भवतः होता रहा हो, या प्रत्यक्ष हानिकारक हो, ये शब्द रखे गये हैं। मैं चाहता हूं कि जो जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है वह उनको जानकारी हो जाय। इसी वजह से इन शब्दों की गुंजाइश रह जाती है जो कि मैंने ऊपर बतलाये हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिन्दी के किसी विशेषज्ञ से इस बात को पूछ लिया जाय कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें कोई शब्द गलत है या नहीं। इसीलिये मैंने कहा है कि यदि हमारे इस संशोधन को मान लिया जाय तो यह कठिनाई दूर हो जायगी मुझे शक है माननीय मंत्री जी और उनके विभाग पर कि उन्होंने नाशक कीटों के बारे में पूरी छानबीन कराई है इसलिये मैंने सम्भवतः के साथ यह रखा है। यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री शिवनारायण--"सम्भवतः" शब्द पर मुझे भी संदेह है।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमान् जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि जब इधर से मूवर ने उत्तर दे दिया तो फिर कोई स्पीच नहीं हो सकती।

अधिष्ठाता--(श्री हुकुम सिंह से) आप बोलें।

श्री हुकुमसिंह--मुझे तो दो मर्तबा बोलने का अधिकार है। मैंने अपनी मंशा समझाने का भरसक प्रयत्न किया। जब मैंने अपनी तकरीर खत्म की थी तो मुझे पूरा विश्वास था कि रामेश्वर लाल जी मेरी बातों पर गौर करेंगे और अपनी तरमीम के नकायस पर दोबारा

सोचेंगे। इस तरमीम से माने खब्त होंगे और धारा की शक्ल भी बिगड़ जायगी। लेकिन मुझे उनके भाषण से निराशा हुई। उन्होंने मेरी कठिनाइयों पर जरा भी तव्वजह नहीं दी। मैंने उनकी तरमीम को समझने की कोशिश बहुत की मगर जब ऐसे शब्द लाये जावे जिनके कोई अर्थ ही न हों तो मैं क्या करूं। मैं फिर अपने मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वह इसे वापस ले लें और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सदन उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा।

श्री रामेश्वरलाल--मैं वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (घ) की पंक्ति ३ में शब्द "हानिकारक" के बाद शब्द "होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो" बढ़ा दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना से संबंधित १९ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न १४ व १५ के विषय पर विवाद

अधिष्ठाता--अब कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना से सम्बन्धित श्री श्रीचन्द्र द्वारा २९-३-५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १४ व १५ के विषय पर नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फर नगर)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, यह कंधारी बाजार सामान्य सुधार योजना १९३५ में आरंभ हुई थी और इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय कौंसिल हाउस के नजदीक बड़े बड़े अफसरों की कोठियां बनवाने की तजवीज थी परन्तु इस समय इस बात की ज्यादा जरूरत है कि सामान्य जनता के हितों पर विचार किया जाय और उसकी सहूलियतों को देखा जाय। फिर सन् १९३९ में चार साल के पश्चात् उत्तर प्रदेश की प्राविन्शियल गवर्नमेंट ने स्कीम को मंजूर किया और उसका गजट २८ अक्तूबर १९३९ को हुआ। जिस समय यह योजना मंजूर हुई उस समय अगर जरूरत थी तो टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की दफा ४२ की उपधारा (१) के अनुसार यह स्कीम तुरन्त लागू हो जानी चाहिये थी लेकिन अब १६ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसका अर्थ यह है कि यह ऐक्ट बालायेताक रख दिया गया, उसकी कोई परवाह नहीं की गयी और इन १६ सालों में कंधारी बाजार के गरीब आदमियों की हानि हुई है। उसका कुछ वणन सदन के सामने मैं कर देना चाहता हूं।

मैंने स्वयं इस जमीन को देखा है जिसकी ११ बीघा पुख्ता जमीन है, जिसमें १६ परिवार रहते हैं तथा उसमें अच्छी-अच्छी इमारतें भी हैं, खाली जगह भी है। २९ मार्च, १९५५ को एक प्रश्न किया गया था उसके जवाब में सरकार ने बताया था कि घनी आबादी के कारण इसको सुधार योजना में लिया जा रहा है। मैंने स्वयं देखा है कि कंधारी बाजार में जो घर आबाद हैं और जितनी खुली जगह वहां पर है उतनी लखनऊ में शायद ही कहीं हो। उसको सुधार में लेने का कारण केवल यही था कि वहां पर आफीसरों के बंगले बनाये जाने वाले थे। १६ साल हो गये लेकिन वह उसी तरह से है। इस सम्बन्ध में जनता की जो हानि हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और उसका मुआविजा देना चाहिये, मुआविजा वसूल किया जा सकता है और उसको देना भी चाहिये। इसके साथ ही मैं एक बात और आप से निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि जिस समय यह पास किया गया था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और सामान्य सुधार के लिये यह जमीन ली जाय तो उस समय यह भी प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिये था कि वहां के जितने रहने वाले हैं उनके रहने के वास्ते दूसरी जगह नियत कर देनी चाहिये थी। जब कि दूसरे स्थानों से हमारे उत्तर प्रदेश में लोग आकर बसते हैं तो उनके लिये मकानात का इन्तजाम किया जाता है फिर कोई कारण नहीं मालूम होता कि अब तक इस पर विचार नहीं किया गया। इसलिये यदि उनकी जमीन ली जाती है तो हमें

[श्री श्रीचन्द्र]

यह भी सोचना होगा कि उनके मकान कहां बनाये जायं, उनको कहां जगह दी जाय ? इस १६ साल में एक काम्पीटेंट आफीसर ने कुछ जगह को नीलाम भी कर दिया है और जन साधारण ने उस जमीन को ले लिया है। यदि उनके पास से यह जमीन ले ली जाती है इस स्कीम के अनुसार तो जो जमीन नीलाम कर दी गयी है वह भी वापिस लेनी पड़ेगी और उस पर गवर्नमेंट को १५ प्रतिशत रुपया अधिक देना होगा। ऐसा ही नहीं कि यह जमीन १५ प्रतिशत रुपया दे कर वापिस ले ली जाय बल्कि उसके साथ एक ट्रिब्युनल बैठाना पड़ेगा।

(इस समय कोरम न होने के कारण घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

१५ प्रतिशत अधिक रुपया यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट १९१९ की धारा ५७ के अनुसार देना होगा और ट्रिब्युनल भी बैठाना पड़ेगा जिसके वेतन आदि में बड़ा भारी खर्चा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि सरकार इस स्कीम को लागू करके कुछ अधिक लाभ उठाना चाहती है तो उस स्कीम को शीघ्र आरंभ कर देना चाहिये, अन्यथा इस स्कीम को कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके लिये कानून भी मौजूद है। जेनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ के सेक्शन २१ में साफ लिखा हुआ है जिसके अनुसार इसको कैंसिल किया जा सकता है। टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट १९१९ की धारा ४२ में साफ बतलाया गया है कि यह कैंसिल हो सकता है। अब इसके बारे में मुझे सिर्फ यह निवेदन करना है कि यदि इससे जनता का हित है तो यहां से दूसरी जगह मकान बनाये जा सकते हैं और इसके लिये प्रबंध हो सकता है तो अच्छा है क्योंकि यह सरकार जनता की है और अगर जनता का हित है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसके हित को ध्यान में रखते हुए काम करे और अगर वह स्कीम लागू की जाय तो उसे शीघ्र ही आरम्भ कर देना चाहिये और यदि यह ठीक नहीं है और यह स्कीम लागू नहीं की जाती तो यह अच्छा है कि यह मकान उन्हीं के पास रहने दिये जायं जब तक कि उनके रहने का दूसरी जगह प्रबन्ध न हो जाय। मुझे मालूम है कि १६ साल से वहां की जनता आवेदन पत्र भेजती रही है कि किसी आवेदन पत्र को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। सब दरख्वास्तें नामंजूर कर दी जाती हैं। मैंने खुद देखा है कि इन मकानों की कोई दुरुस्ती तक नहीं करता है और इसकी वजह से मकान बरबाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं और इससे अधिक नुकसान हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस ओर शीघ्र से शीघ्र कदम उठावे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)—अध्यक्ष महोदय, यह श्री चन्द्र जी ने बहुत सही कहा कि अक्तूबर सन् १९३९ ई० में यह स्कीम गवर्नमेंट ने मंजूर की थी लेकिन या तो यह स्कीम की बदकिस्मती थी या कुछ दुनियां की कि उसी के बाद ही अक्तूबर में दुनियां की दूसरी जंग छिड़ गयी और जिस तरह से उस जमाने में कोई भी इस किस्म की स्कीम के ऊपर वह गवर्नमेंट जो कि यहां पर नवम्बर-दिसम्बर के बाद आयी, उसके लिये कोई कदम उठाना मुनासिब या जरूरी नहीं समझती थी। नतीजा इस का यह हुआ कि ५,६ वर्ष गुजर गये। उसके बाद जब मौजूदा सरकार आयी तो इसने सोचा कि स्कीम के लिये क्या तरीके कार किये जायं। उस वक्त खयाल किया गया तो यह मालूम हुआ कि जो इसकी गरज है, जिस तरह से हम इस स्कीम को बनाना चाहते हैं वह यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के मातहत कुछ ठीक तरह से नहीं चल सकती और जो हमारी स्कीम का मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता। तब यह तजवीज की गयी कि इस ऐक्ट में कुछ तरमीम कर दी जाय। चुनांचे यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट का एक मसविदा हमारा तैयार हुआ जो इस वक्त हमारे सामने है और यह ख्याल था कि इसको पास करके हम कानून में तरमीम करके इस स्कीम को पूरा कर सकेंगे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि इसी दौरान में कब्ल इसके कि वह तरमीम टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट की पास की जा सके यह राय हुई कि बजाय म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के यहां पर कारपोरेशन कायम किया जाय। चुनांचे जब कारपोरेशन की

राय हुई तो यह फैसला हुआ कि कारपोरेशन बिल में यह जरूरी तरमीमात कर दी जायगी और इसीलिये यह चीज अभी तक नहीं हुई, इसमें गैर मामूली तौर से देर हुई यह मैं तसलीम करता हूं, इतनी देर न होनी चाहिए थी। जो इसके वजूहात थे वह मैंने आपके सामने पेश कर दिए और मेरे ख्याल में सभी मेम्बरान समझेंगे कि ये ज्यादातर ऐसे वजूहात थे जिन पर हमारा काबू नहीं था। जहां तक कारपोरेशन बिल का ताल्लुक है वह मौजूदा सेशन में, उम्मीद है कि मैं सदन के सामने पेश कर सकूंगा और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वह बिल हाउस के सामनेआ जाय।

यह स्कीम जैसा कि मेम्बरान असेम्बली जानते हैं हमारे नए कौंसिलर्स रेजीडेंटस, दारुलशफा से मिली हुई है और उसी की पुश्त पर यह गान्धारी बाजार का महल्ला है। इस में शक नहीं कि वहां कि सराउन्डिंग्ज बहुत अनहेंलदी है और उसकी जल्द दुरुस्ती की जरुरत है। पहले लखनऊ की एक मास्टर प्लान बनी थी और तजवीज की गई थी कि किस तरह से आरचिटेक्ट बने और तजवीज थी कि यह मौजूदा नया कौंसिलर्स रेजीडेन्स है उसका एक्सटेंशन करना हो या जो मौजूदा विधान सभा है उसका एक्सटेंशन अगर करना हो तो उस सिलसिले में इस जमीन का इस्तेमाल किया जाय। एक स्कीम गवर्नमेंट के सामने है कि यह दारुलशफा के सामने की सड़क बन्द कर दी जाय और कौंसिलर्स रेजीडेंस के उधर से एक सड़क आए और वह हजरत गंज की सड़क में मिल जाय और दूसरी तरफ एक सड़क बना दी जाय और इस सामने की सड़क पर फव्वारा वगैरह बना दिया जाय लेकिन अभी यह सब जेर गौर है और कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। और इसी की वजह से अभी तक कन्धारी बाजार की स्कीम भी मुकम्मल नहीं हुई है। जहां तक वहां के रहने वालों का ताल्लुक है, वह जो अपने मकानों में रहते हैं, वह बहुत कम हैं, उनको नोटिफाई किया जा चुका है, वह तरमीम भी करा सकते हैं, मुमानियत नहीं है लेकिन वह जो तरमीम करायेंगे या मकान में बढ़ायेंगे इस तरह से अगर उनके मकानों की कीमत बढ़ जायगी तो सरकार नोटिफिकेशन के वक्त जो हैसियत थी उससे बढ़ी हुई हैसियत के मुआविजे की जिम्मेदार न होगी, नोटिफिकेशन के वक्त जो कीमत थी वह वाजिबुलअदा होगी वही रहेगी। जो मालिक मकान वहां खुद रहते हैं उनकी कुल तादाद १६ है, बाकी किरायेदार हैं, उनको ऐक्ट के मुताबिक मुआविजा दिया जायगा, वह चाहें तो किरायेदार रख सकते हैं। उनको जो भी सहूलियतें दी जा सकती है वह सरकार मुहैया करेगी। जहां तक मकानदारों का ताल्लुक है उनका तरीका यह है कि उनको जमीन के ऐवज में दूसरी जमीन देते हैं और उनके मकान के मलबे के बारे में यह होता है कि उनको अख्यतार है वह चाहें तो उसको ले जायं या उसको दूसरा मकान बनाने में इस्तेमाल कर लें यह उनकी खुशी पर है। इस लिए इसमें कोई ज्यादती या जबरदस्ती का ख्याल नहीं है, जो कायदे कानून इसके मुताबिक हैं उनके ऊपर अमल किया जायगा और उसी हैसियत से इन मामलात को तय कर दिया जायगा।

इस वक्त जहां तक मेरे पास इत्तिला है वहां पर ४५ प्रापर्टीज थी जिनको कि गवर्नमेंट को ऐक्वायर करना है। उनमें से ६ हम पहले ले चुके हैं और बकिया हमने नहीं लिये और आगे चल कर हमें लेना है। एक दो प्रापर्टीज ऐसी थी जो कि इवैकुई प्रापर्टी हो गई थी और जो इवैकुई प्रापर्टी के दफ्तर से नीलाम होने को थीं। जहां तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और गवर्नमेंट का ताल्लुक है हम नीलाम की जायदाद नहीं खरीदते। हमारे लिये तो यही है कि या तो लैन्ड एक्जीवीशन ऐक्ट के मातहत या प्राइवेट नेगोसियेशन से लें। नीलाम में जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट शरीक हो और बोली बोले तो जो दूसरे बोलने वाले हैं उनमें नहीं कहा जा सकता कि यह जो कीमत दी जा रही है वह सही है या गलत है कम है या ज्यादा है और उसमें एतराज किया जा सकता है। लिहाजा उस तरीके से जहां एवैकुई प्रापर्टी का सवाल है वह तो हल नहीं हो सकता। सैकड़ों एवैकुई प्रापर्टीज थीं और वह डिस्पोज आफ भी हुई। वह मुन्तकिल की गई और जैसे वह मुन्तकिल की गई वैसे ही यह भी मुन्तकिल की गई। बहरहाल गवर्नमेंट का जैसा नोटिफिकेशन जारी है उसी हिसाब से

[श्री सैयद अली ज़हीर]

हम इन प्रापर्टीज को जब वक्त आयेगा एक्वायर करेंगे। तो इन वजूहात से मैं अर्ज करूंगा कि कोई खास बात ऐसी जवाब में नहीं कही गई और न गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कोताही हुई है जिसके ऊपर ज्यादा एतराज किया जा सकता हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सदन में तीन बार भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद इसी सेशन में कारपोरेशन बिल लायेंगे आज तक कारपोरेशन बिल इस सदन में पुरःस्थापित किये जाने में क्यों रुकावट पड़ी।

श्री सैयद अलीजहीर--इस सेशन में किसी न किसी दिन आयेगा। सेशन आज तो खत्म नहीं हो रहा है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि दारुलशफा एक्सटेंशन स्कीम पर जब तक कोई निर्णय नहीं कर लेंगे तब तक उस पुराने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम को लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री सैयद अलीजहीर--मैं समझा नहीं कि आपका क्या मतलब है। जाहिर है कि सब चीजें विचाराधीन है। इसमें एक्सटेंशन भी और ऐक्वीजीशन भी सभी चीजें विचाराधीन हैं, कारपोरेशन बिल भी है। यह सब चीजें जेरे गौर हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि दारुलशफा एक्सटेंशन स्कीम पर आप कितने दिन और विचार करने में अन्तिम रुप से लेंगे?

श्री सैयद अलीजहीर--इसका कोई जवाब इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस बात का निश्चित आश्वासन दे सकेंगे कि इसी सेशन में वे कारपोरेशन बिल को पुरःस्थापित कर देंगे?

श्री सैयद अलीजहीर--मेरी पूरी कोशिश यही है कि इसी सेशन में वह पुरःस्थापित हो जाय।

श्री श्रीचन्द्र--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, आज १६ वर्षों के पश्चात्...

श्री रामनरेश शुक्ल--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या मैं जान सकता हूं कि अब इस पर भाषण हो सकते हैं? केवल क्वेश्चन हो सकते हैं भाषण नहीं।

अधिष्ठाता--जी नहीं, वह बोल सकते हैं।

श्री श्रीचन्द्र-- श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि १६ वर्षों के पश्चात् आज इस लखनऊ की जनता को संतोष होगा। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और शीघ्र से शीघ्र इस स्कीम को चालू करने के लिए जो विश्वास दिलाया है उसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा। मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं कि मंत्री जी ने आज इतने समय के पश्चात् यह भ्रम दूर किया।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर सोमवार, २२ अगस्त, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१९ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

मजदूरों की मांगों की प्रतिलिपि

१--दिनांक २५ अप्रैल, सन् १९४९ से अब तक पिछले पांच साल में जो भी मजदूर निकाले गये हैं उन्हें अपने स्थान पर बहाल किया जावे और इस बीच का उनका कुल वेतन उन्हें दिया जावे तथा निकाले जाने के कारण उनका जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरा किया जाये।

२--पहली अक्तूबर, सन् १९५० से ३० सितम्बर, सन् १९५१ तक बोनस आठ आने प्रति रुपया की दर से दिया जाये।

३--पहली अक्तूबर, सन् १९५१ से ३० सितम्बर, सन् १९५२ तक का बोनस आठ आने प्रति रुपया की दर से दिया जाये।

४--पहली अक्तूबर, १९५२ से ३० सितम्बर, सन् १९५३ तक का बोनस आठ आने प्रति रुपया की दर से दिया जाये।

५--त्यौहारों की छुट्टियां पैसा सहित दी जायें।

६--सालाना ड्यू की छुट्टियां सुविधानुसार दी जायें।

७--डी० एफ० ए० का आधा तनख्वाह में शामिल किया जाये।

८--इस मिल में बहुत से कैटेगरी के मजदूरों की तनख्वाह अन्य जूट मिलों की तनख्वाह से कम है, जैसे सरदार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मैकेनिकल फिटर की तनख्वाहें इत्यादि। इन सब कैटेगरी के मजदूरों की तनख्वाहें अन्य जूट मिलों के अनुसार बढ़ाई जावें।

९--माहवारी तनख्वाह वाले मजदूरों को जैसे क्लर्क, जमादार, मेहतर, सिपाही इत्यादि को सन् १९४८ के पहले जो इन्क्रीमेंट दिया जाता था वह दिया जाये तथा बकाया की पूर्ति की जाये।

१०--आयल मिल के मजदूरों को भी जूट मिल की भांति प्राविडेंट फण्ड और ड्यु दी जाय।

११--जो मशीनरी मिल के अन्दर हैं उन्हें बराबर चलाया जाये और किसी मशीन को मनमाने तौर पर बन्द करके उन पर काम करने वाले मजदूरों को निकाला न जाये, बल्कि उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाये।

१२--सबस्टिट्यूट मजदूरों का नियमानुसार रजिस्टर रखा जाये तथा सीनियारिटी के अनुसार उन्हें काम दिया जाये।

१३--मजदूरों को मुफ्त मकान, रोशनी, लकड़ी, बाल्टी, चारपाई इत्यादि चीनी मिलों की भांति दिया जाय।

१४--मजदूरों को अपने काम से हटाया न जाये और उनका तबादला एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में न किया जावे।

१५—मजदूरों को नियमानुसार तीन माह बाद परमानेन्ट किया जाये।

१६—मजदूरों के खेल-कूद, लाइब्रेरी इत्यादि का उचित प्रबन्ध किया जाये।

१७—जिन मजदूरों की तनख्वाह में कटौती की गई है उनकी कटौती की पूर्ति की जाये।

१८—सन् १६५३ ई० में जिन-जिन मजदूरों को प्लेआफ किया गया है उन्हें मुआविजा नियमानुसार दिया जाये।

आज्ञा से,
ह० सभापति,
३१-३-५४

ह० महताब लाल,
मंत्री,
३१-३-५४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर)

१९५३-५४ में पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की जिलेवार संख्या

क्रम-संख्या	जिला	छात्रवृत्तियों की संख्या	क्रम-संख्या	जिला	छात्रवृत्तियों की संख्या
१	देहरादून	१०४	२७	मिर्जापुर	११२
२	सहारनपुर	१२७	२८	जौनपुर	१०७
३	मुजफ्फरनगर	६७	२९	गाजीपुर	१०२
४	मेरठ	१४६	३०	बलिया	१०६
५	बुलन्दशहर	११२	३१	गोरखपुर	१५६
६	अलीगढ़	१२१	३२	बस्ती	९३
७	मथुरा	११२	३३	आजमगढ़	१२७
८	आगरा	१५४	३४	देवरिया	८६
९	मैनपुरी	९१	३५	नैनीताल	१२१
१०	एटा	१०६	३६	अल्मोड़ा	९५
११	बरेली	१२१	३७	गढ़वाल	८४
१२	बिजनौर	११५	३८	लखनऊ	१९२
१३	बदायूं	११२	३९	उन्नाव	१०१
१४	मुरादाबाद	१२९	४०	रायबरेली	९४
१५	शाहजहांपुर	११०	४१	सीतापुर	९७
१६	पीलीभीत	९९	४२	हरदोई	१०९
१७	फर्रुखाबाद	११३	४३	खेरी	१००
१८	इटावा	१०३	४४	फैजाबाद	१२२
१९	कानपुर	१६५	४५	गोंडा	१०२
२०	फतेहपुर	९८	४६	बहराइच	९१
२१	इलाहाबाद	२३३	४७	सुल्तानपुर	९२
२२	झांसी	१२०	४८	प्रतापगढ़	८९
२३	जालौन	१००	४९	बाराबंकी	८९
२४	हमीरपुर	८९	५०	टेहरी गढ़वाल	२७
२५	बांदा	१०१	५१	रामपुर	२७
२६	बनारस	१३८			
				कुल	५,६४३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

प्रदेश में बेकारी दूर करने की योजनाओं पर भारत सरकार से मांगी गई आर्थिक सहायता की तालिका

क्रम-संख्या	योजना का नाम	मांगी गई धनराशि (लाख रुपयों में)
१	घरेलू उद्योगों के विकास की योजना ..	१६२.६०
२	खादी, गुड़, खांडसारी आदि के विकास की योजना ..	८८.२५
३	औद्योगिक और औद्योगिक स्कूलों के पुनःसंगठन की योजना ..	२८८.००
४	कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत औद्योगिक और औद्योगिक स्कूलों के लिये सामान (equipment) खरीदने की योजना ..	२४.३१
५	नगरों में सफाई प्रबन्ध (drainage) के उन्नतिशील करने की योजना	१२७.६३
६	नगरों में पीने वाले पानी के पहुंचाने (supply) के प्रबन्ध को उन्नतिशील करने की योजना ..	२१०.८६
७	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों को उन्नत करने की योजना ..	१६०.००
८	लोकल बाडीज के कम वेतन वाले कर्मचारियों और कम वेतन-वर्गीय लोगों की आवास योजना ..	४००.००
९	सहकारी ईंटों के भट्ठे की योजना ..	३७०.००
१०	एन्टी मलेरिया आपरेशन्स की विस्तृत योजना ..	२०.५०
११	शिक्षित बेरोजगार लोगों को भूमि पर बसाने की योजना ..	६६.६२
१२	पक्की नई सड़कें बनाने की योजना ..	२३६.१४
१३	चुनी हुई कच्ची सड़कों को पक्का करने की योजना ..	१४५.३०
१४	स्थानीय पक्की सड़कों के पुनः निर्माण की योजना ..	१६.००
१५	बड़े पुलों के निर्माण की योजना	५०.२५
१६	छोटे पावर प्लान्ट बनाने और छोटे नगरों में डिस्ट्रीब्यूशन नेट के प्रबन्ध करने की योजना	२६५.००
१७	स्थानांतरित व्यक्तियों के लिये मकान और दुकानें बनवाने की योजना	३८०.००
१८	पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए स्थानान्तरित लोगों को भूमि पर बसाने की योजना	५७.६४
१९	शरणार्थी बस्तियों में तथा अन्य नागरिक क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने की योजना	२५२.५०
२०	रोडवेज की विस्तृत करने की योजना ..	१२०.००
२१	औद्योगिक महत्व के विविध पेड़ों को लगाने की योजना ..	८.००
२२	खेल के सामानों के लिये मलबेरी और ऐश के पेड़ों के बाग लगाने की योजना	३.००
२३	बेरोजगारी दूर करने के लिए बागों के लगाने की अतिरिक्त योजना	४.००

क्रम-संख्या	योजना का नाम		मांगी गई धनराशि (लाख रुपयों में)
२४	गण्डक नहर योजना	..	१६१.५५
२५	दोहरी घाट नहर योजना	..	१२६.००
२६	टान्डा पम्प नहर योजना भाग १	..	४५.००
२७	माता टीला बांध योजना	..	६०.००
२८	झांसी जिले में बन्धियां बनवाने की योजना	..	२०.००
२९	हिन्द-तिब्बत सीमा के क्षेत्र को विकसित करने की योजना	..	२१२.००
३०	शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिये शिक्षा योजना	..	१७५.५
३१	युवक कल्याण योजना	..	३०.४८
३२	इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन स्थापित करने की योजना	..	७.५०
३३	घरेलू उद्योगों के विकास की योजना	..	७१.७१
३४	पिछड़े हुये क्षेत्रों में छोटे—छोटे उद्योगों के विकास की योजना	..	२०.०
३५	प्रदेश की आर्थिक महत्ववाली सड़कों के उन्नत करने की योजना		१४६.००
३६	ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचाने की योजना	..	१२६.६८
	योग	..	४७५८.६२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

विवरण पत्र "क"

आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर जिलों में हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त करने वाली पाठशालाओं और पुस्तकालयों की संख्या इस प्रकार है :

जिला			पाठशाला	पुस्तकालय
आजमगढ़	..	..	२४	–
देवरिया	..	..	५७	१५
जौनपुर	..	..	६	८

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

विवरण पत्र 'ख'

जिला का नाम		पाठशाला		पुस्तकालय	
		१९५३–५४ में दिया गया अनुदान	१९५४–५५ में दिया गया अनुदान	१९५३–५४ में दिया गया अनुदान	१९५४–५५ में दिया गया अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०
आजमगढ़	..	१४,३५६	१७,१००	..	..
देवरिया	..	३०,८१६	२८,७१०	६,५८०	७,५५०
जौनपुर	..	३,१८४	१,५४०	३,६९६	२,७५७

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

१—सी० बी० हायर सेकेंडरी स्कूल, तरवा, आजमगढ़।

२—श्री शंकरजी हा० से० स्कूल, पुष्पनगर, आजमगढ़।

३—पटेल मेमोरियल हा० से० स्कूल, अतरौलिया आजमगढ़।

४—गांधी गुरुकुल हा० से० स्कूल, सर्वोदय नगर, मार्टिनगंज, सुरहन, आजमगढ़।

५—गांधी गुरुकुल हा० से० स्कूल, भैरवनाथ, आजमगढ़।

६—श्री शंकर हा० से० स्कूल, डीहा, आजमगढ़।

७—सुखनन्दन हा० से० स्कूल, मठ महमदपुर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़।

८—जनता हा० से० स्कूल, अहरौला, आजमगढ़।

९—पंचायत हा० से० स्कूल, गौरा मेंहनगर, आजमगढ़।

१०—ग्राम समाज महाविद्यालय हा० से० स्कूल, जयनगर (जिगनी), मेंहनगर, आजमगढ़

११—व्रजपाल हा० से० स्कूल, तेरही, आजमगढ़।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

हरिजन सहायक अधिकारी,

डी० ओ० वहं-सं०–३५७३/१६–५२/५ उत्तर प्रदेश।

दिनांक लखनऊ, मई १, १९५२ ई०

प्रिय महोदय,

मैं आप की सूचना के लिए इस विभाग के अन्तर्गत, आपके अधीन कार्य करने वाले सुपरवाइजरों की संलग्न कर्तव्य सूची भेज रहा हूं। कृपया इस सूची के अनुसार उन्हें निर्देशित करें। भविष्य के लिए उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में आपके संशोधन व सुझाव सहर्ष स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,

छेदीलाल,

आई० ए० एस०।

सेवा में,—

समस्त जिला नियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि सूचनार्थ—(१) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(२) समस्त अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।
(३) समस्त चेयरमैन, म्यूनिसिपल बोर्ड।
(५) रीजनल हरिजन सहायक आफिसर, एवं ग्रुप आफिसर।

हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले सुपरवाइजर एवं पंचायत आर्गनाइजर के कर्त्तव्य

इस विभाग के अन्तर्गत जिलों में "नियुक्त कर्मचारियों" की निम्नलिखित श्रेणियां हैं :—

(१) हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर।
(२) परिगणित जातीय शिक्षा सुपरवाइजर।
(३) परगणित जातीय सुपरवाइजर।
(४) पंचायत आर्गनाइजर।

"परिगणित जातीय शिक्षा सुपरवाइजर" इस विभाग के पुनस्संगठन के पूर्व शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे। उनका कार्य केवल शिक्षा तक ही सीमित था। "परिगणित जातीय सुपरवाइजर" रिक्लेमेशन आफिसर के मातहत कार्य कर रहे थे। उनका कार्य कूप निर्माण एवं जातीय पंचायत द्वारा हरिजनों में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना था। पंचायत आर्गनाइजर मूलतः प्रारम्भ में जरायम पेशा (अपराधशील) जातियों में सुधार का काम कर रहे थे। हरिजन सहायक विभाग के स्थापित होने पर हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों की नियुक्ति हुई थी। इस विभाग द्वारा संचालित समस्त हरिजन उत्थान विषयक योजनाओं को अपने क्षेत्र में कार्यान्वित करना उनका काम था।

इस विभाग के केवल अप्रैल, १९५१ के पुनःसंगठन के परिणाम स्वरूप उपरोक्त समस्त कार्यकर्त्ताओं के कार्य में केवल पंचायत आर्गनाइजरों को छोड़कर अब कोई भेद नहीं रह गया है।

सुपरवाइजरों की सर्व प्रथम तीन श्रेणियों की नामावली हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों में परिणत करने के लिये उचित कार्यवाही हो रही है। अब यह समस्त सुपरवाइजर निम्नलिखित

कर्त्तव्य सूची के अनुसार कार्य करेंगे ।

सामान्य—

१—प्रत्येक सुपरवाइजर साल में कम से कम दो सौ बीस दिन अपने जिले या नियोजित क्षेत्र में दौरा करेंगे। संतोष जनक स्पष्टीकरण के अभाव में इतने निर्धारित दौरे न कर सकने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है ।

२—सुपरवाइजर के दौरे का कार्य क्रम जिला नियोजन अधिकारी स्वीकृत करेंगे। और उनकी दिन-पत्री (डायरी) का परिनिक्षण भी करेंगे।

३—प्रत्येक मास की डायरी उनके अगले महीने की चौथी तारीख तक जिला नियोजन अधिकारी के पास प्रेषित हो जानी चाहिये (डायरी अथवा पर्यटन कार्यक्रम की प्रतिलिपि हरिजन सहायक अधिकारी के पास प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं ।)

४—प्रतिमास यह सुपरवाइजर कुछ अवधि के लिये उप जिला विद्यालय निरीक्षक (डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल) व सुपरिंटेंडेंट आफ एजूकेशन म्यूनिसिपल बोर्ड को परिगणित जाति एवं पिछड़ी जातियों के शिक्षा संबंधी कार्य में सहायता प्रदान करेंगे, जिला नियोजन अधिकारी उक्त अधिकारियों से परामर्श लेकर तिथियाँ निश्चित करेंगे।

५—प्रत्येक सुपरवाइजर के पास निम्नलिखित सूचना सामग्री रहना चाहिये :—

(१) अ—अपने जिले या क्षेत्र का एक मानचित्र, जिसमें मुख्य-मुख्य हरिजन बस्तियां, अपराधशील जातीय बस्तियां तथा उपनिवेश अंकित हों।

ब—अपराधशील जातियों एवं हरिजनों के लाभार्थ इस विभाग द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त अपराधशील जातीय बस्तियां एवं अन्य शिक्षालय।

स—हरिजन सहायक विभाग या अन्य सरकारी निधि से निर्मित कूपों के स्थान।

द—वे स्थान जहां हरिजनों के पीने के लिये स्वच्छ जल की सुविधा न हो।

(२) हरिजनहितैषी कार्य कर्त्ताओं की सूची।

(३) स्थानीय विधान सभा के सदस्यों एवं संसदीय सदस्यों की नामावली ।

(४) जिले के मुख्य कुटीर उद्योग जिनमें हरिजन संलग्न हो।

(५) जिले की स्थानीय संस्थाओं के हरिजन सदस्यों के नाम।

(६) जिले के हरिजन और पिछड़ी जातियों की जन-संख्या।

(७) हरिजन सहायक आफिसर, जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय कन्या पाठशाला निरीक्षक द्वारा हरिजन व पिछड़ी जातीय विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की तालिका।

(८) परिगणित व पिछड़ी जातीय विद्यार्थियों की दर्जेवार संख्या जो कि निम्न संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों (क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल, (ख) म्युनिसपल बोर्ड स्कूल, (ग) हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त स्कूल (घ) जिले के स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल (च) जिले के डिग्री कालेज तीन वर्षों के उत्तरोत्तर रिपोर्ट (प्रोग्रेसिव रिपोर्ट) तैयार की जाय।

(९) इस विभाग की निधि से पीने के लिये बनवाये गये कुओं की पतेवार सूची।

(१०) हरिजन सहायक विभाग का आय-व्ययक (बजट) मुख्यतः अपने जिले को प्रदत्त धन का विस्तृत विवरण।

(११) राज्यादेशों की प्रतिलिपियां, परिपत्र, रिपोर्ट एवं हरिजन उत्थान संबंधी साहित्य।

शैक्षणिक—

(१) परिगणित जातीय अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल वा कालेज में नाम लिखाने में सहायता प्रदान करना।

(२) परिगणित जातीय अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करके उनके स्कूल पढ़ने जाने योग्य अवस्था वाले बच्चों को स्कूल भेजने की प्रेरणा करना।

(३) विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले परिगणित जातीय विद्यार्थियों की संख्या तथा उनके प्रगति के आँकड़े रखना और विभिन्न परीक्षाओं में पास हुये विद्यार्थियों की भी संख्या का रिकार्ड रखना।

(४) म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों का निरीक्षण करना और इस बात की जांच करना कि पुस्तकों एवं छात्रवृत्तियों का वितरण समय से होता है या नहीं।

(५) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों का निरीक्षण करना एवं इस बात की जांच करना कि पुस्तकों आदि का वितरण ठीक समय से होता है कि नहीं।

(६) परिगणित जातीय शिक्षा संस्थाओं को राज्य से अनुदान दिलाने के लिये उनका निरीक्षण, उनको दिये गये अनुदान के उचित प्रयोग पर रिपोर्ट।

(७) म्युनिसिपल बोर्ड व जिला बोर्ड के आधीन समस्त प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों का निरीक्षण। एजूकेशनल कोड के नियम ३० के अनुसार हरिजन विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट।

(८) पुस्तक एवं छात्रवृत्ति वितरणार्थ सूची तैयार करके इस कार्य में उप जिला विद्यालय निरीक्षक एवं नगर पालिका के शिक्षा अधीक्षक की सहायता करना।

(९) इस बात का ध्यान, रखना कि जिले के स्कूल व कालेज परिगणित जातीय विद्यार्थियों की फीस मुक्ति संबंधी सरकारी आदेशों का यथा विधि पालन करते हैं या नहीं।

आर्थिक उत्थान—

(१) हरिजन युवकों को विभिन्न औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिये प्राप्त सुविधाओं का प्रचार करना और हरिजनों को उन समस्त सुविधाओं से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहन देना।

(२) हरिजन समुदाय को सरकारी समितियां बनाकर कुटीर उद्योग संचालन के लिये उत्साहित करना।

(३) जिले में कुटीर उद्योग विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक कक्षाओं की एक सूची रखना और उनसे लाभ उठाने के लिये हरिजनों को प्रेरणा देना।

(४) सहकारी विभाग, कृषि विभाग, एवं पशुपालन विभाग आदि से ग्रामीण जनता को दी गई सुविधाओं की सूचना संकलन करना और उनसे हरिजन जनता को अवगत कराना।

(५) जिलाधीश द्वारा दिये गये तकावी और अन्य सहायताओं की सूचना रखना और उनसे लाभ उठाने के हेतु हरिजन जनता को जानकारी कराना।

(६) जिले की पड़ती भूमि की सूचना प्राप्त करना, तथा हरिजनों को वहां बसाने के लिये जिलाधीश से सिफारिश करना।

उत्तम रहन–सहन संबंधी सुविधायें—

(१) पक्के कुओं के निर्माण अथवा जीर्ण कुओं की मरम्मत कराने के लिये आवेदन पत्रों की जांच करना और तत्संबंधी रिपोर्ट जिला नियोजन अधिकारी को देना।

(२) इस बात की जांच करना कि कहां, किन हरिजन बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी सुधार की आवश्यकता है तथा हरिजन जनता को इस कार्य में सरकारी सहायता मिलने के नियमों से अवगत कराकर उनको इस योजना से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करना ।

(३) आदर्श हरिजन बस्तियों के निर्माण में हरिजन जनता को प्रोत्साहित करना।

सामाजिक असमर्थता निवारण विधि कार्य--

(१) सामाजिक असमर्थता निवारण ऐक्ट का प्रचार करना।

(२) उपरोक्त ऐक्ट एवं भारतीय गणतंत्र संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों से हरिजनों को वंचित रखने की शिकायतों की जांच करना।

(३) हरिजनों और अन्य लोगों के बीच सद्भावना वृद्धि का प्रयत्त करना।

प्रचार--

(१) हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लाभार्थ सरकारी योजनाओं को समझाने के लिये सभाएं आयोजित करना।

(२) हरिजनों को समान अधिकार देने की आवश्यकता पर समाज को शिक्षित करना।

(३) हरिजनों के सामाजिक दोषों को दूर करने के लिये प्रयत्न करना।

(५) हरिजनों में मद्य-निषेध का प्रचार करना।

पंचायत आर्गनाइजर के कर्त्तव्य--

(१) जाति उत्थान के लिये परिगणित एवं अपराधशील जातियों में पंचायतें स्थापित करना।

(२) अपराधशील जातियों की पंचायतों को सक्रिय बनाकर उनके द्वारा इन जातियों की अपराधी प्रवृत्ति छुड़ाने का प्रयत्न करना।

(३) हरिजन एवं अपराधशील जातियों की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिये पंचायतें बनाना।

(४) पंचायत रजिस्टर रखना जिसमें पंच-सरपंच, और प्रधान सरपंच के नाम लिखे हों।

(५) पंचायतों के द्वारा अपराधशील जातियों के लोगों के लिये स्वास्थ्यप्रद मनोरंजनात्मक उपाय करना।

(६) पंचायतों से प्राप्त धन का हिसाब रखना।

(७) अपने क्षेत्र की पंचायत की त्रैमासिक रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के पास समयानुकूल भेजना।

छेदीलाल,
आई० ए० एस०,
हरिजन सहायक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

मई १, १९५२ ई०।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९० पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

यह घोषित करने के लिये कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा ;

विधेयक

यह घोषित करना आवश्यक है कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह न करेगा ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अनर्हता निवारण।

२—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश कारपोरेशन के अथवा उक्त ऐक्ट के अधीन तथा अनुसार संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा।

उद्देश्य और कारण

एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ द्वारा उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था है। सदस्य ऐसे शुल्क तथा भत्ते प्राप्त करते हैं, जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किये जाते हैं।

२—राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के सदस्यों की नियुक्ति पूर्वोक्त संस्थाओं में की जाती है या की जा सकती है। यह शंका उत्पन्न हुई है कि संविधान के अनुच्छेद १९१ के अन्तर्गत इन संस्थाओं की सदस्यता को लाभप्रद पद समझा जा सकता है जिससे उस पर अध्यासीन व्यक्ति को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह होना पड़े।

३—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत यह घोषित किया जा चुका है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके

द्वारा नियुक्त अथवा किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संगठित या स्थापित किसी कमेटी या बोर्ड के चेयरमैन या सदस्य का पद लाभप्रद नहीं समझा जायगा यदि उस पर अध्यासीन व्यक्ति केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो। इस प्रकार एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश ऐक्ट, १६४८ के अधीन विभिन्न कमेटियों तथा बोर्डों की सदस्यता इस विधायन के अन्तर्गत आ जाती किन्तु इस कारण से नहीं आती कि इन सदस्यों को केवल प्रतिकर भत्ता ही नहीं बल्कि शुल्क तथा भत्ते भी दिये जाते हैं।

४---तदनुसार यह आवश्यक समझा गया कि संविधान के अनुच्छेद १६१ के अनुसार यह घोषित कर दिया जाय कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १६४८ के अधीन विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता उस पर अध्यासीन व्यक्ति को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह न करेगी।

अतएव उपर्युक्त उद्देश्य से ही विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर)

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश, संशोधन) विधेयक, १६५५

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८६८ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, संशोधित करने का, — १८६८ की ऐक्ट संख्या ५।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८६८ को जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, संशोधन करना आवश्यक है, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :— — १८६८की ऐक्ट संख्या ५।

१—(१) यह अधिनियम कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६५५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस हेतु सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

२—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८६८ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४०८ में: — १८६८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४०८ का संशोधन।

(क) शब्द "A Sub-Divisional Magistrate of the Second Class or a Magistrate of the first Class or the District Magistrate." के स्थान पर शब्द "any Magistrate" रख दिये जायं, तथा

(ख) खंड (b) के प्रतिबन्धात्मक खंड में से शब्द "or any sentence of transportation" निकाल दिये जायं।

३—मूल अधिनियम की धारा ४०६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय: — १८६८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४०६ का संशोधन।

"409—*Appeals to Courts of Session how heard*—(1) Subject to the provision of this section an appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or by an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge. :

Provided that no such appeal shall be heard by an Assistant Sessions Judge unless the appeal is of a person convicted on a trial held by any Magistrate of second or third class.

(2) An Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the State Government may, by general or special order, direct or as the Sessions Judge of the division may make over to him."

उद्देश्य और कारण

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (ऐक्ट ५ ,१८९८) की धारा ४०८ और ४०९ भारत सरकार के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ द्वारा संशोधित हो रही है। राज्य सरकार ने उक्त धाराओं को कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संशोधन) अधिनियम, १९४८ द्वारा उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया था। अब केंद्रीय विधेयक द्वारा इन धाराओं को प्रदान किया जाने वाला रूप राज्य विधान मंडल द्वारा संशोधित धाराओं के रूप से कुछ भिन्न है और क्षेत्र में वृहत्तर है, अतः यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में आजकल प्रवृत्त उक्त धारायें इस प्रकार संशोधित की जायं कि जब केंद्रीय विधेयक अधिनियम बन कर प्रचलित हो तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रचालित रूप में उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित हो सके।

सैयद अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर)

उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन)— विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में मंदिरों तथा धार्मिक निबन्धों के सुप्रशासन की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों तथा धार्मिक निबन्धों के सुप्रशासन की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निर्दिष्ट करे।

अधिनियम का लागू होना।

२—यह अधिनियम समस्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर लागू होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी भी ऐसी संस्था को इस अधिनियम के किसी अथवा समस्त उपबन्धों के प्रभाव से मुक्त कर सकती है तथा इसी प्रकार ऐसी मुक्ति को बदल सकती है अथवा उसे परिवर्तित या निरस्त (cancel) कर सकती है।

अधिनियम को जैनियों तथा सिक्खों की धार्मिक संस्थाओं पर लागू करने का अधिकार।

३—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के किसी अथवा समस्त उपबन्धों को जैनियों अथवा सिक्खों की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर लागू कर सकती है और तदुपरान्त पूर्वोक्त उपबन्ध ऐसी संस्थाओं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो "हिन्दू" तथा "हिन्दुओं" इन पदों के अन्तर्गत क्रमशः पद "जैन" तथा "जैनियों" अथवा "सिक्ख" तथा "सिक्खों" जैसी भी दशा हो, आ जाते हों।

परिभाषायें

४—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "क्षेत्र समिति" से तात्पर्य है धारा ८ के अधीन संगठित क्षेत्र समिति है,

(ख) "सहायक आयुक्त" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त.

(ग) "आयुक्त" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन नियुक्त आयुक्त,

(घ) "जांच अधिकारी" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी,

(ङ) "मठ" से तात्पर्य है ऐसी हिन्दू धार्मिक संस्था जिससे सम्पत्ति सम्बद्ध हो और जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जिसका कर्तव्य किसी शिष्य समुदाय को धार्मिक उपदेश देने में अपने को संलग्न रखना अथवा उसकी आध्यात्मिक सेवा करना हो अथवा जो ऐसे समुदाय की आध्यात्मिक अध्यक्षता (Headship) करता हो अथवा करने का दावा करता हो, तथा इसमें धार्मिक उपासना अथवा शिक्षा के ऐसे स्थान सम्मिलित हैं जो उक्त संस्था से सम्बद्ध हो,

स्पष्टीकरण--यदि किसी मठ का मुख्यावास (Headquarters) राज्य के बाहर है, परन्तु उस मठ की सम्पत्ति राज्य के भीतर है, तो जहां तक राज्य स्थित सम्पत्ति का सम्बन्ध है उस पर नियंत्रण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रखा जायगा।

(च) "नियत" से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत,

(छ) "धार्मिक संस्था" से तात्पर्य है मठ, मन्दिर अथवा धार्मिक निबन्ध,

(ज) "धार्मिक निबन्ध" से तात्पर्य है मठ अथवा मन्दिर की समस्त सम्पत्ति तथा उसमें निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये दी गयी अथवा निबंधित सम्पत्ति भी सम्मिलित है--

(१) मठ या मन्दिर की सहायता अथवा,

(२) मठ या मन्दिर से संबद्ध कोई सार्वजनिक ढंग की सेवा अथवा पुण्यदान करना,

(३) मठ या मन्दिर में कोई विशिष्ट सेवा अथवा पुण्यदान करना, अथवा

(४) किसी हिन्दू पर्व अथवा धार्मिक कार्य-सम्पादन, चाहे उसका सम्बन्ध मठ अथवा मन्दिर से हो अथवा न हो, से सम्बद्ध कोई सार्वजनिक पुण्यदान करना,

तथा इसमें सम्बद्ध संस्था और उसके भूगृहादि (Premises) भी सम्मिलित हैं परन्तु इसमें ऐसी सम्पत्ति दान सम्मिलित नहीं है, जो धार्मिक संस्था के किसी सेवक अथवा अन्य किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत दान के रूप में दिये गये हों,

स्पष्टीकरण--इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात् कोई धार्मिक संस्था विद्यमान नहीं रही है अथवा उसका उपयोग धार्मिक उपासना या उपदेशों के लिये नहीं हो रहा है अथवा वहां

सेवा तथा दान-पुण्य के कार्य नहीं किये जा रहे हैं, वह सभी सम्पत्ति धार्मिक निबन्ध समझी जायगी जो उस धार्मिक संस्था को थी अथवा पूर्वोक्तानुसार उसे दी अथवा निबंधित की गयी थी।

(झ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार,

(ञ) "मंदिर" से तात्पर्य है वह स्थान चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक उपासना के लिये किया जाता है, तथा जो सार्वजनिक धार्मिक उपासना-स्थल के रूप में हिन्दू जाति अथवा उसके किसी वर्ग को अथवा उसकी भलाई के लिये समर्पित किया गया हो अथवा उसके द्वारा साधिकार उपयोग में लाया जाता हो, तथा

(ट) "न्यासी" से तात्पर्य है वह व्यक्ति अथवा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसमें किसी धार्मिक संस्था का प्रशासन निहित (vested) हो और इसमें वह व्यक्ति अथवा निकाय सम्मिलित है, जो इस प्रकार उत्तरदायी हों, मानों वह व्यक्ति अथवा निकाय न्यासी हैं।

अध्याय २

प्रशासकीय संगठन

५—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार— *आयुक्त, सहायक आयुक्तों तथा जांच अधिकारियों की नियुक्ति।*

(क) एक आयुक्त,

(ख) सहायक आयुक्तों, तथा

(ग) जांच अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

६—आयुक्त, प्रत्येक सहायक आयुक्त तथा जांच अधिकारी और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अन्य अधिकारी अथवा चाहे वह किसी के द्वारा नियुक्त किया गया हो, ऐसा व्यक्ति होगा जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो और जब वह उस धर्म में अपनी आस्था का त्याग-परित्याग कर देगा तो उसका पद-त्याग हो जायेगा। *आयुक्त आदि का हिन्दू होना।*

७—आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा जांच अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा उन कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उन्हें दिये गये हों। *आयुक्त, सहायक आयुक्तों तथा जांच अधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य।*

८—(१) राज्य सरकार समस्त अथवा किसी वर्ग अथवा वर्गों की धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में विहित रीति के अनुसार किसी स्थानिक क्षेत्र के लिये एक समिति (जिसे आगे क्षेत्र समिति कहा जायगा) संगठित कर सकती है तथा एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के लिये ऐसी एक से अधिक समितियां संगठित की जा सकती हैं। *क्षेत्र समिति*

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह संस्था के महत्व को तथा उससे संबद्ध परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर किसी भी धार्मिक संस्था के लिये एक अलग क्षेत्र समिति संगठित करें।

(३) प्रत्येक क्षेत्र समति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—

(क) राज्य सरकार की पूर्व-सहमति से आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, तथा

(ख) आयुक्त द्वारा नियुक्त सदस्य, जिनकी संख्या, जो तीन से कम तथा दस से अधिक नहीं होगी वह, होगी जैसी कि नियत कर दी जाय,

(४) अध्यक्ष तथा सदस्य उस अवधि तक पद धारण करेंगे जो कार्यभार संभालने के दिनांक से तीन वर्ष से कम तथा ५ वर्ष से अधिक, जो भी नियत की जाय, न होगी।

(५) किसी आकस्मिक रिक्त स्थान (casual vacancy) को भरने के लिये आयुक्त तथा सदस्य का नाम निर्देशन उसके पूर्वाधिकारी (predecessor) की शेष पदावधि के लिये ही किया जायगा।

(६) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही (proceeding) केवल समिति में कोई स्थान रिक्त रहने अथवा उसके संगठन में कोई दोष होने के कारण अवैध न समझी जायगी न इस कारण से कि बाद में पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस कार्यवाही में उपस्थित हुआ है अथवा उसमें उसने मतदान किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से भाग लिया है, जो इनमें से किसी का भी अधिकारी न था,

(७) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हतायें (qualifications) तथा अनर्हतायें (disqualifications) वही होंगी जो विहिति की जायं,

किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि कोई व्यक्ति, यदि वह हिन्दू धर्म में आस्था न रखता हो क्षेत्र समिति का अध्यक्ष (chairman) अथवा सदस्य होने अथवा नियुक्त होने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualified) होगा।

क्षेत्र समिति का पुनस्संगठन तथा विघटन (dissolution) और सदस्यों तथा अध्यक्ष का हटाया जाना।

९—(१) यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि किसी क्षेत्र समिति ने अपने कर्तव्यों तथा कार्यों के सम्पादन में उपेक्षा की है, अथवा अपना कार्य संचालन इस प्रकार किया है जिससे उसका बना रहना सम्बद्ध धार्मिक संस्था के हितों के लिये हानिकारक है तो वह समिति को विघटित तथा उसे पुनस्संगठित कर सकती है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई क्षेत्र समिति विघटित कर दी जाय तो उसका प्रत्येक सदस्य मय अध्यक्ष के अपने अपने पद को रिक्त कर देगा परन्तु वह पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा।

(३) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को बाधित न करते हुये, राज्य सरकार क्षेत्र समिति के किसी भी सदस्य तथा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है यदि उसकी राय में ऐसे सदस्य या अध्यक्ष ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा की हो अथवा दुराचरण का दोषी हो, अथवा वह धारा ८ की उपधारा (७) में दी हुई किसी अनर्हता (disqualification) का भागी हो गया हो।

किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि राज्य सरकार सदस्य अथवा अध्यक्ष को हटाने से पहले उसे एक उचित अवसर देगी जिससे वह प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दिखा सके।

१०—(१) क्षेत्र समिति आयुक्त तथा सहायक आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों, कर्तव्यों तथा कार्यों के सम्पादन में सहायता करेगी। क्षेत्र समिति के अधिकार तथा कर्त्तव्य।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डालते हुये समिति :

(क) किसी धार्मिक कृत्य (practice) के अवसर पर दिये गये या दिये जाने वाले चढ़ावों (offerings) तथा उनके निस्तारण (disposal) और ऐसे कृत्य से संबद्ध किसी अन्य आर्थिक तथा वित्तीय कार्यवाही से संबद्ध किसी अन्य आर्थिक तथा वित्तीय कार्यवाही के संबंध में आयुक्त को परामर्श देगी,

(ख) आयुक्त द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य आदेश के अधीन किसी धार्मिक संस्था के भूगृहादि (premises) अथवा उससे सम्बद्ध उपासना-स्थल अथवा संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति तथा धार्मिक संस्था से सम्बद्ध अभिलेख-पत्र व्यवहार योजना, हिसाब किताब तथा अन्य लेख्यों (documents) का निरीक्षण करेगी।

(ग) आयुक्त का ध्यान किसी धार्मिक संस्था के प्रशासन में होने वाली वित्तीय अथवा प्रशासकीय अनियमितताओं (irregularities) की ओर आकृष्ट करेगी,

(घ) संस्था के प्रशासन में सुधार करने की दृष्टि से सिफारिशें करेगी, तथा

(ङ) ऐसे अन्य कार्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन करेगी, जो विहित किये जायं।

११—(१) सहायक आयुक्त आपात काल (emergency) में तथा ऐसे समय जब उसके विचार से किसी कार्य का तुरन्त किया जाना धार्मिक संस्था के हित में आवश्यक हो, कोई भी ऐसा कार्य करने का निर्देश कर सकता है, जिसे साधारणतया क्षेत्र समिति को ही करना चाहिये। आपात काल (emergency) में क्षेत्र समिति की ओर से कार्य करने के सहायक आयुक्त के अधिकार।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस धारा के अधीन की गयी कार्यवाही को, उसके कारणों सहित, समिति को उसकी अगली बैठक में प्रसूचित करेगा।

(२) जब कभी इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन आयुक्त तथा सहायक आयुक्त का, किसी आज्ञा के जारी करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही करने के पहले, क्षेत्र समिति से परामर्श करना आवश्यक हो और आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त के विचार से ऐसा परामर्श उचित रूप से सुविधाजनक न हो, तो वह बिना ऐसे परामर्श के भी आज्ञा जारी कर सकता है अथवा कार्यवाही कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सहायक आयुक्त ऐसी आज्ञा जारी करने अथवा कार्यवाही करने के पूर्व आयुक्त से उसकी सहमति प्राप्त कर लेगा।

अध्याय ३

प्रशासन का पर्यवेक्षण (Supervision)

धार्मिक संस्थाओं का सर्वेक्षण (survey)।

१२—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जांच अधिकारी को उसके अधिक्षेत्र (jurisdiction) में स्थित धार्मिक संस्थाओं का सर्वेक्षण करने के लिये आदेश दे सकती है।

(२) जांच अधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, अपने अधिक्षेत्र में स्थित प्रत्येक धार्मिक संस्था के सम्बन्ध में विहित रीति के अनुसार एक विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा:—

(क) संस्था का स्वरूप (nature), दाता (donor) या संस्थापक (founder) का नाम तथा संस्था से सम्बद्ध समस्त आगम विलेखों (title-deeds) तथा अन्य लेख्यों (documents) के ब्योरे,

(ख) प्रशासन की योजना के ब्योरे,

(ग) वेतन उपलब्धि (emoluments) अथवा अनुलाभ (perquisite) वाले समस्त पदों के नाम तथा प्रत्येक मामले में सेवा का स्वरूप (nature), समय तथा शर्तें,

(घ) संस्था में स्थापित तथा उससे संबद्ध मूर्तियों तथा प्रतिमाओं के ब्योरे, चाहे वह उपासना के लिये हो अथवा समारोहों, यात्राओं (procession) में ले जाने के लिये,

(ङ) वर्तमान न्यासियों तथा प्रबन्धकों के नाम तथा उसके पदों की उत्तराधिकारिता (succession) और नियुक्ति संबंधी ब्योरे,

(च) उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति में धार्मिक संस्था के अधिकार, आगम (title) अथवा स्वत्व (interests) सम्बन्धी ब्योरे,

(छ) धार्मिक संस्था के तथा उसके स्वामित्व में रहने वाली चल सम्पत्ति, जिसमें नगदी, सामान (Stocks) जवाहरात (jewels), सोना, चांदी, तथा मूल्यवान रत्नादि (precious-stones) भी शामिल हैं; के ब्योरे तथा उनका अनुमानित मूल्य ;

(ज) धार्मिक संस्थाओं की कच्ची (gross) आय;

(झ) संस्था के धार्मिक तथा अन्य उद्देश्यों पर होने वाले व्यय;

(ञ) धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध मदों पर होने वाले व्यय के ब्योरे:

(ट) किसी अन्य आर्थिक, वित्तीय या धर्म निरपेक्ष (secular) ऐसे कार्यों के व्योरे, जिन्हें संस्था में सम्पादित होने वाले धार्मिक कृत्यों से संबद्ध किया जा सके; तथा

(ठ) ऐसे अन्य व्योरे, जो विहित किये जायं।

(३) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो किसी न्यायालय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन वाद की सुनवाई के समय निहित रहते (vested) हैं।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर, या सत्य-कथन (affirmation) द्वारा उसका परीक्षण करना, तथा स्थानिक निरीक्षण करना;

(ख) लेख्य (document) प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;

(ग) साक्षियों का वक्तव्य लेने, लेखा की परीक्षा कराने तथा स्थानिक जांच करने के लिये कमीशनों (Commissions) का निकालना,

(४) उपधारा (२) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति आयुक्त को भेजी जायगी।

(५) उपधारा (२) के अधीन तैयार किये गये विवरण की समस्त प्रविष्टि उस समय तक सत्य समझी जायगी जब तक प्रतिकूल न सिद्ध किया जाय।

१३—आयुक्त विहित रीति के अनुसार ऐसे सभी धार्मिक संस्थाओं की सूची प्रकाशित करायेगा जिन पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हों। धार्मिक संस्थाओं की सूची।

१४—(१) प्रत्येक धार्मिक संस्था के लिए विहित रीति के अनुसार एक रजिस्टर तैयार किया तथा रखा जायगा जिसमें धारा १२ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई अथवा समस्त व्योरे दिखाये जायेंगे।

(२) रजिस्टर प्रत्येक वर्ष विहित रीति के अनुसार सत्यापित (verified) तथा पुनरीक्षित (revised) किया जायगा।

१५—इस अधिनियम के निदेशों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश में समस्त धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन, जिन पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हों, आयुक्त के सामान्य अधीक्षण (superintendence) तथा नियंत्रण (control) में होगा। आयुक्त द्वारा धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का पर्यवेक्षण।

१६—धारा १५ के उपबन्धों की व्याप्ति (generality) को बाधित न करते हुए, आयुक्त को निम्नलिखित अधिकार होंगे— आयुक्त के सामान्य अधिकार।

(क) प्रवेश के समय तथा रीति से संबंधित ऐसे निरोधों के, जो विहित किये जायं, अधीन रहते हुए, किसी संस्था के भूगृहादि (premises) अथवा उससे संबद्ध किसी उपासना-स्थल में प्रवेश करना;

(ख) किसी धार्मिक संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति का तथा उससे सम्बद्ध अभिलेखों (records), पत्र-व्यवहार, योजना, हिसाब–किताब तथा अन्य लेखों (documents) का निरीक्षण;

(ग) संस्था के प्रशासन अथवा उसकी निधि; सम्पत्ति अथवा आय, अथवा उससे सम्बद्ध धन अथवा उसके विनियोग (appropriation) के सम्बन्ध में ऐसे नियत कालिक विवरण-पत्र (periodical returns), प्रसूचनाएं (reports), विवरण (statement), हिसाब-किताब (accounts) या अन्य सूचनाएं मांगना जिनके लिये आयुक्त आदेश दे तथा उन्हें ऐसे समय तथा आकार में मांगना, जैसा कि आयुक्त आदेश दें;

(घ) ऐसे आकार तथा रीति से जैसा कि वह निर्दिष्ट करे, संस्था की आय तथा व्यय के वार्षिक विवरण तैयार कराने का आदेश देना;

(ङ) धार्मिक संस्था की शर्तों तथा उपचारों (usages) के अनुकूल निम्नलिखित से सम्बद्ध विभिन्न प्रयोजनों के व्यय के प्रतिमान स्तर (standard scale) निश्चित करना:—

(१) संस्था का प्रशासन;

(२) धार्मिक तथा अन्य उद्देश्य, जिनके लिये संस्था स्थापित की गयी अथवा विद्यमान है; और

(३) संस्था में आने वाले अनुयायियों (disciples) अथवा उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा सुविधा;

(च) संस्था के हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा कराने तथा उसमें बतायी गयी त्रुटियों और आपत्तियों के परिशोधन (rectification) का प्रबन्ध करना;

(छ) न्यासियों अथवा प्रबन्धक के पास की अतिरिक्त (surplus) निधि को किसी अनुमोदित (approved) बैंक अथवा प्रतिभू (security) में जमा कराने का आदेश देना;

(ज) जब कभी आवश्यकता हो संस्था के प्रशासन के सम्बन्ध में जांच कराना;

(झ) संस्था की तथा उसके स्वामित्व में रहने वाली वंचित (lost) सम्पत्ति की वापसी के उपाय करना;

(ञ) संस्था के प्रशासन से सम्बन्धित वादों तथा कार्यवाहियों (proceedings) के संस्थित करने (Institution) तथा प्रतिवादन के आदेश जारी करना;

(ट) संस्था के जवाहरात तथा उसकी अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा (safe custody) के आदेश जारी करना; तथा

(ठ) सामान्यतः ऐसे अन्य आदेश जारी करना, जो यह निश्चय करने के लिए आवश्यक समझे जायं कि धार्मिक संस्था का उचित रूप से प्रशासन होता है तथा उसकी आय का

यथाविधि (duly) विनियोग (appropriation) उन प्रयोजनों के लिये किया जाता है जिनके लिये वह स्थापित की गयी थी अथवा विद्यमान है।

प्रशासन की योजना बनाने के लिये आयुक्त का अधिकार।

१७--(१) जब आयुक्त की सम्मति में धार्मिक संस्था के उचित प्रशासन के हित में संस्था के लिये प्रशासन की एक योजना बनायी जानी चाहिए तो वह विहित रीति के अनुसार संस्था के लिए एक योजना बना सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनायी गयी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :--

(क) विद्यमान न्यासियों के स्थान पर अथवा उनके रहते हुए नये न्यासियों की नियुक्ति;

(ख) किसी विद्यमान न्यासी का हटाया जाना;

(ग) न्यासी के अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिभाषा करना,

(घ) धारा १६ के खंड (ङ) के उप-खंड (१) से (३) तक में निर्दिष्ट कोई विषय;

(ङ) अन्य कोई विषय, जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (१) के अधीन बनायी गयी किसी योजना को आयुक्त विहित रीति के अनुसार परिष्कृत (modify) अथवा निरस्त (cancel) कर सकता है।

(४) उपधारा (२) के अधीन बनायी गयी योजना अथवा उपधारा (३) के अधीन परिष्कृत किये गये किसी रूपभेद में, केवल उन दशाओं को छोड़ कर जब आयुक्त सन्तुष्ट हो कि धार्मिक विषयों की व्यवस्था करना सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता अथवा स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है, अन्य दशाओं में धार्मिक विषयों की व्यवस्था न होगी।

निबन्धों का विनियोग (appropriation)।

१८--जब कभी आयुक्त सन्तुष्ट हो कि धार्मिक संस्था के प्रयोजन की पूर्ति आरम्भ से ही अथवा बाद से असम्भव हो गयी है, तो वह आज्ञा द्वारा निदेश दे सकता है कि संस्था के निबन्ध का विनियोग (appropriation) निम्नलिखित समस्त अथवा किसी भी प्रयोजन के लिये किया जाय--

(क) संस्था के धार्मिक सिद्धान्तों (tenets) का प्रचार;

(ख) शिक्षा सम्बन्धी ऐसी संस्थाओं की स्थापना तथा रखरखाव, जहां हिन्दू धर्म, दर्शन अथवा शास्त्रों के अध्ययन की व्यवस्था हो;

(ग) संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन की समुन्नति;

(घ) भारतीय कलाओं तथा स्थापत्य कला (architecture) के परिशीलन (cultivation) की समुन्नति;

(ङ) निर्धन-गृहों, अनाथालयों, अस्पताल, तथा औषधालयों की स्थापना तथा रखरखाव और छात्रवृत्तियों का दिया जाना; तथा

(च) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किये जायं;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धार्मिक संस्था किसी धार्मिक सम्प्रदाय (denomination) अथवा उसके किसी वर्ग द्वारा स्थापित की गयी हो और उन्हीं के द्वारा उसका रख-रखाव किया जाता हो तो यथासम्भव निबन्धों का उपयोग, साधारणतया सम्बद्ध सम्प्रदाय अथवा उसके किसी वर्ग के हित में उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये किया जायगा।

न्यासी द्वारा अपेक्षित देख-रेख तथा उसके अधिकार।

१६—प्रत्येक धार्मिक संस्था का न्यासी उसके कार्यों को सम्पन्न करने के लिए तथा, न्यास की शर्तों, संस्था के उपाचार (usage) तथा उन समस्त विधिसंगत (lawful) आदेशों के अनुसार जो समर्थ प्राधिकारी (competent authority) उसके सम्बन्ध में जारी करें उसकी निधियों और सम्पत्तियों का उपयोग करने के लिये बाध्य होगा और इतनी सावधानी के साथ करेगा, जितनी कि साधारण विवेक का कोई व्यक्ति ऐसे मामलों, निधियों तथा सम्पत्तियों के विषय में यह समझकर बरतता कि वे उसकी अपनी ही हों।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यासी को धार्मिक संस्था के कुशल प्रशासन के लिये समस्त अधिकारों का उपयोग करने तथा उन कर्तव्यों को निभाने के निमित्त, जो उसे निर्दिष्ट किये गये हों, सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने का अधिकार होगा।

(३) न्यासी को, उसके पद से हटाये जाने अथवा उसके विरुद्ध की गयी किसी अनुशासन-कार्यवाही के लिये, अथवा उसके सम्बन्ध में, किसी वाद, अपील अथवा प्रार्थना-पत्र अथवा अन्य किसी कार्यवाही पर उसके द्वारा उठाये गये वाद-व्ययों (costs) परिव्ययों (charges) अथवा व्ययों (expenses) की पूर्ति के लिए धार्मिक संस्था की निधि को खर्च करने का अधिकार न होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्यासी को धारा २२ के अधीन जारी की गयी आज्ञा द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति दे दी गयी हो, तो वह ऐसे वाद-व्ययों, परिव्ययों अथवा व्ययों की भरपाई (reimburse) करा सकता है।

इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी आज्ञाओं का न्यासी, प्रबन्धक तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अनिवार्यतः पालन किया जाना।

२०—धार्मिक संस्था के प्रत्येक न्यासी, प्रबन्धक तथा उनके अधीन कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों और सेवकों तथा उनके अभिकर्ताओं (agents) तथा धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयुक्त द्वारा जारी की गयी समस्त विधिसंगत आज्ञाओं अथवा निदेशों (directions) को यथाशीघ्र पालन करें तथा उन्हें कार्यान्वित करें,

(ख) यदि आज्ञा दी जाय तो धारा १६ के खंड (ख) में अभिदिष्ट किसी चल सम्पत्ति या लेख्य (document) को निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करे, तथा

(ग) इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को, उसके कार्यों को सम्पन्न करने अथवा अधिकारों का उपयोग करने के लिये, ऐसी सभी सहायता तथा सुविधायें दें, जो आवश्यक हों अथवा जिनकी उचित रूप से उन्हें जरूरत हो।

२१—यदि कोई न्यासी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक, अभिकर्ता अथवा धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य कोई व्यक्ति—

न्यासियो के द्वा अधि अनुसा करने करने

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा आयुक्त द्वारा जारी की गयी आज्ञाओं तथा निदेशों (directions) के अनुसार काम करने से इन्कार करता है, उनकी उपेक्षा करता है अथवा उनका पालन नहीं करता है,

(ख) ऐसे समय तथा ऐसी रीति से, जैसा कि आयुक्त आदेश दें, धार्मिक संस्था के प्रशासन अथवा उसकी निधियों, सम्पत्ति अथवा आय तथा उसके उपयोग (application) के विषय में लेखे, विवरण-पत्र (returns), प्रतिवेदन (reports) देने से इन्कार करता है अथवा देने में उपेक्षा करता है अथवा नहीं देता, अथवा

(ग) धार्मिक संस्था की किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति अथवा उससे सम्बद्ध किसी अभिलेख, पत्र-व्यवहार योजना, हिसाब–किताब तथा अन्य लेख्यों का आयुक्त द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देने से इन्कार करता है अथवा निरीक्षण में बाधा डालता है, अथवा निरीक्षण के लिये उन्हें प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है अथवा उन्हें प्रस्तुत नहीं करता;

तो न्यासी, अथवा जहां एक से अधिक न्यासी हों वहां प्रत्येक न्यासी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक, अभिकर्ता अथवा उसके कार्यों पर नियंत्रण रखने वाले अन्य व्यक्ति को निहित रीति के अनुसार आयुक्त द्वारा उसके पद से हटाया अथवा बरखास्त (dismiss) किया जा सकता है।

(२) कोई ऐसा पूर्वोक्त व्यक्ति तब तक हटाया अथवा बरखास्त नहीं किया जायगा जब तक कि उसके विषय में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में उसे कारण बताने का उचित अवसर न दिया जाय।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आयुक्त की आज्ञा से असन्तुष्ट व्यक्ति आज्ञा की प्राप्ति के तीन मास के भीतर आगे की व्यवस्था के अनुसार संगठित न्यायाधिकरण (tribunal) को अपील कर सकता है।

(४) उपधारा (३) में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण निम्नलिखित से बनेगा—

(क) अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और जो या तो जिला जज होगा अथवा जिला जज रह चुका हो,

(ख) दो अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे (nominated) जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे हिन्दू धार्मिक निबन्धों के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो,

(५) यदि अपील की सुनवाई के समय न्यायाधिकरण के सदस्यों में दी जाने वाली आज्ञा के किसी विषय या प्रश्न पर मतभेद हो तो बहुमत की राय मान्य होगी तथा न्यायाधिकरण की आज्ञा बहुमत की राय के अनुसार व्यक्त की जायगी।

(६) अपील की सुनवाई के विषय में न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो विहित की जाय;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी पक्ष को अपनी बात कहने का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई आदेश जारी न करेगा जिससे उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

(७) उपधारा (३) में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण की नियुक्ति समस्त राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र अथवा किसी विशेष मुकदमे अथवा मुकदमों के वर्ग के लिये की जा सकती है।

विधिक कार्यवाहियों पर होने वाले वाद-व्ययों तथा व्ययों की वसूली।

२२—(१) किसी धार्मिक संस्था के विषय में विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा उसके एक पक्ष (Party) के रूप में राज्य सरकार, आयुक्त, सहायक आयुक्त, जांच अधिकारी अथवा क्षेत्र समिति द्वारा उठाये गये समस्त वाद, व्यय (costs), परिव्यय (charges) तथा व्यय (expenses), उन दशाओं को छोड़कर जब उनके दिये जाने का दायित्व किसी पक्ष (party) अथवा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर निश्चित कर दिया गया हो तथा इस धारा के अधीन भरपाई के अधिकार का स्पष्ट शब्दों में निषेध कर दिया गया हो, अन्य दशाओं में उस संस्था की निधि में से देय होंगे,

(२) उपधारा (१) के अधीन देय वाद-व्यय परिव्यय और व्यय विहित रीति से निर्धारित तथा अदा किये जायेंगे।

अध्याय ४

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

इस अधिनियम के उपबन्ध अन्य विधायनों से वरिष्ठ (to prevail) होंगे।

२३—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी अन्य विधि के उपबन्धों में कोई विरोध अथवा असंगति हो तो इसी अधिनियम के उपबन्ध मान्य होंगे।

(२) इस अधिनियम के अधीन पारित कोई योजना, अथवा दी गयी, समझी गई कोई आज्ञा इस बात के रहते हुए भी प्रभावकर रहेगी कि किसी अन्य लेख्य अथवा विधायन अथवा किसी विलेख (instrument), जो ऐसे लेख्य अथवा विधायन के कारण प्रभावकर हैं, में दी हुई कोई बात उससे असंगत है।

अधिकारों का प्रतिविधान (delegation)।

२४—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अपने अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी (authority) को, अथवा क्षेत्र समिति को, ऐसे निरोधों या शर्तों के अधीन उपयोग के लिए जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दी जायं, ऐसे कोई भी अधिकार सौंप सकती है जो इस अधिनियम द्वारा आयुक्त को प्रदान किये गये हैं।

सरकारी अधिकारियों द्वारा लेख्यों की प्राप्तियां अथवा उनके उद्धरण निःशुल्क देने की व्यवस्था।

२५—वे समस्त सरकारी (public) अधिकारी, जिनके संरक्षण में धार्मिक संस्था अथवा उसकी किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति से सम्बद्ध अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट अथवा अन्य लेख्य रहते हों, इनकी प्राप्तियां अथवा इनके उद्धरण, जिनकी आयुक्त को आवश्यकता हो, निःशुल्क प्रस्तुत करेंगे।

अभिलेखों मंगा सक आज्ञा दे राज्य स का अवि

२६—राज्य सरकार किसी कार्यवाही की नियमितता (regularity) अथवा उस पर दिये गये किसी निर्णय अथवा जारी की गयी किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता अथवा औचित्य (propriety) के विषय में अपने को संतुष्ट करने के लिये आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त, अथवा किसी क्षेत्र समिति अथवा किसी न्यासी के अभिलेखों को मंगा कर उनकी जांच कर सकती है, और यदि किसी मामले में, जो ऐसा नहीं है, जिसमें धारा २१ की उपधारा (३) के अधीन न्यायाधिकरण को अपील हो सकती हो, राज्य सरकार को प्रतीत हो कि पुर्नविचार के लिये ऐसे निर्णय या ऐसी आज्ञा को परिष्कृत (modified), रद्द (annulled), निर्वातित (reverse) अथवा विप्रेषित (remit) करना आवश्यक है तो वह तदनुसार आज्ञा जारी कर सकती है,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उस समय तक ऐसी कोई आज्ञा जिससे किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जारी न करेगी जब तक कि उसे अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर न दिया जाय।

(२) राज्य सरकार ऐसे किसी निर्णय अथवा आज्ञा के निष्पादन को उस समय तक के लिये स्थगित कर सकती है, जब तक कि उसके विषय में वह उपधारा (१) के अधीन अधिकारों का उपभोग नहीं कर लेती।

आयुक्त सरकार माना

२७—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, जांच अधिकारी तथा अन्य कोई अधिकारी अथवा सेवक इंडियन पेनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में सरकारी सेवक (public servant) समझा जायगा।

इस अ अधीन कार्यों में और सेवक

२८—(१) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सरकारी सेवक इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन किये गये अथवा किये गये प्रतीत होने वाले कोई कार्य के लिये यदि वह सद्भाव से और अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन करने अथवा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करने के दौरान में किया गया हो, उसके विषय में किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में भागी न होगा।

(२) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के कारण अथवा इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने किन्हीं नियमों के अनुसार सद्भाव से की गई अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात से हुई अथवा हो सकने वाली किसी हानि (damage) अथवा हुई या हो सकने वाली किसी क्षति (injury) के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध न तो कोई वाद (suit) ही चलाया जा सकेगा और न अन्य कोई विधिक कार्यवाही ही की जा सकेगी।

न्या आ आ जा

२९—उस दशा को छोड़ कर जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस नियम द्वारा कर दी गयी हो, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार, आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त अथवा क्षेत्र समिति द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति अथवा दिये गये प्रमाण-पत्र, दी गयी आज्ञा, किये गये निर्णय, की गयी प्रक्रिया (proceedings) अथवा कार्यवाही (action)। बनायी गयी योजना अथवा किये गये अन्य कार्यों पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

अप (

३०—इस अधिनियम की कोई बात—

(क) उस दशा को छोड़ कर, जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन की गयी हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उपलब्धि (emoluments) अथवा

अनुलाभ (perquisite) पर, जिसका वह धार्मिक संस्था के रीति-रिवाजों, अथवा अन्य किसी प्रकार से, अथवा अन्य किसी मामले के सम्बन्ध में संस्था के मान्य (established) उपचारों (usage) पर अधिकारी हो, प्रभाव नहीं डालेगी।

(ख) किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संस्था के अध्यक्ष के धार्मिक तथा आध्यात्मिक कर्तव्यों में, जिनके अन्तर्गत धार्मिक उपदेश देना अथवा आध्यात्मिक सेवा करना सम्मिलित है, हस्तक्षेप करने का अधिकार न देगी,

(ग) संविधान के अनुच्छेद २६ के खंड (क), (ख) तथा (ग) द्वारा प्राप्त किसी धार्मिक सम्प्रदाय (denomination) या उसके किसी वर्ग के अधिकारों के विपरीत न तो किसी अधिकार का प्रदान करने वाली और न किसी कर्त्तव्य का आरोपण करने वाली ही समझी जायगी,

(घ) श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ के मंदिरों तथा उनसे सम्बद्ध (appurtenant) और उनके अधीन समस्त मन्दिरों तथा निबन्धों पर (endowments) जिन पर यू० पी० बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ लागू होता है, लागू नहीं होगी।

नियम

३१—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी:—

(१) धारा ५ के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्तों की तथा जांच अधिकारियों का प्रादेशिक अधिक्षेत्र (jurisdiction);

(२) क्षेत्र समिति के संगठन, विघटन तथा पुनस्संगठन सम्बन्धी विषय;

(३) क्षेत्र समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;

(४) क्षेत्र समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के पदों के आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उनकी पूर्ति;

(५) क्षेत्र समिति द्वारा उसके कार्यों का संचालन करने से सम्बद्ध प्रक्रिया (procedure);

(६) वह रीति जिसके अनुसार, तथा वह विषय जिन पर क्षेत्र समिति की धारा १० के अधीन आयुक्त को सहायता देगी;

(७) क्षेत्र समिति के सदस्यों के मार्ग-व्ययों, विराम भत्तों, तथा अन्य पारिश्रमिकों (emoluments), यदि कोई हों, की स्वीकृति;

(८) धारा १२ के अधीन किये जाने वाले सर्वेक्षण तथा तत्सम्बन्धी जांच की व्यवस्था से सम्बद्ध विषय;

(९) वह रीति, जिसके अनुसार धारा १५ तथा १६ में निर्दिष्ट अधिकारों का आयुक्त द्वारा उपयोग किया जायगा;

(१०) वह रीति जिसके अनुसार धारा २१ के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा अपील की सुनवाई तथा निस्तारण किया जायगा;

(११) वह आकार तथा रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण, आयुक्त अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी (authority) को अपील की जायगी;

(१२) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन रखे जाने वाले विवरणों (stateme ts), विवरण-पत्रों (returns), रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों के आकार तथा वह रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे;

(१३) वह आकार तथा रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे ;

(१४) उन मामलों में, जिनकी यहां स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अवधि;

(१५) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अपीलों के सम्बन्ध में देय शुल्क;

(१६) लेख्यों का निरीक्षण तथा उनके निरीक्षण के लिये लगाये जाने वाले शुल्क;

(१७) प्रमाण-पत्रों, प्रसारों (processes) तथा नोटिसों के जारी किये जाने के लिये लगाया जाने वाला शुल्क;

(१८) प्रमाणित प्रतिलिपियों का दिया जाना तथा उनके लिये लगाये जाने वाले शुल्क;

(१९) धार्मिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध न्यासियों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट, विवरण-पत्र, हिसाब–किताब तथा अन्य सूचनाएं;

(२०) न्यासियों की बैठकों का बुलाया जाना तथा ऐसी बैठकों का कार्य–संचालन;

(२१) वह रीति जिसके अनुसार, धार्मिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध न्यासियों तथा अन्य व्यक्तियों का मत मालूम किया जायगा;

(२२) वह रीति तथा वह अवधि, जिसके लिये धार्मिक संस्था की सम्पत्तियों के पट्टे दिये जायेंगे;

(२३) धार्मिक संस्था के भवनों तथा सम्पत्तियों का संरक्षण, रख-रखाव, प्रशासन तथा सुधार;

(२४) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति सम्बन्धी तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बद्ध विषय, तथा उनके कर्त्तव्य, अधिकार और कार्य;

(२५) इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में जिनके निमित्त, यहां विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, प्रार्थना-पत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(२६) ऐसी कालावधि निर्दिष्ट करना, जिसके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये सम्पन्न किये जाने वाले कार्य नियमों में उल्लिखित निर्दिष्ट कालावधि बढ़ा सकने वाले किसी प्राधिकारिक (authority) के अधिकारों सहित, अथवा उनके बिना, कर लिये जाने चाहिये;

(२७) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; तथा

(२८) ऐसे विषय जिन्हें विहित करना है या जो विहित किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बने समस्त नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे (come in to force)।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों (modifications) के अधीन रहेंगे जो राज्य विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे, जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

उद्देश्य और कारण

राज्य में धार्मिक संस्थाओं के उचित प्रबन्ध तथा नियंत्रण के निमित्त विधान निर्माण के प्रश्न पर सरकार का ध्यान सन् १९४९ ई० से रहा है। उससे अगले वर्ष में धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में उपयोगी आंकड़े एकत्र करने के लिये एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया था।

विशेष कार्याधिकारी द्वारा संकलित प्रसूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न मंदिरों तथा धार्मिक निबन्धों में, जिन्हें साधारण जनता द्वारा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत कुप्रबन्ध है तथा निधियों का अलाभकर उपयोग किया जाता है। सम्प्रति इन संस्थाओं में व्याप्त कुप्रबन्ध का अन्त करने तथा उनके प्रशासन का सामान्य स्तर ऊंचा करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५ बनाया गया है।

जुगलकिशोर,
समाज कल्याण मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राज्यपाल द्वारा प्रचारित किया गया था ;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा अवधि ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ७ जुलाई, १९५५ को, और से प्रचलित समझा जायगा।

(४) इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्वकृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) बातों को छोड़कर, यह अधिनियम ३० जून, १९५६ की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायगा और इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ उसी प्रकार लागू होगी मानो वह उस समय उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था।

परिभाषाएं ।

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "न्यायालय" से तात्पर्य है अधिक्षेत्र (jurisdiction) रखने वाले मुंसिफ या सिविल जज का न्यायालय,

(ख) "स्वामी" के अन्तर्गत भोग बन्धकी (mortgagee in possession) भी है,

(ग) "भांडारिक आवास" (storage accommodation) से तात्पर्य है भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त कोई भवन और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है,

(घ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति कर के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी (authority) भी है।

अधिग्रहण का अधिकार।

३—(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा दे कर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उस का कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय :

फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा ।

(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा।

तामील ।

४—अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) अविलम्ब प्राप्य (readily traceable) न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (in dispute) हो, तो सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा, की जायगी ।

भांडारिक आवास के प्रयोग का अधिकार ।

५—यदि कलेक्टर ने धारा ३ के अधीन कोई भांडारिक आवास अधिगृहीत कर लिया हो तो वह उसे ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (deal with) करेगा जो उसे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त इष्टकर प्रतीत हो।

प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार।

६—कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उस का निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं, अथवा नहीं ।

अनुबन्ध (agreement) द्वारा प्रतिकर।

७—कलेक्टर अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक अवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर, जो एकमुट्ठ धनराशि अथवा मासिक अथवा नियतकालिक भुगतानों के रूप में हो, जो अपने और स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय, देगा ।

न्यायालय का अभिदेश (reference) ।

८—(१) यदि धारा ७ में निर्दिष्ट अनुबन्ध (agreement) न हो सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा।

(२) अभिदेश (reference) निर्णय करने में न्यायालय लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८६४ की धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

९—समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (enactment) में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ८ के अधीन न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) न हो सकेगा। न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण न हो सकेगा।

१०—(१) जब कोई भांडारिक आवास छोड़ा (release) जाना हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वह अधिगृहीत किया गया था। यदि भांडारिक आवास अधिगृहण के दिनांक पर बंधक (subject to mortgage) था तथा उसके पश्चात् वह बंधक से मुक्त (redeemed) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति जिससे वह अधिगृहीत किया गया था, मर गया है, तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे, उसका कब्जा दिया जायगा। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा जो उसकी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा स्थापित करने में बाधक न होगा। अधिग्रहण से छोड़ा जाना।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अदा कर देने पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर ऐसे आवास के संबंध में समस्त दावों के दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

(३) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अधिकर्त्ता (agent) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक आवास अधिगृहण से छोड़ दिया गया है।

(४) जब उपधारा (३) में अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार चिपका दिया गया हो, तो नोटिस में निर्दिष्ट भांडारिक आवास नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के अधीन न रह जायगा और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था तथा राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये भांडारिक आवास के संबंध में कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे।

११—यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर को किसी भांडारिक आवास का कब्जा नहीं देता, अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमें बाधा डालता है, तो वह ऐसी अवधि के लिये जो एक मास तक की हो सकती है, कारावास के दंड का अथवा अर्थ दंड का जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों का, भागी होगा।

१२—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन तथा अथवा ऐसे विलेख (instrument) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (having the force of law) किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के उपबन्ध के प्रभावकर होंगे (shall have effect)। उन उपबन्धों का प्रभाव जो अन्य विधायनों से असंगत हों।

१३—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तियों की सुरक्षा।

१४—उस दशा को छोड़कर जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर दी गयी हो, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा। किसी न्यायालय में आज्ञाओं पर आक्षेप न किया जा सकना।

१५—(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त कोई विधायन हो। निरसन (repeal)

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा की गयी कोई नियुक्ति, किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे तथा उपधारा (१) के अधीन जारी रखे गये उक्त नियम अथवा आज्ञा के उपबन्धों के अधीन दी गयी, की गयी, किया गया अथवा प्रयुक्त समझे जायेंगे।

१६—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तरोत्तर विनियंत्रण (gradual decontrol) तथा राज्य सरकार के पास रखे हुये स्टाकों के निरस्तारण (disposal) के कारण खाद्यान्नों के लिये भांडारिक आवास की आवश्यकता कम हो गयी थी। फलतः ३१ दिसम्बर, १९५४ को यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रेक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को व्यपगत (lapse) होने दिया गया था। किन्तु केंद्रीय सरकार की प्राइस कंट्रोल स्कीम (मूल्य स्थिरीकरण योजना) के अधीन ज्वार और गेहूं की खरीद में प्रगति होने के कारण अधिक संख्या में भांडारिक आवासों के प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है और इसी कारण भांडारिक आवासों के पुनः अधिग्रहण के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। तदनुसार उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
रसद मंत्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६१ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने के हेतु राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया था ;

और यह आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के विधान द्वारा अनुस्थापित (replace) किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह १८ जून, १९५५ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

२—यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की (जिसे यहां पर आ चलकर "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा 6-H में शब्द "apply t an election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे ग समझे जायं।

३—मूल अधिनियम की धारा 6-1 की उपधारा (२) में "election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे जायं ।

४—मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा ((जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड तक सदैव रक्खे गये समझे जांय :

"(*f*-1) The conduct of election to the office

(*f*-2) The decision of doubts and disputes office of Chairman,

(*f*-3) The removal of disqualifications for ele man,

(*f*-4) The electoral offences and corrupt pr to the office of Chairman,

(*f*-5) Bye-elections to the office of Chairm

(*f*-6) Generally on all matters relating to conduct of elections to the office of Chairman."

वैधीकरण (Validation)। ५—संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि:—

(१) चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों (alteration, additions or modification) को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा।

(२) कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जिसमें मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्मित कोई नियम अथवा नियम का संशोधन भी सम्मिलित है, जो वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के अधीन कृत अथवा अकृत अथवा निर्मित हुआ होता अथवा हुई होती, यदि मूल अधिनियम की धारा (6-H, 6-1) तथा 39 (2) वैसी होती जैसी इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित की गयी है, तदन्तर्गत वैधरूप से तथा उपयुक्त रूप से किया गया अथवा बनाया गया समझा जायगा।

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अभिदिष्ट नियमों में उल्लिखित अधिकारों के अधीन, प्रतीत होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व चेयरमैन के निर्वाचन पर प्रश्न उठाने वाली किसी भी निर्वाचन याचिका (election petition) पर प्रत्येक निर्णय अथवा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या होती यदि इस अधिनियम की धारा २, ३ तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण (presentation) तथा विचार अथवा निर्णय आज्ञा के प्रख्यापन (pronouncement) के अवसर पर प्रचलित हो गयी होती (come into operation) तथा ऐसे निर्णय अथवा आज्ञा के अनुसार की गयी कोई बात विधिपूर्ण दिये गये अथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय अथवा ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पूर्व ही रद्द (set aside) न कर दिया गया हो अथवा न कर दी गयी हो।

निवर्तन (Repeal)। ६—उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद् द्वारा निवर्तित (Repeal) किया जाता है तथा उस पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त (apply) होंगे मानो यह किसी उत्तरप्रदेश के अधिनियम द्वारा निवर्तित विधायन हो।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१९ को १९५३ में, विशेषतः टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन से संबद्ध उपबन्धों के सिलसिले में, संशोधित किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन के संबंध में नये नियम बनाये गये किन्तु जहां तक चेयरमैन के पद के लिये सफल उम्मीदवारों के विरुद्ध निर्वाचन याचिकाएं (election petitions) प्रस्तुत करने का संबंध है, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट,

१९०४ की धारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये पुराने नियम ही जारी रक्खे गये। परन्तु अभी हाल ही के एक बाद में हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया है कि १९५३ में ऐक्ट के संशोधित हो जाने के पश्चात् पुराने नियमों का प्रवर्तन समाप्त हो गया है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के कारण, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गयी है एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी, जिसके निराकरण के लिये सरकार ने १८ जून, १९५५ को उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया था। इस अध्यादेश द्वारा चेयरमैन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका संबंधी पहले के नियमों को वैधता प्रदान की गयी। साधारणतया यह अध्यादेश विधान परिषद का अधिवेशन प्रारम्भ होने के छः सप्ताह पश्चात् समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह संभव है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय न दे सके, अतएव यह आवश्यक है कि अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाय।

२--यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ इसी उद्देश्य से पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
स्वायत्त शासन मंत्री।

नत्थी 'ड'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६१ पर)

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १६५५

उत्तर प्रदेश के नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा के विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) के अर्जन (acquisition) तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) का अर्जन तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ । यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १६२४ यू० पी० ऐक्ट २, १६१४ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १६५५ कहलायेगा ।

(२) (क) इसका प्रचार उन क्षेत्रों में होगा जो ७ जुलाई, १६४६ को यूनाइटेड प्राविंसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १६१६ के अधीन किसी म्यूनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १६२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेन्ट के अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १६१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे ।

(ख) इसका प्रसार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में भी होगा किन्तु वहां इसका प्रभाव ऐसे अपवादों (exceptions) अथवा परिष्कारों (modifications) के अधीन होगा जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे और जिनसे कोई तात्विक अंतर न पड़ता हो (not affecting the substance)।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु उन क्षेत्रों में, जो उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित हों, ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निश्चित करे ; तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों (provisions) के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं ।

२—विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(१) "कृषि क्षेत्र" का तात्पर्य, जहां तक इसका संबंध है किसी नागर-क्षेत्र से हो, ऐसे क्षेत्र से है जो उस दिनांक को जिसे राज्य सरकार उस सम्बन्ध में विज्ञापित करे—

(क) किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग के रूप में उसके कब्जे में हो, उसके पास हो, (held by him) अथवा उसके पास समझा जाता हो ;

(ख) जो अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) के पास बाग के रूप में अथवा उसकी निजी खेती (personal cultivation) में हो ; अथवा

(ग) निम्नलिखित के खाते (holding) में सम्मिलित हो और उसके खातेदार द्वारा कृषि अथवा उद्यानकरण (agriculture or horticulture) के प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होता हो—

(१) शरहमुअय्यन काश्तकार (fixedrate tenant),

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (ex-proprietory tenant),

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant),

(४) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on special terms in Avadh),

(५) माफीदार (rent free grantee),

(६) रियायती लगान का काश्तकार (grantee at a favourable rate or rent),

(७) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant),

(८) बागदार (grove-holder), अथवा

(९) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार (sub-tenant) हो; अथवा

(१०) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (३) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि का गैर दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant)।

किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि वह भूमि, जिस पर उपर्युक्त दिनांक पर ऐसी इमारतें हों, जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३ में पारिभाषित (improvement) (उन्नति) न हों, तथा ऐसी इमारतों से संबद्ध भूमि, कृषि-क्षेत्र (agricultural area) नहीं मानी जायगी।

(२) केन्द्रीय सरकार का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ में सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) का है ;

(३) "प्रतिकर आयुक्त" (Compensation Commissioner) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त से है ;

(४) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी से है ;

(५) "डिक्री" का वही अर्थ है जो "decree" का कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १६०८ में है ;

(६) "परिच्छेद आयुक्त" (Demarcation Commissioner) तथा "परिच्छेद अधिकारी" (Demarcation Officer), का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त क्रमशः परिच्छेद आयुक्त तथा परिच्छेद अधिकारी से है;

(७) "मध्यवर्ती (intermediary)" का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी कृषि-क्षेत्र से हो, निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत उपमध्यवर्ती (sub-intermediary) भी है--

(क) स्वामी (proprietor),

(ख) मातहतदार (under-proprietor),

(ग) अदना मालिक (sub-proprietor),

(घ) ठेकेदार,

(ङ) अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh), तथा

(च) किसी क्षेत्र अथवा उसके भाग का दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder),

ऐक्ट ५, १६०८। (८) "विधिक प्रतिनिधि" (legal representative) का वही अर्थ है, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १६०८ में "legal representative" का है,

(६) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१०) "पूर्व कृषि वर्ष (previous agricultural year)" का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें निहित होने का दिनांक पड़ता हो,

(११) "स्वामी" (proprietor) का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी कृषि क्षेत्र से हो, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी (Central government, State] Government or Local Authority,) से भिन्न ऐसे व्यक्ति से है जो न्यासी के रूप में (in trust) या अपने ही लाभ के लिये किसी कृषि-क्षेत्र का स्वामित्व रखता हो और उसके अन्तर्गत स्वामी के दायाधिकारी (heirs) और स्वत्व के उत्तराधिकारी (successors insinterest) भी हैं,

(१२) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(१३) "उप-मध्यवर्ती" (sub-intermediary) का तात्पर्य धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) के उपखंड (६) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न शिकमी काश्तकार के क्षेत्रपति (land-holder) से है,

(१४) "नागर-क्षेत्र (urban area)" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो ७ जुलाई, १९४९ को यूनाइटेड प्राविंसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन म्यूनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन कैन्टूनमेंट था, — यू० पी० ऐक्ट, २, १९१६, यू० पी० ऐक्ट २, १९१४। यू० पी० ऐक्ट २, १९२४।

(१५) शब्दों और पदों (words and expressions) "अबवाब", "साकितुल्मिल्कियत काश्तकार", "बाग", "बागदार", "शरह मुअय्यन काश्तकार", "मौरूसी काश्तकार", "खाता", "खुदकाश्त", "क्षेत्रपति", "गैर दखीलकार काश्तकार", दखीलकार काश्तकार", या "अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी", "दवामी काश्तकार", "लगान", "माफीदार", "सायर", "सीर", "शिकमी काश्तकार", "काश्तकार", और "ठेकेदार" के, जो इस अधिनियम में पारिभाषित नहीं हैं, किन्तु जिनके पास पर्याय का प्रयोग यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में हुआ है वही अर्थ होंगे जो उक्त टेनेन्सी ऐक्ट में क्रमशः

"cess", "ex-proprietory tenant", "grove", "grove-holder", "fixed rate tenant", "hereditary tenant", "holding", "khudkast", "landholder", "non-occupancy tenant", "occupancy tenant", "permanent lessee in Avadh", "permanent tenure holder", "rent", "rent free grantee", "sayar", "sir", "sub-tenant", "tenant", और "thekedar" के हैं,

(१६) शब्द और पद (words and expressions) "परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर", "माल बोर्ड", "कलेक्टर", "अवयस्क", "माल गुजारी", "अदना मालिक" और "मातहतदार" के, जो इस अधिनियम में पारिभाषित नहीं है, किन्तु जिनके पर्याय का प्रयोग यू० पी० लैण्ड रवन्यू ऐक्ट, १९०१ में हुआ है, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट, में क्रमशः" Assistant Collector in charge sub-division", "Board of Revenue", "Collector", "minor", "revenue", "sub-proprietor" तथा "under-proprietor"।

अध्याय २

कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद

३—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नागर-क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights title and interest) अर्जन (acquisition) करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा आदेश दे सकती है कि ऐसे किसी क्षेत्र में स्थिति कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद किया जाय। — कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद की आज्ञा देने का अधिकार।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर-क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि -क्षेत्रों का अवधारण तथा परिच्छेद करेगा।

प्रारम्भिक प्रस्तावों का प्रकाशन तथा उन पर आपत्तियां।

४--(१) परिच्छेद अधिकारी, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीन मास अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार किसी मामले में निश्चित करे, कारण बतलाते हुए अपने प्रस्तावों को परिच्छेद आयुक्त (Demarcation Commissioner) के पास प्रस्तुत करेगा जो उसमें ऐसे परिष्कार (modifications) कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत आकार में नोटिस गजट में तथा अन्य किसी ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय की प्रकाशित करायेगा कि प्रस्ताव जहां तक कि उनका सम्बन्ध कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद से है, सूत्रित (formulated) हो चुके हैं और उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(३) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी (local authority) उपधारा (२) के अधीन नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

अन्तिम परिच्छेद (final demarcation)।

५--(१) धारा ४ की उपधारा (३) में उल्लिखित तीन मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत रीति से आपत्तियों के निर्णय करने की कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् कृषि-क्षेत्र का अन्तिम रूप से परिच्छेद करेगा।

(२) परिच्छेद आयुक्त द्वारा उपधारा (१) के अधीन कृषि-क्षेत्र को अन्तिम परिच्छेद हो जाने के पश्चात् वह गजट में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय का नोटिस प्रकाशित करायेगा कि कृषि-क्षेत्रों का अन्तिम रूप से परिच्छेद हो गया है तथा उसके ब्योरे (details) नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(३) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन परिच्छेद आयुक्त द्वारा पारित आज्ञा के विरुद्ध माल बोर्ड (Board of Revenue) में अपील हो सकेगी।

अधिकार अभिलेख (record of rights) का पुनरीक्षण।

६--राज्य सरकार, यदि वह किसी नागर-क्षेत्र के सम्बन्ध में यह आवश्यक समझे, आज्ञा द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख (record of rights) यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ के उपबन्धों के अनुसार तैयार अथवा पुनरीक्षित किया जाय।

अध्याय ३

मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन और उसके परिणाम

कृषि क्षेत्रों का राज्य में निहित होना।

७--धारा ५ के अधीन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से नागर-क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी क्षेत्र राज्य में निहित हो जायंगे

(shall vest in the State) और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक के आरम्भ से [जिसे आगे निहित होने का दिनांक (date of vesting) कहा जायगा,] ऐसे समस्त कृषि क्षेत्र राज्य को हस्तान्तरित (transfer) होकर, उस दशा को छोड़ कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है सब भारों से मुक्त (free from all encumbrances) हो, उसमें निहित हो जायंगे।

८—धारा ७ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (conclusive proof) होगा कि उसका यथाविधि प्रकाशन हो गया है। विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशित किया जाना।

९—किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाने पर, किसी संविदा (contract), लेख्य (document) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि (any other law for the time being in force) में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर (save as otherwise provided in this Act) निहित होने के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र के संबंध में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्— निहित होने के परिणाम।

(क) खानों और खनिज पदार्थों में यदि कोई अधिकार हों तो उनके सहित ऐसे क्षेत्र में तथा अधोभूमि (sub-soil) में सभी मध्यवर्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और समस्त भारों से मुक्त हो कर राज्य में निहित हो जायेंगे।

(ख) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र की भूमि के, या उसमें, अथवा ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार के या में, अथवा मध्यवर्ती के पक्ष में उसकी मालगुजारी के, समस्त अनुदान तथा आगम-प्रदान (confirmation of title), चाहे वे आपस लिये जा सकते हों या नहीं, समाप्त हो जायेंगे,

(ग) (१) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से संबंधित ऐसे सभी लगान, अबवाब, स्थानिक कर (local rates) और सायर, जो निहित होने के दिनांक के पश्चात् किसी भी कालावधि के लिये हों, और जो क्षेत्र अर्जित न किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड का उल्लंघन करते हुए कोई भुगतान किया जायगा तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त होगा।

(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध (agreement) या संविदा (contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि का कोई लगान, अबवाब या स्थानिक-कर मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) किया गया हो, तो

उक्त अनुबंध या संविदा के होते हुये भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुए, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा।

(घ) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से संबद्ध ऐसी सभी मालगुजारी (revenue), अबवाब अथवा अन्य देयों की समस्त बकाया, जो मध्यवर्ती से, निहित होने के दिनांक से पहले कि किसी अवधि के लिये प्राप्य हों, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल किये जाने योग्य बने रहेंगे और, वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकेगी।

यू० पी, ऐक्ट २५, १९३४।

(ङ) ऐसी सब धनराशियां, जिन्हें राज्य सरकार को देने के लिये यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २७ और २८ के अधीन किसी मध्यवर्ती को आज्ञा हुयी हो या जो लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ अथवा एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, १८८४ के अधीन उससे प्राप्य हों, उपर्युक्त अधिनियमों में किसी बात के रहते हुये भी, तुरन्त देय हो जायेंगी और, यदि उनकी वसूली का कोई अन्य ढंग निर्दिष्ट हो तो उसे बाधित न करते हुए, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल की जा सकेगी;

(च) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी या माल (civil or revenue) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन (execution) में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेगा और निहित होने के दिनांक पर वर्तमान (existing) प्रत्येक कुर्की और उस दिनांक से पहले दी गयी कुर्की की आज्ञा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में निष्प्रभाव हो जायगी (shall cease to have force);

(छ) (१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (mortgage with possession) जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस प्रकार अर्जित क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर हो, धारा ७ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों को बाधित न करते हुए, उस धनराशि के लिये, जो उस पर सुरक्षित हो, दृष्टि बंधक में (simple mortgage) परिवर्तित (substituted) समझा जायगा;

(२) बंधकपत्र (mortgage deed) या किसी दूसरे अनुबन्ध (agreement) में किसी बात के रहते हुए भी, उपखंड (१) के अनुसार परिवर्तित (substituted) दृष्टि बंधक

के सम्बन्ध में प्रख्यापित देय धनराशि पर ब्याज ऐसी दर ऐसे और ऐसे दिनांक से चलेगा जो नियत किया जाय ;

(ज) किसी ऐसे रुपये के लिये, जो इस प्रकार अर्जित किसी ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के बंधक से सुरक्षित (secured) अथवा उस पर भार-रूप (charged) हो, कोई दावा दायित्व, जो निहित होने के दिनांक से पहले मध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया जा सकता हो या उपगत (incurred) किया गया हो, उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में की गयी है, क्षेत्र में उसके स्वत्व (interest) के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा (shall not be enforceable), ऐक्ट ४, १८८२।

(झ) नियत किये जाने वाले प्रकार (nature) के ऐसे सब वाद (Suits) और कार्यवाहियों (proceedings) जो निहित होने के दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन (pending) हों और निहित होने के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में हुई डिग्री या आज्ञा से संबंध रखने वाली सब कार्यवाहियां, स्थगित कर दी जायंगी (shall be stayed) ; तथा

(ञ) प्रत्येक ठेका ऐसे क्षेत्र की आयति तक (to the extent of) प्रभावशील नहीं रहेगा।

कुछ अधिकारों के संबंध में अपवाद।

१०---इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा :

(क) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार अर्जित किसी कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार, जो तत्समय प्रचलित (for the time being in force) विधि द्वारा नियमित होगा,

(ख) निहित होने के दिनांक से पहले के लगान, अबवाब, सायर या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार जो इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री अथवा लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा वाद ऋणी (judgment debtor) की उसके खाते से बेदखली द्वारा अथवा उसके खाते की बिक्री द्वारा निष्पादित नहीं की जायगी :

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कोई मध्यवर्ती लगान, स्थानिक कर (local rates), सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियों (dues) का देनदार है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस मध्यवर्ती का उस क्षेत्र में स्वत्व (interest) अर्जित कर लिया गया है, जिसकी बकाया देय है, तो लगान, स्थानिक कर, सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियां, प्राप्ति-कर्ता द्वारा वसूली के अन्य साधनों को बाधित न करते हुये, मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर में से वसूल किये अथवा चुकाये जा सकते हैं।

खान और खनिज पदार्थ ।

११—१६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ६ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्र में खानों और खनिज पदार्थों (mines and minerals) पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अर्जित आस्थानों (estates) की खानों और खनिज पदार्थों के संबंध में लागू होते हैं।

भरण-पोषण के लिये दी गई सीर या खुदकाश्त ।

१२—यदि किसी कृषि क्षेत्र के सीरदार या खुदकाश्तदार ने अपनी सीर या खुदकाश्त किसी दूसरे व्यक्ति को भरण-पोषण (maintenance) के लिये दे रक्खी हो तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस भूमि का असामी समझा जायगा और उस को वह भूमि उस अवधि तक रखने का अधिकार होगा जब तक कि उसको भारण-पोषण पाने का अधिकार रहे।

कुछ अवस्थाओं में ठेकेदारों का मौरूसी काश्तकार होना ।

१३—(१) यदि किसी कृषि क्षेत्र में कोई भूमि १ जुलाई, १६५५ को किसी व्यक्ति की निज जोत में ठेकेदार की हैसियत से रही हो और ठेका इस आशय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करेगा तो किसी विधि, लेख्य या न्यायालय की आज्ञा में किसी बात के रहते हुये भी उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह उस भूमि का ऐसा मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant) है, जिसे उस भूमि को अपने कब्जे में मौरूसी काश्तकार की हैसियत से रखने और, यदि पूर्वोक्त दिनांक के पश्चात् वह बेदखल हो गया हो तो, उस को उस हैसियत से फिर कब्जा पाने का अधिकार है और वह उस भूमि के लिये मौरूसी दर से लगान का देनदार होगा।

(२) ठेके की भूमि का ठेके के प्रारम्भ से ठेकेदार की निज जोत में रहना, इंडियन एवीडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ६१ और ६२ में किसी बात के रहते हुये भी, इस बात के प्रमाण में ग्राह्य होगा कि ठेका उपधारा (१) में उल्लिखित आशय से दिया गया है।

आस्थान जो ठेकेदार के कब्जे में हों ।

१४— (१) धारा १३ तथा इस धारा की उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषि क्षेत्र की भूमि के ठेकेदार को, निहित होने के दिनांक से, ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि को ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जायगा।

(२) जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसी कोई भूमि ठेकेदार की निज जोत में रही हो, उस दशा में—

(क) यदि वह भूमि ठेका दिया जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी, तो धारा १७ के प्रयोजन के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायगी तथा निहित होने के दिनांक से ठेकेदार उसका आसामी हो जायगा और निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगान का देनदार होगा तथा भूमि पर, ठेके की शेष अवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष, दोनों में से जो कम हो उस अवधि के लिये, उसी रूप में काबिज रहने का अधिकारी होगा ;

(ख) यदि वह ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त नहीं थी, और

(१) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं है, तो धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि ठेकेदार के पास मौरूसी काश्तकार के नाते ऐसे लगान पर रही है, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के बराबर हो;

(२) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसके पास उसमें से तीस एकड़ भूमि धारा १८ के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के नाते रही है और शेष खाली भूमि समझी जायगी और ठेकेदार अध्याय ७ के उपबन्धों के अनुसार उससे बेदखल हो सकेगा।

भोग बंधकी के कब्जे का आस्थान।

१५—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषि क्षेत्र या उस के अंश (share) के किसी भोगबंध की (mortgagee with possession) को, निहित होने के दिनांक से, उस क्षेत्र की किसी भूमि को भोगबन्धकी के नाते अपने पास या कब्जे में रख सकने का अधिकार नहीं रह जायगा।

(२) जहां ऐसी कोई भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर बन्धकी (mortgagee) की निज जोत में रही हो, उस दशा में—

(क) यदि उक्त भूमिबन्धक (mortgagee) के दिनांक पर बन्धककर्त्ता की सीर या खुदकाश्त थी तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह बन्धक-कर्त्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि (legal representative) की सीर या खुदकाश्त है, और

(ख) यदि बन्धक के दिनांक पर वह बन्धक-कर्ता (mortgagor) की सीर या खुदकाश्त नहीं थी तो बन्धकी द्वारा निहित होने के दिनांक से छः मास के भीतर राज्य सरकार को ऐसी धनराशि दे दिये जाने पर जो, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर से लगाये गये लगान का पांच गुना हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि बन्धकी के पास पूर्वोक्त दिनांक पर और उक्त दर के लगान पर मौरूसी काश्तकार के नाते थी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्धकी दिये गये समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि न दे तो ऐसी भूमि में उस के सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वह भूमि खाली भूमि समझी जायगी तथा अध्याय ७ के अधीन कलेक्टर द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर बन्धकी इस प्रकार बेदखल हो सकेगा मानो वह उक्त भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल काबिज रहा हो।

स्पष्टीकरण (१)—इस धारा के प्रयोजनों के लिये भोगबन्धकी के अन्तर्गत उस के भोगबन्धक संबंधी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा।

स्पष्टीकरण (२)—जब कोई भूमि भोगबन्धक हो और बन्धककर्त्ता उसी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उस भूमि का द्वितीय अथवा पर्वती (subsequent) बंधक कर देता है, तब "पद बंधक का दिनांक पर (on the date

of the mortgage)" का तात्पर्य बंधक के उस दिनांक से होगा जिसके अनुसार बंधककर्त्ता ने सर्व प्रथम बंधकी को कब्जा संक्रमित (transferred) किया हो।

ऐसी सीर, खुदकाश्त इत्यादि का परिच्छेद जो संयुक्त रूप से कब्जे में हो।

१६—(१) यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में ठेकेदार से भिन्न किसी मध्यवर्ती के पास, अन्य व्यक्तियों के साथ, उस के संयुक्त स्वामित्व वाली कोई भूमि, संबद्ध क्षेत्र में उसके आनुपातिक अंश से अधिक (अंश में) उसकी निज जोत में अथवा सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग (काश्तकार के पास की भूमि से भिन्न) के रूप में रही हो तो यथाशीघ्र नियत प्राधिकारी (prescribed authority) ऐसे मध्यवर्ती के अंश के अनुपात में उस भूमि का परिच्छेद कर देगा।

(२) (क) —धारा १७ के प्रयोजनों के लिये केवल उतनी भूमि जिसका इस प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती का बाग समझी जायगी, और

(ख) वह भूमि, जो उसके पास उसके अंश से अधिक हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये उस के पास साकितुलमिल्कियत काश्तकार (ex-proprietory tenant) की भूमि के रूप में रही समझी जायगी और उसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू साकितुलमिल्कियत कश्तकारों के दर से लगान देना होगा।

मध्यवर्ती या काश्तकारों के साथ भूमिधर के नाते कुछ भूमियों का बन्दोबस्त किया जाना।

१७—(१) धारा १६ और १८ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये—
किसी कृषि क्षेत्र की ऐसी सब भूमि, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर—

(१) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्जे में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो,

(२) अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के पास बाग के रूप में या निज जोत में हो,

(३) शरहमुय्यन काश्तकार के पास शरहमुय्यन काश्तकार होने के नाते या माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, अथवा

(४) खाते को बेचने का अधिकार रखने वाले किसी—
(१) दखीलकार काश्तकार,
(२) मौरूसी काश्तकार, या
(३) काश्तकार पट्टा दवामी या इस्तमरारी के पास, अथवा

(ख) किसी कृषि क्षेत्र में ऐसी समस्त भूमि, जो उस पर भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ १ जुलाई, १९५५ के पूर्व विधिवत निष्पादित पट्टे पर थी,

(५) बागदार (grove-holder) के पास हो, और सरकार के विषय में यह समझा जायगा कि राज्य द्वारा ऐसे मध्यवर्ती पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार अथवा बागदार जैसी भी दशा हो, के साथ उसका बंदोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले लें या रखे।

स्पष्टीकरण—खंड (१) में 'सीर' के अन्तर्गत काश्तकार के पास की सीर नहीं है,

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में, जो १९४९ ई० के संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) की धारा ३ में उल्लिखित वर्ग का हो और जिसे किसी खाते या उसके किसी अंश के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा ६ में अभिदिष्ट प्रख्यापन प्रदान कर दिया गया हो, जब तक कि उक्त प्रख्यापन बाद को निरस्त (set aside) न हो जावे, यह समझा जायगा कि वह उस खाते या बाग का, जैसी भी दशा हो, भूमिधर है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त धारा ६ के अधीन अधिकारों के कथित (purported) के प्रयोग अधीन किये गये प्रख्यापन का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट,) उस क्षेत्र में प्रवृत्त (applicable) था जहां वह भूमि जिसके संबंध में प्रख्यापन किया गया था, स्थित है।

खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बंदोबस्त।

१८—(१) धारा १९ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये किसी कृषि-क्षेत्र में ऐसी सब भूमि के विषय में, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समझी जाय, केवल उन दशाओं को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में की गयी है यह समझा जायगा कि उस का बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि सीरदार के रूप में वह भूमि अपने कब्जे में ले ले या रखे :

(१) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on special terms in Avadh),

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (ex-proprietory tenant);

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant);

(४) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant);

(५) काश्तकार रियायती लगान (grantee at favourable rate of rent);

(६) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (५) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में (tea estates) के नाम से विज्ञप्ति चाय आस्थानों का गैरदखीलकार काश्तकार,

(७) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार।

(२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो :

(क) सीर का काश्तकार, अथवा

(ख) बाग भूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काश्तकार (sub-tenant) जो यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो,

जब तक धारा १९ के खंड (ज) के अधीन असामी न हो जाय तब तक वह सीरदार की हैसियत से कब्जा पाने और बनाये रखने का अधिकारी होगा तथा यह समझा जायगा कि उस के साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि का बन्दोबस्त कर दिया गया है।

गैरदखीलकार काश्तकारों, बाग-भूमि के शिकमियों और काश्तकारों के बन्धकियों का असामी होना।

१९—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में कोई भूमि निम्नलिखित के नाते रही हो, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, उस भूमि का असामी समझा जायगा :

(क) किसी मध्यवर्ती का बाग भूमि (grove land) का गैरदखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant),

(ख) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार (sub-tenant),

(ग) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार,

(घ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (२) से (६) तक तथा धारा १८ के खंड (१) से (७) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के व्यक्ति का वास्तविक भोगबन्धकी (mortgagee in actual possesion),

(ङ) पशुचर भूमि (pasture land) का या ऐसी भूमि का, जिस पर पानी हो और जो सिंघाडा या किसी दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो अथवा ऐसी भूमि का जो नदी के तल (bed of a river) में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो, गैरदखीलकार काश्तकार,

(च) ऐसी भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उस में टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह उसके लिये अलग कर दी गयी है,

(छ) ऐसी भूमि का काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह स्थायी या अस्थिर (shifting or unstable) खेती के क्षेत्र का भाग है,

(ज) सीर का काश्तकार अथवा धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार यदि सीरदार (sir-holder) अथवा क्षेत्रपति (land-holder), जैसी भी दशा हो, अथवा यदि एक से अधिक सीरदार अथवा क्षेत्रपति हों तो वे सब,—

(१) यदि भूमि २० जनवरी, १९५० से पूर्व उठायी गयी हो अथवा कब्जे में आयी हो, तो उठाये जाने या कब्जा किये जाने के दिनाँक पर, जैसी भी दशा हो, तथा २० जनवरी, १९५० को, और

(२) यदि भूमि २० जनवरी, १९५० के पश्चात् उठायी गयी हो या कब्जे में आयी हो, तो उठाये जाने अथवा कब्जा किये जाने के दिनांक पर

ऐसे अनुकूलों (adaptations), परिष्कारों (modifications), परिवर्तनों (alterations) अथवा अपवादों (exceptions) के अधीन, जो अध्याय ७ के अधीन निर्दिष्ट किये जायं, १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या अधिक वर्गों के हों, और

(अ) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा २५२ की उपधारा (१) के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गए पट्टे के अन्तर्गत काबिज पट्टेदार, और

(आ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट पट्टे की भूमि रखने वाले किसी व्यक्ति का शिकमी पट्टेदार (sub-lessee)।

स्पष्टीकरण—"टौंगिया रीति से वन लगाने" का तात्पर्य वन लगाने की उस रीति (system of afforestation) से है, जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ लगाने के साथ-साथ खेती की फसलें भी बोई जाती हैं और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जायें जिससे खेती की फसलों का बोना असम्भव हो जाय।

१ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद हुए लगान- परिवर्तन का मान्य न होना।

२०—यद्यपि इस अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उस के पश्चात् किसी मध्यवर्ती या काश्तकार द्वारा या उस की ओर से कोई संविदा (contract) किया गया हो या कोई बात की गई या होने दी गई हो, तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान की धनराशि के बराबर समझा जायगा, जिसका वह काश्तकार या उस का पूर्वाधिकारी (predecessor-in-title) उक्त दिनांक पर देन-दार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के पश्चात् किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार से उस में कोई कमी या छूट की गई हो तो उस पर विचार नहीं किया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आज्ञा के अनुसार कम किया हुआ लगान, उपर्युक्त सर्किल रेट के अनुसार लगाये गये लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा।

कलेक्टर द्वारा आस्थानों का अवधान में लिया जाना।

२१—धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उस के द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये वह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई क्षेत्र या क्षेत्र का भाग तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो,

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे, और उस का पर्यालोकन (survey) या पैमाइश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति को, किसी कृषि क्षेत्र या उस के भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books), हिसाब (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय, या मांगी जाय देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, हिसाब और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा दूसरे लेख्य अपने कब्जे में कर ले।

अध्याय ४

प्रतिकर का निर्धारण

स्वत्वों के अर्जन के कारण मध्यवर्ती का प्रतिकर पाने का अधिकारी होना।

२२—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी कृषि क्षेत्र में अधिकार (right), आगम (title) या स्वत्व (interest) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित कर लिया जाय, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उस को प्रतिकर दिया जायगा।

प्रतिकर देय होने का दिनांक।

२३—(१) प्रतिकर निहित होने के दिनांक से देय हो जायगा, किन्तु यह बात उस की मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी।

(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर राज्य सरकार, निहित होने के दिनांक से—

(१) नगद दी जाने वाली प्रति कर की मात्रा के विषय में, उसके अवधारण के दिनांक तक, और

(२) बन्धों (bonds) के रूप में दी जाने वाली मात्रा के विषय में उक्त बन्धों की मुक्ति (redemption) के दिनांक तक २ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देगी।

२४—(१) राज्य सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अन्तरिम (interim) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती है। — अंतरिम प्रतिकर

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निहित होने के दिनांक से नौ मास के भीतर मध्यवर्ती को देय प्रतिकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अवधारित न किया जा सके तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम प्रतिकर दिये जाने का निर्देशन करना होगा।

(२) यदि किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग में किसी मध्यवर्ती के अधिकार आगम अथवा स्वत्व पर कोई व्यक्ति विवाद करता हो तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अंतरिम प्रतिकर (interim compensation), प्रतिभूति (security) पुनर्भुगतान (repayment) अथवा अन्य किसी बात के सम्बन्ध में उस व्यक्ति को, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (conditions and restrictio ns) के अधीन, जो नियत किये जायं, दिया जायगा।

२५—धारा २४ के अधीन दिया गया अंतरिम प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित (adjusted) कर दिया जायगा। — अंतरिम प्रतिकर का संधान।

२६—प्रतिकर निर्धारण तथा पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से संबंधित सब कार्यवाही ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे, जिसके अधिक्षेत्र में अर्जित किया गया कृषिक्षेत्र स्थिति हो। — प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया।

२७—प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये प्रतिकर अधिकारी एक ऐसी प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायेंगीः— — प्रतिकर निर्धारण तालिका।

(क) प्रत्येक मध्यवर्ती की कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में कच्ची और पक्की निकासी (gross assets, and net assets),

(ख) निहित होने के दिनांक से पूर्व किसी भी भूमि अवधि के लिये क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती द्वारा देये लगान, मालगुजारी, अबवाब (cess) तथा दूसरों देयों की बकाया (arrears),

(ग) क्षेत्र में अपने अंश (share) या स्वत्व के सम्बन्ध में प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा देय पिछले कृषि-वर्ष की मालगुजारी, और

(घ) ऐसे दूसरे ब्योरे जो नियत किये जायं।

२८—धारा २७ के अधीन तैयार की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उक्त तालिका में उन बातों के प्रमाण में ग्राह्य होगी जो उसमें लिखी हों (Shall be receivable as evidence of the facts stated therein), — प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होना।

(२९) यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी, यदि प्रतिकर अधिकारी को यह संतोष हो जाय कि अधिकार-अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical) अथवा ऐसी कोई भूल (mistake or error) है जो बिलकुल प्रत्यक्ष हो (apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है। — अधिकार अभिलेखों में लेख य गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना।

३०—धारा २९ में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के उस अधिकार पर नहीं होगा, जो किसी अधिक्षेत्रयुक्त न्यायालय में यथावत् व्यवहार (due process of law) द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये गये कृषि क्षेत्र में अपना स्वत्व स्थापित करने के सम्बन्ध में हो। — दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार।

कच्ची निकासी की संगणना (calculation)।

३१--कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती की कच्ची निकासी (gross assets) का तात्पर्य उसके अंश अथवा स्वत्व की कुल कच्ची आय (aggregate gross income) से है, साथ ही इसका तात्पर्य शिकमी काश्तकार, काश्तकार या माफीदार या बागदार जो धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) में अभिदिष्ट, हो मातहतदार, अदन मालिक, दवामी काश्तकार तथा अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी द्वारा अथवा उनकी ओर से --

(१) नकदी के रूप में, अथवा

(२) यदि लगान जिन्सी है, अथवा अंशतः नकदी और अंशतः जिन्सी है, तो उस लगान के रूप में जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अनुसार लगाया जाय, और

(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो मातहतदार अदना मालिक और साकितुलमिल्कियत कातकारों के सम्बन्ध में साकितुलमिल्कियत दरों से अवधारित लगान और अन्य के सम्बन्ध में मौरूसी दरों से अवधरित लगान के रूप में देय लगान जिसमें अबवाब (cesses) और स्थानिक-कर (local rates) सम्मिलित हैं, से भी है।

ठेकेदारी की कच्ची निकासी।

३२--जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास था उस दशा में धारा ३१ में दिये सिद्धांतों के अनुसार लगायी जानेवाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को अन्यथा देय न भी हो, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी।

पक्की निकासी की संगणना।

३३--प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार करने में मध्यवर्ती की पक्की निकासी (net assets) ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित को घटाकर निकाली जायगी :--

(क) ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जायगी और जो मध्यवर्ती द्वारा पिछले कृषि वर्ष में राज्य सरकार या प्रवर क्षेत्रपति (superior land-holder), को कृषि के सम्बन्ध में मालगुजारी अथवा लगान तथा अबवाब अथवा स्थानिक-कर के निमित्त देय थी ;

(ख) प्रबंध व्यय (cost of management) और लगान की ऐसी बकाया जो वसूल न हो सकती हो दोनों मिलकर कच्ची निकासी के १५ प्रतिशत के बराबर,

(ग) मध्यवर्ती द्वारा किसी कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष के लिये दिये अथवा दिये जाने वाले कृषि-आय-कर के यदि कोई हो, निमित्त ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जाय।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिये ऐसी मालगुजारी जो राज्य सरकार या किसी दूसरे समर्थ प्राधिकारी (competent authority) के द्वारा या उसकी ओर से ऐसे मध्यवर्ती के पक्ष में दिये गये अनुदान (grant) या किये गये पुष्टीकरण (confirmation) के कारण अभ्यर्पित (assigned), अभित्यरिक्त (released), अभिसंधित (compounded) अथवा निष्क्रीत (redeemed) की गयी हो, राज्य सरकार को मालगुजारी के रूप में देय धनराशि नहीं समझी जायगी।

३४——ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेव्वेन्यू ऐक्ट, १६०१ की धारा ७८ लागू होती है या जिन्हें मालगुजारी अभ्यर्पित (assigned) हैं और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खंड (ए) और (डी) के अनुसार रक्खे गये अधिकार-अभिलेखों (records of rights) में दर्ज हैं तथा मातहतदारों (under-proprietors), अदना मालिकों (sub-proprietors), दवामी काश्तकारों (permanent tenure-holders), अवध के पट्टेदारों, दवामी या इस्तमरारी (permanent lesses in Avadh) तथा उप-मध्यवर्तियों (sub-intermediaries) पर धारा ३१ और ३३ उपबन्ध ऐसे आनुषांगिक (incidental) परिवर्तनों (charges) और परिष्कारों (modifications) के साथ, जो नियत किये जायं लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची और पक्की निकासी तदनुसार लगायी जायगी । मातहतदारों, दवामी काश्तकारों और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी की कच्ची और पक्की निकासी निकालना ।

३५——(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर, प्रतिकर अधिकारी—— प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन ।

(क) गजट में और अन्य रीति से, जो नियत की जाय इस आशय का नोटिस प्रकाशित करेगा, और

(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की प्रति (copy) के साथ पूर्वक नोटिस की एक प्रति संबंधित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा ।

(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के अधीन नोटिस द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में आपत्ति प्रस्तुत करे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई आपत्ति इस आधार पर ग्राह्य नहीं होगी, (shall not be entertained) कि कृषिक्षेत्र में मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश है अथवा उसका कोई भी अंश नहीं है जब तक और जहां तक वह धारा २६ के अधीन दी गयी किसी डिक्री अथवा आज्ञा से उत्पन्न न होता हो ।

३६——दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर, प्रतिकर अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना संबंधित मध्यवर्ती को और स्वत्व रखने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (person interested) को देगा, जो धारा ३५ के अधीन नोटिस के प्रतिवाद (reply) में उपस्थित हुआ हो । आपत्ति-पत्रों की सुनवाई का दिनांक।

३७——धारा ३५ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दीवानी न्यायालय (civil court) के सभी अधिकार, जहां तक वे लागू हो सकें और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत (inconsistent) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (modifications) के साथ जो नियत किये जायं, वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १६०८ में अचल सम्पत्ति (immoveable property) सम्बन्धी वादों (suits) की सुनवायी और निस्तारण (disposal) के लिये दी गयी है । आपत्ति-पत्रों की सुनवाई और निर्णय ।

३८——प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति के सम्बन्ध में धारा ३७ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसमें मुकद्दमे का संक्षित विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण दिये जायेंगे । धारा ३७ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना ।

डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील।

३९—किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, धारा ३७ के अधीन प्रतिकर अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी।

हाईकोर्ट में अपील

४०—धारा ३९ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी अपील की डिक्री के विरुद्ध कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १०० में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी।

पुनरीक्षण (Revision)

४१—प्रतिकर अधिकारी द्वारा निर्णित किसी भी वाद के अभिलेख (record) को, जिनमें अपील न हो सकती हो, हाईकोर्ट मंगवा सकता है और यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रतिकर अधिकारी ने—

(क) ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित (vested) नहीं है, अथवा

(ख) इस प्रकार निहित अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(ग) अपने अधिक्षेत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में अवैध, अथवा ऐसी जिसका कोई महत्व हो अनियमितता (with material irregularity) से कार्य किया है, तो हाईकोर्ट ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

अंतिम प्रतिकर निर्धारण तालिका।

४२—(१) यदि धारा ३५ के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उनका निस्तारण (disposal) हो गया हो और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये और मुहर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण तालिका अंतिम हो जायगी।

तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना।

४३—प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रति बिना शुल्क संबंधित मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रति उस प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि क्षेत्र के परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector in charge of the Sub-Division) के कार्यालय के सूचना पट्ट (notice-board) पर भी लगवा देगा।

मध्यवर्ती को देय प्रतिकर की मात्रा

४४—प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि-क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में देय धनराशि ऐसी दशा को छोड़कर जहां मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, धारा ४२ के अधीन निर्मित प्रतिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्की निकासी के सोलह गुने के बराबर होगी।

ठेकेदार को देय प्रतिकर की मात्रा

४५—यदि अर्जित कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो तो मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी गयी पक्की निकासी पर धारा ४४ में दिये सिद्धांतों के अनुसार लगाया गया प्रतिकर उक्त क्षेत्र में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के सम्बन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुये उन दोनों में बांट देगा :

(क) नजराना (premium), यदि ठेके के प्रारम्भ में कोई दिया गया हो,

(ख) ठेके की कुल अवधि तथा उसकी शेष अवधि,

(ग) ठेके के अन्तर्गत क्षेत्र किस सीमा तक अर्जित हो चुका है,

(घ) ठेके के अन्तर्गत अवशेष (balance) की कच्ची और पक्की निकासी ,

(ङ) ठेकेदार द्वारा प्रति वर्ष देय धनराशि,

(च) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर का विभाजन।

४६—मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने में प्रतिकर अधिकारी ऐसी प्रतिक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।

धारा ४६ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

४७—(१) मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करनेके सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा अधिक्षेत्र—युक्त (Civil Court of competent Jurisdiction) दीवानी न्यायालय—की डिक्री समझी जायगी।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी उपधारा (१) उल्लिखित डिग्री के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी तथा अपील में दी हुयी आज्ञा, उस व्यवस्था को छोड़कर जो उपधारा (३) में की गयी है, निश्चयाक (conclusive) होगी।

(३) हाई कोर्ट उपधारा (१) के अधीन पारित किसी आज्ञा को धारा ४१ में अभिलिखित (क) से (ग) तक के किसी आधार पर पुनरीक्षित (revise) कर सकता है।

अपील के स्मरण-पत्र पर देय न्याय-शुल्क।

४८—कोर्ट फीस ऐक्ट १८७० में किसी बात के रहते हुये भी धारा ३९, ४० अथवा धारा ४७ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील के स्मरण-पत्र (memorandum) पर देय न्याय शुल्क (Court fee) वह होगा जो नियत किया जाय।

ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना जो अकामतः हुयी हों।

४९—(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अन्तिम (final) हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन की गयी हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा।

(२) अधिक्षेत्र युक्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (a person interested) की प्रार्थना पर अंतिम रूप से प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (clerical or arithmetical errors) के या किसी ऐसी अशुद्धि को जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक (accidental slip or ommission) से हो गयी हो, ठीक कर सकता है।

अध्याय ५

प्रतिकर का भुगतान

तालिका में दर्ज प्रतिकर का दिया जाना।

५०—मध्यवर्ती को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषिक्षेत्र में उसके अधिकार, आगम और स्वत्व के अर्जित किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ४४ के अधीन इस सम्बन्ध में प्रख्यापित की गयी हो।

तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का प्रतिकर पाना।

५१--धारा ५४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पाने का अधिकारी वह मध्यवर्ती होगा, जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो।

विधिक प्रतिनिधि को देय प्रतिकर।

५२--यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी मध्यवर्ती प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विविध प्रतिनिधि को देय होगा।

प्रतिकर के भुगतान का रूप।

५३--इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में बन्धों (bonds) के रूप में अथवा अंशतः नगदी और अंशतः बन्धों के रूप में जैसा भी नियत किया जाय, दिया जायगा।

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य प्राधिकारी के पास प्रतिकर का जमा किया जाना।

५४--(१) यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ, न्यास (trust) या धर्मस्व (endowment) हो अथवा कोई अवयस्क हो अथवा किसी व्यवहारिक अक्षमता (legal disability) के अधीन कोई व्यक्ति हो अथवा कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति (limited owner) हो तो किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले सामान्य निर्देशों (general directions) के अधीन प्रतिकर उस व्यक्ति के लिये और उसकी ओर से ऐसे प्राधिकारी या बैंक के पास जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा।

(२) ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके लिये या जिसकी ओर से प्रतिकर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (utilization) और विन्यास (disposal) को अधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विन्यास का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी बात से बाधित होता नहीं समझा जायगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति केवल इस कारण समिति स्वाम्यवाला व्यक्ति नहीं समझा जायगा कि अवध सेटेल्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९१७ या यूनाइटेड प्राविंसेज इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० के उपबन्धों के अधीन उन स्थानों के सम्बन्ध में, जिनके लिये प्रतिकर देय है, प्रख्यापन कर दिया गया है।

प्रतिकर का न्यायालय अथवा प्राधिकारी के हाथ में दिया जाना।

५५--यदि किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के सामने ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो, जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय ४ के अधीन अवधारित कुल प्रतिकर अथवा उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तो उक्त न्यायालय या प्राधिकारी को अधिकार होगा कि प्रतिकर अधिकारी को आदेश दे कि इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में दे दे (place at his disposal) और तब उस धनराशि का विन्यास (disposal) ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी की आज्ञा के अनुसार ही किया जायगा।

अध्याय ६

भूमि-प्रबन्ध

भूमि का अधीक्षण, प्रबंध और नियंत्रण।

५६--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निहित होने के दिनांक से राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से ऐसी समस्त भूमियों और वस्तुओं के जो धारा ६ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हों, साधारण अधीक्षण (general superintendence) प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण का आभार कलेक्टर पर होगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को बाधित न करते हुए सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदिष्ट (directed) किये जाने किसी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट दिनांक से, राज्य के लिये, तथा उसकी ओर से, धारा ६ के अधीन राज्य सरकार में निहित सभी या किसी भूमि या वस्तु के साधारण प्रबन्ध का आभार सौंपा जा सकता है ।

५७—(१) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी को धारा ५६ के अधीन भूमि के साधारण प्रबन्ध का आभार सौंपा गया हो तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक भूमि प्रबन्ध कोष (Land Management fund) की स्थापना करेगा । भूमि प्रबंध कोष ।

(२) कोष में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे—

(क) वे कुल धन जो इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी को राज्य सरकार के लिये या उसकी ओर से मिलें, और

(ख) ऐसी अन्य धनराशियां जो नियत की जायं ।

(३) स्थानीय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन और कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होने वाले परिव्ययों (charges) के लिये कोष को नियत रीति से उपयोग में लाये।

५८—(१) किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी आज्ञायें और ऐसे निर्देश दे सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों: स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों का कार्यान्वित किया जाना।

(२) स्थानीय प्राधिकारी और उसके पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे तुरन्त ऐसी आज्ञायें कार्यान्वित करें और निदेशों का पालन करें।

५९—(१) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह संतोष हो जाय कि : भूमि प्रबन्ध की वैकल्पित व्यवस्था।

(क) स्थानीय प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्देशित अपने कर्त्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुये भी (without reasonable cause or excuse) नहीं किया है, अथवा

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्देशित कर्त्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करने में स्थानीय प्राधिकारी असमर्थ हो गया है या हो जा सकता है, अथवा

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है, तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी (authority) द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों (restrictions) के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा ।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर सकती है जो इस प्रयोजन के निमित्त आवश्यक जान पड़ें ।

अध्याय ७

भौमिक अधिकार तथा मालगुजारी

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश के अधिनियम सं० १ के अध्याय ८ और १० के उपबन्धों का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६०—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ८ और १० एवं उसके अधीन बनी नियमावली के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा अपवाद (exception) कर सकती है जो उसके विचारानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६१—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनी नियमावली इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि-क्षेत्रों पर लागू होगी किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद कर सकती है जो राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक प्रतीत हों और उसे किसी अनुकूलन परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

धारा ६० तथा ६१ के अधीन दी गयी आज्ञाओं का राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

६२—(१) इस अध्याय के अधीन दी गई कोई आज्ञा दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, कम से कम चौदह दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायगी तथा ऐसे परिष्कारों के अधीन होगी जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वह आज्ञा उसके समक्ष रखी गयी हो।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

अध्याय ८

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

अधिकारियों आदि की नियुक्ति।

६३—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है—

(क) एक प्रतिकर आयुक्त (Compensation Commissioner),

(ख) एक परिच्छेद आयुक्त (Demarcation Commissioner),

(ग) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officer), और

(घ) परिच्छेद अधिकारी (Demarcation Officer)।

अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर।

६४—राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और वे प्रतिकर आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

अतिरिक्त परि-आयुक्त।

६५—राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त परिच्छेद आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और वे परिच्छेद आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

६६—(१) प्रतिकर आयुक्त और परिच्छेद आयुक्त ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण ((supervision) और अधीक्षण (superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं। अधिकार और कर्त्तव्य।

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बने नियमों, के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

६७—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार अपने अधीन किसी भी अधिकारी (officer) अथवा प्राधिकारी (authority) को गजेट में विज्ञप्ति द्वारा, उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (Conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन, प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है। अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation)।

६८—निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी तथा परिच्छेद आयुक्त को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों (civil courts) को प्राप्त हैं— साक्षियों आदि को उपस्थित कराने का अधिकार।

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और शपथ देकर प्रकथन (affirmation) कराके, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिये कमीशन या निवेदन-पत्र (request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) नोटिस की तामील कराना, तथा

(घ) न्यायालय के अवमान (contempt of court) के लिए लोगों को दंड देना;

और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सामान भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसार के ही बराबर समझा जायगा।

६९—(१) नियत किये जाने वाले, प्रतिबन्धों या निरोधों के अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे ऐसा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे। लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, वह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है। ऐक्ट ४५, १८६०

भूमि पर प्रवेश करने और पर्यावलोकन इत्यादि का अधिकार ।

७०—ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों के अधीन रहते हुए, जो नियत किए जायं, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये किसी समय, किसी भूमि पर, ऐसे जनसेवकों (public servants) सहित, जिन्हें वह आवश्यक समझें, प्रवेश कर सकता है और उस का पर्यावलोकन (survey) या पैमाइश (measurements) कर सकता है अथवा अन्य ऐसा कार्य कर सकता है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद आयुक्त के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना ।

७१—किसी प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद आयुक्त के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १९३ में और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये एक वैचारिक व्यवहार (judicial proceeding) है ।

वाद-व्यय ।

७२—इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद आयुक्त द्वारा वाद-व्यय (costs) के सम्बन्ध में दी गई आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद व्यय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र-युक्त मुंसिफ को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यान्वित करायी जा सकती है और मुन्सिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों उक्त प्रार्थना पत्र उस मुन्सिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन का प्रार्थना-पत्र हो ।

लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार।

७३—इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायं, किया जा सकेगा, और नियत शुल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे लेख्य, विवरण या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि पा सके।

व्यवहार का संक्रामण ।

७४—(१) किसी पक्ष (party) के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे फरीकों को नोटिस देकर ऐसे पक्ष की सुनवाई कर के, जो अपनी सुनवाई चाहता हो अथवा बिना नोटिस दिये स्वतः डिस्ट्रिक्ट जज किसी समय अपने अधिक्षेत्र में किसी प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (proceeding) को अपने यहां मंगा सकता है और उसे अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (competent to dispose of) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी को, जैसी भी दशा हो, निस्तारण (disposal) के लिये संक्रमित (transfer) कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर उस अधिकारी को, जो उसके पश्चात् उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार होगा कि यदि संक्रामण (transfer) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हों तो उन्हें बाधित न करते हुये चाहे वह उस की कुल सुनवाई आदि से फिर करे या उस अवस्थान (point) से सुनवाई आरम्भ करे जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था ।

कुछ विषयों दीवानी न्यायालयों का अधिक्षेत्र न होना ।

७५—उस दशा को छोड़ कर जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गई हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा व्यवहार, जिसका सम्बन्ध प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी इन्दराज के होने या न होने से या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा से हो, किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

७६—(१) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया कोई कार्य यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्तव्यों के पालन अथवा सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा। इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के संबंध में परित्राण।

(२) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कारण या इस अधिनियम के या उसके अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने को अभिप्रेत किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (damage) अथवा अन्य हानि (injury) के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई विधिक व्यवहार नहीं चल सकेगा।

७७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर प्रदान कर देने पर राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक अधिकारी हो, प्रतिकर देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर दिया गया है, यथावत् व्यवहार द्वारा कार्यान्वित कर सकता है, तो प्रतिकर के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के दायित्व की भरपाई।

७८—(१) प्रतिकर अधिकारी के सामने अध्याय ४ और ५ के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक व्यवहार में राज्य सरकार एक पक्ष होगी और समझी जायगी और राज्य सरकार पर तामील किये जाने के लिये अभिप्रेत (intended) प्रत्येक को नोटिस कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित (nominated) अन्य प्राधिकारी (authority) पर तामील किया जा सकेगा। अध्याय ४ तथा ५ तक के अधीन व्यवहारों में राज्य सरकार का फरीक होना।

(२) उक्त अध्यायों या धारा ८२ की उपधारा (३) के खंड (४) में किसी बात के रहते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा उस की ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (period of limitation) उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन होगी।

७९—इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों या व्यवहारों के सम्बन्ध में १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट), की धाराओं ३३१, ३३२ क, ३३२ ख तथा ३३३ के उपबन्ध यथा-परिस्थिति ऐसे अनुकूलनों (adaptations) परिष्कारों (modifications) अथवा परिवर्तनों (alterations) सहित, जिनसे मूल-तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन किये जाने वाले वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा व्यवहारों के सम्बन्ध में लागू होते हैं। वाद-प्रार्थना-पत्र तथा व्यवहार।

८०—इस अधिनियम के सम्बन्ध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि और व्यवस्था अधिनियम की धारा ३३८ तथा ३४२ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में लागू होते हैं। अनुकूलनों तथा कठिनाइयों का दूर किया जाना।

८१—जब तक स्पष्ट रूप से इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन व्यवस्था न की गई हो, इंडियन कोर्ट फीज़ ऐक्ट, १८७०, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ और इंडियन लिमिटेशन, १९०८ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले व्यवहारों पर लागू होंगे। इस अधिनियम के अधीन व्यवहारों में अन्य अधिनियमों को लागू करना।

नियम बनाने का अधिकार ।

८२--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है--

(१) रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद अधिकारी धारा ३ के अधीन कृषि-क्षेत्रों का अवधारण तथा उनका परिच्छेद करेगा ;

(२) परिच्छेद के प्रस्तावों का आकार (form) ;

(३) आकार तथा रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद के प्रस्ताव तथा अन्तिम रूप से परिच्छेदित कृषि-क्षेत्रों के विवरण क्रमशः धारा ४ और धारा ५ के अधीन निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे ;

(४) रीति, जिसके अनुसार धारा ४ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी और धारा ५ के अधीन उनका विन्यास (disposed off) किया जायगा ;

(५) धारा ७ के अधीन कृषि-क्षेत्रों के निहित होने के दिनांक से पहले की कार्यवाहियां ;

(६) इस अधिनिय के अधीन स्थगित किये गये वादों तथा व्यवहारों का विन्यास (disposal);

(७) धारा २१ के अधीन कृषि-क्षेत्रों को हस्तगत करने (taking over) से सम्बद्ध विषय ;

(८) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा २७ के अधीन प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार की जायेगी ;

(९) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा ३५ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायेंगी ;

(१०) प्रक्रिया, जिसकी धारा ५५ के अधीन किसी न्यायालय अथवा प्रधिकारी को प्रतिकर की धनराशि सौंपे जाने के सम्बन्ध में अनुसरण किया जायगा ;

(११) धारा ६६ के अधीन किसी धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया ;

(१२) अध्याय ६ के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्त्तव्यों के पालन, कृत्यों के संपादन तथा अधिकारों के प्रयोग की रीति और प्रक्रिया ;

(१३) भूमि प्रबन्ध निधि की स्थापना और रखरखाव से संबद्ध विषय ;

(१४) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त भूमि प्रबन्ध निधि के उपयोग तथा उसमें से किये जाने वाले भुगतानों की रीति और प्रक्रिया ;

(१५) विषय तथा रीति, जिसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी स्थानीय प्राधिकारी को अध्याय ६ के अधीन निर्देश दे सकेगी ;

(१६) प्रक्रिया तथा कार्यवाही, जिसका संबंध अध्याय ६ के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का तथा कार्यों को सम्पन्न करने के निमित्त की जाने वाली किसी वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) से हो ;

(१७) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये बहियों तथा लेखों (books and accounts), अन्य रजिस्टरों, विवरणों (statements) विवरण-पत्रों (returns) तथा आकार-पत्रों (forms) के रखने की प्रक्रिया और उनका आकार (form);

(१८) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाला पत्र-व्यवहार तथा लेख्यों (documents) और संविदाओं (contracts) का निष्पादन (execution) ;

(१९) इस अधिनियम के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उस के विरुद्ध वादों तथा व्यवहारों (Proceedings) का चलाया जाना।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि उस के अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था करने का भी अधिकार है——

(१) ऐसी कालावधि (time-limits) लगाने के निमित्त जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को अधिकार दे कर या न दे कर ;

(२) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र-वाद अथवा दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(३) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(४) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में, इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि ;

(५) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;

(६) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों (applications) अपीलों और व्यवहारों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना;
(७) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को दिये गये अधिकारों का किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी (officer) अथवा व्यक्ति को प्रति-निधान (delegation); तथा
(८) एक प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारों के यहां व्यवहारों का संक्रामण (transfer)।

(४) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध (conditions) के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और, यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न कर दिया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे (come into force)।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जिन्हें विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

अनुसूची

(धारा १)

क्षेत्र जिसमें आरम्भ में यह अधिनियम लागू न होगा।

(१) कुमायूं डिवीजन,
(२) बनारस जिले का परगना, कसवार राजा,
(३) देहरादून जिले का परगना, जौनसार बावर,
(४) कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मिर्जापुर जिले का भाग,
(५) कोई भी आस्थान या उसका भाग, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो,
(६) क्षेत्र, जो ३० जून, १९५४ को निम्नलिखित में स्थित किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउनएरिया अथवा कैन्टूनमेन्ट में थे ——
 (क) बनारस स्टेट, (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस, स्टेट,
 (ख) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर,
 (ग) टेहरी-गढ़वाल (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल,
 (घ) प्राविंसेज एंड स्टेट्स (ऐब्जार्प्शन आफ़ एन्क्लेव्स) आर्डर १९५० में दी हुई परिभाषा के अनुसार 'एन्क्लेव' (अन्तरक्षेत्र), जो उक्त आर्डर के अधीन उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत (absorbed) हो गया हो।

उद्देश्य और कारण

१६५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, ऐसे कृषि क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जो म्युनिसिपैलिटी कैन्टूनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया की सीमाओं में हों। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में विधायन बनाने का प्रश्न विगत कुछ काल में सरकार के विचाराधीन रहा है। सन् १६५० में विधान मंडल के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका उद्देश्य अभिदिष्ट क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों का अर्जन करना था। इस विधेयक में भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था नहीं की गयी थी, अतः सरकार ने उसे वापस लेने का और इस पुनरीक्षित विधेयक को प्रस्तुत करने का निश्चय किया है।

२—इस विधेयक में उन भूमियों में मध्यवर्तियों के अधिकार अर्जित करने की की गयी है जो नगर-सीमाओं में स्थित हैं तथा जो काश्तकारों, माफीदारों, रियायती काश्तक बागदारों के अधिकार में अथवा मध्यवर्तियों के अधिकार में सीर, खुदकाश्त अथवा बागों के रूप इस विधेयक में उक्त क्षेत्रों में भी वैसे ही भूमि सुधारों की व्यवस्था है जो ग्राम क्षेत्रों में किये गये ह। जिन क्षेत्रों में भवन बने हुये हैं अथवा जहां खेती नहीं की जाती उन क्षेत्रों के कब्जे अथवा अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है। ऐसे पट्टेदारों की कठिनाइयां दूर करने के लिये, जिन्होंने भवन निर्माण के लिये किसी दिनांक विषय के पश्च भूमि के पट्टे लिये हैं किन्तु जिन्होंने उस भूमि को कृषि-प्रयोजन के लिये अस्थायी रूप से उठा दि विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे पट्टेदार अपने शिकमी काश्तकारों को बेदखल सकेंगे और भवन निर्माण के लिये भूमि का उपयोग कर सकेंगे।

चरण सिंह
माल मं

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर।)

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६।

यू० पी० मुस्लिम वक्फ़्स (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० मुस्लिम वक्फ़्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करने का

विधेयक

प्रस्तावना यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६।

यह इष्टकर है कि आगे के प्रयोजनों के लिये यू० पी० मुस्लिम वक्फ़्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित किया जाय।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ़्स (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ;

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २ का संशोधन।

२--(१) यू० पी० मुस्लिम वक्फ़्स ऐक्ट, १९३६ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(2) This Act shall not apply—

(i) to a waqf created solely for one or more of the following purposes that is to say,

(*a*) for the maintenance and support of any person not being the waqf or his descendant or a member of his family;

(*b*) for the celebration of religious ceremonies connected with the death anniversary of the waqif or of a member of his family or any of his ancestors,

(*c*) for the maintenance of private imambaras, tombs and grave-yards, or

(*d*) for the maintenance and support of the waqif or for payment of his debts where the waqif is a Hanafi Muslim, or the maintenance and support of such waqif's descendants or members of his family;

Explanation—A waqf shall cease to be a waqf created solely for any of the purposes aforesaid, where it subsequently ceases to be devoted solely to those purposes.

(ii) in the first instance to a waqf governed by the Husainabad Endowment Act, 1878, but the State Government may by notification in the official *Gazette* apply, with or without modifications, the provisions of this Act as pertain to superintendence and are not inconsistent with the provisions of the aforesaid Act."

Act XV of 1878.

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में— यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ३ का संशोधन ।

(१) खंड (१) में शब्द "includes waqf user" के स्थान पर शब्द "and includes waqf by user and waqf-alal-aulad and offerings made at a shrine or tomb" रख दिये जायं ;

(२) खंड (५) के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर एक कामा रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "and cash and other commodities" बढ़ा दिये जायं ; और

(३) खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"net income" means the total income less any revenue, cess, rates, taxes or surcharge payable to the Government or any local authority.

४—मूल अधिनियम की धारा ८ में शब्द "All India Shia Conference" के स्थान पर शब्द U. P. Shia Conference (Registered)" रख दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ८ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "All India Shia Conference" के स्थान पर शब्द "U. P. Shia Conference (Registered)" रख दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ९ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा १४ के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा १४ का संशोधन ।

"Provided that where the meetings is adjourned for want of quorum, the quorum required for the first meeting held after it is so adjourned shall be onethird of the total number of members of the Board; and where it is again adjourned for want of quorum, no quorum shall be required for second and subsequent adjourned meetings."

७—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा १६ का संशोधन ।

"(3) the Central Board shall appoint a person to be its whole-time Secretary possessing such qualifications and on such pay, allowances and terms and other conditions of service as may be prescribed."

८—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) में— यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा १८ का संशोधन ।

(क) खंड (*a*) में शब्द "to complete and maintain" के स्थान पर शब्द "to maintain a complete and" रख दिये जायं,

(ख) खंड (*c*) में शब्द "District Waqf Committee" के स्थान पर शब्द "Sub-committee" रख दिया जाय ।

(ग) खंड (*d*) में शब्द "District Waqf Committee के स्थान पर शब्द "Sub-Committee" रख दिया जायं ;

(घ) खंड (*e*) के मद (*v*) के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी मद (*vi*) के रूप में बढ़ा दी जाय—

"(vi) Such further matters as the nature of the *waqf* may require,"

(ङ) खंड (*h*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*h*) to direct, in any case where the object of the *waqf* is not evidenced by any document or where the object for which the *waqf* was created has failed or ceased to exist the manner in which the income of the *waqf* or any surplus thereof shall be utilized but no such direction shalll be given without previously affording, to the persons affected, an opportunity of being heard and without the previous approval of the State Government.

(च) खंड (*m*) में शब्द "District *waqf* Committee" के स्थान पर शब्द "Sub-Committee" रख दिया जाय।

(छ) खंड (*p*) के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये जायं—

"(*q*) to sanction, on the application of the *mutawalli* or a person interested in the *waqf*, a lease, mortgage or other transfer of property of the *waqf* or its conversion into another property, if the Board is satisfied that such lease, mortgage, transfer or conversion is for the benefit of the *waqf* :

Provided that no such lease, mortgage, transfer or conversion shall be sanctioned unless the proposal is approved by a majority of at least three-fourth of the total number of members of the Board;

(*r*) to remove a *mutawalli* or appoint a *mutawalli* and to put the *mutawalli* so appointed in possession of the *waqf* property under the provisions of this Act; and

(*s*) to issue directions under the provisions of this Act to a *mutawalli* or committee of management; and

(*t*) Whenever the deed of *waqf* or any decree or order of a court or the scheme of management of the *waqf* provides that the judge or any other authority may appoint or remove a *mutawalli* or settle or modify the scheme of management or otherwise exercise superintendence over the *waqf*, the powers exercisable by the Judge or such authority shall, notwithstanding anything in the deed of *waqf*, decree, order or scheme, be exercisable by the Central Board as far as may be in accordance with the directions contained in the deed of *waqf*, decree, order or scheme, as the case may be.

९--मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- — यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २० का संशोधन।

20. A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Board, if he has been declared insolvent by a court or has been convicted of an offence involving moral turpitude.

Disqualification for membership of the Board.

20-A. The Central Board may, subject to the approval of the State Government, remove any member from the membership of the Board if—

Removal of member.

(*a*) the member absents himself from five consecutive meetings of the Board without the permission of the Board, or

(*b*) the Board considers that the member is not fit to continue as a member or is disqualified from being or continuing as a member.

१०--मूल अधिनियम की धारा २२ में-- — यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २२ का संशोधन।

(१) शब्द "when the place of a member becomes vacant by his removal, resignation or death" के स्थान पर शब्द "when a casual vacancy occurs" रख दिये जायं, और

(२) शब्द और संख्या "section 6" के स्थान पर "the act" शब्द रख दिये जायं।

११--मूल अधिनियम की धारा २३ में प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में शब्द "disposal" के स्थान पर शब्द "or where the Board for any other reason considers it inappropriate to do so" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २३ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारायें २५ से ३६ तक निकाल दी जायं। — यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ में धारायें २५ से ३६ तक का निकाला जाना।

१३--मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द "Shia" जहां कहीं भी वह आया हो, निकाल दिया जाय। — यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ३७ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। — यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ४५ का संशोधन।

45. (1) A beneficiary or any person interested in *waqf* may make an application to the Central Board supported by an affidavit to institute an enquiry relating to the administration of the *waqf*, or

Application for enquiry.

for the examination and audit of the account thereof and the Board may make or cause to be made through its own officer, or through a sub-committee constituted under section 37, such enquiry, examination or audit as it may deem fit.

(2) If, after such enquiry as aforesaid, the Board is of opinion that the *mutawalli* or the committee of management has acted otherwise than in accordance with the terms and conditions of the *waqf*, it may direct the *mutawalli* or the committee of management to take such action as it may deem expedient.

(3) The *mutawalli* or the committee of management shall carry out the directions given by the Board under sub-section (2) or may, within 90 days from the date of the receipt of such directions, give notice to the Board to constitute a Tribunal, for a declaration that the directions given by the Board are not in confirmity with the terms and conditions of the *waqf.*

(4) The Tribunal shall consist of a nominee of *mutawalli* or the committee of management, as the case may be, a nominee of the Board and a Chairman to be elected by the two nominees. If the two nominees fail to elect a Chairman, he shall be appointed by the State Government.

(5) In case the *mutawalli* or the committee of management fails to carry out the directions given by the Board and does not apply to the Board for the constitution of the Tribunal as provided in sub-section (3), or where on such application the Tribunal confirms the directions given by the Board with such a amendment if any, as it may deem necessary, such directions shall be executed by the court which would have jurisdiction in the matter.

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ में एक नये अध्याय (V–A) का बढ़ाया जाना।

१५—मूल अधिनियम के अध्याय "V" के पश्चात् निम्नलिखित नये अध्याय (V—A) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"CHAPTER V-A

External control

General supervision by the state Government.

46-A. The State Government shall exercise general supervision over the Central Board and the sub-committees constituted under section 37, and may call for any document, record or information from the Board or a sub-committee. The State Government may further require the accounts of the Board or any sub-committee to be audited by an auditor to be appointed by it.

46-B. The State Government may, for the better administration of the *waqfs* under the supervision of the Central Board, issue direction, consistent with the terms and conditions of such *waqfs* and the provisions of this Act, to the Board, and such directions shall be carried out by the Board.

Power of the State Govt. to issue direction.

46-C. In case of gross mismanagement and persistent dereliction of duty by the Central Board, or when in the opinion of the State Government, the Board has so flagrantly abused the powers vested in it by law that its continuance is likely to prove detrimental to the public interest, the State Government may dissolve the Board after giving it an opportunity to explain the charges against it and after taking into consideration the explanation if any, submitted by it.

Dissolution of the Board.

46-D. Where the Central Board is dissolved under the provisions of section 46-C, the State Government shall take upon itself the functions of the Board and may appoint an Administrator to carry out such functions.

State Govt. to take over functions of the Board.

46-E. Where the Central Board is dissolved under the provisions of section 46—C, a new Central Board shall be constituted within one year of the date of dissolution in accordance with the provisonis of this Act.

Formation of new Board.

46-F. As soon as a new Central Board is formed under section 46-E, the State Government shall , by notification in the *Gazette*, transfer the administration of the *waqf* to such Board and thereupon the State Government shall cease to exercise the functions of the Central Board from the date of such noti-fication.

Transfer of administration of waqfs to the new Board,

१६——मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय——

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ४७ का संशोधन।

"47. (1) Where the object of any *waqf* has ceased to exist or cannot be accomplished, or the accomplishment of which is, in the opinion of the Central Board, highly inexpedient, then, notwithstanding anything contained in section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908, or any law for the time being in force, the Board, may, of its own motion or on the application of a member of the sect to which the *waqf* belongs, and after issuing notice to the *mutawalli* of such *waqf* and to such other person

Determination of objects of the waqf.

Act v of 1908

as may appear to the Board to be interested therein, and after making such enquiry as it deems necessary, determine the object which shall be similar or as nearly similar as may be practicable to the object for which the *waqf* was created to which the funds, property or income of the *waqf*, or so much of such fund, property or income as was previously expended on or applied to such object, shall be applied.

(2) The applicant or the *mutawalli* of the *waqf* or any othe person interested in the *waqf*, may, within 90 days of any order passed under sub-section (1), make an application to the court for varying, modifying or setting aside such order, but subject to the decision of the court on such application the order of the Board shall be final and binding upon all persons interested."

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ में एक नयी धारा 47—A का बढ़ाया जाना।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय—

"47-A. (1) Where a *mutawalli* is under an obligation to perform any act which is recognized by Muslim Law as pious, religious or charitable and the *mutawalli* fails to perform such act, the Board may apply to the court for an order directing the *mutawalli* to pay to the Board or to any person authorized by the Board in this behalf the amount necessary for the performance of the act.

(2) Where a *mutawalli* is under an obligation to discharge any other duties imposed on him under the *waqf* deed and the *mutawalli* wilfully fails to discharge such duties, the Board or any person interested in the *waqf* may make an application to the court and the court may pass such order as it thinks fit."

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ४८ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४८ में शब्द "provided that if in such suit the validity or propriety of any order or direction passed or made by the Central Board is challanged, a suit may be instituted without previous sanction after giving two months notice to the Central Board as provided in section 53" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ५२ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा ५२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Notice of the Central Board regarding certain suits or proceedings.

"52. (1) In every suit or proceeding in respect of any *waqf*, property, or by or against a *mutawalli* as such, except a suit or proceeding for recovery of rent by or on behalf of a *mutawalli*, the court shall give notice of such suit or proceeding to the Central Board at the cost of the party instituting the suit or proceedings.

(2) The Central Board may apply to the court in which the suit or proceeding referred to in sub-section (1) is pending to be added as a party to such suit or proceeding, and it shall thereupon be added as party, and shall be entitled to conduct or defend such suit or proceeding.

(3) Where no notice is given as provided in sub-section (1) any decree or order, passed in the suit or proceedings may be declared void on the application of the Central Board in this behalf, provided that such application is made within 90 days of the passing of the decree or order, or within 90 days of the date on which the suit or proceedings came to the knowledge of the Central Board, whichever is later."

१०—धारा ५२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं— यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ में धारा ५२-Aऔर धारा ५२-B का बढ़ाया जाना।

"52-A. (1) Before any *waqf* property is notified for sale for the recovery of any dues payable to Government or to a local authority, or in execution of a decree, a notice shall be given to the Central Board by the court, collector or other person under whose orders the sale is notified.

(2) Where no notice is given as provided in sub-section (1), the sale shall be declared void on the application of the Central Board in this behalf, provided that such application is made within 90 days of the date on which the sale came to the knowledge of the Board.

Explanation—Knowledge to the Secretary of the Board shall be deemed to be knowledge to the Board.

52-B. (1) All cost and other expenses incurred by the Central Board in connexion with any suit or proceedings in respect of any *waqf* to which the Board is a party, and all costs decreed against the Board by the court other than costs awarded to a *mutawalli* in suits filed by him against the Board, or by the Board against a *mutawalli* shall be payable out of the funds of such *waqf* :

Paym cost out of fun s of the Board.

Provided that the Board may in its discretion meet such costs or other expenses from the fund established under the provisions of section 65 and thereafter recover the same from the funds of such *waqf*.

(2) No costs or other expenses incurred, a *mutawalli* in connexion with a suit filed against him under Section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908, for his removal from the office of *mutawalli* of a *waqf*, shall, if he is so removed, be payable out of the funds of such *waqf*."

Act V of 1908.

यू० पी० ऐक्ट १३,१६३६ की धारा ५४ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द और संख्या "5 per cent" के स्थान पर शब्द और संख्या "6 per cent" रख दिये जायं ;

(२) प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that *waqf* of which the net annual income does not exceed Rs.50 shall not be liable to any contribution under this section."

यू० पी० ऐक्ट १३,१६३६ की धारा ५४–ए का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा ५४–ए की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "five per cent" के स्थान पर शब्द "six per cent" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१६३६ की धारा ५६ का संशोधन।

२३—मूल अधिनियम की धारा ५६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Appointment of *mutawallis*.

"56. When there is a vacancy in the office of *mutawalli* of a *waqf* and there is no one competent to be appointed under the terms of the deed of *waqf*, or where the right of any person to act as *mutawalli* is disputed or if the *mutawalli* refuses to vacate when called upon to do so under section 58, the Central Board may appoint any person to act as a *mutawalli* for such period and on such conditions as it may think fit or it may assume direct management of the *waqf*."

यू० पी० ऐक्ट १३,१६३६ की धारा ५७ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "the District *waqf* Committee or the Central Board" के स्थान पर शब्द "the Central Board or, with the previous approval of the Board, by the sub-committee constituted under section 37." रख दिये जायं,

(२) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"*Explanation*—The statement of accounts required to be submitted by a *mutawalli* under clause (*b*) shall, in respect of a *Waqf-allal-aulad* to which the provisions of this Act apply, relate only to that portion of the income of such *waqf* as is specified or set apart for religious or charitable purposes." और

(३) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*c*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*c*) submit before the 31st day of March in each year a budget of the income and expenditure for the *waqf* for the next succeeding financial year."

२५--मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५८ का संशोधन।

"58. (1) The Central Board may remove a *mutawalli* from his office if—

Removal of *mutawallis* by Central Board

(i) such *mutawalli* after having once been fined under section 60 is again fined under the same section, or

(ii) such *mutawalli* is convicted of an offence relating to the *waqf* property or money which in the opinion of the Central Board renders him unfit to continue to be a *mutawalli*, or

(iii) such *mutawalli* is convicted of an offence involving moral turpitude or is required to furnish security under Section 109 or Section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or

(iv) such *mutawalli* wrongfully destroys or allienates any *waqf* property, or

(v) Such *mutawalli* is adjudged insolvent, or

(vi) such *mutawalli* is, in the opinion of the Central Board, unfit to discharge the duties of a *mutawalli* owing to any physical or mental disability, or

(vii) such *mutawalli* is guilty of misappropriation or gross mismanagement of waqf property, or has persistently neglected to comply with the directions given by the Central Board for the proper management of the waqf."

२६--मूल अधिनियम की धारा ५९ में-- यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५९ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "supervision" के पश्चात् शब्द "or management" बढ़ा दिये जायं,

(२) उपधारा (2) में शब्द "force" के पश्चात् शब्द "in so far as it relates to the constitution of such committee" बढ़ा दिये जायं, और

(३) मूल अधिनियम की धारा ५९ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 2—A के रूप में रख दी जाय :

"2-A. The Central Board may instead of superseding any Committee under sub-section (2) remove any member thereof, if the Board is satisfied that the member has flagrantly abused his position as such or has knowingly acted in a manner prejudicial to the interest of the *waqf* ;

Provided that no order for removal of a member shall be made except after affording him an opportunity of being heard and provided further that an appeal shall lie within 30 days from the date of removal or service of notice of removal whichever is later, to the Government and the order of the State Government on appeal shall be final and be not questioned in any court of law."

(३) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(4) where the Central Board supersedes a Committee by an order under sub-section (2), it may either appoint a new committee of supervision or management or may assume direct management of the *waqf*."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ में नयी धारा 59—A का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ५९ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 59—A के रूप में बढ़ा दिया जाय—

Delivery of possession.

"59-A. Where in a case in which the Central Board has assumed direct management of a *waqf* or appointed a *mutawalli* or a committee of management under the provisions of section 56 or section 59, and the Board, or the *mutawalli*, or committee so appointed, is prevented from taking possession of the property of the *waqf* or of any title deeds or other documents relating thereto, the court may, on the application of the Board, or of the *mutawalli* or committee so appointed, pass an order for the delivery of possession of the property of the *waqf*, and the title deeds or other documents relating thereto, against such person or persons as may be in possession of such property, title deeds or other documents."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ६० का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"60. Where a *mutawalli* fails without reasonable cause or excuse, the burden of proving which shall be upon him—

(*a*) to apply for registration of a *waqf* as provided in section 38, or

(*b*) to submit statements of particulars or of accounts and returns and to have their accounts audited as required by this Act, or

(*c*) to supply information or particulars required by the Central Board or the sub-committee, or

(*d*) to allow inspection under the provisions of this Act of *waqf*, properties or deeds and documents relating thereto, or

(*e*) to give assistance in enquiries and investigations when called upon to do so by the Central Board or by a sub-committee or by a superintendent, inspector or auditor working under the orders of the Central Board, or

(*f*) to deliver possession of any *waqf*, property if ordered to do so by the Central Board, or

(g) to deposit any surplus income in his hands in any recognized Bank when directed to do so by the Central Board, or

(h) to carry out the directions given by the Central Board or a sub-committee consistent with the provisions of this Act,

(i) to do any other act which he is by or under this Act required to do,

the *mutawalli* shall, without prejudice to any other liability under any other provisions of this Act also be liable to pay a penalty not exceeding rupees fifty for the first contravention and rupees two hundred and fifty for every subsequent contravention as the Board may determine."

२६—मूल अधिनियम की धारा ६१ में—— यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ६१ का संशोधन।

(१) शब्द "District Waqf Committee", "District Waqf Committees" और "Sunni District Waqf committees" इस धारा में जहां कहीं भी आये हों उनके स्थान पर शब्द "sub-committee," रख दिया जाय, और

(२) शब्द "and Shia sub-committees" निकाल दिये जायं।

३०—मूल अधिनियम की धारा ६२ में शब्द "and District Waqf Committees" निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ६२ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ६३ में शब्द "The Central Board shall also give such information and submit such reports, returns and statement as may be called for by the State Government" निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ६३ का संशोधन।

३२—(१) मूल अधिनियम की धारा ६५ उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित कर दी जाय। यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ६५ का संशोधन।

(२) पुनः परिगणित की गयी उपधारा (१) में शब्द "District Waqf Committees" के स्थान पर शब्द "sub-committees" रख दिये जायं, और

(३) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(2) If any surplus remains after meeting the expenditure referred to in sub-section (1), the Board may use such surplus or any portion thereof for such religious or charitable purposes as it may deem fit."

यू० पी० ऐक्ट १३, १६३६ की धारा ६६ का संशोधन ।

३३--मूल अधिनियम की धारा ६६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-

"Surplus and accumulation.

66. All money that may be available as surplus or accummulation out of the income of *Waqfs* shall be spent on such charitable or religious objects as may be determined by the Central Board. Such money may be given as loan, with the approval of the Central Board, by one *Waqf* to another on such terms and conditions as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट १३, १६३६ की धारा ६६ का संशोधन ।

३४--मूल अधिनियम की धारा ६६ में--

(१) शब्द "applies" के पश्चात् एक कामा लगा दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "so far as they are inconsistent with the provisions of this Act" बढ़ा दिये जायं, और

(२) खंड (ii) में शब्द और संख्या "section 5 of" निकाल दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १३, १६३६ की धारा ७१ का संशोधन ।

३५--मूल अधिनियम की धारा ७१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Recovery of dues by distress.

71. Every sum recoverable under this Act and the contribution under section 54 may be recovered by the Central Board by means of distress and sale of movable or immovable property belonging to the person liable for payment, or by the appointment of a receiver of *Waqf*, property, in accordance with rules framed by the State Government in this behalf."

यू० पी० ऐक्ट १३, १६३६ की अनुसूची का निकाला जाना ।

३६--मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय ।

उद्देश्य और कारण

यू०पी०मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ जो यू०पी० में कुछ प्रकार के मुस्लिम वक्फों के सुप्रशासन तथा निरीक्षण के लिये अधिनियमित किया गया था, दस वर्षों से कुछ ऊपर से प्रचलित है। इस अवधि में इसके प्रवर्तन में कतिपय त्रुटियों पर प्रकाश पड़ा है और यह प्रतीत हुआ है कि कई दृष्टियों से इसमें सुधार अपेक्षित है। यह ऐक्ट विशेषतः प्रक्रिया सम्बन्धी उपबंधों के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण पाया गया है। उदाहरणार्थ न्यायालय में मुकद्दमेबाजी द्वारा विवादों के निपटारे के लिये नियत की गयी प्रक्रिया से ऐसे विवादों के निस्तारण में बहुत बिलम्ब होने लगा और साथ ही वह सेंट्रल बोर्ड तथा वक्फों की वित्तीय स्थिति पर अत्यधिक भाररूप सिद्ध हुयी। इसके अतिरिक्त इस ऐक्ट के उपबंध सेंट्रल बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में विशेषरूप से त्रुटिपूर्ण पाये गये, यहां तक कि बहुत से मामलों में बोर्ड के लिये मुतवल्लियों से अपने आदेशों का पालन करवाना प्रायः असम्भव हो गया। इन मुख्य त्रुटियों तथा अन्य कई त्रुटियों के कारण वक्फों का कुशल निरीक्षण तथा प्रबन्ध करने वाली संस्था के रूप में सेंट्रल बोर्ड की उपयोगिता बहुत कम रह गयी है। आशा की जाती है कि जब संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन कार्यान्वित होंगे तो सेंट्रल बोर्ड को वक्फों के दिन प्रतदिन के प्रशासन में अधिक प्रभावपूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जायगा, सब प्रकार के बिलम्ब दूर हो जायेंगे, दीर्घकालीन मुकद्दमेबाजी के फलस्वरूप बोर्ड पर पड़ने वाले व्यय का भार घट जायगा और बोर्ड तथा वक्फों की वित्तीय स्थितिमें बड़ा सुधार हो जायगा। इसलिये कुछ दिनों से यह प्रतीत हो रहा था कि इस ऐक्ट को सुविधाजनक रूप में उपयोगी बनाने के निमित्त इसमें बहुत अधिक संशोधनों की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यू०पी० मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
विद्युत मंत्री।

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६१ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, १६४८ में संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, १६४८ को आगे उल्लिखित प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, १६५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २५, १६४८ में नयी धारा ४-क का रखा जाना।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, १६४८ की धारा ४ के पश्चात् ४-क के रूप में निम्नलिखित नयी धारा जोड़ दी जाय :

निर्दिष्ट अवधि के लिये कुछ सामानों का बिक्री कर से मुक्त किया जाना।

४-क—(१) जब राज्य सरकार की राय में किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में निर्माता (manufacturer) की निकासी (turn-over) ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से कम, और पांच वर्ष से अधिक न हो, जो भी निर्दिष्ट कर दी जाय, धारा ३ अथवा धारा ३-क में किसी बात के होते हुये भी, बिक्रीकर से मुक्त रहेगी अथवा उस पर ऐसी कम दर देय होगा जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् उत्पादित ऐसे सारे माल के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप से, अथवा केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक के पश्चात् निर्मित अथवा स्थापित किसी फैक्ट्री या कारखाने में उत्पादित हुए हो, उपधारा (१) के अधीन छूट (exemption) दे दें।"

उद्देश्य और कारण

यू०पी० बिक्री-कर ऐक्ट द्वारा, जैसी कि उसकी वर्तमान शब्दावली है, राज्य सरकार को किसी माल के, या माल के वर्ग (class), उत्पादकों को बिक्री-कर से छूट देने या उन पर कम दर से बिक्री-कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल जिसका अभी तक इस राज्य में उत्पादन नहीं हो सका है अथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, तैयार करने के लिये चालू किये गये नये उद्योगों को बिक्री कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने की निमित्त राज्य सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है। यह रियायत मिलने पर सिर्फ नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा अपितु रोजी रोजगार के नये साधन उपलब्ध हो सकेंगे

तदनुसार, किसी माल अथवा माल के वर्ग के विशिष्ट उत्पादकों को बिक्री कर से छूट देने, या उन पर कम दर से बिक्री-कर लगाने के लिये यू०पी० बिक्री-कर ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५४ एल०ए०--१९५५-७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराहुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री

फतेहसिह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री

रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री

शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

चुनार में मन्दिर को अर्पित भूमि का प्रतिकर

*१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि चुनार, जिला मिर्जापुर में श्री मदन मोहन दास, स्पेशल मजिस्ट्रेट के पूर्वजों ने लगभग ८ बीघा भूमि ठाकुर जी पर चढ़ा दी थी जिससे ठाकुर जी का भोग आदि का खर्चा चलता था ?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जिला मिर्जापुर की तहसील चुनार के लेखपत्रों में ७ बीघा ७ बिस्वा भूमि श्रीमती पयागी सर्वश्री बिट्ठल दास, मदन मोहन दास तथा ललित मोहन दास के नाम भूमिधरी अंकित है। इस भूमि को श्री मदन मोहन दास के पूर्वजों द्वारा ठाकुर जी पर चढ़ाये जाने के सम्बन्ध में लेख-पत्रों में कोई विवरण नहीं है।

*२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या वह सारी भूमि ठाकुर जी की तरफ से अधिवासियों के कब्जे में थी और अब नयी भूमि व्यवस्था के द्वारा अधिवासी उस भूमि के मालिक हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह भूमि अधिवासियों के कब्जे में अवश्य थी परन्तु ठाकुर जी की ओर से नहीं। यह अधिवासी अब सीरदार बन गये हैं।

*३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यदि हां, तो सरकार ठाकुर जी के भोग आदि के व्यय को पूरा करने की कौन सी व्यवस्था कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मदनमोहन दास के पूर्वजों ने ठाकुर जी को यह जमीन नहीं चढ़ायी, इसकी बाबत पत्रों में किसके द्वारा जांच करायी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अधिकारी द्वारा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--कौन-कौन से पत्र जांचे गये और किस अधिकारी के द्वारा, क्या यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--देखिये, यह सिर्फ एक टेनैंसी थी लोगों की और इसकी इनकम उनको चढ़ायी गयी थी। भूमि नहीं लगायी थी बल्कि जो इनकम आती थी वह मंदिर को लगायी थी। चूंकि इसके अन्दर ठाकुर जी का नाम नहीं था इसलिये उनके वारिसों का नाम उनके मरने के बाद चढ़ाया गया। इसके मानी यह हैं कि ठाकुर जी को भूमि नहीं लगायी गयी थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जब इस भूमि की इनकम ठाकुर जी को लगायी गयी, तो फिर क्या जब वह इनकम अब प्राप्त नहीं हो रही है तो ठाकुर जी के चढ़ाव-पूजा के लिये उस इनकम को देने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कंपेंसेशन मिलेगा। अगर वह लोग चाहें तो पूरा दे सकते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या ऐसी अवस्था में जहां ठाकुर जी को या धार्मिक संस्थाओं को जो इनकम चढ़ायी गयी है, उस पूरी इनकम को देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है या केवल कंपेंशन ही मिलेगा ।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--जहां ठाकुर जी स्वयं मध्यवर्ती थे वहां तो उन को एन्युटी मिलेगी हमेशा के लिये। लेकिन यहां ठाकुर जी के नाम में अगर जमीन भी होती तो भी यह मध्यवर्ती नहीं थे। और इसलिये इनको एन्युटी देने का सवाल नहीं उठता। लेकिन वैसे मंदिर या मस्जिद या धार्मिक संस्थायें जिनकी जमीन अधिवासियों या शिकमियों के कब्जे में थी वह सब सीरदार हो गये। जो कानून बना है उसके अनुसार उनको दस गुना सर्किल रेट का मिलता है। ऐसी धार्मिक संस्थाओं का भी कोई मुस्तकिल इंतजाम किया जाय यह सारा सवाल विचाराधीन है ।

अल्मोड़ा के शिल्पकारों को तराई में भूमि-वितरण

*४--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा से कुल कितने ऐसे भूमिहीन शिल्पकारों के प्रार्थना-पत्र सुपरिन्टेन्डेंट खाम इस्टेट, तराई-भावर, नैनीताल के पास अब तक पहुंचे हैं जिन्होंने कृषि हेतु तराई में भूमि की प्रार्थना की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सुपरिन्टेन्डेंट, तराई तथा भावर के कार्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है, जिसमें भूमि पाने के प्रार्थियों की जाति तथा निवास्थान आदि सम्बन्धी ब्यौरा रखा जाता हो। कारण यह है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्रों में जाति आदि के विषय में विवरण नहीं देते। परन्तु जिन लोगों को भूमि दी जाती है, उनके विषय में उपर्युक्त ब्यौरा प्राप्त करके रख लिया जाता है ।

*५--श्री गोवर्धन तिवारी--उनमें से कितने शिल्पकारों को अब तक तराई में भूमि दी जा चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१९४७ से लेकर अब तक ४१ शिल्पकारों को १०७८ बीघा भूमि तराई में दी जा चुकी है।

श्री गोवर्धन तिवारी--जिला अल्मोड़ा में शिल्पकारों की संख्या एक लाख से भी अधिक है और जिनमें सभी भूमिहीन हैं, उनकी संख्या को देखते हुए क्या सरकार तराई में उन्हें जमीन देने को सोचती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जो पहले जमीन थी वह तो करीब-करीब दी जा चुकी है। अब जो नये लोग ऐसे होंगे जो देने के काबिल होंगे और अगर वहां कोई नयी जमीन पड़ी होगी और उसके लिये कहा जायगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि सरकार ने हाल ही में कुमायूं के शिल्पकारों को तराई में २ हजार एकड़ जमीन देने का निश्चय किया है ?

श्री चरणसिंह--यह बात सही है। यह जो जवाब दिया गया है वह गवर्नमेंट स्टेट के सिलसिले में दिया गया है। वह जमीन अन-रिक्लेम्ड थी। बहुत रुपया चाहिये था उसके रिक्लेमेशन के लिये। तो हरिजन और शिल्पकारों के पास इतना रुपया नहीं था, इसलिये उनको वह १०७८ एकड़ जमीन मिलेगी। वैसे गढ़वाल भावर वगैरह और जंगलात में अधिकतर शिल्पकार हैं और गवर्नमेंट ने जो जमीन ली है उसका रकबा १३००० एकड़ बैठता है और कुल मिलाकर १६ हजार एकड़ आता है, जो जमीन गवर्नमेंट लेने वाली है उसको मिला कर।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो भूमिहीन शिल्पकार तराई में बसाये जायेंगे उनको जमीन के अलावा भी सरकार किसी तरह से आर्थिक मदद करेगी ताकि वह वहां अपना मकान बना सकें और खेतीबारी कर सकें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

तराई-भावर के भूमि-हीनों को आबाद करने के लिये भूमि की आवश्यकता

*६--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि तराई-भावर में पर्वतीय प्रदेश के भूमिहीनों को आबाद करने को कोई भूमि नहीं रह गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। तराई भावर में अब कोई ऐसे बड़े जमीन के हिस्से खाली नहीं है जिनको कि इस प्रयोजन के लिये दिया जा सके।

*७--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--यदि हां, तो क्या सरकार और जंगलों को काट कर इन भूमिहीनों को बसाने का प्रबंध करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकार की नीति अब अधिक जंगल काट कर खेती के लिये जमीन देने की नहीं है। परन्तु यदि कोई उचित प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जायगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

*८--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--यदि हां, तो कहां और कब तक भूमि मिलना सम्भव हो हो सकेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि पर्वतीय प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है कि लोगों के लिये भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो क्या सरकार इस के लिये कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जन संख्या सब जगह बढ़ गयी है और पर्वतीय प्रदेश में ज्यादा बढ़ गयी हो, ऐसा नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--मैंने पूछा था कि क्या सरकार इस के लिये कोई तराई भावर में भूमि की व्यवस्था बना रही है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--जवाब दिया जा चुका है । अगर कोई आवश्यकता होगी तो विचार किया जायगा ।

हस्तिनापुर क्षेत्र के बाढ़-ग्रस्तों का सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*९--**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले वर्ष जिला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में बाढ़ से किन-किन गांवों को क्षति पहुंची ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पिछले वर्ष जिला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में १२ ग्रामों में बाढ़ आयी थी । इन गांवों के नाम संलग्न सूची में हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७४ पर)

*१०--**श्री रामजीलाल सहायक**--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस क्षेत्र के कुछ निवासियों ने लगान आदि माफी के सिलसिले में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, इस सम्बन्ध में सरकार के पास एक प्रार्थना-पत्र आया था । जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि उस क्षेत्र में बाढ़ से इतनी हानि नहीं हुई थी कि लगान में छूट दी जाती ।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस क्षेत्र में बाढ़ से कितनी हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह--इतनी हानि नहीं हुई कि जिससे वह किसी इमदाद के या छूट के मुस्तहक हो जाते । ८ आने से कम हुई है ।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ से जो कुछ थोड़ी बहुत हानि हुई है, सरकार ने उस के लिये क्या सहायता दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब उतना नुकसान नहीं हुआ कि जो उनकी बर्दाश्त के बाहर हो, और ऐसा माना गया कि वह नुकसान उनकी बरदाश्त के काबिल था तो इसलिये उनको कोई सहायता नहीं दी गई ।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी हानि होनी चाहिये थी कि जिससे वह सरकार की सहायता पाने के काबिल हो जाते ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--८ आना या ८ आने से अधिक ।

आनेकी परगना, रुड़की में निष्क्रांत सम्पत्ति मानी गयी जमीन तथा उसके लगान की वसूली

*११--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुड़की परगने के आनेकी गांव में कितने एकड़ जमीन निष्क्रांत सम्पत्ति मानी गयी है और उसमें से कितनी जमीन शरणार्थियों को दी गई है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--८०२·७ एकड़ जमींदारी तथा १६४.१ एकड़ में सभी खुदकाश्त निष्क्रान्त सम्पत्ति मानी गयी है। खुदकाश्त वाली जमीन में से ५१·४४ एकड़ जमीन शरणार्थियों को दी गयी है।

*१२--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सच है कि सन् १३५५ से १३५६ तक उस जमीन का लगान काश्तकारों से सरकारी अमीनों ने या पुराने जमींदार के प्रतिनिधियों ने वसूल किया है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

*१३--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सच है कि अब निष्कांत सम्पत्ति के कस्टोडियन काश्तकारों से पुनः पांच साल का लगान वसूल करने जा रहे हैं या कर चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस दोहरे लगान से काश्तकारों को बचाने पर विचार करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार जांच करायेगी कि जिस जमींदार की सम्पत्ति निष्कान्त मानी गयी है वह पाकिस्तान गया ही नहीं?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--गये थे। जांच करने की कोई जरूरत नहीं। फिर लौट आये बाद में।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतलायेगी कि वह निष्कान्ति सम्पत्ति का बड़ा भाग सन् १९४७ के पहले ही वहां के हरिजनों के कब्जे में था।

श्री हुकुमसिंह--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिजनों को उस जमीन से बेदखल करने के लिये कस्टोडियन ने नोटिस जारी किये हैं?

श्री हुकुमसिंह--जांच कराने के बाद मैं ठीक तौर से जवाब दे सकूंगा।

आजमगढ़ जिले में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदमें

*१४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील के जुडिशियल मजिस्ट्रेटों एवं परगनाधीशों की अदालतों में कितने कितने मुकदमें कब से दफा २३२ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार खेतों की वापसी तथा अधिवासियों के विरुद्ध चल रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--३० जून, १९५५ तक आजमगढ़ जिले के प्रत्येक परगनाधीश तथा जुडिशल आफीसर के न्यायालय में १९५० ई० उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २३२ के अन्तर्गत चल रहे मुकदमों की संख्या इस प्रकार है:

न्यायालय का नाम	चल रहे मुकदमों की संख्या
परगनाधीश, सदर	४७
परगनाधीश, मोहमदाबाद	६०
परगनाधीश, घोसी	१
परगनाधीश, लालगंज	८
परगनाधीश, सगरी	७३
परगनाधीश, फूलपुर	५
जुडिशल आफीसर, मोहमदाबाद	२०
जुडिशल आफीसर, घोसी	५०

कुल संख्या २६४ थी ३० जून, १९५५ तक, अब २३२ रह गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मेरा सवाल है उस में एक अंश छोड़ दिया गया है कि कितने मुकदमें कब से ? तो कब से का जवाब इसमें नहीं है ।

श्री चरण सिंह--३० जून, १९५२ के बाद से ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि इतने मुकदमें इतनी देरी से जो अदालतों में हैं उस का क्या कारण है अब तक न फ़ैसल करने का ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--एक तो उधर के जिलों में बाढ़ का खास कारण है । तीन महीने तो अफसरों को बाढ़ में ही लग जाते हैं । तो देर होने का एक खास कारण तो यह दिखलाता है । बाकी और जो कारण होते हैं पार्टीज़ का न आना, कानून में उनको कुछ गुंजाइश है कि उनके प्रार्थना-पत्र मन्जूर किये जायं, इसलिये हो जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलायेगी कि कोई नियम इस प्रकार का है कि इस प्रकार के मुक़दमें कितने दिनों तक अदालतों में बने रहें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, नियम बने हैं । उनके अनुसार इतने दिनों में इतने मुकदमे हो जाने चाहिये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार मुकदमों में देरी लगने वाली कठिनाइयों को देखते हुए ज्यादा जुडिशियल आफिसर्स उन जिलों में भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो बहुत मुकदमें हों, बहुत पुराने हों। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आज़मगढ़ जिले में धारा २३२ जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट के मुकदमें जुडिशिअल मैजिस्ट्रेट्स के यहां भी देखे जाने लगे हैं ?

श्री चरणसिंह--जुडिशियल आफ़िसर्स को असिस्टेंट कलेक्टर्स की पावर्स भी हासिल होती हैं । तो जिनको यह पावर्स हासिल होंगी उनको भेज दिये गये होंगे ।

मऊ तहसील, जिला झांसी में बंधियों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता

*१५--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित) क्या सरकार तहसील मऊ, जिला झांसी में गत वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण जो खेतों की बन्धियाँ टूट गयी थीं और इस कारण खेतों में हो कर नाले पड़ गये हैं, उनके पुनःनिर्माण में सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--गत वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण मऊ तहसील जिला झांसी में १३ बंधियों के टूटने की सूचना मिली थी । इन बंधियों के टूटने से हानि बहुत कम हुई थी, अतः कोई सहायता आवश्यक नहीं समझी गयी ।

मऊ तहसील जिला झांसी में ट्रैक्टर की किस्त माफ करने की प्रार्थना

*१६--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार तहसील मऊ, जिला झांसी में सन् ५३-५४ के अन्तर्गत ट्रैक्टरों से जुती हुई भूमि में ओले-पाले से जो क्षति हुई है उस की पूर्ति के लिये एक साल की ट्रैक्टर की किस्त माफ करने का विचार रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सरकार ने मऊरानीपुर तहसील (झांसी) के ग्रामों में जो कि फरवरी, १९५४ में ओला पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं पहले ही से १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के ट्रैक्टोराइजेशन चार्ज का जो कि १९५३-५४ में देय था स्थगित कर

दिया है। इन किस्तों को दो बराबर किस्तों में रबी १९५६ और रबी १९५७ में वसूल किया जायगा। १९५३-५४ में जो किस्त देय थी उसके माफ़ी पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि उक्त तहसील में दो तीन साल से लगातार ओले, बाढ़ और पाले से फसल बराबर नष्ट हो रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, यह सही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार उक्त कारणों पर विचार करते हुये ५३-५४ की ट्रैक्टर की किस्त माफ करने की कृपा करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जैसा कि अभी सवाल में बताया गया है उस को स्थगित कर दिया गया है तथा उसके सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी लिखा गया है कि वह उसको माफ कर दे। इसकी रकम ३ लाख ९९ हजार आती है, ५३-५४ की। ५४ की जो अगस्त में किस्त होती थी उसमें पानी और बाढ़ से फसल मारी गयी उसके लिये लिखा गया है। ओले वाले मामले की बाबत बाद को रुख मालूम होने पर लिखा जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ५३-५४ में जो ट्रैक्टर्स की जुताई का रेट रक्खा गया था उस में भी भाव को देखते हुये कमी की जायगी?

श्री हुकुमसिंह--उस को केन्द्रीय सरकार कम करने को तैयार नहीं है।

मऊ तहसील जिला झांसी में ओले-पाले, बाढ़ आदि से क्षति

*१७--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील मऊ में कितने गांव ओले पाले व बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुये?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसील मऊ में १७३ गांव ओले-पाले से तथा ४५ गांव बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुये थे।

उरई-जालौन व उरई-कालपी सड़कों पर सरकारी बसें चलाने का विचार

*१८--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार जिला जालौन में उरई-जालौन व उरई-कालपी सड़कों पर सरकारी बसें चलाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। इन मार्गों पर सरकारी बसें चलाने का विचार दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है।

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन में इन सड़कों पर बसें चलाने के लिये जनता के प्रार्थना पत्र उस के पास आये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कुछ प्रार्थना पत्र आये।

नदी गांव, जिला जालौन में लगान की ऊंची दरें

*१९--श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के अन्तर्गत कौंच तहसील के विलीन क्षेत्र नदी गांव के मवाजयात की लगान की दरें बमुकाबले शेष तहसील के मवाजयात की लगान की दरों से विशेष अधिक हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। नदी गांव क्षेत्र में लगान की दरें सन् १९४२ ई० के बन्दोबस्त में जब कि मंहगाई का समय था और लड़ाई चल रही थी निर्धारित की गई थी तहसील की शेष मौजों की लगान की दरें सन् १९०१ ई० के बन्दोबस्त में निर्धारित की गई हैं, जब कि सस्ता समय था।

*२०—श्री चित्तरसिंह निरंजन—उक्त दोनों भागों के circle rates क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दोनों भागों के सरकिल रेट्स (circle rates) की सूचियां प्रस्तुत हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७५—३७६ पर)

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले सन् ४२ के मुकाबले में आजकल की दरें कम हो गई हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां। सन् ४२ की कीमत के मुकाबिले में आज की कीमत कम है लेकिन सन् १९०१ के मुकाबले में कई गुनी है। अगर माननीय मित्र वहां एक छोटे से इलाके नदी गांव क्षेत्र में घटवाना चाहते हैं तो उन्हें यह विचार करना पड़ेगा कि सारे जिले की मालगुजारी शायद बढ़ जाय।

*२१-२२—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—[३० अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इटावा जिले में चकबन्दी के मुआवजे की वापसी

*२३—श्री तुलाराम (जिला इटावा)—क्या सरकार इटावा जिले की सन् १९४५-४६ की चकबन्दी में दिया हुआ मुआवजे का रुपया किसानों को वापिस देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह रुपया वापिस हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने जिलाधीश इटावा को सन् १९४५-४६ की चकबन्दी का मुआवजा वापस देने की आज्ञा दे दी है और मुआवजे का कुछ रुपया जमा करने वालों को वापिस भी दिया जा चुका है। जिलाधीश को अब दोबारा आज्ञा दी जा रही है कि बाकी रुपया भी वह जल्द से जल्द वापिस करवा दे।

श्री तुलाराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मुआवजे का कितना रुपया दिया जा चुका है तथा कितना रुपया देना शेष है ?

श्री चरणसिंह—कुल १,३०० रु० के लगभग है। डेढ़ सौ के करीब दिया जा चुका है, ११ सौ के करीब बाकी है। ७० किसानों का कुल मामला है। श्रीमन् आप की इजाजत से मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, सप्लीमेंट्री उससे शायद कुछ कम हो जायं, पुराने चकबन्दी कानून के मातहत तीन गांवों में चकबन्दी की गई। जाब्ते का दखल भी दे दिया गया फार्मल पजेसन लेकिन आर्डर्स इस तरह से चले गये कि अमलदरामद कागजात में दखल नहीं हुआ और न वाकई दखल की तब्दीली हुई। लिहाजा जिन किसानों के देने के लिये यह ७० किसानों की तरफ से रुपया जमा किया गया था उन्होंने नहीं लिया, तो वह उनको वापस हो जाना चाहिए और वापस हो जायगा।

श्री तुलाराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो रुपया वापस किया गया है वह कब किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब से पहले ही किया गया है। सन् ४८ और ५४ के बीच में।

तरबगंज, जिला गोंडा में टेस्ट वर्क से बनी सड़कों की देख भाल

*२४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में जो टेस्टवर्क से सड़क बनाई गई है उसके रख-रखाव व देखभाल को जिला बोर्ड या सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों में से कौन करेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गत वर्ष तहसील तरबगंज जिला गोंडा में ६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों पर और १ सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर टेस्ट वर्क हुए थे। ये दोनों विभाग अपनी अपनी सड़कों का रख रखाव तथा उनकी देख रेख करेंगे।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो छः सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं, वह कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी।

*२५-२६---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---[१७ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ३३-३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

चकबन्दी आफिसर जौनपुर द्वारा चुने गये कर्मचारियों में हरिजन

*२७---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २६ फरवरी, १९५५ को चकबन्दी आफिसर, जौनपुर ने किन-किन पदों के कर्मचारियों का चुनाव किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---२६ फरवरी, १९५५ तथा अन्य तिथियों पर चकबन्दी अफसर ने अमीनों, लिपिकों, मोटर ड्राइवर, चपरासियों तथा डाक ढोने वालों और अन्य निम्नश्रेणी के कर्मचारियों का चुनाव किया था।

*२८---**श्री बाबूनन्दन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने व्यक्ति उपर्युक्त पदों पर लिये गये और उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कुल जितने व्यक्ति उपरोक्त पदों पर चुने गये तथा उसमें कितने हरिजन हैं उनका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७७ पर)

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २१७ अमीनों में एक भी हरिजन अमीन क्यों नहीं चुना गया, जब कि उनकी दरख्वास्तें उपलब्ध थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अमीनों के लेने में ये आर्डर्स थे कि जितने पुराने पटवारी हैं जो अलहदा हो गये थे उनमें से अच्छे लोग छांट कर रखे जायं। बद किस्मती से उनमें हरिजन नहीं थे, मगर उनकी हालत हरिजनों जैसी हो गयी थी। यह उनके ऊपर रिआयत कर के आर्डर्स दिये गये थे और वही पुराने रक्खे गये थे, इसलिये उनमें से कोई हरिजन नहीं आया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात जरूरी है कि अमीनों की नियुक्ति में कोई टेक्निकल एजूकेशन की भी जरूरत होती है ?

श्री चरणसिंह---दरअसल वे लेखपाल लोग ही हैं और लेखपालों की आवश्यकता थी, लेकिन कंसालिडेशन रूल्स में उनका नाम अमीन रखा गया। आमतौर पर एक तहसील में साढ़े तीन सौ पुराने पटवारी कह लो या लेखपाल कह लो, उनकी और ट्रेन्ड आदमियों की जरूरत है। तो सौ आदमी तो हर तहसील में लगे हुये हैं, ढाई सौ की जरूरत थी। हमने तय किया था कि जो पुराने पटवारी हैं उनको ले लिया जाय बजाय नये आदमियों के लेने के, और चूंकि उनमें हरिजन नहीं थे इसलिये नहीं आ पाये, और जो नये लेखपालों की भर्ती हुई है तो उसमें ५-६ फीसदी उनकी भर्ती हुई भी।

जिलाधीश देवरिया की अदालत में अपील के मुकदमे

*२९---**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)---क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले के जिलाधीश के इजलास में सन् १९५४ सम्पूर्ण और १९५५ के फरवरी

माह तक कितनी अपील के मुकदमे दाखिल हुए? उनमें कितनों के फैसले हो गये और कितने पड़े हुये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस अवधि में १२५ माल की अपीलें तथा ३४ फौजदारी के मुकदमें दाखिल हुये और इन सभी पर निर्णय दे दिये गये हैं।

श्री रामेश्वरलाल--क्या यह सही है कि १९५५ के फरवरी महीने तक कथित मुकदमों के फैसले हो गये थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उत्तर में आप को बताया गया कि १२५ माल के और ४४ फौजदारी के मुकदमो की अपीलें दायर हुई और उन पर निर्णय हो गया।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन मुकदमों के फैसले में कितनी अवधि लगी?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मुकदमों को अलग-अलग बताने के लिये तो दिन भर चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल--क्या यह सही है कि ये जो मुकदमें बतलाये गये हैं उनके फैसलों में जरूरत से ज्यादा समय व्यय हुआ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, क्योंकि यह इससे ही जाहिर है कि जो फरवरी में मुकदमें दर्ज हैं उनके फैसले जून में हो गये हैं, क्योंकि जवाब जून में चला है। हर मुकदमे की तारीख नहीं मालूम है।

जिला जालौन में ट्रैक्टरों द्वारा कांस उत्पाटन

*३०--**श्री बसन्तलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में जिला जालौन में कांस उखाड़ने वाले कितने सरकारी ट्रैक्टर भेजे गये?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जिला जालौन में कांस उखाड़ने के लिये भारत सरकार की केन्द्रीय ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन की १८ ट्रैक्टरों की १ यूनिट भेजी गई।

*३१--**श्री बसन्तलाल**--क्या सरकार को यह मालूम है कि परगना कालपी व परगना जालौन में किन-किन ग्रामों में कितनी जमीन से कांस उखाड़ा गया?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--केवल कालपी परगना में २५-३-५५ तक १२ ग्रामों में ५३४९ एकड़ भूमि से कांस निकाली गयी जिसका विवरण यह है:--

	एकड़
१--परीसा	६००
२--हंसा	८०२
३--फहरामपुर	६९
४--टहारपुर	५१
५--त्रवीना	१२१६
६--मरगायां	२४५
७--नाका	४५३
८--बमहारी खुर्द	१७८
९--कदौरा	४३२
१०--पंडौरा	१५१
११--बड़ा गांव	५३१
१२--मेन्डी	६२१
योग ..	५,३४९

जालौन परगना में अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

श्री बसन्तलाल——क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि परगना जालौन में कांस उखाड़ने का कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह——कालपी का काम बड़ा सख्त था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ये जो ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट आफ़ इंडिया सेन्ट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइज़ेशन से कांस निकालने के लिये आते हैं उनके लिये प्रादेशिक सरकार किस रेट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया को पेमेंट करती है ?

श्री हुकुमसिंह——पहले तो ५५ रुपये था। अब ४० के लिये कहा गया है और उसके बारे में लिखा-पढ़ी हो रही है। अभी कतई तौर से कोई रेट तय नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद)——क्या यह सही है कि कांस के निकालने का सारा खर्च किसानों को देना पड़ता है और उत्तर प्रदेश की सरकार एक पाई भी नहीं देती है ?

श्री हुकुमसिंह——सरकार पाई नहीं देती है, पैसा खर्च करती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह सेन्ट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइज़ेशन से क्यों ट्रैक्टर्स मंगा रही है ? क्या प्रादेशिक सरकार के पास खुद के टैक्टर्स नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह——इतने बड़े हमारे पास नहीं हैं जो इस कांस के निकालने के काम में आयें।

श्री शिवनारायण——क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उसने कुल कितना रुपया कांस की उखड़ाई में खर्च किया ?

श्री हुकुमसिंह——इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी——क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो कांस निकालने का खर्च सेंट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइज़ेशन को दिया जाता है उसमें कितना प्रतिशत यू० पी० सरकार बर्दाश्त करती है और कितना प्रतिशत किसानों से लिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह——इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बसन्तलाल——क्या यह सही है कि कांस उखाड़ने का रेट अधिक होने के कारण ज्यादातर काश्तकार कांस उखड़वाने पर तैयार नहीं हो रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह——अभी तक तो राज़ी थे अब आयन्दा देखें।

कृषि फार्म बेलाताल, जिला हमीरपुर का आय-व्यय तथा अनुसन्धान कार्य

*३२——**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)——क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्म बेलाताल, जिला हमीरपुर पर पिछले तीन वर्षों में कितना प्रति वर्ष व्यय हुआ तथा कितनी उससे आय हुई ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री——कृषि फार्म बेलाताल, जिला हमीरपुर पर पिछले तीन वर्षों का आय तथा व्यय का लेखा निम्नांकित है :——

वर्ष			व्यय	आय
			रु०	रु०
सन् १९५२–५३	..	..	१४,०६८	१०,५२१
सन् १९५३–५४	..	..	१४,८०८	६,२७३
सन् १९५४–५५	..	..	१४,०३९	२,५०६

*तारांकित प्रश्न ३२-३४ श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने पूछे

*३३--श्री तेजप्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म में अब तक कौन-कौन से कृषि संबंधी प्रयोग और खोज के काम किये गये हैं और उनका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस फार्म पर बुन्देलखंड की अवस्थाओं में तिल, अंडी तथा अलसी की विभिन्न जातियों का परीक्षण किया गया है । इनके अतिरिक्त ज्वार और चनें की जातियां भी परीक्षित की गई हैं । अब तक कोई भी जाति वहां की स्थानीय जातियों से निश्चित रूप से अच्छी नहीं प्रतीत हुई हैं ।

*३४--श्री तेजप्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसी योजना हाल ही में बनाई है कि जिससे बुन्देलखंड में ज्वार और बाजरा आदि अन्नों पर प्रयोग और खोज करके इन बीजों को अधिक समुन्नत एवं उत्पादनशील बनाया जा सके ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और वह कैसे, कब तक और कहां कार्यरूप में परिणत की जायेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां । प्रदेशीय कृषि विभाग ने ज्वार के उन्नतिशील बीज के उत्पादन एवं प्रयोग के लिये हाल ही में एक योजना बनायी है । इस योजना का कार्यक्षेत्र बुन्देलखंड ही है । इसके कार्यरूप में परिणत किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तीनों वर्षों में लगातार खर्चा तो वही १४ हजार हुआ है लेकिन आय १०,६ और फिर २ हजार हुई है यानी बराबर घटती गयी है । इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह--कारण यह है कि यह फार्म खोज करने के लिये है, फायदे के लिये नहीं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष यानी जो पहले १० हजार रुपये की आय हुई, फिर ६ हजार रुपया की आय हुई और फिर २ हजार रुपये की आय हुई, तो खर्च तो वही रहा खोज पर, फिर आमदनी में कमी क्यों हुई ?

श्री हुकुमसिंह--यह तो बिलकुल साफ है, पैदावार कम हुई ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यहां आय भी कम होती जाती है और जो परीक्षण किया जाता है वह भी सफल नहीं होता है तो क्या सरकार इस फार्म को बन्द कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--अभी क्रास ब्रीडिंग करायेंगे तब देखेंगे कि सफल होता है या नहीं होता है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की इन्क्वायरी करायेंगे कि इस फार्म की पैदावार हर साल घटती क्यों जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसकी पैदावार हर साल जो इसमें घटती दिखलायी पड़ती है उसकी वजह यह है कि वहां जो बीज पैदा होता है वह मुख्तलिफ अफसरों और मुख्तलिफ जगहों को भेज दिया जाता है जिसकी वसूली में कभी-कभी देर हो जाती है । जो १० हजार रुपये की आय दिखलायी गयी है उसमें पिछली वसूली भी शामिल है, फिर ६ हजार रु० है, इसी वजह से आय में फर्क दिखलायी पड़ता है ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन अफसरों के यहां सामान भेजा जाता है उस की वसूली वह शीघ्रातिशीघ्र करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसकी जरूर कोशिश की जायगी और की जा भी रही है।

भूमि आपरीक्षण तथा भूमि अध्ययन योजना की प्रगति

*३५--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि मिट्टी की जांच व इस कार्य की योजनाएं उत्तर प्रदेश में किस-किस जगह कार्यान्वित हो रही हैं तथा इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस प्रदेश में भूमि आपरीक्षण तथा भूमि अध्ययन की एक योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, झांसी, जालौन, बरेली, उन्नाव, और गोरखपुर जिलों में कार्य समाप्त हो चुका है और इस समय आगरा, लखनऊ, बलिया, बांदा और लखीमपुर जिलों में कार्य हो रहा है।

२--इस योजना की अब तक की प्रगति का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह मिट्टी में एक्सपेरीमेंट्स हो रहे हैं तो उसका फायदा हमारे यहां के किसानों को कब होगा ?

श्री हुकुमसिंह--जब आखिरी नतीजा बरामद हो जायेंगे तब किसानों को फायदा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या इस संबंध में जांच किसी पर्वतीय जिले में भी हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जिले के नाम इसमें दे दिये गये हैं, पहाड़ी ज़िला शायद अभी इसमें कोई नहीं है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षण किये हुये जिलों में जो अनुभव प्राप्त हुये हैं उसके आधार पर उसी प्रकार के किसान अपनी जमीन पर फसल उगायें उसमें सरकार की क्या नीति है ?

श्री हुकुमसिंह--अभी फाइनल रिजल्ट्स बरामद नहीं हुये हैं। अभी तो डिफरेंट स्टेजेज पर ऐक्सपैरीमेंट हो रहे हैं, जब फाइनल रिजल्ट्स बरामद हो जायेंगे, तब कुछ कहा जा सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्वायल के ऐक्सपैरीमेंट्स कितने वर्षों से हो रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--ऐक्सपैरीमेंट्स तो हमेशा होते रहते हैं। यह साधारण बात नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाय। जब तक फाइनल रिजल्ट्स कतई तौर पर बरामद नहीं होंगे तब तक ऐक्सपेरीमेंट्स होते रहेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय जिलों में भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह——अवश्य करेंगे, कोई जिला आखीर तक छोड़ेंगे नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फायनल रिजल्ट्स का अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह——अगर यही मालूम हो जाता तो मैं बतला देता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच बहराइच में पूरी हो गई है ?

श्री हुकुमसिंह——अभी शुरू नहीं हुई।

प्रदेश में मधुमक्खी-पालन की प्रगति

*३६——**श्री रामहेत सिंह**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मधुमक्खी पालन का कार्य कहां-कहां पर हो रहा है तथा इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी——मधु मक्खी पालन का कार्य अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल (पर्वतीय प्रदेश) तथा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और उन्नाव (मैदानी प्रदेश) में किया जा रहा है।

इस कार्य की प्रगति के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७९–३८० पर)

श्री रामहेत सिंह——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में ७३३ पौंड ४ औंस शहद निकला और ५३-५४ में ४९० पौंड १० औंस ही निकला, इस कमी का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह——मैदानी इलाकों में बन्द कर दिया था इसी वजह से ?

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या सरकार प्रदेश में मधु मक्खी पालन को बढ़ाने के लिये किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह——द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने रखा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मधु मक्खी पालन में सरकार क्या-क्या सहायता जनता की कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह——उनको एक्सपर्ट्स ओपीनियन देते हैं, इसकी ज्योलीकोट में ट्रेनिंग देते है। कहीं-कहीं माली सहायता भी देते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ज्योलीकोट में जो शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर सरकार क्या बीहाइव भी बेचती है ?

श्री हुकुमसिंह——इस वक्त मैं इसको ठीक नहीं कह सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष योजना क्या रखी है ?

श्री हुकुमसिंह——इसमें दो लाख रुपये का खर्चा रखा है इसकी रूप-रेखा मैं नहीं बतला सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन मधुमक्खियों का उत्पादन जो मैदानी इलाके में रोक दिया गया है वह इसलिये रोक दिया गया है कि मधु कम उत्पन्न हुआ तो इसका क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह--यहां पर वह ठीक चला नहीं।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि मधुमक्खी का पालन प्रांत में फैलाने के रास्ते में क्या-क्या अड़चनें हैं ?

श्री हुकुमसिंह--उसमें अभी सहयोग देने वाले लोगों की कमी है।

जिला देवरिया में सरकारी मोटर गाड़ियों का प्रयोग तथा उन पर व्यय

*३७--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया जिले में सरकारी मोटर गाड़ियां कितनी और किसके पास हैं तथा १९५२-५३ और १९५३-५४ में इन मोटर गाड़ियों पर पेट्रोल मरम्मत तथा ड्राइवरों पर अलग-अलग कितने रुपये व्यय हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--देवरिया जिले में सरकरी गाड़ियों की संख्या और वे किस किसके पास हैं तथा ५२-५३ और ५३-५४ में उन गाड़ियों पर पेट्रोल, मरम्मत तथा ड्राइवरों पर अलग-अलग कितने रुपये व्यय हुये हैं, उसकी सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८१-३८५ पर)

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गाड़ियों का किस प्रकार से प्रयोग हो और पेट्रोल और मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ है इसकी जांच-पड़ताल की व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इन गाड़ियों के सिलसिले में रूल्स बने हुये हैं और उन रूल्स के मुताबिक ही काम होता है। अगर किसी के बारे में माननीय सदस्य को शिकायत हो और वह बतलायें तो उसकी जांच स्पेशल तरीके से की जा सकती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतलायेगी कि सरकारी अफसर इन सरकारी गाड़ियों को अपना पेट्रोल डालकर सिनेमा ले जा सकते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो देवरिया के जिलाधीश को तीन गाड़ियाँ लिखी गयी हैं उनमें से दो बाढ़ और अकाल का कार्य करने के लिये लिखी गयी हैं तो क्या उनको इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष ये बाढ़ और अकाल के काम में नहीं लायी गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि कुछ सदस्यों ने भी इस बात की शिकायत की कि वहां पर जो फैमिन के इंजीनियर हैं या दूसरे दीगर लोग जो काम करते हैं उनको सवारी की कमी है और उनके लिये सवारी की कमी होने की वजह से जो टेस्ट वर्क वहां पर चल रहा था उसकी निगरानी वह ठीक तरीके से नहीं कर पाये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई शिकायत मेरे पास फाइल में नहीं है यह जो गाड़ियां दी गयीं थीं वह डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को और उनके जो सबार्डिनेट थे उनके काम के लिये दी गयी थी और उसी काम में वह इस्तेमाल हुईं।

शरणार्थियों के मुआवजे की अदायगी

*३८--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९५५ तक प्रांत में शरणार्थियों के कितने प्रार्थना-पत्र claims settlement (मुआवजे) के लिये आये हैं और कितनों की अदायगी की जा चुकी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--शरणार्थियों के मुआवजे की अदायगी का कार्य रीजनल सेटिलमेंट कमिश्नर यू० पी० के द्वारा केंद्रीय सरकार की देखरेख में होता है। प्रदेशीय सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है अतः मांगी हुई सूचना की सामग्री प्रदेशीय सरकार को उपलब्ध नहीं है।

श्री तेजासिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना केंद्रीय सरकार से मंगाने की कृपा करेंगे ताकि उनको पता चले कि इस विषय में क्या प्रगति प्रांत में हुई है ?

श्री हुकुमसिंह--उसके बारे में जवाबदेही प्रदेशीय सरकार की नहीं है। केंद्रीय सरकार का उससे संबंध है।

श्री तेजासिंह--क्या सरकार केंद्रीय सरकार से सूचना मंगवाने की कृपा करेगी ताकि यह उनके सामने रहे कि क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह--मैं कोशिश करूंगा।

कृषि रक्षा सेवा-कार्यालय रानीखेत में फसलों के कीड़ों की रोक-थाम की व्यवस्था

*३९--**श्री खुशीराम** (जिला अलमोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों, अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल में अनाज और आलू को नुकसान करने वाले कीड़े पैदा हो गये हैं ? यदि हां, तो उनको नष्ट करने वाली दवा कहां-कहां से और कैसे किसान वर्ग को मिल सकेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--हाल में सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह मालूम हो कि पर्वतीय जिलों में अनाज व आलू को नुकसान करने वाले कीड़े पैदा हो गये हैं। हां, अलमोड़ा नैनीताल, गढ़वाल में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े पैदा हुआ ही करते हैं। कृषि रक्षा सेवा कार्यालय जिसका सदर मुकाम रानीखेत (जिला अलमोड़ा) में है, इन कीड़ों की रोकथाम के लिये यथासंभव व्यवस्था करता है तथा कृषकों को परामर्श देता है तथा किसान वर्ग इस कार्यालय से पूरी-पूरी सहायता व जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री खुशीराम--पर्वतीय जिलों में नुक्सान की सूचना देने वाला कौन विभाग है ?

श्री हुकुमसिंह--जिले के एग्रीकल्चर आफीसरों और किसानों को देना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना समझ कर जिले अल्मोड़ा के लिये दवाई का प्रबन्ध करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--रानीखेत में इसका प्रबन्ध है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--रानीखेत का प्लांट प्रोटैक्शन आफीसर कितने जिलों की देखभाल करता है ?

श्री हुकुमसिंह--जवाब में बताया गया है कि तीनों जिलों की।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उसके पास आजकल कितना स्टाफ है ?

श्री हुकुमसिंह--स्टाफ कम है, इसमें शक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पिछले वर्ष इस सदन में सरकार ने कहा था कि आलू के कीड़े मारने की एक योजना एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल के पास भेजी गई है, उस योजना का क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह--उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया।

उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन वृद्धि की योजना

*४०--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन को बढ़ाने के लिये अब तक क्या हो सका है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस प्रदेश में १९५१-५२ के पहले ४० जूट विकास केंद्र १६ जिलों में कार्य करते थे। सन् १९५१-५२ में २० केंद्र और खोले गये और १९ जिलों में कार्य हुआ। सन् १९५२-५३ में १० केंद्र और खोले गये तथा इसका कार्य २० जिलों फैल गया।

सन् १९५२-५३ में जूट का भाव इतना गिरा कि किसानों ने बोवाई कम करदी जिसके कारण ५ विकास केंद्र कम करने पड़े।

पिछले साल १९५४-५५ में फिर भाव अनुकूल रहा है और बोआई अच्छी हुई और अब इसका कार्य २५ जिलों में हो रहा है।

रेशे की उत्तमता व प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये भी कार्य किया जा रहा है।

*४१--श्री गेंदासिंह--जूट की उचित कीमत किसानों को मिल सके इसके लिये सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जूट का भाव अन्तर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर रहता है इस साल भाव अनुकूल है अतः यह समस्या सामने नहीं है।

श्री गेंदासिंह--प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना जूट उत्तर प्रदेश को पैदा करना था और उसमें से कितना इस समय तक पैदा हो सकता है?

श्री हुकुमसिंह--मेरे पास आंकड़े इस समय नहीं है। नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कुछ और जिलों में ऐसे केंद्र खोलने पर विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह--काफी जिलों में अब हमारा काम हो रहा है।

श्री गेंदासिंह--क्या कुछ और जिलों में जहां काम शुरू नहीं हुआ है उनमें कुछ केंद्र खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह--जी हां।

श्री गेंदासिंह--जो केंद्र खोले गये हैं उनमें से क्या कुछ के बारे में यह शिकायत है कि यह नहीं चलाये गये?

श्री हुकुमसिंह--५ तोड़े गये जहां काम ठीक नहीं चला।

श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार जूट बोने वालों को अग्रिम तकावी देने पर विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह--किसी किसान ने तक़ावी नहीं मांगी है। जब फ़ायदा देखते हैं तो खुद ही काम करते हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार किसानों की सहूलियत को देखते हुये जूट खरीदने के कोई केन्द्र खुलवाने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह--ऐसा हमारे सामने अभी कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--५ केंद्र जो तोड़े गये हैं वे कहां-कहां थे?

श्री हुकुमसिंह--इस समय नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या बाढ़-क्षेत्रों में जूट की खेती करने के लिये सरकार अनिवार्य व्यवस्था कर रही है?

श्री हुकुमसिंह--ज्यादातर बाढ़ के इलाके में ही यह काम है, देवरिया, बहराइच, पीलीभीत, खीरी वगैरह में है और ये सब बाढ़ के ही इलाके हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार यह देखते हुये कि जिस जूट की यू० पी० में कम कीमत मिलती है उसकी बंगाल में अधिक मिलती है, कोई मार्केटिंग की सुविधा देने पर विचार करेगी?

श्री हुकुमसिंह--मैं इस प्रश्न को सोच रहा हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार गांवों को जूट सड़ाने के लिये गड्ढा खुदवाने के लिये कोई सहायता भी देती है?

श्री हुकुमसिंह--अच्छा बीज देते हैं खाद्य का प्रयोग उन्हें बताते हैं। रेशा ठीक से निकालने की ट्रेनिंग देते हैं और बातें भी होती हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल--मेरा सवाल यह था कि जूट के डंठल सड़ाने को सरकार कुछ सहायता देती है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह--कोई १५० गढ्ढे बन चुके हैं और १५०,२०० के करीब और बनेंगे।

अतारांकित प्रश्न

स्टाकमैन केन्द्र रामगढ़, जिला मिर्जापुर का उन्मूलन

१--**श्री राम स्वरूप**--क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि स्टाकमैन केंद्र, रामगढ़ जिला मिर्जापुर क्यों तोड़ दिया गया?

श्री हुकुम सिंह--विभाग में स्टाकमैनों की कमी के कारण इस केंद्र को तोड़ना पड़ा था। इस वर्ष एक स्टाक मैन को रामगढ़ में नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि शुक्रवार के राज श्री राज नारायण जी ने एक अविश्वास का प्रस्ताव श्री सम्पूर्णानन्द जी और उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर पेश करने की इजाजत मुझसे मांगी थी और दो मिनट पहले उस प्रस्ताव की नोटिस मेरे सचिव के पास भेज दी थी। तो उस पर निर्णय देने का मुझे समय उस वक्त नहीं मिला था। मैंने उसको पढ़ा और बड़े गौर से पढ़ा। मेरा स्पष्ट मत है कि जो प्रस्तावों के संबंध में नियम हैं वे वही हैं जो संकल्प के संबंध में हुआ करते हैं यानी रेजोल्यूशन और मोशन के लिये दोनों के लिये तरीका एक ही होता है कि इस तरह से संकल्प इन शब्दों में या इस प्रकार के शब्दों में होना चाहिये। यह नियम हमारे यहां के नियमों में ७९ है। मैं देखता हूं कि उस नियम का पालन इस प्रस्ताव के उपस्थित करने में नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी भाषा प्रस्ताव के रूप में जैसी होनी चाहिये

वैसी नहीं है। दूसरे मैंने यह भी देखा कि प्रस्ताव में बहुत से कारण दिये हैं जिनकी वजह से मिनिस्ट्री के ऊपर अविश्वास उत्पन्न होना दिखलाने का प्रयत्न किया गया है; और वे कारण ऐसे हैं जिनको मैं उचित नहीं समझता कि सदन के सामने पढ़ूं क्योंकि प्रस्ताव में यह भी कारण बताया गया है कि इस आदरणीय सदन ने, जो यहां पर विधेयक उपस्थित होने पर अधिनियम पास किये हैं वे भी लांछनीय हैं। जिस प्रस्ताव में सदन के कार्य पर लांछन हो या सदन के ऊपर अविश्वास प्रगट होता हो, तो यदि सदन की प्रतिष्ठा मुझे रखनी है, ऐसे प्रस्ताव को सदन में लिये जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अविश्वास में ऐसी भी चीजें बतलाई गई हैं जिससे यह ध्वनि निकलती है मानो सरकार के हुक्म से सदन चलता हो। यह भी सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है कि यह कहा जाय कि सरकार जो हुक्म दे वैसे ही कानून पास हो जाता है। तो इस तरह की बातें इस प्रस्ताव में आई हैं। तो इस दृष्टि से भी मैंने देखा कि वह अवैध है, जहां तक उस का फार्म, या उस का विषय या मैटर है।

दूसरे इस विषय में यद्यपि मुझे अधिक जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं संकेत करना उचित समझता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि विरोधी दल के नेता या दूसरी पार्टियों के सदस्यों से इस तरह के प्रस्ताव को लाने के बारे में माननीय प्रस्तावक ने सलाह नहीं ली है। एक दफा वह इस प्रकार का प्रस्ताव और लाये थे उस वक्त वह विरोधी दल के नेता थे। आम तौर पर विरोधी दल के नेता वही होते हैं जो विरोधी दल के बहुमत दल के नेता हों और सब जगह विधान सभाओं और पार्लियामेंट में प्रथा है कि इस तरह के प्रस्ताव बहुत जिम्मेदारी के साथ आने चाहिये क्योंकि उस में अगर सरकार हार जाती है तो दूसरी सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसी को ओढ़ना पड़ती है। यह नहीं होता कि अचानक कोई मेम्बर खड़ा हो कर इस तरह का प्रस्ताव ले आये इसलिये प्रथा है कि आम तौर पर इस तरह के प्रस्ताव विरोधी दल के नेता ही लाते हैं क्योंकि विरोधी दल में उन्हीं को बहुमत प्राप्त होता है और अगर दूसरे लोग भी लाते हैं तो कम से कम दूसरी पार्टियों से सलाह कर लेते हैं कि कौन उन के साथ सहमत है? हमारे यहां दुख की बात है कि इस तरह का कोई नियम नहीं है। जो नियम १४६ है उस को मैंने गौर से पढ़ा, उस में उन्होंने एक रोकटोक रक्खी है कि अगर अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अवैध पाये तो पढ़कर सुना दे और देख ले कि उस के साथ कौन सदस्य सहमत हैं और वह सदस्य जो सहमत हों वह अपने स्थान पर खड़े हो कर बतलायें, तो उस से पता लग जाता है कि प्रस्ताव जिम्मेदारी के साथ आया है या नहीं? एक दो या दस पांच सदस्य खड़े होते हैं तो समझा जाता है कि सदन की अनुमति नहीं है लेकिन अगर पंचमांश या पांचवां हिस्सा सदस्यों का खड़ा हो जाता है उस की सपोर्ट में तो समझा जाता है कि अनुमति मिल गई। यह एक तरीका अब तक नियमों में रहा है। खैर, ज़ब तक यह नियम है तब तक हम उस के अनुसार कार्य करने में बाध्य हैं लेकिन मैंने इशारा इसलिये कर दिया कि नियमों में संशोधन करने के लिये जो कमेटी सदन की बैठी है वह इस पर विचार कर ले कि इस संबंध में भविष्य में कैसे नियम होने चाहिये। जो प्रथा दूसरी जगह की है वह मैंने बतला दी। यह तो है ही कि इस तरह के प्रस्ताव जिम्मेदारी के साथ ही आ सकते हैं। इतना मैं इशारा किये देता हूं कि वर्तमान नियम के अनुसार ही मुझे तब तक कार्यवाही करनी होगी। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, मैंने उस की जो फार्म और शक्ल है और जो उस का विषय दिया हुआ है उसको देखते हुये उस को अवैध करार दिया है और उस को पेश करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे निवेदन यह करना है कि आपने जहां तक फार्म आदि की व्यवस्था दी, उस संबंध में मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को दूसरे फार्म में भी आप की राय से लाया जा सकता है। इसी सदन में श्री मोहन लाल गौतम के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था और उस समय जो प्रस्ताव का फार्म था, और जिस पर आप की सहमति थी, उसी फार्म में इस प्रस्ताव को भी लाने की कोशिश की गई है।

श्री अध्यक्ष--उस के ऊपर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप को उस के संबंध में कुछ कहना है तो आप मेरे कमरे में आयें। इस समय सूचना देने का कोई स्थान नहीं है। आप को अब में

[श्री अध्यक्ष]
इजाजत नहीं देता, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे फैसले पर आप किसी प्रकार की टीका या इशारा नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, दूसरी बात आपको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे फैसले के ऊपर आप किसी किस्म की टीका या कोई भी उसके ऊपर तकरीर नहीं कर सकते। आपको इस बात के लिये कुछ कहना है या कोई प्रस्ताव लाना है या सलाह मुझसे लेनी है तो उसके लिये यह स्थान नहीं है। यहां सदन में बैठकर यदि आप कोई कार्य करेंगे तो मुझे सदन के नियमों का पालन कराना पड़ेगा।

श्री राजनारायण--दूसरी व्यवस्था के लिये मुझे आपसे निवेदन करना है। लेकिन जहां तक इस बात का प्रश्न है कि दूसरे दलों से हमने इस संबंध में सहमति ली है या नहीं तो जो विरोधी दल के चीफ ह्विप यहां बैठे हुये हैं उन्होंने मुझे बताया . . .।

श्री अध्यक्ष--यह बात मुझसे गेंदासिंह जी ने स्वयं कही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि आप बाद में जो कुछ चाहें करें लेकिन वह बात उस वक्त की थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न और है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन का भी और और सदनों का भी नियम यह रहा है कि माननीय अध्यक्ष यदि कोई रूलिंग दे दें और उनके सामने प्रमाण पेश किये जायं और उन्हें संतुष्ट कर दिया जाय तो वे अपनी रूलिंग को बदल सकते हैं तो क्या आप ऐसी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यदि नियम यह रहा है तो कमरे में आकर आप मुझसे कह सकते हैं, यहां आप बहस नहीं कर सकते हैं। आप मेरे कमरे में कभी भी आ सकते हैं और अगर आपकी बात ठीक हुई और आवश्यक हुआ तो रूलिंग बदली भी जा सकती है।

श्री राजनारायण--तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचना दिये देता हूं कि मैं कल फिर अविश्वास का प्रस्ताव लाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--यह सूचना देना इस समय गलत है और न यह नियमों के अनुसार है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उन्होंने अन्य दलों की सहमति ले ली है। मैं सूचना के लिये बतला देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव देने के बाद हमारी राय चाही थी।

श्री अध्यक्ष--इसकी कोई बहस नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि प्रस्तावक महोदय कोई नियम-कायदा न मानते हों तो उनके लिये कोई रास्ता आप कृपा करके बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--मेरा काम सलाह देने का नहीं है मुझे तो आज्ञा देने का और उसे मनवाने का अधिकार है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने हमारे दल से कोई राय नहीं ली।

गोआ सत्याग्रह में श्री जगन्नाथसिंह, एम० एल० ए० के घायल होने के विषय में सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, पिछले बुधवार को मुझसे कहा गया था कि इस सदन के सदस्य माननीय जगन्नाथ सिंह जी, जो सत्याग्रह में शरीक होने के लिये

गोआ गये थे उनके बारे में जानकारी हो वह सदन के सामने उपस्थित करूं। हमने बम्बई सरकार से इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त की है वह मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखता हूं। कुछ और सत्याग्रही जगन्नाथ सिंह जी के साथ १३ अगस्त को बेलगांव पहुंचे। फिर १४ अगस्त को वे लोग, मजाली नाम की एक जगह है, वहां पहुंचे। वहां से १५ अगस्त को जगन्नाथ सिंह जी और उनके साथी ११ बजे दिन में गोआ में दाखिल हुये लेकिन वहां किसी वजह से वे रास्ता भूल गये और फिर लौट आये। लेकिन तीसरे पहर फिर गोआ गये। १६ तारीख को वहां उन्हें रोका गया। इसके बाद पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया। इस संबंध में श्री जगन्नाथ सिंह जी को थोड़ी चोट आई, क्या चोट आई इसका ब्योरा नहीं है। वे करवार अस्पताल में दाखिल हुये लेकिन १७ तारीख को अस्पताल से चले आये। जहां तक बम्बई सरकार को सूचना है वे वहां से उत्तर प्रदेश के लिये रवाना हो गये हैं। इसके आगे फिर खबर नहीं मिल सकी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या आपके उत्तर प्रदेश के जो सत्याग्रही गोआ में गये हैं, यदि सरकार को यह मालूम हो कि वे वहां अस्पताल आदि में पड़े हैं या उनके दवा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हुई है तो क्या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से हो सकेगी? श्री रामनरेश सिंह जी हमारे यहां के एक जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे। इस पत्र में यह लिखा है कि वे वहां बेलगांव अस्पताल में पड़े हैं और उनके हाथ की हड्डी टूट गई है।

श्री अध्यक्ष--क्या वे इस सदन के सदस्य हैं?

श्री राजनारायण--वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन यदि हमारे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो....।

श्री अध्यक्ष--पहले आप अपने प्रश्न का जवाब ले लें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, कुछ जाब्ते की बात तो है नहीं। हमारे प्रदेश का आदमी होगा और तकलीफ में होगा तो किसी न किसी तरह से उसकी मदद करने की कोशिश जरूर की जायगी।

*उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४
†खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (घ) की द्वितीय पंक्ति में "जो" के स्थान पर "जिससे" रख दिया जाय और "संभवतः हानिकारक" के स्थान पर शब्द "हानि होने की संभावना हो" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कई शाब्दिक त्रुटियां रह गई हैं जिससे जो मंशा है इस धारा के रखने की वह साफ नहीं हो पाती। मैंने जो संशोधन रक्खा है, उससे इसकी मंशा साफ हो जाती है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--अध्यक्ष महोदय, इससे मानी साफ हो जाते हैं इसलिये यह स्वीकार है।

---

* २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† १९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (घ) की द्वितीय पंक्ति में "जो" के स्थान पर "जिससे" रख दिया जाय और "संभवतः हानिकारक" के स्थान पर "हानि होने की संभावना हो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

आदेश प्रचारित करने का अधिकार।

४--(१) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उसके पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा--

(क) आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि, नाशक कीट, पौधे अथवा पेंधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे तथा ;

(ख) किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से न कम हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायेगा ;

(ग) वह क्षेत्र तथा अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें खंड (क) में निर्दिष्ट उपाय कार्यान्वित किये जायेंगे ;

(२) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र (locality) में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस संबंध में की गई घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना (notice) समझी जायगी ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे ख्याल में खंड ४ पास हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--नहीं हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "जिला" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट" रख दिया जाय ।

यह परिभाषा का सवाल है। परिभाषा में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" लिखा हुआ है "जिला मैजिस्ट्रेट" नहीं लिखा हुआ है। इसलिये परिभाषा के शब्दों को वैसा ही रखना चाहिये

जैसा कि परिभाषा में लिखा गया हो। अगर परिभाषा में "जिला मैजिस्ट्रेट" होता तो कोई आपत्ति न होती। जिला मैजिस्ट्रेट शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल परिभाषा के शब्दों से है। इसलिये जैसा कि परिभाषा में है "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" होना चाहिये।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह स्वीकार है कि "जिला" के बजाय "डिस्ट्रिक्ट" होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "जिला" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति ६ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर" रख दिये जायं।

श्रीमान्, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर रखें। तात्पर्य यह है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर खेती बाड़ी संबंधित चीजों को अच्छी तरह से जानता है और इसमें यह आवश्यक है कि जो आफिसर मुकर्रर किया जाय वह खेतीबाड़ी का ज्ञान अवश्य प्राप्त किये हुये हो। इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर रखने का यह प्रस्ताव रखा गया है। आशा है कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय एग्रीकलचरल आफिसर का होना बहुत नामुनासिब होगा। एग्रीकल्चरल आफिसर सिर्फ एग्रीकल्चर की बाबत जानता है। उसके मुताल्लिक वह अपनी सलाह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे ही देगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने और परिस्थितियां भी होती हैं। उन सभी को सामने रखकर वह फैसला करेगा। अगर एग्रीकलचरल आफिसर रख दिया जायगा और उसकी वजह से और नुक्सान पहुंच रहा हो तो वह नहीं जान सकता है। इसलिये जिला मैजिस्ट्रेट के ऊपर रखा गया है और वह जिले का सबसे जिम्मेदार अफसर भी होता है। उसी के सुपुर्द किया जाना चाहिये। इसलिये यह संशोधन मंजूर नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, जहां तक मैं समझता हूं यह जो विधेयक है वह अवश्य पूरे प्रान्त के लिये है। जो खेती-बारी में कीट वगैरह लगते हैं उनका निकायों और जिला से भी संबंध है। जिले से एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ही संबंध होता है। दूसरे जिले से उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर एक जिले से दूसरे जिले को कीटाणुओं का हमला होता है तो जिले के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर और दूसरे अधिकारी या जिले के रहने वाले ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर ही उपयुक्त होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उसी को रखें। वैसे उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिक्कत और है। हर जिले में एग्रीकल्चरल आफिसर है भी नहीं। अगर एग्रीकल्चरल आफिसर रखेंगे तो यह भी दिक्कत सामने आयेगी।

श्री अध्यक्ष—क्या आप वापस लेते हैं?

श्री रामेश्वरलाल ने सर हिला कर सकारात्मक उत्तर दिया।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "रहता हो" और शब्द "आदेश" के बीच में शब्द "गांव सभा की सलाह से" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, यह जो विधेयक का ४ (ख) है वह इस प्रकार है--

"किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करें"

इसमें केवल यह बढ़ा दिया गया है "गांव सभा की सलाह से"। यह अंदेशा है कि कुछ लोगों के साथ इस तरह से जो १८ वर्ष से ज्यादा के हों ज्यादती हो सकती है, या कुछ ऐसे भी लोग आ जायं जो काम करने की सामर्थ्य न रखते हों। इसलिये गांव सभा की सलाह रखी गयी है। उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--माननीय सदस्यों को तो यह मालूम ही है कि गांव सभा की बैठक आसान नहीं हुआ करती। बहुत मुश्किल से गांव सभा की बैठक होती है। अगर "गांव सभा की सलाह से" कर दिया जाय तो उससे बहुत नुकसान पहुंचने का अन्देशा है। टिड्डी वाला जो कानून बना है उसमें फौरी कार्यवाही रखी गयी है, यह विधेयक भी उसी नमूने पर बनाया गया है। इसलिये यह मुनासिब नहीं होगा कि "गांव सभा की सलाह से" बढ़ाया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, यह जो संशोधन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और आप को और सदन को मालूम होना चाहिये कि यह संशोधन बहुत पहले ही से दे दिया गया था। इस विधेयक में जिलाधीश को इतना ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है कि वह जिस क्षेत्र को चाहे वहां के लिये आदेश कर सकता है। और जो यह संशोधन है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश देने पर एक प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी आदेश दे वह आदेश गांव सभा की सलाह लेकर के दे। मैं यह समझने में असमर्थ हो रहा हूं कि क्यों माननीय कृषि मंत्री गांव सभा की सलाह लेना अवांछनीय समझते हैं। माननीय कृषि मंत्री को तो इस संशोधन से प्रसन्न होना चाहिये था और बहुत ही खुशी के साथ उनको इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये था। क्योंकि श्रीमन्, इस सदन में जब चर्चा होती है तो बार-बार जनतंत्र और बार बार विकेंद्रीकरण आदि का नाम ले लिया जाता है। आजकल श्रीमन् हम लोग इतने आदी हो गये हैं निर्गुण की उपासना करने के कि जितनी निर्गुण बातें होती हैं उनके पक्ष में रहते हैं लेकिन जब उसको सगुण रूप में लाना पड़ता है, सक्रिय रूप में लाना पड़ता है कि जनतंत्र के क्या माने होते हैं, जनतंत्र कहेंगे किसे? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहेंगे? तो शब्द में जब मतलब पहनाने की बात आती है तो वहां पर कांग्रेस प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज में प्रत्यक्ष अन्तर दिखलाई पड़ने लगता है।

मैं यहां फिर कहना चाहता हूं कि यदि सरकार सही माने में जनतंत्र में विश्वास करती है, तो उसे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। जनता भी अपना हित और अनहित देख सकती है और इसलिये सरकार को इस संशोधन को मामले में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिये। सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया कि गांवसभा की सलाह लेना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये क्यों जरूरी नहीं है। क्या श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को महात्मा गांधी के उस कथन की याद दिलाऊं जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि इस अंग्रेजी राज्य में एक एक कलेक्टर गवर्नर बना हुआ है। तो कलेक्टर के हाथ इतने मजबूत किये जा रहे हैं, कलेक्टर के हाथ में इतने ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं और तब भी यह सरकार कहती है कि वह जनता और जनशक्ति में विश्वास करती है। यह आत्मप्रवंचना है और धोखा है और अपने को धोखे में रखना है, सदन को धोखे में रखना है और समाज को धोखे में रखना है। मैं श्रीमन्, निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार धूल की वर्षा करती चली जा रही है और लोगों की, धूल की वर्षा करके आंख बन्द रखना चाहती है।

श्री अध्यक्ष--इसी संशोधन पर चलिये ।

श्री राजनारायण--जी, श्रीमन् । जो संशोधन है उसी संशोधन पर मैं पुनः जोर दे कर कहना चाहूंगा कि हर हालत में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गांव सभा की सलाह लेना जरूरी कर दिया जाय । अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गांव सभा की सलाह नहीं लेगा तो मैं आप से कम से कम अपने बारे में सफाई के साथ बता सकता हूं कि मेरे खेत में हर समय कीटाणु लगते रहते हैं और एसे लोग जो इस सरकार के विरुद्ध होंगे, जो इस सरकार को सक्रिय रूप से और ... से चाहते होंगे कि यह पलट जाय, इसका खात्मा हो, यह जनहित में काम नहीं ... उन पर यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तरह-तरह के आदेश देते रहेंगे । पंचायत ... संशोधन हुआ है उसके द्वारा जो गांव सभायें हैं यहां, उनके भी अधिका... उनके अधिकार छीने गये हैं, और जो सही मानों में राम राज्य ... किया गया है । तो मैं यह चाहूंगा कि जब यह संशोधन ... जाय तो माननीय मंत्री जी इस संशोधन को बिना देर किये ... करें । यदि माननीय मंत्री जी में तनिक भी, जनतंत्रात्म... वे इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे ।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महो... "गांव सभा की सलाह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी ... आदेश दे" वह इस लिये रखा था कि किसी भी ... वह सरकार पर वह आरोप लगा सके कि सरकार के ... के रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादती ... माननीय मंत्री जी ने जवाब देते समय यह बतलाया ... होती है । उत्तर प्रदेश की सारी पंचायतों का यह ... चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का भ्रम है, गांव सभ... हो सकता है कि कुछ लोग अपनी कार्यवाही छिपाने के ... ऐसा हो सकता है कि बैठक न हो सके ।

दूसरी बात से मुझे आश्चर्य है कि थोड़ी सी ब... जाती । श्रीमन्, कोई बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्... गांव वाले लोगों को आदेश दिया जाय तो वह काम ... और उनकी राय से यह काम किया जाय । मैं मान... हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और मैं ... हुए मेरे इस संशोधन को वे स्वीकार करेंगे ।

***श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**--माननीय अ... माननीय राज नारायण जी की सलाह को नहीं मान... तो जैसा पहले कहा गया कि गांव सभा की बैठक होत... मैंने यह कहा कि उसके बुलाने में देर होती है ... बनाया जा रहा है कि फौरी कार्यवाही हो सके । जह... देने का सवाल है वह ऐन्टी लोकस्ट ऐक्ट के अन्दर दे चुके ... इस ऐक्ट के मातहत उसको नहीं दिया गया ।

जहां तक गांव सभा से सलाह करने की बात ... किसान हैं वह इतने ही सजग होते कि अगर कहीं कोई बी... तो किसी कानून की जरूरत नहीं थी । कानून तो इसलि... होते, समझाने में दिक्कत होती है तो इसलिये यह कानू...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं...

[श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी]

कि इतने ज्यादा झगड़े न पड़ें। उससे इमकान है कि झगड़े-फसाद पैदा हों। तो बाहर का आदमी रहेगा, सरकारी अफसर और वह भी जिले का सबसे बड़ा अफसर, यह नहीं कि नायब-तहसीलदार वगैरह किसी को दे दिया गया कि वह किसी की तरफदारी कर सके। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिले की बुराई उसकी बुराई होती है, अच्छाई उसकी अच्छाई होती है। इसी वजह से उसको यह अख्तियार दिया गया और ग्राम सभा की राय से अगर रखा जाय तो जरूरत आज है किसी रोग के नाश करने की, मुमकिन है कि दो दिन में वह रोग और बढ़ जाय और लोगों की फसल को नुकसान पहुंचे, सलाह लेने में देर लगे तो इसलिये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि ग्राम सभा की राय से किया जाय। यह नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी को जबरदस्ती किसी को ड्राफ्ट कर ले, जब जरूरत ऐसी होगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे अख्तियार लेगा। इसलिये मुझे उम्मीद है कि माननीय रामेश्वर लाल जी अपने संशोधन को प्रेस नहीं करेंगे और जैसा कानून में है वैसा सदन मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष--(श्री रामेश्वर लाल से) क्या आप वापस ले रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "रहता हो" और शब्द "आदेश" के बीच में शब्द "गांव सभा की सलाह से" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द 'हो' और शब्द "आदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय--

"उचित पारिश्रमिक देकर"।

श्रीमन्, खंड ४ के उप खंड (१) के भाग (ख) के शब्द इस प्रकार हैं--किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे।

यह सब काम किसी भी बालिग आदमी से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जाहिर है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसी घोषणा करेगा कि यह कानून यह इस क्षेत्र में लागू होना चाहिये तो उस क्षेत्र के आस पास के तमाम गांवों में एक विपत्ति पड़ी रही होगी, हो सकता है कि सभी की फसलें बरबाद हो जायं उनमें वह भी हो सकता है कि जिसको वह बाध्य करें काम करने के लिये जिसके पास खेती या कोई बाग न हो तो ऐसे व्यक्ति को भी इस विधेयक की योजना में सरकार ने कोई पारिश्रमिक, मजदूरी देने की या जितना वह दिन भर में काम करेगा उसकी दिन भर की मजदूरी क्या होगी, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो मैंने इसमें यह रख दिया है कि "उचित पारिश्रमिक देकर" वह उनसे काम करा सकते हैं। वह उनसे काम करायें, लेकिन उनको उचित मजदूरी या उचित पारिश्रमिक अवश्य दिया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसमें माननीय कृषि मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह भी एक विपत्ति बाढ़ की तरह, सूखे की तरह या ओले की तरह होगी, एक तरह से यह एक महामारी की तरह होगी। जैसे कि यह सरकार हर तरफ सहायता करती है, ऐसी हालत में इस बात की व्यवस्था की जाय कि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कोष से उचित पारिश्रमिक देकर यह काम कराया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संशोधन को मान लेना चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह मानता हूं कि यह एक दैवी विपति है और ऐसी अवस्था में हर एक

आदमी को और हर व्यक्ति को सहयोग बिना सरकार के आदेश के भी देना चाहिए। लेकिन यह भी सरकार या उस अधिकारी को ख्याल करना पड़ेगा कि हमारे देश में और प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी पर चलती है। अगर वह मजदूरी न करे तो उसको शाम को खाना न मिले और न तन पर कपड़ा मिले। इस अधिनियम के अनुसार मैं समझता हूं जिलाधीश को अधिकार ऐसे लोगों से भी काम लेने का है, जिनकी जिन्दगी मजदूरी पर चलती है और इस ऐक्ट में सहूलियत कहीं भी नहीं दिखायी गई है कि जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी पर बीतती है, ऐसे लोगों को मजदूरी दी जायगी। जिलाधीश के अधिकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन इसलिए करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस संशोधन के द्वारा इतना अधिकार तो जिलाधीश को मिलेगा कि ऐसे लोग जिनकी जिन्दगी मजदूरी से बीतती है उनको मजदूरी दी जायगी। अगर यह व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत से गरीबों का हनन होगा और मैं बड़ी मिन्नत के साथ कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर इस संशोधन को वह स्वीकार करें तो बहुत से गरीब लोगों की गुजर हो सकेगी अन्यथा बहुत से गरीब लोग खाने बिना परेशान होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मैं प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र रामसुन्दर पांडेय व त्रिपाठी जी से बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक का केवल मंशा यह है कि इसमें जो कानून रखे गये हैं उन का प्रयोग महज सार्वजनिक फायदे के लिए किया जाय। जब यह देखा जायगा कि कोई ऐसा रोग और ऐसी चीजें जिनका जिक्र इस विधेयक में है, पैदा हो गयी हैं किसी कुर्बोजवार में और उससे वहां के रहने वाले किसानों को नुक्सान होने वाला हो तो इस कानून का प्रयोग किया जायगा। तो यह सार्वजनिक हित में है। अगर किसी शख्स को यह हिदायत धारा ४ के अन्तर्गत दी जायगी तो सार्वजनिक काम के लिए दी जायगी। जैसे, कहीं गांव में आग लगती है तो तमाम कुर्बोजवार के लोग इकट्ठे होकर उसको बुझाते हैं, चूंकि वह भी एक सार्वजनिक काम है। वहां भी बिला किसी मुआविजे के लोग आते हैं और बिला बुलाये खुद आते हैं, ऐसी धारणा हमारे गांव के भाइयों में है और वह सार्वजनिक काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। श्रमदान की पूरी फिलासफी इसी पर बेस्ड है और अगर सार्वजनिक कामों में मजदूरी देने की प्रथा जारी की जाय, जैसा कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी इस संशोधन के जरिये से लाते हैं तो श्रमदान की सारी थियरी और फिलास्फी खत्म हो जाती है। लिहाजा इस मौके पर मजदूरी का कोई सवाल नहीं। हमको, आपको, सबको सीखना है, गांव वालों और शहर वालों को सीखना है कि जितने समाज के कल्याण के लिए काम हों उनके लिए हम निःशुल्क बिला मुआविजा के सहायता दें और मदद करें। इसी ख्याल से यह कानून लाया गया है। अगर यह तरमीम मानी जाती है तब तो हम एक ऐसी बात ला देंगे, जिससे जैसा मैंने कहा, किसी को फिर मुफ्त काम करने की जरूरत नहीं, आग बुझावें तो मजदूरी मांगे, कुएं में कोई गिर पड़े तो उसको निकालने की मजदूरी मांगे, हर काम मजदूरी पर हो। तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा यह जो संशोधन है यह उसूलन गलत है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप इस सदन में देख रहे हैं कि जब मंत्रीगण बोलने लगते हैं तो वह किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर बोलते हैं। हमारी दिक्कत यह हो जाती है कि हम बुनियादी तरीके से खरोच कर उनके मस्तिष्क में प्रतिक्रियावाद का जो कोढ़ लगा हुआ है वह निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वह निकलेगा नहीं तब तक हर विधेयक और हर . . . .

श्री अध्यक्ष--यह योगियों की संस्था नहीं है यहां। आप किसी के दिल में कोई क्या रक्खे बैठा है उसको न कहें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जहां तक माननीय मंत्री जी अपने तर्क से राम नारायण जी के संशोधन का विरोध करते हैं, मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि उनका तर्क बिलकुल निर्मल है। वह तर्क देते हैं सामाजिक सेवा और सामाजिक कल्याण का मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की जो सरकार है कांग्रेस की, वह उनके कथनानुसार यदि निहत्थों पर गोली चलाती है तो वह भी सामाजिक कल्याण में चला देती है जितना जुल्म ढाती हैं वह भी सामाजिक कल्याण के नाम पर ढाती है। उसी तरीके पर माननीय मंत्री जी सामाजिक कल्याण और सामाजिक सेवा के व्यापक शब्द का नाम लेकर अपने जनहित विरोधी कानून को छिपाने की कृपा न किया करें। वह जिनकी आयु १८ वर्ष से कम है उनको तो नहीं, मगर ऊपर वालों के लिए कहते हैं कि "किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे।" यह तमाम जनतांत्रिक प्रणाली और परम्परा के विरुद्ध है। यह तो कम्पलसरी लेबर लेना होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस जिस को चाहे इस कानून के मातहत जबरदस्ती काम करने पर बाध्य करे। इसका भी विरोध मैं करना चाहता हूं कि इस धारा में यह अंश इस रूप में नहीं रहना चाहिये था। मगर माननीय राम नारायण जी ने इस बात को मानते हुये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है कि भाई, ठीक, यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा समझता है और सरकार उसको इतने व्यापक अधिकार देने पर तुली हुई है तो एक प्रतिबन्ध के अन्दर है कि वह उचित पारिश्रमिक दे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्रीमन्, आप जानते होंगे अच्छी तरह से और माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे कि जिस गांव में वे रहते हैं उस गांव में जो शक्ति सम्पन्न वर्ग के लोग हैं उनको जिलाधीश आदेश नहीं कर सकता, जिलाधीश आदेश करेगा तो जो वहां पर गरीब हैं, हरिजन हैं, पिछड़े लोग हैं, दारिद्रिक अवस्था में जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है उन्हीं को आदेश करेगा या जिलाधीश जिस सरकारी कर्मचारी को हुक्म देगा वह भी उन्हीं से काम लेगा। तो आज इस धारा के अनुसार सरकार अपने देश के जितने गरीब हैं, जितने शोषित हैं, जितने त्रस्त हैं, जितने उत्पीड़ित हैं उनसे जबरदस्ती काम लेने की तैयारी कर रही है।

अभी अभी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्हीं की पार्टी के नेता श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि किसानों से जबर्दस्ती श्रम नहीं लेना चाहिये, अगर कम्पलसरी लेबर ली जानी चाहिये तो विद्यार्थियों से लें या किन्हीं ऐसे लोगों से। अगर इसको दूसरा नाम दिया जाय तो एक तरह से कम्पलसरी श्रमदान ही तो कह सकते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आज कांग्रेस पार्टी है और जो इसकी सरकार है ये दोनों विभिन्न विचारों में बटी हुई है, कोई नेता कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहीं कोई व्यवस्था चलाई जाती है, कहीं कोई चलाई जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कौन सी प्रणाली--या नियम है जो कि जन तांत्रिक भी कहा जाय और इस तरह के अधिकार भी जिलाधीश को दे कि जिससे जी चाहे काम ले चाहे वह कहीं और काम में लगा हुआ हो। क्योंकि यह कानून जब बन जायगा तो जिलाधीश उन लोगों से भी काम ले सकता है जो दूसरी जगह काम करके अपना और अपने बाल बच्चों के पेट का भरण पोषण करते हों। क्या प्रतिबन्ध है इसमें उसके लिये जब वह ऐसे लोगों से कहे कि आज तुम फलां जगह काम करने मत जाओ। जब कि इतना व्यापक अधिकार आज सरकार जिलाधीश के हाथ में देने जा रही है। फिर भी माननीय राम नारायण जी यह संशोधन रखते हैं कि भाई ठीक, उसको उचित रूप में कुछ मजदूरी दे दो वह काम करेगा तुम्हारा। चलाओ अपना हुक्म, लो जबरदस्ती काम। अगर तुम सामाजिक सेवा कहते हो तो सामाजिक सेवा लो अपने मन के मुताबिक, मगर जिससे काम लो उसको भी तो कुछ मजदूरी दो। वह भी तो समाज का प्राणी है। लेकिन आज यह सरकार इस समाज को विभिन्न वर्गों में बांट कर चलना चाहती है, स्टेटस क्यों रखना

चाहती है। जिन वर्गों में आज समाज बंटा हुआ है सरकार उन्हीं वर्गों में कायम रखना चाहती है और चाहती है कि आज ऊंचा वर्ग कहे जाने वाले लोगों की सेवा नीचे वर्ग के लोग किया करें। सरकार की ओर से जो यह विधेयक की धारा प्रस्तुत है मैं आज जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर वह माननीय रामनारायण जी का संशोधन नहीं मानती है तो वह अपने चरित्र को स्वयं लोगों के सामने प्रगट करती है, उसका घूंघट खुलता है और जब लोग उस खुले हुये घूंघट को देखेंगे तो यही पायेंगे कि आज इस सरकार की राक्षसी प्रवृत्ति देश के गरीबों से जबर्दस्ती काम लेने पर मजबूर करने जा रही है। अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि देश में एक बड़ा भारी विस्फोट प्रज्वलित न हो तो अपने सरकारी कर्मचारियों को इतने बड़े अधिकार न दें कि वह मनमाने तरीके से, निरंकुश तरीके से, जिससे चाहें जबर्दस्ती काम लें। मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में आपके द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। यद्यपि मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे भी इसका दुख है। सहारनपुर में श्रीमन्, पंडित जवाहर लाल जी नेहरू गये हुये थे। एक नहर खुदवाई गई थी और इसकी चर्चा सदन में भी हुई थी कि किस तरीके से जिला अधिकारियों ने जाकर हरिजनों और चमारों को जबर्दस्ती निकाल कर काम कराया था और इतना जबर्दस्त विद्रोह हुआ था कि हमारे एक साथी जो काशी विद्यापीठ के हैं और एक अखबार के सम्पादक हैं, उनके ऊपर मार पड़ी थी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोड़े लगे थे। जब जवाहर लाल जी चले गये तो सरकारी कर्मचारियों के जोर जुल्म के बावजूद भी एक भी आदमी नहीं निकल सका। तमाम लोग अपने घरों से भाग गये इसलिये भाग गये कि वह इस तरह से जबर्दस्ती काम करने के लिये तैयार नहीं थे।

एक तरफ तो सरकार काफी रकम समाज सेवा के लिये दे देती है और सरकारी कर्मचारी उसको खर्च करते हैं और दूसरी तरफ जनता के एक अंग से जो गरीब हैं, उनसे इस तरह से काम जबर्दस्ती लेने का विधेयक तैयार करती है। यदि सरकार सामाजिक सेवा पर ज्यादा दिलचस्पी से पैसा खर्च करना चाहती है, जनता पर टैक्स का बोझा लादकर और जो यह ९१ करोड़ का बजट बना हुआ है उसी में से क्यों न एक दो करोड़ रुपया निकाल दिया जाय जो कीटाणुओं को नष्ट करने में खर्च किया जाय ? और इसी रुपये से दवा वगैरह छिड़कवाई जाय।

श्रीमन्, सरकारी विभागों में नाना प्रकार के नये-नये विभाग खोल कर आदमियों की भर्ती होती है तो फिर क्यों न फसल के मौके पर सरकार और आदमियों को भर्ती कर लिया करे और जहां मालूम हो कि फलां जगह रोग फैला हुआ है वहां पर इन लोगों से काम कराया जाय। सरकार उनको पैसा दे और उनसे काम ले। मगर सही माने में जहां पर जनहित की बात आती है सरकार उसको ताक पर रख देती है और जहां सत्ता की, महन्तई की और अपनी ताकत को मजबूत करने की बात आती है तो सरकारी कर्मचारियों के हाथ में असीम सत्ता देकर ऐसा विधेयक ला देती है।

श्रीमन्, जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें यद्यपि यह संशोधन भी अधूरा है, पूरे तरीके से उनकी हिफाजत नहीं कर सकता है सरकारी कर्मचारियों के खूनी पंजे से, इस संशोधन के बाद भी जबर्दस्ती काम लिया जायगा, लेकिन उस बिचारे को एक आशा रहेगी कि काम करने के बाद शाम को अपना पेट भरने के लिये वह कुछ पारिश्रमिक पायेगा, कुछ मजदूरी पायेगा। मगर माननीय मंत्री जी समाज सेवा के नाम पर समाज कल्याण के नाम पर सामाजिक अकल्याण करने जा रहे हैं। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि समाज सेवा या समाज कल्याण का यदि कोई अर्थ है तो उस गरीब, जिससे कि जबर्दस्ती काम लिये जाने की व्यवस्था की जायगी तो उसके लिये भोजन, वस्त्र और रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिये तभी सामाजिक सेवा सही मानों में होगी।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मैं माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने माननीय राज नारायण जी के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है वह तो जब मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं तो स्पष्ट है कि मैं उससे सहमत हूं परन्तु जो उन्होंने विष वमन किया है वह ठीक नहीं है। ऊंच-नीच कामों के बारे में वह सदन में कहा करते हैं तो वह इसको भूल जाते हैं कि आज भी देहातों में ऊंची कौमों की हालत बदतर होती जा रही है। श्रीमन्, किसी भी कलेक्टर के लिये यह कहना कि वह ऊंच-जाति के पीछे रहेगा, उनकी सहायता करेगा, यह निरर्थक है, निस्सार है और न इसके कोई मायने हो सकते हैं। यह दूसरी बात है कि उनका यहां यह कहना उनके लिये एक प्लेट फार्म बनाता है......

श्री राजनारायण--मैं अपने मित्र को यह बतला दूं कि मैं छोटी जाति या बड़ी जाति की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने वर्ग के रूप में कहा था तो मेरे मित्र यह समझ लें कि वर्ग और कौम इन दोनों में अन्तर है। इसको अंग्रेजी में 'क्लास' और 'कास्ट' कहते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं आपके द्वारा उनको यह बताना चाहता हूं कि मैं छोटी जाति और बड़ी जाति में कोई विद्वेष पैदा करने की भावना से कोई बात यहां पर नहीं कह रहा था। इसलिये मेरे मित्र इसकी नुक्ताचीनी करने में अपना समय नष्ट न करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि आज इतना सुन्दर उपदेशक, राज नारायण जी जैसा, मुझको मिला है। वह मुझे क्लास की डेफिनिशन बता रहे हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यदि वह खुद इसको समझते होते तो आज यह दुर्दशा जो हो रही है यह कदाचित न होती। हम तो इसको अच्छी तरह से समझे हुये हैं। यह भ्रम तो उसी स्थान पर है, जिसके दुष्परिणाम से आज यह हो रहा है। मैं इस सदन में बार बार कहता आया हूं और जब वह विरोधी दल के नेता थे तब भी कहा था। यह जो समाजवादी पार्टी है जिसको पी० एस० पी० कहते हैं वह खुद इसी कास्ट और क्लास के भ्रम में है। अगर वह अपने माइन्ड में क्लीयर होते तो मैं यह समझता हूं कि भारत के लिये एक उज्जवल भविष्य में किसी को संदेह नहीं होता। दुर्भाग्यवश वह इसको समझने का प्रयास नहीं करते। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता हूं किन्तु वह उत्तेजना देते हैं तो कुछ कहना पड़ता है। वैसे मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं तो उनको सहायता देना चाहता हूं और उनको सलाह देना चाहता हूं। उनको कोई उपदेश नहीं देना चाहता हूं। उपदेश देना तो उनका ही कार्य है। मैं उनको इतना ही बतलाना चाहता हूं कि अब वह यह समझें कि अब समय आ चुका है जब कि उनको भी जीवित रहना है और उनके दूसरे साथियों को भी जीवित रहना है। श्रीमन्, परिस्थिति कुछ बच जाती है और आपकी कृपा से बहुत सी परिस्थितियां बच गयीं। अगर यही व्यवस्था रही और लोगों का इसी प्रकार से भ्रम चलता रहा तो कितने दिन तक यह परिस्थितियां बचती रहेंगी इसमें मुझे संदेह है।

अब मैं श्रीमन्, उस संशोधन पर आता हूं। माननीय मंत्री जी का यह कहना ठीक है कि उनके लिये यह मुमकिन नहीं है कि ऐसा किया जाय। अभी यह चीज हिन्दुस्तान में नहीं हो सकती है। उस चीज को कहने से वह भी डरते हैं और यह भी डरते हैं। एक साहब 'कंप्लसरी लेबर' को समझा रहे थे और दूसरे साहब यह कहते हैं कि यह परिस्थिति से विवश होकर किया जा रहा है, जिसका अधिकार कलेक्टर को दिया जा रहा है। यह सीधे सादे बेगार है। चाहे वह कहे चाहे यह कहे। लेकिन मैंने माना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब आप कलेक्टर को विवश होकर ऐसा अधिकार दे रहे हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन में आलोचना करना सरल होता है, लेकिन वास्तविकता को भी सोचना है। यदि यह अधिकार आप उनको न भी दें तो भी उनसे आप कोई कार्य नहीं ले सकते। परन्तु देहातों में यह भी हो जाता है कि बहुत से स्थानों पर लोग दिन भर मजदूरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं तभी उनको रात में खाने को मिल पाता है। ऐसे लोगों के लिये अगर कलेक्टर या कानूनगो या लेखपाल उनको दिन भर किसी काम में लगाये रखता है और शाम को यह हुआ कि आप सार्वजनिक कार्य के लिये आये थे इसलिये आपको पेट के लिये कुछ नहीं मिलेगा। अगर दिन भर परिश्रम करने के बाद इस प्रकार से घर पर जायेंगे तो उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या हो जायगी। यह हो सकता है कि मंत्री जी यह कहें कि ऐसे लोग नहीं लिये जायेंगे जो बहुत करीब हों। अगर वे यह आश्वासन देते हैं कि जो लोग केवल मजदूरी से अपनी जीविका चलाते हैं जो परिश्रम करके रुपया कमाते हैं, ऐसे लोगों से वह काम नहीं लिया जायगा तब तो उसके कुछ दूसरे मानी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक इस संशोधन का अभिप्राय है वह स्पष्ट है कि यह उन लोगों के लिये रक्खा गया है जो खेतिहर मजदूर हैं और जिनके पास कोई खेत नहीं है। अगर वे दिन भर मजदूरी के करने के बाद शाम को बगैर मजदूरी के वापिस आते हैं तो खाने-पीने का उनके पास कोई साधन नहीं होता।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि आग बुझाने के लिये और श्रमदान करने के लिये भी तो लोग जाते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं दी जाती। श्रमदान और आग की परिस्थिति तो दूसरी प्रकार की है। आप अगर आग बुझाने के लिये जाते हैं तो दिन भर के लिये नहीं जाते हैं, किसी को कुएं से निकालने के लिये जाते हैं तो उसमें भी पूरा दिन नहीं लगता। इसके अतिरिक्त जिस श्रमदान की सदन में धूम मचती है वह भी थोड़े घंटे के लिये ही कराया जाता है। अगर इसका भी अभिप्राय यही है कि थोड़े घंटे के लिये कराया जायगा और उसके बाद उसको छोड़ दिया जायगा तो उसको कोई जरूरत देने की नहीं है। लेकिन अगर दिन भर के लिये जाता है और उसके पास खाने पीने का और कोई साधन नहीं है ऐसी परिस्थिति में उसको मजदूरी देना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये इसको दो प्रकार से क्लासीफाई करना मुनासिब होगा। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर सोचें और विचार करें कि क्या आपको कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है [illegible] संशोधन भी आपको मान्य हो जाय और उसके विषय में आपको भी कोई आपत्ति [illegible] इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे [illegible] के लिये जिनके पास खाने पीने का कोई सहारा नहीं है, उनके लिये ऐसा करें जिससे उनके लिये तकलीफ देह साबित न हो जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोद[illegible] में वादविवाद हो रहा था तब भी इस खंड के ऊपर बहुत से ले[illegible] इसमें एक मौलिक प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स [illegible] से जबरदस्ती काम लिया जा सकता है और उसे कोई भी प[illegible] मंत्री जी के भाषण को सुना और जो सुन्दर बात उन्होंने कहीं, जब आग लग जाती है तो लोग खुद आते हैं, समाज कल्या[illegible] और अगर इसको नहीं रक्खा जायगा तो श्रमदान का महत्[illegible] इसको गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि विधेयक में य[illegible] यह कहता है कि जो नहीं आयेगा उससे ५० रुपया तक पे[illegible] न तो कहीं समाजकल्याण की बात है और न श्रमदान की, उस[illegible] बात बतायी गयी है। सरकार किसी अच्छे काम में जब[illegible] में आती हैं लेकिन उसके लिये उसको कोई पारिश्रमिक न दिया[illegible] अधिकारी वर्ग चाहे माननीय मंत्री महोदय यहां कितना भी [illegible] लेकिन जब कानून बन चुका तो न आश्वासन काम करता है [illegible] कानून पर अमल करने वाले जैसा अमल करते हैं वही बात व[illegible] को इस काम के लिये लगाया जायगा और ५ मील [illegible] उनको सहायता के लिये और अगर बुलाया जायगा के लिये नहीं आये तो उनके दंड की भी व्यवस्था

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

संशोधन में इस धारा का ही विरोध किया है यह धारा निकाल दी जाय। लेकिन जो वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह भी बहुत ही विचारणीय है। पंचायत राज कानून का जब संशोधन आने वाला था उस समय श्रमदान के सिलसिले में एक बात यह सोची गयी थी कि लोगों से श्रमदान लिया जाय और जो न दें उनसे कुछ रुपया पंचायत पास कर दे और वसूल कर ले। तो एक जनतांत्रिक संस्था पंचायत जो गांव वालों के फायदे के लिये ही पैसा वसूल करती। लेकिन उसको भी श्रमदान व्यवस्था की उच्च धारणा के प्रतिकूल होने के कारण उस समय गवर्नमेंट ने स्वयं ही निकाल कर अलग कर दिया। किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम लिया जाय मैं समझता हूँ कि यह तो पंचायत राज ऐक्ट में भी नहीं है और उसको पंचायत राज विभाग ने भी निकाल दिया है यह बहुत ही उसूली और बुनियादी बात है, जो इस विधेयक के संबंध में उपस्थित की जा रही है।

टिड्डी विनाश विधेयक में भी इस प्रकार की एक धारा रखी गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति को टिड्डी विनाश के लिये सहायता के लिये बुलाया जाय कि वह सहयता दे और न दे तो १५ रु० पेनेल्टी दे। लेकिन उस समय सदन ने और हम सभी लोगों ने इस बात को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी जितनी कृषि कीट नाश करने के संबंध में उपस्थित हो जाती है। टिड्डी अगर कहीं आती है तो फौरन उसके मारने के लिये, उसको नष्ट करने के लिये सभी लोग दौड़ पड़ते हैं, बच्चे भी दौड़ पड़ते हैं और इस तरह से एक मनोरंजन भी हो जाता है। मनोरंजन इस माने में कि टिड्डी देखने के लिये लोग दौड़ते हैं और बच्चे भी दौड़ते हैं और जहां टिड्डी बैठती है उनको मारने में वे अपने आप स्वतः लग जाते हैं। ये जो कृषि के कीट हैं उनको नष्ट करने के लिये जिस समय सरकारी आदेश होगा ५ मील के लोगों को बतला दिया जायगा और वे उसको नष्ट करने के लिये आयेंगे। मैं समझता हूं कि यह जबरदस्ती का काम है और वह भी बेगार के रूप में काम लेना किसी तरह से भी शोभाजनक नहीं है। जिस समय किसी बालक से कोई काम पुचकार कर लिया जाता है वह स्वतः उस काम में लग जाता है। लोगों के अन्दर जो समाज कल्याण के कामों में सहयोग देने की भावना है वह इस तरह से जबरदस्ती काम लेने से नष्ट हो जाती है और जब कोई पैनाल्टी की बात आ जाती है तब लड़का हठ करके उस काम को नहीं करता है बल्कि उसके अन्दर एक विरोध की भावना आ जाती है। इसलिये कोशिश यह होनी चाहिये कि लोगों की रुझान समाज कल्याण के कार्यों की तरफ अपने आप हो जाय, लेकिन वही चीज जब पैनेल्टी के रूप में सामने आती है तो उसका असर उल्टा होता है और एक विरोध की भावना पैदा होती है। जो लोग इसको अमल में लायेंगे उनके लिये भी इसमें दुरुपयोग की काफी गुंजाइश होगी। जिस किसी क्षेत्र के अन्दर पढ़े लिखे लोग होंगे जरा सम्मानित लोग होंगे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये तो वे हिम्मत नहीं कर सकते लेकिन जो गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, मैं समझता हूं कि उनको इस प्रकार की धमकी देकर नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। छोटे कर्मचारियों द्वारा इस कानून से लाभ न होकर दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर गौर किया जाय और जैसा मैंने कहा कि यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है और यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता के ऊपर विचार करने की बात है। यह फंडामेंटल राइट्स की बात है और मैं समझता हूं कि जिससे जो काम लिया जाय उसको उस का पारिश्रमिक मिलना चाहिये और वह जरूर देना चाहिये। इसलिये जो संशोधन श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फर नगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह धारा रखी है कि १८ वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति से कलेक्टर साहब काम ले सकते हैं उन कामों के लिये जिनसे खेती के कीटाणुओं से होने वाली हानि रुक सके। वह उन लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश दे सकते हैं। तो इस संबंध में मुझे केवल इतना कहना है कि मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसकी मनशा के विरुद्ध उससे कोई काम न लिया जाय। उस समय जब कि कोई आदमी बीमार हो, इसमें इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अगर कोई बीमार हो या किसी और विशेष परिस्थिति में हो तो उससे काम न लिया जाय। ऐसी दशा में वह काम न कर सकता हो, तो कोई प्राविजन होना चाहिये और प्रतिबन्ध होना चहिये कि बीमारी या इस तरह की दशा में कोई हो तो उसको छोड़ दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि देहात में हम देख रहे हैं कि जब भी कोई सार्वजनिक कार्य होता है तो उससे कोई इंकार नहीं करता है क्योंकि उसमें मुहब्बत और प्रेम से हम काम लेते हैं और समझाते हैं कि सार्वजनिक कार्य करना बहुत जरूरी है, वह लोग उसको खुशी से करते भी हैं क्योंकि उसमें मुहब्बत और प्रेम की भावना होती है लेकिन जब कोई जबरदस्ती की भावना उसमें आ जाती है तो वह काम लोगों को खटकता सा नजर आता है और उसमें लोगों को कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर कहीं आग लग जाय तो उसको बुझाने के लिये सभी को हिस्सा लेना चाहिये क्योंकि वह सब की कामन मुसीबत होती है। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि सब को ऐसी मुसीबत में जरूर हिस्सा लेना चाहिये, क्योंकि उस का सब पर असर पड़ता है लेकिन जहां तक कीटाणुओं से हानि का संबंध है या जो और बीमारी खेती में लगती हैं जैसे गरुवी आदि उससे किसानों पर असर पड़ता है। इसलिये यदि मंत्री जी इसमें इतना रख दें कि जो काश्तकारी करते हैं वह लोग इसमें सहयोग दें तो ज्यादा उचित होगा और उन लोगों को छोड़ दें कि जिनका काश्तकारी से कोई संबंध नहीं है मसलन खेतिहर मजदूरों को इससे निकाल दें, क्योंकि मजदूरों की आजकल ऐसी अवस्था है कि उनको अगर मजदूरी नहीं मिलती तो भर पेट खाना नहीं मिलता, उन की अवस्था ऐसी है कि अगर उन को ४ दिन इस काम में लगा लिया गया तो उन की हालत ऐसी नहीं है कि वह ४ दिन बिना मजदूरी पाये पेट भर सकें। अगर उनको भी आपके कलेक्टर काम करने पर इस तरह से मजबूर करेंगे तो उनके साथ ज्यादती होगी और वह उस सजा को बरदाश्त न कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो बीमार हैं या इस तरह के खेतिहर मजदूर हैं उनके साथ ऐसा करना सर्वथा अनुचित होगा जो लैंडलेस लेबरर हैं या जिसके पास खेती नहीं हैं उनसे काम हमें न लेना चाहिये। जो लोग खेती करते हैं या जिनके पास जमीनें हैं उनसे यह काम लिया जाना चाहिये। लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं या जो बीमारी की हालत में हैं या किसी और कारण से यह काम करने में असमर्थ हैं उनसे यह काम न लेना चाहिये और न कोई सजा उनको देना चाहिये। इसलिये मैं इन विचारों का समर्थन करता हूं और हामी हूं और मैं चाहता हूं कि इन विचारों को ध्यान में रखकर बीमारों या खेतिहर मजदूरों से यह काम जबरन न लिया जाय और यह काम उन्हीं लोगों से लिया जाय जो खेती करते हैं।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने कहा था कि पंचायत राज बिल पर जब इस सदन में विचार हो रहा था उस वक्त हमने एक सिद्धांत रखा था कि श्रमदान में जबरदस्ती लोगों से काम नहीं करवाया जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की जो मंशा है वह ठीक है। हम समझते हैं कि इस बात को अगर यों ही छोड़ दिया जायगा तो किसी पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा कि कि वह काम करने के लिये आवे तो शायद कोई न आवे और वहां पर काम नहीं बनेगा, लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना है कि आजकल जो सरकारी अफसरों की मनोवृत्ति हो गई है उससे उसके मिसयूज होने का अंदेशा है। तो दोनों चीजों को सामने रखना है और उसको रखते हुये उस पर कुछ मजदूरी जिन लोगों को काम पर बुलाया जाय, दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जो अमीर आदमी हैं जिनके पास कुछ खाने के लिये है वह तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

आयेंगे लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है जैसे एक आदमी जो मोची का काम करता है और उससे दिन भर के लिये अपनी रोजी कमाता है अब वह काम पर आ जाता है तो उसके लिये कुछ चाहिये। फिर जो गरीब आदमी है उसी को दबाया जाता है। बड़े आदमी से कोई कुछ नहीं कह सकता तो जो गरीब आदमी हैं उनसे कहा जाय कि तुम इस काम के लिये आओ और इसमें मुमकिन है कि जो सरकारी अफसर हैं उनमें से उनपर कोई जबरदस्ती करे तो मैं समझता हूं कि उस वक्त इस बिल के मिसयूज होने का अंदेशा है। वैसे तो जिन जोरदार शब्दों में माननीय राजनारायण जी ने रखा है वैसा मैं नहीं रख सकता लेकिन माननीय राजनारायण जी को और माननीय रामनारायण त्रिपाठी को यह ख्याल न हो जाय कि हमारे साथ कोई नहीं है तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिये जो काम वे करेंगे उनमें हम हमेशा उनके साथ रहेंगे जैसे जब कोई काम सरकार भलाई का करती है हम उनके साथ रहते हैं लेकिन अगर वे कोई गलत बात करेंगे, गलत बात सदन के सामने रखेंगे तो हम उनका साथ देने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हैं।

एक बात अध्यक्ष महोदय माननी पड़ेगी कि माननीय राजनारायण जी के भाषण से सदन में कुछ जोश रहता है। हम चाहते हैं कि वह आयें और हमें बतावें और हमें अपने पुराने तजुरबे को बतावें। किसी कारण से हम उन्हें अपना नेता बना सकें लेकिन फिर भी उम्मीद है कि उनको पुराना तजुरबा है और वे हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहें और ऐसा मौका दें कि हम उनका साथ देते रहें। बहरहाल, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी को उनकी जो मंशा है उसको किसी रूप में पूरा करना चाहिये और इस संशोधन को अगर वह मान लेंगे तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के संबंध में मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है। हमारे देश में गणतंत्र की जो प्रणाली है और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध यह बात होगी कि हम किसी भी आदमी को उसकी मंशा के अन्दर अगर बात है तो कानून बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंशा के खिलाफ किसी काम को करने के लिये कानून द्वारा बाध्य करें, मैं समझता हूं कि इससे जो हमारा मस्तक आज दुनिया के सामने ऊंचा है वह नीचे गिरता है और जिस बात के लिये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी उसमें भी इस क्लाज के जरिये से लोगों को यह मालूम होगा कि इन लोगों के यहां भी फोर्स्ड लेबर की परम्परा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस श्रमदान की महत्ता को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी के दिल में इस कानून को बनाने का विचार हुआ उसकी परम्परा के भी यह बात विरुद्ध है। हम यह बात मानने के लिये बाध्य होते हैं कि हमारे देश के लोग भले काम में शरीक नहीं होते खुद बखुद और उनके लिये कानून बनाने की आवश्यकता है मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी घर में आग लगती है तो किसी कानून के मातहत नहीं अपनी आत्मा की प्रेरणा से लोग खुद बखुद आग को बुझाने जाते हैं। तो जब आप कानून बनाते हैं तो उसके अन्दर जो बुनियादी सवाल है उसके बारे में आपको सोचना है। कीड़ों को मारने के लिये, कृषि को बचाने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम कानून की मदद लेकर लोगों को बाध्य करें कि वे काम करने आवें। मैं बड़े अदब से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जनता पर अपना विश्वास पूरे तौर से रक्खें और यदि उनके आफिसर्स किसी गांव में जा कर कहेंगे कि इस गांव में इस फसल के अन्दर जो कीड़े लग रहे हैं ये संक्रामक हैं और और भी जगहों पर फैल सकते हैं, आप मदद करें तो गांव वाले अवश्य मदद करेंगे। आज तक बिना इस कानून के जो टिड्डी दल को मारने का इन्तजाम किया गया उसमें जनता ने बड़े धैर्य और शक्ति के साथ सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग किया और यह इस बात का द्योतक है कि हमारी जनता उन बातों के लिये सचेष्ट और तत्पर रहती है जो भली बातें होती हैं। लिहाजा ऐसा कानून बनाकर हम उस भावना को कुंठित न कर दें, उसकी धार टेढ़ी न पड़ जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह कीड़ों को मारने के लिये दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं तो जनता

के लोग अवश्य उससे लाभ उठायेंगे। साथ ही शायद ही कोई कलेक्टर ऐसा पागल हो जायगा कि वह किसी बुड्ढे, लूले या लंगड़े से इस काम को करने के लिये कहेगा, लेकिन एक प्रतिरोध की भावना स्वयं पैदा होती है जहां दंड की व्यवस्था लगती है। बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिकों का यह आम कथन है। फिर भारत में जिस राज्य व्यवस्था के लिये एक्सपेरीमेंट चल रहा है वह इस बात का सबूत है कि ऊपरी दबाव से काम नहीं चल सकता। यदि श्रमदान दबाव से कराया गया होता तो हजारों लोगों को जेलों में बन्द करना होता, एक पैसे का काम नहीं हो सकता था। श्रमदान की इस भावना ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश और देश के लोग उत्साह से और खुशी से हर भले काम में शिरकत करते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस भावना में भरोसा रखते हुये, अपने राज्य व्यवस्था में आस्था रखते हुये इस तरह का कानून लाकर दुनिया के सामने और देश के सामने एक ऐसा पेचीदा सवाल पैदा न करें, जिससे हमारे प्रदेश की बदनामी होने का अंदेशा हो। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को इस विधेयक से उठा दें।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हर गोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट इस सदन के अन्दर उपस्थित है जिसमें कि गरीबों के लिये यह मांग है कि अगर उनसे काम लिया जाय तो उनको कुछ रोजी मजदूरी अवश्य दी जाय। मैं आपके द्वारा, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भारतीय विधान की तरफ दिलाना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स में एक यह भी है कि किसी भी आदमी से बेगार नहीं ली जा सकती है और यह जो अमेंडमेंट है सीधासादा है। इस विधेयक में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर डेलीगेट की जा रही है कि १८ वर्ष के ऊपर किसी भी आदमी से जब चाहे तो काम ले सकता है। यह एक किस्म से दबाव है, बेगार है और जबरदस्ती है। मैं आपके द्वारा हाउस में यह गुजारिश करना चाहता हूं कि श्रमदान जो हमारे गांवों में होता है वह गरीबों से लिया जाता है। कोई बड़ा आदमी श्रमदान में काम नहीं करता। उन गरीबों पर डंडा और बेगार आज भी जारी है। इतना ही नहीं हमारे कालेजों में भी विद्यार्थी जो काम करने जाते हैं वह भी बेगार कर देते हैं। कोई खुशी से श्रमदान करता नहीं। तो मैं समझता हूं कि गरीबों पर यह एक बोझ डाला जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह पावर दी जा रही है कि जिससे उन अफसरों को पूरा अधिकार रहेगा कि जो चाहेंगे, अपने घर की हरीबेगारी भी करवायेंगे मिट्टी भी ढुलवायेंगे, कीड़े भी मरवायेंगे। अगर वह नहीं सुनेंगे तो पचास पटवारी भमकवा देगा। दो चार रुपया पटवारी भी मारेगा। गांव में पटवारी कलेक्टर होता है। हर काम में उसी का डंडा चलता है। यहां तक किसान कहता है कि साहब हमसे आज भी सौ डेढ़ सौ रुपया पटवारी लोग लेते हैं। हम लोग समझाते हैं लेकिन सरकार का नौकरशाही का जमाना ज्यों का त्यों है। सरकार कान खोल कर सुन ले। उनके नौकर वही हैं। उनमें जरा भी चेंज नहीं है। एक इंच भी आगे नहीं हैं। मैं कहता हूं कि उनको मजदूरी न दीजिये तो कम से कम खाने का इन्तजाम कर दीजिये। पांच मील के एरिया में घर छोड़कर जायेगा कीड़े मारने के लिये। पटवारी अपना डंडा धमकायेगा। सब आदमी चले जायेंगे। गांव में आज भी ज्यों का त्यों अंधेर है। मैं ठाकुर साहब से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। कोई लुकीछिपी बात नहीं है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे यहां एक साहब ने एक हरिजन को चिट्ठी लिख कर दी कि इसको ले कर एस० पी० के पास जाओ। एस० पी० ने उसे चपत मार कर भगा दिया। यह मुझे पता है। लेकिन मैं उस एस० पी० का नाम नहीं लेना चाहता। हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को देखना है और जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का सिद्धांत पेश किया है उस पर अमल करना है। तो मैं कहता हूं कि सरकार को इस अमेंडमेंट को मान लेना चाहिये या इस धारा को निकाल देना चाहिये। मनुष्यता का तकाजा है कि जब गांव में आग लगती है तो उसमें सब शरीक होते हैं, टिड्डियां जब आती हैं तो उन्हें हांक देते हैं। बाढ़ में जब घर बरबाद होते हैं तो सब लोग शरीक होते हैं। वहां पर मैजिस्ट्रेट को पावर देने की जरूरत नहीं है ताकि वह जब चाहे बेगार करा ले। मैं निहायत

[श्री शिवनारायण]

अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह ठंडे दिल से सोचें। यह चीज बेकार है और लादी जा रही है उन गरीबों की गरदन पर। तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस अमेंडमेंट को, जो राम नारायण जी ने पेश किया है, अपने शब्दों में संशोधित करके स्वीकार करे या इसको निकाल दें। इन शब्दों के साथ मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने फंडामेंटल राइट्स को हम देखें, विधान की बात को देखें, और उसके विरुद्ध हम को कोई बात नहीं करनी चाहिये और न कोई चीज किसी पर जबरदस्ती लादी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन के विषय में, मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे कुछ मित्रों को गलतफहमी हो गई है। वह विधेयक के मूल रूप को न देखकर दूसरी तरफ बह गये। ऐसा प्रतीत होता है कि फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि उसका मूल स्वरूप दिखाई नहीं देता, मैं वह आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) में संशोधन दिया गया है। उसका स्वरूप यह है :--

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट "(ख)--किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे;"

सहायता कितनी सीमा की और कैसे, कितने समय में, यह सब नियम में आयेगा कि क्या और काम लिया जायगा, किस रूप में उनको आदेश दिया जायगा। यह सब अन्यत्र की बात है। यहां खंड ४ में शब्द "उचित पारिश्रमिक" जोड़कर, मुझे ऐसा भय है कि कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाय। यदि यह हो कि उचित पारिश्रमिक दिया जायगा तो कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग स्वयं ही उचित पारिश्रमिक पाने के लिये रोग का विस्तार कर दें। मैं समझता हूं कि यह शब्द उचित पारिश्रमिक रखने से अर्थ की अपेक्षा अनर्थ ही अधिक होने की संभावना है। इसमें जो थोड़ा सा भय है उसके लिये पहले से ही इसमें लिखा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा।" तो इस तरह की कोई संभावना नहीं रह जाती कि बेकार ही परेशान किया जायगा।

जहां फंडामेंटल प्रिंसिपुल की बात की जाती है, मैं अपने मित्रों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जहां वह पढ़ते हैं कि कंपलसरी लेबर लेना नहीं चाहिये, वह उसके नीचे वाले वाक्य भी पढ़ लें। उनमें स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने नियमों को बनाते समय जनकल्याण की दृष्टि से ऐसे नियम बना सकती है। तो मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखता हूं कि इस खंड में उचित ...क की बात को रखा जाय। उचित क्या है? पारिश्रमिक क्या हो? इस सबका ...ी इसका मूल आदर्श लुप्त हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का

...ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी के इस ...ा सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिन में अभी अभी माननीय ...ुनने को मिला है। यह एक छोटा सा संशोधन है कि यदि ऐसा हुकुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी को दे कि वह अनिवार्य श्रम जाकर करे तो उसे उचित पारिश्रमिक मिले यह बहुत ही अनिवार्य संशोधन प्रतीत होता है। माननीय सदस्यों ने सदन के सम्मुख और माननीय मंत्री जी को अन्यत्र सुझाव देते हुये यह बतलाया कि यदि कुछ आदमी ऐसे हों कि जो पारिश्रमिक पाने के लिये ही काम करते हों या ऐसे हों कि जो काम को इसलिये नहीं करते किस

काम की सीमा का कहीं ठिकाना ही नहीं होता, तो फिर ऐसे अधिकार की आज्ञा देने की बात जबरदस्ती काम कराने की परिपाटी में ही होगी, तो इसलिये यह सुझाव संशोधन के रूप में है। मैं एक बात माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि अभी बाढ़ आयी हुई है और इसके साथ साथ और भी बहुत से क्राइसिस, बहुत से ऐसे काम जो प्रांत में विभिन्न अवसरों पर आये हैं, आज आप देखेंगे कि बाढ़ में प्रयत्नशील काम करने वाले अधिकारी, जो राज्य सरकार के हैं, आज भी उनका टी० ए० बनता है। एक निर्जीव मोटर बिना पेट्रोल के उस स्थान पर जहां बाढ़ आयी हुई है नहीं पहुंचती, उसके लिये पेट्रोल की आवश्यकता है और एक अधिकारी के लिये जो सैकड़ों की संख्या में तनख्वाह पाता है उसके लिये टी० ए०, डी० ए० बनता है। तो यह ठीक नहीं मालूम होता कि जो इस काम में जबरन भेजा जाय और न करने पर उसे ५० रुपये जुरमाने की इस अधिनियम में व्यवस्था की जाय, वहां पर उस आदमी के भोजन के लिये उचित पारिश्रमिक न दिया जाय। मैं समझता हूं कि जिसे ५० रुपये जुरमाना करने का हक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक है कि उसे खाने भर का नाज दे दे। जहां तक पारिश्रमिक का संबंध है, मैं सहमत होता यदि जुरमाने की व्यवस्था न होती। लेकिन जुरमाने की व्यवस्था करके माननीय मंत्री जी ने बाध्य किया है हम यह तर्क उपस्थित करें कि वह उचित पारिश्रमिक पावे।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह इशारा किया कि कुछ लोगों ने इस चीज को समझा नहीं। हमने इसको समझा है। यदि कोई ऐसा पौधा जो वहां के किसानों के लिये अलाभकर है तो उसे समूल नष्ट करने के लिये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी आदमी को आज्ञा दे सकता है, किसी जमीन की मिट्टी को हटाने के लिये, किसी कीड़े को मारने के लिये आज्ञा दे सकता है। अगर यह सिर्फ आग लगने ऐसी बात होती या ऐसी बात होती कि किसी खास अवसर पर आवश्यकता है तो फिर ऐसा संशोधन लाने की रामनारायण त्रिपाठी जी को आवश्यकता न होती। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि यहां पर यह रोग है और इसके निवारण की आवश्यकता है तो अगर लगातार काम करने की व्यवस्था है तो यह जरूरी है जिसके खाने का ठिकाना नहीं है उस आदमी को उसका पारिश्रमिक दे। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है उस पर काफी विचार करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो जो इस नियम का उद्देश्य है उसके पढ़ने से मालूम होता है कि पिछले वर्षों में इस बात का प्रयत्न किया गया कि लोग सामूहिक रूप में इस रोग को दूर करने के लिये कार्य करें, लेकिन तजुरबे से यह मालूम हुआ कि लोग बावजूद समझाने बुझाने के इस काम को सम्पन्न नहीं करते हैं। इसलिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई। अगर यह जो बहस की जाती है कि फंडा-मेंटल राइट्स के खिलाफ यह चीज है किसी को आदेश देना कि वह इस काम को करे तो पहले ही पहल असल में चाहिये कि इस विधेयक के ऊपर गौर करना बिल्कुल बेकार है, इस पर गौर ही नहीं करना चाहिये था, इसको अलग रख देना चाहिये था। लेकिन जब हमने इस उद्देश्य को मानकर और इस विधेयक पर विचार करना शुरू किया और इसमें संशोधन लाये गये तो फिर उस उद्देश्य को तो अलग नहीं रख सकते हैं, वह उद्देश्य तो अपनी जगह पर रहेगा और उसकी आवश्यकता के कारण इस विधेयक को लाना पड़ा। यह सवाल जरूर उठता है कि हम अध्यासी को एक आदेश देते हैं कि इन कीटों को नष्ट करने के लिये वह उपाय करे तो जहां पर कि जो लोग कि कृषि करते हैं जो लोग कि जमीन को आबपाशी किये हुये हैं उनके लिये तो उसमें भाग (क) में एक आदेश दिया जाता है, जो (ख) की आवश्यकता हुई कि अगर उनसे काम नहीं चलता है और हमको अध्यासी के अतिरिक्त और लोगों की भी सहायता की आवश्यकता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार हो कि वह उन लोगों को भी आदेश दें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

सके। ऐसी सूरत में यह उचित जान पड़ता है कि अगर हम ऐसे लोगों की सहायता लेना चाहते हैं जो कि उस क्षेत्र में कृषि नहीं करते हैं जिनका कि कोई लाभ इस सहायता देने से हो नहीं सकता है जिनको कि कोई नुक्सान पहुंचने का अन्देशा नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में उनकी कोई काश्त नहीं है तो उनसे अगर हम सहायता लेते हैं तो ऐसी शक्ल में, ऐसी सूरत में हमको कुछ न कुछ उनको मुआवजा देना चाहिये। मेरी समझ से और कोई सूरत नहीं है जिससे कि इन दोनों बातों में जो संघर्ष होता है कि एक तरफ तो उनके फंडामेंटल राइट्स पर हम कुठाराघात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनको कुछ देते नहीं हैं तो इसमें ज्यादती वाकई होती है। मैं समझता हूं कि यह कम्प्रोमाइज कि उनको हम कुछ न कुछ उसका मुआवजा दें, कुछ उनको मजदूरी दें, यह एक उचित कम्प्रोमाइज है और मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको अगर स्वीकार कर लिया जाय तो बहुत बहुत सी बातें जो इसके खिलाफ कही जाती हैं, उसमें कुछ न कुछ हमको संतोष होता है कि हमने एक ऐसी उचित बात की जिससे कि हम सहायता लेते हैं उनको कुछ संतोष होता है, हम उनको भूखों नहीं मारते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री राजा राम मिश्र (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक जैसा कि उसके उद्देश्य और कारणों से विदित है, कृषि को इन रोगों और नाशक कीटों से जो क्षति पहुंचती है उसका निराकरण करने के लिये लाया गया है। इसके उद्देश्य और कारण में यह दिया हुआ है कि अनुभव से स्पष्ट है कि इस दिशा में समझाबुझाकर काम लेने के तरीकों से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अथवा नष्ट करने को सहमत नहीं होते हैं और न वे पास-पड़ोस के खेतों से नाशक कीटों अथवा रोगों को भगाने के सामूहिक प्रयास में भाग लेते हैं। यह सब इस संबंध में उपर्युक्त अधिनियम बनाने से ही हो सकता है। यानी यह कि यह विधेयक इस मंशा से लाया गया है कि कृषि को इन नाशक कीटों से जो नुकसान होता है वह बचाया जाय। धारा ४ में दो बातें दी हुई हैं। एक तो यह कि धारा ४(क) में दिया हुआ है कि जिला मैजिस्ट्रेट अध्यासी को यह आदेश दे सकता है कि वह उन क्षेत्रों में जहां कि यह कीट नुकसान पहुंचाते हैं वहां पर कार्यवाही करे, अध्यासी के खिलाफ, या उनको वह डाइरेक्शन दे। दूसरे यह कि धारा ४(ख) में दिया हुआ है कि किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे। जहां तक मेरा ख्याल है धारा ४(ख) किसी भी व्यक्ति पर जो उस क्षेत्र में रहता है लागू होती है और वह ऐसे पुरुष पर अधिकतर लागू होगी, जिसकी कि जीविका मजदूरी है और जो कि अध्यासी नहीं है और जिसका कि स्वयं उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। कोई मिल्कियत नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न तो है नहीं कि इससे कांस्टीच्यूशनल राइट पर आघात पड़ता हो लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसमें मजदूरी जो उन लोगों को मिलती है जिसका कि उस खेती में कोई अधिकार नहीं है, उन पर कुछ ज्यादा नुक्सान पहुंच सकता है और उसके साथ अन्याय हो सकता है। मैं समझता हूं कि धारा (ख) यहां पर है तो अनावश्यक है क्योंकि यह तो अध्यासी के फायदे के लिये नहीं है। यह किसी पुरुष के लिये है। तो अगर दूसरे पुरुष जिसकी खेती नहीं है, उस पर लागू करता है तो जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा है, मुआविजा मिलना चाहिये। वह इस मौके पर जहां पर यह संशोधन दिया हुआ है कि "आदेश" से पहले "उचित पारिश्रमिक देकर" शब्द जोड़ दिए जायं इस तरह से कर दिया जाय, और या जो धारा (ख) का प्रतिबन्ध लगा हुआ है वहां पर कोई शर्त लगा दी जाय कि यह कानून उस हालत में उस व्यक्ति को लागू नहीं होगा, जिसको पारिश्रमिक न दिया जायगा। मैं समझता हूं कि पारिश्रमिक का देना, कुछ न कुछ उचित मालूम पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि या तो इसी मुकाम पर या प्रतिबन्धात्मक वाक्य में इस मुआविजा देने की शर्त को मंजूर कर लिया जाय और उस हालत में मैं समझता हूं कि जो मजदूरों पर अन्याय हो सकता है वह अन्याय न हो सकेगा।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्रों ने इस तरमीम के सिलसिले में फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया। आर्टिकिल तो पढ़ा नहीं लेकिन उसका हवाला दिया और जो एक जरूरी अंग उसका था उसके बारे में खामोशी अख्तियार की। उससे इस सदन के ऊपर प्रभाव डालने की चेष्टा की गयी कि गोया यह धारा, यदि यह तरमीम मंजूर न की जायगी तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बात पड़ेगी और बड़ा अनर्थ होगा। मैं श्रीमन् की आज्ञा से आर्टिकिल २३ जो संविधान का है उसे पढ़ना चाहता हूं ' '।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--पहले आर्टिकिल (२) पढ़िये उसका।

श्री हुकुम सिंह--मैं सभी पढ़े देता हूं--

"(1) Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing comll pulsory service for public purpose and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, class or caste or any of them."

तो इसमें जो एक्सेप्शन दिया हुआ है उसकी रू से यह बिलकुल सीधा है कि अगर सार्वजनिक काम के लिये कोई बेगार भी ली जाय तो वह किसी तरह से अनुचित नहीं है और हमने और तमाम देश ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि इस संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे। लिहाजा उस प्रतिज्ञा की रू से हम इसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। एक्सेप्शन को निकाल कर उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते। तो जहां तक कि फंडामेंटल राइट का ताल्लुक है, यह बात तो खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे और मित्रों ने भी कहा कि जिस शख्श को जो आकुपायर है, अधिवासी है और खेती बाड़ी उसकी उस क्षेत्र में नहीं है तो उससे यह काम क्यों लिया जाय? उसको इससे क्या लाभ होगा कि कीटाणु खत्म कर दिये जायं और कुर्बीजवार की फसल बहुत अच्छी हो। लेकिन बहुत से गरीब भाई उस क्षेत्र में रहते हैं। मजदूरी करते हैं। जब फसल कटने लगती है तो उसको काटने जाते हैं और उससे कुछ पैदा करते हैं, अपनी जीविका बसर करते हैं यदि कीटाणुओं की वजह से कुर्बी जवार की फसल खत्म हो जाती है तो उनकी रोजी भी खत्म होती है। जब फसल नहीं रहेगी तो क्या काटने जायेंगे, कैसे पैदा करेंगे। तो यह कहना कि जो वहाँ रहते हैं उनकी फस्ल नहीं है, उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा, मैं समझता हूं कि कुछ ठीक और उचित बहस नहीं है सब का लाभ होता है। मान लीजिये कि एक तहसील में कहीं ऐसी बात हो या १० गांवों में ऐसी बात हो और १० गांवों की फसल या एक तहसील या एक जिले की फसल इस तरह से तबाह व वर्वाद हो जाय तो असर क्या होगा? गल्ले की पैदावार में कमी होगी और उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि गल्ला महंगा होगा। जो गरीब खरीद कर खाते हैं उनको उसका ज्यादा दाम देना पड़ेगा। लिहाजा उनका भी फायदा इसी में है कि अपने देश में गल्ला काफी तादाद में पैदा हो और मैं समझता हूं कि जो लोग बिला खेती के हैं उनका तो और इंटरेस्ट इसी में है कि गल्ला ज्यादा पैदा हो चूंकि वे मोल लेकर खाते हैं ताकि उनको सस्ता गल्ला मिले। लिहाजा यह भी बहस मैं समझता हूं कोई अर्थ नहीं रखती कि जो मजदूर पेशा है उनसे काम क्यों लिया जाय। उसूलन हम समझते हैं कि जब हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे सामूहिक फायदा होने वाला है तो हर शख्श का यह फर्ज होता है कि उसमें भरसक सहायता दे। तो मैं यह समझता हूं कि ऐसी सूरत में हर एक आदमी को इसमें काम करना चाहिये।

हां, यह भी बात बहुत कही गयी कि गरीब आदमी है, सवेरे से शाम तक और हफ्तों लगा रहेगा तो वह खायेगा क्या और उसके बच्चे भूखों मरेंगे। इसको मैं भी देखता हूं क्योंकि मैं

[श्री हुकुम सिंह]

भी ऐसा विचार रखता हूं और मैं अपने भाइयों का, जिन्होंने यह बात उठायी है, बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसी बात कह कर मेरी तवज्जह इस तरफ दिलाई। मैं इस बात का भरसक प्रयत्न करूंगा कि नियम बनने लगें तो कोई ऐसी बात रखें कि इस तरह के जो खतरात हम इस समय समझते हैं वे हमारे सामने न हों कि एक आदमी जो गरीब है, बेचारा परेशान है उसको हफ्तों रगड़ें और बिला कोई मुआविजा दिये हुए। मैं समझता हूं ऐसी बातों की संभावना कम रहेगी अगर हम नियमों में विचार करके कोई बात ऐसी रखेंगे। तो इसमें हम और आप दोनों इत्तफाक राय हैं कि इसका भी किसी तरह से दुरुपयोग न होने पाये और हर एक व्यक्ति से जितनी मेहनत करनी मुनासिब हो उतना ही काम उससे लिया जाय। मोटों को छोड़ दिय ाजाय, गरीबों को पीस दिया जाय या किसी के खिलाफ डिसक्रिमिनेट करना उनसे जरूरत से ज्यादा काम लेना इसको न आप पसन्द करेंगे न मैं।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, इसके बारे में मैंने पहले ही कहा, मैं बहस मुबाहिसे में बिला वजह कोई गर्मी नहीं लाना चाहता। जरूरत हो तो गर्मी भी आये तो कुछ उसका लुत्फ आता है। यों बिला वजह गर्मी पैदा करना बिलकुल बेजा प्रयास होता है। मैं तो यह कहूंगा कि मुझे जो इसकी मैरिट पर कहना था वह मैंने कह दिया। यह किसी तरह से ठीक बात नहीं है क्योंकि इसमें बड़े झगड़े पड़ेंगे। उचित पारिश्रमिक, यानी जो मुनासिब हो। अब क्या मुनासिब होगा। इमर्जेन्सी की हालत में हम पहले ही झगड़े में पड़ें कि १० आने, १२ आने या २० आने, क्या मुनासिब होगा। तो इस झगड़े का निर्णय करते करते सारा काम बिगड़ जायगा। दूसरी बात यह कि यह कहना कि हमारे देश के लोग केवल जबर्दस्ती के फलस्वरूप ही और अपने मन से श्रमदान करना नहीं चाहते मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो समझता हूं कि हमारे देशवासी भी अब इसकी महत्ता को समझ गये हैं और उनकी काफी दिलचस्पी श्रमदान में है और बड़े-बड़े काम उन्होंने सम्पन्न किये हैं जिनका हम कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे ऐसे ऐसे काम श्रमदान से हम देश के रहने वालों ने किये हैं लिहाजा उनके ऊपर लांछन लगाना कि वह कम्पलशन से ऐसे काम करते हैं अपने मन से नहीं करते हैं कहां तक ठीक है। मेरी धारणा तो यह है कि वह अब समझ गये हैं कि हमें अपने देश को बनाना है और अपना देश गरीब है और इतना धन नहीं है और जन-धन इतना है कि अगर ठीक तरह से उसका प्रयोग किया जाय और सब लोग एक साथ लग जायं तो बड़े से बड़े काम हम कर सकते हैं और लोग चकित होकर देखते रह जायेंगे। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं बल्कि आप लगा रहे हैं आपने यह सब बातें कहीं कि जबरिया कराते हैं और खुशी से नहीं करते हैं यह गलत है। यह वाक्य आपने फरमाये थे इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसा कहना नामुनासिब और अनुचित है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, औन ए प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन, मैंने यह कहा था कि श्रमदान लिया जाता तो जबरिया काम लेने वाला कानून बनाना मुनासिब नहीं है मैंने यह नहीं कहा था कि जबरिया काम लिया जाता है।

श्री हुकुम सिंह—जब हमारे मित्र ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा तो मैं अपने सब अलफाज जो मैंने कहे हैं उनको वापस लेता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र सहमत हैं कि लोग अजखुद श्रमदान देने के लिये तैयार हैं जब वह तैयार हैं तो सार्वजनिक काम में हिस्सा बंटाने के लिये तैयार हैं तब यह कहना कि उनको मजदूरी दी जाय ठीक नहीं है जिस समय वह कहेंगे कि बगैर मजदूरी दिये काम न लिया जाय तो मैं सुनने के लिये तैयार रहूंगा जो वैसे ही तैयार है उनके लिये वकालत करना मैं समझता हूं कि कोई माने नहीं रखता है।

जब हमारे मित्र श्री राजनारायण जी ने एक बात शायद सहारनपुर के बारे में कही कि बड़ी ज्यादती की गयी, यह किया गया और वह किया गया मैं नहीं समझता कि वहां ऐसी बात हुयी हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी कोई ज्यादती श्रमदान के काम में नहीं

की जाती है, हमेशा समझा-बुझाकर काम लेने की चेष्टा की जाती है। तो ऐसी बात कहना कहां तक उचित है और ठीक है ? जो बात मसल्लमां नहीं है उसके आधार पर ऐसी तरमीम लाना और ताईद करना ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि ऐसा हुआ, मैं कहता हूं कि नहीं हुआ। लिहाजा जब तक कोई प्रमाण और पोजीटिव प्रमाण न हो तब तक उसके आधार पर इस तरमीम की ताईद नहीं की जा सकती है।

मैंने इसमें दिक्कतें बतलायी जिनकी वजह से मैं इसको नहीं मान सकता। जिस सिद्धांत पर यह बिल लाया गया है वह यह है कि यदि अपने देश को हानि पहुंचने वाली हो तो ऐसे उपाय करने चाहिये ताकि हमारे देश का कल्याण हो और हमारे देश की फसल को हानि न पहुंचे। यह असल में इसकी मंशा है। इस प्रिजम्पशन पर यह कयास नहीं चलता है कि जो इसको बरतेंगे उनका दिमाग खाली है, वह देश के शत्रु हैं, किसानों के शत्रु हैं। अगर इस तरह से चलेंगे तब तो काला ही काला दृश्य दिखायी पड़ेगा। कयास यह है कि हर शख्स उचित ढंग से अमल करेगा और जो इसके खिलाफ करेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्यवाही कर सकते हैं। उसको हम तम्बीह कर सकते हैं। लेकिन यह कयास कर लें कि जितने कलेक्टर और अफसरान होंगे वह सब के सब खिलाफ वर्जी करेंगे और यह लोगों को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस बिल के दृष्टिकोण को दूर करके अपने निजी स्वार्थ में वह लोगों को परेशान करेंगे तो ऐसा सोचना अब कहां तक ठीक है ? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है मुझे उम्मीद है कि त्रिपाठी जी इसको वापस लेंगे। इससे हमको सहूलियत नहीं होगी बल्कि हमारे रास्ते में और अड़चन पैदा होने का इमकान है। इस वजह से इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से इसको वापस लेने की दरख्वास्त करता हूं।

श्री राज नारायण--माननीय मंत्री जी ने जो सहारनपुर की बात का जिक्र किया कि राजनारायण की बात सही है या उनकी बात सही है तो क्या कोई ऐसा साधन वह निकालेंगे जिससे मालूम हो जाय कि सहारनपुर में ऐसी बात घटी है या नहीं, उसकी जानकारी हासिल हो जाय। अगर वह किसी निष्पक्ष आदमी को इस काम के लिये नियुक्त करेंगे तो उससे यही मालूम होगा कि हमारी बात सही है और उसकी बात गलत है।

श्री हुकुम सिंह--मेरी बात सही है और सही जानकर मैं उसको यहां पर कहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस बात का नियमावली में विचार-विनिमय करेंगे कि पारिश्रमिक आवश्यकता पड़ने पर दिया जाय. . . . .

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि लोगों से २ दिन या ४ दिन या ७ दिन तक बराबर बिला किसी मुआविजे के काम लेंगे। ऐसा सोचना गलत है।

***श्री रामनारायण त्रिपाठी**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम में संविधान की धारा २३ आपको पढ़कर सुना देता हूं जिसका माननीय मंत्री जी ने सही अर्थ नहीं किया--

"23. (1) Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

(2) Nothing in this article shall prevent this State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them."

माननीय मंत्री जी ने इसका यह अर्थ लगाया कि एक आदमी को बेगार लेने का हक नहीं है मगर सरकार चाहे तो वह बेगार ले सकती है, जो कि पब्लिक परपज के लिये हो। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

संविधान की धारा का यह मतलब नहीं है। अगर इस धारा का यह मतलब होता तो यहां पर कंपलसरी फ्री सर्विस रखा जा सकता था और सरकार को मजबूरन उनसे सर्विस लेनेका अधिकार होता। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी को ५ रुपये रोज देने के लिये तैयार है और वह इस पर भी काम करने के लिये तैयार नहीं है तो उनके पास कोई ताकत नहीं है कि उससे काम करा सके। लोगों की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है तो कोई काम उनसे नहीं करा सकता है लेकिन स्टेट उसको मजबूर कर सकती है लेकिन उसके लिये 'कम्पलसरी फ्री सर्विस' शब्द वहां पर नहीं है। जिस समय पंचायत राज का विधेयक बन रहा था उस समय उस में से फोर्स्ड लेबर की बात को हटा दिया गया था। मैंने यहां पर यह बात इसी लिये कही थी कि यह चीज़ कोर्ट आफ ला में जाकर चैलेंज न हो लेकिन माननीय मंत्री जी समझते हैं कि स्टेट को ऐसा अधिकार हो सकता है। मैं समझता हूं कोर्ट आफ ला में जाकर यह चीज़ ठहर नहीं सकती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यहां पर संविधान की धारा का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट आफ ला में यह स्टैण्ड नहीं करेगी। इसलिये यह कह देना कि स्टेट को बेगार लेने का अधिकार है, उसको काम करने का अधिकार है यह तो ठीक हो सकता है लेकिन उसको कंपलसरी फ्री सर्विस लेने का अधिकार कदापि नहीं है। माननीय मंत्री जी आजतक कोई नजीर ऐसी नहीं बता सकते जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया गया हो हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में और इस बारे में गवर्नमेंट की जीत हुयी हो। यह तो रही सरकार को चेतावनी देने की बात।

जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले। आज श्रमदान के बारे में यहां सारगर्भित वादविवाद हुआ और माननीय मंत्री जी के मुंह से निकल गया श्रमदान के बारे में वह जो कि वास्तव में है। माननीय मंत्री जी तो वही कहेंगे जो कि उनकी पार्टी उनसे कहलायेगी लेकिन वे अपने मन में जानते हैं कि असलियत क्या है। उन्होंने साफ कह दिया कि श्रमदान में नीचे के लोगों से बेगार ली जाती है। अच्छा मैं इसके लिये एक टेस्ट रखना चाहता हूं। श्रमदान के किसी काम में भी राज्य कर्मचारियों को अलहदा कर दिया जाय और कांग्रेस के जो नेता लोग हैं तथा एस०एल० एज० हैं वे सब उसमें लग जायं और यदि वह सफल हो जाय और जनता उसमें सहयोग दे दे तो मैं समझूंगा कि जनता वास्तव में सहयोग देती है और श्रमदान को स्वेच्छा से चाहती है। जो भी श्रमदान का काम होता है उसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और नीचे पटवारी से लेकर पंचायत राज्य के सेक्रेटरी तक इस काम में लगाये जाते हैं, उनको अलग कर दिया और राम नरेश जी फिर श्रमदान करा लें तो मैं समझूंगा कि वाकई जनता इसको चाहती है और जनता में कांग्रेस के कार्य-कर्ताओं का असर है। इसीलिये मैं कहता हूं कि जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आज एक सच्ची बात कही। वैसे मंत्री होने के नाते वह वही राग अलापते हैं जो कि उनकी पार्टी के लोग उनसे चाहते हैं लेकिन वैसे वे इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता में कांग्रेस के नेताओं का प्रभाव नहीं है और यह कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदि सरकारी अफसर उसमें न हों तो उनका यह काम नहीं हो सकता।

माननीय मंत्री जी ने आग का उदाहरण दिया। आग २४ घंटे या अधिक से अधिक २-३ दिन से ज्यादा नहीं चलती और वहां पर किसी से कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन जहां तक इस योजना का ताल्लुक है यह योजना मीलों के एरिया में कार्यान्वित की जायगी। कई जिलों कई तहसीलों, कई परगनों में यह विपत्ति आ सकती है इसलिये उसमें लिखा गया है कि ५ मील तक के दायरे के लोग उसमें बुलाये जा सकते हैं और उनसे काम लिया जा सकता है। अगर स्वेच्छा से काम करने का सवाल होता, अगर माननीय मंत्री जी को विश्वास होता कि सब लोग काम करने के लिये आयेंगे तो वे इस धारा को कदापि न रखते और इस धारा को रखने की आवश्यकता ही क्या थी। इसलिये इसको आग की मिसाल देना ठीक नहीं है। इस काम में १५ दिन या एक महीना लग सकता है और अगर उस वक्त में उसकी रीजनेबिल मजदूरी भी न दी गयी तो उसका क्या हाल होगा। आज तो माननीय मंत्री जी अपने बहुमत के कारण कानून पास करा सकते हैं

ग्रौर उसमें उनका कोई विरोध नहीं करेगा। जो विरोध भी करता है तो वे उसे देश का सेवक नहीं समझते। श्री कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने एक बिलकुल नयी बात कही। उन्होंने कहा कि जिसकी फसल नष्ट की जायगी उसको तो पारिश्रमिक देने का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन दूसरे लोगों को कुछ पारिश्रमिक मिलना चाहिये। लेकिन यह बात उन्होंने बिलकुल उल्टी कह डाली। मान लिया एक गरीब ग्रादमी है उसकी फसल नष्ट की गयी ग्रौर उसको फिर मजदूरी भी न दी गयी तो उसको दुहरी चोट पहुंच जायगी। ग्रमीर ग्रादमी से तो कह सुन कर स्वेच्छा से मजदूरी के लिये छुड़ाया जा सकता है लेकिन ग्रगर कोई एक गरीब हरिजन हो जिसका ४ बिस्वा खेत हो। उसके लिये यह घोषित कर दिया जाय कि उसकी फसल में कीड़ा लगा हुग्रा है इसलिये उसको नष्ट कर दिया जाय तो एक ग्रोर तो उसकी फसल बरबाद हो जायगी ग्रौर दूसरी तरफ उसकी मजदूरी भी न मिलेगी। यह हो सकता है कि माननीय हुकुम सिंह जी पारिश्रमिक स्वेच्छा से न लें ग्रौर बिना पारिश्रमिक के ही काम करें लेकिन कानून में तो इसकी व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि कोई ले या न ले लेकिन ग्रापको इसकी व्यवस्था करनी ही होगी। पिछली बार जब ग्रनर्हता बिल पास हुग्रा था तो बहुत से लोगों ने कमीशन नहीं लिया लेकिन उसमें भी ग्रापको व्यवस्था तो करनी ही पड़ी थी। ग्रगर ग्राप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते तो वह संविधान के प्रतिकूल होगा। ग्रब माननीय मंत्री जी को यह भी बतलाया गया उनके दल के नेता ने बताया ही कि किसान ग्रौर मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत ही मेहनत करते हैं ग्रौर इस पर भी उनको खाने पीने को नहीं मिले तो यह श्रमदान कोई श्रमदान नहीं हुग्रा। जिनका श्रम फाजिल हो, जिनके पास समय ज्यादा हो वे ही श्रमदान करें। ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं या बाबू लोग या हमलोग भी हो सकते हैं जो श्रमदान करें। सेठ महाजन लोग भी हो सकते हैं जिनके पास श्रम फाजिल होता है वे श्रमदान करें। लेकिन जो सुबह ४ बजे से रात के बारह बजे तक मेहनत ही मेहनत करता है उससे श्रमदान लेना बेकार है। कुछ दोस्त जो पी० एस० पी० के हैं उन्होंने यह कहा कि इस तरह की बात हो सकती है। हम उनकी मजबूरी को समझते हैं। ग्रभी तो उनकी पार्टी की कोई रीति नीति ही नहीं है हो सकता है कि ग्रागे चल कर गवर्नमेंट लेबिल पर उनके बड़े-बड़े नेताग्रों की नीति कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग करने की भी हो जाय। उनका न कोई उसूल है न कोई नियम है। हमारे उसूल तो पहले से जाहिर हैं। उनकी मजबूरियों को हम समझते हैं ग्रौर हमारे लिये जो उनकी सद्भावना है उसको भी समझते हैं।

माननीय ग्रवधेश प्रताप सिंह जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, उन्होंने श्री राजनारायण जी के लिये कहा कि उनकी दुर्गति हो रही है। जो श्री राजनारायण जी विरोधी-दल के नेता थे ग्रौर राम नारायण त्रिपाठी उपनेता थे उनकी ग्राज दुर्गति हो रही है। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि जो हमारे उसूल हैं वे ग्रयां हैं हम ग्रपने उसूलों को छोड़ कर किसी से समझौता करने के लिये तैयार नहीं हो सकते हैं। जहां तक प्रदेशीय सरकार ग्रौर जवाहर लाल की मिनिस्ट्री की बात है उसके लिये हमको लालच हो ही नहीं सकती है। ग्रगर हमको वह पद मिले तो ग्रपने उसूलों के लिये उसको भी लात मारने के लिये तैयार होंगे। जहां तक श्री ग्रवधेश प्रताप सिंह की बात है यह चीज तो उनके खून के ग्रन्दर मौजूद है कि जब जैसा मौका देखा उसके ग्रनुसार काम करने के लिये तैयार कर लेते हैं। ऐसी हालत में वे सिवा सरकार की चापलूसी करने के ग्रौर कर ही क्या सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उनको ग्राने दीजिये तब कहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जहां तक श्रमदान लेने की बात है, हमारे माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो भारत सेवक समाज यू० पी० के ग्रध्यक्ष हैं वे रोज इस बात का रोना रोते हैं लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है ग्रौर जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वे लोगों से श्रमदान करवा लेते हैं। हमारे ग्रध्यक्ष महोदय, जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि मैं उनको गवर्नर से ज्यादा प्रतिष्ठित समझता हूं, वे ग्रपील करते हैं, भारत सेवक समाज का रोना रोते हैं लेकिन उस काम के लिये कोई ग्रागे नहीं ग्राता ग्रौर

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

माननीय मंत्री जी तथा डिप्टी कमिश्नर श्रमदान करवा लेते हैं। तो इस तरह से श्रमदान का नाम ले लेने में और उसको कराने में बड़ा फर्क हो सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी किसी कानूनी कोड में इसको नहीं संभाल सकते हैं। अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जावे तो वहां यह कानून जरूर अवैध हो जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं "उचित" की जगह शब्द "नियत" कर दिया जाय। मुझे आशा है कि उसे वे स्वीकार कर लेंगे :

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप इस संशोधन को मानते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं मान लूंगा "नियत" शब्द रख देने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो जो दिक्कत "उचित" के रहने से थी वह "नियत" के रहने से दूर हो जायगी क्योंकि आपही को पारिश्रमिक नियत करना होगा। आप जिस तरह से नियत कीजियेगा उसी के मुताबिक पारिश्रमिक दिया जायगा। इससे आपकी कठिनाई भी दूर हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि शब्द "उचित" के स्थान पर शब्द "नियत" कर दिया जाय।

श्री उपाध्याय—माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री हुकुम सिंह—अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "हो" और शब्द "आदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय—

"नियत पारिश्रमिक देकर"

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सदन में जो कांग्रेस पार्टी के व्हिप, लोगों से मना कर रहे हैं और कनवेंसिंग कर रहे हैं वह न होने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में कनवेंसिंग नहीं होनी चाहिये।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "हों" और शब्द "आदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिय जाय :—

"नियत पारिश्रमिक देकर"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१५
विपक्ष में—५७।)

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह असल में २ खंडों में है और चूंकि दूसरे खंड में संशोधन आ चुका है, इस वजह से मैं प्रथम खंड में ही अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध के प्रथम वाक्य को निम्नांकित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता, अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो"

यह मेरा संशोधन है बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा।

श्री राज नारायण---और आगे जो है उसका क्या हुआ ?

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी---बाद का वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि उसी तरह का संशोधन और है वह उसी में आ जायगा। मैं सिर्फ पहला खंड प्रस्तुत कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है जो कि अधिकार इस बिल में लिये गये हैं उनका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो होना चाहिये और न किसी आदमी, जो उचित कारणवश सहायता न दे सका हो, उसको किसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिये। इसलिये मैंने इसमें "अन्य उचित कारणवश" शब्द जोड़ दिये हैं। बिल में दो कारणों पर छूट दी गयी है, वृद्धावस्था और शारीरिक अक्षमता लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति समय पर सहायता देने में असमर्थ हो जाय जैसे किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाय या उसका कोई निकट सम्बन्धी बहुत सीरियसली बीमार हो जाय अथवा उसके यहां शादी हो उसी तिथि के ऊपर जिन दिन की सहायता मांगी जा रही है यह तिथियां इसकी पहले ही से निश्चित हो जाती हैं और टल नहीं सकतीं। अगर लड़के की शादी है तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी प्रकार किसीको नौकरी पर जाना है। आज वहां पर विज्ञप्ति हो गयी है कि कल उसको कीटों के विनाश में सहायता देनी है। तो नौकरी वाले को जाना ही पड़ेगा वरना नौकरी छूटने की नौबत आ सकती है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें एक व्यक्ति बिलकुल असमर्थ हो और वह चाहते हुये भी सहायता न प्रदान कर सके। इसलिये अन्य उचित कारणवश इस संशोधन द्वारा रख दिया गया। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि इसमें जो यह सूचना दी जायगी वह ज्यादातर डुग्गी से होगी या एक जनरल सूचना होगी और वह किसी को व्यक्तिगत नहीं दी जायगी और न उसको इतना अवकाश मिलेगा कि वह अपनी मजबूरी किसी से जाहिर कर सके। ऐसी स्थिति में कि पांच-पांच मील और २,२ मील के घेरे में जहां सैकड़ों आदमी रहते हैं वहां पर एक विज्ञप्ति द्वारा उनको आदेश दे दिया जाय व्यक्ति विशेष परिस्थिति की कोई जानकारी किये बिना फिर उनपर किसी तरह का पेनल ऐक्शन लिया जाय तो यह मैं समझता हूं कि किसी तरह से उचित नहीं होगा। इस मेरे संशोधन के स्वीकार होने से यह स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और या तो मजबूर व्यक्ति के ऊपर कोई ऐक्शन लिया ही नहीं जायगा और अगर लिया भी जायगा तो वह अपनी सफाई अदालत में पेश कर सकता है जिसकी वजह से वह सहायता देने में असमर्थ रहा और उसको सजा नहीं होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन मंत्री जी स्वीकार करेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि इस संशोधन को मानने से वे इसके अन्तर्गत ऐसे नियम बना सकते हैं जिसमें वे लोग, जो कि वास्तव में अपनी जीविका प्रतिदिन उपार्जन करते हैं वह मुक्त कर दिये जावें और नियम द्वारा पिछले संशोधन के आशय की थोड़ी-बहुत पूर्ति कर सकते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री राजनारायण---मैं इसमें एक संशोधन देना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष---आप इसकी एक प्रति यहां भेज दीजियेगा।

श्री राजनारायण---बहुत अच्छी बात। श्रीमन्, यदि चतुर्वेदी जी का यह पूरा संशोधन रहे तब भी मेरा यह संशोधन उसमें फिट कर जाता, मगर अधूरा संशोधन जो है उसमें हमारा संशोधन अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रह जायगा। तो यह इस प्रकार हो जायगा "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो" इसके आगे मैंने जोड़ा है "या जो दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करता हो और ५ रु० प्रति दिन से अधिक मजदूरी न पाता हो।"

श्रीमन्, जो दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करता हो ऐसे व्यक्ति को अंडर कम्पलशन इस आदेश के अनुसार काम करने के लिये बाध्य न किया जाय और उसकी मजदूरी ५ रुपये प्रति दिन से ज्यादा न हो। यानी जो छोटे-छोटे लोग हैं जैसे खेतिहर मजदूर या दूसरे कर्मचारी हैं जैसे बुनकर लोग वे काम करके २,३ और ४ रु० प्रति दिन तक पा लेते हैं। ५ रुपये के

[श्री राजनारायण]

ऊपर जो पाने वाले हैं वे इस मुल्क में बड़े लोग होंगे। तो सामान्य रूप से हमारे संशोधन के मुताबिक वे खेतिहर मजदूर या वे गरीब जो अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिये कहीं न कहीं काम करते हों उनको भी इस काम में न लगाया जाय। जब तक कि यह मेरा संशोधन इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक मुझे डर है माननीय शम्भूनाथ जी का जो सुन्दर संशोधन वह अपूर्ण रह जायगा। इसलिये मैं माननीय शम्भूनाथ जी के संशोधन का समर्थन करते हुये उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को अवश्य मान लें। तो, श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ जी का जो संशोधन है वह बहुत ही उपयुक्त है और इस संशोधन के मान लेने में माननीय मंत्री जी कोई कतई कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होनी चाहिये। इस विधेयक के अन्दर भी यह प्रतिबन्ध है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा। "इसका सीधा सादा मतलब यह है कि जिस स्थान पर कीटाणु से फसल को हानि हो वहां से ५ मील की दूरी के अन्दर रहने वाले व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अब हुक्म देकर काम करने के लिये मजबूर कर सकता है। मगर सरकार की ओर से जो प्रतिबन्ध लगाने की मंशा है वह केवल यह है कि वृद्धावस्था या शारीरिक अक्षमता के कारण जो व्यक्ति असमर्थ रहा हो उससे काम नहीं लिया जायगा। इसका सीधे सादे शब्दों में केवल इतना ही मतलब है। माननीय कृषि मंत्री जी नहीं हैं। उनकी ओर से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब बोलेंगे। मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि वृद्धावस्था भी एक वेग टर्म है, गोल शब्द है। कितनी अवस्था के बाद सरकार समझेगी कि फलां व्यक्ति वृद्ध है। शारीरिक अक्षमता--आज इस शारीरिक अक्षमता ने तो सारे प्रान्त में एक तहलका मचा रखा है क्योंकि, मैं माननीय कृषि मंत्री जी की सेवा में खासतौर से निवेदन करना चाहता था, इस शारीरिक अक्षमता ने आज कई हजार किसानों को जबर्दस्ती खेतों से बेदखल करा दिया है, उस शारीरिक अक्षमता का अर्थ अब यहां तक लगाया जाने लगा है कि पचास वर्ष के ऊपर आदमी काम करने से असमर्थ है इसलिये उसको खेत से बेदखल कर दिया जाय। कई जगह मैजिस्ट्रेटों ने इस तरह का फैसला दिया भी है। मैंने उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को लिखा भी। लेकिन अब तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं आपके द्वारा फिर निवेदन करना चाहता हूं, शायद समझ सकने में दिक्कत हो, वह निर्गुण और सगुण का भेद है। ऐब्सट्रेक्ट (भावनागत) की बात करने में दिक्कत तो होती नहीं। मगर जब उस बात में उस शब्द में मतलब पहनाने की बात आती है तो उसमें दिक्कत की अनुभूति होती है। इससे पहले जब कि माननीय रामनारायण जी का संशोधन आया था कि समुचित मजदूरी दी जाय, तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि समुचित मजदूरी के क्या मानी ? तब दूसरा संशोधन रखा गया, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी के जरिये से कि नियत रकम कर दी जाय, नियत मजदूरी दी जाय। तो नियत मजदूरी के लिये भी आपत्ति आ गयी। अब मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वह कौन सी ऐसी बात है जिसको वह वृद्धावस्था में लायेंगे या कौन सी ऐसी शर्त है जिसको शारीरिक अक्षमता में लायेंगे। इन दोनों की सफाई होनी चाहिये, बिना इन दोनों की सफाई हुये एक बड़ा जबर्दस्त तहलका मच सकता है क्योंकि इन दोनों टर्म्स का भाष्य जिला अधिकारी ही करेगा। वहां कौन ऐसा है जो यह कहेगा कि शारीरिक रूप में अक्षम है या इनकी अवस्था वृद्धावस्था है। इसमें एक कंक्रीट चीज जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि अगर इसको नहीं रखेंगे तो मैं माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी से निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि उनका संशोधन व्यापक होते हुये भी निरर्थक हो जायगा और कानून का मनमाने तरीके से दुरुपयोग जिला अधिकारी करायगें और लोगों के ऊपर जुल्म ढायेंगे। उनके संशोधन में "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो" इतना तो हमने मान लिया। मगर मैं उनके संशोधन में एक मतलब वाली बात जोड़ना चाहता हूं। वह मतलब क्या है--उस व्यक्ति से काम नहीं लिया जाना चाहिये

सरकारी आदेश के मातहत जो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने के लिये अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण के लिये कहीं मजदूरी करता हो। क्योंकि यदि उस व्यक्ति को सरकारी आदेश के मातहत काम करना हुआ तो अपने बच्चों को क्या खिलायेगा, पालन-पोषण कैसे करेगा? उसके लिये मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरी की जो बात माननीय मौर्य जी ने रखी और माननीय रामनारायण जी ने मान भी ली, उसको भी सरकार नहीं मानती। तो ऐसी कौन सी बात होगी कि जिससे कि जहां वह काम करते हों, वहां से मजदूरी लेकर अपने बच्चों का पालन करते हों, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम करते हों, दवादारू का इंतजाम करते हों, उसके लिये क्या इसमें गुंजाइश है कि जिससे वह छुटकारा पा सकें। इसमें किसी सम्मानित सदस्य को दो राय नहीं रखनी चाहिये कि यदि इसी रूप में यह संशोधन और यह विधेयक जायगा तो वह गरीबों को, जो कहीं काम करते हैं और जो मजदूरी करते हैं अपने भरण-पोषण के लिये, उन्हीं को सरकारी आदेश मिलेगा कि तुम को झख मार कर यह काम करना होगा तो वह वंचित रह जायगे जो वह मजदूरी कर पाते हैं उससे। इस सरकारी आदेश के मातहत उन्हीं को पहले अपने जीवन निर्बाह के साधन से वंचित होना पड़ेगा। इसलिये श्रीमन्, आपके द्वारा इसमें दूसरी बात और रखता हूं, क्योंकि बहुत से लोग और माननीय मंत्री जी और सरकारी पक्ष के लोग यह बात कह सकते हैं कि मजदूरी कितनी? क्योंकि अगर यह क्लाज और संशोधन रह जाय तो यह भी भाव जगत में विचरण करेगा। किसी की मजदूरी आज ८ आने की है, किसी की ५ रुपये की है, किसी की १० रुपये की है और किसी की १० हजार प्रति दिन की आमदनी है। तो लोग कहेंगे कि आमदनी पर कुछ अंकुश होना चाहिये और इसलिये मैंने इसमें ५ रुपये का अंकुश रख दिया है कि जो पांच रुपये तक प्रति दिन पाता हो उस पर कुछ नहीं होना चाहिये। इससे ज्यादा जो पाता हो, १० रुपया प्रति दिन, २० रुपया प्रति दिन, या ६ हजार रुपया महीना पाने वाले हमारे मंत्रिगण है, उन से काम लेना चाहिये, उनके परिवार वालों से काम लेना चाहिये और अगर उनसे काम लिया जायगा तो यह भावना लोगों में फैलेगी कि सरकार जबर्दस्ती मंत्रियों के परिवार से काम ले रही है। इसलिये मैं पुनः माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान जायं और मेरे संशोधन को लेकर अपने संशोधन को पुष्ट कर लें, अपने संशोधन को सार्थक बनायें और अपने संशोधन को सही मानों में जो पीड़ित मानव है उसका उत्थान करने योग्य बनायें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तुत विधेयक को देखा और जितने संशोधन इस सदन में प्रस्तुत हुये हैं उन पर भी अच्छी तरह से विचार किया परन्तु मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि न तो विधेयक ही ठीक आर्डर में है और जितने संशोधन पेश हुए हैं वह भी ठीक आर्डर में नहीं हैं। इसलिये मैं दोनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं इसलिये नहीं कि मेरी विचारधारा एक अनोखी विचारधारा है और मैं सदन को उस अनोखी विचारधारा से अवगत कराना चाहता हूं। यह कतई मेरा न तो विश्वास है और न मेरा मकसद ही है। मैं पब्लिक गुड के लिये जिस बात को उचित समझता हूं उन विचारों को इस सदन में पेश करता हूं।

मैं बताना चाहता हूं सब से पहले एलीमेंट आफ फोर्स जो जबर्दस्ती का इसके अन्दर है, जिसका एक फिकरा इसके अन्दर रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर किसी को काम करने से इन्कार हो तो उसको जुर्माना कर सकता है, इस प्रकार का कंपलशन हमारे कांस्टीट्यूशन के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सदन को इस तरह के विधेयक पर विचार करने का कोई अख्तियार नहीं है। हमारे वह उसूल जो कि हमारी पार्लियामेंट ने अपने देश के नागरिकों के लिये निर्धारित किये हैं और जिन को कांस्टीट्यूशन के अन्दर रखा गया है, मैं समझता हूं कि इस हाउस का उन पर विचार करना अल्ट्रा वायरिस है। कोई अख्तियार हमारे इस सदन को नहीं कि इस धारा के बरखिलाफ एक दूसरी विचारधारा का कानून ६ करोड़ जनता के लिये, इस स्टेट के लिये लागू कर सके, उसको पेश कर सके।

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

दूसरी बात, जो कि मुझे कतई गलत नजर आती है, जबकि जनता में सैकड़ों बीमारियां फैलती हैं और प्लेग, हैजा और दूसरे प्रकोपों से हमारी जनता बुरी तरह से एफेक्टेड हो जाती हो, तो क्या कारण है आप पौधों के लिये, फसलों के लिये और फल के पौधों के लिये और दूसरी दूसरी चीजों के लिये तो आपके दिल में ज्यादा डर है लेकिन इन्सान का बच्चा जो कि सर्वोपरि है, जो दुनिया का और खूबसूरत बनाने के लिये पैदा हुआ है क्यों आपने पहले इस प्रकार का कानून नहीं बनाया कि जिस इलाके की जनता बीमारी से पीड़ित है उसके निकटवर्ती ५ मील के अन्दर की जनता का जो कोई भी उस बीमारी में जनता की मदद नहीं करेगा उसको जुर्माना किया जायगा हम पौधे पैदा करते हैं इसलिये कि इंसान जिन्दा रहे अपनी आजीविका भली प्रकार से कर सके। इसलिये मैं कहता हूं कि जो आप पौधों के साथ हमदर्दी रखते हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप इन्सान के लिये सोचिये, इंसान को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिये क्या आपने इस प्रकार की कोई व्यवस्था की है कोई भी कानून का कम्पलशन आपने इंसान को बीमारी से बचाने के लिये पास किया है या कोई पीस आफ लेजिस्लेशन, कोई सदस्य या मंत्रीगण यह बता सकते हैं कि इस तरह का पीस आफ लेजिस्लेशन है कि कम्पलशन करता है आम जनता को।

दूसरी बात है मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारी स्टेट में जिस प्रकार से और कोई कानून की धारा पास हो जाती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस कानून के अन्दर बेइमानी के लिये बड़ी-बड़ी गुंजाइश हो, जिस देश की पुलिस और देश के रक्षक की मोरेलिटी के ऊपर बड़े-बड़े जजमेंट हायर जुडिशियरी के मौजूद हैं जिनको बहुत बुरी तरह से इंडिक्ट किया गया है मैं बताना चाहता हूं कि न्यायाधीशों ने इसके ऊपर गौर किया और बताया कि हमारे देश में पुलिस को व रक्षकों की जो मोरेलिटी है, लो आर्डर की हो वहां इतनी बड़ी पावर उन अफसरों को दे देना यह कतई नाजायज बात होगी और जनता के लिये एक खतरा पैदा कर सकती है। इसमें बहुत से इन्नोसेन्ट और बहुत से लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है फंसाने की गुंजाइश हो, इस प्रकार की धारायें पास कर देना मैं समझता हूं कि नासमझी के सिवा और कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती।

यह कहा जाता है कि इरादा बहुत अच्छा है। मैं भी कबूल करता हूं लेकिन कानून की अदालत में आपके इरादे की बुनियाद पर उस जुर्म को नहीं कसा जायगा वह कसा जायगा उस कानून पर जो पास किया जाता है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी——आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। इस वक्त जो संशोधन पेश है मैं जानना चाहता हूं कि उस पर बात हो रही है या पूरे ऐक्ट का जनरल डिस्कशन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें।

श्री चन्द्र सिंह रावत——अगर कोई माननीय सदस्य मेरे मतलब को और मेरी बात को न समझें इसका मुझे बड़ा अफसोस है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि कानून की कसौटी पर जब जुर्म को कसा जाता है तो उसके एक २ लब्ज पर एक २ कामों पर जुर्म को साबित किया जाता है, या जुर्म को खत्म किया जाता है इसलिये हमारा जो गुड इंटेशन है वह गुड इंटेशन हमारा पैमाना इंसाफ का अदालत में नहीं हो सकता है। जिस अदालत में सैकड़ों बेगुनाह व्यक्तियों को घसीट कर ट्रायल किया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं जो आपकी गुड इंटेंशन है अगर उसको साबित करना है तो यह देखना है कि जिस धारा को पास करने के लिये सदन में रखा है आया उस धारा के अन्दर कोई ऐसी कमी तो नहीं है, संशोधन तो नहीं है जिससे कि बेगुनाह आदमी को फंसाने का बहाना मिल सके। तो मैं कहूंगा कि जो गुड इंटेशन है हमारे कानून के बनाने वालों का उसके कतई यह कदम प्रतिकूल हैं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। दूसरे जबकि कानून बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा उसूल यह है कि उस कानून से अगर समाज को राहत पहुंचती है तो उस राहत की कीमत क्या है और उस कानून

तो आड़ में जो गुनाह किये जा सकते हैं, जो जुर्म किये जाते हैं, उन जुर्मों की कितनी कीमत है, कितनी हद तक जनता को हानि पहुंचाया जा सकता है, इसको भी देखा जाय। अगर राहत की कीमत छोटी है और गुनाह और जुर्मों की कीमत जो कि इस कानून की आड़ में हो सकते हैं, अगर उसकी कीमत बहुत बड़ी है तो इस प्रकार का कानून हमेशा लेजिस्लेचर के सामने कंडम किया जाना चाहिये। अगर कानून पास ही हो गया तो भी आज इस सदन को यह अधिकार है कि पास होने पर भी उसको कंडेम किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि वह संशोधन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री चन्द्र सिंह रावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही, अपने भाषण के प्रारम्भ में ही कह दिया था कि मैं संशोधन का भी विरोध कर रहा हूं और जो असली धारा है उसका भी विरोध करता हूं इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, कोई खामी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। अगर किसी के दिमाग में कोई खामी हो तो वह नहीं होनी चाहिये। आज यह सदन छः करोड़ जनता का भाग्य विधाता है, छः करोड़ की रक्षा के लिये उसके हितों की रक्षा के लिये हम यहां पर बैठे हैं और हमें उस जनता के भाग्य का फैसला करना है जिसने कि अपना मत प्रदान करके हम लोगों को इस सदन में भेजा है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, क्या ऐसा कोई भाषण इस सदन में हो सकता है जो न इधर का हो और न उधर का हो?

श्री चन्द्र सिंह रावत--मैं पहले ही कह चुका हूं कि समझ के फेर के लिये मैं क्षमा चाहता हूं अलग-अलग बुद्धि के लोगों की अलग-अलग समझ हुआ करती है। अगर उसके लिये कोई मुझे फांसी करना चाहता है तो मुझे कबूल है। मैं इन्कार नहीं करता। परन्तु मैं चाहता हूं कि जो कोई भी काम होता है वह परदे के पीछे न हो, प्रकाश के नीचे हो। आंखें खोलकर हो। हर चीज अपनी आंख के सामने रखकर तब हम लोगों को अपना फैसला देना है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री से जिन्होंने इस अधिनियम को पेश किया है और उन साथियों से, उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने कि बिला सोचे समझे अमेंडमेंट्स इस सदन में पेश कर दिये हैं, उन अमेंडमेंट्स के नतायज को ऐनालाइज करके नहीं देखा कि अगर वह अमेंडमेंट्स पास हो जाते हैं तो उससे जनहित की रक्षा होगी या उसकी आड़ में ऐसे काम हो सकते हैं जिनसे कि बेगुनाह जनता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कानून मैं आपको बताना चाहता हूं हमेशा भले आदमियों के लिये नहीं बनाया जाता है, यह तो बेईमानों और बदमाश जो कि एंटी सोशल एलीमेंट्स होते हैं उन्हीं के लिये कोई कानून हर सरकार बनाती है। जब हम कानून पास करते हैं हमें उन भले आदमियों को अपने दिमाग के सामने नहीं रखना है। हमें समाज के उस बुरे एलीमेंट को, जो समाज का हनन करते हैं, उसकी मति देखकर, उसके माइंड के ट्रेंड को देखकर उसकी बैड हैबिट्स को और उसका जो दुश्चरित्र है उसको देखते हुये ही हमको कानून की धारायें यहां पास करनी हैं। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने बे समझे-बूझे अपने अमेंडमेंट्स को पेश किया, वह अपने अमेंडमेंट्स को वापस लें और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि फिर इसके ऊपर गौर करके इसे रखें। अगर कोई कानून की धारा हम पास कर देते हैं और उससे हजारों लाखों को नुकसान पहुंचता है तो उनके कानून की क्या इज्जत रह जायगी और वह आपको क्या कहेंगे क्या आप मुंह दिखाने के काबिल जनता के सामने रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। आपको जनता के हितों को ही केवल अपने मद्दे नजर रखते हुए कानून की धाराओं को ठीक प्रकार से रखने की जरूरत है। इसलिये इसमें कोई भी भाई अगर बिला सोचे समझे अमेंडमेंट्स पेश करते हैं। उसकी गुडनेस और बैडनेस को देखे बगैर अमेंडमेंट्स पेश करते हैं। तो मैं उसका विरोध करता हूं और इसके लिये अगर वह मुझे दोषी समझते हैं तो मैं उसके लिये तैयार हूं। अगर कोई

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

भी वह सजा मेरे लिये देना चाहें, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने कहता हूं कि मैं उस सजा के लिये तैयार हूं। लेकिन यदि मैं जनहित की बात माननीय सदन के सामने नहीं रखता तो मैं गुनहगार अपने को समझूंगा और अपने को एक प्रोग्रेसिव आदमी न समझकर जनहित का हनन करने वालों की लिस्ट में अपने को समझूंगा। इसी नुक्ते नजर से और उसी सद्भावना से मैं अपने सारे माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि इस धारा को कतई इस हालत में न लायें, जिसको कि ठीक तरह से ऐनेलाइज भी नहीं किया गया। यह हमारे दिमाग के ऊपर एक रिफलेक्शन होगा कि जिस कार्य को करने के लिये यह सदन अयोग्य है उस तरह के कानून यहां लाये जाते हैं। जिन सिद्धांतों का हमारी सर्वोपरि पार्लियामेंट ने सम्पादन करके कांस्टीट्यूशन में यह गारण्टी रखी है कि हम हर एक सिटीजन की फ्रीडम और सिटिजनशिप में किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचायेंगे हमें उस कांस्टीट्यूशन की रक्षा करनी है, यह हमारा परम धर्म और कर्त्तव्य है। अगर हम उसकी धाराओं का हनन करते हैं तो हम राष्ट्र के ट्रेटर्स हैं और अपने राष्ट्र के शुभचिंतक न कहे जाकर, द्रोही कहे जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वह संशोधन के विषय पर नहीं कह रहे हैं, विषयांतर कर रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत--मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मेरी यह मांग है कि संशोधन वापस हो और मंत्री महोदय उस धारा को वापस करें और उसको फिर से माइल्ड करने की जरूरत है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधित संशोधन इस वक्त इस सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैंने भी एक संशोधन दिया था। वह भी बिलकुल इसी रूप का था जैसा कि अब यह संशोधित संशोधन रखा गया है। इस वक्त जो हमारे सामने खंड है उसमें केवल एक ही अक्षमता दी गयी है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को माफ कर सकता है। वह है शारीरिक अक्षमता, चाहे वह वृद्धावस्था की हो या लंगड़ा-लूला या कोई और अक्षमता हो। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई ऐसी पावर नहीं, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हुआ करती हैं जिसमें कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता मान लो, उसके घर में बीमारी है, कोई घर में ऐसा निकट सम्बन्धी बीमार है, जिसकी उसको सेवा शुश्रुषा करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो यह विधेयक आया है उसमें जिला मैजिस्ट्रेट को मौका नहीं दिया गया है कि उसको छुट्टी दे दें। ऐसे ही विवाह है, उसमें उसको जाना है या मौत में जाना है या और भी बहुत से आवश्यक काम हैं कि जिनकी वजह से एक मनुष्य को जाना पड़ता है। उनको छुट्टी देने के लिये, जुर्माने से बचाने के लिये कोई भी अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आदेश देने के बाद काम पर नहीं जाता है तो जिला मैजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना कर देगा। यह तो हो सकता है कि एक रुपया जुर्माना करे या ५० तक करे मगर उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि वह उसको छुट्टी दे दे या जुर्माना से माफ कर दे। सिर्फ एक ही अधिकार है कि वृद्धावस्था में माफ कर सकता है या उसकी शारीरिक अयोग्यता में। इसलिये यह बिलकुल जरूरी है कि इसमें ये शब्द होने चाहियें कि "किसी और विशेष कारण से"। किसी कारणवश, कोई अन्य कारण भी हो जो इतना ही आवश्यक हो तो उसमें भी जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार हो और ऐसे समय में जो शासकीय जुर्माना किया जाने वाला हो उससे उसको मुक्त किया जाय।

इसलिये जो संशोधन संशोधित रूप में आया या यों कहिये कि जो मैंने रखा था जिसका कि यही रूप है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बिलकुल आवश्यक है। इसको वह स्वीकार कर लें। इससे जिला मैजिस्ट्रेट की कोई शक्ति या अधिकार कम नहीं होता है बल्कि एक अधिकार उसको मिलता है जो उसके लिये बिलकुल

जरूरी है और न्याय के लिये भी बिलकुल आवश्यक है कि उसको यह अधिकार होना चाहिये कि ऐसी विशेष अवस्था में जब कि वह काम के लिये बिलकुल मजबूर हो उसे छोड़ सके। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण--आन एप्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान विधान के इस अनुच्छेद की तरफ दिलाना चाहता हूं :--

"Nothing in the article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purpose and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them."

तो "Free compulsory service" इसमें यहीं है और यह कानून जो बन रहा है वह free compulsory service के लिये बन रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कानून अनुचित है इस अनुच्छेद के अनुसार। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं इसके लिये अभी कोई रूलिंग देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा अधिकार है। मैंने एक व्यवस्था आपके सामने रखी। अब मैं चेयर की रूलिंग अवश्य चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--क्लाज तो बिलकुल स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर यह छूट आ सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी का संशोधन इतना स्पष्ट, तर्कसंगत और युक्ति संगत है कि मेरे विचार से सरकार को उसे स्वीकार करने में बिलकुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--बिल्कुल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो आप कह दें कि आपत्ति नहीं है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि अगर माननीय सदस्य लोग मौका दें तो मैं यह कहूं कि अभी जो माननीय चतुर्वेदी जी ने संशोधन पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--संशोधन पर जो संशोधन हुआ है उसके बारे में क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--चतुर्वेदी जी ने जो संशोधन पेश किया है वह मैं मानता हूं। माननीय राज नारायण जी ने जो किया है वह नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं संशोधन के उपस्थित करने वाले महानुभाव से पूछना चाहता हूं कि संशोधन पर जो संशोधन आया है उसको स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी--आपने मंत्री जी से तो पूछ लिया, अब मैं क्या कहूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप केवल यह बतलाइये कि आप उसे मंजूर करते हैं या नहीं ? कारण आप अपने उत्तर में बता सकते हैं। उत्तर देने के लिये तो आपको अवसर मिलेगा ही।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी--कारण बताने का भी तो मुझे अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष——वह तो जब आप उत्तर देंगे तब आप कह सकेंगे। आपको तो अभी भाषण देने का पूरा मौका मिलेगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी——मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय नारायण दत्त तिवारी, आप कुछ कहना चाहते थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी——अब तो मंत्री जी ने मान ही लिया इसलिये मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी——उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी का ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इस ओर संकेत किया कि इसमें जो त्रुटि है उसकी पूर्ति की जाय। किन्तु मैंने उस पर विचार किया और जैसा कि अपने प्रथम भाषण में कहा था कि यदि यह संशोधन यहीं तक सीमित रह जाता है तो इसके मातहत ऐसे नियम बन सकते हैं कि जिनसे जो उनकी इच्छा है वह भी पूर्ण हो सकेगी और चूंकि वे नियम सदन के सामने फिर आयेंगे तो उनमें जो कुछ भी त्रुटि हो उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो ५ रुपये की बात कही कि जिस व्यक्ति की आमदनी प्रति दिन ५ रुपये हो उसको सहायता देने के लिये बाध्य न किया जाय। मैं समझता हूं कि मैं भावना के जगत में था तो वह कल्पना के जगत में हैं, क्योंकि जिस अभागे देश के निवासियों की २५० रुपये प्रति साल से कम आमदनी हो तो ५ रुपये प्रति दिन कमाने वाले गांव में कितने आदमी मिलेंगे और जिन गांवों में २०० रुपये सालाना आमदनी औसत न पड़ती हो वहां ५ रुपये प्रति दिन कमाने वाले कितने आदमी होंगे। इसका तात्पर्य तो यह होगा कि किसी भी आदमी से नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं मजबूर हूं कि उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह वास्तविकता से बहुत दूर है और मैं समझता हूं कि जो उनका उद्देश्य है वह म संशोधन के स्वीकृत होने और उसके अन्तर्गत बने हुये नियमों के द्वारा पूर्ण हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन में ये शब्द जोड़ दिये जायं——

> "किन्तु जो दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करता हो और ५ रुपये प्रति दिन से अधिक मजदूरी न पाता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——अब प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध के प्रथम वाक्य को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय:——

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि:——

> खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ५ में शब्द "रहता हो" के बाद का "कामा" हटा दिया जाय और उसके बाद तथा शब्द "सहायता" के बीच में शब्द "अथवा उसको जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय" रख दिये जायं।

श्रीमन्, श्री नारायण दत्त जी ने इस सदन के सम्मुख इसी खंड से संबंधित

अपना संशोधन उपस्थित किया था और उसमें उन्होंने चाहा था कि उचित पारिश्रमिक देकर काम कराया जाय। मेरा संशोधन है कि अथवा जिसको जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय उससे काम न लिया जाय।

श्रीमन्, बहस के दौरान में मंत्री जी ने इसी धारा के संबंध में अपना भाषण देते हुए श्रमदान की भी चर्चा की और आपने यह बतलाया और चैलेंज भी दिया कि प्रांत के किसी स्थान में श्री राजनारायण साबित कर सकें कि श्रमदान कहीं भी जबर्दस्ती हुआ तो वह मानने के लिये तैयार हैं। उनका चैलेंज है कि कहीं नहीं हुआ इसका उत्तर माननीय राजनारायण जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। लेकिन श्रीमन्, मुझे भी इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि जिलाधिकारियों के अलावा श्रमदान जनता तभी देती है जब वह ऊपर से दबाव महसूस करती है। हमको भी गांव में रहने का मौका मिला है और हमने देखा कि २६ जनवरी के अवसर पर और बहुत से अवसरों पर जब कि श्रमदान के लिये देहात की जनता को ग्रामसभा की ओर से बुलाया जाता है तो जब तक ग्राम सभा के इन्सपेक्टर या वहां के क्षेत्र के एम० एल० ए० वहां पर उपस्थित न हों तब तक जनता वहां पर उपस्थित नहीं होती है। मुझे भूदान के विषय में भी सुनने का मौका मिला है। जिस समय राघवदास जी वहां पर आये हुये थे तो उस समय मैंने वहां के तहसीलदार को यह कहते सुना है कि यदि फलां जगह से कम भूमि मिली तो मैं समझता हूं कि वहां के पटवारी को कुछ दिनों के लिये मुअत्तल करूंगा। यह मेरे सामने की बात है। श्री रामसुन्दर पांडेय एम० एल० ए० भी वहां पर मौजूद थे उनसे भी मैंने इस बात को कहा था। इसी तरह से श्रमदान के बारे में भी मुझे मालूम है। श्रमदान विद्यार्थी करते हैं। इन्टरमीडियेट कालेज के विद्यार्थी अपने गुरुओं को खुश करने के लिये और कुछ काम कुछ साहस दिखाने के लिये, वहां जो सड़कें वगैरा बनाते हैं, उसके लिये वह करते हैं लेकिन वह सड़क बरसात के दिनों में गायब हो जाती हैं। यदि गांव की जनता श्रमदान करती है तो वह इसलिये करती है कि पटवारी, सेक्रेटरी और वहां के एम० एल० ए० का उनके ऊपर जोर पड़ता है। श्रमदान मैंने अपने जिले में भी कलेक्टरी और कचहरी के अहलकारों को करते देखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं जिन्होंने उस चीज को देखा है कि यदि वहां पर नेता लोग न रहें या अधिकारी वहां पर न रहे तो क्या यह श्रमदान का कार्य चल सकता है? अगर इनमें से कोई न रहे तो फिर यह देखने को मिलना मुश्किल है।

इस विधेयक में जो हमारा संशोधन है वह केवल इसलिये है कि एक आदमी जो गरीब है, हमारी सरकार भी इस बात को मानने के लिये तैयार है कि देहात की जनता के पास जहां पर कि अनुपात में खेती का साधन कम है और जहां पर खेती की होल्डिंग लोगों के पास कम है या जो बिलकुल मजदूरी पर अपना पेट भरते हैं यदि उन लोगों को कुछ दिनों के लिये काम पर लगाया जाय तो उनको काम पर लगाने के बाद कुछ पारिश्रमिक पेट भर खाने के लिये दिया जाय या उसके लिये खाने का कुछ प्रबन्ध किया जाय। यदि उनको खाने के लिये न दिया जाय तो उनको काम पर न लगाया जाय। जिस समय देवरिया में टेस्ट वर्क चल रहा था तो वहां के लोगों की जीविका के लिये ६ आना और ७ आना प्रति दिन उनको दिया जाता था। वह इसलिये दिया जाता था कि वह अपनी जीविका चला सकें और शाम को वह जाकर आराम से सो जाय और अगले दिन काम पर आ जाय। इसीलिये हमने भी इस संशोधन को रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के लिये भी यह आवश्यक और अनिवार्य है कि वह इस संशोधन को मानें। यदि वह यह समझते हैं कि प्रान्त के अन्दर इस तरह का कोई भी आदमी नहीं है जो कि काम पर आने के बाद अपने खाने का इन्तजाम न कर सके तो सरकार का फर्ज है कि वह उनके लिये खाने का इंतजाम करे।

[श्री रामेश्वर लाल]

सरकार स्वयं जानती है कि लाखों इस तरह के लोग हैं जो रोजी और रोटी के अभाव में भीख मांगते फिरते हैं और न मालूम दूसरे क्या क्या काम करते हैं। जब वह इन गरीब आदमियों को अपने यहां काम पर लगाये तो सरकार के लिये यह आवश्यक है कि पेट भर खाने के लिये प्रबन्ध करे और तभी उनसे काम लेने की बात करे। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक संशोधन के सम्बन्ध में यह कहा था कि नियमों में कुछ ऐसा प्रबन्ध कर देंगे, जिससे कुछ पारिश्रमिक उनको खाने के लिये मिल जाय, लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इसको जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। जिस चीज को वह एक बार स्वीकार करते हैं तो बाद में उसी के लिये कह देते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। हमने देखा है कि गांवों में अधिकारी लोग जबरन काम लेते हैं और लोगों की इच्छा के विरुद्ध वह काम करते हैं जो सरकारी अधिकारी गांवों में काम करते हैं उनको हमने देखा कि वह कानून के दायरे से बाहर जाकर भी काम करते हैं और दूसरे लोगों को भी उस पर काम कराने के लिये आमादा कराते हैं इसलिये थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। सरकार इस कानून को बनाकर ग़रीब किसानों और खेतिहर मजदूरों की खाने-पीने की व्यवस्था न करके उनको बरबाद करना चाहती है अगर हमारे संशोधन को नहीं मानती है। आज गांवों में ज़मींदारी अबोलीशन के बाद सरकार को जानना चाहिए क्या हो रहा है। हमारे राजा साहब, अवधेश प्रताप जी अभी बोले थे और अभी शम्भूनाथ जी का संशोधन मान लिया गया, जिसका मैं विरोध करना चाहता था। उसमें कहा गया है कि उचित कारण बतला कर सहायता देने में असमर्थ हो। तो ये राजा लोग और नेता लोग उचित कारण दिखला सकेंगे, मगर गरीब तो कभी चैलेंज करने को नहीं जायगा। मगर ये राजा लोग और नेता लोग जायेंगे और अपने को इस कानून के बन्धन से मुक्त कर लेंगे। ग़रीब किसान पीसा जायगा। पुलिस और पटवारी राजाओं और नेताओं के हाथ में खेलेंगे और हजारों किसानों का इस कानून से शोषण होगा। इसलिये मैं इसका सख्त विरोध करते हुए इस प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सम्मानित सदन यहां के गरीब लोगों के साथ इंसाफ करेगा। मैं आज चाहता हूं कि कम से कम इस संशोधन को मैंने रखा है यह सदन मान ले और किसानों को राहत दिलाने में एक नई कड़ी जोड़े।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे इस बात की आशंका है कि श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन में जो संशोधन हमने प्रस्तुत किया था उस संशोधन को दूसरे शब्दों में माननीय रामेश्वर लाल जी ने रखा। श्री चतुर्वेदी जी ने इस देश की पर कैपिटा इनकम २५५ और २६० रुपये साल का हवाला देकर हमारे संशोधन का विरोध किया और उनके तर्क से सरकार भी सहमत थी। यदि सरकार सहमत न होती तो वह हमारे संशोधन को मान लिये होती। यदि माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी और उनके विचार के दूसरे भाई लोग सही रूप में ५ रुपये मजदूरी फी व्यक्ति अपने देश में ज्यादा समझते हैं तो उनके इस तर्क को मानते हुये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन से वे अपने को अलग न रखेंगे, क्योंकि रामेश्वर लाल जी ने जीविका चलाने भर की मजदूरी रखी है। मैं माननीय रामेश्वर लाल जी से निवेदन करूंगा आइन्दा के लिये कि अब हम लोग व्यापक शब्दावली में न फंसा करें क्योंकि आज अपने मुल्क में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न का नारा दिया तो वह भी एक रूप से समाजवाद चाहती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी भी मौखिक रूप से समाजवाद चाहती है। हम देखते हैं कि प्रति दिन अहिंसा की बातें करते हुये सरकार निहत्थों पर गोलियां चलाती है। जो सरकार माहत्मा गांधी की कुटीर उद्योग की नीति को छोड़कर अमरीका से बड़ी बड़ी मशीनरी लाकर उनको चलाना चाहती है तो उसके लिये कैसे कहा जा सकता है कि वह सही विकेन्द्रीयकरण का काम कर रही है? जीविकोपार्जन शब्द थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है। मैं चाहता हूं कि इस धारा में कोई जिन्दगी हो, इसमें

जिन्दगी डालनी चाहिये। मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन की ताईद करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा और माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी से भी निवेदन करूंगा कि जीविकोपार्जन की मजदूरी क्या हो, इसको भी कहीं संकेत कर दिया जाना चाहिये। हमने तो ५ रुपये इसलिये रखा था कि आज रिक्षा चलाने वाला भी ५ रुपये प्रति दिन पैदा कर लेता है। जिस मुल्क का प्रधान मंत्री यह कहता हो कि ज्यादा और बड़ा काम करो उस मुल्क में रिक्षा चलाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। कोई मंत्री यदि २ घंटे भी रिक्षा चला कर देखे तो मालूम हो सकता है कि कितना परिश्रम पड़ता है। अगर इस सदन के माननीय सदस्य ५ रुपये से घटाकर ३ रुपया या २ रुपया या १ रुपया ही करना चाहते हैं तो मुझे कोई विशेष एतराज नहीं है। मैं तो रामेश्वर लाल जी से निवेदन करूंगा कि जीविकोपार्जन का मूर्तिमान स्वरूप रख दें। १ रुपया भी रख दें तो २ मील के अन्तर पर रहने वाली जनता कुछ इससे बच सकती है। यदि श्री राम नरेश शुक्ल के जीविकोपार्जन की मजदूरी मिले तो वह १० रुपये प्रति दिन पाते हैं। माननीय मंत्री जी की मजदूरी कम से कम २०० रुपये प्रति दिन की होगी। अगर इसी तरह के दूसरे लोगों की मजदूरी देखी जाय तो किसी की हजार और किसी की २ हजार रुपया हो सकती है।

(इस समय ४ बज कर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अगर ३ वर्ष तक इस विधान सभा के सदस्य की हैसियत से काम करते रह कर हमने कांक्रीट रूप में अपना संशोधन रखना नहीं सीखा तो हमें समझना चाहिये कि हम अभी भी भ्रमजाल में भ्रमण कर रहे हैं। मैं इसलिये चाहूंगा कि जीविकोपार्जन का मूर्तिमान स्वरूप यहां पर रक्खा जाय। जो कुछ हो वह सही मानों में रक्खा जाय तभी जीविकोपार्जन वाली बात ठीक हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत दिन हो चुके जब कि हम व्यापक शब्दों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, इस सदन में केवल लच्छेदार भाषा की प्रतिष्ठा करते चले आ रहे हैं, लेकिन केवल व्यापक और लच्छेदार भाषा का प्रयोग करने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज तो भावमय जगत में सब लोग एक समान मालूम होते हैं। आज तो क्या कांग्रेस पार्टी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी और क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सब समाजवाद की दुहाई दे रही हैं। तो जब आज इस प्रकार सोशलिज्म की दुहाई देने की बेला है, ऐसे समय में सोशलिस्ट पार्टी के प्लेटफार्म से हमारा कथन है कि वह अपने कथन में प्राण डाले, जीवन डाले, सार डाले और निष्प्राण और निर्जीव भाषा के प्रयोग को वह साकार रूप में रखे, तभी जाकर जनता ऊपर उठ सकती है, उसका कल्याण हो सकता है। इसलिये मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और उसमें पुनः एक छोटा-सा संशोधन रखना चाहता हूं।

"अथवा जिसकी जीविका चलाने भर अथवा २ रुपया प्रति दिन की मजदूरी न दी जाय"

रख दिया जाय। जब कि हमारा संशोधन ५ रुपये प्रति दिन का गिर गया है। हमने यह २ रुपया प्रति दिन का संशोधन रखा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी और माननीय रामेश्वर लाल जी, जिन्होंने यह संशोधन पेश किया है वे उसको इस प्रकार रख दें—"अथवा जिसकी जीविका चलाने भर की मजदूरी अथवा २ रुपया प्रति दिन न दी जाय।" अगर यह २ रुपया तथ्य रूप में, मूर्तिमान रूप में, साकार रूप में जोड़ दिया गया तब तो वह ठीक और निश्चित हो जायगा वरना सरकारी कर्मचारियों के हाथ में उसका निर्धारण भी आ जायगा और उस अधिकार का सरकारी कर्मचारीगण मनमाने तरीक़े से उसका उपयोग करेंगे। इसलिये मैं अपने इस संशोधन को माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन पर रखकर इस सदन के सम्मानित सदस्यों और माननीय रामेश्वर लाल जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करके वस्तुस्थिति को परखें और साकार रूप में, तथ्य रूप में, मूर्तिमान रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट करें।

श्री राम सुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी रामेश्वर लाल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन यदि मान लिया जाय तो इस प्रकार हो जायगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो अथवा जिसकी जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा।"

अध्यक्ष महोदय, इसके यह मानी हो जाते हैं कि इस तरह के व्यक्ति काम में नहीं लगाये जा सकते। जो वृद्ध हों, शारीरिक क्षमता के न हों, काम न कर सकते हों या जो ५ मील से दूर रहते हों या जिनकी जीविका मजदूरी करना हो ऐसे आदमियों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। इससे साबित होता है कि जिन लोगों की जीविका मजदूरी है, ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी देकर ही काम पर लगाया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जो यह कहते हैं कि कोई अपने मन से काम नहीं करता है तो उसे मजबूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जो इसके उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उनसे स्पष्ट हो गया है कि यह बहुत कोशिश की गयी कि लोग समझाने बुझाने से काम करें, लेकिन जब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो यह विधेयक लाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ताजीरात हिन्द की एक दफा ३७४ है जिसमें यह बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है तो मजदूरी देकर भी उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं लिया जा सकता है और जहां तक मुझे याद है कि इस दफा के मातहत लोगों को सेशन कोर्ट से सात सात साल तक की सजा हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह दफा अब भी लागू है और इसमें साफ मालूम होता है कि इस अधिनियम के मातहत जो लोग न भी काम करना चाहें उनसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करा सकता है। उधर ताजीरात हिन्द की दफा ३७४ में यह लिखित है कि किसी की मर्जी के खिलाफ काम नहीं लिया जा सकता है और इधर हुक्म देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम ले सकता है। इसमें दिया हुआ है कि ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, अक्षम हैं उनसे काम नहीं लिया जायगा। मैं इसको गलत मानता हूं इसलिए गलत मानता हूं कि आप जो सदन में बैठ कर कानून बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अधीन काम करने वालों को आदेश देता है, वह परगना हाकिम या तहसीलदार को आदेश देता है, लेकिन वे लोग कानून के मुताबिक या आपके मंशा के मुताबिक तो काम करते नहीं। वे तो अपने मन के अनुकूल कानून का मतलब लगाकर काम करेंगे। मेरा विश्वास एवं अनुभव है कि इस प्रदेश के अन्दर हम लोगों के रहते जितने कायदे-कानून बने हैं, उनमें मैं २०, २५ उदाहरण दे सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों और मैजिस्ट्रेटों ने उन कानूनों का उल्लंघन किया है और यह सरकार उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी है और न कर सकती है, क्योंकि इतनी ताक़त ही उसके पास नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वी जिलों में जैसे आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया में जहां तक मेरी जानकारी है ३३ प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं जिनकी जिन्दगी केवल इस बात पर मुनहसर है कि वे खेतों में काम करें और अन्य स्थानों पर जाकर मजदूरी करें तब अपनी जीविका चला सकते हैं और मजदूरी न करें तो भूखों मरें। ऐसे लोगों के लिये ही यह कानून बना है कि जो फार्म्स पर काम करने वाले मजदूर हैं उनको कम से एक रुपया मजदूरी दी जाय। जब मजदूरों के लिये कानून बना हुआ है कि खेतिहर मजदूरों को कम से कम एक रुपया मजदूरी दी जाय तो फिर यह क्या बात है कि ऐसे मजदूर जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी पर निर्भर है ऐसे मजदूरों से जबर-दस्ती काम लें और ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार सुपुर्द करें जो आपकी मर्जी के खिलाफ करें, आपकी मंशा के खिलाफ काम करें। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों की वजह से बड़ी कठिनाई होगी। इन शब्दों में मैं श्री राज नारायण जी का समर्थन करता हूं कि श्रमदान तो अपने मन से करने की चीज है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, परगना हाकिम आदि अफसर आदेश देंगे

और गरीब व्यक्ति डर से काम करेगा और पैसे वाले तथा सफेद पोशों से श्रमदान का काम नहीं करायेगा, बल्कि वह तो गरीब आदमियों से काम करावेगा और वे बेचारे डर के मारे करेंगे भी। इसी प्रदेश में जहां टेस्ट वर्क पर मजदूरों को ५ आने, ४ आने, साढ़े तीन आने और ३ आने मजदूरी देकर काम लिया जाता है वहां सुबह ८ बजे से शाम के ५ बजे तक बिना कुछ मजदूरी दिये हुये श्रमदान का काम लिया जाय तो यह बहुत खराब बात होगी। यह सरकार के लिये भी खराब बात होगी। मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं कि ऐसे कानूनों का ही जनता उल्लंघन करती है और महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को भी यह सिखाया है कि ऐसा कानून जो जनता की इच्छा के खिलाफ बनाया जाय उसका उल्लंघन होना चाहिये। इसी प्रदेश में स्पेशल पावर्स ऐक्ट का हम लोगों ने विरोध किया और आखिरकार हाईकोर्ट द्वारा वह कानून ख़त्म कर दिया गया। तो मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कानून न बनावें, जिससे जनता को मजबूर होना पड़े उस कानून का उल्लंघन करने के लिये, मजबूर होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी ऐसे कानून की मुखालिफत करने के लिये जनता का साथ देना पड़े।

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाना चाहिये, जनता आपके बनाये हुए कानून का समर्थन करे और जनता जिस कानून का विरोध करे वह कानून यहां न बनना चाहिये। आपके यहां पावर में आने के बाद बहुत से कानून ऐसे बने हैं कि जिनका जनता ने अनादर किया है और जिनको उसने दिल से नहीं माना है, जिसका समर्थन जनता करे और दिल से माने वही किसी देश का सफल कानून हो सकता है। आपकी तरफ के बीसियों सदस्यों ने इस कानून का विरोध किया है और कहा है कि ऐसे लोगों से काम न लिया जाय जो स्वयं मजदूरी करके गुजर करते हैं, वह बात दूसरी है कि आप बहुमत के आधार पर इस तरह की चीज़ पास कर लें, लेकिन इसका विरोध जनता करती है। इसलिये मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जो अपनी जिन्दगी मजदूरी करके चलाते हैं उनको इसमें न रखा जाय। आप यह अधिकार कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट को देते हैं तब भी उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिये हम चाहते हैं कि उनको केवल मजदूरी देकर ही काम में लगाया जाय। ५ मील का एरिया है और खेतिहर मजदूर जिनके पास एक विस्वा भी जमीन नहीं है और कोई जीविका का साधन नहीं है, उनसे काम लेना और यह काम एक दो दिन में नहीं हो सकता वह साल भर या ६ महीने तक भी चल सकता है। अगर आप बगैर उसके खाने का इंतजाम किये हुए उसको काम पर लगावेंगे और यहां बैठ कर इस तरह का कानून बनावेंगे तो वह जनता की इच्छा के खिलाफ होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से और इधर के बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के कानून का विरोध करें और माननीय रामेश्वर लाल जी द्वारा उपस्थित संशोधन का समर्थन करें।

***श्री रामनरेश शुक्ल**—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र और पुराने नेता विरोधी दल श्री राज नारायण जी ने कुछ समाजवाद की व्याख्या की थी और उस व्याख्या में आपने कृपा करके यह फरमाया कि कांग्रेस जो है वह तो केवल मौखिक रूप से ही समाजवादी पेटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहती है। इसके भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी मौखिक रूप से ही समाजवाद की बात करती है. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि आप कृपया संशोधन पर ही आ जायं।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं तो यह कहने ही जा रहा था कि इसका संशोधन से कोई संबंध नहीं है और न उसको मुझे जवाब ही देना चाहिये, केवल एक पंक्ति इस विषय में मुझे कहनी है और वह यह है कि एक मनोविज्ञान का प्रश्न है कि जब इंसान संकीर्णता की तरफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

चलता है तो आगे चल कर वह संकीर्ण होता जाता है। अध्यक्ष महोदय जिस तरह के तर्क वह रखते हैं उससे तो व्यर्थ के लिए विरोध की भावना उत्पन्न करना है और इसीलिए वही उनकी भावना आज यहां अब भी बनी है। अभी तो श्री राम नारायण त्रिपाठी जी उनके साथ हैं लेकिन वह भी कल न रहेंगे तो न जाने परसों क्या होगा....

श्री राजनारायण--अहं ब्रह्म हो जायंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल--ठीक है, फिर आप अहं ब्रह्म हो जायंगे, यह खयाल आप का सही है। मुझे इस विषय में आपसे केवल इतना कहना है कि आपका विरोध रचनात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिये आप ने उस रचनात्मक दृष्किोण का प्रदर्शन इस संशोधन के द्वारा नहीं किया और इसी लिए सदन के बाहर या अन्दर कोई सपोर्ट आपकी नहीं है। आज मेरे दोस्त शाम को घर लौट कर अपने भाषण को एक बार पढ़ें और इस लिए पढ़ें कि उनके कथन की कोई सीमा थी या नहीं थी और अगर नहीं थी तो उस पर विचार करें कि भाषण केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस संशोधन के विषय में एक प्रश्न पूछना है कि इस पर मेरे मित्र राम सुन्दर जी ने श्रमदान की व्याख्या भी कर डाली। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई व्यक्ति श्रमदान की महत्ता को न समझता है, न समझने की कोशिश करता है और उसमें गुणों का अनुभव न करते हुए उसपर अपनी राय जाहिर करने लगता है और कहने लगता है कि वह बेगार है और उसका रूप इस देश में कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों ने किया है और मैं समझता हूं कि न तो ऐसे विचार के लोगों ने श्रमदान में कार्य किया है और न वे श्रमदान में विश्वास रखते हैं। और उसी का फल यह संशोधन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--सीतापुर में जवाहर लाल जी ने कल क्या कहा था ?

श्री रामनरेश शुक्ल--आप उसको पढ़ लीजिये।

श्री राजनारायण--आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या ?

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं तो सुन चुका हूं। मैं तो वहां पर था ही। आपको पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़िये। तो तोड़मरोड़ कर श्रमदान को बेगार बताया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अपना काम करना भी अगर बेगार है तो ऐसे तो सभी लोग बेगार किया करते हैं। जो संशोधन रखा गया कि कुछ पारिश्रमिक उसे दें। कोई सरकारी काम करने के लिये कलेक्टर द्वारा तो बुलाया नहीं जा रहा है कि सरकार की तरफ से उनको मजदूरी दी जाय। काम किसका करने के लिये, सरकार का या अपना काम करने के लिये आह्वान किया जायगा कि भाई यह काम करो और मजदूरी दी जाय। सरकार तो केवल यहां पर मदद करने की हैसियत से कि वह ना समझों को, जो कि समझते नहीं है कि इससे समाज का नुकसान होगा, समझाये। सरकार यहां पर प्रत्यक्ष होती है कि मदद करे समझाने में और यही सरकार का काम है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि यहां एक गरीब बुढ़िया का खेत है और उसके गेहूं के खेत में गेरुई लग गई। तो आप वह अपाहिज या बुढ़िया तो उस खेत से गेरुई नहीं निकाल सकती और पड़ोसी का खेत जो है वह भी अपनी जगह पर निश्चय है कि बरबाद होगा, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे खेतों पर पड़ेगा, लेकिन पड़ोस के खेत वाले समझते नहीं हैं ऐसी अवस्था में यह राज्य सरकार का काम है कि वह बीच में आवे और बाध्य करे कि तुम्हारे हित के लिये जरूरी है कि तुम चलकर इस बुढ़िया के खेत के कीटाणुओं को दूर करो। ऐसी बात के लिये मज़दूरी मांगना यह कोई रचनात्मक विरोध नहीं है और ऐसी बात के लिये इस प्रकार के लांछन लगाना कि यह सरकार बेगार की प्रथा को मानती या उसको प्रोत्साहन देती है मैं समझता हूं कि यह कोई मतलब नहीं रखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह विधेयक जो है वह ऐसी अवस्था के लिये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि क्या वह समझते हैं कि सरकारी अफसर छोटे से गेहूं के खेत के कीड़ों

को दूर करने के लिये सारे जिले के लोगों को इकट्ठा कर लेगा कोई कलेक्टर। मैं समझता हूं कि अगर कोई पागलपन करे तो राज्य सरकार है। तो यह विधेयक जो है वह जो काम नहीं कर सकते हैं जो नहीं समझते उनको बाध्य करने के लिये ही, उनको सहायता करने के लिये है। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें मजदूरी की क्या जरूरत है अपना काम करने के लिये मजदूरी की व्यवस्था क्या? अब थोड़े दिनों में माननीय राज नारायण जी और मेरे दोस्त जिन्होंने संशोधन रखा है यह तो शायद अब उनके साथ नहीं जायेंगे, लेकिन सम्भव है कि बहकावे में आ ही जावें, बहरहाल कहने लगेंगे कि हैजे का टीका पांच मिनट रुककर लगवाना पड़ा है और समय खराब हुआ है, इसलिये हिसाब लगा करके एक पैसा दो, प्लेग का टीका लगवाने के लिये रुकना पड़ा, इसलिये हमें ५ मिनट या १० मिनट की मजदूरी दी जाय। ऐसी भावना समाज के लिये कल्याणकारी भावना नहीं है और रचनात्मक भावना नहीं है और जब तक आप इस सरकार की नीतियों में, उसके कार्यों में, उसके सोचने के ढंग में हमारे विरोधी दल के सदस्य नहीं घुसेंगे तब तक वे उसके रचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं समझ पायेंगे। मैं आपके द्वारा बड़े अदब से आगे प्रार्थना करूंगा कि वह व्यक्ति जो राजनारायण जी की जगह विरोध करते-करते पहुंच जाता है उसे उन संकीर्ण भावनाओं का त्याग करना होगा तभी समाज, देश और सरकार का कल्याण होगा और तभी समाजवाद की स्थापना होगी। जिसके लिये जवाहर लाल जी इस देश में सबसे अधिक प्रयत्नशील हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं।

श्री शिव नारायण——अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद २३ की ओर आकर्षित करूंगा जो इस प्रकार है :—"Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes....", कम्पलसरी सर्विस तो इम्पोज कर सकते हैं लेकिन फ्री कम्पलसरी सर्विस नहीं इम्पोज की जा सकती। इस लिहाज से जो यह बिल इस सदन में पेश है यह अनियमित है। इसे नहीं पास होना चाहिये। इसलिये मैं इस पूरे बिल को अपोज करता हूं और यह जो अमेंडमेंट दिया हुआ है कि कुछ मजदूरी निश्चित कर दी जाय यह ठीक है। मेरे मित्र ने कहा कि कीड़ा लग गया है। मैं कहता हूं कि राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी .....

श्री अध्यक्ष——आप दो सवाल एक साथ न कीजिये।

श्री शिव नारायण——तो इसी पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष——माननीय कृषि मंत्री, आपको कुछ कहना है?

श्री हुकुम सिंह——अव्वल तो मेरा एतराज यह है कि जिस वक्त यह विधेयक इस सदन में आया और जनरल डिस्कशन हुआ विचार करने के प्रस्ताव पर, इस सदन ने अपना निर्णय दिया तो उसी वक्त हमारे मित्र को चाहिये था कि वे यह एतराज करते कि यह विधान के खिलाफ बात है और विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। तो ऐसा एतराज सदन के सामने आया नहीं और न श्रीमान् जी के सामने ही आया। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगर कोई एतराज था भी तो आपने उसे वेव कर दिया। लिहाजा इस मौके पर ऐसा सवाल उठाया नहीं जा सकता।

दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकिल कांस्टिट्यूशन का अभी पढ़ा गया है २३ के नीचे जो एक्सेप्शन दिया हुआ है, सब क्लाज २ में, उससे किसी तरह से इस विधेयक पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ता और न उसकी रू से यह अवैध करार दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में मैं अर्ज करूंगा कि इस सदन ने इसे वेलिड मान कर ही इस पर कार्यवाही शुरू की है और इस पर कार्यवाही बदस्तूर जारी रहनी चाहिये। यही मुझे कहना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन् यह मानते हुए भी कि माननीय शिव नारायण जी ने जो समय पर अवैधानिक प्रश्न नहीं उठाया, मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना चाहूंगा. . . .

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जब उपाध्यक्ष महोदय, बैठे थे तो यह सवाल रक्खा गया था। उन्होंने अपनी रूलिंग दे दी कि इस पर गौर किया जा सकता है और यह अवैध नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जिसे रूलिंग कहना चाहिये वह रूलिंग नहीं दी। मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक पर एतराज नहीं होना चाहिये, लेकिन इस धारा ४ पर जो इस समय है उस पर एतराज अवश्य हो सकता है, यह अवैधानिक है। मैं श्रीमान का ध्यान खंड ४ के उपखंड (ख) की ओर दिलाऊंगा, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उसके पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा---

किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो, आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे।" "आदेश कर सकता है" इसका एक प्रतिबन्ध है जिसमें रामेश्वर लाल जी का संशोधन है।

अब यह देखना है कि आया यह खंड ४ का उपखंड (ख) विधान के आर्टिकिल २३ (२) के अनुसार आता है या नहीं। श्रीमन्, इसमें कम्पलसरी सर्विस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात् कोई भी राज्य सरकार विधान के अनुसार पब्लिक परपज के लिये कम्पलसरी सर्विस किसी भी नागरिक से ले सकती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वह कम्पलसरी सर्विस फ्री हो सकती है, यानी बिना मजदूरी दिये हुए, मुफ्त में ली जा सकती है। यह प्रश्न यहां पर है। लेकिन शिव नारायण जी या सदन के बहुत से सदस्यों का पर्याय है कि इस प्रकार की फ्री सर्विस मुफ्त में नहीं ली जा सकती है, बेगार के रूप में नहीं ली जा सकती है। अगर बेगार लेने का अभिप्राय इस विधान का होता तो बेगार शब्द का इस्तेमाल होता। आर्टिकिल २३ (१) में "बेगार" शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन २३ (२) में बेगार का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें कम्पलसरी सर्विस का इस्तेमाल है। बेगार का मतलब यही है कि बिना मजदूरी के कार्य कराया जाय। इसलिए बेगार और कम्पलसरी सर्विस दोनों भिन्न हैं। कम्पलसरी सर्विस का अर्थ यह है कि मजदूरी के साथ सर्विस। इसलिए मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके विचार करें कि आया खंड ४ को उपखंड (ख) अपने प्रतिबन्ध के साथ जिस पर यह संशोधन है विधान के आर्टिकिल २३ (२) के अनुसार वैधानिक है अथवा नहीं।

***श्री केशभान राय** (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, संविधान में जो प्रश्न प्रस्तुत है वह गम्भीरतापूर्वक विचार करने के योग्य है। २३वें अनुच्छेद के पहले खंड पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सी बेगार है और कौन सी फोर्स्ड सर्विस है और कौन स्वयं अपनी सर्विस है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये कोई व्यक्ति है उसका कर्त्तव्य है कि अपने मकान की सफाई करे, अपने दरवाजे को साफ करे। लेकिन वह अपने दरवाजे को साफ नहीं करता, बहुत गंदा रखता है, जिससे पास-पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य पर क्षति पहुंचती है, पास-पड़ोस के लोगों के अलावा स्वयं उसके ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि जो वह वहां गंदगी करता है उस मकान मालिक का भी यह कर्त्तव्य है कि उस गंदगी को दूर करे। उसका कर्त्तव्य किसी दूसरे से पहले उसी के प्रति स्वयं है। ऐसी स्थिति में यदि हम यह देखते हैं कि वह व्यक्ति अपने प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता और हम उसे विवश करते हैं कि अपने कर्त्तव्य का वह पालन करे तो यह फोर्स्ड सर्विस नहीं होगी, न यह बेगार होगी। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जो दूसरे भाग में कम्पलसरी सर्विस की चर्चा आयी है वह क्या है? हमारे दूसरे पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कम्पलसरी फ्री सर्विस के शब्द नहीं इस्तेमाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये गये हैं। मैं यह बतलाऊंगा कि कम्पलसरी फ्री सर्विस की कोई आवश्यकता नहीं है। कम्पलसरी सर्विस का मतलब यह है कि पब्लिक परपज वहां पर रखा गया है। सार्वजनिक कार्य के लिए कम्पलसरी सर्विस ली जा सकती है। यह तो सभी लोग मानते हैं। उनका कहना यह है कि कम्पलसरी सर्विस ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए पारिश्रमिक देना होगा। जैसे मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि जैसे कहीं पर आग लग गयी और ऐसी लगी जिससे एक ही नहीं पचासों मकान जल जाने वाले हैं। वहां के स्थानीय निवासी इतने नहीं हैं जिससे वह बुझायी जा सके और दूसरे स्थान पर ऐसे लोग हैं जिनसे सर्विस ली जा सकती है तो उनसे अनिवार्य रूप से सर्विस ली जा सकती है। उसके लिए हमें पारिश्रमिक देना पड़ेगा। तो हमें यह विचार करना होगा कि अगर हम जिस कार्य के लिये कम्पलसरी सर्विस ले रहे हैं, उसका फल वह नहीं भोगता है जिससे हम वह सेवा ले रहे हैं, बल्कि दूसरे भोगते हैं, तो वहां पर पारिश्रमिक देना अनिवार्य हो सकता है। किन्तु जहां पर जो सेवा ली जा रही हो उस सेवा का फल स्वयं सेवा करने वाला ही भोगता हो वहां पर सार्वजनिक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में हमें यह विचार करना होगा कि यह जो विधेयक आया है उसमें जिनसे सेवा लेने का प्रस्ताव है उस सेवा का फल वही भोगते हैं या दूसरे कोई। जहां तक मैं समझता हूं कि यह जो कृषि संबंधी कीटाणु हैं उनका फल जिनको भोगना है, उनसे जिनको नुकसान होने वाला है, जिनकी उनसे रक्षा करनी है, उनसे ही यह सेवा ली जा रही है। आगे जो संशोधन है उसमें मतभेद हो सकता है कि जिनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जैसे कोई बनिया है या कोई मास्टर है उससे क्यों सेवा ली जाय, केवल किसान से जिनको क्षति पहुंचने वाली है उनसे ही सेवा ली जाय.......

श्री अध्यक्ष—आप वैधानिक प्रश्न पर ही अपने को सीमित रखें।

श्री केशभान राय—तो इस स्थिति में मैं समझता हूं कि वह खेती से सम्बन्ध रखने वाले हैं। जो कीटाणु हैं उनका संबंध न केवल किसानों से ही है बल्कि जो भी खाद्यान्न लेने वाले हैं उनसे भी होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में रहने वाला हो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उन कीटाणुओं से खेती की रक्षा करे, जिसका फल उसको भोगना है। इस दृष्टिकोण को रखकर मैं समझता हूं कि कम्पलसरी सर्विस ली जा सकती है उन लोगों से जिन्हें स्वयं उस सर्विस का फल भोगना हो।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके ऊपर पहले फैसला दे दूंगा। मैं जहां तक वैधानिक यह प्रश्न उठाया गया है, इस संबंध में और भी मौकों के ऊपर अपना फैसला दे चुका हूं। वह यह था कि इस विधान सभा को वैधानिक दृष्टि से विचार तो करना चाहिए, लेकिन अगर किसी बात में मतभेद हो कि संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है और उसके लिये जो जिम्मेदार सरकार है वह इस बात की जिम्मेदारी लेती हो कि उसने कानूनी सलाह ले ली है और वह इस मत की है कि यह बात वैधानिक है तो मैं सदन का अधिकार उस पर विचार करने का नहीं छीनूंगा। उसे सदन के निर्णय के लिये सदन के सामने रख दूंगा। यानी इसका मतलब यह है कि मैं अपने अधिकार से इस विधेयक के ऊपर विचार करने से सदन को नहीं रोकूंगा। यह सब बहस सुनने के बाद अगर कुछ सदस्य यहां के समझते हैं कि झगड़ा हमको आगे जाकर तकलीफ देगा या कोर्ट में जाने के बाद यह नहीं चल सकेगा और अवैधानिक करार दिया जायगा तो वह इसको पास न होने दें। मैं यह देख रहा हूं कि इसके पहले जो मेरे निर्णय इस किस्म के हो चुके हैं उनके अनुसार मैं इसमें भी निर्णय दे रहा हूं, क्योंकि वैधानिकता के बारे में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि २३वीं धारा के अनुसार कंपलसरी सर्विस और लेबर ली जा सकती है, लेकिन फ्री नहीं ली जा सकती है और कुछ लोग कहते हैं कि ली जा सकती है। इसमें भी थोड़ी सी बारीकी यह है कि कंपलसरी सर्विस फ्री किसे कहें और किसको नहीं? इस पर केशभान राय जी ने अभी एनालिसेज करके दिखाया। यह सब चीजें हैं, लेकिन एक बात हमको स्पष्ट प्रतीत होती है कि कंपल्सरी सर्विस तो पब्लिक परपजेज के लिये ली

[श्री अध्यक्ष]

जा सकती है और २३वीं धारा में यह कहीं नहीं दिया है कि वह सर्विस फ्री नहीं ली जा सकती, या कैसे ली जा सकती है, यह स्पष्ट नहीं है। यदि इसका अर्थ यह किया जाय कि फ्री नहीं ली जा सकती है तो यह तो प्रस्तुत कानून बन जाने के बाद भी उसमें कहीं यह नहीं दिया हुआ है कि वह फ्री करे। लोगों को काम करने का आदेश दिया जावेगा और वे काम करेंगे और संविधान की रू से यदि यह अर्थ है कि मजदूरी मिलनी चाहिये तो जो काम करने की मजदूरी चाहेगा वह दावा कर देगा और मजदूरी मिल जायेगी। सर्विस तो उसको करनी पड़ेगी और चूंकि इसमें कहीं यह नहीं दिया है कि वह मजदूरी मांग नहीं सकता और अगर यह भी होता तो भी अगर संविधान के खिलाफ होता तो कानूनन इस सभा का कानून संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिये वह अदालत में पा ही लेगा और उस हद तक यह धारा बेकार सी हो जायगी। इन सब बातों पर माननीय सदस्य स्वयं विचार कर लें। लेकिन मैं उनका अधिकार विचार करने का अपनी रूलिंग के द्वारा नहीं छीन सकता। इन सब बातों पर वे स्वयं विचार कर लें और इस धारा को स्वीकार करना चाहें तो स्वीकार करें या न करें।

जहां तक प्रश्न उठाने का सवाल है पूरे विधेयक के खिलाफ अगर उठाना था तो शुरू में उठाना था। लेकिन किसी धारा के विषय में अगर आपत्ति किसी को है तो उसी वक्त उठानी चाहिये जब धारा सामने आवे और कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि यह धारा उठानी चाहिये। तो शिव नारायण जी ने जो प्रश्न उठाया वह ठीक समय पर उठाया। वह इसी धारा से संबंधित हो सकता है, पूरे विधेयक से नहीं। और इस विधान सभा को यह अधिकार है कि यह भी विचार में वह ले लेवे कि यह संविधान के विरुद्ध पड़ता है या नहीं और तब इस धारा के संबंध में फैसला करे। लेकिन इस धारा पर विचार करने को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मतभेद इसमें स्पष्ट है और दो मत हैं। ऐसी अवस्था में मैं विधान सभा को पूर्ण अधिकारी समझता हूं कि इसके ऊपर वह विचार करे और फैसला वह खुद करे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धारा कल के लिये मुल्तवी कर दी जाय तो सरकार अपने कानूनदां लोगों से मशविरा कर लेती।

श्री अध्यक्ष--यह सरकार पर मैं छोड़ता हूं। अगर वह चाहे तो करे, मैं छोड़ने को तैयार हूं। यह धारा स्वीकार भी नहीं हो सकती इतनी जल्दी, मैं समझता हूं कि उनको तो मौका मिल ही जायगा, क्योंकि अब समय भी कम है और धारा पर आज विचार समाप्त भी नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान्, आप यह जानते हैं कि कभी-कभी कोर्ट्स किसी विधान धारा का इंटरप्रीटेशन कर लेते हैं। नये-नये इंटरप्रीटेशन्स निकलते हैं, एक चिताली का निकला है। तो कल इस पर कोई रूलिंग दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--मैं तो रूलिंग नहीं दूंगा, मैंने निर्णय दे दिया। अगर सरकार और पूरी विधान सभा इस मत की हो जाय कि यह संविधान के खिलाफ है तो मैं अवश्य निर्णय दूंगा कि उस पर विचार नहीं होगा। यदि सरकार अपने कानूनदां अधिकारियों से राय लेकर इस निश्चय पर आती है और जिम्मेदारी लेती है कि हम इस कानून को चला ले जायेंगे तो उनकी जिम्मेदारी है और सदन ही अपना फैसला देकर निर्णय कर दे।

श्री हुकुम सिंह--हम जिद नहीं करते। कल इसे ले लिया जायगा।

श्री शिव नारायण--अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट सदन के सामने उपस्थित हुआ है और मैंने जो आर्टिकिल २३ कांस्टीट्यूशन का पेश किया था उसी के अनुसार हमने सरकार का ध्यान दिलाया कि कोई भी काम स्टेट के अन्दर कम्पलसेरिली सरकार नहीं ले सकती, वेजेज देनी होंगी कुछ न कुछ। चाहे ४ आना हो, एक रुपया हो, ५ रुपया हो, इसकी

कोई लिमिट हम नहीं बनाते हैं और रामेश्वर लाल जी ने प्रस्ताव किया है उसमें यह है कि उनको कुछ दिया जाय, यह बहुत लीनियेंट है और इसमें कोई दबाव नहीं है। यह सरकार पर छूट है। अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामों की आज दशा है मैं कहता हूं कि हमारे एक लायक मित्र ने अभी कहा कि घुन लग गया। मैं कहता हूं कि घुन सरकार की उस नीचे वाली मशीनरी में चल रहा है। मैंने खुद देखा है कि अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जहां पर हमने सरकार से १५ लाख रुपया दिलाया, कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुला है, वहां पर सड़ा चावल मिल रहा है। लड़कों ने कहा कि मास्टर साहब इसको खाकर जाइये। उसके बाद से आज तक मैं वहां गया नहीं, उनके कैम्प पर। यह आज हालत है हमारे जो लायक अफसरान हैं नीचे के उनकी। गवर्नमेंट तो देती है यहां से, मैंने गत वर्षों में भी कहा था अध्यक्ष महोदय, और आज भी कहता हूं कि सरकार सुने और कान खोलकर सुने कि ऐसी चीज न बनायी जाय जो कि हमारे ही विरुद्ध पड़ जाय। आपने जैसा अपनी रूलिंग में कहा था अध्यक्ष महोदय, कि कहीं हाई कोर्ट से यह उलटा न हो जाय तो वकालत खाने में जाने पर अध्यक्ष महोदय, नाना प्रकार के क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते हैं, हमारे भाई लोग जो यहां पर मिनिस्टर हैं, वह भी वकील हैं और उन्हीं के भाई वकील लोग इसकी वहां धज्जियां उड़ाते हैं और कहते हैं कि वहां तो ज्यादातर एम० एल० एज० हाथ उठाना जानते हैं और कुछ वे समझते ही नहीं। लेकिन मैं उन वकील साहबान से भी कहना चाहता हूं कि हम भी पढ़ते हैं और समझते हैं और गफलत की नींद में नहीं रहते हैं। आज किसानों की क्या हालत है? आज भी नंगा नाच गांवों में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी जाकर देख लिया जाय, हर काम जितना भी हुआ है, चाहे जन सेवा का काम हो चाहे श्रमदान का हो लेकिन उसे कौन करता है, वही नंगे भूखे, चमार, पासी, भिखमंगे, जो गांवों में बसते हैं, वही उसे करते हैं। ये सफेदपोश लोग एक भी खांची मिट्टी उठाकर नहीं फेंकते। मैं आपसे सही बताता हूं, लाल टोपी हो, या काली टोपी हो न राज नारायण सिंह जी मिट्टी फेंकते हैं न माननीय गेंदा सिंह जी फेंकते हैं, वही बेचारे गरीब मजदूर यह सब कुछ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बिलकुल सही कहता हूं कि आज केवल फोटो खिचवाया जाता है, जब कोई डिप्टी मिनिस्टर या कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जाते हैं तो वहां के अफसरान ने झट एक स्नैप लिया और ....

श्री अध्यक्ष--आप अभी भाषण खत्म करेंगे या जारी रखेंगे?

श्री शिवनारायण--नहीं अध्यक्ष महोदय, अभी जारी रहेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२२ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

प्रश्न संख्या ९ से संबंधित सूची

गांवों के नाम

१—बुआ

२—बेला

३—शिरजेपुर

४—शेरपुर

५—खेड़ी खुर्द

६—खेडी कलां

७—बसवा

८—बसवी

९—मानपुर

१०—हादीपुर

११—मनोहरपुर

१२—लालपुर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

विलीन क्षेत्र नदीगांव के मवाजयात की भूमि की श्रेणियों के सर्किल रेट का ब्योरा

तहसील कौंच, जिला जालौन

भूमि की श्रेणी का विवरण		सर्किल क्रम-संख्या १	२	३	४
कछियाना — आबी	२	८/१२/०	८/६/०	८/०/०	६/६/०
कछियाना — खाकी	२	८/०/०	७/१०/०	६/६/०	..
गोहान — आबी	३	८/०/०	७/१०/०	७/४/०	५/८/०
गोहान — खाकी	३	७/४/०	६/४/०	..	..
तीर अव्वल	४	७/०/०	५/१२/०	..	..
तीर दोयम	५	५/४/०	४/४/०	..	..
काबर अव्वल — आबी	६	५/१०/०	..	..	..
काबर अव्वल — खाकी	६	५/४/०	..	..	..
काबर अव्वल काबिल आबी	७	५/४/०	..	..	..
दोयम साकी — काबर	८	४/१४/०	..	..	..
दोयम साकी — आबी	८	५/४/०	४/१२/०	३/१२/०	..
काबर दोयम काबिल आबी	९	४/८/०	..	..	..
अव्वल खाकी — काबर	१०	५/१०/०	५/६/०	..	..
अव्वल खाकी — आबी	१०	५/८/०	४/४/०	..	..
काबर दोयम खाकी	११	४/८/०	३/१२/०	३/८/०	..
मार अव्वल — आबी	१२	७/०/०	५/६/०	..	..
मार अव्वल — खाकी	१२	५/१०/०	४/१४/०	..	..
मार अव्वल काबिल आबी	१३	६/४/०	५/६/०	..	..
मार दोयम — आबी	१४	५/१०/०	५/६/०	..	..
मार दोयम — खाकी	१४	४/१४/०	..	..	..
मार दोयम आबिल आबी	१५	५/४/०	४/१४/०	..	..
अव्वल खाकी — पड़ुवा	१६	६/२/०	४/१४/०	४/८/०	..
अव्वल खाकी — आबी	१६	५/४/०	३/१२/०	३/४/०	..
पड़ु वा यम काबिल आबी	१७	३/८/०	..	..	..
पड़ुवा दोयम — आबी	१८	४/१२/०	४/४/०	..	..
पड़ुवा दोयम — खाकी	१८	३/१०/०	३/४/०	३/२/०	..
पड़वा अव्वल खाकी	१९	२/८/०	..	..	..
पड़ु वा दोयम खाकी	२०	१/१४/०	..	..	..
पड़ु वा दोयम माइनस खाकी	२१	१/१०/०	१/४/०	..	..
पड़ुवा सोयम	२२	१/१०/०	१/६/०	१/४/०	१/०/०
राकड़ दोयम	२३	१/०/०	..	..	..
राकड़ सोयम	२४	०/१०/०	..	..	..
पड़वा अव्वल काबिल आबी	२५	४/८/०	३/१२/०	..	..
विशेष विवरण	२६				

विलीन क्षेत्र नदीगांव के सवाजयात के अतिरिक्त शेष तहसील के अन्तर्गत भूमि की श्रेणियों के सर्किल

रेट का ब्योरा तहसील कोंच, जिला जालौन

क्रम-संख्या		गोहान	मार		काबर		गोहानी	पड़ुवा		राकड़	कछार	विशेष विवरण
सर्किल			अव्वल	दोयम	अव्वल	दोयम		अव्वल	दोयम	मोटी	परती	
१		२	३		४		५	६		७	८	९
१-अ	..	७-०-०	६-४-०	५-४-०	४-१२-०	..	..	४-२-०	..	..	१-१०-०	..
१-ब	..	६-८-०	५-४-०	४-८-०	४-४-०	३-८-०	..	३-१२-०	३-०-०	२-४-०	१-६-०	..
२	..	६-०-०	४-१२-०	४-२-०	४-१२-०	३-८-०	२-१२-०		..	२-४-०	१-१०-०	..
					आबी/ खाकी ४-०-०	आबी /खाकी ४-०-०		आबी ४-४-०	/खाकी ३-०-०			
३	..	५-८-०	४-८-०	४-०-०	३-१२-०	२-१२-०	४-०-०	३-०-०	२-८-०	२-४-०	१-१०-०	४-०-०
४	..	५-०-०	४-२-०	..	३-४-०	२-६-०	४-०-०	३-०-०	२-४-०	..	१-८-०	४-०-०
५	..	६-०-०	३-१२-०	..	३-४-०	२-१२-०	४-४-०	३-४-०	२-१२-०	२-४-०	१-१०-०	४-०-०
बेतवा कछार	..	भरसूंड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	७-०-०
ग्राम	..	रूवना	..	..	..	..	३-४-०	..	...	..	१-१०-०	५-०-०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

क्रम-संख्या	पद	चुने गये व्यक्तियों की संख्या	हरिजन व्यक्तियों की संख्या
१	अमीन	२१७	०
२	लिपिक	२६	३
३	मोटर ड्राइवर	१	०
४	चपरासी, डाक रनर तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारी	६५	१६

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

भूमि आपरीक्षण तथा कृषि अध्यन योजना के अन्तर्गत किये हुए कार्य का विवरण

उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य संगठन के लिये प्रदेश पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक जिले में कार्य प्रारम्भ किया जाता है, वहां काम समाप्त होने पर दूसरे जिलों में काम शुरू किया जाता है। जांच के पश्चात् मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। हर प्रकार की मिट्टी के लिये खाद की आवश्यकता पर अनुसन्धान किया जाता है। इसके पश्चात् इस प्रकार अपरीक्षित क्षेत्र का भूमि मान चित्र बनाया जाता है। ये मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक संक्षिप्त तथा दूसरा विस्तृत। संक्षिप्त मानचित्रों में केवल विशाल क्षेत्रों से प्राप्त भूमियों का साधारण विवरण दिया जाता है। ऐसे मानचित्र जिला स्तर पर बनाये जाते हैं। विस्तृत मानचित्र तहसील स्तर पर बनाये जाते हैं और उनमें और सूक्ष्म विवरण रहते हैं। अभी तक निम्नलिखित जिलों के संक्षिप्त मानचित्र तैयार किये जा चुके हैं--

अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, झांसी, जालौन, बरेली, उन्नाव तथा गोरखपुर।

निम्नलिखित तहसीलों के विस्तृत मानचित्र भी तैयार किये जा चुके हैं--

तहसील	जिला
कोयल	अलीगढ़
अलीगंज	एटा
भोगांव	मैनपुरी
कानपुर	कानपुर
कायमगंज तथा छिबरामऊ	फर्रुखाबाद
दूधी	मिर्जापुर
मोठ, मऊरानीपुर तथा गरोठा	झांसी
आंवला	बरेली

इनके अतिरिक्त नैनीताल (तराई) के तीनों राजकीय प्रक्षेत्रों के भी विस्तृत भूमि मानचित्र तैयार किये जा चुके हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर)

अपेन्डिक्स (ए)

१९४९–५० से १९५३–५४ के बीच संयुक्त मधुकर मंडलों, मधु के उत्पादन तथा प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या

		१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	विशेष विवरण
१	मधुकर मंडलों की संख्या	अ ४९ ब ४१	अ ५७ ब ८५	अ ८० ब १०२	अ ११० ब १७८	अ १०५ — —	
	कुल ..	९०	१४२	१८२	२८८	१०५	
२	उत्पादित मधु ..	अ ३८२ पौं० ब ७६ पौं०	अ ४७५ पौं० ब २५८ पौं०	अ ४८४ पौं० ब ५८० पौं०	अ ५३९ पौं० १० औंस ब १९३ पौं० १० औंस—ब	अ० ४९० पौं० १० औंस —	
	कुल	४५८ पौं०	७२३ पौं०	१०६४ पौं०	७३३ पौं० ४ औंस०	४९० पौं० १० औंस	
३	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ..	अ ३ नियमित शिक्षार्थी १६ आकस्मिक शिक्षार्थी ब १६	अ ७ नियमित शिक्षार्थी ७ आकस्मिक शिक्षार्थी ब २२	अ ४ नियमित शिक्षार्थी ८ आकस्मिक शिक्षार्थी ब १६	अ २ नियमित शिक्षार्थी ६ आकस्मिक शिक्षार्थी १३ लघु पाठ चर्या शिक्षार्थी २९ विशेष वर्ग ब	अ १४ नियमित शिक्षार्थी ६ आकस्मिक शिक्षार्थी २२ लघु पाठ चर्या शिक्षार्थी ६ विशेष वर्ग ११५ (जी० एल० डब्लू) और पी० एल डब्लू जे। ब	अ—प्रान्तीय रक्षक दल एवं पंचायत राज के कार्यकर्ताओं के लिए भी मताल में दो दिन के लिए विशेष वर्ग का आयोजन।
	कुल ..	३५	३६	२८	५०	१९३	

टिप्पणी : अ—के सामने दी हुई संख्या नैनीताल जिला (पहाड़ी जिले) ज्योलीकोट स्थित राजकीय मौनपालन केन्द्र से सम्बन्धित है।

ब—के सामने दी हुई संख्या १९४७ में चालू की गई तथा १९५३ में समाप्त कर दी गई मैदानी भागों में मौन पालन योजना से सम्बन्धित है।

अपेन्डिक्स (बी)

राजकीय मौन पालन के कर्मचारियों की सहायता तथा औद्योगिक सहायता प्राप्त वैयक्तिक मीन पालकों के मधुकर मंडलों के आधुनिक मधुछतों की संख्या

	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
१—मधुकर मंडलों की संख्या (पहाड़ी जिलों) नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल में स्थित	५५७	७३६	८६२	८३०	८५८
२—मैदानी जिलों में स्थित ..	६२	५०	११२	१७०	..
..	६१९	७८६	९७४	१,०००	८५८

टिप्पणी : १९५३–५४ के वर्ष में मैदान में चालू की गई मीन पालन योजना समाप्त कर दी गई है ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

देवरिया जिले में वर्तमान वैभागिक मोटर गाड़ियों की संख्या तथा उनके व्यय का विवरण बाबत सन् १९५२-५३—१९५३-५४

अफसर का नाम जिनके पास सरकारी गाड़ी है,	गाड़ियों की संख्या	गाड़ी की रजिस्ट्रेशन संख्या	वार्षिक व्यय १९५२–५३ पेट्रोल इत्यादि पर	वार्षिक व्यय १९५२–५३ ड्राइवरों के वेतन पर	वार्षिक व्यय १९५२–५३ मरम्मत पर	वार्षिक व्यय १९५३–५४ पेट्रोल इत्यादि पर	वार्षिक व्यय १९५३–५४ ड्राइवरों के वेतन पर	वार्षिक व्यय १९५३–५४ मरम्मत पर	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
जिलाधीश देवरिया	३	यू० पी० क्यू० १०६	२३८१ ९ ६	६०७ ८ ०	७४८ १० ०	१६६३ १३ ३	८२६ ० ०	४,२४० ३ ०	प्रशासन कार्य के लिये।
,, ,,		यू० एस० जे० ७३७०	६६४ १० ६	६८२ १ ०	८१ १ ०	४१६ ४ ३	३५३ ९ ०	३९ ० ०	अकाल व बाढ़ के कार्यों के लिये।
,, ,,		यू० एस० जे० ७४२६	९९५ २ ६	५३ १५ ०	३८६ २ ०	६०५ १३ ३	..	१,४५८ ५ ०	,, ,,
सुपरिंटेंडेंट पुलिस, देवरिया	६	यू० पी० क्यू० १९१	१,७१० ० ०	६०८ ० ०	८४ ० ०	१,८७८ १५ ०	७२० ० ०	२२३ १२ ०	जीप।
		यू० पी० क्यू० २९७	..	..	..	१,११४ ६ ०	९४८ ० ०	४७ ६ ०	पिकअप गाड़ी १९५३-५४ में मिली।
		यू० पी० क्यू० ७४	४१७ ० ०	..	३३० ० ०	५६ ६ ०	..	..	ड्राइवर नहीं दिया गया था।

अफसर का नाम जिनके पास सरकारी गाड़ी हैं।	गाड़ियों की संख्या	गाड़ी की रजिस्ट्रेशन संख्या	वार्षिक व्यय १९५२–५३			वार्षिक व्यय १९५३–५४			विशेष विवरण
			वार्षिक व्यय पेट्रोल इत्यादि पर	१९५२–५३ ड्राइवरों के वेतन पर	मरम्मत पर	वार्षिक व्यय पेट्रोल इत्यादि पर	१९५३–५४ ड्राइवरों के वेतन पर	मरम्मत मपर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, देवरिया		यू० एस० जे० ५११५४	१,१७० ० ०	२९० ० ०	११ ० ०	११ ८ ०	..	..	ड्राइवर ५ माह के लिये मिला
		यू० पी० सी० २०९८	१,२०० ० ०	४०६ ० ०	..	१,९०७ १० ०	७०८ ० ०	२६४ १ ०	ट्रक
		यू० पी० एल० ८८२	..	..	..	६७९ ० ०	३४२ ० ०	१६४ ० ०	ट्रकगाड़ी ५३-५४ में मिली
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, देवरिया	१	यू० पी० क्यू० ३०३	११९ ८ ०	..	३० १२ ३	१,९५६ ११ ३	७६६ ८ ०	२६६ ७ ९	पिक अप
डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव आफिसर, सलेमपुर	१	यू० पी० क्यू० ३२३	..	..	..	१,१३० ९ ०	३९० ० ०	६२८ १ ०	जीपगाड़ी ५३-५४ में मिली
डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव अफसर, कसिया	१	यू० पी० क्यू० ३०१	७५७ १३ ६	५७९ १३ ०	१२७ १३ ९	२,५८० १५ ०	८३६ १३ ०	२२४ ६ ०	

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, देवरिया	१	यू० एस० जे० ५१८५	१,२९५	१३	३	१,५१५	८	०	३८२	२	०	१,४७५	६	९	१,५४५	८	०	१७५	६	०
जिला सूचना अधिकारी, देवरिया	१	यू० पी० क्यू० १०८	६१५	१२	६	८०२	०	०	४,१४७	०	०	८७८	९	९	३९६	४	०	४,६२८	०	०
सहायक अभियन्ता, द्वितीय मेकेनिकल सब-डिवीजन, देवरिया	४	यू० एस० बी० १३७८	२७९३	०	०	१,३६८	०	०	२,८४४	०	०	६,०५१	०	०	१,३६८	०	०	६,६६७	०	०
		यू० एस० बी० १३७३	२,०९५	०	०	१,३६८	०	०	३,५४०	०	०	३,९५०	०	०	१,३६८	०	०	५,४५२	०	०
		यू० एस० बी० १०२९	२,७९३	०	०	१,३६८	०	०	२,८४२	०	०	..			..			..		
																		सन् १९५३-५४ से यह गाड़ी खराब पड़ी है।		
		यू० एस० बी० १३३०	१३०	०	०	११४	०	०	१३८	०	०	३,९२७	०	०	१,३६८	०	०	६,०४७	०	०

अफसर का नाम जिनके पास सरकारी गाड़ी है	गाड़ियों की संख्या	गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन संख्या	वार्षिक व्यय १९५२–५३ पेट्रोल इत्यादि पर	वार्षिक व्यय १९५२–५३ ड्राइवरों के वेतन पर	वार्षिक व्यय १९५२–५३ मरम्मत पर	वार्षिक व्यय १९५३–५४ पेट्रोल इत्यादि पर	वार्षिक व्यय १९५३–५४ ड्राइवरों के वेतन पर	वार्षिक व्यय १९५३–५४ मरम्मत पर	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
सहायक अभियन्ता, द्वितीय सिविल सब-डिवीजन, देवरिया	१	यू० एस० क्यू० १५९६	..	..	..	१,३३१ ० ०	९०० ० ०	१,६९७ ० ०	गाड़ी १९५३–५४ से मिली।
जिला खाद्य अफसर, देवरिया	२	यू० पी० एक्स० ३४५ यू० पी०पी० ५७८	२,४२५ ० ०	१,५९४ ० ०	२२० ५ ०	१,४५० १५ ०	१,६२२ ० ०	१६७८ ६ ९	यह आंकड़े खाद्य विभाग के एक सरकारी गाड़ी व एक ट्रक के सम्बन्ध में हैं।

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया	८	..	२६,८४५	११	०	७,५२३	१	०	३,१७७	४	०	१६४८६	७	०	५,५०६	७	०	१,७२५ १ ० १९५२-५३ की ट्रक गाड़ियों के नम्बर : यू० पी० एम० ८२३, ७९१ यू० एस० ए० २७७ यू० एस० जे० ३७९३ यू० एस० एल० १४११ यू० पी० सी० २९१९ यू० पी० एक्स० २२३ और यू० पी० एल० २५७६। १९५३-५४ के ट्रकों के नम्बर : यू० पी० सी० १५४०, १५४१, १५४३ १५४४ यू० एस० बी० ८१६, यू० पी० आर० १९००, १९०३, यू० एस० जे० ३८००

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५५ एल० ए०---१९५५---७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिज़वी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
.ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुदरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री

यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरद्वास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की आवश्यकता

*१—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को बनाने की सिफारिश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से की है या करने की बात पर विचार कर रही है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को यह विदित है कि सन् १९२४ में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था और उसके फाइनल पिलर्स भी बन गये थे, जो कि अभी तक विद्यमान है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जानकारी करने का प्रयत्न किया है कि किन कारणों से इस रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था ?

लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने तो उत्तर दिया था कि मुझे उसका ज्ञान नहीं कि कोई सर्वे हुआ, इसलिये जिन कारणों से वह हुआ वह कहा नहीं जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की जो लाइन है, जिसका सर्वे हो चुका है, उसकी फाइल निकलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यदि माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में कोई सूचना देंगे तो उसका भी प्रयास किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि पर्वतीय प्रदेशों में भी रेलें जा सकती हैं और रेलों का निर्माण किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह रेल का विभाग इस सरकार का नहीं है।

सिंचाई विभाग कृषि इंजीनियरिंग के अन्तर्गत वर्कशापों के संचालन में व्यय और आय

*२—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मातहत वर्कशाप पर १९५२-५३ में कुल कितना रुपया लागत पर खर्च हुआ तथा उससे कितनी आय हुई ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—सिंचाई विभाग के कृषि इंजीनियरिंग सर्किल के अन्तर्गत वर्कशापों के संचालन पर १९५२–५३ में ९,७४,७७७ रु० व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त १,६८,८०१ रु० इमारतों तथा मशीनों की लागत पर व्यय हुआ। इस व्यय के विरुद्ध वर्कशापों से १९५२–५३ में ९,२४,३८२ रु० की आय हुई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कुल कितने वर्कशाप थे, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, और अब कितने वर्कशाप हैं? उनमें कितने चालू दशा में हैं?

श्री राममूर्ति—सन् १९४७–४८ में बरेली में एक सेंट्रल वर्कशाप खोला गया था और मेरठ, झांसी और लखनऊ में ३ जोनल वर्कशाप खोले गये थे। कुछ ग्रामीण वर्कशाप भी खोले गये थे। इनमें से अब बरेली है, मेरठ है, लखनऊ और झांसी है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इन वर्कशापों के लिये लगभग २९,३३,००० रुपया का सामान और औजार खरीदे गये थे, जिनमें से केवल आधे ही का सामान विभाग के पास रह गया है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी, यह सही नहीं है कि २९ लाख रुपया का सामान खरीदा गया। १९५२–५३ के वर्ष के अन्त में १२,१७,००० रुपये की मशीन वगैरा खरीदी गयीं, २९ लाख रुपया शायद इमारतों में लगा होगा। जो मशीन वगैरह खरीदी गयी थीं, वह पूरी तरह से मौजूद हैं।

कृषि इंजीनियरिंग सर्किल के अन्तर्गत सिंचाई के पंपिंग प्लांट्स

*३—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग के मातहत सिंचाई के पम्पिंग प्लान्ट्स आदि की भी योजनायें हैं जो घाटे पर चलती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—कृषि इंजीनियरिंग सर्किल के अन्तर्गत किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से झीलों, तालाबों इत्यादि पर पम्पिंग प्लान्ट लगाने की एक योजना थी, परन्तु कुछ कठिनाइयों वश व्यय के अनुपात में उससे पूरा लाभ नहीं होता था। अतः वह योजना अब लगभग बन्द कर दी गई है। २० हार्स पावर से कम के प्लान्ट आधे मूल्य पर सहकारी समितियों को दिये जा रहे हैं। २० तथा इससे अधिक हार्स पावर के प्लान्ट विभाग द्वारा ही चलाये जायेंगे। कृषि इंजीनियरिंग सर्किल, सिंचाई विभाग का एक भाग है। अतः प्लान्टों को सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—[८ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मऊरानीपुर नगरपालिका (झांसी) की सड़कों की मरम्मत के लिए रोलरों का अभाव

*५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड मऊरानीपुर (झांसी) को सड़कों की मरम्मत के लिये तीस हजार रुपये मार्च, १९५३ में मंजूर किये थे?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां।

*६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सड़कों के अभी तक न बनने का क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश—बोर्ड के पास अपना निजी रोड रोलर नहीं है। सड़कों की कुटाई के लिये इसकी आवश्यकता थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की गयी थी पर वे समय पर रोलर बोर्ड को न दे सके जिसके फलस्वरूप सड़कों की मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री रोलरों की ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिससे ऐसे बोर्डों को और टाउन एरियाज़ को समय पर रोलर मिल जाया करे ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न पर विचार करना होगा, अभी कोई ऐसी व्यवस्था अपने पास नहीं है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को इस बात का इत्मीनान है कि यह रुपया किसी और मद में नहीं खर्च किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी, बिल्कुल इत्मीनान है और किसी मद में खर्च नहीं हो रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि किसी म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया में जो सड़क पक्की बनायी जाती है तो यह ज़रूरी है कि वे रोलर खरीदें ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, यह ज़रूरी नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या मऊरानी टाउन एरिया की सड़क को पक्की बनाने के लिये वहां के टाउन एरिया ने पी० डब्ल्यू० डी० से रोलर को काम में लाने के लिये मांगा था और उन्हें दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--मऊरानी में कोई टाउन एरिया तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष--आप उसको म्युनिसिपैलिटी समझ लीजिये। उनकी जबान ज़रा पलट जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या उस म्युनिसिपैलिटी ने पी० डब्ल्यू० डी० से किराये पर रोलर मांगा था जिससे सड़क मजबूत की जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां। उसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रोलर मांगा था और वह चूंकि नहीं मिल सका इसलिये सड़क नहीं बन पायी। अब फिर मांगने की व्यवस्था कर रहे हैं।

टाउन एरियाओं में सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता

*७--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि वह ऐसा आदेश देने का विचार कर रही है कि सभी टाउन एरियाओं में सार्वजनिक शौचालय अनिवार्यतः बनाया जाय ?

स्वशासन मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी नहीं।

*८--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में टाउन एरियाओं को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में अमिला टाउन एरिया को सड़क निर्माण के लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता

*९--श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमिला (आजमगढ़) टाउन एरिया ने सड़क निर्माण के लिये किसी विशेष धन की प्रार्थना उससे की है ? यदि हां, तो कितना और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर--टाउन एरिया कमेटी, अमिला का सड़क निर्माण के लिये आर्थिक सहायता के हेतु कोई आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

*१०-१२--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१९ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या १६-१८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

जिला टेहरी-गढ़वाल में कोटेश्वर तीर्थ स्थान पर गंगा नदी पर पुल का अभाव

*१३--श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को विदित है कि जिला टेहरी (गढ़वाल) में तहसील देवप्रयाग के अन्तर्गत पट्टी कबीली में गंगा नदी के ऊपर कोटेश्वर नामक प्रमुख तीर्थस्थान पर पुल नहीं है जिससे यात्रियों तथा स्थानीय जनता को लगभग १५-२० मील दूर टिहरी या देवप्रयाग पर नदी पार करने के लिये जाना पड़ता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस स्थान पर कोई पुल नहीं है पर जनता ने टेहरी और देवप्रयाग के बीच कुछ झूले बना रक्खे हैं जिनके द्वारा नदी को पार किया जाता है ।

*१४--श्री सत्यसिंह राणा--क्या यह सही है कि जिले की भूतपूर्व सरकार ने उक्त पुल के बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था ? यदि हां, तो उसे क्यों स्थगित किया गया और अब कब तक उसको बनवाया जावेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां । इस पुल के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गयी भूतपूर्व टेहरी रियासत की किसी सड़क पर न पड़ने के कारण तथा धनाभाव के कारण कोई कार्य नहीं किया जा सका ।

इस पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को जानकारी है कि यह झूला जो कच्ची घास का बनाया जाता है उसमें अक्सर आदमी गिर कर बह जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सम्भवतः ऐसा कभी-कभी होता हो ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार इस बात की सम्भावना को देखते हुये कि ऐसे झूलों में अक्सर ऐसे खतरे पैदा हो जाया करते हैं, और जानवरों के लिये आदान-प्रदान की कोई सुविधा नहीं है, इस बात की व्यवस्था करने का प्रबंध करेगी कि वह पुल जल्दी बन जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जनता कच्चे झूले बनाती है तो उसकी इजाजत पी०डब्लू०डी० देता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह बहुत पुराने झूले हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी ने कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर अभी तक विचार नहीं हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--हो रहा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि यह जो बहुत पुराने झूले हैं यह किसकी इजाजत से बनाये गये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसी कोई जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है अगर सूचना मांगी जायगी तो दी जा सकती है ।

बुलन्दशहर जिले में जमालपुर ग्राम की डिग्गी नयी भूमि का नीलाम

*१५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कोठी बांजरपुर (नहर मांट ब्रांच) से २ मील ऊपर नहर द्वारा बनायी गयी डिग्गी (नयी भूमि) जुलाई सन् १९५४ से आज तक कितनी बार नीलाम की गयी ?

श्री राममूर्ति--जमालपुर ग्राम की डिग्गी नयी भूमि का कृषि हेतु पट्टे पर उठाने के लिये जुलाई सन् ५४ से तीन बार नीलाम किया गया ।

*१६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह भूमि नहर विभाग को प्रारम्भ में किसानों से किस शर्त पर मिली ?

श्री राममूर्ति--यह भूमि सिंचाई विभाग में भूमि प्राप्ति अधिनियम (Land Aquisition Act) के अन्तर्गत प्रतिकर देकर माट ब्रांच के बायें किनारे मील ५:७:३५४ पर सिल्ट ट्रैप बनाने के लिये प्राप्त की गयी थी ।

*१७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जमालपुर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दहशहर के किसानों की इस भूमि को लेने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वह काश्तकारों को भूमि किस शर्त पर देने के लिये तैयार हैं ?

श्री राममूर्ति--केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ११-९-५४ को श्री हरिसिंह, निवासी ग्राम जमालपुर का प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी भूमि जो सिल्ट ट्रैप के लिये ले ली गयी थी वापस करने के लिये प्रार्थना की है । कृषकों को भूमि वापस करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीन बार नीलाम करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री राममूर्ति--क्योंकि ३० सितम्बर, १९५४ को जब पहला कंट्रैक्ट हुआ था तो उसमें रुपये की मात्रा अधिक थी, बाद को रुपया कम हुआ तो एक दफा के बाद दुबारा नीलाम किया गया फिर भी रुपया कम रहा इसलिये तीन बार नीलाम हुआ ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह बात सही है कि प्रथम बार नीलाम किया गया और पहली बोली किसानों के लिये छोड़ दी गयी तो दुबारा नीलाम की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री राममूर्ति--यह बात तो नहीं है, प्रथम बार की बोली १२०५ रुपये की हुयी और दूसरे बार की १४३६ रुपये की हुयी ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिकर के रूप में किसानों को कितना रुपया दिया गया है, जब कि उनसे जमीन ली गयी थी ?

श्री राममूर्ति--इसका ब्योरा तो मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि आज तक किसानों को प्रतिकर के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया गया जब कि सरकार का यह आश्वासन था कि जमीन ठीक हो जाने पर वापस कर दी जायगी ?

श्री राममूर्ति--सरकार की ओर से ऐसी लगो बात तो होती नहीं है । जब जमीन ली गयी होगी तो रुपया जरूर दिया गया होगा । अगर नोटिस देंगे तो बतला दूंगा कि कितना रुपया दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को ही सूचना समझ कर बतलायेंगे कि इस समय तक कितना धन दिया जा चुका है ?

श्री राममूर्ति---आप मेरे कमरे में ४-६ रोज के बाद आयेंगे तो बतला दूंगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि कितनी एकड़ है ?

श्री राममूर्ति---यह कुल जमीन ४५·८१३ एकड़ है, लेकिन कल्चरेबिल लैन्ड ३.१८६ एकड़ है।

झांसी जिले में सियावरी तालाब की मरम्मत

*१८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत मास ग्राम सियावरी (झांसी) के सरकारी तालाब के पानी से किस-किस गांव को कितना-कितना नुकसान पहुंचा ?

श्री राममूर्ति---जहां तक सरकार को मालूम है सियावरी तालाब के पानी से किसी ग्राम को क्षति नहीं हुयी।

*१९---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त तालाब की कब से मरम्मत नहीं हुयी, और अभी हाल ही में उसके बनवाने के लिये कितने रुपये का ठेका हुआ है ?

श्री राममूर्ति---सियावरी तालाब की मरम्मत हर वर्ष आवश्यकतानुसार होती है। सन् १९५४ वर्ष की अत्यधिक वर्षा व बाढ़ से इस तालाब की इस्केप वाल (escape wall) बह गयी और तालाब की मरम्मत पर ९३,७१३ रु० ५ आ० व्यय हुआ जिसमें ठेके द्वारा किया गया खर्च ६०,०३८ रु० शामिल हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ६० हजार रुपये के अलावा जो ३३,६७५ रुपया खर्च हुआ तो क्या वह काम अमानी में कराया गया था ?

श्री राममूर्ति---यह कार्य विभाग द्वारा हुआ है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी इस तालाब का क्षेत्रफल बतलाने की कृपा करेंगे।

श्री राममूर्ति---इसका क्षेत्रफल २७८ एकड़ है।

बस्ती जिले में बांसी तहसील के तालाबों तथा डहरों पर भूमि के पट्टे

*२०---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास सिंचाई के योग्य बस्ती जिला तहसील बांसी के तालाबों तथा डहरों की कोई सूची है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् १२ सरोवर शासन के अधीन आ गये हैं और उनका रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा होता है।

*२१---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें से कितने तालाबों व डहरों के पट्टे खेती करने के हेतु दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बजहा तथा बटुआ रिजर्वायर्स पर क्रमशः १२.७५ व १.२५ एकड़ भूमि के पट्टे खेती के हेतु दिये गये हैं।

नोट---तारांकित प्रश्न सं० २० तथा २१ श्री शिवनारायण ने पूछे।

जिला जालौन में बेतवा नहर से हिम्मतपुर माइनर का निर्माण

*२२—**राजा वीरेंद्रशाह** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में जो नई माइनर बेतवा नहर से बनायी गयी है वह कब तक जारी हो जायेंगी ?

श्री राममूर्ति—बेतवा कैनाल के अन्तर्गत जितनी नयी माइनरें जिला जालौन में बनाई गयी थीं वे सब सिंचाई कर रही हैं और जो माइनरें अब बन रही हैं जून, १९५६ तक पूर्ण होने पर सिंचाई करना आरम्भ करेंगी ।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या कृपा कर माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो माइनर बन रहा है वह कब से शुरू हुआ और उसके बनाने में इतनी देर क्यों हुयी ?

श्री राममूर्ति—हिम्मतपुर-कसौरा डिस्ट्रिब्यूटरी बन रही है । १९५६, जून तक यह कार्य पूरा हो जायगा । जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं हुयी । राज वगैरह के न होने की वजह से उसमें विलम्ब हुआ ।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या यह सही नहीं है कि हिम्मतपुर माइनर करीब ३ साल से बन रहा है, और इसी वजह से सन् ५६ तक बनने की आशा की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत से जरूरी काम साथ-साथ हो रहे हैं, माननीय सदस्य को इतना अधीर नहीं होना चाहिये ।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि इस माइनर के बनने में नहर के लेविल में कुछ फाल की गलती का एक टुकड़ा ऐसा रह गया था जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा हुआ और ज्यादा देर भी लग रही है ?

श्री राममूर्ति—ब्योरेवार तो ज्यादा मालूम नहीं है । कोई गलती इस प्रकार की हो भी सकती है ।

परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में पक्के कुओं तथा नलकूपों के निर्माण हेतु सहायता

*२३—**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में अब तक कितने पक्के कुयें तथा नलकूप बनाने के लिये किन-किन को कितनी-कितनी रकम दी गयी है ?

श्री राममूर्ति—पिछले तीन वर्षों अर्थात् १९५३, १९५४ तथा १९५५ में पक्के कुयें तथा नलकूप बनाने के लिये परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में जिन व्यक्तियों को जो तकावी दी गयी है उसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५८ पर ।)

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह जो सूची में कुयें दिये हुये हैं यह सब बन गये हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मैं यह तो नहीं बतला सकता हूं कि सब कुयें बन गये हैं लेकिन जब रुपया उनको दिया गया है तो बन गये होंगे ।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि नम्बर ४ और ५ पर जो नाम सूची में दिये गये हैं, उसमें इन रकमों के अलावा और भी कोई रकम सहायता के रूप में दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह जो रकम ४ और ५ में दी गयी है यह नलकूप बनाने के लिये दी गयी है यानी कोआपरेटिव ट्यूबवेल। और अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया है ऐसी रिपोर्ट है। नियमानुसार ५ हजार की तकावी दी जाती है नलकूप बनाने के लिये और उसके साथ-साथ ५ हजार की सहायता भी हम देते हैं। लेकिन जब नलकूप बन जाता है तो एक वर्ष के अन्दर यदि काम शुरू नहीं हुआ तो इस पूरी रकम को वसूल करने का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को है।

श्री बशीर अहमद हकीम--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह दोनों नाम एक ही घर के हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका पता मुझे नहीं है।

तरबगंज और गोंडा तहसीलों में कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई

*२४--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील तरबगंज और तहसील गोंडा में कितनी एकड़ भूमि कृषि योग्य है और उसमें सरकार द्वारा व्यवस्थित सिंचाई का प्रबंध कितनी भूमि पर है, और कितने एकड़ पर वह प्रबंध करने जा रही है?

श्री राममूर्ति--जिला गोंडा की तरबगंज में १,२४,९९० एकड़ और तहसील गोंडा में ८४,६३५ एकड़ भूमि कृषि योग्य है। मौजूदा ३० नलकूप गोंडा तहसील में लगभग ३०,००० एकड़ भूमि कमान्ड करते हैं। गोंडा और तरबगंज तहसील में ५० नये नलकूप इसी वर्ष बनाये जायेंगे, जो बन जाने पर ५०,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि कमान्ड करेंगे। इसके अलावा दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ७० नये नलकूप बनाने का प्रस्ताव है जो लगभग ७०,००० एकड़ भूमि कमान्ड करेंगे।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो गोंडा और तरबगंज तहसीलों में ८० नलकूप लगाये गये हैं उनसे केवल १,८०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी तथा बाकी १,६९,६२५ एकड़ जमीन बच गयी है उसकी सिंचाई का क्या प्रबंध है? जो ७० नलकप दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाये जा रहे हैं वे इन्हीं तहसीलों में लगाये जायेंगे या किन्हीं दूसरी तहसीलों में?

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य ने जो जोड़ लगाया है उसमें कुछ गलती है। हमारे लिहाज से २,८०,००० एकड़ जमीन आती है, जिसमें से हमारे हिसाब से डेढ़ लाख एकड़ जमीन का प्रबंध हो गया और बाकी जो जमीन रह गयी है रोटेशन से उनको पानी दिया जाता है। यह बात नहीं है कि सब जमीन को एक ही मर्तबा पानी दिया जाता हो।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में कूप-निर्माण के लिये सरकारी सहायता

*२५--**श्री गौरीराम** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के अन्तर्गत कितने कुयें सन् १९५२-५३ में और १९५३-५४ में सरकारी सहायता से बने?

श्री राममूर्ति--फरेंदा तहसील में १९५२-५३ वर्ष में ५० व १९५३-५४ में ३२ पक्के कुयें सरकारी सहायता से बने।

श्री गौरीराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५२-५३ में ५० और ५३-५४ में ३२ कुयें जो बनाये गये उसमें कितनी-कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गयी और जनता ने कितना रुपया लगाया?

श्री कमलापति त्रिपाठी--५२-५३ में बेसूदी तकावी की दर ५०० रुपया थी और राज्य सरकार की ओर से ४०० रुपया पहले तकावी के रूप में दिया जाता है, और जब कुआं पूरा हो जाता है और सार्टिफिकेट आ जाता है कि कुआं बन गया तो वह ४०० रुपये की सहायता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ५२-५३ में ५०० रुपया तकावी और ४०० रुपया सहायता दी गयी। ५३-५४ में ५०० रुपया तकावी और ४०० रुपया सहायता तथा ५४-५५ में ५०० रुपया तकावी और ३०० रुपया सहायता प्रति कुआं दी गयी।

श्री गौरीराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जो ये कुयें बनाये गये हैं उनमें कितने कुयें फरेंदा के मध्य में और कितने दक्षिण में बनाये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर और दक्षिण की बात बताना तो मुश्किल है, लेकिन इस तहसील में ५२-५३ में ५० और ५४-५५ में ३२ कुयें बनाये गये हैं, जिनमें से ५० कुओं को सरकारी सहायता मिल चुकी है यानी वे कुयें पूरे हो चुके हैं, और तकावी की रकम सब्सीडी में परिवर्तित हो चुकी है। ३२ के लिये रुपया दिया जा चुका है तथा ५० का रुपया मनीआर्डर द्वारा दे दिया गया है।

जिला सीतापुर में नहरों का विस्तार

*२६--श्री बशीर अहमद हकीम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४८-४९ से अब तक जिला सीतापुर में नहरों का विस्तार कितना, कहां-कहां हुआ है?

श्री राममूर्ति--सीतापुर जिले में १९४८-४९ से १९५३-५४ तक नहरों के विस्तार के वितरण की एक सूची माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५९-४६० पर।)

श्री बशीर अहमद हकीम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह जो नहरों का विस्तार किया जाता है वह जनता की मांग के आधार पर होता है या मुहक मे[illegible] रिपोर्ट पर?

श्री राममूर्ति--इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं।

श्री बशीर अहमद हकीम--क्या सरकार यह बतलाने [illegible] वर्षों में सीतापुर की तीन तहसीलों बिस्वां, सीतापुर और मिश्रि[illegible] विस्तार क्यों हुआ?

श्री राममूर्ति--यह तो कहना मुश्किल है कि न[illegible] तरफ से काफी समझ रही है। माननीय सदस्य कम[illegible] है, लेकिन उन्होंने इधर ध्यान आकर्षित किया है तो[illegible] बढ़ायी जाय।

*२७२८--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२७[illegible]

आजमगढ़ जिले में चालू पंचवर्षीय [illegible]

*२९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिचा[illegible] जिले के अन्तर्गत चालू पंचवर्षीय योजना में कह[illegible] जाने वाले हैं?

श्री राममूर्ति--चालू पंचवर्षीय योजना में[illegible] के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर बांध बनाये[illegible]

बान्ध

१--जगदीशपुर बांध
२--औरा नदी पर ४ बंधियां
३--उदन्ती नदी पर बहुत सी बंधियां

इसके अतिरिक्त हाहा नाला बन्ध पर, जिसका अनुमानित व्यय ४,५०,००० रुपया है, निर्माण हो रहा है, और घाघरा नदी पर महोला गढ़वाल बन्ध बनने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेसू गंगी योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ साथ वह अवश्य समाप्त हो जायेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि हाहा नाला योजना का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसमें कुछ काम तो हो गया है, माननीय सदस्य को उसका ज्ञान भी होगा, क्योंकि वह उन्हीं के क्षेत्र में है। मेरा ख्याल है कि सन् ५६ के जून तक तो हम उसे पूरा कर ही लेंगे।

जिला आगरा में पक्की सड़कों का निर्माण

*३०--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि गत वर्ष कुल कितने मील पक्की सड़क जिला आगरा में बनायी गयी और कहां-कहां बनायी गयी ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--१९५३-५४ में आगरा जिले में १ मील ३ फरलांग और ६० फिट लम्बी निम्नलिखित पक्की सड़कों का निर्माण हुआ--

सड़क का नाम	लम्बाई		
	मी०	फ०	फी०
१--आगरा पोइयाघाट मार्ग दयालबाग से आगे	१	१	६०
२--बाह उदी मार्ग	०	२	०
योग	१	३	६०

इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को सिवर निर्माण हेतु सरकारी सहायता

*३१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को कितना रुपया सिवर बनाने के लिये सरकार ने दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को सिवरेज (sewerage) और ड्रेनेज (drainage) स्कीम के लिये मार्च, १९५४ से अब तक १० लाख रुपया दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि यह १० लाख रुपया म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा न खर्च कर पी० डब्लू० डी० द्वारा खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--पी० डब्लू० डी० द्वारा नहीं खर्च किया जा रहा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह काम ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--पहले तो यह काम नगरपालिका करा रही थी और वह बहुत अधिक काम नहीं करा पायी। अब एल० एस० जी० ई० डी० इस काम को करायेगा और उस का अधिकांश भाग बरसात के बाद शुरू होगा।

इलाहाबाद में बलुआ घाट वाला बांध की मरम्मत

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद में बलुआघाट पर बाढ़ रोकने के लिये जो बांध बांधा गया था उसका कुछ हिस्सा बह गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, चाचर नाले के ऊपर बलुआ घाट पर बने बांध का कुछ भाग बह गया था जो फिर बनवा दिया गया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के बहने तथा फिर से बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहने में तो कुछ नहीं खर्च हुआ, लेकिन उसके बनवाने में ८० हजार रुपया खर्च हुआ।

जौनपुर जिले में फ्रेंच कम्पनी द्वारा नल-कूप निर्माण

*३३—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहकारिता के कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रांस के इंजीनियरों की कम्पनी जौनपुर जिले में कब से नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ?

श्री राममूर्ति—फ्रेंच कम्पनी ने जौनपुर जिले के नलकूप निर्माण का कार्य मई, १९५५ से प्रारम्भ कर दिया है।

*३४—श्री लालबहादुर सिंह—इस जिले के ४५ नलकूप इस योजना के अन्तर्गत कब तक लग जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले में ४५ नलकूप जनवरी, १९५६ के अन्त तक बन जाने की आशा की जाती है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस फ्रेंच कम्पनी ने कितने नलकूपों पर काम किया और उनमें से कितने कामयाब हुए ?

श्री राममूर्ति—कम्पनी ने देर में काम किया, अब तक जौनपुर में ९ और गाजीपुर में २ बनाये हैं, जिनमें से जौनपुर में ५ और गाजीपुर में २ फेल हो गये। यह इंजीनियर्स से पूछा गया है कि इस मामले में उसके खिलाफ क्या हो सकता है ?

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह नलकूप जहां पर फेल हुये हैं, वहां पर सरकार द्वारा कोई परीक्षण कराया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परीक्षण होगा, लेकिन जहां यह कुयें फेल हुये हैं वहां नीचे पानी नहीं मिला, फिर भी विभाग द्वारा गोमती के उत्तर का जो किराकत का क्षेत्र है वहां परीक्षण कराया जायगा कि वहां किंचित पानी मिल सके।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर नलकूप फेल हुये हैं वहां पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह दुर्भाग्य की बात है कि भूमि जिस के तल में पानी नहीं मिलता वहां पर सिंचाई अच्छी नहीं हो सकती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पानी के लिये कितने फीट नीचे तक परीक्षण किया गया और इस फ्रेंच कम्पनी को कितना रुपया, जहां पर कुयें फेल हुये हैं, दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ठेकेदारी की शर्तों का प्रश्न किया गया, उसका ब्योरा तो मेरे पास नहीं है, नोटिस देने से ब्यौरा पेश किया जा सकता है। जहां तक निचाई या गहराई का ताल्लुक है २५० से ३५० फुट गहराई तक बोरिंग करते हैं। कुछ जगहों में पानी नहीं मिलता, कहीं कहीं ६०० फुट तक भी बोरिंग किया है। लेकिन आमतौर से ३५० फुट तक करते हैं और चूंकि खर्च ज्यादा होता है, इसलिये ज्यादा नहीं करते और अनुभव भी है कि नीचे जाने पर उतना स्ट्रेटा नहीं मिलता जितना आवश्यक होता है। पानी का खर्च तो अधिक होता है और बिजली भी ज्यादा खर्च होती है और उसी हिसाब से उतना ही महंगा पानी पड़ता है। जितनी पानी की सतह गहरी होगी उतनी ही महंगी ट्यूबवेल की योजना होगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर यह नलकूप फेल हुये हैं उसी के आस-पास दो एक नलकूप विभाग द्वारा परीक्षण करने पर सफल हुए हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा होता है, क्योंकि भूमि के गर्भ का तो पता नहीं चलता। अक्सर ऐसा हुआ है कि ८-१० फ़ेल हुए, कहीं पानी नहीं मिला और पास ही में मिल जाता है, तो धरती के भूगर्भ का पता नहीं चलता कि उसके नीचे क्या है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार जौनपुर के उस नहरी इलाके में कुछ तालाब खुदवाने की कृपा करेगी जिससे उनकी सिंचाई की समस्या हल हो जाय?

श्री अध्यक्ष--यह सुझाव आप उनको भेज दीजियेगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

प्रेसीडेंट नोटीफाइड एरिया, महरहरा के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*३५--**श्री गजेंद्रसिंह** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नोटीफाइड एरिया महरहरा (एटा) के चेयरमैन के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी जब कि १५ जनवरी, सन् १९५५ को उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है?

श्री कैलाशप्रकाश--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारायें जो नोटीफाइड एरियाओं में लागू हैं उनके अनुसार प्रेसीडेन्ट नोटीफाइड एरिया महरहरा के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और उनका त्यागपत्र कमिश्नर, मेरठ डिवीजन द्वारा २९ मार्च, १९५५ को स्वीकार किया जा चुका है।

*३६--**श्री गजेंद्रसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ की संशोधित धारा ४७-ए नोटीफाइड एरिया मरहरा (एटा) पर लागू होती है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक लागू होगी?

श्री कैलाशप्रकाश--संशोधित धारा ४७-ए प्रदेश की समस्त नोटीफाइड एरियाओं में दिनांक ९ अप्रैल, १९५५ की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ०-४४/११-बी--९ एन-५५ द्वारा लागू की गयी है।

श्री गजेंद्रसिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर को अविश्वास का प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह तो इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन १५ जनवरी को प्रस्ताव पास हुआ।

श्री गजेंद्रसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब १५ जनवरी को प्रस्ताव पास हुआ और २६ मार्च को वह मंजूर हुआ तो इतनी देर क्यों हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—अविश्वास का प्रस्ताव जब पास होता है उसके बाद चेयरमैन को लिखना होता है। उसके बाद जानकारी होना होता है, उसके बाद फैसला होता है। इसमें देर लग जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कमिश्नर के ऊपर कोई गवर्नमेंट की पाबन्दी है कि इतने महीनों के अन्दर कोई भी प्रस्ताव म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया से आवे उस पर फैसला हो जाना चाहिये ?

श्री कैलाशप्रकाश—कोई इस किस्म की पाबन्दी तो नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिये।

श्री गजेंद्रसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मैंने यह प्रश्न अल्पसूचित तारांकित कर के दिया था लेकिन इसका जवाब मुझे ४ महीने के बाद दिया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह अल्प सूचित नहीं है बल्कि तारांकित प्रश्न है।

इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के किसानों से सरकार द्वारा अधिकृत भूमि का मुआवजा तथा लगान की वसूली

*३७—**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** (जिला इलाहाबाद)—क्या तहसील करछना, जिला इलाहाबाद के उन किसानों को, जिनके खेत केवल नहर की शाखाओं के फैलाने के लिये सरकार द्वारा लिये गये हैं, अब तक भी सरकारी लगान सम्बन्धित खेतों का देना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—शीघ्र ही इस प्रकार की सभी शिकायतों की जांच की जावेगी और किसानों से जो लगान ज्यादा वसूल किया गया है उसको शीघ्र वापस करने की व्यवस्था की गयी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

*३८—**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त जमीन का मुआवजा कब तक सम्बन्धित किसानों को मिल सकेगा ?

श्री राममूर्ति—मुआवजे की रकम ६ माह के अन्दर दे दिये जाने की आशा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस तहसील में नहरें बनाने का काम २ साल से शुरू हुआ है और इस बीच में किसानों को लगान बराबर देना पड़ा है उस जमीन के सम्बन्ध में जो उनके कब्जे से विभाग ने दो साल पहले ले ली थी ?

श्री राममूर्ति—यह बात अपनी जगह सही है और इसलिये मैंने अर्ज किया कि उस बात को अब एक्सपीडाइड करने के लिये हमारे वहां ५ लैंड एक्वीजीशन आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों से लगान वसूल हो गया है और जो और शिकायतें हैं वह सब दूर की जायेंगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी इस विषय पर सरकार की कोई ऐसी निश्चित नीति भविष्य में निश्चय करने की कृपा करेंगे जिससे कि जिस दिन से इस तरह की जमीन विभाग नहर आदि के लिये लेवे उसी दिन से किसानों से लगान उस जमीन का लेना बन्द कर दिया जाय ?

प्रदेश की नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव

*३९---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत २ मासों में प्रदेश के कितने म्युनिसिपल बोर्डों में उनके अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव स्वीकृत हुये ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्रश्न से यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है कि किन विशिष्ट मासों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है । किन्तु यदि तात्पर्य इस प्रश्न की प्रथम निर्धारित तिथि से पूर्व दो मासों अर्थात् फरवरी और मार्च, १९५५ से है तो इन दो मासों में ५ बोर्डों में उनके अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि माननीय मंत्री जी ने जिन बोर्ड्स का अभी जिक्र किया है उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---मुरादाबाद, सहसवान, सिकन्दराऊ, धामपुर, अतरौली।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो अध्यक्षों पर अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए थे, किन-किन राजनैतिक पार्टियों के थे ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे नहीं उठता। राजनीतिक पार्टियों का कोई सवाल नहीं है।

राजा वीरेंद्रशाह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन ५ चेयरमैनों के खिलाफ जो अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए, उनमें से कितनों को निकाल दिया गया और कितनों पर अभी कार्यवाही पूरी नहीं हुई ?

श्री सैयद अली जहीर---सवाल अभी साफ नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मार्च तक किस किस के खिलाफ कार्यवाही हुई तो इसका और जवाब होगा और अगर अब तक क्या हुआ इसका जवाब चाहिये तो दूसरा जवाब होगा।

श्री अध्यक्ष---फिर से आप अपना सवाल साफ कर दीजिये।

राजा वीरेंद्र शाह---मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन ५ अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हैं उन पर अलग-अलग हरएक के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सैयदअली जहीर---मुरादाबाद--जिसमें उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दिया था और हाई कोर्ट से आर्डर्स रुक गये हैं। रिट पिटीशन खारिज हो जाने पर अब मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है।

सहसवान---उनका इन्तकाल हो गया है और दूसरे प्रेसीडेंट के चुनाव की कार्यवाही हो रही है।

सिकन्दरराऊ---प्रेसीडेन्ट ने इस्तीफा दे दिया है और वहां दूसरा चुनाव होने जा रहा है।

धामपुर---प्रेसीडेंट से इस्तीफा देने के लिये कहा गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा कायदे में नहीं था जिससे उनसे कहा गया है कि दूसरा इस्तीफा दें।

अतरौली---प्रेसीडेंट ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन एक इलेक्शन पिटीशन चल रहा है पहले से। उसमें कहा गया है कि इनको चेयरमैन नहीं होना चाहिये था, मुझको चेयरमैन होना चाहिये था। वह इलेक्शन पिटीशन जेरेग़ौर है। इसलिये वहां दूसरा चुनाव नहीं कराया गया।

*४०-४१—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)— [१३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

रुड़की तथा ज्वालापुर परगने के गांवों में नलकूप निर्माण योजना

*४२—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार का विचार रुड़की तथा ज्वालापुर परगने के ग्राम आनेकी, औरंगाबाद, गढ़, तेलीपुरा और धनौरी में नलकूप लगाने का है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—जी हां, द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नलकूपों का निर्माण स्वीकृत हो जाने और उनके क्षेत्रों का सफलतापूर्वक सर्वे हो जाने के बाद नलकूपों के लगाने का विचार है।

इटावा जिले के जमुना पार इलाके में सिंचाई के हेतु प्रयोगात्मक नलकूप

*४३—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार इटावा जिले के जमुना पार इलाके में, जहां कृषि सिंचन का कोई साधन नहीं है सिंचाई की कोई योजना बना रही है? अगर हां, तो क्या?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में १ व २ प्रयोगात्मक नलकूपों के लगाने का विचार है। यदि ये नलकूप सफल हुये तो इस इलाके में राजकीय नलकूपों के बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो दो नलकूप बनाने की योजना है वह कब तक पूरी हो जायगी?

श्री राममूर्ति—भारत सरकार की तरफ से दो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स लगाने की योजना है। यह भारत सरकार पर है कि कब वह मशीन वगैरह भेजे। जब वह भेजेगी तब एक्सप्लोरेशन होगा।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी वहां पर डैम बनाने के ऊपर विचार करेंगे, और क्या वहां पर डैम बना कर बरसाती पानी रोक कर सरकारी ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—अभी तक तो इस पर विचार कोई है नहीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जालौन जिले में शेरगढ़ घाट पर पुल निर्माण

*४४—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार जिला जालौन में यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट पर पुल बनवाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, इस पुल का अनुमानित व्यय लगभग ६० लाख है। और पुलों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इस समय पुल के निर्माण का कार्य लेने में असमर्थ है।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या सरकार इस बात को जानती है कि शेरगढ़ घाट का पुल एक अहम पुल है, पी० डब्लू० डी० में इसको लेने के लिये विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अहम तो शायद जरूर है। इससे दूसरे पुल भी कई ज्यादा अहम हैं।

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला जालौन के अधिकतर किसान जिला इटावा और औरैया मंडी को अपना गल्ला बैलगाड़ी से ले जाते हैं और पुल न होने के कारण उनको अधिक कठिनाई होती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। यह ठीक हो सकता है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--और कौन-कौन से पुल सरकार के विचाराधीन हैं जिनकी वजह से यह पुल नहीं बन सका ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सब पुलों की सूची के लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से जिले हैं, हमीरपुर, इटावा और अन्य जिले हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि जालौन में भी कोई और पुल बनवा रही है जिसकी वजह से इस पुल को बन्द कर दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जालौन के अन्तर्गत और किसी पुल की मुझे सूचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जालौन ने भी यह सिफारिश की है कि यह पुल जल्दी बन जाना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मुझे इसका ज्ञान तो नहीं है। लेकिन जब यह माननीय उपाध्याय जी कहते हैं तो ठीक होगा।

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के किसानों का हित देखते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह पुल बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी के समय इस पुल पर विचार किया जायगा, ऐसी सम्भावना है।

म्युनिसिपल बोर्ड, कौंच के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*४५--**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, कौंच के अध्यक्ष के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग करने एवं अनधिकृत कार्यवाहियों के करने के बाबत चन्द शिकायतें आई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां।

*४६--**श्री चित्तरसिंह निरंजन**--यदि हां, तो सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उक्त शिकायतों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--सरकार इन शिकायतों पर विचार कर रही है।

श्री चित्तरसिंह निरंजन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त शिकायतें किस तारीख की हैं और सरकार के पास विचाराधीन कब आयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--ठीक तारीख देना तो दुश्वार है लेकिन दिसम्बर, १९५४ से पहिले आयी थीं।

श्री चित्तरसिंह निरंजन--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन शिकायतों का अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि इन अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी दिसम्बर में पास हो गया था। जब जिलाधीश महोदय ने इनको काम करने के लिये रुकने को कहा तो उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन कर दिया। हाईकोर्ट में पिटीशन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। २६-७-५५ को हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन खारिज कर दिया। २६-७-५५ को उनको यह आदेश दिया गया है कि वे त्याग-पत्र दे दें। अब मालूम हुआ है कि उन्होंने काम करना तो छोड़ दिया है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वे त्याग-पत्र दे रहे हैं या नहीं। अगर वे त्याग-पत्र नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह शिकायतें किनकी ओर से भेजी गयी थीं?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय नाम तो मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ तारीख के हाईकोर्ट के फैसले की सूचना सरकार को २६ तारीख को कैसे हुई?

श्री कैलाशप्रकाश—मैंने निवेदन किया कि २६-७-५५ तारीख थी और २६-७-५५ को यहां से आदेश हुए।

मिर्जापुर जिले में देवरी बांध का सर्वे

*४७—**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज के देवरी-बांध का सर्वे किया गया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री राममूर्ति—देवरी-बांध का सर्वे किया गया था और अब प्रोजेक्ट स्टीमेट्स बनाया जा रहा है।

*४८—**श्री रामस्वरूप**—प्रस्तावित देवरी-बांध पर क्या व्यय होगा तथा इस बांध से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी?

श्री राममूर्ति—प्रस्तावित देवरी-बांध पर लगभग १.७ लाख रुपया व्यय होगा तथा इस से लगभग ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार क्या इसको इस चालू वित्तीय वर्ष में बनवाने का विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—यह माइनर इर्रीगेशन वर्क्स में आता है। जब और सब काम कराये जायेंगे उसके साथ यह काम भी किया जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस क्षेत्र में देवरी-बांध बनने को है उस क्षेत्र में ८० गांवों की सिंचाई का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। राबर्ट्सगंज का बहुत सा एरिया ऐसा है कि जहां इसकी कोई सुविधा नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस क्षेत्र की बात मैं कह रहा हूं वह पहाड़ नहीं मैदान है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मैदान है पहाड़ के ऊपर, इसलिये वहां पानी नहीं मिलता । मैं यह भी निवेदन कर दूं अध्यक्ष महोदय, कि आप देखेंगे, उत्तर से पता लगता है कि ५०० एकड़ की सिंचाई होगी और उसके लिये १ लाख ७हजार रुपये का अनुमान है। राबर्टसगंज और उधर के इलाके में ऐसी बंधियां बहुत महंगी पड़ती हैं और हमारे नियमों के अनुसार ऐसी बंधियों का बनना तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से इसकी इजाजत नहीं मिलती। तो इन सब दिक्कतों के होते हुए भी हम इस चेष्टा में लगे हुए हैं कि जो पहाड़ के ऊपर मैदान मिल गया है माननीय सदस्य को, उसकी हम सिंचाई कर सकें ।

बलिया जिले के नलकूप

*४९--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में कुल कितने नलकूप हैं? उनमें से कितने इस समय पानी देते हैं और कितने बेकार हैं?

श्री राममूर्ति--बलिया जिले में कुल ४१ राजकीय नलकूप हैं। जिनमें से ३२ इस समय पानी दे रहे हैं और ९ अभी चालू नहीं हैं ।

*५०--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बेकार पड़े हैं वे कब तक ठीक हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--जो नलकूप इस समय चालू नहीं हैं उनके चलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और आशा की जाती है कि यह शीघ्र ही चालू हो जायेंगे ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--श्रीमन्, मैंने अपने ४९ प्रश्न में यह जानना चाहा था कि बलिया में कितने नलकूप हैं। लेकिन जवाब मिला है कि राजकीय ४१ नलकूप बने। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन ४१ नलकूपों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट फंड से बने हुए नलकूप शामिल हैं ?

श्री राममूर्ति--बलिया में १०१ नलकूप बनाने का प्रोजेक्ट है। लेकिन ४१ का जो जिक्र किया गया ये सब सरकारी नलकूप हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये नलकूप बन्द क्यों हैं ? इनका पानी सूख गया है या और कोई कारण है जिसकी वजह से काम में नहीं आ रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--नलकूपों का पानी मैदान में नहीं सूखता, पहाड़ों में सूखता है। लेकिन इन नलकूपों पर बिजली नहीं पहुंच सकी है, तो हम डीजल इंजन का इंतजाम कर रहे हैं तब चलेंगे ।

आगरा जिले में सिंचित क्षेत्र

*५१--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि आगरा में सन् १९४५-४६ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था और सन् १९५४-५५ में कितना था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरा जिले में सरकारी साधनों द्वारा सन् १९४५-४६ और १९५३-५४ में सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

सन् १९५४-५५ का सिंचित क्षेत्र अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६१ पर।)

*५२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या यह सही है कि सन् १९४५-४६ से सन् १९५३-५४ में गंगा नहर का सिंचित क्षेत्र घट गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अपर और लोअर गंगा नहर के सन् १९४५-४६ और १९५३-५४ के सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि १९४५-४६ से १९५३-५४ का सिंचित क्षेत्र घटा नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६२ पर।)

आजमगढ़ जिले में बाढ़ निवारक योजनायें

*५३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बाढ़ डिवीजन, बलिया की ओर से आजमगढ़ जिले में कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला आजमगढ़ में बाढ़ निवारक योजनाओं की सूचियां माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६३-४६४ पर।)

जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में छोटी सरयू तथा घाघरा के बीच के क्षेत्र में बाढ़ कम करने के उपाय

*५४—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की छोटी सरयू नदी को लाल घाट के पास गहरा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—छोटी सरयू और घाघरा के बीच की भूमि बहुत नीची है और इसमें कई नाले मिलते हैं जिसमें नदियों का पानी भी आ जाता है और क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। महोलागढ़बल बन्ध के निर्माण में बदरुआ नाले का मुहाना बन्द कर दिया जायगा जिसके फलस्वरूप घाघरा का पानी छोटी सरयू में इस नाले द्वारा नहीं पहुंच सकेगा और बाढ़ कम हो जायगी। अतः नदी का गहरा करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

कल्यानपुर, जिला आजमगढ़ में छोटी सरयू पर पुल का अभाव

*५५—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की छोटी सरयू नदी पर कल्याणपुर स्थान पर वह एक पुल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बाढ़ डिवीजन, बलिया के संरक्षण में बनवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, इस स्थान पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है नहीं।

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूपों के विरुद्ध शिकायतें

*५६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले से कोआपरेटिव ट्यूबवेलों के सुचारु रूप से न चलने की शिकायत उनके पास पहुंची है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अपने हाथ में ले कर ठीक प्रकार से चलाने का विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यह निश्चय सरकार कर चुकी है कि जो सहकारी समितियां अपने नलकूप देना चाहें उन्हें सरकार ले ले और राजकीय नलकूप की भांति चलाये।

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूपों तथा पक्की नालियों का निर्माण

*५७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में अभी कितने-कितने ट्यूबवेल बनने शेष हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अलीगढ़ जिले में निम्नलिखित सहकारी नलकूप बनने शेष हैं:

तहसील का नाम	नलकूपों की संख्या जो बनने शेष हैं
अतरौली	४
खैर	१
इगलास	१

इनके अलावा १० नये राजकीय नलकूप बनाने का भी सरकार ने निश्चय किया है।

*५८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इन ट्यूबवेलों के साथ ही इनकी पक्की नाली भी बनवाने का विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। राजकीय नलकूपों पर पक्की नाली बनवाने का विचार है।

जिला मुरादाबाद में रहट के कुओं के लिये सहायता

*५९—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वर्ष १९५५ ई० में रहट के कुओं के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र अलग-अलग तहसीलों में आये और उनमें से कितने-कितने किसानों को रहट के कुओं की सहायता प्राप्त हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आर्थिक वर्ष १९५४-५५ सम्बन्धी वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६५ पर।)

*६०-६२—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[१३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

एटा जिले में तहसीलवार निजी नलकूप बनाने के लिये तकावी तथा उसका दुरुपयोग

*६३—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में एटा जिले में तहसीलवार निजी नलकूप बनाने के लिये कितना-कितना रुपया किस-किस स्थान पर नलकूप बनाने के लिये तकावी के रूप में दिया गया है?

*६४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस तकावी के रुपये से अब तक कितने नलकूप कहां-कहां बन चुके हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६६ पर।)

*६५—श्री बाबूराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन सज्जनों ने अभी तक उस तकावी के रुपये का उपयोग नहीं किया है उनके खिलाफ वह क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन सज्जनों को नोटिस दी गई है कि क्यों न उनसे तकावी की सब धनराशि वसूल कर ली जाय।

गढ़वाल जिले में अलकनन्दा नदी के ऊपर झूला पुलों का निर्माण

*६६--**श्री गंगाधर मैठाणी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलकनन्दा नदी, जिला गढ़वाल के ऊपर सुमेरपुर, धारकोट, कोठगी, सारी, सेमीसौंला और मैठाणा में झूला पुलों (Suspension bridges) के निर्माण की स्वीकृति कब हुई, इनका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और वे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नवम्बर, १९५१ में । सुमेर पुर और कोठगी झूलों का कार्य मार्च, १९५२ में तथा धारकोट, सारी सेमी (उमठा) और मैठाणा पर कार्य फरवरी, १९५३ में आरम्भ किया गया । सोनला झूले पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि व्यय स्वीकृत धनराशि से अधिक हो रहा था ।

सोनला झूले को छोड़ कर शेष झूलों के निर्माण के इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है । सोनला पुल पर कार्य संशोधित आगणन के सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् आरम्भ किया जायगा ।

केदारनाथ, गुप्तकाशी और त्रियुगीनारायण में राजकीय निरीक्षण भवन

*६७--**श्री गंगाधर मैठाणी**--क्या सरकार को विदित है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर केदारनाथ, गुप्तकाशी और त्रियुगीनारायण प्रमुख स्थान हैं और इन स्थानों पर राजकीय निरीक्षण गृह नहीं है ? क्या सरकार उपर्युक्त स्थानों पर निरीक्षण-गृह बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां । इन स्थानों के पास निरीक्षण भवन पहले से ही मौजूद हैं, अतएव नये निरीक्षण-गृहों के निर्माण की आवश्यकता नहीं मालूम होती । प्रश्न ही नहीं उठता ?

अनिर्णीत मुकदमों को अगली तिथि निर्धारण के संबंध में सुझाव

*६८--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार के सामने कोई ऐसा सुझाव है कि अदालतें किसी एक तारीख में लगे हुये सभी मुकदमों को अव्वल वक्त में पुकार लें और जो मुकदमें उस दिन के लिये पूर्ण रूप से सुनवाई के लिये तैयार हों और सुने जा सकें उनको छोड़ कर बाकी सभी मुकदमों में अव्वल वक्त में ही दूसरी तारीखें डाल दें ?

श्री सैयद अली जहीर--सरकार के विचाराधीन तो नहीं, मगर हाई कोर्ट इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

*६९--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--यदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये कौन-सा कदम उठाया ?

श्री सैयद अली जहीर--यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

देवरिया जिले में भटनी-लक्ष्मीपुर बाजार और भटनी-भिंगारी बाजार सड़कों के निर्माण का सुझाव

*७०--**श्री शिववचन राव** (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिला देवरिया में भटनी से बिहार सीमा पर स्थित लक्ष्मीपुर बाजार को सड़क द्वारा मिलाने पर विचार कर रही है जिससे सिवान, छपरा, सोनपुर तक जाने की सुविधा जनता को मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का विस्तार सीमित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जायेगा।

*७१—**श्री शिववचन राव**—क्या सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त सड़क पर भटनी (हतवा बाजार) में छोटी गंडक नदी पर पुल बनवा कर उक्त क्षेत्र को विकसित करने का विचार करती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा।

*७२—**श्री शिववचन राव**—क्या सरकार भटनी से घाटी बाजार होते हुये बिहार सीमा पर स्थित भिन्नागारी बाजार तक सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस सड़क पर विचार किया जायगा ?

अलमोड़ा-रामेश्वर घाट मोटर मार्ग का निर्माण

*७३—**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा-रामेश्वरघाट मोटर मार्ग को उसने मोटर मार्ग निर्माण की अपनी योजनाओं में सम्मिलित कर लिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस सड़क का निर्माण सरकार ने अल्मोड़ा जिले के अकालपीड़ित क्षेत्रों की सामान्य उन्नति के लिये स्वीकार किया था।

*७४—**श्री गोवर्धन तिवारी**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त मोटर मार्ग के चितई से बाड़ेछीना तक के हिस्से के निर्माण के लिये सरकार द्वारा ४ लाख ३२ हजार रुपये की स्वीकृति वर्तमान वर्ष से पेश्तर ही मिल चुकी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस भाग के निर्माण के लिये ४,३४,००० रुपये का विस्तारित आगणन फरवरी, १९५४ ई० में स्वीकृत किया गया था।

*७५—**श्री गोवर्धन तिवारी**—क्या सरकार को यह पता है कि विधान सभा ने अपने १९५४-५५ के बजट अधिवेशन में अल्मोड़ा-रामेश्वरघाट मोटर मार्ग के निर्माण के लिये २ लाख रुपया स्वीकार किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर-सैयदराजा मार्ग

१—**श्री भोलासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में जमनियां स्टेशन से आने वाली पक्की सड़क गंगा की धारा से कटने के बाद जो नई बनाई गई थी, वह फिर कट रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गाजीपुर-सैयदराजा मार्ग, जो सन् १९४३ से १९४९ के बीच नया बनवाया था, के १८ वें मील का ८ वां फरलांग, गंगा नदी की धारा से प्रतिवर्ष कटता जा रहा है, अतएव सड़क को पीछे हटाने के लिये कार्यवाही हो रही है।

टांडा नहर की खुदाई

२—**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा नहर की, जो आजमगढ़ जिले में होकर बहेगी, खुदाई कितने मीलों तक तैयार हो चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टांडा मुख्य नहर की लम्बाई कुल ४४ मील है। मुख्य कैनाल पर ३६ मील में खुदाई का कार्य आरम्भ हो गया है। शाखाओं पर ४ मील में खुदाई का काम प्रारम्भ हुआ है। शेष मीलों में कार्य शीघ्र लगने वाला है।

डिस्ट्रीब्यूटरियों तथा माइनरों पर अभी काम नहीं लगा है।

जौनपुर-केराकत-चन्दबक सड़क

३—श्री लालबहादुर सिंह—क्या सरकार जौनपुर-केराकत-चन्दबक सड़क को अपने प्रबन्ध में लेने या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इसके मरम्मत के लिये विशेष अनुदान देने पर विचार कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस सड़क को अपने प्रबन्ध में लेने का विषय सरकार के विचाराधीन है।

चकिया-अहरौरा कच्ची सड़क को पक्का बनाना

४—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन बनारस राज्य की चकिया तहसील में कौन-कौन सी कच्ची सड़क को पक्की बनाने का काम हो रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—विलीन बनारस राज्य की चकिया तहसील में चकिया-अहरौरा कच्ची सड़क को पक्का करने का काम हो रहा है।

१९५३-५४ में मुन्सिफों तथा सिविल जजों के रिक्त स्थान

५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में मुंसिफों और सिविल जजों की कितनी जगहें खाली रहीं और क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—सन् १९५३ तथा १९५४ ई० में मुंसिफों तथा सिविल जजों के खाली जगहों के बारे में सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। इन जगहों के खाली रहने का कारण यह है कि यू० पी० सिविल सरविस (जुडिशल ब्रांच) के कई अफसरों को सिविल तथा सेशन्स जज तथा अन्य पदों पर, जो रेगुलर लाइन से बाहर थी, काम करने के लिये नियुक्त किया गया।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४६७ पर।)

देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में भुखमरी विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है और साथ ही जो हालात इस संबंध में हैं उसके लिये जो उनके पास शिकायतें आयीं या मालूमात आयीं वह भी उन्होंने मेरे पास भेज दी थी। काम रोको प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"देवरिया जिले में रुद्रपुर के राप्ती बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भूख से मौतें होने लगी हैं। उहरौजी बजरुग ग्राम में सात व्यक्ति मर गये हैं। अन्न की कमी से लोग आम की गुठली खाने को बाध्य होते हैं और अन्त में रोग ग्रस्त होकर मृत्यु प्राप्त करते हैं, हालत दिन बदिन बदतर होती चली जा रही है। इसने ऐसी आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पैदा कर दी है जिस पर विचार करना नितान्त आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य हो गया है।

अतः सदन ऐसे आवश्यक तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

[श्री अध्यक्ष]

अगर यह हालात ठीक हैं, वाकयात ठीक हैं तो यह प्रश्न महत्व का तो अवश्य है, और इसके बारे में जो सबूत भेजे हैं यह भी मेरे पास ११ बजे के करीब आये, मुझको पहले भी थोड़ा उन्होंने बता दिया था लेकिन नकल मुझे मिला नहीं इसलिये मैं सरकार के पास उसे भेज भी नहीं सका। तो मैं आज इस विषय को नहीं लेता हूं। कल इस विषय पर फैसला करूंगा कि आया इसकी इजाजत दूं कि सदन से अनुमति मांगी जाय या नहीं। इस बीच में वाकयात के बारे में जो यह पत्र आये हैं मैं सरकार के पास इनकी प्रति भेज दूंगा जिसमें उनको भी मौका मिले कि इसकी थोड़ी जांच करके अगर वह कुछ वक्तव्य देना चाहें तो कल वह दे सकती है।

दर्शक-दीर्घा प्रवेश-पत्रों का दुरुपयोग

श्री अध्यक्ष--मैं सदन के सदस्यों को कुछ सूचना देना चाहता हूं कि जो यहां पर दर्शकों के पास दिये जाते हैं उनके संबंध में दो-तीन रोज से मेरे पास यह शिकायत आ रही है कि जिन व्यक्तियों को वे पास दिये गये वह पास कुछ ऐसे भी मिले चैक करने पर कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि दूसरे लोग उनके स्थान पर जाकर बैठ गये। खैर, इस वक्त एक साधारण बात यह प्रतीत होती है जब कोई खतरा नहीं होता तो ऐसे मौके पर कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं, लेकिन मुझे इस विषय में अवश्य माननीय सदस्यों से कहना है कि जिन्हें कि वे पास दें उनसे कम से कम यह अवश्य कह दें कि वह दूसरों के इस्तेमाल के लिये नहीं हैं, वे उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। कभी कभी यह भी हो जाता है कि नाम काटकर स्वयं दूसरा व्यक्ति अपना नाम पास पर लिख ले और बैठ जाय। अब यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय सदस्य ने यह बात की या उसी व्यक्ति ने जिसको कि पास दिया उसने दूसरे किसी को अपना नाम काटकर दूसरे किसी को लिख दिया और उसे दे दिया। जो पकड़ा जाता है वह तो यही कहेगा जब उसको पकड़ा जायगा कि मुझे तो सदस्य ने पहिला नाम काटकर मेरा नाम लिख कर पास दिया है जिसमें कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा सके और कुल जिम्मेदारी सदस्य के ऊपर ही पड़ जाय। इसलिये मैंने सूचना दे दी कि इसके लिये विशेष ध्यान दिया जाय जिसमें वही लोग पास इस्तेमाल करें जिनका कि उनमें नाम दिया हुआ है, दूसरा न इस्तेमाल करे। अगर आइन्दा ऐसी बात होगी तो मुझे कुछ न कुछ जो व्यक्ति इस तरह से दूसरों के पासों को लेकर बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने सोचा कि सदस्यों से पहले कह दूं ताकि उनके कोई मित्र वगैरह हों या और कोई मिलने वाले हों तो उन्हें वे आगाह कर दें जिससे भविष्य में कोई गड़बड़ी पैदा न हो सके। आइन्दा इसके लिये ख्याल रखना चाहिये।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी हासिल करनी है कि इस हफ्ते का कार्यक्रम क्या होगा और ऐसा सुनने में आता है कि कुछ दिनों के लिये इस हफ्ते के बाद छुट्टी होगी। तो अगर छुट्टी होगी तो कितने दिनों की होगी, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक हफ्ते के काम की बात है वह तो जो हमारे एजेंडे में दिया हुआ है वह स्वयं बहुत काफी है। छुट्टी की बात ऐसी है कि हम यह देखते हैं कि २७, २८, २९ और ३० ये चार रोज तो यों छुट्टी होने वाली है कि शनिवार, इतवार और मुहर्रम पड़ता है और फिर ३ और ४ को शनिवार और एतवार के लिये छुट्टी होने वाली है। तो बीच में केवल ३ वर्किंग पड़ते हैं। दूसरे ऐसा भी मालूम पड़ा है कि कई माननीय सदस्यों को खासतौर से जो कि ऐसे जिलों से आते हैं जहां पर कि बाढ़ आदि की शिकायत है, वे इस बात को चाहते भी हैं कि उनको मौका मिले कुछ वहां जाकर काम करने का, तो हमने यह मुनासिब समझा कि २६ तारीख के बाद सदन बन्द रहे और फिर ५ तारीख से बैठे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इसका मतलब यह हुआ कि २५ तक सदन बैठेगा।

श्री अध्यक्ष—२६ तक बैठेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता था कि जब तक यह सदन चल रहा है, जबकि छुट्टी हो गई थी तो हमने एक पत्र डा० राममनोहर लोहिया का आपके पास भेजा था, वह पत्र सम्पूर्णानन्द जी से संबंधित था।

श्री अध्यक्ष—कोई दूसरा मामला इस समय नहीं आना चाहिये।

श्री राजनारायण—उसको आप पढ़ दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह एक नया विषय है और इस समय सदन में उसे नहीं आना चाहिये।

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली तथा मोटर वेहिकिल्स रूल्स की संशोधित प्रतियों की मांग

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एजेंडे के क्रम संख्या ६ और ६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, जब से यह एजेंडे पर है तब से तीन चार बार संशोधन हो चुके हैं और यही हाल मोटर वेहिकिल्स रूल्स का है। १२ तारीख को मैंने एक पत्र भी माल मंत्री को लिखा था कि अंतिम रूप क्या है। इसकी जानकारी हमको नहीं है और उसकी एक प्रति मैंने आपके पास भी पहुंचा दी थी। तो यह असंभव हो जायगा जब तक कि अंतिम रूप से जो नियम चालू है, उनकी जानकारी हमको न हो जाय, तब तक उस पर विवाद हम कर सकें। इसलिये उनका जो अंतिम रूप है उसकी एक प्रति अगर सरकार हमको नहीं देगी तो बड़ा कठिन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय माल मंत्री (एक क्षण उपरान्त) वे नहीं हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री इस विषय पर कुछ बता सकेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर बहस होनी है तो रूप में तो यह सदन के सामने आना ही चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं ठीक कि किस चीज के लिये बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष—जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की नियमावली, जिसके ऊपर बहस होने वाली है, सदन में पेश होने के बाद भी उसके नियम फिर बदले हैं, तो वह यह चाहते हैं कि अंतिम रूप में जो नियम बने हैं, उनकी भी प्रति सदस्यों को मिलनी चाहिये और ऐसे ही मोटर वेहिकिल्स एक्ट के नियम भी हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक है मिल जायगी।

*पशुपालन विभाग से सम्बद्ध प्राक्कलन समिति का अष्टम प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, सभापति होने के नाते प्राक्कलन समिति के दिये हुये अधिकार तथा आदेशानुसार, मैं इस समिति का अष्टम प्रतिवेदन जो पशुपालन विभाग के संबंध में है, इस सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

---

* छापा नहीं गया।

[श्री नवल किशोर]

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं इस संबंध में दो एक बातें कहना चाहता हूं। यह प्रतिवेदन जो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं इसको कुछ समय पहले इस सदन के सम्मुख आ जाना चाहिये था। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनके कारण इसके लाने में कुछ देर हो गयी। एक कारण यह भी था कि हमारे कुछ आदरणीय साथी, जिनका विशेष संबंध इस कमेटी से था, वे गवर्नमेंट में चले गये और इस काम में विलम्ब हुआ। मैं सर्वप्रथम यह आशा करता हूं और याचना करता हूं कि सदन इस देर के लिये हमको क्षमा करेगा।

मैं इस मौके पर अपना यह भी फर्ज समझता हूं कि मैं अपने साथियों तथा समिति के विशेषाधिकारियों व अन्य कर्मचारियों और साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भी उनके सहयोग तथा परिश्रम के लिये धन्यवाद दूं। मान्यवर, आपने भी जो हमारी समिति के कार्यों में रुचि रखी है और हमारी कठिनाइयों को हल करने में जो सहायता प्रदान की है उसके लिये हम आपके आभारी हैं और समिति की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

एक शब्द मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा। हम आज यह अपना अष्टम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले ७ प्रतिवेदन जिनका संबंध और अन्य विभागों से था हम दे चुके हैं। हमारी यह आशा थी कि इतना समय होने के बाद सरकार के निर्णय इस सदन के सामने आयेंगे। श्रीमन्, मुझे आशा है कि शायद आप और सरकार इससे सहमत होंगे कि ऐसी रिपोर्टों की सिफारिशों में अधिक विलम्ब हो जाने से उनका वजन कम हो जाता है, और आइन्दा के लिये भी कमेटियों का काम एक किस्म से मेकेनिकल हो जाता है और काम करने में कोई स्फूर्ति भी नहीं रहती है। मुझे यह बात बतलाने में खुशी है कि नैनीताल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही, जो हमारे पिछले प्रतिवेदन हैं, उनके संबंध में जो सरकार का निर्णय होगा उससे इस सदन को सूचित कर देंगे। मैं आज पुनः उनको इस आश्वासन की याद दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही अपनी सरकार का निर्णय इस सदन के सामने लाने की कृपा करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों के संबंध में अभी उसके सभापति जी ने जो कुछ बातें कहीं, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैंने इस समिति की हाल की एक बैठक में यह आश्वासन दिया था कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इस संबंध में गवर्नमेंट का जो कुछ निर्णय हो वह जल्दी पेश किया जाय, और मैं आपको और आपके द्वारा इस माननीय सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं इस काम को इस वक्त देख रहा हूं और करीब करीब हर विभाग की रिपोर्टें हमारे पास आ गयी हैं और जल्दी ही मैं इस बात का यत्न करूंगा कि गवर्नमेंट उनको एक बार देख कर गवर्नमेंट का निर्णय इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाय।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, और आप से भी इस संबंध में एक परिपाटी नियत करने के लिये प्रार्थना करता हूं। आपको याद होगा कि इस सदन के विगत सत्र में जब यह प्रश्न यहां पर उठा था तो माननीय हाफिज जी ने सरकार की ओर से कहा था कि एस्टीमेट्स के संबंध में कोई प्रतिवेदन को कार्यवाही सदन के सामने रखना आवश्यक नहीं है और उन्होंने हाउस आफ कामंस की परिपाटी का जिक्र किया था। हमारी ओर से प्रश्न उठाया गया था कि आप स्वयं कोई परिपाटी निर्धारित कर दें कि क्या प्रतिवेदन पर सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे? अगर प्रस्तुत करे तो उसके संबंध में विवाद हो सकता है। यह परिपाटी आपको अब निश्चित करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि यह एस्टीमेट्स कमेटी एक हाउस की कमेटी है, कोई गवर्नमेंट की कमेटी नहीं है और इस नाते हाउस को अधिकार है कि वह जान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके कि उसकी कमेटी के द्वारा किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और उस कार्यवाही पर विवाद कर सकने का भी इस हाउस को पूरा अधिकार है। इसलिये भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस संबंध में परिपाटी निश्चित करें और माननीय मुख्य मंत्री जी सरकार की ओर से आश्वासन दें कि वह सदन की इस परिपाटी को यहां भी प्रयुक्त करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं एक बात लाना चाहता हूं और वह यह कि जो प्राक्कलन समिति की रिपोर्टें आती हैं उनमें जो बातें दी हुई होती हैं उनके विरुद्ध कभी-कभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। मिसाल के तौर पर आज ही ....

श्री अध्यक्ष--यह आप नया सवाल छेड़ रहे हैं। यह तो जिस वक्त आपको उत्तर मले उसी वक्त आप कह सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं यह चाहता हूं कि आया प्राक्कलन समिति की जो रिपोर्टें होती हैं उन पर सरकार अपना कोई अंतिम फैसला देना उचित समझती है या नहीं, क्योंकि हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि प्राक्कलन समिति से जो रिपोर्ट आती है वह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब अभी मुख्य मंत्री जी ने दे दिया है कि उसके ऊपर जो फैसले वह लेंगे वे सदन के सामने लायेंगे। यह नियम में भी है कि रिपोर्ट पर जिस किस्म की कार्यवाही वे करना चाहते हैं या जो कर सकते हैं वह सदन के सामने लायेंगे। अब प्रश्न सिर्फ इतना ही है जो नारायणदत्त जी ने उठाया कि उसके ऊपर बहस के संबंध में क्या प्रथा होनी चाहिये, बहस इस सदन में होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये ? इस विषय के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दफा यह कहा था कि इसके ऊपर बहस नहीं होती है, यह प्रथा नहीं है। तब इस कथन पर मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि पहले सरकार के निर्णय क्या होते हैं वे सदन के सामने आ जाने चाहियें। उनके आने पर उस वक्त अगर यह प्रश्न उठाया जायगा तो मैं कोई फैसला दे दूंगा। इसकी प्रथा और जगह क्या है यह सब अध्ययन करने के बाद यहां जो प्रथा होनी चाहिये उसके विषय में मैं कोई परिपाटी निश्चित कर दूंगा। लेकिन आज कोई मौका इसका नहीं है। जिस वक्त वे फैसले सामने आयेंगे उस वक्त इस बात पर विचार किया जायगा और फैसला हो जायगा।

†उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ खंड ४** (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के विधेयक, १९५४, पर विचार जारी रहेगा। माननीय शिवनारायण जी, आप भाषण दे रहे थे कल।

***श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस सदन के सामने कहते हुये खुशी है कि मैं अपने संविधान का आदर करता हूं। संविधान की एक धारा मैंने कल आपकी इजाजत से इस सदन में उपस्थित की थी और उसी के अन्तर्गत मैं आज पुनः अपनी स्पीच के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि यह जो धारा है सरकार को इसे निकाल देना चाहिये। मुझे खेद है कि यह विधेयक, हमारा जो ला डिपार्टमेंट है उसके यहां से गुजरा है और इतने छोटे से बिल में इतनी बड़ी स्लैक्नेस देखने को मिली। यह एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट की बदनामी होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे कि वह अपने ला डिपार्टमेंट को सचेत रखे और जो भी बिल इस हाउस में आये उसकी ठीक ढंग से पहले छानबीन की जाय। इतना ही नहीं, जब कोई बिल कानून बन जाता है तो हाई कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्टस में भी जाता है, तो वहां पर उसकी बड़ी

†२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
** २२ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

छीछालेदर होती है और इस सदन के सम्मानित सदस्यों पर नाना प्रकार के जुमले कसे जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो इस बिल को ड्राप कर दीजिये। अगर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा होता तो आज शायद यह भूल न हुई होती, क्योंकि हमारी सेलेक्ट कमेटीज में सुयोग्य से सुयोग्य सम्मानित सदस्य रहते हैं और मंत्री भी रहते हैं जिनसे डिसकशन हो कर ये चीजें साफ हो जाती हैं। अब प्रश्न यह है कि यह जो धारा है यह बड़ा अभिशाप होगी। आज जो गवर्नमेंट बनी है वह उन्हीं भूखे नंगों की है, किसी मोटे ने हमको वोट नहीं दिया है। आज गरीबों की ही सरकार है। अगर हम यहां बैठकर कोई ऐसा कानून पास करते हैं जिससे उनकी हकतलफी हो तो वह रात दिन हमें कोसते हैं। जब मैं गांवों में जाता हूं, शहरों में जाता हूं तो वहां का मोची जो जूते गांठता है तो वह पूछता है कि आपने हमारे लिये क्या किया? उस समय हमें जवाब देना पड़ता है। इसलिये मैं निहायत ईमानदारी के साथ, अपनी ड्यूटी समझकर यह रख रहा हूं कि इस पर समझ बूझकर विचार कर लिया जाय। यह कोई खेल नहीं है, कानून बन रहा है, जिसमें सवा छै करोड़ आदमियों के जीवन का प्रश्न है।

हम जानते हैं कि गांवों में जो सरकारी अफसरान हैं उनका आज भी रवैया बदला नहीं है, मैं प्रैक्टीकल बात बतलाता हूं। मैंने कल एक बात कही थी, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह वास्तविकता है कि आज बेगार उन्हीं गरीब लोगों से ली जाती है जो झोंपड़ियों में रहते हैं और जिनके पास एक दो बीघा खेत रह गये हैं, वे भी डंडे के बल से उनसे छीने जा रहे हैं। जमींदारी का खात्मा हो गया है, लेकिन गांवों में अभी भी वही हालत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें और देखें कि यह चीज वाजिब है, मुनासिब है? हम कोई लिमिट नहीं कर रहे हैं। सरकार चाहे १० रुपये रखे या ५ रुपये रखे यह सरकार को पूरा अधिकार है जो चाहे रखे। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि अगर कल को इमरजेंसी काल हो जाय और शिवनाथ जी मिलिटरी में काश्मीर में जाकर लड़ें तो हम इंकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार हमको पैसा जरूर देगी हमारे बच्चों के लिये, हमारे खाने के लिये, हमारी दवा दारू के लिये। हम भारतीय विधान का आदर करते हैं और कहना चाहते हैं कि इस बात पर विचार करें और इस धारा को निकालने की कृपा करें। मैं पूरे बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। जैसा कि कल कहा था कि मैंने केवल इस धारा का ही विरोध किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस धारा को निकाल दिया जाय या फिर इस अमेंडमेंट को मान लिया जाय। मैं इन शब्दों के साथ इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन रामेश्वरलाल जी ने रखा है, उसका समर्थन करना चाहता हूं, साथ ही जो माननीय राजनारायण जी ने संशोधन में संशोधन रखने की मेहरबानी की है, उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो लोग गांवों में फसल में बीमारी लगने की वजह से काम में लगाये जायं उनको जीविका भरने के लिये यानी अपने को मेनटेन करने के लिये कुछ पैसा जरूर मिलना चाहिये। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम ऐसे लोगों की प्रवृत्ति और तेज करना चाहते हैं जो किसी सार्वजनिक कार्य में मेहनत करने से जी चुराये या उनको सामाजिक कार्य करने से रोका जाय। हम इसको बिलकुल मुनासिब समझते हैं, चाहे वह विधान में किसी प्रकार के वर्डिंग में हो। हम उन अल्फाज में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यह समझते हैं कि सामाजिक सेवा के लिये अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि वह अमुक काम करें तो इसमें हम सरकार के हाथों को कमजोर नहीं करना चाहते हैं। सामाजिक सेवा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा काम है कि इस काम में चाहे कोई भी हो, अगर वह किसी को कहता है कि सामाजिक सेवा का कार्य तुम्हें करना चाहिये तो यह तो एक ऐसी भावना है जिसकी कद्र होनी चाहिये। यह बात जरूर है कि सरकार के साथ कुछ फोर्स की बात आती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये इस संयम की आवश्यकता पड़ती है कि सरकार की उस मन्शा को जिस मन्शा से हम इस विधेयक को पास करते हैं उस मंशा को सरकारी मुलाजिम पूरा नहीं करते हैं। इसलिये जरूर हम यह एहतियात रखते हैं कि ऐसा विधेयक पास न करें, जिससे उनके दुरुपयोग होने का डर हो। इसलिये हम इस बात की गुंजाइश जरूर रखें कि जितनी भी उससे सुरक्षा हो सके लोगों की, उसका ध्यान रखा जाय। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि यह सार्वजनिक कार्य होगा और हमारा यह भी ख्याल है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह काम नहीं होने वाला है, जिस प्रकार से कि श्रमदान का महत्व लोगों ने बताया है। यह तो बीमारी है कहीं पर बीमारी आगयी तो उस बीमारी की अवस्था में कुछ लोगों को ऐसा हुकुम दिया जा सकता है कि किसी फसल को उखाड़ कर फेंक दिया जाय, किसी फसल को काट डाला जाय। हो सकता है कि इस प्रकार का हुकुम देना पड़े। तो ऐसा हुकुम अगर हम नहीं देते हैं तो यह काम फिर चलना मुश्किल ही मालूम होता है। मेरे कहने का मतलब यह है, और मैं उसको और साफ कर देता हूं, कि हम इस विधेयक की जो मंशा है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस विधेयक के अन्दर इस तरह की एक धारा है, जिस धारा के दुरुपयोग होने का हमको डर है, उसका हम स्पष्टीकरण जरूर चाहते हैं। उस स्पष्टीकरण के लिये ही श्री रामेश्वरलाल जी ने ऐसा संशोधन रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट इस बात को भी कह दूं कि मैं राजनारायण जी के संशोधन का विरोध क्यों करता हूं? राजनारायण जी ने कुछ इस प्रकार की बातें कहीं जो उनको नहीं कहनी चाहिये थीं। मैं उस पार्टी पालिटिक्स को छोड़ देता हूं लेकिन कम से कम उनको इतना संयम तो रखना चाहिये कि जिस पारटी के नेता वह आज तक बने रहे उसको तो बख्श देते। जब तक वह थे तब तक तो पी० एस० पी० पारटी अच्छी थी और आपने अपनी नेतागिरी के जमाने की पी० एस० पी० को भी नहीं बख्शा। राजनारायण जी ने यह कहा कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि २ रुपया मजदूरी सरकार से दिलाये तो वह भी इसका समर्थन करेंगे। मैं बहुत अदब के साथ श्री राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि राजनारायण जी खेती करने वाले घर के हैं और मैं भी खेती करने वाले घर का हूं। क्या राजनारायण जी और मैं इस बात के लिये तैयार हैं कि जो लोग हमारे घर पर खेती बाड़ी का काम करते हैं वह दो रुपया खेती बाड़ी के काम का लें? इस सारे सूबेभर में कहीं पर भी दो रुपया एग्रीकल्चर लेबर की मजदूरी नहीं है। एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी कमेटी बैठी और आज भी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सारे सूबे में कानून बन जाय जिसके अन्तर्गत एग्रीकल्चर लेबर को जीवन यापन के लिये मजदूरी दिलायी जाय, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि एग्रीकल्चर लेबर को, खेती पर काम करने वाले मजदूर को हम दो रुपया मजदूरी दिलायें, क्योंकि हम किसानों से ज्यादा मजदूरी नहीं दिला सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री या और इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिये भी हम दो रुपया मजदूरी दिलाने में असमर्थ हैं। तो हम कभी भी इस बात के लिये पाबन्दी नहीं लगा सकते कि जो लोग किसी बीमारी को हटाने में इस्तेमाल किये जायं उनको दो रुपया मजदूरी दिलायी जाय। हम यह समझते हैं कि इस विधेयक को राजनारायण जी ने पढ़ा होगा। वह जो भी आप पैसा दिलायेंगे वह सारा पैसा उस किसान के पास से ही आयेगा, क्योंकि वह बीमारी उसके खेत से ही हटानी होगी तो उसी काश्तकार से उस पैसे को लेना है। अगर वही काश्तकार १२ आना या एक रुपया रोजी पर मजदूरी करा लेता है तो उस बीमारी को दूर करने के लिये जो आदमी रखे जायेंगे उनके लिये क्यों कहा जाय कि उसको दो रुपया दिया जाय। मैं इसमें कोई तर्क नहीं समझता। मैं समझता हूं कि गुस्से में भी विवेक से काम लेना चाहिये। हम जानते हैं कि हम लोगों पर उनका गुस्सा है, लेकिन रामेश्वरलाल जी ने बहुत विचार करके इस प्रस्ताव को रखा है। तो उस नौजवान को जो राजनारायण जी का जूनियर है राजनारायण जी का आशीर्वाद मिलना चाहिये कि तुम इससे भी ऊंची बात कहा करो बजाय इसके कि उस पर यह दवाब डाला जाय कि तुम हमारा २ रुपये का संशोधन स्वीकार कर लो। मुझे मजबूरन इस डिबेट में खड़ा होना पड़ा कि कहीं रामेश्वरलाल जी उनका संशोधन न मानलें, और इसके लिये मैं राजनारायण जी से माफी चाहूंगा। मैं समझता हूं राजनारायण जी विवेक से काम लेंगे और अपना संशोधन वापस लेंगे।

[श्री गेंदासिंह]

श्रमदान कोई पाप का काम नहीं है। मैंने आज ही थोड़े जवाहरलाल जी के विचार इस संबंध में देखे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो भूखे आदमी हैं उनसे श्रमदान कराने का कोई मतलब नहीं है। श्रमदान का मतलब है कि जो आदमी अपनी इच्छा से जाकर काम करें, और यह तभी हो सकता है जबकि लोगों के पास खाने के लिये पर्याप्त हो। उन्होंने चाइना का भी जिक्र किया है, और बतलाया है कि बाढ़ रोकने के लिये उन्होंने २० लाख आदमी लगाये, लेकिन उनसे कभी यह नहीं कहा कि हम तुमसे भूखा रखकर काम लेंगे। चाइना की सरकार ने उनके खाने-पीने का प्रबन्ध किया। इसके साथ-साथ जवाहरलाल जी ने कहा है कि सरकार ने उनके लिये रिक्रियेशन का भी बन्दोबस्त किया। जहां हम एक तरफ सार्वजनिक सेवा के लिये लोगों को जगाना चाहते हैं वहां हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि बगैर पैसे के भूख में काम नहीं हो सकता है। तो मैं सरकार से इतना अवश्य कहूंगा कि जिस आदमी से वह काम लेना चाहती है उसे कम से कम इतना जरूर दे कि वह अपनी भूख की ज्वाला को शांत कर सके।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रामेश्वरलाल जी के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें और राजनारायण जी से माफी चाहने के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह बड़ा अव्यावहारिक और किसी काम में रुकावट डालना है कि ऐसे संशोधनों में वह संशोधन रखें। इसलिये उन्हें चाहिये कि अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

*श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करके और उसमें इस धारा को लाकर ऐसा सवाल पेश कर दिया है कि जिस पर हम सभी को मतभेद हो सकता है। इंसानी हकूक के नाते हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छापूर्वक काम कर सकता है तो यह धारा खिलाफ कानून है। पिछले दिनों हमारे यहां पंचायत राज्य ऐक्ट बना था और उसमें कम्पलसरी फीजीकल लेबर के सिलसिले में धारा थी। मैं उस समय के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की बात मानते हुये उन्होंने वह धारा उसमें से निकाल दी थी। फोर्स्ड लेबर के मानी बिलकुल साफ हैं। आई० एल० ओ० ने भी इसकी परिभाषा दी है और कहा है कि--

"Forced labour or compulsory labour has been defined as the convention of work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty or for which the said person has not offered himself voluntarily."

यह परिभाषा हमारी केंद्रीय सरकार ने स्वीकार की और प्रांतीय सरकारों को हिदायत दी कि वे अपने कानूनों में से ऐसी धाराओं को हटा दें। इसी प्रकार एक कानून रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलीटीज ऐक्ट बना और उसमें एक धारा ३ ऐसी आई थी जिसके जरिये कोई भी काम बिना इच्छा या कम मजदूरी देकर या जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। तो अब उस बात को इस तरह का कानून बनाकर फिर नलीफाई करना उचित नहीं है। इसी प्रकार आई० पी० सी० में धारा १७४ है, फार्स्ड लेबर के बारे में कि उसे नहीं कराना चाहिये। मैं आपके सम्मुख शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की १९५१ की रिपोर्ट के पेज २४ से नं० ५ पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने फोर्स्ड लेबर के सिलसिले में कहा है। उसमें लिखा है.

"परन्तु संविधान के प्रभाव में आने पर, बलात् श्रम का प्रतिषेध करने वाले उसके उपबन्ध के प्रकाश में, तत्संबंधी अधिनयमों की पुनः परीक्षा की गई। यह पाया गया कि उड़ीसा अनिवार्य श्रम अधिनियम, १९४८, की धारायें (२) क, ८, ९ तथा ११, उत्तर भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, १८७३ की धारायें ६६ और ७० (९) तथा मद्रास अनिवार्य श्रम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियम, १८५८ की धारायें १ तथा २ विभेद करने वाली हैं और संशोधन अपेक्षित करती हैं। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।"

तो मैं नहीं समझता कि जब इस प्रकार की केंद्रीय कार्यवाहियां हों और उसके विपरीत यह सदन और हमारी सरकार जावे। केंद्रीय सरकार भी तो कांग्रेस की ही सरकार है और इस प्रदेश की सरकार भी कांग्रेस की ही है। तो जब दोनों जगह और सारे देश में कांग्रेस की सरकारें है, तो हमारी सरकार क्या इस प्रकार से उसकी बातों की अवहेलना कर सकती है? इस कानून से भूमिहीन और गरीब मजदूरों पर अन्याय होगा। उनकी गरीबी की तो यह हालत है कि उनको ४ या ५ महीने ही, या इतना भी नहीं, काम मिल पाता है। एग्रीकल्चरल लेबर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में भी साफ लिखा है और यह बात स्वीकार की गई है कि इस प्रकार की हमारे उत्तर प्रदेश की अवस्था है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कानून बनाना कहां तक उचित होगा? और जबरदस्ती काम लेकर, उन लोगों के लिये जो कि काम करने वाले हैं खेती बारी करने वाले हैं, बारोजगार है, उनकी सुविधा के लिये इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून लाकर हजारों, लाखों और करोड़ों खेतिहर मजदूरों को भूखा मारना मुनासिब नहीं है। अगर किस क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था हो जाती है कि मजदूरों को काम पर लाया जाय, और अगर मजदूर काम पर न जाय तो उस पर जुर्माना किया जाय, तो मैं नहीं समझ सका कि इसमें वैधानिकता कहीं सिद्ध होती है? ऐसा कानून दुनिया में कहां मिलेगा जिसमें यह लिखा हो कि मजदूरों को मुफ्त में काम करने के लिये लाया जाय और उनको खाने को भी न दिया जाय? लेकिन वैसा ही आज कानून हमारे सदन के सामने प्रस्तुत है। ऐसी अवस्था में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहले इसी प्रकार का एक कानून था जो कि रिपील किया गया था; लेकिन वह इस कानून के द्वारा दूसरी शक्ल में फिर लाया जा रहा है, और उसको अनिवार्य सेवा करार दी जा रही है। क्या यह किसी प्रकार से सेवा हो सकती है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उन लोगों के लिये होना चाहिये जो खेतीबारी करते हैं और उससे पैदावार करते हैं और उससे बड़ी भारी आमदनी करते हैं। ऐसे लोगों के लिये जरूरी है कि वे खेती की रक्षा करें और दूसरों से करायें या मजदूरी देकर करायें या नौकर रख कर करायें। एक तरफ तो सरकार इन मजदूरों को खेत देने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, उनके लिये ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहती है और दूसरी ओर उनसे जबरदस्ती काम लेकर उनको मजदूरी भी नहीं देना चाहती। सदन के लिये ऐसा कानून बनाना उचित नहीं है। अगर ऐसा कानून बन जायगा तो समाज में ऐसी व्यवस्था पैदा हो जायगी कि जिससे हमारे बहुत से साथियों को शायद जेलखाना भी जाना पड़ेगा और उसको हटाने के लिये सत्याग्रह भी करना पड़ेगा, और इस प्रकार की अनिवार्य सेवा के ख़िलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसी हालत में ऐसे किसी कानून को पेश करना उचित नहीं है जिससे जनता को उसकी अवहेलना करने के लिये बाध्य होना पड़े।

मंत्री जी की ओर से कहा गया कि आग लग जाती है तो लोग उसको बुझाने के लिये जाते हैं। जब आग लग जाती है तो लोग ह्यूमेनीटेरियन प्वाइन्ट आफ व्यू से उसको बुझाने के लिये जाते हैं, लेकिन जब अपनी ही दाढ़ी में आग लगती है तो पहले उसको ही बुझाना पड़ता है। जब पेट में आग लगी होगी तो पहले उसको बुझाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह कहना उचित नहीं है कि लोग आग या फ्लड के वक्त जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति में किसी के साथ कोई जबरदस्ती की बात नहीं होती। जब आज तक इस प्रकार का जबरदस्ती का कोई कानून नहीं बना तो क्या कारण है कि आज यह कानून इस प्रकार का बनाया जा रहा है।

मैं यह साफ बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं वे लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी हालत में मैं कह देना चाहता हूं कि वे लोग इस प्रकार की बेकार की दलीलें न दें और उनको अपने पास ही रखें। इस तरह की दलीलों से समाज का कल्याण नहीं होगा और न सोशलिस्टिक पैटर्न ही बनेगा, जिसको आप लोग बनाना चाहते हैं। जब गरीबों को तबाह किया जायगा, मजदूरों से बेगार ली जायगी, लोगों के खाने की व्यवस्था न की जायगी

[श्री जयपाल सिंह]

तो सोशलिस्टिक पैटर्न कैसे बन जायगा ? यह समझ में नहीं आता। ऐसे कार्यों से सोशलिस्टिक पैटर्न होने का नहीं जैसे कि आप करने जा रहे हैं। आज सरकार एक वर्ग के लिये सब लोगों को तबाह करना चाहती है, तो मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यों से समाज कल्याण होने वाला नहीं है। आज इस धारा द्वारा अवैधानिकता का प्रश्न हमारे सामने आता है। सरकार जो कार्य करती है वह उसे इस तरह से करना चाहिये कि वह वैधानिक हो। कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिये जो हाईकोर्ट में जाकर अवैधानिक करार दिया जाय। कई कानून यहां पर ऐसे भी बने हैं जो हाईकोर्ट में जाकर अवैधानिक साबित हो गये। आखिर हम क्यों ऐसा कानून बनावें जो हमारे संविधान की मंशा के खिलाफ हो ? हम क्यों इस कानून पर यहां विचार करें और क्यों ऐसा कानून पास करें जो बाद में जाकर अदालत द्वारा तय हो ? मैं इस सदन से और इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरह के कानून को इसलिये नहीं छोड़ देना चाहिये कि वह अदालत में जाकर तय हो। अदालतों का मामला तो यह है कि इसकी अपील भी नहीं हो सकती है। यह कहां की इंसाफ की बात है कि अपील भी नहीं हो सकती, मैं नहीं समझता।

दूसरी बात यह है कि जो मजदूर अपना पेट भी नहीं भर सकता उसके लिये यह कहां तक संभव है कि वह सैकड़ों रुपये खर्च करके हाईकोर्ट में जावें, और फिर वहां वकीलों की फीस आदि में तमाम रुपया खर्च करे। मैं समझता हूं कि इस तरह से उनको विवश करना कि वे हाई कोर्ट में जाकर अपील करें और उसकी रेक्टिफिकेशन करायें, वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार करने के लिये हाईकोर्ट में जाकर दरख्वास्त करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह से अमीर लोग ही वहां जाकर अपने लिये सुधार करा सकेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से जस्टिस मिलेगी, मेरी समझ में नहीं आता। भारत के संविधान में यह चीज मौजूद है कि सबको बराबर जस्टिस दी जायगी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से उनको जस्टिस दी जा सकेगी ? इस तरह से पश्चिमी जिले और उधर गोरखपुर आदि जिले हाईकोर्ट से कितनी दूर पड़ते हैं। सैकड़ों रुपया तो हाईकोर्ट तक आने जाने में ही उनका लग जायगा, वकीलों को फीस आदि तो अलग रही। आखिर किस तरह से उनके लिये आसानी है कि हाईकोर्ट में जाने पर उसका रेक्टिफिकेशन हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस धारा को लाकर कानून शिकनी की जा रही है। इस सदन के लिये और इस सरकार के लिये भी इस कानून को पास करना उचित नहीं है। इस सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह अपने बाशिन्दों को एक नजर से न देखें और सब के फायदे के लिये कानून न बनावें। इस तरह से आज तक यह कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है कि लोगों से अनिवार्य काम लिया गया हो और उनको खाने के लिये कुछ न कुछ दिया गया हो। हां, अनिवार्य भरती तो फौज में होती है, लेकिन वहां भी उनको खाने के लिये मिलता है। पश्चिमी जिलों में तो एक एक परिवार से दो दो तीन तीन आदमी फौज में भरती हुये हैं, लेकिन उन सब को खाना पैसा मिलता है। ऐसी बात कहीं नहीं है कि लोगों को भूखों मार कर उनसे अनिवार्य काम लिया जाय। न हिन्दुस्तान में और न हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में ही ऐसी बात है। ऐसी हालत में भूखों मार कर काम लेना यह कानून के खिलाफ है। मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में वे सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर पंडित पंत जी से सलाह मशविरा कर लें कि आया यह बात सही है या गलत है। कानूनी मुशविरों से भी सलाह मशविरा कर लें और मैं समझता हूं कि उसके बाद ही इस पर विचार किया जाय औ इसको पास किया जाय। तब तक के लिये इसको स्थगित कर देना ही ठीक होगा। मैं समझता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने इस संशोधन पर उन सदन के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने पक्ष में राय दी है उनको धन्यवाद देता हूं और विशेषतः माननीय श्री शिवनारायण, श्री जयपालसिंह और अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। इसके साथही साथ मैं उचित समझता हूं कि इसके पहले मैं माननीय राजनारायण जी द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन हमारे संशोधन के ऊपर है उन पर भी मैं अपने विचार आपके सामने और इस सदन के सम्मुख उपस्थित कर दूं। माननीय राजनारायण जी चाहते हैं कि मैं अपने संशोधन में यह मान लूं कि २ रुपया प्रति दिन मजदूरी भी पारिश्रमिक रूप में नियत कर कर दी जाय। श्रीमन्, सबसे पहले मैं राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह समझता हूं कि माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी के साथ-साथ संशोधन प्रस्तुत करते हुये माननीय राजनारायण जी ने यह कहा था कि ५ रु० मजदूरी जो देहातों में पाते हैं उनको काम में न लगाया जाय, लेकिन भाषण में आपने यह विचार रखा था कि ५ रु० मजदूरी नियत की जाय, लेकिन अपने भाषण में यह विचार व्यक्त किया कि ५ रु० जो मजदूर देहातों में पाते हैं या काम में लगे हुये हैं, उनको काम में न लगाया जाय। और आज हमारे संशोधन में श्री राज नारायण जी चाहते हैं कि . . .

श्री अध्यक्ष--यह ५ रुपया रोज है या. . . .

श्री रामेश्वरलाल--जी, वह ५ रुपया रोज था, अब वह हमारे संशोधन में चाहते हैं कि मजदूरी २ रुपया प्रतिदिन मान ली जाय और अगर किसी मजदूर से काम लिया जाय तो उस को २ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या आप २ रुपये रोज से भी ज्यादा चाहते हैं?

श्री रामेश्वरलाल--माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या हम दो रुपये रोज से ज्यादा चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस कीड़े मकोड़ों के विधेयक में ही सारे सोशलिस्टिक पैटर्न की जो मान्यतायें हैं वे सब को सब न लागू कर दी जायं। मैं चाहता हूं कि देश में समानता से और समाजवादी तरीके से, और जो देश की इस समय समाजवादी विचारधारा है उस के अनुरूप हम १०० रुपये से कम किसी की आय नहीं देखना चाहते, लेकिन यह तो एक कीड़े मकोड़ों का बिल है। मैं चाहता हूं कि कीड़े मकोड़े जैसी चीज जो खेती को बरबाद करती है उन को मारने के या नष्ट करने के काम पर जिन को लगाया जाय उनको इतना तो पारिश्रमिक मिलना ही चाहिये ताकि वह भूखे मरने पर मजबूर न हों। मैं तो यह सदन पर ही छोड़ देता हूं कि वह तय करे कि उचित पारिश्रमिक क्या हो?

कल इस संबंध में माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने भी अपने विचार सदन के सामने रखे और उन्होंने यह आशंका प्रकट की कि हमारे संशोधन के मानने से ऐसा हो सकता है कि हैजा प्लेग वगैरह की महामारी जब फैलती है तो टीके का स्टाफ भेजा जाता है, अगर उस स्टाफ को भी टीका आदि लगाने के काम में कभी कुछ देर हो जायगी, तो वह भी पारिश्रमिक मांगने लगेंगे। ऐसी उन की आशंका है। मैं उनका ध्यान हैजा, प्लेग आदि जो महामारी फैलती है उनकी तरफ दिलाऊंगा और अधिकतर ऐसी महामारी का प्रकोप पूर्वी जिलों में होता है, आजकल नहीं है। लेकिन फिर भी उधर के लोग इनसे तबाह रहते हैं। इन महामारियों के अवसर पर जब सैकड़ों मानव अपनी जान गंवाते हैं उस समय भी सरकारी कर्मचारी जो काम वहां जा कर करते हैं उसके लिये पैसा लेते हैं। तो वहां तो माननीय रामनरेश शुक्ल उन को पैसा देने के पक्ष में हैं कि उनको पारिश्रमिक दिया जाय, लेकिन इस तरह का जो मानव की जिन्दगी से संबंध रखने वाला काम है वह अन्न जो किसान पैदा करते हैं उस को कीटाणुओं से बचाने का जो काम है उस पर वह पारिश्रमिक देना नहीं चाहते और वह इसका विरोध करते हैं।

[श्री रामेश्वरलाल]

श्री केशभानु राय ने भी कहा कि इस तरह से जो गांव में गंदी नालियां हैं उनकी जो सफाई का काम है, उसके लिये भी वहां के लोगों को मजदूरी चाहिये, और उनकी राय में पारिश्रमिक ऐसे काम के लिये नहीं देना चाहिये। लेकिन उनको इसका और उसका अन्तर समझना चाहिये और वह यह है कि गंदी नालियों से तो सारे समाज को कुप्रभावित होना पड़ेगा इस लिये वह काम तो बिना पारिश्रमिक के ही लिया जा सकता है और वह काम लोगों को करना चाहिये। कीड़े-मकोड़ों को मारने का काम जो खेती को नुकसान करते हैं और गंदी नालियों की सफाई के काम में तो जमीन आसमान का अन्तर है, गंदी नाली या गंदे कपड़े या गन्दे इंसान कौन पसन्द करता है ? लेकिन यह बिल उस से संबंध नहीं रखता है। इस का संबंध तो इंसान की जिन्दगी कायम रखनेवाली जो चीज अन्न है उसकी रक्षा से संबंध रखता है और जिसकी हर एक को आवश्यकता है। यह गन्दी नालियों, गंदे कपड़ों और गंदे आदमियों का प्रश्न नहीं है, बल्कि जिन्दगी को दूभर करने वाले कीटाणुओं से है, जो कि अनाजों पर, जिनका इंसान के जीवन में जरूरत है, हमला करते हैं, उनको नाश करने से है। तो फिर गंदी नाली वाली मिसाल से इसको मिलाना उचित नहीं है।

श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान श्री जयपालसिंह जी के एक वाक्य की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि वर्ग विशेष के लाभ के लिये ही यह सरकार काम कर रही है। जयपाल सिंह जी और विरोधी पार्टी के सदस्यों में अन्तर है। श्री जयपालसिंह जी उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो आज पावर में है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी की सरकार एक वर्गविशेष के लाभ के लिये ही सारे कानून बनाती रही है और उनको खतरा है कि अगर इस तरह के स्वार्थों का ही ख्याल अगर सरकार करती रही और विधेयक बनाती रही तो सरकार के लिये भी खतरा है, ऐसे विचार जयपालसिंह जी ने व्यक्त किये हैं। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है, जिसमें वह अपने प्रांत की जनता के लिये ही नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सारे भारतवर्ष के लिये और मानवमात्र के विचारों पर कुठाराघात करने वाला क्लाज है, क्योंकि इस क्लाज द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को मुफ्त श्रम करने के लिये आज्ञा दे सकता है और यदि वह उस आज्ञा की अवहेलना करता है, तो वह ५० रुपये तक जुरमाना कर सकता है।

श्रीमन्, देहातों में रहने के कारण और खासकर विरोधी पार्टी में रहने के कारण लोगों की बहुत सी शिकायतों को सुनने का मौका मिलता है। और हम लोगों ने देखा है कि ऐसी ऐसी धाराओं का और ऐसे ऐसे कनूनों का बहुत ही दुरुपयोग हुआ है और होता चला आ रहा है। श्रीमन्, आज पटवारी किसलिये नियुक्त हैं, वह इसलिये कि गांवों में जो खेतों पर काबिज हैं, जो खेती करते हैं उन पर उनका नाम पड़ताल करें। सरकार का आदेश है और माननीय कृषि मंत्री जी बार-बार घोषित कर चुके हैं और पंचायतों के सभापतियों के पास जो पत्र जाते हैं उनमें भी बराबर घोषणा देखने को मिलती है कि पटवारियों की नियुक्ति इसलिये हुई है कि गांवों में जो खेती करते हैं उनके नाम की पड़ताल करें, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ये पटवारी और माननीय मंत्री जी के शब्दों में लेखपाल सही काम करते हैं, और उन लोगों के नाम जो खेतों पर काबिज हैं, उनका कब्जा लिखते हैं ? नहीं लिखते हैं। सरकारी आदेश एक तरफ बने हुये हैं और लेखपाल अपने स्वार्थों के वशीभूत हो कर, दो दो चार चार आनों से लेकर सौ सौ रुपयों के लालच में, चांदी के टुकड़ों के लालच में इंसानों की जिन्दगी का खून कर रहे हैं और उनके खेतों को दूसरे के नाम में लिखते हैं। हमें यह दृश्य अपने प्रांत में देखना पड़ता है कि कत्ल हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं और फौजदारियां हो रही हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। इस प्रांत में थानेदार किस लिये हैं ? वह इसलिये है कि जो प्रांत में रहते हैं छोटे बड़े सबके जीवन की रक्षा का भार उनके ऊपर है। हर इंसान की जिन्दगी की सुरक्षा का भार

उनके ऊपर है। लेकिन श्रीमन्, मैं देखता हूं कि १०७ के मुकदमे कितने आज चल रहे हैं और उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है? और उन लोगों के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ हो रहा है जो सत्ताधारी पार्टी है उनके विरोधी हैं, या उस सत्ताधारी आर्गनाइजेशन के विरुद्ध आर्गनाइजेशन खड़ी करते हैं उन आदमियों के खिलाफ यह शस्त्र इस्तेमाल किये जा रहे हैं। मुझे डर है कि अगर यह धारा पास हुई तो राजनैतिक षडयंत्र खड़े किये जायेंगे और जो लोग उन लोगों से नाराज होंगे उन्हें अपने शिकंजे में फंसायेंगे तो इस तरह से नाजायज कानून से नाजायज लोगों द्वारा नाजायज फायदा उठाया जायगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन खेतीबारी के कीड़ों-मकोड़ों से संबंधित है और इसका संबंध देहात के किसानों से है उनकी जिन्दगी की रक्षा के लिये है। तो यह उनकी रक्षा के लिये ही बनना चाहिये। मानव कानून के लिये नहीं है, बल्कि कानून मानव के लिये बने हैं। और हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी इससे प्रेरित हो कर इस कानून को पेश कर रहे हैं कि यह मानवमात्र की भलाई के लिये हो, चाहे वे प्रांत में रहते हों या प्रांत के किसी क्षेत्र में रहते हों। यह बात है तो इस कानून से मानव की जिन्दगी को कठोर बनाने से कोई लाभ नहीं होगा।

एक बात और निवेदन कर दूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने आशंका प्रकट की कि माननीय राजनारायण जी के इस संशोधन को मान न लूं। श्रीमन्, मेरे पास भी विवेक है। मैं किसान का लड़का हूं और खेतीबाड़ी करता हूं, और माननीय गेंदासिंह से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इतना तो विश्वास रखना चाहिये कि मैं ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। ऐसे लोग जो राजनीतिक पार्टियों में रह आये हैं, और जिन्होंने अंग्रेजी जमाने में लोहा लिया हो। यहां आकर वे वाग-जाल में फंस जायेंगे, ऐसी उनकी आशंका निर्मूल है।

मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान में कहा कि रामेश्वरलाल जी को वाग-जाल में न पड़ना चाहिये। वाग-जाल में तो राजनारायण जी ने ही पड़ना प्रारम्भ कर दिया है। अगर आप इजाजत दें तो मुझे डर नहीं यह कहने में कि जब से इस सदन की बैठकें हुई हैं तब से आज तक जो-जो विचार उन्होंने इस सदन के सम्मुख व्यक्त किये उनसे यही प्रतीत होगा कि आप वाग-जालों के बीच में हैं। गोरखपुर में जो हुआ, नहर रेट का जो आन्दोलन हुआ, लखनऊ में कुली कांड हुआ और कुम्भ घटना हुई, लेकिन राजनारायण जी का जो रुख उस वक्त था माननीय सम्पूर्णानन्द जी की मिनिस्ट्री बन जाने के बाद पिछला जो सत्र चला, मेरा दावा है कि राजनारायण जी के नेतृत्व-काल में, जब वह अपोजीशन लीडर थे, एक भी वाक आउट नहीं हुआ, एक भी डिवीजन काल नहीं किया। राजनारायण जी सदन में मौजूद थे और मैं बारबार राजनारायण जी से कहता था कि आप क्या करते हैं, आप वाक आउट कीजिये। मैं जानता हूं कि माननीय राजनारायण जी इससे इंकार नहीं करेंगे। श्रीमन्, वही राजनारायण जी हैं, वही सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री है। बात क्या हो गई? बात साफ है।

श्री अध्यक्ष—आप विषयान्तर कर रहे हैं। राजनारायण जी इस धारा में नहीं हैं।

श्री रामेश्वरलाल—कल श्रीमन्, राजनारायण जी अपने भाषण में मुझे बहुत आदेश दे चुके हैं। मैं भी उचित समझता हूं कि उसका जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष—आपने इशारतन उनके भाषण का जवाब दे दिया, लेकिन अब तो आप बहुत, सी चीजें नई निकाल रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल—मैं आपकी आज्ञा से बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। मेरा संशोधन बहुत सीधा-सादा है और आवश्यक संशोधन है। मुझे उम्मीद है कि सदन के लोगों के इच्छानुकुल माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तब भी अपने दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर स्वीकार करेंगे तो प्रान्त के लोगों की भलाई हो जायगी। अगर नहीं मानते हैं तो कम से कम यह जाहिर हो जाता है कि जो लोग उसके खिलाफ मत व्यक्त करते हैं, जो उनकी

[श्री रामेश्वरलाल]

पार्टी के हैं वे कह सकते हैं कि अपनी ताकत के बल पर माननीय मंत्री जी रहते हैं और उनकी सही बात नहीं मानते।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं।

श्रीमन्, चूंकि आपने भी पूछा था पांच रुपये के बारे में, मैंने पांच रुपये की मजदूरी मिले, ऐसा संशोधन नहीं रखा था। मैंने माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन में जो संशोधन रखा था वह यह था कि जो शारीरिक अक्षम हों, या वे लोग जो पांच रुपये तक मजदूरी करके कहीं दूसरी जगह अपना जीविकोपार्जन करते हों, उनसे काम न लिया जाय, ऐसा हमारा संशोधन था। तो माननीय रामेश्वर लाल जी को बहुत गलत फहमी हो गयी। हमारा ऐसा कहना नहीं था और जो बात उन्होंने आगे कही है वह बात मैं कहता ही रहूंगा। कौन प्रतिक्रियावादी है और कौन क्रान्तिकारी है यह तो अभी पता चल जाता है।

*कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र श्री शिवनारायण जी की तकरीर बड़े ध्यान से सुनी। कल भी समझने की कोशिश की और आज भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने एक जो प्रश्न उठाया वाकई वह संविधान का प्रश्न है और गूढ़ विषय है। इसी वजह से मैंने ध्यान देने की कोशिश भी की। कल इशारा पाने पर मैंने सोचा कि मुमकिन है कि मेरी अक्ल काम न कर रही हो, तो मैंने अपने कानूनी विभाग से मशविरा लिया। पहले भी ले चुका था और कैबिनेट में भी हम लोगों ने पूरे तौर से जांच-पड़ताल कर ली थी और इसी निश्चय पर पहुंचे थे कि यह संविधान के किसी तरह से खिलाफ नहीं पड़ता है और यह बिल बिल्कुल जायज और ठीक होगा। कोई भी क्लाज संविधान के विपरीत नहीं पड़ता। कल भी जब मशविरा लिया, वह भी मुझे वैसा ही मशविरा मिला, जैसा कि पहले मिला था। तो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल मुतमईन हूं कि यह धारा भी बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं पड़ती। लिहाजा जो खतरात हमारे दोस्त शिवनारायण जी ने बताये वह खतरात मेरे सामने नहीं हैं। और उनका भी कोई कुसूर नहीं है। संविधान के मामले में दो राएं हो सकती हैं। लेकिन ठीक एक ही हुआ करती है। दोनों ठीक होती नहीं। तो उनकी राय कतई गलत है यह मैं कह सकता हूं कि क्योंकि हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने हमें ऐसी ही सलाह दी है। लिहाजा मुझे कोई खतरा नहीं है और इसी की बिना पर उन्होंने सारा तूमार बांधा स्पीच में। लेकिन जब बुनियाद खत्म हो जाती है तो तूमार भी जमींदोज हो जाता है। श्री जयपाल सिंह ने भी बहुत लम्बी तकरीर की और जैसी उनकी बात मैं हमेशा समझ नहीं पाता, आज भी एक लफ्ज समझ नहीं पाया। और इसमें मैं जरा भी कोई गलत बात नहीं कहता। या तो उधर बैठने की वजह से या कम सुनने की वजह से या जल्दी जल्दी जबान चलने की वजह से मैं उनकी बातें ठीक समझ नहीं सका। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिए दिक्कत है कि जवाब कैसे दूं? एक मफहूम मैंने उनकी स्पीच का यह समझा कि बिला मजदूरी काम न लिया जाय। इतना समझा है। हमारा काम इस संशोधन के सम्बन्ध में बिल्कुल आसान हो गया श्री गेंदासिंह की तकरीर के बाद। मैं इसके लिये उनका बड़ा आभारी हूं।

श्री राजनारायण—दोनों एक ही हैं।

श्री हुकुमसिंह—जगह में फर्क है। आप अपने को खुश कर लीजिये। लेकिन बड़ा अन्तर हो गया है। और फर्क यह है कि उनके साथ 'प्रजा' लगा हुआ है, और आपने 'प्रजा' को निकाल ही दिया है। लिहाजा यह एक बहुत बड़ा अन्तर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा काम बिल्कुल सहल हो गया है और मेरे दोस्त शम्भूनाथ जी ने कल एक तरमीम पेश की। कानून की जिस दफा पर बहस कीजिये उसी पर नजर न डालिए आगे भी नजर डालिए, और देखिये कि कोई ऐसे लफ्ज हैं जिससे आपके एतराजात रफा हो सकते हैं या नहीं? अगर आप एक जगह पर नजर डालेंगे, आगे जो हो चुका है वह भूल जायंगे तो सम्भव है कि इसमें हमारे आपके सोचने में गलती हो जाय। शम्भूनाथ जी ने इस प्रतिबन्ध के सिलसिले में एक तरमीम पेश की थी, जिसको हमारी तरफ से स्वीकार किया गया और सदन ने उसको स्वीकार किया। वह प्रतिबन्ध यह है कि :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो।"

इतना हिस्सा और मिलाया जाय। तो अन्य उचित कारण ऐसा है कि उसमें बहुत-सी बातें आ सकती हैं। यह बड़ा व्यापक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी है, वह रोज कमाता है और तब खाता है। अगर वह एक दिन काम न करे तो भूखों मर जाय तो यह उचित मालूम होता है कि ऐसे आदमी से काम न लिया जाय। अगर लिया जाय तो उसे कुछ दिया जाय, अगर कुछ दिया न जायगा तो वह खायेगा क्या? तो इस तरह से इन बातों पर विचार किया जा सकता है तो वह और जो रूल बनाये जायंगे इस अधिनियम के मातहत, इसमें ऐसी बातों का ख्याल रखा जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अगर एक आदमी सफेदपोश है, उसको भी इसमें...

श्री हुकुमसिंह—तो उसमें नहीं आ सकता? सफेद और काले पोश में आज कल कोई अन्तर नहीं है। आप भी यहां बैठे हैं, मैं भी यहां बैठा हूं—तो क्या अन्तर है? सब बिल्कुल बराबर हैं। हमारा संविधान इन सब को बराबर करता है। लिहाजा ऐसी बात सोचना संविधान का अपमान करना है। ऐसी बात कभी ध्यान में नहीं लानी चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के बाद जो खतरात हमारे मित्रों के दिल में हैं वे रफा हो जाते हैं। यह सरकार यहां बैठ कर आम जनता की सेवा करना चाहती है, उसमें गरीब और अमीर सभी हैं, सब की सेवा करना चाहती है और सब को एक दृष्टि से देखना चाहती है। यह जो विधेयक रखा गया है वह तमाम जनता के फायदे के लिये रखा गया है, सार्वजनिक हित के लिये रखा गया है। तो यह कयास कर लेना कि ऐसा कानून और रूल बनाया जायगा कि जिसमें गरीब तबाह हो जायंगे मोटों को और मोटा किया जायगा, गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सफेद पोश मौर्य जी हैं, बड़े आदमी हैं, अपने हाथ से काम नहीं कर सकते। तो अगर उनके खेत में गेरुई लग गई और उनको आदेश दिया गया कि अपने खेत को काट दो ताकि दूसरे के खेत में यह फैल न जाय, और अगर उस समय उन्होंने उस आदेश को न माना तो दूसरों से काम कराया जायगा और उनका पैसा उनकी जेब से लिया जायगा। लिहाजा इसमें कौन सी दिक्कत और परेशानी है? वह अपने हाथ से तो काटेंगे नहीं, और खिलाफवरजी जरूर करेंगे। लिहाजा हमको वह काम कराना पड़ेगा और उन लोगों से काम कराना पड़ेगा जिनको हम कुछ देकर लायेंगे, जिन पर हम कुछ खर्च करेंगे और उन पर खर्च क्या होगा? सिगरेट-पान उन पर नहीं खर्च किये जायंगे, उनको तो कुछ नाश्ता दिया जायगा, कुछ चबेना दिया जायगा और इसमें कुछ खर्च होगा। लिहाजा इस संशोधन के बाद कोई दिक्कत नहीं है।

एक दिक्कत और हो सकती है कि मान लीजिये कि कोई शख्स मौर्य जी के यहां मुलाजिम है। हम उसको बुलाते हैं तो वह कहता है कि नहीं जी, तुम वहां नहीं

[श्री हुकुमसिंह]

जाओगे। तो इसमें उसका क्या कसूर? उनका मुलाजिम है, उनकी आज्ञा बिना कैसे आये? तो इसको भी हम सोच करके रूल बनायेंगे। लिहाजा इस तरमीम की जरूरत नहीं है। इससे हमारे रास्ते में अड़चन पड़ेगी और सहूलियत नहीं होगी। हमारे गेंदा सिंह जी ने कहा है कि सार्वजनिक कामों में रोड़ा नहीं पैदा करना चाहिये, बल्कि हमें उसमें सहूलियत पैदा करनी चाहिये। यह उनका बहुत सुन्दर सुझाव है और इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। यह एक फर्क है जिसमें मुझे इधर में और उधर में फर्क मालूम पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--इसमें राजनारायण जी का भी संशोधन है। यदि यह स्वीकृत हो जाता है तो उनका भी लिया जायगा। अगर यह गिर जाता है तो वह भी गिर जायगा, यह उसका परिणाम है। तो इस हिसाब से माननीय सदस्य राय दें।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ५ में शब्द "रहता हो" के बाद का "कामा" हटा दिया जाय और उसके बाद तथा शब्द "सहायता" के बीच में शब्द "अथवा जिसकी जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२०

विपक्ष में--६५।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष--मुझे एक सूचना सदन को देनी है। वह इस प्रकार है--प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के ५ सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो कार्यक्रम पहले निर्धारित किया गया था उसके अनुसार २९ अगस्त, १९५५, नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिए, ३० अगस्त, १९५५, सूक्ष्म परीक्षा के लिये तथा २ सितम्बर, १९५५ नामों की वापसी के लिए नियत किया गया था जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को १९ अगस्त, १९५५ को दे दी गई थी। सदन की बैठकें २७ अगस्त, १९५५ से ४ सितम्बर, १९५५ तक नहीं होंगी। अतः उक्त निर्वाचन के लिए माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया है--

(१) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय--६ सितम्बर, १९५५ सायंकाल ४ बजे।

(२) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा--७ सितम्बर को ३ बजे के अपरान्ह।

(३) नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि--१२ सितम्बर, १९५५ को सायंकाल ५ बजे।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि तथा समय की सूचना बाद में दी जायगी।

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखत संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "अपितु" के बाद और पंक्ति ४ के शब्द "क्षेत्र" के बीच में शब्द "गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद" बढ़ा दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में इस बिल में इस बात की कोशिश करने की जरूरत है कि गांव के लोगों को जितना अधिक से अधिक हो सके कांफिडेंस में लिया जाय। अब इसमें यह है कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को, जिनकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा, अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना समझी जायगी। इसमें इस संशोधन को मान लेने से यह हो जायगा कि जहां "अपितु" है वहां यह हो जायगा कि "सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गई घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सूचना समझी जायगी।"

हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि अगर गांव पंचायत में हम प्रस्ताव पास कर लेंगे तो फिर हमारी बहुत-सी कठिनाई हल हो जायगी, दूर हो जायगी। सूचना देने का काम जो है वह गांव पंचायत के जरिये हम ज्यादा पहुंचा सकेंगे। गांव पंचायत में जिस वक्त हम प्रस्ताव पास कर लेंगे तो गांव पंचायत का एक फर्ज हो जायगा कि वह सभी लोगों को सूचित करे कि अमुक कार्य के लिए सरकार का एक फैसला हो चुका है, या सरकार द्वारा जो विशेषज्ञ खेती के हैं, उन्होंने किसी बीमारी को मान लिया है कि फस्ल में आ गयी है और उसको काट करके हटा देना जरूरी है। या उसमें अगर कीड़े लगते हैं तो उनको मारने के लिए कुछ मजदूरों को लगाना जरूरी है। तो इस तरह से अगर जानकारी गांव पंचायत के जरिये से गांव पंचायत का फैसला करके होती है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती है और सरकार की तरफ से जो कुछ करना है वह भी बहुत कुछ गांव पंचायत की ओर से हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस हुक्म का, जिसको सरकार गांव तक पहुंचाना चाहती है, उसको गांव पंचायत के जरिये से भी पहुंचाने का यत्न किया जाय तो आसान काम हो जायगा और डुग्गी पीटना या और लीफलेट छापना, ये सारे काम ज्यादा पुरअसर हो जायंगे और उनकी पूर्ति हो जायगी। हमारे संशोधन का यही अर्थ है। इसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं पड़ती और गांव पंचायत का प्रस्ताव पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर जो बीमारी होगी वह गांव की होगी और पंचायत उसका थोड़ा-बहुत ज्ञान रखती होगी। तो विशेषज्ञों की राय के मातहत पंचायत अपने को ज्यादा मदद करने के लायक पा सकेगी और सरकार का काम भी बहुत आसान हो जायगा। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। कृषि मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि उनके काम में इससे सहूलियत पहुंचेगी, इसलिए वह इसे स्वीकार करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उपधारा (२) है, केवल इस बात के लिए है कि जिन जिन लोगों की सहायता की जरूरत है और जिलाधीश ने आदेश दिया है उनको इत्तला कैसे की जाय। केवल तात्पर्य इतना है। मौजूदा उपधारा में रखा गया है कि डुग्गी बजा दें या उस मुकाम पर अगर कोई और दस्तूर हो तो उसके जरिये से हम सूचना सब को दे दें। हर एक आदमी को अलग-अलग सूचना देना ठीक नहीं है। अगर डुग्गी बजा दें तो आम तौर से आम लोगों को सूचना मिल जाय। इससे केवल इतना मतलब है। हमारे मित्र गेंदासिंह जी चाहते हैं कि इसमें एक जुमला और जोड़ दिया जाय, जो कि उनके प्रस्ताव में है कि गांव पंचायत बैठ कर के उस डायरेक्शन या हिदायत के पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर दे और तब डुग्गी बजा कर सूचना दें। तो जहां तक सूचना देने का ताल्लुक है उस मामले में कोई भी फर्क नहीं है। वह भी डुग्गी बजाना चाहते हैं, हम भी बजाना चाहते हैं। उसमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--काम करने में फर्क है।

श्री हुकुमसिंह--वह अभी आप बता देंगे। तो जहां तक डुग्गी बजाने का काम है, दोनों आदमी करते हैं। अब रहा यह कि पंचायत का फैसला हो जाय। उसमें एक अंदेशा यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तो हिदायत की कि डुग्गी बजा दी जाय और पंचायत वाले फैसला कर दें कि न बजायी जाय, तब क्या होगा?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--नहीं बजेगी।

श्री हुकुमसिंह--तब तो सारा ऐक्ट ही नल एंड वायड है, ऐसा खतरा है। मुमकिन है कि कुछ पंचायतें ऐसी साबित हो जायं जो गलत आदमियों के तहत में हों, उनके जेर असर हों और जिनको प्रजा हित के काम में दिलचस्पी न हो। तो वैसी सूरत में क्या होगा? ऐसी कांटिजेंसी पैदा हो सकती है मुझे अफसोस है कि शायद गेंदासिंह जी ने इस पर पूरे तौर से ध्यान दिया नहीं। मैंने अब उनकी तवज्जह इस दिक्कत की तरफ दिलाई है और मैं समझता हूं कि वह पढ़ भी रहे हैं बड़े गौर से। तो वह बहुत सोच समझ कर हमारी इस दिक्कत को महसूस करेंगे और अपने संशोधन को वापस लेने की चेष्टा करेंगे और दूसरों की राय से मुतास्सिर नहीं होंगे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। हमारा समर्थन करना इस समय और आवश्यक हो गया है, क्योंकि मुझे यह विश्वास सा है कि यदि हम समर्थन न करें तो माननीय गेंदासिंह जी माननीय कृषि मंत्री जी की सलाह को मान कर इस संशोधन को वापस ले लेंगे, क्योंकि, श्रीमन्, जैसा कि आपको मालूम होगा, यह विधेयक इस सदन में बहुत पहले प्रस्तुत हो चुका है और इसके संशोधन भी इस सदन में जबकि पहले सत्र चल रहा था तब लिये जा चुके हैं। आज जब से वर्तमान बैठक आरम्भ हुयी है तब से सरकारी पक्ष और विरोधी पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पक्ष एक मिलन बिन्दु पर पहुंचता चला जा रहा है। श्रीमन्, आपने देखा होगा जब बाढ़ का प्रश्न आया तब भी माननीय गेंदासिंह जी को सरकारी पक्ष का समर्थन करते हुए बड़ी परेशानी हुयी कि पश्चिम का रुपया पूर्व के जिलों के लिये कैसे खर्च होगा। जब गोआ का प्रश्न आया तब भी माननीय गेंदा सिंह जी को बड़ी परेशानी हुई उन्होंने सरकार की जो नीति है उससे सहमति प्रकट की।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, जो आप भाषण दे रहे हैं वह गोआ पर दे रहे हैं या संशोधन पर दे रहे हैं यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रसंगवश कुछ कह रहे हैं।

श्री राजनारायण—इसी तरह से श्रीमन्, जब इसके पहले के हमारे संशोधन को मानने की समस्या आयी कि जीविकोपार्जन मजदूरी या दो रुपये प्रति दिन की मजदूरी दी जाये तब भी माननीय गेंदासिंह जी ने हमारे द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध किया था। श्रीमन्, इस संशोधन का विरोध करते हुये माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था ... ।

श्री हुकुमसिंह—उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री राजनारायण—श्रीमन्, दो आदमी खड़े हैं ...

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं लिहाजा you will have to sit.

श्री राजनारायण—you are not to order.

श्री हुकुमसिंह—मेरा नाम ही है हुकुम सिंह, मैं आर्डर कभी देता नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने जो पहले संशोधन किया था और जिस पर श्री गेंदासिंह ने एतराज किया था और विरोध किया था उस पर वे भाषण दे रहे हैं, वह इस संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। लिहाजा यह हिस्सा उनकी तकरीर का बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सिर्फ संशोधन पर ही बातें करनी चाहिये, पूरा इतिहास देने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण—कतई नहीं, श्रीमन्, मैं चाहता भी नहीं और इतना मेरे पास समय भी नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री हुकुम सिंह जी जो महज हुकुमसिंह नाम होने से हुकुम देने का अधिकार भी समझते हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि किसी का नाम हुकुम सिंह हो जाय तो वह हुकुम नहीं देता और अगर देता है तो हमारे जैसे लोग उसे मानते नहीं हैं, मानने वाले कोई दूसरे होंगे। श्रीमन्, मैंने पहले ही विश्वास दिलाया था कि इस संशोधन के पक्ष में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु इस समय मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह हमें विश्वास सा हो गया कि गेंदासिंह जी उसे वापस ले लेंगे और उसी की सफाई मैं आपके सामने करना चाहता था। इसीलिये मैंने केवल रेफर कर दिया कि आज जो यह संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी के नाम में पड़ गया है उसकी मैं तहेदिल से ताईद करता हूं और इसकी ताईद मैं क्यों करना चाहता हूं, इसलिये करना चाहता हूं कि बिना इस संशोधन के जो सरकार जिला अधिकारियों को अधिकार देने जा रही है वह अधिकार असीम हो जायेंगे और इतने ज्यादा असीम अधिकार जिला के सरकारी कर्मचारियों को देकर जनता के ऊपर जोर-जुल्म ढाये जायेंगे। सरकार जिस मकसद को हासिल करना चाहती है इस विधेयक के द्वारा वह सरकार हासिल नहीं कर पायेगी, बल्कि उसके द्वारा सरकार अपने हाथ में ज्यादा ताकत देकर अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिये ऐसे लोगों पर जबर्दस्त प्रहार करेगी जो सरकार के विरोध में हैं, जो सरकार को खत्म करना चाहते हैं और जो सरकार को एक मिनट के लिये भी पसन्द नहीं करते हैं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी के नाम में प्रस्तुत है, यह तीन खंडों से संबंधित है। यदि इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो उसकी गम्भीरता, गुरुता और विशेषता को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सदन को याद होगा कि इसके पूर्व एक संशोधन आया हुआ था, जिसमें गांव सभा की राय अनिवार्य कर दी गयी थी, मगर उसको सरकार मानने के लिये तैयार नहीं थी। अब क्लाज ३ को देखिये जिसमें राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्रों में यदि कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद है तो उस क्षेत्र में जिला अधिकारी घोषणा कर सकता है यानी जिला अधिकार की इच्छा शक्ति पर यह विधेयक छोड़ा जा रहा है।

[श्री राजनारायण]

चौथे क्लाज को आप देखेंगे तो उसके अन्दर राज्य सरकार जो जिलाधीश को अधिकार दे रही है उसके द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि नाशक कीट, पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागमन को उन्मूलित,नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे। इसमें यह है कि जहां नाशक कीटाणु लग गये हों वहां पर पूरे तरीके से अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में दिये जा चुके हैं।

इसके बाद श्रीमन्, आप देखेंगे कि किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे। खंड ४ के उपखंड (ख) में १८ वर्ष की आयु के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि वह सहायता करे। इसमें नाम तो सहायता करने का है, मगर जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने इसका कल बेगार का नाम लिया था उसको मैं पुनः सदन में आसानी से समझ में आने के लिये दुहरा देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे संशोधन को माननीय शम्भूनाथ जी ने नहीं माना, परन्तु जितना संशोधन उनका माना गया उसके लिये मैं उनको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं। उनका संशोधन जिस रूप में कि यह विधेयक था उसमें एक संशोधन था और सरकार ने उसको माना था उसके लिये मैं माननीय हुकुम सिंह जी, कृषि मंत्री जी और उनकी बुद्धि की, जो सामयिक रूप में आगयी थी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता हूं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आगे का जो दूसरा खंड है उसमें मंत्री जी ने जो हुकुम देने के लिये बहुत लालायित रहते हैं मगर कर्त्तव्य-पालन से वह दूर भागते हैं, यह उनकी आदत है, उनसे कहना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (क) को पढ़ें तो मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में कितनी असीम पावर्स दी जा रही हैं ...

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या जो बहस इस समय माननीय राजनारायण जी कर रहे हैं वह इस विधेयक को सामने रखकर कर रहे हैं। इस विषय में कई बार पहले भी प्वाइण्ट रेज किये जा चुके हैं। तो इस पर आपकी व्यवस्था होनी आवश्यक है। सारे विधेयक पर इस समय व्याख्यान नहीं दिया जा सकता है।

***श्री राजनारायण**--श्रीमन्, मैं समझ गया हूं। मैं इसी खंड को पढ़ रहा था, जिसका इससे सम्बन्ध है। माननीय मिश्र जी को मालूम होना चाहिये कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में यह संशोधन है। इस क्लाज में ही यह संशोधन है। मैं इस बात को बतला रहा हूं कि अगर यह संशोधन इसमें जोड़ा नहीं जायेगा तो यह विधेयक कितना निरर्थक हो जायगा।

उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिनकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा "अपितु" अब यहां से श्री गेंदासिंह जी अपना संशोधन जोड़ना चाहते हैं जो ये शब्द हैं--"गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद" ये शब्द बढ़ा दिये जायं। मैं मिश्र जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको समझें ताकि उनको फिर वैधानिक प्रश्न उठाने की आवश्यकता न पड़े और वे जरा इसको सामने रखकर देखें कि यह कितने आवश्यक हैं। वे अब यहां पर इतना ही केवल चाहते हैं कि गांव पंचायत यह महसूस करे कि यहां पर सहायता अपेक्षित है या नहीं। बस इतना ही वे चाहते हैं। सरकार के ऊपर या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर गेंदासिंह जी कोई जुल्म ढाहना नहीं चाहते हैं। जहां तक मैं उनको जानता हूं उनकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इच्छा भी यह नहीं रहती है कि ऐसा हो। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि गेंदासिंह जी का इतना निर्दोष संशोधन है कि जिसको उन्हें स्वीकार करना चाहिये और वह संशोधन ऐसा है जिसको उन्होंने बहुत सोच-विचार करके रखा है। यह संशोधन तो बहुत ही साफ है फिर समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इसको स्वीकार करते हिचकती है। वे तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि "गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद" माननीय मंत्री जी इस डुग्गी पीटने को सरकार और विरोधी पक्ष एक ही बात समझते हैं। वह डुग्गी पीटने को तो एक ही समझते हैं, लेकिन कार्य-रूप में परिणत करने में फर्क है। वह फर्क यही है कि गेंदा सिंह जी इस संशोधन के जरिये से उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं। वे यही चाहते हैं कि गांव पंचायत जिनके बारे में सहायता अपेक्षित है, जिस क्षेत्र के लोगों को सहायता चाहिये उस क्षेत्र के लोगों की राय जानी जाय और उन क्षेत्रों के लोगों से कहा जाय कि तुम्हारे क्षेत्र के अन्दर अब सहायता की आवश्यकता है। तुम चाहते हो या न चाहते हो लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि तुम्हारे यहां सहायता का कार्य किया जाय। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं तो फिर इतना रखिये कि डुग्गी पिट जाय और यह अधिकार केवल जिलाधीश के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया जाय तब तो मैं समझता हूं कि जिसको वह दुश्मन समझेंगे और सचमुच वहां पर फसल. नष्ट भी हो रही है तो वहां पर वह सहायता का कार्य अपने मन के मुताबिक करेंगे जिस प्रकार से इस सरकार की योजनायें कुनबापरस्ती की पालिसी को सामने रखकर चलायी जाती हैं। इसी तरह से इस विधेयक के जरिये से सरकारी कर्मचारियों के हाथ इतने मजबूत हो जायेंगे कि जिससे वह जनता के ऊपर कुठाराघात करा सकती है और जब हम चाहेंगे कि सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो हमसे कहा जायगा कि यह कानून आपका ही तो बनाया हुआ है। आखिर यह सरकार अंग्रेजी साम्राज्यशाही के रूप में अपने आपको प्रस्थापित किये हुये है। उसकी पद्धति गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुयी है और वह उन्हीं पुराने साम्राज्यशाही के तरीकों और नियमों को अपनाये हुये हैं और उसी ढंग को अख्तियार करके कानूनों के जरिये से सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले रही है और उनके द्वारा जनता पर मनमाने ढंग से अत्याचार कर रही है। इसीलिये जब माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन आता है तो माननीय मंत्री जी को उसके मानने में हिचक होती है और वे उसको गेंदा सिंह जी से वापस लेने के लिये कहते हैं। यदि गेंदासिंह जी उसको वापस ले लेते हैं, जैसा कि उनको वापस लेने का अधिकार भी है, मगर ऐसा करके वे जनता का हित नहीं करते। जनतंत्र का हित नहीं करते और ताना शाही के हित में कार्य करते हैं, जो सत्ताधारी समाज का अंग है उसका हित करेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी अपने इस संशोधन को कतई वापस नहीं लेंगे।

दूसरी बात यह है कि सरकार को डर किस बात का है। गांव पंचायतें भी तो इसी रूप में बनायी जा रही हैं। जो पंचायत राज्य ऐक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है उसके द्वारा भी गांव पंचायत की शक्ति को सीमित किया जा रहा है। गांव पंचायतें भी अब परगना हाकिम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पंचायत राज आफिसर इन तमाम लोगों के अधिकार में आ जायंगी और उनको इनके नियंत्रण में काम करना होगा। गांव पंचायतों के पंच और सरपंच जो इनके नियंत्रण में काम नहीं करते, वे हटा दिये जाते हैं। इसलिये यह जानते हुये कि यह जनतंत्र की प्रणाली का प्रश्न है, यह संशोधन रखा गया है। सरकार को केवल इसमें यह डर मालूम पड़ता हूं कि अगर पंचायतों ने उनकी बात को मंजूर न किया तो उसकी शान में बट्टा लग जायगा। और अगर सरकार ने उनकी बात को न माना या अनुचित प्रकार से पंचायतों के कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया तो वे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करेंगी। फिर भी क्योंकि यह एक प्रजातन्त्र का प्रश्न है और पंचायतों के भी लिमिटेशन्स हैं, सरकार को माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मान लेना चाहिये। अगर सरकार इस संशोधन को नहीं मानती है तो माफ करें माननीय हुकुम सिंह जी, मुझे यही कहना पड़ेगा कि वे हठवादिता पर ही अड़े हुये हैं। जब सरकार अपनी हठवादिता को छोड़ेगी तभी जनकल्याण कर पायेगी, नहीं तो जनकल्याण होना असंभव है।

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो तकरीर हो रही थी, उसको मैं गौर से सुन रहा था। गेंदा सिंह जी अगर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि इसके रख देने से एक बड़ी दिक्कत हो जायगी। मान लिया कि ५ मील के अन्दर बीमारी घोषित की गयी तो उसमें एक ही पंचायत तो न आयेगी। मान लिया कि एक पंचायत पास कर देती है और दूसरी पंचायत उसको अस्वीकार कर देती है। आखिर उस वक्त क्या होगा। यह सब प्रेक्टिकल दिक्कतें हैं जिनकी वजह से यह जरूरी है कि एक राय से काम हो। यह खयाल गलत है कि जितने आफिसर्स हैं वे जनता के दुश्मन हैं, जो भी वे काम करेंगे वे देश को नुकसान पहुंचाने के लिये करेंगे। यह पुरानी विचारधारा है, जब लोग समझते थे कि एक ओर अंग्रेज और आफीसरान हैं और दूसरी पार्टी पब्लिक वर्कर्स की है। लेकिन अब वह फर्क मिट चुका है। इसमें देर भी हो सकती है और ३—४ पंचायतों की हालत में कोई पंचायत पास कर दे और कोई नापास कर दे तो दिक्कत भी पैदा हो सकती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को जो इसके अन्त में दिया हुआ है गौर से नहीं पढ़ा है। इस पर गौर न करने का नतीजा है कि यह संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रस्तुत कर दिया है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण का जो अंतिम वाक्य है वह यह है——

"अनुभव से स्पष्ट है कि इसी दिशा में समझा बुझाकर काम लेने के तरीकों से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अथवा नष्ट करने को सहमत नहीं होते हैं और न वे पास-पड़ोस के खेतों से नाशक कीटों अथवा रोगों को भगाने के सामूहिक प्रयास में भाग लेते हैं। यह सब इस सम्बन्ध में उपयुक्त अधिनियम बनाने से ही हो सकता है।"

यह मान लिया गया है कि विधेयक प्रस्तुत करने का कारण ही यह है कि जनता कीटाणुओं के नष्ट करने में सहायता और सहयोग नहीं करती है अब यह प्रश्न आयेगा कि अगर यह संशोधन माना जाता है जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी व माननीय राज नारायण जी चाहते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि यह लाजिम हो जायगा, यह आवश्यक हो जायगा कि जब तक पंचायतें या ग्राम सभाएं प्रस्ताव न पास करें तब तक वह फसल या कीटाणु जितने हैं चाहे वे कितने भी खराब होंगे उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका फल यह होगा कि जिस कारण और जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह सब समाप्त हो जायगा। हमको तो यह मानना ही पड़ेगा कि वे विशेषज्ञ नहीं हैं, गांव सभा के जितने सम्मानित सदस्य हैं उनकी इज्जत करते हुये भी हमको मानना पड़ेगा कि वे कृषि के विशेषज्ञ नहीं हैं। हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं और वहां की हालत को समझते हैं। अगर किसी किसान की फसल खराब हो रही हो, उसमें कीड़े लग गये हों तो भी चूंकि उसको अपनी फसल से मोह होता है इसलिये वह उसको नष्ट नहीं करना चाहता। एक किसान है जो साल भर से कोशिश करता है, ६ महीने तक खेत जोतता है और फिर उसमें गेहूं बोता है उसके गेहूं में कोई कीड़ा लग जाता है तो वह उसे जल्दी नष्ट करने के लिये तैयार नहीं होता। इसीलिये आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाय मान लीजिये कि पंचायतें हैं और वहां बहुमत ऐसा हो सकता है जिनके खेतों में यह रोग लग गया हो और उन्हीं को तय करना है कि फसल नष्ट कर दी जाय। जब व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आती है तो वहां मनुष्य सामूहिक हित की तरफ कम ध्यान देता है, क्योंकि हम लोगों का त्याग अभी इतना नहीं है। उसका नतीजा यह हो सकता है कि जिस वक्त वह प्रस्ताव आवेगा उस वक्त बहुमत से लोग तय कर देंगे कि फसल नहीं नष्ट की जायगी। ऐसी हालत में जब कि एक, दो या तीन-चार खेतों में ही कीटाणु लगे होंगे उनकी फसल न नष्ट करने से सारी की सारी पचासों बीघे की फसलें बरबाद हो सकती हैं। अगर माननीय गेंदा सिंह जी का यह संशोधन होता कि गांव सभाओं को भी सूचना दे दी जाय, इस बात की नोटिस दे दी जाय ताकि उनको कोई एतराज न हो, तो यह बात तो

मानी जाती लेकिन इस संशोधन को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि वहां के जो अधिकारी होंगे, जिलाधीश कहें या जो भी कहें, जो भी अधिकारी होगा उसका हाथ बंध जायगा। माननीय गेंदा सिंह जी जो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं उनकी समझदारी पर हम लोगों को बड़ा भरोसा रहता है और जिनके रचनात्मक सुझाव भी हुआ करते हैं जिसकी वजह से श्री राजनारायण जी थोड़े दिनों से उनसे नाराज भी हैं, मैं आशा करूंगा कि वे अपने संशोधन को उस दृष्टि से देखते हुए वापस ले लेंगे। इस संशोधन के विरोध का जो कारण माननीय रऊफ जाफरी साहब ने दिया है वह भी बड़े महत्व का है। ५,६ ग्राम पंचायतें हो सकती हैं, ५ मील के अन्दर और एक ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया और तीसरे ने कुछ कह दिया, तो फिर क्या किया जायगा वह अधिकारी क्या करेगा? फसल नष्ट की जायगी या नहीं? मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि आज गांव पंचायत की मीटिंग है जो "फार दि वान्ट आफ कोरम" पोस्टपोन हो जाती है अर्थात स्थगित हो जाती है, दूसरे दिन भी कोरम की वजह से पोस्टपोन हो जाती है और फिर तीसरे दिन भी कोरम की कमी की वजह से मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है और इस तरह इस से वे कोई मीटिंग ही न करें और अड़ंगा लगाते जावें तो इस तरह से तो कई महीने ऐसे ही निकल जायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जिस अभिप्राय और जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है वह सब समाप्त हो जाता है। इन शब्दों के साथ मैं भरोसा करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि माननीय राजनारायण जी ने भी हमारे इस संशोधन का समर्थन किया है और ऐसा तो उपाध्यक्ष महोदय, होता ही है क्योंकि, वह बनारस से आते हैं और वहां संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वान रहते हैं और इसीलिये पहले तो वह कुल देवता की स्तुति किया करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और माननीय गेंदा सिंह जी पर कुछ छींटाकशी करते हैं। हमने भी, जब से माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस दल को विरोधी दल का रूप दिया है, निश्चय कर लिया है और हम उनकी अब भी वही इज्जत करते हैं, लेकिन मेम्बर चाहे उनके दल में २ ही हैं हमने तो उनको भी अपना विरोधी दल ही मान लिया है, क्योंकि वे बजाय इसके कि कांग्रेस या सरकारी दल का विरोध करें वे यहां हमारा ही विरोध करने बैठे हैं। हमें इससे कोई दुःख भी नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं कि यह तो अपनी-अपनी समझ की बात है, ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा हम उनकी इज्जत करते हैं। जहां तक उनकी इज्जत की बात है हमारी तरफ से उसमें कमी नहीं है, चाहे वह हमसे नाराज भले ही हों। वह हमसे शायद इसलिये नाराज हैं कि अब उनके दल में केवल २ ही रह गये, कहां २६ थे। जो उपाध्यक्ष महोदय, हम तो उम्मीद करते थे कि हम दोनों पक्ष के लोग मिल कर सरकार का विरोध करेंगे और अपने घर में चाहे लड़ लेते, लेकिन वह कभी माननीय गेंदा सिंह को कभी श्री रामेश्वर लाल जी को कुछ भली-सी बात कह देते हैं। अभी मेरे नाम पर कुछ नहीं कहा है, वह भी अब शायद शुरू होगा, लेकिन फिर भी उनकी परसनालिटी की इज्जत में हमारी तरफ से कोई कमी होने वाली नहीं है। अब जहां तक इस संशोधन का सवाल है मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी बातें भी करना जरूरी हो जाता है। मैं समझता हूं कि आप को यह अधिकार गांव पंचायतों को देना चाहिये। अगर उनकी फसल नष्ट हो रही है तो वह स्वयं ही फैसला करेंगे कि इस तरह की चीज की जाय कि वह फसल नष्ट न हो, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि फसल नष्ट होने दो तो मैं समझता हूं कि कुछ भी होना सम्भव नहीं मालूम होता, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी गांव में कोई बीमारी फैली हो या कीड़े खेतों में आ गये हों और उनको अगर उसके नुकसान को समझाया जाय तो सारे के सारे मानने को तैयार हो जायंगे। अगर वे किसी चीज में अपना

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

फायदा समझते हैं और उनको लाभ उठाना है तो चाहे कुछ भी हो वह उस को करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज में वे अपना लाभ नहीं समझते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो उनकी मदद करना मैं समझता हूं बिलकुल बेकार होगा। उधर से कहा गया कि इसका मंशा ही खत्म हो जाता है अगर संशोधन को मान लेते हैं। मैं उनको बता दूं कि किसी गांव में कीड़े फसल में लग जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो उस को दूर करने का या हटाने का काम सरकार का है, लेकिन अगर उस इलाके के लोग ही नहीं चाहते हैं कि सरकार उस में कोई हस्तक्षेप करे तो सरकार उस में अपनी जबरदस्ती क्यों करे। मैं मानता हूं कि अगर ग्राम सभा में रखने को माननीय गेंदा सिंह जी कहते तो दूसरी बात थी, क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। कोरम कभी पूरा होता नहीं, क्योंकि ग्राम सभा में औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं जितने लोग १८ वर्ष के ऊपर के होते हैं सब गांव सभा के मेम्बर होते हैं। इसलिये उनके इकट्ठा होने में मुसीबत पड़ती है, लेकिन गांव पंचायत का इकट्ठा होना किसी खास बात का फैसला करने के लिये कोई दिक्कत की बात नहीं है जहां पर बीमारी हो रही है, जहां पर सरकार मजबूर करना चाहती है उन कीड़ों को हटाने के लिये ऐसे समय में मैं समझता हूं कि अगर ग्राम पंचायतों की राय डुग्गी पिटवाने के पहले ले ली जाय तो उचित ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन गेंदा सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री **कुंवरकृष्ण वर्मा** (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है मैं समझता हूं कि जहां पर यह संशोधन रखा गया है खंड २ में वह बिलकुल असंगत है। उनको अगर यह संशोधन रखना चाहिये था तो खंड १ में जहां पर जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है उस के बाद रहता तो संगत होता कि गांव समाज की सलाह ले लें तब आदेश जारी हो। तब तो तुक की बात होती और मुझे ताज्जुब हुआ जब श्री राज नारायण जी ने माननीय गेंदा सिंह जी का समर्थन किया। वह ऐसी जगह पर किया जो गलत जगह थी। यदि उचित जगह पर करते, तो बात समझ में आती। बहरहाल खंड २ में आप की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं जिससे कि मेरा मतलब और भी साफ होगा।

> "उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा।"

यहां तक तो गेंदा सिंह जी को भी मतभेद नहीं है और वे भी इस भाग को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा यह है लेकिन उसके बाद उनका संशोधन शुरू होता है :--

> "अपितु गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस संबंध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना समझी जायगी।"

दूसरा भाग जो खंड का है उसकी मंशा महज यह है कि जो यह पहले भाग में लिख दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को हर एक अध्यासी को फर्दन फर्दन सूचना देना आवश्यक नहीं है। उसकी एक तरकीब की गयी थी कि एक सूचना जनरल डुग्गी पीट कर आम तौर पर जारी कर दी गई और इस तरह से उसकी मुश्तहरी कर दी जायगी उससे यह समझा जायगा कि हर व्यक्ति को उसकी सूचना मिल गयी। सिर्फ इतनी बात इसमें थी। माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन जब इसमें जोड़ दिया जायगा तो उस के माने सिर्फ इतने होंगे कि गांव पंचायत जो है वह सिर्फ इस बात पर विचार कर सकती है, प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकती है कि आया डुग्गी पीटना या इस अम्र की मुश्तहरी होना आवश्यक है या नहीं। मैं नहीं समझता कि इस संशोधन के यहां पर रख देने से क्या फायदा होगा। यह जैसा मैंने पहले कहा, पहला भाग तो वैसे का वैसा रहा कि सूचित करना आवश्यक नहीं है। अब यदि गांव पंचायत ने यह फैसला कर दिया कि डुग्गी न पीटी जाय तो वह जो प्रथम भाग है कि सूचित करना आवश्यक नहीं है तो वह तो वैसा ही कायम रहेगा। उसका नतीजा क्या होगा जो हमने इस बात को रक्खा था कि एक जनरल मुश्तहरी कर दी जाय उससे भी वे वंचित हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो नोटिस जारी की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में रहता है ऐसा करना होगा। उसे सहायता देनी होगी और एक तरफ यह भी है कि हमको फरदन फरदन नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। वह चीज़ अपनी जगह कायम रहती है। हमें यह मान लेना चाहिये कि यह जनरल मुश्तहरी होगी और जरूर उसके कान में ये शब्द पड़े होंगे, उसको इस बात की इत्तिला हो गई होगी उससे उसे आप वंचित कर देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डुग्गी न पिटे और यह प्रस्ताव कर दिया कि डुग्गी न पिटे और कोई मुश्तहरी न करायी जाय तो वह हानि पहुंचायेंगे या फायदा पहुंचायेंगे। मैं नहीं समझता क्यों श्री गेंदा सिंह जी ने इस संशोधन को इस सदन के सामने रक्खा है। मैं समझता हूं कि जहां पर सिर्फ एक नोटिस की चीज़ होती है वहां श्री गेंदा सिंह जी का यह कहना कि वहां हमें यह विचार करना होगा कि आया इस काम को किया जाय या न किया जाय, यह बिल्कुल असंगत है। खंड २ में यह चीज़ किसी तरह से नहीं आ सकती। हम इस बात पर विचार करें कि गाव पंचायत इस बात पर विचार करने लगे जिस वक्त मुश्तहरी कराना हो कि आया हमें इस काम को करना है या नहीं, तो जहां तक आदेश देने का संबंध है उस काम को कराने का, वह चीज़ तो तय हो चुकी है। सिर्फ उसकी मुश्तहरी होने के लिये खंड २ में यह चीज़ रक्खी गयी है। ऐसे मौके पर जब चीज़ फाइनल हो चुकी है, जब आदेश जारी हो चुका है सिर्फ लोगों को उस का नोटिस मिलना है उस वक्त में आप का यह कहना कि गांव पंचायत उस पर बैठे और सलाह दे और प्रस्ताव करे यह बिल्कुल असंगत है। अगर वह यह प्रस्ताव कर देती है कि डुग्गी न पिटवाई जाय तो वह चीज़ बिलकुल गलत होगी। मेरी समझ में यह संशोधन खंड २ में नहीं आना चाहिये।

*श्री गेंदासिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं माननीय कृषि मंत्री की सलाह अपने इस संशोधन को वापस लेने की नहीं मान सकता। रऊफ साहब ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा और अपनी दिक्कत भी बतलाई कि पंचायतों की बैठक होने में दिक्क़त होगी और अगर पंचायतें प्रस्ताव न पास कर सकें तो फिर काम में बड़ी कठिनाई होगी। मैं समझता हूं कि पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया जाय और उन को इस बात का अहसास करने का अवसर दिया जाय कि उनके गांव में उनकी फसल में बीमारी लगी हुई है। माननीय मिश्र जी ने कहा कि इस विधेयक की मंशा मैंने नहीं पढ़ी या मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरा ध्यान उस तरफ है। मैं उपयुक्त अवसर पर उस सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि गांव वालों के, जिसकी फसल को बीमारी लगी हुई है, सहयोग को लेना हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिये। अगर हम उस का सहयोग न ले पायें और सरकार के ही आदेश पर हमें सारा कार्य कराना हो तो मेरा ऐसा विचार है कि हम इस विधेयक के विरुद्ध चले जायंगे। लोगों को अपने काम में अपनी ही फसल के बचाने के लिये अधिक से अधिक रुचि हम पैदा कर सकें। सरकार का डंडा और आदेश कम से कम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। यह बहुत ही होशियारी की और बहुत उचित बात होगी। मैं मिश्र जी से भी निवेदन करूंगा कि जब इस ओर उनका ध्यान जायगा तो फिर वह सोचेंगे कि गांव पंचायतों को कान्फीडेंस में जरूर लिया जाय। कुंवर कृष्ण जी ने यह कहा कि बेमानी लगता है। कुछ और पहले होना चाहिये था। मैं उनसे निवेदन करूं, उस जगह पर भी, पिछले दिन, एक संशोधन ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

वक्त ऐसा फैसला करे गांव सभा को भी कांफीडेंस में लेना चाहिये। हमारा दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने ऐसी उचित सलाह को भी जो कि माननीय कुंवर कृष्ण जी की सलाह से भी उचित है, नहीं माना।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। मेरे कहने का तात्पर्य यह हरगिज नहीं था कि वहां पर उचित होता या न होता। लेकिन यहां आप का जो संशोधन है, वह उस जगह पर मौजूं तरीके पर आ सकता था, सिर्फ इतना मतलब था।

श्री गेंदासिंह--मैं इतने ही से संतुष्ट हूं। उन्होंने उस को मौजूं कहा। यह मौजूं नहीं है। मौजूं जगह पर उनकी मौजूं राय भी होती। यहां गैर मौजूं है। लेकिन मैं उनसे एक दरख्वास्त करूं कि यहां इसकी मंशा जो है सिर्फ इतनी है कि जब गांव वालों को इत्तला की जा रही है तो इत्तला करने के नाम पर हम चाहते हैं कि गांव पंचायत को भी हम इत्तला देने के लिये राजी कर लें। और एक बड़ा बढ़िया तरीका है। अगर गांव पंचायतों के जरिये से इत्तला करना मंजूर कर लें, अगर वाकई बीमारी होगी तो सरकार का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है सरकार जिन लोगों से सरकार बनी हुई है उन लोगों की अक्ल पर उसे भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं समझ सकता। सरकार को एक बात जरूर कह सकते हैं कि सरकार को अपने चुनने वालों पर भरोसा नहीं है। सरकार अगर यह समझती हो कि सारी दुनिया की अक्ल इकट्ठी हो कर के सरकार में या हम लोगों में जो यहां बैठे हुये हैं, घुस गयी है तो भूल होगी। गांव पंचायत के लोग या गांव के लोग अपनी मुसीबत को पहचानते नहीं, वह सही फैसला नहीं करते, यह सरकार को समझना चाहिए कि वह सही फैसला करते हैं। और जब उस सरकार को इतनी शक्ति उन्होंने दे रखी है तो यह असल में अपने ही को इनकार करना है कि हम उनके ऊपर भरोसा न करें। मैं सरकार से सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं, वह गांव वालों को ऐसा न समझें कि वे अपनी मुसीबत का एहसास करेंगे और अपना इलाज भी कराना चाहेंगे। कोई जमाना था जब गांव वाले सोखा और ओझा पर भरोसा किया करते थे आदमी की बीमारी के सम्बन्ध में। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा अस्पतालों और दवाइयों की मांग है चाहे आयुर्वेद के हो, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो। हर तरह की दवाइयों की मांग हो रही है। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हम और माननीय कृषि मंत्री ऐसे जिलों से आते हैं जो तराई से सटे हुए हैं। उन तराई के भागों में कुछ सोखा और ओझा का काम चल रहा है। वह समझ सकते हैं कि आज भी उनकी जरूरत है। लेकिन ऐसा ही सारा सूबा नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बहराइच और देवरिया के उन हिस्सों की तरह सारा सूबा नहीं है। समूचे सूबे के ऊपर भरोसा करना चाहिये। समूचे सूबे के लोग अपनी बीमारी को दूर कराना चाहते हैं, साइंटिफिक मेथड अख्तियार करना चाहते हैं, इस लिये मैंने सूचना देने की बात की। मैं समझता हूं कि गांव पंचायतों को अगर कांफीडेंस में लेंगे तो उनका काम आसान होगा और इसलिये मैं सोचता हूं कि सरकार को इस काम में कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। बल्कि दिक्कत दूर होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से माफी चाहूंगा। क्या करूं? इस कीट पतंगों को नाश करने वाले विधेयक में बड़ी-बड़ी बातें हमारे साथी जबरदस्ती ला कर डाल देते हैं।

श्री हुकुमसिंह--आप न जाइये उनमें।

श्री गेंदासिंह--लेकिन अगर मैं उनका लिहाज न करूं तो उनको शिकायत होगी कि कुछ मैं उनकी उपेक्षा तो नहीं करता हूं।

श्री हुकुमसिंह--नहीं-नहीं।

श्री गेंदासिंह—दिक्कत हमारी यह है कि श्री राज नारायण जी यहां से चले गये। लेकिन एक बात में मैं उनका शुक्रगुजार जरूर हूं कि वे हमेशा समझाया करते हैं। उनको हमेशा शुबहा रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि हम अपना अमेंडमेंट वापस ले लें, कहीं ऐसा न हो जाय कि हम दूसरी तरह से बात करनी शुरू कर दें। हम बहुत शुक्रगुजार उनके हैं कि हमारे कर्त्तव्य का स्मरण उनको रहता है और वे हमको याद दिलाया करते हैं। ऐसा हो चाहिये भी, लेकिन मैं एक बात उनको जरूर कहना चाहता हूं कि शुबहा की बीमारी बहुत बुरी होती है। मैं दो मिनट आप का वक्त और लेना चाहूंगा। हमारे यहां शुबहा की बीमारी में एक आदमी का इंतकाल हो गया। उसमें यह हुआ कि फलां जगह पर गांव में झगड़ा हुआ कि फलां जगह रात को नहीं जा सकते हैं। एक ने पूछा कि क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो लोगों ने कहा कि वहां पर शैतान रहता है, भूत रहता है। उसने कहा कि नहीं, हम जा सकते हैं। लोगों ने कहा कि ठीक है, जाओ। तो यह हुआ कि सबूत क्या रहेगा कि यह गया या नहीं। यह तय हुआ कि वहां जा कर रात को एक खूंटा गाड़ आना एक लकड़ी गाड़ आना। वह बेचारा रात में गया, और उसने खूंटा गाड़ा। वाकई निर्भीक आदमी था, निर्भय था। खूंटा तो गाड़ा लेकिन उस के साथ ही उस की चादर या पछोटा इत्तफाक से उसके साथ ही नीचे चली गयी और जब वह चलने लगा तो उस को मालूम हुआ कि कपड़ा उस को खींच रहा है और उसने समझा कि सचमुच शैतान सिर पर सवार हो गया है और इस डर से उसका इंतकाल हो गया। तो ऐसा शैतान हम नहीं चाहते हैं कि राज नारायण जी के सिर पर सवार हो। हम उनका जीना मांगते हैं। हमारे शुबहे से वह मरें नहीं। हम मानते हैं कि उन्होंने कुछ और लोगों का भी दिमाग खराब कर रखा है कि वह शुबहे में मरे चले जा रहे हैं और वे अपनी जबरदस्ती पर शुबहा करते चले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह बीमारी उनकी दूर हो जाय। दुनिया में हर जगह बेनिफिट आफ डाउट मुल्जिम को दिया जाता है, शुबहा का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है। राज नारायण जी का न्याय जो होता है वह शुबहे में सजा दे देते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि शुबहे में कम से कम वह सजा तो न दें। चाहे मैंने बाढ़ की बात कही हो या और कोई, मैंने गोआ पर जो कुछ भी कहा, उस में क्या अब भी उनको कोई शुबहा रह गया है कि मैंने उस में कोई गलत बात कही? मैंने जो कुछ इस बारे में कहा था वह बात सारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की नीति से सोलहो आना संबद्ध थी। श्री एस० एम० जोशी, जो आज गोआ सत्याग्रह के प्रमुख नेता महाराष्ट्र के कहे जा सकते हैं, उनका बयान उन्होंने पढ़ा होगा। मैंने अगर पीसफुल तरीके से, शान्तिपूर्ण तरीके से गोआ की समस्या हो हल करने की बात कही तो क्या बुरा किया? मैंने यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार को अब वह वक्त आ गया है कि उस पर बहुत गम्भीरता के साथ सोच कर के और जो हमारा अपमान हो रहा है और जो गोआ की सरकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है उस का जवाब देने के लिये कोई गम्भीर कदम उठाना चाहिये। मैं अब भी कहता हूं कि कोई गम्भीर कदम उठाना चाहिये, लेकिन इसके साथ यह भी कहता हूं कि हम अपनी नीति और परम्परा के पीछे हैं, उसके आगे जाने की बात नहीं करते। राजनारायण जी भी पुलिस ऐक्शन की चर्चा करते हैं और राजनारायण जी जिनको अपना नेता मानते हैं वह क्या गोआ के सम्बन्ध में कहते हैं उन्होंने तो आज तक मुंह नहीं खोला तो फिर हमको बदनाम करना और यह कहना कि हम जरूर गवर्नमेंट आफ इंडिया के खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को जितना सख्त कदम उठाना चाहिये था उतना सख्त कदम नहीं उठाया। लेकिन हम एक मर्यादा के अन्दर रहकर काम करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से गोआ के मसले को हल करना चाहते हैं। लेकिन सरकार कुछ और है और सत्याग्रह दूसरी चीज है। सरकार दूसरे काम कर सकती है, हम सत्याग्रह कर सकते हैं। इसीलिये सरकार दूसरा कदम उठा सकती है, इस बात का हमेशा उन्हें ध्यान रखना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का वक्त चाहूंगा बाढ़ के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमने कहा करोड़ों लोगों को जो भूखे हैं, जिसके सम्बन्ध में एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है, हमने

[श्री गेंदा सिंह]
गवर्नमेंट को कोसने से ज्यादा परवाह इस बात की की है कि उन करोड़ों, लाखों के पेट में हम किस तरह से २ चने डाल सकें और हमको जो यह एक कीमती वक्त मिलता है असेम्बली में उसका दुरुपयोग करके यह नहीं चाहते कि सारा का सारा समय गवर्नमेंट को कोसने में लगा दें। हम बाढ़ पर १ घंटा बोले थे, ३० मिनट तक गवर्नमेंट को जो कुछ कहना था कहा, लेकिन ३० मिनट में यह कहा कि अमुक काम करना चाहिये और मुझे खुशी है इस बात की कि गवर्नमेंट ने हमारे सुझावों का स्वागत किया। हम यह नहीं चाहते, हमको इसमें कोई फर्क नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी खड़ा हो कर यह कहे कि अपोजीशन का रोल ठीक नहीं रहा। हमको गर्व है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपोजीशन का रोल जो रहा वह बहुत रचनात्मक रहा, मैं अपोजीशन को गाली सुनने का कोई काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जनता की सेवा करना और हमें सेवा करने के लिये भेजा है जनता ने इसलिये नहीं भेजा कि हम यहां खड़े होकर लोगों को गालियां सुनायें। इसके लिये तो हम समझते हैं बाहर बहुत समय है, बाहर सारी पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। यहां पर हम और वे इस वक्त का नाजायज फायदा न उठायें, बल्कि जो विधेयक आते हैं उन पर सीमित रह कर हम सुझाव दें··

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य आक्षेपों का उत्तर दे चुके हैं।

श्री गेंदा सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करता हूं। लेकिन मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि हमको ऐसी पोजीशन में न छोड़ें कि हमको इस तरह का उत्तर देना पड़े। मैं आगे से ऐसा सोचता हूं कि वह इस विधेयक के ऊपर अपने को सीमित रखें और हमारी और उनकी लड़ाई जो है वह तो सारे देश में चल रही है और आगे इतिहास फैसला करेगा कि वे सही हैं या हम।

श्री हुकुमसिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी और राजनारायण जी के दर्मियान में कोई वार्तालाप हुआ उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं उन सब बातों में जाना नहीं चाहता। मैंने इस संशोधन के बारे में जो बातें कहनी थीं, जो दिक्कतें मेरी थीं वे प्रस्तुत कर दी थीं और मैंने यह भी प्रार्थना की थी कि भाई गेंदासिंह जी मेरी दिक्कत का या तो हल बतावें या कृपा करके अपने संशोधन को वापस ले लें। लेकिन बजाय कोशिश करने, मेरी मुश्किल को आसान करने के उन्होंने गोआ और माननीय रामनारायण जी के वाद-विवाद या आक्षेप के जवाब में सारा वक्त लगा दिया और हम जहां के तहां रह गये। हमारी मुश्किल जरा भी आसान नहीं हुयी, हालांकि हमारे दोस्तों ने इस तरफ जो मैं समझता हूं काफी तजुर्बेकार हैं, उन लोगों ने भी हमारी दिक्कतों की ताईद की। लेकिन मुझे इस बात की शिकायत बाकी रही कि भाई गेंदा सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गालिबन इस मौके पर मैं समझता हूं वह वापस लेने के लिये तैयार नहीं है। अगर लेते हैं तो राजनारायण जी की बात, उनकी शिकायत जो है, वह पुख्ता हो जाती है। इस खयाल से मुझे कोई शिकायत भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसकी मुखालिफत करता हूं क्योंकि इससे दिक्कत पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "अपितु" के बाद और पंक्ति ४ के शब्द "क्षेत्र" के बीच में शब्द "गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय——

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी जिनके पास ऐसे प्रस्थापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से हम यह चाहते हैं कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना समझी जायगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी, जिनके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो।

यह इस प्रकार हो जायगा। असल में जो कुछ भी कार्यवाही की जा रही है वह ऐसे ही लोगों के लिये की जा रही है कि जिनके पास इस क्षेत्र में जमीन हो और जमीन वालों के ऊपर यह जितना भी हो सकता है, उनसे हम किसी प्रकार की सेवा लेने के लिये बात करें या इसके आगे इस विधेयक का यह भी मंशा है कि उनसे हम कुछ पैसे भी वसूल कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनसे उनको बरी कर देना चाहिये जिनके पास उस प्रख्यापित क्षेत्र में जमीन न हो। मैं समझता हूं कि यह बड़ा सीधा-सा मामला है और यह भी मैं समझता हूं कि अब अधिक वक्त इस पर नहीं लगाना चाहिये। इसलिये मैं उतनी ही देर तक खड़ा हूं जब तक कि माननीय कृषि मंत्री जी उसको पढ़कर समझ लेते हैं।

श्री हुकुमसिंह--आप बैठ जाइये। मैं समझ गया।

श्री गेंदासिंह--तो मैं यह उनसे आग्रह करूंगा कि बल्कि अब आग्रह कैसे करूं प्रार्थना करूंगा कि अगर, इसको वह स्वीकार करें तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फिर शिकायत है कि हमारे मित्र ने इसे ठीक तौर से पढ़ा नहीं। उपधारा (२) की पहली पंक्ति में अध्यासी लफ्ज दिया हुआ है कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में नोटिस दे दी जायगी। हम यह कहते हैं कि खेती न हो मगर भूगृहादि हो, जैसा कि आकुपायर की डेफिनीशन में रखा गया, खेती तो दूसरी बात है, अगर प्रेमिसिस हो मकान की और कम्पाउण्ड में कोई ऐसी चीज दे रखी है, जिसमें ऐसा खतरा और ऐसे रोग पैदा हो गये हैं जहां से दूसरी जगह पर पड़ोस में फैलने का अन्देशा हो तो उनके कम्पाउण्ड में इन सब बातों के पैदा होने पर, अगर तरमीम मान लें, तो उनको नहीं बुलाया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--गांव में कम्पाउण्ड होते हैं ?

श्री हुकुमसिंह--आप पहाड़ में रहते हैं, गांव का अनुभव नहीं है। गेंदासिंह जी से पूछिये। मैं कहता हूं कि गांव में कम्पाउण्ड होते हैं और उनमें लोग तरकारी फल-फूल लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं और धान भी लगाते हैं जहां गहरा पानी होता है। तो इस तरह से उन लोगों को, इस तरमीम के मानने से हम बुला भी नहीं सकते हैं। लिहाजा यह दिक्कत हमारे रास्ते में पड़ेगी, लिहाजा मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय गेंदा सिंह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि अगर यह तरमीम मान ली जायगी तो बड़ी एनोमली भी पैदा हो जायगी। क्योंकि कानून के अन्दर अगर दो धाराओं का कहीं परस्पर विरोध हो जाय तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले धारा ४ के खंड १ के उपखंड (ख) में यह कह दिया गया कि किसी पुरुष को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि वह अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे। तो जब किसी भी पुरुष को सहायता करने के लिये आदेश दे सकता है और बाद में अगर यह मान लिया जाय तो फिर दोनों में बड़ी एनोमली

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

हो जायगी। वह पहले ही यह संशोधन अगर लाये होते, (ख) में, जहां लिखा है "किसी पुरुष को" तो वहां लाये होते "कि पुरुष को जोकि खेती करता है, वह आदेश दे सकता है" लेकिन जब पहले हो तय हो चुका कि किसी पुरुष को आदेश दे सकता है तो यह कहना कि डुग्गी जो पीटी जायगी तो ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हों। तो अगर कानून में दोनों एप्लीकेबिल होती हैं तो एक-एक लफ्ज पर बड़ी जहमत होती है और वाद-विवाद होता है। इसलिये यह असंगत-सा लगता है और स्वीकार करने के योग्य नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन में अपना एक संशोधन रखना चाहता हूं। वह यह है कि "ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी, जिसके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो" इसके आगे जोड़ दिया जाय, "या जो डेढ़ रुपये से कम प्रतिदिन मजदूरी पाता हो"। श्रीमन्, मैं जो अपना यह संशोधन इस समय प्रस्तुत कर रहा हूं इसका आधार माननीय गेंदासिंह जी का इसके पूर्व का भाषण रहा है।

श्रीमन्, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसे लोगों से सरकारी कर्मचारी हरगिज काम न लें जो कहीं दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करते हों। क्योंकि यदि वह दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करते हैं और उनको वहां काम करने से वंचित किया जाता है, ऐसे कामों पर लगाया जाता है तो यह उनके साथ ज्यादती होगी। श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यही है। मेरे संशोधन का मतलब यही है कि डेढ़ रुपया मजदूरी पाने वाले पर लागू न हो। क्योंकि इसके पूर्व जब मैंने संशोधन रखा था कि दो रुपया प्रतिदिन तक जो मजदूरी पाता हो और उस मजदूरी से अपना और अपने बाल-बच्चों का भरणपोषण करता हो, उससे जबरदस्ती सरकारी आदेश के मातहत ऐसे क्षेत्रों में काम नहीं लिया जाना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ और दुःख के साथ इस सदन में विरोधी पक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री गेंदासिंह जी को सुनाना पड़ा था जबकि उन्होंने कहा था कि आज देश की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है कि दो रुपये मजदूरी देना किसी के बस की बात नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को और माननीय गेंदासिंह जी को जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं उनकी सेवा में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूरों की मजदूरी से संबंधित प्रस्ताव गैर-सरकारी दिन पर प्रस्तुत हुआ था उधर भी अपना ध्यान दें। श्रीमन्, आपको यह भी मालूम होगा कि सरकार की ओर से जितनी भी कमेटियां बैठीं हर एक की तरफ से जो राय आयी सब का लुब्बो लवाब था खेतिहर मजदूरी के लिये। कहीं डेढ़, कहीं सवा, कहीं एक रुपया, डेढ़ रुपये से कम की मजदूरी इस समय कृषि के काम में लगे हुये जो मजदूर हैं उनको भी देना अनुचित है। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब विरोधी पक्ष का कोई सदस्य यह कहता है कि खेती के काम में लगे हुये लोगों को डेढ़ या दो रुपये मजदूरी नहीं मिलनी चाहिये तो मैं उनसे निहायत अदब के साथ उनके लिये अपने दिल में आदर और सम्मान का भाव रखते हुये कहना चाहता हूं कि ऐसी भावना न रखें, ऐसे भाव इस सदन में न व्यक्त करें इससे उन लोगों को काफी करारी चोट पहुंचेगी जो यह आशा लगाये बैठे हैं कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करेगा विरोधी दल इस सदन में। मैंने कल भी अपने संशोधन को प्रस्तुत करते हुये मित्र रामेश्वरलाल जी से निवेदन किया था, मैंने उनको कोई सिखाने की चेष्टा नहीं की थी........

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय सदस्य पुरानी बातों को दोहराने का कष्ट न करें।

श्री राजनारायण--जी नहीं। इसी से प्रासंगिक है। तो मैंने यही कहा था कि दो की जगह यदि आप आवश्यक समझें तो डेढ़ या दो रख दें या यदि यह सदन एक रुपये पर एक मत हो तो श्रीमन्, मैं स्वयं एक रुपये को उचित न मानते हुये भी इस सदन की सर्वसम्मति के सामने नत मस्तक कर दूंगा। मगर मैं चाहता हूं, श्रीमन्, कि अब जो शब्द निकाले जायं उनमें मतलब पिरोया रहे, बिला मतलब के

कई शब्द इस सदन में सुनते-सुनते कान थक गये होंगे। अहिंसा, विकेन्द्रीकरण, जनतांत्रिक प्रणाली, ये ऐसे शब्द हो गये हैं कि प्रति दिन गोली चलाने वाला व्यक्ति अपने को अहिंसक समझता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं लागू होगी जिनके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो। कृषि भूमि न रखने वालों के लिये माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन है। जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है उसपर भी हम कुछ दूसरा संशोधन और देना चाहते थे, मगर चूंकि सदन में काफी समय इस पर लिया जा चुका है मैं उस राय को उपयुक्त समय पर फिर व्यक्त करूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिये भी माननीय गेंदा सिंह जी के दिल में दर्द उठे, उन लोगों के लिये भी उनको चिन्ता हो, जो किसी दूसरी जगह काम करके अपनी रोजी चलाते हैं। आज जो शहर के किनारे रहने वाले लोग हैं, जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूं, हमारे गांव के पास रिक्शा चलाने वालों की तादाद ज्यादा है। कोई ऐसा रिक्शा चलाने वाला नहीं है जो दो, ढाई रुपये से कम मजदूरी पाता हो। वह संशोधन जिसका माननीय गेंदासिंह जी ने विरोध किया था, खैर, वह तो गया तो गया मगर आगे के लिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान जायं, नहीं तो उन रिक्शा चलाने वालों को इस विधेयक के जरिये कैसे छुटकारा मिलता है। एक रिक्शा चलाने वाला है, वह कृषि की भूमि नहीं रखता है उस क्षेत्र में तो सरकार उससे काम ले सकती है। या एक रिक्शा चलाने वाला है वह थोड़ा सा हिस्सा जमीन का, एक-दो बिस्वा जोतता है, क्योंकि श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र में करीब ७५ फीसदी किसान दो एकड़ से कम ही जमीन रखते हैं दो बिस्वा, पांच बिस्वा घर की जमीन है और वह आदमी रिक्शा चलाता है, दूसरी जगह काम करता है या नौकरी करता है तो उसके लिये कितनी गुंजायश है, कहां उसकी हिफाजत होगी, कहां उसकी रक्षा होगी। आज वह दरिद्रावस्था में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसको हर दृष्टिकोण से देखा जाय चाहे वह आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, लेकिन यह जरूर है कि उसका शोषण हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में आज भी शोषण विद्यमान है और रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। इसका नमूना हमारे सामने है। अभी दो महीने पहले मैं एक क्षेत्र में गया था। वह हमारे कमलापति जी का क्षेत्र है। एक चमारिन वहां आयी थी और वहां के कांग्रेसी लीडर उसको पानी नहीं भरने दे रहे थे। फिर भी कहा जाय कि शोषण से आज समाज मुक्त हो गया है तो यह गलत धारणा होगी।

ऐसे गरीब, ऐसे अकिंचन और ऐसे भिखारी जो और कहीं मजदूरी करते हैं उनको इस काम से कैसे छुटकारा मिलेगा, यही हम चाहते हैं। यदि सरकार व्यापक शब्द रखकर उनको बांध रही है तो हमें और माननीय गेंदा सिंह जी दोनों को मिलकर विरोध करना चाहिये, हमको चाहिये कि हम और विरोधी पार्टी दोनों मिलकर सरकार का विरोध करें। श्रीमन्, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा है और कल भी कह चुके हैं और परसों भी कह चुके हैं कि राजनारायण जी के प्रति, उनकी पर्सनालिटी के प्रति उनका बड़ा सम्मान है। उनके लिये यह मुबारक हो, उनके सम्मान करने की बात ठीक है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह सरकार के साथ अपनी लड़ाकू मनोवृत्ति रखेंगे तो बराबर हम उनका साथ देते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। अगर वह ऐसी सरकार के साथ कोआपरेशन की मनोवृत्ति रखेंगे तो हम डटकर उनका विरोध करेंगे और सरकार का भी विरोध करेंगे। इसलिये श्रीमन्, मैं अपनी ओर से आश्वासन देते हुये कहता हूं कि अगर वह अपनी इस तरह की मनोवृत्ति रखेंगे तो हम बराबर उनको सहयोग देते रहेंगे। मैं फिर कहता हूं कि वह हमारे इस संशोधन को मान जायं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की तरफ से कोई ऐसी दलील इस सम्बन्ध में नहीं दी गई जो हमें अपील कर सके। माननीय मौर्य जी ने जो कुछ कहा वह यह कहा कि इसके पहले जो खंड पास हो चुके हैं उनमें इसकी तुक नहीं बैठती, इसलिये इसको नहीं करना चाहिये। यह नहीं कहा कि यह नहीं होना चाहिये या इंकार नहीं किया। इससे मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा जरूर है कि होना चाहिये लेकिन लिखा-पढ़ी में ठीक नहीं बैठता है इसलिये नहीं हो, ऐसी बात कह रहे हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि यह तो एक तरह से हमारा समर्थन हुआ। दूसरे किसी माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा और कृषि मंत्री जी जो कठिनाई बतलाते हैं उससे मैं बहुत कंविन्स नहीं हो पाता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों पर जोर जबर डालना ठीक नहीं होगा। मंत्री जी ने यह कहा कि किसी के घर के कम्पाउन्ड में कोई चीज बोई हुई है उसमें बीमारी आ गई, तो उसको कैसे रफा करें। इतनी ही उनकी परेशानी है। असल में मैं समझता हूं कि वह जिस विभाग को २, ४ वर्ष चला चुके हैं, जो मालगुजारी विभाग है, अगर उसको दुरुस्त करें और अपने कागजात को सही रखें तो कम से कम यह बीमारी का वक्त नहीं आयगा। तो मैं आपसे यह अर्ज करूं कि वह मालगुजारी विभाग ठीक तरीके से कागजात को दुरुस्त करे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी और वह भी कृषि भूमि मानी जा सकती है। इतनी बात कह कर मैं उनसे फिर यह कहूंगा कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--जो आपके संशोधन पर संशोधन है उस पर भी तो कुछ कहिये।

श्री गेंदासिंह--उस सम्बन्ध में मैं सोच रहा था कि मुझे राजनारायण जी को जवाब न देना पड़े तो अच्छा है। राजनारायण जी को हमने अब पूरी छूट दे दी है कि जो कुछ भी वह चाहें कहा करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी प्रसन्न हों तो मैं उनके संशोधन को भी मान लेता हूं ताकि वह इसको भी स्वीकार कर लें।

श्री हुकुमसिंह--हमारे श्री गेंदासिंह जी ने इफ और बट के साथ राजनारायण जी के संशोधन को स्वीकार किया। इफ और बट के साथ कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है। मैं तो उनके संशोधन को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। इस सम्बन्ध में मैं काफी बात कह चुका हूं और सुन भी चुका हूं। मैं और अधिक सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के अन्त में निम्न लिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी जिनके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया जाने वाला कोई भी अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में स्थित किसी भी स्थल, जल अथवा भूगृहादि में निम्नलिखित की जानकारी के लिये, सूचना देने के पश्चात् प्रवेश कर सकता है कि—— भूमि अथवा भू- गृहादि पर प्रवेश का अधिकार।

(१) कोई हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट अथवा पौधों का रोग ऐसे स्थल, जल अथवा भूगृहादि में है कि नहीं; और

(२) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट नियत निरोध-शील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)——मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द "भूगृहादि" के स्थान पर शब्द "पशु बाड़े तथा ऐसे स्थान जहां परजीवी, नाशक कीट और तृणादि रखे जाते हों" रख दिये जायं

श्रीमन् इस धारा में इस बात का उल्लेख है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जहां यह पता लग जाय कि अब खेती के नाश करने वाले कीड़े किसी स्थान पर हैं तो वह उन स्थानों में जाकर देखेगा ताकि वह आगे की कार्यवाही को कर सके। यहां पर जो भूगृहादि शब्द आया है वह कुछ फबता नहीं मालूम होता है। यदि इस शब्द का सन्धि-विच्छेद किया जाय तो "भू गृह आदि" यह तीन शब्द इसमें अलग-अलग हो जाते हैं। उसमें गृह भी आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि रहने के लिये जो घर होते हैं उनमें कभी खेती को नाश करने वाले कीड़े नहीं रखे जाते हैं। यदि हमने यह अधिकार दे दिया कि घरों में भी सूचना देकर कोई अधिकारी प्रवृष्ट हो जाय तो उसमें गलत फहमी पैदा हो जायगी। यदि मकान के कालिम टेढ़े किस्म के हुये तो वे अधिकारियों को कोई लाञ्छन लगाकर परेशान कर सकते हैं और यह भ्रम मेरे संशोधन को मान लेने से दूर हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूगृहादि के बारे में शंका मेरे मन में भी थी और इसीलिये मैंने कई संशोधन रखे थे कि इसके स्थान पर क्षेत्र रख दिया जाय। अध्यासी की परिभाषा में कहा गया है कि अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे समय विशेष पर किसी स्थान, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो। माननीय मंत्री जी की ओर से कहा गया कि बाड़े वगैरह हों तो फिर कैसे प्रश्न होगा? तो इस संशोधन से यह प्रश्न हल हो जाता है। काम तो इतना ही है कि प्रविष्ट होकर नष्ट कर दे। घर का शब्द बड़ा व्यापक हो जाता है। इससे मकान में किसी भी जगह अधिकारी जा सकता है। अगर यह कहा जाय कि अध्यासी की परिभाषा में यह भूगृहादि दे दिया गया है तो कठिनाई होगी। मगर ऐसी बात नहीं है। अध्यासी तो सब जगह होगा। इसलिये प्रवेश करने का अधिकार कितने हिस्से में देना चाहते हैं यह साफ होना चाहिये। घर में किसी भी जगह प्रवेश करने का अधिकार देना ठीक नहीं है। इससे कठिनाई पैदा होगी। इसलिये यह संशोधन मानने योग्य है।

श्री हुकुमसिंह——मैंने इस संशोधन के पक्ष में हुये कारणों को सुना और श्री मौर्य जी ने कहा कि अगर भूगृहादि करेंगे तो घर में किसी जगह घुसने का सवाल पैदा हो जाता है। अगर नाशक कीट किसी बीज में लग गया जो अन्दर रखा है या किसी

[श्री हुकुमसिंह]

ने अपनी डाहरी में रख दिया तो हम कैसे उसे मिटायेंगे? आलू का बीज लोग घरों में रखते हैं, यह पशुबाड़े में नहीं रखा जाता है। तो उसमें कठिनाई होगी। इसलिये भूगृहादि ठीक ही रखा गया है और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामजीलाल सहायक--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द 'लिये' और शब्द 'सूचना' के बीच में शब्द 'नियमानुकूल' बढ़ा दिया जाय। आप देखेंगे कि इस खंड के द्वारा किसी स्थल, जल, प्रदश अथवा भूगृहादि में प्रवेश करने के सम्बन्ध में अधिकार दिये जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति के यहां जब कोई कर्मचारी पहुंचेगा तो यह आवश्यक है कि वह उसे सूचना दे। अब वह सूचना कितने समय की होगी और किस प्रकार दी जायगी, इस सम्बन्ध में नियम बनने आवश्यक हैं। नियम बाद को बनेंगे, जिनमें नोटिस की विधि आधारित कर दी जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि नियमानुकूल हो जाय। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस निर्दोष संशोधन को मान लेंगे।

श्री हुकुमसिंह--जहां लिखा है कि सूचना दे दी जायगी, उसके मानी ही यह हैं कि नियमानुकूल दी जायगी। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा संशोधन प्रस्तुत है ही।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द 'लिये' और शब्द 'सूचना' के बीच में शब्द 'नियमानुकूल' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन् इस खंड में २ शब्दों का प्रयोग जरा स्पष्ट हो जाना चाहिये। एक तो इसमें स्थल, जल अथवा भूगृहादि लिखा है। भू का अर्थ है जमीन और जब स्थल शब्द आपने रखा है तो भू काट दिया जाय और गृह रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ये भाषा की बातें हैं।

श्री हुकुमसिंह--मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी तरमीम है?

श्री उपाध्यक्ष--यह बात ठीक है कि इस समय कोई ऐसी तरमीम न होने से सदन में इस पर विचार नहीं हो सकता, लेकिन आपस में सलाह हो सकती है। यदि वह संभव हो तो कर ली जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेजी में भूगृहादि के लिये दूसरे स्थानों पर 'प्रेमीसेज' शब्द रक्खा गया है। क्योंकि गृह का अर्थ मकान हो जाता है इसलिये यह ठीक नहीं मालूम होता। जैसा कि टिड्डी विनाश विधेयक में भी 'प्रेमीसेज' शब्द इसके लिये अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है, इसलिये यहां भी भूगृहादि के लिय अंग्रेजी में 'प्रेमीसेज' रख दिया जाय तो उचित होगा।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, वह शब्द यहां लागू नहीं हो सकता। डिड्डियों वाले विधेयक से इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका प्रयोग स्थल में भी हो सकता है और जल में भी हो सकता है। अतः यह सुझाव उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह भाषा का प्रश्न है। इस पर विचार किया जा सकता है मगर कोई संशोधन इस पर सदन के सामने नहीं है इसलिये इस पर राय लेना कठिन है।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी स्थल, जल अथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता है। उपाय कार्यान्वित करने के अधिकार।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसानों की, उनकी फसल नष्ट किये जाने के कारण उस अवधि की लगान मुआफ कर दी जायगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, पहली पंक्ति में 'किसानों को' के स्थान पर 'किसानों की' कर दिया गया है तथा दूसरी पंक्ति में से शब्द 'उनकी' हटा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा में प्रतिबन्ध लगाने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूं, वह इस प्रकार है--

"६--जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी स्थल, जल अथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं तो वह, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे विधेयक की योजना में यह साफ है कि जिस तरह से कोई आपत्ति आती है, जैसे महामारी या बाढ़ हो, ओला पड़े या व्यापक रूप से कहीं सूखा पड़े, जिस तरह से इस विधेयक की मंशा है कि जिस समय इस किस्म के कीटाणु आदि जितने व्यापक रूप से किसानों के खेतों को बरबाद करें, जैसे इस विधेयक में मीलों तक की बात सोची गयी है, ऐसी अवस्था में पूरे जिले में मीलों तक या जिले के एक खंड में अगर इस तरह की बात हो तो उसके लिये वही नियम लागू होने चाहिये और वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिये जो बाढ़ के आने पर या ऐसी बातों के सम्बन्ध में हुआ करती है। ओले और सूखे के सम्बन्ध में सरकार का यह नियम है, माननीय राजस्व मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं कि जिस समय ऐसी कोई विपत्ति आवे, जिस समय सारे के सारे खेतों की फसल नष्ट हो जाय तो उस समय उस फसल का लगान लेना किसानों से उचित नहीं होगा। एक तो उस

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पर ऐसी विपत्ति आयेगी कि उसकी सारी फसल बरबाद कर दी जायगी दूसरे माननीय कृषि मंत्री जी यह भी व्यवस्था कर रहे हैं जो कि अनुचित है कि उसी के खर्चे से वह तमाम फसल बरबाद की जाय और अगर वह खर्च न दे तो दूसरों से काम करा कर उससे तमाम खर्चा ले लिया जाय और इसमें कोई बाधा पड़े तो फिर जुर्माना कर दिया जाय। तो ऐसी सूरत में ये सब बातें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से विवेक पूर्ण ढंग से नहीं की जा रही हैं। होना तो यह चाहिये कि जब उसके ऊपर कोई आपत्ति इस तरह की आवे, उसकी फसल बरबाद हो जाय, खरीफ की फसल बरबाद हो जाय और रबी की फसल बरबाद हो जाय तो उस अवधि का लगान यानी दोनों फसलों का लगान या एक फसल का लगान सरकार को नहीं लेना चाहिये। यह कोई नयी बात नहीं है, अन्य अधिनियमों में इस किस्म की व्यवस्था है और सरकार रोज रोज बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर, ओला पड़ने पर, या सूखा पड़ने पर हमेशा लगान माफ कर दिया करती है। तो इस विधेयक के बारे में मेरा एक समुचित सुझाव है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने जो संशोधन पेश किया है वह इस विधेयक के कुल अंग से कहीं मेल नहीं खाता, बिलकुल बेमेल है। रेवेन्यू मैनुअल में इस तरह के कानून का पूरा प्रबन्ध है कि यदि कोई नेचुरल कालामिटी हो और उसकी तारीफ में वह चीज आ जाय तो उसकी रू से उसको फायदा मिल सकता है। तो लगान में छूट देना या फसल का मुआवजा देना यह तो माल विभाग का विषय है, उस का कृषि विभाग से संबंध नहीं है। लिहाजा इस बिल में ऐसा संशोधन लाना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की फसल भी बरबाद की जाय, उन से खर्च भी लिया जाय यह उस पर बड़ी ज्यादती होगी। अगर किसी की फसल रोगग्रस्त हो कर बरबाद हो जाती है और दूसरों को तबाह करने के लिये कायम रहती है तो वह बरबाद फसल कोई फसल नहीं कही जा सकती कि जो रोग-ग्रस्त हो कर खुद ही तबाह हो रही है। उस बरबाद फसल का औरों पर असर न पड़े इस वास्ते उस को बरबाद किया जाता है। इसलिये उस के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाती, बल्कि उसी तरह की विपत्ति से कुर्बो जवार के काश्तकारों को बचाने के लिये ऐसा किया जाता है और ऐसा विधेयक में रखा गया है। लिहाजा इसमें मुआवजे या छुट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, माननीय राम नारायण जी का जो संशोधन है उस संशोधन का भी विरोध माननीय कृषि मंत्री जी करेंगे, ऐसा मैं समझ नहीं सकता था। अब यदि अच्छी तरह से देखा जाय तो सरकार इस समय जितने भी काम कर रही है वह सब जनकल्याण के ही नाम पर हो रहे हैं। राष्ट्र-उत्थान, राष्ट्र-विकास और जनकल्याण यह ऐसे शब्द हैं कि इन की आड़ में कितना भी अनर्थ कर डाला जाय, वह थोड़ा है। माननीय राम नारायण जी अपने संशोधन द्वारा यह चाहते हैं यदि किसी की फसल नष्ट कर दी जाय तो उस का लगान भी माफ कर दिया जाय। यद्यपि इसके पूर्व भी एक संशोधन था जो कि किसी के फसल को बचाने के लिये दवा आदि के छिड़काव में खर्च पड़े वह न लिया जाय। वह संशोधन भी अपनी जगह पर ठीक था, उस पर भी सदन की राय होनी चाहिये थी, लेकिन वह संशोधन नियमित रूप से नहीं आया, क्योंकि उस समय माननीय गेंदासिंह जी यहां नहीं थे, वह होते तो उस को जरूर सदन के समक्ष रखते और उस के बाद यह माननीय रामनारायण जी का संशोधन आता तो यह और पूर्ण होता। इसमें जो किसानों को नुक्सान हो रहा है उससे उनको बचाने की बात है। इसलिये यदि हमारे सही भाव किसानों को सहायता देने के हैं तो कहीं भी राजनीतिक दलबंदी का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा और इसीलिये माननीय त्रिपाठी जी ने यह साफ और छोटा सा संशोधन सदन के समक्ष रखा है कि यदि किसी की फसल नष्ट हो जाय और उसको उसके ऊपर लगान भी देना पड़े तो यह उस के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि यह फसल जो नष्ट हो गई उसके वास्ते किसी पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार की जांच की या रिपोर्ट देने की जरूरत न होगी। यह फसल तो सरकारी आदेश के अनुसार नष्ट होगी और स्थानीय कर्मचारियों की जानकारी में होगी

और न इसके लिये सरकार बहाना बना सकती है कि पटवारी, लेखपाल या कानूनगो, या तहवीलदार या परगना हाकिम या कलेक्टर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। यह तो बाकायदा सरकार की जानकारी में होगी कि फलां फलां जगह और फलां फलां किसान की फसल नष्ट कर दी गई है तो उस नष्ट की हुई फसल के लिये फिर लगान क्यों उस किसान से लिया जाय, जरा यह समझने की बात है कि उस किसान के साथ कितना जबरदस्त अन्याय होगा जिस किसान की फसल भी नष्ट की जाय और पैदावार भी न कर पाये और उसको लगान भी देना पड़े। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह मामला जो लगान और मालगुजारी का है उसकी माफी करना है, वह उनके विभाग से संबंधित नहीं है। वह तो संबंधित है माल मंत्री जी के विभाग से। श्रीमन्, आप जानते हैं कि यह विभागों का बटवारा सरकार का काम है। लेकिन मानवता का बटवारा तो नहीं किया जा सकता। मानवता अपनी जगह पर है। अगर वह कराहती है तो उसका उद्धार होना चाहिये, सुरक्षा होनी चाहिये, हिफाजत होनी चाहिये। वह इस बात पर कि यह माल मंत्री का विभाग है यह पुलिस मंत्री का विभाग है इतने बड़े मानव प्रश्न को फेंका नहीं जा सकता। अखिरकार कैबिनेट सिस्टम में ज्वाइंट रिस्पांसिबिलटी है, सम्मिलित जिम्मेदारी होती है और माननीय कृषि मंत्री श्री हुकुमसिंह जी का तर्क माना जाय तब तो श्रीमन् यह कह सकते हैं कि पुलिस मंत्री चाहे जो भी जुल्म ढायें कृषि मंत्री से कुछ मतलब नहीं है। माल मंत्री चाहे जो भी आफत मचायें कृषि मंत्री से कुछ भी मतलब नहीं है और चाहे कृषि मंत्री जी जो चाहें अव्यवस्था पैदा करके सारे किसानों की फसल को चौपट करें, लेकिन सरकार के किसी विभाग से कुछ मतलब ही नहीं है यह कितनी थोथी, निरर्थक और बुद्धिजाल की दलील है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी इस लचर दलील पर इतने अच्छे और जनहितकारी संशोधन को फेंकने की कृपा न करें। वे अच्छी तरह से इसको समझें और औरों की फसल की हिफाजत करने के लिये जो उस किसान की फसल मारी जा रही है, नष्ट की जा रही है और किसानों का उत्थान करने के लिये माननीय कृषि मंत्री जी किसी विधेयक को लाते हैं और उसको कानून का स्वरूप देते हैं तो माननीय माल मंत्री जी को क्यों रंज होगा क्यों उनके विभाग को रंज होगा। आखिरकार सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी है इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि फलां मंत्री जी यह कहेंगे।

(इस समय ४ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जो कैबिनेट में विभागों का बटवारा हुआ है उसको सामने रखकर इतने अच्छे संशोधन को ठुकराने की कृपा न करें, न्याय को और औचित्य को सामने रखें, मानवता को सामने रखें, दुख और दारिद्र को सामने रखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे माननीय रामनारायण जी के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। श्रीमन्, मैं आपके जरिये पुनः उस संशोधन को जोर के साथ पढ़ना चाहता हूं ताकि माननीय कृषि मंत्री जी उसे अच्छी तरह से सुन लें और उनके कानों में हमारी आवाज पहुंचे और उनको कष्ट भी न हो। रामनारायण जी एक ही प्रतिबन्ध रखना चाहते हैं और वह प्रतिबन्ध यह है कि जिसकी फसल नष्ट की जाय उसको लगान के बोझ से मुक्त कर दिया जाय, उससे लगान न लिया जाय। फिर यदि माननीय कृषि मंत्री जी उसके ऊपर लगान लगाते हैं और लगान की वसूली कराते हैं तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वह क्योंकर लगान दे। जिसकी फसल नष्ट हो जायगी और जिसकी फसल नष्ट होगी सरकारी आदेश के मातहत, फिर उस किसान से लगान क्यों लिया जाय? मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह पैदा नहीं करेगा, उससे कुछ उत्पादन या कमाई नहीं करेगा तो लगान क्योंकर देगा। उसके लगान को यदि सरकारी कर्मचारी लेने जायेंगे तो क्या उसके साथ ज़्यादती नहीं मानी जायगी?

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्रीगण हमारे ऊपर दोषारोपण न करें, क्योंकि मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि यदि किसी किसान की फसल नष्ट कर दी जाती है और सरकार उसका लगान माफ नहीं करती यह जानते हुये भी कि उसने कुछ कमाया नहीं और उस पर भी यह सरकार उसको लगान देने के लिये बाध्य करती है तो मैं उन किसानों को यह

[श्री राजनारायण]

सलाह देने से भी नहीं हिचकूंगा कि इस लगान का देना बन्द कर दो। इसलिये यह परिस्थिति न आये, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्रीजी से पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसानों को यह सलाह देने के लिये वह परिस्थिति पैदा न करें कि मैं किसानों से कहूं कि इस खेत का लगान मत दो जिसमें तुमने एक पैसा भी कमाई नहीं की और जिस खेत की फसल सरकारी आदेश के अनुसार नष्ट की गई हो। इसके लिये मैं पुनः बार-बार सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री रामनारायण त्रिपाठी के इस सीधे संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने यह बताया कि जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें ऐसी विपत्ति के लिये व्यवस्था की गई है। कृषि मंत्री महोदय फिर से देख लें कि ऐसे केसेज में जिनकी इस संशोधन द्वारा व्यवस्था करने के लिये कहा गया है लगान माफ कर दिया जायगा तो मैं इस संशोधन को वापस ले लूंगा। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है यह विधेयक नया है और नई योजना सरकार के सामने रक्खी गई है उसके लिये कहीं भी व्यवस्था रेवेन्यू मैनुअल में नहीं है। रेवेन्यू मैनुअल देख लिया जाय अगर हो तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं। इस संशोधन के रखने का मंशा यह है कि ऐसी विपत्तियां आकस्मिक होती हैं। ओला, सूखा और बाढ़ उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। फिर कोई सीमित क्षेत्र की बात नहीं है। गांव का गांव सम्मिलित किया जा सकता है, पूरा परगना या तहसील सम्मिलित की जा सकती है। पूरा जिले का जिला ऐसी विपत्तियों का शिकार हो सकता है। ऐसी सूरत में उन किसानों से जिनकी फसल नष्ट हो गई हो लगान लेना मुनासिब नहीं है। मेरा खयाल है कि इस संशोधन के मान लेने में माननीय मंत्री जी को कोई शिकायत न होगी।

श्री हुकुमसिंह--मुझे जो कुछ कहना था मैंने अपनी प्रथम स्पीच में कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसानों की उनकी खेती की फसल नष्ट किये जाने के कारण उस अवधि की लगान मुआफ कर दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता था। यह सदन आज तब तक बैठा रहे जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय।

श्री राजनारायण--मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और यह चाहता हूं कि आपके द्वारा माननीय रामनरेश जी से निवेदन करूं कि कोई जल्दी नहीं है। कोई ऐसा अहम सवाल नहीं है जिसको पास कराके करना है। इतने दिनों की सरकारी पक्ष की आदत थी, उससे बाज आयें। जरा सदन को स्वस्थ रूप में चलने दें। कौन बार-बार रेपीटीशन हो रहा है जिससे यह चाहते हैं कि हम बाद में भी बैठें। जब लम्बा विधेयक आ जायगा तो समय लगेगा ही और जब समय लगेगा तो पांच बजे, छः बजे के बाद बैठें, इसमें पत्रकारों को भी बराबर शिकायत रहती है। सारी रिपोर्ट उस समय में हो नहीं पाती और सब लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोगों को आप जानते हैं। हम थोड़े से लोग हैं। सरकारी पक्ष के लोग एक, दो, तीन करके, कोरम भी पूरा रखते हैं और बाहर से नाश्ता पानी भी करके सदन में आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों की अगर संख्या कम है तो सदन में यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि हम अपनी राय न दे सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय रामनरेश जी से कि वे कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि शायद इसकी आवश्यकता न पड़े और माननीय सदस्य जरा मुख्तसर में अब भाषण दें जब कभी संशोधन आये। मैं तो सिर्फ एक बात समझता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज करनी है उसके लिये कोई नियंत्रण करना है तो एक ढंग से बिजनेस कमेटी में मामला चला जाना चाहिये बजाय इसके कि बार बार समय बढ़ाने की यह प्रथा हम लोग शुरू करें। उसी के लिये एक कमेटी बन चुकी है। लेकिन सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि इसको कमेटी में न भेजें। इसलिये वह कमेटी में विषय नहीं आया। लेकिन मैं सदस्यों से आशा करता हूं कि जो संशोधन अनावश्यक प्रतीत हों उनको वे प्रेस न करें। इस तरह से समय की बचत हो जायगी।

श्री मंगलाप्रसाद (जिला इलाहाबाद)—मेरी प्रार्थना यह है कि चूंकि सात-आठ बिल हैं और सब में यह सवाल पैदा होगा, काम काफी है। शायद बहुत दिन तक हम बैठ नहीं सकेंगे। इसलिये यह मसला और सब मसले बिलों के बिजनेस कमेटी में रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—बिजनेस कमेटी के बारे में नियम बना हुआ है। गवर्नमेंट जो है वह भेजेगी। जिनके बिल्स हैं अगर आप उनसे पूछ करके मेरे पास भेजेंगे तब उसके अन्दर रखा जायगा। मैंने उसके लिये रास्ता बता दिया है।

खंड ७

७—धारा ६ के अधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय अध्यासी से मालगुजारी की बकाया की भांति (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा। व्यय की वसूली

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय —

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से संबंधित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं वहन करेगी।"

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में मेरा यह प्रतिबन्ध है वह इस प्रकार है

"धारा ६ के अधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय अध्यासी से मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।"

इसमें मैं यह जोड़ देना चाहता हूं कि सवा तीन एकड़ों से कम खेती करने वाले जो किसान हैं उनमें जो यह कीटों को नष्ट करने का व्यय होगा उसको सरकार बरदाश्त करेगी और बाकी से मलगुजारी की तरह से वसूल किया जायगा। अयध्क्ष महोदय, पहले ही मैंने कहा कि विधेयक की योजना ऐसी सूरत के लिये जब कि एक प्रकृति का प्रकोप किसानों की फसल पर पड़ेगा। मेरी राय तो यह है कि जिस तरह से बाढ़, सूखा और ओला में पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये जब भी विपत्ति पड़े। क्योंकि यू० पी० की सरकार के खजाने में इस तरह की कमी नहीं है। यह बार-बार दोहराया जा चुका है कि अंग्रेजी जमाने में बारह करोड़ बजट से अब कर का भार जनता पर ६१ करोड़ का पहुंच गया है। और ६१ करोड़ रुपये में सरकार कहीं एक, दो लाख या १ करोड़ तक भी ऐसी दैवी विपत्तियों के निरोध के लिये खर्च कर देगी तो नामुनासिब न होगा। लेकिन आम बहस के समय भी और इस समय विरोधी पक्ष के लोगों की तरफ से यह दलील दी गई कि बिना विवेक और बिना योजना के सरकार ने यह विधेयक पेश किया। यही बात सरकारी तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी कही गई कि विवेकशीलता से काम नहीं लिया गया और काफी विवादग्रस्त प्रश्न इसमें छोड़ दिये जा रहे हैं कि जिन से कोर्ट आफ ला में इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

माननीय मंत्री जी की दिक्कतों को देखते हुये कि वह मानते ही नहीं कि इसमें कोई सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, इस बात को देखते हुये भी और दूसरे, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी सरकार के दल की तरफ से जब हम लोग कांग्रेस में थे, उस समय एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी। उसमें तो यहां तक लिखा गया था कि सवा छः एकड़ से ज्यादा की भूमि ही आर्थिक जोत है और उसमें सिपारिश की गई थी कि इतनी या इससे कम भूमि रखने वालों से कोई लगान ही न लिया जाय। सरकार अपने पुराने वायदे को भूल गई है और एक बिस्वा जमीन वाले से भी वह आज लगान लेती है। उस सिपारिश से मैंने इस संशोधन का संबंध जोड़ा है। मुझे तो इसमें यह रखना चाहिये था कि सवा छः एकड़ के किसानों की फसल अगर बरबाद हो तो उस सूरत में उससे तमाम कार्यवाही का खर्च नहीं लेना चाहिये लेकिन माननीय मंत्री जी ने अगर ऐसा नहीं किया, इसलिये मैंने केवल सवा तीन एकड़ रखा।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देहातों में परिवार कितने लम्बे-लम्बे होते हैं और किसानों की क्या दशा है। यह सवा तीन एकड़ वाले किसान से तो लगान लेने की बात भी नहीं सोची जा सकती, लेकिन उसके बाद अब आप दैवी विपत्ति आने पर उसकी फसल बरबाद होने पर, उससे निरोधशील उपायों के लिये रुपया वसूल करेंगे तो यह मैं समझता हूं कि उचित न होगा। इसलिये मैंने यह व्यवस्था की है कि सवा तीन एकड़ से कम खेती वाले किसानों से इस निरोध के उपाय में जो खर्च हो, वह न लिया जाय और वह खर्च स्वयं सरकार दे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विवेकपूर्ण संशोधन इस विधेयक के संबंध में अभी तक मिला नहीं होगा और इसमें कोई उनको आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये और वे पहली बार कोई विवाद का मौका न देते हुये और सदन का समय नष्ट न कर, इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के मंजूर होने का असर यह होगा कि कोई शख्स, जिसको डाइरेक्शन दिये जायेंगे फलां फलां काम करने के लिये, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये, वह कोई भी करने के लिये तैयार न होगा। वह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे फिर हर मामले में, हर जगह पर सरकार को ही करना पड़ेगा।

यह कहा जाता है कि सरकार खर्च बरदाश्त करे। सरकार कहीं दूसरी जगह से तो पैसा लायेगी नहीं। कर के जरिये से और लीगल तरीके से जो आमदनी होती है वही पैसा खर्च होता है। अगर पैसे की कमी होती है तो वह जनता से वसूल करनी पड़ेगी। तो उस हालत में उन से वसूल करना पड़ेगा जिनकी कोई जिम्मेदारी अव्वल नहीं थी, जिनके खेतों में कीटाणु नहीं थे, उनको कर देना पड़ेगा और जिस के खेत में कीटाणु हैं और उनको आदेश किया जाय कि इसको खत्म करो और वह खिलाफवरजी करें तो वे आजाद रहें और दूसरे लोग उसके लिये अदा करें। यह मुनासिब नहीं है और इसमें यह दिक्कत है, इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं।

***श्री राजनारायण**---श्रीमन्, अब तो यह संशोधन कम से कम माननीय मंत्री जी को मान ही लेना चाहिये था और ऐसी हालत में जब कि माल मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, उनको कोई परेशानी भी नहीं है। इसको देखें, श्रीमन्, आप स्वतः कि कितनी सूझ बूझ के साथ यह संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया गया है और कितना कंस्ट्रक्टिव कितना रचनात्मक सुझाव यह है। मगर यह सरकार ऐसी परिपाटी में पली है कि जो उसकी नीति के विरुद्ध हो, चाहे वह कितना ही कंस्ट्रक्टिव हो, उसको यह डैसट्रक्टिव कह देगी और जो उसकी नीति से मेल खाये चाहे वह समाज व्यवस्था के लिये कितना ही डैसट्रक्टिव हो, उसको कांस्ट्रक्टिव मान लेगी। तो अब क्या सुझाव कांस्ट्रक्टिव होता है। क्या डैसट्रक्टिव होता है इस पर न जाकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसान से संबंधित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक विषय को सरकार स्वयं करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब इससे बढ़कर रचना का काम क्या हो सकता है और जमींदारी उन्मूलन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको देखा जाय तो उसमें १ एकड़ २ एकड़, ३ एकड़, ४ एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को पहले के लगान में कमी करने की व्यवस्था थी। ८ आने, ६ आने, ४ आने, २ आने इस तरह से यह सिफारिश की गई थी कि इनके लगान में कमी कर दी जायगी। मगर मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन, जो कानून है उसके लागू होने के बाद से किसी किसान के लगान में कमी नहीं हुई है, बल्कि उसके लगान में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा। तो एक तरफ तो श्रीमन्, किसानों के लगान में वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ किसान अपने खेत की उपज से जो सामान पैदा करता है उसको बेच करके जो बड़े बड़े कल कारखानों से सामान मिलता है उसके ज्यादा दाम उसे देने पड़ते हैं। एक वाक्य में मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो खेती से पैदा होने वाला धन है, उसकी कीमत जो कल कारखानों में पैदा होने वाला धन है, उसकी कीमत के बनिस्बत कम रहती है, यानी न्याय के आधार पर मिलों से पैदा होने वाले सामान और खेती से पैदा होने वाले सामान में संतुलन यह सरकार स्थापित नहीं कर पायी है, ऐसी हालत में किसान बेचारा कितनी तरफ मारा जायगा, उसके लगान में भी वृद्धि हुई उपज की कीमत समुचित न मिले और जो उसके जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक सामग्रियाँ हैं उन सामग्रियों को भी वह महंगे दाम पर पाये और इसके अतिरिक्त उसके ऊपर तरह तरह के नित्य प्रति के बढ़ते हुये करों का बोझ हो, चाहे ग्राम पंचायत ऐक्ट के द्वारा कर लगाया गया हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा लगाया गया हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा लगाया गया हो, चाहे चकबन्दी का कर हो, पचासों तरह के नये नये करों के बोझ से किसान दबता चला जा रहा है। तब ऐसी हालत में जब किसान की दशा इतनी दयनीय कर दी गई, अगर रामनारायण जी यह कहते हैं कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले जो किसान हैं और अगर उसकी फसल में कोई रोग है तो सरकार का कर्तव्य है कि सरकार दवा छुड़वाये, क्योंकि सरकार पहले ही किसानों से इतना टैक्स चूस चुकी है कि अब किसान के ऊपर यदि सरकार उनकी मुसीबत में कुछ सहायता के रूप में दे देती है तो कोई हर्ज नहीं माना जाना चाहिये और इस हमारे संशोधन को भी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह तो डैस्ट्रक्टिव है तो श्रीमन्, मैं आप ही को अपनी सहायता के लिये कहूंगा और चाहता हूं कि इस सदन के लोग इस बात को समझें कि आखिर इससे भी बढ़कर कोई रचना का सुझाव हो सकता है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य मान जायं। फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो किसानों के ऊपर आफत रहेगी। क्योंकि श्रीमन्, इधर जब मैं कुछ पश्चिमी जिलों में गया हुआ था, पूर्व में गया हुआ था इतने जोरों के कीटाणु इस समय लग रहे हैं और इतने व्यापक पैमाने पर फसल नष्ट हो रही है कि अगर किसानों की सहायता के लिये यह सरकार तत्काल समुचित कदम नहीं उठाती है तो किसान तबाह हो जायगा। इसलिये हम जरूर चाहते हैं कि सरकार की ओर से दवा छिड़की जाय सरकार उस खर्च को वहन करे, क्योंकि श्रीमन्, जहां तक पूर्वी जिलों का सवाल है आपकी जानकारी में भी यह बात आयी हुई है कि सारे के सारे जिले करीब १४, १५ जिले बाढ़ से इतने पीड़ित हो गये हैं, उनकी फसलें इतनी नष्ट हो गई हैं आलरेडी कि वह किसान अपने खाने को भी नहीं जुटा पा रहा है, भुखमरी की हालत पैदा होती चली जा रही है। हर जिले में यही हाल है। बनारस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि बनारस तहसील के इलाके को जाकर के कोई सरकार का कर्मचारी देखे, सरकार किसी कर्मचारी को भेजकर जांच कराये तो वहां पर जो फसल बची हुई है जैसे सनई है, गन्ना है, उसमें भी कीटाणु ऐसे लग गये हैं कि उन्हें वह वहीं काटे दे रहे हैं और वह सूख जा रहे हैं। सारे का सारा पौधा सूखता जा रहा है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को सरकार मान ले, ताकि जो छोटे-छोटे किसान हैं, तीन एकड़ के, सवा तीन एकड़ के उनको कुछ राहत मिले और साथ ही एक निवेदन और करना चाहते हैं कि

[श्री राजनारायण]

यदि इस विधेयक के पास होने में सरकार कुछ विलम्ब समझती हो तो सरकार को पहले के सहायता करने के कानून बने हुए हैं उन कानूनों के मातहत ऐसी दवा छिड़काने की व्यवस्था करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मान लें।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—श्रीमान् जी, मैं इस विधेयक को जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है बहुत महत्वपूर्ण विधेयक समझता हूं। साथ ही साथ इस विधेयक में जो यह अमेंडमेंट लाया गया है, रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे ऐसा समझता हूं कि अगर उसको मान लिया जाता है तो विधेयक की आत्मा ही खत्म हो जाती है। दुनिया में जहां जहां भी जनक्रान्ति हुई वहां तीन तरह के आदमी थे। कुछ लोगों ने तो जन क्रान्ति की, कुछ लोगों ने जनक्रान्ति के बाद जन हित कार्य में भाग लिया और कुछ लोग ऐसे रहे जो कि उस देश के कार्यों में हिस्सा बटाना नहीं चाहते थे। उन लोगों के लिये और उन चीजों के लिए जो उस देश के हित में नहीं थीं ठीक करने में हर देश ने अपने अपने ढंग से उपाय किया। ऐसे लोगों के लिए उपाय ढूंढ़ा गया। रूस ने अपना उपाय ढूंढ़ा अपने ढंग से, चाइना ने अपने ढंग से, और हिन्दुस्तान ने भी, हमने ऐसी चीजों के लिये जो कि हमारे जनहित के लिए न थीं, लोगों को समझाने की कोशिश की, उनसे आरजू की, मिन्नत की। जब आरजू और मिन्नत से काम नहीं हुआ तो हमने इस सदन में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक वैसी ही बात इस विधेयक के सम्बन्ध में भी है। इस विधेयक को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं इसके पहले कि इस विधेयक पर और बातें करूं, हर देहाती भाई जानता है कि हर साल नहीं तो, एक दो साल के बाद टिड्डियों की फौज आ जाती है। सरकार ने, टिड्डियों के निवारण के लिए देहात में तेल का इन्तजाम कराया, टिन रखवा दिये, लेकिन मैंने देखा कि उस तेल को लोगों ने अपने निजी काम में खर्च कर लिया और टिन इधर-उधर फेंक दिया। जब सरकार ने देखा कि इससे काम नहीं चलता तो विधेयक के रूप में इसे प्रस्तुत किया। बहुत से लोग थे. जिन्होंने सरकार के आदेश को समझा। सरकार के नियमों को समझा और उनका पालन करने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने हमारे समझाने-बुझाने पर गौर नहीं किया उनके लिए यह विधेयक इस सदन में आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन मान लिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वह तमाम बिल बेकार और निष्प्राण हो जाता है। अगर वे लोग जो हमारी मंशा को, जो कि गजट में पहले ही प्रख्यापित हो जाती है, नहीं मानते हैं और न मानने के बाद भी यदि सवा तीन एकड़ के नीचे वाले आदमियों को छोड़ दें, उनके औपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं वहन करे और उनकी इस जमीन की मालगुजारी को माफ कर दें तो इससे मतलब यह होता है कि हम ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि करेंगे जो सरकारी आदेश को नहीं मानेंगे और इस प्रकार हम इस समाज उच्छृंखल लोगों के प्रजनन करने में सहयोग देंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट को न माना जाय, क्योंकि यह अमेंडमेंट इस बिल की आत्मा का हनन करता है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उत्तर में माननीय कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं कि आज तक उन्होंने किसी भी संशोधन या किसी भी प्रश्न के उत्तर में इतनी लचर दलील नहीं दी होगी, जितनी कि आज दी। उन्होंने यह कहा कि अगर आज हम इस संशोधन को मान लेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि कोई आदमी इस कानून को नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा, यह समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें जो माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है वह उनके लिये रखा है, जिनके पास सवा तीन एकड़ से कम जोत है। लेकिन इससे तो जो ३ १।४

एकड़ से अधिक जमीन वाले हैं उनके ऊपर असर अवश्य पड़ेगा ही यदि इसको मान लें। तो यह कहना कि कोई भी इसको नहीं मानेगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। सीधे यदि वह यह कहते कि हम नहीं मानते तो बहुत कुछ सही होता, लेकिन मैं समझता हूं कि यह संशोधन जन हित में, खास तौर से जो कृषक वर्ग है, उसके हित का है। क्योंकि प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या उन कृषकों की है जिनके पास सवा तीन एकड़ या इससे कम जमीन है। यदि वह सरकारी आदेश को नहीं मानता है तो जो धाराएं पास हो चुकी हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट मालगुजारी के तरीके से खर्चा वसूल कर लेगी। वह तो इसलिए खेती नष्ट नहीं करना चाहेगा कि अगर उसकी कृषि में रोग हो गया है तो यदि नष्ट नहीं करता है तो भूसा तो प्राप्त हो ही जायगा, थोड़ा बहुत गल्ला ही प्राप्त हो जायगा। लेकिन अगर सरकारी आदेश के अनुसार नष्ट करता है तो उसे खेती की मदों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि या तो वह भिखारी हो जाय या कानून का उल्लंघन करके डाके डाले या चोरियां करे। क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि वह आदमी जिसके पास ३ १/४ एकड़ जमीन है, वह क्या करेगा। मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में जब कि उसके पास केवल सवा तीन एकड़ ही जमीन हो, उसको जब रोग का निवारण करना होगा तो सरकार को ही उसका व्यय बरदाश्त करना चाहिये। जैसा बताया गया है कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट यहां पेश हुआ था और उसके संशोधन भी जो पेश हुए तो उसमें यहां अलाभकर जोतों के विषय में काफी चर्चा हुई और सवा तीन एकड़ की जोत अलाभकर मान ली गयी। अगर खेत की फसल अच्छी होती है तब भी अलाभकर है, तब भी उसका भरण-पोषण नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा अगर उसकी इस खेती को भी नष्ट कर दिया जाय। इतना ही नहीं बल्कि जो व्यय होगा उसे भी उससे वसूल किया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही अच्छा है। सरकार का कोई नुकसान नहीं है। मंत्री जी ने यह भी दलील दी थी कि सरकार किस तरह से रुपया वसूल करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार अगर चन्दा भी लगाये, टैक्स भी लगाये तो उसको बहुत थोड़ा हिस्सा टैक्स में पड़ जायगा, लेकिन बहुत सा रुपया ऐसी खेती को नष्ट करने में लग जायगा, तो अकेले किसान को ही वहन करना पड़ेगा। तो यह जो संशोधन है, बहुत ही उपयुक्त है और माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री हुकुम सिंह——मुझे अब इसमें विशेष कहना नहीं है। शुरू में कह दिया।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय——

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से सम्बन्धित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं वहन करेगी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७-क

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप में रख दिया जाय——

> "७-क——किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो। ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।"

[श्री रामसुभग वर्मा]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि सरकार उन क्षेत्रों में जहां कि कीटों से फसलों का नुकसान हो गया हो, वहां पर जिस तरह से मालगुजारी का बकाया वसूल करती है, कुर्की वगैरह करके उसी तरह से जो व्यय औपचारिक उपाय में होगा उसको वसूल करेगी। हमारे संशोधन का मतलब यह है कि सरकार उन कीड़ों का नाश करने के लिये अपनी तरफ से जो भी उपाय किया हो वह उपाय करने के बाद वह फसल आधी नष्ट हो गई हो या सम्पूर्ण नष्ट हो गई हो तो उससे वह खर्च वसूल न किया जाय। यही हमारे संशोधन का मंशा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से मुझे एक बात याद आयी कि कोई डाक्टर हो और उसकी दवाई की दूकान भी हो और जब वह किसी मरीज की दवाई करने लगे तो मरीज कह दे कि अगर सम्पूर्ण फायदा न होगा या मर्ज अच्छा न होगा तो दवाई के दाम न लीजिये। मैं यह कहता हूं कि इसमें यह कहा गया है कि अगर नुकसान अत्यधिक हो। अब यह कौन निर्णय करेगा। इसमें कोई डेफीनीशन नहीं है कि कितनी अत्यधिक है, ऐसी सूरत में यह उसूलन गलत है। इसको कौन जान सकता है, उपाय किये जाते हैं यह सोचकर कि तत्काल फायदा करेगा। लेकिन बहुत सी जगह उपाय करने के बावजूद भी पूरी सफलता नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि जिस खेत में कीटाणु होंगे या जो नष्ट किये जायंगे और नष्ट इस गरज से किये जायंगे कि दूसरे खेतों को नुकसान न पहुंचे। अगर बावजूद इसके कुछ नुकसान हो भी जाय तो जिन खेतों में कीटाणु थे और जो नष्ट किये जायं और जो उसमें अखराजात किये जायं कि जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। तो उनको कौन देगा। सरकार दे, लेकिन सरकार कहां से लाये, उन लोगों से लाये जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, कर के ढंग से या किसी और दूसरे तरीके से लाये और जिनको खर्चा बरदाश्त करना चाहिये था, उनको माफ कर दिया जाय। ऐसी सूरत में इस संशोधन को मैं किसी भी तरीके से ठीक नहीं समझता हूं और लगान की छूट वगैरह का सवाल कहा गया तो वह बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि इसका इससे क्या सम्बन्ध है। अगर किसी इलाके में कोई नैचुरल कैलेमिटी हो जाय तो उसके लिये खास-खास प्राविजन रेवेन्यू मैनुअल में हैं और उसकी रू से सहायता दी जाती है और छूट भी मिलती है। इनका इससे कोई सरोकार या वास्ता नहीं मालूम होता है। मैं इस तरमीम को उसूलन गलत समझता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की, जो श्री रामसुभग वर्मा जी ने संशोधन उपस्थित किया है, उस दलील को सुनने के बाद तैयार हुआ हूं ताकि मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन कर सकूं कि माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी जी ने एक ऐसा ही मिलता-जुलता संशोधन खंड ७ के बाद प्रतिबन्धात्मक रूप में रखने की चेष्टा की थी, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इसमें है "किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।" इसमें सम्पूर्ण हानि होने की दशा में जो माननीय मंत्री जी ने क्लेरीफिकेशन दिया है, मैं उससे हैरान हूं। इसमें गुंजायश तो यह है कि यह जितनी चाहें माफी दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पूरी माफी कर दी जाय या पूरा लगान माफ कर दिया जाय। इसमें गुंजायश है कि माफी दी जाय, पूरी दी जाय, आधी दी जाय या थोड़ी दी जाय, लेकिन दी जाय। माननीय रामसुभग वर्मा जी के संशोधन का तात्पर्य यही है। यहां माननीय मंत्री जी ने डाक्टर वाली कहानी कही है यह तो एक ठगने की सी बात है, मदारीपने की बात है यदि धृष्टता क्षमा हो।

आजकल अपने देश में नियम प्रचलित है कि डाक्टर लोग रोग को दूर करने का ठेका लेते हैं। जनता की भलाई के लिये सरकार कोई काम करती है और वह भी बहुत से ठेके लेती है, वह हमारी सुरक्षा का ठेका लेती है, हमारे खाने-पीने का ठीका लेती है वह एक नहीं बहुत से ठेके लेती है। यदि अत्यधिक या सम्पूर्ण नुकसान होता है और औपचारिक उपाय किये जाते हैं और फिर भी असफलता मिलती है तो उस नुकसान पर सरकार को गुंजायश है और वह गुंजायश के साथ माफी दे सकती है, चाहे लगान में हो या औपचारिक उपाय में हो। इसलिए मैं माननीय वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह एक बार फिर विचार करेंगे। यदि माननीय मंत्री जी स्वयं उसके ऊपर विचार करेंगे तो उनको मालूम होगा कि जो संशोधन रखा गया है वह सही है और उसको वह मान लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामसुभग वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जो धारा है उस धारा में साफ बताया गया है कि अधिवासी से मालगुजारी की तरह से यह व्यय वसूल किया जायगा। रामसुभग वर्मा जी यह चाहते हैं--"किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।" सिर्फ संशोधन यह है कि जिस गांव में जितना रकबा हो और जितने रकबे में यह रोग पैदा हो उस रोग को दूर करने में सरकार का जितना रुपया व्यय हो चुका हो और उसके लिये इतना नुकसान हो गया हो कि रोग से कोई एकड़ जमीन बची न हो तो ऐसी अवस्था में रामसुभग वर्मा जी का यह संशोधन है कि सरकार उस व्यय में कुछ छूट दें। मालगुजारी में छूट देने की मांग इसमें नहीं की गयी है...।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२३ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९७ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७वें मंगलवार के लिये श्री बशीर अहमद हकीम के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में उल्लिखित सूची :—

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम व पता	स्वीकृत तकावी की धनराशि	कार्य जिसके लिये तकावी दी गई	तकावी देने की तारीख
		रु०		
१	श्री गोबरे, सरावां	५००	पक्का कुआं	१२–३–५३
२	श्री गजराज सिंह, कटियारा	५००	पक्का कुआं	१७–७–५४
३	श्री सन्ती दीन, नकुरी कलां	५००	पक्का कुआं	१६–१२–५४
४	श्री हरी शंकर, लहरपुर	५,०००	नलकूप	१४–१–५५
५	श्री रामकृष्ण, लहरपुर	५,०००	नलकूप	१४–१–५५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर)

सीतापुर जिले में सन् १६४८-४६ से १६५३-५४ तक नहरों के विस्तार की सूची

क्रम-संख्या	नाम	नहरों के विस्तार का विवरण			ग्रामों के नाम जिनमें विस्तार हुआ
१	२	३			४
		मी०	फ०	फीट	
१	धीरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी ..	१	४	०	गुररेया, परगना लाहरपुर,
२	इस्लाम नगर डिस्ट्रिब्यूटरी (extension) ..	०	६	४६५	पिपरासा और जमुनापुर, परगना मिसरिख।
३	सौरा माइनर ..	०	६	३३०	रिसौरा, दारानगर व गट्टीपुर, परगना रामकोट ।
४	किरातपुर माइनर ..	१	१	०	मुजफ्फरपुर, अलभापुर, कीरतपुर व मनुआ, परगना मनुवा, तहसील सिधौली ।
५	कुन्डरिया माइनर ..	१	७	१०	कुन्दरिया व कसंवा, परगना मनुवा, तहसील सिधौली ।
६	दरियाबाद शाखा (सिरे से मील २१ तक) ..	२१	०	०	मीरा हरिहरपुर, शाह जलालपुर, हसवापुर, रामपुर, घेरवां, धोकलगंज, मिठगवां खुर्द व कांधनी, परगना बिसवां, तहसील सिधौली ।
					सराय बल्देवसिंह, करसांडा, गढ़ी, करानदी, नवौराजपुर, जगदीशपुर, धावन, केयना, हार्दिया, सांढना, जलालपुर, भरतपुर, बीरसापुर चौरिया, भटीपुर चौरिया, सिभरा, कबरा, खरन्देशनगर, देहवां, भगरूरी, अलोया, बलेय्या, दूलरपुर, खेरिया, नीलगांव, बेहमा, ऊंचाखेड़ी, डलमऊ, अहमदपुर, तहकवा, असोंधन, रामनगरा खुर्द और जरौरा, परगना बारी, तहसील सिधौली ।
					धारनगर, ग्रान्ट, परगना मनवा, तहसील सिधौली ।
					विरासी, बरोलिया, चुनका, महमूदपुर कलां, देवकसिया, दरियापुर, धुरौता, खडेडरा, बनेहरा, पचदेवरा,

क्र० सं०	नाम	नहरों के विस्तार का विवरण			ग्रामों के नाम जिनमें विस्तार हुआ
१	२	३			४
		मी०	फ०	फीट	शिस्तापुर, गुलौली, सोलरपुर, बिलासपुर, शेखपुर, कांधनी, बभहौरी और भहरामऊ, परगना महमूदाबाद, तहसील सिधौली।
७	भंडिया डिस्ट्रीब्यूटरी (extension)	१४	७	०	सराय बल्देवसिंह, करसांडा, जरौरा, न्याराजपुर खुर्द, बरेठा, कसमंडा, सीतारपुर, सोरया, विशुनदासपुर, धावन, साढना, जहांगीरपुर, छाजर, कतसाय, रामदाना, खजुरिया, बिलरिया, सतगवां, हदुआ, बहेवा, मिठौरा, भालपुर, मिसरी और नीलगांव, परगना बारी, तहसील सिधौली। बांस खेरा, पहाड़पुर और दारानगर ब्राञ्च, परगना मजुवा, तहसील सिधौली।
८	सिधौली डिस्ट्रीब्यूटरी ..	१	५	८२	गढ़ी रावन, सरसौली, मुकीमपुर, अकोहरा और धानीपुर, परगना बारी, तहसील सिधौली।
९	गाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी ..	१	३	४३०	अकबरपुर, उनई, दखिनवां, बासखेड़ा, छावन, गुनेराव हिम्मतनगर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१०	मुजफ्फरनगर डिस्ट्रीब्यूटरी (extension) ..	०	३	३३०	बीरसापुर, धीरावां, पैगम्बरपुर, अम्बरपुर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
११	कठवा माइनर (extension) ..	०	६	७४	कठवा अलेपुर व हिम्मतनगर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१२	टिकौली	०	६	०	मऊ, हरिपुर व गुलरहा, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१३	अतरिया	०	४	४४	रीवां कलां, अटरिया सराय, अकबरपुर, रसूलपुर व सनांवा परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१४	कुबंरपुर	१	५	१२०	लहुरेवां, जैपालपुर व ढूंढपुर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

आगरा जिले में सरकारी साधनों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र सन् १९४५–४६ और सन् १९५३–५४ में निम्नांकित था:—

सन्	खरीफ	रबी	योग
	एकड़	एकड़	एकड़
१९४५–४६	४४,८६१	१,३१,०३४	१,७५,८९५
१९५३–५४	३७,०८५	१,३५,९५०	१,७३,०३५

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०९ पर)

गंगा नहर के सन् १९४५–४६ और १९५३–५४ के सिंचित क्षेत्र के आंकड़े निम्नांकित हैं :—

१९४५–४६

	खरीफ एकड़	रबी एकड़	योग एकड़
अपर गंगा नहर	६,००,९८२	८,८४,५५१	१४,८५,५३३
लोअर गंगा नहर ..	३,२६,०११	७,७१,०४४	१०,९७,०५५
योग ..	९,२६,९९३	१६,५५,५९५	२५,८२,५८८

१९५३–५४

	खरीफ एकड़	रबी एकड़	योग एकड़
अपर गंगा नहर	७,०८,८२२	१०,४५,०३१	१७,५३,८५३
लोअर गंगा नहर ..	३,७३,८९०	७,४४,७११	११,१८,००१
योग ..	१०,८२,११२	१७,८९,७४२	२८,७१,८५४

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर)

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (अ) कार्य जिन पर निर्माण आरम्भ हो चुका है—

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५-५६ के लिये धनराशि
				रु०	रु०	रु०
१	घाघरा	आजमगढ़	हाहानाला बन्द का निर्माण	४,५०,०००	१,००,०००	३,००,०००
२	..	..	पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर जलमार्ग और पुलियों का विस्तार	१,२८,०००	..	..

जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
२२,४०० एकड़	१.२ करोड़ घनफुट अनुमानित मिट्टी के कार्य में से २० लाख घनफुट कार्य हो चुका है। एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति में है।
जिला आजमगढ़	कार्य मुख्य अभियन्ता पी० डब्लू० डी० (बी० एण्ड आर०) ने आरम्भ कर दिया है।

चित्र (ब) योजनायें जिनके तखमीने स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर कार्य आरम्भ होगा—

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में
१	घाघरा	आजमगढ़	घाघरा नदी के किनारे के ५१ जलमग्न ग्रामों की रक्षा।	योजना की कुल अनुमानित लागत का ५० प्रतिशत (रु० ९,६१,०००) जो कि आजमगढ़ और बलिया जिलों के लिये है।	१,००,०००	५१ गांव आजमगढ़ जिले में।

चित्र (स) कार्य जो जांच-पड़ताल के अन्तर्गत हैं और जिनके तखमीने बनाये जा रहे हैं--

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणी
१	घाघरा	आज़मगढ़	माहोला-गदवल बन्द का निर्माण।	३०,००,०००	१५,००,०००	८८,१६४	योजना सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन की जांच के अन्तर्गत है।

दीर्घकालीन कार्य

चित्र (द) दीर्घकालीन कार्य जिनकी जांच-पड़ताल हो रही है--

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	लागत यदि कोई खर्च हो चुकी है	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम
१	घाघरा	आज़मगढ़	घाघरा नदी के किनारे खेती के क्षेत्रों को कटाव से रक्षा (अयोध्या से बिहार के बार्डर तक)	अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया	..	..	अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया	..

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९५५ के ७वें मंगलवार के लिये श्री महीलाल के तारांकित प्रश्न ५९ के उत्तर में उल्लिखित अनुसूची —

वर्ष	नाम तहसील	रहट के कुओं के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	कृषकों की संख्या, जिनको ५०० रु० प्रति कुएं की दर से तकावी दी गई	कृषकों की संख्या जिनको १०० रु० प्रति कुएं की दर से राज्य सहायता दी जायगी
१९५४-५५	मुरादाबाद	३६	३६	२४
	अमरोहा	२००	१९४	१३०
	बिलारी	५६	५६	४०
	सम्भल	१५०	१३४	४०
	हसनपुर	२००	१७९	५५
	ठाकुरद्वारा	११	११	११
योग ..		६५३	६१०	३००

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३–६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४१० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९५५ के ७वें मंगलवार के लिये श्री बाबूराम गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या ६३–६४ में उल्लिखित अनुसूची ।

संख्या	वर्ष	तहसील का नाम	स्थान का नाम	तकावी की धनराशि जो दी गई	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
१	१९५३–५४	एटा	खेत संख्या १४२९	१०,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
२	"	"	मानपुर खेत संख्या ७६२	१५,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
३	"	"	बराई खेत सं० २६६५	६,०००	..
४	"	"	पिवारी खेत सं० ६०९	४,०००	..
५	"	"	नगल गलू मजरा बसुन्दरा	३,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
६	"	"	उमरपुर	२,०००	..
७	"	"	सोगरा खेत सं० २२३०	२,०००	..
८	"	"	साकित	२,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
९	"	कासगंज	यूसुफपुर	२,०००	..
१०	"	"	बघला	२,०००	..
११	"	"	मिर्जापुर	२,०००	..
१२	"	"	पहारपुर कटरा	४,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
१३	"	"	कुमारेवां	४,०००	..
१४	"	"	कैन्डी	१०,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
१५	"	"	मुजफ्फरपुर हसनपुर	२,०००	..
१६	"	"	मढ़का	२,०००	..
१७	"	"	मुजफ्फरपुर	२,०००	..
१८	"	"	मन्सोरा खुर्द	१५,०००	..
१९	"	"	गोरहा	५,०००	..
२०	"	"	कासगंज	२,०००	..
२१	"	"	बरागांव	१०,०००	..
२२	"	"	चन्दपुर मेमरा	२,०००	..
२३	"	"	सिरपुरा	४,०००	..
२४	"	अलीगंज	नग्वा छेहका	५,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
२५	"	जलेसर	प्लाट सं० ३१५२	२,५००	नलकूप पूर्ण हो गया
	योग, १९५३–५४	..		१,१९,५००	
२६	१९५४–५५	एटा	साकित खसरा सं० २०४६	५,०००	..
२७	"	"	भागीपुर खेत सं० ३४७	५,०००	..
२८	"	"	सुन्ना सहोरी	५,०००	..
२९	"	कासगंज	खैरपुर	५,०००	..
३०	"	"	श्यामसर	५,०००	..
३१	"	"	पचोरा	५,०००	..
३२	"	"	छावनी	५,०००	..
३३	"	"	सोरोन	५,०००	..
३४	"	अलीगंज	नगला छेहका के पूरब-दक्षिण	५,०००	..
३५	"	"	नगला बाबरी के पश्चिम	५,०००	..
	योग, १९५४–५५	..		५०,०००	..

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

तालिका

वर्ष		मुंसिफ			सिविल जज		
		स्वीकृत शक्ति	काम करने वाले अफसरों की संख्या	रिक्त स्थान	स्वीकृत शक्ति	काम करने वाले अफसरों की संख्या	रिक्त स्थान
१९५३	..	१६१	१३४	२७	५६	३९	१७
१९५४	..	१६१	१६१	—	५६	३९	१७

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५७ एल० ए०—१९५५-७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार २४ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्रारुल हक़, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तुलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री

फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सूरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय सचिवालय मिनिस्टीरियल सर्विस असोसियेशन के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए प्रार्थना

**१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सचिवालय मिनिस्टीरियल सर्विस असोसियेशन ने सरकार से प्रार्थना की है कि सचिवालय के वह अस्थायी कर्मचारी जो १० वर्ष से अधिक से सचिवालय में लगातार कार्य कर रहे हैं तथा उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है, निम्न श्रेणी में स्थायी नियुक्त कर दिये जायं तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मुक्त किये जायं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस प्रकार की प्रार्थना असोसियेशन से प्राप्त हुई है जो अभी विचाराधीन है ?

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है जिससे यह ज्ञात हो सके कि १० साल के काम करने वाले टेम्पोरेरी निम्न श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। सरकार के पास ऐसी सूची रहती है और वह सचिवालय में होगी।

श्री जोरावर वर्मा—उनकी संख्या कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो यह सूचना मेरे पास नहीं है, इसलिये मैं नहीं बतला सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से भी राय ली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी ७, ८ दिन हुये कागजात मेरे पास आये हैं और उन पर विचार होना शुरू हुआ है। जो आवश्यकता होगी वह कार्यवाही की जायगी।

तारांकित प्रश्न

प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित अमरीकियों का सरकारी कर्मचारियों से प्रश्न पूछना

*१--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमरीकी विशेषज्ञ, जो प्रादेशिक सरकार के प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अन्तर्गत काम कर रहा है, उसने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से कुछ आपत्तिजनक प्रश्नों के उत्तर पूछे थे? यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रश्नावली की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--जी नहीं। प्रश्न आपत्तिजनक नहीं थे। प्रश्नावली की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४०-५४१ पर)

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस अमरीकी एक्सपर्ट ने यह प्रश्न क्यों पूछे थे और उनका क्या इस्तेमाल किया गया?

श्री फूलसिंह--यह प्रश्न अमरीकी सरकार या उसकी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। इन प्रश्नों का उद्देश्य सिर्फ यह मालूम करना था कि सूचना इकट्ठी करने वाले कार्यकर्ताओं का निजी दृष्टिकोण, धारणा, स्वभाव वैचित्र्य तथा द्वेषित मनोवृत्ति (Prejudice) का अन्वेषण के परिणाम और तरीकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन उत्तरों का यही इस्तेमाल किया गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अन्तर्गत ७ जांच करने वाले कार्यकर्ताओं से ये प्रश्न पूछे गये थे?

श्री फूलसिंह--जी हां।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या इन प्रश्नों के पूछने के पूर्व प्रश्नकर्ता ने इसकी आज्ञा सरकार से ले ली थी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? और क्या इन प्रश्नों के सिलसिले में सरकार ने यह भी पूछा है कि ये प्रश्न क्यों पूछे गये थे?

श्री फूलसिंह--सरकार से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी और ये प्रश्न ऐसे नहीं हैं जिनमें कोई एतराज हो।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--ये अमरीकी विशेषज्ञ किस विषय के विशेषज्ञ हैं?

श्री फूलसिंह--वे बहुत विषयों के हैं मगर हमारे यहां केवल एक ही हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इन अमरीकी विशेषज्ञों के कार्य के कारण जनता में विशेष प्रकोप पैदा हुआ है?

श्री फूलसिंह--उनकी योजना बिल्कुल नयी है और हमारे देश में ऐसी योजना नहीं थी। तो उनकी सहायता की आवश्यकता थी और उनका समय शीघ्र ही समाप्त होने वाला है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन प्रश्नावली के पूछे जाने से पहले कोई जांच करता है? यदि हां, तो वह कौन करता है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--विशेषज्ञों को अधिकार है कि वे स्वयं प्रश्नावली बनावें और अन्वेषण कर्ताओं को सदा यह अधिकार रहता है। हमारे पास वे प्रश्नावली नहीं भेजते हैं। हमारे डाइरेक्टर महोदय को समय रहता है तो वह देख लेते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में प्रश्नावली उनके द्वारा भी नहीं गई।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या इन विशेषज्ञों ने या इनके आदमियों ने ऐसी तस्वीरें खींची हैं, जो सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमारे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है। जैसा अभी उपमंत्री महोदय ने बताया, हमारे पास केवल एक ही विशेषज्ञ हैं उस संस्था में जिनके विषय में आज यहां प्रश्न उठाये गये हैं?

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि प्रश्नावली में जो प्रश्न २१-२३ पूछे गये हैं उनके पूछने का आधार यह था कि हरिजनों का दृष्टिकोण अमरीका के बारे में जाना जा सके?

श्री फूलसिंह--एक प्रश्न में केवल यह लिखा है कि अमरीका के एन्थौपालोजिस्ट किस लिये यहां आते हैं? केवल ७ आदमियों से प्रश्न पूछे जाने वाले थे। वे किसी ७ आदमियों से भी पूछ सकते थे। इससे कोई मतलब नहीं निकलता है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--ये अमरीकन यहां कब से हैं और उन पर क्या व्यय होता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--व्यय के लिये नोटिस की आवश्यकता है। हमारे इंस्टीट्यूट के खुलने के थोड़े ही दिन बाद ये नियुक्त किये गये हैं।

चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीनी की किन-किन मिलों के जिम्मे गन्ना उत्पादकों का कितना-कितना रुपया बाकी है और उसकी अदायगी का सरकार कौन सा उपाय कर रही है?

श्री फूलसिंह--दो तालिकाएं ("क" और "ख") संलग्न हैं जिनमें चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के १९५४-५५ सीजन के तथा पिछले बकाया का विवरण दिया हुआ है।

जहां तक १९५४-५५ सीजन का बकाया की वसूली का प्रश्न है, जिन जिन चीनी मिलों पर अधिक धन बकाया है उन पर उत्तरप्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७(४) के अन्तर्गत सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं, जैसा कि संलग्न तालिका "ख-२" से विदित होगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५४२-५४६ पर)

चीनी मिलों पर सेस तथा अतिरिक्त मुनाफे का बकाया

*४--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस किस चीनी मिल के जिम्मे सरकार का कर्ज तथा सेस का कितना कितना रुपया बाकी है?

श्री फूलसिंह--चीनी मिलों पर प्रत्येक जिले में सरकार के सेस का जो बकाया है उसका विवरण संलग्न तालिका "ग" में दिया हुआ है । जहां तक कर्ज का सवाल है केवल गोविन्द शुगर मिल्स ऐरा को सरकार ने पिछले वर्ष ३ लाख रु० कर्ज दिया था जो ५ वार्षिक किस्तों में जनवरी, १९५५ से आरम्भ होकर वसूल होना था । इसमें एक किस्त (ब्याज मिला कर ६९,२९० रु० की) वसूल हो चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

*५--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन चीनी की मिलों ने सन् १९५४ ई० में गन्ना उत्पादकों का अतिरिक्त मुनाफा कितना-कितना दिया और कितना-कितना बाकी है ?

श्री फूलसिंह--सीजन १९५३-५४ में चलने वाली ६५ मिलों में से केवल १६ मिलों को गन्ने का अतिरिक्त मूल्य (Additional cane price) देना था जिनमें से ७ ने पूरा रुपया भुगतान कर दिया है, ५ ने आंशिक भुगतान किया है और बाकी ४ ने अभी अदायगी शुरू नहीं की है । इन मिलों को इस मद में कितनी-कितनी रकमें देनी थीं या देनी हैं, और इनमें से कितना-कितना अदा हो गया है इसके पूरे आंकड़े अभी सरकार के पास नहीं हैं, पर एक तालिका "घ" संलग्न है, जिसमें मिलों के नाम अतिरिक्त मूल्य की दरें और उपर्युक्त विवरण दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार बकाया जो है, पिछली बकाया और सेस के टोटल बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह--तालिका "क" का टोटल १०,९०,५९,००० रुपया है । तालिका "ख" का टोटल ६,०८,४२० रुपया १ आना ६ पाई है और तालिका "घ" में जिस रकम के सर्टिफिकेट्स ईश्यू कर दिये गये हैं १,०७,४९,१५३ रुपया ४ आना ११ पाई । "ग" का टोटल इसमें नहीं दिया गया है, जहां तक मेरा ख्याल है वह १,८५,८८,३९३ रु० ६ आ० ४ पाई है जिसमें से १ करोड़ ९ लाख रुपया इस साल का बकाया है और ६ लाख के करीब बकाया पिछले सीजन का है । १ करोड़ ७ लाख के सर्टिफिकेट्स इश्यू हो चुके हैं । ये फिगर्स गन्ने की कीमत के हैं । सेस का रुपया १,८५,८८,३९३ रु० ६ आ० ४ पाई था । इसके मुताल्लिक मेरा अर्ज करना यह है कि इस प्रश्न के उत्तर लिखे जाने के बाद कुछ रुपया और वसूल हो चुका है और अब करीब २५-२६-३५ हजार रुपये के बकाया रह गयी है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तालिका "क" को देखने से पता चलता है कि नंबर २७ पर रोजा मिल पर कोई बकाया नहीं है लेकिन तालिक "घ" को देखने से पता चलता है कि उसके लिये सर्टिफिकेट ईश्यू हुआ है ७ लाख २८ हजार ७२६ रुपये का, यह क्या बात है ?

श्री फूलसिंह--यह हो सकता है कि बकाया की सूची जब बनायी गयी हो उस वक्त बकाया न हो और सर्टिफिकेट पहले जारी किया गया हो । उस वक्त संभव है कि उसके ऊपर बकाया हो ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या बस्ती, मुंडेरवा और देवरिया की मिलों पर यह बकाया है ?

श्री फूलसिंह--जी हां, पूर्व की मिलों पर ज्यादा बकाया है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--कितने मिलों के ऊपर यह बकाया केन सेस और केन प्राइस का है ?

श्री फूलसिंह---यह तो बहुत लम्बी लिस्ट है लेकिन जिन मिलों के ऊपर केन प्राइस बाकी है उनको इस बात के लिये मुहलत दे दिया गया है कि वे किसानों के गन्ने का दाम पहले दे दें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन मिलों ने अतिरिक्त मुनाफा नहीं दिखलाया है उनसे वे अतिरिक्त मुनाफा दिलाने का विचार रखते हैं?

श्री फूलसिंह---जी हां, इस मामले में एक दफा उनको लिखा गया है, अब दोबारा इसको खासतौर पर देखा जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिल मालिक जो इतने ज्यादा दिनों तक किसानों का बकाया रखते हैं उसका कुछ सूद भी दिलाते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो नया नियम हमने जारी किया है उसके अनुसार जो मिलें रुपया नहीं देती हैं उसके लिये उनको किसानों को कुछ सूद देना पड़ता है और देना पड़ेगा।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुनाफा वाली बात अभी विवादास्पद है और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने भी यह मामला पेश है कि जिन काश्तकारों को नहीं मिला है उनको भी दिलवाया जाय।

श्री फूलसिंह---जी हां, कुछ मिलों ने तो अतिरिक्त मुनाफा दे दिया है और कुछ मिलों ने उस पर आपत्ति भी की है और उधर केन फेडरेशन से भी यह मामला केंद्र में गया हुआ है, लेकिन जितना रुपया केंद्र से तय हुआ है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अदा हो गया है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५३-५४ और सन् ५४-५५ के सीजन का बहुत काफी रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री धनुषधारी पांडेय---जो रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है उसका भुगतान कराने के लिये माननीय मंत्री जी क्या उपाय सोच रहे हैं?

श्री फूलसिंह---इस संबंध में केन कमिश्नर को खत लिखा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उन ४ मिलों के नाम बतलायेंगे जिन्होंने अभी तक किसानों को अतिरिक्त मुनाफा निश्चयानुसार नहीं दिया है?

श्री फूलसिंह---इसको छांटने में तो बहुत देर लगेगी, लेकिन कुछ मिलों ने आपत्ति की है कि अतिरित मुनाफा जो उनके ऊपर ज्यादा लगा है वह कम होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों के गन्ने की कीमत को बाकी रखने का क्या कारण है?

श्री फूलसिंह---पिछले साल जब शुगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो मिल मालिकों ने यह आपत्ति की थी कि जितनी शुगर हमारे पास थी वह अभी तक बिकी नहीं है। बहुत सी मिलों में आधे से ज्यादा शुगर अभी तक बकाया है। यह भी कारण रहा जिससे मिल मालिक गन्ने के दाम नहीं दे सके।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अतिरिक्त मूल्य जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है किस मिल पर सबसे अधिक है और किस मिल पर सबसे कम है और कितना-कितना है?

श्री फूलसिंह--चीनी मिलों पर प्रत्येक जिले में सरकार के सेस का जो बकाया है उसका विवरण संलग्न तालिका "ग" में दिया हुआ है। जहां तक कर्ज का सवाल है केवल गोविन्द शुगर मिल्स ऐरा को सरकार ने पिछले वर्ष ३ लाख रु० कर्ज दिया था जो ५ वार्षिक किस्तों में जनवरी, १९५५ से आरम्भ होकर वसूल होना था। इसमें एक किस्त (ब्याज मिला कर ६९,२९० रु० की) वसूल हो चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

*५--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन चीनी की मिलों ने सन् १९५४ ई० में गन्ना उत्पादकों का अतिरिक्त मुनाफा कितना-कितना दिया और कितना-कितना बाकी है ?

श्री फूलसिंह--सीजन १९५३-५४ में चलने वाली ६५ मिलों में से केवल १६ मिलों को गन्ने का अतिरिक्त मूल्य (Additional cane price) देना था जिनमें से ७ ने पूरा रुपया भुगतान कर दिया है, ५ ने आंशिक भुगतान किया है और बाकी ४ ने अभी अदायगी शुरू नहीं की है। इन मिलों को इस मद में कितनी-कितनी रकमें देनी थीं या देनी हैं, और इनमें से कितना-कितना अदा हो गया है इसके पूरे आंकड़े अभी सरकार के पास नहीं हैं, पर एक तालिका "घ" संलग्न है, जिसमें मिलों के नाम अतिरिक्त मूल्य की दरें और उपर्युक्त विवरण दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार बकाया जो है, पिछली बकाया और सेस के टोटल बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह--तालिका "क" का टोटल १०,९०,५९,००० रुपया है। तालिका "ख" का टोटल ६,०८,४२० रुपया १ आना ६ पाई है और तालिका "घ" में जिस रकम के सर्टिफिकेट्स ईश्यू कर दिये गये हैं १,०७,४९,१५३ रुपया ४ आना ११ पाई। "ग" का टोटल इसमें नहीं दिया गया है, जहां तक मेरा ख्याल है वह १,८५,८८,३९३ रु० ६ आ० ४ पाई है जिसमें से १ करोड़ ९ लाख रुपया इस साल का बकाया है और ६ लाख के करीब बकाया पिछले सीजन का है। १ करोड़ ७ लाख के सर्टिफिकेट्स इश्यू हो चुके हैं। ये फिगर्स गन्ने की कीमत के हैं। सेस का रुपया १,८५,८८,३९३ रु० ६ आ० ४ पाई था। इसके मुताल्लिक मेरा अर्ज करना यह है कि इस प्रश्न के उत्तर लिखे जाने के बाद कुछ रुपया और वसूल हो चुका है और अब करीब २५-२६-३५ हजार रुपये के बकाया रह गयी है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तालिका "क" को देखने से पता चलता है कि नंबर २७ पर रोजा मिल पर कोई बकाया नहीं है लेकिन तालिक "घ" को देखने से पता चलता है कि उसके लिये सर्टिफिकेट ईश्यू हुआ है ७ लाख २८ हजार ७२६ रुपये का, यह क्या बात है ?

श्री फूलसिंह--यह हो सकता है कि बकाया की सूची जब बनायी गयी हो उस वक्त बकाया न हो और सर्टिफिकेट पहले जारी किया गया हो। उस वक्त संभव है कि उसके ऊपर बकाया हो।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या बस्ती, मुंडेरवा और देवरिया की मिलों पर यह बकाया है ?

श्री फूलसिंह--जी हां, पूर्व की मिलों पर ज्यादा बकाया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--कितने मिलों के ऊपर यह बकाया केन सेस और केन प्राइस का है ?

श्री फूलसिंह---यह तो बहुत लम्बी लिस्ट है लेकिन जिन मिलों के ऊपर केन प्राइस बाकी है उनको इस बात के लिये मुहलत दे दिया गया है कि वे किसानों के गन्ने का दाम पहले दे दें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन मिलों ने अतिरिक्त मुनाफा नहीं दिखलाया है उनसे वे अतिरिक्त मुनाफा दिलाने का विचार रखते हैं?

श्री फूलसिंह---जी हां, इस मामले में एक दफा उनको लिखा गया है, अब दोबारा इसको खासतौर पर देखा जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिल मालिक जो इतने ज्यादा दिनों तक किसानों का बकाया रखते हैं उसका कुछ सूद भी दिलाते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो नया नियम हमने जारी किया है उसके अनुसार जो मिलें रुपया नहीं देती हैं उसके लिये उनको किसानों को कुछ सूद देना पड़ता है और देना पड़ेगा।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुनाफा वाली बात अभी विवादास्पद है और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने भी यह मामला पेश है कि जिन काश्तकारों को नहीं मिला है उनको भी दिलवाया जाय।

श्री फूलसिंह---जी हां, कुछ मिलों ने तो अतिरिक्त मुनाफा दे दिया है और कुछ मिलों ने उस पर आपत्ति भी की है और उधर केन फेडरेशन से भी यह मामला केंद्र में गया हुआ है, लेकिन जितना रुपया केंद्र से तय हुआ है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अदा हो गया है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५३-५४ और सन् ५४-५५ के सीजन का बहुत काफी रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री धनुषधारी पांडेय---जो रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है उसका भुगतान कराने के लिये माननीय मंत्री जी क्या उपाय सोच रहे हैं?

श्री फूलसिंह---इस संबंध में केन कमिश्नर को खत लिखा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उन ४ मिलों के नाम बतलायेंगे जिन्होंने अभी तक किसानों को अतिरिक्त मुनाफा निश्चयानुसार नहीं दिया है?

श्री फूलसिंह---इसको छांटने में तो बहुत देर लगेगी, लेकिन कुछ मिलों ने आपत्ति की है कि अतिरित मुनाफा जो उनके ऊपर ज्यादा लगा है वह कम होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों के गन्ने की कीमत को बाकी रखने का क्या कारण है?

श्री फूलसिंह---पिछले साल जब शुगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो मिल मालिकों ने यह आपत्ति की थी कि जितनी शुगर हमारे पास थी वह अभी तक बिकी नहीं है। बहुत सी मिलों में आधे से ज्यादा शुगर अभी तक बकाया है। यह भी कारण रहा जिससे मिल मालिक गन्ने के दाम नहीं दे सके।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अतिरिक्त मूल्य जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है किस मिल पर सबसे अधिक है और किस मिल पर सबसे कम है और कितना-कितना है?

श्री फूलसिंह--यह तो तालिका में दिया हुआ है, लेकिन देवबन्द मिल पर सबसे ज्यादा है और खतौली मिल पर सबसे कम।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या यह सही है कि धामपुर शुगर मिल बिजनौर के मिल मालिकों पर करीब २० लाख रुपया किसानों का अदायगी के लिये पड़ा हुआ है?

श्री फूलसिंह--माननीय मेम्बर की इत्तिला शायद सही हो।

तहसील खलीलाबाद में विकास-कार्य

*६--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५३-५४ में तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती) में कौन-कौन से विकास के कार्य किये गये हैं?

श्री फूलसिंह--तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती) में सन् १९५३-५४ में किये गये विकास कार्यों का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ५४९-५५० पर)

श्री राजाराम शर्मा--जो सूची हमें मिली है उस में लिखा हुआ है कि जमहरा और बढ़या के पंचायत घरों के लिये सहायता दी गई है और उन घरों को बनवाने की कोशिश की गई है, तो वह मकान बनकर कब तक पूरे हो जायेंगे?

श्री फूलसिंह--अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो पूछ कर बता सकता हूं।

*७-९--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--[२० सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिर्जापुर जिले के चिकित्सालय

*१०--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कुल कितने चिकित्सालय हैं, कितने अभी बनने शेष हैं और वे कब तक बन जायेंगे?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)--सदर तहसील में १८, चुनार तहसील में १२, राबर्ट्सगंज में ६ तथा दुद्धी तहसील में ८ चिकित्सालय हैं।

प्रश्न के अंतिम भाग का आशय स्पष्ट नहीं है। यदि प्रश्नकर्त्ता यह जानना चाहते हैं कि वहां कितने चिकित्सालय और खोलने हैं तो अभी यह निश्चय नहीं है। यदि यह जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से स्वीकृत अस्पताल भवन बनने हैं तो उसकी स्थिति यह है कि दो अंग्रेजी चिकित्सालय का बनाना इस साल स्वीकार हुआ है एक घोरावल (तहसील राबर्ट्सगंज) में तथा एक म्योरपुर (तहसील दुद्धी) में। सरकार को यह भी सूचना है कि शेरवां (चुनार तहसील) में जहां एक सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय है स्थानीय जनता ने एक औषधालय भवन बनाना शुरू किया है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--अंग्रेजी औषधालय से क्या मतलब है?

श्री बनारसीदास--इस का अर्थ एलोपैथिक अस्पताल है

श्री अध्यक्ष--वह स्पष्ट होना चाहिये, इसके माने हैं कि वह अस्पताल अंग्रेजों के होंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज इधी तहसील, मिर्जापुर की बड़ी तहसील होते हुये भी वहां चिकित्सालयों की संख्या क्यों कम है?

श्री बनारसीदास---क्योंकि वहां की आबादी कम है ।

श्री व्रज भूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि औषधालयों का निर्माण आबादी के सिद्धांत पर होता है या ५ मील की रेडियस पर एक औषधालय होगा इस सिद्धांत पर ?

श्री बनारसीदास---यह सही है कि ५ मील की रेडियस का एक मोटा आधार है, लेकिन आबादी का भी ख्याल किया जाता है और जहां इमारत आसानी से मिल जाती है या जनता का सहयोग आदि सब बातें मिल जाती हैं वहां वह खोल दिये जाते हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां दो-दो सौ गांवों का समूह ऐसा है जहां पर एक भी औषधालय नहीं है ?

श्री बनारसीदास---ऐसा हो सकता है लेकिन हर जिले में एक परामर्शदात्री समिति है और उनके जो सुझाव आते हैं उन्हींने के आधार पर यह सुविधा दी जाती है । यदि वहां से इस तरह का सुझाव आयेगा तो जरूर उस पर विचार किया जायगा, परन्तु अगर इस जिले की फेहरिस्त देखी जाय तो जो निर्धारित संख्या होनी चाहिये उससे वहां तादाद कम नहीं है, एक दूसरी जगह अस्पताल हटाये जायं, यह हो सकता है ।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---यह जो शेरवां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बन रहा है क्या वहां के लोगों ने भी उसके लिये आर्थिक सहायता की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास---जी हां, ४ हजार की मांग है, उस पर विचार हो रहा है ।

एटा जिले के चिकित्सालय

*११---श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में कितने राजकीय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय हैं और उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?

*१२----क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त चिकित्सालयों में से किन-किन के पास उनका निजी भवन है ?

श्री बनारसी दास---वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ५५१ पर)

श्री बाबूराम गुप्त---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तालिका में जो यह ८ सरकारी चिकित्सालय दिखाये गये हैं वे वहां पर किस-किस स्थान पर हैं ?

श्री बनारसीदास---जिला चिकित्सालय एटा, जनाना अस्पताल एटा, जेल अस्पताल एटा, पुलिस अस्पताल, अलीगंज अस्पताल, निमौनी अस्पताल, नदरौली अस्पताल और जेठरा अस्पताल ।

श्री बाबूराम गुप्त---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो जिले के अस्पताल हैं उन पर कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री बनारसीदास---जो सूची माननीय सदस्य के पास है उसमें सभी विवरण दिये हुये हैं ।

श्री बाबूराम गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनाना अस्पताल जिला एटा के सदर स्थान के अतिरिक्त और किसी स्थान पर भी है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, यह सही है कि एक जनाना अस्पताल एटा और दूसरा कासगंज में है । †

जौनपुर जिले में नियोजन-कार्यों पर व्यय

*१३--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा कुल कितना-कितना रुपया सन् १९५४ ई० में किस किस मद पर खर्च किया गया और कितना हर मद में बच रहा है ?

श्री फूलसिंह--सूचना का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रखा है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ५५२ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री महोदय टोटल आय और टोटल खर्च और जो बाकी बच गया है उसका विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । बात यह है कि आंकड़ आप क पास पहुंच गये हैं । तो कम से कम आप उनके जोड़ नहीं मांग सकते, दूसरे मांगे तो दूसरी बात है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खर्च हुआ है उससे कहीं अधिक रकम बाकी बच गई है इसका क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह--कुछ रकम बाद में भेजी गई थी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेल्फ हेल्प और छोटे अनुदान जो इस सूची में दिये गये हैं उनके द्वारा तो यह किस काम में खर्च कियेजाते हैं ?

श्री फूलसिंह--सेल्फ हेल्प में तो बहुत सारे कामों में खर्च होता है, लेकिन शर्त यह है कि लोग भी उस कुछ रुपये का हिस्सा दें या फिर श्रमदान करें ।

हाथरस के पीतल के गृह उद्योग सहायतार्थ पत्थर का कोयला

*१४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार की ओर से हाथरस के पीतल के गृह उद्योग को कोई सहायता दी जाती है ? अगर हां, तो किस प्रकार की और कितनी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--(अ) जी हां ।

(ब) इस उद्योग को पत्थर का कोयला दिया जाता है । सन् १९५२ से १९५५ की प्रथम छमाही तक १६ वैगन कोयला दिया गया ।

*१५--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि हाथरस के पीतल के कारबार की उन्नति के लिये कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--(अ) जी नहीं ।

(ब) प्रश्न नहीं उठता ।

---

† श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार संशोधित ।

नोट--तारांकित प्रश्न १४-१५ श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछा ।

बस्ती जिले की ताड़ी की दूकानें

*१६—श्री रामसुन्दरराम (जिला बस्ती)—क्या मादक कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में ताड़ी की कुल कितनी दूकानें गत वर्ष थीं और कितनी चालू वर्ष में हैं ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—बस्ती जिले में गत वर्ष १२४ ताड़ी की दूकानें थीं और चालू वर्ष में भी १२४ दूकानें हैं ?

*१७—श्री रामसुन्दरराम—क्या मादक कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले के प्रत्येक तहसील में कितनी दूकानें ताड़ी की हैं ?

श्री गिरधारीलाल—ताड़ी की दूकानों की तहसीलवार संख्या निम्निलिखित है:—

तहसील बस्ती	२२
तहसील बांसी	२३
तहसील खलीलाबाद	७५
तहसील डुमरिया गंज	१
तहसील हरैया	३

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष और चालू वर्ष में जिले की इन ताड़ी की दूकानों से प्रति वर्ष कितने रुपये की आमदनी हुई ?

श्री गिरधारीलाल—सन् १९५२-५३ में १,२६,४५५ रुपये १ आने और सन् १९५३-५४ में १,४६,५५८ रुपये १० आने की आमदनी हुई है।

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में जो ताड़ी की दूकानें चल रही हैं उनमें कितनी पेशेवर हरिजनों की हैं और कितनी सवर्णों की ?

श्री गिरधारीलाल—करीब सौ से ज्यादा हरिजनों की दूकानें हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बस्ती जिले में ताड़ी की दूकानें बन्द कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—अभी प्राहीबीशन का सवाल सरकार के सामने है। जिस वक्त पूरे सूबे का प्रश्न तय हो जायगा उसी समय बस्ती का प्रश्न भी तय हो जायगा।

श्री शिवनारायण—क्या अगली पंचवर्षीय योजना में यह स्कीम सफल हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—यदि प्राहीबीशन चालू करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जरूर सफल होगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार ताड़ी को ताड़ी के रूप में इस्तेमाल कराने के बजाय नीरे के रूप में इस्तेमाल कराने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल—जब ताड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा तो मिश्र जी को नीरे का इस्तेमाल कराया जायगा।

जौनपुर जिले में नियम विरुद्ध चलने वाली शराब की भट्ठियों का पकड़ा जाना

*१८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में जनवरी सन् ५४ से फरवरी सन् १९५५ तक कितनी नियम विरुद्ध शराब की भट्ठियां पकड़ी गईं ?

श्री गिरधारीलाल--जौनपुर जिले में जनवरी, १९५४ से फरवरी, १९५५ तक नियम विरुद्ध शराब की भट्ठियों के ५३ मामले पकड़े गये ।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५३ शराब की भट्ठियां पकड़ी गई हैं उनमें कितने के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--सबके खिलाफ उचित कार्यवाही की गई ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो भट्ठियां नियम विरुद्ध पकड़ी गई वे अब भी चालू हैं या बन्द हो गई ?

श्री गिरधारीलाल--अब इसकी तो मुझे कोई इत्तिला नहीं है, लेकिन जो नियम-विरुद्ध भट्ठियां वे जरूर बन्द हो गई होंगी ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ५३ आदमियों पर जिन पर केस चला है, अदालत ने उन पर कुछ जुर्माना भी किया है ?

श्री गिरधारीलाल--उन पर मुनासिब कार्यवाही होने पर जो भी मुनासिब सजा होगी वह दी गई होगी ।

राजकीय उद्योग और व्यवसाय संबंधित संस्थाओं के आय-व्यय का प्रकाशन तथा नियुक्तियों सम्बन्धी नीति

*१९--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या उद्योग मंत्री इस बात के प्रबन्ध करने का विचार रखते हैं कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं का आय-व्यय का विवरण अधिक विस्तार से उसी प्रकार प्रकाशित किया जाय, जिस प्रकार लिमिटेड कम्पनियों का प्रकाशित करना आवश्यक है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं । अभी तो ऐसा विचार नहीं है ।

*२०--श्री देवकीनन्दन विभव--राजकीय उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं के कार्य संचालकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इनके लिये प्रदेश के व्यवसाय क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को लेने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास--राजकीय उद्योग और व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं के कार्य संचालकों की नियुक्ति सेवा संबंधी नियमों (Service Rules) के अनुसार सरकार द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर होती है, जो उचित एवं अनुभवी कार्य संचालकों को चुनती है । कभी-कभी विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति बिना कमीशन के चुनाव के, ठेके पर (on Contract basis) भी आवश्यकतानुसार की जाती है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय में समुचित विस्तार से सदन के सामने आय-व्ययक के न रखने से सदन को उनकी वास्तविक स्थिति मालूम करने में कठिनाई होती है और यदि हां, तो मंत्री जी उसका विस्तार से क्यों लेखा प्रकट नहीं करना चाहते ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस विषय पर सरकार विचार कर रही है । इस प्रकार का प्रश्न पहले किया गया था और कुछ आदेश भी विभागों को दिये गये हैं कि यदि यह संभव हो सके तो जिस प्रकार से कम्पनियों में हिसाब रक्खे जाते हैं उसी प्रकार से इन जगहों के जिनके विषय में प्रश्न किये गये हैं हिसाब रक्खे जायं । लेकिन चूंकि अभी कोई निर्णय नहीं ले सके हैं इसलिये

अभी जो आपको उत्तर दिया गया है वह यही है कि अभी हमने कतई इस पर कोई विचार नहीं किया। जब कतई विचार हो जायगा तब आपको इस बात की सूचना दी जायगी।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि विदेशी एक्सपर्टस की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्या वह प्रदेश और देश के एक्सपर्ट्स की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगर किसी स्थान के लिए कहीं ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो इसी आधार पर उनकी नियुक्ति के विषय में सरकार विचार करेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय विभाग प्रोफार्मा एकाउन्ट्स को आकाउटेंट जनरल के पास हर साल भेजता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नियमानुसार पी० डब्ल्यू० डी० रुल्स की तहत में जिस तरह से हिसाब रखा जाता है उसी तरह अकाउन्टेंट जनरल के पास जाता है। घाटे और मुनाफे की देख-रेख करने के लिये प्रत्येक वर्ष इस तरह से हिसाब अकाउटेंट जनरल के पास जाता है।

राज्य के शहरी व देहाती क्षेत्रों के उद्योग धंधों को सरकारी प्रोत्साहन

*२१-**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों और देहाती क्षेत्रों के लिये कौन-कौन गृह उद्योग धन्धों तथा छोटे उद्योगों के प्रारम्भ करने में वह प्राथमिकता देती है ?

श्री बनारसीदास--देहाती क्षेत्रों में उन कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है जो अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विशेषकर प्रोत्साहित किये जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में उन हैन्डीक्राफ्ट उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है, जो प्राचीन काल से चल रहे थे और जिनके प्रोत्साहन के लिये अखिल भारतीय हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड और हैन्डलूम बोर्ड ने विशेष कार्यक्रम स्वीकार किया है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री महोदय जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों की ऐसी तालिका तैयार की है ? यदि हां, तो उसको सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास--जी हां। इस प्रकार के बहुत से उद्योग हैं जिनकी तालिका विभाग के पास है। वह तालिका माननीय सदस्य को मिल सकती है। लेकिन मुख्यतः जो उद्योग हैं जैसे ग्रामोद्योग में गुड़, खंडसारी, खादी, मिट्टी के बर्तन आदि हैं। इसके अलावा जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के आधार पर हैं उनमें मुख्य-मुख्य हैन्डलूम का कपड़ा, आयबरी का उद्योग, लकड़ी के खिलौने, चिकन आदि हैं। इसके अलावा यह सूची बढ़ती रहती है। जहां कच्चा माल मिलता है या आवश्यकता समझी जाती है उन उद्योगों को भी शामिल कर लिया जाता है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री महोदय यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गृह उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश में विक्रय विभाग या विक्रय अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसीदास--जी हां,। अब भी सरकार की ओर से बिक्री विभाग है। हर जगह एम्पोरियम्स हैं जहां पर इस प्रकार का बना हुआ माल बिकता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी सहकारिता के आधार पर चलाये गये उद्योग धंधों को प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसीदास--जी हां। अब भी प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज आर्गेनाइज की जाती हैं, जिनको ग्रांट और लोन देने में विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या सरकार उन उद्योग-धंधों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने दस धंधे चुने हैं खास तरीके से।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जितनी योजनाएं ग्रामोद्योग की वस्तुओं के संबंध में बनी हैं वे सब खादी और उद्योग बोर्ड की सलाह से बनी हैं और उसकी सलाह से उद्योग-धंधे चलाये जा रहे हैं, उनमें सरकार प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न कर रही है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार जो उद्योग-धंधों के लिये सहायता देती है उसके बाद में वह कोई जांच कराती है कि उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिनको अनुदान दिया जाता है उनको सरकार के पास अपने अनुदान के कागजात भेजने पड़ते हैं और यदि कोई व्यक्ति अनुदान ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करता तो उसका अनुदान बंद कर दिया जाता है और उसके लिये समुचित कार्यवाही की जाती है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गृह-उद्योगों के लिये बाजार तैयार करने और उनके सामान की बिक्री का क्या प्रबन्ध है ?

श्री बनारसीदास--यह तो पहले जैसा बतलाया गया कि सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इंडस्ट्रियल कोआपरेटिवस बनें, जहां जरूरत पड़ती है वह ट्रेनिंग स्कूल्स कायम करते हैं, उनको सबसिडी देते हैं। साथ ही उत्पादन केन्द्र कायम होते हैं जिनमें सरकार की ओर से कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी इम्पोरियम में उनका माल बिकवाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा हैन्डलूम के माल में सरकार की तरफ से सबसीडी दी जाती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--यहां जो १० उद्योग-धंधों का चर्चा हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन से हैं ?

श्री बनारसीदास--वह मैंने अभी बताये थे। इनमें विशेषकर खादी है, हैन्डलूम है, मिट्टी के बर्तन, गुड़, हाथ का कुटा चावल और चर्म उद्योग आदि हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जो खादी उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है उसका गांधी आश्रम करीब २ दुरुपयोग करता है, क्योंकि वह खादी की कीमत आमतौर से बढ़ा कर रखता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस बात की सूचना मेरे पास नहीं है। गांधी आश्रम से तो इस बात की आशा नहीं की जाती कि वह कीमत बढ़ाकर रखेगा और फिर तीन आने की छूट देने की चेष्टा करेगा।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रति वर्ष लाखों रुपये का जो हैन्डलूम का कपड़ा नीलाम किया जाता है बाजार में, उसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नीलाम किया जाता है, इस बात की कोई सूचना मुझे नहीं है। हैन्डीक्रैफ्ट की दूकानों में कुछ ऐसा माल जरूर था जो कुछ वर्षों का हो गया था, वह दो तीन वर्ष पहले नीलाम किया गया था। लेकिन प्रत्येक वर्ष कोई माल नीलाम किया जाता है इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

गन्ना फैक्ट्रीज में बैलगाड़ियों के लिए टिनशेड की आवश्यकता

*२२--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में ऐसी कितनी गन्ना फैक्टरीज हैं, जिनमें गेट पर आने वाली बैल गाड़ियों के खड़े होने के लिये टीन शेड हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में अभी ३४ मिलों के उत्तर आये हैं जिनमें २८ के पास टिनशेड मौजूद हैं ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये इमारतें

*२३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में उसने केवल एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिये ही इमारतें बनवाई हैं अथवा आयुर्वेदीय चिकित्सालयों के लिये भी ?

श्री बनारसीदास--आयुर्वेदिक चिकित्सालय की अभी केवल एक इमारत सरकार ने बनवाई है और सब एलोपैथिक चिकित्सालयों की हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक चिकित्सालयों की कितनी इमारतें हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां । पहले तो ८३ थीं और इस वर्ष के बजट में १५ इमारतें और बनाने का प्राविजन किया गया है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक चिकित्सालयों की इतनी काफी इमारतें बनाई जा रही हैं और आयुर्वेदिक की एक ही इमारत क्यों बनाई गई ?

श्री बनारसीदास--काफी तादाद में मकान देहातों में दान में या किराये पर मिल गये और इसलिये नहीं बनाये गये, लेकिन सरकार उनके रखरखाव का प्रबंध करती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--एलोपैथिक चिकित्सालयों की जो इमारतें बनी हैं उन पर औसत कितना खर्च पड़ा है और यह जो आयुर्वेद की इमारत बनी है इस पर कितना खर्च हुआ और यह कहां बनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आयुर्वेद की इमारत जो लखनऊ में कालेज बना है उसी में बनाई गई है। जो एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं वह देहातों में बनाई गई हैं। उन पर करीब ५० हजार रुपया फी डिस्पेंसरी खर्च होता है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज बनाने का प्रश्न भी सरकार के सामने है और उसमें यह अंदाजा लगाया गया है कि करीब २५ से ३० हजार रुपया खर्च होगा।

तराई भावर इलाके में चीनी मिलें खोलने का विचार

*२४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास तराई भावर इलाके में चीनी मिल खोले जाने के बारे में कोई मांग आयी है ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हां। इस प्रकार की कुछ मांगें आई हैं। सरकार का विचार है कि इस इलाके में दो सहकारी (Co-operative) चीनी मिलें खोली जायं।

*२५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने गोकुलनगर मिल के हटाये जाने के बाद उक्त मिल के अधीन गन्ना क्षेत्र की सप्लाई आदि के संबंध में कोई स्थायी प्रबन्ध किया है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास--इस समय किसी भी मिल के लिये गन्ने के क्षेत्र का कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया जाता है, इसलिये इस क्षेत्र के लिये भी स्थायी प्रबन्ध का कोई प्रश्न नहीं उठा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तराई भावर क्षेत्र में दो सहकारी चीनी मिलें खोले जाने के अपने विचार के संबंध में अब तक सरकार क्या-क्या कार्यवाही कर चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने यह निर्णय दे दिया था और सरकारी अधिकारी उन कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं, जो कि इन फैक्ट्रियों को उन क्षेत्रों में लगा सकेंगी। अधिकारी ने विदेशों से इस बात की लिखा-पढ़ी कर रखी है और वे इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इन सहकारी चीनी मिलों के हेतु सरकार संबंधित सहकारी समितियों को कितना रुपया लोन देगी और कितने शेयर खुद खरीदेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमने एक रकम तो तय कर ली है जो सहकारी समितियों को देंगे और अभी उन उत्पादकों से हमारी बातचीत चल रही है जो कि इसमें शेयर होल्डर्स बनेंगे, उन शेयर होल्डर्स के धन के अलावा सरकार जितने रुपये की आवश्यकता पड़ेगी उतना धन इनके संचालन के लिये पहले प्रारम्भ में व्यय करेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहकारी समितियां सिर्फ गन्ना उत्पादकों की होंगी या मजदूरों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अवश्य। जो सहकारी गन्ना फैक्ट्रियां बनेंगी उसमें अभी यह तो निर्णय नहीं किया कि मजदूरों को क्या-क्या चीजें मिलेंगी, लेकिन मजदूरों का भी उन सहकारी फैक्ट्रियों में शेयर होल्डर बनना अवश्य रहेगा, वे अपनी मजदूरी के दाम से शेयर होल्डर बनना चाहेंगे तो बन सकेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी इन सहकारी समितियों को जब कि वे रजिस्टर्ड हों उनके साथ यह शर्त अपनी मदद में लगावेंगी कि उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को शेयर होल्डर उस सोसाइटी का बनाना पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब यह तो उत्पादकों के जो प्रतिनिधि हैं और जो कि इन फैक्ट्रियों के संचालन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाले हैं उनकी सलाह से ही इन तमाम बातों को निर्णय करना पड़ेगा पहले ही से सरकार ऐसे नियम उनके ऊपर थोपना नहीं चाहती।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी कोई सरकार ने यह निश्चय किया है कि तराई भावर के किस इलाके में यह मिलें लगेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी इस विषय में कतई फैसला नहीं किया। लेकिन दो स्थानों पर, बाजपुर और रुद्रपुर में सरकार फैक्ट्री लगाने के विषय पर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक इन दोनों स्थानों के लिये सरकार ने कोई कतई फैसला नहीं किया है। अभी कल एक उत्पादकों का डेप्यूटेशन मिलने आया था, उसने सरकार के समक्ष एक दूसरे स्थान पर फैक्ट्री खोलने के विषय में विचार रखा है और और जो स्थान उचित समझे जायेंगे उनके ऊपर विचार किया जायगा और फिर आखिर में फैसला करेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जो सर्वे गन्ने का उसने कराया था वह पूरा हो गया और उसके आधार पर उसने यह फैसला कर दिया कि वह कितने मिल और कहां-कहां लगायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं। अभी सर्वे का काम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से कुछ उन स्थानों के नाम मांगे थे जहां-जहां फैक्ट्रियां लग सकती हैं और प्रदेश की सरकार ने उन १० स्थानों का नाम केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया है अपने पुराने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर। जो कार्य हमने एक स्पेशल आफिसर के सुपुर्द किया है उस कार्य की अभी समाप्ति नहीं हुई है।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार वे नाम बतायेगी जो केंद्रीय सरकार के पास भेजे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं याददाश्त से बता रहा हूं। दो स्थान तो अभी बता चुका हूं एक तो बाजपुर और दूसरा रुद्रपुर, एक इन्दारा, एक अलीगढ़ जिले में है, दो या तीन स्थान मेरठ के जिले में हैं, एक मुजफ्फरनगर में है और एक मैनपुरी का है, इस तरह से करीब १० हैं।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार को यह मालूम है कि फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज तहसील के इलाके में गन्ना इतना होता है कि वहां एक से ज्यादा फैक्ट्रीज अगर लगायी जायं तो चल सकती हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी मैंने बताया कि जो सूचना अभी हमने केंद्रीय सरकार के पास भेजी है उसमें कदाचित फर्रुखाबाद का स्थान नहीं है, लेकिन हमारे जो विशेष पदाधिकारी इसके लिये नियुक्त हैं, वह जब सूचना देंगे तो अवश्य कायमगंज के विषय में भी हम विचार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन दो सहकारी मिलों में से जो तराई भावर में लगने वाली हैं इनमें से एक मिल जल्दी लगने की आशा है जिससे कि उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमने जो अभी निर्णय किया है उसके अनुसार दो तो वह फैक्ट्रियां लगने वाली हैं और जो एक फैक्ट्री काशीपुर की लगी हुई है उसमें सरकार ने विकास के लिये मदद करने के लिये कहा है और उस फैक्ट्री से कहा है कि वह अपनी कैपेसिटी को बढ़ाये।

आजमगढ़ जिले की रजिस्टर्ड व्यायामशालाओं के सहायतार्थ धन

*२६--**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितनी रजिस्टर्ड व्यायामशालायें हैं?

श्री फूलसिंह--एक।

*२७--**श्री विश्राम राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की व्यायामशालाओं के सहायतार्थ कितना रुपया १९५३-५४ और १९५४-५५ में दिया गया?

श्री फूलसिंह--१९५३-५४ में आजमगढ़ के किसी भी व्यायामशाला को कोई सहायता नहीं दी गई। १९५४-५५ में जनहित व्यायामशाला, देऊपार और आदर्श व्यायामशाला कदमघाट को एक-एक हजार की सहायता दी गई थी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन गुणों को रखने वाली व्यायामशालाओं को वह सहायता देती है?

श्री फूलसिंह--पिछले सालों में यह स्कीम चालू की गई थी कि एक व्यायामशाला शहर में और एक देहात में खोलने का प्रोग्राम था।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इनमें से कौन सी व्यायामशाला शहर में है और कौन सी देहात में है?

श्री फूलसिंह---देऊपार व्यायामशाला देहात में है और कदमघाट शहर में है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जमींदारी विनाश के बाद इन व्यायामशालाओं आदि को जो सहायता उन लोगों से मिलती थी, वह बन्द हो गई है और अब प्रांत के विभिन्न स्थानों पर क्या वह सरकार की तरफ से ऐसी व्यायामशालाओं की स्थापना करेगी, जहां पर कि न केवल लोगों को व्यायाम का मौका मिले बल्कि उन्हें खाना आदि भी देने का प्रबन्ध हो....

श्री अध्यक्ष---बहुत लम्बा यह आपका सुझाव है, इसे आप लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन रजिस्टर्ड व्यायामशालाओं में कितने रजिस्टर्ड लोग व्यायाम करते हैं?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न मजाक का है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या व्यायाम की आवश्यकता को देखते हुये सरकार हर जिले में एक व्यायाम शिक्षक नियुक्त करने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह---जिन जिलों में यह स्कीम चालू है वहां एक एक इंसपेक्टर मुकर्रर किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस व्यवस्था पर विचार कर रही है कि जो व्यायामशालायें रजिस्टर्ड हैं उनको नियत रूप से सहायता दी जाय?

श्री फूलसिंह---सहायता की दूसरी स्कीम है। काफी व्यायामशालायें ऐसी हैं जिनको सहायता दी जाती है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार इस मसले पर गौर कर रही है कि व्यायामशालाओं के बेहतर इन्तजाम के लिये इस सूबे में एक कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर फिर दोबारा बनायी जाय?

श्री फूलसिंह---यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बाबू विश्राम राय के स्वास्थ्य को देखते हुये दारुलशफा में भी एक व्यायामशाला खुलवाने की कृपा करेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*२८-२९---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---[९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

जिला नैनीताल की मनाघेर-ओखलकोंडा मोटर रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने का प्रयत्न

*३०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि नैनीताल जिला प्लानिंग कमेटी को पिछले वर्ष संबंधित करते हुये मुख्य मंत्री ने घोषित किया था कि मनाघेर-ओखलकोंडा मोटर रोड को जंगलात विभाग वनोत्पादन वृद्धिहेतु बनायेगा? अगर हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री फूलसिंह--जी हां। परन्तु भूमि कठिन होने के कारण वन विभाग ने इस संबंध में असमर्थता प्रकट की है। अतः इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री नरायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सड़क को क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अधीन कर लिया है या केवल प्रयत्न ही किया जा रहा है?

श्री फूलसिंह--इस सड़क का सर्वे करने के लिये कुछ रकम वन विभाग को दी गयी थी। उन्होंने जब यह लिखा कि हम उसको नहीं बना सकेंगे तब सार्वजनिक विभाग से कहा गया तो उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की है और यह बात विचाराधीन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सड़क को ले ले।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि उसी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी आदेश दिया था कि एक लाख रुपया इसी वर्ष सड़क के निर्माण में खर्च किया जाय?

श्री फूलसिंह--सड़क का निर्माण तो तब हो जब विभाग उसको ले ले।

बस्ती जिले में सरकारी अस्पतालों पर खर्च

*३१--श्री मथुराप्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में कितने और कौन-कौन सरकारी अस्पताल हैं?

*३२--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन अस्पतालों पर सरकार प्रत्येक तहसील में कितना-कितना धन व्यय करती है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ ५५३ पर)

*३३--श्री राजाराम शर्मा--[हटा दिया गया।]

बस्ती जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड का एक ब्लाक खोलने का विचार

*३४--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगले वर्ष बस्ती जिला में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड का एक ब्लाक, मेंहदावल कछार और उसके आसपास के बहुत पिछड़े हुये क्षेत्र में, खोलने का वह विचार रखती है?

श्री फूलसिंह--इस वर्ष नये ब्लाक खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार इस पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता देकर अगले जनतंत्र दिवस पर ब्लाक खोल देगी?

श्री फूलसिंह--बहुत जल्द ब्लाक खोलने की कोशिश की जायगी।

बस्ती जिले में मुंडेरवा चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*३५--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल्स मुंडेरवा, खलीलाबाद, बस्ती तथा वाल्टरगंज में कितना-कितना गन्ना किसानों ने इस वर्ष दिया है?

नोटः--तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछे।

श्री बनारसीदास--मुंडेरवा, खलीलाबाद, बस्ती तथा वाल्टरगंज चीनी मिलों को जो गन्ना किसानों ने इस वर्ष (१९५४-५५ सीजन में) दिया उसका विवरण इस प्रकार है--

(१) मुंडेरवा	२२,३६,७६८ मन ३० सेर
(२) खलीलाबाद	१७,६३,१९१,मन ३० सेर (उत्तर प्रदेश) ५,०५७ मन २५ सेर (बिहार) ————————— १७,६८,२४९ मन १५ सेर
(३) बस्ती	३१,४५,०६९ मन २५ सेर
(४) वाल्टरगंज	२८,४३,९६६ मन २५ सेर

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुंडेरवा शुगर मिल को किसानों ने जो गन्ना दिया है उस सबके भुगतान दिये गये हैं ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं, अभी मुंडेरवा मिल का ४,२९,४२३ रु०, ११ आने ३ पाई इस सीजन का और ६३७ रु० ६ आने ९ पाई पिछले सीजन का बाकी है।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि मुंडेरवा की इन हरकतों से, जो कि पेमेंट न करने की हैं, उससे किसान बहुत तबाह हैं और परेशान हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां, यह सही है। इसी वजह से केन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह जितना भी बकाया है, मालगुजारी की तरह वसूल करने के लिये सार्टिफिकेट जारी किया है।

*३६-३७--**श्री धनुषधारी पांडेय**--[हटा दिये गये।]

राज्य के महिला चिकित्सालय

*३८--**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में स्त्रियों के लिये अस्पताल हैं ? क्या सरकार की ओर से ऐसे प्रत्येक अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति हो गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेश के सभी जिलों में महिला चिकित्सालय हैं तथा ऐसे सभी चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति स्वीकृत है।

*३९--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--राज्य सरकार १९५५-५६ के बजट में किन-किन जिलों में स्त्रियों के लिये अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राज्य सरकार वर्तमान बजट वर्ष १९५५-५६ में निम्नलिखित ५ स्थानों पर स्त्रियों के लिये अस्पताल खोलने का निश्चय किया है।

(१) बांसी, जिला बस्ती।
(२) पिलखुवा, जिला मेरठ।
(३) निघासन, जिला खीरी।
(४) मऊ, जिला आजमगढ़।
(५) भदोही, जिला बनारस।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों की कामबन्दी

*४०--**श्री रा॰सुन्दर पांडेय**--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में अप्रैल, ५५ के द्वितीय सप्ताह में मजदूरों ने काम बन्दी की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। कामबन्दी का कारण यह था कि उन ८२ मजदूरों की छटनी कर दी गई थी जो फैक्टरी बनाने के लिये रखे गये थे और उसके बन जाने पर फालतू हो गये थे ।

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर के मजदूरों की कौन-कौन मांगें पूरी हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मजदूरों की मांग यह थी कि छटनी किये गये ८२ मजदूरों को फिर से रख लिया जाय। यह मामला श्रम कमिश्नर के पास भेजा गया और उन्होंने यह कहा कि फैक्टरी बन जाने के बाद फैक्टरी के अधिकारियों ने इन मजदूरों की छटनी वैध रूप से की, अतः उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की गई ।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर व्यय

*४२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में कुल कितनी सामुदायिक विकास योजनायें और राष्ट्रीय प्रसार योजनायें चल रही हैं तथा ३१ मार्च, १९५५ तक उन पर अलग-अलग कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय प्रदेश में २६ सामुदायिक विकास योजना केन्द्र और ९४ राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र चालू हैं। इन ब्लाकों पर ३१ मार्च, १९५५ तक के व्यय की सूचियां सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ ५५४–५५७ पर)

हमीरपुर जिले के विभिन्न चिकित्सालय

*४३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि जिला हमीरपुर में कितने राजकीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय हैं और उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?

*४४—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इनमें से किन किन के पास उनका निजी भवन है और किस-किस में योग्यता प्राप्त (qualified) डाक्टर, वैद्य और हकीम नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ ५५८–५५९ पर)

भारत सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों के लिये स्वीकृत धन

*४५—श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कुटीर उद्योग को विकसित करने के लिये कोई योजना हाल में भेजी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसके लिये कितने रुपये की मांग केन्द्रीय सरकार से की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने जो कुटीर उद्योग सम्बन्धी योजनायें भारतीय सरकार के विचारार्थ भेजी हैं, उनका विवरण नत्थी १ में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ ५६० पर)

*४६--श्री तेजप्रतापसिंह--क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना मंजूर कर ली है ? यदि हां, तो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये उसने कितना रुपया कर्ज में तथा अनुदान के रूप में देना मंजूर किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चालू वित्तीय वर्ष के लिये भारतीय सरकार ने जिन योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता स्वीकार की है उनका विवरण नत्थी ठ में दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ठ" का उत्तर आगे पृष्ठ ५६१ पर)

प्रदेश में चीनी मिलें खोलने के सम्बन्ध में पड़ताल योजना

*४७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल खोलने के लिये पूरे प्रदेश की पड़ताल कराने की योजना क्या समाप्त हो गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

एस० डी० एम० को तहसील नियोजन अधिकारी का कार्यभार

*४८-श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीन योजनानुसार अब एस० डी० एम० तहसील नियोजन अधिकारी का भी कार्य करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

*४६-श्रीमती आशालता व्यास (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनाना अस्पताल बनाने की कोई योजना इस वर्ष जिला आजमगढ़ के फूलपुर तहसील में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

बहराइच जिले में चफरिया बाजार-सुजौली-सेभरी क्षेत्र के पास के स्टेशनों पर ईख तोलने के कांटा की आवश्यकता

*५०--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को सूचना है कि बहराइच जिले में निशान गाड़ा और बिछया स्टेशन के पास चफरिया बाजार-सुजौली-सेभरी क्षेत्र के पास के स्टेशनों पर ईख का कांटा न होने से किसानों को बड़ी असुविधा होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

जौनपुर जिले के सहायता प्राप्त चिकित्सालय

*५१--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधालयों को सरकारी सहायता दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--६ एलोपैथिक, ७ आयुर्वेदिक व यूनानी तथा १ होम्योपैथिक ।

*५२-श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता किन-किन आधारों पर दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सहायता के आधार ये हैं--

(१) दवा का वितरण निःशुल्क किया जाता हो ।

(२) रोगियों की संख्या तथा चिकित्सालय की प्रसिद्धि ।

(३) चिकित्सा की दृष्टि से पिछड़े हुए स्थान में औषधालय स्थित हो ।

(४) चिकित्सालय का डाक्टर, हकीम या वैद्य निर्धारित योग्यता प्राप्त हों ।

हाथरस में चाकू तथा करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना

*५३--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने हाथरस क्षेत्र के लिये किन-किन कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाथरस में चाकू उद्योग और करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है ।

रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों की दैनिक पेराई की शक्ति

*५४--श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द शुगर मिलों की गन्ना पेरने की शक्ति पृथक-पृथक कितनी है ? क्या सरकार को विदित है कि उक्त मिलों के क्षेत्रों में काफी गन्ना पिरने से हर वर्ष बच रहने से खेतों में सड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों में से प्रत्येक की दैनिक पेराई की शक्ति ३१,००० मन के लगभग है ।

यह सही नहीं है कि उक्त मिलों के क्षेत्रों में काफी गन्ना पेराई से बच रहने के कारण खेतों में सड़ता है ।

अतारांकित प्रश्न

प्लानिंग कार्यालय, फैजाबाद के लिपिकों में हरिजन

१--श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफिस, फैजाबाद में कुल कितने क्लर्क हैं ? उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्लानिंग आफिस फैजाबाद में कुल २५ क्लर्क है, जिनमें केवल एक हरिजन है ।

२--श्री रामदास रविदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफिस के लिये कितने क्लर्कों का चुनाव जनवरी, १९५५ में हुआ ? उसमें कितने हरिजन चुने गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई चुनाव नहीं हुआ । हरिजन के भी चुनाव का प्रश्न नहीं उठता ।

कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार

३--श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में कितने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सालय इस वर्ष खोलने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस वर्ष इस तहसील में कप्तानगंज नामक स्थान पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

इटावा जिले के सहायता प्राप्त औषधालय

४-**श्री तुलाराम** (जिला इटावा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि इटावा जिले में कहां-कहां सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त औषधालय हैं ? इनमें से प्रत्येक को अलग अलग कितना रुपया सालाना सरकार देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना की फिहरिस्त मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ ५६२ पर।)

देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुखमरी विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी, कल जो काम रोको प्रस्ताव आया था, उसके मैंने कागजात भेज दिये थे। आप कोई वक्तव्य देंगे उसके संबंध में ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय-आपने जो कागज मेरे पास भेजे थे उन से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय राजनारायण जी के पास दो जगहों के पत्र आये। एक तो कोई हैं श्री चन्द्रवली सिंह, संयुक्त मंत्री प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया और एक बयान है राजेंद्र त्रिपाठी, दोहली बुजुर्ग के उनका। इन पत्रों में कई बातें हैं लेकिन खासतौर से शायद इसी बात पर जोर है कि लोग भूखों मर रहे हैं और ७ व्यक्ति भूख से मर भी गये हैं। मैंने इस बात की जांच कराई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। तो उन्होंने जो सूचना मुझको दी है वह मैं आपके सम्मुख रखता हूं। उनका कहना है कि वहां ७ व्यक्ति मरे हैं लेकिन उनमें से भूख से किसी एक के भी मरने का सवाल नहीं है। उनके नाम भी दिये हुये हैं और उनका विवरण भी है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--पढ़ दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक लड़की थी खुलेसरी, दो वर्ष की। बीमार थी। उसकी माता जीवित हैं और बिल्कुल सही सलामत हैं। एक दूसरे साहब थे जिनका नाम था गणराज ७५ वर्ष की उम्र थी, बूढ़े आदमी थे, बीमारी से मर गये। एक हरबंश डेढ़ साल का बच्चा था। बीमार था। माता उसकी जीवित हैं और बिलकुल ठीक हैं और किसी की मृत्यु उस घर में नहीं हुई है। एक लड़के का नाम मालूम नहीं। बंगाली उसके पिता का नाम था। दो वर्ष का लड़का था। वह भी ८-१० दिन से बीमार था। मां उसकी भी जीवित है ज्यों की त्यों। दो बच्चे १५-१५ दिन के थे। एक की मां का नाम जानकी और दूसरी का नाम बिदारन है। दोनों मातायें जिन्दा हैं। ये बच्चे जैसे और इन्फेंट मार्टेलिटी होती है उसी प्रकार ये भी मर गये। एक बूधर धोबी थे। ४० वर्ष की उम्र थी। वे बीमार थे।

एक बात और भी है। जो राजेंद्र त्रिपाठी सज्जन थे उन्होंने २० अगस्त को एक लिखित बयान दिया है कि पहले जो मुझको सूचना मिली थी कि ये लोग भूख से मरे वह सूचना गलत थी और ये लोग सब नेचुरल डेथ से मरे हैं। वह बयान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है। मैंने उनसे कहा है कि स्पेशल मेसेंजर से भेज दें। वह कल यहां आ जायगा तब मैं उसे भी सदन की सेवा में उपस्थित कर सकूंगा।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं जिससे कि जो बयान आया है वह कितना अतिरंजित है वह बतला सकूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि फिर कल जब वह बयान आ जायगा उसी वक्त यह भी पढ़ कर सुना दें तो ज्यादा अच्छा हो।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मृत्यु की बात नहीं है। दूसरी बात है। उन्होंने लिखा है कि ४० दिन से वहां बहुत से खेतिहर मजदूर बेकार पड़े हुये हैं बाढ़ की वजह से। मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि आज २४ तारीख है, कई दिन पहले की बात है। तो ४० दिन पहले के माने हैं कि कोई ८-१० जुलाई से वहां बाढ़ आ गयी जो कि सब को मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ लिहाजा कितना अतिरंजन इस बयान में है उसका उदाहरण मैंने प्रमाण मात्र दिया है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कल वह आ जायगा तो उसको सुनने के बाद फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, इस संबंध में हमको कहने की क्या आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष--मैं तो चाहता था कि वह पढ़ कर सुना दें उस वक्त मैं आपको एक मौका दूंगा।

श्री राजनारायण--तो कल आप मुझे मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष--जी हां।

*उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ नया खंड ७-क (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पर विचार जारी होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय मैं कल यह कह रहा था कि माननीय रामसुभग वर्मा जी ने जो संशोधन इस धारा में रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो बातें इसमें स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से बहुत कुछ आसानी उन लोगों को हो जायगी जिनको कि परेशानी होगी व्यय वसूल करने में। अध्यक्ष महोदय, पहली बार एक संशोधन आया था कि औपचारिक व्यय लोगों से न लिया जाय। जिसे माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया, फिर इसके बाद माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी का संशोधन आया कि तीन एकड़ भूमि वाले किसानों से व्यय न लिया जाय उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अब यह तीसरा संशोधन माननीय रामसुभग जी वर्मा का है कि जहां अत्यधिक या सम्पूर्ण क्षति हो गई हो और वहां के औपचारिक व्यय को सरकार स्वयं वहन करे। अध्यक्ष महोदय, कल कृषि मंत्री जी ने कहा था कि यह कोई प्राकृतिक विपत्ति नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक विपत्ति बाढ़ है, नदी का कटाव है, ओला और टिड्डी दल आदि है। उसी प्रकार फसल के रोगों का भी है, क्योंकि यह रोग अपने आप होते हैं। मैं अपने अनुभव की बात बतलाता हूं कि गन्ने मटर वगैरा की खेती में इस प्रकार के रोग लग जाते हैं और जब यह रोग किसी क्षेत्र या स्थान में लग जाते हैं और इन कीटाणुओं का नाश करने के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था होगी तो यह साधारण सी बात है कि उसमें खर्चा ज्यादा होगा और जिस किसान की जिस व्यक्ति की सारी फसल रोग से ग्रसित हो गई हो और उसकी सारी फसल जलाई जाय या नष्ट की जाय तो ऐसी सूरत में विचार करना है कि जिस किसान की फसल बरबाद की जायगी तो क्या वह किसान क्या वह व्यक्ति उस औपचारिक व्यय को वहन कर सकेगा ?

---

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिसका गन्ने का खेत है वह छै महीने पहले गन्ना बोने के लिये खेत को खाली छोड़ देता है। इसके बाद खेत को जोतने, खाद देने, बीज डालने और बड़ी मेहनत के बाद जाकर कहीं गन्ना पैदा होता है और जब गन्ना बड़ा हो जाय तो रोग लग जाय और उस समय कृषि मंत्री जी उसको उखाड़ने का, नष्ट करने तथा जलाने का आदेश दें तो मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस किसान की सारे गन्ने की फसल जल गई, वह किसान कैसे आपके औपचारिक व्यय को बरदाश्त कर सकता है? जब कि वह पहले मालगुजारी दे, गन्ने के बीज की कीमत दे और देखभाल तथा खेती की निगरानी करे और फिर अपने खेत के नष्ट हो जाने पर अपने बच्चों को भूखा नंगा रखकर तथा अपनी जायदाद को बेचकर सरकारी खर्चा अदा करे।

मैं समझता हूं कि यह अव्यवहारिक गल्ती होगी और किसान खर्चा न देने के लिये मजबूर होगा। अध्यक्ष महोदय, जमींदार जमींदारी खत्म होने से पहले मालगुजारी अदा न करने के लिये ही हवालात में जाता था, लेकिन अब तो किसान भी मालगुजारी अदा न करने की वजह से जाया करता है। मेरी गुजारिश यह है कि इस तरह के संशोधन को स्वीकार कर ल तो बड़ी सहायता होगी। आप देखेंगे कि यह स्पष्ट है कि जिसके जिम्मे यह काम सुपुर्द किया जायगा उसी के ऊपर व्यय लगाने का अधिकार होगा और वह मालगुजारी की तरह से वसूल किया जायगा। मैं समझता हूं कि जैसे बाढ़ में, कटाव में, टिड्डियों में और ओलों में मालगुजारी की माफी होती है। इसी प्रकार से इसमें भी मालगुजारी की माफी के लिये निवेदन किया जा सकता है और औपचारिक व्यय की माफी के लिये संशोधन इस विधेयक में लाना कोई अनुचित नहीं है।

मैं समझता हूं कि व्यय के संबंध में सरकार नम्रतापूर्वक विचार करे और इस आदरणीय सदन को भी विचार करना चाहिये कि किसान इस खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकेगा। जिस गांव का सारा इलाका रोग ग्रस्त हो गया हो और इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिये जो सरकार का व्यय हुआ है उससे किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यदि किसान को कुछ लाभ हो गया हो। कुछ फसल बच गयी हो, ३/४ फसल बच गयी हो तो उस किसान से वसूल किया जाय तब तो यह बात कुछ समझ में आती है, लेकिन सरकार की ओर से रुपया खर्च किया जाय और उस रुपये की वसूली किसान से की जाय और उस किसान से की जाय जिसके पास एक पैसे का सामान भी खेत के अन्दर पैदा नहीं हुआ है तो ऐसे किसान से औपचारिक रुपया वसूल करना मैं समझता हूं बहुत बुरा होगा? मैं आपके जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा जो इस विधेयक में रखी गयी है वह जले पर नमक छिड़कने का काम करेगी। किसान सारा खर्चा वहन करे और फिर आपको मालगुजारी भी दे और खानदान वालों को भूखे भी मारे और सरकार उससे रुपया वसूल करने के लिये उसको जेलखाने में ठूंस दे यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। इस विधेयक का प्रान्त की ६ करोड़ जनता से सम्बन्ध है और खासतौर पर गरीब जनता से इसका बहुत सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि सरकार को आगे चलकर इससे बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और तब ऐसा वक्त भी आ सकता है कि सरकार खुद इस प्रकार के संशोधन को लाये। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

***श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं आज पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं और वह रचनात्मक सुझाव यह है कि यदि किसी किसान की फसल को बचाने के लिये कोई निरोधशील अथवा और औपचारिक उपाय किया जाय और उस उपाय के बाद भी उसकी फसल न बचे तो उस किसान से व्यय न लिया जाय। माननीय मंत्री जी की ओर से जो धारा रखी गयी है उसके अनुसार चाहे उस किसान की फसल बचे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या न बचे, चाहे उसकी फसल को दवा के छिड़काव से फायदा हो या न हो, चाहे उसकी पूरी फसल क्यों न नष्ट हो जाय, मगर उसके औपचारिक उपाय में जो व्यय होगा वह उस किसान को देना होगा। अब मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ऐसे किसान से औपचारिक व्यय लेना कहां का न्याय है ? यह कहां की बुद्धि है और कहां के रचनात्मक कार्य का प्रमाण है। जब इस सदन में सरकार के सामने कोई संशोधन पेश किया जाता है तो सरकार उसको यह कहकर टाला करती है कि यह रचनात्मक नहीं है यह तो विध्वंसात्मक है। मैं तो श्रीमन् परेशानी में पड़ जाता हूं कि आखिर इस माननीय मंत्री जी के विधेयक में कौन सा संशोधन रखा जाय, जिसको रचनात्मक संशोधन कहकर माननीय मंत्री जी स्वीकार करें। माननीय मंत्री जी की ओर से बराबर इस बात का सुझाव दिया जाता है और इस बात की दुहाई दी जाती है कि वह जितने कदम उठाते हैं वह सब किसानों के हित में ही उठाते हैं और जन विकास के लिये उठाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लगान की माफी की और लगान की कानून की धारा है उसमें यह बात मान ली गयी है कि अगर किसी फसल का आधा या आधे से ज्यादा नुकसान हो जाय तो लगान में छूट हो जायगी। जिस संशोधन पर मैं पहले बोला था वह माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन था। उसमें लगान को माफ करने की बात कही गयी थी उसको भी मंत्री जी ने नहीं माना था, क्योंकि वह अपनी हठवादिता पर दृढ़ थे। इससे न्यायपूर्ण संशोधन और क्या हो सकता है कि जिसकी फसल बरबाद हो जाय उससे लगान वसूल न किया जाय। मगर लगान वसूल न करने के संशोधन को न मानने के बाद उसको लगान भी देना पड़े और फसल नष्ट हो जाने के बाद जो छिड़काव का व्यय हो उसकी वसूली भी उस किसान से की जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य मानें। इसमें उनकी कोई बेइज्जती न होगी और न इसमें कोई लज्जा की ही बात है। अगर वे इस रचनात्मक सुझाव को मान लेंगे तो हम में उन्हें रचनात्मक सुझाव देने की इच्छा होती रहेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी मानें तब ना। माननीय मंत्री जी तो रचना को विध्वंस और विध्वंस को रचना मानते हैं।

मैं पुनः सदन का ज्यादा समय न लेकर माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी उन किसानों की सहायता करें जिनकी फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है और वे माननीय राम सुभग वर्मा के संशोधन को स्वीकार कर लें। उन्होंने अपने संशोधन में रक्खा है कि हानि की मात्रा अत्यधिक हो या संपूर्ण हो यानी आधे से अधिक या संपूर्ण हो तो औपचारिक उपाय का व्यय सरकार को न लेना चाहिये। होना तो यह चाहिये था कि उसका लगान भी माफ होता और दवा छिड़कने का दाम भी उससे नहीं लिया जाना चाहिये था, लेकिन जब मालगुजारी सरकार लेना चाहती है तो सरकार की कम से कम यह नीयत तो नहीं होनी चाहिये कि उसकी फसल के अत्यधिक या बिलकुल नष्ट होने पर उससे दवा का व्यय भी ले। इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को मंजूर करके एक सत् मार्ग का अवलंबन करें और यदि वे सत् मार्ग का अवलंबन करेंगे तो अवश्य ही वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन को हमारे पूर्व वक्ताओं ने बिलकुल साफ कर दिया है। मेरा प्रस्ताव यह है कि निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा। मेरा यह संशोधन बिलकुल सीधा-सादा है और इसको हमारे पूर्व वक्ताओं ने साफ भी कर दिया है, लेकिन कल माननीय मंत्री जी ने इसका विरोध करते हुए, उदाहरण यह दिया कि कोई आदमी बीमार हो और एक डाक्टर उसकी दवा करे, वह आदमी मर जाय तो क्या उसकी दवा का दाम नहीं दिया जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमार आदमी की दवा करने वाले डाक्टर पर उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर वह बीमार व्यक्ति उस डाक्टर के सारे परिश्रम करने के बाद भी मर जाता है तो वह डाक्टर नाकाबिल समझा जाता है और फिर उस डाक्टर से

[श्री रामसुभग वर्मा]

कोई भी आदमी दवा नहीं कराता और न उनके पास ही जाता तथा धीरे-धीरे उसकी डाक्टरी खतम हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से माननीय कृषि मंत्री जी भी अपनी दूकान को समाप्त करना चाहते हैं। कृषि मंत्री जी भी किसानों के डाक्टर हैं और वे जो इस प्रकार का कानून बनाते है वह किसानों के लिये उल्टा ही पड़ता है। यह कृषि रोगों का जो विधेयक यहां पेश हुआ है उससे यह मालूम होता है कि रोगों के बारे में किसानों को नोटिस दिया जायगा उससे उनकी परेशानी बढ़ जायगी। मान लीजिये किसी किसान के गन्ने के खेत में गेरुआ लग गया। आजकल अगर गेरुआ लग जाता है तो किसान लोग उसके पत्ते काट देते हैं और इस प्रकार से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो अगर किसी के खेत में थोड़ा सा गेरुआ लगा है या केवल एक या दो गट्टा में ही गेरुआ लगा है तो कोई भी कर्मचारी उसके पास जाकर यह कह सकता है कि तुम्हारे खेत में बीमारी है। इसकी रिपोर्ट करने के बाद मैं उसको नष्ट कराऊंगा। अब वह किसान सोचेगा कि फसल कटने के लिये तैयार है, अगर ऐसे समय में फसल बरबाद होती है तो वह भी बरबाद हो जायगा, इससे उसकी बचत के लिये मामले को ले देकर खत्म करा लो और इस प्रकार से वह मामले को ले देकर खत्म करा लेगा। इस तरह से एक प्रकार से बीमारी वाले मामले में किसानों को बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे केसेज हैं। माननीय मंत्री जी किसानों के डाक्टर हैं और अपने जाने वे किसानों की डाक्टरी करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अन्त में जाकर बीमारी के लिये वह दवा किसानों के उल्टा पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई कानून ऐसे पास हुए हैं, जो बाहर जाकर देखने पर गलत साबित हुए हैं। जैसे स्पेशल पड़ताल वाला कानून रहा है, उसके लिये सोचा गया कि इससे किसानों का भला होगा, जो गलत खाते हैं वे दुरुस्त हो जायंगे, लेकिन जब कानून पास हुआ तो यहां से लिखकर लेखपालों के पास गया कि वे मौके पर जाकर पड़ताल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या कहूं कि देहातों की हालत क्या है। स्पेशल पड़ताल के बाद इतनी गलती बढ़ गयी है कि आज गांव-गांव में, हर गांव में झगड़े, बलवे, फौजदारी और कत्ल तक की नौबत आ गयी है। तो यहां से यह सोचा गया था कि सारी गलती दुरुस्त हो जायगी, लेकिन उल्टा हुआ। ठीक उसी तरह से रेहन वाला कानून है। उसकी वजह से देहातों में तमाम झगड़े और गड़बड़ी पैदा हो गयी। तो उसी सिलसिले में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो दुनिया भर की बातें हैं, सरकार अनेक प्रकार के उपाय करती है और उसके बावजूद भी फसल आधी या उसके अधिक नुकसान की बात हो जाती है तो हमारा यह संशोधन है कि उस समय सरकार को औपचारिक व्यय माफ कर देना चाहिये। चाहिये तो यह कि लगान भी माफ कर दे लेकिन अगर वह न कर सके तो कम से कम बीमारी के दवादारू करने पर भी फसल नष्ट हो गयी तो उसका व्यय तो उसे माफ ही कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बिल्कुल सीधा सादा संशोधन है। अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है इस सम्बन्ध में मैंने कल अपनी बातें कह दीं। आज मैंने जो तकरीर सुनी उसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी और न इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जो हमारी दिक्कतें हैं उनको हल किया जाय। एक बात मुझे और नयी मालूम होती है कि जिस तरह से यह तरमीम रखी गयी है, मैं श्रीमान् की आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं--

खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप में रख दिया जाय--

"७-क--किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो..."

तो यह एक नयी धारा हमारे मित्र चाहते हैं कि बनायी जाय, लेकिन जितना कानून मैंने आज तक पढ़ा, कोई धारा हमने "किन्तु" से शुरू होते हुए नहीं देखी। आज तक किसी कानून में मैंने नहीं देखा, ताजीरात हिन्द की किताब को मैंने पढ़ा है, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट को भी पढ़ा है, सिविल प्रोसीज्योर कोड को पढ़ा है, क्रीमिनल प्रोसिज्योर कोड को भी पढ़ा है, दुनिया भर की किताबें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन किसी धारा को मैंने "किन्तु" से शुरू होते हुए नहीं देखा। तो इस तरह से जिस शक्ल में यह तरमीम रखी गयी है उस शक्ल में अगर इसको मान लिया जाय तो उस कानून की कैसी शक्ल हो जायगी, मैं नहीं समझता। तो ऐसी सूरत में इस ढंग की कोई धारा न कभी बनी है और न बनेगी। जहां तक मेरा ख्याल है। ऐसी सूरत में इस तरमीम को हम कैसे मंजूर कर लें। इच्छा तो हमारी थी कि हम कोई न कोई तरमीम मंजूर करें, लेकिन इस शक्ल में जब वह लायी जायगी तो हम कतई मजबूर हैं कि इसका विरोध करें। लिहाजा इसका भी मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप में रख दिया जाय--

"७-क--किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८--(१) धारा ७ में अभिदिष्ट कोई भी ऐसा अध्यासी उससे प्रथम बार ऐसे व्यय की मांग किये जाने पर मांग के दिनांक से ३० दिन के भीतर निम्नलिखित के आधार पर अपील कर सकता है कि-- व्यय के विरुद्ध अपील।

(क) व्यय के अन्तर्गत श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग से भिन्न अन्य परिव्यय की मदें भी हैं,

(ख) श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग के लिये परिव्यय अतर्क्य रूप से अधिक (unreasonably high) है अथवा वास्तविक व्यय से कहीं अधिक है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई कोई भी आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी तथा किसी भी विधि न्यायालय में उस पर आक्षेप न किया जा सकेगा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "उससे" निकाल दिया जाय।

यह बिल्कुल शाब्दिक संशोधन है, "उससे" के निकालने से कोई इसकी भावना या स्प्रिट में अन्तर नहीं पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "उससे" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा की अपील उस आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर, जिला जज के यहां हो सकेगी। जिला जज का निर्णय अन्तिम होगा।"

अध्यक्ष महोदय, जहां एजेंडे में "कर सकेगा" छपा है वहां मैंने "हो सकेगी" कर दिया है। इसमें यह रखा गया है कि जिलाधीश के निर्णय की कोई अपील नहीं हो सकेगी। मैंने संशोधन में रखा है कि जिलाधीश का जो फैसला होगा उसके पश्चात् ३० दिन के भीतर जिस कृषक के खिलाफ सजा, जुर्माना आदि की वसूली की व्यवस्था होगी उसके विरुद्ध ३० दिन के भीतर जिला जज के यहां अपील हो सकेगी। हम समझते हैं कि विधान सभा के सदस्य इस बात को मानते हैं कि जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव बाडी अलग होने चाहिए, तो मैं देखता हूं कि धारा ८ में जिलाधीश को ही फैसला देने का अधिकार है वही आर्डर देगा कि इस सम्बन्ध में कृषक से क्या व्यय लेना चाहिए जो कि उसके खेत से कीटाणुओं के मारने में खर्च हुआ है। और उसी का फैसला अन्तिम होगा इसलिये मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति हुक्म देगा यदि उसी के यहां अपील हुई तो कहां तक उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा यह सन्देहप्रद है। इसलिये मैं समझता हूं कि धारा २ में यह संशोधन हो जाय तो उत्तम रहेगा। धारा २ इस प्रकार है :--"(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।" तो जिलाधीश के फैसला दे देने के बाद जिला जज को ही अन्तिम फैसला देने का अधिकार होना चाहिये। क्योंकि जिलाधीश जो है वह अंधेरे में रह सकता है, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है कि वह अपने पावर्स को दूसरे को दे सकता है और जिलाधीश की आज्ञानुसार जब जो अधिकारी उसका निर्णय देगा या जो व्यवस्था करेगा तो अभी तक तो यही देखा गया है कि वह उसको डिटो ही करता है। यह बहुत कम होता है कि वह अपने निर्णय के विरुद्ध कोई फैसला दे। मैं समझता हूं कि जिला जज के यहां उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जुर्माना या व्यय प्राप्त करने की आज्ञा दी गई है जिला मैजिस्ट्रेट के फैसले की अपील होगी तो न्यायसंगत होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--(श्री गेंदा सिंह और श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप लोगों के संशोधन भी उसी प्रकार हैं। गेंदा सिंह जी का संशोधन तो कमिश्नर जो जिला जजों में से हो उसके यहां अपील हो ऐसा है और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का खण्ड को निकालने का है। तो (श्री गेंदा सिंह से) यदि आप अपना संशोधन उसी संशोधन में संशोधन करके पेश कर दें या स्वतन्त्र रूप से रख दें तो पहले उसको ले लें। यह जल्दी करने के ख्याल से सुझाव है। इसी तरह रामनारायण त्रिपाठी जी का भी है। अगर आप तीनों के संशोधन एक साथ आ जायं तो मैं तीनों को एक साथ सदन की राय के लिए रख दूंगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मेरे भी संशोधन का जो मंशा था मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन से मेरा काम चल जाता है। इसलिये मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की सारी योजना ही ऊलजलूल बनाई गई है। एक ओर तो सरकार दावा यह करती है कि धीरे-धीरे एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग कर दिया जायगा, लेकिन जब विधेयक बनाये जाते हैं तो एक ही अधिकारी को सब अधिकार दे दिये जाते हैं। इस वक्त मुझे महात्मा गांधी जी के शब्द याद आते हैं कि जिला मैजिस्ट्रेट अपने स्थान पर गवर्नर है। शासन के विकेन्द्रीकरण के दावे के बावजूद भी सरकार ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कलेक्टर के पास कोई एक प्रकार के अधिकार रहें। इसमें आपने देखा कि जिला मैजिस्ट्रेट ही तो आज्ञा देगा कि कहां यह विधेयक लागू हो। इसके बाद सारी कार्यवाही वह करेगा और उसके बाद अपील भी वही सुनेगा और माननीय मंत्री जी ने खंड ८ की उपधारा ३ में यह व्यवस्था कर दी है कि आगे कोई अपील भी नहीं होगी और न्याय के सारे दरवाजे बन्द हो जायेंगे तो इस किस्म के विधेयक को इस सदन में उपस्थित करने से सदन की मर्यादा नष्ट होती है और मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि जितने सिद्धान्तों की घोषणा की जाती है उनको मद्देनजर रख कर ही यदि विधेयक बनाये जायं तो उत्तम हों। जोरावर वर्मा जी ने जिला जज के यहां अपील करने की बात रखी है, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको कोई तकलीफ है और जिसके साथ ज्यादती की सम्भावना है, जिला मैजिस्ट्रेट अपने नीचे के अधिकारियों के आधार पर ही सारी कार्यवाही करता है और उसके पास इतने अधिक काम हैं कि अगर वह सिर्फ खतों को ही पढ़ना शुरू कर दे तो वह सुबह से शाम तक खत ही पढ़ता रहे, तो ऐसी सूरत में न्याय की दृष्टि से और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी जिला मैजिस्ट्रेट के पास अपील नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हो सकता है कि जिला मैजिस्ट्रेट सही न्याय न दे सके तो ऐसी हालत में जिला जज के पास ही अपील की व्यवस्था होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी को इस संशोधन को मानने में कोई एतराज न होगा।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्रिमिनल ला जहां तक समझा है बड़े बड़े मामलात में अगर ५० रुपये जुर्माना कर दिये जाते हैं तो उसकी कोई अपील नहीं है, रिवीजन हो सकता है, लेकिन अपील नहीं होती। यह जब साधारण सा कानून है एमर्जेन्सी की हालत में यह कानून लागू होगा और ५० रु० इसमें मेक्जिमम जुर्माना रखा गया है तो वाकया यह है कि सीरियस केसेज में भले ही मेक्जिमम जुर्माना हो जाय वर्ना कहीं १०, कहीं ५ और कहीं १५ रुपये जुर्माने होते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी धारा ९ पर भाषण दे रहे हैं जब कि धारा ८ पर विचार हो रहा है, जो कि जुर्माने की वसूली से सम्बन्ध रखती है।

श्री हुकुम सिंह—मैं इसके बारे में मान गया। यह जुर्माना ऐसा जुर्माना नहीं है जो किसी जुर्म के एवज में वसूल किया जाय, बल्कि जो अखराजात होंगे वे लिये जायंगे चाहे १०० हो या ५०० हों। अखराजात के सम्बन्ध में फिर एक अपील कलेक्टर के यहां होगी। इतना बड़ा और अहम मामला नहीं कि जज के यहां अपील हो। गेंदा सिंह जी कहते थे कि कमिश्नर के यहां हो। एक नया जज कमिश्नर नियुक्त किया जाय। वह भी तरमीम इसमें थी लेकिन वह समझते हैं कि जज वाले से हमारा काम चल जायगा। तो ऐसे साधारण काम में और एमर्जेन्सी मेजर्स में दो अपीलें प्रोवाइड करना कहां तक मुनासिब होगा जब कि आम तौर से शिकायत हुआ करती है कि जस्टिस बड़ा महंगा है, न मालूम कितनी कितनी अपीलें प्रोवाइडेड हैं। तमाम कमेटियां बैठीं और कुछ कमेटियों की राय है कि अपीलें

[श्री हुकुम सिंह]
ज्यादा न हों। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें एक ही अपील होनी चाहिये, कानून जानने वालों की ऐसी भी राय है। ऐसे साधारण से काम में एक कलेक्टर के यहां अपील हो। ३० दिन में वह दाखिल हो और उस पर फिर आर्डर हो। फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील हो। वकीलों के यहां बड़ी परेशानी हो, हैरानी हो और इधर घर में बीमारी फैली हो, फसल नष्ट हो रही हो और उधर बड़ी से बड़ी मुकदमेबाजी में उसे मुब्तिला कर दीजिये। इसका यह असर होगा। लिहाजा ऐसी हालत में लिटिगेशन बढ़ाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री से मैं यह उम्मीद नहीं कर सकता कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का नाम आ जाय वहां किसी तरह भी एक रत्ती अधिकार कम करने की बात वे मंजूर कर लें। कलेक्टरों का माननीय मंत्री जी से जो रिश्ता है वह मुझे मालूम है। इसलिये मैं उनसे ऐसी उम्मीद कर तो नहीं सकता, लेकिन उन्हीं की आसानी के लिये चूंकि कुछ उनकी फिक्र हमको है, उनकी बुजुर्गी और उनकी सब बातों को ध्यान में रख कर और जब कि इस विधेयक के वे सर्वेसर्वा हैं तो इस विधेयक के ऐक्ट बन जाने के बाद लोगों को अगर तकलीफ होती है तो उस तकलीफ का कुछ कसूरमन्द उन्हें कहा जायगा और हमें भी कसूरमन्द कहा जायगा। इस विधेयक में जहां कहीं भी बीमारी पहचानने की बात आई तो कलेक्टर को अधिकार होगा, देखेंगे तो विशेषज्ञ, लेकिन अधिकार होगा कलेक्टर को कि वह घोषणा करे कि बीमारी आई है या नहीं, बीमारी दूर करने के लिये उसका इलाज कराने के लिये भी कलेक्टर ही घोषणा करेगा। कोई काम अदना से अदना और आला से आला सब कलेक्टर पर ही छोड़ा जा रहा है। उसमें मैंने बहुत अर्ज व मिन्नत की कि कहीं इस कानून में खेतीबारी से ताल्लुक रखने वालों को भी रख दीजिये। वह इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर खेती-बारी को वह नहीं जानता, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर का इससे ताल्लुक नहीं रहेगा, डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर हर जिले में हैं नहीं। इस प्रकार कोई न कोई बात कह कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नायक बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किसी तरह से भूलना नहीं चाहते। अगर डिस्ट्रिक्ट जज को हिसाब-किताब देखने का अख्तियार हो जाय, अपील सुनने का उसको अख्तियार हो जाय, जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है उसमें सारी बातों को देख रेख कर रखा है, ताकि ऐसी बात न हो कि लिटिगेशन हो जाय और हाई कोर्ट तक जाय। जिले में ही जज का इजलास हुआ करता है और जिले का जो भी आदमी होता है, उसको कहां बीमारी, महामारी हो रही है पता चल जाता है। खेती-बारी के सम्बन्ध में भी उसे मालूम हो जाता है, वह रोज मुकदमे सुनता है, जज भी तो ऐसा समझा करे कि उससे जनता का सीधा सम्बन्ध है। इसलिये हम समझते हैं कि जज को इस काम को सुपुर्द कर दिया जाय। सिर्फ इतना कि खर्च में अगर कलेक्टर ही फैसला दे तो वह उस मामले में अपील कर सके। मैंने कमिश्नर को रखा था। वह मुझे अव्यावहारिक मालूम हुआ कि कमिश्नर जो है जज में से मुकर्रर कर दिया जाय तो मैंने माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन में अपने को मिला दिया। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि एक आध, दो संशोधन स्वीकार करने की तो मेहरबानी करें। अगर उसमें कहीं कलेक्टर के अख्तियारात छिन जाते हों तो उन्हें बरदाश्त करें। कहीं फिर दूसरे रोज कलेक्टर को अधिकार देना होगा। दे देंगे। इस जमाने का जो कलेक्टर है वह तो भगवान है, खुदा मियां है। इस हकूमत में क्या अख्तियारात हैं उसको कहना मुश्किल है। इसलिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उनसे कहूंगा कि हर मामले में कलेक्टर मत बताया करें, कुछ लोगों पर भी जिम्मेदारी डाला करें। इससे काम आसानी से चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनसे विचार करने के लिए आग्रह करूंगा।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)——मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हूं। मैं मंत्री महोदय के भाषण पर यह सोचता रहा और विचारता रहा कि जो तर्क वह दे रहे हैं उसमें कितना सार है। यह दुख के साथ मुझे कहना होता है कि उसमें मने कोई ऐसा तर्क नहीं पाया न कोई ऐसा सार पाया, जिससे मैं उन तर्कों को स्वीकार करता। मान्यवर, उन्होंने कहा कि नौ की लकड़ी और ९० खर्चा। यह मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि यह किसी के लिये लाजमी नहीं है, मेंडेटरी नहीं है, किसी को विवश नहीं किया जाता है इस खंड द्वारा कि वह अपील अवश्यमेव करे। यदि निर्णय उसके विपरीत है, वह समझता है कि खर्चा अत्यधिक मांगा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिये एक उपाय होना चाहिये कि वह जा कर के किसी भी अपीलेट कोर्ट के सामने फरियाद कर सके। मान्यवर, भारत में, कांस्टीट्युशन में एक डाइरेक्टिव है कि जहां तक हो सके एक्जिक्युटिव और जुडिशियरी प्रथक रखी जायं। और इसकी कांग्रेस पार्टी और यह सरकार बराबर घोषणा करते आये हैं। और संविधान को देखते हुए वह विवश भी हैं कि उन रास्तों पर कदम बढ़ायें, परन्तु दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि एक्जीक्यूटिव को जहां, अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है साथ ही साथ उन पर जुडीशल डिसीजन्स का भी भार रखा जा रहा है। मान्यवर, एक बात जो सबसे आवश्यक है इस समय, वह यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर यह अपील जाती है तो डिस्ट्रिक्ट जज और अपील करने वाला, दोनों को यह संतोष रहेगा कि जुडीशियरी के पास वह गयी और यदि फैसला उसके माफिक होता है तो भी वह प्रसन्न और यदि उसके खिलाफ हुआ तब भी उसको कुछ शांति होती है कि एक्जीक्यूटिव ऐक्शन ऐसा हुआ कि जो ठीक था इसलिये कि जुडीशियरी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव एक्जीक्यूटिव का नहीं था और उसकी राय यही रही। श्रीमन्, प्रायः होता क्या है बहुत सी पावर्स तो डेलीगेटेड हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटकी बहुत सी पावर्स डेलीगेट हो कर सबार्डिनेट के पास जाती हैं और बहुत सी जगह ऐसा है कि जहां पर उन सबार्डिनेट्स को या एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को एक अख्तियार होता है और जिसकी अपील डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुनता है। ऐसी परिस्थिति में जब कि यह खर्चे का सवाल है और सब कुछ बरबाद होने के बाद पहले तो सरकार को खर्चा मांगना ही नहीं चाहिये था, लेकिन संशोधन वह नहीं है, परन्तु आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं इस विषय पर कि कहीं भी, जहां पर आप इन्वालन्ट्री लेबर लें या कोई काम विवश हो कर उसे करना पड़े, तो उस परिस्थिति में उस पर एक बोझ और लादना कि वह खर्चा भी अदा करे, मैं समझता हूं कि सिद्धांततः ठीक नहीं है। परन्तु यदि यह सरकार जो कि सिद्धांतों को तिलांजली देने में सदैव ही समर्थ रही है, चाहती है, तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि लोगों के संतोष के लिये इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

माननीय जोरावर वर्मा जी का संशोधन निर्दोष है, इन्नोसेंट है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको स्वीकार करने में सरकार को कोई विशेष आपत्ति हो। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रखते हैं और वह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को भी एपीलेट पावर्स दी जायं। कोई फरीक के लिये मजबूरी नहीं है कि वह जरूर जाय। खर्चा अगर वह समझता है कि ठीक है तो उसको उस के ऊपर कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है और वह अदालत में नहीं जायगा। लेकिन अगर वह समझता है कि खर्चा ज्यादा है, ठीक नहीं है तो उसको एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिये कि जिससे वह जुडीशियरी में जा कर इन्साफ और न्याय की मांग कर सके और इस विश्वास के साथ कि न्यायालय जो है वह हम को उचित रूप से न्याय देगा। श्रीमन्, होता यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 'मैंने माना' कि बहुत सी जगह वह एक्जीक्यूटिव की हैसियत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

से काम करते हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं कि जब उनका डिसीजन जुडीशियरी का डिसीजन होता है और बहुत से ऐसे स्थान होते हैं कि जब वह क्वासी जुडीशियल डिसीजन दिया करते हैं। बहुत से स्थानों पर वह बहुत से रूप धारण किया करते हैं और उनके निर्णय के अनेकानेक रूप होते हैं और वह मुनहसिर होता है किसी विशेष विधेयक पर। ऐसे स्थान पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं उसको अपने सबार्डिनेट्स के निर्णय के विरुद्ध जाने में बहुत कठिनाई होती है।

वह यह समझता है कि जो उसके सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स निर्णय दे चुके या कोई भी पदाधिकारी जो उनके नीचे है, वह निर्णय दे चुका है तो उनको एक मानसिक आपत्ति उत्पन्न होती है कि उस वक्त रोल तो उनका जुडिशियल होता है पर ऐक्जीक्यूटिव हेड होने के नाते वे कार्य भूल नहीं पाते। तो स्वाभाविक जो होता है उस समय वह यह है कि "ही इज आलमोस्ट आन दी होर्न्स आफ ए डायलेमा।" वह किंकर्तव्य विमूढ़ होकर अपना न्याय जुडिशियल डिसीजन्स के आधार पर नहीं दे पाता है बल्कि कहीं कहीं थोड़ा सा टिंज उसके द्वारा दर्शाया जाता है कि वह अपने को ऐक्जीक्यूटिव हेड समझने की कोशिश करता है सदैव और वह अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। अतः जुडिशियल डिसीजन्स जो हैं उन पर अधिक महत्व देना आजकल इस वातावरण में कलेक्टर के लिये थोड़ा सा दुष्कर और कठिन होता जा रहा है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स पर ज्यादा बोझ न लादें। श्रीमन्, हो क्या रहा है कि हर जिले में आप यह देखिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स ज्यादा हे। मैंने यह माना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट आफिसर जो है उसको आप ऐडमिनिस्ट्रेशन में भुला नहीं सकते हैं, इगनोर नहीं कर सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते हैं, कहीं न कहीं उनकी झलक हर अधिनियम में पायी जा सकती है और भूत में पायी गयी, वर्तमान में पायी जाती है और भविष्य में भी पायी जायगी। परन्तु साथ ही साथ यह देखना है कि क्या वह बोझ जो कलेक्टर पर लादा जा रहा है उस बोझ को संभालने के लिये उसके पास अवकाश है। जिसको कि ओवर बर्डन कहते हैं, अदालतों में अब कलेक्टर का जाना कहीं एक दिन हफ्ते में और वह भी बमुश्किल तमाम होता है। यह नहीं कि वह जाना नहीं चाहता, वह विवश है, इतने काम उसके पास हैं, इतना बोझ है और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वह मजबूरन पेशकार को बंगले से टेलीफोन करे या चपरासी द्वारा यह हुक्म जाता है कि मुकदमों की तारीखें जो हैं वे बढ़ा दी जायं। किसी कलेक्टर के लिये अब उनसे जुडिशियल डिसीजन्स के लिये समय लेना और सचमुच यह समझना कि उस काम को वे सुचारु रूप से भविष्य में कर पायेंगे मैं समझता हूं यह ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक सोचने की बात होती जा रही है। मैं केवल वादविवाद के लिये श्रीमन्, यह आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके द्वारा इस सरकार को यहां बताना चाहता हूं कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है जिसके लिये सरकार आंखें मूंद कर अपने स्थान पर नहीं बैठ सकती है बल्कि उसे देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स मैजिस्ट्रेट पर जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितना भार है, या तो उसमें न्यूनता की जाय या वह दूसरे के हाथ उसको बांटा जाय या कोई न कोई ऐसा रूप किया जाय, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जो काम हो वह सुचारु रूप से कर सके, सिर्फ डाक का देखना, मिनिस्टरों की आमद में पहुंचना, उनका स्वागत करना और......

श्री अध्यक्ष--आप असंगत हो रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, मैं इस वजह से कह रहा था कि उनके पास काम हैं वे मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो कि जुडिशियल, ऐक्जीक्यूटिव के अलावा भी उसके सामने आ जाते हैं जो उसके लिये सम्भव नहीं कि वह अपना कार्य भली भांति कर सके और सरकार इस पर विचार करे और अगर कोई रास्ता निकालती तो मैं समझता हूं कि उत्तम होता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना। मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने क्रिमिनल ला की बात यहां कही। मैंने तो ला आफ ह्यूमैनिटी की बात कही थी कि वह मनुष्य दैवी कोप से या प्रकृति के प्रकोप से दुखी है, उसके खेत में कीड़े लग गये हैं या कोई बीमारी लग गयी है तो उससे वह दुखी हो गया है और फिर डी० एम० की हुकुमउदूली होने पर, अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर दंड होगा, उसके लिये मैंने अपना यह संशोधन रखा था लेकिन उन्होंने एक क्रिमिनल ला की दृष्टि से उसे देखा और उस दुखी किसान की उपमा एक अपराधी से दे दी। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल ला में ऐसा कोई प्राविजन नहीं है कि जहां ५० रु० की अपील जज के यहां होती हो। मैं तो चाहता था कि मंत्री जी इसको कम से कम उस क्रिमिनल ला की दृष्टि से न देखते तो अच्छा होता। यह मेरी समझ में नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसकी हुकुमउदली की गयी है उसी अपराध में वह दंड देता है तो वैसी परिस्थिति में उसी डी० एम० को रिवीजन देने से वह उसे कैसे स्वीकार कर लेगा। यह मेरी समझ में नहीं आया, हां माननीय मंत्री जी ने इसके उत्तर में यह अवश्य प्रकट कर दिया कि उन्हें ला का और विशेषतः क्रिमिनल ला का बहुत अच्छा अध्ययन है। मैं तो उनसे फिर भी यही अपील करूंगा कि मेरा यह संशोधन बहुत ही निर्दोष है और कृषकों के हक में है खासकर के उन गरीबों के हक में जिन पर दैवी कोप हुआ है, जिनके खेत रोग से या कीड़े से बरबाद हो गये हैं और डी० एम० की आज्ञा से उनको बरबाद करने का हुकुम हो गया है। इसलिये मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि वह इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह—अब मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्न रूप में रख दिया जायः—

"(३) उपधारा (२) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा की अपील उस आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर, जिला जज के यहां हो सकेगी। जिला जज का निर्णय अंतिम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९—(१) यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को संतोष हो कि—

(क) किसी अध्यासी ने धारा ४ के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति ने धारा ४ के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं दी है, तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की शास्ति (penalty) अदा करने की आज्ञा दे सकता है।

आदेश को कार्यान्वित न करना अथवा सहायता न देना।

(२) उपधारा (१) के अधीन शास्ति अदा करने की आज्ञा अंतिम तथा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय में आक्षेप न किया जा सकेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन शास्ति मालगुजारी की बकाया की भांति (as arrears of land revenue) वसूल की जा सकेगी।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रकार से संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "को" और शब्द "संतोष" के बीच में शब्द "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति तथा विवशताओं को सुनने के पश्चात्" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने संशोधन पेश किया है इस संशोधन में से दो शब्द मैं आपकी आज्ञा से निकाल देना चाहता हूं "तथा" और "विवशताओं" क्योंकि इसके पश्चात् यह संशोधन रह जाता है "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति को सुनने के पश्चात्" आपत्ति में यह तमाम बातें आ जायंगी। इस संशोधन को रखने का कारण यह है कि जब संबंधित अधिकारी किसी स्थान पर कोई अपनी आज्ञा देता है ५ मील के अन्दर या किसी स्थान पर तो ऐसे भी अनेक कारण हो सकते हैं कि वहां के रहने वाले उस काम को किसी विशेष कारण से न कर सके और ऐसे अवसर अनेकों आ सकते हैं कि उन पर ५० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तो मेरी समझ में यह आवश्यक है कि उन पर जुर्माना होने से पहले ऐसे व्यक्ति को जो आपत्ति हो वह सुन ली जाय जिस से कि कोई अन्याय उनके ऊपर न हो सके।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज क्रिमिनल केसेज की तारीफ में आये हैं और उनके लिये जो प्रोसीजर है वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। या तो समन्स केस का प्रोसीजर होगा या वारंट केस का प्रोसीजर होगा, जिनमें अभियुक्त के बयान होते और सुने जाते हैं। इसकी आवश्यकता तो इसलिये नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं अपने मित्र के इत्मीनान के लिये यदि वह अपने संशोधन को इस प्रकार से संशोधित कर ले तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे कि "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति सुनने के पश्चात्" इसी को रहने दें। संशोधन में से, "तथा विवशताओं" को निकाल दें। वह कोई लीगल टर्म नहीं है और उसके निकालने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस शक्ल में रखा जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र--मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं संशोधित रूप में पेश किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "को" और शब्द "संतोष" के बीच में शब्द "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति को सुनने के पश्चात्" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "दी है" के बाद शब्द "और पुरुष किसान है" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, यह बहुत ही छोटा संशोधन है। जो धारा ९ (ख) का रूप है वह इस प्रकार है, "किसी व्यक्ति ने धारा ४ के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं दी है तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की शास्ति (पेनाल्टी) अदा करने की आज्ञा दे सकता है।" इसमें ५० रुपये की पेनाल्टी की बात कही गयी है और मैं यह चाहता हूं कि ५० रुपये की पेनाल्टी वाली इस धारा में "पुरुष किसान" बढ़ा दिया जाय, जिस स्थान पर मैंने आपको बतलाया। श्रीमन्, अगर आप धारा ४ (ख) देखें तो वह इस प्रकार है, "किसी पुरुष को, जिसकी आयु १० वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे।" तो यहां पर "पुरुष किसान" एक विशेष वर्ग से संबंधित है। इसी तरह से यहां ९ (ख) भी पुरुष के लिये हो। यदि वह व्यक्ति पुरुष किसान हो तो जो प्रतिबन्ध धारा में लगाया गया है वह लागू किया जाय। स्त्री हो तो नहीं। इसका कारण भी है। स्त्री यदि किसान है तो वह किस तरह की खेती करती है, यह हम सभी को और माननीय मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ज्ञात है। खास मध्यम वर्ग से आने वाली या ऊंचे वर्ग से आने वाली स्त्री जो किसानी का काम करती है और दैवयोग से उसके परिवार के अन्य लोगों से उसका सम्बन्ध छूट जाता है तो उसकी खेती दूसरों के कब्जे में जाती है। यदि रह भी गयी तो उसको लूटने वाले अनेकों तैयार हो जाते हैं। तो यह डर है कि यदि यह धारा पास होगी तो वह स्त्री, जिसे हमारे समाज ने और हमारे धार्मिक ग्रंथ ने अबला के नाम से पुकारा है वह इस धारा के द्वारा हो सकता है कि सरकारी अधिकारियों के पद के दुरुपयोग के कारण कभी-कभी सतायी जाय। इसलिये मैंने यहां पर यह रखा कि 'पुरुष किसान' बढ़ा दिया जाय, जिससे स्त्री किसान के ऊपर अत्याचार न हो। आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ४ की उपधारा (१) खंड (ख) में यह दिया हुआ है, "किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे"। यह धारा सदन पास कर चुका है और लीगल टर्म में पुरुष के माने स्त्री, पुरुष सब के लिये इस्तेमाल होता है जैसा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में है। तो अब उस धारा के पास करने के बाद डायरेक्शन तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन की पाबन्दी न करे....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह खत्म हो सकता है अगर "व्यक्ति" की जगह पर "पुरुष" यहां पर भी कर दें। अगर "पुरुष" का अर्थ दोनों से है तो यहां भी वही अर्थ रहेगा।

श्री हुकुम सिंह--जब हम वहां पर स्त्री पुरुष दोनों के लिये रख चुके हैं तो यहां अगर व्यक्ति ही रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं मालूम होती, क्योंकि वह नहीं इसे पसन्द करेंगे, वह अपनी तरमीम के द्वारा चाहते हैं कि स्त्री हो तो जुर्माना न हो, पुरुष हो तभी हो।

श्री रामेश्वरलाल--हम मान लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--ठीक है, तो मान लीजिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जब इस ऐक्ट की व्याख्या होने लगेगी तो किसी पुरुष जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, मगर महिला के लिये कुछ नहीं है। तो महिला से तो वह १८ वर्ष से कम की आयु में भी काम ले सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से कानून का अर्थ मैजिस्ट्रेट लगाते हैं उसको देखते हुये ऐसा अनर्थ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--वह तो यह कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों उसमें आते हैं।

श्री राजनारायण--जो रामेश्वर लाल जी का संशोधन है उसमें जहां तक मैं समझ रहा हूं वह महिलाओं को बिल्कुल बरी करना चाहते हैं। तो उतने से ही काम नहीं चल पाता है।

श्री अध्यक्ष--वह तो रामेश्वर लाल जी को सोचना है।

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, यदि माननीय मंत्री जी "व्यक्ति" की जगह पर "पुरुष" मान लें तो मैं अपना संशोधन वापस लूंगा।

श्री हुकुम सिंह--कोई हर्ज नहीं, पुरुष रख दिया जाय।

(सदन की अनुमति से श्री रामेश्वर लाल ने अपना संशोधन वापस लिया।)

श्री अध्यक्ष--ठीक है, तो मैं इस तरह से प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "पुरुष" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड ६ के उपखंड १ के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "व्यक्ति को" के बाद के कुल शब्दों के स्थान पर शब्द "उसके जोत की जमीन उसके लाभ संबंधित कार्यों से औसत आंक कर १ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उसके पूर्ण या आंशिक खाते पर जुर्माना कर सकता है" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और जो इस विधेयक में ५० रुपये जुरमाने की व्यवस्था की गयी है, इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन ऊपर आ चुके हैं और मंत्री जी ने उनको स्वीकार भी किया है। मैं माननीय मंत्री जी के विचारों से एकदम असहमत न होते हुये अपना संशोधन रखता हूं। श्रीमन्, मैं इतना चाहता हूं कि एक आदमी जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करने के लिये हुक्म देता है और वह काम नहीं करता है ऐसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ज्ञात होता है तो वह उस पर ५० रुपये जुरमाना न करके उसकी खेती-बारी, उसकी आमदनी और उसकी जायदाद से संबंधित आय पर जुरमाना करें। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी क्षेत्र में ऐसे धनी लोग हो सकते हैं जो यह उपाय करें कि वह उस काम से बच जायं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबर्दस्ती किये बिना काम करना पसन्द नहीं करते हैं। मेरा मतलब उन लोगों से है जो समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी से निवेदन करूंगा कि प्रान्तीय सरकार ने जो प्रान्तीय रक्षा समाज की स्थापना की है तो बहुत से गांव ऐसे हैं जिनकी रक्षा की आवश्यकता है वह तो काम करते नहीं है और जो धनहीन हैं, जिनके घर में चोर कभी नहीं घुस सकता है वह काम करने के लिये विवश किये जाते हैं थाने के सिपाहियों द्वारा या थाने के इंस्पेक्टर द्वारा इसलिये मुझे शंका है श्रीमन्, कि यह जो ५० रुपये वाली बात है इससे तो जो समर्थ हैं जो अपने को अब तक किसी न किसी प्रकार से काम करने से बचाते चले आये हैं वही अब भी बच जायेंगे, इसलिये हमने संशोधन रखा है कि उनकी खेती, जायदाद, जमीन वगैरह से जो लाभ हो यानी जितने एकड़ उनकी जमीन हो उतने ही रुपये जुरमाने होने चाहिये। अगर कोई राजा महाराजा एक हजार एकड़ जोतता है तो उस पर एक हजार रुपया जुरमाना होना चाहिये और दो हजार एकड़ वाले पर २,००० रुपया जुरमाना होना चाहिये जो ऐसे कामों में जनता का सहयोग न दें तो सरकार को अधिकार है कि दो हजार रुपये तक उस पर जुरमाना करे। अगर कोई गरीब किसान है जो एक-दो बीघे जोतता है तो उस पर दो चार आने ही जुरमाने होने चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को हमारा संशोधन खटकेगा लेकिन इससे प्रांत की जनता के साथ न्याय होगा जो लोगा ज्यादा आमदनी करते हैं अगर वह सरकारी आदेश का पालन न करें तो सख्त से सख्त सजा दी जाय।

मुझे मालूम है कि बाहर के देशों से मुझे जानकारी मिली है कि वहां देश की आम जनता के लाभ के खिलाफ बहुत से लोग जो कुकर्म करें या जनता का सहयोग न दें वहां की सरकार बराबर इस तरह से लोगों को सजा देती रही। हमने अखबारों में देखा कि जिस समय वहां पर ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी तो बहुत से लोगों को जनता के सामने फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया।

श्री अध्यक्ष--अभी आप और समय लेंगे?

श्री रामेश्वरलाल--जी हां, अभी तो मैं १०, ५ मिनट और लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो आप लंच के बाद जारी रखियेगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ७० (क) पर जुर्माने के सम्बन्ध में जितने संशोधन हैं वह सब एक साथ लिये जायेंगे जो अपना संशोधन पेश करना चाहें वह सब एक साथ पेश कर दें और उन पर एक साथ विवाद होने के बाद उन पर राय ली जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन के पक्ष में अपने विचार सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि वह आदमी जो खेती बाड़ी नहीं करता उस पर किसी भी प्रकार का कर न लगाया जाय। दूसरे मेरा मंशा यह कि जो लोग उस प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते उन पर अधिक से अधिक कर बांध दिया जाय और औपचारिक व्यय लिया जाय। इसके साथ हमने इस संशोधन में यह भी रखा है कि यदि किसानी के बाद उस आदमी के पास और भी ऐसे पेशे हैं, जैसे बहुत से लोग मिलें भी चलाते हैं, उससे यदि उचित समझा जाय तो और भी पेशों पर व्यय लिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इससे कानूनी उलझनें पैदा होंगी और यह बेमानी है। यह सदन एक बार निश्चित कर चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिलाधीश आदेश दे सकता है चाहे वह काश्तकार हो या न हो। यह संशोधन जो हम पहले निश्चित कर चुके हैं उसके प्रतिकूल पड़ता है। यानी, जिस किसी के पास खेत नहीं है उससे कोई सहायता नहीं ली जा सकती और न उससे कोई पेनैल्टी ही ली जा सकती है। दूसरे, कानून में पेनैल्टी हमेशा जुर्म के अनुसार अदालतें तय किया करती हैं। उस समय उसके पास कितना खेत हो, यह खसरा और खतौनी मंगाकर देखना और फिर पेनैल्टी तय करना, आज तक ऐसी किसी भी कानून में नहीं है कि जो दुनिया भर में या इस प्रदेश में बने हैं। आई० पी० सी० या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसी भी कानून में ऐसा नहीं है। पेनैल्टी दी जाती है जुर्म के मुताबिक। एक एकड़ पर एक रुपया के हिसाब से २५ एकड़ पर २५ रुपये और ५० एकड़ पर ५० रुपये हो गये। अदालतें ४,६ रुपया जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार टैक्स करती हैं। यानी पेनैल्टी लगाती हैं। फिर जुर्म कैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, किस परिस्थिति में उसने सहायता देने से इनकार किया, ये सब बातें देखने की हैं। अदालतों के लिये एकड़ का बंधन लगाना ठीक नहीं है। ऐसा कानून कभी नहीं बनाया जा सकता है और यह कानून बनाने की शैली के विरुद्ध है। यह संशोधन अव्यावहारिक है। इन बातों को कहकर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं कि सदन को इससे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के खिलाफ मुख्य-मुख्य बातें तो मौर्य जी ने बतला दी हैं। मुझे इसमें कोई विशेष बात नहीं कहनी है। यह अपने ढंग का एक निराला ही संशोधन है। और सबूतों के साथ इस संशोधन को मानने से एक सबूत यह भी देना होगा कि फलां शख्स की इतने एकड़ जमीन है और नुकसान का भी कुछ सबूत देना होगा कि इतने परसेंट हुआ। इसमें यह है कि हर शख्स का बराबर है करीब करीब वैसे तो बेचारे पर थोड़ा ही जुर्माना होगा लेकिन इस संशोधन से अदालत मजबूर होगी ज्यादा जुर्माना करने के लिये। इस संशोधन को न मानने से थोड़े ही जुर्माने से काम चल जायगा। इसलिये यह संशोधन मानने के काबिल नहीं है। यह कानून की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से भी ठीक नहीं बैठता है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय रामेश्वरलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि अच्छा हो यदि वह अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करें। अब भी मौका है और यदि वह मेरी गुजारिश कबूल करेंगे तो मैं माननीय सदन से दरख्वास्त करूंगा कि उनको यह संशोधन वापस लेने की अनुमति दे। इसके अलावा मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की ओर से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर जैसा कि आपने स्वतः पढ़ कर सुनाया बहुत से सम्मानित सदस्यों ने संशोधन दिये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

करीब १० संशोधन इस पर होंगे। इससे कम से कम इतनी बात तो लोगों को मालूम हो ही जाना चाहिये कि यह इस बिल की बहुत महत्वपूर्ण धारा है। यदि यह महत्वपूर्ण धारा न होती तो इस एक धारा पर १० व्यक्तियों के नाम से संशोधन न होते।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—महत्वपूर्ण केवल इसलिये है कि आप खड़े हुये हैं।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—बीच में इंटरप्शन तो होता ही है। आप जारी रखिये।

श्री राजनारायण—श्री रामनरेश जी ने न मालूम क्या कहा। मुझे इतना तो मालूम होता है कि वे भी मेरी इस बात की ताईद करते हैं कि विधेयक की यह जो धारा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिये इस पर इतने ज्यादा संशोधन आये हैं। श्री राम नरेश जी मेरी इस बात के समर्थन में हैं इसकी मुझे बड़ी खुशी है। इस पर माननीय मौर्य जी ने, माननीय गेंदा सिंह जी ने माननीय रमेशचन्द्र शर्मा ने, माननीय शिव कुमार शर्मा ने आदि लोगों ने संशोधन दिये हैं। जो यह संशोधन दिये गये हैं उनको कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। श्री शिव कुमार शर्मा जी ने जो संशोधन दिया है उसमें ५० रुपये के स्थान पर १०० रुपया रखने के लिये कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—वे संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसलिये उनका हवाला देना मुनासिब नहीं है।

श्री राजनारायण—जो तरमीम आयी थी उनमें से कुछ में जुर्माना बढ़ाया गया था और कुछ में जुरमाना कम किया गया था। हमें यहां देखना यह है कि आखिर यह ५० रुपये की जगह १०० रुपया रखना और ५० रु० की जगह १५ रुपया रखना क्यों रखा जाता है। इसके अतिरिक्त क्या कारण है कि कोई दूसरा आदमी प्रापोर्शनेट सिस्टम क्यों रखना चाहता है। इन सब के विरुद्ध जितने भी तर्क दिये गये हैं उनको मैं नहीं समझ पाया। माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन पर बोलते हुये सारी दुनिया के कानूनों और विधानों का हवाला दे डाला और कहा कि कहीं भी प्रपोर्शनेट सिस्टम अडाप्ट नहीं किया गया और माननीय मंत्री जी ने मौर्य जी का समर्थन कर दिया। मगर मैं माननीय मौर्य जी को बता देना चाहता हूं कि अगर वे टैक्सेशन प्रणाली को देखें उसमें भी इसी नीति पर चला जाता है। लेकिन यह कांग्रेस सरकार इक्वेल सेक्रीफाइस के सिद्धांत पर चलती है। चाहे किसी की आमदनी १ हजार हो, ५०० हो, १०० हो या १० हो सबको एक बराबर ही टैक्स देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रपोर्शनेट सिस्टम आफ टैक्जेशन सब जगह लागू है। उन्हें तो आज एक्जेम्पशन के सिद्धांत को मानना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है वे कुछ भी देने से बरी होने चाहिये। इस सिस्टम को तमाम प्रगतिशील विचारधारा के लोग मानते हैं। यदि यह सरकार अपने को प्रगतिशील कहती है तो इसको इस सिस्टम को मानना चाहिये और इसके द्वारा मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन की ओर संकेत करता हूं। फिर मैं माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य से यह निवेदन करूंगा कि मालूम होता है कि वे माननीय कृषि मंत्री के पास बैठ गये हैं और इसका असर उन पर भी पड़ जाता है इसलिये वे ऐसी बात कह जाते हैं, जिसको कम से कम माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य को तो नहीं ही कहना चाहिये। वे जानते हैं कि आज के जमाने में, आज की परिस्थिति में समाज का एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही पीड़ित है, उत्पीड़ित है, जिसके पास एक पैसा भी देने की कुव्वत व ताकत नहीं है तो उन पर भी सरकार वही टैक्स लगावे और जिनके पास अपार संपत्ति है, अतुल सम्पत्ति है, जिसके पास जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े भी हैं, जिसके पास धन पैदा करने के दूसरे साधन भी हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, बड़ी-बड़ी मिलें हैं, बड़े-बड़े कारखाने हैं, और जिनका बैंक में रुपया जमा है, ऐसे लोगों पर भी वही ५० रुपया टैक्स लगे, तो श्री रामेश्वरलाल जी ने जो

संशोधन रखा है उसको इस तरह से उड़ा दिया जाय कि यह तो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है कि इस तरह की टैक्स प्रणाली हो, मैं समझता हूं कि यह वस्तु-स्थिति पर एक तरह से परदा डालना होगा। यदि उसमें कोई सुझाव की बात देते, कोई ऐसी बढ़िया बात कहते तो मैं समझता हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी उस पर सोचते, विचारते, समझते लेकिन एकदम आउट राइट आपने कह दिया यह तो बिलकुल संशोधन ही गलत है, इसकी बुनियाद ही गलत है। श्रीमन्, जहां तक इसकी बुनियाद की बात है, मैं बतलाना चाहता हूं कि इसकी बुनियाद बिलकुल सही है। जिस बुनियाद को आधार मान कर माननीय रामेश्वरलाल जी ने संशोधन रखा है वह बुनियाद बिलकुल ठीक है, हां, उसकी बुनियाद में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उस इम्प्रूवमेंट को इस समय संशोधन के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ध्यान से पढ़ें तो आगे उसमें भी साफ हो जाता है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ५० रुपया जुर्माना लगाने की बात के ऊपर आप जरा फिर से विचार करें और ऐसे लोगों पर कतई जुर्माना न हो जिनके पास जीविका निर्वाह के साधन न हों।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं जो अर्थशास्त्र की गुत्थियों को अच्छी तरह से समझते हैं, भले ही उस पर अमल करें या न करें, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में उनकी कैबिनेट के कृषि मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यदि कृषि मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों का उद्धार हो, किसान मुर्सदतो से बरी हो तो ऐसे किसान जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन हो, या जिनके पास जीविका के कोई दूसरे साधन न हों, यदि उनकी फसल बचाने का प्रयत्न किया गया और बावजूद प्रयत्न करके फसल बिलकुल बरबाद हो गयी है तो मेरे ख्याल में कतई उस पर जुर्माना नहीं लगना चाहिये। उनसे कतई लगान वसूल नहीं होना चाहिये बल्कि उनको तो सरकार को अपनी ओर से कुछ देना चाहिये। मगर यह सरकार जो रात-दिन अपने को किसानों और मजदूरों का हित चिंतक कहते हुये नहीं अघाती, नहीं थकती, ऐसे विधेयक से तो उन पर एक तरह की आपत्ति ही आयेगी। यह उचित नहीं है कि ऐसे विधेयक के जरिये किसानों तथा मजदूरों को एक तरह से दबा दिया जाय। चाहे वह जुर्माना का नाम हो, चाहे पेनाल्टी का नाम हो, चाहे टैक्स का नाम हो है तो वह टैक्स ही। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की पेनाल्टी अदा करने की आज्ञा दे सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह ५० रुपया वह क्यों अदा करे? यहां सब धान बाइस पसेरी ही है। 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा' वाली कहावत यहां पर इस सरकार के लिये अच्छी तरह से प्रयोग में लायी जा सकती है। मगर यह सरकार बेनकाब होती चली जा रही है और इसी वजह से यह कहावत जो चारों तरफ प्रचलित है इस सरकार के लिये लागू होती है। श्रीमन्, मैं पुनः आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जरा इस पर विचार करे और इसके लिये कोई न कोई ऐसी गुंजाइश निकाले, जिसके जरिये ऐसे किसान जो गरीब हैं, जो धन पैदा करने के दूसरे साधनों से वंचित हैं वे जुर्माने से बरी हों। ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास धन पैदा करने के दूसरे साधन हैं और वे हर तरह से सम्पन्न हैं उनके ऊपर यह सरकार जुर्माना लगावे, दूसरी पेनाल्टी लगावे इसके लिये हमको कोई एतराज नहीं होगा। इसलिये इन शब्दों के साथ में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी धारा पर पुनर्विचार करे।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री राजनारायण जी ने गवर्नमेंट को बहुत कनडेम किया, लेकिन मैं उनको हिसाब पढ़ाने की गर्ज से यहां खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि इसमें करीब-करीब ७ आदमियों ने संशोधन रखा है, किसी ने ५० रुपये का किसी ने १०० रुपये का, किसी ने १० का, किसी ने ५ का, किसी ने १५ का और किसी ने ५१ का.........।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, आन एप्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन पेश नहीं किये गये हैं उनका सदन में जिक्र करना क्या माननीय सदस्य के लिये उचित है?

श्री उपाध्यक्ष––जिसका जिक्र श्री राजनारायण जी ने किया था उसी को समझाने के लिये वह कह रहे हैं।

श्री शिवनारायण––माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस वक्त कहा था कि यह दूसरे वक्त एक साथ ले लिये जायंगे और इसीलिये मैंने सोचा था कि समय मिलेगा तो सब को एक साथ ले लिया जायगा।

श्री रामनरेश शुक्ल––उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं.......।

श्री शिवनारायण––मैं ईल्ड नहीं करता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट ने जो ५० रुपया रखा है उसमें उसने किसी के साथ डिसटिन्कशन नहीं किया है। सरकार किसी को बड़े छोटे के हिसाब से नापना नहीं चाहती है, वह तो एक माडरेट ला बना रही है। अगर उनके कहने के मुताबिक १०० एकड़ वाले पर १०० रुपया और २ एकड़ वाले पर २ सौ रुपया जुर्माना किया जाय तो दुनिया के ला बनाने वाले यहां के लोगों को क्या कहेंगे कि कैसी गवर्नमेंट थी जो ऐसा कानून बना गई, यहां तो ४३१ माननीय सदस्य हैं, बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वान, वकील और पढ़े-लिखे लोग हैं। इसलिये मैं आप से बहुत नम्रता से कहूंगा कि उनका हिसाब ठीक नहीं है और गवर्नमेंट ने जो ५० रुपया रखा है वह ठीक ही है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

***श्री रामेश्वरलाल**––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने इस संशोधन पर माननीय सदस्यों के भाषण बहुत गौर से सुने। माननीय मौर्य जी ने जो इस संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किये उनको सुन कर तो मुझे आश्चर्य हुआ। वह सरकार की इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिलाते हुये कहते हैं कि ५० से बढ़ाकर ५१ रु० कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि देहात में ५१ का अंक शुभ माना जाता है ऐसी वहां की प्रथा है, तो सरकार के शुभ के लिये ही शायद वह ५१ कर देना चाहते हैं, वैसे शायद उनकी इच्छा ऐसी है नहीं। माननीय शिव नारायण जी ने भी कुछ कहा, मैं उनके तर्कों का क्या उत्तर दूं, वह कहते हैं कि हमारी सरकार छोटे-बड़े सब को बराबर के दर्जे पर रखती है। मैं उनके इस तर्क को सुन कर हैरान हूं और जब मैं देखता हूं कि छोटे-बड़े की समस्या को सुलझाने का उनका हमारा दृष्टिकोण क्या है और उस में कितना अन्तर है। ८ वर्ष की कांग्रेस हुकूमत के बाद भी माननीय शिव नारायण जी ने नहीं समझा कि देहात में जिस कम्युनिटी को वह बिलांग करते हैं उसकी क्या दशा है और जो गोबर में से अनाज निकाल कर खाती है और अपना पेट भरती है। वह अभी तक अन्तर नहीं समझे। वह चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में कीटाणुओं का प्रकोप हो उसमें जो २ बिस्वे की खेती करता हो उस पर उतना ही पड़े और जो राजा साहब हैं और सैकड़ों एकड़ की खेती जिनके पास है उन पर भी उतना जुर्माना हो। उनका यह तर्क मैं उनकी बुद्धि के लिये ही छोड़े देता हूं। जहां तक मौर्य जी का प्रश्न है उन्होंने कहा कि पेनाल्टी के बारे में देश विदेश में क्या होता है और उन्होंने देश-विदेश की व्याख्या की और आपने कहा कि बराबर जुर्माना होता है ऐसा नहीं होता कि किसी की आर्थिक आमदनी या उस के खाते को देख कर ऐसा किया जाता हो, लेकिन कोई यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मामला नहीं है। यह तो सीधी-सी बात है कि अगर किसी क्षेत्र में कीटाणु लग जाते हैं और हानि होती है और उस क्षेत्र के रहने वाले सहयोग न देते हों चाहे वह गरीब हो या धनी, एक या सौ एकड़ पर पैदा करने वाला हो अगर वह सहायता नहीं करता तो उन पर जो अच्छे हों जिन पर अधिक से अधिक जुर्माना हो, लेकिन जिनके रोटी के लाले हों वह ५० रुपये नहीं दे सकेंगे और फिर सरकार को उनका थाली-लोटा कुर्की कराने के लिये कदम उठाना पड़ेगा और सरकार बदनाम होगी। यही सब सोच-समझ कर मैंने यह संशोधन उपस्थित किया था। माननीय मौर्य जी और मन्त्री जी चाहे मानें या न मानें लेकिन मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह चेतावनी देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि यह विधेयक ऐसा है समय आने पर जिसका विरोध होगा किसानों की ओर से नहीं, बल्कि उन्हीं की पार्टी के लोगों की ओर से होगा, क्योंकि इससे सख्त नुक्सान होगा। वैसे वे मानें या न मानें यह उनकी इच्छा है और हठवादिता के बल पर अगर वे इसको भी कुचलना चाहते हैं तो मुझे इसके लिये कुछ नहीं कहना है।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोध होगा या नहीं होगा, यह मैं भली भांति जानता हूं इसकी चेतावनी देने की रामेश्वर लाल को आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास है कि इस विधेयक का पूरा-पूरा स्वागत होगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक बातें हैं वह जनता के हित में हैं और जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक़ है काफी लोग कह चुके हैं। मेरी दिक्क़त वही है, बिस्वा, बीघा, एकड़ पर जुर्माना नहीं तशखीस किया जाता है, बल्कि जुर्म पर तशखीस किया जाता है। ऐसी सूरत में जो तरमीम रखी गयी है वह बिलकुल अजीबो गरीब है और अनावश्यक है जैसा मैंने पहले कहा। लिहाजा मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "व्यक्ति को" के बाद के कुछ शब्दों के स्थान पर शब्द "उसके जोत की जमीन उसके लाभ से सम्बन्धित कार्यों से औसत आंक कर १ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से उसके पूर्ण या आंशिक खाते पर जुर्माना कर सकता है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खंड १०

१०—राज्य सरकार अथवा उस के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) न की जा सकेगी।

वाद ‹ अन्य ‹ कार्यवा पर प्रति‹

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड १०—अ

***श्री रामेश्वरलाल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के बाद नया खंड १०—अ निम्न प्रकार से रख दिया जाय :—

"१०-अ—किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर फसल, पौधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अध्यासी को होने वाला है, का ध्यान रखेगा और समय देगा।"

श्रीमन्, इस संशोधन में मैं सिर्फ यह चाहता हूं चूंकि इसमें व्यवस्था हो गयी है कि ५० रुपये का जुर्माना भी देना होगा जो सहायता नहीं देगा और १० द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि जो अधिकारी है उसके खिलाफ़ किसी तरह का वाद नहीं उपस्थित किया जायगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रख दिया है कि अधिकारी के लिये लाजिमी होगा कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

ऐसी फसल है जिस फसल से अध्यासी को कुछ लाभ होने वाला है तो वह उसे कुछ समय देगा। प्रमाण के लिये हमारे पूर्वी यू० पी० में गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। वहां पर गन्ने में कुछ ऐसी बीमारियां लगती हैं, जिनके लिये वैज्ञानिकों की यह राय है कि गन्ने को अगर जड़ से नष्ट कर दिया जाय तो वे उस क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल सकती। गन्ने में रेड राट की बीमारी लगती है। अगर गन्ने को उखाड़ दिया जाय तो अन्य खेतों में उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हम इस संशोधन द्वारा यह चाहते हैं कि नवम्बर और दिसम्बर में गन्ना पकना शुरू हो जाता है और उसी समय से रेडराट की बीमारी लगनी शुरू हो जाती है और इसकी सम्भावना है कि बीमारी लगने के साथ-साथ चूंकि गन्ना पकना शुरू हो जाता है किसान उसे पेरकर कुछ गुड़ की शकल में उससे लाभ उठा सकता है तो उसकी फसल को बरबाद न कर दिया जाय। इस संशोधन के द्वारा उस अधिकारी को लाजिमी होगा कि अगर वह उस चीज से कुछ लाभ उठा सके तो उठा ले। यह छोटा-सा संशोधन है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री हुकुमसिंह---यह भी तरमीम ऐसी है कि अगर मान ली जाय तो खंड ४, ६, ९ और १० जो आगे इस सदन ने मंजूर किये हैं वह खत्म हो जाते हैं एक तो एतराज मेरा यह है। दूसरा एतराज यह कि धारा १०--अ एक अलग धारा होना प्रोपोज की जाती है, और "किन्तु" और "उक्त" से इसकी शुरुआत की जाती है। यह भी ड्राफ्टिंग के बिलकुल खिलाफ बात है। यह भी मेरा एक एतराज है जिसकी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, काफी मौका मिला हुआ था जब से यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ। यह विधेयक जब पहले सेशन चल रहा था तो प्रस्तुत हुआ था। बीच में करीब दो-तीन महीने का समय मिला। सामान्य वादविवाद के समय इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने जो राय जाहिर की यदि माननीय मंत्री जी उस का तनिक भी ख्याल किये होते और तनिक भी विचार किया होता तो इस तरह से हर संशोधन को वह निर्मूल और किसान के हित में न जाने वाला, न घोषित करते। मैं माननीय मंत्री जी की और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह धारा पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी चाहते हैं, जरा श्रीमन्, आप पांचवां पृष्ठ खोल कर देखें--"राज्य सरकार अथवा उसके किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये जानेवाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये कोई भी वाद, अधियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न की जायगी।"

कितना अनर्थ है इस विधयक में। इसमें मैं श्रीमन्, चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी पुनः गौर करें और जरा सद्भाव से, स्वच्छ मस्तिष्क से इसकी लाइनों को पढ़ें। तब उनकी समझ में आ जायगा कि सरकार कितने ऐसे अधिकार इस विधेयक के द्वारा अपने हाथ में लेगी।

श्री उपाध्यक्ष---यह संशोधन ऐसे अधिकारों के विषय में नहीं है।

श्री राजनारायण---जी हां। इसी के बारे में है, श्रीमन्। यह संशोधन है १०--अ। तो दसवें क्लाज में माननीय रामेश्वर लाल जी 'अ' जोड़ना चाहते हैं। जो अनियन्त्रित हाथ है सरकार का या सरकारी कर्मचारियों का उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं। सद्भावना के क्या मानी? सद्भावना से उत्पन्न चाहे सारा का सारा गांव जल जाय, सद्भावना से यह सरकार कोई काम करेगी, इसकी कसौटी क्या है? कुछ भी कसौटी नहीं रखी गयी है। श्रीमन्, सरकारी अधिकारी सद्भावना से काम करते हैं या दुर्भावना से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम करते हैं इसको आंकेगा कौन, इसकी परीक्षा कौन करेगा कि सरकारी अधिकारी का यह काम सद्भावना या दुर्भावना का है ? यह मान लेना कि सरकारी अधिकारी का सारा का सारा काम सद्भावना से ही होता है और बार-बार सरकार की ओर से एक दलील दी जाती है कि क्या जितने सरकारी कर्मचारी हैं सब दुश्मन हैं। यह दलील सरकार की ओर से बार-बार दी जाती है कि अब तो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। बार-बार सरकार की ओर से दुहाई दी जाती है कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी वह जनता के लिये ही सारे कानून बनायेगी। यदि यह बात सन्निहित होती तो डेमोक्रेसी के लिये तीनों शब्दों का होना आवश्यक न माना गया होता। गवर्नमेंट बाई दि पियुपुल, फार दि पियुपुल, आफ दि पियुपुल, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के लिये, जनता की। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी यह समझ बैठे हैं कि एक बार जनता द्वारा चुनाव होकर सरकार बन जाय तो वह सरकार कोई भी कानून जो बनायेगी वह जनता के हित में होगा, यह भ्रम है और इस भ्रम को इस सरकार को निकाल देना चाहिये। जब तक सरकार का यह भाव रहेगा तब तक सरकार कभी भी सही कदम नहीं उठा सकती और इसी तरह से यह सरकार एक दूसरी बुद्धि-विभ्रमजन्य भ्रान्ति में फंसती चली जा रही है। एक-दूसरे जाल में फंसती चली जा रही है। वह जाल क्या है ? वह है कि इस सरकार के लिये सरकार और सरकारी कर्मचारियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। जनता और जनता के प्रतिनिधि में भी फर्क है। अगर यह मान लिया जाय कि आज कांग्रेस पार्टी के जितने लोग यहां बैठे हैं वह सब के सब इस कैबिनेट के जितने कानून बनते हैं वह उनको दिल और दिमाग से सही मानते तो यह बात बिलकुल निर्मूल और असत्य है। कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी ऐसे सदस्य होंगे जो सरकार के बहुत से कानूनों और कामों को ग़लत मानते होंगे। मैंने इस सदन में बार-बार कोशिश की और अपने मित्र राम नरेश जी से निवेदन किया कि वे अपने दल के सदस्यों को इन बातों को बताया करें। न समझने की वजह से यह अनर्थ हो रहा है। यह पांच बातें हैं : व्यक्ति, समाज, पार्टी, सरकार और देश। यह पांच बातें अलग अलग हैं। और जहां कहीं इनको मिला दिया जायगा वहीं जम्हूरियत ख़त्म होती है, डेमोक्रेसी का हनन होता है......

श्री उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य विषय से बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्री राजनारायण——उसी पर आ रहा हूं। श्रीमन्! तो मैंने थोड़ा सा समय ले कर यह समझाने की कोशिश की कि सरकार की ओर से बराबर इस सदन का समय नष्ट नहीं होना चाहिये। यह आदरणीय सदन है। आदरणीय सदन में जब हम लोग आते हैं और प्रति दिन १० रुपया लेते हैं और माननीय मंत्रियों पर तो करीब ६ हजार रुपया महीना तक खर्च पड़ता है, तो वह इसको पढ़ें और देखें और केवल यही न कह दें कि माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन निर्मूल है और निरर्थक है। वह अपने इस संशोधन में कहते हैं कि इस १० के बाद १०-अ रख दिया जाय जो कि सद्भाव के साथ नियंत्रण करे, क्योंकि माननीय मंत्री जी का सद्भाव तो यह होगा कि जितने विरोधी पक्ष के लोग यहां बैठने वाले हैं उनको खत्म कर दिया जाय, हालांकि होगा उनका वह सद्भाव ही, वह काम वह करेंगे सद्भाव से ही। इसको वह जरा पढ़ें। इसमें रामेश्वर लाल जी कहते हैं :——

> "१०-अ- किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर फसल, पौधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अध्यासी को होने वाला है, का ध्यान रखेगा और समय देगा।"

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——जरा यह अल्पकाल, लाभ कर और यथोचित की डेफिनीशन कर दीजिये।

श्री राजनारायण——मैं मौर्य जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बात मुझे याद दिला दी। मैं इसको छोड़ने जा रहा था।

श्री रामनरेश शुक्ल---मैं समझता हूं कि उनको कमरे में बुला कर समझा दीजिये।

श्री राजनारायण---वह स्पीकर का काम है, मैं तो फ्लोर आफ दि हाउस में समझाता हूं। तो श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से कुछ थोड़ा सा समय ले कर माननीय मौर्य जी को समझाऊंगा क्योंकि इससे हमको आशा है कि वह समझ जायंगे और यदि वह समझ जायंगे तो हमारी समझ में आ जायंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---समझ गये।

श्री राजनारायण---जहां यह सरकार अपने को अनियंत्रित करती है वहां पर रामेश्वर लाल जी कहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ अनियंत्रित रखो अपने को, मगर इतना अनियंत्रित न रखो कि अनियंत्रण भी अनियंत्रित हो जाय, वह भी बेसीमा हो जाय। एक घेरे में बैठो। वह घेरा क्या है? रामेश्वर लाल जी कहते हैं कि यदि तुम किसी अध्यासी की ऐसी फसल नष्ट करते हो जो कि उसको तत्काल लाभ देने वाली फसल है जैसे मान लीजिये श्रीमन्, कहीं तरकारी है, माननीय मौर्य जी इसको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि तरकारी बरसात में बोयी जाती है, कोई तरकारी एक महीने की होती है कोई २ महीने की होती है, कोई १५ दिन की होती है, तो ऐसी फसल को न नष्ट होने दिया जाना चाहिये, क्योंकि देहात में अल्पकालिक तरकारी बो कर के जीविकोपार्जन करते हैं, उनके पास दूसरी फसल नहीं, उनके पास गेहूं का खेत नहीं, जौ का खेत नहीं, चने का खेत नहीं। मगर वे बेचारे अपने २ बिस्वा, और ३ बिस्वों में तरकारी बोये हुये हैं अगर वह नष्ट कर दी गई तो क्या होगा, वे बेचारे कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। मैं तो श्रीमन्, बड़ा आश्चर्य चकित हो जाता हूं जब सरकार की ओर से ऐसी अनर्गल बातें की जाती हैं और जबरदस्ती के अधिकार अपने हाथ में लेने वाला विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है....

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---आप चाहते हैं कि जनता कीटाणु वाली तरकारी खाये?

श्री राजनारायण---कम से कम अपने वंश का ख्याल करते तो ऐसी बात सदन में न करते। मैं उनसे कहूंगा कि वह जो पैतृक प्रतिभा है जरा उसका इस सदन में पालन करें और और इस तरह से बीच बीच में ऐसी अनावश्यक बातें न कहा करें जो निरोधक हों।

श्रीमन्, मैं माननीय मौर्य जी से कहना चाहता हूं कि लाभकर फसल के माने तो हम समझते हैं और सदन के तमाम सम्मानित सदस्य समझते हैं कि जो भी फसल होगी उस से लाभ हमको होगा ही अगर वह फसल अच्छी तरह से पैदा हो जाय, अगर हम कमाई करके कुछ उत्पन्न कर सकें। केवल माननीय मौर्य जी को अल्पकालिक फसल को समझने में दिक्कत थी तो रामेश्वर लाल जी ने उनको समझाने की चेष्टा की थी गन्ने के नाम ले कर के। कहीं-कहीं श्रीमन्, चिनिया बादाम बोया जाता है। मैंने कहा था श्रीमन्, बाढ़ के समय कि सावां की तरह फसल होती है जो २१ दिन में होती है और इस फसल को अगर किसी किसान ने बो कर के अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था की है और जा कर के सरकारी अधिकारी कहेगा कि हमारा सब काम राष्ट्रीय विकास में हो रहा है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के सद्भाव असदभाव हैं, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का हनन है और देश को गर्त में ले जाना है। तो जब भी विधेयक इस सरकार के जरिये इस सदन में प्रस्तुत होते हैं जिसमें कि बिना किसी मर्यादा के बिना किसी न्याय दृष्टि को सामने रख कर सारी मान्यताओं को तिलाञ्जलि दे कर के सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में सरकार लेती है तो हमें दुख होता है, आश्चर्य होता है। वही फिर हमको याद आ जाता है:

"पाहन पतित बान नहिं भेदत, रीतो करत निषंग।।"

यह सूरदास का पद याद आता है। सारा तरकस खाली हो जायगा इस सरकार को सद्बुद्धि नहीं दे पायेंगे। मगर तब फिर ऐसा होता है कि —

'रसरी आवत जात के सिल पर परत निसान।'

अगर यह सरकार पत्थर बुद्धि भी हो जायगी तब भी अगर रस्सी की रगड़ लगती रहेगी तो किसी न किसी दिन बुद्धि आ ही जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि हम चाहे थोड़े ही रहें इस बात की चिन्ता न करें कि हम अपनी बात को रखने में सकुचें। हमको जब भी मौका मिले हम इस बात का प्रयत्न करें कि इस सरकार को ठीक रास्ते पर ले चलेंगे, मजबूर करेंगे और अगर नहीं चलती है तो इस सरकार को खत्म करेंगे और जल्द से जल्द खत्म करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर लाल जी का बहुत ही सीधा-सादा संशोधन है, उन्होंने इस संशोधन से जनता को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने को सोचा है और हमारे मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उन्होंने भी इसी लिहाज से पेश किया है कि जनता का फायदा हो। माननीय रामेश्वर लाल जी का कहना है कि जब वहां बीमारी की शंका हो जाय तो जो फसल वहां तैयार हो चुकी है, थोड़े ही दिन बाकी हों, उसको बरबाद करने के लिये अगर आर्डर हो जाय कि वह फसल काटकर गिरा दी जाय तो उस काश्तकार को मौका दिया गया कि वह उस फसल से फायदा उठा सके जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने की खेती है, उसके तैयार होने के बाद बीमारी आयी और आर्डर आया कि यह फसल काटकर गिरा दी जाय, तो उनका कहना यह है कि उस किसान को मौका दिया जाय कि वह उस तैयार फसल से फायदा उठा सके, उस गन्ने को पेरकर उससे मीठा बना सके। दूसरी फसल जो कि मक्के की है, जोन्हरी की अध्यक्ष महोदय, वह तैयार हुयी, बाल लगकर तैयार हुयी, तब उसमें बीमारी आयी तो उनको मौका दिया जाय कि वह उस फसल को काटकर के उसमें दाने लगे हैं उनको निकाल सकें और उस फसल को मवेशियों को चारे के लिये इस्तेमाल कर सकें। तो उनका यही मंशा है कि फसल तैयार हो चुकी है, उसमें उनको मौका दिया जाय कि बरबाद करने से पहले वह उससे जितना फायदा उठा सकें उठा ले। यही उनके संशोधन का लुब्बेलुबाब है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार करें। किसानों का फायदा करने के लिये वह यह विधेयक लाये हैं और माननीय रामेश्वरलाल जी ने भी इसी विचार से कि उनका फायदा हो, यह संशोधन दिया है कि किसानों को नुकसान न पहुंचे और वह उस फसल से कुछ फायदा उठा सकें।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

*श्री रामेश्वरलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उस संशोधन पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और माननीय राजनारायण जी ने तो काफी तर्क उपस्थित कर इसे बल दिया है। इसके बाद भी माननीय कृषि मंत्री जी यदि इस संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रगट करें तो मैं यही समझने को बाध्य हूंगा कि वह इस हमारे संशोधन की मंशा समझने में असमर्थ हैं। मेरे संशोधन की मंशा सिर्फ यह है कि किसी भी अधिकारी को जिसको वह इसका अधिकार दे रहे हैं, उसको मनमानी करने का अवसर देहात में न मिले और इस प्रेरणा से प्रभावित होकर मैंने यह संशोधन रखा है कि राज्य के अन्दर काम करने वाले कर्मचारी आज अपनी सत्ता का दुरुपयोग उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत-काल में उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था। हम यह समझते हैं कि इस संशोधन को न मानने के बाद अधिकारियों को यह रुख अपनाने में सहायता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

मिलेगी कि वह देहात में अपने घूस के बाजार को पूर्ववत बनाये रखें, क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि किसी क्षेत्र में प्रभाव है किसी कीटाणु का या किसी रोग का तो वहां पर उस क्षेत्र के किसानों को यह सुविधा देना कि वह उससे फसल से कुछ लाभ उठा लें कोई अन्याय की बात नहीं होगी, जैसे श्रीमन् प्रमाण के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की बीमारी की चर्चा थी। जिस रोग की मैंने चर्चा की रेडराट, वह मक्के में भी लगा है और विशेषज्ञों की राय है किसी मक्के के खेत में रेडराट की बीमारी हो तो उसके पास के और खेतों को भी नष्ट कर देना चाहिये नहीं तो वह कीटाणु दूसरे खेतों में भी फैल जायेंगे। लेकिन कभी श्रीमन्, मान लें कि गन्ने की फसल का सीजन है और बाजरे और मक्का का भी सीजन है। अगर किसी खेत में गन्ने को रेडराट की बीमारी लगती है तो उसके अगल-बगल के मक्का और बाजरे के खेतों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि मक्का और बाजरे के खेत में रोग के कीटाणु पाये जाते हैं तो बगल के गन्ने के खेत में, जिसका कि सीजन आज भी है, उसमें रोग के फैलने की आशंका है। तो यह मुमकिन है कि अधिकारी यह जानकर कि दूसरी फस्ल पर भी प्रभाव पड़ सकता है गन्ना, बाजरा और मक्का की फसलों के खेतों को नष्ट करने की आज्ञा दें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गन्ने में रेडराट की बीमारी लगे और बाजरा और मक्का में फैलने का अन्देश है तो दूसरे अध्यासियों को, मालिकों को यह मौका दिया जाय कि वह कम से कम अपने खेतों के मवेशियों के लिये चारा, जोकि अन्न के बराबर है, उसको तो निकाल सकें। जैसा कि गेहूं और जौ में होता है। फस्ल पकने में देर है। अन्न जो फसल से तैयार होनेवाला है वह प्रभावित होने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि पूरे क्षेत्र में जबतक रोग न फैल जाय तबतक मौका दें, लेकिन मैं कहता हूं कि भूसा और चारा इतना ही जरूरी है, जितना कि अन्न जरूरी है जिसके अभाव में सरकार को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, किसान अगर चारा निकालना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिये। मंत्री जी कहेंगे कि ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, मेरा संशोधन न मानने के बाद यह मौका है उस अधिकारी को कि वह अपने फोर्स और ताकत को लगाकर उस क्षेत्र की उस फसल को बरबाद करा दे। इस डर से कि कहीं ५० रुपया जुर्माना न हो, किसान जायेंगे साथ ही वह यह भी कोशिश करेंगे कि किसी बड़े काश्तकार और खेतिहर को अनाज और चारा निकालने का मौका मिले तो उससे फायदा उठायें और फसल को लूटने की भी कोशिश करेंगे। सरकार भले ही यह महसूस करती हो कि चारे का सही प्रबंध है और हमारे पास काफी स्टाक है लेकिन हमारा यह विश्वास है कि इस सरकार के राज्य में अपने प्रान्त में लाखों ऐसे आदमी हैं जो आज अनाज के बिना तड़प रहे हैं, ऐसे मवेशी हैं जो आज गांव में छोड़ दिये जाते हैं और चारे को बरबाद करते हैं, अनाज को बरबाद करते हैं।

इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया है। मैं राजनारायण जी और अन्य साथियों को, जिन्होंने समर्थन में अपने सुझाव दिये हैं उनका आभारी हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस संशोधन के मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे वह हमारे प्रान्त के किसानों के लिये राहत और सहूलियत करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों मर्तबा जब जब हमारे मित्र रामेश्वर लाल जी ने अपना भाषण दिया, इस संशोधन के पक्ष में समझने की भरसक कोशिश की, लेकिन क्या बताऊं, मेरी राय तो यही है कि हर समझदार के लिये नामुमकिन है इस संशोधन को समझना।

श्री रामेश्वरलाल--जैसी आपकी समझ है।

श्री हुकुमसिंह--जी हां। आपकी तकरीर सुनने के बाद भी जो मैंने एक बात कही थी उस पर आपने खामोशी अख्तियार की। वह भी समझदारी के माने हैं। उससे पता चलता है कि कितने समझदार आप हैं। जो मैंने कहा था कि धारा १० (अ) आप एक अलग धारा बनाने जा रहे हैं और आपने उसकी शुरुआत की है "किन्तु उक्त अधिकारी" ऐसी कोई धारा

किसी कानून में आज तक है ? "किन्तु उक्त" से कभी कोई धारा नहीं बनी है और न किसी दफा में है । । यह आपत्ति मैंने ठीक की थी लेकिन हमारे मित्र ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की।

श्री रामेश्वरलाल—प्वाइंट आफ आर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, दो बार माननीय मंत्री जी ने कहा और आपकी मौजूदगी में कहा कि "किन्तु" से कोई धारा हमने नहीं देखी है और बड़ा तर्क उपस्थित किया । मैं आपके ही विधेयक में "किन्तु" से ही शुरू होने वाली धारा का प्रमाण उपस्थित करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, खंड ४ आप देखें । उसके (ख) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य को आप देखें । उसमें यह है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है ...." (हंसी)

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमको समझदारी का पूरा-पूरा पता लग गया । अब मुझे इसकी भी कोई शिकायत बाकी नहीं रही । वह प्राविजो है । दफा के नीचे जो प्राविजो होता है वह किन्तु से शुरू होता है लेकिन कोई दफा किन्तु से शुरू नहीं होती । । जब इतना फर्क हमारे मित्र को नहीं मालूम है तो मुझे अब कोई शिकायत बाकी नहीं है, जो चाहें वह कह सकते हैं और हम सुनने के लिये तैयार हैं ।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है इसकी शक्ल ऐसी बदशक्ल है कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता हूं और मुझे कुछ इसके बारे में नहीं कहना है ।

हमारे दोस्त राजनारायण जी ने एक व्याख्यान दिया । मैंने बहुत ही पेशेंन्टली और बड़ी सावधानी से सुनने की चेष्टा की । उन सब बातों का जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि उनका इस बिल से कोई सम्पर्क नहीं है, कोसों इससे दूर हैं । एक बात उन्होंने फरमायी कि मैं इस सरकार को खतम करूंगा कि खत्म करने में कहीं आप ही न खतम हो जायं, क्योंकि आप खिसक चुके हैं यहां से वहां । ऐसा न हो कि आप ही खत्म हो जायं ।

श्री राजनारायण—हो सकता है ।

श्री हुकुम सिंह—हो सकता है, क्या, आपने शुरुआत कर दी है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी धमकी देना, इस तरह की बात करना इस सदन की मान, मर्यादा के बिलकुल खिलाफ बात है । कहां यह तरमीम, कहां सरकार का खात्मा । सब लोग सुन चुके हैं । सुनते-सुनते अब जरा भी बल आपकी बात में नहीं है । यहां पर ये तो कुछ और बात थी, वहां जाने पर वह बात खत्म हो गयी । हम अगर कहें कि हम पी० एस० पी० को या सोशलिस्ट पार्टी को खत्म करना चाहते हैं तो यह बिलकुल न अनर्गल बात होगी । यह कहने के लिये यहां जगह नहीं है । इसके लिये बाहर प्लेटफार्म है । यहां तो विधेयक के ऊपर बहुत सोच-समझ कर बात करने की जरूरत है । एजीटेशन की स्पीचेज की यहां जरूरत नहीं है । यहां जब कानून बनने लगें तो इस सदन की मान-मर्यादा यह है कि उस विधेयक की हर धारा पर बहुत सावधानी से विचार करें । हम थोड़े ही चाहते हैं कि हम गलत कानून बनायें । अगर हम ही गलती करते हों तो हर वक्त हम मानने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह कि इधर की उधर की किन्तु और उक्त के लिये कहा जाय तो मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं । चाहे कितनी ही बहस हो, लेकिन मैं मान नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारे मित्र माननीय रामेश्वरलाल जी प्रावीजो और असल धारा में कोई फर्क नहीं समझते हैं तो मैं क्या कहूं ऐसे संशोधन के लिये, जो माननीय दोस्त ने पेश किया है, वह क्या मानने के योग्य है, इसको मानकर मैं अपना उपहास कहां कराऊंगा । मैं तो वकील हूं, सनदयाफ्ता हूं, मैं यदि इसको मान लूं तो मेरी सनद ही बेकार हो जायगी । ऐसी बात मैं नहीं कर सकता हूं । लिहाजा इस तरमीम का मैं घोर विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के बाद नया खंड १० (अ) निम्न प्रकार से रख दिया जाय:—

"१०—अ—किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर फसल, पौधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अध्यासी को होने वाला है, का ध्यान रखेगा और समय देगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड ११

अधिकारों का प्रति-निधायन　११---राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों तथा शर्तों के अधीन प्रयुक्त करने के लिये प्रतिनिधानित (delegate) कर सकती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की पंक्ति २ तथा ३ में से शब्द "इस अधिनियम ····· प्राधिकारी को" निकाल दिये जायें।

यह दो बार छप गया है, इससे सुधार हो जायगा ।

श्री हुकुमसिंह---यह मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह "है कि खंड ११ की पंक्ति २ तथा ३ में से शब्द "इस अधिनियम······प्राधिकारी को" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

नियम बनाने का अधिकार।　१२---राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि:---

खंड १२ को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"१२---(१) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन (Previous publication) के बाद उस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस नियम के अधीन बने सब नियम---

(क) सरकारी गजट (official gazette) में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई अन्य दिन न निर्दिष्ट किया जाय तो वह प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशाली हो जायेंगे, तथा

(ख) बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने इस अधिवेशन में करे जिनमें वह (नियम) इस प्रकार रखे जायं।"

उपाध्यक्ष महोदय, खंड १२ (१) की दूसरी पंक्ति में "उस" छप गया है, उसके स्थान पर "इस" कर दिया जाय और १२(२) (ख) की तीसरी पंक्ति में "इस" छप गया है उसको "उस" कर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को रखने की जो मेरी मंशा ह वह साफ है । संशोधन स्वीकार कर लिये जाने से जो नियम बनेंगे और जिनका सर्वसाधारण पर प्रभाव पड़ेगा, उनको जानकारी हो जायगी, दूसरे सदन को मौका मिल जायगा कि उसमें जो त्रुटियाँ हों उन पर विचार करे और आवश्यक संशोधन कर सके । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय । इस पर कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं । आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१२—(१) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन (previous publication) के बाद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम—

(क) सरकारी गजट (official gazatte) में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई अन्य दिन न निर्दिष्ट किया जाय तो वह प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशाली हो जायेंगे, तथा

(ख) बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे, जिनमें वह (नियम) इस प्रकार रखे जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुरागमन के निरोध का

विधेयक

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव तथा पुनरागमन के निरोध की और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद

श्री नारायदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी विवाद शुरू होने के पहले इस विधेयक में कुछ शब्द कहना उचित समझेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--यह रिपोर्ट रखी जा चुकी है माननीय सदस्य इस अवसर पर अपना मत प्रकट कर सकते हैं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के इतिहास में आज पहिली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट पर, जो सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी है, विचार हो रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट और सरकार का उस पर विचार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। यह इस सदन के लिये बड़े खेद की बात है कि आज तक इस सदन को अवकाश न मिल सका कि वह इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकता और अपने सुझाव सरकार और कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता।

पब्लिक सर्विस कमीशन का उद्देश्य तो सर्वविदित ही है वह यह कि वे अपने प्रदेश में ऐसी सर्विसेज का निर्माण करें, ऐसी स्थायी और अस्थायी सेवाओं का निर्माण करें जो किसी हालत में भी भ्रष्टाचारी न कही जा सकें, यह न कहा जा सके कि उनकी नियुक्ति किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थ, पार्टीगत अथवा दलगत स्वार्थ के अधीन हुई है। इसलिये सभी देशों में पब्लिक सर्विस कमीशन का संगठन हुआ है। तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर ही सर्विसेज की नियुक्ति हुई है और उनके सम्बन्ध में नियम बने हैं। हमारे संविधान की धारा ३२० के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी भर्ती के तरीके, उनकी भर्ती के सिद्धांत तथा एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रान्सफर के नियम और उनकी नियुक्ति के औचित्य के सम्बन्ध में सिफारिश करने का अधिकार है। साथ ही अनुशासन के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी राज्य कर्मचारी को कोई तकलीफ है, सरकार के ऊपर उस का कोई ड्यू बाकी है जो उसने सरकारी काम में खर्च किया है और सरकार ने उस को नहीं दिया है तो उस की अपील वह पब्लिक सर्विस कमीशन को कर सकता है। इसके अतिरिक्त गवर्नर महोदय को यह अधिकार है कि वे चाहे किसी भी बात को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज दें। साथ ही गवर्नर महोदय को यह भी अधिकार है कि वे रेग्युलेशन्स बनायें, जिनके मातहत पब्लिक सर्विस कमीशन काम करे, जिनको फंकशन्स आफ रेग्युलेशन्स कहा जाता है। इस पृष्ठभूमि में हमें इन रिपोर्ट्स पर विचार करना चाहिये।

आज यू० पी० का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी शक्ति, स्थिति और संगठन क्या हैं जिसके आधार पर हम इस रिपोर्ट पर वाद विवाद करें ? आज पब्लिक सर्विस कमीशन में दो सदस्य हैं और एक चेयरमैन हैं। इस प्रकार से कुल तीन सदस्य हैं। इतने ही सदस्य आजादी के पूर्व सन् ४१ में भी थे। कार्य बहुत बढ़ गया है। हमारे प्रदेश में बहुत से नये विभाग बढ़ गये हैं। तो पहला सुझाव जो मेरे दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह यह है कि आज सदस्यों की संख्या, कार्यभार और कार्यवृद्धि को देखते हुये, कम है। संविधान की धारा ३१८ और ३१९ के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर महोदय के द्वारा होती है और वही पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की कंडीशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आफ सर्विस तय करते हैं, उसमें यह लिखा हुआ है "नाट एक्सीडिंग फोर" इसके अतिरिक्त पांचवां चेयरमैन होता है। तो इस प्रकार से गवर्नर महोदय ५ सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन आजकल चेयरमैन को शामिल करके उसमें केवल ३ सदस्य हैं। अतः हमारी सर्विसेज में वृद्धि को देखते हुये यह आवश्यक है कि कम से कम पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाय। पब्लिक सर्विस कमीशन के ४ मेम्बर नियुक्त किये जायं और एक चेयरमैन नियुक्त किया जाय। इस प्रकार से कुल ५ सदस्य होने आवश्यक हैं।

अगर आप दूसरे प्रदेशों को देखें तो आपको मालूम होगा कि बाम्बे में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के ५ सदस्य हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ७ सदस्य हैं। पार्ट 'सी' स्टेट्स में आप पेप्सू को ले लीजिये आप विन्ध्य प्रदेश को ले लीजिये, छोटे-छोटे प्रदेश हैं जहां सेवा बहुत कम है, जहां अधिक कार्यभार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं है, वहां पर भी तीन ही सदस्य हैं। जहां तक कार्य-भार का सवाल है पिछले वर्ष लगातार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रतिवेदन में आप देखते हैं कि उसने शिकायत की थी कि हमारे पास कार्य-भार बहुत अधिक है, जिसकी वजह से समय पर इंटरव्यू नहीं कर सकते और इसलिये इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत सी सर्विसेज को स्वयं कमीशन ने अपने परव्यू से हटाने की कोशिश की और अगर आप पिछले वर्ष सन् ५१–५२ की रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा कि सेलेक्शन के लिये २,५५५ अर्जियों पर वे विचार ही नहीं कर सके। इतना एरियर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहले कभी नहीं रहा। अब प्रश्न अगर खर्चा का उपस्थित हो तो खर्चे के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि इस वर्ष के बजट में ४ लाख ८० हजार रुपया पब्लिक सर्विस कमीशन के चार्ड आइटम के रूप में रखा गया है जब कि आमदनी पब्लिक सर्विस कमीशन से सरकार को २ लाख ५६ हजार रु० की हुई है। तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कुछ अधिक खर्चा बढ़ जायगा तो उस से हमारी सर्विसेज को अधिक विश्वास प्राप्त होगा और जनता में जो आम शिकायत की भावना हो सकती है कि तमाम सब सिफारिशात वहां चलती हैं, यह भावना भी उनकी अधिक पैमाने पर नहीं बढ़ पायेगी। अगर हम कमीशन के अधिकार को बढ़ाते हैं और वे उसका सदुपयोग करते हैं तो इससे हमारे कर्मचारियों को भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। कमीशन जो है वह फन्क्शन आफ रेगुलेशंस के मातहत काम करता है, सन् ५०–५१ और ५१–५२ की रिपोर्ट को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। सरकार और कमीशन के बीच में कुछ अवसर ऐसे आये हैं जब कि रेगुलेशंस के इंटरप्रिटेशन में बहुत फर्क है। वैसे गवर्नर महोदय को रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है, सरकार को रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है। यह भी सही है कि सरकार रेगुलेशंस बनाने के बाद कमीशन की सलाह-मशविरा ले लिया करती है। प्रश्न बार-बार यह उठता है कि आया कमीशन की सलाह को माना गया है या नहीं माना गया है। कमीशन की सलाह को समय पर माना गया या नहीं माना गया और फिर किसी रेगुलेशंन के अर्थ लगाने में कमीशन की राय को प्रधानता दी गयी या नहीं दी गयी।

अगर श्रीमन् आप इस रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मालूम होगा कि कमीशन ने स्पष्टतः यह शिकायतें की हैं कि कमीशन के इंटरप्रिटेशन को सरकार ने कई बार नहीं माना। मैं केवल एक मिसाल देना चाहता हूं जिसमें कमीशन ने यह शिकायत की थी कि एक सेवा से दूसरी सेवा में जब एक सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय को अंडर सेक्रेटरी बनाया गया तो उन्होंने यह कहा कि डिपार्टमेंटल सेलेक्शन कमेटी के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रमोशन का प्रश्न हमारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन जो सेवा के लिये बनाये गये नियम के बाहर कोई प्रमोशन या नियुक्ति होती है अंडर सेक्रेटरी की तो वह हमारे सामने आना चाहिये। यह सन् ५१–५२ की रिपोर्ट में साफ है कि यह चीज नहीं होनी चाहिये, क्योंकि फंक्शन आफ रेगुलेशंस की यही आधारनीति है जिसके बिना कमीशन कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिये सरकार को अधिक उदार होना चाहिये था और ऐसी सर्विसेज के मामले को छोड़ कर जिनकी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आवश्यकता हो, कमीशन के इंटरप्रिटेशन को माना जाय और साधारणतः, विशेषतः कमीशन की सिफारिश को, कमीशन की राय को प्रधानता देनी चाहिये। दूसरी बात फंक्शन आफ रेगुलेशन के सम्बन्ध में ध्यान देने की है, जिसके बारे में कमीशन ने बार बार और कुछ बार विशेष शिकायत की है और वह यह है कि जो ऐसे कर्मचारियों के मामले हैं जिनको कि समय से पहले रिटायर करने की आज्ञा दी गयी है, जिसका टेक्निकल टर्म सुपरऐनुएशन है, वह कमीशन के परविय़ू से बाहर है फंक्शंस के अन्दर और रेगुलेशंस के अन्दर उनकी गुंज यश होनी चाहिए। कमीशन तीन चार साल से इस बात की सिफारिश कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक इन रेगुलेशन्स में नहीं हुई है और उसका नतीजा यह है कि कमीशन को इस बात की बार-बार शिकायत करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार जब कभी रिटायर्ड गवर्नमेंट सेर्वेन्ट्स की पुनर्नियुक्ति का प्रश्न आता है या कोई आफिशियेटिंग चान्स देने का प्रश्न आता है तो कमीशन को उस की राय न लिये जाने की शिकायत रही है, कभी तो विलम्ब से राय ली गयी है और कभी नहीं ली गई और इस सम्बन्ध में रेगुलेशन्स में जो व्यवस्था है वह भी अस्पष्ट है। इसका नतीजा यह होता है कि एक तरफ तो योग्य अफसरों को अपनी तरक्की से वंचित होना पड़ता है, जिस पर वह काम करने के योग्य हैं और दूसरी तरफ अफसरों को भी ऐसा खयाल होता है कि हमको कमीशन ने नियुक्त नहीं किया, इसलिये इस तरह का जो उनका संशय है उसको दूर करने की और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

एक बात का मैं और जिक्र कर दूं और वह यह है कि सन् १६४१ में जो फंक्शन्स और रेगुलेशन्स थे उनमें आफिशिएटिंग एप्वाइंटमेंट्स के सिलसिले में ६ मास से अधिक की नियुक्तियां कमीशन के सामने आ सकती थीं यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रथा में ६ महीने की एक तरह की लिमिट थी, लेकिन अब वह अवधि ६ मास से बढ़ाकर १ वर्ष कर दी गई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समय की वृद्धि करना उचित नहीं है। अव्वल तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये कि बिना कमीशन की अनुमति के कोई नियुक्ति की जाय, लेकिन अगर कोई विशेष अवसर या परिस्थिति आती है कि बिना नियुक्ति किये काम नहीं चलता और किसी के विशेष अनुभव और योग्यता को देखते हुये करना ही पड़ता है तो आवश्यक है कि उनके मामलों को कमीशन के सामने भेजा जाय। लेकिन ६ मास से बढ़ा कर एक साल करना यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इस सम्बन्ध में रेगुलेशन्स में संशोधन करे।

इसके अलावा एक और अत्यन्त महत्व की बात है, मैं इस सम्बन्ध में कोई अथारिटी तो नहीं हूं और न मैं ऐसा दावा करता हूं कि मेरी कोई इसमें विशेष जानकारी है, लेकिन थोडे बहुत अध्ययन से मुझे मालूम हुआ है कि कमीशन डिसक्रिशनरी मामलों में अपने राइट्स को छोड़ने को तैयार नहीं है। यू० पी० सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल बनाया है, जिसके लिए रूल्स बने हैं और जो डिसिप्लिन वगैरह के मामले होते हैं उनको वह देखता है और जांच करता है। मैं यह नहीं कहता कि उसको एबालिश किया जाय, मैं स्वयं इस बात का हामी हूं और विरोधी दल भी इसका हामी है कि ऐसे मामलों में जिनमें अनुशासन की गम्भीर अवहेलना होती हो और किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो और ऐसी आशंका रही हो कि उस ने भ्रष्टाचार किया है तो ऐसे अवसरों पर यथाशीघ्र और यथाविधि उसको दंड देना चाहिये और जल्द से जल्द ज्यादा समय न लगा कर उसको समुचित दंड देना उचित है। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि विधि के अनुसार ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से भी ऊपर अपील की गुंजायश हो और उसके विरुद्ध भी अपीलें कोर्ट में जा सकें। तो पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि हमारे और उनके सम्बन्धों को स्पष्ट किया जाय और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल ने जो सिफारिशें की हैं उनको भी सामने आने दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय

तो नहीं लूंगा, लेकिन केवल सन् ५०–५१ की रिपोर्ट के पेज ३१ में जो सिफारिश इस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है उसको मैं थोड़ा आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं—"उत्तर प्रदेश डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के नियम, १९४७ के लागू होने पर इन नियमों के अन्तर्गत होने वाले अनुशासनात्मक मामलों को कमीशन के कार्यक्षेत्र से निकाल दिया गया था। कमीशन के आपत्ति करने पर शासन ने विश्वास दिलाया कि अधिकांश मामले अब भी कमीशन को भेजे जायंगे और केवल अपवादस्वरूप मामले ही ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेजे जायेंगे। जिन मामलों को "ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करता है, उन मामलों में कमीशन के परामर्श से बचने का क्रम जारी रहे, यह बात कमीशन को न्याय पूर्ण नहीं लगी, विशेष कर जब कि कमीशन से परामर्श की आवश्यकता उस समय भी समझी जाती है जब कोई कर्मचारी न्यायालय की ओर से फौजदारी के अपराध में दंड पा जाने पर बरखास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या उस का दर्जा घटा दिया जाता है। तदनुसार कमीशन ने सुझाव दिया कि संशोधित विनियमों में से उक्त अपवर्जन (exclusion) निकाल दिया जाय।

तो मैं चाहूंगा कि यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है इसमें सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। उसने इस बात को कहा है कि सन् १९५०–५१ के सम्बन्ध में जो सरकार ने मेमोरेंडम हमारे सामने रखा है उसमें देखने से सरकार ने आज्ञा साफ दी है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्मृति-पत्र में कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी गई है। केवल इतना कहा गया है कि वह बात सरकार के विचाराधीन है। डिसिप्लिन्री इन्क्वायरी कमेटी के सामने यह मामला था और उस पर कार्यवाही की जायगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के स्मृतिपत्र जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आवें वह अधिक स्पष्ट हों और यह दो तीन पेज में कार्यवृत्त के रूप में आ जाना उचित नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले साल जब फंक्शंस आफ रेगुलेशंस मार्च, सन् १९५४ में हमारे सामने रखा गया हम उस पर विचार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब भी मैं चाहूंगा कि फंक्शन्स आफ रेगुलेशंस जिस प्रकार से बनाये गये हैं उनके सम्बन्ध में सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट करे और बतलावे कि वह किन सिद्धांतों के ऊपर चाहती है कि वह कमीशन की परव्यू से बाहर रहें। मैं तो यह समझता हूं और पिछले साल जो पब्लिक सर्विस कमीशनों के चेयरमैनों की कांफ्रेन्स हुई थी और उसमें सभी कमीशनों के चेयरमैनों ने सुझाव केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिये दिये और उनमें से शायद यह भी था कि फंक्शंस आफ रेगुलेशंस अधिकतर समान होने चाहिये, स्थिति विशेष को देखते हुये एक से होने चाहिये। तो इसलिये इसके सिद्धांत निश्चित हो जाने चाहिये, जिससे कमीशन को बराबर शिकायत करने का मौका न रहे।

एक दूसरी बात जो इस रेगुलेशन्स के बारे में कहना चाहता हूं वह इसके शिड्यल के विषय में है। आप यह देखेंगे कि इसके शिड्यूल में बहुत सी ऐसी सर्विसेज के नाम लिखे हुये हैं, इसके परिच्छेद में ऐसी सेवाओं का जिक्र है, जिनकी नियुक्तियां सीधे गवर्नर नहीं करते बल्कि उनकी अथारिटी पर दूसरे लोग करते हैं, लेकिन उन पर कमीशन की राय लेना जरूरी होता है। मैंने यह देखा कि इस परिच्छेद में उन्हीं सेवाओं के नाम लिखे हुये हैं जो १९४१ के शिड्यूल में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि ४१ की सेवाओं के तरीकों में और आज की सेवाओं के तरीकों में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है। कम से कम ऐसा हम लोग समझते हैं। सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ५१–५२ की रिपोर्ट में तो कम से कम से १० मिसालें ऐसी हैं जिसमें कमीशन ने लिखा है कि सरकार ने भेज दिया है, लेकिन वह हमारे परव्यू में नहीं है। मिसाल के लिये टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इस शिड्यूल के अन्दर नहीं है, लेकिन सरकार ने उनके पास रिफर कर दिया तो कमीशन पूछता है सरकार से आप बतलायें कि हमारे परव्यू में नहीं है

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हम किस प्रकार से उस पर अपनी सिफारिश करें। या तो आप संविधान की धारा ३८० की उपधारा ३ के अधीन अपने विशेष अधिकार से राय मांगें तो हम दें।

लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि हम फंक्शंस एंड रेगुलेशन्स आफ शेड्यूल के अनुसार सिफारिश दें तो हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की भी है कि शेड्यूल जो है फंक्शन्स ऐंड रेगुलेशंस का उसमें सर्विसेज को बढ़ाया जाय। जो नई सर्विसेज हैं, जो नयी नियुक्तियां होती हैं उनके बारे में स्पष्ट नीति अख्तियार की जाय, ताकि बार-बार सरकार और कमीशन के बीच में जो लिखा पढ़ी होती है वह न हो और समय बचे। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सेवायें हैं जिनको शेड्यूल में आना चाहिये और जिनको कमीशन के परव्यू म होना चाहिये जैसे कि पुलिस सबार्डिनेट सर्विस। सन् ५०–५१ में कमीशन ने यह कहा कि हम कार्य की अधिकता के कारण या समय न होने के कारण पुलिस सबार्डिनेट सर्विसेज की जांच नहीं करा सकते। यहां तक कमीशन ने कह दिया कि २०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले भी जो कर्मचारी हैं उनका सिलेक्शन भी वे नहीं कर सकते।

मैं कमीशन की आलोचना करने में जरा हिचकता हूं, क्योंकि कमीशन में जो सदस्य हैं, जो आदरणीय और विद्वान् लोग हैं उनकी समालोचना इस सदन में करना जबकि उनके पास सफाई का मौका न हो जरा उचित नहीं है फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि उनकी यह सिफारिश भी मेरे दृष्टिकोण में उतनी वांछनीय नहीं है जितनी कि होनी चाहिये थी। पुलिस सर्विस के सम्बन्ध में सभी सदस्य कहते आये हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार की और विभागों से गुन्जाइश अधिक है और पुलिस के विभाग में उचित सिलेक्शन का होना अत्यन्त ही आवश्यक है। तो इसमें सरकार को भी सहायता मिलती, अगर कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट अथारिटी के द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियां होतीं। तो मेरा तो विश्वास है कि यदि हम कमीशन में सदस्यों की संख्या को बढ़ा देंगे, कमीशन का स्टाफ बढ़ायेंगे तो फिर कमीशन को सबार्डिनेट पुलिस सर्विस या पी० ए० सी० जैसे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जिनको सरकार ने कमीशन के पर्व्यू से उसकी राय से हटाया है उन पर फिर कमीशन विचार कर सकेगा और उनको अपने दायरे में रख सकेगा और इससे जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनका सिलेक्शन भी कमीशन के द्वारा हो सकेगा। इसके साथ ही साथ कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिनमें गवर्नमेंट सर्वेन्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है।

(इस समय ३ बज कर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब यह प्रश्न अलग है कि किस मौके पर गवर्नमेंट सर्वेंट डिस्चार्ज किया गया। एक साधारण डिस्चार्ज कहा जा सकता है, लेकिन जिन केसेज में एक साधारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में एक सरकारी अधिकारी का डिस्चार्ज हो वहां पर पेंशन की व्यवस्था या मुआविजे की व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन इन फंक्शंस ऐन्ड रेगुलेशन्स में कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार कमीशन उस पर विचार कर सके। इस सम्बन्ध में भी कमीशन ने अपनी राय दी है। विधान की धारा ३२१ के मातहत इस बात के लिये सदन को अधिकार दिया गया है कि म्युनिसिपैलिटी या और भी कोई इस प्रकार की स्थानीय संस्थायें हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हों या म्युनिसिपैलिटी हों या जैसे इंडस्ट्रियल फायनेंशियल कार्पोरेशन हों जो ये आटोनामस बाडीज हैं जिनको कि सदन ने बनाया है उनकी नियुक्तियां भी पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है, बशर्ते कि सदन इस प्रकार का अधिकार उनको दे। आपको याद होगा जब पिछले साल म्युनिसिपैलिटी विधेयक पर बहस हो रही थी तो बहुत से सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय। यानी स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं में भी इस प्रकार की गुंजाइश हो कि उनके एग्जिक्यिुटिव आफिसर या सेक्रेटरी या इंजीनियर की नियुक्ति किसी इंडिपेंडेंट अथारिटी द्वारा हो। लेकिन वह सुझाव स्वीकृत नहीं हो सका यह कहा गया कि कारपोरेशन बिल जब आयेगा तो उस समय यह बात देखी जायगी। अब वह समय आ गया है जब कि हम को इस बात को पेश करना चाहिये और सरकार को इस सम्बन्ध

में इनीशिएटिव लेना चाहिये कि वह इस प्रकार का विधान बनावें और सदन से उसको पास करायें चाहे वह म्युनिसिपल कारपोरेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन हो, कोई भी आटोनामस बाडी हो, उनके अधिकारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगी ।

१९५१-५२ की रिपोर्ट में एक केस का उल्लेख किया गया है। नैनीताल के एग्जिक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा तो कमीशन ने जवाब दिया कि यह विधान के अनुसार हमारी अधिकार सीमा के बाहर है, क्योंकि कानून कोई नहीं बना है। इसलिये कमीशन को वापस करना पड़ा और सरकार को भी चुप्पी साधनी पड़ी। आजकल कितने ही मामले चल रहे हैं जहां शिकायत आती है कि नया चेयरमैन हुआ, किसी पार्टी का चेयरमैन हुआ उनके मन का एग्जिक्यूटिव आफिसर नहीं हुआ उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया और यह कह दिया कि यह अयोग्य है। कितने मामले हैं। म्युनिसिपल बोर्डस के अन्दर झगड़े चल रहे हैं, अधिकारियों के बारे में पार्टीबन्दी हो रही है। स्वयं मेरे जिले में ऐसे केस मौजूद हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो स्थानीय संस्थाओं में अफसरों को लेकर जिस प्रकार का वैमनस्य हो जाता है वह भी दूर हो जायगा और जो हम नये आटोनामस बोर्डस बनायेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बनेगा, वह भी कह सकेंगे कि उन्होंने जो नियुक्तियां की हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुयी हैं। जहां तक फंक्शंस और रेगुलेशन्स का सवाल है मुझे इतना ही कहना है ।

म्युनिसिपैलिटियों के बारे में इतना और दोहरा दूं कि बम्बई की सरकार ने ऐसा विधान कर दिया है और बम्बई कारपोरेशन के जितने एम्पालाइज हैं उनकी नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। बंबई की असेम्बली ने इस प्रकार का विधान पास कर दिया है कि अगर म्युनिसिपैलिटीज सलाह लेना चाहें, म्युनिस्पैलिटी बाध्य नहीं हैं, जो चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकती हैं। तो मैं यह नहीं कहता कि हम बम्बई का अनुकरण करें। लेकिन अगर अनुकरण सराहनीय हो तो हमें ऐसा करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामले होते हैं हर साल जिन पर कि कमीशन सिफारिश करता है और सरकार उन सिपारिशों को नहीं मानती तो कमीशन को भी ग्लानि होती है, सरकार को भी ग्लानि होती है और इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद हमें भी ग्लानि होती है तो इसका कोई तरीका निकलना चाहिये। इतना ही कह देने से नहीं होगा कि कमीशन ने सिपारिश की, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और उनको नहीं माना जा सका।

मैं तो यह सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र में होता है, वहां का तरीका यह है कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कोई सिपारिश करता है और संबंधित मिनिस्ट्री उस सिपारिश को नहीं मानती तो एक बार फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास वह मामला जाता है और दोबारा विचार पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। अगर फिर भी पब्लिक सर्विस कमीशन की वही राय रहे ऐतो केन्द्रीय कैबिनेट ने एक परमानेंट सब-कमेटी बना दी है, जिसका काम ही यह है कि वह सारे से मसलों पर फौरन विचार करती है, क्योंकि पूरी कैबिनेट की मीटिंग देर में हो सकती है। लेकन सब-कमेटी की मीटिंग जल्दी हो जाती है। तो केन्द्रीय सरकार की तरह यहां भी एक, सब-कमेटी बन जाय। मैंने नहीं जाना यहां ऐसी कोई कमेटी है या नहीं, क्योंकि कैबिनेट की बातें जानने के अधिकार का मैं दावा नहीं ...... ।

श्री अध्यक्ष--सेंटर के बारे में आपको मालूम है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--केन्द्र में ऐसा है। लेकिन यहां है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। शायद ऐसा हो। कैबिनेट की कितनी कमेटीज हैं, कितनी सब-कमेटीज हैं, मैं नहीं जानता। लेन मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि अगर यह नहीं है तो समय को बचाने के लिये होना चाहिये। कमीशन को भी यह ख्याल न हो कि हमारी राय

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पर सिर्फ एक सेक्रेटरी ने विचार कर लिया और पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। तो इसके लिये एक अप्वाइन्टमेंट सब कमेटी बने और उसके सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। अगर उसके बाद भी यह राय हो तो एक्सेप्शनल मामलों में पब्लिक सर्विस कमीशन की राय न मानी जाय। लेकिन साधारणतया और विशेषतया यह अवश्य होना चाहिये कि कमीशन की सिपारिशों को माना जाय। यह अत्यन्त ही आवश्यक है।

सन् १९५०–५१ और १९५१–५२ की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बहुत से मामले ऐसे हैं कि जिन पर कमीशन सरकार की राय को मान गया, लेकिन जो भाषा लिखी गयी है इन रिपोर्टों में उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कमीशन ने माना तो लेकिन समझ कर नहीं माना। सरकार के तर्कों के आधार पर नहीं माना, विभागीय तर्कों के आधार पर नहीं माना, लेकिन इसलिए माना कि चूंकि सरकार ने यह फैसला कर दिया है, सरकार की प्रतिष्ठा रखनी है इसलिये इसको मान लो। कुछ ऐसा ही मुझे लगा। या तो इसकी भाषा गलत है, क्योंकि हमें रिपोर्ट की भाषा को उसमें लिखे अनुसार ही समझना है और इसमें जो भाषा है वह भ्रमात्मक है भी नहीं, बिलकुल स्पष्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि हम यह समझें सदन यह समझ या कमीशन यह समझे और सरकारी कर्मचारी यह समझें कि होता वही है जो सरकार चाहती है। मुझे श्रद्धेय श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे और उनकी रिपोर्ट भी है यहां की बात की याद आती है। उनका कहना था और रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि कभी कभी तो डिपार्टमेंटों की कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता ह कि कमीशन एक खाली मुहर लगाने वाली अथारिटी है। मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन १९५१–५२ की रिपोर्ट जो है उससे यही भावना दुर्भावना हुयी है। क्या मैं इस बात की आशा करूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने इस शासनकाल में इस प्रकार की कोई भावना (दुर्भावना) पैदा होने का अवसर न देंगे।

अब इसके बाद मुझे कुछ शब्द वर्तमान जो सेवायें और नियम हैं उनके सम्बन्ध में भी कहना है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, दोनों रिपोर्टों में, इस बात को कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन नियमों के सम्बन्ध में सिपारिशें की थीं, उनको भी अभी तक लागू नहीं किया गया है और जिन नियमों के संशोधन की आवश्यकता कमीशन ने बतायी, उन नियमों में भी संशोधन नहीं किया गया है। मिसाल के लिये सबार्डिनेट जेल सर्विस, सबार्डिनेट पुलिस सर्विस, सबार्डिनेट ट्रांसपोर्ट सर्विस तो चार प्रकार की सेवायें बतलायी गयी हैं। एक तो वह जिनके नियम आज तक बने ही नहीं, सेवायें हैं सर्विसेज कार्य कर रही हैं, लेकिन नियम नहीं बने अभी तक और दूसरे वे कि जिनके नियमों में संशोधन के सम्बन्ध में कमीशन ने राय दे दी है, लेकिन वे लागू नहीं किये गये। तीसरे वे जिनके नियम तो हैं लेकिन वे बहुत पुराने हो चुके हैं, सन् १९२१, १९३०, १९४९ के पुराने नियम हैं और अभी तक संशोधित नहीं हुये हैं और चौथे वे जो नयी सेवायें बनी हैं जिनके नियम किसी हालत में पुराने नियमों के अनुसार नहीं बने। जैसे मिसाल के लिये पब्लिक एकाउन्ट्स आफिसर के सम्बन्ध में वे एकाउन्ट्स सर्विसेज के नियम उनके लिये लागू नहीं होते हैं और नियम लागू होने चाहिये, क्योंकि वह पद ऐसे महत्व का है कि करोड़ों रुपयों से डील करना पड़ता है। तो इस बात की अवश्य हमारी कामना है कि इस प्रकार के जितने नियम हैं, चारों प्रकार के नियम हैं और जो बातें आती हैं इसके अन्दर उसके अनुसार नियम बनाने चाहिये और कम से कम इस स्थान में इतना अवश्य कहूंगा कि अब केवल नियमों से ही काम नहीं होना चाहिये, अगर जरूरत हो, आप विधान को अनुच्छेद ३०९ को देखेंगे तो यह लिखा हुआ है श्रीमन्, मुझे क्षमा करेंगे मेरे पास केवल अंग्रेजी की प्रति है—

"Article 309. Subject to the provision of this Constitution Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services, and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:"

इस विधान के प्रतिबन्धों के मातहत अधिकारी विधान सभा के द्वारा कोई भी ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं जो कि पब्लिक सर्विसेज के सम्बन्ध में उनकी पोस्टिंग के सम्बन्ध में किसी भी राज्य में हों। यह ऐक्ट के द्वारा।

दूसरा जो प्राविजो है उसमें यह है --

"Provided that it shall. be competent for the president or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor or Rajpramukh of a state or such person as he may direct in the case of services and posts in connecticn with the affairs of the state, to make rules regulating the the recruitment. and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the oppropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act."

"परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थित संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी भी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे।

या जो इस समय हमारी सेवाओं के नियम हैं वे इस प्रतिबन्ध के अधीन हैं तो अच्छा तो यह होगा कि बजाय इसके कि सरकार नियम बनाती रहे सेवाओं के और हर साल बनते रहें, यह विधान मंडल जो हमारा है यह सेवाओं के नियमों को बनायें। जहां तक मुझे मालूम है ऐसा अभी केन्द्र में भी नहीं हुआ है और किसी राज्य में ए, बी, सी, में नहीं बनाये हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब विधान में यह बातें हैं तो उन पर उनका अमल होना चाहिये और इस विधान सभा को यह अधिकार मिलना चाहिये कि हम उन सेवाओं के सम्बन्ध में विधान बनायें, ऐक्ट बनायें, उसके अधीन नियम बनें और तब पब्लिक सर्विस कमीशन और भी स्पष्टतः साथ इस विधान की भावनाओं के अनुसार काम कर सकेगा। तो क्या इस सम्बन्ध में मैं आशा कर सकता हूं कि सरकार कुछ अधिक क्रियाशील होगी और विधान की धारा ३०९ के अनुसार इस राज्य की सभी सेवाओं और सर्विसेज के विधेयक बनाने की चेष्टा करेगी क्योंकि उनका लगातार चलते रहना मैं समझता हूं कि विधान की धाराओं के अनुसार भी उचित नहीं है।

अब मुझे कुछ बातें आम तौर पर कमीशन की परीक्षाओं और सेलेक्शन्स वगैरह के बारे में कहनी हैं। जहां तक परीक्षा का प्रश्न है पहली बात तो मैं यह कह दूं कि परीक्षाओं की जो फीस बढ़ा दी गयी है जब से कम्बाइन्ड सर्विसेज का ऐक्जामिनेशन होने लगा है यह ज्यादा उचित नहीं है। यह बात सही है कि हरिजन परीक्षार्थियों के लिये कुछ फीस कम कर दी गयी है और यह भी सही है कि सबार्डिनेट सर्विसेज के लिये भी कुछ फीस कम है। लेकिन सन् ४७-४८ में पब्लिक सर्विस कमीशन यू० पी० ने इस बात की सिफारिश की थी कि इंटरव्यू फीस माफ कर दी जानी चाहिये, अप्लीकेशन फीस केवल ५ रुपये रहनी चाहिये और परीक्षा फीस घटाकर के प्राविंशियल सर्विसेज के लिये ३० रुपया, सबार्डिनेट और मिनिस्टीरियल सर्विसेज के लिये १० रुपया हो जानी चाहिये। तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर फिर विचार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करेंगे। तो सन् ४७-४८ की सिफारिशें ये हैं जब कि कीमतों की हालत या बजट की हालत जो भी आप कह लें, क्या थी आप जानते हैं और कमीशन ने ऐसा क्यों कहा था ? इसीलिये कहा था कि धन के कारण या धन की कमी के कारण या फीस के कारण किसी को यह कहने का मौका नहीं होना चाहिये कि हम कम्पटीशन में नहीं बैठ सकते। यह कहा जा सकता है कि फीस की वजह से कोई मेरिटोरियस लड़का है, वह न बैठे, यह नहीं हो सकता, लेकिन कमीशन के पास इस बात की सिफारिशें आयीं, ऐसे उदाहरण आये कि इस रुपये की कमी के कारण ठीक समय पर रुपया न जमा कर सकने के कारण, आज ऐडवर्टिजमेंट होता है, विज्ञापन निकलता है, देहात में कोई लड़का है, १५ दिन बाद उसको मालूम होता है कि ऐडवरटाइजमेंट निकला है, लेकिन ऐन मौके पर पैसे नहीं होते हैं, नहीं जमा कर पाता, तो इसी लिये कमीशन ने यह सिफारिश की थी और सरकार ने विचार करने के लिये आश्वासन दिया था। तो वह समय आ गया है कि हमें परीक्षाओं में शिक्षार्थियों को या उम्मीदवारों को अधिक सुलभता के साथ, अधिक आसानी के साथ बैठने का मौका देना चाहिये और कमीशन के उस पुराने सुझाव को मान लेना चाहिये। यह फीस कम करने के सम्बन्ध में हमें अब सोचना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सन् ५०-५१ में जो डिपार्टमेंटल परीक्षायें, विभागीय परीक्षायें कमीशन के द्वारा होती थीं, वह बन्द कर दी गयीं। साल में दो बार विभागीय परीक्षायें कमीशन के द्वारा ली जाती थीं। तो उसमें यह हुआ कि कमीशन ने यह मांग की कि यह विभागीय परीक्षायें नाम में तो हम लेते हैं लेकिन पर्चे कौन इनके बनाता है, एग्जामिनर कौन है, यह सब सरकार तय करती है, हमारा काम केवल तारीखें मुकर्रर कर देना, हाल वगैरह का इंतजाम कर देना और रिजल्ट छपवा देना इतना ही रहता है। तो कमीशन ने इसलिये यह मांग की थी कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में पूरा कर दिया जाय, इन विभागीय परीक्षाओं को और मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि एक व्याज निन्दा या व्याज स्तुतिवत कहिये, उन्होंने साथ में यह भी जोड़ दिया कि अगर यह अधिकार हमको नहीं दिया जाता तो हमारे हाथ में क्यों रखते हैं, आप ही ले लीजिये। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सरकैज्म के दृष्टिकोण से बल्कि तर्क के दृष्टिकोण से उन्होंने यह कहा कि आप ही कर लीजिये। तो सरकार ने एक साल के बाद यह निश्चय किया कि विभागीय परीक्षायें सरकार स्वयं कर लेगी और उन्होंने प्रिंसिपल आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के मातहत यह परीक्षायें कर दीं। मैंने और जो दूसरे स्टेट्स हैं, उनके यहां के कमीशन के अधिकारों को भी देखा और जगह विभागीय परीक्षायें, समय की अधिकता के कारण, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अधिकतर विभागीय परीक्षायें जो जूनियर आफिसर्स की होती हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन ही लिया करता है। तो मैं यह चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रकार की विभागीय परीक्षाओं को दुबारा पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि जिसकी ओर इशारा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सन् ५०-५१ की रिपोर्ट में भी किया है। कमीशन के पास इम्तहान के लिये अपना कोई हाल नहीं है। बड़ी भारी दिक्कत कमीशन को होती है। इलाहाबाद में अक्सर सिनेट हाल उनको नहीं मिलता है। वह युनिवर्सिटी का है। बड़ी भारी दिक्कत है कि वह इम्तहान कहां लें ? फिर दूसरी दिक्कत यह भी है कि परीक्षार्थी जो आते हैं उनके ठीक से रहने के लिये कहीं जगह नहीं है। भीड़भाड़ वाली वह जगह है। तो वहां पर उनको भी ठहरने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके सम्बन्ध में सन् ४७-४८ में कमीशन ने सुझाव दिया है कि वहां पर या तो कोई एक परीक्षा हाल बनाया जाय या परीक्षार्थियों का जहांतक संबंध है, एक कैंडीडेट्स होम उन्होंने रखा। यह श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव का सुझाव था कि ऐसे कैंडीडेट्स होम खुलने चाहिये ताकि उसका नियंत्रण पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई अधिकारी करें, जिसमें अनुशासित ढंग से जो शिक्षार्थी परीक्षार्थी वहां पर परीक्षा में बैठा करें उनको चिंतित भी न होना पड़े कि हम कहां रहें और रहें भी तो बेकार की जगह में रहें। तो परीक्षा हाल और कैंडीडेट्स होम जिसकी प्रस्तावना सन् ४७-४८ से सरकार के सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम उसका आयोजन होना चाहिये। आखिर हम सब विभागों की योजना बना रहे हैं, निर्माण की बना रहे हैं, उनको पूरे मानों

में लागू कर पावें या न कर पायें। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस मांग को जिसमें मैं समझता हूं दो लाख डेढ़ लाख रुपया से ज्यादा नहीं लग सकता, अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य रख लें तो यह शोभा की बात होगी।

तो परीक्षाओं के संबंध में तो मुझे इतना ही कहना है। इसके बाद रिपोर्ट के संबंध में भी मुझे कुछ बातें कहनी हैं। मैं इस बात की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि रिपोर्ट में यह बात होनी चाहिये और वह नहीं होनी चाहिये, क्योंकि आखिर यह रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की है और ऐसे विद्वानों की है जो कि पी० सी० एस० और यहां के सब से बड़े अधिकारियों कि नियुक्ति करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें अस्पष्ट हैं, जोकि साफ नहीं हुई हैं। उतनी अस्पष्ट तो नहीं है जितनी कि सरकार का स्मृति-पत्र है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें साफ नहीं है। जैसा कि यदि पहले और दूसरे साल की रिपोर्ट को मिलाइये तो पता नहीं चलेगा कि पिछले साल जो कमीशन ने सिपारिशों की थीं उनका क्या हुआ अगले साल। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में यह भी होना चाहिये कि आखिर जो उम्मीदवारों का स्तर रहा वह कैसा रहा? जो परीक्षाओं में लोग बैठे उससे उनका क्या नतीजा निकला? आया विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर नीचे गिर रहा है? जो विभागीय कर्मचारी हैं जिनका उन्होंने इन्टरव्यू किया है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है? कुछ न कुछ नोट उसका अवश्य होना चाहिये। १९५०-५१ में थोड़ी टिप्पणियां हैं, एक पैराग्राफ है, लेकिन ५१-५२ में कोई नहीं है। इसलिये मेरा उनसे निवेदन होगा कि हर साल एक परिच्छेद इसके लिये होना चाहिये, पैराग्राफ से काम नहीं चलने वाला है, जिसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की जनरल नालिज के बारे में उनकी क्या राय हैं जो कि यूनिवर्सिटी के हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ा बहुत ऐसा होता है। उसमें यह भी हो कि विश्वविद्यालय के नाम भी लिये जायं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में यह कमजोरी पायी गयी। लखनऊ युनिवर्सिटी के कामर्स फैकल्टी के विद्यार्थियों में यह कमजोरी पायी गयी, इसी तरह से होना चाहिये। उससे यह फायदा होगा कि एक तरफ विद्यार्थियों को कुछ गायडेंस मिलेगा, सरकार को गायडेंस मिलेगा और विद्यार्थियों को श्रम करने या ज्यादा मेहनत करने की इच्छा होगी। तो इस प्रकार से एक टेस्ट ऐनेलेसिस हमारे सामने आ सकेगा। इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण के लिये बम्बई पब्लिक सर्विस कमीशन की एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि टेस्ट ऐनेलेसिस के क्या परिणाम हुये। हमारे यहां अभी ऐसी कोई चेष्टा नहीं हुई है। उन्होंने तीन प्रकार के टेस्ट किये। पहला टेस्ट तो यह किया कि यूनिवर्सिटी के इम्तहानों के नतीजे में कितना तारतम्य रहा, कहां तक कम्परेटिव स्टडी रही। दूसरा यह कि अलग अलग फैकल्टी के विद्यार्थियों में क्या विशेषता उन्होंने देखी और तीसरा उन्होंने देखा कि क्या कमीशन के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है, जो परीक्षा ली जाती है, वह उम्मीदवार की योग्यता की परिचायक है अथवा नहीं। इसका भी टेस्ट लिया और नतीजा बड़ा आश्चर्यजनक निकला, जो कि इस सदन के लिये, मैं समझता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये और हमारे प्रदेश के लिये बड़ा लाभदायक होगा। बम्बई वालों ने यह देखा कि १५० कैंडीडेट जोकि कमीशन द्वारा क्वालिफाइड हुये उनमें ८० ऐसे थे जो थर्ड डिवीजनर्स थे ६८ ऐसे थे जो सेकेंड डिवीजनर्स थे और दो फर्स्ट क्लास वाले थे। यानी थर्ड डिवीजन में पास हुये लोग पी० एस० सी० के सामने इम्तहान और इन्टरव्यू में ज्यादा कामियाब हुये बनिस्बत उनके जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन पाया था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ यह पढ़कर क्योंकि मैं समझता था कि थर्ड डिवीजन में पास हुआ आदमी बिल्कुल निकम्मा होता है और हमारे प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिये थर्ड डिवीजन वालों की तो कोई इज्ज्जत ही नहीं है, सेकेंड डिवीजन वालों की थोड़ी सी इज्जत है। लेकिन बम्बई के पी० एस० सी० की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि थर्ड डिवीजनर ने मेहनत करके तरक्की कर ली और सेकेंड और फर्स्ट डिवीजन वाले पीछे रह गये। तो इसलिये इस प्रकार का टेस्ट एनालिसिस देना हमारी पी० एस० सी० की रिपोर्टों के लिये भी अत्यन्त आवश्यक है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके साथ ही साथ इन रिपोर्टों के संबंध में दूसरी बात यह है कि सरकार को भी बुरा नहीं लगना चाहिये अगर कमीशन ने कुछ ज्यादा बातें कह दी हों। मुझे अत्यन्त दुख है कि सरकार ने जो सन् १९५१-५२ का स्मृति-पत्र दिया है उसमें कमीशन को बतलाया है कि "इस प्रकार की रिपोर्ट संविधान के आदेशों की पूर्ति के लिये यह पर्याप्त होता है कि कमीशन विचाराधीन वर्ष के अपने कार्य का विवरण दे देता और राज्यपाल उन मामलों में जिनमें कमीशन की राय न मानी गई हो उस राय के न माने जाने के कारणों का उल्लेख कर देते। इस बुनियादी प्रयोजन को स्पष्टरूप से पूरा करने के लिये कमीशन द्वारा किये गये कार्य के व्योरे, जो रिपोर्ट से लिये गये हैं, नीचे दिये जा रहे हैं।"

यानी जिस प्रकार की रिपोर्ट सरकार चाहती है उस प्रकार की रिपोर्ट बना कर बतला दिया गया है और एक पेज में यही लिखा हुआ है और कहा गया है कि हम तो ऐसी रिपोर्ट चाहते थे, आपने तो लम्बी लिख दी। और फिर आगे इसी में पेज ३ पर देखिये पैराग्राफ ४। उसमें लिखा है "कई अन्य ऐसे मामले भी हैं जिनकी चर्चा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में की है किन्तु जो वस्तुतः संविधान में व्यवस्थित रिपोर्ट के प्रयोजन के क्षेत्र से बाहर हैं साधारणतया ऐसे ममलों में सरकार की ओर से कोई टिप्पणी करके इस स्मृपि-पत्र को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि यह संभव है कमीशन की कुछ उक्तियों से यह धारणा हो सकती है कि कदाचित सरकार ने कमीशन के विचारों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिये था, इसलिये स्थिति को कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।" इसका अर्थ यह है कि सरकार यह नहीं चाहती कि कमीशन संविधान की धारा ३२० के दायरे के बाहर कोई चीज अपनी रिपोर्ट में लिखे। आखिर हम रिपोर्ट में इतना ही तो नहीं चाहते कि कमीशन ने क्या सिफारिश की और सरकार ने किसको माना और किसको नहीं माना। हम तो विधान की धारा ३२० के अनुसार यह चाहते हैं कि हम जानें कि सरकारी नौकरियों का स्तर कितना ऊंचे उठा या नीचे गिरा, उनमें कार्य कुशलता कितनी बढ़ी, उनके अनुसशासन का मापदंड सेवाओं में बढ़ा है या अनुशासनहीनता बढ़ी है। इसलिये हमारे विचार से सरकार को भी ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये अगर कमीशन ने यदा कदा अपने जनरल आब्जर्वेशन्स में यह कह दिया हो, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर भी आक्षेप आ सकता है। और सन् ५१-५२ की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है। सरकार से भी यह कहा जाता है कि सरकार यह चाहती है कि पी० एस० पी० ज्यादा इंडिपेंडेंट व्यू न दे और जहां भी उसने थोड़ी सी स्वतंत्र राय दी या सरकार के बिलम्ब करने की आलोचना की तो सरकार ने कमीशन की बातों को ठुकरा दिया या कमीशन ने जो बातें कहीं उनको ठुकराते हुये दूसरी तरफ से रेगुलेशन्स की आड़ में काम करना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता सरकार के ऊपर ये आपत्तियां आयें, लेकिन सन् ५१-५२ की रिपोर्ट देखने से यह बात संभवतः समझ में आती है। दो तीन बातें उसमें बिलकुल स्पष्ट हैं। सन् ५१-५२ की रिपोर्ट को आप देखिये।

श्रीमन्, कमीशन का यह कहना है कि सरकार का जवाब हमें नहीं मिला और सरकार का यह कहना है कि कमीशन ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अब मैं किसको सही मानूं? कमीशन में बहुत ही जिम्मेदार और आदरणीय विद्वान मौजूद हैं और हमारी सरकार तो जनतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार है और योग्यतम व्यक्तियों द्वारा यह सरकार निर्मित है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ २ पैरा ५ में दिया हुआ है कि :—

"शासन के बार-बार अनुदेश करने पर भी नियुक्ति प्राधिकारी तथा स्थानापन्न नियुक्तियों के करने में अपने अधिकारों का बराबर अतिक्रमण करते हैं। ऐसी अनुचित क्रियाओं को रोकने के उद्देश्य से कमीशन के अध्यक्ष ने गत वर्ष मुख्य मंत्री को यह सुझाव दिया था कि नियुक्ति प्राधिकारियों से यह कहा जाय कि वे सब उन सब अस्थायी नियुक्तियों की जो बिना कमीशन की अनुमति के की गई हैं, एक अर्द्ध वार्षिक सूची बनाकर कमीशन के पास के भेजें तथा हर मामले में यह भी लिखें कि कमीशन की अनुमति क्यों नहीं ली गई।

इस संबंध में शासन से कोई उत्तर नहीं मिला। इस आलोच्य वर्ष में भी ऐसी कई क्रियायें हुई हैं जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय ८ के पैरा ५, ६, ८, ९ अध्याय ९ के पैरा ५ व ६ तथा अध्याय १० के पैरा ५, ९, १० व १२ से विदित होगा।

यह कमीशन ने रिपोर्ट दी है, अब श्रीमन्, देखिये कि सरकार क्या लिखती है। सरकार का कहना है जो इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ४ पैरा (१) "अस्थायी स्थानापन्न नियुक्ति" कमीशन ने ५०-५१ की रिपोर्ट में भी इसी मामले का उल्लेख किया था। इस रिपोर्ट के संबंध में विधान मंडल के सम्मुख जो स्मृतिपत्र रखा गया था उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उन विशेष मामलों के संबंध में जिन्हें कमीशन के चेयरमैन मुख्य मंत्री की जानकारी में लाये थे तत्संबंधी स्थिति चेयरमैन को स्पष्ट कर दी गई थी। तत्पश्चात कमीशन ने उक्त मामले में आगे और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा। इस मामले में न तो आगे कोई नई बात हुई है और न सरकार को कमीशन से इस विषय पर कोई नया पत्र प्राप्त हुआ।

अब देखिये श्रीमन्, इस मामले में कोई नई बात नहीं हुई और न उनका कोई पत्र ही प्राप्त हुआ। कमीशन का कहना है कि हमने शासन से मुंहजबानी कहा और पत्र भी लिखा, लेकिन शासन से कोई उत्तर नहीं मिला। श्रीमन्, यह कितना इम्पार्टेन्ट विषय है। मैं भाषा पर जोर नहीं देता हूं, लेकिन यह देखता हूं कि विषय कितना आवश्यक है। कमीशन कहता है कि लगातार टेम्पोरेरी और आफीशियेटिंग अप्वाइंटमेंट्स के सिलसिले में रेग्यूलेशन्स वायलेट होते रहे हैं और एक नहीं बल्कि १०-२० मिसालें दी गई हैं। आगे चलकर आप देखेंगे श्रीमन्, इसी रिपोर्ट में पृष्ठ २४ पर दिया हुआ है पैरा १२ में कि :--

"अनेक मामले ऐसे हैं, जिनमें नियुक्ति अधिकारियों ने कमीशन को निर्देश करने में अत्ययंत बिलम्ब कर दिया। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, हरकोर्ट बटलर टैक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में रिसर्च कैमिस्ट ६ वर्ष, सार्वजनिक निर्माण विभाग की बिजली शाखा में हेड मिस्त्री ६ वर्ष, सबार्डिनेट कृषि सेवा में द्वितीय ग्रुप ६ वर्ष, नायब तहसीलदार या पेशकार दो वर्ष से सात वर्ष तक, ग्रेजुयेट और अंडर ग्रेजुयेट ग्रेड में अध्यापक, भिन्न भिन्न मामलों में पृथक पृथक समय, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (जूनियर स्केल) १९ माह, गवर्नमेंट प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, लखनऊ में सहायक अकाउन्ट्स आफिसर १८ माह, कृषि इंजीनियरिंग विभाग में वर्कशाप योजना के अन्तर्गत एकाउन्ट्स अफसर २२ माह, सिंचाई शाखा में इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल सुपरवाइजर दो वर्ष से सात वर्ष तक।"

सरकार इस संबंध में यह कहना है कि जो कुछ करना था वह सरकार ने कर दिया। अब कोई कार्यवाही बाकी नहीं है तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर केवल इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि तत्संबन्धी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। मैं मांग करूंगा कि इतने महत्व के मामले को स्पष्ट किया जाय कि क्या स्पष्ट किया गया है। मैंने सारा स्मृति-पत्र देखा जिनका जिक्र इसमें किया गया है, कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं है। एक या दो मामलों को छोड़कर किसी पैरे का स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि बहुत जगह पर कमीशन ने अत्यन्त सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिनके संबंध में मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी के ऊपर जिसके बारे में ऐसे आरोप लगाये जाते, उनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिये थी। कमीशन का अगर आप कोई महत्व समझते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये थी। मिसाल के लिये पृष्ठ १६ में कृषि संचालक के बारे में कहा गया है। सन् १९५१-५२ की रिपोर्ट के पृष्ठ १६ के पैरा ५ में डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर के बारे में लिखा गया है कि उप संचालक कृषि विभाग ने अपने मामले अप्रैल, १९५१ तक कमीशन के पास नहीं भेजे। इस प्रकार से वहां उम्मीदवार कमीशन की अनुमति के बिना ८ वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। कृषि संचालक के कार्यालय में असाधारण बिलम्ब के और भी मामले हुये हैं। इस विषय में शासन को लिखा गया तो उन्होंने इन मामलों की रोकथाम के लिये उनसे कुछ अनुरोध किया और शासन ने ऐसी अनियमितताओं को गम्भीर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दृष्टि से देखा। उसने संचालक को सतर्क रहने के लिये कहा ताकि ऐसी भूल फिर न हो। मैंने ७ साल की कमीशन की रिपोर्ट देखी लेकिन जितने सख्त शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है वैसा कहीं नहीं है। खाली चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा। जहां पर ८ साल लगातार किसी विभाग के अधिकारी रेगुलेशन्स को वायलेट करते रहे वहां पर खाली चेतावनी दे दी जाय यह उपयुक्त नहीं मालूम होता है।

इसमें आप देखेंगे कि कृषि संचालक के कई और मामले भी हैं। पैराग्राफ ६ पर दिया गया है कि इस परिस्थिति में कमीशन ने इन मामलों पर विचार किया। ८ वर्ष तक अच्छा काम होने पर उन्होंने पदोन्नति की। यह भी एक असाधारण बिलम्ब हुआ। यह इस प्रकार के मामले हैं जिन पर अवश्य सरकार की कार्यवाही होनी चाहिये। इसके साथ साथ कई रिपोर्ट के पैराग्राफ ऐसे हैं जिनके संबंध में सरकार से स्मृतिपत्र में कोई उत्तर नहीं मिला है। स्मृति पत्र के ५-६ पेज पर कोई उत्तर सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इसका उत्तर होना आवश्यक है। मैं समय बचाने की दृष्टि से पृष्ठ ८ का पैरा ७ और बैरा ५-६, पृष्ठ २० का पैरा ४, पृष्ठ २२ का पैरा ८, पृष्ठ २३ का पैरा ४ और ६ यह तमाम हैं, जिनका कोई उत्तर सरकार ने अपने स्मृतपित्र में नहीं दिया है और सरकार के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि इसके संबंध में स्पष्टीकरण आता। आप उस सरकार की रिपोर्ट की भाषा को देखें तो उस रिपोर्ट की भाषा में लगातार यह कहा गया है कि कमीशन की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके लिये स्थिति यह है कि इन मामलों के संबंध में जो समाप्त हो गये हैं कमीशन के द्वारा उनके संबंध में दी गयी अनियमितता पर विचार-विमर्श करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से ४, ५ स्थानों पर इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि कमीशन ने जो व्योरा दिया उस पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमको तो इस व्योरे से मतलब नहीं है कि कब किसका प्रमोशन होता है, लेकिन अगर कमीशन के उस व्योरे से कोई सिद्धांत की बात निकलती है या किसी बात के अन्दर जाकर अनियमितता की बात निकलती है तो अवश्य हमको इस बात की जानकारी करनी है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर उसका क्यों व्योरा दिया। डा० अमरनाथ जैसे विद्वान की कलम से अगर कोई रिपोर्ट लिखी जाती है और उनके द्वारा कोई वृत्तांत लिखा जाता है तो उस वृत्तांत के संबंध में सरकार अगर यह कहती है कि इसके बारे में हम कुछ कहना उचित नहीं समझते तो यह अनुचित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जितने पैरा दिये गये हैं और जिनके संबंध में कमीशन को शिकायत रही है उनके संबंध में स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिये। इसके साथ ही साथ कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में सरकार की ओर से उचित कार्यवाही भी नहीं हुई है और मैं तो यह कहूंगा कि गलत काम भी हुआ है, इसके लिये मैं क्षमा चाहूंगा। मिसाल के लिये लोकल सैल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर का सवाल था कि इंजीनियर की नियुक्ति की जाय। ५०-५१ की रिपोर्ट से साबित होता है कि सरकार ने केवल एक ही व्यक्ति की नियुक्ति करना संभव करने के लिये कमीशन से कहा कि तुम नियम बदल दो। कमीशन ने कहा कि हम इसलिये नियम नहीं बदल सकते, लेकिन सरकार ने कमीशन की राय को नहीं माना और सीधे उन नियमों को प्रकाशित और लागू कर दिया। इससे सरकारी कर्मचारियों के बीच में यह दुर्भावना पैदा होती है कि भाई जिसका जोर है उसके लिये सरकार नियम भी बदल सकती है और कमीशन की राय बदलवा सकती है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की जितनी भी बातें कमीशन की रिपोर्ट में हैं उन पर सरकार और अधिक ध्यान दे।

मुझे एक शब्द के इस्तेमाल करने पर अत्यन्त आपत्ति है। यह सन् ५०-५१ की रिपोर्ट के स्मृपिपत्र में दिया गया है। चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी का चुनाव हो रहा था। इसके लिये कमीशन ने २,३ नाम पेश किये। उसके बारे में सरकार कहती है कि जो व्यक्ति नियुक्त किया गया वह इसलिये कि कमीशन ने उसे उपयुक्त समझा था और जिस व्यक्ति को कमीशन ने सर्वप्रथम रखा था वह बाहरी था यानी आउटसाइडर था। अब इस आउटसाइडर शब्द पर मुझे आपत्ति है। यू० पी० में बहुत से ऐसे बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी हैं जो इस प्रांत

के रहने वाले नहीं हैं और उन्हें आप टैक्निकली आउटसाइडर कह सकते हैं। अब आउटसाइडर का अर्थ क्या है? क्या विभाग के बाहर का या यू० पी० के बाहर का? मुख्य मंत्री जी के दस्तखत से भेजी गई रिपोर्ट में "आउटसाइडर" शब्द का इस्तेमाल हो, यह बड़े दुख की बात है। मैं यह नहीं चाहता कि प्रांतीयता फैले। अगर एडवरटाइजमेंट किया गया है तो यू० पी० के बाहर का भी आ सकता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कमीशन के स्मृतिपत्र में करके इस सदन के सामने उपस्थित किया जाय, यह उचित नहीं है।

श्रीमन्, आप मेरी धृष्टता क्षमा करेंगे कि मैंने कुछ अधिक समय लेने की चेष्टा की है, लेकिन अन्त में मैं कुछ ऐसी बातों की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान ले जाना चाहूंगा जो कि कमीशन ने कार्य के लिये और भी आवश्यक हैं। इनमें से एक तो यह है कि सन् ४८-४९ में जब गोपीनाथ श्रीवास्तव जी कमीशन के चेयरमैन थे तो सरकार ने उनकी सलाह से एक रिसर्च ब्यूरो आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसका कार्य था कि वह यहां की सर्विसेज की जांच करे और उस ब्यूरो में बड़े बड़े विद्वान आचार्य नरेंद्रदेव, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी और यहां के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी शायद उसमें थे, यू० पी० के ६, ७ विद्वान उसके मेम्बर थे। सरकार की आज्ञा के अनुसार वह ब्यूरो बनाया गया था। ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ है और उस परम्परा को यहां निभाया गया कि वहां रायल कमीशन जिस प्रकार सर्विसेज की हालत की जांच के लिये होता था उसी प्रकार यह रिसर्च ब्यूरो भी काम करे, यह आशा थी। लेकिन मैंने जानकारी की और दो तीन रोज से जानकारी कर रहा था कि आखिर रिसर्च ब्यूरो का क्या हुआ। जो ब्यूरो एक बार सरकार ने बना दिया उसका क्या हुआ? मुझे पता चला कि वह रिसर्च ब्यूरो तो स्वयं ही मुरझा गया या सरकार ने उसको कोई प्रोत्साहन न दिया कि वह कुछ कार्य कर सकें। या तो सरकार उसको स्वीकार ही न करती, लेकिन जब सरकार ने एक बार एक फैसला कर लिया और श्रीवास्तव साहब की बात को मान लिया तो फिर उसको निभाना चाहिये था। उनके सदस्यों की नामावली मेरे पास है, वह इस प्रकार है:—

१—आचार्य नरेन्द्र देव
२—प्रो० एन० के० सिद्धांत
३—डा० राम प्रसाद त्रिपाठी
४—श्री एम० चेलापति राव
५—श्री बी० एन० झा
६—श्री टी० स्वामीनाथन
७—श्री भगवान सहाय
८—श्री टी० पी० भल्ला
९—ले० क० सोहन लाल
१०—श्री वी० के० एन० मेनन—सेक्रेट्री

जब कमीशन की नियुक्ति की गयी थी तो उसको कार्य करने देना चाहिये था और इसीलिये मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि विदेशों के अनुसार वे अपनी ओर से फिर इस रिसर्च ब्योरो को जन्म दें, इसमें दुबारा जान डालें और अगर वे इस रिसर्च ब्यूरो की आवश्यकता नहीं समझते तो एक कमीशन का अनाउन्समेंट करें जो यहां की सर्विसेज की कंडीशन्स के बारे में, उनकी हालत के बारे में उनकी सेवाओं के बारे में, डिसिप्लिन और पेंशन के बारे में रूल्स पर विचार करें और ६ माह या एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट पेश करें। ताकि सर्विसेज को यह मालूम हो कि जनतंत्र की पद्धति के अनुसार उनके भाग्य का निर्माण हो रहा है और हम लोग यह आशा करते हैं कि इस जनतंत्र के युग में अवश्य ही सर्विसेज के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जायगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि फ्रांस की तरह से ही हमारी भी सरविसेज होनी चाहिये जहां पर पार्टियों की सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन वहां की स्टेबिलटी वहां की सर्विसेज के कारण से ही है। उनका डिसिप्लिन इतना ऊंचा है कि उनकी कोई शिकायत

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नहीं है और वे विभिन्न सरकारों को निभाती चली आ रही हैं और शासन की क्रम से सेवा करती चली आ रही हैं। तो अगर आप अपने यहां भी वैसी सी सर्विसेज को चाहते हैं, आप सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के रिश्ते को सही मानों में कायम रखना चाहते हैं और विधान की सही भावना के अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और इस रिसर्च के द्वारा सर्विसेज को इस बात का भरोसा दिलवाना होगा कि आप गरीब से गरीब चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेट्री तक लोगों को यह अवसर देंगे जिससे वे यह समझें कि राष्ट्र या इस राज्य के पुनर्निर्माण के लिये सही समाजवाद के निर्माण का कार्य उन्हीं के द्वारा होना है। उन्हें यह विश्वास होना चाहिये कि राज्य के लाभ के लिये यदि हमें दंड भी दिया जाता है तो हमारी सेवाओं का ख्याल भी किया जाता है हमारी नियुक्तियों में पक्ष अथवा भ्रष्टाचार नहीं होता वरन योग्यता के आधार पर हमारी नियुक्तियां होती हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने पब्लिक सर्विस कमीशन की सन् ५०-५१ और ५१-५२ की रिपोर्ट्स विचारार्थ प्रस्तुत हैं। ये काफी पहले की रिपोर्ट्स हैं और इनमें जो बातें कही गयी हैं वे भी काफी पुरानी हो गयी हैं। अच्छा हो कि जो वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की हों वे जल्द तैयार हो जाया करें, ताकि उन पर विवाद करने में ज्यादा आसानी हो सके और उसका असर हो सके। बहरहाल जो प्रस्तुत रिपोर्टस् हैं उनको पढ़ने का थोड़ा बहुत समय मैंने भी निकाला। सरकार अपनी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये कुछ नियम बनाये हुए है उन नियमों का पालन यदि होता है तो भर्ती किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती और इस बात का विश्वास होता है कि जो कुछ भर्तियां हो रही हैं वे सही तौर पर हो रही हैं। नौकरियों में भर्ती का मसला भी बाज समय ऐसा गम्भीर हो जाता है कि जो भी उम्मीदवार नाकामयाब होता है या नहीं लिया जाता है वह तरह तरह के आक्षेप सरकार पर लगाता है। बहुत से आक्षेप निराधार होते हैं, ९९ फीसदी आक्षेप निराधार होते हैं, लेकिन एक भी आक्षेप अगर सही निकल जाता है तो उसका असर बुरा पड़ता है। इस लिये जो नियम सरकार द्वारा बनाये हुए हैं उन नियमों का सरकार से उच्च अधिकारी और भर्ती करने वालों को चाहिये कि पूर्ण रूप से पालन करें ताकि उसमें किसी को कोई आक्षेप करने की कोई गुंजाइश न हो। कभी-कभी उन नियमों का उल्लंघन जाता है तो उसकी चर्चा होती है और जरा सी भी गलती को बढ़ा कर बढ़ाते बढ़ाते उसके रूप को बदल दिया जाता है जो अवांछनीय होता है। इस रिपोर्ट के देखने से पता चलता है और कमीशन ने खुद कहा है कि इस कमीशन के सामने कुछ मिसालें ऐसी आयीं, हो सकता है कि और भी ऐसी मिसालें हों, लेकिन कुछ मिसालें उन्होंने कहीं हैं। उनके देखने से यह पता चलता है कि कभी कभी नियमों की अवहेलना की गई है और अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती कर लिया गया है। ये जो नियम सरकार ने बनाये कि अगर कोई अस्थायी भर्ती किसी उच्च जगह पर कर ली जाय तो ६ महीने के अन्दर कमीशन को रिपोर्ट दे दी जाय या पदोन्नति हो तो एक साल के अन्दर रिपोर्ट दे दी जाय। श्री नारायण दत्त जी ने ऐसा कहा, मुझे तो नहीं मालूम है, अब तो शायद यह नियम हो गया हो कि अस्थायी भर्ती के लिये एक साल में रिपोर्ट दे दी जाय। बहरहाल जिस समय की रिपोर्ट विचाराधीन है उस समय यही नियम था कि अस्थायी भर्ती की रिपोर्ट ६ महीने अन्दर कमीशन को दे दी जाय और पदोन्नति की रिपोर्ट एक साल के अन्दर कमीशन को दे दी जाय। इन नियमों के अवहेलना की शिकायत कमीशन की रही है। उन्होंने एक उद्धरण भी पढ़ा और एक मिसाल भी पेश की। वैसे मिसालें कई हैं लेकिन सन् ५०-५१ की जो कमीशन की रिपोर्ट है उसके पृष्ठ तीन पर जो पैरा तीन है वह विचारणीय है। उसमें लिखा है "कमीशन को खेद है कि उन्होंने शासन के कई विभागों में तथा उनके स्वयं के पत्र-व्यवहार में भी लोक सेवाओं में भर्ती के लिये निर्धारित स्तर को नीचा करने व अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिये विशेष रियायतें मांगने की प्रवृत्ति पाई है। प्रत्यक्ष

रूप से आवश्यकता न रहने पर भी नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी नियुक्तियां करते रहते हैं और असाधारण विलम्ब हो जाने पर कमीशन की स्वीकृत मांगते हैं।" कमीशन को शिकायत है कि अयोग्य कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाती है। इसी रिपोर्ट में पृष्ठ १४ पर पैरा ३ से एक उद्धहरण आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में किस प्रकार से भर्ती की गई—"शिक्षा संचालक ने गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में ट्रेन्ड ग्रेजुऐट के १२०–३०० वेतन-क्रम में सहायक सुपरवाइजर (सेरेमिक्स) के पद पर जुलाई, १९४६ ई० में एक उम्मीदवार की नियुक्ति की और अक्टूबर, १९५० में अर्थात् चार वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् उसका मामला उपर्युक्त ग्रेड में स्थायी नियुक्ति करने के लिये कमीशन के पास भेजा। सन् १९४६ में जब उस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी उस समय वह एल० टी० पास नहीं था और उसकी आयु भी निर्धारित आयु से अधिक थी। शिक्षा संचालक ने इस मामले को कमीशन के पास भेजने के पहले ही शासन से पूर्व अयोग्यता से मुक्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया था तथा उसे अधिकतम आयु की सीमा से मुक्त करने का स्वयं ही प्रस्ताव किया। कमीशन ने इस अनियमितता पर बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की कि उक्त उम्मीदवार चार वर्ष से भी अधिक समय से बिना कमीशन की अनुमति से शिक्षा विभाग में काम कर रहा है और कहा कि ऐसी अनियमिततायें बराबर प्रकाश में आ रही हैं और केवल खेद प्रगट करदेने से कोई लाभ नहीं होता"।

तो इस प्रकार के उद्धरण हैं। मैं आपकी इजाजत से केवल एक उद्धरण और सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं जो सन् ५१–५२ की रिपोर्ट के पृष्ठ १३ के पैरा ९ में है कि "शासन ने एक उम्मीदवार को ९ अक्तूबर, १९५० से मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म नीलगांव में २५०–८५० रुपये के प्रादेशिक जूनियर वेतन क्रम में फार्म मैनेजर के पद पर नियुक्त किया और उस का मामला जुलाई, १९५१ में कमीशन की अनुमति के लिए भेजा। अपनी सम्मति प्रकट करने से पहले कमीशन ने शासन से पूछा कि फार्म मैनेजर का पद प्रादेशिक पशु चिकित्सा सेवा में था या प्रादेशिक कृषि सेवा में। इन पदों के लिये क्या योग्यतायें आवश्यक थी और वर्तमान फार्म मैनेजर क्या क्या योग्यतायें रखते थे। शासन ने अन्य बातों के साथ अपने उत्तर में यह कहा कि यह पद २५०–८५० के जूनियर वेतन क्रम में प्रादेशिक कृषि सेवा या प्रादेशिक पशु चिकित्सा सेवा का है और उनके लिए न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी योगतायें उन्हीं योग्यताओं के समान होनी चाहिये जो दोनों सेवाओं के नियमों में निर्धारित की गई हैं। शासन ने यह भी कहा कि सेवा के नियमों में निर्धारित पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की योग्यता इस पद के लिए आपेक्षित नहीं है अथवा उसके स्थान में फार्म में काम करने का क्रियात्मक अनुभव ही पर्याप्त समझना चाहिए क्योंकि व्यापारिक फार्मों के समान उन्होंने एक निर्दिष्ट अवधि के ऊपर लाभ का ५ प्रतिशत भाग बोनस के रूप में फार्म मैनेजर तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को देने का निश्चय किया है। मामले पर विचार करने के पश्चात् कमीशन ने कहा कि शासन ने पद का स्थान स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया है। संयोग से उक्त उम्मीदवार सेवा के नियमों के अनुसार किसी भी सेवा के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि वह आवश्यक पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता नहीं रखता था। कदाचित् शासन का ऐसा अनुमान था कि उम्मीदवारों को "पोस्ट ग्रेजुऐट ट्रेनिगके स्थान में फार्म में काम करने का क्रियात्मक अनुभव होना चाहिये, परन्तु इसके अनुकूल नियम का कोई संशोधन नहीं हुआ था। यदि शासन का नियम को इस प्रकार संशोधन करने का विचार होता तो भी यह सन्देहात्मक था कि शासन द्वारा इस प्रकार अस्पष्ट ढंग से प्रस्ताविक संशोधन से कमीशन सहमत होते। उनके विचार में वर्तमान नियम के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए अयोग्य था और कमीशन उसकी नियुक्ति को केवल अस्थायी रूप से विज्ञापन साक्षात्कार इत्यादि के पश्चाच् प्रतियोगिता के आधार पर विधिवत् एक योग्य उम्मीनवार के चुनाव होने तक अनुमोदित कर सकते थे"।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना, चार-चार, पांच-पांच वर्ष तक उसकी रिपोर्ट कमीशन को न भेजना और स्वयं उच्च अधिकारियों से आयु आदि की जो सीमा है उससे मुक्त कराना, यह सब चीजें जब जनता के सामने पहुंचती हैं तो उस पर यही असर पड़ता है कि जहां जिस का प्रभाव है और जिसको अधिकारी चाहते हैं भर्ती कर लेते हैं और वह कमीशन की सलाह और नियमों की परवाह नहीं करते। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की भी भरती हुई है जिनको सजा हुई है या जिन के बारे में शिकायतें थीं ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है और इस सम्बन्ध में कमीशन से भी कोई राय नहीं ली गई। ५०-५१ की रिपोर्ट में पृष्ठ १३ के पैरा २ में एक हवाला इस तरह का है कि गवर्नमेंट हैन्ड-मेड पेपर फैक्टरी के मैनेजर के पद से एक अफसर लेखे में कुछ त्रुटियों के लिये उत्तरदायी ठहराए जाने के कारण निकाल दिया गया था। अप्रैल १९५० में शासन ने अकूपेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ के लिये वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर उसकी नियुक्ति की अनुमति मांगी। मालूम पड़ता है कि इस अफसर के प्रार्थना करने पर शासन ने बाद में उसके मामले की पुनः जांच की और पता लगा कि लेखे में त्रुटियां गम्भीर प्रकार की नहीं थीं। अतः उसको सब आरोपों से पूर्णतया मुक्त कर दिया। तत्पश्चात् शासन ने पहली जून, १९४८ से आकूपेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर उसकी नियुक्ति की। यह पद उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज सर्विस में एक ऊंचा गजेटेड पद है। कमीशन ने कहा कि इस अधिकारी को नौकरी से निकालने का दंड दिया गया था अतः उसे कमीशन के परामर्श के बिना उक्त पद पर पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिये था और यदि उसकी पुर्ननियुक्ति करनी ही थी तो प्रथम उसे उसके स्थायी पद पर नियुक्त करना चाहिये था और तब कमीशन की अनुमति से नियमानुसार वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर पदोन्नत करना चाहिये था।" और आगे:—

"कमीशन ने यह भी पूछा कि निकाले जाने के पहले उसने कितने वर्ष तक कानपुर में फैक्टरी के मैनेजर के पद पर काम किया था और क्या कभी इस पद पर उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कमीशन से पहले भी राय ली गई थी। इस वर्ष के अन्त तक शासन से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और भी अनियमितताओं को अगर पढ़ूंगा तो समय भवन का अधिक लगेगा। मैं नहीं चाहता कि कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें से पढ़कर सुनाऊं क्योंकि वह सभी माननीय सदस्यों के पास है। वे उसमें से देख सकते हैं और समझ सकते हैं की चीजें हमारे लिये शोभाजनक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से डिस्कशन हो तो स्मृति-पत्र भी अपने सामने रखें, यानी खाली रिपोर्ट पर ही बहस न हो, नहीं तो जिस वक्त कमीशन की रिपोर्ट से आक्षेप पढ़े जायं और स्मृति-पत्र में उसका क्या एक्सप्लेनेशन है उसका भी हवाला न दिया जाय तो एक तरफ तो आक्षेप ही आक्षेप पढ़े जायेंगे और दूसरी तरफ स्मृति पत्र में दिये उत्तर ही उत्तर पढ़े जावेंगे बहस में इस तरह से तो कंफ्यूजन हो जायगा। मैं समझता हूं कि शायद आपके पास स्मृति-पत्र नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह निवेदन कर रहा था कि कमीशन एक प्रकार से सरकार के लिये ढाल का काम करता है। सरकारी जो उच्च नौकरियां हैं उनकी भर्ती कमीशन के जरिये से हो यह चीज सरकार के लिये भी वांछनीय है और जनता को भी विश्वास रहता है कि कमीशन के जरिये जो भर्ती होगी उसमें उनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। यदि नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो तो सरकार के लिये लाभकर है और जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिये उपादेय है। मुझे केवल यही कहना है कि जो नियम यहां पर बनाये जाते हैं वे अपनी जगह पर सही होते हैं और सरकार की मंशा ठीक रहती

हैं, क्योंकि वे नियम उसी मंशा के द्योतक हैं, लेकिन उन नियमों की जब अवहेलना होती है और सरकार के नोटिस में यह बात आ जाती है कि सरकारी नियमों की अवहेलना इस प्रकार से किसी उच्च अधिकारी ने की तो उस समय माननीय मंत्री जी और सरकार को विचार करना चाहिये और सरकार के नियमों की अवहेलना करने का जो जिम्मेदार है उससे आवश्यक रूप में बाव तलब करना चाहिये ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल;
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
बुधवार, २४ अगस्त, १९५५ ।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पृष्ठ ४७४ पर)

Cornell Methodology Project **Date.....................**

INTERVIEWER BACKGROUND FORM

Below information is required for purely methodological purposes. These data will be kept stictly confidential. They might allow for correlating interviewer's idiosyncracies to other features. Place the filled-out form with any additional comments you like to make in an envelope. Seal it and address it to Dr. M. Ralis.

1. Name :
2. Age :
3. Marital status :
4. Father's education :
5. Father's occupation :
6. Who paid for your education ?
7. Does your parental home have :
   (*a*) Plumbing :
   (*b*) Electricity :
   (*c*) Telephone
   (*d*) Car :
   (*e*) Number of servant :
8. How many years did you spend in the University ?
9. What degree did you obtain ? What year ?
10. What field in social statistics is of greatest interest to you ?
11. Indicate the nature and duration of the various work assignments you had had:
12. Which of the assignment did you like best ?
13. Which did you like least ? Why ?
14. Why did you select the field of social statistics as a carreer ?
15. What was the most valuable course to you that you had taken at the University or college ?
16. Which activity in social statistical work do you prefer in terms of :
    (*a*) interest to you ?
    (*b*) importance ?
    (*c*) as career ?
17. Suppose you would be granted Rs. 10,000 for a social statistical project.
    (*a*) What kind of a project would you design ?
    (*b*) What good do you think such a project would do ?
    (*c*) What do you think you personally could get out of it ?
18. What, would you say, is the most valuable thing you are getting out of the Shramdan Study ?
    (*a*) The training
    (*b*) The experience with villagers
    (*c*) The connection with the actual working of the Five-Year Plan.
19. If this study were repeated at a later date, would you wish to work on it in another region ?
20. Would you advise a friend to do so ?
21. Why do you think, American anthropologists and sociologists come to India for ?
22. Do you think the Shramdan Study is a worthwhile expenditure of money ?

23. Do you think that Co-operative projects like the Shramdan study have something to do with American interests ?

24. As you know, the Shramdan questionnaire will be submitted to one thousand villagers. Make one guess according to your estimate for each sub-question :

(*a*) 5% or 10% or 20% or 30% or 50% will refuse to reveal their greatest worries and difficulties.

(*b*) 5% or 10% or 20% or 30% or 50% will claim they prefer to work alone.

(*c*) 5% or 10% or 20% or 30% or 50% will claim it the job of the villagers to build or improve roads in the village area.

(*d*) 5 % or 10% or 20% or 30% or 50% will say they never heard of the term "Shramdan" ?

(*e*) 5 % or 10 % or 20% or 30% or 50 % will consider Shramdan, a kind of voluntary public work as "not usefull" or as "harmful" ?

25. What kind of student have you been, the kind who plugs and comes out with fair grades or the type who made his grades easily ?

26. Regaraing to your own work abilities, which of the following characteristics apply most closely to you ? (Underline respective items)

Careful	dependable	imaginative
plodding	energetic	methodical

27. Do you generally enjoy listening more than talking, or talking more than listening ?

28. Do you think that most people want to be friendly if only given a chance ?

29. Do you prefer to work alone or with others ?

30. In general, thinking of most respondents you interview, would you say they are very interested in you yourself—your opinions, your work, your background, your family— or are they only mildly interested in you yourself, or don's they take any personal interest in you at all ?

31. How often do you feel you can size up the respondent and predict most of his answers in advance ? What sort of things abcut the respondent help you predict his answers ?

32. Indicate whether you agree or disagree with the following eight statements.

(Make a circle around A meaning agreement and a circle around D. meaning disagreement) :

Human nature being what it is, there will always be war and conflict A. D.

What this country needs most, more than laws and political programmes is a few courageous, tireless, devoted leaders in whom the people can put their faith A. D.

Science has its place, but there are many important things that can never possibly be understood by the human mind A. D.

Every person should have complete faith in some supernatural power whose decisions he obeys without question A. D.

People can be divided into two distinct classes—the weak and the strong. A. D.

Some day it will probably be shown that astrology can explain a lot of things A. D.

The upper and the lower castee should not interdine A. D.

The caste system prevents progress in the village, but is a good system A. D.

33. What is your favorite recreation ?

34. Do you have a hobby ? What is it ?

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

तालिका "क"

१ अगस्त, १९५५ को गन्ने के मूल्य के बकाया का विवरण

क्रमांक	नाम	गन्ने का मूल्य (१९५४–५५) (लाख रुपयों में)			विशेष विवरण
		बकाया	भुगतान	शेष	
१	बेगमाबाद	५७.८८	५७.३२	०.५६	
२	मोहिउद्दीनपुर	५८.५६	५८.५६	कुछ नहीं	
३	मछियाना	७८.५०	७२.५१	५.९९	
४	सिम्भौली	६१.१२	६०.८०	०.३२	
५	दौराला	७८.०३	७६.९६	१.०७	
६	मवाना	५९.२३	५९.२३	कुछ नहीं	
७	सखोती टांडा	४७.३२	४६.५७	०.७५	
८	शाम्ली	८१.२५	८०.९८	०.२७	
९	खतौली	८०.९३	७७.०३	३.९०	
१०	रोहाना	८२.०४	७९.४५	२.५९	
११	मन्सूरपुर	७९.८८	७४.९९	४.८९	
१२	सहारनपुर (३०–६–५५ तक)	६२.३४	६०.११	२.२३	
१३	देवबन्द (३०–६–५५ तक)	७७.६२	७४.९२	२.७०	
१४	लक्सर	६७.१३	६७.१३	कुछ नहीं	
१५	दोईवाला	२१.८७	२०.९९	०.८८	
१६	बरेली	४६.१९	४१.५३	४.६६	
१७	बहेड़ी	६०.५८	५८.७८	१.८०	
१८	बिलारी	७०.२२	६९.३६	०.८६	
१९	अमरोहा (मुरादाबाद के बकाये के अलावा ३०–६–५५ तक)	६७.६२	६६.२४	१.३८	
२०	बिजनौर	७७.४६	७४.४३	३.०३	
२१	धामपुर	५७.२५	५२.२४	५.०१	
२२	सिवहारा	१२७.५४	१२३.२१	४.३३	
२३	काशीपुर	४३.३४	३९.४८	३.८६	
२४	पीलीभीत (३०–६–५५ तक)	९४.१५	८५.९३	८.२२	
२५	रामपुर रेजा				
२६	बुलन्द (१–६–५५ तक)	६७.५८	६५.९२	१.६६	

क्रमांक	नाम	गन्ने का मूल्य (१९५४–५५) (लाख रुपयों में) बकाया	भुगतान	शेष	विशेष विवरण
२७	रौजा	३२.९२	३२.९२	कुछ नहीं	
२८	नेवली	४५.४२	४५.२५	०.१७	
२९	गोला	११३.१७	११३.१७	कुछ नहीं	
३०	ऐरा	२४.१६	२४.१६	कुछ नहीं	
३१	हरगांव	१०३.१३	१०३.०४	.०९	
३२	महोली	७२.३४	७१.३७	.९७	
३३	बिस्वां	३५.३१	३५.३१	कुछ नहीं	
३४	बुढ़वल	२८.३५	२८.३५	कुछ नहीं	
३५	बाराबंकी	४६.५५	४६.५५	कुछ नहीं	
३६	मसोधा	३५.९२	३५.८०	.१२	
३७	हरदोई	६०.३३	६०.३३	कुछ नहीं	
३८	नवाबगंज	४०.८०	४०.८०	कुछ नहीं	
३९	बलरामपुर	२९.०७	२९.०७	कुछ नहीं	
४०	शाहगंज	१७.०२	१६.९७	.०५	
४१	तुलसीपुर	३३.८०	३३.८०	कुछ नहीं	
४२	खलीलाबाद	१७.७०	१७.७०	कुछ नहीं	
४३	बस्ती	२९.४६	२९.४६	कुछ नहीं	
४४	वाल्टरगंज	३५.११	३५.११	कुछ नहीं	
४५	मुंडेरवा	३२.१५	२८.६७	३.४८	
४६	जरवल	४१.४३	४०.४१	१.०२	
४७	सिसवा बाजार	२६.०६	२६.०६	कुछ नहीं	
४८	फरेन्दा	२९.२६	२९.२६	कुछ नहीं	
४९	घुघली	३१.१०	३०.९३	.१७	
५०	पिपराइच	४२.९०	४१.२७	१.६३	
५१	सरदार नगर	१०५.६१	१०२.५८	३.०३	
५२	छितौनी	३०.९६	२९.४४	१.५२	
५३	कैप्टेनगंज	४३.९६	४३.९५	.०१	
५४	खड्डा	२१.३०	१३.१४	८.१६	
५५	लक्ष्मीगंज	२८.२३	२८.००	.२३	
५६	पडरौना	२४.०१	१४.९०	९.११	
५७	सिवराही	३५.५८	३५.५८	कुछ नहीं	
५८	रामकोला "के"	३४.९३	३४.३७	.५६	
५९	रामकोला "पी"	४५.६७	४५.६७	कुछ नहीं	
६०	कठकुइयां	२१.९१	१५.७१	६.२०	
६१	देवरिया "पी"	३८.७५	३८.००	.७५	
६२	गौरीबाजार	३४.५९	३४.५९	कुछ नहीं	
६३	बेतालपुर	४१.८२	४०.४६	१.३६	
६४	पर्ताबपुर	३६.८६	३५.८०	१.०६	(बिहार के उत्पादक)

क्रमांक	नाम	गन्ने का मूल्य (१९५४–५५) (लाख रुपयों में)			विशेष विवरण
		बकाया	भुगतान	शेष	
६५	बुलन्दशहर	३.३४	१.७२	१.६२	(इसमें ४६ लाख मन का मूल्य नहीं सम्मिलित है)।
६६	इकबालपुर	१९.३८	१२.०६	७.३२	(३०–४–५५ तक)
६७	बभनान	३४.१६	३४.१६	कुछ नहीं	
			कुल ..	१०९.५९	

तालिका "ख"

१९५४-५५ सीजन के पहले के गन्ना मूल्य के बकाया का विवरण

क्रम संख्या	नाम	१९५४-५५ से पहले का गन्ने का मूल्य जो अभी वसूल करना है।
		रु० आ० पा०
१	मलियाना	१३,७८४— ८—०
२	खतौली	३,०००— ०—०
३	बिलारी	१८५—१३—९
४	अमरोहा	२१,२५६—१५—६
५	बिजनौर	३,०३१— ९—३
६	धामपुर	८१९— ६—९
७	सिवहारा	१२५— ५—६
८	रामपुर	३०,०००— ०—०
९	ऐरा	१५,०००— ०—०
१०	मसोधा	१,२७८— २—०
११	नवाबगंज	१,०४०— ४—९
१२	जरवलरोड	९८,६३८— ७—९
१३	फरेन्दा	१,०४०००— ०—०
१४	सरदार नगर	२,२५९— ८—६
१५	पडरौना	१,१२,०००— ०—०
१६	कठकुइयां	१,७६,०००— ०—०
१७	देवरिया (पी)	५,०००— ०—०
१८	पर्ताबपुर	१०,०००— ०—० (बिहार के उत्पादक)
१९	बेतालपुर	११,०००— ०—०
	कुल ..	६,०८,४२०— १—६

तालिका "ख २"

निम्नलिखित मिलों के विरुद्ध १७ अगस्त, १९५५ तक १९५४-५५ सीजन के गन्ना मूल्य के बकाया की वसूली के लिए सर्टिफिकेट भेज दिये गये हैं।

		रु० आ० पा०
१	बेगमाबाद	१,२६,४५४-३-०
२	सखोती टांडा	१,५८,८४९-९-३
३	बुलन्दशहर	१,५०,२९२-६-६
४	दोईवाला	स्थगित ४४,४९८- ३-०
५	बरेली	७,५०,७१४-१०-०
६	अमरोहा	६,४२,७२०- ६-९
७	बिलारी	५,७७,७८८- ५-०
८	धामपुर	२,५४,६०४- ५-९
९	सिवहारा	३,८९,५८८-१०-०
१०	पीलीभीत	७,८८,३१५- १-६
११	रोजा	७,२८,७२६- १-६
१२	महोली	१,०२,६०३-१३-६
१३	शाहगंज	५,५४७- १-३
१४	जरवल रोड	१७,२९६-१३-६
१५	मुंडेरवा	४,६४,८९५- ०-०
१६	सरदार नगर	१,४८,१९४- ८-३
१७	पिपराइच	१,६२,८६३- २-३
१८	खड्डा	८,९२,१९२- ७-९
१९	लक्ष्मीगंज	४,२९,७०२- १-०
२०	रामकोला (के)	४,४२,६५१- २-३
२१	पडरौना	१९,३०,३००- २-०
२२	कठकुइयां	१२,०२,०३१-१३-६
२३	सिम्भौली	४,२०४- ६-३
२४	देवरिया	३,३४,७८८- ०-०
	कुल ..	१,०७,४९,१५३-११-९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

तालिका "ग"

१–८–५५ को सेस के बकाया का विवरण

क्रम-संख्या	जिला	१–८–५५ तक का बकाया रु०	आ०	पा०	अन्य विवरण	रु०	आ०	पा०
१	देहरादून ..	३,२९,८०९	९	६				
२	सहारनपुर ..	६,४२,३४६	३	६				
३	मुजफ्फरनगर ..	६,०४,१७८	५	०				
४	बुलन्दशहर ..	२,८४,१०९	८	९				
५	बिजनौर ..	२४,१६,७६७	३	९	बिजनौर मिल ..	१,८७,९८६	१	३
					धामपुर मिल ..	४,६८,२६६	११	०
					(१९५२–५३) ..	२,१२,६३१	११	९
					(१९५३–५४) ..	७,९५,९६९	१	६
					(१९५४–५५)			
					शिवहारा मिल ..	७,५१,९१३	१०	३
६	मुरादाबाद ..	६,५१,३५१	०	०	..			
७	रामपुर ..	५४,६६१	११	०				
८	बरेली ..	१५,४६,३०१	१२	६				
९	पीलीभीत ..	१८,०३,२४३	१४	२				
१०	एटा ..	१,२३,५८५	१५	६				
११	शाहजहांपुर ..	६,९५७	६	९				
१२	सीतापुर ..	२३,२१,८०७	११	९				
१३	खीरी ..	३,५४,२८२	११	९				
१४	बाराबंकी ..	६,८१,१९२	७	२				
१५	बहराइच ..	२,०५,९१४	१५	३				
१६	फैज़ाबाद ..	१,३१,३२९	१५	९				
१७	जौनपुर ..	२,७५,३७१	३	६				
१८	बस्ती ..	३,७६,९६१	६	०				
१९	गोरखपुर ..	१६,६५,३६८	११	६				
२०	देवरिया ..	३६,२०,०००	०	०	इस वर्ष का शेष बैतालपुर, कैप्टेनगंज, लक्ष्मीगंज, देवरिया, रामकोला (पी) पर १.५७, १.१३, ३.४३, २.५६ तथा २.१३ लाख रुपये । कठकुइयां, पडरौना, खड्डा तथा रामकोला (के) पर ८.५९, ५.६४, ६.५२ तथा ४.६३ लाख रुपये ।			
२१	नैनीताल ..	४,९२,८५४	९	३				

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

तालिका "घ"

३० जुलाई तक का गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	जिला	सरकार द्वारा निश्चित दर	फैक्टरीकी दर	अन्य विवरण
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
१	देवबन्द ..	० २ ९	० २ ८.५२	पूरा रुपया अदा हो गया।
२	लक्सर ..	० २ ६	मंजूर	,, ,, ,,
३	मन्सूरपुर ..	० १ १०	० १ ८	भारत सरकार ने ०–१–९ का दर निश्चित किया है और इसी दर से मिल रुपया अदा कर रही है। आंशिक भुगतान हो गया।
४	खतौली ..	० १ ९	..	पूरा रुपया अदा हो गया।
५	रोहाना ..	० १ ८	मंजूर	,, ,, ,,
६	शामली ..	० १ ६	मंजूर	आंशिक भुगतान हो गया।
७	सखोती टांडा ..	० ० ३	० ० २.७९ मंजूर	पूरा भुगतान हो गया।
८	दौराला ..	० ० ११	० ० ११	पूरा भुगतान हो गया।
९	सिम्भौली	० २ ७	..	भारत सरकार ने दर ०–२–६.५ निश्चित की है, जिसके हिसाब से मिल अदा करेगी। मिल ने आंकड़ों को फिर से जांचे जाने की मांग की है।
१०	बिलारी ..	० ० ७	मंजूर	आंशिक भुगतान हो गया।
११	सिवहारा ..	० ० ७	० ० ५.९	इनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है।
१२	बिजनौर ..	० ० १०	..	भारत सरकार ने दर ०–०–८.३ निश्चित की है और मिल से अदायगी के लिए कहा है।
१३	अमरोहा ..	० ० १०	..	भारत सरकार ने दर ०–०–१०.८ निश्चित की है और फैक्टरी से अदायगी के लिए कहा है।
१४	मोदीनगर ..	० १ ३	..	आंशिक भुगतान कर दिये हैं।
१५	जसवन्त ..	..	..	इनसे पत्र-व्यवहार चल रह है।
१६	सरदार नगर ..	० ० १	० ० १.१५	पूरा रुपया भुगतान हो गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती) में सन् १९५३-५४ में किये गये कार्यों का विवरण

सिंचाई--

१--९ जलाशयों और ९ पोखरों को श्रमदान द्वारा गहरा किया गया।

२--सरकारी सहायता द्वारा ६५ नए कुएं बनाए गये एवं ४ कुओं की मरम्मत हुई।

३--१ फ० २५ गज लम्बे बांध का निर्माण श्रमदान द्वारा हुआ।

४--१० सरकारी नलकूप भी लगाये गये।

कृषि--

१--पैदावार की उन्नति के लिए उत्तम बीज वितरित किये गये।

२--१९७ नये कम्पोस्ट के तथा २७ शोषक गढ़े खोदे गये।

३--फसल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसानों को उत्साहित किया गया।

यातायात--

१--२ मील ५ फ० ११० गज लम्बी कच्ची सड़क श्रमदान एवं जन सहयोग से बनाई गई।

२--पंचायतों के प्रयास से ३० मील ७७ गज कच्ची सड़क का सुधार हुआ।

निर्माण-कार्य--

ग्राम पंचायत, खलीलाबाद द्वारा एक पक्की पुलिया तथा ग्राम पंचायत हरिहरपुर द्वारा एक पक्के पुल का निर्माण हुआ।

स्वास्थ्य--

१--पंचायत मेंहदावल के अन्तर्गत २ नये पानी पीने के कुओं का निर्माण हुआ, तथा ४ पुराने कुओं की मरम्मत हुई।

२--शासकीय अनुदान से ४ नये कुये एवं २ पुराने कुओं के निर्माण तथा मरम्मत के लिए हरिजनों को सहायता दी गई।

३--९८ औषधि पेटिकाओं का उपयोग जन साधारण के लाभार्थ किया गया।

शिक्षा--

१--एक कन्या पाठशाला भवन का निर्माण किया गया।

२--एक प्रौढ़ पाठशाला खोली गई।

३--एक पुस्तकालय की स्थापना की गई।

पंचायत—

ग्राम पंचायत, बढ़या, कुसोनावला, जमुहरा तथा सालीनरगापार में पंचायत-घरों के पूरा करने का प्रयास किया गया। शासकीय अनुदान से १५० रुपये की सहायता दी गई।

उद्योग धंधे—

श्री राम सुमिरन हरिजन ग्राम तथा पो० नौगों को घरेलू उद्योग धंधों के लिये ३०० रुपये की सहायता दी गई।

वन-महोत्सव—

विविध पंचायतों ने निम्नलिखित फलदार एवं अन्य वृक्ष लगाये—

खलीलाबाद	..	..	५०५
मेंहदावल	..	.	८५३
नाथनगर	..	..	९९३

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११-१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

तालिका

सरकारी

(१) एलोपैथिक चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय यूनानी चिकित्सालय

संं०	खर्चा	संं०	खर्चा	संं०	खर्चा
८	१,०५,४५१ रु०	७	२४,५०० रु०	१	३,५०० रु०

सहायता प्राप्त

(२) एलोपैथिक चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय यूनानी चिकित्सालय

संं०	खर्चा	संं०	खर्चा	संं०	खर्चा
६	३,८२१ रु०	३	८०८ रु०	२	७०८ रु०

सरकारी

(१) एलोपैथिक चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सालय यूनानी चिकित्सालय

५ के पास निजी भवन हैं। जहां तक सूचना मिली है किसी के पास निजी भवन नहीं है।

सहायता प्राप्त

(२) एलोपैथिक चिकित्सालय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय

४ के पास निजी भवन हैं। जहां तक सूचना मिली है किसी के पास निजी भवन नहीं हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

जिला नियोजन कमेटी, जौनपुर के १९५४–५५ के हिसाब का विवरण

क्रम-संख्या	नाम अनुदान	१–४–५५ को बचा धन			सरकार से प्राप्त अनुदान			कन्ट्रीब्युशन तथा वापसी			टोटल			१९५४–५५ का खर्चा			बाकी बचा धन		
१	२	३			४			५			६			७			८		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	जल वितरण (हरिजन) ..	२१,१७३	८	०	५,९४५	०	०	१२५	०	०	२७,२४३	८	०	९,९३९	१२	६	१७,३०३	११	६
२	जल वितरण (एक्स क्रिमिनल)	..			३,९३०	०	०	..			३,९३०	०	०	..			३,९३०	०	०
३	जल वितरण (केन्द्रीय)	..			७५,०००	०	०	..			७५,०००	०	०	२९,७१५	०	०	४५,२८५	०	०
४	मकानात (हरिजन)	५,२१५	०	०	४,०००	०	०	..			९,२१५	०	०	१,५४०	०	०	७,६७५	०	०
५	बीज गोदाम	६,३८०	०	०	..			..			६,३८०	०	०	१,९००	०	०	४,४८०	०	०
६	हरिजन उद्धार	४,०६३	१४	०	१,०००	०	०	..			५,०६३	१४	०	२,२५०	०	०	२,८१३	१४	०
७	सूचना ..	८०६	१२	६	१,०००	०	०	३६	०	०	१,८४२	१२	६	४००	१०	३	१,४४२	२	३
८	लोकल डेवलपमेंट	८६,७४७	०	०	..			..			८६,७४७	०	०	८६,७४७	०	०	..		
९	सेल्फ हेल्थ (केन्द्रीय)	..			५०,०००	०	०	..			५०,०००	०	०	२३,९८३	१	०	२६,०१६	१५	०
१०	सेल्फ हेल्थ (प्रादेशिक)	१०,०००	०	०	५२,०००	०	०	..			६२,०००	०	०	४७७	११	०	६१,५२२	५	०
११	शिक्षा अनुदान	९,९००	०	०	१५,०००	०	०	..			२४,९००	०	०	९,९००	०	०	१५,०००	०	०
१२	स्वास्थ्य सुधार	१,३५३	८	०	१,५००	०	०	१३१	६	०	२,९८४	१४	०	२,९२२	१०	०	६२	४	०
१३	छोटे अनुदान	४६,४१२	८	३	१०,०००	०	०	५८४	०	०	५६,९९६	८	३	१५,११७	१२	९	४१,८७८	११	६
१४	कुटीर उद्योग	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०
१५	चिकित्सा तथा सफाई	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०
	टोटल ..	१,९२,०५२	२	९	२,२३,३७५			८७६	६		४,१६,३०३	८	९	१,८४,८९३	९	६	२,३१,४०९	१५	३

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१–३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८६ पर)

तहसील का नाम	कितने कौन-कौन सरकारी अस्पताल हैं	उन अस्पतालों पर सरकार प्रत्येक तहसील में कितना कितना धन व्यय करती है
१	२	३
(अ) डुमरियागंज	एलोपैथिक	रु०
	१—इटवा	
	२—कठेला	
	३—बढ़नी	
	आयुर्वेदिक तथा यूनानी	२३,६४७
	१—समरी खान खेत (आ०)	
	२—सोहना (आ०)	
	३—कादिराबाद (यूनानी)	
(ब) बांसी	आयुर्वेदिक	
	पथेरा बाजार (आ०)	३,३००
(स) हरय्या	एलोपैथिक	
	गौढ़	
	आयुर्वेदिक तथा यूनानी	
	१—विक्रम जोत (आ०)	
	२—महाराजगंज (आ०)	१५,०२७
	३—चिलमा बाजार (यूनानी)	
(द) बस्ती	एलोपैथिक	
	१—जिला (मर्दाना अस्पताल)	
	२—जिला (जनाना अस्पताल)	
	३—रुधौली अस्पताल	
	आयुर्वेदिक	
	१—पोखरा (आ०)	१,६५,६१०
	२—जनवल (आ०)	
	३—सलतनवा (आ०)	
	४—मन्दरवा (आ०)	
	५—कलवारी (आ०)	
(य) फरीदाबाद	आयुर्वेदिक	
	१—बरबेरा बाजार	
	२—हरिहरपुर	
	३—नौगांव	१६,५००
	४—मघर	
	५—सैनरीयावां	
(फ) नौगढ़	एलोपैथिक	
	शहेरतगढ़	६,४५२

नत्थी "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९१ पर)

प्रान्त के सामुदायिक विकास केन्द्रों पर ३१, मार्च १९५५ तक होने वाले खर्च की सूची (सूची "अ")

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	जिला		व्यय
				रु०
१	गरुड़ बैजनाथ	अलमोड़ा	..	१२,६५,०००
२	कापकोट	अलमोड़ा	..	११,०४,०००
३	बैनोली	गढ़वाल	..	१२,१४,०००
४	सुलतानगंज	मैनपुरी	..	१२,२७,०००
५	अलीगंज	एटा	..	९,९९,०००
६	महमदाबाद	फर्रुखाबाद	..	८,१९,०००
७	मोठ	झांसी	..	१७,४४,०००
८	गुरसराय	झांसी	..	१२,८६,०००
९	मऊरानीपुर	झांसी	..	१३,५२,०००
१०	बीकापुर	फैजाबाद	..	१३,३६,०००
११	कूरभार	सुल्तानपुर	..	१०,७९,०००
१२	जैसिंहपुर	सुल्तानपुर	..	९,८५,०००
१३	भठट	गोरखपुर	..	१४,५२,०००
१४	कसिया	देवरिया	..	१३,४१,०००
१५	सलीमपुर	देवरिया	..	१०,७९,०००
१६	घोसी	आजमगढ़	..	१४,५२,०००
१७	कासिमाबाद	गाजीपुर	..	१३,९०,०००
१८	रतनपुर	बलिया	..	१४,८३,०००
१९	अकोला	आगरा	..	८,५७,०००
२०	उसावां	बदायूं	..	८,०२,०००
२१	देवबन्द	सहारनपुर	..	८,५०,०००
२२	नागर	बस्ती	..	७,०४,०००
२३	दुद्धी	मिर्जापुर	..	६,१०,०००
२४	चकराता	देहरादून	..	६,९०,०००
२५	फूलपुर	इलाहाबाद	..	७,३३,०००
२६	भिलंगना	टेहरी गढ़वाल	..	५,६४,०००
		कुल व्यय	..	२८,४५७,०००

प्रान्त के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों पर ३१ मार्च, १९५५ तक होने वाले खर्च की सूची

(सूची "ब")

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	जिले का नाम		कुल व्यय
				रु०
१	बाह	आगरा	..	२,०२,०००
२	खेरागढ़	आगरा	..	२,०५,०००
३	टप्पल	अलीगढ़	..	१,९२,०००
४	हसायां	अलीगढ़	..	२९,०००
५	तारीखेत	अल्मोड़ा	..	१,७४,०००
६	सल्ट	अल्मोड़ा	..	२२,०००
७	हवलबाग	अल्मोड़ा	..	३०,०००
८	कोरांव	इलाहाबाद	..	१,५६,०००
९	काड़ा	इलाहाबाद	..	१,७७,०००
१०	चार्गल खास	इलाहाबाद	..	१,६५,०००
११	लालगंज	आजमगढ़	..	२६,०००
१२	ऊंचा गांव	बुलन्दशहर	..	२,२४,०००
१३	परिशिक्षण तथा प्रसार केन्द्र से सम्मिलित ब्लाक	बुलन्दशहर	..	६४,०००
१४	बनकोर	बुलन्दशहर	..	१७,०००
१५	महुआ	बांदा	..	२,५०,०००
१६	मानिकपुर	बांदा	..	८०,०००
१७	मऊ	बांदा	..	१९,०००
१८	अफजलगढ़	बिजनौर	..	१,४८,०००
१९	कोतवाली	बिजनौर	..	८१,०००
२०	भोजपुरी	बरेली	..	१,८१,०००
२१	आंवला	बरेली	..	२६,०००
२२	आसिफपुर	बदायूं	..	५२,०००
२३	केसरगंज	बहराइच	..	२,०२,०००
२४	सिसी	बहराइच	..	२७,०००
२५	भवनापुर	बस्ती	..	१,८५,०००
२६	ढंघाटा	बस्ती	..	२६,०००
२७	रामनगर	बाराबंकी	..	१,५५,०००
२८	रुदौली	बाराबंकी	..	२६,०००
२९	मसौली ..	बाराबंकी	..	२७,०००
३०	आराजी लाइन्स	बनारस	..	३,३४,०००
३१	औरई	बनारस	..	३,२२,०००
३२	काशी विद्यालय	बनारस	..	२७,०००
३३	गरवार	बलिया	..	२७,०००

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	जिलों का नाम		कुल व्यय
				रु०
३४	दाड़वाला	देहरादून	..	२६,०००
३५	केपटेनगंज	देवरिया	..	२,४०,०००
३६	आवागढ़	देवरिया	..	२७,०००
३७	उमरोदा	फर्रुखाबाद	..	२१,०००
३८	बहुआ	फतेहपुर	..	१,४८,०००
३९	मलवान	फतेहपुर	..	२६,०००
४०	जलालपुर	फैजाबाद	..	२७,०००
४१	ढंगु	गढ़वाल	..	१,२९,०००
४२	हींटा ठीक	गोंडा	..	१,२५,०००
४३	मनकपुर	गोंडा	..	७२,०००
४४	निछलोल	गोरखपुर	..	१,४५,०००
४५	चारगांव	गोरखपुर	..	६२,०००
४६	परिशिक्षण तथा प्रसार केन्द्र से सम्मिलित ब्लाक	गाजीपुर	..	१,११,०००
४७	देवकली	गाजीपुर	..	२८,०००
४८	मोदहा	हमीरपुर	..	२,८९,०००
४९	गोहण्ड	हमीरपुर	..	५३,०००
५०	गौरीगंज	सुल्तानपुर	..	२७,०००
५१	चिरगांव	झांसी	..	१,३९,०००
५२	झकोरा	झांसी	..	२७,०००
५३	एट	जालौन	..	४६,०००
५४	खुतन्द ..	जालौन	..	६२,०००
५५	बादशाहपुर	जौनपुर	..	३,२१,०००
५६	दोमी	जौनपुर	..	२६,०००
५७	घाटमपुर	कानपुर	..	२,१९,०००
५८	अमरोधा	कानपुर	..	४८,०००
५९	कलियानपुर	कानपुर	..	५३,०००
६०	पुरकांजी	मुजफ्फरनगर	..	१,६४,०००
६१	झिनझिना	मुजफ्फरनगर	..	२७,०००
६२	लोनी	मेरठ	..	१,७१,०००
६३	बिलौनी	मेरठ	..	२७,०००
६४	गोवरधन	मथुरा	..	३,०५,०००
६५	मथुरा	मथुरा	..	२७,०००
६६	सिरसागंज	मैनपुरी	..	२७,०००
६७	जोया	मुरादाबाद	..	२,८०,०००
६८	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	..	८२,०००
६९	हलिया	मिर्जापुर	..	२७,०००
७०	खतीया	नैनीताल	..	१,८६,०००
७१	सरयाखेत	नैनीताल	..	१,६३,०००
७२	रुद्रपुर	नैनीताल	..	१,१०,०००

क्रम-संख्या ब्लाक का नाम	जिले का नाम		कुल व्यय
			रु०
७३—लक्षणपुर	प्रतापगढ़	..	२,०१,०००
७४—ग्रासपुर देवसारा	प्रतापगढ़	..	२७,०००
७५—सलोन	रायबरेली	..	२,१५,०००
७६—हरचन्दपुर	रायबरेली	..	२७,०००
७७—मुजफ्फर ग्राबाद	सहारनपुर	..	८१,०००
७८—कन्ठ	शाहजहानपुर	..	२७,०००
७९—हरगांव	सीतापुर	..	२,३८,०००
८०—बेहता	सीतापुर	..	६४,०००
८१—बिलग्राम	हरदोई	..	१,०५,०००
८२—कोधा	हरदोई	..	२६,०००
८३—वेहजाम	हरदोई	..	२,१६,०००
८४—निघासन	खीरी	..	७५,०००
८५—पीलीभीत	पीलीभीत	..	१,७३,०००
८६—घुमंची	पीलीभीत	..	२९,०००
८७—नवाबगंज	उन्नाव	..	१,८९,०००
८८—फतेहपुर	उन्नाव	..	२७,०००
८९—नोगांव	टेहरी-गढ़वाल	..	१,२९,०००
९०—सईदनगर	रामपुर	..	१,२८,०००
९१—बिलासपुर	रामपुर	..	२९,०००
९२—गोसाईंगंज	लखनऊ	..	१,४०,०००
९३—सरोजनीनगर	लखनऊ	..	१,७२,०००
९४—बख्शी का तालाब	लखनऊ	..	१,१६,०००

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३–४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९१ पर)

तालिका

कितने राजकीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त अस्पताल हैं ?	उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?	उनमें से किन किन के पास उनका निजी भवन है ?	किसमें योग्यता-प्राप्त डाक्टर वैद्य और हकीम नहीं हैं ?
१	२	३	४
	रु०		
राजकीय एलोपैथिक—			
१—जिला मर्दाना चिकित्सालय हमीरपुर	२६,१४३ रु० (वार्षिक)	निजी भवन है	योग्यता प्राप्त डाक्टर है।
२—जिला जनाना चिकित्सालय हमीरपुर	१२,६४९ वा०	"	"
३—पुलिस चिकित्सालय हमीरपुर	७,१०४ वा०	"	"
४—मर्दाना चि०, चरखारी	२८,३३६ वा०	"	योग्यता प्राप्त डाक्टर नहीं है।
५—जनाना चि०, चरखारी		"	
६—सरीला चि०	६,७६४ रु०	"	योग्यता प्राप्त डाक्टर है।
७—बेरी चि०	५,०४६ रु०	"	"
८—कोहनिया चि०	५,३५२ रु०	"	"
९—सुमेरपुर चि०	६,१४० रु०	निजी भवन नहीं है	"
१०—छानी चि०	५,६७८ रु०	"	"
११—कुलपहाड़ चि०	५,५५२ रु०	"	"
१२—मझगांवा चि०	५,६८४ रु०	"	"
१३—मुस्करा चि०	५,६३० रु०	"	"
१४—इमिलिया चि०	५,४०३ रु०	निजी भवन में है	"
१५—जैतपुर चि०	५,५३० रु०	"	"
सरकार से सहायता प्राप्त एलोपैथिक चिकित्सालय			
१—महोबा चिकित्सालय	२,५०० वा० राजकीय सहायता	"	"
२—राठ चिकित्सालय	७०० रु० वार्षिक राज्य सहायता	"	"
३—मौदहा चि०	५५० रु० वार्षिक राज्य सहायता	"	"

कितने राजकीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त अस्पताल हैं ?	उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?	उनमें से किन किन के पास उनका निजी भवन है ?	किस में योग्यता-प्राप्त डाक्टर वैद्य और हकीम नहीं हैं ?
१	२	३	४
	रु०		
राजकीय आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सालय --			
१--सुंग्रा	३,५०० रु० वार्षिक	निजी भवन नहीं है	योग्यता प्राप्त वैद्य हकीम है।
२--हजेहारी	"	"	" "
३--झलोखार	"	"	" "
४--खरेला	"	"	" "
५--गोहन्द	"	"	" "
६--सूपा	"	"	" "
७--कनकवा	"	"	" "
८--पुरैनी	"	"	" "
९--पचखुरा बुजुर्ग	"	"	" "
१०--रेवाई	"	"	" "
११--कमहरिया	"	"	" "
१२--करबी	"	"	" "
राजकीय सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय			
१--जरारवार	६०० रु० लगभग राजकीय सहायता	सूचना अभी नहीं मिली	" "
२--मोदाहा	६०० रु० "	"	" "

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर)

नत्थी १

क्रम संख्या योजना का नाम	मांगी गई रकम (ग्राण्ट) रुपयों में
१—हाथ के औजारों (Handtools) के विकास की योजना ..	१७,५३,०००
२—मैकेनिकल खिलौने (Mechanical toys) बनाने की योजना	६,६३,०००
३—दबाई हुई धातु (Pressed Metal) से वस्तुएं बनाने की योजना ..	१०,२६,८१०
४—छातों के खांच (Notches) बनाने की योजना ..	४२,४६०
५—बनारस में चरी काटने की मशीनें (Chaff cutter knives) बनाने की योजना	१,६६,०००
६—पॉटरी उद्योग के विकास की योजना ..	५,३१,६००
७—राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में १६ रूरल वर्कशाप्स बनाने की योजना	२४,६३,१००
८—आगरा और कानपुर में फाउन्ड्री रिसर्च और टेस्ट हाउस की योजना	११,७६,०००
९—मुरादाबाद में एक इलोक्ट्रोप्लेटिंग मशीन लगाने की योजना ..	४,६५,७३६
१०—पेन्सिल बनाने पेन्सिलतराश (Pencil sharpeners) बनाने की योजना	१,१०,०००
११—प्लास्टिक की चीजें बनाने के लिये ट्रेनिंग देने की योजना ..	१,०२,५००
१२—खेलकूद के सामान बनाने के उद्योग के विकास की योजना ..	४,२५,०००
१३—माडेल कारपेन्ट्री वर्कशाप (Model Carpentry workshop) की योजना	३,००,०००
१४—टार्च शैल (Torch shells) बनाने की योजना ..	३,९९,०००
१५—चलती फिरती कारपेन्ट्री दूकान (Mobile Carpentry shop) की योजना	२,४०,०००
१६—चलती फिरती लोहारी (Mobile Smithy shop) की दूकान की योजना	३,१६,०००
१७—ऊंचे किस्म का शीशा बनाने के लिये ऐसे प्लान्ट लगाने की योजना जिससे क्वाट्स (Quartz) को पीसा जा सके जो रेते के बजाय प्रयोग किया जा सके	२,४३,७६०
१८—बने हुये शीशे की किस्म को अच्छा करने के लिये ऐसे प्लान्ट लगाने की योजना जिससे शक्तिशाली लाइमस्टोन (Powered limestone) सप्लाई किया जा सके जो कि स्लेक्ड लाइम (Slacked lime) के बजाय प्रयोग किया जा सके	२,६६,३६०
१९—मुरादाबाद में नान फैरस और टेस्ट हाउस (Non-ferrous and Testing Hous॰) की योजना	५,६५,०००

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४६२ पर)

नत्थी २

क्रम संख्या	योजना का नाम	भारतीय सरकार द्वारा स्वीकृत (धनराशि रुपयों में) ऋण	अनुदान
१	आगरा में चर्म उद्योग के लिये मेजरिंग मशीन (Measuring Machine) लगाने की योजना ..	..	२१,३६४
२	क्वालिटी मार्किंग योजना (Quality Marking Scheme) को चालू रखने की योजना ..	..	१,००,५००
३	लेदर फ्लेइंग और टैनिंग (Leather Flaying and Tanning Industry) योजना के विस्तार की योजना	२,२५,०००	५,०८,०६१
४	आगरा में फुटवियर उद्योग (Footwear Industry) के विकास के लिये एक कोआपरेटिव प्रोडक्शन सेन्टर और चार बिक्री डिपो खोलने की योजना ..	५,००,०००	७०,१३७
५	इलाहाबाद और बरेली में वुड सीजनिंग प्लान्ट (Wood seasoning plant) लगाने की योजना ..	..	१,७०,४६०
६	अविकसित और पिछड़े हुए क्षेत्रों में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेन्टर (Training-cum-production centre) खोलने की योजना	३१,०००	३,७६,०००
७	राज्य में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण देने की योजना ..	१०,००,०००	..

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर)

चिकित्सालय का नाम (स्थान)	एलोपैथिक आयुर्वेदिक अथवा यूनानी	वार्षिक खर्च अथवा सरकारी सहायता		
		(गत वर्ष का खर्च)		
सरकारी चिकित्सालय--		रु०	आ०	पा०
सदर चिकित्सालय, इटावा	एलोपैथिक	३४,८५८	०	०
जनाना ,, इटावा	,,	११,२३२	०	०
जनाना ,, भरथना	,,	२,०३६	२	०
जनाना ,, औरैय्या	,,	२,२५०	१४	३
ऊदी ,,	,,	१,९७१	१	९
सहेल ,,	,,	१,८५६	१	०
बेला ,,	,,	२,००६	२	९
अजीतमल ,,	,,	१,०७६	१	०
टी० बी० ,, इटावा	,,	३४,७७४	३	९
वेदपुर ,,	आयुर्वेदिक			
अजबपुर ,,	,,			
अटसू ,,	,,			
अछल्दा ,,	,,	इसमें से प्रत्येक का वार्षिक खर्च लगभग ३,५३० रु० है।		
एरवा कटरा,,	,,			
कुदर कोट	,,			
इकदिल ,,	,,			
बसेहर ,,	यूनानी			
सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय--		रु०	आ०	पा०
तारवा चिकित्सालय	एलोपैथिक	१,७७८	०	०
लरवना (मर्दाना) चिकित्सालय	,,			
लरवना (जनाना विंग)	,,	२,०४०	०	०
सहसों चिकित्सालय	,,	२,२६१	०	०
जसवन्तनगर चिकित्सालय	,,	६००	०	०
फफूंद ,,	,,	२००	०	०
महेवा ,,	,,	२००	०	०
भरथना ,,	,,	५००	०	०
विधूना ,,	,,	६००	०	०
औरैया ,,	,,	५५०	०	०
रूरूगंज ,,	आयुर्वेदिक	६०८	०	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५९ एल० ए०--१९५५--७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री

दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री

सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

मुहम्मदपुर, पथरी और खटीमा बिजली घरों का अनुमानित तथा संशोधित व्यय

*१--**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुहम्मदपुर बिजलीघर, शारदा बिजलीघर और पथरी बिजलीघर का अनुमानित व्यय क्या था और अब उनके संशोधित व्यय का क्या अनुमान है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--मुहम्मदपुर, पथरी और खटीमा बिजली घरों का अनुमानित और संशोधित व्यय इस प्रकार है:

	बिजली घर का नाम	अनुमानित व्यय	संशोधित व्यय
(अ)	मुहम्मदपुर जल विद्युत गृह	१०१.८२ लाख	१२९.८९ लाख
(ब)	पथरी जल विद्युत गृह	२९६.०७ लाख	३७६.५७ लाख
(स)	खटीमा जल विद्युत गृह	२८९.१४ लाख	७४७.७५ लाख

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान प्रावकलन समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ २६ की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि मूल अनुमानित व्यय में मुख्य बिजलीघर का व्यय केवल १० लाख कूता गया था जिसका अनुमानित व्यय अब १ करोड़ ३३ लाख ३६ हजार है ?

श्री धर्मसिंह--यह तो देखना होगा तभी उसका उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुमानित व्यय, संशोधित व्यय और उसके पश्चात् जो वास्तविक व्यय होता है उसमें इतना अधिक अन्तर क्यों हो जाता है ?

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात किसी विशेष व्यय से संबंधित है या अलग-अलग से संबंधित है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—खटीमा जल विद्युत गृह में २ करोड़ ८९ लाख १४ हजार अनुमानित व्यय था और संशोधित व्यय ७ करोड़ ४७ लाख ७५ हजार दिया गया है, यह तो तिगुने से ज्यादा हो गया है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—ओरिजिनल एस्टिमेट जो इसका है वह सन् ४५ से पहले का दिया हुआ है और सन् ४५ के बाद वेजेज में और दीगर चीजों की कीमतों में जो चीजें उसमें दरकार होती थीं चौगुने और पंचगुनेका फर्क हो गया। दूसरे जो वहां काम हो रहा था उसमें यह दिक्कत पेश आई कि पानी की सतह में पानी ही पानी निकलने लगा और वह किसी प्रकार सूखता नहीं था। मुझे याद है १०० से ज्यादा ट्यूबवेल्स इसके लिये लगाये गये तब काम चलाया गया और एक पावर स्टेशन उनके वास्ते बिजली मुहइया करने के लिये लगाया गया और उस सतह को खुश्क करके पूरे तौर पर यह काम वहां शुरू किया गया। ये तीन कारण थे जिनकी वजह से उनके खर्च में फर्क आया।

रजा टेक्सटाइल, रामपुर को बिजली की सप्लाई

*२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर बिजली घर तथा हाइडेल ग्रिड से रजा टेक्सटाइल, रामपुर को सरकार घाटे पर बिजली देती है?

श्री धर्मसिंह—सर्वश्री रजा टेक्सटाइल को रामपुर पावर हाउस से बिजली दी जा रही है। बिजली घाटे पर नहीं दी जा रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही नहीं है कि रजा टेक्सटाइल को ५ पाई फी यूनिट की दर से १५०० किलोवाट बिजली दी जा रही है जबकि प्रत्येक यूनिट की जो कीमत है वह १६.४ पाई पड़ती है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रजा टेक्सटाइल को जो बिजली दी गई है वह हमारी गवर्नमेंट के जमाने में नहीं दी गई। उनको बिजली मिली पुराने जमाने में जब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उनसे एक मुआहिदा हुआ था और उस मुआहिदे के मुताबिक वह कार्यवाही जारी है जिसको कि मर्जर के वक्त शायद कायम रक्खा गया। जो फीगर्स बतलाये गये हैं वे ठीक हैं या गलत, यह मैं नहीं बतला सकता लेकिन यह समझा सकता हूं कि जो बात सवाल में कही गई है वह गलत है। उनको घाटे में बिजली नहीं दी जा रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगेकि किस दर पर बिजली दी जा रही है और क्या खर्चा बिजली पर प्रति यूनिट पड़ रहा है?

श्री धर्मसिंह—उनको १०७ पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है और खर्चा जो हम लोगों को आकर पड़ता है वह १०.३९ पर यूनिट पड़ता है।

१९५३ तथा १९५४ में दफा १२४ (ए) में गिरफ्तार व्यक्ति

*३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत २ वर्षों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रदेश में १२४ (ए) आई० पी० सी० के मातहत गिरफ्तार किये गये?

पुलिस उपमंत्री-(श्री जगनप्रसाद रावत)—सन् १९५३ में १
और १९५४ में ३

नोट—तारांकित प्रश्न ३—५ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछे।

*४--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये व्यक्ति किन-किन जिलों में कितनी-कितनी संख्या में हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--गोरखपुर १, अलीगढ़ १, बस्ती २ ।

*५--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १२४ (ए) आई० पी० सी० में गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में विशेष सुविधा दी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।

*६--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--[१६ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

१९५३--५४ में पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमे

*७--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५३-५४ में कितने पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमें चलाये गये और उनमें से कितने अपराधी सिद्ध हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सन् १९५३ में ५४७ तथा १९५४ में ६८२ पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमें चलाये गये और उनमें से क्रमशः ८२ तथा ८६ अपराधी सिद्ध हुये ।

*८--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने अपराधी ऐसे हैं जो घूसखोरी तथा बलात्कार के मामले में पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इनमें से कुल ४२ अपराधी घूसखोरी तथा १३ बलात्कार के मामले में पकड़े गये।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १९५३ और ५४ में जो कर्मचारी अपराधी सिद्ध हुए हैं वह किस जिले में किस पद पर काम करते थे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत हैं । मैं इतने नाम सुनवाने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री रामदुलारे मिश्र--बलात्कार के मामले में पकड़े गये दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उन पर मुकदमे चलाये गये ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर--)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कर्मचारी दोषी पाये गये उनमें गजटेड पोस्ट के कितने थे और नानगजेटेड पोस्ट के कितने थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जितने मैंने आंकड़े दिये हैं सब नान-गजटेड पोस्ट के हैं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इनमें केवल घूस खोरी में कितने मुकदमे चलाये गये, कितने उसमें दोषी हुए और जो छूटे हैं उनमें कितने निर्दोष साबित हुए और कितनी संख्या में छोड़े गये ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। टुकड़ों में कीजिये

श्री रतनलाल जैन—माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि घूसखोरी में कितने मुकदमें चलाये गये और उनमें से कितने मे सजा हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मुकदमों का जिक्र किया गया है क्या यह मुकदमे केवल वही है जो कि सरकार द्वारा चलाये गये या उनमें वह भी है जो कि प्राइवेट कम्प्लेंट्स द्वारा चलाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो सरकार द्वारा चलाये गये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों को घूस लेते समय किस एजेंसी द्वारा पकड़ा जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—घूस लेने के सम्बन्ध में जो मुकदमें चलाये जाते है कुछ तो अगर जांच करने के बाद साबित हो जाता है कि मुकदमा चल सकता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। दूसरे अगर कोई घूस देने से पहले इत्तला देता है तो हमारे मैजिस्ट्रेट और दूसरे अफसर जाते है और मौके पर गिरफ्तार करते है।

थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ के मुअत्तल चौकीदारों के स्थान पर उनके भाइयों की नियुक्ति

*९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जनवरी से दिसम्बर सन् १९५४ तक (एक साल में) आजमगढ़ जिले के महराज गंज थाने के कितने चौकीदार किन-किन अपराधों में मुअत्तल रहे है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५४ में आजमगढ़ जिले के महाराज गंज थाने के ५ चौकीदार मुअत्तल रहे, तीन दफा १४८/३२४ भा० द० वि० के एक मुकदमें में फंसे होने के कारण और शेष दो भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण।

*१०—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि मुअत्तल चौकीदारों के सगे भाइयों तथा अन्य सगे सम्बन्धियों को ही एवज चौकीदार बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—केवल दो चौकीदारों के एवज में रखे गये चौकीदार उनके सगे भाई थे। उन लोगों के नियुक्त किये जाने के दो कारण थे। एक तो यह कि थोड़े समय के लिये कार्य करने को कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति तैयार नहीं थे और दूसरे कि वे मुअत्तल चौकीदारों से अलग रहते थे और उनके विरुद्ध कोई ऐसी बात न थी जिसके कारण उन्हें नियुक्त न किया जाता।

श्री उमाशंकर—चौकीदार जो भ्रष्टाचार के इल्जाम में मुअत्तल थे उनकी मुअत्तली करने की क्या जरूरत थी और उनके सगे भाई जो उनकी जगह पर नियुक्त किये गये उनकी क्या जरुरत थी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मुअत्तल करने की वजह यह थी कि उनके खिलाफ शिकायत थी और उनकी जगह पर जो भाई नियुक्त किया गया तो उसका मैंने कारण बता दिया कि बहुत थोड़े समय के लिये उनको रखा गया और क्योंकि कोई आदमी इस काम पर आने के लिये तैयार नहीं होता था और चूंकि उनके भाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी इसलिये उनके भाई को ही इस काम पर नियुक्त कर दिया गया।

श्री उमाशंकर—मैंने पूछा था कि मुअत्तल करने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष—वह तो बता दिया गया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)——क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ आदमी मुअत्तल थे वह अब तक मुअत्तल हैं या उनकी मुअत्तली खत्म हो गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत——इस संबंध में तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उमाशंकर——क्या यह सच है कि यह पांचों चौकीदार चोरियों, डाकों आदि के अनेक मामलों में शामिल रह चुके हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत——संभव है लेकिन चूंकि इसकी तफसील मेरे पास नहीं है, इसलिये कह नहीं सकता । जितनी सूचना मेरे पास थी वह मैंने आपको दी ।

गोरखपुर जिले में जंगल पिपरा रसूलपुर की कटाई का ठेका

*११——श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया) (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जंगल पिपरा रसूलपुर, तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर को, जिसका काटना चीफ कन्सर्वेटर ने रोक दिया था, फिर काटने की इजाजत दे दी गई है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)——जी हां ।

*१२——श्री रामरतन प्रसाद (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय उस जंगल की अनुमानित कीमत क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——१,०६,८३८ रुपया ।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसके बारे में स्थानीय डी० एफ० ओ० की क्या राय थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——यहां जो रिपोर्ट आयी है वह चीफ कंजरवेटर की है । उन्होंने लिखा है कि दूसरे आदमी ने जो शिकायत की थी वह उनको ठीक मालूम हुई और उन्होंने तब दोनों आदमियों को आपसी सलाह करने की राय दी बाद को उन दोनों की राय एक हो गयी और पिछली आज्ञा पर से रोक हटा ली गई ।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जंगल रोक देने के बाद फिर उसके काटने की इजातज क्यों दी गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——उस जंगल का ठेका दिये जाने के बाद एक आदमी ने दरख्वास्त दी कि वह भी उस ठेकेदार का साथी और है । उसने दरख्वास्त दी तो रोक लगा दी बाद को तब उन दोनों आदमियों की राय से वह जंगल दिया गया वे दोनों जिम्मेदार हुए ।

टिहरी-गढ़वाल में कैसर हिन्द क्षेत्र में लिसा डिपो तथा जंगलात चौकियां

*१३——श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टिहरी गढ़वाल)——क्या यह सही है कि टिहरी-गढ़वाल में चिन्याली सौड़ नामक स्थान के समीप जंगलात विभाग ने कैसर हिन्द जमीन को बिना नियमानुसार प्राप्त किये उस पर कब्जा कर लिसा डिपो बना दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——जी नहीं ।

*१४——श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट——क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के एस० डी० ओ० ने इस सम्बन्ध में सरकार से कोई लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

नोट——तारांकित प्रश्न ११-१२ श्री रामअवध सिंह ने पूछे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं।

*१५---श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जंगलात विभाग ने टिहरी सर्किल में नियमानुसार भूमि प्राप्त किये बिना कैसर हिन्द क्षेत्र में लिसा डिपो तथा जंगलात चौकियां बनाई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि जंगलात विभाग ने चिन्याली सौड़ नामक स्थान पर जो रेजिन डिपो बनाया है वह भूमि जंगलात की नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि जी नहीं। वह भूमि तो स्वयं जंगलात की है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस स्थान पर डिपो बनाया गया है वह भूमि जंगलात की नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वह भूमि स्वयं जंगल की है और वह महाराजा साहब के समय से जंगलात ही के अन्तर्गत मानी जाती है और उसके अन्दर इस प्रकार के कार्य होते आये हैं।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टिहरी-गढ़वाल)---क्या मंत्री जी को विदित है कि स्वयं जंगल के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने का नियम दूसरा है और जंगलात के अन्दर दूसरा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुमकिन है कि प्राइवेट इंडिविडुअल्स के लिये ऐसा कोई नियम हो। मगर जहां तक सरकारी कार्यवाही का सम्बन्ध है यह परम्परा रही है कि जंगलात विभाग को जब आवश्यकता पड़ती है तो अपना काम उस वन भूमि पर इसी प्रकार खोल लेता है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी को मालूम है कि स्वयं भूमि को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेंक्शन देता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह ठीक है। मैंने कह दिया कि व्यतिगत मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किया करता है।

पथौरा और राजापुर षड्यंत्रों के अभियुक्त

*१६---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच षड्यंत्र केस में कुल कितने अभियुक्त प्रारम्भ में गिरफ्तार किये गये थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---बहराइच षडयंत्र केस नाम से कोई घटना नहीं हुयी, पथौरा और राजापुर षडयंत्र केस हुये थे जिनके सम्बन्ध में कुल १९ व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे।

*१७---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अब तक कुल कितने अभियुक्त केस से छोड़े जा चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---५ व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने केस नहीं चलाया और ५ न्यायालय से बरी हो गये, शेष व्यक्तियों को सजाएं हो गयी हैं।

एटा जिले में डकैतियां, चोरियां, कत्ल और स्त्रियां भगाने के मामले

*१८—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में एटा जिले में थानेवार कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल और स्त्रियों के भगाने की रिपोर्ट हुईं, कितनों पर मुकदमें चलाये गये और कितनों को सजा हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३२ पर।)

श्री बाबूराम गुप्त—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५५ रिपोर्टेड केसेज थे उनमें से ३३ पर ही मुकदमा क्यों चला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बाकी के मामलों में इस तरह की शहादत मुहैया नहीं हुई कि उन पर मुकदमा चलाया जा सकता।

इटावा जिले में डाके व कत्ल तथा रिपोर्ट न लिखने की शिकायत

*१९—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले से उन्हें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि डाके की वारदात होने पर भी वहां की स्थानीय पुलिस डाके की रिपोर्ट इन्दराज नहीं करती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस प्रकार की एक शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है किन्तु जांच करने पर निराधार सिद्ध हुयी।

*२०—श्री मिहरबान सिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा ज़िले में सन् ५३ व ५४ में कितने डाके पड़े व कत्ल हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५३ में ८ डाके और ३१ कत्ल तथा सन् ५४ में १० डाके और २२ कत्ल हुये।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायत प्राप्त हुई है उसकी जांच उन्हीं अधिकारियों के द्वारा करवाई गई जिनके विरुद्ध शिकायत थी या सी० आई० डी० विभाग के किसी दूसरे अधिकारी से कराई गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिसके विरुद्ध शिकायत हुई थी उसके उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करायी गई।

वन-खंडों में टोंग्या केन्द्र तथा टोंग्या लगाने की शर्तें

*२१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन स्थानों अथवा वन विभागों (खंडों) में 'टोंग्या' गांवों द्वारा "प्लान्टेशन" लगवाये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६३३-६३४ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन टोंग्या गांव द्वारा प्लान्टेशन लगवाने और उन्हें पौधे लगाने के एवज में जमीन दिये जाने के नियम क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां पर टोंग्या लगाये जाते हैं उनके साथ शर्त यह होती है कि जो पेड़ लगाये जाते हैं १२ फीट के फासले पर हों। उसके बीच में वे खेती करते हैं और जब तक पेड़ बड़े नहीं होते हैं तब तक खेती कर सकते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको दूसरी जगह दे दी जाती है वहां पर यही कार्य करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामनगर वन-खंड के रामपुर, चोपड़ा और लेटी यह टोंग्या गांवों ने सरकार को आवेदन भेजा है कि अब टोंग्या पर्याप्त लग चुके हैं उनके पास अब जमीन नहीं है इसलिये उनको जिस जमीन में वे बसे हुए हैं वह जमीन उन्हें लीज पर दे दी जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अगर और जमीन नहीं है तो और पौधे लगेंगे नहीं। मगर लीज पर क्या दिया जायगा क्योंकि वन खड़े हो गये हैं और कोई खाली जमीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामनगर के इन तीन गांवों के टोंग्या में बिलकुल दूसरी प्रणाली है ?

श्री अध्यक्ष--इतना व्योरा वह कैसे बता सकेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामनगर के वन-खंड में तीन टोंग्या के गांव जो जमीन टोंग्या गांव वालों के पास है उस पर पेड़ नहीं लगाये गये हैं बल्कि ३७ साल से लगातार खेती ही कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--तो फिर तो यह टोंग्या ही नहीं हुआ वह तो खालिस खेती का कार्य हुआ।

जेल उद्योग के डाइरेक्टर की नियुक्ति के नियम

*२२--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल उद्योगों के डाइरेक्टर की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श से सरकार करती है ?

*२३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस स्थान पर नियुक्ति के लिये क्या योग्यता निर्धारित है और आयु की क्या कैद है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी इस सम्बन्ध में नियम नहीं बने हैं परन्तु विचार यही है कि भविष्य में नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श से हुआ करें।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो नियुक्तियां की गईं वे किन विशेष योग्यताओं को देख कर की जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- साधारण तौर से अभी दो ही नियुक्तियां हुईं और इतना समझा गया कि यह लोग इस काम को चला सकेंगे और ऐडहाक तरीके से कर ली गई।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय जो डाइरेक्टर साहब काम कर रहे हैं उनकी क्या योग्यता है और क्या आयु है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वे इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के बी० एस-सी० हैं और बर्लिन यूनीवर्सिटी का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और वियना की डाक्टरेट इन ऐग्रीकल्चर केमिस्ट्री हैं और आयु तो कहते हैं जो मरते वक्त तक होती है, वह तो मुझे मालूम नहीं अगर उनका मतलब वय से है तो वे ५२, ५३ के करीब होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जेल उद्योग के डाइरेक्टर के पद का निर्माण प्रथम बार कब हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६, ७ वर्ष हुए शायद।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह ७ वर्ष से इस सेवा के नियम अब तक क्यों नहीं बन पाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कई बार तो सवाल यह उठा कि जेल इंडस्ट्रीज की कोई डाइरेक्टोरेट होनी ही नहीं चाहिये, जेल की स्टैंडिंग कमेटी में यह सवाल आया, फाइनेंस कमेटी में आया, बहरहाल जो कमेटी अब बैठायी गई है जेल इंडस्ट्रीज की बाबत उसकी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं तब उसके बाद कुछ निर्णय हो सकेगा।

*२४--**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)--[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२७--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २६-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ शहर में बिजली की दरें

*२८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर के नागरिकों को बिजली सन् १९५३ और सन् १९५५ में किस दर से प्रदान की गई है?

श्री धर्मसिंह--आजमगढ़ शहर में १-४-५३ से बिजली की दरों की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है। उन दरों में तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३५ पर।)

*२९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ और सन् १९५५ की दरों में अन्तर क्यों है?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न ही नहीं, उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर में बिजली सन् ५३ में आजमगढ़ पावर हाउस से मिलती थी और ५५ में मऊ पावर हाउस से मिलती है?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री जी इसका पता फिर से लगायेंगे कि सन् ५३ और ५५ की दरों में आजमगढ़ और मऊ की बिजली में अन्तर है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं तो।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार के पास आजमगढ़ शहर के नागरिकों की इस बात की शिकायत आयी है कि उनको बिजली पिछली दर से ज्यादा पर दी जाती है?

श्री धर्मसिंह--जी, इस तरह की तो कोई सूचना है नहीं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आजमगढ़ के नागरिकों को इस समय जब से मऊ पावर हाउस से बिजली मिलने लगी है, नियमित रूप से बिजली नहीं मिलती है, इसकी शिकायत लोगों को है?

श्री धर्मसिंह--इस तरह की तो कोई शिकायत है नहीं।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि इसी सदन में उन्होंने एक बार बताया है कि जब मऊ पावर स्टेशन से बिजली आजमगढ़ शहर को दी जायगी तो कानपुर के बराबर उसकी दर कर दी जायगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी, याद है, अगरचे मैंने कही नहीं है। मगर बात यह मैंने कहीं कही है जरूर और उसकी वजह यह है कि मऊ के ऊपर पावर स्टेशन कुछ दिनों के बाद वैसा ही हो जाने वाला है जैसा कि कानपुर का पावर स्टेशन। तो उसकी जो बिजली बनेगी उसका खर्चा उसी किस्म का होगा जैसा कानपुर का है। इस वक्त तो वहां डिजिल पावर स्टेशन है और फिर मऊ से दूर है आजमगढ़, वहां तक लाइन लगाने वगैरह में जो खर्चा हुआ होगा उसकी वजह से वह कुछ बढ़ी हुई है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जो बिजली सप्लाई होती है वह ए० सी० है या डी० सी०।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ए० सी० है वह तो।

आगरा की विजयनगर कालोनी में चोरियां

*३०--**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि आगरा की विजयनगर कालोनी में गत वर्ष कितनी चोरियां हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--१२

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन चोरियों में कितनी हानि हुई और कितनी चोरियों का पता लगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कितनी हानि हुई इसकी तफसील तो इस समय नहीं। लेकिन इनमें से ५ चोरियों का पता लगा, उन पर मुकदमा चलाया गया, उनको सजा हो गयी बाकी सात का ठीक-ठीक पता नहीं चला।

पुलिस लाइन, लखनऊ में आये हुये जवान

*३१--**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस लाइन, लखनऊ में भिन्न-भिन्न जिलों से स्थानान्तरित होकर आये कितने पुलिस के जवान ऐसे हैं जिन्हें अब तक कहीं तैनात नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कोई नहीं है।

*३२--**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार पुलिस के ऐसे जवानों की संख्या बतायेगी कि जिन्हें तीन महीने से ऊपर हो गये और अब तक जगह नहीं मिली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कोई नहीं है।

रायबरेली शहर में चोरियां

*३३--**श्री रामशंकर द्विवेदी** (जिला रायबरेली)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ मार्च, १९५५ ई० से २३ मार्च, ५५ ई० तक रायबरेली शहर में कितनी चोरियां हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--३।

श्री रामशंकर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चोरियों में चोरों ने मारपीट भी की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन चोरियों में कितने हथियार चोरी गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तफसील तो मेरे पास नहीं है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार तो यह ज्ञात है कि एक एम० एल० ए० का रिवाल्वर भी उसमें चोरी गया?

श्री जगनप्रसाद रावत--यदि ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अफसोस है।

*३४-३५--**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--[हटा दिये गये।]

आजमगढ़ जिले में भारतीय दंड-विधान की धारा १०७, ११७ व १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*३६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च सन् १९५५ में भारतीय दण्ड विधान की धारा १०७, ११७ और १५१ में कितनी-कितनी गिरफ्तारियां हुईं?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३६ पर।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विवरण-पत्रिका में जो २५ गिरफ्तारियां लिखी हुई हैं घोसी तहसील में, वह किस-किस थाने की और किस-किस गांव की हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो तफसील बहुत लम्बी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि घोसी तहसील में एक ही व्यक्ति के ऊपर एक ही साल में ३-३ मुकदमे धारा १०७ के चलाये जाते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--यदि कोई विशेष उदाहरण माननीय सदस्य देंगे तो उसकी जांच करायी जायगी।

थाना हसायन, जिला अलीगढ़ में कत्ल के मामलों के चालान

*३७--**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना हसायन, जिला अलीगढ़ में सन् १९५४ तथा १९५५ में जो कत्ल हुये उनमें से कितने केस चालान हुये तथा कितने बिना चालान छोड़ दिये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--सन् १९५४ में कत्ल के ५ मामले हुये जिनमें से ३ का चालान हुआ और २ का पता न चल सका। सन् १९५५ में कत्ल का एक मामला हुआ जिसमें अभी जांच जारी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो तीनों पर मुकदमा चल रहा है उनमें से कितने लोगों को सजा हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जब मुकदमे में सजा हो जायगी तभी मैं बतला सकता हूं।

नगला घासी, जिला अलीगढ़ के निवासियों की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*३८--**श्री नेकराम शर्मा** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि नगला घासी, मजरा डडैसरी, थाना सिकन्दराराऊ के ग्रामवासियों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा तथा वहां की औरतों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया? यदि हां, तो सरकार ने शिकायत पाने पर क्या कार्यवाही की?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। ऐसा एक शिकायती पत्र आया था परन्तु जांच करने पर आरोप सही नहीं पाये गये।

नोट--तारांकित प्रश्न ३७-३८ श्री शिव नारायण ने पूछे।

*३९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२१ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सरकारी अधिकारियों के शिकार खेलने पर नियंत्रण

*४०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी अधिकारियों को विशेषकर दौरे के समय शिकार न खेलने के लिये उसने कोई आदेश दे रखे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय पर अगस्त, १९५२ में शासन द्वारा आदेश निकाले गये थे। उनकी एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३७ पर।)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री को पता है कि सरकार द्वारा दिये हुए आदेशों का पूर्णतया पालन नहीं हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज तक तो ऐसी शिकायत किसी ने की नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस अपने सन् ५२ के आदेश के मुख्य तथ्यों को सदन के सामने पेश करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट यह तो नहीं कहती कि कोई शिकार न करे अगर कोई सरकारी अफसर कहीं जाय। मगर खासतौर से शिकार की पार्टियों का संगठन करना, शिकार का आयोजन कराना, खास तौर से शिकार के लिए ही जाना, यह उचित नहीं है।

*४१—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१५ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी के रेट व म्युनिसिपल बोर्ड के साथ एग्रीमेंट

*४२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी बिजली कम्पनी से वहां के म्युनिसिपल बोर्ड का बिजली सप्लाई करने का जो Agreement था उसकी मियाद कब खत्म हो गई और उक्त कम्पनी अभी तक क्या रेट चार्ज करती थी तथा अब क्या चार्ज करना चाहती है?

श्री धर्मसिंह—(१) झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी व म्युनिसिपल बोर्ड में जो एग्रीमेंट था उसकी मियाद ९ अक्टूबर, सन् १९५३ को खत्म हुई थी और अभी तक नये एग्रीमेंट की शर्तों के बारे में उनमें कोई समझौता नहीं हुआ। समझौता न होने तक पुराने रेट पर ही स्ट्रीट लाइट के लिये बिजली दी जा रही है।

(२) जो रेट अभी तक लागू हैं वह रेट और जो अब कम्पनी लेना चाहती है उनकी एक लिस्ट माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६३८ पर।)

*४३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में सहकारी संघ द्वारा चालित भट्ठों से लाभ

*४४—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कोआपरेटिव विभाग की ओर से कितने भट्ठे चल रहे हैं और सन् १९५३-५४ में और १९५४-५५ में इसमें कितना मुनाफा या हानि हुई है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---सन् १९५३-५४ में आजमगढ़ जिले में कुल ४० भट्ठे सहकारी संघों द्वारा चलाये गये और इस वर्ष इन भट्ठों से १,५५,७०३ रुपये का लाभ हुआ। १९५४-५५ में ५९ भट्ठे चलाये । ५९ भट्ठों में से अभी तक १९ भट्ठे का ही आय-व्यय फलक प्राप्त हुआ है जिनसे ९६,८७८ रुपये का लाभ हुआ है।

रानी सराय कोआपरेटिव यूनियन, जिला आजमगढ़ के संचालक मंडल की मुअत्तली

*४५---श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की रानी सराय कोआपरेटिव यूनियन का बोर्ड मुअत्तल है? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री मंगला प्रसाद---हां, रानी की सराय सहकारी-संघ का संचालक-मंडल (बोर्ड) विभागीय आदेशों का पालन न करने तथा कुप्रबन्ध के लक्षण दृष्टिगत होने के कारण डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बनारस द्वारा १८-६-५५ से मुअत्तल कर दिया गया।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि रानी की सराय का सहकारी बोर्ड जो मुअत्तल किया गया उसने किन आदेशों का पालन नहीं किया और कौन से कुप्रबन्धों के लक्षण पाये गये?

श्री मंगलाप्रसाद---यह जिस बिना पर किया गया था उसकी एक सूची बहुत लम्बी चौड़ी है वह माननीय सदस्य को मिल गयी होगी, उसमें सब चीजें हैं। वह काफी लम्बी चौड़ी है, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय कहें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---उसको पढ़ने की तो मैं इजाजत नहीं दूंगा लेकिन अगर आप मुख्तसिर में कुछ बताना चाहें माननीय सदस्य को तो बता दें।

श्री मंगलाप्रसाद---उसमें भट्ठे का प्रबन्ध ठीक नहीं था और इस तरह से वहां काम करने वालों से काम लिया गया कि सब छोड़ कर चले गये। जिस आदमी को डिसमिस किया गया था उसको फिर से रख लिया गया। एक साहब लोटूराम हैं उनको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया, उनसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई जैसी कि लेनी चाहिये। इसके अलावा सीताराम, जो उसके परमानेंट मैनेजर थे उनको बगैर चार्जशीट के निकाल दिया गया। इसके अलावा दसियों और हैं।

श्री अध्यक्ष---इतना लम्बा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा बता करकेंगे कि सहकारी संघों में प्रति हजार पर लागत के अलावा कितना मुनाफार लि ईंटोंया जाता है?

श्री मंगलाप्रसाद---कोई नियत मुनाफा नहीं होता है। कुछ भट्ठे शहर के नजदीक होते हैं जहां कोयला आसानी से मिल जाता है, किन्हीं में कोयला कम खर्च होता है, नये भट्ठे पुराने भट्ठे, सब में अलग-अलग होता है लेकिन हर जगह कलेक्टर ने तय कर रखा है कि इतने भाव पर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास ईंट बिकेगी। उस भाव पर बिकती है और कम पर भी बिकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि रानी की सराय कोआपरेटिव यूनियन के मंडल को जो मुअत्तल किया गया तो मुअत्तिली का आदेश देने के पहले अभियोगों की जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो किस के द्वारा?

श्री मंगलाप्रसाद--मुअत्तल करने के पहले जितनी जांच आवश्यक थी वह कर ली गयी है और उसके बाद जांच जारी है। जांच का फैसला आने के बाद उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायगी।

नगर उपभोक्ता सहकारी समिति, आजमगढ़ में लगी पूंजी तथा उसका आडिट

*४६--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सहकारी उपभोक्ता संघ, शहर आजमगढ़ में कितना रुपया लगा है और पिछले वर्षों में कब इसका हिसाब आडिट हुआ?

श्री मंगलाप्रसाद--नगर उपभोक्ता सहकारी समिति, आजमगढ़ की कारोबारी पूंजी ५२,३३१ रुपया है। पिछले साल १९५३-५४ के हिसाब का आडिट १२-१०-५४ को दिया गया था।

जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत थानेवार दिये गये बन्दूकों के लाइसेंस

*४७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के थाना बिसरख, दादरी, दनकौर और सिकन्दराबाद में से प्रत्येक में कितने-कितने प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, सन् १९५४ से मई, सन् १९५५ तक बन्दूकों के लाइसेंस के लिये आये?

*४८--क्या सरकार यह बतायेगी कि उनमें से थानेवार कितने-कितने लाइसेंस दिये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--सूचना संलग्न सूची में देखिये।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६३९ पर।)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र, जिन पर अधिकांश में लाइसेंस नहीं दिया गया, मुख्य कारण क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसका साधारण कारण तो यह है कि जो लाइसेंस पाने के लिये शर्तें आवश्यक होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हुई। यदि किसी विशेष प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में माननीय सदस्य पूछेंगे तो उसका मैं खास तौर से पता लगा दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि अधिकांश प्रार्थना-पत्र वह हैं जो जिलाधीश और पुलिस कप्तान ने स्वयं दिलाये थे और वह भी खारिज कर दिये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी बात मालूम होती है कि उन्होंने खुद प्रार्थना-पत्र दिलाये और बाद को रिजेक्ट कर दिये, इसका क्या कारण हो सकता है। अलग-अलग प्रार्थना-पत्र के बारे में पूछा जाय तो पता लगाया जा सकता है वर्ना उन्होंने खुद प्रार्थना-पत्र मंगवाये और बाद को उन्हें ठीक नहीं समझा इसलिये खारिज कर दिया।

रिहन्द डैम के निर्माण हेतु व्यय की गई धनराशि

*४९--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या वित्त मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि बजट वर्ष १९५४-५५ में रिहन्द डैम के निर्माण के लिये निश्चित ४ करोड़ रुपये में कितना व्यय हुआ है?

श्री धर्मसिंह---एकाउन्टेंट जेनरल के कार्यालय में मार्च, १९५५ के पूरक खाता के बन्द न होने के कारणवश पूरे खर्च का विवरण नहीं दिया जा सकता। फिर भी अन्तिम प्रदत्त संख्याओं का विवरण निम्न प्रकार है :---

विद्युत विभाग	..	११,६०,०००
सिंचन विभाग	..	७०,६२,०००
योग	..	८२,२२,०००

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ४ करोड़ रुपये में से कितना धन खर्च हुआ इसका विवरण कब तक प्राप्त हो जायगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो जवाब दिया गया है उससे मालूम होता है कि यह तो एकाउन्टेंट जनरल की बात है जब भी वह भेज दें, मैं नहीं कह सकता कि वह कब भेजेंगे।

परगनाधीशों के हेडक्वार्टर्स, तहसील के केन्द्र स्थानों पर रखने का प्रश्न

*५०---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगनाधीशों के हेडक्वार्टर्स तहसील के केन्द्र स्थानों पर रखने के लिये वह कब तक निर्णय लेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है इस प्रश्न पर आदेश जारी करने से पहले कई मुख्य बातों का प्रबन्ध करना है जैसे कि परगनाधीशों की कचहरी, निवासस्थान तथा विचाराधीन बन्दियों का हवालात के लिये तहसील में उपयुक्त स्थान का प्रबन्ध, इत्यादि। किन्तु आशा है कि निर्णय शीघ्र ही लिया जावेगा।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार इस स्कीम को उदाहरण के तौर पर चंद जिलों में जारी करने के लिये तैयार है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उसूली तौर पर मान लिया है और जहां इन्तजाम हो सकेगा वहां यह स्कीम फौरन जारी कर दी जायगी।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार ने जिलों से जानकारी की है कि जिन-जिन सहूलियतों का मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया है वह मौजूद हैं या नहीं या मालूमात हासिल की हैं और अगर की हैं तो वह क्या आई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई है लेकिन मैं इस समय बतला नहीं सकता कि वह क्या-क्या आई हैं।

श्री शिवनारायण---जिन तहसीलों में मकान बने हुये हैं उनके लिये आदेश होना चाहिये कि वहां वे जाकर मुस्तकिल तौर पर रहें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, निस्संदेह।

कानपुर से फतेहपुर बिजली ले जाने का प्रबन्ध

*५१---श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर पावर हाउस से फतेहपुर बिजली ले जाने का काम सरकारी agency द्वारा या गैर-सरकारी agency द्वारा कराया जायेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कानपुर से फतेहपुर बिजली ले जाने का काम इस सरकार के कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिस्ट्रेशन K. E. S. A. द्वारा होगा।

*५२--श्री अनन्त स्वरूप सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त काम कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह विषय सरकार के विचाराधीन है और सरकार इसको जहां तक हो सके जल्द आरम्भ कराना चाहती है।

खागा, जिला फतेहपुर में बिजली देने का विचार

*५३--श्री अनन्त स्वरूप सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील टाउन खागा (जिला फतेहपुर) को विद्युत देने की कोई योजना रिहंड डैम योजना के अलावा सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। खागा तहसील टाउन (जिला फतेहपुर) का विद्युतकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत करण नामक योजना में करने का विचार है।

*५४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

दुर्गा टूरिंग टाकीज, रामपुर पर इंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी का मुकदमा

*५५--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय इंटरटेनमेंट टैक्स कमिश्नर ने गत सितम्बर मास में रामपुर के सिनेमा-गृहों का निरीक्षण किया था तथा वहां इंटरटेनमेन्ट टैक्स की चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ा था ?

*५६--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह चोरी किस सिनेमा द्वारा कब से की जा रही थी तथा कितने टैक्स की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। यह चोरी दुर्गा टूरिंग टाकिज द्वारा की जा रही थी। सम्भवतः यह चोरी मई २३, १९५४ ई० से हो रही थी। टैक्स की चोरी की ठीक राशि का पता नहीं चल सका क्योंकि पुराने रिकर्डस आदि जलाये जा चुके थे।

*५७--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस चोरी के मामले को न्यायालय के समक्ष चलाया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को इंटरटेनमेन्ट टैक्स कमिश्नर ने अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी तथा किस तारीख को मामला न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। इंटरटेनमेन्ट ऐन्ड बैटिंग टैक्स कमिश्नर ने अपनी जांच की रिपोर्ट तारीख १६ सितम्बर, १९५४ ई० को दी तथा मामला ३-१२-५४ को न्यायालय में पेश किया गया।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस बात की जांच करायेंगे कि इंटरटेनमेन्ट इन्सपेक्टर और स्थानीय सिनेमा-मैजिस्ट्रेट ने ५ महीने तक जिले में जांच क्यों नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब मुकदमे का फैसला होगा उसके बाद ही और इस किस्म की जांच हो सकती है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्टरटेनमेन्ट कमिश्नर की रिपोर्ट देने के ढाई महीने बाद मामला अदालत में क्यों भेजा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--महज एक आफिसर की रिपोर्ट पर मुकदमा चलाना नहीं होता है। इसमें बहुतसी बातों की जांच करनी पड़ती है कि मुकदमा चल सकता है या नहीं।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में चोरी व डकैती की वारदातों में मृत्युएं

१--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार २४ फरवरी, १९५५ के प्रश्न १५ से १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि मरे हुये लोग चोर, डाकू थे या जिनके घर डाका या चोरी हुई उनके पक्ष के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मरे हुये व्यक्ति, जिनके यहां चोरी या डकैती हुयी उनके पक्ष के थे।

जिला रायबरेली में डाके, चोरियां तथा कत्ल

२--श्री रामप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सन् १९५३ और १९५४ ई० में अलग-अलग कितने डाके व कितनी चोरियां व कितने कत्ल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६४० पर।)

गजटेड सरकारी अधिकारियों को जिले के अन्य सरकारी अधिकारियों से भेंट करने के आदेश

३--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गजटेड सरकारी अधिकारियों के जिलों में नियुक्त अथवा स्थानान्तरण हो कर जाने पर वहां के अन्य सरकारी अधिकारियों तथा किन्हीं असरकारी व्यक्तियों के यहां जाकर भेंट करने के विषय में कोई सरकारी नियम अथवा आदेश हैं ?

४--यदि हां, तो क्या सरकार उन नियमों अथवा आदेशों की प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बताने की कृपा करेगी कि वह कब से प्रचलित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैराग्राफ ४२१ से ४२४ इस विषय पर लागू हैं। उनकी एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है। इसी संबंध में २५ नवम्बर, १९४८ को और ५ अक्तूबर, १९५० को कुछ आदेश निकाले गए थे। इनकी भी प्रतिलिपियां मेज पर हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६४१-६४३ पर।)

देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुखमरी विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री श्री राजनारायण जी के कामरोको प्रस्ताव के बारे में कुछ बताने वाले थे।

मुख्यमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मेरे पास देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पत्र आया है जिसके जरिये से उन्होंने बर्थ एन्ड डेथ रजिस्टर की अटेस्टेड कापी भेजी है जिससे यह साबित होता है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा बल्कि जो भी मृत्यु हुई है वे नेचुरल डेथ से हुई हैं। जिन राजेन्द्र त्रिपाठी का जिक्र माननीय राजनारायण जी ने किया था उनके बयान की भी अटेस्टेड कापी इसके साथ है। उसको भी मैं आपके पास भेज सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--कल जो बयान के पत्र के बारे में आपने बतलाया था कि फिर से जांच की गयी है और बयान हुआ है वह पत्र आपको मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--त्रिपाठी जी के २० अगस्त वाले बयान की अटेस्टेड कापी है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने हाथ से अटेस्ट की है।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) अब आप किस तरह से समझते हैं कि इस प्रश्न पर विवाद हो सकता है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, जो कामरोको प्रस्ताव मैंने आपकी सेवा में उपस्थित किया था उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने स्थानीय अधिकारियों से जांच-पड़ताल करा कर इस संबंध में एक बयान दिया है। मैं अभी इसको क्यों ऐसा समझता हूं इसके बारे में मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं। यदि वे ध्यान से हमारे तर्क को सुनेंगे.......

श्री अध्यक्ष--तर्क का सवाल नहीं है। आप इसमें यह बताइये कि अर्जेन्सी और निश्चितता क्या है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इसी बारे में कहता हूं और इसको सुन कर आप इस मत पर आ जायेंगे कि यह प्रश्न अरजेन्ट और निश्चित है। श्रीमन्, हमारे पास श्री राजेन्द्र प्रसाद जी का पत्र, जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसकी नकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनके पास भेजी है, कोई अलग से नहीं आया है। हमारे पास वहां के करीब १२५ पंच और सरपंच, सभापति, उपसभापति तथा और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन सब के दस्तखतों से एक पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि वहां के १५०-२०० घरों के आदमी भूखों मर रहे हैं और वहां पर लोगों की मृत्यु की संभावना है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को वहां के स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि उन लोगों की मृत्यु नेचुरल डेथ से हुई है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में स्थानीय अधिकारियों ने समुचित छानबीन नहीं की है क्योंकि श्री चन्द्रबली सिंह जी, जो वहां के सम्मानित व्यक्ति हैं और कई पत्रों के सम्वाददाता भी हैं और सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री भी हैं उन्होंने भी भूवर धोबी, जिसके मरने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने मानी है और जिसकी अवस्था ४० वर्ष की थी, वह तीन दिन तक सड़क पर भूखा रह कर मरा है, ऐसा कहा है।

श्री अध्यक्ष--इतना सुनने के बाद आप इसकी अर्जेन्सी और निश्चितता कैसे बतलाते हैं ?

श्री राजनारायण--मैं उसी पर आ रहा हूं कि यह निश्चित भी है। भूधर धोबी जिसके मरने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को खबर मिली है कि वह नेचुरल डेथ (स्वाभाविक मृत्यु) से मरा है, मेरे पास इसके निश्चित प्रमाण हैं कि वह तीन दिन तक उपवास करने के बाद बोशर सिंह के घर से रोटी खायी और फिर रोटी की तलाश में इन्दरपुर-गौरीपुर सड़क पर मरा है और वहीं पर गाड़ा भी गया है। श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास खबर दी है वह एक वही पुरानी परिपाटी के अनुसार जो चली आती है दी है कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है। जब मेरे पास इसके निश्चित प्रमाण हैं कि वह घर में नहीं मरा है बल्कि सड़क पर मरा है और वहीं पर गाड़ा भी गया है तो मैं समझता हूं कि कामरोको प्रस्ताव की आवश्यकता ज्यादा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि ४० दिन पहले बाढ़ ही नहीं थी, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री से और इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ की परिस्थिति को, वर्षा की परिस्थिति को यदि देखा जाय तो वह करीब करीब १२, १३ जुलाई से ही आरम्भ है और १४, १५ जुलाई तक कुछ जिलों में बहुत ही भीषण वर्षा हुई, इसलिये करीब-करीब ४० दिन तो हो ही जाता है। मालूम होता है कि हिसाब लगाने में माननीय मुख्य मंत्री जी जल्दी की है।

इसके अतिरिक्त भी श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास प्रधान, उप-प्रधान, ३५ पंच और १२५ गांव के व्यक्तियों के जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर हैं तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी इसका विश्वास क्यों नहीं करते हैं। ऐसी हालत में माननीय मुख्य मंत्री जी अपने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनायें जो वहां जाकर निश्चित रूप से पता लगाये कि असलियत क्या है? पुराने कर्मचारियों के सहारे इसकी ठीक-ठीक जांच नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह देवरिया और गोरखपुर का ही सवाल नहीं है बल्कि यह १४, १५ जिले का सवाल है जहां कि बाढ़ आयी है। यह बस्ती का भी सवाल है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जिले के कर्मचारियों की बातों पर ही विश्वास करें कि सरकारी कर्मचारियों की बातें सोलहों आने सत्य हैं तब तो मैं समझता हूं कि वह सत्य का गला ही घोंटा जायगा। हम लोग जो इंडिपेंडेंट सोर्स (स्वतंत्र साधन) से पता लगाते हैं वे ज्यादा सत्यपूर्ण होती हैं।

श्री अध्यक्ष--आप अपील न करें, कृपया सिर्फ इसकी निश्चितता बतलायें।

श्री राजनारायण--मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब प्रधान, उप प्रधान, ३५ पंच और १२५ जिम्मेदार व्यक्तियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं तो इससे साफ पता लगता है कि वहां पर भुखमरी की हालत है तथा आगे भी कठिनाई पैदा हो सकती है। उसी के साथ-साथ जो भूधर धोबी मरा है वह भी सड़क पर मरा है और सड़क पर ही गाड़ा भी गया है। फिर यह कहना कि उसकी मृत्यु नेचुरल डेथ (स्वाभाविक मृत्यु) हुई है तो यह उचित नहीं मालूम होता है। यह बिलकुल निश्चित है कि वह व्यक्ति भूख से मरा है, अकाल से मरा, नेचुरल डेथ से नहीं मरा। जो दो-दो और तीन-तीन साल के लड़के मरे हैं उसको भी माननीय मुख्य मंत्री ने मान तो लिया है कि ७ मृत्युएं हुई हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सब नेचुरल डेथ से मरे। हमारा कहना है कि अन्न न मिलने की वजह से वे मरे हैं। इससे बढ़कर निश्चित बात क्या हो सकती है? जब कि हमारे पास इतने प्रमाण-पत्र हैं, इतने जिम्मेदार व्यक्तियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं तो इसकी अर्जेन्सी भी इससे मालूम हो जाती है। यह परिस्थिति केवल दो-चार जिलों में ही नहीं रह सकती है बल्कि और जिलों में भी हो सकती है। इसलिये मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी पोलिटिक्स का ख्याल न करके, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों या किसी दूसरी पार्टी के हों, उनको इसका समर्थन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं इसकी मंजूरी सदन से लूंगा।

[श्री अध्यक्ष]

बाढ़ के सम्बन्ध में क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाढ़ के बाद भी और आगे भी क्या परिस्थिति होगी, इस विषय में इस भवन में दो ढाई दिन वादविवाद हो चुका है। जहां तक उससे जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं और उसके लिए जो कार्यवाही करना है, उसके विषय में सदन ने और सरकार ने अपनी राय व्यक्त कर दी। इसलिये उसके लिए अब फिर कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह वाकयात हुए या नहीं, अगर निश्चिततौर पर मालूम हो जाता कि ऐसी बात हुई है तो उसके कारणों पर कि ऐसा क्यों हुआ और वह किसकी जिम्मेदारी है, इन बातों के बारे में बहस हो सकती थी, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद मैं समझता हूं कि जो ७ मृत्यु के वाकयात बताये गए, उनमें से वह केवल १ धोबी के मामले को तो कन्टेस्ट करते हैं कि वह भूख से मरा, परन्तु बाकी बच्चों वगैरह के मामले में स्पष्ट मालूम होता है कि वे दो-दो ढाई-ढाई साल के बच्चे भूख से मरे होंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति अनिश्चित सी मालूम होती है। जहां तक इसकी अरजेंसी का सवाल है वैसे तो इसकी अरजेंसी आम तौर से बाढ़ के परिणामों पर विचार की हो सकती थी, लेकिन इस पर बहस हो चुकी है। इसलिये इन वाकयात के बल पर इसकी अब कोई अर्जेन्सी नहीं है और इसलिए विषय अब अर्जेन्ट नहीं रह जाता क्योंकि इस पर बहस हो ही चुकी है कि ऐसी परिस्थिति में क्या कार्यवाही होनी चाहिए और इस पर सदन अपनी राय दे चुका है। ऐसी अवस्था में इसकी अनिश्चितता के कारण मैं इजाजत नहीं देता हूं और यह उचित नहीं समझता हूं कि मैं माननीय राजनारायण जी को इस कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित करने की तकलीफ दूं।

कानपुर में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल ने दिया है। वह यह है कि "तीन मास की लम्बी हड़ताल के बाद काम पर पुनः लिए जाने की आशा करने वाले ४ हजार एवजी मजदूर एक महीने से कानपुर की मिलों के फाटक पर हाजिरी देकर वापस लौट जाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, लक्ष्मी रतन काटन मिल के १११ मुस्तकिल मजदूरों को फिर से काम पर नहीं लिया जा रहा है और ५० मजदूर कार्यकर्ताओं को समझौता हो जाने के बाद भी जेल से छोड़ा नहीं जा रहा है। इससे उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस हड़ताल के सम्बन्ध में भी मैं समझता हूं कि काफी बहस पहले भी हो चुकी है और हड़ताल के सम्बन्ध में और तसफिये के बारे में शायद कुछ कार्यवाही चल रही है इसलिये मैं कामरोको प्रस्ताव द्वारा इस पर पुनः बहस उठाने की अरजेन्सी नहीं समझता हूं, लेकिन एक बार चूंकि मैंने प्रस्ताव को पढ़ दिया है, मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जो इससे सम्बन्धित हैं वह अगर इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो सदन को बता दें और चूंकि इस विषय में अखबारों में भी कुछ न कुछ आता ही रहता है और इस तरह की चीजों को सदन में लाया गया है, इसलिए अगर मंत्री जी इस विषय में अपना कोई स्टेटमेंट देना चाहें, जिससे वहां की क्या परिस्थिति है यह स्पष्ट हो जाय तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा। लेकिन इस कामरोको प्रस्ताव को मैं अवैध करार देता हूं।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में केवल इतना कहना है कि मेरे पास कोई सूचना इस सम्बन्ध में नहीं है। यदि वह चाहेंगे तो इस बारे में मालूमात करा सकता हूं। यह तो करीब-करीब सभी मिलों में हमेशा ही परिस्थिति रहती है कि या तो कुछ न कुछ मजदूर निकाले जाते हैं या एवजी के लिए

मजदूर इन्तजार करते रहते हैं और अगर किसी को अनियमित रूप से निकाला जाता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है और वह अदालत में जाकर उसके लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। इस वक्त मेरे सामने इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर आपकी आज्ञा होगी तो लेबर कमिश्नर से इत्तला मंगा कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप अगर स्पष्टीकरण देना उचित समझें तो किसी भी रोज दे सकते हैं, मैंने इस वक्त यह काम रोको प्रस्ताव अवैध करार दे दिया है।

प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब माननीय राजनारायण जी ने फिर से एक अविश्वास का प्रस्ताव मेरे पास भेजा है, नये रूप में भेजा है। मैं सदन को बता दूं कि चूंकि मुझे प्रस्ताव को दुरुस्त करने का अधिकार नियमों में दिया हुआ है, यदि कोई प्रस्ताव फार्म में ठीक न आता हो, तो मैंने इसे कहीं कहीं दुरुस्त कर दिया है, जिस दुरुस्ती को प्रस्तावक ने स्वीकार कर लिया है। इसलिये उसको इन आर्डर तो मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रस्तुत नियम से वह अनियमित नहीं है। नियम के अनुसार यदि सदन के पंचमांश सदस्य इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति देने के पक्ष में खड़े हो जायंगे तो इस प्रस्ताव के लिये सदन की अनुमति मानी जावेगी और कोई दूसरा दिन मुकर्रर करूंगा जब इस प्रस्ताव पर बहस होगी और उससे कम खड़े हुए तो यह समझा जायगा कि सदन की अनुमति नहीं है। प्रस्ताव इस प्रकार है :--

"यह सदन वर्तमान उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा उसके मंत्रिमंडल की नीति और कार्यों में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि :--

१--उसने अपने जीवनकाल में जनता की आर्थिक क्षमता का ध्यान किये बिना मनमाने ढंग से बिक्री कर, बिजली कर, कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी, शिक्षा शुल्क, सिंचाई कर, चकबन्दी कर लगाकर गरीब जनता के ऊपर गरीबी का बोझ बढ़ाया है और उसने विकास योजनाओं में सार्वजनिक धन का अपव्यय किया है और उसे इस अवधि में बहुत सी योजनाओं में हजारों और रुपये खर्च होने के बाद बन्द करनी पड़ी हैं।

२--उसने समाज तथा नौकरियों में विद्यमान महान् आर्थिक विषमता को मिटाने की ओर कोई कदम नहीं उठाया है।

३--वह मिलों द्वारा उत्पन्न कपड़ा, चीनी, सीमेंट, खाद तथा किसानों द्वारा उत्पन्न रुई, ईख, गेहूं आदि वस्तुओं के दामों में न्याय के आधार पर संतुलन कायम करने में असमर्थ रही है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं का मिल मालिकों द्वारा शोषण हो रहा है।

४--उसने लगान में कमी न कर, जमीन जोतने की अधिकतम सीमा निर्धारित न कर तथा भूमि बटवारे की समस्या टालकर, जमींदारी उन्मूलन द्वारा किसानों और खेत मजदूरों का जो वास्तविक हित हो सकता था उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर दी है।

५--न्याय पंचायतों में सरकारी अधिकारियों को पंचों की नियुक्ति का अधिकार देकर उसने स्वायत्त शासन की नींव पर कुठाराघात किया है।

६--उसने शिक्षा क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा कर विद्यार्थियों का स्वस्थ और स्वतन्त्र विकास रोक दिया है तथा शिक्षा के स्वतन्त्र रूप को विकृत कर दिया है।

७--वह कानून और व्यवस्था तथा जनता की सुरक्षा करने में असमर्थ रही है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में मारकाट, लूटमार, चोरी, डाका तथा कत्ल के वाकयातों में वृद्धि हो रही है।

[श्री अध्यक्ष]

८---वह शिकमी काश्तकारों तथा सीरदारों के हकों को सुरक्षित करने में असमर्थ रही है, जिससे कई स्थानों में वे गैरकानूनी ढंग से बेदखल हो रहे हैं।

९---उसने संकुचित अभिनवीकरण की योजना पर जोर देकर कानपुर के मजदूरों को ८० दिन की हड़ताल चलाने पर बाध्य किया और उसकी पुलिस ने हड़ताल के दिनों में मजदूरों के साथ बर्बरता का व्यवहार किया, जिस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया।

१०---उसने जनता को सस्ता न्याय दिलाने तथा इक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग करने की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

११---पूर्वी जिलों में बाढ़ की भयंकरता से जो जनता की जान और माल की हानि हुई, उसके बचाव करने में सरकार असफल रही है और उसके शासन में निरीक्षण की ढील के कारण आजमगढ़ तथा गोरखपुर के बांध उचित मरम्मत के अभाव से टूटे और आज़मगढ़ शहर तथा गोरखपुर का बहुत सा भाग जलमग्न हुआ।"

अब मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो लोग अनुमति देने के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम २२३ की ओर दिला कर अपने को स्पष्ट करने के लिये ५ मिनट का वक्त चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---मेरे सामने सवाल कौन सा पेश करियेगा। अभी तो सवाल यह है कि जो लोग इसके पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं। इस बीच में कोई प्रश्न तो उठता नहीं। क्या कोई वैधानिक प्रश्न उठाना है?

श्री गेंदा सिंह---प्रश्न तो यह है कि हमें अगर अपने स्थान पर खड़ा होना है...

श्री अध्यक्ष---इस समय केवल अपने स्थान पर खड़े होने का प्रश्न है। आप चाहेंगे यह बतलाना कि खड़े क्यों हुए तो बाद में कह सकते हैं और अगर नहीं खड़े होते हैं तो उसका कारण भी बाद में बतला सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---बात यह है कि नियमों के अनुसार एक दिक्कत जरूर होती है कि हम जो यह मोशन है इसमें न संशोधन कर सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। इसलिये अब दिक्कत हमारे सामने यह होती है कि जैसा यह मोशन है उस पर या तो हम बिल्कुल खड़े न हों या फिर खड़े ही हों। इसलिये अपनी स्थिति को स्पष्ट करना नेता विरोधी दल के लिये आवश्यक है, क्योंकि कंसलटेशन हमसे नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष---एक्सप्लेनेशन का आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपके कार्य कर लेने के बाद। जो लोग इसकी अनुमति देने के पक्ष में हैं वे कृपया खड़े हो जायं। इसके ऊपर ऐक्शन आप ले लें यानी खड़े हों या न खड़े हों और ऐक्शन लेने के बाद यानी खड़े हुए तो उसके कारण बताने के लिये बाद में मैं इजाजत दे दूंगा और अगर आप नहीं खड़े हुए तो उसके कारण बतलाने के लिये भी मैं आपको मौका दे दूंगा।

जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं वे खड़े हो जायं।

(२३ सदस्यों के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुमति देने के पक्ष में २३ की संख्या है और चूंकि यह संख्या इस सदन के सब सदस्यों की पंचमांश संख्या से बहुत कम है इसलिये सदन की अनुमति इसके लिये नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

श्री गेंदा सिंह अब अगर आप स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि माननीय राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह वर्तमान सरकार के विरोध में जितना नहीं है या जितना उसको एक्सपोज करने का इरादा नहीं है, जितना कि उसका इरादा विरोधी दलों को बदनाम करने का है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके कुछ कारण आपके सामने बताना चाहता हूं। प्रमाण के तौर पर इस अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि पिछले तीन साढ़े तीन वर्षों के भीतर कभी भी राजनारायण जी ने इस प्रकार की चेष्टा नहीं की कि वर्तमान सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाते।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय गेंदासिंह जी ने किसी नियम का हवाला दिया और आपने उनसे यह कह दिया कि वे क्यों खड़े हुए इसके ऊपर कुछ कारण दें। मगर उस व्यवस्था के अनुसार 'माननीय राजनारायण जी के ऊपर वे आपत्तियां प्रकट करने लगे। अगर आप इस पर कुछ व्यवस्था नहीं देंगे तो मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर बाद में आपसे मौका चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--अगर आपका नाम लेंगे तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं कह रहा था कि साढ़े तीन वर्षों के भीतर उन्हें कभी इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि वे इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लावें। हां, कभी-कभी वह चर्चा किसी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की करते थे, जो कम से कम सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता और उसमें हमारी राय नहीं होती थी।

श्री अध्यक्ष--पार्टी के अन्दर की बातें कहने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गेंदा सिंह--मैं उसे छोड़ देता हूं। अब इस वक्त उन्होंने उपयुक्त अवसर समझा है जब कि वह केवल दो आदमी रह गये हैं।

श्री राजनारायण--तीन, तीन।

श्री गेंदा सिंह--मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने यह उपयुक्त अवसर इसे कैसे समझा। यह जितने भी कारण अविश्वास के प्रस्ताव में लिखे गये हैं सभी कारण ऐसे हैं जो पिछले चार पांच दिन के भीतर ही उत्पन्न नहीं हुए हैं। पिछली गवर्नमेंट जब से बनी, या इस गवर्नमेंट के बनने से पहले से भी कारण हैं और पांच छः दिन से पहले जब से सेशन शुरू हुआ है उसके पहले से ही कारण हैं। लेकिन एक घटना जरूर घटी जो चाहे दुर्घटना हो, कि माननीय राजनारायण जी आज हमारे दल में नहीं हैं। अगर वह कारण है तब तो मुझे उनसे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप केवल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप क्यों खड़े हुए। आपने क्यों उचित समझा इसके लिए कारण बताएं।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं बातों को आपसे निवेदन कर देता हूं कि हमारे खड़े होने का क्या कारण है। कारण यह है कि जब हम ऐसा समझते हैं,

[श्री गेंदासिंह]

हमको भी इस बात की प्रबल इच्छा है कि हम इस सरकार को हटा सकें, सरकार को अपदस्थ कर सकें। लेकिन अपदस्थ करने का एक तरीका है और सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हम ला सकें और पास करा सकें, हमारी ऐसी प्रबल कामना है। राजनारायण जी से वह कामना कमजोर नहीं है। लेकिन दिक्कत हमारी यह है कि राजनारायण जी के प्रस्ताव के पक्ष में हम वोट देते समय इस बात को सोचते हैं कि आखिर इस सदन में २१६ मेम्बर जब तक कम से कम हमारे साथ न हों तब तक कम से कम इस सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ८६ मेम्बर जब तक मौजूद न हों इस प्रस्ताव के पक्ष में तब तक विचार करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। इन सब बातों के होते हुए भी हमको यह सोचना है कि राजनारायण जी का क्या मतलब है। इस प्रस्ताव को ले आने का। उस उद्देश्य को वह हमसे बताना भी नहीं चाहते हैं। और वह सिर्फ एक बात समझाना चाहते हैं और वह हमारी समझ में आती है। वह सारे देश में कहना चाहते हैं कि आज का जो विरोधी दल है वह विरोधी दल शासन से मिलना चाहता है। शासन को बचाने के लिए, शासन की कमजोरियों को छिपाने के लिए, यह मकसद है। इस मकसद को राजनारायण जी के फलीभूत नहीं होने देना चाहिए। हम जानते हैं कि राजनारायण जी इस तरह की हरकतें आज ही नहीं कर रहे हैं। वह आइन्दा भी करेंगे। जो आइन्दा वह तैयारी कर रहे हैं उसका एक अंग यह भी है कि हमारी सारी पार्टी को तबाह करने के चक्कर में हैं और इस शासन को जितना अधिक से अधिक बल वह दे सकते हैं उसको देने में आज लगे हुए हैं। हम जरूर चाहते हैं कि इस तरह का बल राजनारायण जी को प्राप्त न होने पाये और जनता में कभी भ्रामक प्रचार का मौका न मिलने पाये। इसलिए हमें यह काम करना पड़ा। हम जानते हैं कि इस शासन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना और अविश्वास का प्रस्ताव पास कराना हमारी शक्ति से बाहर है। जब तक जनता में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करके इस सरकार को हटाने की तैयारी न कर लें, हम एक क्षण भी सरकार को बरदाश्त करना नहीं चाहते, हम उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन राजनारायण जी को यह विश्वास हो सकता है कि इस सदन में इस सरकार को हटा सकें। यह मैं उनकी बुद्धि पर हमला नहीं करता। लेकिन मेरे बस की यह बात नहीं है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनारायण जी का मकसद इस शासन को मजबूत करने का है। वह मजबूत न हो सके इसीलिए मुझे आज खड़ा भी होना पड़ा।

***श्री राजनारायण**--श्रीमन्, जो उदारता आपने विरोधी दल के नेता के साथ बरती है मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ भी बरतेंगे।

श्री अध्यक्ष--शब्दों तक सीमित रहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि विरोधी पक्ष के नेता माननीय गेंदा सिंह जी इस सरकार को हटाने के लिये हमारा साथ नहीं दिये, बल्कि उनके घूंघट का नकाब न खुलने पाये, इसलिये उन्होंने हमारा साथ दिया। यही उन्होंने श्रीमन्, कहा। इसके बाद श्रीमन्, साढ़े तीन वर्ष के इतिहास की कुछ चर्चा उन्होंने कर दी और मेरे ऊपर एक आक्षेप ऐसा किया कि मैंने इससे पहले इस सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा। खैर, यह भी एक तरीके से वर्तमान सरकार के पक्ष में ही बात जाती है। श्रीमन्, आप स्वतः अपने कमरे में बुला कर मुझे समझाया करते थे इस सरकार के बारे में। हमने माननीय मोहनलाल गौतम जी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ मल्ल---वह तो मैंने रखा था।

श्री राजनारायण---हां, ठीक है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, वह पर्सनल था, मिनिस्टर के खिलाफ नहीं।

श्री राजनारायण---श्री जगन्नाथ मल्ल जी के नाम वह प्रस्ताव था। लेकिन आप देखेंगे कि इस प्रस्ताव की कुछ बातें उस प्रस्ताव में भी थी और आज का जो प्रस्ताव आया, मैं आपको श्रीमन्, बताऊं कि मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी के पास कई पत्र लिखे हैं और ऐसा कोई अवसर नहीं गया, चाहे वह लखनऊ में विद्यार्थियों पर फायरिंग रही हो, चाहे वह अध्यापकों की हड़ताल रही हो, चाहे वह कानपुर के मजदूरों पर सरकारी पुलिस का प्रहार रहा हो या संकुचित अभिनवीकरण योजना रही हो, हमने तार भी दिया है गोरखपुर जेल से, हमने श्री सम्पूर्णानन्द जी को गोरखपुर जेल से ६, ७ पेज का पत्र भी लिखा है और समाचारपत्रों में भी श्रीमन् यह बात आई है कि कानपुर के मजदूरों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है अब यह असह्य हो गया है कि हम इस प्रकार सरकार को बरदाश्त करें और समाचार पत्रों में भी यह बात आज से ३, ४ माह पहले ही आ चुकी थी, जब हम विरोधी पक्ष के नेता थे और माननीय गेंदा सिंह जी हमारे सहयोगी थे। तो यह बात आ चुकी थी कि जब सदन बैठेगा तो हम वर्तमान सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। तो यदि माननीय गेंदा सिंह जी को कहीं से भी ऐसी झलक मिलती हो कि सरकार की किसी भी नीति से, जो जनता के हित में नहीं रही है, हम सहमत थे, किसी भी प्रकार, तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह अपने दिल से ऐसा ख्याल निकाल दें। आज जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है वह तो उसको जैसा स्वरूप आपने अपने अधिकार द्वारा दिया है वह है। इसके पहले ही एक प्रस्ताव आ चुका था और उस वर उन्होंने ही समय लिया था कि वे उस पर विचार करेंगे और उनकी पार्टी में उस पर विचार हुआ और उसके बाद हमको सूचना दी गई कि वह प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होंगे और इसके बाद जब यह प्रस्ताव परिवर्तित रूप में आया तो हमने उनको बताया कल भी कि हम माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जा रहे हैं और उनसे विचार विनिमय करेंगे कि वह किस रूप में इसका विचार करेंगे और यह अधिकार तो अध्यक्ष महोदय को ही है। वह तात्कालिक भाषा में इसको परिवर्तित कर सकते हैं इसलिये अन्तिम स्वरूप तो वही रखेंगे प्रस्ताव का, लेकिन हमने उनसे कहा कि अगर वह इसमें कोई और बात रखना चाहते हैं या कोई संशोधन देना चाहते हैं, तो दें। इसके बाद मैं अपनी ओर से अब क्या इसमें सफाई दूं। मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं मनानीय गेंदा सिंह जी को या उनके दल को एक्सपोज करूं ....

श्री मोहनलाल गौतम---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। इस सदन के सामने दो तरह के स्टेटमेंट्स हुए जो एक दूसरे के विरोधी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे सलाह ली गई और कुछ कहते हैं कि हमसे सलाह नहीं ली गई। क्या यह इस भवन का प्रिविलेज नहीं है कि वह जाने कि सत्य क्या है और कांट्राडिक्टेरी स्टेटमेंट्स देकर हम लोग भुलावे में न डाले जायं? इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि सदन का क्या अधिकार है? क्या सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह सत्य को जाने?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब तक कि कोई प्रिविलेज का सवाल नहीं बाकायदा आता है तब तक किसी सदस्य की बात को सत्य उसने कहा या असत्य कहा, इसके बारे में जांच सदन नहीं कर सकता। खुद किसी की बात पर विश्वास हर एक व्यक्ति कर सकता है। एक किसी का विश्वास करे, दूसरा कोई दूसरे का विश्वास करे, यह अधिकार सदस्यों का है।

[श्री अध्यक्ष]

तो यहां इस वक्त स्टेटमेंट थोड़ा सा परसनल हो रहा है, चूंकि उनका नाम ले लिया था इसलिये राजनारायण जी को मौका दे दिया गया कि वह अपनी पोजीशन को स्पष्ट कर दें ताकि जो उनका विश्वास करने वाले हों, वह उनका विश्वास करें और जो दूसरों का विश्वास करने वाले हों वह उनका विश्वास करें।

श्री राजनारायण--और श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो मैं सफाई दे दूं कि प्रस्ताव देने के पहले हमने इनसे कंसल्ट नहीं किया था। प्रस्ताव मैंने जब आपको दे दिया तब मैंने यह पूरी कोशिश की, उसकी एक कापी इनको भी दे दी आपको देने के बाद दस मिनट के अन्दर और एक कापी राजा वीरेंद्र शाह के दल को भी दे दी

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---अभी अभी दी है।

श्री राजनारायण---पहले प्रस्ताव की कापी। इसकी नहीं। और इसमें भी श्रीमन्, पहले के वही प्वाइन्ट्स हैं। उसी को आपने परिवर्तन करके भाषा को परिमारजित किया है इसलिये माननीय मोहनलाल गौतम जी को या किसी माननीय सदस्य को कोई भ्रम न हो कि मैंने किसी को कंसल्ट किया। विधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि किसी को कंसल्ट करने की आवश्यकता हो। मगर हां, प्रस्ताव देने के बाद हमने बराबर यह कोशिश की। हमने कांग्रेसी मित्रों से भी, कांग्रेसी एम० एल० ए० जो चाहते थे कि प्रस्ताव आये, उनसे भी बात की

* * * * *

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह आप आक्षेप न करें।

श्री राजनारायण---ठीक है, मगर इतनी बात श्रीमन्, मैं आपके माननीय मुख्य मंत्री जी, चूंकि सम्पूर्णानन्द जी बैठे हुये हैं, उनसे बता दूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी का यह कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। यह सवाल है पूरी कैबिनट का। उनकी कैबिनट पर, उनकी सरकार पर, उनके सिस्टम पर, जो प्रणाली है उस पर हमारा अविश्वास है और मैं माननीय गेंदा सिंह जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने अन्दर इतनी राजनैतिक दृढ़ता, इतनी राजनीतिक दक्षता और इतने ऊंचे दरजे के राजनैतिक चरित्र का प्रदर्शन करेंगे कि जिस बात से वह सहमत न हों उसमें केवल इस डर से कि वह एक्सपोज न हों, मेरा साथ न दें।

श्री अध्यक्ष---(कई सदस्यों के खड़े होने पर) अब इस पर बहस अधिक नहीं होगी। मैं हर एक को मौका नहीं दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---जो उन्होंने कांग्रेस दल के ऊपर आक्षेप किया था, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के ऊपर उसको या तो उनकी स्पीच में से निकाल दिया जाय या उसे वापस करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने खुद वापस ले लिया। इसलिये वह काट दिया जायगा। वह कावर्डिस शब्द वगैरह जो उन्होंने उसको बाद को उन्होंने कहा कि वह वापस लेते हैं। 'ठीक है' इन शब्दों से उनका यही तात्पर्य था।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---मेरा निवेदन यह है कि श्री राजनारायण सिंह जी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग भी उनसे सहमत थे इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के लिये, कुछ एम० एल० ए० लोग, तो मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यहां पर हाउस के सामने यह बात आ गई है तो या तो राजनारायण जी नाम बतायें या उनके भाषण से यह शब्द निकाल दिये जायं।

[*--*] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष——मैं उस चीज को नहीं कर सकता हूं मैं समझता हूं कि यह कहने का उन्हें अधिकार है यानी इस तरह से कहने का।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)——मैं यह अर्ज करना चाहता था कि अगर वाकई राजनारायण साहब कोई नाम नहीं बतला सकते तो फिर कम से कम उनको इस हाउस के सामने माफी मांगनी चाहिये कि ऐसे नाम क्यों लिये गये कि तमाम हाउस के ऊपर आक्षेप आता है ?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)——मुझे सिर्फ एक ही बात अर्ज करनी है कि जिस तरह हमारे दोस्त राजनारायण जी को या गेंदा सिंह जी को इस बात की विजाहत करने का मौका दिया गया कि वह क्यों खड़े हुये, अगर कोई आदमी यह कहना चाहे कि हम क्यों नहीं खड़े हुये, तो दो मिनट का वक्त हुजूर इनायत फरमा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष——नहीं, यह एक विशेष परिस्थिति में मैंने यह मौका दिया कि सदन कुछ परिस्थिति को जान लें।

एक सदस्य——झूठ बोलने का ?

श्री अध्यक्ष——जी नहीं, एक्सप्लेनेशन देने का। नहीं तो मेरे राय लेने के बाद, फैसला देने के बाद कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई स्पष्टीकरण किसी को देने का मौका दिया जाय। और यह विशेष परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि मुझे यह शक हुआ कि शायद बार-बार ऐसी परिस्थिति गलतफहमी बाकी रहने से पैदा न हो जाय। ऐसी परिस्थिति बार-बार पैदा न हो, और झगड़ा न हो, इसलिये मैंने मौका दिया जिसमें तमाम सदस्य समझ भी लें कि क्या बात है, क्यों कुछ सदस्य खड़े हुये हैं, किस वजह से खड़े हुये हैं। चाहे किसी के खिलाफ हों या न हों तो भी खड़े क्यों कर हो सकते हैं, इत्यादि बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक था। ये सब बातें किस दृष्टि से हुआ करती हैं, इसके बारे में भी ज्ञान हो जाना आवश्यक है, जिससे मैं भी गतिविधि जान कर भविष्य में उचित निर्णय दे सकूं। मुझे खुद निर्णय करने में भविष्य में दिक्कत हो सकती थी, इस कारण भी यह बात स्पष्ट करने के लिये मैंने उस वक्त मौका दे दिया और चूंकि राजनारायण जी का प्रत्यक्ष नाम लिया गया था। विरोधी दल के नेता द्वारा। इसलिये उनको वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिए मौका दिया। अब यहां पर यह विषय समाप्त होता है यानी यह चैप्टर क्लोज होता है।

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष——मैं घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर-प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में एक संशोधन सहित पारित किया था। जिसको उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ फरवरी, १९५५ की बैठक में स्वीकार करके स्वीकृत संशोधन सहित पुनः पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १४ जून, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया।

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली तथा मोटर विहिकिल्स रूल्स की संशोधित प्रतियों की मांग

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——मैं कुछ अगले कार्यक्रम के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, परसों मैंने आपका ध्यान एजेंडा पर मद नम्बर ५ और ८ की तरफ दिलाया था। अब भी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली का जो अंतिम रूप है और मोटर वेहिकिल्स रूल्स का वह हमारे सामने नहीं आ पाया है। अगर सरकार चाहती है कि उन पर वाद विवाद हो तो अंतिम रूप हमारे सामने नियमों के अनुसार समय पर आ जाने चाहिये।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)——हम कोशिश कर रहे हैं श्रीमन् कि आ जायं और फिर से रखवा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं अब आपको मौका मिल जायगा। कल के बाद ७–८ रोज के लिये हाउस नहीं बैठेगा। आइन्दा जब हाउस बैठेगा तब तक आप दे देंगे।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विवाद को ३ बजे तक समाप्त करने का प्रस्वता

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)——माननीय नेता विरोधी दल और उपनेता विरोधी दल से मेरी बात चीत हो चुकी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पर जल्दी बहस समाप्त की जाय, तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज तीन बजे दिन तक उस पर बहस समाप्त कर दी जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनरेश शुक्ल ने हमसे प्रार्थना की थी कि इस पर ३ बजे तक बहस समाप्त हो जाय पर हम उस पर राजी नहीं हुये थे। हम चाहते थे कि आज शाम पांच बजे तक पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो जाय। उसके लिये हम अब भी तैयार हैं। तीन की बात नहीं थी, पांच पर हम राजी हुये थे।

श्री रामनरेश शुक्ल——ठीक है साहब, ५ बजे तक मैं चाहता तो नहीं था लेकिन अगर मेरे मित्र ५ बजे पर सहमत हैं तो ५ बजे तक रहे।

श्री अध्यक्ष——ठीक है। तो मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से यह स्वीकार होता है। तो इसी पर मैं कायम रहूंगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५२–५३ का वार्षिक प्रतिवेदन

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के १९५२–५३ के वार्षिक प्रतिवेदन, तत्संबंधी स्मृति-पत्र सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह जो वार्षिक प्रतिवेदन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है इसका विवाद इससे सम्बद्ध तो न होगा। शायद इसके लिये कोई भविष्य में तिथि निर्धारित की जायगी।

डाक्टर सम्पूर्णनन्द——जी हां। आगे कोई दिन इसके लिये होगा।

श्री अध्यक्ष——तो ठीक है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयाग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष——अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी स्मृति-पत्रों पर, जो २१ दिसम्बर, १९५३ तथा ३० मार्च, १९५४ को सदन की मेज पर रखे गये, विवाद जारी रहेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी आज्ञा से १९५१–५२ का स्मृति-पत्र जो मुझे उपलब्ध हो सका देख लिया। १९५०–५१ का स्मृति-पत्र मुझे देखने को नहीं मिल सका। इस स्मृति पत्र को देखने के पश्चात् भी कुछ बातों के विषय में मुझे निवेदन करने की आवश्यकता है जिनके बारे में उचित समाधान मुझे नहीं हो सका। इस रिपोर्ट में एक जगह यह लिखा है कि डायरेक्टर, ऐग्रीकल्चर ने एक कर्मचारी को सबार्डिनेट ऐग्रीकल्चर सर्विस के ग्रेड में अस्थायी तौर से ८ वर्ष तक रखा। इसके बारे में आयोग की उन्होंने कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की। स्मृति-पत्र में इस विषय में कोई बात नहीं लिखी गयी है। गवर्नमेंट की मंशा पर कोई शुबहा नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने सन् ४९ में ही एक कड़ा आदेश इस बात का जारी किया था कि नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिये और जब भी कोई अस्थायी पद पर रखा जाय तो उसकी सूचना अविलम्ब आयोग को दे दी जाया करे। लेकिन फिर भी कमीशन की ५१–५२ वाली रिपोर्ट में इस बात की सख्त शिकायत हुई कि बावजूद सरकारी आदेश के सरकारी कर्मचारी बिलकुल इस बात की परवाह नहीं करते कि जो अस्थायी कर्मचारी रखे गये उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लें। बल्कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जो रख लिये जाते हैं उनको आयोग के अस्वीकार करने पर भी सरकारी ऊंचे अधिकारी बार-बार इस बात का प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार उनके रखे हुये कर्मचारियों के लिये आयोग अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आयोग, कमीशन, के शब्द यह हैं कि "बार-बार निदेश करने पर भी नियुक्त प्राधकारी अस्थायी तथा स्थानापन्न नियुक्तियां करने में अपने अधिकारों का बराबर अतिक्रमण करते हैं।" माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसे केसेज हैं कि जिस व्यक्ति को रख लिया यदि वह कमीशन के चुनाव में नहीं आया तो फिर बाहर से कर्मचारी रखे जाने का विचार ही बदल दिया गया। मिसाल के तौर पर एक डिप्टी डायरेक्टर, पंचायत जिसका वेतनक्रम २५० से ८०० रुपया था, के पद पर एक व्यक्ति ३७५ रुपये पर रख लिया गया था। कमीशन के पास जब भेजा गया तो कमीशन ने विज्ञापन जारी किया बाद में यह विचार फिर बदल दिया गया और यह कहा गया कि अब बाहर से किसी के रखे जाने की जरूरत नहीं है। चुनान्चे जिन लोगों का कमीशन के पास शुल्क आया हुआ था वह उनको वापस कर दिया गया। यह बात जब हुई जब कि उस आदमी को जिसको रख लिया गया था कमीशन ने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी। तब विज्ञापन जारी करने के लिये सरकार ने स्वीकृति दे दी और इसके बाद विचार बदल गया कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं रखा जायगा।

ऐसे भी केसेज हैं कि कमीशन ने जिनको नहीं चुना उन्हीं को रखा गया और अलग नहीं किया गया। आज जो अभी १९५२–५३ का स्मृति-पत्र मिला है इसमें यह लिखा गया है कि इस बात की आशा में·····

श्री अध्यक्ष—१९५२–५३ का स्मृति-पत्र अभी विचार करने के लिये नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं तो मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसको कमीशन ने अपनी स्वीकृति नहीं दी फिर भी उसको रोक लिया गया और इस आशा में रोक रखा गया कि कमीशन अपनी स्वीकृति दे देगा। इसका आशय यह हुआ कि कमीशन के अस्वीकार करने के बाद भी उच्चाधिकारी कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति रखा जाय और कमीशन को बाद में लिखते हैं। चुनान्चे कई वर्ष तक जितने समय तक रखने का अधिकार है उसमें अतिक्रमण होता रहता है और कमीशन से बराबर लिखा-पढ़ी होती रहती है। चुनान्चे इस दिक्कत को देखकर कि सरकारी कर्मचारियों को छै महीने में अपनी रिपोर्ट भेजने में शायद कोई दिक्कत रहती हो, सरकार ने इस अवधि को ६ महीने के बजाय एक वर्ष कर दिया। लेकिन वह भी काफी नहीं होगी जब कि ८–८ साल की मिसालें मौजूद हैं। इसलिये सरकारी आफिसर्स की राय और मशविरे से यह तय होना चाहिये कि कितने दिन तक अस्थायी और स्थानापन्न

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

कर्मचारी रखे जायं, इस पर अंतिम निर्णय सरकार दे इस तरह की शिकायतें नियम तोड़ने की नहीं होंगी। अधिकारियों को समय भी अधिक मिल जायगा। अस्थायी कर्मचारियों को ज्यादा दिन रखने की उनकी इच्छा भी पूरी हो जायगी।

अब भी अयोग्य व्यक्ति काफी तादाद में रख लिये जाते हैं जिसका पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक शिक्षा विभाग में जिक्र किया है। पृष्ठ ९१ में ६२ ट्रेंड अन्डर ग्रेजुएट्स को असिस्टेंट मास्टर रखने का मामला है। इसमें शिक्षा संचालक से कहा गया कि इन स्थानों पर दूसरी नियुक्तियां की जायं। इस संबंध में स्मृतिपत्र में कहा गया है कि शिक्षा संचालक ने कहा कि उनके यहां कर्मचारियों की कमी है और उनके कर्मचारी जो जिलों में हैं वह पूरी रिपोर्ट नहीं देते और उनके विभाग में काम बहुत अधिक है। इसलिये यह सब समय के अन्दर आयोग को नहीं दिया जा सका। लेकिन सब से बड़ी शिकायत इस बात की है कि कमीशन कहे कि ६२ कर्मचारी अयोग्य हैं और उनको रखते वक्त इस बात की ओर तनिक भी ध्यान न दिया जाय कि इन ६२ कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जा रही है यह योग्य है अथवा अयोग्य हैं और कमीशन के सामने जब यह प्रश्न जायगा तो कमीशन उस पर क्या अपनी सम्मति देगा और जनता जब इसको देखेगी तब उसके अन्दर क्या भावना पैदा होगी। इस बात को न देखकर ६२ व्यक्तियों को रख लिया, यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्म मैनेजर, नीलगांव के लिये कमीशन ने स्पष्ट कहा कि यह कर्मचारी जिसको शासन ने रख लिया है, यह अयोग्य है लेकिन फिर भी बार-बार उस चीज को प्रेस किया गया कि इस नीलगांव फार्म के मैनेजर को रख लिया जाय और फिर कमीशन ने अपनी स्वीकृति दे दी। बहुत से केसेज ऐसे मिलते हैं जिनको बारबार लिखने पर कमीशन ने अपनी स्वीकृति दी। स्मृतिपत्र यह कहता है कि केवल २ ही ऐसे वाकयात हुये हैं जिनमें कमीशन की राय और शासन की राय में मतभेद हुआ और जिनमें शासन ने कमीशन की राय को कबूल नहीं किया। तो स्पष्ट है कि दो ही ऐसे केसेज हैं जिनको कोट किया गया है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कमीशन जिन कर्मचारियों को एक बार अयोग्य कहता है, उनको फिर इस बात के लिये प्रेस करना कि उन कर्मचारियों को रख लेना ठीक होगा कहां तक उचित है, यह विचारणीय प्रश्न है।

इसमें एक स्थान पर तीन जिला विकास अधिकारी शासन की तरफ से रख लिये गये। कमीशन ने इस बात पर आपत्ति की और घोर आपत्ति की। उनमें एक को फिर तरक्की देकर . . .

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि सिद्धान्त पर ही ज्यादातर यह बहस होती है। यहां पर हर एक का उदाहरण देना उचित नहीं है। एक सिद्धान्त के संबंध में एक दो उदारहण देकर दूसरे सिद्धान्त को लेना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं श्रीमान्, सिद्धान्त की ही बात कर रहा था। मैं दूसरे विषय को ले रहा था, उसमें मैंने यह कहा कि बावजूद कमीशन की आपत्ति के एक आदमी को उच्च पद पर बैठाया गया। और इस तरह से दोनों को कायम रखा गया जब कि कमीशन ने उस पर घोर आपत्ति की। मैं और ज्यादा कुछ उदाहरण कोट करना नहीं चाहता। मेरा निवेदन यह है कि जो नियम बनें और जब सरकार इन नियमों को विचार पूर्वक बनाती है तो उन नियमों का पालन होना चाहिये। अगर नियम पालन करने में कोई कठिनाई पड़ती है तो सरकार को उनका पुनर्वीक्षण कर लेना चाहिये ताकि वह नियम पूर्ण रूप से पालन किये जा सकें और सरकारी नौकरियों की भर्ती में जो जनता या उम्मेदवार हैं उनके मन में जो जबर्दस्त धारणा फैल गयी है, मैं उसको कहने में संकोच नहीं करना चाहता, एक बड़ी विषाक्त धारणा यह फैल गयी है कि जो भी नौकरियां मिलती हैं वे सब सिफारिश के आधार पर ही मिलती हैं और जिसको सिफारिश नहीं होती है उसको नौकरी कहीं नहीं मिलती। इस धारणा को निर्मूल करना शासन के लिये परमावश्यक है। यह धारणा कैसे होती है यह हम सब को और खासतौर से शासन के विचार करने

के योग्य है। जहां कोई गुंजाइश इस तरह की हो और सिफारिश करने का कोई भी अंदेशा हो तो किसी न किसी तरह उसे अवश्य ही मिटाया जाना चाहिये। डिसिप्लनरी इंक्वायरी कमेटी ने इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और नियमों में कुछ संशोधन भी किये गये थे। यह तो मुझे पता नहीं है कि उस बारे में शासन ने क्या आदेश जारी किये, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो परिस्थिति आज देखने में आती है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस धारणा को निर्मूल करने के लिये सख्त से सख्त नियम होने चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन के अतिरिक्त भी और नियुक्तियां होती हैं उनमें भी परिवर्तन किया जाय। कैसे हो इसकी तरफ सदन का समय मैं नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि तमाम नौकरियों के संबंध में मूल रूप से सरकार समय लगाकर विचार करे और इस प्रकार की धारणा को मिटाये। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे विरुद्ध एक विषाक्त वातावरण ये उम्मीदवार लोग पैदा कर रहे हैं। अगर कहीं १० स्थान खाली होते हैं तो हजारों, सैकड़ों उम्मीदवार दौड़ पड़ते हैं। सब तो नहीं लिये जा सकते और जो नहीं लिये जाते वे बहुत ही विषाक्त वातावरण समाज के अन्दर पैदा करते हैं। कभी कभी ऐसे केसेज भी आये हैं कि फर्स्ट क्लास को नहीं लिया गया और थर्ड क्लास को ले लिया गया और उसकी वजह से यह तमाम विष वमन होता है। यह तो नहीं मालूम होता कि उसका कारण क्या था और वह क्यों नहीं लिया गया। संभव है सब बातें सोच ली गयी हों और चुनने वाले ने इस प्रकार की जांच कर ली हो, लेकिन स्पष्टतः यह चीज बड़े घातक रूप में हमारे सामने आती है।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री राम वचन यादव जी ने एक मिसाल दी थी कि एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट को नहीं लिया गया और उसकी जगह कहीं नीचे दर्जे के आदमी को ले लिया गया। इसलिये इस पर और अधिक न कह कर केवल यहीं कहूंगा कि यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और इस पर विचार होना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के संबंध में कोई नियम कमीशन के सामने इस बात के नहीं हैं कि पिछड़ी जातियों की भर्ती में कमीशन क्या रुख अख्तियार करे। अनुसूचित जातियों को रिजर्वेशन है और उनके लिये शासन भी ध्यान रखता है कि अगर अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार काफी नीचे सीरियल नम्बर पर भी होता है फिर भी लिखा पढ़ी करके उसको स्थान देने का विशेष प्रयत्न होता है और वह उचित भी है तथा विधान के अनुकूल है कि परिगणित जातियों के लिये जो १८ प्रतिशत रिजर्वेशन है उतनी संख्या में वे आ जायं। कमीशन योग्य उम्मीदवारों को ले। पिछड़ी जातियों के लिये और प्रदेशों में रिजर्वेशन है और कानून बना हुआ है कि किन-किन जातियों के लिये सर्विसेज में विशेष ध्यान दिया जाय। उन जातियों की सूची भी कोई शासन की तरफ से किसी विभाग को नहीं भेजी गयी है। केवल शिक्षा विभाग के पास एक लिस्ट रखी गयी है जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये है लेकिन एप्वायटमेंट में, सर्विसेज में उनकी भर्ती के लिये इस प्रकार की कोई लिस्ट विभाग को नहीं दी गयी है और न वह पब्लिक सर्विस कमीशन के ही सामने है। नियम यह भी होना चाहिये कि कम से कम इस सदन की जानकारी के लिये जब कि पिछड़ी जातियों की तरक्की के लिये केन्द्र ने एक कमीशन बना दिया है तो . . .

श्री अध्यक्ष—आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जब केन्द्र ने ऐसी बातें की हैं तो नियम कमीशन के सामने यह भी होना चाहिये कि कमीशन अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया करे कि कितने परिगणित जाति के किन किन जगहों पर लिये गये और कितने बैकवर्ड क्लास के किन-किन जगहों पर लिये गये। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि बैकवर्ड क्लास कितनी

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

तरक्की कर रहा है और अनुसूचित जाति किस हद तक पहुंच पायी है, इसका भी जिक्र होना चाहिये। नियम ऐसा भी होना चाहिये कि इन दोनों वर्गों के लिये जो भी जितनी नियुक्तियां हों उनका ब्योरा कमीशन दे दिया करे। जैसे एक बार पूछा गया कि बैकवर्ड क्लास के लोग कितने गजेटेड पोस्ट पर हैं और कहां-कहां हैं, लेकिन इसका किसी को पता नहीं था इस लिये समय पर जबाब नहीं दिया जा सका। चूंकि कमीशन के सामने सभी उम्मीदवार जाते हैं इसलिये उनका पूरा ब्योरा भी रिपोर्ट में आना चाहिये और इस प्रकार नियम बनाना चाहिये। मैं फिर यह कहूंगा कि बैकवर्ड क्लास के लिये सर्विसेज में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय इस पर भी शासन को गौर करना चाहिये, ताकि इतने बड़े समुदाय के होते हुये भी जो उसका रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में कम है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये पूरा हो जायगा, विभागों के जरिये पूरा हो जायगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय बांध दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज हम इस सदन में बहस कर रहे हैं वह उस गवर्नमेंट के लिये जो प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर कायम है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुये जब हमारे भारतवर्ष का विधान बना, जिस समय पर इस चैप्टर पर विधान बनाते समय बहस हो रही थी तो उस समय सारे पहलू पर विचार किया गया और सिर्फ इस उद्देश्य से कि किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में जो हमारी सर्विसेज हैं वे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों, वे अपने प्रदेश की जनता के सेवक बने, किसी भेदभाव की चीज न करें, अपने प्रदेश की जनता की सेवा, जिस काम के लिये वे रखे गये उसे ठीक तरह से निभायें। इसी उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय, विधान जब पास हुआ उस समय इस पर काफी विचार किया गया और इसी उद्देश्य से कि जो हमारी सर्विसेज को एप्वायंटमेंट करने वाले हैं, नियुक्त करने वाले हैं, वे लोग ऐसे हों कि जिनके ऊपर कि हमारे प्रदेश की सरकार का कोई भी असर न पड़ सके। अध्यक्ष महोदय, विधान में यह भी लिखा गया है कि किसी भी प्रदेश के लेजिस्लेचर इस मामले में सुप्रीम है और इसलिये सुप्रीम है कि जो फंक्शन आफ़ रेगुलेशंस बनेंगे उस सिलसिले में गवर्नर महोदय उनको जो बनायेंगे वह भी प्रदेश की विधान सभा के सामने रखा जायगा उनकी स्वीकृत के लिये और विधान सभा को यह अधिकार होगा कि जो रेगुलेशंस बनाये जायेंगे उनमें वह संशोधन भी कर सकती है। इस विधान की एक धारा में मैं समझता हूं स्पष्ट दिया हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट गवर्नर महोदय के पास भेजेगा और वह सरकार की टिप्पणी के साथ उसे इस लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे और वह अधिकार इतना बड़ा इस सदन को दिया गया है कि जिससे हम फैसला कर सकते हैं और बता सकते हैं और हम जो जनता के प्रतिनिधि यहां आये हैं वह दोनों का, सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकें कि जो अधिकार उन्हें विधान से मिले हैं उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर इन रिपोर्टस् पर हम विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में बेकारी की समस्या बहुत जटिल रूप धारण किये हुए है यह तो मानने की बात है ही कि हमारे गांवों के रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनको उनकी गरीबी के कारण शिक्षा नहीं मिल सकती है, जो बड़े-बड़े पदों पर पहुंचने में गरीबी के कारण रुक जाते हैं उनका भी प्रश्न प्रदेश के सामने विचारणीय है। हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन तो उन्हीं लोगों को लेंगे जो एक निर्धारित क्वालिफिकेशन रखते हैं। अब तो बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी सरकारी विभाग में

किसी की नियुक्ति करना है और वह चाहते हैं कि किसी की नियुक्ति की जाय तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वाफिलिकेशन निर्धारित कर दी जाती है और उसी की सारी क्वालीफिकेशन लिख दी जाती है और मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेज दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उस क्वोलिफिकेशन का दूसरा आदमी नहीं मिलता और उन्हीं को रखा जाता है। मैं नहीं कहता कि ऐसा होता ही है, लेकिन जनता में ऐसे भाव हैं कि ऐसा होता है और हमारे साथ बेइंसाफी होती है। अगर आज जितनी सर्विसेज हैं, यह सारी नौकरियां जो हैं वह सब पब्लिक सर्विस कमीशन से ही नियुक्त की जाय तो आधे से ज्यादा काम हम सदस्यों का कम हो जाय। न मालूम कितने आदमी सुबह से शाम तक हमारे पास नौकरी के लिए आते रहते हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हमारी सिफारिश से तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगर किसी की नियुक्ति किसी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या किसी डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर की सिफारिश से हो जाती है तो लोग आकर कहते हैं कि फलां साहब ने तो उसको नौकरी दिलवा दी और आप ऐसे ही कहते हैं। हम कितना ही कहते हैं कि भाई हमारी कुछ नहीं चलती, हम तो सोशलिस्ट हैं हमारी कौन सुनता है, हमारा नाम भी अगर सुन लिया तो निकाल दिये जाओगे, किसी कांग्रेस वाले के पास जाओ तब तुम्हारा काम बनेगा, लेकिन फिर भी लोग हमें परेशान करते हैं ऐसी हमारी दिक्कत है। सदन में जो और भाई बैठे हैं वह हमारी इस दिक्कत को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें जनता में यह विश्वास पैदा करना है कि अब सिफारिश नहीं चलती। जनता के लोग इस विषय में केवल सरकार पर ही आक्षेप नहीं करते, वरन् वह पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी आक्षेप करते हैं, जनता का ख्याल है कि वहां भी सिफारिश पहुंचती है गो कि विधान में इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या कोई भी मेम्बर अपनी ६ साल की अवधि को पूरा करने के बाद किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्राविजन विधान में इसीलिए रखा गया है कि सरकार के प्रभाव से आगे अच्छा पद मिलने के लालच में वह किसी की न सुनलें और किसी से प्रभावित न हो सके। इसी कारण से यह धारा संविधान में रखी गयी है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को कोई निकाल नहीं सकता, उसे केवल राष्ट्रपति ही मिसबिहेवियर के लिए निकाल सकते हैं, वह भी तब जब कि उसका रिफ्रेन्स सुप्रीम कोर्ट के लिये कर दें। इतनी बड़ी भारी ताकत हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों को उनकी मजबूती के लिये बनाई गयी थी और वह इसलिये बनाई गई थी कि इसके ऊपर भी कोई असर न पड़े, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने कोई मिसाल तो नहीं है, क्योंकि वह गैर जिम्मेदारी की बात होगी, लेकिन जनता के सामने यह बिलकुल साफ होना चाहिये कि हम बिलकुल पाक और साफ हैं :—

"Caesar's wife is chaste, is not enough but she must appear to be chaste also."

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि हमारे जितने सिविल आफिसर्स हैं उनकी सर्विसेज की स्टैबिलिटी रहे। हमें उन पर विश्वास पैदा करना है, लेकिन साथ ही हमें उन्हें यह भी बता देना है कि हमारी सर्विसेज को कोई भी दखल नहीं देना है चाहे कोई पोलीटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आवे। कल हमारे मित्र माननीय नाराणदत्त जी ने फ्रांस की बात कही है और हमने माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण भी सुना था कि फ्रांस की सर्विसेज की तरह हमारी सर्विसेज को भी होना चाहिये। वहां रोज नयी हुकूमतें आती हैं, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो जिस तरह से अपनी गाड़ी चलाता है उसी तरह से अपनी गाड़ी चलाता जाता है। मैं यह तो मानता हूं कि जो सर्विस रूल्स हैं उनके अनुसार हमारी सर्विसेज को काम करने का अधिकार है। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि जो कोई भी सर्विसेज में आये प्रदेश की जनता के ऊपर जो चाहे जुल्म करे वह निकाला नहीं जा सकता। यह ठीक नहीं है। सरकार को अधिकार होना चाहिये कि ऐसा व्यक्ति निकाला जा सके। इसलिये सर्विसेज को यह समझ कर

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कि उनकी सिक्योरिटी है कोई यह न समझे कि जिस उद्देश्य के लिये है उसकी पूर्ति वह न करे तो फिर उनको अंग्रेज नें इज्जत दिया जा सकता है। आज जो सर्विसेज में डिमारलाइजेशन आ गया है उसकी जिम्मेदारी हमी लोगों पर है, हमारी पोलीटिकल पार्टीज पर है, यह हो सकता है कि जब तक हम लोगों का चरित्र इतना ऊंचा न हो तो ज़रूर गड़बड़ होने का अन्देशा है चाहे सर्विसेज के लोग हों, चाहे विधायक हों और चाहे कमीशन के लोगों की बात हो, लेकिन फिर भी इसकी कोशिश तो करनी ही होगी कि हम लोग ऊंचे दरजे पर पहुंचे। आज हमारी सर्विसेज के लोग, जो सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वह जानते हैं कि वह निकाले नहीं जा सकते वह हमारे मिनिस्टर्स के पास पहुंचते हैं, डिप्टी मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं और वहां कहते हैं "कहिये साहब आपकी राय क्या है" ताकि जो कुछ लिखा जाय वह उनकी राय के खिलाफ न हो। जो राय मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की होती है वही फिर फायल में लिखी जाती है। मैं यह चाहूंगा कि हमारे मिनिस्टर्स में और हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज में गट्स हों कि वह इन नोट्स के खिलाफ कह दें कि हम तुम्हारे नोट्स से एग्री नहीं करते।

आजकल एक बीमारी एक्सटेंशन की चल गई है। जिनकी सर्विसेज पूरी हो जाती हैं उनके भी एक्सटेंशन्स होते हैं। दो तीन साल पहले से वह जड़ जमाना शुरू कर देते हैं कि उनको एक्सटेंशन दिलाया जाय और गवर्नमेंट इसके लिये यह तर्क देती है कि फलां आदमी बड़ा एफीशियेंट आदमी है और ऐसा आदमी नहीं मिल सकता और इसलिये इसका रहना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उसके रखने में कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप क्या फ्री स्पीच दे रहे हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सिद्धान्तों पर मैं कह रहा हूं। इसमें जो लिमिटेशंस आफ फंक्शंस में जो जुरिस्डिक्शन दी हुई है उसमें एक्सटेंशन में पब्लिक सर्विस कमीशन दखल नहीं दे सकता। अगर एक साल का एक्टेंशन नहीं हुआ होता और वह जगह खाली हो गई होती तो पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी नियुक्ति करता। इसमें लिस्ट में है :—

'It shall not be necessary to consult the commission in matters relating to extensions.

When it is proposed to reappoint the retired services of the crown temporarily:

(i) to a permanent post in the service from which he has retired, or

(ii) to a temporary post created as an addition to the cadre of the service from which he retired, or

(iii) to any other temporary post the duties of which are similar to those normally dicharged by members of that service.'

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कहीं यह किया गया हो। मेरा कहना तो यह है कि यह जो एक्सटेंशंस होते हैं मैं इनकी मुखालिफत में हूं। जब हमारे देश में इतने लोग बेकार पड़े हुये हैं, जो एक्सपर्टस हैं तो उनकी एडवाइस ली जाय। उनको आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर किया जाय, कोई नई पोस्ट क्रियेट की जाय, लेकिन जो नीचे के लोग तरक्की की उम्मीद में बैठे हुये हैं उनको उस मौके से महरूम न किया जाय। इससे डिमारेलाइजेशन होता है। वे समझने लगते हैं कि पता नहीं हमारा कब प्रोमोशन होगा, क्योंकि ऊपर के लोगों को एक्सटेंशन मिल जाने का अन्देशा रहता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को कह रहा हूं। ऐसा हो जाना चाहिये कि हम लोग इस मामले में बड़े निष्पक्ष हैं। लेकिन यह जो बीमारी है कि लोगों को रिएप्वाइंटमेंट मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाता है, इससे पेंशन में

तो असर नहीं होता, लेकिन तनख्वाह उन्हें वही मिलती है। तो इसमें नीचे के लोगों को प्रोमोशन नहीं मिल पाता। मैं इस ओर संकेत अवश्य कर देना चाहता हूं कि हमारे इस सदन की राय एक्स टेंशन और रिएप्वाइंटमेंट के बारे में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक शिकायत है। यह हो सकता है कि उन्होंने अपनी मजबूरियों की वजह से यह कहा हो कि २०० रुपये तक की सरविसेज उनके जूरिसडिक्शन से बाहर रहें और डिपार्टमेंट्स उनका रेक्रूटमेंट स्वयं कर लिया करें। इसी वजह से हमारी बड़ी बदनामी हुई। सैकड़ों पोस्ट्स क्रियेट की गईं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सैकड़ों पोस्ट्स क्रियेट की गईं। डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन आफिसर की पोट्स हुई। ये सब १५०,२०० की पोट्स हैं और कमीशन ने लिख दिया कि २०० तक की जो पोस्ट्स हैं इनमें आप खुद एप्वाइटमेंट कर सकते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। नारायण दत्त जी ने जैसा कहा अगर कमीशन के पास कुछ काम ज्यादा हो, आदमियों की कमी हो तो वहां आदमी बढ़ा दिये जायं, लेकिन अपने सर से यह बला हटे और हमारे मंत्रीगण की बदनामी न होने पाये कि हमने फेवरटिज्म किया। कोई यह न कह सके कि ये एम० एल० एज० हैं जो अपने आदमी मुकर्रर कर लेते हैं। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। जहां भी आप जायेंगे यही चर्चा सुनाई देगी। अगर आप इम्पार्शियल हो जायं, जो आदमी इम्तिहान में पास हों वे लिये जायं तो बहुत अच्छा होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन पर डिपेंड करे किसे वे रक्खें और किसे न रक्खें।

एक बात और है जिसे देख कर दुख हुआ। ५४-५५ की रिपोर्ट को पढ़ा। कहा गया कि जो एग्जामिनीज आये हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा नहीं है। बहुत गिर गया है। उनको ऊंची क्वालिफिकेशन के आदमी नहीं मिल पाते हैं। इतना होने पर भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिकमेंड किया कि स्टैंडर्ड गिरा दिया जाय और एप्वाइन्टमेंट कर लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है और जिस उत्तर प्रदेश को देख कर अन्य प्रदेशों के लोग सबक लेते हैं सभी लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर लगी रहती है कि यहां क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री हैं, यहां के चीफ मिनिस्टर डा० सम्पूर्णानन्द हैं जो बड़े विद्वान हैं यहां का स्टैंडर्ड किसी हालत में भी गिरना मुनासिब न होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष में बैठा हुआ हूं, कोई भी आक्षेप कर सकता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि स्टैंडर्ड का जहां तक ताल्लुक है पब्लिक सरविस कमीशन से यह कहना कि स्टैंडर्ड गिरा दिया जाय और एप्वाइन्टमेंट कर लिया जाय मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जैसा स्टैंडर्ड है वैसा ही रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कितना समय लेंगे?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—करीब १५ मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट नहीं। और लोगों को भी बोलना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—दस मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—पांच मिनट में खत्म कर दें।

अब हम उठते हैं। सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार के इस सुझाव को मान लिया कि २०० रुपये तक की जो नौकरियां होंगी उनका चुनाव, उनकी नियुक्तियां डिपार्टमेंट की किसी कमेटी के द्वारा हो सकता है और ऐसा

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

ही यहां पर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह भी ठीक नहीं है और जैसा कि मैंने सुझाव दिया था कि अगर पब्लिक सरविस कमीशन के मेम्बरों में कुछ कमी है तो वह बढ़ाये जा सकते हैं।

अब यह जो रिपोर्ट हमारे सामने है उपाध्यक्ष महोदय, उसे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि वह सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ रखी होगी। पर इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और हर साल की रिपोर्ट में हम उसे पाते हैं। जब से हम लोग चुन कर इस विधान सभा में आये हैं यह पहला मौका है कि जब पब्लिक सरविस कमीशन की रिपोर्ट पर यहां कुछ बहस हो पाई है और मैं आशा करता हूं कि इस विधान सभा की जो राय उनकी रिपोर्ट पर है और विधान सभा के मेम्बरान पब्लिक सरविस कमीशन की कार्यवाहियों पर जो अपनी राय प्रकट करते हैं उसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी पहुंचायेंगे और कांस्टीट्यूशन का उद्देश्य भी यही था कि पब्लिक सरविस कमीशन भी जान जाय कि प्रदेश की जनता के प्रतिनिधियों की इस मामले में क्या राय होती है कि जो रिपोर्ट वह सदन के सामने माननीय गवर्नर के द्वारा पेश करवाते हैं।

एक शिकायत पब्लिक सरविस कमीशन की ओर है उपाध्यक्ष महोदय, वह यह कि उनका कहना यह है कि सरकार की ओर से कुछ पोस्ट्स एडवर्टाइज की जाती हैं और मान लीजिये कि १० पोस्ट्स एडवर्टाइज की जाती हैं। उसके लिये दरख्वास्तें भी काफी आ जाती हैं। जब चुनाव का वक्त आता है, उनकी नियुक्तियों का वक्त आता है तो उस समय डिपार्टमेंटल हेड्स लिखते हैं कि १० की जरूरत नहीं, अब पांच की ही जरूरत है। आप पांच ही छांटिये। तो जिनके प्रार्थना-पत्र आये हुये हैं उनके साथ भी यह बड़ा भारी अन्याय होता है। यानी लास्ट टाइम में, आखिरी वक्त में जब चुनाव का वक्त होता है उस समय पब्लिक सरविस कमीशन से यह कहना कि जितने आदमी पहले कहे थे उतने न छांट कर उनमें कमी कर दी जाय यह न्याय नहीं है, दोनों के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर कहीं दो पोस्ट्स होंगी तो उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना-पत्र भी बहुत कम आयेंगे। लेकिन जहां १० पोस्ट्स होंगी वहां प्रार्थना-पत्र बहुत आयेंगे। फिर उस पर फीस पड़ती है, लोगों को आना पड़ता है, इंटरव्यू के लिये आना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह डिपार्टमेंटल हेड्स को ऐसी हिदायतें ईशू कर दें कि पहले ही सोच विचार कर इसका फैसला कर लिया करें कि कितनी पोस्ट्स के लिये वह आदमी चाहते हैं और जितनी पोस्ट्स के लिये पब्लिक सरविस कमीशन को कहा जाय कि छांटो, उसमें कमी न की जाय।

एक बात और कही गई है कि डिपार्टमेंटल हेड्स अपने यहां लोगों को एप्वाइन्ट कर लेते हैं और पहले ६ महीना था लेकिन अब तो एक साल तक बिना कमीशन की स्वीकृति के ही उनको नियुक्त किये रहते हैं और कितने ही ऐसे आदमी सरकार नियुक्त कर लेती है। कितने आदमी इस तरह के नियुक्त होते हैं इसकी कोई खबर कमीशन को नहीं रहती। तो कमीशन ने एक सिफारिश की है और माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स जितने लोगों को अपने यहां इम्प्लाय करें, चाहे वह उनको ६ महीने रखें या १ साल तक वह चलें या दो साल तक वह रहें, उन सारे आदमियों की लिस्ट क्वाटरली रिपोर्ट या छमाही रिपोर्ट पब्लिक सरविस कमीशन को भेजें कि इतने आदमियों की नियुक्ति हमने कर रखी है, एप्रूवल हो या न हो, उस पर ही पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट दे सकेगा कि इतने आदमी जो आपने भरती किये थे इनका आपने जो टाइम मुकर्रर किया था उसके अन्दर आपने पब्लिक सरविस कमीशन से कनफरमेशन नहीं कराया और दिक्कत यह है कि बहुत सी पोस्टें ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, बहुत दिनों से चली आ रही हैं लेकिन कन्फरमेशन नहीं होता है। जिन पर हमारे आफिसर्स खुश होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें कन्फरमेशन के लिये भेज देंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जितनी ऐसी पोस्ट्स, जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं और परमानेंट हैं, लेकिन सिर्फ कन्फरमेशन के लिये रुकी हुई हैं उन्हें पब्लिक सरविस कमीशन से कनफर्म करा लेना चाहिये, क्योंकि अगली जो रिपोर्ट हमारे सामने आये उसमें ऐसी बातें पब्लिक सरविस कमीशन को देने को

न रहें कि जिससे सरकार का हमारी जो मंशा पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने का है, जो हमारे कांस्टीट्यूशन का मंशा है, वह पूरा होता रहे क्योंकि यह लेजिस्लेचर सुप्रीम अथारिटी है। यह दोनों को, सरकार की टीका टिप्पणी कर सकती है और पब्लिक सर्विस कमीशन अगर कोई गलती करे उस पर भी टीका टिप्पणी कर सकती है। इसलिये जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का संबंध है वह भी होशियार रहे और हमारी सरकार भी होशियार रहे, ताकि हमारे कांस्टीट्यूशन की जो मंशा है सर्विसेज के मामले में वह पूरी होती रहे।

अब जहां तक सर्विसेज के रूल्स का सवाल है कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि हमारे जितने आफिशियल्स हैं उन सब की सरविसेज के रूल्स बनाये जायं। हमारे सामने जो रिपोर्ट है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि अभी बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके रूल्स अभी तक नहीं बने हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज के रूल्स, जिनके नहीं बने हैं, या बनने हैं, बनाये।

एक बड़ी शिकायत जिसके बारे में नारायण दत्त जी ने कहा था अभी तक हमारे इतने बड़े प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अपना कोई हाल नहीं है जिसमें कि वह विद्यार्थियों का इम्तहान ले सके। कभी सिनेट हाल लेना पड़ता है, वह भी हमेशा नहीं मिलता। यह दिक्कत उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है और इलाहाबाद में मैं समझता हूं कि बहुत सी बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन को दी जा सकती हैं और न भी दी जायं तो करोड़ों रुपये का हमारा बजट है जहां हमारी सर्विसेज की शान का सवाल है, ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वहां पर हमारे कमीशन का इम्तहान का हाल अवश्य होना चाहिये।

अब यों तो रिपोर्ट में बहुत सी लम्बी चौड़ी बातें हैं पर सिद्धांत की जो बातें थीं उनको मैंने रख दिया और मैं आशा करूंगा कि बजाय इसके कि रिपोर्ट पर ज्यादा बहस करें उसमें समय व्यर्थ नष्ट होगा, मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि प्रिंसिपल्स पर कुछ बातें ज्यादा करें तो हमारी कुछ समझ में आयेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पहली मर्तबा इस पर बहस की है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे विचारों का खयाल रखेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे इन विचारों का खयाल रखेगी और जो कांस्टीट्यूशन की मंशा है उसे पूर्ण करने की कोशिश करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--मैं अगला भाषण प्रारम्भ होने के पहले सदन को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि अभी ऐसी इच्छा प्रकट की गई है कि समय निर्धारित किया जाय। तो १५ मिनट का समय मैं निर्धारित करता हूं प्रत्येक वक्ता के लिये।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही सुन्दर बात है जब कि एक ही दिन इसकी बहस के लिये हो तो बहुत से लोगों को मौका मिले। इसके लिये आपने १५ मिनट का समय दे दिया ताकि सब को बोलने का मौका मिल जाय।

यह दो साल की हमारे सामने जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है यह अच्छा होता अगर इससे पहले ही सदन के सामने आयी होती और उस पर बहस मुबाहिसा हो गया होता, आज हमको यह दिखाई दे रहा है कि इसके बाद की जो रिपोर्ट है वह भी मेज पर आज रख दी गई है और यह उम्मीद है उस पर भी जल्द ही बहस इस सदन में होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्विसेज का सवाल इन नई परिस्थितियों में, बदली हुई परिस्थिति में बहुत ही महत्व का हो गया। अब तक जब तक कि हम गुलाम थे, एक पुलिस स्टेट यहां पर थी, उस वक्त पब्लिक सर्विसेज का काम बहुत हल्का था लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद और हमारे यह ऐलान करने के बाद कि यह एक वेलफेयर स्टेट होगा और उस तरफ कदम बढ़ाने के बाद सर्विसेज का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और महत्व का हो गया है। अब तक जिस तरह से नौकरियों में भर्ती हुआ करती थी और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

जिस तरह से आम अन्दाज था, लोगों को यही खयाल था कि सिफारिशों से चीजें होती हैं, जिसकी जानपहचान ज्यादा है वही नयी नयी और लम्बी-लम्बी नौकरियों पर जा सकता है। यह पुलिस स्टेट के लिये मुनासिब चाहे हो या न हो, इस पर बहस हो सकती है। क्या मैं आशा करूं कि चीफ ह्विप साहब जरा खामोशी से सुन लेंगे? तो अब तक पुलिस स्टेट के होते हुये पब्लिक सर्विसेज का काम कोई ज्यादा कठिन नहीं था जैसा मैंने अर्ज किया, लेकिन वेलफेयर स्टेट के होने पर जो काम बढ़ गया है वह किस तरह के लोगों को भर्ती किया जाय, किस तरह के लोग उसको भरती करने के लिये मुनासिब होंगे, यह सब चीजें कांस्टीट्यूशन में भी बहुत हद तक दी गई हैं और हम चाहते हैं कि रिवाज भी उधर हो ताकि उसमें कोई कमी न रह जाय। इस वक्त हमारे सामने जो रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, जिस तरह का वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये प्लांस बन रहे हैं, देखना यह होगा कि क्या जो सर्विसेज भर्ती हो रही हैं वह इस नये बोझ को बरदाश्त कर सकेंगी? अब तक जैसा मैंने अर्ज किया कि पब्लिक सरविसेज का दायरा बहुत संकुचित था, बहुत थोड़ा सा काम उनके जिम्मे था, इसलिये एक खास तरीके से उनकी भरती हो रही थी और वह अपना काम निभा सकते थे, लेकिन जो काम उनके जिम्मे पहले था उससे अब काम बहुत बढ़ गया है। पहले किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आम तौर से इस तरह से बटवारा होता था कि पालिसीज मिनिस्टर कायम करेंगे, बनायेंगे, जनरल कंट्रोल मिनिस्टर्स का होगा और कहीं एक्सपर्ट ओपीनियन सरविसेज देंगी। अब तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन देखना होगा कि क्या बदले हुये जमाने में जब कि इस तरह प्लानिंग, योजनायें, इस समय हमारे यहां इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया जा रहा है क्या सरविसेज एक्सपर्ट का काम इस वक्त कर सकती हैं, क्या उनको वह नेसेसरी ट्रेनिंग है कि जो जिम्मेदारी सरविसेज पर आमतौर से डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है वह जिम्मेदारी उठाने की अहमियत वह रखती हैं या नहीं? उसी के साथ साथ यह भी देखने की जरूरत है कि जो चुनने वाले हैं, वह किस खयाल से चुन रहे हैं। अब तक एक खास किस्म के आदमियों को चुनने की जरूरत थी, एक खास किस्म के आदमियों के चुने जाने की जरूरत थी। तो अब क्योंकि उनके फंकशंस बदलते जा रहे हैं इसलिये उसी तरह से चुनाव जो अब तक होता रहा, क्या वह सही है, या उसे कुछ बदलना होगा। कांस्टीट्यूशन में इसीलिये यह कहा गया है कि करीब करीब आधे तो ऐसे लोग हों जो दस साल गवर्नमेंट सरविसेज में रहे हों, जिनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा हो और बाकी और हो सकते हैं। अब जिनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा अब तक रहता था वह एक खास किस्म का तजुरबा रहा, वह एक खास किस्म के लोगों को भरती करने की काब्लियत रखते हैं। लेकिन क्या वह बदले हुये जमाने में उस तरह के नये लोगों के चुनने की काब्लियत रखते हैं जिनकी अब जरूरत है?

इसलिए कांस्टीट्यूशन में दिया गया है कि आधे लोग नान-आफिशियल होंगे। यह लफ्ज नहीं है, लेकिन यह कहना कि आधे करीब करीब, "ऐज मैनी ऐज हाफ" उसके माने यह हैं कि बाकी नान-आफिशियल होंगे। अब जब कि हमारे सूबे के पबलिक सर्विस कमीशन में ३ हैं, ज्यादा मुनासिब होगा कि काम भी बढ़ गया है, उनके ऊपर बोझ भी ज्यादा है तो आधे से ज्यादा सर्विसेज के आदमी उसमें न हों, जैसा कि इस वक्त है। क्योंकि वह जो दूसरे आधे होंगे उनमें अहमियत और काब्लियत होनी चाहिए कि सर्विसेज में जिस तरह के नये आदमियों की जरूरत है उनको चुनने की उनमें काब्लियत हो। इस लिए मेरा यह सुझाव है कि आधे आपके नान आफिशियल भी इसमें हों तो ज्यादा मुनासिब होगा। कांस्टीट्यूशन में यह भी दिया हुआ है और सही दिया हुआ है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक आदमी हो गया तो वह फिर चेयरमैन हो सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकता है, लेकिन सरकार की किसी और नौकरी के काबिल वह नहीं रह जाता। क्यों? इसलिये की गवर्नमेंट के हाथ में उसको कोई लालच देने को बाकी न रह जाय। वह इस खयाल से न हो कि एग्जिक्युटिव कोई लालच देकर कोई गलत काम करा सके। इसलिए उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गयी है। इसका दूसरा पहलू क्या यह नहीं हो सकता कि रिटायर्ड आदमियों को भी

पब्लिक सर्विस कमीशन में न रखा जाय, क्योंकि बाद में लालच देना या पहले देना, दोनों गलत चीज हो सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि पब्लिक सर्वेंट जिनकी ६साल मियाद रह जायं, क्योंकि ६ साल तक ये रह सकते हैं या ६० साल की उम्र तक रह सकते हैं, तो जिनके ६ साल रह जायं वह कहीं से सिलेक्ट करके भेज दिये जांय और ६ साल के बाद रिटायर्ड हों, जैसा कि दूसरे मुहकमें में रिटायर होते हैं। उनके लिए यह प्राइज पोस्ट के तौर पर न रह जाय कि उनको इनाम के तरीके पर पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटायर होने के बाद चुना जाय। अगर यह हो जाय तो वह इस उम्मीद पर कि वह कोशिश करके पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर हो सकता है या खुशामद करके हो सकता है, नहीं रहेगा।

मेरा हरगिज यह मतलब नहीं है कि कोई ऐसा हुआ हो। मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल की बात कह रहा हूं कि इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में न हो और अगर कोई ४६ साल की उम्र में पब्लिक सर्वेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन में ५–६ साल के बाद रिटायर कर जाय तो बहुत मुनासिब होगा और लोगों को यह खयाल होगा कि यहां करप्शन नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर अप्वाइन्टमेंट में भी गलतफहमी हो जाय तो कहां जाकर हमारी नाव रुकेगी यह कहना मुश्किल है। फिर तो यह जो खयाल है जो कि पुलिस स्टेटस में आम तौर से था कि सिफारिशों से काम होता है इस खयाल को हम अभी तक दूर नहीं कर पाये। अब भी यह खयाल लोगों के दिमाग में है कि नौकरी बगैर सिफारिश के नहीं मिल सकती। कहीं भी जाइये हर महकमे में यही चीज दिखलायी पड़ती है। बल्कि दूसरे लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि मकान नहीं मिल सकता और भी चीजें नहीं मिल सकतीं। ऐसी दल दल में आज हम फंसे हुये हैं और इस दल दल से हमें निकलना है। हमारी बदकिस्मती यह है कि कहां तो आज हमारी सर्विसेज के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई है और ज्यादा और अच्छा और बड़ा काम करने की जरूरत है और कहां यह है कि जो लोग देखते हैं वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पब्लिक सर्विसेज का स्टैन्डर्ड और इंटीग्रिटी घटती जा रही है। मैं यह चीज, प्लानिंग कमीशन ने जिसको आमतौर से मंजूर कर लिया था वही यहां पर बयान कर रहा हूं किसी बाजारू गप से नहीं कह रहा हूं। यानी प्लानिंग कमीशन ने इस बात को माना कि सर्विसेज की एफीशियेन्सी और इन्टीग्रिटी कुछ घटती जा रही है। यह हमारे लिये कुछ अच्छी बात नहीं है। कहां तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी, काम हमारे ऊपर ज्यादा और स्टैंन्डर्ड हमारा गिरता जाय यह हमारे लिये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर प्लानिंग करनी है तो उसके लिये आनेस्ट और एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज की जरूरत होगी। इस लिये इस खयाल को दूर करने की जरूरत है और इसके लिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के सब सदस्य चाहे वे मामूली सदस्य हों, विरोधी दल में हों, चाहे ट्रेजरी बेन्चेज में हों अगर सब कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है कि हम उस तरफ एक कदम बढ़ा सकेंगे। बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गयी है और अगर हम सिफारिशें कर करके यह इम्प्रेशन क्रियेट कर दें कि बगैर सिफारिश के कुछ नहीं चलता तो उससे हमको आगे आने वाले जमाने में बहुत ज्यादा नुकसान होगा।

एक साहब जब नये-नये मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक पुराने ऐडमिनिस्ट्रेटर से पूछा कि क्यों भाई, लोग सिफारिश कराने के लिये आयेंगे तो क्या जबाव दें। तो उन्होंने कहा कि अगर सच–सच कह देंगे तो तुमसे लोग नाराज हो जायेंगे यह कह दिया करो कि "आल राइट, आई विल सी टु इट, आई विल डू माई बैस्ट"। यह कहां का उसूल है? अगर एक साहब आये और कहें कि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा लड़का एपियर हो रहा है, उसकी आप सिफारिश कर दें और यह कह दिया जाय और वह लड़का कहीं हो जाय तो वह चौपाल में बैठ कर कहेगा कि वाह, क्यों न होता, मिनिस्टर साहब ने सिफारिश करने के लिये कह दिया था, उस इम्पार्टेंट एम० एल० एज० ने सिफारिश करने के लिये कह दिया था.

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो अगर यह फिजां फैली तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन हम कहते यही हैं कि "आल राइट आई विल सी"। इस तरह से जो आज हम इस एटमासफियर को बनाने में मदद देते हैं कि हर काम सिफारिश से चलता है उसको मेरे खयाल में खत्म होना चाहिये और कोशिश होनी चाहिये कि यह कह दिया जाय कि भाई, अब सिफारिशों का काम नहीं है, यह चीज नहीं चलेगी।

अब तक सिविल सर्विसेज के ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसको ही निभाने में अगर उनको दिक्कतें पड़ रही हैं तो आगे जो और जिम्मेदारी आयेगी वह कैसे निभा सकेंगे, यह सवाल हमारे सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक सर्विस के एप्वाइंटमेंटस में, उसके इम्तहानों में हमेशा यह खयाल रखा जायगा कि जनता पर यह असर पड़े कि अब सिफारिशों से काम नहीं चलता। मैं तो एक कदम और भी आगे जाऊंगा कि लोकल बाडीज में भी जिस तरह से आज कल रेक्रूटमेंट हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी अगर सिफारिशों का यह सिलसिला खत्म हो जाय तो अच्छा हो।

एक बात मैं कह कर बैठना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिटायर्ड आदमी होते हैं उनको एक और फायदा है कि उनकी पेन्शन बदस्तूर और तनख्वाह उतनी ही जितनी कि नान-आफिशल्स को। अगर यह तजवीज मेरी मान ली जाय कि जिसको ६ साल सर्विस के रह गये हों उसको वहां भेजा जाय तो यह चीज नहीं होगी। वरना दिक्कत यह है कि रिटायर्ड आदमी की पेन्शन वैसी की वैसी और तनख्वाह उतनी ही जितनी कि एक दूसरे आदमी की जो अपनी प्रेक्टिस् छोड़ कर आता है, तो यह चीज कोई मुनासिब नहीं है। इस तरह से अगर इन उसूलों को खयाल में रख कर इस फिजां को अगर हम दूर कर सकें कि सिफारिशों का जमाना अब नहीं रहा, अब मेरिट से और काबिलयत से भरती होगी तो बहुत बड़ा कदम हम आगे उठायेंगे और जिस तरह का मुल्क हम बनाना चाहते हैं उस तरफ जाने में हम कामियाब होंगे। मैंने जो २—३ सुझाव दिये हैं मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान देगी।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब हमारे सामने जो बहस आज पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्टस पर हो रही है मैंने भी उसे सुना। यह सच है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट यहां पर हमारे सामने पेश हुई है शायद वह इस भवन की मौजूदा जिन्दगी में पहली दफा आई है और काफी देर से आयी है। हालांकि कांस्टीटयूशन में इसकी पाबंदी के अन्दर बतलाया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट साल ब साल गवर्नर, राजप्रमुख तथा प्रेसीडेंट को जैसा कि मामला हो, पेश की जाय और यह इसलिये रखा गया है कि उस पर जल्द से जल्द बहस हो सके और आम लोगों का नुक्ते नजर गवर्नमेंट के सामने आ सके उसके मुताल्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट का रिश्ता रेगुलेट किया जा सके।

मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा से इसकी रिपोर्ट वक्त पर आयेगी और गवर्नमेंट इस सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखेगी कि वह अपनी रिपोर्ट वक्त पर भेजेगा ताकि उसका वक्त पर कंसीडरेशन हो सके, क्योंकि मामला खटाई में पड़ गया तो फिर कोई फायदा नहीं हो सकता है। मुझे १९५०—५१ और १९५१—५२ की रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे बड़ा अफसोस हुआ और वह यह है कि कमीशन ने इस सिलसिले में इस बात का शिकवा किया है कि पब्लिक सर्विसेज में जो लोग उम्मीदवार आते हैं उनका स्टैन्डर्ड आफ जनरल नालेज दिन ब दिन गिरता जा रहा है। यह बात हम सब के लिये बड़े दुख की है और उसकी तरफ काफी तवज्जह देनी है। मैं तो यह चाहूंगा कि हमारा महकमा तालीम खासतौर से नोटिस ले और इस बात की कोशिश करे और स्टैन्डर्ड को ऊंचा उठाने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या मिनीमम स्टैन्डर्ड कायम करने के लिये जरूर कुछ न कुछ करना चाहिये, वरना मुझे अंदेशा है कि कुछ अर्से के बाद हमारे पास जो इसकी रिपोर्ट आयेगी वह इससे भी ज्यादा मायूस होगी ।

एक मर्तबा एक ग्रेजुएट जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गया था उससे सवाल किये गये । उनमें एक सवाल यह भी था कि पाकिस्तान का गवर्ननर जनरल कौन है तो उसका जो जवाब था वह बड़ा दिलचस्प जबाव था । उसने जबाव दिया कि श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम हैं । मुझे ताज्जुब है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में या हमारे कालेजेज में अब भी ऐसे तालिबेइल्म मौजूद हैं, जिनकी इतनी भी पब्लिक नालेज नहीं है । ऐसे तालिबेइल्मों को यह मौका मिले कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पहुंचे और शायद ऐसा मौका भी मिल जाय कि वह सिलेक्शन में ले लिये जायं तो वह आइन्दा हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर बनें । यह हंसी की बात नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस है, और मैं गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूंगा कि वह इस सिलसिले में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करे ।

पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो शिकवा और शिकायत की है उसमें एक कदम और आगे बढ़ा है । उन्होंने न सिर्फ शिकायत महकमे तालीम से की है बल्कि एक शिकायत यह है कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स है वह स्टैंडर्ड को कीप अप नहीं करते हैं, बल्कि लोअर करने में मदद लेते हैं । यह बात तो बहुत ही सीरियस है और मैं गवर्नमेंट से ख्वाहिश करूंगा कि वह इसको देखे और इसका नोटिस ले और गवर्नमेंट को इस चीज को रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये ।

इसी पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में एक जगह पर मैंने यह चीज भी पढ़ी कि इंजीनियर्स के सेलेक्शन के सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ सिफारिशें तथा अपने प्रपोजल्स भेजे थे । उनमें एक यह भी था कि कम्पल्सरी ग्रुप के पर्चे में हिन्दी को रखा जाय, लेकिन गवर्नमेंट ने और चीजों को तो मान लिया लेकिन इस चीज को एप्रूव नहीं किया । मैं समझता हूं कि हिन्दी पढ़ने की हमें पाबन्दी हो गई है और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि अभी टेक्निकल नौलिज हिन्दी में नहीं आई है और अगर इसकी शुरूआत यानी बिगनिंग नहीं की जायगी तो यह चीज इसी तरह से चलती रहेगी और अफसरान भी इस तरफ रागिब नहीं होंगे कि वह हिन्दी को अच्छी तरह से सीख सकें ।

पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बात की तरफ तवज्जह दिलाई है । उन्होंने यह कहा है कि हमारा काम साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है । और इसके सिलसिले में उन्हें इम्तहान के लिये काफी जगह की जरूरत होती है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिनेट हाल भी उनको नहीं मिलता है और कोई जगह इम्तहान लेने के लिये इन्तजाम नहीं किया गया है तो ऐसी सूरत में उनकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा हाल बनाकर उनको दिया जाय, जिसमें एक हजार उम्मीदवार बैठ कर इम्तहान दे सकें । मैं समझता हूं कि उनका यह प्रपोजल और उनकी यह मांग बिलकुल सही है । अगर हम चाहते हैं कि सही तौर पर इम्तहान हो और एफीशिएन्टली इम्तहान हो और सही तारीके पर काम हो तो हमें उनकी मांग को पूरी करनी चाहिये क्योंकि यह प्रपोजल तीन साल पहले किया गया और पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट के जरिये से बहुत इमारतें बनती जाती हैं । अगर हम उनका यह प्रपोजल मान लें और उनके लिये एक ऐसा हाल बनाकर उनको दे दें कि जिसमें एक हजार लड़के बैठ कर इम्तहान दे सकें तो यह उनका एक बिलकुल सही प्रपोजल होगा ।

जनाबवाला, पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक चीज की तरफ और भी हमारी तवज्जुह दिलायी है और वह यह है कि पिछले गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में तो इन इम्तहान के मुताल्लिक पूरी हिदायत दी हुई है और उसकी दफा २४१ में जनरल प्राविजन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट

[श्री सुल्तान आलम खां]

एन्ड कन्डीशन्स आफ सर्विस के मुतालिलक दिया हुआ था, लेकिन हमारे इस कांस्टीट्यूशंस में इस बात को लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि लेजिस्लेचर अपने यहां से इन चीजों को पास करें, ताकि वह पब्लिक सर्विस कमीशन को गाइडेन्स के लिये हो सके। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमारा लेजिस्लेचर इस किस्म के कानून को जल्द से जल्द पास करे, ताकि उसके मातहत पब्लिक सर्विस कमीशन को गाइडेन्स के लिये मौका दे और सर्विसेज के लिये जो रूल्स वगैरह बने हुये हैं उनको फिर बनाने में मदद मिले। हमें इस बात का मौका है कि हम तमाम चीजों को दोहरायें और इस पर गौर करें कि जो हमारी कन्डीशन्स और रूल्स सर्विसेज के बारे में हैं उनके बारे में अगर कोई तरमीम हो सकती है इस लिये कि ज्यादातर रूल्स वह हैं जो अंग्रेजी सरकार के जमाने के बने हुये हैं उस गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के मातहत बनाये गये हैं जो कि अब आउट आफ डेट हो गये हैं। अब इस बात की जरूरत है कि हम "नये रूल्स बनाने की तरफ" जवज्जह करें और जब तक ऐक्ट लेजिस्लेचर के जरिये से पास न हो तब तक एफीशियेन्टली इस काम को नहीं कर सकते। जो हमारे एकाउन्ट के रूल्स हैं वह बहुत पुराने बने हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि हमारे पास अकाउन्ट्स के रूल्स नहीं हैं तो उनके रूल्स बनने चाहिये। बहुत सी हमारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके रूल्स साथ-साथ बनाये जा सकते हैं और जिनके इम्तहान भी साथ-साथ हो सकते हैं और जिनके जरिये से किफायतशारी भी हो सकती है और सर्विसेज भी एफीशियेन्ट हो सकती हैं, मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो यह प्रपोजल दिये हैं यह जाहिर है कि वह प्रपोजल इस खयाल से नहीं दिये हैं कि जिसमें कोई ऐडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट पर एतराज हो, इसलिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक एडवाइजरी बाडी है और वह गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। जहां तक हो सके गवर्नमेंट को उसको मानने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि वह प्रपोजल जो हमारे सामने रखे गये हैं वह इस काबिल हैं कि उन पर गौर किया जाय। मैं आगे और ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही अर्ज करके बैठ जाता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को वक्त पर रिपोर्ट सालाना के भेजने की कोशिश करनी चाहिये, ताकि वह वक्त पर हाउस में आ जाय और हम लोग उस पर गौर कर सकें और वक्त पर गौर के साथ कोई अपनी राय दें सकें और उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो सके तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत जोरदार शब्दों में हमारे तिवारी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया है। इसके अतिरिक्त बहुत गौर के साथ मैं उपाध्यक्ष जी के व्याख्यान को भी सुनता रहा। थोड़ी देर तक तो वे अच्छी तरह से बोलते रहे लेकिन बाद में वे जल्दी-जल्दी बोलने लगे। अगर मैं इधर से उठकर उधर जाकर बैठ जाता हूं तो यह होता है कि बीच में इधर से उधर आते जाते रहते हैं और अगर न उठूं तो स्पीच को अच्छी तरह से सुन नहीं पाता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आयन्दा से वे तथा कुछ और माननीय सदस्य भी रुक-रुक कर बोलें तो साफ सुनाई दे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण जरा धीरे रुक-रुक कर बोलेंगे तो सुनने और समझने में आसानी होगी।

माननीय तिवारी जी ने बहुत सी कानून और कायदे की बातें कीं और बाल की खाल निकाली। मैं उनको इस बाल की खाल निकालने पर मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम अपने मामले को अच्छी तरह पेश किया। लेकिन मेरी प्रार्थना उनसे यह है कि अगर कायदे और कानून से काम किया जाय तो मामला चौपट ही हो जाय। कानून कायदा से तो एक इशारा होता है, उनके द्वारा हमें काम करने के लिये एक मदद मिलती है, काम में सहायता मिलती है, लेकिन अगर हम कानून को पकड़ कर ही रह जायं तो वह काम भी खराब हो जायगा। कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां कानून की अत्यन्त आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब कि हमें दूसरी ही प्रकार से काम करना पड़ता है। मान लीजिये कि कहीं पर बाढ़ आ गयी और लोग भूखों मर रहे हैं और कानून के अनुसार बगैर मंजूरी के रुपया खर्च नहीं किया जा सकता। तो अगर फौरन रुपया खर्च नहीं किया जाता और मंजूरी आने की प्रतीक्षा की जाती है तो हजारों

लोगों के भूखों मरने का अंदेशा होता है। अब हमें देखना यह चाहिये कि अगर कोई काम जान-बूझ कर बेकायदा किया गया है अपनी पार्टी या निजी स्वार्थ के लिये किया गया है, तब तो हम को उसकी शिकायत होनी चाहिये और वह शिकायत जायज भी है। आप सभी लोग देखते हैं कि जो कानून खराब हैं उनको बदलने के लिये ही हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं कि अगर किसी कानून की शिकायत है तो उसको चेंज कर दें।

अभी-अभी आपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव के सिलसिले में उसको ठीक बात न समझते हुए भी प्रजा सोशलिस्ट वृन्द सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे पब्लिक ओपीनियन उनके माफिक कैसे होगी। आज हम उनसे यह पूछना चाहते हैं।

अब गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि लड़के जिस दर्जे में इम्तहान देते हैं उनके पर्चों का उनको पता लग जाता है कि वे कहां गये हैं और फिर वहां पर सिफारिश पहुंचायी जाती है। हजारों लड़के इसी प्रकार से पास होते हैं। इसलिए दर्जा पास होने के बावजूद हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन में फिर उनका इम्तहान हो। ताकि धोखाधड़ी से सार्टिफिकेट हासिल करने वाले नाकाबिल लोग वहां न आने पायें।

दूसरी बात यह है कि यही बात काफी नहीं है कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग सिफारिश न मानें। हमें खुशी है कि हमारे आफीसरान बहुत अच्छे हैं और सिफारिश नहीं मानते, लेकिन यही काफी नहीं है उनको यह भी करना चाहिये कि जिसका टेलीफोन जाय, जिसकी चिट्ठी जाय उसके लिये यह प्रकाशित किया जाय कि फलां-फलां आदमी ने फलां-फलां की सिफारिश की। अगर ऐसा हो जाय तो मैं समझता हूं कि सिफारिशें रुक जायेंगी। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि सर्विसेज में अच्छे आदमी हों, लेकिन दूसरी तरफ लोग यह भी चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और दोस्त लोग भरती हो जायं। जब स्पीच का मौका आयेगा तो स्पीच तो बहुत अच्छी देंगे, लेकिन जब काम पड़ जायगा तो स्पीच जाने कहां चली जायगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, हमारी सर्विसेज अच्छी हों तो हमें भी अच्छा बनना पड़ेगा। इसलिये हमें ऐसे ऐसे रूल्स बना देने चाहिये कि अगर कोई आदमी सिफारिश करता है तो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो उसके लिये लिखकर भेज दिया जाय कि फलां-फलां आदमी ने फलां-फलां आदमी की सिफारिश की। मैं समझता हूं कि इसके लिये इतना ही काफी होगा और अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो करप्शन दूर हो जायगा तथा हमारी जो दिक्कतें हैं वे भी दूर हो जायंगी।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि मौजूदा सदन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और शासन के स्मृति-पत्रों पर विचार कर रहा है। जिस देरी से यह विचार हुआ इसके लिये खेद तो सभी को होना चाहिये, लेकिन आज हमें संतोष भी है जब कि आज अपनी मेज पर सन् ५२-५३ के स्मृति-पत्र को जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है देखता हूं और साथ ही जब हमको पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सन् ५२-५३ की मिली है। लेकिन शासन के स्मृति-पत्रों और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को देखने के बाद हम इसी नतीजे पर आते हैं कि शासन और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच गम्भीर मतभेद है। अब हमें देखना है और इसका निर्णय यही सभा कर सकती है कि सरकार ठीक रास्ते पर चल रही है या पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक रास्ते पर चल रहा है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर शासन में त्रुटियां होती हैं वहां मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी त्रुटियां हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात ऐसी नहीं दोहराऊंगा जो कि हमारे साथियों ने अभी यहां कही हैं। लेकिन जहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

तक आयोग का प्रश्न है, मैं यह कह देना चाहता हूं कि कुछ शब्दों का प्रयोग कमीशन की तरफ से किया गया है। यह कमीशन को अधिकार है यदि सरकार या कोई संस्था या कोई व्यक्ति उसके अधिकारों पर आघात करता है तो कमीशन अपनी रक्षा कर सकता है और उसके लिये प्रोटेस्ट प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब सरकार ने डेवलपमेंट कमिश्नर के निजी सहायक की नियुक्ति के लिये सिफारिश की तो कमीशन ने उसकी विशेष योग्यता को देखते हुए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग कमीशन की तरफ से किया गया उन पर मैं विशेष आपत्ति प्रस्तुत करता हूं और वह आपत्ति यह है कि कमीशन को अधिकार था कि वह सरकार का ध्यान आकर्षित करता कि वह किसी तरह से संविधान का उल्लंघन न करे और किसी तरह से उनके अधिकार पर आघात न करे, लेकिन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो कि पृष्ठ १३ पर है, सरकार को चेतावनी भी दी है। जो सरकार को चेतावनी दी गयी है वह तीन चार शब्दों में ही है। वह यह है—"तथा चेतावनी दी कि ऐसी भूलें भविष्य में न हों।" यह उनको अधिकार था लेकिन अधिकार दूसरे रूप में था। पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी संस्था है जो कि सरकार के अन्तर्गत ऐडवाइजरी बाडी के रूप में है। साधारणतः उनकी सिफारिशें मानी जाती हैं और माननी चाहिये, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार को चेतावनी देने का मैं समझता हूं कि कोई अधिकार नहीं था। मैं माननीय पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में अगर कोई अपनी रिपोर्ट वे प्रस्तुत करते हैं तो कम से कम उसके शब्दों को देखें जो कि उसमें लिखे जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि इसके पहले कि मैं सरकार की आलोचना करूं मैं एक बात कमीशन के संबंध में और कह देना चाहता हूं और वह बात कह कर मैं कमीशन की आलोचना समाप्त कर दूंगा। सन् १९५१–५२ की रिपोर्ट जो कमीशन की है उससे पता लगता है कि सरकार ने १९ डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति के लिये विज्ञापन कराया जिसमें ५ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्व थीं। कमीशन ने ६ उम्मीदवार छांटे और सरकार को सिफारिश की कि नम्बर १ से ५ तक के उम्मीदवार जो हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ से डिप्टी कलेक्टर बनाया जाय, सरकार के पास वह रिपोर्ट आती है और जब वह देखती है कि नं० १ का जो उम्मीदवार है वह शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं है तो सरकार ने कहा कि इस नं० १ को न लेकर नं० २ से नं० ६ तक के जो पिछले ५ उम्मीदवार हैं उनको ले लिया जाय। कमीशन ने इस बात पर आपत्ति की और सरकार को दुबारा लिखा कि ६ठे को न लेकर जो फर्स्ट है उसी को लेना चाहिये। मुझे खेद है कि बड़े-बड़े विद्वान वहां के माननीय सदस्यगण हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकार को लिख दिया कि पहले वाले को लिया जाय, हालांकि सरकार ने लिख दिया था कि जो पहले नम्बर का आदमी है वह शिड्यूल कास्ट का नहीं है। इस तरह से कमीशन को न करना चाहिये था। सरकार ने यह भी लिखा था कि सरकार की नीति है कि शिड्यूल कास्ट को संरक्षण दिया जाय और उसकी पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि नम्बर १ को छोड़कर छठे को लिया जाय, छठे लड़के के लिये सरकार की तरफ से यह दलील भी दी गई कि उसके पांचवें लड़के से कुछ ही नम्बर कम हैं और अगर बाद में परीक्षण काल में वह अपने को सफल सिद्ध नहीं करेगा तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन कमीशन ने जिद्द की, चाहे यह उनकी सिफारिश हो या जिद्द हो सरकार ने उसको नहीं माना और उनकी सिफारिश को ठुकरा दिया। साधारणतः तो सरकार उनकी सिफारिशों को मंजूर ही करती है और मैं समझता हूं उसे मंजूर करना चाहिये और अगर वह उन की सिफारिशों को मंजूर नहीं करेगी तो जनता उसकी आलोचना कर सकती है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि विशेष परिस्थिति में जो कुछ सरकार ने किया वह ठीक ही किया। यह मैंने एक उदाहरण दिया कि कभी-कभी गलतियां कमीशन के द्वारा भी हुई हैं। आज हम यहां सरकार की सराहना और आलोचना जहां कर रहे हैं वहां हम पब्लिक सर्विस कमीशन की भी टीका-टिप्पणी कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमारी इस आलोचना और टीका-टिप्पणी से सरकार और कमीशन दोनों ही गाइड होंगे।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा सरकार से भी कहना चाहता हूं कि नियुक्तियां कराते समय सरकार को देखना चाहिये कि हमारे प्रदेश में जिस प्रोसीजर से नियुक्तियां हो रही हैं, उसके बारे में जनता के दिमाग में यह चीज है और यह आवाज हमें सुनने को मिलती है कि नियुक्तियों के संबंध में शासन के मस्तिष्क में स्थिरता होनी चाहिये। इस संबंध में मैं दो मिसालें इसी रिपोर्ट से दूंगा। जब सरकार ने कमीशन को आर्डर या सिफारिश की कि अमुक डिप्टी डायरेक्टर आफ पंचायत को रख लिया जाय तो कमीशन ने यह कह दिया कि इसका विज्ञापन होगा और अगर अमुक व्यक्ति जिसको आप रखना जाहते हैं योग्य समझा जायगा तो जरूर लिया जायगा, लेकिन जब सरकार के पास ऐसा जवाब आया तो सरकार ने कमीशन को लिख दिया कि आप जो विज्ञापन की कार्यवाही कर रहे हैं या जो प्रबन्ध सेलेक्शन का हो रहा है उस को बन्द कर दिया जाय, अब हम बाहर से किसी को नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, जो कुछ सरकार ने विशेष परिस्थितियों में किया ठीक किया। मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन सरकार को समझना चाहिये कि एक बार उस ने कमीशन को लिखा कि अमुक व्यक्ति को लिया जाय और कमीशन ने विज्ञापन की बात की तो फिर सरकार ने जिद्द की जैसा कि शब्दों से प्रतीत होता है। हो सकता है कि सरकार ने किन्हीं खास परिस्थितियों में ऐसा किया हो, लेकिन साधारण जनता तो इस बात को नहीं समझती, जिसकी जानकारी इस विषय में नहीं है। हमें तो उस जनता को विश्वास दिलाना है अगर यह वाकयात जनता के सामने जाते हैं तो देखना यह है कि वह इसका क्या मतलब निकालेगी, वह तो यही मतलब निकालेगी कि सरकार एक अमुक व्यक्ति को रखना चाहती थी, कमीशन ने नहीं माना, इसलिये सरकार ने कमीशन को रोक दिया। अब चूंकि समय अधिक नहीं है मैं और केसेज नहीं बताऊंगा। यह मैंने उदाहरण के लिये आपके सामने प्रस्तुत किया और इसी को देकर मैं इस प्वाइन्ट को समाप्त करता हूं।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं हालांकि कुछ हद तक दूसरे विभागों के बारे में कहा गया है, लेकिन मैं उसी विभाग को लूंगा जिसके बारे में किसी माननीय साथी ने नहीं कहा है। सन् ४७ के बाद मैं ने देखा कि एक्साइज विभाग में कम से कम ७० एक्साइज इंस्पेक्टर लिये गये, जिनमें से ४० ऐसे थे जिनके पास रिक्विजिट योग्यता भी नहीं थी, उम्र में भी ज्यादा थे और शिक्षा भी इंटरमीडिएट की नहीं थी, लेकिन फिर भी कमीशन ने लिखा है कि शिथिलता क्यों बरती गई और उम्र और शिक्षा की जो शर्त थी उसमें ढील क्यों की गई, इसका जवाब एक्साइज कमिश्नर ने नहीं दिया। बाद में उन्होंने फरमाया कि उनको घटाने की जरूरत नहीं है मुमकिन है निकट भविष्य में हम इनको निकाल दें। लेकिन आज तक वह एक्साइज इंस्पेक्टर्स चले आते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां ७०-७० उम्मीदवार हों वहां जिनमें न शिक्षा की योग्यता हो और अवस्था भी ज्यादा हो तो कैसे ले लिये जाते हैं। मैं इस तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे ऐसे विभागीय अध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही करें जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें हों, क्योंकि वे जब कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं उन पर ध्यान देते हैं तो ऐसी कार्यवाही भी होनी चाहिये, जिससे जनता का हमारी सरकार में विश्वास हो।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के चीफ इंजीनियर ऐलेक्ट्रिसिटी की नियुक्ति होने वाली थी। कमीशन ने दो व्यक्तियों की सिफारिश की। एक व्यक्ति आउटसाइडर थे और दूसरे स्थानीय। मैं आउटसाइडर का मतलब समझता हूं इस प्रदेश के बाहर का आदमी। हमारी सरकार ने नम्बर दो वाले को ले लिया और नम्बर १ को नहीं, क्योंकि वह बाहरी था। मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी के तर्क से सहमत हूं कि बाहरी आदमी होने के नाते कम से कम लिखित रूप में तो यह नहीं कहना चाहिये था कि चूंकि बाहरी आदमी है इसलिये नहीं लिया गया। आर्टिकल १६ संविधान का है वह कहता है:--

> "केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जयगा।"

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

तो मैं समझता हूं कि सरकार की पालिसी होनी चाहिये कि हमारे प्रदेश वालों को स्थान होना चाहिये, लेकिन अगर हमारे प्रदेश के लोग छंट जाते हैं तो दूसरे प्रदेशों के आदमियों का भी ख्याल हमको करना चाहिये, लेकिन इस तरीके से आउटसाइडर होने के नाते लिखित रूप में यह चीज आ जाय यह ठीक नहीं है। जो संविधान है उसका कम से कम इससे उल्लंघन होता है।

कल माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता क्या है ? रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् १९५१-५२ में १२७ सिटिंग्ज हुईं और करीब-करीब ६० दिन इम्तहान हुए। बम्बई प्रदेश में इसके मुकाबले में ५१-५२ में १९७ बैठकें हुईं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां खर्चा करीब साढ़े चार लाख है, जब वहां ढाई लाख के करीब है। तो जो काम होता है वह आम तौर से नीचे के स्टाफ से होता है। अगर काम का बोझ अधिक है तो स्टाफ बढ़ाया जा सकता है न कि सदस्यों को। मैं तो समझता हूं कि हमारे देश में बम्बई की मिसाल को छोड़ दीजिये लेकिन कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां दो सदस्यों से ज्यादा हों।

मैं एक सुझाव और दे देना चाहता हूं कि जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हो तो कम से कम उनसे यह रिक्वेस्ट की जाय कि डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिये कि कितने प्रार्थना-पत्र आए, कितनों को लिया गया, कितने सेकिंड डिवीजनर्स थे, कितने फर्स्ट डिवीजनर्स थे, कितने की तरक्की हुई थी, कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे, कितने सवर्ण थे और यह और भी जरूरी है। अभी सरकार को जरूरत नहीं है कि बैकवर्ड क्लासेज की संख्या कितनी है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि समय आने वाला है जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को या हमारी सरकार को यह पता अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक साल में पता लगाया कि कितने बैकवर्ड क्लास के हैं। सरकार को यह भी मालूम करना चाहिये कि कितनी संख्या बैकवर्ड क्लास की है। कमीशन उनकी संख्या नहीं देता। बाद में सरकार को काफी कष्ट होगा। कष्ट इस प्रकार का होगा कि उन्हें अपने विभागीय अध्यक्षों से कहना होगा कि इसको तलाश करें। काफी समय खर्च होगा। रुपया खर्च होगा। उस पर अभी से तैयारी होने लगे तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, इस रिपोर्ट पर कल से विवाद चल रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना क्यों होती है हम सब लोग इसमें एकमत होंगे कि तमाम सरकारी नौकरियों में पक्षपात, कुनबापरस्ती, राजनैतिक दलबन्दी के आधार पर नियुक्तियां न हों और जो राजकीय सेवाएं हैं उन पर अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, कुशल व्यक्ति छांट कर रक्खे जायं, जिनके बारे में किसी को शक व शुबहा न हो। श्रीमन्, हमने बहुत ही गम्भीरता के साथ गत वर्षों ५०-५१ और ५१-५२ की रिपोर्ट को देखा है। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस रिपोर्ट को शांत चित्त और गहराई से अध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पर जरूर आयेंगे कि जिन सेवाओं और पदों पर आज नियुक्तियां हो रही हैं उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बिलकुल निष्पक्ष भाव से नियुक्तियां हो रही हैं। मैंने एक पूरा ब्यौरा इन दोनों रिपोर्ट्स पर तैयार किया है। अगर उन पन्नों को खोल कर देखा जाय तो हर जगह कमीशन की ओर से शासन की गतिविधि पर आपत्ति उठाई गई है और जो चीज जवाब में हम लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है उसका भी अगर अवलोकन किया जाय तो भी कमीशन के द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान समुचित रूप से नहीं होता। अगर पहला ही पेज देखा जाय तो जो परिस्थिति स्तर की है उसका वह दिग्दर्शन कराता है। स्तर के बारे में कमीशन ने यहां तक लिखा है कि नैतिकता व कार्यकुशलता का पतन हुआ है। सरकार की ओर से यह बात कही जा सकती है कि यदि परीक्षा देने वालों में या जिनकी साक्ष्यता होती है कमीशन के सामने उन लोगों में नैतिकता व कार्यकुशलता की कमी है तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे होती है। मैं

निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रांत के विद्यार्थियों में, प्रांत की नियुक्तियों में, प्रांत के सामान्य नागरिकों में नैतिकता व कार्यकुशलता की कमी होती है या उनका पतन होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर ओढ़ना चाहिये, क्योंकि सरकार आज शिक्षा के जिस ढांचे को चला रही है वह ढांचा ही ऐसा है जिसमें कि अच्छे, योग्य और कर्मठ देश के नागरिक पैदा नहीं हो पा रहे हैं। सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन की यह रिपोर्ट एक चुनौती के रूप में लेना चाहिये और सरकार को शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। जब मैं इस स्मृति-पत्र को देखता हूं तो मुझे यह बात कहीं भी दिखायी नहीं पड़ती कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नैतिक पतन और कार्यकुशलता के पतन की ओर संकेत किया गया है उस पतन के उत्थान के लिये सरकार की ओर से कौन सा कदम उठाया जाने वाला है। श्रीमन्, यदि नैतिक और कार्यकुशलता के पतन की बात को छोड़कर हम आगे चलें तो उस ओर भी अगर पेज तीन को देखा जाय तो उसमें शासन में और शासन के विभागों में अस्थायी नियुक्तियों पर, असाधारण समय में होने पर स्वीकृति की मांग और इसकी विषद व्याख्या की गयी है। इसके उदाहरण भी दिये गये हैं कि किस धांधली और किस मनमाने ढंग से ऐसी नियुक्तियां कर ली जाती हैं और ऐसे असाधारण विलम्ब के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति की मांग होती है। श्रीमन्, इसके बारे में भी स्मृति पत्र में जो सफाई दी गई है मैं सम्मानित सदस्यों और खासकर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बात वह समझते हों उसी को हमेशा सत्य के रूप में यदि समझाने की कृपा करेंगे तो ज्यादा अच्छा न होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस पर भी आपत्ति की है। यह हमारी आपत्ति नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन की आपत्ति है। अगर पेज चार को देखेंगे जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिन्दी को एक मान्य विषय के रूप में मानने की सिफारिश की है। हमने स्मृतिपत्र में इस बात को नहीं देखा कि सरकार इसकी तरफ क्या कदम उठा रही है। अगर इसी तरह से श्रीमन्, आज चाहे वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के निजी सहायक का मामला हो, चाहे वह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निजी सहायक के पद का मामला हो, यदि कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी जाय तो सब में असंगतियां पायेंगे और वह असंगतियां ऐसी हैं जो कि सरकार के ऊपर लांछन लगाती हैं। श्रीमन्, मैं नाम लेकर उदाहरण नहीं देना चाहता, वरना जिन पदों के बारे में, जिन सेवाओं के बारे में कमीशन ने संकेत किया है, यदि उन व्यक्तियों को सामने रख कर के देखा जायगा तो उनका रिश्ता किसी न किसी जिम्मेदार शासक से मिलेगा, श्रीमन्, दसवें पेज में सूचना विभाग में कई नियुक्तियां हुई हैं, जिसकी कहीं चर्चा नहीं की गयी और उस संबंध में जब कि कमीशन की ओर से उसके बारे में कुछ पूछा जाता है तो उत्तर भी नहीं दिया जाता। इसी तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी गवर्नमेंट हेंड मेड पेपर फैक्ट्री के मैनेजर के बारे में यहां पर संकेत किया था। उसके बारे में कमीशन ने जो आपत्ति की है वह केवल एक व्यक्ति की आपत्ति नहीं समझी जानी चाहिये बल्कि वह एक प्रणाली की आपत्ति समझी जानी चाहिये। एक मैनेजर के पद पर काम करने वाला व्यक्ति है। वह हटाया जाता है। उसके ऊपर खास गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं। मगर उस व्यक्ति को दूसरे बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। कमीशन कहता है कि यदि उसके पुराने लगाये हुये आरोप गलत थे तो उसको उसी पद पर रखना चाहिये था। उसकी पदोन्नति कैसे कर दी गयी। मगर यहां पदोन्नति कर दी गयी और उनको आकूपेशनल इंस्टीट्युट, लखनऊ के वर्कशाप सुपरिन्टेंडेंट के रूप में सुशोभित करा दिया गया। मामला तो एक, मगर इससे देखा जाय तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि यदि कोई शासन का कर्मचारी किसी गबन के मामले में, किसी हिसाब-किताब के मामले में या ऐसे किसी गम्भीर आरोप में किसी स्थान से हटाया जाता है और यदि वह किसी मंत्री विशेष या किसी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से संबंधित होता है तो उसके लिये नये नियम और नयी प्रणाली लागू कर दी जाती है और इतनी मनमानी की जाती है कि जो सामान्य नियम हैं उनकी कोई चिन्ता नहीं की जाती। जो आरोप हैं उनको गलत साबित करके उसको और ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर

[श्री राजनारायण]

दिया जाता है । श्रीमन्, १९४६ का मामला इस सदन में बार-बार उठा है । सन् १९४६ में जब नियुक्तियां हुयी थीं, उनमें एक व्यक्ति तो एल० टी० भी पास नहीं था, उसकी आयु भी निर्धारित आयु से कम थी लेकिन वह सहायक सुपरवाइजर, सेरामिक्स के रूप में रख लिया गया। कोई भी उत्तर सरकार की ओर से स्मृतिपत्र में नहीं मिला, उस व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे सम्मानित सदस्य उसको जानते भी होंगे और उसकी नियुक्ति क्यों हुयी थी यह भी उन लोगों को जानकारी होगी, न हो तो स्वतः कर सकते हैं और यह नाचीज राजनारायण से पूछना चाहेंगे तो यह भी करा सकता है । इसके पेज १५ पर जो एक हरिजन सहायक अधिकारी के पद पर जो एक गैर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति हुयी है उसके विषय में देखा जाय । कमीशन को आपत्ति थी, उसका क्या समुचित उत्तर सरकार की ओर से जाता है ? उत्तर देना तो एक बात होती है । कत्ल करनेवाला भी अदालत में जाकर अपनी सफाई देता रहता है । हमको वह परिपाटी नहीं चलानी चाहिये कि जब कि हम को सारे प्रान्त में एक स्वच्छ और सुन्दर ढांचा चलाना है, जैसा कि माननीय मोहन लाल जी गौतम ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य बनाना है । ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाना है और बना है, इन दोनों में बड़ा फर्क है । मैं उनकी बात को अच्छी तरह से सुन रहा था । उन्होंने कहा कि बनाना है तब तो मैं समझता हूं कि यह जो कार्य हो रहे हैं यह कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये अवांछनीय ही होंगे । कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये तो हमें इन तमाम बातों को विचार कर एक बढ़िया कदम उठाना पड़ेगा ।

श्रीमन्, १९४८-१९४९ में कृषि कालेज, कानपुर में प्रोफेसर की जगह के लिये पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये एक सरकारी कर्मचारी को अयोग्य घोषित किया गया, उसके मामले को पुनः शासन की ओर से विचार करने को भेजा जाता है । कोई उसमें कारण नहीं बताया जाता है कि इस व्यक्ति में क्या विशेषता है, लेकिन शासन की ओर से उसका मामला विचार के लिये पुनः भेजा जाता है और उसको हटाया नहीं जाता । कमीशन ने जब दुबारा लिखा कि नहीं वह अयोग्य है और उसको हटाया जाय, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और ऐसे लोग काम करते रहते हैं । १६ वें पेज में सबार्डिनेट एजूकेशन सर्विसेज में गवर्नमेंट नार्मल स्कूल्स के हेड मास्टरों का चुनाव हो चुका । १७ महीने के बाद कमीशन को यह मामला भेजा जाता है । साधारण तरीके से ६ महीने या साल भर का मामला तो समझ में आ सकता है । लेकिन यह १७ महीने का मामला शायद मुख्य मंत्री जी भी उचित न समझेंगे जैसा कि मैं समझता हूं। मैं माफ किया जाऊं, श्रीमन्, आप दो चार मिनट और बढ़ा दीजिये । श्रीमन्, इस रिपोर्ट का पेज १७ देखिये । उसमें लिखा है कि जो २१ दिसम्बर, १९४८ को बैठक हुयी थी और उसमें जिन नामों की सिफारिश हुयी थी उसकी सारी की सारी फाइल गायब हो गयी और उसके बाद २१ दिसम्बर, १९५० में जब फिर दूसरी बैठक ११ मार्च को हुयी तो कमीशन को यह बताया तक नहीं गया कि दूसरी बैठक हुयी थी और उसमें भी उन लोगों के नामों पर विचार हुआ था । तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सारी की सारी बातें आज पक्षपात के रूप में, कुनबापरस्ती के रूप में, दलगत राजनीति के रूप में होती चली जा रही है । मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने व्यक्ति विशेष के जो गुण हैं उनका परिचय दें और जब इस तरह की धांधली हो रही है और इस प्रकार की बातें हो रही हों उस समय उनको सुधारने की व्यवस्था करें वरना इस सदन में इस तरह से सफाई देने से काम नहीं चलेगा ।

कुछ लोगों को इनाम भी बांटा जाता है अच्छा काम करने के कारण, मगर वह इनाम बांटने की परिपाटी क्या है? अगर वह अफसर बढ़िया काम करेगा उसको इनाम मिलना चाहिये । मगर अपने किसी उच्च अफसर की गुड बुक्स में नहीं है । किसी निजी कारणवश तो उसका मामला गोल कर दिया जायगा । मैं यह भी चाहता हूं कि ऐसे मामले कमीशन के पास जाने चाहियें कि किन-किन लोगों को क्यों इनाम मिलता है । मुझे अभी रामनारायण त्रिपाठी जी

ने एक बहुत लम्बा पर्चा भेजा है जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों का वर्णन किया है कि कुछ ऐसे अफसरान जिनको कि समुचित रूप से पुरस्कार प्राप्त होना चाहिये था कायदे के मुताबिक मगर वह नहीं हो पाया है ।

श्रीमन्, इसी के साथ अब यह लाल बत्ती जल गयी है, जो हमारे कांस्टीट्यूशन में पब्लिक सर्विस कमीशन में एप्वाइन्टमेंट की बात है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आधे अफसरों की नियुक्ति करना तो हमारे कांस्टीट्यूशन में लिख दिया गया, मगर जो उसके आधे मेम्बरान हों वह कैसे हों, उन सदस्यों के लिये भी कोई ऐसी यहां पर व्यवस्था होनी चाहिये, जिनके ऊपर कोई उंगली न उठा सके । जिनके बारे में यह न कह सके कि चूंकि स्पीकर के पद से हटाये जाने वाले थे इसलिये इनको फलां स्थान दे दिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में । ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये । अगर इस तरह की धारणायें बनती जायंगी तो मैं श्रीमन्, यह निश्चित रूप में आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम निष्पक्षता की बात करते हैं सर्विसेज़ में वह नहीं हो पायेगी । माननीय रामनारायण जी की तरफ से एक मिसाल दी गई । कुछ अमरीका का हवाला दिया गया, इंगलैन्ड का दिया गया, फ्रांस का दिया गया । इंगलैन्ड और अमरीका के सिस्टम में बड़ा फर्क है, मगर ये हवाले दे करके हमारा काम नहीं चल सकता । "Do unto others what you would be done by" दूसरों से जिस तरीके का व्यवहार पाने की बात आप सोचें उसी तरीके का व्यवहार आप दूसरों के साथ करें । इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन में स्वच्छता हो और जो उसके सुझाव हों या नियम उपनियम हों उनको माना जाय ।

एक बात कमीशन ने और कही है अपनी रिपोर्ट में, कई ऐसी सेवायें हैं जिनके लिये कोई नियम ही नहीं बनाये गये, जैसे सबार्डिनेट इंडस्ट्रीज सर्विस, सबार्डिनेट जेल, केन ट्रांसपोर्ट और बस डिपार्टमेंट, राज्य विधान मंडल सचिवालय इन सब के बारे में हैं । इनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोई अभी तक समुचित नियम नहीं बन पाये हैं । ऐसे नियम बनने में क्यों देर होती है ? इनके बारे में भी होने चाहिये नियम और . . . . .

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धांततः सही है और इसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकती हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार जो हैं वे सुरक्षित रखे जायं और उनके अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा न आनी चाहिये और उनके अधिकारों का अपहरण करना यह सदैव के लिये हानिकारक प्रतीत होगा । मान्यवर वह हस्तक्षेप चाहे सरकार द्वारा हो, चाहे किसी विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा हो या किसी भी कोने से हो, कहीं से भी हस्तक्षेप किया वह सर्वथा अनुचित है । श्रीमन्, इसके साथ यह भी भूलना उचित न होगा कि बहुत सी परिस्थितियां हैं, जब कि सरकार कमीशन के अंतिम निर्णय के लिये अपने फैसले को रोक नहीं सकती है । यह भी सच है कि बहुत से टैम्पोरेरी अप्वाइन्टमेंट्स करने होते हैं और बाद को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास वह निर्णय भेजा जाता है और उनकी मंजूरी ली जाती है । यह कहना कि हर परिस्थिति में सर्विसेज के हाथ बांध दिये जायं जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन का फैसला न हो जाय, यह ऐडमिनिस्ट्रेशन में सम्भव नहीं है ।, मान्यवर, यह भी कहा गया है कि बहुत से केसेज में आयु का प्रश्न जो था या उसकी जो लिमिट थी वह भी वेव आफ कर दी गयी यानी वह नियम जिनका पालन करना आवश्यक था, अनिवार्य था, उनका भी पालन नहीं हुआ आयु के सम्बन्ध में । श्रीमन्, यह करना उचित न था परन्तु साथ ही साथ यह भी न भूलना चाहिये कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है या उसके बढ़ाने में कोई महान् आपत्ति न होनी चाहिये, क्योंकि यदि कोई पुरुष या कोई भी अधिकारी किसी विशेष योग्यता को रखता हो तो केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

इस आधार पर कि वह जो कैद बनायी गयी है उसके अन्तर्गत नहीं आता है या उसके जो नियम हैं उसके अन्दर नहीं आ पाता है महज इस बुनियाद पर उसको सर्विसेज से वंचित रखना मैं समझता हूं यह भी हानिकारक होगा।

आज पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार के सम्बन्ध में जो कुछ त्रुटियां इस सदन में बतायी गयी हैं उनसे इन्कार नहीं हो सकता और सरकार को सदैव यह स्मरण रखना चाहिये कि उसमें एक प्रकार का संतुलन होना चाहिये, इन दोनों विभागों में भविष्य में चलकर कोई ऐसी चीज, ऐसी परिस्थिति न उलझे जिससे कि सर्विसेज के सुचारु रूप से काम चलने में एक बाधा साबित हो। यही नहीं एक कठिनाई और भी है श्रीमन्, और वह यह है कि इंटरप्रीट करने में नियमों के रेगुलेशंस के या सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या अप्वाइंटमेंट या पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत होना चाहिये, इसमें भी बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यही नहीं कुछ नायब तहसीलदार जो कि पार्टीशन के बाद इस सूबे में आये उनका फैसला सम्भवतः आज तक भी नहीं हो पाया कि उनका अंतिम निर्णय सरकार द्वारा किया जायगा, अथवा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो केवल इंटरप्रीट करने में अगर वर्षों बीत जायं तो यह भी उचित नहीं प्रतीत होता और इससे सर्विसेज के लिये बहुत डिमारेलाइजिंग एफेक्ट होता है। श्रीमन्, इनके दोनों के अधिकार क्षेत्र के बारे में और इनके नियमों के बारे में कोई गुंजाइश ऐसी न रहनी चाहिये, जिसमें कि इस तरह का तूलतवील चाहे सरकार द्वारा, चाहे कमीशन द्वारा किया जाय। उदाहरण के लिये बहुत से मिसाल कहे गये, मेमोरेंडम के बहुत से पन्नों का तजकिरा आया। मैं उस ब्योरे में, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल सिद्धांतों तक अपने को सीमित रखना चाहता हूं। आज हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बहुत काफी बोझ है और जो कुछ कार्यभार वह संभालते हैं वह बहुत बड़ा है। मैं इस प्रश्न पर माननीय नारायण दत्त से सहमत हूं कि अगर कमीशन की स्ट्रेंग्थ तीन से पांच कर दी जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दीखती। यह सच है कि केवल बम्बई पब्लिक सर्विस कमीशन में ही मेम्बरों की तादाद ५ है,लेकिन सिर्फ एक जगह है, और जगह नहीं है यह कोई ऐसी दलील नहीं है जिस से यह सुझाव ठुकराया जा सके। श्रीमन्, यह शिकायत एक ऐसा रूप धारण कर रही है कि जिससे यह प्रतीत होता है कि कुछ हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट इस पर मुतवातिर, लगातार जिद किये बैठे रहते हैं कि जिस तरह से हो सके पब्लिक सर्विस कमीशन की बात न चलने पाये या उनकी इच्छाओं की पूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट न हो। मैं केवल इतना कहूंगा कि सिद्धांततः जहां यह गलत है, यह ऐसा दोष होता जा रहा है जोकि किसी भी ब्युरोक्रेसी में नहीं होना चाहिये, क्योंकि सर्विसेज की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। अगर उन्होंने अपने इस भार को अच्छी तरह से नहीं संभाला तो इस प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त ठेस पहुंचेगी। यह मुझे स्वीकार है कि इस प्रदेश की सर्विसेज के बारे में चाहे जो कुछ कहा जाय, वह सर्विसेज ऐसी हैं जोकि आज इस मौजूदा कांग्रेस सरकार के चलाने में बहुत हद तक जिम्मेदार हैं और उन्हीं का दिमाग है, उन्हीं की करतूत है और उन्हीं के ऊपर दारोमदार है कि जिससे कांग्रेस सरकार आज चल रही है। मैंने यह माना कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री बड़े विद्वान् हैं, यह भी मैंने माना कि कैबिनेट में बहुत से ईमानदार हैं जो अपने कार्य को अच्छी तरह से चला रहे हैं और चला सकने की योग्यता रखते हैं। परन्तु इसमें शुबहा नहीं कि हमारे इस प्रदेश में ब्युरोक्रैसी का जो एक स्थान है वह ऐसा उच्च होता जा रहा है, जिसको देखकर सभी एक हद तक शंकित होते जा रहे हैं और यह भी सोचते हैं कि अगर इस प्रदेश में किसी भी जीवन में कुछ सुख है, कुछ शक्ति है तो वह केवल उन्हीं तक सीमित है।

मान्यवर, मुझे यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है और आपके द्वारा मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके रहते हुये हमको एक विश्वास अवश्य है और यह हम अच्छी तरह से समझते हैं कि उनको इस भार को संभाले हुये इतने थोड़े दिन हुए हैं कि हम उनके खिलाफ न तो उनसे शिकायत कर सकते हैं और न गैर से। अतः यह आशा रखते हुए कि वह दिन अवश्य आयेगा जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे इस प्रदेश में रह चुका है उससे कहीं उत्तम होगा।

मैं कैबिनेट के विरुद्ध नहीं कहना चाहता, परन्तु आज मेरी यह भावना जरूर थी कि मंत्री महोदय को इतना समय देना चाहिये जिससे कि वह इस प्रदेश में लोगों को साबित कर सकें और दिखा सकें कि इसमें गुंजाइश है उन्नति की और बहुत कुछ करना इसमें बाकी है, जिसको थोड़े समय में वह चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो कुछ समय अधिक भी लगा सकते हैं। परन्तु यह न भूलें कि किसी भी स्थान पर किसी भी सरकार के लिये यह समझना कि वह मनमाने ढंग से एक इस तरह का रवैया अख्तियार करते हुये चले, जिससे कि दूसरों को कुछ कहने के लिये गुंजाइश बाकी न हो, कोई सुनवाई और समाअत न हो। मैं समझता हूं वह चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में हो, चाहे ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में हो हमारे इस प्रदेश में वेलफेयर स्टेट जहां लक्ष्य हो--माननीय गौतम जी का कहना यह सच है कि बनानी है, मुझे यह खुशी है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि बन चुकी ऐसे प्रदेश में यह भार हमारे मुख्य मंत्री पर है और उनको यह देखना है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन जिसके बारे में हमको अभी तक गर्व करने के लिये कोई कारण नहीं था वह इतना अच्छा हो जाय जबकि हम यह समझ सकें कि ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि एक डेमोक्रेसी की रूप रेखा है, एक वेलफेयर स्टेट के लिये सचमुच लोग चिंतित हैं और उसके निर्माण के लिये हम पदारोपण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--(श्री नवल किशोर के खड़े होने पर) मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि जितना संक्षेप में हो सके उतना कम समय लेने की कृपा करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--जी, बहुत अच्छा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की १९५०-५१ और १९५१-५२ की जो वार्षिक रिपोर्टों के ऊपर विवाद चल रहा है और उस सम्बन्ध में जिन माननीय साथियों ने भाषण दिये उनको मैंने सुनने की कोशिश की। कुछ ने तो यह कहा कि गवर्नमेंट की यह नीति है कि वह जो करना चाहती है उसके लिये पी० एस० सी० को इस्तेमाल करती है ताकि वह उसके कामों पर स्टैम्प लगा दे रबर स्टैम्पिंग अथारिटी की तरह यह भी कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की अवहेलना करके जो नियुक्तियां होती हैं वे योग्यता के आधार पर नहीं होतीं, बल्कि उस आधार पर होती हैं कि किस का असर उसपर ज्यादा है। मान्यवर, मैंने उन रिपोर्टों को पढ़ा और उनके साथ जो स्मृति-पत्र थे उनको भी पढ़ा। मुझे तो उनके पढ़ने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि गवर्नमेंट के अन्दर जो एप्वाइंटिंग अथारिटीज हैं और जो पी०एस०सी० है उनमें एक किस्म की रस्साकशी चल रही है कि उन दोनों में से कौन सुप्रीम है और बहुत कुछ जो इसके अन्दर बातें लिखी गयी हैं वह इस टसल का एक परिणाम है। मेरी मंशा यह कतई नहीं है कि पी०एस०सी० ने जो कमेन्ट्री की है उसका कोई आधार नहीं है। कई जगह ऐसी नियुक्तियां हुयी हैं जो नहीं होनी चाहिये थीं और जो हो गयी थीं तो उनकी समय के अन्दर सूचना पब्लिक सर्विस कमीशन को दे देनी चाहिये थी। पब्लिक सर्विस कमीशन को यह भी शिकायत है कि जो टैम्पोरेरी अप्वाइन्टमेंट्स होते हैं उनकी सूचना भी कई वर्ष तक उसके पास नहीं पहुंचती है। इसके सम्बन्ध में जो नियम हैं उनकी अवहेलना अधिक होती है उन्होंने बहुत से व्यक्तिगत केसेज भी दिये, जिनको मेरे साथियों ने सदन में पढ़ा।

श्रीमन्, मैं अपने उन साथियों से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के काम में अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय। मैं उनसे इसमें भी सहमत हूं कि सरकार को जहां तक सम्भव हो उसकी सिफारिशें मान्य होनी चाहिये, लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं जैसा कि कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की पोजीशन एक सुप्रीम अथारिटी की बनायी जाय। इन रिपोर्टों के पढ़ने से यह मालूम होता है कि अधिकांश में सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों को माना और जहां नहीं माना, उन पर खतोकिताबत करने के बाद या तो गवर्नमेंट ने अपनी बात बदल दी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन सहमत हो गया। इसके माने यह हुये कि दोनों में एक अंडरस्टैन्डिंग की बात हुयी।

[श्री नवल किशोर]

यह सही है कि दोनों में आनेस्टली डिफरेंसेज की गुंजाइश हो सकती है। इसके साथ-साथ मैं यह भी मानता हूं कि गवर्नमेंट के अन्दर जो काम करते हैं वह मनुष्य हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो लोग काम करते हैं वह भी मनुष्य हैं मनुष्य के अन्दर मानवीय कमजोरी होती है इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हो सकती है। ऐसी भी मिसालें मिल सकती हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर यह भी देखा गया और कैंडीडेट के एनेलेसिस करने पर पता लगा कि ऐसे लोगों की सिफारिश की गयी जो शुरू से आखिर तक थर्ड क्लास रहे, हमेशा थर्ड डिवीजन में आये। वाइवा वोसी में अच्छे यानी सेन्ट परसेंट मार्क्स होने की वजह से उनकी अच्छी पोजीशन आ गयी। मैं कोई उस पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह कह रहा हूं कि कभी-कभी निर्णय करने में गल्ती भी हो सकती है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक कंसल्टेटिव बाडी है, ऐडवायजरी बाडी है, इसकी ऐडवाइस मान्य है, लेकिन मैं यह नहीं कहता और यह नहीं मानता कि इसका निर्णय आखिरी शब्द है विशेष तौर पर आजकल जैसा कि उसका ढांचा बना हुआ है।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ जहां मैंने इंसानी कमजोरी की बात कही वहां एक पहलू यह भी है कि हम एक प्रजातंत्र के ढांचे में रहते हैं और अक्सर ऐसे भी मौके आते हैं जब जनता की तरफ से या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत सी बातों में सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसको रोकना या उसको न मानना, यह सरकार के लिये कभी-कभी कठिन हो जाता है। मैं इस सम्बन्ध में जो इसमें इंडिविजुअल एक्जाम्पिल दी गयी हैं उनमें न जाते हुये इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो भी उन्होंने कमेंट्स किये उनका जवाब सरकार ने दे दिया है और जवाब तो हर बात का हो सकता है और हो ही जाता है। ठीक है, मैं बिना किसी आक्षेप के किये यह कहना उचित समझता हूं कि हमें इतना ही काफी नहीं है कि हम ईमानदार हैं बल्कि यह भी आवश्यक है कि दूसरे लोग भी समझें कि हम ईमानदार हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि काम करने के ढंग की बात है। मैंने देखा है कि कई जगहों में कुछ काम इस ढंग से किये गये कि जिससे खामख्वाह एक संशय दिमाग में पैदा होता है या पैदा होने की गुंजायश है। जिन अधिकारियों ने ऐसा किया उनके दिमाग में चाहे न हो, लेकिन जन-साधारण के दिमाग में सन्देह पैदा हो सकता है। मैं एक उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह कहा है कि एक दफा बिजली (हाइडेल) के महकमे के लिये एक चीफ इंजीनियर की आवश्यकता पड़ी। तब २,७५०—१२५—३,००० रुपये के ग्रेड की एक पोस्ट एडवर्टाइज की गयी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक साहब को चुना जो कि आउट साइडर थे। उसके बाद के नम्बर पर हमारी प्रान्तीय सरकार के एक अधिकारी जो विभाग में थे उनको चुना। उसके बाद उस ग्रेड को घटा कर १,८००—५०—२,००० रु० कर दिया गया और हमारे यहां के जो अधिकारी थे उन को उस पद पर नियुक्त किया गया। यद्यपि आयंगर कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में यह बात कही थी जिस समय इरीगेशन से हाइडल को अलग करने की बात कही गयी थी कि उसका जो उच्च अधिकारी हो वह बाहर से बुलाना चाहिये। क्योंकि विभाग में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उस पद को संभाल सके। ग्रेड कम करने की बात गलत ही थी।

इसी तरह से एक मसला डवलपमेंट कमिश्नर के कार्यालय के सुपरिन्टेन्डेन्ट का था जिस समय उनके कार्यालय को जनरल सेक्रेटेरियट से मिलाया गया, तब इस पद के विषय में पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा गया। उन्होंने यह कहा कि अपर डिवीजन में असिस्टेंट में से ही किसी को इस पद पर प्रमोशन देना चाहिये। तब उन महानुभाव को पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया। मैं परिस्थितियों को ज्यादा नहीं जानता कि इसमें कोई विशेष बात थी मगर इन चीजों से कभी-कभी सन्देह अवश्य पैदा हो सकता है और इसके अन्दर किसी न किसी के साथ पक्षपात की बात पैदा हो सकती है। इसलिये हमको यह चाहिये कि जो कार्य हो इस ढंग से हो, जिसमें किसी को सन्देह की गुंजायश नहीं होनी चाहिये। हमारे यहां जो

पद हों उनके लिये व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करना चाहिये न कि व्यक्ति के लिये पद को खोजना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में और ज्यादा न जा कर कुछ अपने सुझाव भी रखना चाहता हूं। इसमें जो शुरू में पब्लिक सर्विस कमीशन का कमेन्ट है वह अधिक महत्व का है बजाय इसके कि डिटेल में केसेज को देखा जाय। पृष्ठ २ पर यह दिया हुआ है कि —

"उम्मेदवारों की मौखिक व साक्षात्कार परीक्षाओं के आधार पर कमीशन की यह धारणा हुई है कि साधारण कोटि के ग्रेजुएटों के ज्ञान का स्तर नीचे गिर रहा है।"

इसके अन्त के वाक्य को भी मैं पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि "यदि शासन व शिक्षा, अधिकारी यह चाहते हैं कि आगामी सन्तान शिक्षा में अपरिपक्व न रहे तो उन्हें इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे जनता तथा शासन की कार्यकुशलता व नैतिकता का पतन हो।" मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्व की चीज है। इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि जैसा उनका कमेन्ट है उस पर पूर्ण ध्यान दिया जाय। दूसरे बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके नियम नहीं बने हैं। उनको तुरन्त बनाया जाये। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। उसके नियम पहले के ही बने हुये हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन में यह दिया हुआ है कि जहां तक सम्भव हो आधी संख्या में गैर सरकारी आदमी ही उसके अन्दर रहें। मगर इस समय हमारे यहां उनका अनुपात २:१ है।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं चाहता हूं कि सदस्यों की तादात तीन से बढ़ा कर चार कर दी जाय ताकि दो गैर सरकारी लोग उसमें आ सकें। हमारे यहां पब्लिक लाइफ में बहुत इमिनेंट लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें से पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बनाए जायें। वे पब्लिक लाइफ को अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी आवश्यकताओं तथा अन्य बातों को भी समझते हैं। जिस तरह के अधिकारियों की आप को आवश्यकता है वैसे अधिकारी यही लोग आप को चुनकर दे सकते है। हमारे सरकारी कर्मचारी जो इस कमीशन के सदस्य बनाए जाते हैं वह उस समय के हैं जिस समय यहां पर अंग्रेजी सत्ता थी। उस जमाने की आवश्यकताएं और आज की आवश्यकता में बहुत अन्तर है। अन्त में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि एक बार कमीशन न एक सिफारिस की थी कि इंजिनियरिंग सर्विसेज के लिए भी कंपिटीशन का तरीका चालू किया जाय। सरकार ने पहले तो इसको मान लिया था, लेकिन अब किन्ही कारणों से उसको नहीं माना है। मेरा कहना है कि सरकार फिर से इस पर विचार करे और इन सर्विसेज के लिये कंपिटीशन का तरीका मान ले।

श्री शिवनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सुन्दर अवसर पर बोलने का मौका दिया और इसके साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद दूंगा कि वह भी आज सीना तान कर हाउस के सामने आ गयी है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने सामने वही आदर्श रखें जो सेंटर ने रखा है। जिन्होंने पिल्लई साहब को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में रख लिया है। हमारा कहना तो यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग बुद्धिमान ही रक्खे जायें। पी० एच० डी०, एम० ए०, एम० ए० एल० टी० रक्खे जायं। इतना ही नहीं अगर हमारे प्रान्त का कोई आदमी अधिक योग्य हो तो वह भी रक्खा जाय। क्योंकि अगर बाहर का आदमी रक्खा जायगा तो उससे यह आशा की जा सकती है कि वह टेलीफोनबाजी के चक्कर में न आयेगा, नोट्स के चक्कर में न पड़ेगा और आज जो टेलीफोन की शिकायत होती है वह न होगी। कहा जाता है कि वहां पर सिफारिशें चलती हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस

[श्री शिवनारायण]

कमीशन से उसकी एक दो मिसाल भी नहीं दी। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन यह करने लग जाय तो हर आदमी जो टेलीफोन करता है, जो नोट उसको लिखता है, उसकी आवाज़ बन्द हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि सेलेक्शन के सिलसिले में सर्विसेज के लिहाज से हर एक डिपार्टमेंट के नियम होने चाहियें और उस नियमावली के अनुसार सेलेक्शन होना चाहिये तथा उस नियमावली में विशेष अन्तर न होना चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन में हर साल उसको भेज देना चाहिये, ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन को यह इत्मीनान हो जाय कि गवर्नमेंट उनके ऊपर डिपेंड करती है। आफीसर्स की वहां पर कमी है इसलिये देर होती है और अगर किसी का इन्क्रीमेंट होना है तो वह बरसों तक रुका रह जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, ताकि कोई एतराज न होने पाये।

दूसरी बात यह है कि हरिजनों का पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो सेलेक्शन हुआ उसमें हमारे जो लड़के रिजेक्ट किये गये हैं उनके बारे में रिपोर्ट में एक नोट होता कि इतने लड़के इन-इन कारणों से रिजेक्ट किये गये, उनमें यह यह कमियां थीं, ताकि मैं गवर्नमेंट से कह सकता कि हमारे लड़के गरीब हैं और उसके कारण से वे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हेल्प मिलनी चाहिये लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से यह नोट नहीं आया। मैं आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से इस प्रकार का नोट आना चाहिए। चेयरमैन और मेम्बरान हमें इस बात को बतायें कि हमारे लड़कों में क्या-क्या कमियां है जिनकी वजह से वे नहीं आ पाते, ताकि हम उनको कंपिटीशन के लायक बना सकें।

रिपोर्ट में यह भी देखने में आया कि सिफारिशें चलती हैं और कहा भी जाता है सिफारिशें होतीं है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला। सिफारिशों की शिकायत करना आसान है, लेकिन जिस आदमी को हम कहीं बैठाते हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, गवर्नमेंट पर भी हम को विश्वास करना होगा। मदनमोहन जी ने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने २०० रुपये के नीचे के लिए इनकार कर दिया है और कहा है कि हमारे हाथ से निकाल दिया जाय अब बताया दिया जाय कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का क्या दोष है १२० रु० पर ग्रेजुएट्स रखे जाते हैं, प्रोफेसर रखे जाते हैं, बी० ए० एलटी० रखे जाते हैं, सी० टी० और इन्सपेक्टर्स रखे जाते हैं।

सन् ३७ के पहले जो डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल होते थे वे पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते थे और असिस्टेंट मास्टर भी जाते थे तो उस वक्त हमको बहुत बढ़िया आदमी मिलते थे, उस वक्त हमारी मशीनरी ठीक चलती थी। लेकिन आज की हालत तो यह है कि हमारे यहां बहुत से टीचर्स लटके हुये हैं। वे न पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने बुलाये जाते हैं और न उनकी सर्विसेज परमानेंट की जाती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो टेम्पोरेरी हैंड्स हमारे यहां दो-दो, तीन-तीन वर्ष से काम कर रहे हैं और जिनका जीवन त्रिशंकु की तरह से लटका हुआ है उनका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज दिया जाय। जो यह कहा गया है कि फर्स्ट क्लास रह गये और थर्ड क्लास वाले ले लिये गये तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि थर्ड क्लास वाला भी फर्स्ट क्लास वाले के साथ परीक्षा में कम्पीट कर सकता है। हो सकता है कि परीक्षा में फर्स्ट क्लास वाला जो कि उसको १० क्वेश्चन्स दिये गये उसको तो ठीक कर लिया, लेकिन कमीशन के सामने इंटरव्यू में जाने पर प्रेक्टिकल में लटक गये। अक्सर यह सुनने में आता है कि वहां पर किसी पोस्ट ग्रेजुएट से पूछा गया कि पं० जवाहर लाल नेहरू कौन हैं उसने जवाब दिया कि वे हिन्दुस्तान के प्रेसीडेंट हैं। तो जहां पर इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वहां पर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। मेरा तो कहना है कि जो अच्छा से अच्छा कैंडिडेट हो उसको कमीशन के सामने भेजा जाय और उस की ईमानदारी से जांच हो।

रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान आगरा में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ और कहीं पर प्लानिंग आफसर ने गार्डी की, तो कहीं किसी और आफिसर ने गार्डी की। तो करप्शन तो वहां होने की नौबत हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और पब्लिक सर्विस कमीशन से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इम्तहान में एक हजार आदमी बैठें, चाहे दो हजार आदमी बैठें, लेकिन वह इम्तहान चेयरमैन की निगरानी में होना चाहिये। इससे गड़बड़ी नहीं हो सकेगी और सेलेक्शन करके बढ़िया आदमी मिल सकेंगे। वरना आजकल की हालत तो यह है कि पिस्तौल ले कर लोग कापियों में नकल कर लेते हैं। तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हजार आदमी बैठें या दो हजार बैठें इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो इम्तहान हो वह ऐसे लोगों के सामने हो जो ट्रेंड हों, जहां चैयरमैन स्वयं मौजूद हों, इससे कमीशन की डिगनिटी बढ़ेगी और स्टेट की भी डिगनिटी बढ़ेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में ७ आदमियों को रखा गया है, लेकिन हमारे यहां तीन आदमी हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि "तीन तिकड़ महा बिकड़" तो तीन का जो अंक है वह अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिये या तो तीन के बदले चार कर दिया जाय या पांच कर दिया जाय, पांच सबसे सुन्दर हैं, क्योंकि हमारे यहां पांच पंच परमेश्वर माना जाता है। इसलिये जो ३ का अंक है उसे हटा कर ५ कर दिया जाय। अभी हमारे एक भाई ने बतलाया कि श्री राजनारायण जी भी तीन ही आदमी हैं। तो वह भी अन्धेर है, वहां भी खराबी है, तीन तिकड़ महा बिकड़, राजनारायण जी आज नाराज भी थे।

श्री अध्यक्ष--उनकी गैरहाजिरी में आप उनके सम्बन्ध में कुछ न कहें।

श्री शिवनारायण--दूसरी बात मुझे अध्यक्ष महोदय, यह कहनी है कि जहां ४० सीट खाली होती हैं वहां कमीशन इंटरव्यू में १२० आदमियों को बुलाता है, एकदम से तिगुना। इसका नतीजा यह होता है कि जो लड़के इंटरव्यू में आते हैं वे ६, ६ महीने तक और ८, ८ महीने तक इन्तजार करते रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई नोटिस भी नहीं होती कि क्या रिजल्ट रहा। इस तरह से लड़के इन्तजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारा नाम तो पेपर में निकल ही गया है तो वहां से कुछ आयेगा ही। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को इसका भी इन्तजाम करना चाहिये कि उनको कुछ दिनों के बाद ही नोटिस मिल जाय कि उनके सम्बन्ध में क्या हुआ और मेरा तो कहना यह है कि जितने आदमियों को आपको रखना हो उतने ही आदमियों को इंटरव्यू में बुलाइये। अगर बाद में और की जरूरत पड़े तो फिर १५ दिन के बाद ऐडवरटीजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हजारों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स गली-गली मारे-मारे फिरते हैं। कारण यह है कि जब कमीशन इंटरव्यू में किसी को बुलाता है तो उसके लिये कोई रेल का किराया तो देता नहीं है और इस तरह से जो आदमी दूर-दूर स्थानों से जैसे अल्मोड़ा से और-और जगहों से इलाहाबाद आता है वह तो आने-जाने के एक्सपेंसेज में ही पिट जाता है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा की जो फीस रखी गयी है वह भी बहुत ज्यादा है। इसलिये उसको भी कम करना चाहिये। जहां तक एडवरटिजमेंट की बात है कि कम से कम ४ महीने पहले वह अखबारों में हो जानी चाहिये, ताकि गांव के कोने-कोने में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स पड़े हुये हैं उनके पास तक इसकी नोटिस पहुंच जाय। जैसा कि श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने कहा कि बहुत से स्थानों में लोगों को नोटिस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गांव में रहने के नाते ; वहां की परिस्थिति और वहां के वायुमंडल में वे घूमते-फिरते हैं, खेती-बारी करते हैं। जैसे कि राजा साहब अप टु डेट ग्रेजुएट बैठे हुए हैं वैसे ग्रेजुएट वहां नहीं रहते हैं। वह लखनऊ में रहते हैं, बड़ी-बड़ी इमारतों में दारुलशफा में रहते हैं, इनमें और उनमें बड़ा अन्तर है। इसलिये

[श्री शिव नारायण]

मैं निवेदन करूंगा कि ४ महीने पहले से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिये। इसमें सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कमियां हैं उनको भी उन्हें दूर करना चाहिये और यह तो सरकार का बड़प्पन है कि उसने हाउस में इन रिपोर्ट्स को पेश किया है और उसने एक सही काम करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि यह सरकार का फर्ज भी था। इसके अलावा सरकार को कमीशन को मजबूर करना चाहिये कि वह २०० रुपये के ग्रेड की जगहों को फिर से अपने हाथ में ले और उनकी तादाद बढ़ाना भी जरूरी है। इसके अलावा संविधान की धारा के विरुद्ध कोई काम न होना चाहिये और हमें उसकी मान-मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये और उसके बमूजिब जिस तरह से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया है, उसकी इज्जत इसी में है कि कोई काम शिकायत का सरकार न करे, तभी हमारे देश में डेमोक्रेसी सही मानों में चल सकती है और फले फूलेगी और मजबूत होगी और यह रिपोर्ट सदन में आई है यही इस बात का सबूत है कि हम डेमोक्रेसी ठीक से चला रहे हैं, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन भी मजबूत हो और अच्छा काम करे।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि यह पहला अवसर है कि इस सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विवाद हो रहा है। यह किन्हीं कारणों से भले ही पहला अवसर हो, परन्तु मैं उम्मीद करता हूं कि यह किसी भी हालत में आखिरी अवसर न होगा। हमने आज एक नई रिपोर्ट भी सदन के सामने पेश कर दी है और मुझे आशा है कि जल्द ही उस पर भी विचार करने का अवसर सदन को मिलेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स पर जो वाद विवाद होता है मैं समझता हूं कि उससे सरकार को हर तरह से फायदा ही होता है। हमारे लिये कोई चीज छिपाने की नहीं है। इस बात की जरूरत नहीं है कि जितनी बातें शासन में हों उन सबकी हम सफाई देने की कोशिश करें, मैं समझता हूं वह बिलकुल गलत बात होगी अगर मैं खामख्वाह हर चीज के लिये वकालत की कोशिश करूं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, इतने आदमी यहां काम करने वाले हैं, वहां कभी किसी मौके पर किसी से कोई गलती न होती हो कोई कायदे कानून के विरुद्ध काम न हो जाता हो ऐसी बात संभव नहीं है। अगर कोई कहे तो गलत बात है, जरूर गलती होती है। लेकिन अगर ऐसी बात होती है जो नियमों के विरुद्ध है और उनकी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन का ध्यान सदन के माननीय सदस्य आकृष्ट करायें, या सरकार की किसी गलती की तरफ यहां के माननीय सदस्य ध्यान आकृष्ट कराते हैं तो उससे हमारा और प्रदेश का कल्याण होता है और हम उन माननीय सदस्यों के अत्यन्त ऋणी हैं जो इस तरह से हमारी गलतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने नैतिकता की तरफ, निष्पक्षता की तरफ आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है और उस पर बहुत जोर दिया है। यह एक ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मैंने कई मौकों पर जो फ्रान्स की सिविल सर्विसेज का जिक्र किया था, उसका भी यहां जिक्र हुआ। यह सही है कि मैंने फ्रांस की सरविसेज का जिक्र किया है और यों और देशों में भी सरविसेज हैं, लेकिन सचमुच मैंने जहां जहां देखा मैं कई कारणों से फ्रांस की सिविल सर्विसेज से बहुत प्रभावित हुआ और हम चाहते हैं कि फ्रांस या जहां कहीं भी हों वैसी सर्विसेज हमारे यहां भी हों। हमारा शासन डिमोक्रेटिक है। आज एक पार्टी के हाथ में शासन हो सकता है और कल दूसरी पार्टी के हाथ में शासन हो सकता है। लेकिन डिमोक्रेसी तभी चल सकती है जब उसको चलाने वाली जो मशीनरी है सरविसेज की वह अच्छी हो, एफीशियेंट हो और निष्पक्ष हो। मिनिस्टर्स चाहे जितने भी काबिल क्यों न हों, लेकिन वे अकेले शासन को नहीं चला सकते। मिनिस्टर्स

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे कमजोर भी हों लेकिन सर्विसेज़ अगर ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं तो शासन का काम बहुत दिनों तक और जिसे अंग्रजी में कहा जाता है मोमेन्टम तरीक से वह बहुत दिनों तक चलता जायगा। यों तो अयोग्य आदमियों के हाथ में शासन है तो वह बिगड़ जायगा ही लेकिन फिर भी अगर सर्विसेज ईमानदार हैं तो वह बहुत दिनों तक चलता जायगा। तो सभी चाहते हैं कि ऐसी बात न होने पाये जिससे सर्विसेज़ में इनएफीशियेंसी की बात, और पक्षपात की बात हो लेकिन हां एक बात थोड़ी सी निवेदन करने की है कि जैसा जमाना है और जिस तरह से हमारे देश में जमाना बदल रहा है उस को देखते हुये हम लोगों को थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द में ज्यादा चेरिटेबिल होना चाहिये। और एक दूसरे पर अधिक विश्वास रखना चाहिये। वह जमाना जब कि हमारे देश में एक संदेह और सस्पिशन का वातावरण बना हुआ था उसको हमको छोड़ना होगा। कभी न कभी इस विशस सर्किल को तोड़ना होगा। हमें पब्लिक सर्विस कमीशन पर विश्वास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पर विश्वास करना पड़ेगा और सरकारी अहलकारों पर विश्वास करना होगा और बिना इस तरह के विश्वास के काम नहीं चलेगा। जब तक कि हम एक दूसरे की नेकनियती पर विश्वास न करें तब तक काम नहीं चल सकता। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी अधिकार हों उस सम्बन्ध में मैं आगे कहूंगा लेकिन एक बात मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। बार-बार चर्चा इस बात की होती है कि अमुक अधिकारी पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिये जायं। जिसको कानून बनाने का अधिकार है, वह दे। ठीक है। लेकिन उसका दूसरा रुख है कि अगर वह अधिकार गवर्नमेंट के सरकारी अहलकारों के हाथ में रहे कुछ समय के लिये ही सही तो उन अधिकारों का दुरुपयोग होता है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर गौर करें कि दूसरे देशों में काम कैसे होता है। जहां से पब्लिक सर्विस कमीशन का आइडिया आया इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में। आप वहां देखें कि वहाँ सचमुच पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या अधिकार हैं, जो यहां देना उचित समझा जाता है, नहीं है। माननीय सदस्यों को पता होगा कि दो तीन साल हुये अमेरिका से एक मिनिस्टर आपिलवी जो कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बहुत बड़े एक्स्पर्ट माने जाते हैं वह यहां आये और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसको देखा जाय तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया है कि यहां पर हर चीज में शासन के मामले में किस तरह से पब्लिक सरविस कमीशन को अधिकार दिया गया है। उनका कहना है कि जहां तक ऐप्वाइंटमेंट की बात है उस को छोड़ कर आगे चल कर डिसिप्लिनरी ऐक्शन, डिसमिसल, प्रमोशंस इन सब के मामले जो होते हैं उन में एक जगह से ले कर दूसरी जगह तक हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उसके हाथ में अधिकार होते हैं क्योंकि वह लोग समझते हैं कि क्या होना चाहिये। हो सकता है कि सरकारी आफिसर्स में भी बुरे आदमी हों, मिनिस्टर्स में भी बुरे, अच्छे आदमी हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सभी प्रकार के आदमी हैं लेकिन जो लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाते हैं वह सब लोग पक्षपात ही करेंगे और किन्हीं आदमियों को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या और लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक आध जगह पक्षपात हो सकता है बुरा या अच्छा, लेकिन जो शासन का काम चलाते हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको परखने का मौका होता है इतने आदमियों के काम को। उनका विश्वास न किया जाय और ऐसे लोग जो शासन से दूर रहते हैं जिनके सामने केवल कागज आता है मनुष्य नहीं आता उसका डे टु डे काम नहीं आता। उनका जजमेंट निश्चय ही ठीक होगा। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य है कि यहां हिन्दुस्तान में ऐसा है और जगहों में ऐसा नहीं है।

अच्छी खासी रिपोर्ट है उनकी। मैं यह नहीं कहता कि वह वेद वाक्य है लेकिन हमें यह बात सोचनी होगी कि अपना अविश्वास कितना करते जायंगे। आखिर हमी में से कोई जज होता है। हम पक्ष पात के साथ काम करते हैं लकिन महज दूसरी कुर्सी पर बैठ जाने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

से जो पब्लिक सर्विस कमीशन की कुर्सी है वहां ईमानदारी से काम करेंगे, निष्पक्षता से काम करेंगे। ऐसा क्यों ? हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा। मैं नहीं कहता कि पब्लिक सर्विस कमीशन का अधिकार न बढ़ाये जांय लेकिन एक पहलू यह भी है। मुझे इस बात को देख कर खुशी हुई कि इन रिपोर्टस् को जिन माननीय सदस्यों ने पढ़ा उन्होंने उसका परिश्रम से अध्ययन किया। मैं चाहता हूं कि हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिये कि और देशों में कैसे शासन चल रहा है। कभी आगे चल कर इस प्रश्न पर विचार हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार क्या हैं और कैसे होने चाहिये, क्या परिवर्तन होना चाहिये वह अध्ययन जो होगा उसके प्रकाश में उन्हें इन बातों के निर्णय करने में मदद मिलेगी और हम सब को फायदा होगा। यह विचार करने की चीज है।

अपने भाषणों में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने और अपने मित्रों ने भी कमीशन को भी कुछ सुझाव दिये हैं कि उनकी रिपोर्ट्स में क्या-क्या बातें होनी चाहिये। जो यहां वाद-विवाद हो रहा है इसकी रिपोर्ट अगर कमीशन के सामने गई तो मैं समझता हूं कि वे इस पर विचार करेंगे और सचमुच मेरा भी ऐसा ख्याल है कि इन चीजों के समावेश से कमीशन की रिपोर्ट और भी अधिक उपयोगी हो जायगी। इसके साथ ही शायद कुछ माननीय सदस्यों का यह ख्याल था कि गवर्नमेंट ने जो एक नोट लिखा है उस नोट में कुछ क्रोध का अन्दाजा लगता है और कुछ कमीशन की कुछ आलोचना करने की कोशिश की है। तो क्रोध की बात नहीं है लेकिन यह जरूर है कि कमीशन की समिति में बड़े विद्वान् लोग हैं। उन्होंने कई जगह सलाह दी है। हमने नम्र भाषा में यह याद दिलाने की कोशिश की है कि कमीशन साल भर में जो काम करे उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखने के लिये पेश करे लेकिन ऐसा लगता है कि एक आध जगह ऐसी चीजें आ गयी हैं जो अप्रासंगिक हैं। अपनी समझ में तो बहुत नम्र भाषा में याद दिलाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिये कई बातें ऐसी होती हैं जिससे गवर्नमेंट और कमीशन में मतभेद है। गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी अफसर काम करने बैठते हैं और ऐसी बात होती है कि हर मौके पर कमीशन से पूछ कर काम नहीं कर पाते और कमीशन के सदस्य किसी एक बात पर विचार करते हैं और जब वे विचार करने बैठते हैं तो हमसे पूछ कर नहीं बैठते। तो परिणाम यह होता है कि एक ही चीज के दो पहलू हो सकते हैं। बहुत सा काम चिट्ठी पत्री से चलता है लेकिन चिट्ठी पत्री से काम नहीं चलता तो हमारे प्रदेश में यह कन्वेंशन-सा हो गया है कि चीफ मिनिस्टर और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के बीच में एक डी० ओ० पत्र चल जाता है और कई बातें तै हो जाती हैं। कभी-कभी दोनों में मुलाकात हो जाती है। कोई तारीख या मियाद मुकर्रर नहीं होती। जो मतभेद के मसले हैं वे तय हो जाते हैं। तै होने में कोई सैद्धान्तिक मसले नहीं होते। जैसे अमुक पद पर अमुक आदमी की नियुक्ति करने में अमुक प्रोसीजर होना चाहिये या अमुक चिट्ठी इस तरह जानी चाहिये थी या नहीं इस तरह के मसले तै होते हैं। लेकिन अगर कोई सैद्धान्तिक प्रश्न हो जो आगे चल कर नजीर बनने वाली हो तो बात दूसरी है लेकिन जो इंडिविजुअल सवाल होता है कि इस मामले में ऐसा होना चाहिये था वह मामले तय हो जाते हैं। या तो गवर्नमेंट की बात कमीशन ने मान ली या गवर्नमेंट ने कमीशन को मनवा लिया और वह बात खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं कि उन बातों के देने से कोई नतीजा नहीं। अगर वह उसूल का सवाल होता जिससे आगे चल कर कामों पर असर पड़ने वाला हो तो हम उनको लिखते लेकिन जो इंडिविजुअल मामलात होते हैं उनको रिपोर्ट में दिखाने से रिपोर्ट भले ही बड़ी हो जाती हो लेकिन कोई नया प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिये इन्हीं दो-एक बातों की ओर इशारा किया गया था। क्रोध की या नाराजगी की तो कोई बात नहीं थी। मैं यह देखता हूं कि एक शब्द का प्रयोग हुआ। उससे माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम हुआ और उससे हमको तकलीफ भी हुई। वह लफ्ज है "आउट साइडर"। उसका अर्थ यह लगाना कि आउट-साइडर का अर्थ है उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले। जरूर एटीमालोजी से यह अर्थ

निकलता है कि जो बाहर का है, उत्तर प्रदेश के बाहर का भी आउट साइडर हो सकता है। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार में कोई खास अर्थ चला आता है। तो जहां तक सर्विसेज की बात है, उसमें किसी को धोखा नहीं होगा, जहां दूसरे प्रदेश वाले का मतलब होता है, यू०पी० डोमीसाइल्ड या नान यू० पी० डोमीसाइल्ड का प्रयोग होता है और "आउट साइडर" या "आउट साइड" से मतलब होता है जो सर्विसेज में नहीं हैं। उनको इतना कहने के बजाय कि हू इज नाट इन आलरेडी सर्विस (who is not already in service) उनके लिए भारत वर्ष में "आउट साइडर" शब्द जोड़ा गया है। सम्भव है कि जिन देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है वहां भी इस अर्थ में इश शब्द का प्रयोग होता हो। जहां तक इस सरकार की बात है, केवल दूसरे प्रदेश का रहने वाला होने की वजह से किसी आदमी को न लिया जाय, मैं समझता हूं कि इसके लिये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का रिकार्ड किसी भी प्रदेश से अच्छा है। यहां जो भी एडवर्टीज मेंट्स होते हैं सब में यही रहता है। अगर हर बात बराबर हो तो उत्तर प्रदेश के आदमी का पहला हक होगा। मैं समझता हू कि इनमें किसी को मत-भेद नहीं होगा। लेकिन इस बात के न होते हुए उत्तर प्रदेश में बराबर दूसरे प्रदेश वाले लिये जाते हैं। इस बात का ख्याल नहीं करते कि बाहर वाले आदमी को न लें। दूसरे प्रदेश के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा कि कृपा करके दूसरे प्रदेशों की सिविल लिस्ट उठा कर देखे कि उत्तर प्रदेश के कितने आदमी दूसरे प्रदेशों में हैं। मुश्किल से उंगलियों पर गिनने वाले मिलेंगे। मैं नहीं कहता कि वह नियमों को नहीं बरतते लेकिन एक फनामिनन है जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं कि दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। हमारे यहां इस बात का कोई पक्षपात नहीं किया जाता सिवा इसके कि बराबर योग्यता होने पर उत्तर प्रदेश वाले का एक हक होता है। "आउट साइडर" से हमारा यह हरगिज मतलब नहीं था कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले हों। केवल इतना ही मतलब था कि सर्विस में नहीं था।

कमीशन की जो राय है वह बिलकुल सही राय है कि जहां पर नियमों के अनुसार इस बात का अधिकार किसी को है चाहे गवर्नमेंट या सबार्डिनेट अथारिटी को कि बिना कमीशन के पूछे छः महीने या साल भर तक के लिये नियुक्त कर ले तो उसकी सूचना कमीशन के पास जानी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य जो रिपोर्ट उनके सामने है वह तो है ही उसके अतिरिक्त अब जो रिपोर्ट उनके सामने रखी गयी है उसमें ज्यों-ज्यों वे देखेंगे त्यों-त्यों इस बात की शिकायत कम होती दिखायी देगी। जहां भी गवर्नमेंट की नोटिस में आया कि किसी ने किसी वजह से किसी केस को दबा रखा है, इस मेमोरंडम में तो हम दिखा नहीं सकते कि हमने किसी को क्या तम्बीह दी। लेकिन कम से कम यह उनसे कहा गया कि बहुत गलत चीज है। नियम की अवहेलना होती है, इससे बदनामी होती है। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें शक की बात नहीं कि उसमें पक्षपात की भी कुछ केसेज में गुंजाइश रहती है। एक बात जरूर है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कहा गया है कि सात-आठ वर्ष हुए कई नियुक्तियां कर ली गईं और कमीशन का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया। १९५० में से आठ वर्ष निकाल दिए जायं तो मालूम होगा कि १९४२ या १९४३ में नियुक्तियां हुईं। उस वक्त दूसरी गवर्नमेंट थी। पब्लिक सर्विस कमीशन उस वक्त भी था। इतना ध्यान रखने की बात है कि वह नियुक्तियां सात–आठ वर्ष पहले हुईं। उस वक्त एडवाइजरी रिजीम थी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन उस वक्त भी था। इसके मानी यह हैं कि आठ वर्ष पहले की नियुक्तियां जिनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से शिकायत आयी है या तो उस गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचना नहीं दी, पब्लिक सर्विस कमीशन को पता नहीं लगा या पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको नोटिस में

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लाना उचित नहीं समझा। जब यह गवर्नमेंट आयी पहले-पहल गवर्नमेंट आयी उसको पता लगते भी कुछ समय लगा, जब पता लगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाया गया। दो-तीन वर्ष के बाद हुआ तो गलत चीज है। आठ या सात वर्ष पहले के एप्वाइन्टमेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किन्हीं दूसरे लोगों की है।

एक चीज का मैं और जिक्र करूंगा। माननीय नारायण दत्त जी ने इस बात का जिक्र किया कि गवर्नमेंट में और कमीशन में अगर कोई मतभेद हो जाय तो उसकी निवृति कैसे होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जो तरीका सेन्टर में बरता जाता है वही यहां बरता जाय। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उसी तरीके को बरतते रहे हैं, शायद हमारा तरीका कुछ उनसे अच्छा ही है। उन्होंने कहा है कि अगर मतभेद हो जाय तो लिखा-पढ़ी करके उस मामले को निपटा लिया जाय और उन्होंने बताया कि वहां एक सब कमेटी होती है एप्वांइमेंट की, उसके सामने यह मामला आता है और जब वह कमेटी इस बात को एप्रूव कर दे कि नहीं। हमें कमीशन की राय को नहीं मानना है तब ही मतभेद किया जाता है। हमारे यहां भी यही है कि अगर कमीशन की राय किसी नियुक्ति के संबंध में आती है तो उसके बाद यहां पहले मिनिस्ट्री गौर करती है और अगर मतभेद होता है तो कमीशन से लिखा-पढ़ी की जाती है। अगर फिर भी मामला तय नहीं होता तो हमारे यहां कोई कमेटी नहीं है लेकिन वह मामला पूरी केबिनेट के सामने आता है। केबिनेट में अगर वह बड़े महत्व का मामला नहीं है और कोई फैसला हो सकता है तो वह वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला होता है कि जो इतने ही महत्व का है और ऐसा समझा गया कि उसको बढ़ाना ही चाहिये तो उसके केबिनेट के फैसले के बाद ही मतभेद किया जाता है।

एक राय यह हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय। चर्चा आयी कि यह निश्चय हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो। जहां तक संख्या की बात है उसमें तो अगर काम ज्यादा है तो उनकी संख्या बढ़ानी ही चाहिये। अभी तक जितना हमने गौर किया उससे हमको ऐसा पता लगा कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन अगर गवर्नर महोदय को मालूम पड़ेगा कि यहां काम ज्यादा बढ़ गया है तो जरूर संख्या बढ़ा दी जायगी। गुन्जाइश कानून के अन्दर इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है। ऐसे सवाल कि जिनमें व्यक्तियों का जिक्र होता है, उनमें नियम (रूल) लिखना बहुत कठिन होता है और वह किसी न किसी पर छोड़ना होता है और मैं समझता हूं कि जो सदस्य हैं वह अच्छे हैं। मुझे कुछ अफसोस हुआ इस बात की चर्चा करते हुए। माननीय राज नारायण जी ने यह कहा कि निष्पक्षता होनी चाहिये और अच्छे आदमी जाने चाहिये। यह तो ठीक है लेकिन साथ ही उन्होंने एक मिसाल दी इस बारे में कि एक आदमी मिनिस्टर होता होता रह गया और यह कि कोई स्पीकर था, उसको हटाना था तो उसको पब्लिक सर्विस कमीशन में कर दिया गया। जाहिर बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वह पहले स्पीकर थे। तो उनकी यह बात जो पढ़ेगा, समझेगा कि यह उनके ऊपर आक्षेप है, यह जाहिर सी बात है। यह हो सकता है कि कहते समय उनका यह ख्याल न रहा हो लेकिन इस बात की मिसाल देना बहुत गलत बात है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही कहा होगा लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियां होती हैं। जाहिर बात है कि उसमें गवर्नर और कुछ लोगों की राय ली जाती है। अब यह कहा जाय कि उन जजों के हाथ में लोगों की जान-माल रहती है और लोगों की अनमोल जान का सवाल भी आता है, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इस तरह की कोई शिकायत सुनने में नहीं आयी। मेरी समझ में तो यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के नियुक्ति की बात है वह जैसी है उसको वैसी छोड़ देना अच्छा होगा। इस बात पर भरोसा करना चाहिये कि जो भी चुनाव करेगा उसकी बोनाफाइडी में हमें विश्वास करना चाहिये और यह

मानना चाहिये कि वह सब से उपयुक्त आदमी समझ कर ही निष्पक्षता के साथ किसी सदस्य को चुनेगा और ऐसा आदमी ही वहां रखा जायगा और वह आदमी वहां ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा ।

माननीय नारायण दत्त जी ने लिमिटेशन और फंक्शन्स की तरफ ध्यान दिलाया था और उन्होंने यह कहा था कि एक तो जो शेड्यूल है वह ऐग्जास्टिव नहीं है यानी कई और सर्विसेज है जिनके नियम भी नहीं हैं । लेकिन उसके लिये ऐसा है कि जब कभी कोई जरूरत पड़ती है तो एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से वह चीज सर्विसेज में दाखिल की जा सकती है । मसलन मिसाल के लिये अभी २७ जुलाई को एक आर्डर निकला है अपने यहां डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को, लिखा हुआ है उसमें कि "The post of Superintendent, Sales and Agencies, Government U. P. Handicrafts should be within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission." इसलिये ऐसी जो सर्विसेज आती जाती हैं उनको, चाहे शेड्यूल छपे या न छपे उसके लिये, कमीशन के परव्यू के अन्दर डाल दिया जाता है ।

यह भी शिकायत है कि हमारी सर्विसेज के रूल्स नहीं बने हैं । रूल्स बराबर बनते जाते हैं और एक बात ख्याल रखनी चाहिये वह यह कि इस वक्त जिस जमाने में हम हैं वह परिवर्तन का जमाना है । इस समय कई ऐसी चीजें होती हैं जो साधारण समय में नहीं होती और कई मिशाल ले लें जो कानून हैं जो अंग्रेजी में बनते हैं उनमें बड़ी विधि के साथ जो शब्द हैं वही लिखे जाते हैं । अभी तक हिन्दी की कोई टर्मिनोलोजी बाजाब्ता नहीं बनी, लेकिन हम कानून रोज बनाते हैं, रोज शब्द हम बनाते हैं, कानून का काम रोक नहीं सकते । तो जब भी जरूरत यह पड़ती है कि नई-नई सर्विसेज क्रियेट करनी होती हैं, डेवलपमेंट का जमाना है, इसमें नई–नई सर्विसेज पैदा होती हैं तो उस वक्त एप्वइंटमेंट कर लेना होता है । होता यह है कि इसी से मिलती–जुलती सर्विसेज के रूल्स बरत लिये जाते हैं । तरीका यह होता है कि ऐपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट रूल्स बनाता है फिर केबिनट के सामने आते हैं, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाते हैं राय के लिये कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं ? लेकिन यह मैं मानता हूं कि रूल्स बनने चाहियें क्योंकि यह अच्छी बात है और हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके रूल्स बनाये जायं ।

यह कुछ ख्याल हुआ कि जो रिऐमप्लाय कर लिये जाते हैं सरकारी अफसर उनके सम्बन्ध में कोई शायद नियम नहीं है । नियम तो है जो कि उसके तीसरे पेज पर रूल नम्बर ५ है । उसमें खास तौर से यह इलस्ट्रेशन दे करके समझाया गया है कि सरकारी अफसर अगर रिऐम्प्लायड हो वह कैसे हो या ऐक्सटेन्सन कैसे हो । साधारण तौर से मैं सहमत हूं कि ऐक्सटेन्शन नहीं दिया जाना चाहिये । और एक नियम तो है ही कि सिवाय इसके कि पब्लिक सर्विस में बहुत जरूरी है, इसको छोड़ कर महज व्यक्ति के लिये कि वह स्वस्थ है, काम करने लायक है कोई ऐक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिये । मैंने इसी बेसिस पर कई आदमियों को इन्कार किया और मैं चाहता हूं कि जिन आदमियों के हाथ में ऐसी ताकत है उनको भी ऐसा ही करना चाहिये । या तो कोई खास टेक्नीकल एक्सपर्ट हो जो जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकता या किसी खास काम में लगा हुआ हो जो थोड़े ही दिनों में खत्म होने वाला होता है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये । ऐसी बातों को छोड़ कर और कभी ऐक्सटेंशन नहीं देना चाहिये । यह बिलकुल सही बात है । ऐसे केसों के अतिरिक्त अगर कहीं होता है तो गलत होता है, जरूर इस बात को हमको ख्याल रखना चाहिये और मैं कोशिश भी करता हूं ।

एक सवाल यह था कि जो कम्पलसरी रिटायरमेंट का सवाल है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाय । उसका जाना बहुत मुश्किल है । कम्पलसरी रिटायरमेंट जो है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वह साधारण तरह से एक पनिश्मेंट की चीज नहीं है। इनऐफीशियेंसी एक ऐसी चीज है जो कागज पर साबित करना मुश्किल होता है। कभी-कभी किसी आदमी की ऐन्टी-नेशनल ऐक्टीविटीज होती है, आम तौर से देखा जाय कम्पलसरी रिटायरमेंट के बहुत कम केसेज होते हैं। लेकिन कभी--कभी ऐसी जरूरत हो जाती है कि ऐसे आदमी को हटाना ही पड़ता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो ऐसे केसेज को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाना और फिर उसी रिकर्ड से साबित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिये इस बात को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाना मुश्किल है।

इसी तरह ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसलों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाने की बात होती है। आखिर ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ? माननीय सदस्यों को मालूम है कि योरप के कांटीनेंट में, कई देशों में ऐसा है कि जहां सरकारी अफसरों के मामले किसी अदालत में नहीं जाते। वह तो हमेशा एक तरह के ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं। हमने भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसीलिये बनाया कि किसी सरकारी अहलकार के ऊपर मान लीजिये कोई रिश्वत का मामला अदालत में जाय तो न जाने कहां-कहां वह घूमता रहे, न जाने कितनी उसकी अपीलें होती रहें, और उसमें काफी देर लग सकती है। तो अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाने की बात रख दी जाय तो एक कोर्ट आफ अपील और कायम हो गई और जो हमारा मकसद था कि जल्दी फैसला हो जाय ऐसे मामलों में, तो वह होने के बदले एक अदालत और बन गई और एक और अपील की बात पैदा हो गई। तो जो जल्दी काम करने का मंशा था वह खत्म हो गया। जो हमारी डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी का मतलब था वह सारा का सारा खत्म हो गया।

इसी तरह के छोटे-छोटे पोस्ट्स हैं २०० रुपये से नीचे के, उनका भी जिक्र हुआ। उनके भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने की बात आयी। मेरा अपना ख्याल है कि इससे बहुत दिक्कत हो जायगी। ऐसी छोटी-छोटी पोस्ट्स की नियुक्तियों का काम अगर उनको दिया जाय तो काम बहुत बढ़ जायगा और देरी बहुत बढ़ जायगी। यह ऐसी जगहें हैं जहां आदमी की परसनैलिटी ज्यादा महत्व की चीज हुआ करती है, परिश्रमी है या नहीं, यह चीज ज्यादा महत्व की हुआ करती है। तो ऐसी जगहों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती।

खास तौर से यहां पुलिस का जिक्र आया। नारायण दत्त जी ने भी कल पुलिस का जिक्र किया। यह तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में फौज या पुलिस किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने नहीं जाती और न मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं। जहां डिसिप्लिन की बात होती है, वहां पर सारी की सारी डिसिप्लिन चौपट हो जायगी, वह फोर्स सारा खत्म हो जायगा अगर इस तरह से उसके अप्वाइंटमेंट्स हुए। मैं समझता हूं कि यह तो किसी का मतलब न होगा कि कांस्टेबुल या हेड कांस्टेबुल की नियुक्ति कमीशन करे, बच जाता है सब-इंस्पेक्टर। उसके लिए दो दो डी० आई० जी०, एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक साइकोलाजिस्ट, और दो हमारे इस सदन या उस सदन के सदस्य, इतने आदमी बैठ कर उसका सेलेक्शन करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने आदमियों के बीच कैसे कांसिपेरिसी हो जायगी और पक्षपात हो जायगा। यह मैं नहीं कहता, यह हो सकता है कि सात आदमियों के अपने एक एक फेवरिट हों, वह सातों अपना एक-एक कर लें, लेकिन यह मैं नहीं मान सकता कि तीन आदमियों में तो पक्षपात नहीं होगा और सात आदमियों में पक्षपात हो जायगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां एक हवा है कि सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। सारे काम सिफारिश से होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा विशस सर्किल हमारे यहां है। कोई भी तरीका रखा जाय जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि ऐसे भी लोग आते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी आक्षेप करते हैं, तो यह एक ऐसी हवा

फैली हुई है जिसमें हर जगह लोगों में हर एक के लिये यही भाव भरा है । ४०० आदमियों में एक आदमी अगर लेना है तो तो जो बाकी ३९९ बचेंगे उनको कुछ न कुछ कहना ही है। अपने को कोई भी अयोग्य नहीं कहता । चुनने वाले को ही वे बेइमान बतायेंगे, दूसरी बात और वे कहेंगे क्या ? तो हम लोगों को अपने यहां के विशस सर्किल को किसी तरह तोड़ना होगा। थोड़ा अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें जो कोई भी हमारे सामने ऐसी बात कहता है ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बाबत या पब्लिक सर्विस कमीशन की बाबत या किसी की बाबत, उससे हम यह कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं हो सकती, दो एक बार अगर हम इस तरह से इस चीज को दूर करने की कोशिश करें तो यह चीज खत्म हो जायगी। नहीं तो कोई नहीं बचेगा चाहे जो तरीका आप रखें सबमें यही बात होगी। तो हमको आपको दो एक बार इस बात को करना होगा कि जो हमारे सामने बेइमानी या पक्षपात की शिकायत ले कर आता है उससे हम यह कहें कि तुम झूठ बोलते हो, हमारे देश के आदमी बेईमान नहीं हो सकते। दो एक बार ऐसा हम कर दें तो यह हवा खत्म हो जायगी।

एक चीज का और जिक्र कर दूं। एक नहीं बल्कि दो का। एक तो यह राय थी माननीय नारायणदत्त जी की कि जो लोकल बाडीज हैं उनमें जो बड़ी-बड़ी जगहें हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये भरा जाय। यह कठिन हो सकता है लेकिन यह भी नहीं है कि हमारे सामने यह ख्याल न हो। अभी सम्भव है जो कारपोरेशन बिल आपके सामने आवे उनमें यह सवाल आपके सामने आये। बार-बार सवाल आता है बड़ी-बड़ी पोस्ट्स को प्राविंश्यलाइज करने का। यह तो सम्भव चाहे न हो कि उनको सरकारी नौकर बना दें। लेकिन इस मानी में अगर प्राविंश्यलाइज हो सके तो अच्छा है कि यही पब्लिक सर्विस कमीशन या इससे मिलती-जुलती कोई बाडी चुने और ऐसा कोई रास्ता निकल सके जिस से कि लोकल बाडी का अफसर किसी वजह से अगर वहां न टिक सके तो उसका दूसरी जगह ट्रांस्फर हो सके। यह दोनों चीजें सामने है और जो दो चार बड़ी बड़ी पोस्ट हैं शायद उनके लिए करना इस समय आवश्यक था। यह हो सकता है म्युनिसिपल बोर्ड में एक अफसर है, किसी की गलती हो, मेम्बरों से नहीं पटती है तो वही बदला जा सकता है। बोर्ड के मेम्बर तो नहीं बदले जा सकते, वही फिर हटाया जा सकता है। तो या तो वह फिर वहीं जमा रहे और फ्रिक्शन होता रहे, या निकल जाय। तो अच्छा है कि कोई रास्ता निकल सके जिस से आसानी से ट्रांस्फर हो सके। यह चीज हमारे सामने है और जिस समय भी आगे चल कर मौका हुआ तो हम देखेंगे।

अन्त में माननीय नारायणदत्त जी ने पूछा था कि पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्च ब्युरो का क्या हुआ। तो उसका तो जहां से जन्म हुआ था वहीं वह लय हो गया। यानी २८ सितम्बर, १९४८ को स्वर्गीय गोपीनाथ जी के जमाने में, उसके बाद १८ जनवरी, १९४९ को गोपीनाथ जी के देहान्त के बाद जब पंडित अमरनाथ झा चेयरमैन हुए तो उन्होंने मुख्य मंत्री माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त को एक पत्र लिखा, जिसमें से मैं थोड़ा सा पढ़े देता हूं –

"There is considerable indefinitness as to the exact function of the Bureau."

यानी अब तक यह निश्चित नहीं कि वह ब्यूरो क्या करेगा। तो जहां तक समझ में आता है उसके चार काम होंगे––

"1. To advise the Commission on Administrative matter, that is, in service cases where there are appeals from Officers or references from Government where the Governor contemplates taking any action against an officer, or cases of compensation or gratuity or legal expenses.

2. To publish a journal.

3. To build up a Library.

4. To get monographs written and published."

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यानी पहला तो यह काम होगा कि जो शासन से संबंध रखने वाले मामले हों कमीशन को सलाह देना। दूसरा एक जर्नल निकालना। तीसरा एक लाइब्रेरी स्थापित करना। चौथा यह कि विभिन्न शासन संबंधी मामलों पर मोनोग्राफ लिखाना और उनको पब्लिश कराना।

तो जहांतक पहला ऐडमिनिस्ट्रेशन सम्बन्धी काम है जिसमें सलाह देने की बात है तो--

"There are standing rules which have to be applied, and on which, the Commission feel, no advice is necessary."

उन्होंने कहा कि नियम बने हुए हैं इसलिये किसी सलाह की जरूरत नहीं है। जहां तक अखबार का ताल्लुक है, पहला तो ठीक निकला लेकिन दूसरे के लिए लेख ही नहीं मिले। इसलिए इस काम के लिए किस यूनिवर्सिटी टीचर को रखा जाय जो सम्पादन के काम को करे। तीसरे लाइब्रेरी की बात है, किसी हेडक्वार्टर में काम करने वाले उच्च कर्मचारी से यह काम लिया जा सकता है, अलग से प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

"This can be easily done by a Senior Assistant."

चौथी बात जो मोनोग्राफ लिखाने और पब्लिश कराने की है उसके सम्बन्ध में कमीशन की यह राय हुई कि यह काम किसी यूनिवर्सिटी से कराना चाहिये। इसलिए उन्होंने राय दी कि,

"The commission are of opinion that this function is one which can properly be undertaken by a University."

और यह कहा कि उसके लिए हेडक्वार्टर में इतना बड़ा स्टाफ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है --

"The Commission are by no means certain, in the light of the experience gained during the current year, that any useful purpose will be served by maintaining such an elaborate staff for the Bureau."

इसलिए उन्होंने राय दी कि ब्यूरो तोड़ दिया जाय।

एक चीज का नारायण दत्त जी ने और जिक्र किया कि परीक्षा के लिए एक हाल बनाया जाय और दूसरा सुझाव यह था कि एक कैंडीडेट्स होम खोला जाय। तो उन्होंने कहा कि--

"The Commission feel that the Candidates Home will not function. It is therefore proposed that this should be abandoned."

उन्होंने कहा कि कैंडीडेट्स होम सफल नहीं होगा, इसलिये उसका इरादा छोड़ दिया जाय।

तो उनका ऐसा खत आने के बाद बहुत दुःख के साथ मुख्य मंत्री जी ने उनको लिखा--

"In view of what you have said in your letter, I am afraid the Bureau of Research will perhaps have to be closed down."

"जैसा आपने लिखा है उसके अनुसार इस ब्यूरो को बन्द करना पड़ेगा। आगे उन्होंने लिखा--

"You do not see any necessity for starting the Candidates Home; so that idea has to be dropped."

आपकी राय में कैंडीडेट्स होम की जरूरत नहीं, इसलिए इस ख्याल को छोड़ना पड़ता है।

इस प्रकार जिस ब्यूरो के बनाने की बात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उठी थी वहीं से यह राय हुई कि इसको खत्म कर देना चाहिए।

दूसरी बात इम्तहान के लिए हाल की थी। यदि ऐसा कोई हाल हो तो अच्छी बात है। अगर थोड़े से रुपये का प्रबन्ध हम कर सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त तो जरूरत रुपये की है और मैं समझता हूं कि "फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट" के हिसाब से जिस चीज की पहले

आवश्यकता हो उसे पहले करना है। इसलिये अगर किसी और तरीके से हम काम चला सकें तो अच्छा है। मुझे यही थोड़ी सी बातें निवेदन करनी थीं और फिर माननीय सदस्यों को, जिन्होंने मेरा ध्यान इन सब बातों की ओर आकृष्ट किया है, धन्यवाद देता हूं और यह आशा करता हूं, कि ज्यों-ज्यों आगे चलकर हमारी फाइनेंशियल दिक्कतें दूर होती जायंगी, माननीय सदस्य खुद देखेंगे कि माननीय सदस्य से जहां हमारा मतभेद हुआ है, ऐसे मामले कम होते जायंगे। और जो शिकायतें शासन के सम्बन्ध में उनकी हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जायगी और उनके रूप में बहुत फ़र्क हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--अब मैं समझता हूं कि आज के लिये कोई कार्य नहीं रहता है। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ अगस्त, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर)

सन् १९५४ में एटा जिले में थानेवार डकैतियों, चोरियों, कत्लों और स्त्रियों के भगाने से संबंधित मामलों का विवरण

थाने का नाम	डकैती			चोरी			कत्ल			स्त्रियों को भगाना		
	रिपोर्ट की गई	मुकदमे चलाये गये	सजा हुई	रिपोर्ट की गई	मुकदमें चलाये गये	सजा हुई	रिपोर्ट की गई	मुकदमें चलाये गये	सजा हुई	रिपोर्ट की गई	मुकदमे चलाये गये	सजा हुई
१—सरोन ..	३	३	—	२२	६	१	४	२	१	—	—	—
२—अलीगंज ..	३	३	२	३४	६	—	४	३	—	२	२	१
३—सहावर ..	५	४	—	१०	३	१	३	३	१	१	—	—
४—पटियाली ..	१	१	१	२३	४	१	६	५	१	—	—	—
५—गलडड वारा ..	—	—	—	९	२	१	३	३	२	—	—	—
६—अमनपुर ..	२	१	—	१२	६	—	१	१	—	१	—	—
७—कासगंज ..	३	२	१	४४	१०	६	५	२	१	४	४	—
८—कोतवाली ..	२	२	१	५१	१३	३	६	३	—	२	२	२
९—जलेसर ..	३	२	—	१९	५	३	२	—	—	१	१	—
१०—मझैरा ..	६	५	१	१९	५	३	९	६	३	१	१	—
११—सिरपुरा ..	१	—	—	१०	२	१	४	२	—	१	—	—
१२—निधौली कलां ..	२	२	१	१५	७	५	२	१	१	४	२	—
१३—अवागढ़ ..	—	—	—	११	३	—	—	—	—	—	—	—
१४—जैथरा ..	४	२	२	२५	४	१	३	१	—	—	—	—
१५—सकीत ..	३	१	—	१६	१	—	३	१	—	१	१	—

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या २१ में वर्णित सूची।

बन खंड	टोंगया केंद्र
बहराइच	गांधी
,,	ककरदरी
,,	बदला
,,	मोहबव नगर
,,	राजापुर
,,	बस्ती
,,	लौकी पुरवा
,,	बनकटवा
गोरखपुर	तिलकोनियां
,,	रामगढ़
,,	मिलमपुर
,,	जगपुर
,,	भोखारी
,,	कंपियरगंज
,,	गिरधरपुर
,,	सुरपार
,,	खैरमपुर
,,	आचटगढ़
,,	लछमीपुर
,,	नाथनगर
,,	निचलोल
,,	डोमा
,,	
रामनगर	रामपुर
,,	चौपड़ा
,,	लेटी
सहारनपुर	कल्लूबाला
,,	बुधनि
,,	बनियाबाला
,,	लाकड़कोट
,,	गंजर बन
,,	रसैलपुर
,,	तिरा
,,	हारनौल
,,	पथरी

बन खंड		टोंगया केंद्र
सहारनपुर	..	खजनवार
,,	..	मोहाद
,,	..	अंधनेरी
,,	..	गंजर बन कम्पार्टमेंट १
,,	..	चिरक
,,	..	पथरी
,,	..	मोहाद ब्लाक
,,	..	सुख कं० २
,,	..	गंजर बन कं०
,,	..	बेतवन पश्चिमी
,,	..	अधनेरी कं०
,,	..	रोली
,,	..	चिरक
,,	..	पथरी
देहरादून	..	सतीवाला
,,	..	दलीपनगर

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७५ पर)

आजमगढ़ शहर में १-४-५३ से बिजली की दरों की तालिका

	सकल दर प्रति यूनिट	डिस्काउन्ट	दर डिस्काउन्ट देने के बाद
रोशनी तथा पंखा	०-८-०	०-१-०	०-७-०
घरेलू धंधों ..	०-६-०	०-१-०	०-५-०
सिनेमा--			
प्रथम ४०० यूनिट प्रतिमास के उपयोग पर ..	०-६-०	०-१-०	०-५-०
४०० यूनिट के ऊपर उपयोग पर ..	०-५-०	०-१-०	०-४-०
औद्योगिक धंधों			
प्रथम १०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० पर	०-४-०	०-०-६	०-३-६
द्वितीय १०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० पर	०-३-६	०-०-६	०-३-०
और इसके ऊपर	०-३-०	०-०-६	०-२-६

नोट:--डिस्काउन्ट बिल देने के १४ दिन के अन्दर बिल की रकम जमा करने पर दिया जाता है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७७ पर)

जिला आजमगढ़ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७/१५१ के अन्तर्गत फरवरी-मार्च मास में हुई गिरफ्तारियों का विवरण।

तहसील का नाम	गिरफ्तारियों की संख्या
१—सागरी	११
२—लालगंज	५
३—फूलपुर	३
४—सदर	१२
५—घोसी	२५
६—मुहम्मदाबाद	—

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७८ पर)

No. 5049/III—86-1951

FROM

SRI K. P. BHARGAVA, I.C.S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS, COMMISSIONERS OF DIVISIONS,
DISTRICT OFFICERS AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, *August* 21, 1952.

Subject: **Shikar Parties arranged for Government Officers**

General Admn. Deptt.

SIR,

I AM directed to say that Government have for some time past had under consideration whether government officers should participate in *shikar* parties arranged by or with the assistance of non-official gentlemen or other subordinate government servants. While there is nothing wrong about an officer doing occasional shooting or going in for *shikar* in his spare moments just as a pastime, the participation in organized *shikar* parties not unoften gives cause for complaint. Some of those who acquire and develop a taste for *shikar* are at times unable to resist the temptation of giving preference to *shikar* even over other legitimate claims on their time. Besides *shikar* is an expensive pastime and it is difficult to arrange for it except with the assistance, direct or indirect, of influential non-officials or subordinates. Any help from such people places government officers under an obligation to them and may conceivably place them in an embarrassing position. The acceptance of such help may also give rise to criticism, however, unfounded and unjustifiable, in respect of the discharge of the public duties of a government servants.

2. While there is no desire on the part of Government to prevent their officers from participating in an occasional shoot as a form of healthy sport when they are free from their duties and public business does not call for their attention, indulgence in organized *shikar* parties, which involves the acceptance of hospitality of, or of assistance in the organization (including the use of their servants, etc.) thereof from, influential non-official gentlemen or the subordinate government servants, stands on a different footing and the practice has to be deprecated in the public interest. Government have, therefore, decided that government officers should scrupulously refrain from participating in such *shikar* parties and also otherwise if *shikar* interferes with the due performance of their duties.

3. I am to request you kindly to bring these orders to the notice of all the officers working under your control.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary.

No. 5049(1)/III—86-1951

COPY forwarded for information to —

(1) All Personal Assistants to the Ministers.
(2) All Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.
(3) All Departments of the Secretariat.

By order,
N. S. PANDEY,
Deputy Secretary to Government, Uttar Pradesh.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७८ पर)

बल्ब की शक्ति वाट्स में	कम से कम जलने के घंटे	पुराने रेट जो अभी जारी हैं						नये रेट जो कम्पनी लगाना चाहती है					
		(क) दिये हुये कम से कम घंटों में जलने का कुल चार्ज			(ख) कम से कम घंटों के ऊपर अधिक घंटों में जलने पर प्रति १०० या उससे कम घंटों के लिये चार्ज			(ग) दिये हुये कम से कम घंटों में जलने का कुल चार्ज			(घ) १,८०० घंटों के ऊपर प्रति १०० घंटों या उससे कम घंटों में जलने का चार्ज		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
३०	१८००	२४	०	०	१	२	०	३८	०	०	१	२	०
४०	१८००	३२	०	०	१	४	०	४५	०	०	१	४	०
६०	१८००	४८	०	०	२	०	०	५६	०	०	२	०	०
१००	१८००	७०	०	०	३	४	०	८८	०	०	३	४	०
१५०	१२००	८०	०	०	६	०	०	१०४	०	०	६	०	०
२००	१२००	१०५	०	०	७	८	०	१३२	०	०	७	८	०
३००	१२००	१६०	०	०	११	०	०	१७८	०	०	११	०	०

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७–४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

जिला बुलन्दशहर के थाना बिसरख, दादरी, दनकौर तथा सिकन्दराबाद हल्कों से १–१२–१९५४ से ३१–५–१९५५ तक बन्दूक के लाइसेंस के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या तथा उनमें थानेवार दिये गये लाइसेंसों की संख्या

थाने का नाम		१–१२–१९५४ से ३१–५–५५ तक दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या	१–१२–५४ से ३१–५–५५ तक दिये गये लाइसेंसों की संख्या
बिसरख ..		६	–
दादरी ..	..	२६	१
दनकौर ..	..	१९	४
सिकन्दराबाद ..	..	३१	५

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर)

रायबरेली जिले में सन् १९५३ और सन् १९५४ में डाके, चोरी और कत्लों की सूची--

सन्			डाके	चोरी	कत्ल
१९५३	..	..	३२	६७६	३०
१९५४	..	..	२७	६९९	२८

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३-४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर)

COPY OF PARAGRAPHS 421 TO 424 OF THE MANUAL OF GOVERNMENT ORDERS

A—Official calls

Civil officers calling on Commissioners of divisions.

421. Heads of departments should impress on officers subordinate to them the necessity of calling officially on the Commissioner of the division in which they are serving as it is necessary that he should be acquainted with them. It should be remembered that the Government of the country is one entity and not a disunited set of departments and that the Commissioner in his division represents Government in all matters relating to the civil government of the division.

Heads of departments (on tour) to meet Commissioners and District magistrates.

422. Heads of departments when visiting districts should as a general rule take the opportunity of conferring with the Magistrate (and, when the district is a divisional headquarters, with the Commissioner as well) on the various subjects connected with their departmental inspections in order to learn the views of the district and divisional officers and to bring to their attention any matters which are of importance. The Deputy Inspectors General of Police when visiting districts should invariably meet the Magistrate.

B—Relations between Magistrates and Judges

Visits by Judges of the High Court.

423. Whenever the Chief Justice or any other Judge of the Allahabad High Court visits a district on inspection duties the District Magistrate will himself call on the Judge and also instruct every Sub-Divisional Officer who may be in the station at the time to also pay a formal call by leaving their cards. The District Magistrate concerned will be informed in advance of the Judge's tour programme on the occasion of such visits.

Courtesy calls between officers of the executive and Judicial services.

424. When ever a new Collector or a new District Judge is posted to a district all Deputy Collectors and Judicial officers and all officers of the Judicial service below the rank of District Judge should call on the new Collector or new District Judge as the case may be. When there is a change in Collectors the new Collector should call upon the District Judge. Similarly, when there is a change of District Judges the new District Judge should call upon the Collector.

No. 04039/II B-48

FROM

SRI B. P. BAGCHI, I.C.S., DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES.

TO

ALL DISTRICT OFFICERS,
UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow November 25, 1948

Subject: **Courtesy Calls**

SIR,

I AM directed to say that it has been decided that District officers on arrival in a new district should pay courtesy calls on the Chairman of the Municipal Board and the President of the District Board, such calls will be returned by the Chairman and the President.

Yours faithfully,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

No. 04039(1)/II B-48

COPY forwarded for information to all Commissioners, United Provinces.

By order,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

No. 04039(2)/II B-48

COPY forwarded for information and necessary action to L. S. G. Department.

By order,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

D. O. No U. O. 1335/III
U. P. CIVIL SECRETARIAT, GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Dated Lucknow, October 5, 1950.

DEAR SIR,

Courtesy calls and contacts between officers inter se

It has come to the notice of Government that there have been instances where the failure on the part of some officers to extend reasonable courtesy to officers of other departments or to cultivate social contacts has resulted in the work of the officers concerned being adversely affected. It is quite conceivable that in many of the instances no offence was actually meant but this is not always apparent to the person who think, that some action or omission on the part of one of his colleagues was due to his being inconsiderate or because he thought that it was not necessary to return the courtesy that was extended to him. Government will like all officers to realise that courtesy consideration to others with whom they come in contact in the course of their official work is never wasted and that it often opens the way for smooth working and better relations between different departments of Government. District Magistrates and Superintendents of Police must in particular realise that in view of the important positions that they hold, their responsibility in this matter is perhaps even heavier than that of officers of other departments. It was perhaps inevitable that in the existing circumstances officers of other departments in the district should feel that their status should be most fully recognized. Any feeling on their part that this has not been done tends to cause a feeling of resentment which almost always has the effect of making inter-departmental co-operation in the districts less effective than it should be. It is, therefore, of importance that District Magistrates and Superintendents of Police should show due courtesy and consideration to officers of other departments, that they should return the calls of such officers who are of equivalent status and rank of superior status and rank, and make every effort to see that whenever such officers have occasion to meet them anything which might given them the impression that they have been neglected is avoided. Greater attention to matters of this kind would result in better relations between the officers of various departments and consequently to a much smoother working in the districts.

2. One way of securing attention to matters of this kind might have been the issuing of elaborate instructions which officers were called upon to observe, but Government believe that a better way of securing the same would be to appeal to the good sense of the officers themselves and after calling their attention to this important aspect of their duties leave it to them to conduct themselves in a way which does not give rise to any justifiable criticism or resentment.

Yours sincerely,
BHAGWAN SAHAY,
Chief Secretary.

To

(1) All Heads of departments,
(2) Commissioners of Divisions,
(3) District Officers,
(4) District and Sessions Judges, and
(5) Other Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५८ एल०—१९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १५४

अ

ध

न

रे

स्थानिक प्रश्न

[स्थानिक प्रश्न]

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १२८ एल० ए०—१९५५. ७१९ ।